

okf"kd ; kst uk  
2006-07



योजना आयोग  
भारत सरकार  
नई दिल्ली

website- [planningcommission.gov.in](http://planningcommission.gov.in)



## विषय सूची

विवरणिका		पृष्ठ संख्या
<b>अध्याय 1</b>	<b>नीतियों एवं कार्यक्रमों का सिंहावलोकन</b>	<b>1</b>
1.1	विकास एवं संभावनाएं	1-7
1.2	बाह्य क्षेत्रक आयाम	7-14
1.3	कार्यक्रमों की सिंहावलोकन	15-40
<b>अध्याय 2</b>	<b>वित्तीय संसाधन तथा सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय</b>	<b>41</b>
2.1	वित्तीय संसाधन	41-65
2.2	सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय	66-103
<b>अध्याय 3</b>	<b>मानव और सामाजिक विकास</b>	<b>105</b>
3.1	प्रारंभिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा	105-109
3.2	माध्यमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा	109-111
3.3	उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा	112-117
3.4	युवा मामले एवं खेल	118-123
3.5	चिकित्सा शिक्षा सहित स्वास्थ्य	124-142
3.6	आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) परिचय	143-152
3.7	परिवार कल्याण	153-162
3.8	महिला एवं बाल विकास	163-181
3.9	कला एवं संस्कृति	182-184
<b>अध्याय 4</b>	<b>रोजगार, व्यावसायिक शिक्षा एवं कुशलता मिशन</b>	<b>185-190</b>
<b>अध्याय 5</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा कड़ी</b>	<b>191</b>
5.1	ग्रामीण भारत में गरीबी उपशमन-कार्यनीति और कार्यक्रम	191-197
5.2	खाद्य और पोषाहार सुरक्षा	198-210
5.3	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)	211-217
5.4	श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा	218-225
<b>अध्याय 6</b>	<b>विशेष समूह</b>	<b>227</b>
6.1	सामाजिक रूप से अल्प सुविधा-प्राप्त समूह	227-235
6.2	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां (“स्तर” शीर्ष)	236-244
6.3	अन्य विशेष समूह	245-258

<b>अध्याय 7</b>	<b>कृषि और ग्रामीण विकास</b>	<b>259</b>
7.1	कृषि	259-278
7.2	पशुपालन और डेयरी उद्योग	279-283
7.3	मत्स्य-पालन एवं जल-कृषि	284-285
7.4	बंजरभूमि और निम्न कोटि की भूमि का विकास	286-291
7.5	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	292-295
7.6	खादी और ग्राम उद्योग	296-302
7.7	ग्रामीण पेय जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	303-313
<b>अध्याय 8</b>	<b>शहरी विकास</b>	<b>315</b>
8.1	शहरी विकास	315-331
8.2	शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं	332-334
<b>अध्याय 9</b>	<b>उद्योग और सेवाएं</b>	<b>335</b>
9.1	उद्योग	335-363
9.2	खनिज	364-378
9.3	ऊर्जा	379-397
9.4	सूचना प्रौद्योगिकी	398-404
9.5	बायो-प्रौद्योगिकी (उद्योग भाग)	405
9.6	पर्यटन	406-416
<b>अध्याय 10</b>	<b>बुनियादी सुविधाएं</b>	<b>417</b>
10.1	सिंचाई बाढ़ नियंत्रण और कमान क्षेत्र विकास	417-440
10.2	विद्युत	441-465
10.3	परिवहन	466-500
10.4	सूचना व प्रसारण	501-510
10.5	संचार	511-523
<b>अध्याय 11</b>	<b>वन और पर्यावरण</b>	<b>525-542</b>
<b>अध्याय 12</b>	<b>विज्ञान और प्रौद्योगिकी</b>	<b>543-553</b>
<b>अध्याय 13</b>	<b>विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>	<b>555-564</b>
<b>अध्याय 14</b>	<b>योजना स्कीमों / कार्यक्रमों का मूल्यांकन</b>	<b>565-571</b>

## अध्याय-1

## नीतियों एवं कार्यक्रमों का सिंहावलोकन

## 1.1 विकास एवं संभावनाएं

1.1.1 दसवीं पंचवर्षिय योजना (2002-07) में समग्र रूप से आर्थिक व्यवस्था के लिए 8.1% वार्षिक औसत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है, जिसे मार्किट मूल्यों पर जी डी पी के रूप में मापा गया है, साथ ही कृषि क्षेत्र में 4% के विकास का लक्ष्य रखा गया है। दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकनों ने योजना अवधि के लिए 7% का लक्ष्य दर्शाया है। इसे सारणी-तालिका 1 में देखा जा सकता है कि इन वर्षों के दौरान जीडीपी की वास्तविक औसत दर 7.3% प्रति वर्ष रही है, जिसे 1999-00 को आधार वर्ष मानते हुए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की नई श्रृंखला के अनुसार केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा निकाला गया है।

1.1.2 कृषि क्षेत्र में, विशेष रूप से 2003-04 एवं 2005-06 के दौरान कुछ सुधार हुआ है। इससे जीडीपी विकास दर में महत्वपूर्ण विकास हुआ है और यह दर 2003-04 के दौरान 8.3%, उसके बाद वर्ष 2004-05 के दौरान यह विकास 8.5% और वर्ष 2005-06 के दौरान 8.7% से भी अधिक के प्रत्याशित विकास दर तक पहुँच गई है।

1.1.3 2005-06 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर 9% रही है, जो पिछले वर्ष के 8.1% मुकाबले अच्छी रही है। निर्माण के क्षेत्र में भी विकास दर 12.1% तक पहुँच कर काफी मजबूत हो गई है। खनन और उत्खनन में विकास दर कम रही है जो 0.7% तक नीचे पहुँच गई है, सेवाओं में व्यापार एवं होटल, परिवहन एवं संचार (11.5% विकास) और वित्तीय बीमा रियल इस्टेट और कारोबारी सेवाएं (9.7% विकास) तक पहुँच कर, पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा कार्य निष्पादन किया है। सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवाओं की विकास दर कम रही हैं (9.8%) जबकि 2004-05 के दौरान यह विकास दर 9.2% थी।

1.1.4 प्रकार दसवीं योजना (2002-03 से 2005-06) के दौरान भारतीय अर्थ व्यवस्था में समग्र विकास की दर 7.3% रही है, 3 बड़े क्षेत्रों - कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में विकास की दर क्रमशः 1.8%, 8.0% और 8.9% रही है। इस प्रकार जी डी पी की विकास दर सराहनीय रही है, जिसमें उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है तथा ये 10वीं योजना अवधि में महत्वपूर्ण विशिष्टताओं के रूप में

## तालिका 1.1.1

## दसवीं योजना अवधि में क्षेत्रवार विकास दर

(1999-2000 मूल्य पर)

क्षेत्रक /वर्ष	दसवीं योजना के लक्ष्य (2002-07)	एमटीए लक्ष्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (संशोधित अनुमान)	पहले 4 वर्षों के लिए औसत
कृषि	4.0	2.2	-6.9	10.0	0.7	3.9	1.8
उद्योग	8.9	7.6	7.0	7.6	8.6	8.7	8.0
सेवाएं	9.3	8.3	7.3	8.2	9.9	10.0	8.9
जीडीपी (मार्किट मूल्य पर)	8.1	7.0	3.6	8.3	8.5	8.7	7.3

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन पर आधारित

उभरे हैं, यद्यपि, कृषि विकास लगातार कम रहा है, जो कि चिंता का विषय है।

## 2006-07 में अर्थ व्यवस्था : एक नजर

1.1.5 2006-07 में अर्थ व्यवस्था का विकास बहुत अच्छा रहा है। पिछले वर्ष के 8.5% विकास दर के मुकाबले उसी अवधि (अप्रैल-जून 2006) में यह 8.9% तक पहुँच गई। निर्माण, विद्युत गैस और जल आपूर्ति के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों में पिछले वर्ष की प्रथम तिमाही के मुकाबले विकास दर काफी ऊँची रही है। प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार 2006-07 के दौरान आर्थिक विकास दर बढ़कर 7.9% तक पहुँच गई है। यह 1.5% की प्रेक्षित कृषि विकास दर पर आधारित है। प्रथम तिमाही में कृषि विकास दर का अनुमान 3.4% लगाया गया है। इस प्रकार समग्र कृषि आउट पुट 2.5 से 3% के बीच संभावित है। इस प्रकार जी.डी.पी. विकास (स्थिर मूल्य पर) 8 से 8.5% पहुँचने की संभावना है, जो 2005-06 की पिछली उपलब्धियों के लगभग करीब ही है।

## बचत एवं निवेश

1.1.6 दसवीं पंचवर्षीय योजना की अन्य विशेषता यह रही है कि पिछली अवधि के मुकाबले बचत और निवेश की दर में काफी वृद्धि हुई है। जैसा कि सारणी 2 में दर्शाया गया है कि 2001-02 से देखा गया है कि सकल घरेलू बचत में जी डी पी का अनुपात बढ़कर 2002-03 में 26.5% से बढ़ कर 2004-05 में 29.1 हो गया है। जबकि निवेश

दर जो 2002-03 में 25.3% थी, बढ़ कर 2004-05 में 30.1% हो गई। दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में बचत और निवेश का अनुमानित अन्तर (-) 1.6% रहा है, 10 वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में यह अन्तर जी डी पी का लगभग 0.3% हो जाएगा, जो इसी प्रकार के मैग्नीट्यूड में चालू खाता के संतुलन में कुछ अधिक (सरप्लस) रहने का अनुमान है। 10वीं योजना के पहले दो वर्षों में चालू खाता अधिक रहा है, उसके बाद 2004-05 में यह चालू खाता घटा 1.0% था जो 2005-06 में 1.3% हो गया।

1.1.7 क्योंकि दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान बचत और निवेश दोनों की ही दर स्थिर रही हैं अतः 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान आर्थिक अर्थ व्यवस्था 2002-03 और 2003-04 के दौरान में, निवेश की बजाय बचत अधिक रही, जो निवेश बाहरी पूंजी अन्तर्प्रवाह की एब्जार्ब करने की अक्षम आर्थिक व्यवस्था की तुलना में बचत में अनुपातिक रूप से अधिक वृद्धि के रूप में देखी जा सकती है। फिर भी 2004-05 के दौरान उधार लेने की दरों में लगातार देखी गई कमी की तुलना में सकारात्मक विकास समाधान हो जाने पर पिछले वर्षों के मुकाबले निवेश दरों में ठोस वृद्धि हुई, जबकि उसी अवधि में बचत दर मध्यम ही रही थी।

1.8 सकल घरेलू बचत में घरेलू क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जी डी पी के अनुपात में घरेलू बचत की दर 2002-03 में 23.1%, जो 2004-05 में घट कर 22% हो गई। अतः यह नोट करना जरूरी हो गया है कि दसवीं

### सारणी 1.1.2

#### दसवीं पंचवर्षीय योजना में बचत और निवेश

(प्रचलित मार्किट मूल्य पर जी डी पी का %)

मापदंड	दसवीं योजना का लक्ष्य	एमटीए लक्ष्य	2002-03	2003-04	2004-05	दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में औसत
बचत दर	26.8	26.9	26.5	28.9	29.1	28.2
निवेश दर	28.4	26.6	25.3	27.2	30.1	27.5
बचत और निवेश का अन्तर	-1.6	0.3	1.2	1.6	-1.0	0.7

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन

योजना में बचत दर में वृद्धि सार्वजनिक और निगमित बचत के फलस्वरूप हुई है। निजी कारपोरेट क्षेत्र में बचत की दर 2002-03 में 4.1% की तुलना में 2004-05 में बढ़ कर 4.8% हो गई, जिससे साबित होता है कि बचत लाभ और उसके बाद उसके ठहराव में विकास अधिक रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में बचतहीनता 2002-03 में (-) 0.7% से 2004-05 में 2.2% पहुँच गई, जिसका मुख्य कारण रहा कि गैर-विभागीय उद्यमों में बचत में हुई वृद्धि, विभागीय प्रतिष्ठानों की बचत में अल्पवृद्धि, तथा सरकारी प्रशासन के बचत में कमी आना रहा है। इससे फिस्कल रिस्पोसिबिलिटी और बजट प्रबंधन (एफ आर बी एस) एक्ट के कार्यान्वयन में हुई प्रगति भी प्रदर्शित होती है।

1.1.9 दसवीं पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्रक को क्षेत्रीय निवेश व्यवहार ने चिंता को काफी बढ़ा दिया है। कुल निवेश की प्रतिशतता के रूप में कृषि क्षेत्र निवेश घट रहा है। उसी समय, औद्योगिक क्षेत्र का निवेश अनुपात बढ़ा है, जबकि खनन और उत्खनन विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और निर्माण में पिछले वर्ष के मुकाबले गिरावट आई है। कुल निवेश के प्रतिशत के रूप में सेवा क्षेत्र का निवेश 2001-02 में ऊपर आया और उसके बाद 3 वर्षों में फिर नीचे आ गया। वर्ष 2004-05 में परिवहन क्षेत्र में इस निवेश की वृद्धि 29.8% थी, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 4.5% की कमी आई थी।

1.1.10 दसवीं पंचवर्षीय योजना में न केवल विकास दर में वृद्धि के लिए निवेश बढ़ाने पर जोर दिया, बल्कि मौजूदा संसाधनों की उत्पादकता को बढ़ाने और नए निवेश की क्षमता में वृद्धि करना भी था, जिसके लिए जरूरी नीतिगत नए उपाय भी करना था, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं के निवेश जैसे विद्युत, सड़क, रेल और सिंचाई की शिथिल क्षमता का सामना किया जा सके। मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने तथा पूंजी परिसम्पत्तियों के उन्नयन पर लागत क्षमतानुसार विचार किया गया, न कि नई - नई परियोजना शुरू करने पर। निजी क्षेत्र में भी योजना में नीति की समीक्षा पर बल दिया, ताकि दिक्कतों का पता लगाया जा सके, जिससे क्षमता बढ़े और संसाधनों का वैकल्पिक सदुपयोग किया जा सके। दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों में समग्र आर्थिक व्यवस्था के लिए वृद्धित

पूंजी आउटपुट अनुपात (आई सी ओ आर) 3.93 अनुमानित किया गया है। अर्थव्यवस्था के तीन बड़े क्षेत्रों के लिए आई सी ओ आर(ज) यानि कृषि, उद्योग, सेवाएं के लिए उसी अवधि में क्रमशः 10.78, 5.19 और 1.18 का अनुमान लगाया गया है। उद्योग क्षेत्र के भीतर ही 6.24 पर विनिर्माण का अनुमान लगाया गया, विद्युत, गैस और जल-आपूर्ति 20.25 पर रही, जो बहुत ऊँचा है।

## पूंजी क्षेत्र

1.1.11 वर्ष 2005-06 के दौरान मुद्रा आपूर्ति (एम3) में 20.4% की वृद्धि हुई। सुरक्षित मुद्रा में 17.2% की वृद्धि हुई जो 2004-05 के 11.7% के विकास से अधिक है। एम3 में वृद्धि का कारण वाणिज्यिक क्षेत्रक में बैंक क्रेडिट और सुरक्षित मुद्रा में हुई वृद्धि था जिसका मुख्य कारण मार्किट स्टेबलाइजेशन स्कीम (एस एस एम) बकाया को नहीं समेट पाना रहा जिसके कारण केन्द्र सरकार द्वारा आर बी आई में जमा की जाने वाली राशि में 21954 करोड़ की कमी आई है। तथा शुद्ध विदेशी विनिमय सम्पत्ति एन एफ ई ए में वृद्धि हुई। एन एफ ई ए में 2005-06 के दौरान ₹ 60193 करोड़ की वृद्धि हुई है, जो 2004-05 में रुपये 128377 करोड़ की तुलना में काफी कम है, जिसका मुख्य कारण इंडिया मिलैनेियम डिपोजिट्स (आई एम डी) का रिडैम्पशन था।

1.1.12 2005-06 के दौरान 4.4% रही औसतन मुद्रा स्फीति दोनों वर्षों 2004-05 (6.5%) तथा 2003-04 (5.3%) से कम ही रही है। कोर मुद्रा स्फीति (यानि प्राथमिक खाद्य सूचकांक और वाणिज्यिक ऊर्जा/पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्य सूचकांक) अब भी 3.3 की कम दर पर ही रही। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उसी अवधि के दौरान उपभोक्ता मुद्रा स्फीति की पुरानी दर 4.3 भी कोर-स्फीति से कुछ अधिक थी। उपभोक्ता मूल्य इंडेक्स को बढ़ाने में वाणिज्यिक ऊर्जा /पेट्रोलियम उत्पादों 9.9 की तेजी ही मुख्य रूप से जिम्मेदार कही जा सकती है।

1.1.13 2004-05 की आवधिक जमा पर पूर्व की ब्याज दर 5.75% से 6% तक, 2005-06 के दौरान 6.25% से 7.00 प्रतिशत पहुँच गई। बैंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट (बी पी

तालिका 1.1.3  
मुद्रा स्फीति एवं धन आपूर्ति

	वार्षिक विकास			
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
<b>1 मुद्रा स्फीति</b>				
1. मुद्रास्फीति (WPI) 1993-94=100	2.5	5.3	6.5	4.4
2. मुद्रास्फीति (CPI-IW) 1982=100	4.0	3.9	3.8	4.3
<b>2. धन आपूर्ति</b>				
1. ब्रोडमनी (M <sub>3</sub> )	14.7	16.7	12.1	20.4
2. सुरक्षित मनी (M <sub>1</sub> )	9.2	22.2	12.1	17.2
<b>3. ब्याज दर (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक)</b>				
3.1 बीपीएलआर	10.00-12.50	9.00-12.5	10.25-11.50	10.25-11.25
3.2 अवधि जमा (3 साल से ऊपर)	8.00-8.75	5.50-7.00	5.75-6.00	6.25-7.00

नोट: \* बीपीएलआर= बैंच मार्क प्राइम लेंडिंग रेट

स्रोत: सीएसओ, आरबीआई, श्रम ब्यूरो, उद्योग मंत्रालय (आर्थिक सलाहकार का कार्यालय) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (श्रम ब्यूरो) और आरबीआई।

एल आर) में भी थोड़ा परिवर्तन हुआ है। जो 10.25-11.50 प्रतिशत से 10.25 से 11.25% हो गया टर्म लोन के लिए मध्यम उधार दर (जिस पर अधिकांश कारोबार का कंट्रैक्ट होता है), बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2005-06 के दौरान यह 8.00 से 12.50 % रहा।

## बाहरी क्षेत्र

1.1.14 2005-06 के दौरान भारतीय अर्थ- व्यवस्था ने बाहरी क्षेत्रक में काफी प्रगति की है। 2004-05 के यूएस \$ 82150 मिलियन के मुकाबले निर्यात 2005-06 के दौरान यू एस \$ 104780 मिलियन तक पहुँच गया, जिस ने 27.54% का शानदार विकास दर्ज किया है। निर्यात में हुए ठोस विकास को आंशिक रूप में कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा किए गए विभिन्न निर्यात उपाय, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकास के अलावा, इसके लिए जिम्मेदार हैं। सितम्बर 2006 की विश्व आर्थिक व्यवस्था के दृष्टिकोण जिस में अनुमान लगाया गया था कि 2005 के 4.9% के मुकाबले 2006 में 5.1% विश्व- आउट पुट हो जाएगा। विश्व ट्रेड का आकार 2005 के 7.4% के मुकाबले 2006 में बढ़ कर 8.9% तक पहुँचने का अनुमान लगाया गया है।

1.1.15 भारतीय निर्यात की वस्तु संरचना स्पष्ट रूप से प्रौद्योगिक सघन उच्च मूल्य के विनिर्माण की ओर सतत रूख को सामने लाती है, जो परम्परागत सघन वस्तुओं से अलग हैं। इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, जेम्स एवं ज्यूलरी, रसायन और सम्बद्ध उत्पाद और पेट्रोलियन उत्पाद आदि कुल मिलाकर निर्यात में 46.6 प्रतिशत योगदान देते हैं। जब कि परम्परागत वस्तुओं में कृषि और सम्बद्ध उत्पाद 10% और हैंडीक्राफ्ट्स और गलीचे मिलकर एक्सपोर्ट मार्केट में 1.23% योगदान देते हैं।

1.1.16 2005-06 के दौरान आयात 156334 मिलियन यू एस \$ तक पहुँच गया, जबकि इसी अवधि में पिछले वर्ष यह 118779 मिलियन यू एस \$ था, इस प्रकार 31.61% का महत्वपूर्ण विकास सामने आया है। इस प्रकार आयात में उछाल का कारण न केवल तेल कीमतों की वृद्धि रहा है, बल्कि आयात की मांग में हुई वृद्धि भी इसके लिए जिम्मेदार है। 2005-06 के दौरान तेल आयात बढ़ कर 47.3% तक पहुँच गया, जिसका कारण था कि अन्तरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में बहुत तेजी आ गई। 2005-06 के दौरान औसतन कच्चे तेल की कीमते (इंडियन बास्केट) प्रति बैरल

55.4 यू एस \$ हो गया, जो 2004-05 के दौरान 42.2% था। मात्रा की दृष्टि से 2005-06 के दौरान भारत का पी ओ एल आयात एक वर्ष पहले के 5.5% के मुकाबले घट कर 4.2% हो गया। गैर-तेल आयात कुल इम्पोर्ट्स का 69.1% तक पहुँच गया। लोहे ओर स्टील ने 66% का सर्वाधिक विकास रिकार्ड किया, साथ में मशीनरी और परिवहन उपस्कर आदि ने वर्ष के दौरान 52% तक पहुँच कर, एक उत्साही अर्थ- व्यवस्था को प्रदर्शित किया है।

1.1.17 2005-06 के लिए सौदा व्यापार घाटा 51554 यूएस मिलियन \$ तक पहुँच गया, जबकि पिछले वर्ष उसी अवधि के दौरान यह घाटा 36629 यू एस मिलियन \$ था, फिर भी अदृश्य का विपुल अन्तर प्रवाह हुआ है। 2005-06 के दौरान शुद्ध अदृश्य 40942 यू एस मिलियन \$ हो गया, जबकि 2004-05 के दौरान यह 31229 यू एस मिलियन \$ था। इसके बावजूद भी 2004-05 के 5400 मिलियन यू एस \$ के घाटे के मुकाबले 2005-06 के दौरान चालू खाते का घाटा 10612 यू एस \$ हो गया। प्रचलित मार्किट कीमतों के मुकाबले जीडीपी के प्रति लेखा घाटा 2005-06 के दौरान बढ़ कर 0.8 प्रतिशत से बढ़कर 1.3% हो गया।

1.1.18 2005-06 के दौरान 5733 यूएस \$ के पीछे निवेश और 12489 मिलियन यूएस \$ के पोर्टफोलियो निवेश के साथ शुद्ध विदेशी निवेश अन्तर प्रवाह में ठोस वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार 2004-05 के 12147 मिलियन यू एस \$ के मुकाबले 2005-06 के दौरान कुल शुद्ध विदेशी निवेश अनन्तर प्रवाह 18222 मिलियन यू एस \$ हो गया। 2005-06 के दौरान मौजूदा मार्किट कीमतों पर कुल विदेशी निवेश जी डी पी के अनुपात के रूप में 2.3% हो गया, जो 2004-05 के दौरान 1.8% था।

1.1.19 मार्च 2006 तक भारत का बाहरी ऋण 125181 मिलियन यू एस \$ था, इसमें वृहदकालीन ऋण 116393 यूएस \$ तथा अल्पकालीन ऋण 8788 मिलियन यू एस \$ है। इस प्रकार अल्पकालीन ऋण कुल ऋण का 7.02% है। लिए गए कुल ऋण में मल्टीलेटरल ऋण 26.0% और बाइलेटरल ऋण 12.6% बनता है। मार्च 2005 के अंत में बाहरी ऋण जी डी पी का 17.3% बनता था, जो मार्च के

अंत में 2006 में घट कर जी डी पी का 15.8% हो गया।

1.1.20 भारत का विदेशी विनिमय भण्डार (सुरक्षित) जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) की सुरक्षित विदेशी मुद्रा आती है, आर बी आई द्वारा सोना रखा जाता है तथा एस डी आर (एस) भारत सरकार के पास रहता है, जो काफी समय से लगातार बढ़ रहा है। यह मार्च 2005 में 141514 यू एस मिलियन \$ था, जो बढ़कर मार्च 2006 में 151622 यू एस मिलियन \$ हो गया। इस प्रकार विदेशी मुद्रा सम्पत्ति 145108 यू एस मिलियन \$, 5755 यूएस मिलियन \$ सोना और एस डी आर(एस) 3 यू एस मिलियन \$ हो गए हैं। विदेशी मुद्रा भण्डार का काफी हिस्सा विदेशी संस्थागत निवेश के रूप में होता है।

### राजकोषीय निष्पादन

1.1.21 प्रधान राजस्व संकेतक सुझाव देते हैं कि 2006-07 के दौरान राजस्व समेकन की प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए केन्द्र ओर राज्यों के संयुक्त सकल राजस्व घाटा (जी एफ डी) 2006-07 में 1% बिन्दु घट कर यह बजट जी डी पी का अब 6.5% हो गया है। 2006-07 में संयुक्त प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा भी क्रमशः 0.8% ओर जी डी पी का 0.9% बिन्दु घट कर क्रमशः घाटे में आई यह कमी अधिक टैक्स इक्वटा करने और राजस्व खर्च पर नियंत्रण रखने से ही संभव हुई है। कुल व्यय में पूंजी परिव्यय के हिस्सा 2006-07 में और सुधार दिखाया गया है, यद्यपि समग्र विकास का खर्च का शेर 2005-06 के संशोधित अनुमानों में और कम हो जाएगा।

1.1.22 दसवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार के राजस्व की स्थिति में सुधार का संकेत दिया गया है। 2002-03 में केंद्र सरकार का राजस्व घाटा जी डी पी का 5.9% था, जो 2003-04 में घट कर 4.5%, 2004-05 में 4.0%, 2005-06 में 4.1%, और 2006-07 के (बजटीय अनुमान) 3.8% हो गया। इस प्रकार केन्द्र सरकार का राजस्व घाटा 2002-03 में जी डी पी के 4.4% से घट कर 2003-04 में 3.6%, 2004-05 में 2.5%, 2005-06 (संशोधित अनुमान) में 2.6% और 2006-07 में (बजटीय अनुमान) 2.1% हो गया

है। एफ आर बी एम का लक्ष्य है कि केन्द्र के सकल राजस्व घाटे को जी डी पी के 3% से भी नीचे लाया जाए और वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटे को समाप्त कर दिया जाए। 2006-07 का केन्द्रीय बजट इस दिशा में एक और कदम साबित होगा, जिसमें जी डी पी के राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे का अनुपात क्रमशः 3.8% और 2.1% निर्धारित किया गया है।

1.1.23 बारहवें वित्तीय आयोग (टी एफ सी) एवार्ड के कार्यान्वयन के साथ राज्य सरकारों द्वारा किए गए राजकोषीय संवर्धन प्रयासों से राज्यों के समग्र वित्तीय मामले में सुधार हुआ है। 2002-03 में सभी राज्यों का वित्तीय घाटा जी डी पी का 4.17%, 2003-04 में 4.46%, 2004-05 में 3.5% 2005-06 में 3.23% (संशोधित अनुमान) जो आगे 2006-07 (बजटीय अनुमान प्रावधान) में और घटकर 2.68% हो गया। राज्य सरकारों की राजस्व संतुलन की स्थिति भी संकेत करती है कि 2002-03 में जी डी पी के 2.25% से घटकर यह 2006-07 (बी ई) में जी डी पी का 0.05% हो गया है।

1.1.24 2002-03 की तुलना में केन्द्र सरकार के ब्याज का भुगतान जो जी डी पी का 4.8% था, 2005-06 (आर ई) में 3.68% और यह 2006-07 (बी ई) में घटकर 3.54% हो गया। ब्याज के भुगतानों में इस कमी का कारण ब्याज की कम दर है, जो बाजारी ताकतों द्वारा निर्धारित होता है। कम ब्याज दर और टी एफ सी सिफारिशों का प्रभाव राज्यों के वित्तीय ब्याज संबंधी बोझ में अभी पूरी तरह प्रदर्शित होना बाकी है। राज्यों द्वारा ब्याज के भुगतान में किए गए खर्च के भुगतान में थोड़ी गिरावट आई है, जो 2002-03 में जी डी पी का 2.85% था और 2005-06 (संशोधित अनुमान) और 2006-07 (बजट अनुमान) में 2.5% हो गया।

1.1.25 राजस्व प्राप्ति में केन्द्र सरकार काफी उछाल पर रही है, जिससे सकल टैक्स राजस्व दसवीं योजना के पहले 4 वर्षों के दौरान 1.4% से अधिक हो गया है। केन्द्र का टैक्स -जी डी पी का अनुपात 2002-03 के 8.83% की तुलना में सुधर कर 2005-06 (संशोधित अनुमान) में 10.5%

तालिका 1.1.4  
राज्यों के निष्पादन में विकास

राज्यों/ सं० वा. क्षेत्र	10वीं योजना में जीएसडीपी का लक्ष्य (2002-03 से 2005-06)	3 वर्षों में जीएसडीपी के लक्ष्य (2002-05), 1993-94 की कीमतों पर औसत
आंध्र प्रदेश	6.8	6.4
अरुणाचल प्रदेश	8.0	4.6
असम	6.2	5.4
बिहार	6.2	6.3
झारखण्ड	6.9	5.6
गोवा	9.2	8.4
गुजरात	10.2	9.3
हरियाणा	7.9	7.3
हिमाचल प्रदेश	8.9	6.8
जम्मू एवं काश्मीर	6.3	5.2
कर्नाटक	10.1	6.5
केरल	6.5	9.3
मध्यप्रदेश	7.0	4.4
छत्तीसगढ़	6.1	9.2
महाराष्ट्र	7.4	8.2
मनीपुर	6.5	4.1
मेघालय	6.3	5.9
मिजोरम	5.3	लागू नहीं
नागालैंड	5.6	10.3
उड़ीसा	6.2	8.3
पंजाब	6.4	4.7
राजस्थान	8.3	6.6
सिक्किम	7.9	7.8
तमिलनाडु	8.0	5.1
त्रिपुरा	7.3	8.6
उत्तर प्रदेश	6.8	5.0
उत्तरांचल	7.6	11.2
पश्चिम बंगाल	8.8	7.2
अ० एवं नि० द्विप समूह	6.6	3.4
चंडीगढ़	10.6	10.7
दिल्ली	10.6	8.7
पांडिचेरी	10.7	12.0
अखिल भारतीय जीडीपी	8.0	6.6

स्रोत सी एस ओ

नोट: छत्तीसगढ़, गोवा ओर त्रिपुरा के दो वर्ष के लिए विकास दर, नागालैंड और निकोबार के मामले एक वर्ष के लिए विकास दर संबंधी आंकड़े दिए गए हैं।

और 2006-07 (बजटीय अनुमान) में 11.19% हो गया है। दसवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान राज्यों के अपने जी डी पी का टैक्स राजस्व अनुपात 5.7% पर स्थिर रहा है। फिर भी 2004-05 के दौरान राज्यों के अपने टैक्स राजस्व में थोड़ा, सुधार यानि वह अब 6.1% हो गया है तथा 2005-06 (संशोधित अनुमान) और 2006-07 (बजटीय अनुमान) में 6.4% हो गया है।

1.1.26 केन्द्र सरकार की बकाया देनदारी जो 2002-03 में जी डी पी की 63.3% थी, 2006-07 (संशोधित अनुमान) में बढ़कर 66.7% हो गई। सभी राज्यों की कुल मिलाकर देनदारी की जिम्मेदारी 2006-07 (बजटीय अनुमान) में यह जी डी पी की 31.9% अनुमानित की गई है। 2002-03 में 32.6% की बकाया देनदारी के बाद कुछ सुधार हुआ है।

## राज्य निष्पादन

1.1.27 दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) की विकास दर 8% वार्षिक रखी गई थी और उसका मुख्य लक्ष्य कृषि में 4% विकास, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में 9% विकास का लक्ष्य रखा गया था। संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों और राज्यवार विकास दरों में नॉन-ट्रीवियल कैसिस्टेंसी सुनिश्चित की जा सके, राज्यवार जी एस डी पी की विकास दर हेतु विशिष्ट लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे और मुख्य उप क्षेत्रों के तहत कृषि, उद्योग और सेवाओं के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। राज्य जी एस डी पी लक्ष्य राज्यों की वित्तीय और ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किए गए थे। दसवीं योजना के पहले 3 वर्षों के दौरान राज्यवार लक्ष्य एवं उनकी उपलब्धि नीचे दी गई है। यह देखा जा सकता है कि अधिकांश राज्यों जैसे-गुजरात, कर्नाटक, गोवा और पश्चिम बंगाल आदि उच्च लक्ष्य वालों ने भी लक्ष्यों में कमी दिखाई है, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल और बिहार जैसे राज्यों ने निर्धारित लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि हासिल की है।

## 1.2 बाह्य क्षेत्रक आयाम

1.2.1 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट दृष्टिकोण पत्र के पैरा 2.3 के अनुसार वर्ष 2006 में कई महत्वपूर्ण

अनिश्चितताएं हैं, जो विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। बड़ी इकनोमिक्स को महत्वपूर्ण विपुल असंतुलन की संज्ञा की गई है यह निश्चित नहीं है कि इन असंतुलनों को ठीक किया जाएगा। तेल कीमतों में आई तेजी निश्चित रूप से निर्णय लेना मुश्किल है कि इस घटनाक्रम से भारत की मध्यम अवधि की संभावनाओं को यह किस प्रकार प्रभावित करेंगी। मानते हैं कि हमें लाभ होगा, यदि विपुल असंतुलन को नॉन डिसरप्टिव, कुछ समय बाद तेल कीमतें सहज हो जाती है, तथा जारी डब्ल्यू टी ओ समझौते, स्वीकार्य निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, जिस से बहुराष्ट्रीय व्यापार को मजबूती मिलती है। फिर भी इस अनुकूल परिणाम का निश्चितता नहीं मानी जा सकती है। अंतर-राष्ट्रीय स्थिति की सकारात्मक स्थिति यह है कि विदेशी निवेशकों की मौजूदा अवधारणा बहुत अनुकूल है। फिर भी तेल कीमतों का भविष्य चिंता का विषय बना हुआ है।

## वैश्विक आर्थिक स्थिति

1.2.2 अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा निधि (आई एम ए) वैश्विक आर्थिक परिदृश्य 2006 में आज कल के रुख के बारे में विकास दर के आउट पुट और उबरते अन्य बाजारों और विकसित देशों के बारे में एक व्यापक प्रकाश डालता है। 2006 के लिए औसतन अनुमोदित वैश्विक विकास 5.1% तथा 2007 के लिए 4.9% दर्शाया गया है। मौटे-तौर पर कहा जा सकता है कि आर्थिक विस्तार हुआ है। यद्यपि 2006 की वित्तीय तिमाही में संयुक्त राष्ट्रों में आर्थिक विकास कुछ नीचे आया है, लेकिन यूरो क्षेत्र में विकास ने गति पकड़ी है। जापानी अर्थ-व्यवस्था में लगातार वृद्धि हुई है। अफ्रीका के कम आय वाले देशों में भी आई एम एफ के अनुमानों के अनुसार विकास दर को प्रभावी रूप से बरकरार रखा है। भारत के मामले में आई एम एफ ने माना है वास्तविक जी डी पी 2006 में 8.3% तक माना है, जैसा कि तालिका 1.2.1 में दर्शाया गया है।

## विदेश व्यापार नीति

1.2.3 वाणिज्यिक विभाग ने 2005-06 के लिए 31 अगस्त 2004 को व्यापक विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) प्रस्तुत की है और 8 अप्रैल 2005 को इसकी वार्षिक पूरक

तालिका -1.2.1

विश्व आर्थिक स्थिति के अनुमानों पर एक नजर

(वार्षिक प्रतिशत बदलाव यदि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो)	मौजूदा अनुमान				अप्रैल 2006 के अनुमानों में अन्तर	
	2004	2005	2006	2007	2006	2007
विश्व उत्पादन	5.3	4.9	5.1	4.9	0.3	0.2
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	3.2	2.6	3.1	2.7	0.1	-0.1
अमरीका	3.9	3.2	3.4	2.9	-	-0.4
यूरो क्षेत्र	2.1	1.3	2.4	2.0	0.4	0.1
जर्मनी	1.2	0.9	2.0	1.3	0.7	0.3
फ्रांस	2.0	1.2	2.4	2.3	0.3	0.2
जापान	2.3	2.6	2.7	2.1	-0.1	0.1
यू.के	3.3	1.9	2.7	2.7	0.2	0.1
अन्य उभरते बाजार और विकासशील देश	7.7	7.4	7.3	7.2	0.4	0.5
अफ्रीका	5.5	5.4	5.4	5.9	-0.4	0.4
चीन	10.1	10.2	10.0	10.0	0.5	1.0
भारत	8.0	8.5	8.3	7.3	1.0	0.3

(विश्व आर्थिक स्थिति 2006, आईएमएफ)

प्रति (सप्लीमेंट) भी प्रस्तुत की। इस नीति का मूल उद्देश्य है कि विश्व-व्यापार में भारत का हिस्सा डबल कर दिया जाए तथा निर्यात को आर्थिक विकास का प्रभावी उपस्कर बनाया जाए, जिस में रोजगार के सृजन पर नीति विषयक गतिविधियों की पहलों के माध्यम से बल दिया जाए। इसमें प्रक्रिया को सरल बनाना, ट्रांजेक्शन लागत पर शिक्षा, लेवी लगाने को न्यूट्रल करना, निर्यात और वैश्विक हब्स के विकास के लिए इनपुट्स पर ड्युटी लगाना, जिसमें विनिर्माण, व्यापार और सेवाएं शामिल हैं।

### भारत का विदेशी व्यापार

1.2.4 पुख्ता प्रमाण हैं कि भारत का सौदा व्यापार आने वाले 4 वर्षों के भीतर ही अपनी तीव्र गति को बरकरार रखते हुए पुख्ता विकास दिखाएगा। लगभग 2.4% की वार्षिक दर व औसतन विकास दर को बरकरार रखा जा रहा है।

1.2.5 यह प्रौद्योगिकी सघन घरेलू विनिर्माण के प्रतिस्पर्धा व्यापार में मॉडरेशन दिखाती है, विश्व की तीव्रता उबरती हुई

इकनोमिक्स में भारत बड़े निर्यातकों में से एक है:-

1.2.6 विश्व निर्यात में भारत का निर्यात 2005 में 2.86% हो गया। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के अनुसार 2005 में भारत विश्व का 29वां बड़ा निर्यातक बना, जबकि 2004 में 30वें नम्बर पर था। 2005 में भारत का सौदा व्यापार नये उछाल पर रहा जिस ने घरेलू औद्योगिक गतिविधियों में पुख्ता विकास दिखाया है। 2005 में भारत दुनिया के 17वें बड़े निर्यातक के रूप में उबर कर आया है, जो 2004 में 24वें नम्बर पर था।

### निर्यात

1.2.7 2005-06 के दौरान भारत का निर्यात 100 बिलियन यू एस \$ पहुँच गया, जो भारत सरकार द्वारा 2005-06 के लिए निर्धारित 92 बिलियन यू एस \$ के वार्षिक लक्ष्य से भी अधिक रहा है। 2005-06 के दौरान 23.0% की वृद्धि हुई। तालिका 1.2.2 में भारत द्वारा किए

तालिका -1.2.2  
भारत की प्रमुख वस्तुओं का निर्यात

(यू0 एस \$ मिलियन)

वस्तुएं	2003-04	2004-05	2005-06-पी	अन्तर का %	
				(2)/(1)	(3)/(2)
	1	2	3	4	5
(i) प्राथमिक उत्पाद	9,902 (15.5)	13,553 (16.2)	16,388 (16.0)	36.9	20.9
क) कृषि और सम्बद्ध उत्पाद	7,533 (11.8)	8,475 (10.1)	10,199 (9.9)	12.5	20.3
1. चावल	907	1,506	1,620	66.1	7.6
2. समुद्री उत्पाद	1,329	1,440	1,436	8.4	-0.3
ख) अयस्क और खनिज पदार्थ	2,369 (3.7)	5,079 (6.1)	6,189 (6.0)	114.4	21.9
(ii) विनिर्मित वस्तुएं	48,492 (76.0)	60,731 (72.7)	71,816 (69.9)	25.2	18.3
क) चमड़ा और विनिर्मित सामान	2,163 (3.4)	2,422 (2.9)	2,626 (2.6)	12.0	8.4
ख) रसायन और सम्बद्ध उत्पाद	9,446 (14.8)	12,444 (14.9)	14,513 (14.1)	31.7	16.6
रसायनिक रजिड्यूवल और सम्बद्ध उत्पाद	360	512	715	42.5	39.5
ग) इंजीनियरी वस्तुएं	12,405 (19.4)	17,348 (20.8)	21,547 (21.0)	39.8	24.2
घ) वस्त्र और वस्त्र उत्पाद	12,791 (20.0)	13,555 (16.2)	16,039 (15.6)	6.0	18.3
ड) रत्न और आभूषण	10,573 (16.6)	13,762 (16.5)	15,547 (15.1)	30.2	13.0
च) हस्तशिल्प	500 (0.8)	377 (0.5)	410 (0.4)	-24.5	8.8
(iii) पेट्रोलियम उत्पाद	3,568 (5.6)	6,989 (8.4)	11,515 (11.2)	95.9	64.7
(iv) अन्य	1,880 (2.9)	2,263 (2.7)	3,007 (2.9)	20.3	32.9
कुल निर्यात (i+ii+iii+iv)	63,843	83,536	1,02,725	30.8	23.0

पी: अनंतिम, स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 2005-06, आर बी आई

गए निर्यात के ब्यौरे देखे जा सकते हैं ।

1.2.8 निर्यात के विकास को और अधिक व्यापक बनाया गया । प्राथमिक उत्पाद निर्यात को लाभ पहुँचाया गया, साथ ही वस्तुओं की कीमतों को मजबूत बनाया गया । कृषि एवं सम्बद्ध वस्तुओं के निर्यात में काफी तेजी देखी गई, जो काफी, चावल, कपास, ऑयल मील एवं मशालों ओर्स एवं मिनरल्स, विशेष रूप से कच्चा लोहा ने उच्च निर्यात विकास दिखाया। यद्यपि कुछ घोषणा भी की गई, जो आंशिक रूप से धातुओं के लिए सख्त घरेलू मांग के कारण की ।

### आयात

1.2.9 2005-06 के दौरान भारत का आयात 1,42,416 मिलियन यू एस \$ पर बरकरार है और 27.7% की विकास दर दिखाई, जो पिछले वर्ष 42.7% थी । उच्च विकास दर का मुख्य कारण रहा-तेल की ऊंची कीमतें और समग्र तीव्र घरेलू मांग। 2005-06 के दौरान तेल आयात 44.4 बिलियन यू एस \$ था और इसमें 47.3% की वृद्धि हुई ।

1.2.10 इसका मुख्य कारण था - अन्तरराष्ट्रीय तेल कीमतों में वोल्यूम टर्म्स में तेजी का आना। तेल आयात की कीमतों में तेल आयात विकास 2004-05 में 5.5% था, जो 2005-06 में 4.2 हो गया । 2001-02 में भारत का तेल आयात बिल जी डी पी का 5.5% हो गया और अन्तरराष्ट्रीय तेल बाजार में तेजी को प्रतिबिम्बित किया। भारत की आयात संरचना के विस्तृत ब्यौरे तालिका 1.2.3 में दिए गए हैं ।

### विदेशी निवेश

1.2.11 दोनों डायरेक्ट और पोर्ट-फोलियों विदेशी निवेश प्रवाह 2005-06 के दौरान बढ़ गए, जैसा कि तालिका 1.2.4 में दर्शाया गया है । 2005-06 के दौरान भारत में एफ डी आई का प्रवाह 37% अधिक रहा, जिसका कारण रहा कि निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण, परिष्कृत विकास की संभावनाएं, नई पहलें, जिनका उद्देश्य एफ डी आई नीति को लचीली और समरूप बनाना तथा प्रक्रिया का सरलीकरण करना था ।

2005-06 के दौरान (अप्रैल 2005 -फरवरी 2006) विभिन्न क्षेत्रों का बहिर्गमन निम्न प्रकार रहा:

विनिर्माण क्षेत्रक	1110.55
वित्तीय सेवाएं	167.69
गैर-वित्तीय सेवाएं	509.39
कारोबार	132.81
अन्य	118.39

स्रोत: औद्योगिक नीति एवं विकास विभाग

### विदेशी विनिमय भण्डारण अन्तर्मुखी रेमीटेंसिज:

1.2.12 विदेशी विनिमय भण्डार में विदेशी मुद्रा सम्पत्ति, सोना एम डी आर (एस), आई एम एफ के साथ सुरक्षित ट्रंच पोजीशन शामिल हैं । 29 सितम्बर 2006 के अनुसार भारत के विदेशी विनिमय भण्डार का स्तर 1565305 मिलियन यू एस \$ था । इस राशि में से विदेशी मुद्रा सम्पत्ति, 158340 मिलियन यू एस \$ सोना 6202 यू एस \$, रिजर्व ट्रंच पोजीशन 762 मिलियन यू एस \$ है। 2005-06 के दौरान निजी अन्तरणों का स्तर 24553 मिलियन यू एस \$ रहा। वर्कर्स रेमीटेंसिज एक महत्वपूर्ण घटक (फैक्टर) रहा, भुगतान की स्थिति के स्थिर संतुलन का मार्ग प्रशस्त किया।

### बाह्य ऋण

1.2.13 मार्च 2006 के अंत में भारत बाहरी ऋण स्टॉक 125.2 बिलियन यू एस \$ पर पहुँच गया। 2005-06 के दौरान बाह्य ऋण में वृद्धि का कारण एन आर आई डिपोजिट्स और ट्रेड क्रेडिट्स (वर्ष की मैच्योरिटी तक) में बढ़ोतरी रहा, जैसा कि तालिका 1.2.5 में दर्शाया गया है । बाह्य ऋण के सभी घटकों, छोड़कर द्विपक्षीय सहायता कर, बाह्य वाणिज्यिक उधार, रू0 ऋण में तेजी दर्ज की गई । बाहरी वाणिज्यिक उधार स्टॉक में कमी का मुख्य कारण रहा - आई एम डी(ज) के पुनर्भुगतान का प्रभाव । बड़ी अंतर-राष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले यू एस एस मुद्रा मूल्य में वृद्धि देखी गई, जब

तालिका -1.2.3  
भारत की प्रमुख वस्तुओं का निर्यात

जिन्स समूह	(यू एस \$ मिलियन)				
	2003-04	2004-05	2005-06P	(प्रतिशत अंतर)	
	1	2	3	(1)/(2)4	(2)/(3)5
I. बड़ी मात्रा में आयातक) पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद तथा सम्बद्ध माल	29,462	42,401	60,667	43.9	43.1
	(37.7)	(38.0)	(42.6)		
	20,569	29,844	43,963	45.1	47.3
	(26.3)	(26.8)	(30.9)		
ख) बड़ी मात्रा में उपभोज्य माल	3,073	3,105	2,681	1.0	-13.6
	(3.9)	(2.8)	(1.9)		
ग) बड़ी मात्रा में अन्य मर्दे	5,819	9,452	14,023	62.4	48.4
	(7.4)	(8.5)	(9.8)		
1. उर्वरक	721	1,377	2,069	91.1	50.2
2. अलोह धातुएं	949	1,310	1,842	38.1	40.6
3. धतुमय अयस्क, धातु कतरन आदि	1,296	2,468	3,771	90.5	52.7
4. लोहा और स्टील	1,506	2,670	4,432	77.3	66.0
II कम मात्रा में आयात	48,688	69,117	81,749	42.0	18.3
	(62.3)	(62.0)	(57.4)		
क) कैपिटल गुड्स	18,279	25,135	31,677	37.5	26.0
	(23.4)	(22.5)	(22.2)		
1. बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़कर मशीनरी	4744	6818	9894	43.7	45.1
2 कंप्यूटर साफ्टवेयर सहित इलेक्ट्रॉनिक माल	7,889	10,659	14,087	35.1	32.2
ख) मुख्यतः निर्यात संबंधी मर्दे	12,717	17,095	18,533	34.4	8.4
	(16.3)	(15.3)	(13.0)		
1 मोती, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थर	7,129	9,423	9,141	32.2	-3.0
2 कार्बनिक और गैर-कार्बनिक रसायन	4,032	5,700	6,889	41.4	20.9
ग) अन्य	17,692	26,886	31,539	52.0	17.3
	(22.6)	(24.1)	(22.1)		
1 व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा आष्टिकल सामान	1,230	1,530	1,976	24.4	29.1
2 कोल को और ब्रिकेट आदि	1,411	3,198	3,700	126.7	15.7
	<b>78,149</b>	<b>1,11,517</b>	<b>142,416</b>	<b>42.7</b>	<b>27.7</b>

पी-अनंतिम स्रोत: (वार्षिक रिपोर्ट 2004-05, आर बी आई )

तालिका 1.2.4  
भारत को विदेशी निवेश का प्रवाह

(यू एस \$ मिलियन)

मद	2003-04	2004-05	2005-06 पी
1	2	3	4
<b>ए. सीधा निवेश (I+II+III)</b>	<b>4,322</b>	<b>5,652</b>	<b>7,751</b>
<b>I. इक्विटी (क+ख+ग+घ+ङ)</b>	<b>2,229</b>	<b>3,777</b>	<b>5,820</b>
क) सरकार (एसआईए/एफआईपीबी)	928	1,062	1,126
ख) आरबीआई	534	1,258	2,233
ग) एनआरआई	-	-	-
घ) शेयर की प्राप्ति	735	930	2,181
ङ) संघ निगम की पूंजी का हिस्सा	32	527	280
<b>II. पूनर्निवेशित अर्जित पूंजी</b>	<b>1,460</b>	<b>1,508</b>	<b>1,676</b>
<b>III अन्य पूंजी #</b>	<b>633</b>	<b>367</b>	<b>255</b>
<b>ख. पोर्टफोलियो निवेश (क + ख + ग )</b>	<b>11,377</b>	<b>9,315</b>	<b>12,492</b>
क) जीडीआरएस/एडीआरएस	459	613	2,552
ख) एफआईआई @	10,918	8,686	9,926
ग) ओफ शोर ऋण और अन्य	-	16	14
ग) जोड़ (क + ख)	<b>15,699</b>	<b>14,967</b>	<b>20,243</b>

पी: अनंतिम - शून्य / नगण्य स्रोत: (वार्षिक रिपोर्ट 2005-06, आर बी आई)

- एफआईएमए, 1999 के अनुच्छेद 6 के अनुसार नॉन रेजीडेंट्स द्वारा इंडियन कम्पनीज के शेयर अधिग्रहण से संबंधित ।

# एफ डी आई के डेटा एनटीटीज के इन्टर कम्पनी डेट ट्रांजेक्शन से संबंधित ।

@ डेटा एफ आई आई(ज) द्वारा निधि के शुद्ध प्रवाह को प्रस्तुत करते हैं ।

कि अन्य में बाहरी ऋण का मोडरेट असर रहा । बाह्य ऋण में यू एस \$ मुद्रा कम्पोजीशन में दब-दबा बना रहा।

1.2.14 मार्च 2005 के अन्त में जी डी पी अनुपात में ऋण 28.7% से (1990-91) से मार्च 2005 में घट कर 15.8% रह गया । लघु अवधि ऋण का अनुपात कुल ऋण अनुपात की तुलना में अधिक रहा, जो 2005-06 में 7% हो गया, जब कि 2004-05 में यह 6.1% था, जैसा कि तालिका 1.2.6 में दशाया गया है।

### विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र

1.2.15 अप्रैल 2000 में एस ई जैड नीति की घोषणा की गई और बाद में 2005 में एस ई जैड अधिनियम लागू हो गया। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं-

- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन।
- वस्तु और सेवाओं के विकास को बढ़ावा देना ।
- घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा।
- रोजगार के अवसरों के सृजन ।
- बुनियादी सुविधओं का विकास।

तालिका-1.2.5  
भारत का बाह्य ऋण

(यू एस \$ मिलियन)

क्र. म. मद	मार्च 2005 का अंत	मार्च, 2006 का अंत	2005-06 के दौरान भिन्नता	
1 बहु - पक्षीय	31,702	32,558	856	2.7
2 द्विपक्षीय	16,930	15,784	-1,146	-6.8
3 व्यापार ऋण	4,980	5,326	346	6.9
4 बाह्य वाणिज्यिक ऋण	27,024	25,560	-1,464	-5.4
5 एनआरआई जमा	32,743	35,134	2,391	7.3
6 रूपया ऋण	2,301	2,031	-270	-11.7
7 दीर्घावधि (1 से 6)	1,15,680	1,16,393	713	0.6
8. लघु अवधि	7,524	8,788	1264	16.8
<b>जोड़</b>	<b>1,23,204</b>	<b>1,25,181</b>	<b>1,977</b>	<b>1.6</b>

(स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 2005-06, आरबीआई)

तालिका 1.2.6  
बाह्य ऋण सेवा भुगतान

(यू एस \$ मिलियन)

क्रम.सं. मर्दे	2004-05	2005-06
1. जीडीपी के प्रति बाह्य ऋण का अनुपात(%)	17.3	15.8
2. कुल ऋण के प्रति अल्पकालीन ऋण का अनुपात(%)	6.1	7.0
3. विदेशी मुद्रा रिजर्व के प्रति अल्पकालीन ऋण का अनुपात (%)	5.3	5.8
4. बाह्य ऋण के प्रति विदेशी मुद्रा रिजर्व का अनुपात (%)	114.9	121.1
5. ऋण सेवा अनुपात (%)	6.1	10.2
6. चालू प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान(%)	9.7	3.1
7. चालू प्राप्तियों के प्रति ऋण अनुपात(%)	80.3	64.0
8. देयता सेवा अनुपात(%)	7.1	11.5

स्रोत : (वार्षिक रिपोर्ट 2005-06, आर बी आई)

1.2.16 एस ई जैड(एस) का मुख्य उद्देश्य एक आकर्षक एवं स्पर्धात्मक राजस्वतंत्र उपलब्ध कराना है, ताकि बुनियादी सुविधाओं के विकास में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। प्रक्रिया तंत्र के सरलीकरण के लिए अनुमोदित 19 सदस्यीय अन्तर राष्ट्रीयसैज बोर्ड के माध्यम से एकल खिड़की मैकेनिज्म (तंत्र) उपलब्ध करा दिया गया है। संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा अनुसंधित आवेदनों पर

समय-समय पर बी ओ ए द्वारा विचार किया जाता है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एस ई जैड एक्ट का एक महत्वपूर्ण भाग है।

1.2.17 एस ई जैड नियमों के अधीन विभिन्न प्रकार के एस ई जैड(एस) की विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न न्यूनतम जमीन संबंधी जरूरतों को पूरा कर दिया गया है।

सारणी 1.2.7

वर्तमान एस ई जैड के लिए न्यूनतम जरूरतें इस प्रकार हैं :

बहु-उत्पाद	1000 हैक्टेयर	200 हैक्टेयर	35%
बहु-सेवाएं	100 हैक्टेयर	100 हैक्टेयर	35%
क्षेत्र विशिष्ट	100 हैक्टेयर	50 हैक्टेयर	50%
आई टी सुलभ सेवाओं सहित इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर	10 हैक्टे. (आई.टी के लिए न्यूनतम 1 लाख वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र)	10 हैक्टे (और आई टी के लिए न्यूनतम 1 लाख वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र)	वास्तव में 10 हैक्ट. सेज में, यह लगभग 90% आता है ।
जेम्स एवं ज्यूलरी	10 हैक्टे. (50,000 वर्ग मीटर का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र)	10 हैक्टे (और 50,000 वर्ग मीटर ...न्यूनतम निर्मित क्षेत्र)	50%
जैव-प्रौद्योगिकी	10 हैक्टे. (40,000 वर्ग मीटर का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र)	10 हक्टे. (और 40 000 वर्ग मीटर न्यूनतम निर्मित क्षेत्र)	50%
अपरम्परागत ऊर्जा, इसमें सौर-ऊर्जा उपस्कर सैल्स भी शामिल हैं	10 हैक्टे (और न्यूनतम 40,000 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र)	10 हक्टे. (और 40 000 वर्ग मी. का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र)	50%
एफ टी उब्ब्यू जैड	40 हैक्टे (और 1 लाख वर्ग मीटर का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र)	10 हैक्टे (और 40 000 वर्ग मी. का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र)	50%

बहु-उत्पाद एस ई जैड(एस) के लिए कुल जरूरी न्यूनतम 1000 हैक्टेयर क्षेत्र प्रोसेसिंग क्षेत्र 35% होता है । मल्टी सेवाओं और क्षेत्र विशिष्ट एस ई जैड (एस) के लिए न्यूनतम क्षेत्र का क्रमशः 35% और 50% रखा गया है । आई टी और सम्बद्ध सेवाओं सहित इलैक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जेम्स एवं ज्यूलरी, जैव-प्रौद्योगिकी, और अपरम्परागत ऊर्जा, जिस में सौर ऊर्जा उपस्कर सैल्स हेतु न्यूनतम 10 हैक्टेयर क्षेत्र की जरूरत है और प्रोसेसिंग क्षेत्र कुल क्षेत्र का 50% निर्धारित है । विशिष्ट राज्यों/ सं.रा. क्षेत्रों न्यूनतम जरूरी क्षेत्र मल्टी-प्रौडैक्ट के लिए 200 हैक्टेयर, मल्टी सेवाओं के लिए 100 हैक्टेयर, विशिष्ट क्षेत्रक के लिए 50 हैक्टेयर की आवश्यकता है । विभिन्न एस ई जैड(एस) के लिए जरूरी न्यून क्षेत्र तालिका 1.2.7 में दर्शाया गया है ।

1.2.18 एस ई जैड एक्ट 2005 के प्रचालन में आने के बाद, फरवरी 2006 में देश में एस ई जैड स्थापित करने के

लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया गया। आज की तारीख में इन अनुमोदनों में से 34 की अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं।

1.2.19 विशेष क्षेत्रों में आते हैं - असम मेघालय, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, गौवा सघं शा0 क्षेत्र जुलाई 2006 से डब्ल्यू टी ओ.समझौते डैडलॉक कर दिए गए हैं, जिसका मुख्य कारण रहा कृषि के लचीलेपन में लक्ष्य के स्तरों में अन्तर ।

1.2.20 दोहा दौर के शीघ्र सफल परिणाम आने की ज्यादा उज्ज्वल अवसर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कुछ औद्योगिकीकृत आर्थिक-व्यवस्था में कुछ उदासीनता देखी गई है ऐसा नहीं लगता कि कृषि क्षेत्र के लिए कुछ घरेलू सहायता के प्रति प्रभावी छूट दी जा सके।

### 1.3 कार्यक्रमों का सिंहावलोकन

1.3.1 वार्षिक योजना 2006-07 चूँकि दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) का अन्तिम वर्ष है, इसलिए इसमें जीवन स्तर में सुधार लाने, रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना का विस्तार करने तथा क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने हेतु कार्यक्रमों और नीतियों के संवर्धन पर पर्याप्त बल दिया गया है। इस योजना में स्वीकार किया गया है कि उच्चतर आर्थिक वृद्धि “और अधिक विस्तृत” होनी चाहिए, जिसके लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों, विशेषकर सामाजिक क्षेत्रों में योजना कार्यक्रमों का विस्तृत पुनर्गठन किया जाए। ग्रामीण सम्पत्तियों में वृद्धि करने का उद्देश्य रखने वाली कई स्कीमों को पुनः क्रमबद्ध किया गया है, ताकि, वर्ष 2008-09 तक भारत निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इस योजना में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, ताकि वृद्धि के लाभों को और अधिक समान रूप से लोगों तक पहुंचाया जा सके।

1.3.2 भारत निर्माण कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण सम्पत्तियों का विस्तार करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास सामर्थ्य का उपयोग उच्चतर योजना आवंटनों के माध्यम से 2006-07 में इसे और बढ़ावा मिला। यह कार्यक्रम एक समयबद्ध कार्य-योजना है ताकि वर्ष 2008-09 तक सिंचाई, सड़कों, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरसंचार व्यवस्था के क्षेत्रों में ग्रामीण अवसंरचना का विकास किया जा सके। प्रत्येक लक्ष्य के तहत विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं, जिनमें 10 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करना, शेष रहे 66,803 निवास स्थानों में प्रत्येक मौसम के अनुकूल सड़कें मुहैया कराना, गरीब ग्रामीणों के लिए 60 लाख घरों का निर्माण कराना, 55,067 अनाच्छादित आवासों तथा उन सभी आवासों में साफ पेयजल मुहैया कराना जिनकी कवरेज आंशिक है

अथवा जिनमें जल गुणवत्ता की समस्या है, शेष 1,25,000 गाँवों में विद्युतीकरण के साथ-साथ 2.3 करोड़ परिवारों को उससे जोड़ना शामिल है। यह भी लक्ष्य रखा गया है कि शेष 66,822 गाँवों में नवम्बर, 2007 तक टेलीफोन की व्यवस्था मुहैया कराई जाए। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण अवसंरचना की काया पटलने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ग्रामीण अवसंरचना संबंधी समिति भी कार्य कर रही है जो उन्हें गाइड करने के साथ-साथ अतिरिक्त उपाय सुझाएगी।

1.3.3 सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की उपलब्धता और पहुँच अत्यावश्यक है। सरकार ने गरीबों, महिलाओं और बच्चों विशेषकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपनी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्रणाली में आवश्यक नियामक सुधार करके एक सात वर्षीय (2005-12) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की शुरुआत की है। एनआरएचएम उन 18 राज्यों में विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित कर रहा है, जहां जन स्वास्थ्य सेवाएं क्षीण हैं तथा/अथवा स्वास्थ्य अवसंरचना कमजोर है। इस मिशन में पोषण, सफाई, स्वास्थ्यप्रद एवं शुद्ध पेयजल के एकीकरण द्वारा सहयोगी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाने के लिए भारतीय चिकित्सा प्रणाली को सर्वानुकूल बनाना भी है। इस मिशन में स्वास्थ्य, सरकारी खर्च में वृद्धि करना, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, संसाधनों को एकत्रित करना, संगठनात्मक संरचना में बदलाव लाना, सामुदायिक सहभागिता तथा प्रत्येक ब्लॉक में भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों को पूरा करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का कार्यात्मक अस्पतालों में परिणत करने की परिकल्पना की गयी है। इस मिशन का लक्ष्य शिशु मृत्युदर (आईएमआर) और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में कमी लाना, संक्रामक और असंक्रामक रोगों से बचाव एवं उनको नियंत्रित करना, जनसंख्या को स्थिर रखना, लिंग एवं जनसांख्यिकीय संतुलन को बनाए रखना है।

1.3.4 सर्व शिक्षा अभियान के गहन कार्यान्वयन के फलस्वरूप 6-14 वर्ष की आय वाले सभी बच्चों को प्राथमिक

शिक्षा सब जगह मिल रही है। इस कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी कार्यकलाप शामिल हैं अर्थात् शारीरिक अवसंरचना, बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें मुहैया करना, छात्राओं के दाखिले (नामांकन) को प्रोत्साहित करना, शिक्षक, शिक्षा एवं उनको प्रशिक्षण आदि। पांच लाख अतिरिक्त कक्षाओं का सृजन किया जा रहा है, जिससे वर्ष 2006-07 तक इन कक्षाओं की कुल संख्या 34 लाख हो जाएगी। 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, जिससे 2006-07 राजकोषीय वर्ष के दौरान शिक्षकों की कुल संख्या 42 लाख हो जाएगी। मिड डे मिल स्कीम का लक्ष्य 12 करोड़ बच्चों को कवर करना है। यह स्कीम प्राथमिक स्तर पर सर्वव्यापी बना दी गयी है, जिसके तहत सभी सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों में पका हुआ भोजन मुहैया कराया जा रहा है। यह स्कीम स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी लाने में महत्वपूर्ण रूप से सफल रही है।

1.3.5 समेकित बाल विकास सेवा (ईसीडीएस) स्कीम, एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम, किशोरों के समग्र विकास हेतु 2006-07 में प्रमुख हस्तक्षेप बना रहेगा। स्ट्रेटजी यह है कि छह वर्ष तक की आयु के किशोरों, विशेषकर किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं की छह मूलभूत सेवाओं, अर्थात् स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, परामर्शी सेवाओं, पूरक पोषण, स्कूल पूर्व शिक्षा तथा सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम के जरिए स्वास्थ्य/पोषणिक शिक्षा, के माध्यम से समग्र विकास किया जाए। आईसीडीएस कार्यक्रम कुछ वर्षों में 6118 स्वीकृत परियोजनाओं तक फैल गया है, जिसमें से 5659 परियोजनाएं 562.18 लाख लाभानुभोगियों को कवर करते हुए 7.38 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं।

1.3.6 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम वर्ष 2005 में शुरू हुआ, जो अकुशल हस्त कार्य करने के इच्छुक बालिग सदस्यों वाले किसी भी ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारन्टी देता है। यह कार्यक्रम शुरूआत में 200 जिलों में शुरू हुआ था, जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य क्षेत्रों में धीरे-धीरे फैलाया जा रहा है। वास्तव में पाँच वर्ष के भीतर यह सम्पूर्ण देश को

कवर कर लेगा। यह “काम का अधिकार” की प्राप्ति स्थायी सम्पत्तियों का सृजन और गरीब ग्रामीणों की जीविका के संसाधनों के आधार को सतत आधार पर सुदृढ़ करने की ओर महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे स्थानीय जरूरतों के आधार पर ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम को निरूपित करें।

1.3.7 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना नामक स्कीम वर्ष 2005 में शुरू हुई, जो ग्रामीण विद्युत अवसंरचना का संवर्धन करने हेतु प्रमुख पहल है। इस स्कीम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में प्रत्येक परिवार में बिजली पहुंचाने के कार्य को पूरा करने संबंधी राष्ट्रीय कॉमन न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) की बचनबद्धता को पूरा करना है। इस कार्यक्रम में पाँच वर्षों में 7.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों को बिजली मुहैया कराना शामिल है। यह ग्रामीण भारत के विकास हेतु एक अभूतपूर्व लक्ष्य होगा। इस स्कीम में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे सभी ग्रामीण परिवारों को बिजली का निःशुल्क कनेक्शन देने की व्यवस्था की गयी है। इस स्कीम के मुख्य तत्व हैं। प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक 33/11 केवी अथवा 66/11 केवी का सब-स्टेशन। प्रत्येक गांव/आवास स्थान में कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर स्थापित करना तथा जहां ग्रिड की आपूर्ति व्यवहार्य नहीं है अथवा लागत प्रभावी है वहां “विकेन्द्रीकृत वितरित जनरेशन सिस्टम” मुहैया कराना।

1.3.8 “जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनकरण मिशन” (जेएनएनयूआरएम) नामक एक विस्तृत कार्यक्रम वर्ष 2005-06 में शुरू किया गया है, ताकि देश में बढ़ती शहरीकरण की प्रवृत्ति द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के साथ निपटा जा सके। सभी महानगरों और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, राज्यों की राजधानियों और ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों सहित लगभग 63 शहरों को जेएनएनयूआरएम के तहत कवर करने का प्रस्ताव है। शहरी अवसंरचना, जिसमें पेयजल, सफाई व्यवस्था, कार्यक्षम मलजल प्रणालियां, विद्युत और गैस वितरण, शहरी परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं आदि शामिल हैं, को इस मिशन के तहत संवर्धित करने का प्रस्ताव है।

1.3.9 इस तथ्य को देखते हुए कि भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे विकासशील विश्व अर्थव्यवस्था के साथ कदम मिला रही है, भारतीय उद्योगों को विश्व स्तरीय एवं लागत प्रभावी अवसंरचना द्वारा समर्थित आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर आधारित उत्कृष्ट प्रौद्योगिकीय एवं विपणन क्षमताओं के साथ और अधिक स्पर्धी बनाना चाहिए। भारत में अवसंरचना की गुणवत्ता सामान्यतः आर्थिक वृद्धि के उच्च स्तरों को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने के लिए अपेक्षित स्तर से कम मानी जाती है। सरकार नीति और राजकोषीय उपायों के जरिए अवसंरचना की कमियों को दूर करने के लिए पूर्णतः बचनबद्ध है तथा इसने योजना आयोग जो नीति के कार्यान्वयन में आने वाली अड़चनों का पता लगाने एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन को गति प्रदान करने हेतु संगत मंत्रालयों को गाइड करने हेतु उत्तरदायी सरकार की कार्यकारी बाजू है, के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अवसंरचना समिति का गठन किया है।

### कृषि, सिंचाई और जलापूर्ति

1.3.10 कृषि और संबद्ध कार्यकलाप देश के सम्पूर्ण सकल घरेलू उत्पाद में करीब 20.8 प्रतिशत योगदान देते हैं तथा ये देश के सम्पूर्ण कार्यबल के 58.4 प्रतिशत से अधिक को रोजगार प्रदान करते हैं। देश की निर्यात से होने वाली कुल आय की लगभग 12 प्रतिशत आय इस क्षेत्र से होती है। इसके अतिरिक्त, यह बहुत सारे उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत है। अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के उल्लेखनीय महत्व को देखते हुए, दसवीं पंचवर्षीय योजना ने कृषि को “विकास के बीज कोष” अर्थात् सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए इस क्षेत्र के लिए 4 प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। तथापि, वानिकी और मात्स्यिकी सहित कृषि जीडीपी की वृद्धि 10वीं योजना के दौरान करीब 2 प्रतिशत रहने की संभावना है, जोकि वास्तव में निराशाजनक है। इस निराशाजनक निष्पादन के कुछ कारण 2002-03 में पड़ा गंभीर सूखा, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, बाढ़ और कुछ क्षेत्रों में पानी भरने, विविधीकरण का अभाव, अपर्याप्त फसल पश्चात प्रबंधन, आदान लागत में वृद्धि और उधार का कम मिलना अल्प मूल्य परिवर्धन आदि हैं।

1.3.11 अनेकों नियंत्रणों के बावजूद 2005-06 के दौरान कृषि का समग्र निष्पादन अनुकूल मानसून के फलस्वरूप कृषि जीडीपी में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ काफी अच्छा रहा है। 2005-06 में 208.3 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जबकि 2004-05 में 198.36 मिलियन टन हुआ था। खाद्यान्न उत्पादन में हुई वृद्धि में सर्वाधिक योगदान खाद्यान्नों, विशेषकर रबी मौसम के धान का है। दालों के उत्पादन में व्यावहारिक तौर पर कोई वृद्धि नहीं हुई है। गेहूँ का उत्पादन 2004-05 में हुए 68.6 मिलियन टन की तुलना में 2005-06 में मामूली अधिक अर्थात् 69.5 मिलियन टन था। घरेलू खाद्यान्न के निष्पादन में ठहराव चिन्ता का विषय है। इसने 2000-01 से 2005-06 तक केवल 0.78 प्रतिशत मिश्रित वृद्धि दर दर्ज की है, जोकि जनसंख्या वृद्धि दर की आधी से भी कम है। तिलहन, कपास और गन्ने का उत्पादन काफी होने के कारण 2005-06 में वाणिज्यिक फसलों का निष्पादन संतोषजनक रहा है।

1.3.12 कृषि क्षेत्र में प्राण फूंकने के लिए आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को अपना अत्यन्त आवश्यक है। सरकार ने नई-नई खोजों को बढ़ावा देने, विविधीकरण और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में अनेकों कदम उठाए हैं। उठाए गए कदमों में शामिल हैं, जल उपयोग क्षमता को सुसाध्य बनाने के लिए “माइक्रो सिंचाई” कार्यक्रम का अनुमोदन, प्रत्येक ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केन्द्रों का विस्तार, “पटसन प्रौद्योगिकी मिशन” और “राष्ट्रीय बाँस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास मिशन” का अनुमोदन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का प्रचालन, हैदराबाद में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना करना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के 31 चुनिंदा जिलों में विपन्न किसानों के लिए 16,978.69 करोड़ रुपये के पुनर्वास पैकेज का अनुमोदन।

1.3.13 गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सतत् रूप से वृद्धि करने में मदद मिलेगी। बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ करने, किसानों द्वारा बचाए गए बीजों की गुणवत्ता में सुधार लाना, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उनकी अतिरिक्त उपलब्धता

हेतु प्रावधान करना, पूर्वोत्तर राज्यों एवं अन्य दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता उचित दामों पर सुनिश्चित करना, केन्द्र क्षेत्र की योजना, अर्थात् “बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास एवं सुदृढीकरण, कार्यान्वित की जा रही है।

1.3.14 विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता नामक एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम प्रचालनरत है। इस स्कीम के तहत, नई संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से विस्तार सुधार कार्य शुरू किए गए हैं, अर्थात् कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (एटीएमए) को राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एनएटीपी) के तहत सफलतापूर्वक पायलट टेस्टिड विस्तार सेवाओं के मॉडल की प्रतिकृति बनाना, समकक्ष कार्यक्षेत्र वाले (लाइन) विभागों का कन्वर्जेंस, बहु एजेंसी विस्तार स्ट्रेटजीज, असीमित विस्तार वितरण, कृषक हित समूहों (एफआईजी) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के निरूपण हेतु विस्तार के प्रति गुप दृष्टिकोण तथा विस्तार सेवाओं की वहनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिंग संबंधी सरोकारों को समाहित करना। पात्र कृषि स्नातकों के लिए स्व रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने तथा कृषि विस्तार की सहायता करने के उद्देश्य से भी कृषि क्लिनिकों तथा कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है।

1.3.15 वर्ष 1999-2000 में शुरू हुई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) दूर-दूर तक फैली आपदाओं के लिए प्रत्येक अधिसूचित फसल हेतु परिभाषित क्षेत्रों में “क्षेत्र दृष्टिकोण” के आधार पर तथा ओलावृष्टि, भू-स्खलन, चक्रवात एवं बाढ़ जैसी स्थानिक आपदाओं हेतु “व्यक्तिगत आधार” पर कार्य कर रही है। इसमें सभी खाद्य फसलों (अनाज, ज्वार-बाजरा, और दालें), तेलहनों और वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी संबंधी फसलों जिनके पैदावार संबंधी पिछले आँकड़े पर्याप्त वर्षों से उपलब्ध हैं। छोटे और मझोले किसान केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 50 : 50 के आधार पर शेयर किए जाने वाले प्रीमियम पर 50 प्रतिशत सब्सिडी के हकदार हैं। इस समय 23 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इस स्कीम को क्रियान्वित कर रहे हैं। एनसीएमपी में दिए गए अधिदेश के

अनुसार कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा संशोधित एनएआईएस निरूपित की गयी है, जो कि उच्च भरपूर कवरेज के साथ किसानों के लिए और अधिक अनुकूल है।

1.3.16 किसान कॉल सेंटर्स राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि और सहकारिता को देख रहे विभागों में आइटी सुदृढीकरण इन्फोर्मेटिक्स संवर्धन इस स्कीम के अभिन्न घटक हैं। इस स्कीम की शुरुआत दूरसंचार अवसंरचना का उपयोग करके खेतिहर समुदाय की मांग पर सूचना मुहैया कराने के उद्देश्य से की गयी थी। किसान कॉल सेंटर्स को देशव्यापी कॉमन टोल फ्री संख्या 1551 आवंटित की गयी है। किसानों की कवरेज को सही-सही, सुसंगत और त्वरित प्रतिक्रिया देने के उद्देश्य से ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (के.एम.एस.) के विकास हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं।

1.3.17 देश के अधिकांश हिस्सों में उचित दरों पर ऋण का न मिलना निरन्तर एक समस्या बनी हुई है, जो सहकारी, ऋण प्रणाली के ध्वस्त होने को दर्शाता है। ऋण देने में संगठित ऋण प्रणाली की असफलता से अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता वह भी सामान्यतः ऊँची ब्याज दरों पर अत्यधिक बढ़ गयी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने “कृषक परिवारों की ऋणग्रस्तता के संबंध में कृषकों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण” संबंधी अपनी रिपोर्ट के 59वें राउण्ड में यह पाया कि आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु, पंजाब, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और हरियाणा में ऋणग्रस्तता की घटनाएं सर्वाधिक थीं। कृषि ऋण का प्रवाह किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) स्कीम की कवरेज बढ़ने से अधिक सरल और सुसाध्य हो गया है। मार्च 2006 तक करीब 5.82 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दे दिए गए हैं।

1.3.18 अधिक मूल्यवान फसलों की खेती के विविधीकरण हेतु कुशल विपणन, कृषकों को उनके उत्पाद का उचित हिस्सा सुनिश्चित करना, अर्थव्यवस्था को खोलने तथा व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर करने के बाद मिले अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारतीय कृषि को प्रतिस्पर्धी बनाना परमावश्यक है। राज्यों के कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम के प्रतिबंधित प्रावधानों में संशोधन तथा फसल कटाई के पश्चात भी अन्य

बुनियादी सुविधाएं स्पर्धी एवं कुशल विपणन के विकास हेतु विशिष्ट आवश्यकताएं हैं। कृषि और सहकारिता विभाग ने कृषि उत्पाद के संबंध में आदर्श विधान तैयार किया है, जिसमें कृषि उत्पादों के प्रत्यक्ष विपणन, संविदा खेती, गैर-सरकारी क्षेत्र में कृषि बाजारों की स्थापना तथा नई एवं सृजनात्मक विपणन प्रणाली और प्रौद्योगिकियों को अपनाने की व्यवस्था है।

1.3.19 भारत में पशुधन और कुक्कुटादि का विशाल भंडार है। हमारे देश का मवेशियों और भैंसों की संख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम, बकरियों के मामले में द्वितीय, भेड़ों के मामले में तृतीय और कुक्कुट आदि की संख्या के मामले में सातवां स्थान है। पशुधन संसाधनों के विकास हेतु दसवीं योजना में अपनाई गयी स्ट्रेटजी और पॉलिसी संबंधी पहलों में आहार और चारे का विकास, किसानों को उनकी देहलीज पर ही कृत्रिम बीजारोपण और प्राकृतिक सेवा संबंधी नेटवर्क के जरिए मवेशियों और भैंसों की स्वदेशी/देशी नस्लों का जेनेटिक उन्नयन, विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहीं पशुधन नस्लों के संरक्षण और प्रबल पशु रोगों आदि को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम शामिल हैं।

1.3.20 मात्स्यिकी क्षेत्र प्रोटीन युक्त आहार के वैकल्पिक स्रोत के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है तथा देश के सामाजिक आर्थिक विकास में अंशदान कर रहा है। इस क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय जीडीपी में करीब 1.07 प्रतिशत और कृषि जीडीपी में 4.7 प्रतिशत और वैश्विक मत्स्य उत्पादन में 4.4 प्रतिशत है। अनुमान है कि मात्स्यिकी क्षेत्र सहायक उद्योगों को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त करीब 14 मिलियन लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। उत्पादन और उत्पादकता को इष्टतम स्तर तक ले जाने, मात्स्यिकी निर्यात बढ़ाने, रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने और मछुवारों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मात्स्यिकी और मछली पालन के सतत विकास के लिए समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। मात्स्यिकी और मछली पालन से संबंधित प्रमुख कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करने, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा शुरू किए गए मात्स्यिकी से संबंधित कार्यकलापों

को समन्वित करने, उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में सुधार लाने तथा प्राकृतिक जलीय संसाधनों के सतत प्रबंधन और संरक्षण हेतु वर्ष 2006 में हैदराबाद में एक राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एमएफडीबी) का गठन किया गया है।

1.3.21 डेयरी उद्योग लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक स्रोत बन गया है तथा रोजगार और आय मुहैया कराने में इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी बढ़कर करीब 231 ग्राम प्रतिदिन हो गयी है। नॉन ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी और पिछड़े इलाकों में दूध की अधि प्राप्ति, प्रसंस्करण और विपणन हेतु बुनियादी सुविधाएं सृजित करने के उद्देश्य से समेकित डेयरी विकास कार्यक्रम आठवीं योजना से लगातार जारी है। ग्रामीण स्तर पर उत्पादित दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से दसवीं योजना के दौरान “गुणवत्ता युक्त और शुद्ध दुग्ध उत्पादन संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ करना” नामक एक नई केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत, दूध निकालने की अच्छी पद्धतियों के संबंध में किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रावधान है तथा यह राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत अनुदान सहायता के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है।

1.3.22 कृषि जीडीपी को 4 प्रतिशत तक दुगुना करने के लिए सिंचाई सुविधाओं के व्यापक विस्तार और पुनरुद्धार की जरूरत होगी। एनसीएमपी ने तीन-चार वर्षों में मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने, नदियों को जोड़ने की व्यवहार्यता, नदियों और जल शेयरिंग संबंधी अन्तर्राज्यीय विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटान, वाटर हार्बेस्टिंग, उत्तरी बिहार में बाढ़ नियंत्रण पर बल दिया है। भारत निर्माण कार्यक्रम में भी वर्ष 2008-09 तक और 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र के तहत लाने की कोशिश की जाएगी। चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से त्वरित सिंचाई हित लाभ कार्यक्रम के लिए और अधिक आवंटन, कृषि से संबद्ध जल निकायों की मरम्मत, नवीयन और पुनर्स्थापन, अनु. जाति/ अनु. जनजाति के किसानों के लिए

वाटर हार्वेस्टिंग आदि जैसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनेकों उपाय किए गए हैं।

1.3.23 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से अन्ततोगत्वा मिलने वाली सिंचाई क्षमता 58.46 मिलियन हैक्टेयर है, जिसमें से करीब 43.41 मिलियन हैक्टेयर क्षमता दसवीं योजना के अन्त तक प्राप्त कर लिए जाने की आशा है। परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब चिंता का विषय है, 12.5 मिलियन हैक्टेयर क्षमता वाली 388 चालू परियोजनाओं को पूरा करने का प्रयास दोनों केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। हालांकि, केन्द्र सरकार मानकों में छूट देकर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत उच्च आवंटन के जरिए राज्यों की मदद कर रही है, फिर भी राज्यों को लम्बित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और निधियां देने की जरूरत है। भंडारण टैंक, डाइवर्जन और सर्फिस लिफ्ट युक्त कम सतही प्रवाह वाली सिंचाई परियोजनाओं का सिंचित कृषि का विशेषकर देश के प्रायद्वीपीय भागों और पहाड़ी इलाकों में, विशिष्ट स्थान है। लघु सिंचाई स्कीम की प्रक्रियान्तर्गत (जेस्टेशन) अवधि अल्प और श्रम साध्य होती है तथा यह ग्रामीण रोजगार सृजित करके गरीबी उपशमन का महत्वपूर्ण साधन है।

1.3.24 लघु सिंचाई परियोजनाओं से अन्ततोगत्वा प्राप्त होने वाली सिंचाई क्षमता अनुमानतः 81.43 मिलियन हैक्टेयर है, जिसमें से 17.38 मिलियन हैक्टेयर सतही जल लघु सिंचाई से और 64.05 मिलियन हैक्टेयर भूमिगत जल से प्राप्त होती है। हालांकि, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के अनुसार देश में भूमिगत जल विकास की क्षमता 59 प्रतिशत है, फिर भी, कई इलाकों में जल स्तर में भयप्रद गिरावट की वजह से भूमिगत जल परिदृश्य व्याकुल कर देने वाला है। चूँकि भूमिगत जल के दोहन विनियमित करने के कानूनी प्रयास असफल रहे हैं, इसलिए दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन ने सुझाव दिए हैं कि भूमिगत जल के स्वामित्व अधिकारों, जो वर्तमान में भूमि स्वामित्व अधिकारों के साथ संयोजित है, की समीक्षा की जाए। योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में गठित विशेष समूह (एक्सपर्ट ग्रुप) इस मुद्दे का निराकरण करने के लिए अपनी रिपोर्ट को

अंतिम रूप दे रहा है। जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण आदान के रूप में कार्य करेगी।

1.3.25 दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) के दौरान कार्रवाई हेतु सिंचाई से संबंधित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अभिशात किया गया है, जो इस प्रकार है : 1. सिंचाई प्रणालियों की पुनर्स्थापना, परियोजना के एक भाग और भूमिगत जल के कृत्रिम रिचार्ज के रूप में सिंचित क्षेत्र विकास (सीएडी) सहित संभावी क्षेत्रों में भूमिगत जल विकास जैसी प्राथमिकता वाली स्कीमों को शुरू करने के लिए सिंचाई/ जल प्रबंधन में निवेश बढ़ाना, 2. प्रणाली की ओ एंड एम लागत को वसूलने के लिए जल के मूल्य निर्धारण को औचित्यपूर्ण बनाना, और 3. कुछ बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को धन मुहैया कराना।

1.3.26 सभी गांवों में पीने योग्य पानी मुहैया कराना 10वीं योजना का एक प्रबोधन योग्य लक्ष्य है। ग्रामीण सफाई व्यवस्था अधिकाधिक क्षेत्र में करना भी अप्रत्यक्ष रूप से शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में कमी लाना जैसे अन्य लक्ष्यों से परोक्ष रूप से संबद्ध हैं। हालांकि, शुद्ध पेयजल और सफाई की व्यवस्था राज्य के विषय हैं और इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, फिर भी इनकी तात्कालिकता और महत्व को देखते हुए केन्द्र सरकार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् 1. त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) और 2. ग्रामीण इलाकों में “समग्र सफाई अभियान” (टीएससी) के जरिए वित्तीय सहायता और तकनीकी दिशा निर्देश के रूप में राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकारों द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन को प्रेषित की गयी रिपोर्टों के आधार पर 2005-06 के दौरान कुल 56270 गांवों / निवास स्थानों के लक्ष्य की तुलना में 86841 गांवों / आवास स्थानों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की सुविधाएं मुहैया कराई गयीं।

1.3.27 सम्प्रति, अधिकांश राज्यों में ग्रामीण जलापूर्ति का काम और रख-रखाव संतोषजनक नहीं है और इसीलिए यह चिंता का विषय है तथा समुदाय की इन्वोल्वमेंट के साथ

इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि जैसे कुछ राज्यों ने ओ एंड एम की जिम्मेदारी पंचायती राज्य संस्थानों, जो बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं, को सौंप दी गयी है। अन्य सभी राज्यों को भी संचालन और रख-रखाव संबंधी कार्य को विकेन्द्रीकृत किया जाना चाहिए तथा उन्हें पीआरआई को सौंप देना चाहिए। ग्राम जल एवं सफाई समिति (वीडब्ल्यूएससी) का गठन ग्राम पंचायत स्थायी समिति के रूप में होना चाहिए तथा इसे जलापूर्ति स्कीमों के प्रबंधन और संसाधनों की वहनीयता में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। बारहवें वित्त आयोग ने 2005-10 तक की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थान हेतु कुल 20,000 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। इसने यह भी सिफारिश की है कि पंचायती राज संस्थानों को जलापूर्ति और सफाई से संबंधित आस्तियों को अपने नियंत्रण में लेने तथा मरम्मत/ कायाकल्प हेतु मिलने वाले अनुदान के साथ-साथ ओ एंड एम लागत का भी उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तथापि, पंचायती राज संस्थानों को उपयोगकर्ता प्रभारों के रूप में आवती लागत की कम से कम 50 प्रतिशत राशि वसूल करनी चाहिए।

1.3.28 ग्रामीण सफाई कार्यक्रम अब विभिन्न राज्यों में गति पकड़ रहा है तथा समग्र सफाई अभियान (टीएससी) के तहत 568 जिले कवर कर लिए गए हैं। यह एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है तथा विभिन्न घटकों के निधियन पैटर्न अलग-अलग हैं। प्रमुख घटक प्रत्येक परिवार हेतु स्वच्छ शौचालय का निर्माण संबंधी प्रमुख घटक के लिए निधियन पैटर्न केन्द्र राज्य और लाभानुभोगियों के बीच 60: 20:20 है। मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं की किस्म ग्राम पंचायतों, लोगों विशेषकर महिलाओं और गैर-सरकारी संगठनों की आवश्यकता एवं पूर्ण सहभागिता और भागीदारी पर आधारित होती है। कम लागत वाले घरेलू स्वच्छ शौचालयों का निर्माण संबंधी कार्यक्रम में शुष्क शौचालयों को तर शौचालयों में बदलने की प्राथमिकता पर बल देना जारी रहेगा। समग्र पर्यावरणात्मक स्वच्छता की अवधारणा को अपनाए जाने की जरूरत है। कार्यक्रम की सफलता के लिए “ग्रामीण सफाई बाजार”, जो एक सामाजिक उद्देश्यपूर्ण

वाणिज्यिक उद्यम है और जो बिक्री बाजार होने के अलावा काउंसिलिंग सेंटर के साथ-साथ सर्विस सेंटर के रूप में भी कार्य करता है, के जरिए वैकल्पिक डिलीवरी सिस्टम सुनिश्चित करना आवश्यक है।

### सामाजिक अवसंरचना

1.3.29 भारत में नियोजित आर्थिक विकास का एक उद्देश्य गरीबी दूर करना और लोगों के जीवर-स्तर में सुधार लाना रहा है। हालांकि, देश में ग्रामीण गरीबी जो 1993-94 में 37.27 प्रतिशत थी घटकर 1999-2000 में 27.09 प्रतिशत रह गयी है, फिर भी गरीब ग्रामीणों की संख्या अभी भी अधिक है अर्थात् 1999-2000 में यह अनुमानतः 193.24 मिलियन था। पूर्णतया स्वीकार कर लिया गया है कि गरीबी का प्रभावी तौर पर उन्मूलन तभी हो सकता है जब गरीब विकास प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी द्वारा अपना योगदान देना शुरू कर देंगे। रोजगार सृजक क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आर्थिक विकास के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, जलपूर्ति, पर जोर देना, गरीबी घटाने संबंधी नीति का मुख्य तत्व रहा है। यह स्ट्रेटजी गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के जरिए सीधे गरीब को लक्षित करने वाले तीसरे तत्व के साथ सम्बद्ध है। ग्रामीण आवास स्कीमों के साथ स्वयं एवं मजदूरी रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण इलाकों में कार्यान्वित किए जा रहे गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के प्रमुख बिन्दु बन गए हैं।

1.3.30 अप्रैल, 1999 में शुरू हुई स्वर्ण जयंती ग्राम स्व रोजगार योजना (एसजीएसवाई) गरीब ग्रामीणों के स्व रोजगार हेतु एक समेकित कार्यक्रम है, जो तत्कालीन समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) तथा संबद्ध स्कीमों के पुनर्गठन का परिणाम है। एसजीएसवाई कार्यक्रम गरीबों के लिए एक प्रक्रिया उन्मुखी कार्यक्रम के रूप में बनाया गया है। इसमें सामाजिक कार्य प्रवणता और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के निरूपण पर जोर दिया गया है। यह स्वीकार किया गया है कि एसएचजी विभिन्न स्टेजों से गुजरते हैं और इसीलिए इस कार्यक्रम में निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक स्टेज के अंत में ग्रेडिंग कार्य शुरू किया जाए। परिकल्पना की गयी है कि एसएचजी विकास कार्य

के लिए डीआरडीएज गैर- सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों जैसे मददगारों की सहायता ली जा सकती है। इस कार्यक्रम के तहत अनु. जाति/ अनु. जनजातियों के लिए 50 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत और विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत लाभ आरक्षित करके दुर्बल वर्गों को विशेष संरक्षण मुहैया कराए गए हैं। परिकल्पना की गयी है कि प्रत्येक ब्लॉक में बने 50 प्रतिशत समूह केवल महिलाओं के लिए होने चाहिए।

1.3.31 एसजीएसवाई स्कीम की प्रकृति प्रक्रिया उन्मुखी है, इसलिए माना गया है कि राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र स्कीम के कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में हो सकते हैं। इसीलिए, इस स्कीम में लचीलापन लाया गया है ताकि डीआरडीएज प्रशिक्षण और कार्यक्षमता निर्माण, अवसंरचना, स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित आर्थिक कार्यकलापों के लिए परिक्रामी निधि और सब्सिडी जैसे विभिन्न घटकों एवं ग्रुप फारमेशन के विभिन्न चरणों पर किए जाने वाले व्यय को प्राथमिकता दे सके। इसके अतिरिक्त एसजीएसवाई के तहत 15 प्रतिशत निधियां राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अलग से रखी गयी हैं। विशेष परियोजनाएं ऐसे किसी भी सेक्टर के लिए खुली हैं, जिनमें ग्रामीण इलाकों में स्व रोजगार सृजन की सामर्थ्य हो।

1.3.32 2002-03 में किए गए एसजीएसवाई के समवर्ती मूल्यांकन से पता चला कि यह कार्यक्रम भली भांति परिलक्षित था, चूंकि स्वयं रोजगार प्राप्त करने वाले अधिकांश व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के थे। स्वरोजगार के संवर्धन में सबसे बड़ी अड़चन माइक्रो अवसंरचना की अपर्याप्त उपलब्धता रही है। परियोजना स्तर पर किसी विशिष्ट कार्यकलाप हेतु अपेक्षित माइक्रो अवसंरचना की किस्म का पता लगाने और उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत है।

1.3.33 सम्पूर्ण ग्रामीण योजना (एसजीआरवाई) 2001 में शुरू हुई एक मजदूरी रोजगार स्कीम है। इस स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य सभी ग्रामीण इलाकों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार मुहैया कराना है तथा उसके द्वारा आहार सुरक्षा

मुहैया कराना और पोषण स्तरों में सुधार लाना है। इसका दूसरा उद्देश्य स्थायी सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक आस्तियों का सृजन तथा ग्रामीण इलाकों में अवसंरचनात्मक विकास करना है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत एक विशेष घटक आपदाग्रस्त राज्यों में राहत कार्यकलाप करने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। एसजीआरवाई मजदूरी रोजगार के जरूरतमंद और गाँव/ हेबीटेट में और गांव के आस-पास हस्त एवं अकुशल कार्य करने के इच्छुक सभी ग्रामीणों के लिए खुली है। इस कार्यक्रम की प्रकृति स्व लक्ष्य निर्धारण की है। इस कार्यक्रम के तहत रोजगार के 30 प्रतिशत अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यह कार्यक्रम पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यक्रम को नकद घटक की 75 : 25 के अनुपात में केन्द्र और राज्यों के बीच लागत शेयरिंग के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निः शुल्क मुहैया कराये जाते हैं।

1.3.34 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) 1995 में शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम के रूप में शुरू की गयी थी। इसका उद्देश्य बुढ़ापे, मुख्य जीविका अर्जक और मातृत्व के मामले में गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता का लाभ देना था। यह कार्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 में दिए गए मूलभूत सिद्धान्तों को पूरा करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था, चूंकि इसने स्वस्थ और खुशहाल लोगों के न्यूनतम राष्ट्रीय स्तरों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ाया तथा केन्द्रीय सहायता एक अतिरिक्त लाभ है, चूंकि राज्य पहले से ही सामाजिक संरक्षण स्कीमों पर लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

1.3.35 पोषण और राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के साथ बेहतर लिंकेज सुनिश्चित करने के लिए एनएसएपी के प्रसूति हितलाभ घटक वर्ष 2001-02 से परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप दिए गए हैं। एनएसएपी के शेष दो घटक, अर्थात राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (65 वर्ष और इससे अधिक आयु के निराश्रितों

को वृद्धावस्था पेंशन दिलाने के लिए) तथा राष्ट्रीय परिवार हितलाभ स्कीम (प्राकृतिक अथवा दुर्घटनाग्रस्त कारणों की वजह से बीपीएल परिवार के मुख्य जीविका अर्जक की मृत्यु के मामले में एक मुश्त राशि मुहैया कराने के लिए) साथ ही अन्नपूर्णा (एनओएपीएस के तहत कवर न होने वाले निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के लिए) वर्ष 2002-03 से राज्यों को सौंप दिए गए हैं ताकि राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को स्कीमों के विकल्प निर्धारण और कार्यान्वयन में अपेक्षित लचीलेपन की छूट दी जा सके। राज्यों को स्कीमों के लिए निधियां अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में मुहैया कराई जाती हैं, ताकि वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धों को परिवार हितलाभ अथवा निःशुल्क खाद्यान्न संबंधी कल्याणकारी स्कीमों पर उपयोग किया जा सके।

1.3.36 इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) में अनु. जाति / अनु. जनजाति समुदाय के ग्रामीण बीपीएल परिवारों और मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण/ उन्नयन हेतु सहायता प्रदान की जाती हैं। बाद में यह स्कीम गैर- अनु. जाति/ अनु. जनजाति के परिवारों तथा कार्रवाई करते हुए मारे गए सशस्त्र और अर्द्ध सैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को शामिल करने के लिए इस शर्त पर बढ़ाई गयी कि इन समूहों को ये लाभ कुल आवंटन की 40 प्रतिशत राशि से अधिक नहीं होगी। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को इंदिरा आवास योजना निधियों का आवंटन जनगणना में विनिर्दिष्ट गरीबी अनुपात और ग्रामीण आवासों की कमी के आधार पर किया जा रहा है। ग्रामीण आवास भी भारत निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसके तहत 2005-06 से शुरू करके अगले चार वर्षों में सम्पूर्ण देश में 60 लाख मकानों का निर्माण करने की परिकल्पना की गयी है। 2006-07 के दौरान इंदिरा आवास योजना के तहत 15.33 लाख मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था।

1.3.37 एक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण इलाकों के लोगों को जीविका मुहैया कराने के लिए 2005 में शुरू किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत उचित जांच

के बाद परिवार को पंजीकृत करेगी और उस पंजीकृत परिवार को एक जांच कार्ड जारी करेगी, जिससे संबंधित व्यक्ति काम मांगने के लिए कानूनी तौर पर हकदार हो जाएगा। प्रथम चरण में एनआरईजीपी के कार्यान्वयन हेतु दो सौ जिले अभिशात किए गए हैं। यह कार्यक्रम अधिकाधिक जिलों में शुरू किया जाएगा और अन्ततोगत्वा यह सम्पूर्ण देश को कवर कर लेगा। टिकाऊ आस्तियों का सृजन और गरीब ग्रामीण के जीविका स्रोत को सुदृढ़ करना एनआरईजीपी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जल संरक्षण और जल संग्रहण, सूखा सहायता, सिंचाई नहर, इंदिरा आवास योजना के तहत आवास व्यवस्था, टैंकों को लवण रहित बनाना है। भूमि विकास बाढ़ नियंत्रण, सब प्रकार के मौसमों के अनुरूप मार्गों की व्यवस्था करके गांवों को जोड़ना सहित परम्परागत जल निकायों का पुनरुद्धार जैसे अनेकों निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

1.3.38 कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों के नियोजन, निष्पादन और प्रबोधन हेतु समुदाय की सहभागिता परमावश्यक है। पंचायती राज संस्थान विकास संबंधी कार्यक्रमों में समुदाय की सह-भागिता हेतु महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरे हैं। संविधान के 73वें और 74 वें संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक प्रदान किया तथा देश के शासन में इनकी भूमिका सुस्पष्ट है। राज्य सरकारों को आशा थी कि पंचायती राज व्यवस्था के प्रत्येक सोपान को सौंपे गए कार्यों के अनुरूप कार्यों, कार्यकारियों और वित्तीय संसाधनों का पर्याप्त रूप से विकास करके पंचायती राज संस्थान शक्ति सम्पन्न हो जाएंगे। सरकार ने पंचायती राज संस्थानों को शक्ति सम्पन्न करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु पंचायती राज मंत्रालय बनाया। इस मंत्रालय ने पंचायतों की कार्यकलाप संबंधी परिधि में पंचायत की केन्द्रीयता को पहचानने की जरूरत पर केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को सुग्राही बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यन्वित की गयी प्रमुख स्कीम पंचायती राज के कार्यकारियों और पंचायती राज व्यवस्था में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से संबंधित है।

1.3.39 सतत आधार पर रोजगार सृजन करना नियोजित आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बना हुआ है। एक निश्चित अवधि में बेरोजगारों की संख्या प्रगामी रूप से कम करने के उद्देश्य से रोजगार के पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने की जरूरत स्पष्ट शब्दों में बता दी गयी है तथा इस बात पर सभी योजनाओं में बल दिया गया है। 10वीं योजना का उद्देश्य योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त श्रम बल के लिए उच्च क्वालिटी का लाभप्रद रोजगार सृजित करना है। रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करने के लिए रोजगार सामर्थ्य वाले क्षेत्रों का पता लगाया जैसे छोटे और मध्यम उद्योग, निर्माण कार्य, कृषि, पशुपालन सहित कृषि प्रसंस्करण, तथा पर्यटन, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सेवा क्षेत्र। इस योजना में इस बात पर भी बल दिया गया कि देश के लगभग 92 प्रतिशत कार्यबल वाले असंगठित क्षेत्र को रोजगार की गुणवत्ता में अवश्य सुधार लाकर श्रमिक कल्याण के विभिन्न प्रावधानों को पूरा करना चाहिए।

1.3.40 श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण श्रम बल हेतु लाभप्रद रोजगार की व्यवस्था करना एक अनिवार्य शर्त है। अतः श्रम नीति और कार्यक्रमों में तालमेल बैठाना आवश्यक है ताकि श्रम के दोनों दृष्टिकोणों अर्थात् व्यावसायिक प्रशिक्षण और कार्य दक्षता का विकास करके और साथ ही श्रम कानूनों को सुधारने की प्रक्रिया में तेजी लाकर श्रम के नए अवसर खोलना सरल एवं सुसाध्य हो सके। शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के तहत विनिर्माण और सेवा दोनों सेक्टरों के 98 इंजीनियरिंग और गैर- इंजीनियरिंग व्यवसायों में 14 वर्ष से 40 वर्ष तक के युवाओं को 6 माह से 3 वर्ष तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उद्देश्य उद्योग के लिए अर्ध-कुशल श्रमिक तैयार करना है। यह प्रशिक्षण राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र दोनों के द्वारा स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) / औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आईटीसी) के नाम से विख्यात 5114 व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के एक नेटवर्क के माध्यम से दिये जाते हैं। यह शिल्पकार प्रशिक्षण करीब 1200 प्रशिक्षणार्थियों की वार्षिक सीटिंग क्षमता वाले 5 उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों और केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों से सम्बद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थानों (एमटीआई) में भी दिया जाता है।

1.3.41 पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा जम्मू और कश्मीर में आईटीआई के आधुनिकीकरण के संबंध में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है ताकि संकायों/ प्रायोजित उम्मीदवारों की प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि की जा सके। इस स्कीम में पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र में 22 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने तथा मौजूदा 35 संस्थानों के सुदृढीकरण/ आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गयी है। सीएसएस के तहत मौजूदा 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कर्ष केन्द्र के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं हैं—प्रथम वर्ष के दौरान बहु आयामी कौशल वाले पाठ्यक्रमों की शुरुआत, तदुपरांत, दूसरे वर्ष उद्योगवार क्लस्टर एप्रोच, मल्टी एन्ट्री और मल्टी एक्जिस्ट प्रावधानों को अपनाकर उच्च/ विशेषज्ञता वाले मॉड्यूलर पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण के सभी पहलुओं में उद्योग की और अधिक एवं सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संस्थान प्रबंधन समिति के रूप में सरकारी गैर सरकारी भागीदारी स्थापित की जा रही है, ताकि प्रशिक्षण को पूर्णतः मांग आधारित बनाया जा सके।

1.3.42 महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया कराना है ताकि उनके रोजगार में वृद्धि हो सके और उसके फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था में उनकी सहभागिता हो सके। राज्य क्षेत्र में 224 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का एक नेटवर्क है। केन्द्रीय क्षेत्र के तहत आने वाले संस्थागत नेटवर्क में 11 संस्थान शामिल हैं जो उच्च मजदूरी रोजगार तथा स्वरोजगार की संभावना वाले कौशल में अनन्य रूप से महिलाओं को प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। नोएडा स्थित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (एनवीटीआई) और 8 क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान कुल 3332 सीटिंग क्षमता के साथ पाठ्यक्रम प्रस्तावित कर रहे हैं। एनवीटीआई और आरवीटीआई भी जून से सितम्बर तक की अवधि के दौरान महिला कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बीच महिलाओं के लिए अल्पकालिक/ तदर्थ कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एडवांस्ड पाठ्यक्रमों से संबद्ध कौशल क्षेत्र में करते हैं।

1.3.43 आयोजना प्रक्रिया निर्धारित नीतियों के जरिए श्रम क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करती है। श्रमिक आपूर्ति कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से मांग के अनुरूप की जाती है। कार्य- स्थल पर सुरक्षा बढ़ाने तथा व्यावसायिक जोखिमों को कम से कम करने के लिए किए गए उपायों द्वारा काम पर उपयुक्त स्थितियां सुनिश्चित की जाती हैं। श्रम कानून जो कामगारों के लिए मजदूरी भुगतान और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों को विनियमित करता है। श्रमिक को उचित आय दिलाने में मदद करता है।

1.3.44 सम्पूर्ण विश्व विशेषकर विकासशील देशों में जोखिमपूर्ण उद्योगों में बाल मजदूरी आज चिंता का विषय है तथा सरकार इसको समाप्त करने के लिए बचनबद्ध है। जोखिम भरे व्यवसायों से बाल मजदूर को हटाने और उसे पुनर्वासित करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात् राष्ट्रीय बाल मजदूर परियोजना 1994 से कार्य कर रही है तथा अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पूरक पोषण, वजीफा, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं आदि मुहैया कराने के लिए स्थापित विशिष्ट स्कूलों के माध्यम से उन्हें अन्ततोगत्वा मुख्य धारा में लाकर औपचारिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ रही है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम का विस्तार उन 150 जिलों, जहां यह स्कीम वर्ष 2005-06 के दौरान पहले से ही चल रही थी, के अतिरिक्त 100 और जिलों को कवर करने हेतु किया गया है। इसकी शुरुआत से लेकर अब तक इस स्कीम के तहत 4,00,200 कामकाजी बच्चे कवर किए गए हैं। भारत और अमरीका द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित परियोजना स्कीम (आईएनडीयूएस) अमरीका के श्रम विभाग और श्रम मंत्रालय, भारत सरकार का एक सामूहिक प्रयास है, ताकि 5 राज्यों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) के 21 जिलों में कतिपय अभिशात उद्योगों में बाल श्रम को रोका और समाप्त किया जा सके।

1.3.45 भारत सरकार ने बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु मई 1978 में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम के तहत प्रत्येक मुक्त बंधुआ मजदूर को 20,000

रुपये की पुनर्वास सहायता दी जाती है, जिसे केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 50 : 50 के आधार पर शेयर किया जाता है तथा सात पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इसकी शुरुआत से लेकर 30.11.2005 तक 2,86,549 बंधुआ मजदूर अभिशात और मुक्त किए गए हैं, जिनमें से 2,66,587 श्रमिकों को पुनर्वासित कर दिया गया है।

1.3.46 खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) और फैक्टरी सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएसएलआई) को खानों, फैक्ट्रियों और पत्तनों पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। प्रोफेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के अलावा, डीजीएफएसएलआई ने भी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अध्ययन एवं सर्वेक्षणों का आयोजन किया है। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने दुर्घटना आदि पैटर्न पर विचार करने के बाद खान मालिकों को नोटिस जारी करने के साथ-साथ विभिन्न सुरक्षा उपाय किए हैं।

1.3.47 केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीडब्ल्यूई) का उद्देश्य देश के सामाजिक आर्थिक विकास में कार्य बल की प्रभावी सहभागिता हेतु उनको शिक्षित करने की जागरूकता उत्पन्न करना और उसे बढ़ाना है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और यूनिट स्तरों पर संगठित, असंगठित, ग्रामीण और अनौपचारिक सेक्टरों के श्रमिक बोर्डों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम तिमाही के दौरान, बोर्ड ने 3,858 प्रशिक्षण कार्यक्रम (1,28,568 प्रतिभागी) आयोजित किए और 237 अन्तःकरण शुद्धि संबंधी ग्रामीण कैम्प (9,300 प्रतिभागी) लगाए।

1.3.48 वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) कार्योन्मुखी (एक्शन ओरियन्टेड) अनुसंधान करता है तथा शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में ट्रेड यूनियन आंदोलन में जमीनी स्तर के कामगारों तथा औद्योगिक संबंधों, वैयक्तिक प्रबंधन, श्रम कल्याण, आदि को देख रहे अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। 2005-06 के दौरान कुल 29 अनुसंधान परियोजनाएं चल रही थीं/पूरी हो गयी थीं।

1.3.49 अनुप्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर) का उद्देश्य व्यवस्थित मानव शक्ति नियोजन प्रक्रिया को बनाए रखने और संचालित करने में सक्षम संस्थागत संरचना विकसित करना है। आईएएमआर भी मानव संसाधन, नियोजन एवं विकास में 9 माह का डिप्लोमा कोर्स और एक वर्षीय मास्टर डिग्री कोर्स आयोजित करता है। वैश्विक आर्थिक और मानव शक्ति परिदृश्य में आए बदलाव को देखते हुए आईएएमआर की कार्य प्रणाली की समीक्षा और सिफारशें करने हेतु योजना आयोग द्वारा एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

1.3.50 सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा मुहैया कराने का मुख्य साधन सर्व शिक्षा अभियान नामक एक विस्तृत कार्यक्रम है। यह एक ऐसा प्रमुख कार्यक्रम है जो स्थानीय निकायों को शामिल करते हुए जिला स्तर की विकेन्द्रीयकृत प्रबंधन संरचना के जरिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पैमाने पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा देने की परिकल्पना की गयी है। सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा और शिक्षकों को प्रशिक्षण सहित स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी कार्यकलाप अर्थात् भौतिक अवसंरचना, बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, बालिका विद्यार्थियों के दाखिले को प्रोत्साहित करना शामिल है। इस कार्यक्रम में 9.73 लाख मौजूदा प्राथमिक और अपर प्रारम्भिक स्कूलों के माध्यम से 12 लाख बस्तियों के करीब 20 करोड़ बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा।

1.3.51 योजना के प्रथम चार वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करने से बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है कि स्कूल न जाने वाले बच्चों को प्रारम्भिक स्कूलों में दाखिला मिले। नियमित स्कूलों की मौजूदा अवसंरचना में सुधार लाने के साथ-साथ विभिन्न कारणों से स्कूल छोड़ चुके बच्चों पर फोकस रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप के फलस्वरूप, स्कूल न जाने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या दसवीं योजना की शुरुआत में 4.2 करोड़

थी जो नवम्बर 2005 में घटकर 1.35 करोड़ रह गयी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत करीब 5.87 लाख शिक्षकों की भर्ती की गयी है, प्राथमिक स्कूलों की 71,143 बिल्डिंगें निर्मित की गयी हैं तथा 31,587 भवनों का कार्य प्रगति पर है, 1,55,814 अतिरिक्त कक्षाएं निर्मित की गयी हैं तथा मार्च, 2006 तक 1,70,225 कक्षाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

1.3.52 प्राइमरी शिक्षा में पौषणिक सहायता मिड डे मील स्कीम के माध्यम से बढ़ाई जा रही है। इसका लक्ष्य करीब 12 करोड़ बच्चों को पौषणिक सहायता प्रदान करना है। सभी सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों तथा ईजीएस/एआईए केन्द्रों में पका हुआ मध्याह्न भोजन मुहैया कराया जा रहा है। इस स्कीम में अनाज को पके हुए पौष्टिक भोजन में परिवर्तित करने के लिए 1 रुपये प्रति बच्चा प्रतिदिन के हिसाब से परिवर्तन लागत का प्रावधान है। परिवहन लागत भी विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 100 रुपये तथा अन्य राज्यों के लिए 75 रुपये प्रति टन के हिसाब से बढ़ा दी गयी है। आशा है कि प्राइमरी स्कूलों में दाखिल रहने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 1.5 मिलियन तक हो जाएगी। फलस्वरूप, ड्रॉप आउट दर पर्याप्त रूप से घटेगी।

1.3.53 माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा के बीच पुल का कार्य करती है, तथा यह 14 से 18 वर्ष तक की आयु के युवाओं को उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु तैयार करनी है। दसवीं योजना में स्पष्टतः बताए गए माध्यमिक शिक्षा से संबंधित प्रमुख मुद्दे हैं — प्रवेश सुधार पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना, कॉमन स्कूल प्रणाली पर बल देकर असमानता को कम करना, व्यावसायिक और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों पर बल देते हुए पाठ्यक्रमों का नवीकरण, ओपन लर्निंग सिस्टम का विस्तार एवं विविधीकरण, शिक्षक प्रशिक्षण का पुनर्गठन तथा वार्षिक योजनाओं के जरिए संचालित की जा रही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों का अधिक उपयोग।

1.3.54 हाल के वर्षों में उच्च शिक्षा प्रणाली में काफी विस्तार हुआ है। देश में इस समय कुल 335 विश्वविद्यालय

हैं, जिनमें से 215 राज्य विश्वविद्यालय, 20 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 100 मानित विश्वविद्यालय हैं। ये राज्य विधान अधिनियमों के तहत स्थापित पांच संस्थानों और केन्द्रीय विधान द्वारा संस्थापित राष्ट्रीय महत्व के 13 संस्थानों और करीब 1,849 महिला कॉलेजों सहित लगभग 17,625 कॉलेजों के अलावा हैं। शिक्षा वर्ष 2005-06 की शुरुआत में विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों में औपचारिक शिक्षा प्रणाली में भर्ती विद्यार्थियों की कुल संख्या 104.81 लाख थी। शिक्षा वर्ष 2005-06 के प्रारम्भ में 42.34 लाख महिला विद्यार्थियों का नामांकन हुआ जो कुल नामांकनों का 40.40 प्रतिशत है। दसवीं योजना में सुस्पष्ट तौर पर अभिव्यक्त उच्च शिक्षा क्षेत्र के प्रमुख उद्देश्य हैं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, राज्य विशिष्ट नीतियां बनाना, उच्च शिक्षा प्रणाली का उदारीकरण, व्यावसायीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नेटवर्किंग, औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा का अभिसरण, गैर- सरकारी सहभागिता में वृद्धि ज्ञान के सीमान्त क्षेत्र में अनुसंधान और भारतीय शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण में आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करना।

1.3.55 लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार को उत्पादकता और आर्थिक विकास में वृद्धि हेतु एक साधन और लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत में स्वास्थ्य प्रणाली सरकारी और गैर- सरकारी क्षेत्रों का एक मिश्रण है जो एनजीओ/ सिविल सोसायटी सेक्टर के साथ छोटी मगर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य परिचर्या हेतु उत्तरदायित्व एवं निधियां पंचायती राज संस्थानों को सौंपने, सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या डिलीवरी प्रणाली को पुनः संगठित और पुनर्गठित करने, भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा संक्रामक और असंक्रामक रोगों के प्रबंधन हेतु नीतियों को सुदृढ़ करने की ओर ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य नतीजों में शनैः शनैः सुधार होने की वजह से भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर में कमी लाने की ओर अग्रसर हैं। कुष्ठ रोग और पोलियो उन्मूलन के समीप है। कुपोषण एक विचारणीय विषय है तथा दीर्घकाल से अव पोषण के शिकार बच्चों और खून की कमी से ग्रस्त महिलाओं का अनुपात अधिक बना हुआ है। 6-18 माह के शिशुओं में अव पोषण में तेजी से वृद्धि हुई है।

इसके लिए मुख्यतः शिशुओं की दोषपूर्ण फीडिंग और परिचर्या पद्धतियां उत्तरदायी हैं। एचआईवी/ एड्स को बढ़ने से रोकना और रिवर्स करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्षयरोग (ट्यूबरकलोसिस) की रोकथाम में भली- भांति प्रगति हो रही है, हालांकि कैंसर और मलेरिया नियंत्रण हेतु काफी कम निधि रखी गयी है, फिर भी मलेरिया प्रबंधन को और अच्छा बनया जा रहा है। पोषण संबंधी उपयुक्त नीतियां संयुक्त रूप से बनाने के लिए स्थिति का विस्तृत रूप से विश्लेषण करने हेतु राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि एचआईवी ग्रस्त लोगों को मजबूती प्राप्त हो।

1.3.56 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दसवीं योजनावधि के दौरान कई नई पहल की हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं — 1. पुनरूत्पादक एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, चरण II ( 2005-10) , जिसका उद्देश्य मूलभूत अनिवार्य प्रासूतिक और नव प्रासूतिक परिचर्या चौबीसों घंटे मुहैया कराने के लिए 50 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अपग्रेड करके संस्थागत डिलीवरियों को बढ़ावा देना है, 2. बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्यों में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) के अनुरूप छह तृतीय स्तर के संस्थानों को सहायता, 3.37 सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों एवं 75 मेडिकल कालेजों के मनोविकृति स्कन्धों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, 4. मानसिक आघात और दुर्घटना पीड़ितों इलाज हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों पर अस्तपाल और क्लिनीकल सुविधाओं को सुदृढ़ करना, तथा 5. औषधीय वनस्पतियों से संबंधित कृषि पद्धतियों का प्रसार करके राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा निरीसित इकतीस राज्य औषधीय पादप बोर्डों की स्थापना करना।

1.3.57 देश में गरीब के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण रखते हुए समग्र हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने हेतु मिशन को मोड एप्रोच देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अप्रैल, 2005 में घटिया स्वास्थ्य संकेतक वाले 18 राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए

एक सात वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की शुरुआत की। एनआरएचएम का कार्यकाल भी दसवीं योजना के मातृ मृत्यु दर को घटकर प्रति 1000 लाइव बर्थ्स और शिशु मृत्यु दर को 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ्स तक लाने संबंधी दोनों प्रबोधन योग्य लक्ष्यों को 2012 तक हासिल करने के संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुरूप है। इस मिशन का उद्देश्य समुदाय के स्वामित्व को बढ़ाकर ग्रामीण हेल्थकेयर की खामियों को दूर करना, जिला स्तर के कार्यक्रमों का विकेन्द्रीकरण, इन्टर सेक्टरल कन्वर्जेंस और प्राइमरी हेल्थकेयर में सुधार लाना है। एनआरएचएम महिला स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, जल, सफाई और स्वच्छता, प्रतिरक्षण और पोषण, स्थानीय स्थानिक रोगों सहित संक्रामक और असंक्रामक रोगों का निराकरण करना, जनसंख्या स्थिरीकरण, लिंग एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन, आयुष को मुख्य धारा में लाना और समन्वित एवं अन्तः क्षेत्रीय कन्वर्जेंस एप्रोच के जरिए स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की परिकल्पना की गयी है।

1.3.58 महिला सशक्तिकरण और बाल विकास देश के मानव संसाधन विकास के अनिवार्य पहलू हैं, चूंकि इन दोनों की संख्या 2001 की जनगणना के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या की 82.3 प्रतिशत है। वार्षिक योजना 2006-07 सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और लिंग न्याय संबंधी क्षेत्र विशिष्ट 3 फोल्ड स्ट्रेटजी के जरिए “सामाजिक परिवर्तन और विकास एजेंसी” के रूप में “महिला सशक्तिकरण” हेतु दसवीं योजना के दृष्टिकोण को आगे ले जाएगी। सामाजिक सशक्तिकरण में महिलाओं विशेषकर बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना तथा उन्हें स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गयी है। आर्थिक सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं के लिए रोजगार एवं आय सृजन संबंधी कार्यकलापों को सरल एवं सुसाध्य बनाना है। दोनों सरकारी और गैर- सरकारी संगठनों के समन्वित प्रयासों के जरिए इन बचनबद्धताओं को पूरा करने के अलावा वार्षिक योजना 2006-07 में, महिलाओं को एनसीएमपी में की गयी परिकल्पना के अनुसार, राजनीतिक, शैक्षिक आर्थिक और कानूनी तौर पर सशक्त बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

1.3.59 वार्षिक योजना 2006-07 में कुल 23 स्कीमें हैं, जिनमें केन्द्रीय क्षेत्र की 15 और 8 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें चल रहीं हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में शामिल स्कीमें हैं — 1. स्वयंसिद्ध महिला सशक्तिकरण हेतु एक एकीकृत कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य आय सृजक कार्यकलापों हेतु महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (एसएचजी) में संगठित करना है। इस समय इस स्कीम में 650 ब्लॉक शामिल हैं। मार्च, 2006 तक इस स्कीम के तहत 9.89 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाते हुए कुल 67,971 महिला एसएचजी बनाए गए थे, जबकि लक्ष्य 65,00 का था, 2. “स्वशक्ति” कार्यक्रम विशेषतः ग्रामीण इलाकों की महिला किसानों और कृषि मजदूरों के लिए राज्य महिला विकास निगमों तथा 9 राज्यों अर्थात बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 57 जिलों में समान निकायों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 17,647 एसएचजी बनाए गए हैं, जबकि मूल लक्ष्य करीब 2.44 लाख महिलाओं को कवर करते हुए 16,000 एसएच ग्रुप बनाने का था। 3. “राष्ट्रीय महिला कोष” एक प्रमुख माइक्रो क्रेडिट एजेंसी है, जिसका फोकस जीविका एवं संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण का प्रावधान करके महिलाओं और उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने पर है। राष्ट्रीय महिला कोष से इस समय लगभग 5.51 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं और 4. “स्वाधार” कार्यक्रम में बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सहायता के आधार वाली सीमांत महिलाओं और लड़कियों को जैसे निराश्रित विधवाएं, जेलों से निर्मुक्त तथा पारिवारिक सहायता से विहीन महिला कैदी, प्राकृतिक आपदाओं की महिला उत्तरजीवी, अवैध व्यापार की शिकार महिलाएं, आतंकवादी हिंसा की शिकार पारिवारिक समर्थन से विहीन महिलाएं, आश्रय भोजन, वस्त्र और देखभाल जैसी सहायक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मार्च 2006 तक सम्पूर्ण देश के विभिन्न राज्यों में कुल 129 स्वाधार आश्रय केन्द्र कार्य कर रहे थे।

1.3.60 एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम (आईसीडीएस) एक राष्ट्र व्यापी कार्यक्रम है। इसका किशोरों विशेषकर बालिकाओं और माताओं के समग्र विकास में भारी हस्तक्षेप

रहा। स्वास्थ्य जांच, प्रतिरक्षण, परामर्शदायी सेवाएं, पूरक पोषण, स्कूल पूर्व शिक्षा तथा स्वास्थ्य/ पौषणिक शिक्षा नामक छह मूलभूत सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के प्रावधान के जरिए किशोरों (0-6 वर्ष), विशेषकर बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के समग्र विकास को बढ़ावा देना ही इसकी स्ट्रटजी है। आईसीडीएस प्रारम्भ में 1975 में 33 ब्लॉकों/ परियोजनाओं में मार्गदर्शी आधार पर शुरू हुई और कुछ वर्षों में ही धीरे-धीरे 6,118 स्वीकृत परियोजनाओं में फैल गयी है, जिसमें से 5,659 परियोजनाएं 562.18 लाख लाभानुभोगियों को कवर करते हुए 7.38 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रचालनरत हैं।

1.3.61 10वीं पंचवर्षीय योजना तीन स्तरीय नीति, अर्थात्, 1. शैक्षणिक विकास के जरिए सामाजिक सशक्तिकरण, 2. रोजगार एवं आय के सृजन तथा गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण, तथा 3. सामाजिक न्याय— वंचित लोगों को अत्याचारों, शोषण, भेदभाव, और रक्षा करने में मौजूदा विधानों और अन्य उपायों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करके, सामाजिक दृष्टि से वंचित लोगों को शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए कृतसंकल्प है।

1.3.62 शहरीकरण तेजी से हो रहा है, चूंकि शहर सेवा क्षेत्र की असाधारण वृद्धि को समर्थन देने के अलावा शिक्षा और रोजगार के और अधिक अवसरों का भरोसा दिलाते हैं। ऐसा नई अवसरचना के सृजन और मौजूदा अवसरचना के रख रखाव के नियोजन हेतु आवश्यक है। शहरी अवसरचना में पेयजल, सफाई व्यवस्था, कुशल मल जल प्रणाली, विद्युत और गैस वितरण, शहरी परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं आदि शामिल हैं। “जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन” (जेएनएनयूआरएम) के नाम से जाना जाने वाला एक विस्तृत कार्यक्रम 2005-06 में शुरू किया गया है ताकि देश में शहरीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति संबंधी चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके। सभी महानगरों और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, राज्यों की राजधानियों तथा ऐतिहासिक एवं पर्यटन महत्व के नगरों सहित लगभग 63 नगरों को जेएनएनयूआरएम के तहत कवर किया जा रहा है।

1.3.63 यह मिशन राज्य क्षेत्र, जिसके दो उप मिशन हैं, के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। “शहरी अवसरचना और शासन” संबंधी उप मिशन का फोकस सफाई व्यवस्था सहित जलापूर्ति, मल जल व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन, सड़क नेटवर्क, शहरी परिवहन और नगर के पुराने इलाकों के पुनर्विकास से संबंधित प्रमुख अवसरचना संबंधी परियोजनाओं पर रहेगा। “शहर के गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाएं” संबंधी उप मिशन गंदी बस्ती सुधार, पुनर्वास, पर्यावरण संबंधी सुधार, रात्रि शेल्टर्स मुहैया कराना, सामुदायिक शौचालय और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और समाज के कम आय वाले वर्गों को वहनीय मूल्यों पर आवास जैसे कार्यक्रमों को देखेगा। इस मिशन के तहत सृजित विभिन्न आस्तियों के संचालन एवं रख-रखाव की देखभाल हेतु नगर स्तर पर परिक्रामी कोष बनाया जाएगा। जेएनएनयूआरएम क्षेत्रों से बाहर के शहरों/ नगरों को कवर करने के लिए बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वीएएमबीएवाई) और राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम को मिलाकर एक नई स्कीम बनाने का प्रस्ताव है, जो “एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)” के रूप में जानी जाएगी।

### विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम

1.3.64 विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम कतिपय इलाकों द्वारा अपनी अलग भू-भौतिकी संरचना और अपने सहवर्ती सामाजिक आर्थिक विकास के कारण उत्पन्न विशेष समस्याओं से निपटने के लिए निरूपित किए गए हैं। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के मुख्य उद्देश्य पहाड़ी इलाकों के लोगों की मूलभूत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वहां पारिस्थितिकी तौर पर सतत् सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना तथा जैव- विविधता के सतत् उपयोग पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पारिस्थितिकी संरक्षण और पारिस्थितिकी पुनरुद्धार करना है। विशेष केन्द्रीय सहायता 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के अनुपात में दी जाती है। इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदायों की जरूरतों और अपेक्षाओं, विशेषकर जैव-विविधता के संरक्षण और अविच्छन्न जीविका हेतु नीतियां बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने में उनकी सहभागिता पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। सम्प्रति, एचएडीपी

के तहत कवर नामोद्दिष्ट पहाड़ी इलाकों में असम उत्तरी कछार और कारबी अंगलॉग के दो पहाड़ी जिले, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले और तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के अधिकांश हिस्से शामिल हैं।

1.3.65 पश्चिमी घाट करीब 1600 किलोमीटर लम्बे हैं, तथा ये धूले जिले में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु में भारत के एकदम दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी तक महाराष्ट्र के पश्चिमी तट के लगभग समानान्तर हैं। पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी संरक्षण और पारिस्थितिकी पुनरुद्धार करना जारी है। इस समय यह कार्यक्रम पश्चिमी घाट के 171 तालुकों में, अर्थात् महाराष्ट्र (63 तालुकें), कर्नाटक (40 तालुकें), केरल (32 तालुकें), तमिलनाडु (33 तालुकें) और गोवा (3 तालुकें) कार्यान्वित किया जा रहा है।

1.3.66 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) पाकिस्तान बॉर्डर से लगने वाले राज्यों, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के संतुलित विकास हेतु 1986-87 में शुरू किया गया था। बाद में, इस कार्यक्रम में बदलाव लाया गया और इसकी कवरेज बांग्लादेश से लगे पूर्वी बॉर्डर के राज्यों, म्यांमार सीमा से लगे राज्यों, चीन की सीमा से लगे राज्यों तक बढ़ाई गयी तथा उसके बाद फिर इसकी कवरेज नेपाल और भूटान के सीमावर्ती राज्यों तक बढ़ाई गयी। बीएडीपी का मुख्य उद्देश्य सीमा के नजदीक उपयुक्त दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों की विशेष जरूरतों को पूरा करना है। इसमें सामाजिक और भौतिक अवसंरचना में सुधार लाने और उसे सुदृढ़ करने पर बल दिया जा रहा है।

### आर्थिक अवसंरचना

1.3.67 औद्योगिक क्षेत्र ने वर्ष 2005-06 में 8.1 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर और विनिर्माण में 9.1 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। मूल धातु एवं मिश्र धातु, मशीनरी और उपकरणों, रसायन एवं रासायनिक उत्पादों, वस्त्र उत्पादों और कपास वस्त्रों ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की। पूंजीगत सामान सेक्टर ने 15.7 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। वर्ष के दौरान 17 दो डिजिट

उद्योग समूहों में से 13 समूहों ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाया। विनिर्माण करने वाले अन्य उद्योगों में 25.18 प्रतिशत की सर्वाधिक वृद्धि दर देखी गयी, उसके बाद वस्त्र उत्पादों में (16.35 प्रतिशत), मूल धातुओं और मिश्र धातुओं में (15.76 प्रतिशत), मादक पेय एवं तम्बाकू में (15.7 प्रतिशत), नॉन मेटेलिक खनिज उत्पादों में (10.97 प्रतिशत), परिवहन उपकरणों में (12.69 प्रतिशत) और मशीनरी एवं उपकरणों में (11.95 प्रतिशत) वृद्धि देखी गयी।

1.3.68 औद्योगिक नीति में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। वर्ष 2005-06 के दौरान शुरू हुई इस प्रमुख नीति की पहलों के मुख्य उद्देश्यों में उत्पादकता में सतत् वृद्धि को बनाए रखना, लाभप्रद रोजगार में बढ़ोत्तरी, मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता की प्राप्ति तथा भारत को वैश्विक अखाड़े में प्रमुख पार्टनर और प्लेयर के रूप में बदलना शामिल है। विनिर्माण करने वाले उद्योगों को प्रेरित करने एवं वृद्धि को कायम रखने के उद्देश्य से नीतिगत बातचीत हेतु एक सतत् फोरम मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद (एनएमसीसी) का गठन किया गया है। एनएमसीसी घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि की संभावना को साकार करने हेतु स्ट्रेटजी तैयार करेगा ताकि इसे वैश्विक तौर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। एनएमसीसी ने मार्च, 2006 में “राष्ट्रीय विनिर्माण नीति” तैयार की, जो विशिष्ट फोकस की आवश्यकता वाले चुनिंदा क्षेत्रों को अभिसात करती है और विनिर्माण करने वाले उप क्षेत्रों की वृद्धि में गति लाने के लिए पहल करती है। एनएमसीसी ने विनिर्माण सेक्टर में उच्च वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्रों के रूप में छोटे और मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास और उससे संबद्ध समस्याओं हेतु वस्त्र एवं गार्मेंट्स, खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण, आईटी हार्डवेयर एवं इलैक्ट्रोनिक्स, लेदर एवं फुटवेयर, कौशल विकास, विकास हेतु क्लस्टर उन्मुखी दृष्टिकोण अभिसात किया है।

1.3.69 अवसंरचना आर्थिक विकास की रीढ़ होती है। आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था, विदेशी व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मकता को समर्थन देने तथा भारत को विकसित देश के रूप में तब्दील करने के लिए पर्याप्त, विश्वसनीय

और गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना आवश्यक है। सतत् विकास हेतु अवसंरचना का संवर्धन और विस्तार करना दसवीं योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है। अवसंरचना नीति का मुख्य जोर गैर-सरकारी पहलों को बढ़ावा देने अवसंरचना सेवाओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वहनीय लागत पर अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अवसंरचनात्मक सुविधाएं विशेषकर परिवहन, ऊर्जा और दूरसंचार के क्षेत्र में मुहैया कराना रहा है।

1.3.70 11 प्रमुख अवसंरचनात्मक क्षेत्र जिनमें ऊर्जा, कोयला, इस्पात, माल भाड़ा, ट्रैफिक से होने वाला रेल राजस्व, प्रमुख पत्तनों पर पोतभार (कारगो) की व्यवस्था, दूरसंचार, उर्वरक, सीमेंट, पेट्रोलियम, नागर विमानन, एवं सड़कें शामिल हैं, का निष्पादन सीएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार है और 2005-06 के दौरान इसमें सामान्य वृद्धि दिखलाई दी। पिछले वर्ष के निष्पादन की तुलना में अपरिष्कृत तेल और सड़कों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी। यद्यपि, दूरसंचार, सीमेंट, रेलवे, प्रमुख पत्तनों पर पोतभार की व्यवस्था और घरेलू टर्मिनल हवाई अड्डों ने महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की, फिर भी अन्य क्षेत्रों की वृद्धि दर में 2004-05 के दौरान प्राप्त वृद्धि दर की तुलना में मामूली गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, इस्पात, उर्वरक और अपरिष्कृत तेल क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में इस वर्ष के लिए तय किए गए लक्ष्यों की तुलना में इनकी वृद्धि दर लक्ष्य से अधिक रही अथवा लक्ष्य के एकदम नजदीक रही।

1.3.71 खनिज उद्योगों की वृद्धि और उनकी अवसंरचना के विकास हेतु अनिवार्य आदान है। भारत लौह अयस्क और बॉक्साइट आरक्षित भंडार की दृष्टि से आत्मनिर्भर है। तथापि, मूल धातुएं नामतः तांबा, निकल और लेड-ज़िंक पर्याप्त मात्रा में नहीं होती हैं। मूल्यवान धातुएं जैसे सोना, सुरमा और प्लेटिनम ग्रुप की धातुएं और हीरे की इस समय कमी है। अतः उत्कृष्ट आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को अपना कर इन खनिजों की मालसूची में वृद्धि करने के लिए खनिजों की व्यवस्थित और गहन खोज करने की जरूरत है। मुख्य जोर पर्यावरण के संरक्षण और परिरक्षण के साथ इनकी वृद्धि में तेजी लाने पर होना चाहिए। इसके लिए विदेशी पूंजी और

प्रौद्योगिकी दोनों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। 1993 में घोषित राष्ट्रीय खनिज नीति का उद्देश्य गैर-सरकारी निवेश को बढ़ावा देना था, लेकिन मुख्यतः विभिन्न प्रकार की क्लीयरेंस लेने में प्रक्रियात्मक विलम्ब और खनन क्षेत्रों में सड़क, पत्तन, और ऊर्जा जैसी अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के कारण अभी तक इन्हें प्रोत्साहित नहीं किया गया है। मुद्दों के सम्पूर्ण पहलुओं का अध्ययन करने और खनिज नीति की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग ने योजना आयोग के सदस्य (उद्योग) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति ने स्टेट होल्डर्स के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया था और इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को जुलाई, 2006 में प्रस्तुत की थी।

1.3.72 लौह अयस्क, लोहा और इस्पात उद्योग के लिए मूलभूत कच्चा माल होता है। भारत में इस समय अनुमानतः 13.4 बिलियन टन आरक्षित भंडार के साथ लौह अयस्क के अपार संसाधन हैं। इस्पात उत्पादन में आए उछाल के कारण पिछले तीन वर्षों में लौह अयस्क की मांग में भारी वृद्धि रही है, जिससे लौह अयस्क खनन में निवेश के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। अयस्क को लोहे की प्रतिशतता के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है अर्थात् निम्न श्रेणी (64 प्रतिशत से कम), मध्यम ग्रेड (65-67 प्रतिशत), और उच्च ग्रेड (67 प्रतिशत से अधिक)। भारतीय अयस्क में उपलब्ध लोहे (एफई) की अधिकतम मात्रा 68 प्रतिशत है, जोकि सर्वोत्तम क्वालिटी का लौह अयस्क माना जाता है। इससे भारतीय लौह अयस्क की अन्तर्राष्ट्रीय मांग बढ़ी है। उच्च लौहांश से भी लोहा बनाने की प्रक्रिया में उत्पादकता बढ़ती है।

1.3.73 इस्पात, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाली मूलभूत इंजीनियरिंग सामग्री है। भारत का अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन में विश्व में आठवां स्थान है। 2005-06 में तैयार इस्पात का उत्पादन लगभग 44.78 मिलियन टन था और इसने पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। भारत के कई इस्पात विनिर्माता उदार इस्पात नीति उच्च ग्रेड के लौह अयस्क की उपलब्धता की वजह से अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं।

लौह अयस्क की उपलब्धता ने कई विदेशी इस्पात कम्पनियों को भारत में इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अकर्षित किया है। सरकार इस्पात उद्योग के विकास को प्रेरित करने की दृष्टि से नीतिगत पहलों के जरिए अनुकूल पर्यावरण मुहैया कराने में फेसिलिटेटर की भूमिका अदा कर रहा है। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2004 में 7.4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के साथ वर्ष 2020 में इस्पात की मांग को 110 मिलियन टन (20 मिलियन टन निर्यात हेतु और 90 मिलियन टन घरेलू उपयोग हेतु) तक पहुंचाने का लक्ष्य प्रस्तावित है। ग्रामीण इलाकों में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि पर विशेष बल दिया जाएगा। इस नीति का अन्य विशेष फोकस “वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को न केवल लागत, गुणवत्ता और उत्पाद मिश्र की दृष्टि से, बल्कि दक्षता और उत्पादकता के वैश्विक बेंचमार्क की दृष्टि से भी हासिल करने” पर है।

1.3.74 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 1.6 प्रतिशत भार वाला सीमेंट भौतिक अवसंरचना के विकास हेतु प्रमुख निर्माण सामग्री है। इसे आर्थिक विकास हेतु अनिवार्य तत्व माना जाता है। भारतीय सीमेंट उद्योग प्रत्यक्षतः मशीनरी विनिर्माण, सामग्री और सेवाओं के जरिए पर्याप्त अप्रत्यक्ष रोजगार के साथ 1.35 लाख लोगों को रोजगार देता है। इस उद्योग ने 2005-06 में 148 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.7 प्रतिशत अधिक है। भारत वैश्विक सीमेंट उत्पादन का 6 प्रतिशत सीमेंट उत्पादन करके विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। तथापि, भारत में सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत करीब 130 कि.ग्राम है, जो कि विश्व की 355 किग्राम औसतन प्रति व्यक्ति खपत से काफी कम है। यह अन्य विकासशील देशों जैसे ब्राजील (191 किग्राम), थाइलैण्ड (365 किग्राम), की तुलना में भी कम है। सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा जीवन स्तर के लेबल में वृद्धि के साथ ही सीमेंट की मांग पर्याप्त रूप से बढ़ने की उम्मीद होती है। पिछले दो दशकों में सीमेंट का उत्पादन लगभग 8.0 प्रतिशत कम्पाउंड वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में निर्माण संबंधी गतिविधियों में उल्लेखनीय विस्तार होने से सीमेंट की मांग तेजी से बढ़ गई है। सीमेंट उत्पादन जो 2001-02 में 108.40 मिलियन

टन था, बढ़कर 2005-06 में 148.0 मिलियन टन हो गया है और इसने दसवीं योजना अवधि के प्रथम चार वर्षों में 8.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। सीमेंट की कुल खपत जो 2004-05 में 123.08 मिलियन टन थी, 10.1 प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2005-06 में 135.56 मिलियन टन हो गयी। इस उद्योग की उपभोग क्षमता पिछले वर्ष की 80 प्रतिशत की तुलना में 2005-06 में बढ़कर 90 प्रतिशत हो गयी। निर्यात की दृष्टि से, इस उद्योग ने 2005-06 में 9.19 मिलियन टन सीमेंट और क्लिंकर का निर्यात किया, जबकि 2004-05 में 10.06 मिलियन टन का निर्यात किया था। इस प्रकार, इसके निर्यात में 8.65 प्रतिशत कमी दर्ज की। इस उद्योग को अपनी खपत बढ़ाने एवं बढ़ते हुए मूल्यों को वहनीय स्तर तक रखने के लिए इसकी लागत में ठोस कमी लाने की जरूरत है।

1.3.75 जनसंख्या में वृद्धि, जीवन शैली का आधुनिकीकरण और जीडीपी में अधिक वृद्धि के कारण भारत में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। तथापि, आपूर्ति की सुरक्षा, ऊर्जा मूल्य और वृद्धि की वहनीयता पर विचार करने के फलस्वरूप ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति नियंत्रित रही। योजना आयोग के सदस्य (ऊर्जा) के तहत बनी विशेषज्ञ समिति द्वारा एक एकीकृत ऊर्जा नीति तैयार की गई है, जिसमें अनेकों ऐसी नीतिगत पहलों का सुझाव दिया गया है, जिनको ऊर्जा क्षेत्र के सतत विकास के संबंध में शुरू करने की जरूरत है।

1.3.76 देश में कोयला वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। 2006 की स्थिति के अनुसार, देश में कोयले की 253.30 बिलियन टन सम्पदा है, जिसमें से 95.86 बिलियन टन का प्रमाणित भण्डार है। लिग्नाइट सम्पदा 37 बिलियन होने का अनुमान है, जिसमें से 4.26 बिलियन टन लिग्नाइट का प्रमाणित भण्डार है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के तीव्र विकास की परिकल्पना की गयी है ताकि अर्थव्यवस्था के विस्तार को समर्थन देने हेतु अनुमानित मांग को पूरा किया जा सके। इसके मुख्य क्षेत्रों में कोयला क्षेत्र का पुनर्गठन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण स्थापित करना तथा कोयला उत्पादन

आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक खण्ड में सबको समान अवसर मुहैया कराना तथा स्पर्धात्मक बोली लगाकार संभावित उद्यमियों को कोयला ब्लॉक्स की पेशकश करना, ई-ऑक्शन के जरिए कोयला उत्पादन का 20 प्रतिशत कोयला बिक्री हेतु उपलब्ध कराना, दीर्घकालिक आपूर्ति संविदाओं के तहत थर्मल कोयले का अतिरिक्त आयात, स्वस्थान कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देना, और कोयला आधारित मिथेन की टैपिंग करना शामिल है। कोयला लाने-ले जाने के लिए रेल और पत्तन अवसंरचना के संवर्धन पर भी जोर देने की जरूरत है।

1.3.77 वर्ष 2005-06 के दौरान कोयले का 406.99 मिलियन टन उत्पादन हुआ, जबकि लक्ष्य 410.85 मिलियन टन का था। नेवली लिग्नाइट निगम लिमिटेड (एनएलसी) ने 20.40 मिलियन टन लिग्नाइट उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया तथा एनएलसी ने कुल 16247 एमयू बिजली का उत्पादन किया, जो लक्ष्य की तुलना में 3.45 प्रतिशत अधिक था। घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोल इंडिया लिमिटेड की आपातकालीन कोयला उत्पादन योजना निरूपित की गयी थी तथा सरकार द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृत करने में होने वाले प्रक्रियात्मक विलम्ब कम से कम करने के लिए कार्रवाई की गयी थी। कुल उत्पादन का लगभग 5 प्रतिशत कोयला ई-ऑक्शन द्वारा खुले बाजार में बेचा गया था।

1.3.78 अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपरिष्कृत तेल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण तेल आयात विधेयक और तेल सुरक्षा चिंता के कारण बने रहे। इन चिंताओं का निराकरण करने के लिए अनेकों उपाय किए गए हैं। इनमें मौजूदा फील्डों से उत्पादन बढ़ाना, विदेशों से तेल और गैस समान रूप से प्राप्त करना, पेट्रोल का एथेनोल के साथ मिश्रण करना और जैविक डीजल को बढ़ावा देना शामिल है। कृष्णा- गोदावरी बेसिन में हाल ही में हुई खोजों से गैस की घरेलू आपूर्ति में काफी वृद्धि होने की आशा है। 2005-06 के दौरान अपरिष्कृत तेल का प्रत्याशित उत्पादन 32.20 मिलियन टन था, जबकि लक्ष्य 34.42 मिलियन टन का था। लक्ष्य से कम उत्पादन होने का मुख्य कारण ओएनजीसी के मुम्बई हाई फील्ड के एक उत्पादन फील्ड में आग लगना था। कुल उत्पादन में

गैर- सरकारी/जे. बीज का योगदान 4.55 मिलियन टन था, जोकि 4.51 मिलियन टन के लक्ष्य से अधिक था। 2005-06 के लिए 30.87 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने का लक्ष्य था, जबकि कुल 32.20 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन हुआ। ओएनजीसी के आयात फील्डों के उच्च योगदान और ओआईएल के कारण कुल उत्पादन में वृद्धि हुई।

1.3.79 देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में बिजली क्षेत्र प्रमुख कारक है। यह जीडीपी विकास के लक्षित स्तरों डिलिवर करने हेतु प्रमुख आदान के रूप में कार्य करता है। अतः बिजली क्षेत्र को सभी आनुक्रमिक योजनाओं में प्राथमिकता दी गयी है। बिजली क्षेत्र की संस्थापित जनरेटिंग क्षमता आज 1,27,000 मेगावाट से अधिक हो गयी है। संस्थापित जनरेशन क्षमता में वृद्धि के साथ- साथ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन (टी एण्ड डी) क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। तथापि, इन उपलब्धियों के बावजूद, बिजली क्षेत्र मांग में वृद्धि के अनुरूप उत्पादन नहीं कर सका। फलस्वरूप बिजली की निरन्तर कमी और अविश्वसनीयता देश की एक विशेषता बन गयी। दसवीं योजना में रिन्यूबल ऊर्जा स्रोत, जिसे हासिल किए जाने की संभावना नहीं है, द्वारा एक अन्य 3000 मेगावाट बिजली उत्पादन के अतिरिक्त 41,110 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की परिकल्पना की गयी है। बिजली क्षेत्र के संवर्धन के उद्देश्य से सरकार ने कई नई नीतिगत पहलें करने का प्रस्ताव रखा है और वह इस सेक्टर को प्रतिस्पर्धी और व्यवहार्य बनाने के लिए बिजली क्षेत्र के सुधार कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बचनबद्ध है। “बिजली अधिनियम, 2003” बनाना इस सेक्टर में सुधारों की ओर उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम का उद्देश्य बिजली उत्पादन, ट्रांस मिशन, वितरण, ट्रेडिंग और उपयोग से संबंधित कानूनों को समेकित करना तथा इलैक्ट्रीकल उद्योग के विकास के अनुकूल उपाय करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, बिजली टैरिफ को संगत बनाना, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करना, कुशल और पर्यावण के अनुकूल नीतियों को प्रोन्नत करना, विनियामक आयोगों का गठन तथा उससे अथवा दैवयोग से उसके साथ जुड़े मामलों

हेतु अपीलीय न्यायाधिकरण की संस्थापना करना है।

1.3.80 उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि सुधारों का पालन किया जा सके तथा सभी ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, 24 राज्यों ने राज्य बिजली विनियामक आयोगों (एसईआरसी) का गठन किया है तथा 19 एसईआरसीज ने टैरिफ आदेश जारी किए हैं। मणिपुर और मिजोरम राज्यों ने एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) का गठन किया है। हालांकि, 13 राज्यों ने अपने राज्य बिजली बोर्डों को समाप्त / निगमित कर दिया है, फिर भी दिल्ली और उड़ीसा ने अपने एसईसीज का निजीकरण कर दिया है। बिजली अधिनियम, 2003 के लागू होने के बाद से एसईआरसीज की स्थापना करना अनिवार्य हो गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, बिहार, और मेघालय ने 2006 तक एक्सटेंशन की मांग की है। नागालैण्ड और अरुणाचल प्रदेश, जहां एसईआरसी का गठन नहीं हुआ है, को सलाह दी गयी है कि वे एसईआरसीज के गठन के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

1.3.81 फरवरी 2005 में अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति को मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित बातें शामिल हैं, अर्थात् अगले पांच वर्षों में सभी परिवारों को बिजली मुहैया कराना, 2012 तक मांग के अनुरूप बिजली की उपलब्धता, कुशलतापूर्वक और उचित दरों पर विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति, बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को बढ़ाकर 1000 यूनिट से अधिक करना, इस सेक्टर की वित्तीय स्थिति का कायाकल्प और वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना।

1.3.82 वर्ष 2005-06 के लिए 6,934 मेगावाट क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तव में केवल 3,519 मेगावाट क्षमता प्राप्त हुई। वर्ष 2006-07 के लिए 17,767 मेगावाट क्षमता बढ़ाना का लक्ष्य रखा गया है, जिसे प्राप्त करना क्षमता वृद्धि के पिछले रुख को देखते हुए कठिन दिखलायी पड़ता है। वर्ष 2006-07 के लिए 663

बीयू ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल के वर्षों में प्लाट लोड फेक्टर (पीएलएफ) में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है, जो 2005-06 में 73.6 प्रतिशत दर्ज किया गया था तथा परिकल्पना की गयी है कि वर्ष 2006-07 के दौरान पीएलएफ 75.7 प्रतिशत से ऊंचा स्तर प्राप्त कर लेगा।

1.3.83 राष्ट्रीय न्यूनतम कॉमन कार्यक्रम में परिकल्पना की गयी थी कि पांच वर्षों में प्रत्येक परिवार में बिजली लगाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तदनुसार, “ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं परिवार विद्युतीकरण” कार्यक्रम नामक स्कीम, जो “राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना” के नाम से भी जानी जाती है, को विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सरकार द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तौर पर अनुमोदित कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत 2004-05 से लेकर पांच वर्षों के भीतर सभी गांवों और परिवारों में बिजली लगाने की परिकल्पना की गयी है। “भारत निर्माण” के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी घटक में 2009 तक उन सभी 1,25,000 गांवों, जहां बिजली नहीं आयी है, में बिजली लगाने तथा 2.3 करोड़ परिवारों का विद्युतीकरण करने (देश के कुल 7.8 करोड़ अविद्युतमय परिवारों में से) की परिकल्पना की गयी है। इस प्रकार, “भारत निर्माण” के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी घटक आरजीजीवीवाई का सब-सैट है।

1.3.84 1970 में शुरू हुई वैकल्पिक ईंधन की खोज से एक ओर सतत् विकास तो दूसरी ओर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। परिणामस्वरूप, ऊर्जा के नए और रिन्यूएबल संसाधन विकल्प के रूप में उभरे हैं, चूंकि देश में ये संसाधन अर्थात्, पवन, सौर ऊर्जा स्मॉल हाइड्रो और कृषि के अपशिष्ट पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इन संसाधनों को ग्रामीण इलाकों, विशेषकर दुर्गम भू-भाग, जहां परम्परागत ऊर्जा मुहैया कराना असंभव है, में स्थित दूरस्थ और दूर-दराज के गांवों की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन संसाधनों को काम में लाना सर्वाधिक उपयुक्त है। मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार, रिन्यूएबल संसाधनों का बिजली उत्पादन में योगदान 8197.95 मेगावाट तक पहुंच गया, जो बिजली

उत्पन्न करने की कुल संस्थापित क्षमता का लगभग 6.5 प्रतिशत है। इसमें से पवन से 5340 मेगावाट, उसके बाद स्मॉल हाइड्रो से 1826.43 मेगावाट और बायोमास (कोजनरेशन सहित) से 912.53 मेगावाट बिजली उत्पन्न हुई। 2006-07 के लिए निर्धारित लक्ष्यों में 50,000 बायोगैस संयंत्र, 30,000 सौर ऊर्जा लालटेन, सामुदायिक प्रयोजनार्थ 300 एस.पी.वी पम्प कुल 4,00,000 वर्ग मी0 कलक्टर एरिया सौर ऊर्जा से पानी गरम करने की प्रणाली की संस्थापना, 100 सौर ऊर्जा कुकर, 1000 मेगावाट पवन विद्युत, 215 मेगावाट बायोमास विद्युत, बायोमास गैसीफायर प्रणाली से 2 मेगावाट के बराबर, 160 मेगावाट हाइड्रो विद्युत और शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों से 30.00 मेगावाट विद्युत क्षमता शामिल है।

1.3.85 अवसंरचना में निवेश भारी भरकम करने और उससे आय दीर्घ अवधि के बाद भी कम होने के कारण विगत में कई प्राइवेट निवेशकों के लिए इसमें निवेश करना अनाकर्षक रहा है। तथापि, नेशनल हाइवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (एनएचडीपी) और सड़क क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं ने अवसंरचना की व्यवहार्यता प्रदर्शित कर दी है और ये पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) सहित अभिनव माडल्स के जरिए वित्त पोषित हो रही हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत, परिवहन और शहरी अवसंरचना सेक्टरों में बहुत सी पीपीपी परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने की परिकल्पना की गई है। विभिन्न सेक्टरों में अनेकों प्रस्तावित परियोजनाओं को शुरू किए जाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एक भारतीय अवसंरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल), एक विशेष प्रयोजन वाला व्हीकल (एसपीवी), बनाई, जिससे अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त प्रदान किए जाने की उम्मीद है।

1.3.86 सतत् आर्थिक विकास हेतु एक सक्षम परिवहन प्रणाली का होना पूर्वापेक्षा है। यह विकास प्रक्रिया हेतु न केवल प्रमुख अवसंरचनात्मक आदान है, बल्कि यह राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय भूमिका भी निभाती है। इस उदारीकरण व्यवस्था में सक्षम परिवहन तंत्र उत्पादकता बढ़ाने और विश्व बाजार में अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मक

क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। परिवहन प्रणाली पिछड़े क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने तथा उनके लिए व्यापार और निवेश के द्वार खोलकर उन्हें अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा के साथ संघटित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत की परिवहन प्रणाली में कई अलग-अलग प्रणालियां और सेवाएं हैं। इनमें, रेल, सड़क, सड़क परिवहन, पत्तन, अन्तर्देशीय जल परिवहन, तटवर्ती नौ-परिवहन, हवाई अड्डे और एयरलाइन्स शामिल हैं। नियोजित विकास के प्रथम प्रयास वर्षों में सड़कों के फैलाव और क्षमता दोनों दृष्टिकोणों से इस सेक्टर का कई गुणा विस्तार हुआ है।

1.3.87 करीब 63,000 मार्ग किमी नेटवर्क वाली भारतीय रेल भारी माल-भाड़े और लम्बी दूरी के यात्रियों के ट्रैफिक हेतु परिवहन की प्रमुख प्रणाली है। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय रेल यात्री क्षमता की कमी और प्रौद्योगिकीय अप्रचलन, जो रेलवे प्रणाली के विकास में मुख्य बाधा रहा है, का सामना कर रही है। दसवीं योजना में रेल प्रणाली के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन के जरिए क्षमता विस्तार, टैरिफ को औचित्यपूर्ण बनाना ताकि सम्पूर्ण यातायात में रेल भाड़ा यातायात के शेर में सुधार लाया जा सके और रेल सेवाओं की सुरक्षा और विश्वसनीयता में सुधार लाया जा सके। भारतीय रेलवे में प्रभावी परिवर्तन हुआ है तथा इसने माल भाड़ा टैरिफ में पैसेंजर ट्रैफिक की पिछली वृद्धि दर के तिगुने से भी अधिक अर्थात् डबल डिजिट वृद्धि दर्ज की है। ऐसा मुख्यतः वैगन के टर्न-राउण्ड समय में उल्लेखनीय कमी के कारण तथा चुनिंदा मार्गों पर 4 से 8 मी.टन प्रति वैगन के अतिरिक्त भार के जरिए संभव हुआ है। फलस्वरूप, दुलाई की यूनिट लागत 58 पैसे प्रति मी.टन प्रति किमी. से घटकर 52 पैसे प्रति मी.टन प्रति किमी. रह गयी है।

1.3.88 भारत सरकार ने पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर पर समर्पित मालभाड़ा कॉरिडोर के निर्माण की अनुमति दे दी है तथा दोनों कॉरिडोरों के निर्माण के लिए एक विशेष प्रयोजन व्हीकल (एसपीवी) को मंजूरी दे दी है। इन कॉरिडोरों में 2700 किमी. लम्बी रेलवे लाइन का निर्माण शामिल है, और आशा है इनसे क्षमता बढ़ेगी जिससे अगले 5 वर्षों में अनुमानित

ट्रैफिक में होने वाली वृद्धि से निपटा जा सकेगा तथा सेवा की क्वालिटी को उन्नत करने के अतिरिक्त दुलाई की यूनिट लागत में कमी लाई जा सकेगी। अवसंरचना संबंधी समिति ने रेलवे के विकास हेतु अनेकों निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों में उच्च घनत्व वाले अन्य कॉरिडोरों की क्षमता बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार करना, सीओएनसीओआर से अन्य ऑपरेटरों की अनुमति देने के लिए कॉन्टेनर मूवमेंट में स्पर्धा की शुरुआत करना, दुलाई लागत सही करने के उद्देश्य से किराए को सूचीबद्ध करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करना तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य लेखांकन पद्धति के अनुरूप एक नई लेखांकन पद्धति निरूपित और शुरू करने हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करना शामिल है। अवसंरचना संबंधी समिति ने भी निर्णय लिया है कि रेलवे की वित्तीय व्यवहार्यता एवं प्रचालनगत अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए नई परियोजनाओं विशेषकर नई लाइन की परियोजनाओं को मंजूरी देते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

1.3.89 उभरती हुई अर्थव्यवस्था के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु एक अच्छा सड़क नेटवर्क मूलभूत अवसंरचना आदान है। यह पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों में व्यापार और निवेश के द्वार खोलने तथा राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, सड़कें इन्टर-मॉडल परिहवन विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और पत्तनों जैसे केन्द्रों को साथ जोड़ती हैं तथा ये इन केन्द्रों को घर-घर तक संयोजकता की व्यवस्था करके भीतरी प्रदेशों के साथ भी जोड़ती हैं। सड़कों के रख-रखाव में सुधार लाते हुए उन्हें सुन्दर बनाने, सवारी क्वालिटी और मौजूदा सड़क तंत्र की क्षमता में सुधार लाने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की चुनिंदा सड़कों को चरणबद्ध तरीके से चार लेन (एनएचडीपी चरण-III), दो लेन (एनएचडीपी चरण IV) , छह लेन (एनएचडीपी चरण V), में तब्दील करने और चुनिंदा उच्च घनत्व वाले कॉरिडोरों में एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण (एनएचडीपी चरण VI) करने, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में राजमार्गों का संवर्धन करने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, जिसमें गोल्डन चतुर्भुज परियोजना तथा उत्तर-दक्षिणी तथा पूर्वी-पश्चिमी कॉरिडोर शामिल हैं, को

पूरा करने पर बल देना ऐसे मुख्य कार्य क्षेत्र हैं, जिनपर दसवीं योजना में गतिशीलता बढ़ाने की दृष्टि से ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

1.3.90 65,000 किमी. से भी अधिक लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग देश के मुख्य परिवहन नेटवर्क के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक हैं। वार्षिक योजना 2006-07 में कमियों को दूर करने पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रहेगा। अतः अविद्यमान सड़कों के निर्माण, निम्न ग्रेड के सेक्शनों में सुधार, पुनर्वास और कमजोर पुलों का पुनर्निर्माण, बाइपास मार्गों तथा 4 लेन, 2 लेन वाली सड़कों का निर्माण तथा 2 लेन वाली कमजोर सड़कों को सुदृढ़ करने पर बल दिया जाएगा। इस बात पर भी बल दिया जाएगा कि मौजूदा राजमार्गों की राइडिंग क्वालिटी में सुधार लाया जाए। इस योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे दूरस्थ इलाकों की ओर अधिक ध्यान देना जारी रहेगा।

1.3.91 भारत में ग्रामीण संयोजकता ग्रामीण विकास का मुख्य घटक है। उन्नत ग्रामीण सड़क नेटवर्क के जरिए सुगम्यता संबंधी लक्ष्य को हासिल करना है। ग्रामीण संयोजकता को तेजी से बढ़ाने तथा ग्रामीण इलाकों में हर प्रकार की जलवायु के अनुकूल सड़कें मुहैया कराने के उद्देश्य से ग्रामीण सड़क कार्यक्रम, “प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना” (पीएमजीएसवाई) को अब पुनः चरणबद्ध किया गया है ताकि सन् 2009 तक 1000 + बस्तियों (500 + पहाड़ी अथवा जनजातीय क्षेत्रों के लिए) को सड़कों से जोड़ने संबंधी भारत निर्माण के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। वर्ष 2006-07 के दौरान 16,130 बस्तियों को सड़क से जोड़ने और 35,182 किमी. लम्बी नई सड़कें बनाने तथा 54,669 किमी. लम्बी ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करने का लक्ष्य है।

1.3.92 पत्तन क्षेत्र में देश के समुद्र तट के साथ-साथ 12 प्रमुख पत्तन लगभग 75 प्रतिशत पत्तन ट्रैफिक को संभालते हैं और शेष 25 प्रतिशत पत्तन ट्रैफिक को लघु/राज्य पत्तनों द्वारा संभाला जाता है। इस सेक्टर के लिए वार्षिक योजना 2006-07 दसवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों और श्रष्ट क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए निरूपित की गयी है,

जिसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करना, बड़े प्रवेशद्वार वाले पत्तनों का निर्माण करना तथा सक्षम रेल एवं सड़क सेवाओं तथा मैनिंग स्केल्स के यौवितकरण द्वारा इंटर मोडाल लिंकेज का प्रावधान करना शामिल है।

1.3.93 पत्तन क्षेत्रों की चल रही प्रमुख परियोजनाओं में से सेतुसमुद्रम शिप केवाल प्रोजेक्ट, जवाहर लाल नेहरू और पारादीप पत्तनों को गहरा करना तथा वल्लारपादम में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का प्रावधान शामिल है। वाडीनाड (कांडला पत्तन) में तेल उतारने (आयल जेटी) की सुविधाओं के कार्य को पूरा कर लिए जाने की आशा है, जबकि उम्मीद है कि जवाहर लाल नेहरू पत्तन पर तीसरा कॉन्टेनर टर्मिनल 2006-07 में पूरी तरह कार्य करना शुरू कर देगा। 94.58 मिलियन टन औसत क्षमता वाली 22 बर्थों का निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव है।

1.3.94 12 बड़े और 184 छोटे/ मध्यम पत्तनों से परिपूर्ण देश के 5560 किमी. लम्बे तट पर फैले जहाजरानी क्षेत्र का विशेष महत्व है। मात्रा की दृष्टि से भारत का 90 प्रतिशत से अधिक और मूल्य की दृष्टि से 68 प्रतिशत समुद्र पार व्यापार समुद्री (सी-बोर्न) है। पिछले कुछ वर्षों में देश के समुद्र पार व्यापार में भारतीय वाणिज्यिक जहाजों (फ्लैश शिप्स) का हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत रहा है। मार्च, 2005 के अनुसार भारतीय जहाजरानी का टन भर 8.29 मिलियन जीटी है। सार्वजनिक क्षेत्र भारतीय जहाजरानी निगम (एनसीआई) देश का सबसे बड़ा वाहन है, जिसमें 2.84 मिलियन जीटी वाले 84 पोत हैं, जो राष्ट्रीय टन - भार का 34 प्रतिशत है।

1.3.95 अन्तर्देशीय जल परिहवन (आईडब्ल्यूटी) ऊर्जा प्रभावी, पर्यावरण की दृष्टि से साफ एवं परिवहन की मितव्ययी प्रणाली यात्रियों और जहाज के माल को लाने ले जाने तथा इंटर मोडाल कनेक्टिविटी स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत जलमार्ग की दृष्टि से काफी समृद्ध है। इसमें नदियां और नहरें हैं। अनुमान है कि कुल 14,544 किमी. जलमार्गों का ही यात्रियों और माल को लाने ले जाने में उपयोग किया जा सका। तथापि, इस सेक्टर की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया है चूंकि अधिकांश

नौगम्य जलमार्ग शुष्क मौसम के दौरान उथले जल और चैनलों की कम चौड़ाई, नदियों की तलहटी में गाद भरना और तलों का भू-क्षरण, माल लादने और लंगर डालने के लिए टर्मिनल तथा समुद्री सड़क जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के पर्याप्त संख्या में न होना जैसे जोखिमों से सफर करते हैं। आईडब्ल्यूटी नीत में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए दसवीं योजना और अनुवर्ती वार्षिक योजनाओं में कई प्रकार के प्रोत्साहन दिए गए हैं। निजी क्षेत्र संयुक्त उद्यमों और बीओटी परियोजनाओं के जरिए अन्तर्देशीय जल गतिविधियों की सम्पूर्ण रैंजों में शामिल होगा।

1.3.96 नागर विमानन क्षेत्र के ट्रैफिक में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। 2004-05 में विमानपत्तनों पर कुल 59.28 मिलियन यात्रियों का ट्रैफिक था जो 2005-06 में बढ़कर 73.35 मिलियन यात्री हो गया। इस प्रकार, इस अवधि के दौरान 23.73 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। दिल्ली और मुंबई विमानपत्तनों के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। बंगलौर और हैदराबाद में निजी क्षेत्र की सहभागिता से दो ग्रीन फील्ड विमानपत्तन शुरू किए गए हैं। इन विमानपत्तनों पर कार्य प्रगति पर है। आशा है ये दोनों परियोजनाएं अप्रैल, 2008 तक पूरी की जाएंगी। पैंतीस नॉन मैट्रो विमानपत्तनों को आधुनिक विमानपत्तनों के रूप में विकसित करने के लिए अभिसात किया गया है। इन विमानपत्तनों के लिए एयरपोर्ट साइड का विकास करने का कार्य एएआई द्वारा शुरू किया जाएगा और शहर साइड का विकास संयुक्त उद्यम कम्पनियों/ गैर सरकारी संघों द्वारा सरकारी व गैर सरकारी साझेदारियों (पीपीपी) के तहत किया जाएगा। मुख्यतः एयरपोर्ट साइड पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए 19 विमानपत्तनों पर कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। नॉन मैट्रो विमानपत्तनों पर शहर की साइड विकास करने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने हेतु एएआई ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है।

1.3.97 दूरसंचार एक ऐसा क्षेत्र है जिसने हाल के वर्षों में अभूतपूर्व अभिनव परिवर्तन देखे हैं। यह अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक गति से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, जिसमें विकास की

अपार संभावनाएं हैं। अप्रैल, 2006 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार तंत्र में सेलूलर कनेक्शनों सहित करीब 1161.97 लाख लाइनें हैं। प्रति 100 व्यक्तियों पर 13.06 दूरसंचार घनत्व, विकास की वर्तमान प्रवृत्ति और सरकारी और गैर- सरकारी दोनों क्षेत्रों के ऑपरेटरों द्वारा तैयार किये गए नेटवर्क का विस्तार योजनाओं को ध्यान में रखते हुए 2007 तक प्रति 100 व्यक्तियों पर 22 दूरसंचार घनत्व के स्तर को हासिल कर लिए जाने की उम्मीद है।

1.3.98 शहरी दूरसंचार घनत्व 24 की तुलना में मौजूदा ग्रामीण दूरसंचार घनत्व 1.66 है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। दूरसंचार घनत्व में प्रभावकारी वृद्धि शहरी इलाकों में अत्यधिक हुई है। ग्रामीण संयोजकता में सुधार लाना सरकार की उच्च प्राथमिकता रही है। शेष असंयोजित गांवों में टेलीफोन मुहैया कराना भारत निर्माण कार्यक्रम का एक अवयव है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) की सहायता से नवम्बर, 2007 तक कवर न किए जा सकें शेष सभी 66,822 गांवों में ग्राम के सार्वजनिक दूरभाषा (वीपीटी) मुहैया कराने की दृष्टि से कार्य दिया गया है। 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार, 24,687 वीपीटी मुहैया कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विश्वसनीय संयोजकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करीब 1,50,000 मल्टी एक्सीस रेडियो रिले (एमएआरआर) वीपीटीज को लैंडलाइन के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

### विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1.3.99 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अभिनव परिवर्तनों की महत्ता को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया है, चूंकि इनका उद्देश्य लोगों का आर्थिक विकास और उनके जीवन स्तर को बढ़ाना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए अनुप्रयोग उन्मुखी अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यकलापों को सुदृढ़ करने, विज्ञान को अपना कैरियर बनाने के लिए सर्वाधिक होनहार विद्यार्थियों को विशेष रूप से आकृष्ट करके मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संकटों की भविष्यवाणी करने, उनसे बचाने और उनको कम करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

के अनुसंधान एवं अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करने, राष्ट्रीय गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को विकास से जोड़ने तथा उन्हें मानवजाति की जीविका सुधारने के कार्यों में लगाने का प्रयास किया जाता है।

1.3.100 परमाणविक अनुसंधान क्षेत्र में 2006-07 में शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रमों में अपशिष्ट टैंक फार्म और पॉवर रिएक्टर थोरियम रिप्रोसेसिंग सुविधा के लिए चिमनी, प्राकृतिक यूरेनियम से समस्थानिक सफाई मथित्र (सेपरेटर) का प्रदर्शन, अत्याधुनिक रिएक्टर डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास, दाबानुकूलित हैवी वाटर रिएक्टर ईंधन सामग्री का विकास, बैंक एंड फ्यूल साइकल डवलपमेंट, और भाभा अॅटामिक रिसर्च सेंटर (बीएआरसी) में एक नई उच्च दबाव वाली प्रयोगशाला की स्थापना करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, भाभा अॅटामिक रिसर्च सेंटर पर एएचडब्ल्यूआर हेतु महत्वपूर्ण सुविधाएं शुरू करने तथा पेंटियम एक्सिऑन प्रोसेसर का उपयोग करके 1024 निस्पन्द समान्तर टेशफ्लाप से अधिक गति वाला सुपर कम्प्यूटर विकसित करने से संबंधित कार्यकलाप भी शुरू करेगा। बीएआरसी द्वारा शुरू किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य उच्च निष्पादन वाले रोटर का विकास और यूरेनियम सम्पन्नता हेतु आवश्यक अवसंरचना विकसित करना है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (आईजीसीएआर) सोडियम के अनुप्रयोग हेतु विभिन्न संवेदकों के विकास और परीक्षण, सामग्रियों के विकास हेतु विभिन्न उपस्करों की प्रतिस्थापना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए परीक्षण, ईंधन रख - रखाव मशीन परीक्षण सुविधा की प्रतिस्थापना, पम्प कोटरी से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परीक्षण, ताप विनियामक इष्टतमीकरण हेतु परीक्षण, आकुंचन और भूकम्पीय परीक्षण और उच्च तापमान अभिकल्प परीक्षण, आदि कार्यों में संलग्न रहेगा। ईंधन विकास और निरीक्षण तकनीक संबंधी परियोजना के एक भाग के रूप में अत्याधुनिक पुनः संसाधन करने वाली तकनीकों और द्रुव न्यूट्रान रिएक्टर ईंधन के पुनः संसाधन हेतु आदि प्ररूप उपस्कर, रिएक्टर और पुनः संसाधन करने वाले संयंत्र उपस्कर हेतु आदि प्ररूप दूरस्थ निरीक्षण प्रतिरूपकों (माड्यूलस) का विकास, सूक्ष्म संरचना और विरूपण का अभिसंधान, तथा बोरॉन समुद्धता के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को

पूरा करने तथा समृद्ध बोरिक ऐसिड से तात्त्विक बोरॉन का उत्पादन किया जाएगा।

1.3.101 जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की पहचान नए विचारों के प्रवाह में गत्यात्मक परिवर्तन, अनुसंधान हेतु संकल्पनाओं और नए साधनों के विकास से की जाती है। जरूरी है कि वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन पर्याप्त मात्रा एवं गुणवत्ता में उपलब्ध कराए जाएं। वर्ष 2006-07 के दौरान पी.एच.डी. की संख्या में वृद्धि पोस्ट डॉक्टर फ़ैलोशिप, जिसमें बाहरी फ़ैलोशिप, स्टाफ कॉलेजों में एकीकृत जीवन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अधिस्नातक कार्यक्रम, अधिस्नातकों के लिए फ़ैलोशिप, आई.पी.आर. के लिए तकनीकी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण आदि तथा अध्यापक प्रशिक्षण और तकनीशियनों के प्रशिक्षण हेतु क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। नई पहलों में एम.बी.बी.एस., एम.डी. तथा पी.एच.डी. कार्यक्रमों तथा क्लिनिकल अनुसंधान में मास्टर्स स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जो जैव-प्रौद्योगिकी उत्पाद मूल्यांकन में महत्वपूर्ण होगी।

1.3.102 वार्षिक योजना 2006-07 में अंतरिक्ष विभाग द्वारा शुरू किए जा रहे बड़े कार्यक्रमों में शामिल हैं - कार्टोसैट-2, एस.आर.आई-1 सैटलाइट्स ऑन बोर्ड पीएसएलवी लांच करना एवं उसका प्रचालन इनसैट-4बी जीसैट-4 सैटलाइट्स छोड़ना। फ्लाइट वर्सन इनडिजिनस क्रायो-स्टेज और इसकी हाई टैस्टिंग शुरू की जाएगी। कार्टोसैट-2 जो एक उन्नत उच्च समाधान कार्टोग्राफी सैटलाइट है, जो 1 मीटर रैजोल्यूशन से अधिक सथान विशिष्ट की इमेजिज के तीन लेन वाला सैटलाइट है वह स्टेट ऑफ आर्ट एंगल स्पेस प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकी अपनाएगा। स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट (एस.आर.ई-1) का विकास किया जाएगा, संबंधित नाजुक प्रौद्योगिकियों को भविष्य में रियूजेबल लांच व्हीकल्स के लिए प्रदर्शित किया जाएगा तथा माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट संचालित किए जाएंगे। वर्तमान इनसैट-4बी विकसित किया जा रहा है, जो 24 ट्रांसपॉन्डर्स के लिए इनसैट क्षमता को बढ़ाएगा। लांच व्हीकल क्षेत्र में देशीय क्रायो स्टेज सिस्टम फ्लाइट वर्सन, जो

जी.एम.एस.वी. डी-3 की फ्लाइट को रियलाइज किया जाएगा। चन्द्रायन और एस्ट्रोस्टेट मिशन के लिए इन भौतिक उपस्करों की जांच एवं विकास डीप स्पेस नेटवर्क की कमीशनिंग के साथ-साथ चन्द्रायन-1 के लिए कर ली जाएगी। एडुसैट नेटवर्क से संबंधित गतिविधियां टेली मेडिसिन और ग्राम संसाधन केंद्र में वृद्धि की जाएगी। राष्ट्रीय पेय जल मिशन के लिए भूजल परियोजना नक्शों हेतु कार्रवाई तीसरे चरण में होगी और इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समन्वय किया जाएगा।

### पर्यावरण और वन

1.3.103 पर्यावरणात्मक संरक्षण आर्थिक विकास के साथ-साथ चलना चाहिए क्योंकि ऐसा कोई भी आर्थिक विकास जो पर्यावरण का नाश करता है और अधिक गरीबी, बेरोजगारी और रोगों को जन्म देगा और इसलिए उसे यहां तक कि आर्थिक विकास का नाम भी नहीं दिया जा सकता। दसवीं योजना ने यह स्वीकार किया था कि पर्यावरणात्मक संधारणीयता कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता है। एक स्वस्थ वातावरण के लिए शुद्ध वायु, शुद्ध जल, वनों और वन्य प्राणियों का संरक्षण तथा हरियाली की उत्पत्ति अनिवार्य शर्तें हैं। भूमि के अपकर्ष की रोकथाम, बाढ़ों और सूखों का नियंत्रण, मरुस्थलीकरण की रोकथाम, दुर्बल पारिस्थिकी प्रणाली का संरक्षण, वन कटाई का निवारण, जैव विविधता का संरक्षण तथा जल और वायु प्रदूषण का उपशमन — ये सब इस क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियां हैं।

1.3.104 दसवीं योजना ने स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण की संधारणीयता के साथ-साथ संतुलित और संधारणीय आर्थिक उन्नति की जरूरत पर बल देते हुए 2007 तक प्रमुख प्रदूषित नदियों तथा 2012 तक अन्य अधिसूचित खंडों की सफाई पर बल दिया है। अधिकांश नदियों में जल की गुणवत्ता में समुचित सुधार हुआ है। जैववैज्ञानिक आक्सीजन मांग (बीओडी), जो कि पानी में मलजल की उपस्थिति का एक आधारभूत माप होता है, वह गंगा के किनारे अधिकांश बड़े शहरों में निर्धारित सीमाओं के भीतर है। तथापि, दिल्ली में यमुना के पानी की गुणवत्ता निर्धारित स्तर से कम है और इस बात को देखते हुए कि नदी के साथ-साथ दिल्ली में

और नदी के किनारे अन्य शहरों में जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है, इस समस्या की ओर ध्यान देने के लिए काफी अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत है।

1.3.105 वायु और जल स्तर मॉनीटरिंग कार्यक्रम मुख्यतः सीमित संसाधनों के चलते गिने-चुने कस्बों और शहरों तक सीमित हैं। परिणामों से वायु में निर्धारित स्तर से अधिक संस्पेंडेड पार्टिकुलेट पदार्थ के उच्चतर स्तर का पता चलता है, जिसका कारण अधिकांशतः तापीय विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक निस्सरणों से निकाली फ्लाई ऐश द्वारा संवर्धित प्राकृतिक धूल है। प्रमुख महानगर क्षेत्रों में सल्फर डाइआक्साइड का स्तर सीमा के भीतर ठहर गया है, जबकि नाइट्रोजन डाइआक्साइड का स्तर सीमाओं के भीतर है। गरानों, प्रवाल-भित्तियों, जैव विविधता आदि के संरक्षण की दिशा में प्रयासों में तेजी लाए जाने की जरूरत है। झीलों और नमीदार भूमि के विकास के लिए भी और अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत है।

1.3.106 देश के वन संसाधन आगे बताए गए कारणों से अत्यधिक दबाव की स्थिति में बने हुए हैं: गहन झूमखेती, लकड़ी के अंधाधुंध और अत्यधिक दोहन, ईंधन की लकड़ी, चारे तथा अन्य वन उत्पादों, वन दावानलों और अनधिकार प्रवेश, जिसके कारण वन कटाई और वन अपकर्ष हो रहा है। वानिकी विकास में प्रमुख चिंताओं और बाधाओं में ये शामिल हैं: वनों की बहुविध भूमिकाओं और लाभों, विशेष रूप से सूखे से रक्षा करने और मृदा तथा पानी के बहाव की रोकथाम में उनकी भूमिका से संबंधित जानकारी का अभाव, प्रबंध और लोगों की आजीविका सुरक्षा के बीच कोई तालमेल न होना, अपर्याप्त अनुसंधान और विस्तार, फसल कटाई और प्रसंस्करण में अपव्यय, बाजार के दोष, सरकार की सहभागिता और नियंत्रण पर अत्यधिक बल देना, लोगों की सहभागिता तथा एनजीओ के सहयोजन का न्यून स्तर, निजी क्षेत्र की सहभागिता का अभाव, वन उत्पाद की दुलाई और विपणन तथा वन प्रशासन की परस्पर विरोधी भूमिकाएं।

1.3.107 जन सहभागिता सहित वानिकी के समग्र विकास की दिशा में बाधाओं का उन्मूलन करने की दृष्टि से मौजूदा नीति, नियमों और विनियमों की समीक्षा किए जाने की जरूरत है। महिलाएं विशेष रूप से आदिवासी समुदायों की महिलाएं अपने जीवित रहने की अनेक जरूरतों को पूरा करने और साथ ही आय कमाने के लिए वनों पर निर्भर रहती हैं। महिलाओं के परंपरागत भोगाधिकार की रक्षा करना और महिला समूहों को गैर-काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह और विपणन करने में समर्थ बनाना केवल यही नहीं कि महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने के लिए बल्कि साथ ही वनों के नवीकरण के लिए भी एक व्यवहार्य तथा लागत प्रभावी कार्यनीति सिद्ध हुई है। प्रबंधकों, खाद्य संग्रहकर्ताओं, मजदूरी कमाने वालों और उत्पादनकर्ताओं के रूप में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करना और मानना महत्वपूर्ण है। वानिकी विकास नीतियों के बारे में इसी एहसास के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

1.3.108 राष्ट्रीय वन नीति में यह निर्धारित किया गया है कि देश का एक तिहाई भौगोलिक क्षेत्र वन/वृक्ष कवर के अधीन लाया जाना चाहिए। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस अनिवार्यता पर जोर दिया गया है और वानिकी क्षेत्रक के भावी विकास के लिए एक कार्ययोजना तैयार की गई है जिसमें ये शामिल हैं: 2007 तक वन और वृक्ष कवर को 25 प्रतिशत तक तथा 2012 तक 33 प्रतिशत तक बढ़ाना जबकि 2001 में बेसलाइन कवर 23.03 प्रतिशत था; संयुक्त वानिकी प्रबंध (जेएफएम) का सर्वसुलभीकरण जिससे कि वनों के भीतर अथवा उनकी सीमाओं पर स्थित सभी 1.70 लाख गांव को कवर किया जा सके जिससे कि आजीविका सुरक्षा और रोजगार सृजन मुहैया कराया जा सके; कृषि वानिकी, संरक्षण और औषधीय पौधों के विकास को प्राथमिकता देना तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए शेल्टर बागान को बढ़ावा देना।

## अध्याय-2

### वित्तीय संसाधन तथा सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

#### 2.1 वित्तीय संसाधन

##### वार्षिक योजना 2005-06 के वित्त पोषण की समीक्षा और 2006-07 के अनुमान

2.1.1 2005-06 के लिए केन्द्र का कुल खर्च बजट प्रावधान रुपये 514344 करोड़ था। अस्थायी वास्तविक खर्च के आंकड़े लगभग 503908 करोड़ थे। गिरावट का मुख्य कारण था गैर योजनागत खर्च में कमी। संसाधनों के मामले में गैर-ऋण प्राप्ति बजट अनुमान से 5640 करोड़ कम रही। राजकोषीय घाटा भी बजट अनुमान से कम रहा

जिसका कारण गैर ऋण संसाधनों पर बजट व्यय में कमी थी। जी.डी.पी. अनुपात के प्रति राजकोषीय घाटा 2005-06 के बजट अनुमानों के 4.3% की तुलना में 4.1% ही रहा।

2006-07 के लिए केन्द्र का कुल बजटीय खर्च रुपये 563991 करोड़ अनुमानित किया गया जिसमें सकल बजटीय सहायता (जी.बी.एस.), योजनागत खर्च के लिए 172728 करोड़ रखी गई और गैर योजनागत खर्च के लिए यह रुपये 391263 करोड़ रखी गई। इसे गैर ऋण प्राप्तियों की राशि

#### तालिका 2.1.1

##### संघ सरकार के 2005-06 के लेखों और 2006-07 के लिए अनुमानों का सारांश

(आंकड़े करोड़ रुपये और प्रतिशत में)

क्र. सं.	मद	बजट अनुमान* 2005-06	संशोधित अनुमान* 2005-06	अनंतिम @ 2005-06	कमी (-) बढ़ोतरी (+) Prov.-BE अनंतिम- ब.अ.	बजट अनुमान* 2006-07	वर्ष 2005-06 के अनंतिम से 2006-07 में ब.अ. की वृद्धि
	<b>प्राप्तियां</b>						
1	राजस्व प्राप्तियां (शुद्ध)	351200	348474	343883	-7317	403465	17.3
1क	कर राजस्व (केन्द्र के लिए शुद्ध)	273466	274139	269992	-3474	327205	21.2
1ख	करेतर राजस्व	77734	74335	73891	-3843	76260	3.2
2	ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां	12000	14056	13677	1677	11840	-13.4
3	<b>केन्द्र की कुल शुद्ध ऋणेतर प्राप्तियां (1+2)</b>	<b>363200</b>	<b>362530</b>	<b>357560</b>	<b>-5640</b>	<b>415305</b>	<b>16.1</b>
	<b>व्यय</b>						
4	योजनेतर व्यय	370847	364914	363770	-7077	391263	7.6
5	योजनागत व्यय के लिए जीबीएस	143497	143791	140138	-3359	172728	23.3
6	<b>कुल व्यय (4+5)</b>	<b>514344</b>	<b>508705</b>	<b>503908</b>	<b>-10436</b>	<b>563991</b>	<b>11.9</b>
	<b>राजकोषीय घाटा</b>						
7	<b>राजकोषीय घाटा(6-3)</b>	<b>151144</b>	<b>146175</b>	<b>146348</b>	<b>-4796</b>	<b>148686</b>	
7ख	राजकोषीय घाटा/जीडीपी%	4.3	4.1	4.1	-	3.8	

स्रोत: \* संघ का बजट 2006-07, @ संघ सरकार के अनंतिम लेखे 2005-06

415305 करोड़ रुपये के माध्यम से वित्तपोषित किया जाना है और शेष उधार लेकर (वित्तीय घाटा) यह मानते हुए कि सरकार योजना का वित्त पोषण पूरी तरह उधार लेकर नहीं कर रही है। वर्ष 2006-07 की योजना के लिए सकल बजटीय सहायता से राजकोषीय बजट कम दिखाया गया है। वस्तुतः 2004-05 जिसके लिए वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं। उस वर्ष योजना के लिए सकल बजटीय सहायता से सकल राजकोषीय घाटा कम रहा है। 2005-06 के लिए अस्थायी अनुमान संकेत देते हैं कि इस उपलब्धि के 2005-06 में दोहराए जाने की संभावना नहीं है। सही स्थिति वास्तविक आंकड़ों के उपलब्ध होने के बाद ही जानी जा सकेगी।

### 2005-06 के लिए संसाधन और 2006-07 के लिए अनुमान

2.1.2 केन्द्र के गैर ऋण संसाधनों में कर-राजस्व, गैर कर-राजस्व और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं। यह सब मिलकर इसके खर्च का वित्त पोषण करती है, अधिक खर्च उधार लेकर पूरा किया जाता है।

### कर-राजस्व (टी.आर.)

2.1.3 2005-06 के लिए सकल कर राजस्व का अस्थायी अनुमान 365874 करोड़ रुपये बजटीय अनुमानों से रुपये 4151 करोड़ कम है। सीमा शुल्क और सेवा कर के अलावा प्रमुख बड़े करों की प्राप्तियां 2005-06 के दौरान बजटीय अनुमानों से कम रही। फिर भी 2001-02 से (2005-06 सहित) कर संबंधी समग्र निष्पादन उत्साहवर्धक रहा है। जी.डी.पी. अनुपात के प्रति सकल कर 2001-02 में जो 8.2% था उसमें थोड़ा सुधार होकर यह 2005-06 में 10.4% हो गया। हाल ही के कुछ वर्षों में टैक्स प्राप्ति में बढ़ोतरी मुख्यतः सीधे (डायरेक्ट) करों से और विशेष रूप से निगम कर के कारण हुई है। इस रूख के वर्ष 2006-07 में भी बने रहने की आशा है। विस्तृत ब्यौरे तालिका 2.1.2 में दिए गए हैं।

2006-07 के लिए सकल कर प्राप्तियों के अनुमान में लगभग 21% की वृद्धि के बाद रुपये 442153 करोड़ लगाया गया है और बेहतर प्रशासन के माध्यम से जी.डी.पी. के 11.2% तक पहुंच सकता है। प्रत्यक्ष करों में, निगम कर काफी सुदृढ़ रहे हैं। 2006-07 में भी इनकी मजबूती के बने

तालिका 2.1.2  
केन्द्र के सकल कर राजस्व का विभाजन

(आंकड़े करोड़ रुपये और प्रतिशत में)

क्र. सं.	कर	बजट अनुमान 2005-06	संशोधित अनुमान 2005-06	अनंतिम 2005-06	अनंतिम-सं. अ. 2005-06	सं. अ. 2006-07	अनंतिम 2005-06 के ऊपर वृद्धि
1	निगमित कर	110573	103573	99433	-11140	133010	33.8
2	वैयक्तिक आयकर	66239	66239	60440	-5799	77409	28.1
4	सीमा शुल्क	53182	64215	65070	11888	77066	18.4
5	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	121533	112000	111225	-10308	119000	7.0
6	सेवा कर	17500	23000	23055	5555	34500	49.6
7	अन्य	998	1114	6651	5653	1168	-
8	सकल कर राजस्व	370025	370141	365874	-4151	442153	20.8
9	राज्यों का हिस्सा	94959	94402	94385	-574	113448	20.2
10	एनसीसीएफ	1600	1600	1497	-103	1500	0.2
11	शुद्ध कर राजस्व (8-9-10)	273466	274139	269992	-3474	327205	21.2

रहने की पूरी उम्मीद है, अप्रत्यक्ष करों में, सेवा कर राजस्व स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण रूप से उभरा है, जिसकी मामूली शुरुआत 1994-95 में हुई थी। उम्मीद की जाती है कि यह 2006-07 में 49% से भी अधिक बढ़ जाएगा, इसके आधार को और अधिक बड़ा बनाने और प्रक्रियात्मक पहलों से स्वतः अनुपालन में सहायता मिली है। सेवा कर जी.डी.पी. में इसके उच्च अंश के अनुरूप राजस्व का तरणक्षम स्रोत बन जाएगा।

### गैर-कर राजस्व (एन.टी.आर.)

2.1.4 गैर-कर राजस्व में केन्द्र सरकार द्वारा ली जाने वाली ऋण ब्याज की प्राप्तियां, डिवीडन्ड तथा सार्वजनिक उद्यमों से लाभ, आर.बी.आई. से अंतरण, बाहरी अनुदान और सरकारी सेवाओं से प्राप्तियां शामिल हैं। तालिका 2.1.3 दर्शाती है कि 2005-06 के दौरान ब्याज प्राप्तियों में बजट अनुमानों की तुलना में रुपये 4936 करोड़ की कमी रही। वर्ष 2006-07 के बजट अनुमानों से ब्याज प्राप्तियों के और घटने का अनुमान है, जिसका कारण है 12वाँ वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) जिसके तहत 31.3.2004 तक राज्यों द्वारा किए गए केन्द्रीय ऋण कन्ट्रैक्ट और 31.3.2005 तक बकाया को 7.5% ब्याज दर पर अगले बीस वर्षों के लिए एक नए ऋण के रूप में पुनः अनुसूचित करने की जरूरत है, बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार राजकोषीय जिम्मेदारी

विधान को लागू करे।

2.1.5 ब्याज प्राप्तियों के हिस्से में गिरावट की तुलना में 2001 से डिवीडन्ड और लाभ का हिस्सा बराबर बढ़ रहा है। 2005-06 के दौरान भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, बैंकों और आर.बी.आई. अंतरणों से दिए जाने वाले डिवीडन्ड के भुगतान में वृद्धि हुई है, जो बजट अनुमानों से 1951 करोड़ रुपये अधिक रहा है। अन्य गैर कर राजस्व (मुख्य रूप से आर्थिक सेवाओं से लिया जाने वाला) बजट अनुमानों से 873 करोड़ रुपये कम रहा। परिणामस्वरूप 2005-06 के दौरान गैर-कर राजस्व बजटीय अनुमानों से 3843 करोड़ कम रहा।

### गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां (एन.डी.सी.आर.)

2.1.6 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत मुख्य रूप से राज्य सरकारों से ऋण की वसूली और विनिवेश लाभ आता है। तालिका 2.1.4 दर्शाती है कि 2005-06 के दौरान गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां बजट अनुमानों से 1677 करोड़ रुपये अधिक रहीं। इस वृद्धि का मुख्य कारण था 1580 करोड़ रुपए के विनिवेश प्राप्ति से वसूली। विनिवेश का प्राप्तियों की 2006-07 में रुपये 1840 करोड़ होने का अनुमान ऋण वसूली के 8000 करोड़ रुपए तक गिरने का अनुमान लगाया गया है। जबकि इसका कारण है - टी.एफ.सी. एवार्ड के तहत ऋण को समेकित करना।

तालिका 2.1.3  
करेतर राजस्व के अनुमान

(आंकड़े करोड़ रुपये और प्रतिशत में)

क्र. सं.	मद	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अंतिम	अंतिम - ब.अ.	बजट अनुमान	2005-06(अ.) की तुलना में वृद्धि(+)/ कमी(-)
		2005-06	2005-06	2005-06	2005-06	2006-07	
1	ब्याज प्राप्तियां	25500	21245	20564	-4936	19263	-1301
2	लाभांश और लाभ	23500	25481	25451	1951	27500	2049
3	यूटी का एनटीआर	729	753	744	15	810	66
4	अन्य करेतर राजस्व	28005	26856	27132	-873	28687	1555
5	कुल एनटीआर.	77734	74335	73891	-3843	76260	2369

तालिका 2.1.4  
ऋणेततर पूंजीगत प्राप्तिरों का अनुमान

(आंकड़े करोड़ रूपये और प्रतिशत में)

क्र. सं.	मद	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अनंतिम	अनंतिम - ब.अ.	बजट अनुमान	2005-06(अ.) की तुलना में वृद्धि(+)/ कमी(-)
		2005-06	2005-06	2005-06	2005-06	2006-07	
1	ऋणों की वसूली	12000	11700	12097	97	8000	-4097
2	विनिवेश		2356	1580	1580	3840	2260
3	कुल - ऋणेततर पूंजीगत प्राप्तिरं	12000	14056	13677	1677	11840	-1837
	कुल व्यय के % के रूप में एनडीसीआर	2.3	2.8	2.7	-	2.1	-

### बाहरी सहायता

2.1.7 बाहरी सहायता में अनुदान और ऋण शामिल हैं, जो बाहरी दाताओं से केंद्रीय बजट के माध्यम से प्राप्त होती हैं। बाहरी अनुदान “गैर-कर प्राप्तिरों” का एक छोटा हिस्सा होता है। बाहरी ऋण सरकार के उधारों का एक घटक होता है। सकल बाहरी सहायता यानि (ऋण और अनुदान) सकल बजटीय सहायता के 13-14% भाग रहा है जो केंद्र द्वारा प्लान के लिए दिया जाता है। (केंद्रीय प्लान और राज्यों/

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता) जी.डी.पी. के संबंध में, 1990 के दशक के आरंभ में जो बाहरी सहायता दी जाती थी, वह 1.5% होती थी, गिर कर 0.5% तक हो गई। सहायता का शुद्ध प्रवाह पिछले ऋणों के पुनः भुगतान की जिम्मेदारी के कारण और भी काफी कम है। तालिका 2.1.5 में वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के लिए अनुमानित बाहरी सहायता के ब्यौरे देखे जा सकते हैं। 2005-06 के दौरान बाहरी सहायता निबल अंतः प्रवाह रूपये 10526

तालिका 2.1.5  
विदेशी ऋण और अनुदान तथा शुद्ध विदेशी सहायता

(आंकड़े करोड़ रूपये और प्रतिशत में)

क्र. सं.	मद	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अनंतिम	अनंतिम - ब.अ.	बजट अनुमान	2005-06(अ.) की तुलना में वृद्धि(+)/ कमी(-)
		2005-06	2005-06	2005-06	2005-06	2006-07	
1	ऋण	17184	14540	14503	-2681	16065	1562
2	अनुदान	3218	3019	3021	-197	2616	-405
3	सकल विदेशी सहायता	20402	17559	17524	-2878	18681	1157
4	वापसी अदायगी (मूलधन)	7529	7026	6998	-531	7741	743
5	शुद्ध विदेशी सहायता*	12873	10533	10526	-2347	10940	414
6	जीबीएस के % के रूप में सकल विदेशी सहायता	14.2	12.2	12.5	-	10.8	-

\* शुद्ध विदेशी सहायता में विदेशी ऋणों पर ब्याज का भुगतान नहीं जोड़ा जाता है।

करोड़ रुपए था, जिसमें ऋण के 14503 करोड़ रुपए, अनुदान के 3021 करोड़ और पुनर्भुगतान (मूल धन) शुद्ध अन्तः प्रवाह बजट अनुमानों से 2347 करोड़ शामिल थे।

2006-07 के लिए बाहरी सहायता का सकल अंतर्प्रवाह का अनुमान 18681 करोड़ लगाया गया है, जिसमें ऋण के 16065 करोड़ और अनुदान के 2616 करोड़ शामिल हैं। प्रवाह के अंतर वर्ष 2005-06 के अस्थायी अनुमानों की तुलना में वर्ष 2006-में बाहरी सहायता के शुद्ध अंतः प्रवाह में 414 करोड़ की वृद्धि अनुमानित की गई है। कुल मिला कर केंद्र के संसाधनों की स्थिति दर्शाती है कि 2006-07 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 17.3% की वृद्धि की प्रत्याशा है। जबकि 2005-06 के अस्थायी अनुमानों के मुकाबले गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में 13.4% की कमी रहने की संभावना है।

## बजटीय व्यय

2.1.8 तालिका 6 में कुल व्यय के ब्यौरे दर्शाए गए हैं। 2005-06 दौरान केंद्र का कुल व्यय 503908 करोड़ रुपये था, जो बजट अनुमानों से 10436 करोड़ कम रहा है। इस कमी का मुख्य कारण था - गैर-योजना व्यय में कटौती। योजना व्यय भी 2005-06 के बजट अनुमानों से 3559 करोड़ कम था। कुल खर्च में प्लान खर्च 27.8% था, जब कि केंद्रीय प्लान में बजट सहायता, बजट अनुमानों से 6237 करोड़ रुपये कम थी। 2005-06 के बजट अनुमानों के मुकाबले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजना को केंद्रीय सहायता 2878 करोड़ रुपए अधिक रही।

## गैर-योजना व्यय

2.1.9 2005-06 के लिए केंद्र के गैर-योजना व्यय के ब्यौरे तथा 2006-07 के लिए बजट अनुमान तालिका 1.2.7 में दिए गए हैं। नॉन-प्लान राजस्व व्यय के भीतर सरकार के ब्याज व्यय में कुछ वर्षों से गिरावट का रूख रहा है, क्योंकि

तालिका 2.1.6

वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए केन्द्रीय सरकार का व्यय तथा बजट अनुमान 2006-07

(आंकड़े करोड़ रुपये और प्रतिशत में)

क्र. सं.	मद	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अनंतिम	अनंतिम - ब.अ.	बजट अनुमान	2005-06(अ.) की तुलना में वृद्धि(+)/ कमी(-)
		2005-06	2005-06	2005-06	2005-06	2006-07	
1	योजनेतर व्यय	370847	364914	363770	-7077	391263	27493
2	योजनागत व्यय	143497	143791	140138	-3359	172728	32590
	केन्द्र के कुल व्यय में योजनागत व्यय का % हिस्सा	27.9	28.3	27.8	-	30.6	-
	केन्द्रीय योजना के लिए बजट सहायता	110385	107253	104148	-6237	131285	27137
	योजनागत व्यय में % हिस्सा	76.9	74.6	74.3		76.0	
	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र योजना के लिए केन्द्रीय सहायता	33112	36538	35990	2878	41443	5453
	योजनागत व्यय में % हिस्सा	23.1	25.4	25.7	-	24.0	-
3	कुल व्यय	514344	508705	503908	-10436	563991	60083

तालिका 2.1.7  
योजनेतर व्यय

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	मद	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अनंतिम	अनंतिम - ब.अ.	बजट अनुमान	2005-06(अ.) की तुलना में वृद्धि(+)/ कमी(-)
		2005-06	2005-06	2005-06	2005-06	2006-07	
I	योजनेतर राजस्व व्यय	<b>330530</b>	<b>326142</b>	<b>326635</b>	<b>-3895</b>	<b>344430</b>	<b>17795</b>
1	ब्याज अदायगियां	133945	130032	131757	-2188	139823	8066
2	रक्षा	48625	48625	48297	-328	51542	3245
3	सब्सिडियां	47432	46874	44220	-3212	46213	1993
4	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	33953	30390	31814	-2139	35361	3547
5	पेंशन	19542	20232	20289	747	21312	1023
II	योजनेतर पूंजीगत व्यय	<b>40317</b>	<b>38772</b>	<b>37135</b>	<b>-3182</b>	<b>46833</b>	<b>9698</b>
a	रक्षा बचतों के संदर्भ में प्रतिशतताओं	34375	33075	32319	-2056	37458	5139
III	कुल योजनेतर व्यय	370847	364914	363770	-7077	391263	27493

सरकार द्वारा उधार पर ब्याज दर कम ही रही है। 2005-06 के दौरान ब्याज का भुगतान (अस्थायी प्रावधानों के अनुसार) पूरक बजट अनुमानों से 2188 करोड़ रुपये कम रहा हैं। राज्यों को दिए गए अनुदान 2139 करोड़ रुपये कम रहे हैं। सब्सिडी के रूप में दी गई राशि भी बजट अनुमानों की तुलना में 3212 करोड़ रुपये कम रही है। फिर भी पेंशन संबंधी खर्च बजट अनुमानों से 747 करोड़ अधिक हो गया।

2006-07 के लिए गैर-योजना खर्च का अनुमान 391263 करोड़ रुपये लगाया गया है। 2005-06 (बजटीय अनुमान) के गैर-योजना खर्च में 5.5% की वृद्धि, सामान्य बढ़त मानी जा सकती है, जो हाल के वर्षों में सब से कम रही है।

#### चालू राजस्व से शेष बकाया और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों से शेष

2.1.10 चालू(करंट) राजस्व से शेष बकाया (बी.सी.आर.) गैर-योजना राजस्व खर्च (रक्षा पूंजी सहित) के संबंध में सरकार की राजस्व प्राप्तियों से प्राप्त केंद्र के गैर ऋण पूंजी

प्राप्तियों और गैर-योजना पूंजी खर्च के बीच अंतर होता है। गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों का बकाया गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों और केंद्र के गैर योजना पूंजी व्यय के बीच का अंतर होता है। अतिरिक्त ऋण का सहारा न लेते हुए योजना व्यय के वित्त पोषण के लिए दोनों मिलकर बजटीय संसाधन (यदि कोई हों) निर्धारित करते हैं।

#### चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)

2.1.11 एक दशक से केंद्र सरकार का बी.सी.आर. नकारात्मक रहा है। यह चिंता का विषय रहा है। नकारात्मक बी.सी.आर. का तात्पर्य है कि मौजूदा खर्च के वित्त पोषण के लिए सरकार को पूंजी प्राप्तियों पर निर्भर होना पड़ता है। 2005-06 के अनुमानों की तुलना में वास्तविक बी.सी.आर. तालिका 2.1.8 में देखे जा सकते हैं। नकारात्मक बी.सी.आर. जो 2005-06 के लिए 16923 करोड़ रुपये अनुमानित था, वह (-) 18092 करोड़ रुपये रहा, जो प्राप्तियों और खर्च के अस्थायी अनुमानों पर आधारित है। 2005-06 के दौरान (नकारात्मक) बी.सी.आर. बजट अनुमानों से 1169 करोड़

तालिका 2.1.8

चालू राजस्व से शेष (बीसीआर) तथा ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों से शेष

(आंकड़े करोड़ रुपये)

क्र. सं.	मद	बजट अनुमान 2005-06	संशोधित अनुमान 2005-06	अंतिम 2005-06	बजट अनुमान 2006-07
1	राजस्व प्राप्तियां	351200	348474	343883	403465
	अनुदान(-)	3218	3019	3021	2616
1क	राजस्व प्राप्तियां	347982	345455	340862	400849
2	योजनेतर राजस्व व्यय*	364905	359217	358954	381888
3	बीसीआर(1क-2)	-16923	-13762	-18092	18961
	ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों से शेष (बीसीएपी)				
4	ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियां	12000	14056	13677	11840
5	योजनेतर पूंजीगत व्यय	5942	5697	4816	9375
6	बीसीएपी (4-5)	6058	8359	8861	2465

\*इसमें रक्षा पूंजीगत व्यय शामिल है।

कम रहा, जो राजस्व प्राप्तियों (बाह्य अनुदानों को छोड़कर) में काफी कमी आ जाना रहा, जो गैर-योजना राजस्व खर्च, जिसमें रक्षा पूंजी खर्च भी शामिल है, की तुलना में रही।

मौजूदा राजस्व से शेष (बी.सी.आर.) 2006-07 में रुपये 18961 करोड़ के सकारात्मक रूप में आ जाने का अनुमान है। यह केंद्र की राजस्व प्राप्तियों पर आधारित है: (राज्यों को किए अंतरण का शुद्ध रूप) रुपये 403465 करोड़ और गैर-योजना राजस्व खर्च (जिसमें रक्षा पूंजी खर्च भी शामिल है) जो 381888 करोड़ है।

### गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों से बकाया

2.1.12 विनिवेश लाभ प्राप्ति और गैर-योजना पूंजी खर्च में गिरावट के कारण 2005-06 के दौरान गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों से बकाया बजट अनुमान से अधिक हो गया। 2006-07 के लिए गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों की बकाया अनुमानित राशि 2465 करोड़ रुपये रही है। यह 2005-06 (पी) के दौरान गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों से काफी कम रही है जिस का मुख्य कारण है गैर योजना पूंजी खर्च में वृद्धि

होना।

### केंद्र द्वारा योजना हेतु बजटीय सहायता का वित्त-पोषण

2.1.13 चालू राजस्व से बकाया तथा गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के शेष को मिला कर सरकार के सामर्थ्य को बनाते हैं ताकि योजना खर्च का वित्त पोषण बिना अतिरिक्त उधार लिए हो सके। चालू राजस्व में (-) 18092 करोड़ के शेष और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां रुपये 8861 करोड़ के रूप में बजटीय संसाधनों का कुल योग 2005-06 के अस्थायी लेखों रुपये (-) 9231 करोड़ के अनुसार हैं। अतः 146348 करोड़ से राजस्व घाटे की जरूरत हुई ताकि 140138 करोड़ रुपये की सकल बजटीय उपलब्ध कराया जा सके, जिस में केंद्र का योजना खर्च रुपये 1041.48 करोड़ तथा योजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रुपये 35990 करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल है। 2005-06 के लिए जी.बी.एस. के वित्त पोषण संबंधी स्कीमों और तथा 2006-07 के लिए पूरक अनुमानों का विस्तृत ब्यौरा तालिका 2.1.9 में दिया गया है।

तालिका 2.1.9

केन्द्र की वार्षिक योजना 2005-06 के लिए जीबीएस के वित्तपोषण की स्कीम

(आंकड़े करोड़ रुपये)

क्र. सं.	संसाधन	बजट अनुमान 2005-06	संशोधित अनुमान 2005-06	अंतिम 2005-06	बजट अनुमान 2006-07
1	चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)	-16923	-13762	-18092	18961
1क	बाह्य अनुदान	3218	3019	3021	2616
2	ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों से शेष	6058	8359	8861	2465
3	राजकोषीय घाटा	151144	146175	146348	148686
4	योजना के लिए सकल बजटीय सहायता (1+1a+2+3)	143497	143791	140138	172728
5	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए सहायता	33112	36538	35990	41443
	कुल जीबीएस में प्रतिशत हिस्सा	23.1	25.4	25.7	24.0
6	केन्द्रीय योजना के लिए बजट सहायता (4-5)	110385	107253	104148	131285
	जीबीएस में % हिस्सा	76.9	74.6	74.3	76.0

### योजना परिव्यय और केंद्र का खर्च (सी.पी.एस.ई. योजनाओं सहित)

2.1.14 केंद्र के योजना परिव्यय में मंत्रालयों और विभागों के लिए बजटीय सहायता और आंतरिक और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सी.पी.एस.ई. (ज) को कुछ बजटीय सहायता उपलब्ध कराती है। तालिका 2.1.10 में केंद्रीय योजना परिव्यय और 2005-06 और 2006-07 के लिए विस्तृत ब्यौरे देखे जा सकते हैं।

2.1.15 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों की वार्षिक योजना के वित्त पोषण (जिसमें जी.बी.एस.ई और सी.पी.एस.ई(ज) भी शामिल हैं) की सकल बजटीय सहायता 2005-06 के संशोधित अनुमानों के अनुसार इस वर्ष के बजट अनुमानों से लगभग 3152 करोड़ कम रही है (यानि 2005-06 के बजटीय अनुमान का 2.8%) 2005-06 में सी.पी.एस.ई. (ज) के संशोधित अनुमान बजटीय अनुमानों से 2783 करोड़ यानि बजट अनुमान के 2.8%) आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन कम रह गए। केंद्रीय योजना (आई.ई.बी.आर.) परिव्यय 2005-06 के संशोधित अनुमान संशोधित कर कम करते हुए रुपये 205338 करोड़ निर्धारित किया गया।

तालिका 2.1.10

2005-06 और 2006-07 के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय और व्यय

(आंकड़े करोड़ रुपये)

क्र. सं.	मद	बजट अनुमान 2005-06	संशोधित अनुमान 2005-06	बजट अनुमान 2006-07
1	बजट सहायता – जिसका योग	110385	107253	131284
2	केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की योजना स्कीमों के लिए बजट सहायता	92791	89892	111595
3	सीपीएसई को बजट सहायता	17594	17361	19689
4	सीपीएसई का आईईबीआर	100868	98085	122757
5	योजना परिव्यय/सीपीएसई का निवेश (3+4)	118462	115446	142446
6	केन्द्रीय योजना परिव्यय (2+5)	211253	205338	254041

2.1.16 2006-07 के लिए केंद्रीय प्लान के तहत बजटीय सहायता का अनुमान 131284 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जो 2005-06 के बजटीय अनुमानों से लगभग 19% अधिक है, इस में से रुपये 111595 करोड़ केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए रखा गया और शेष 19689 करोड़ रुपये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए बजट सहायता के अनुमानों के रूप में रखा गया है।

### सी.पी.एस.ई. और उनकी आई.ई.बी.आर. के लिए योजना परिव्यय

2.1.17 सी.पी.एस.ई. (ज) का आई.ई.बी.आर जो सी.पी.एस.ई. योजना के वित्त पोषण में बड़े घटक के रूप में होता है, वह 2005-06 के संशोधित अनुमानों से 2783 करोड़ रुपये कम रहा। सी.पी.एस.ई. (ज) के प्लान के वित्त पोषण संबंधी ब्यौरे घटकों के अनुसार तालिका 2.1.11 में दिए गए हैं। 2006-07 के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए की योजना में 142446 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

लगभग 13.8% परिव्यय बजट सहायता के माध्यम से, 46.7% उधार लेकर के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। सी.पी.एस.ई. (ज) के बाहर निवेश का संवितरण जो वित्त के स्रोत के रूप में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के तहत आते हैं, उसे तालिका 2.1.13 में दर्शाया गया है।

2.1.18 सी.पी.एस.ई. (ज) के योजना परिव्यय में कमी वाले क्षेत्रों को दर्शाने हेतु वास्तविक परिव्यय संशोधित अनुमानों के अनुसार हुआ, जिस की तुलना 11 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से की गई है, जिनके प्रशासनिक नियंत्रण में सी.पी.एस.ई. (ज) आती है। सड़क परिवहन, राजमार्ग, विद्युत, पोत-परिवहन, कोयला, स्टील और खान मंत्रालयों के तहत आने वाली सी.पी.एस.ई. (ज) के मामलों में काफी कमी रही है, जिसके विस्तृत ब्यौरे तालिका 2.1.12 में दिए गए हैं। कुल मिलाकर 2006-07 के केंद्रीय योजना के परिव्यय में अनुमानों में विचार किया गया है कि 2005-06 के बजट अनुमानों (तालिका 10) के मुकाबले 20% की सामान्य वृद्धि होगी। अतः संसाधनों के दोहन में सशक्त प्रयास करने की जरूरत होगी।

तालिका 2.1.11

केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के योजना परिव्यय का वित्तपोषी नमूना

(आंकड़े करोड़ रुपये और प्रतिशत में)

क्र. सं.	वित्त का स्रोत	बजट अनुमान 2005-06	संशोधित अनुमान 2005-06	सं.अ.- ब.अ. 2005-06	बजट अनुमान 2006-07	2006-07 का % हिस्सा	2005-06 के संशोधित अनुमान की तुलना में वृद्धि
I.	बजट सहायता(i+ii)	17594	17361	-233	19689	13.8	2328
i.	इक्विटी	14040	13481	-559	16901	11.9	3420
ii.	ऋण	3554	3880	326	2788	2.0	-1092
	कुल आईईबीआर	<b>100868</b>	98085	<b>-2783</b>	122757	86.2	24672
II.	आंतरिक संसाधन	52060	51818	-242	66258	46.5	14440
III.	ऋण (i+ii+iii)	48808	46267	-2541	56499	39.7	10232
i.	बंध पत्र/ऋण पत्र	27722	20877	-6845	25328	17.8	4451
ii.	ईसीबी/आपूर्तिकर्ताओं की क्रेडिट	5221	4922	-299	7142	5.0	2220
iii.	अन्य*	15866	20468	4602	24029	16.9	3561
IV.	कुल योजना परिव्यय (I+II+III)	118462	115446	-3016	142446	100.0	27000

तालिका 2.1.12

2005-06 के दौरान प्रमुख क्षेत्रकों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का योजना परिव्यय और कमी

(आंकड़े करोड़ रुपये)

क्र. सं.	क्षेत्र	बजट अनुमान 2005-06	संशोधित अनुमान 2005-06	Shortfall (-)/ Excess (+)
1	सड़क परिवहन और राजमार्ग	12369.74	7951.74	-4418.0
2	संचार और आईटी	11790.66	17199.66	5409.0
3	विद्युत	21563.88	17677.81	-3886.07
4	नौवहन	2409.87	1997.24	-412.63
5	कोयला	3849.65	2997.0	-852.65
6	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	29623.48	29403.08	-220.4
7	इस्पात	2466.12	1587.82	-878.3
8	नगर विमानन	2364.47	2341.10	-23.37
9	खान	499.26	229.64	-269.62
10	रेलवे	14638.19	18265.40	3627.21
11	शहरी विकास	8131.43	8998.52	867.09
12	अन्य पीएसयू	8755.72	6797.42	-1958.3
	<b>सभी सीपीएसई का सकल जोड़</b>	<b>118462.47</b>	<b>115446.43</b>	<b>-3016.04</b>

तालिका - 2.1.13

चुनिंदा केन्द्रीय मंत्रालयों के अधीन योजना परिव्यय तथा सीपीएसई का वित्तपोषण वार्षिक योजना 2006-07

(आंकड़े करोड़ रुपये)

क्र. सं.	सीपीएसई	आईआर	बंध पत्र/ ऋण पत्र	ईसीबी	अन्य	कुल आईई बीआर	बजटीय सहायता		कुल बजटीय सहायता	योजना परिव्यय
							इक्विटी	ऋण		
1	संचार तथा आईटी	15742.02	3655.0	0	71.95	19468.97	0	0	0	19468.97
2	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	20164.19	0	2000.0	13839.14	36003.33	0	0	0	36003.33
3	रेलवे	10669.0	5170.0	0	125.0	15964.0	6800.14	0	6800.14	22764.14
4	विद्युत	5423.90	9009.58	3587.24	4102.98	22123.70	1796.44	0	1796.44	23920.14
5	कोयल	3433.31	460.0	190.0	547.48	4630.79	0	0	0	4630.79
6	इस्पात	3172.30	0	0	0	3172.30	37.00	8.00	45.0	3217.30
7	खान	632.94	0	0	0.75	633.69	30.0	0	30.0	663.69
8	नौवहन	1251.88	0	1169.42	101.01	2522.31	9.50	58.96	68.46	2590.77
9	सड़क परिवहन और राजमार्ग	0	3500.00	0	0	3500.0	6407.45	395.50	6802.95	10302.95
10	नागर विमानन	2551.86	0	90.0	275.07	2916.93	21.46	21.45	42.91	2959.84
11	शहरी विकास	870.16	2139.0	0	4748.0	7757.16	280.0	482.0	762.0	8519.16
12	अन्य पीएसयू	2346.21	1394.0	106.0	217.56	4063.77	1519.0	1822.62	3341.62	7405.39
	<b>योग सभी सीपीएसई</b>	<b>66257.77</b>	<b>25327.58</b>	<b>7142.66</b>	<b>24028.94</b>	<b>122756.99</b>	<b>16900.99</b>	<b>2788.53</b>	<b>19689.52</b>	<b>142446.47</b>

2.1.19 सी.पी.एस.ई. (ज) के मामलों में 2006-07 के दौरान 20.2% निवेश के स्टेप-अप की संकल्पना की गई है (2005-06 के बजट अनुमानों की अपेक्षा) जो 2005-06 के संशोधित अनुमानों के मुकाबले 23.4% अधिक है। यह एक ठोस वृद्धि है। जरूरी संसाधनों के दोहन के लिए सशक्त प्रयास करने की जरूरत है। अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने संबंधी (उधार) सी.पी.एस.ई. (ज) के निर्णय का संबंध आमतौर पर परियोजनाओं के वित्त पोषण से होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यह सुनिश्चित करने की लगातार आवश्यकता है कि सी.पी.एस.ई. (ज) की परियोजनाओं को यथा शीघ्र पूरा किया जाता है और उसी स्पीड से कार्यान्वयन करते हुए आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

### वार्षिक योजना: राज्य योजना 2005-06 - समीक्षा

2.1.20 2005-06 के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सभी विधानों सहित वार्षिक योजना रुपये 148935.50 करोड़ के लिए अनुमोदित की गई, जिस के साथ में कुल 149240.38 करोड़ कुल संसाधन अनुमोदित किए गए। अनुमोदित योजना के कुल संसाधनों में राज्यों की राशि 82252.51 करोड़ उनके अपने संसाधनों से है और केंद्रीय सहायता के 66988.07 करोड़ रुपये रखे गए हैं। कुल संसाधनों के संशोधित अनुमान 146771.36 करोड़ जो अनुमोदित अनुमानों से 1.7% कम परिकल्पित किए गए हैं। संसाधनों के दोहन और वित्त पोषण की संरचना संशोधित स्तर पर योजना और अनुमोदित योजना तालिका 2.1.14 में नीचे साथ-साथ देखी जा सकती है।

### राज्यों के निजी संसाधन

2.1.21 राज्यों के निजी संसाधन (एस.ओ.आर) में मौटे तौर पर दो समूह हैं - बिना उधार वाले संसाधन (2) उधार या ऋण सृजित संसाधन, जिन में शुद्ध विविध पूंजी प्राप्ति शामिल हैं। बिना उधार वाले संसाधनों में चालू राजस्व का बकाया (बी.सी.आर.), लोक उद्यमों का अंशदान, वित्तीय आयोग द्वारा यथासंस्तुत योजना अनुदान, अतिरिक्त अविशिष्ट संसाधन दोहन (ए.आर.एम.), जिनकी वचनबद्धता उपाध्यक्ष

तालिका 2.1.14

निर्दिष्ट आंकड़े कुल संसाधनों में अंशदान का प्रतिशत दिखाते हैं वार्षिक योजना 2005-06: औसत स्रोत

(आंकड़े करोड़ रुपये)

संसाधन	एपी	आरई	% जारी किया गया
1. राज्यों के अपने स्रोत (एसओआर)	82,252.51 (55.1)	96,434.81 (65.7)	117%
2. केंद्रीय सहायता (सीए)	66,988.07 (44.9)	50,336.55 (34.3)	75%
3. कुल स्रोत (1+2)	1,49,240.58	1,46,771.36	98%

और मुख्य मंत्रियों के बीच हुई बैठक में की गई थी और स्थानीय शुद्ध सरप्लस भी इस में शामिल है। वार्षिक योजना के वित्त पोषण के लिए राज्यों की उधार भविष्य निधि (शुद्ध एम.सी.आर.) शुद्ध लघु बचत कलैक्शन का हिस्सा, एल.एल.आर. आधारित मार्केट उधार, वित्तीय संस्थानों से नगोशिएट किए ऋण तथा राज्य लोक उद्यमों से फ्लोट किए बॉण्ड/डीबेंचर आदि शामिल हैं। नीचे तालिका 2.1.15 में वार्षिक योजना 2005-06 के वित्त पोषण हेतु राज्यों के निजी संसाधनों के ब्यौरों को सारांश रूप में दर्शाया गया है।

### चालू राजस्व से बकाया(बी.सी.आर.)

2.1.22 चालू राजस्व से बकाया (बी.सी.आर) के अंतर्गत गैर-योजना राजस्व लेखों के सरप्लस/घाटे आते हैं, जो योजना संसाधनों को कम या अधिक बना देते हैं। अनुमोदित वार्षिक योजना 2005-06 बी.सी.आर. का अनुमान (-) रुपये 6671.98 करोड़ किया गया है, जिसे संशोधित अनुमानों में कुछ सुधार के बाद 2833.11 करोड़ कर दिया गया है जिसका कारण था कुछेक राज्यों जैसे -गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, एम.पी., तमिलनाडु से अधिक टैक्स राजस्व का आना, लेकिन बिहार, गोवा, हरियाणा, केरल, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगला से कर प्राप्ति में कमी आई।

### सार्वजनिक उद्यमों का योगदान

2.1.23 राज्य स्तरीय लोक उद्यमों की योजना के संसाधनों में आंतरिक संसाधन, वित्तीय संसाधनों से नैगोशिएट किए

तालिका 2.1.15

वार्षिक योजना 2005-06: राज्यों के अपने संसाधन

(आंकड़े करोड़ रुपये)

संसाधन	एपी	एपी
1. बिना उधार लिए अपने संसाधन	-5,521.25 (-6.7)	5,517.22 (5.7)
2. उधार लिए अपने संसाधन	87,773.76 (106.7)	90,917.59 (94.3)
<b>3. राज्य के अपने संसाधन (एसओआर) (1+2)</b>	<b>82,252.51</b> (100.0)	<b>96,434.81</b> (100.0)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े राज्यों के अपने संसाधनों में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

ऋण, उद्यमों से फ्लेट किए बॉण्ड/डीबेंचर शामिल हैं। लोक उद्यमों के योगदान में वित्तीय स्कीमों में प्रतिनिधित्व करने में इन उद्यमों के आंतरिक संसाधन आते हैं और उनकी वित्तीय स्थिति को प्रतिबिम्बित करते हैं। राज्य विद्युत बोर्ड (एस.ई.बी.) राज्य सड़क परिवहन निगम (एस.आर.टी.सी.) बड़े लोक उद्यम हैं। 2005-06 के लिए राज्यों की अनुमोदित योजनाओं के वित्त पोषण के लिए एस.एल.पी.ई.(त) के (-) 2568 करोड़ रुपये के अनुमानित अंशदान के मुकाबले संशोधित अनुमानों में (-) 3333 करोड़ रुपये की कमी आई है। एस.ई.बी.(ज) और आर.टी.सी.(ज) के अंशदानों का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः परिशिष्ट 2.1.4 और 2.1.5 में दिया गया है। विद्युत क्षेत्रक के चल रहे सुधारों से राज्य एस.ई.बी.(ज) के वर्गीकरण के विभिन्न चरणों में है और उन्हें स्वतंत्र निगम का रूप दे रहे हैं और कुछ राज्य तो विद्युत का निजीकरण भी कर रहे हैं।

### राज्यों का निजी उधार

2.1.24 राज्यों की निजी उधार एसोल्व्यूट टर्म्स में काफी हद तक बढ़ गई है लेकिन संशोधित अनुमानों में अनुमोदित वित्तीय स्कीम की तुलना में कुल राज्यों के निजी संसाधनों के हिस्से की दृष्टि से उधार में कमी आई है। शुद्ध अल्प बचत कलैक्शन और अतिरिक्त उधार के मुकाबले ऋणों में काफी वृद्धि देखी गई है। राज्यों की एस.एल.आर. आधारित मार्केट उधार संशोधित अनुमानों से नीचे आई है। अल्प बचत के बदले ऋणों में अनुमादेत योजना में अनुमानित

59902 करोड़ से और अधिक हो गए हैं और अब संशोधित अनुमानों में रुपये 73206 करोड़ हो गए हैं।

2.1.25 विविध पूंजी प्राप्ति(एस.सी.आइ.) कुल गैर-योजना पूंजी प्राप्ति (पूंजी प्राप्ति या सी डायरेक्ट प्लान फाइनेंसिंग का हिस्सा नहीं है) कुल शुद्ध बकाया को दर्शाती हैं, जिन में नैट पब्लिक एकाउंट (भविष्य निधि के अलावा) शामिल हैं जो कुल गैर-योजना पूंजी संवितरण के बाद (-) अनुमोदित योजना के अनुमानों में 31607 करोड़ रुपये से घटकर 26046 करोड़ रुपये हो गया है। नैगोशिएट किए ऋण, बॉण्ड और डीबेंचरों में भी रुपये 4835 करोड़ की गिरावट देखी गई है।

### केंद्रीय सहायता

2.1.26 2005-06 के यूनियन बजट में केंद्रीय सहायता के रूप में रुपये 62115 करोड़ का आबंटन किया गया था, जिसमें 60281.61 करोड़ राज्यों तथा 60281.61 करोड़ रुपये संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित किए गए। 2005-06 के बजटीय अनुमानों में केंद्रीय सहायता के रूप में राज्यों को 60282 करोड़ तथा 28211 करोड़ रुपये सामान्य केंद्रीय सहायता (एन.सी.ए.) के रूप में निर्धारित किए गए। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केंद्रीय सहायता के लिए संशोधित अनुमानों में क्रमशः 54462.00 करोड़ और 1927 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया (परिशिष्ट 2.1.1) 2005-06 के लिए अनुमोदित वित्त पोषण प्रणाली के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुमानित एन.सी.ए. 27,133.50 करोड़ रुपये दिए गए जो अद्यतन अनुमानों के अनुसार रुपये 17538.97 करोड़ हो गया था।

2.1.27 अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के लिए बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ए.सी.ए. और ई.ए.पी.(ज) हेतु 2005-06 के बजट में 3987 करोड़ का प्रावधान किया, जिसे बाद में संशोधित कर रुपये 7400 करोड़ निर्धारित किया गया। राज्यों की वार्षिक योजना के वित्त पोषण के लिए अनुमोदित वित्त पोषण योजना के लिए 16478 करोड़ रुपये की जरूरत महसूस की गई, जिसमें उन्हीं राज्यों के लिए ऋण का समायोजन भी शामिल है। संसाधनों के अद्यतन संसाधनों के

अनुसार ई.ए.पी(ज) में ए.सी.ए के आमेलन हेतु रुपये 12988 करोड़ रखे गए। अनुमोदित योजना में बाहरी सहायता के आशावादी अनुमानों के बावजूद भी ज्यादातर राज्यों में वास्तविक स्थिति उत्साहवर्धक नहीं रही। वस्तुतः यह देखा गया है कि केंद्रीय सहायता में कमी का मुख्य कारण अनुमोदित योजना में बाहरी सहायता और अनुमानों का आमेलन कम ही हुआ है।

2.1.28 राज्यों की वार्षिक योजनाओं के क्षेत्रीय कार्यक्रमों, विशेष केंद्रीय सहायता, विशिष्ट योजना सहायता और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को अन्य केंद्रीय सहायता के तहत एक साथ मिला दिया जाता है। इन आइटम्स के तहत वित्त स्वाभाविकतः स्कीम/परियोजना विशिष्ट होता है यानि उसके अनुरूप होता है। हाल ही में, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (जिनका पुराना नाम आर.एस.बी.वाई.) था राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान (एम.ई.जी.ए.पी.), घरों की इलैक्ट्रीफिकेशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, को राज्य योजना में केंद्रीय सहायता के तहत शामिल कर लिया गया है। इन निधियों का आमेलन करना इन क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों से हुई उपलब्धियों पर करता है।

### वार्षिक योजना 2006-07

2.1.29 वार्षिक योजना 2006-07 के लिए राज्यों और

संघ राज्य क्षेत्रों को सभी विधानों सहित उनके कुल संसाधनों का परिकलन रुपये 185281 करोड़ रुपये किया गया, जिसमें राज्यों के निजी संसाधन रुपये 1,13,835 करोड़ रुपये और रुपये 71445 करोड़ केंद्रीय सहायता के लिए निर्धारित किए गए। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए कुल संसाधनों और वार्षिक योजना 2005-06 संबंधी तुलनात्मक संरचना की स्थिति तालिका 2.1.16 में दर्शाई गई है।

### राज्यों के निजी संसाधन

2.1.30 वार्षिक योजना 2006-07 के लिए राज्यों के निजी संसाधन (एस.ओ.आर.) का अनुमान काफी हद तक वार्षिक योजना 2005-06 की तुलना में अधिक रखे गए हैं।

2.1.31 वार्षिक योजना 2005-06 के मुकाबले 2006-07 में चालू राजस्व (बी.सी.आर.) से बकाया में सुधार हुआ है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार आशा के अनुसार वृद्धि संसाधनों के प्रवाह के कारण राज्य महत्वपूर्ण रहे हैं। समग्र सुधार का कारण रहा है - केंद्र से उच्च अनुदान और अन्तरण तथा सुधार वाले राज्यों द्वारा गैर-योजना राजस्व खर्च में गतिशीलता लाकर उसमें वृद्धि करना।

2.1.32 राज्यों के राज्य संसाधनों में राज्य स्तरीय लोक उद्यम (एस.एल.पी.ई.(ज) लगातार घसीटने की भूमिका निभाते आए हैं। 2006-07 की वार्षिक योजना में

तालिका 2.1.16

वार्षिक योजना : राज्यों के कुल संसाधन

(आंकड़े करोड़ रुपये)

संसाधन	2005-06 (एपी)	2006-07 (एपी)	प्रतिशत वृद्धि
1. राज्यों के अपने स्रोत (एसओआर)	82,252.51 (55.1)	1,13,835.46 (61.4)	38.4
2. केन्द्रीय सहायता (सीए)	66,988.07 (44.9)	71,445.45 (38.6)	6.6
3. कुल स्रोत (1+2)	1,49,240.58 (100.0)	1,85,280.91 (100.0)	24.2

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े अपने संसाधनों में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

तालिका 2.1.17

वार्षिक योजना 2005-06 और 2006-07 :

राज्यों के अपने संसाधन

(आंकड़े करोड़ रुपये)

संसाधन	2005-06 (एपी)	2006-07 (एपी)
1. राज्यों के अपने स्रोत (एसओआर)	-5,521.25 (-6.7)	16,719.12 (14.7)
2. केन्द्रीय सहायता (सीए)	87,773.76 (106.7)	97,116.34 (85.3)
3. कुल स्रोत (1+2)	82,252.51 (100.0)	1,13,835.46 (100.0)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े अपने संसाधनों में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

एस.एल.पी.ई.(ज)ओर एस.आर.टी.सी.(त) का अनुमानित अंशदान (-) 2546 करोड़ रुपये रहा। वस्तुतः विभिन्न राज्यों ने सुधारों, निजीकरण, लोक उद्यमों को बंद करने संबंधी सकारात्मक गंभीर कदम उठाए हैं। विद्युत क्षेत्र के सुधारों ने अच्छी प्रगति की है। ज्यादातर राज्यों ने विद्युत संबंधी टैरिफ स्वतंत्र रूप से राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एस.ई.आर.सी.) के तहत दे दिए गए हैं।

2.1.33 2005-06 की अनुमोदित योजना के मुकाबले वार्षिक योजना 2006-07 में राज्यों की निजी उधार में वृद्धि हुई है, जिसका कारण है - शुद्ध अल्प बचत कलैक्शन से अधिक ऋण लेना। वार्षिक योजना 2006-07 हेतु शुद्ध अल्प बचत कलैक्शन से निकाली गई राशि (अनुमानित) 62597 करोड़ रुपये है जिस में काफी वृद्धि संभावित है, क्योंकि एम.ओ.एफ. का अनुमान 90,000 करोड़ किया गया है। नैगोशिएटिड ऋण और अग्रिम में लगातार वृद्धि हुई है। एस.एल.पी.ई.(ज) द्वारा जारी डीबेंचर/बॉन्ड में पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि हुई है और चूंकि यह प्रैक्टिस प्रचलित नहीं है, यह 9 राज्यों - हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब और उत्तरांचल तक ही सीमित रहती हुई प्रतीत होती है। इसके विकास के अलावा, बॉन्ड जारी करने वाले राज्य उद्यमों की क्रेडिट रेटिंग को एक स्वीकृत नार्म के रूप में मान्यता मिल रही है, जो एक सकारात्मक विकास कहा जा सकता है।

## विद्युत क्षेत्र

2.1.34 राज्य विद्युत बोर्ड/यूटीलिटीज और विद्युत विभाग लगातार घाटा उठा रहे हैं, परिणामस्वरूप राज्य के संसाधनों के प्रति कुछेक यूटीलिटीज को छोड़कर अंशदान लगातार नकारात्मक ही रहता है। इन सभी यूटीलिटीज और विभाग से कुल शुद्ध अंशदान 2005-06 के लिए और घट कर (-) 2362 करोड़ हो गया है जो पहले रिपोर्ट किए बजट अनुमानों में 1853 करोड़ रू था। यह 2005-06 के आर.ई. की तुलना में फिर भी 2006-07 के बजट अनुमानों में (-) 1886 करोड़ कम हानि हुई।

2.1.35 इन यूटीलिटीज द्वारा उठाई जा रही हानि का कारण है बिना उपभोग वाले तकनीकी और वाणिज्यिक हानि का उच्च स्तर पर घटित होते रहना, कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को रियायती (सब्सिडी) बिजली की आपूर्ति करना, मीटरों बिलों और राजस्व एकत्रीकरण में अक्षमता बनी रहना।

## सड़क परिवहन

2.1.36 राज्य सड़क परिवहन उपक्रम/निगम(परिशिष्ट 2.1.5) द्वारा राज्यों को किए अंशदान जो अद्यतन अनुमानों के अनुसार वार्षिक योजना 2005-06 के दौरान वार्षिकयोजना के (-) 716 करोड़ की तुलना में (-) 971 करोड़ कम रहा है। 2006-07 की अनुमोदित योजना के अनुसार यह अंशदान (-) 660 करोड़ रहा है। योजना में एस.आर.टी.यू.(ज)/निगमों का अंशदान उनकी लाभकारिता पर निर्भर करता है। उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि ज्यादातर एस.आर.टी.यू.(ज)/निगम हर वर्ष हानि में रहती हैं, जिसका कारण है उनकी पुरानी फ्लीट आर्थिक रूटस पर प्रचालन, रियायती यात्रा, सस्ता किराया तथा राज्य सरकारों से अपर्याप्त सहायता।

## केन्द्रीय सहायता

2.1.37 संघीय बजट 2006-07 के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजना के लिए कुल रुपये 63900 करोड़ रखे गए, जिसमें 32228 करोड़ रुपये अनुदान हेतु और

28679 करोड़ रुपये ऋण के लिए रखे गए। सरकार द्वारा स्वीकृत 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 29003 करोड़ रुपये के ऋण के लिए राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र विधायन व्यवस्था करेंगे।

2.1.38 रुपये 639000 करोड़ में से 60907 करोड़ रुपये का स्टेट-प्लान के लिए तथा 2993 करोड़ रुपये संघ शासित क्षेत्रों के लिए कुल केंद्रीय सहायता है। (परिशिष्ट 2.1.1)

### रणनीति एवं नीति पहले

2.1.39 योजना के वित्त पोषण के लिए राज्य के निजी घटक को राज्य सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के साथ एम.ओ.यू. में मध्यावधि राजस्व सुधार कार्यक्रम के बारे में (एम.टी.एफ.आर.पी.) निजी उधार की वचनबद्धता तक सीमित रखा गया है। वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले नैगोशिएटिड ऋण/राज्यों द्वारा बॉन्ड/डिबैंचर जारी करने को संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत अब उनकी सख्त मानीटरिंग की जाती है। समेकित स्थिति दर्शाती है कि 2005-06 में विशिष्ट श्रेणी के राज्यों का समग्र निष्पादन वार्षिक योजना और संशोधित अनुमानों के बीच हास में आ गया और राज्यों

के निजी संसाधन कम रहे हैं; परिणामस्वरूप मौजूदा राजस्व नकारात्मक संतुलन में हास हुआ है। अन्य बिना विशिष्ट श्रेणी वाले राज्यों में चालू राजस्व से बकाया में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जिससे 2005-06 में राज्य के निजी संसाधनों और संशोधित अनुमानों के बीच उच्च स्थिति रही है। राज्य एफ.आर.बी.एम. के तहत जरूरतों का सख्ती से पालन करते हुए उनकी इन्क्रीमेंटल उधार में निश्चित रूप से सुधार होगा और ऋण में भी कमी आएगी। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मिलाकर 2006-07 (वार्षिक योजना) में निहित उधार और चालू राजस्व सुधार और सकारात्मक बकाया दिखाई देना निश्चित है। उधार पर यह नियंत्रण कुछ राज्यों की योजना के आकार को कम कर सकता है, लेकिन इससे संसाधनों का बेहतर सदुपयोग होगा और प्रयासों में और तीव्रता एवं शक्ति दिखाई देगी। इनके बारे में राज्य सरकारों का मत सुधार प्रक्रिया के पक्ष में रहा है, ताकि राजस्व संवर्धन, कर तथा गैर कर राजस्व बढ़ाकर तथा गैर-विकास के खर्चों को कम करके शानदार राजस्व निष्पादन दिखाया जा सके। राजस्व की दृष्टि से मजबूत और कमजोर राज्यों के बीच राजस्व सुधार संबंधी उपायों में अंतर हो सकता है। लेकिन फिर भी जैसे 12वें वित्त आयोग ने जोर दिया है कि सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्व सुधार जरूरी है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं 2005-06 और 2006-07 के लिए केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रुपये में)

मदें	2005-06		2006-07
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
<b>क. राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता</b>	<b>60,281.61</b>	<b>54,461.59</b>	<b>60,907.42</b>
1 सामान्य केन्द्रीय सहायता	28,211.00	25,675.78	27,032.10
2 विशेष योजना सहायता	2,140.00	2,005.05	2,400.00
3 विशेष केन्द्रीय सहायता, जो है	2,092.01	2,053.82	2,653.38
i) पहाड़ी क्षेत्र	160.00	160.00	250.00
ii) जनजाति उप योजना	727.01	688.82	816.71
iii) अनुच्छेद 275(1) के प्रावधानों के तहत अनुदान	380.00	380.00	400.00
iv) सीमावर्ती क्षेत्र	325.00	325.00	520.00
v) पूर्वोत्तर क्षेत्र	500.00	500.00	666.67
4 विशिष्ट केन्द्रीय सहायता		400.00	
5 शिफ्टिंग कृषि पर नियंत्रण	30.00	30.00	40.00
6 एम.पी.(ज) स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)	1,580.00	1,580.00	1,580.00
7 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता ई.ए.पी.(ज) हेतु	3,987.33	7,400.00	4,697.00
8 अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता		1,927.84	
9 सिक्किम और पूर्वोत्तर के लिए केन्द्रीय पूल से सहायता	650.00	754.63	777.78
10 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	4,800.00	4,800.00	7,121.00
11 सड़कें और पुल	1,478.5	1,478.55	1,512.49
12 त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम(एपीडीआरपी)	2,100.00	1,876.37	1,300.00
13 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)(अन्नपूर्णा सहित)	1,182.58	1,182.58	1,430.97
14 किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम (एनपीएजी)	162.97	162.97	162.77
15 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्रवाई योजना (एनईजीएपी)	300.00	300.00	300.00
16 घरेलू विद्युतीकरण	1,100.00		
17 स्लम विकास हेतु शहरी नवीकरण सबमिशन	1,989.62	334.00	
18 परिवहन	3,477.55	500.00	
19 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन			4,595.93
i) शहरी आधारिक संरचना व गवर्नेंस हेतु शहरी नवीकरण उप-मिशन			2,287.15
ii) लघु और मंजौले कस्बों के लिए शहरी बुनियादी विकास			900.00
iii) शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं के लिए उप-मिशन			908.78
iv) एकीकृत आवास व स्लम विकास (आईएचएसडीपी)			500.00
20 जिला/क्षेत्रीय निधि	5,000.00	2,000.00	5,000.00
i) राज्य घटक	5,000.00	2,000.00	1,250.00
ii) जिला घटक	0.00	0.00	3,750.00
21 सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम (टीआरपी)			304.00
<b>ख संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता</b>	<b>1833.39</b>	<b>1,927.45</b>	<b>2,992.74</b>
<b>ग कुल योग (क+ख)</b>	<b>62,115.00</b>	<b>56,389.02</b>	<b>63,900.16</b>

क्र.सं. ; kst uk-2005-06 ¼ i h@vjkj b¼ v¼ 2006-07 ¼ i h¼ ds fduki ksk.k dh Ldhe

वर्ष	अनुसूची संख्या		संख्या		प्रमाण		मूल्य		कुल		कुल	
	2004-05	2005-06	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
4.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
5.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
7.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
8.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
9.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
10.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
11.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
13.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
14.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
15.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
16.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
17.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
18.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
19.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
20.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
21.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
22.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
23.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
24.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
25.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
26.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
27.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
28.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
29.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
30.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
31.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
32.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
33.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
34.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
35.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
36.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
37.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
38.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
39.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
40.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
41.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
42.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
43.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
44.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
45.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
46.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
47.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
48.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
49.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
50.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000



संलग्नक 2.1.2

क्र.सं. ; kst uk-2005-06 ¼ i h@vjk b¼ v¼ 2006-07 ¼ i h¼ ds fduki sk.k dh Ldhe

क्र.सं.	2005-06		2006-07		2006-07		2006-07		2006-07		2006-07		2006-07		2006-07		2006-07	
	अ.	ब.	अ.	ब.	अ.	ब.	अ.	ब.	अ.	ब.	अ.	ब.	अ.	ब.	अ.	ब.	अ.	ब.
1.	10,542.35	14,739.82	1,807.05	3,470.79	2,994.13	3,591.25	1,687.08	2,941.82	855.79	7,459.51	2,459.51	8,837.83	2,395.21	3,711.91	2,395.21	3,711.91	2,395.21	3,711.91
2.	3,493.88	3,993.84	5,390.01	-154.78	1,911.18	1,416.83	1,600.88	2,187.58	304.80	304.80	1,688.88	2,451.58	272.44	886.38	886.38	886.38	886.38	886.38
3.	0.00	0.00	0.00	-210.28	-1,011.82	-833.00	0.00	1.25	-5.50	-5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	0.00	0.00	0.00	-1,035.88	-1,035.88	-1,035.88	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	3,176.48	2,948.82	5,208.88	3,730.81	1,811.51	4,982.81	1,511.88	1,811.88	1,811.88	3,811.88	3,811.88	3,811.88	3,811.88	3,811.88	3,811.88	3,811.88	3,811.88	3,811.88
15.	1,133.04	271.27	1,481.83	2,082.18	832.08	3,133.17	865.40	32.42	88.48	108.38	734.38	814.38	814.38	814.38	814.38	814.38	814.38	814.38
16.	3,153.18	1,222.33	1,422.34	2.00	2.00	3.17	864.08	2.00	0.00	2,648.38	1,416.38	1,416.38	1,416.38	1,416.38	1,416.38	1,416.38	1,416.38	1,416.38
17.	1,111.84	344.24	2,384.35	1,216.44	1,216.44	482.98	887.44	1,416.44	1,416.44	1,416.44	1,416.44	1,416.44	1,416.44	1,416.44	1,416.44	1,416.44	1,416.44	1,416.44
18.	1,631.77	13,930.47	20,000.00	5,597.88	4,714.48	8,159.88	4,987.88	1,811.88	1,811.88	1,811.88	1,811.88	1,811.88	1,811.88	1,811.88	1,811.88	1,811.88	1,811.88	1,811.88
19.	1,653.77	1,633.07	1,633.07	1,633.07	1,633.07	1,633.07	1,633.07	1,633.07	1,633.07	1,633.07	1,633.07	1,633.07	1,633.07	1,633.07	1,633.07	1,633.07	1,633.07	1,633.07

okm'd ; kst uk-2005-06 ¼ i h@vkJ b½ v½ 2006-07 ¼ i h½ ds fouk i k.k dh Ldhe

वर्ष	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब
1. सार्वजनिक क्षेत्रक परियचय	144.77	144.77	144.77	144.77	144.77	144.77	144.77	144.77	144.77	144.77	144.77	144.77	144.77	144.77	144.77	144.77	144.77	144.77
2. सार्वजनिक क्षेत्रक परियचय	48.11	48.11	48.11	48.11	48.11	48.11	48.11	48.11	48.11	48.11	48.11	48.11	48.11	48.11	48.11	48.11	48.11	48.11
3. सार्वजनिक क्षेत्रक परियचय	96.66	96.66	96.66	96.66	96.66	96.66	96.66	96.66	96.66	96.66	96.66	96.66	96.66	96.66	96.66	96.66	96.66	96.66
4. सार्वजनिक क्षेत्रक परियचय	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
5. सार्वजनिक क्षेत्रक परियचय	38.24	38.24	38.24	38.24	38.24	38.24	38.24	38.24	38.24	38.24	38.24	38.24	38.24	38.24	38.24	38.24	38.24	38.24
6. सार्वजनिक क्षेत्रक परियचय	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00
7. सार्वजनिक क्षेत्रक परियचय	318.85	318.85	318.85	318.85	318.85	318.85	318.85	318.85	318.85	318.85	318.85	318.85	318.85	318.85	318.85	318.85	318.85	318.85
8. सार्वजनिक क्षेत्रक परियचय	511.85	511.85	511.85	511.85	511.85	511.85	511.85	511.85	511.85	511.85	511.85	511.85	511.85	511.85	511.85	511.85	511.85	511.85
9. सार्वजनिक क्षेत्रक परियचय	1281.00	1281.00	1281.00	1281.00	1281.00	1281.00	1281.00	1281.00	1281.00	1281.00	1281.00	1281.00	1281.00	1281.00	1281.00	1281.00	1281.00	1281.00
10. सार्वजनिक क्षेत्रक परियचय	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00
11. सार्वजनिक क्षेत्रक परियचय	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
12. सार्वजनिक क्षेत्रक परियचय	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
13. सार्वजनिक क्षेत्रक परियचय	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
14. सार्वजनिक क्षेत्रक परियचय	1474.15	1474.15	1474.15	1474.15	1474.15	1474.15	1474.15	1474.15	1474.15	1474.15	1474.15	1474.15	1474.15	1474.15	1474.15	1474.15	1474.15	1474.15
15. सार्वजनिक क्षेत्रक परियचय	631.22	631.22	631.22	631.22	631.22	631.22	631.22	631.22	631.22	631.22	631.22	631.22	631.22	631.22	631.22	631.22	631.22	631.22
16. सार्वजनिक क्षेत्रक परियचय	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00
17. सार्वजनिक क्षेत्रक परियचय	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11
18. सार्वजनिक क्षेत्रक परियचय	4516.19	4516.19	4516.19	4516.19	4516.19	4516.19	4516.19	4516.19	4516.19	4516.19	4516.19	4516.19	4516.19	4516.19	4516.19	4516.19	4516.19	4516.19
19. सार्वजनिक क्षेत्रक परियचय	4519.12	4519.12	4519.12	4519.12	4519.12	4519.12	4519.12	4519.12	4519.12	4519.12	4519.12	4519.12	4519.12	4519.12	4519.12	4519.12	4519.12	4519.12

क्र.सं. ; kst uk-2005-06 ¼ i @vkj b¼ v¼ 2006-07 ¼ i h¼ ds fouki ksk. k dh Ldhe

वर्ष	संशुद्धि		उपभोग		वैयक्तिक		संशुद्धि		वैयक्तिक		संशुद्धि		कुल संशुद्धि
	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	
1. संशुद्धि	2,982.43	2,982.43	5,255.46	5,255.46	5,274.15	5,274.15	8,431.14	8,431.14	8,722.86	8,722.86	2,088.05	2,088.05	74,870.13
2. उपभोग	3,488.84	3,488.84	4,210.00	4,210.00	437.47	437.47	31,436.81	31,436.81	3,433.33	3,433.33	4,803.84	4,803.84	6,962.28
3. संशुद्धि	31.72	31.72	180.06	180.06	183.50	183.50	706.00	706.00	24.33	24.33	48.59	48.59	1,001.72
4. उपभोग	0.32	0.32	0.00	0.00	3.10	3.10	78,000.00	78,000.00	21.00	21.00	0.00	0.00	1,007.30
5. संशुद्धि	10.00	10.00	5.74	5.74	3.10	3.10	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
6. उपभोग	21.22	21.22	48.00	48.00	73.55	73.55	88,000.00	88,000.00	24.33	24.33	48.59	48.59	252.28
7. संशुद्धि	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	12.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8. उपभोग	10.00	10.00	285.58	285.58	253.32	253.32	30,000.00	30,000.00	15.00	15.00	0.00	0.00	57.31
9. संशुद्धि	684.35	684.35	1,855.84	1,855.84	1,771.54	1,771.54	48,000.00	48,000.00	1,874.08	1,874.08	818.00	818.00	3,855.26
10. उपभोग	411.94	411.94	458.30	458.30	47.10	47.10	48,000.00	48,000.00	487.25	487.25	4,831.35	4,831.35	42,258.28
11. संशुद्धि	0.44	0.44	47.50	47.50	33.10	33.10	6.00	6.00	1.00	1.00	47.50	47.50	518.22
12. उपभोग	4,200.00	4,200.00	3,200.00	3,200.00	2,321.64	2,321.64	3,200.00	3,200.00	4,21.00	4,21.00	18,054.00	18,054.00	84,863.23
13. संशुद्धि	244.00	244.00	588.45	588.45	1,853.30	1,853.30	2,381.00	2,381.00	5,622.43	5,622.43	1,837.12	1,837.12	1,838.88
14. उपभोग	244.00	244.00	606.45	606.45	1,455.52	1,455.52	1,236.10	1,236.10	2,192.43	2,192.43	1,287.12	1,287.12	14,368.16
15. संशुद्धि	1,261.26	1,261.26	1,698.80	1,698.80	1,761.20	1,761.20	1,870.00	1,870.00	1,873.06	1,873.06	1,698.00	1,698.00	14,368.16
16. उपभोग	75.22	75.22	86.00	86.00	343.10	343.10	300.00	300.00	2.00	2.00	0.00	0.00	17,831.00
17. संशुद्धि	3.10	3.10	2.00	2.00	2.10	2.10	20.00	20.00	2.00	2.00	5.66	5.66	1,834.57
18. उपभोग	244.00	244.00	500.00	500.00	531.10	531.10	480.00	480.00	5.00	5.00	44.00	44.00	11,834.57
19. संशुद्धि	151.00	151.00	286.00	286.00	251.00	251.00	600.00	600.00	74.22	74.22	285.66	285.66	2,388.44
20. उपभोग	151.00	151.00	300.00	300.00	310.00	310.00	300.00	300.00	28.4	28.4	2.00	2.00	2,388.44
21. संशुद्धि	21.22	21.22	242.50	242.50	215.32	215.32	33,000.00	33,000.00	83.08	83.08	1,894.00	1,894.00	4,715.28
22. उपभोग	21.22	21.22	200.00	200.00	181.00	181.00	1,700.00	1,700.00	2.75.00	2.75.00	8.00	8.00	3,804.00
23. संशुद्धि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,883.68
24. उपभोग	0.00	0.00	300.00	300.00	310.00	310.00	300.00	300.00	0.00	0.00	104.00	104.00	884.00
25. संशुद्धि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.98
26. उपभोग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	21.00	21.00	8.00	8.00	1,800.00
27. संशुद्धि	0.32	0.32	2.00	2.00	0.00	0.00	600.00	600.00	115.54	115.54	2.66	2.66	400.00
28. उपभोग	687.57	687.57	1,810.38	1,810.38	3,222.87	3,222.87	2,939.38	2,939.38	4,677.06	4,677.06	4,688.58	4,688.58	51,166.14
29. संशुद्धि	42.22	42.22	481.21	481.21	1,121.82	1,121.82	1,405.82	1,405.82	1,671.52	1,671.52	482.52	482.52	3,161.00
30. उपभोग	119.40	119.40	48.50	48.50	1,121.82	1,121.82	812.84	812.84	1,671.52	1,671.52	1,887.28	1,887.28	11,621.68
31. संशुद्धि	283.81	283.81	418.55	418.55	681.64	681.64	780.00	780.00	1,422.16	1,422.16	60.28	60.28	3,164.66
32. उपभोग	3,518.08	3,518.08	4,000.00	4,000.00	4,581.15	4,581.15	5,100.00	5,100.00	13,578.22	13,578.22	16,000.00	16,000.00	131,822.34
33. संशुद्धि	385.2	385.2	499.0	499.0	651.42	651.42	799.0	799.0	1,578.2	1,578.2	9.78	9.78	131,822.34
34. उपभोग	385.2	385.2	499.0	499.0	651.42	651.42	799.0	799.0	1,578.2	1,578.2	9.78	9.78	131,822.34

oln'ld ; kst uk-2005-06 ¼ i h@vkb% vlg 2006-07 ¼ i h% ds fouki ksk.k dh Ldhe

क्र.सं.	वर्ष	वृत्त चयन संशोधन-परिचय			वर्षिकी विवर			वैशिकी			वृत्त चयन			वर्षिकी परिसर			
		2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
A	1. अनुसंधान एवं विकास	77,271.25	89,316.27	8,045.02	4,347.52	4,347.52	5,54.50	5,54.50	5,54.50	5,54.50	5,54.50	5,54.50	5,54.50	5,54.50	82,282.51	82,282.51	113,355.86
B	2. अनुसंधान एवं विकास	-10,210.20	-1,750.45	7,459.75	4,542.04	4,542.04	1,80.00	1,80.00	1,80.00	1,80.00	1,80.00	1,80.00	1,80.00	4,671.84	4,671.84	2,033.11	12,272.09
C	3. अनुसंधान एवं विकास	-804.09	400.35	-1,204.44	-1,935.44	-1,935.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,935.44	-1,935.44	-2,548.42	-1,209.87
D	4. अनुसंधान एवं विकास	-1,012.89	-1,289.82	-1,099.87	-1,033.40	-228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,028.84	-1,028.84	-1,811.82	-1,068.87
E	5. अनुसंधान एवं विकास	-1,082.29	167.44	-698.81	-453.24	-1,133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-713.87	-713.87	-870.77	-480.81
F	6. अनुसंधान एवं विकास	533.18	598.03	597.31	-225.30	-582.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	3.18	36.17	587.31
G	7. अनुसंधान एवं विकास	10,930.38	71,463.84	10,882.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,882.44	10,882.44	11,284.86	10,482.84
H	8. अनुसंधान एवं विकास	-26,088.86	-29,734.24	-29,896.89	12.67	-1,872.98	-1,863.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67	-1,863.07	-25,043.84	-31,848.89
I	9. अनुसंधान एवं विकास	4,319.82	515.04	2,177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829.82	976.09	2,177.99
J	10. अनुसंधान एवं विकास	87,879.36	88,818.87	82,827.31	1,848.47	4,383.28	0.00	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	88,802.77	72,028.81	82,827.31
K	11. अनुसंधान एवं विकास	16,111.59	16,601.21	17,262.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,111.59	16,601.21	17,262.48	17,262.48
L	12. अनुसंधान एवं विकास	14,111.59	14,107.39	17,262.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,107.39	14,107.39	17,262.48	17,262.48
M	13. अनुसंधान एवं विकास	0.00	489.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.82	0.00
N	14. अनुसंधान एवं विकास	16,914.16	16,693.89	19,086.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,914.16	16,693.89	19,086.30	19,086.30
O	15. अनुसंधान एवं विकास	8,252.25	1,689.47	1,294.35	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232.25	1,294.35	1,318.85	1,318.85
P	16. अनुसंधान एवं विकास	120.00	102.89	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.89	102.89	66.88	66.88
Q	17. अनुसंधान एवं विकास	3,681.77	8,682.03	9,529.94	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,681.77	8,682.03	9,529.94	9,529.94
R	18. अनुसंधान एवं विकास	1,415.17	1,264.07	2,486.88	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.17	1,264.07	2,486.88	2,486.88
S	19. अनुसंधान एवं विकास	188.41	182.81	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.81	182.81	88.80	88.80
T	20. अनुसंधान एवं विकास	4,928.88	4,928.91	8,011.44	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.88	4,928.91	8,011.44	8,011.44
U	21. अनुसंधान एवं विकास	7,254.00	5,869.89	7,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,016.80	5,869.89	7,016.80	7,016.80
V	22. अनुसंधान एवं विकास	616.29	719.93	654.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.93	654.47	616.29	616.29
W	23. अनुसंधान एवं विकास	55.00	1,519.45	216.20	0.00	1,411.29	209.43	85.00	142.78	85.00	85.00	85.00	85.00	1,411.29	209.43	55.00	2,099.73
X	24. अनुसंधान एवं विकास	210.00	200.00	1,509.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40	77.40	277.00	1,700.00
Y	25. अनुसंधान एवं विकास	0.00	400.00	3,646.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	3,646.30
Z	26. अनुसंधान एवं विकास	68,056.52	48,779.99	70,136.73	547.00	-187.99	652.46	370.50	370.50	370.50	370.50	370.50	370.50	48,693.07	50,393.55	71,445.85	71,445.85
AA	27. अनुसंधान एवं विकास	26,470.00	17,810.27	28,046.70	454.00	99.28	409.95	366.31	366.31	366.31	366.31	366.31	366.31	26,176.90	27,183.90	27,776.57	27,776.57
AB	28. अनुसंधान एवं विकास	16,416.01	12,878.02	13,846.85	2.00	0.00	0.00	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	12,878.02	12,878.02	13,846.85	13,846.85
AC	29. अनुसंधान एवं विकास	29,124.82	18,893.87	27,188.88	83.58	-78.11	362.82	339.41	339.41	339.41	339.41	339.41	339.41	28,839.88	30,181.89	27,776.57	27,776.57
AD	30. अनुसंधान एवं विकास	148,320.59	134,669.93	179,879.31	5,820.00	8,759.43	5,809.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	148,320.59	149,320.59	185,250.00	185,250.00
AE	31. अनुसंधान एवं विकास	145,036.61	133,666.83	178,871.61	5,500	8,759.43	5,809	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	145,036.61	146,036.61	185,250.00	185,250.00

वैशिकी संशोधन परिसर चयन-2005-06 संशोधन-परिचय-2006-07 संशोधन-परिचय-2005-06 संशोधन-परिचय-2006-07 संशोधन-परिचय-2005-06 संशोधन-परिचय-2006-07

चालू राजस्व से शेष (बीसीआर) : 2005-06 और 2006-07

(करोड़ रुपये में)

	राज्य	2005-06		2006-07
		वार्षिक योजना	संशोधित अनुमान	वार्षिक योजना
<b>I.</b>	<b>विशेष श्रेणी राज्य (एससीएस)</b>			
1.	अरुणाचल प्रदेश	-100.25	-157.25	-92.85
2.	असम	-1306.61	-1306.61	-691.34
3.	हिमाचल प्रदेश	-342.1	-342.1	-424.5
4.	जम्मू व कश्मीर	-549.71	-549.71	-225.06
5.	मणिपुर	-84.07	-84.07	-105.61
6.	मेघालय	-100.29	-83.05	-69.17
7.	मिजोरम	-227.34	-217.34	-199.49
8.	नागालैंड	-232.64	-232.64	-169.26
9.	सिक्किम	62.89	62.89	-125.51
10.	त्रिपुरा	-283.03	-283.03	-277.39
11.	उत्तरांचल	-506.29	-1618.29	-13.51
	<b>विशेष श्रेणी राज्य जोड़</b>	<b>-3669.44</b>	<b>-4811.20</b>	<b>-2393.69</b>
<b>II.</b>	<b>गैर-विशेष श्रेणी राज्य (एनएससीएस)</b>			
1.	आंध्र प्रदेश	3693.38	3390.66	5599.01
2.	बिहार	-125.78	-250.18	986.06
3.	छत्तीसगढ़	1414.83	1600.66	2867.59
4.	गोवा	304.6	304.6	304.1
5.	गुजरात	1995.69	1995.69	2451.66
6.	हरियाणा	272.44	383.32	782.08
7.	झारखंड	1003.77	1003.77	1639.15
8.	कर्नाटक	3351.55	4761.78	4278.89
9.	केरल	-1854.19	-1423.6	-3945.83
10.	मध्य प्रदेश	212.19	2011.82	2073.9
11.	महाराष्ट्र	580.48	580.48	4167.94
12.	उड़ीसा	-831	73.66	-1139.22
13.	पंजाब	-3509.54	-3509.54	-2588.82
14.	राजस्थान	-1219	-1219	-457.47
15.	तमिलनाडु	-314.96	-314.96	476.98
16.	उत्तर प्रदेश	-3453.32	-414.5	-1147.88
17.	पश्चिम बंगाल	-8363.99	-5923.94	-6747.81
	<b>सभी गैर-विशेष श्रेणी राज्य</b>	<b>-6842.85</b>	<b>3050.72</b>	<b>9600.33</b>
	<b>सभी राज्य (एससीएस एण्ड एनएससीएस)</b>	<b>-10512.29</b>	<b>-1760.48</b>	<b>7206.64</b>
<b>III.</b>	<b>विधानमंडलों सहित संघ शासित क्षेत्र</b>			
1.	एनसीटी दिल्ली	3,840.31	4,593.59	5066.22
2.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
	<b>सभी संघ शासित क्षेत्र</b>	<b>3840.31</b>	<b>4593.59</b>	<b>5066.22</b>
	<b>सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र</b>	<b>-6671.98</b>	<b>2833.11</b>	<b>12272.86</b>

अनुमोदित योजना 2005-06 वरु 2006-07 दस फु, जक; फोर् नवीनतम अनुमान ¼ ल बचत दक ; सखनु

(करोड रुपये में)

राज्य	2005-06		2006-07
	अनुमोदित योजना	नवीनतम अनुमान	अनुमोदित योजना
1	2	3	4
<b>I. विशेष श्रेणी राज्य (एससीएस)</b>			
1. अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
2. असम	-48.80	-48.80	0.00
3. हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
4. जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	-20.00
5. मणिपुर	-	-	-
6. मेघालय	-6.53	0.00	-7.71
7. मिजोरम	-	-	-
8. नागालैंड	-	-	-
9. सिक्किम	-	-	-
10. त्रिपुरा	(80.00)	(80.00)	-50.96
11. उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00
<b>विशेष श्रेणी राज्य जोड़</b>	<b>-135.33</b>	<b>-128.80</b>	<b>-78.67</b>
<b>II. गैर-विशेष श्रेणी राज्य (एनएससीएस)</b>			
1. आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00
2. बिहार	-710.26	-1026.83	-613
3. छत्तीसगढ़	191.34		
4. गोवा	0.00	0.00	0.00
5. गुजरात	0.00	0.00	0.00
6. हरियाणा	0.00	0.00	0.00
7. झारखंड	-469.19	-469.19	-721
8. कर्नाटक	106.48	128	354.29
9. केरल	0.00	0.00	0.00
10. मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00
11. महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00
12. उड़ीसा	27.13	100	-152.06
13. पंजाब	0.00	0.00	0.00
14. राजस्थान	0.00	0.00	0.00
15. तमिलनाडु	-798	-798	-1098.48
16. उत्तर प्रदेश	35	58	68.41
17. पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	354.54
<b>सभी गैर-विशेष श्रेणी राज्य</b>	<b>-1617.50</b>	<b>-2008.02</b>	<b>-1807.30</b>
<b>सभी राज्य (एससीएस एण्ड एनएससीएस)</b>	<b>-1752.83</b>	<b>-2136.82</b>	<b>-1885.97</b>
<b>III. विधानमंडलों सहित संघ शासित क्षेत्र</b>			
1. एनसीटी दिल्ली	-100.00	-225.00	0.00
2. पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
<b>सभी संघ शासित क्षेत्र</b>	<b>-100.00</b>	<b>-225.00</b>	<b>0.00</b>
<b>सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र</b>	<b>-1852.83</b>	<b>-2361.82</b>	<b>-1885.97</b>

कृषि ; कृषि 2003-04 वरि 2005-06 दस फ्य, I मेद ifjogu fuxe %kjVhl h% dk ; kxnku

(Rs. Crore)

राज्य	2005-06		2006-07
	वार्षिक योजना	संशोधित अनुमान	वार्षिक योजना
1	2	3	4
<b>I. विशेष श्रेणी राज्य (एससीएस)</b>			
1. अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
2. असम	-9	-9	-9.08
3. हिमाचल प्रदेश	-44.79	-44.79	-32.42
4. जम्मू व कश्मीर	-20	-20	0
5. मणिपुर	0.00	0.00	0.00
6. मेघालय	0.42	0	0.14
7. मिजोरम	-	-	-
8. नागालैंड	-	-	-
9. सिक्किम	-	-	-
10. त्रिपुरा	-8	-8	-10.1
11. उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00
<b>विशेष श्रेणी राज्य जोड़</b>	<b>-81.37</b>	<b>-81.79</b>	<b>-51.46</b>
<b>II. गैर-विशेष श्रेणी राज्य (एनएससीएस)</b>			
1. आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00
2. बिहार	0.00	0.00	0.00
3. छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00
4. गोवा	-5.5	-5.5	-8.5
5. गुजरात	0.00	0.00	0.00
6. हरियाणा	0.00	0.00	0.00
7. झारखंड	0.00	0.00	0.00
8. कर्नाटक	54.39	247.93	185.29
9. केरल	0.00	0.00	0.00
10. मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00
11. महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00
12. उड़ीसा	5.01	4.77	3.76
13. पंजाब	-21.72	-21.72	-21.86
14. राजस्थान	-45.5	-45.5	-75.2
15. तमिलनाडु	-58	-58	-472.08
16. उत्तर प्रदेश	24.39	117.25	38.8
17. पश्चिम बंगाल	-26.93	0	-258.96
सभी गैर-विशेष श्रेणी राज्य	<b>-73.86</b>	<b>239.23</b>	<b>-608.75</b>
सभी राज्य (एससीएस एण्ड एनएससीएस)	<b>-155.23</b>	<b>157.44</b>	<b>-660.21</b>
<b>III. विधानमंडलों सहित संघ शासित क्षेत्र</b>			
1. एनसीटी दिल्ली	-560.44	-1128.21	0.00
2. पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
सभी संघ शासित क्षेत्र	<b>-560.44</b>	<b>-1128.21</b>	<b>0.00</b>
सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र	<b>-715.67</b>	<b>-970.77</b>	<b>-660.21</b>

## 2.2 सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

### वार्षिक योजना 2006-07 का आकार

2.2.1 2006-07 की वार्षिक योजना (केंद्रीय प्लान) में 254041.48 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिस में सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 131284.53 करोड़ रुपये और आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन (आईईबीआर) हेतु 122756.95 करोड़ रुपये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 63,900.16 करोड़ रुपये, जिसमें 37443.32 करोड़ रुपये का प्रावधान अनुदानों हेतु किया गया है। ईएपी के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य ऋण तथा रुपये 22456.83 करोड़ की व्यवस्था राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बाजार से निजी स्तर पर करनी होगी।

### वर्ष 2006-07 में योजना आबंटन के लिए दिशा-निर्देश

2.2.2 सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को वार्षिक योजना 2006-07 के लिए योजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए निम्नलिखित निदेश/दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं:-

- i. राष्ट्रीय सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में उल्लिखित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए मंत्रालयों/विभागों को "कोर प्लान" और क्षेत्रक प्राथमिकताएं तैयार कर लेनी चाहिए, ताकि उपलब्ध संसाधनों का पूर्णतः न्यायोचित और पूरी किफायत एवं दक्षता के साथ सदुपयोग किया जा सके।
- ii. सभी केंद्रीय विभागों और मंत्रालयों सभी स्कीमों के लिए जेडबीबी एक्सरसाइज को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। यह आवश्यक है, ताकि निधि की जरूरत और योजना आबंटन में सही सामंजस्य बैठ सके और वित्तीय आबंटन की बजाय वास्तविक लक्ष्यों की उपलब्धि पर पूरा ध्यान केंद्रित हो सके।
- iii. दसवीं योजना के लिए वार्षिक योजना 2006-07 अंतिम वर्ष है और वे ही नई स्कीमों/कार्यक्रम/परियोजनाएं ही इस में शामिल की जा सकती हैं, जो जनहित में हैं और आर्थिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विवक्षाओं के बिना उनमें देरी नहीं की

जा सकती और जिनके लिए संभाव्यता संबंधी प्राथमिक अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

- iv. विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए वित्तीय परिव्यय को निष्पादन में बदलने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। इन्टरमिडियट निष्पादन/मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किए गए योजना कार्यक्रमों/स्कीमों के निष्पादन का परिकलन किया जाए। लक्ष्यों की उपलब्धियों का मूल्यांकन आउट-कम बजट में उपलब्ध कराए मात्रात्मक निष्पादन के संदर्भ में किया जाए।
- v. अर्धवार्षिक निष्पादन की समीक्षा बैठकों के आधार पर निकले परिणामों के मात्रा एवं गुणवत्ता और लक्ष्यों की उपलब्धियों के गुणात्मक मूल्यांकनों का 2006-07 के प्लान आबंटनों पर एक मजबूत छाप रहनी चाहिए।
- vi. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की वार्षिक योजना प्रस्ताव में ईएपी(ज) जैसे प्रस्तावों को शामिल करना चाहिए, ताकि बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं सीधे तौर पर वित्त पोषित परियोजनाओं (बजट बाहर प्रवाह वाली) आयोजनाओं की प्रक्रियाओं और बजटीय संसाधनों के आबंटन से सशक्त बनाया जा सके।
- vii. पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रधान मंत्री के दबाव पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए की गई पहलों के रूप में सभी केंद्रीय मंत्रालय/विभाग को कम से कम बजट का 10% भाग निर्धारित करना चाहिए। (इसके अलावा, जिन्हें विशिष्ट रूप से छूट दी गई हो)
- viii. सुविधाओं के विकास लोक निधि के उत्तोलन हेतु सार्वजनिक/ निजी सहभागिता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, धन का और अच्छा मूल्य सुनिश्चित किया जा सके तथा सेवाओं की सुलभता में और गुणवत्तापूर्ण सुधार लाया जा सके और विशेष रूप से सामाजिक सेवाओं जैसे - स्वास्थ्य, देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, गुणवत्ता, सड़क, रेल-लाइन, बन्दरगाह, एयरपोर्ट, सुरक्षित पेय जल और साफ-सफाई की व्यवस्था ट्रांस्क्रिप्शन सुविधाओं का प्रावधान।

ix. आईटी का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक क्षमता में सुधार हेतु उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार सभी केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों को अपने प्लान/नॉन-प्लान में 2-3 प्रतिशत का प्रावधान आईटी को लागू करने संबंधी कार्यक्रमों/ स्कीमों के लिए रखा जाए, और उनके बजट (प्लान और नॉन प्लान) के 2-3 प्रतिशत से अधिक का खर्च सूचना और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए।

प्राथमिकताओं का ध्यान रखा गया:-

- सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों हेतु पर्याप्त वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाए (जिस में भारत निर्माण के सभी घटक भी शामिल हैं)
- वैज्ञानिक विभागों के वित्त पोषण के लिए प्राथमिकता देना।
- कृषि क्षेत्रक बुनियादी सुविधाओं (सड़क परिवहन, पोत-परिवहन, रेलवे) और माध्यमिक शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी गई है। (जिसमें पशुपालन और जल संसाधन भी शामिल हैं)

### वार्षिक योजना 2006-07 के बजटीय आबंटनों की मुख्य बातें

2.2.3 वार्षिक योजना के लिए योजना आबंटनों को सरकार के राष्ट्रीय सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही जारी किया गया तथा साथ ही में दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के मध्यावधि मूल्यांकनों से उबरी प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। केन्द्रीय प्लान आबंटनों के निर्धारण में विशेष रूप से निम्नलिखित

2.2.4 शिक्षा समानता लाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक शक्ति है। शिक्षा में निवेश समाज और जनता में आर्थिक सशक्तिकरण लाने के लिए जरूरी है। तदनुसार, बुनियादी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) को 2005-06 के 12531.76 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2006-07 में 17128 करोड़ रुपये कर

तालिका 2.2.1

केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक योजना 2006-07 के बजट अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष	केन्द्र			राज्य और संघ	कुल
		बजटीय सहायता	आईईवीआर	परिव्यय	राज्य क्षेत्र परिव्यय	
1	कृषि और समबद्ध कार्यकलाप	7273.19	112.38	7385.57	8777.21	16162.78
2	ग्राम विकास	15643.95	0.00	15643.95	15066.74	30710.69
3	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	586.55	0.00	586.55	32602.8	33189.35
4	ऊर्जा	8011.96	61581.55	69593.51	20905.35	90498.86
5	उद्योग और खनिज	5375.41	9157.93	14533.34	3679.62	18212.96
6	परिवहन	23756.57	24857.23	48613.80	23440.86	72054.66
7	संचार	593.05	19290.70	19883.75	481.96	20365.71
8	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	8061.34	0.00	8061.34	333.39	8394.73
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	3171.74	0.00	3171.74	6854.39	10026.13
10	सामाजिक सेवाएं	58180.52	7757.16	65937.68	66050.83	131988.51
11	सामान्य सेवाएं	630.25	0.00	630.25	3528.94	4159.19
12	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	5521.89	5521.89
	<b>कुल</b>	<b>131284.53</b>	<b>122756.95</b>	<b>254041.48</b>	<b>187243.98</b>	<b>441285.46</b>

दिया है, जिसमें 36.7% की वृद्धि देखी गई है। इसी प्रकार शिक्षा विभाग एवं उच्चतर शिक्षा के लिए बजटीय आबंटन 2006-07 में बढ़ाकर 3617.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

2.2.5 हमारे स्वास्थ्य संकेतकों के सुधार में प्रगति संतोषजनक नहीं रही है। जैंडर संवेदनशील उपाय जैसे - आईएमआर और एमएमआर काफी तीव्रता से नीचे नहीं आ रहे हैं। इन मुद्दों का सामना करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का परिव्यय बढ़ाकर 11305 करोड़ रुपये कर दिया गया है, ताकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के जरूरी प्रावधान किए जा सकें। क्योंकि स्वास्थ्य हस्तक्षेप एवं रणनीति में पीने के पानी की आपूर्ति और साफ-सफाई बहुत ही आवश्यक घटक होते हैं, अतः पेयजल आपूर्ति विभाग की सकल बजटीय सहायता बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपये कर दी गई है।

2.2.6 महिला और बाल विकास विभाग का परिव्यय बढ़ाकर 4795.85 करोड़ रुपये कर दिया गया है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) विभाग की फ्लैगशिप स्कीम रही है, जिसका लक्ष्य पूरक पोषण, बच्चों के टीकाकरण तथा गर्भवती और लक्टेटिंग माताओं के स्वास्थ्य और पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

2.2.7 ग्रामीण विकास विभाग के जीबीएस में (2005-06 के बजट अनुमान के मुकाबले) 31% से भी ज्यादा की ठोस वृद्धि की गई है, ताकि स्वरोजगार, मजदूरी-रोजगार, ग्रामीण आवास और ग्रामीण कनेक्टिविटी (संपर्क) जैसी फ्लैगशिप स्कीमों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जा सकें।

2.2.8 कृषि और सहकारिता विभाग के बजटीय आबंटनों को बढ़ाकर 4800 करोड़ रुपये कर दिया गया है ताकि राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर आवश्यक पूर्ण ध्यान दिया जा सके। लघु सिंचाई और शुष्क भूमि खेती पर भी राष्ट्रीय सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में उल्लिखित प्राथमिकताओं के अनुसार पूरा ध्यान दिया जा सके। पशुपालन विभाग, दुग्ध-उद्योग और मत्स्य-पालन का प्लान आबंटन भी बढ़ाकर 777 करोड़ रुपये कर दिया गया है ताकि पशुधन और मत्स्य क्षेत्रक को पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

2.2.9 हमारे उद्योगों को स्पर्धात्मक बनाने के लिए विद्युत क्षेत्रक एक महत्वपूर्ण अवसंरचना है। ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) में सुधार के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण जरूरी है और भारत निर्माण जो सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम का एक अभिन्न घटक है। विद्युत मंत्रालय की सकल बजटीय सहायता बढ़ाकर 5500 करोड़ रुपये कर दी गई है।

2.2.10 रेल मंत्रालय का जीबीएस बढ़ाकर 6800.14 करोड़ रुपये कर दिया गया है। विशिष्ट रेलवे सुरक्षा निधि (एसआरएसएफ) पर विशेष जोर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए सकल बजटीय सहायता बढ़ा कर 11614.78 करोड़ रुपये कर दी गई है, जो विभिन्न परियोजनाओं के तहत एनएचएआई की वचनबद्धता को पूरा करना जरूरी था।

2.2.11 विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश का प्राथमिक लक्ष्य है कि घरेलू अनुसंधान और विकास को बढ़ाया जाए ताकि ज्ञान के इस युग में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। विकास की गतिविधियों पर अनुसंधान और विकास की गतिविधियों का गुणात्मक असर पड़ा है। तदनुसार जैव प्रौद्योगिकी की, अंतरिक्ष, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान, महासागर विकास विभागों की प्लान-परिव्यय में वृद्धि कर, इसे क्रमशः 521 करोड़ रुपये, 3220 करोड़ रुपये, 975 करोड़ रुपये, 438 करोड़ रुपये रखा गया है।

2.2.12 वार्षिक योजना 2006-07 हेतु केंद्र के लिए बजट अनुमान जो विकास शीर्ष के तहत है, उसे सारांशतः तालिका 2.2.1 में दिया गया है।

### वार्षिक योजना 2005-06 की समीक्षा

2.2.13 वार्षिक योजना 2005-06 के लिए केंद्रीय क्षेत्रक के परिव्यय के संशोधित अनुमानों में 205338.24 करोड़ रुपये रखे गए, जो केंद्र के बजट अनुमानों 2,11,253.49 करोड़ रुपये की तुलना में 2.8% कम है। वार्षिक योजना 2005-06 के लिए केंद्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु विकास शीर्ष के तहत किए संशोधित अनुमानों का सारांश तालिका

2.2.2 में देखा जा सकता है।

2.2.14 केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2004-05 के लिए वास्तविक व्यय, वार्षिक योजना 2005-06 के लिए बजट अनुमान, वार्षिक योजना 2005-06 के लिए संशोधित अनुमान विकास शीर्षवार क्रमशः परिशिष्ट 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 में दर्शाए गए हैं। वार्षिक योजना 2005-06 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संशोधित योजना परिव्यय संबंधी विकास शीर्ष परिशिष्ट 2.2.4 में दिए गए हैं। केन्द्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विकास शीर्ष के तहत मंत्रालय/विभागवार वार्षिक योजना 2006-07 संबंधी बजट अनुमान परिशिष्ट 2.2.6 में देखे जा सकते हैं।

2.2.15 डिलीवरी के मामले में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता स्वच्छ पेय जल की उपलब्धता एवं साफ सफाई की स्थिति दयनीय रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राज्य परियोजना कार्यान्वयन के फ्लैक्सीबल पूल हेतु योजनाएं शुरू कर दी गई हैं, ताकि पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की बजटीय सहायता 9332 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2005-06 में 11305 करोड़ रुपये कर दी गई है ताकि विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को पर्याप्त संसाधन मुहैया कराए जा सकें। स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई उपलब्ध कराने की गारंटी देने के उद्देश्य से पेय जल आपूर्ति विभाग को 6000 करोड़ रुपये की राशि इस वर्ष हेतु रखी गई, जो पिछले वर्ष किए गए आबंटन से 26% अधिक है।

2.2.16 महिलाओं, बालकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों का विकास करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। महिला और बाल विकास विभाग का बजट आबंटन वार्षिक योजना 2006-07 के लिए 4,795.85 करोड़ रुपये रखा गया ताकि एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पर्याप्त वित्त पोषण हो सके, जिसमें पूरक पोषण की 50% राशि की लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी तथा साथ ही अल्प या पिछड़े समुदाय की लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकें।

2.2.17 पिछले वर्ष के रुपये 21,334.00 करोड़ की तुलना में ग्रामीण विकास विभाग के बजट आबंटन ने आकार बढ़ा बनाते हुए 31% की वृद्धि की गई, ताकि बेरोजगारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करते हुए आवास की समस्या का मुकाबला किया जा सके तथा साथ में खाद्य सुरक्षा, निर्माण, रहने के स्थानों का जीर्णोद्धार इंदिरा आवास योजना के तहत किया जा सके।

2.2.18 इस वर्ष कृषि और सहकारिता विभाग के योजना आबंटन में पिछले वर्ष 4,800 करोड़ रुपये की तुलना में वृद्धि कर 4179.32 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया, ताकि दो फ्लैगशिप कार्यक्रमों - राष्ट्रीय बागवानी मिशन और लघु सिंचाई तथा वर्षा आधारित खेती में पहल करते हुए उन्हें व्यापक स्तर पर उबारा जा सके। एनसीएमपी पर विशेष बल देते हुए जूट उत्पादों की उत्पादकता और विपणन को बढ़ाने के लिए इस वर्ष जूट प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया। इस वर्ष पशुपालन विभाग, डेयरींग और मत्स्यपालन के बजट आबंटन में वृद्धि कर 777 करोड़ रुपये रखा गया ताकि राष्ट्रीय मत्स्य विकास कार्यक्रम को व्यापक निधि मिल सके और पशुधन स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में भी और अच्छे कार्य किए जा सकें।

2.2.19 आरजीवीवाई के तहत 2006-07 में 7.68 करोड़ अविद्युतीकृत घरों में से 1.63 करोड़ घरों को सस्ती एवं नियमित विद्युत उपलब्ध कराई जा सके और उन्हें सड़क से जोड़ने हेतु ग्रामीण विकास विभाग और विद्युत विभाग को क्रमशः 24,025.62 करोड़ रुपये और 5500 करोड़ रुपये इस वर्ष आबंटित किए गए।

2.2.20 सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना तथा परम्परागत प्रौद्योगिकी विकास को सबल बनाना सरकार की प्राथमिक चिंता रही है। वार्षिक योजना 2006-07 में अनुसंधान और अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की गई है, जो सैटलाइट प्रौद्योगिकी से विकसित होंगे जैसे - नेवीगेशनल और उन्नत संचार सैटलाइट प्रणाली, मेगा-ट्रोपिक्स सैटलाइट आदि को अंतरिक्ष विज्ञानों, प्रतिदिन 10 मिलियन लीटर ऑफ बैराज आधारित डिसेलीनेशन प्लांट की डिजाइनिंग और उसका विकास, महासागर विज्ञान

तालिका 2.2.2

केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक योजना 2005-06 के संशोधित अनुमान

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विकास शीर्ष	केन्द्र			राज्य और संघ	कुल
		बजटीय सहायता	आईईवीआर	परिव्यय	राज्य क्षेत्र परिव्यय	
1	कृषि और समृद्ध कार्यकलाप	5842.40	64.78	5907.18	7532.59	13439.77
2	ग्राम विकाकास	14240.60	0.00	14240.60	12973.59	27214.19
3	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	418.36	0.00	418.36	24588.64	25007.00
4	ऊर्जा	4625.76	49094.37	53720.13	17585.65	71305.78
5	उद्योग और खनिज	4485.02	5578.53	10063.55	3448.73	13512.28
6	परिवहन	21402.82	19009.21	40412.03	18502.52	58914.55
7	संचार	483.71	17041.40	17525.11	247.44	17772.55
8	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	6031.55	0.00	6031.55	379.08	6410.63
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	2813.97	0.00	2813.97	4331.66	7145.63
10	सामाजिक सेवाएं	46449.67	7296.52	53746.19	49561.37	103307.56
11	सामान्य सेवाएं	459.57	0.00	459.57	2235.91	2695.48
12	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	4904.06	4904.06
	<b>कुल</b>	<b>107253.43</b>	<b>98084.81</b>	<b>205338.24</b>	<b>146291.24</b>	<b>351629.48</b>

के क्षेत्र में अनुसंधान वैसल्स की प्राप्ति, बायो-टैक्नॉलाजी के क्षेत्र में स्टैम और टीश्यू इंजीनियरिंग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उद्योग-एकादमियों की सहभागिता को प्रोत्साहन, अन्तरिक्ष विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, महासागर विकास विभाग और जैव-प्रौद्योगिकी विभाग को क्रमशः 3220 करोड़, 1367 करोड़, 4124.12 करोड़, 438 करोड़ और 521 करोड़ रुपये आबंटित किए गए ताकि इस वर्ष के लिए अनुसंधान कार्यक्रमों की प्राथमिकता को पूरा किया जा सके।

2.2.21 इस वर्ष रेल मंत्रालय का बजट आबंटन बढ़ा कर 6800.14 करोड़ कर दिया गया है ताकि विशिष्ट रेलवे सुरक्षा निधि, उच्च क्षमता वैगन निर्माण, कंटेनर सिगमेंट खोलने, नैटवर्क के विकास एवं विस्तार और प्रौद्योगिकी के क्रमोन्नयन पर खुल कर खर्च किया जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर सड़क नैटवर्क के विकास के लिए जिस में एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे से संबंधित परियोजनाएं, पूर्वोत्तर में राजमार्गों को बढ़ावा, उद्योगों और आर्थिक महत्व के स्थानों को

सड़क से जोड़ना, सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को रुपये 13,180.78 करोड़ इस वर्ष आबंटित किए गए। पोत परिवहन विभाग को सुनामी के बाद के निर्माणों के लिए 740.88 करोड़ रुपये आबंटित किए गए ताकि अर्द्धशैय जल परिवहन का विकास हो, पोर्ट्स से रेल/रोड़ संपर्क हो, देश के पूर्वी क्षेत्र में डीप ड्राफ्ट पोर्ट हो तथा कैपिटल ड्रीजिंग हो सके।

2.2.22 सूचना प्रौद्योगिकी और दूर संचार के क्षेत्रों में प्राथमिकताओं का पता लगाया गया, जिन में शामिल हैं - विभिन्न स्थापनाओं को ऑप्टिकल फाइबर केबल से नैटवर्किंग करना ताकि डिफेंस फोर्स द्वारा फालतू स्पैक्ट्रम को नागरिक उपयोगों के लिए जारी किया जा सके, नेशनल ई-गवर्नेंस, माइक्रो इलैक्ट्रॉनिक्स, नैनो-टैक्नॉलाजी विकास, कंप्यूटराइजेशन तथा डाक-घरों का नैट-वर्किंग। इन प्राथमिकता वाले प्लानों/कार्यक्रमों के निष्पादन हेतु दूर-संचार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और डाक विभागों को क्रमशः 213.61 करोड़ रुपये, 1090 करोड़ रुपये और 354 करोड़ रुपये वार्षिक योजना 2006-07 में आबंटित किए गए।

संलग्नक 2.2.1

okf"kd ;kstuk 2004-05 ds fy, dñnj jkT;ka vksj l ak jkT; {ks= ds fodkl 'k"K }kjk okLrfod 0; ;

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र*	राज्य\$	सं. शा.क्षे.	जोड़
<b>I.</b>	<b>कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप</b>		<b>4798.75</b>	<b>6044.35</b>	<b>119.52</b>	<b>10962.62</b>
1	फसल कृषि	12401	2357.00	1564.85	16.06	3937.91
2	बागवानी			181.69	3.60	185.28
3	मृदा तथा जल संरक्षण	12402	10.81	870.92	2.08	883.81
4	पशुपालन	12403	312.11	306.44	25.34	643.90
5	डेरी विकास	12404	61.12	43.34	5.81	110.27
6	मत्स्यपालन	12405	151.27	184.69	13.77	349.73
7	वानिकी और वन्य जीवन	12406	446.43	1313.39	19.30	1779.12
8	बागान	12407	246.38	29.56	0.00	275.94
9	खाद्य, भण्डारण तथा गोदाम	12408	125.32	9.19	3.43	137.95
10	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	12415	810.00	346.12	7.12	1163.23
11	कृषि वित्तीय संस्थान	12416	5.00	27.62	0.00	32.62
12	सहकारिता	12425	159.20	836.67	20.02	1015.89
13	अन्य कृषि क्षेत्र कार्यक्रम	12435	114.11	329.88	2.99	446.98
<b>II.</b>	<b>ग्रामीण विकास</b>		<b>8588.76</b>	<b>9856.84</b>	<b>138.95</b>	<b>18584.55</b>
1	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	1764.00	2058.40	0.23	3822.63
2	ग्रामीण रोजगार	12505	6408.00	3191.23	0.00	9599.23
3	भू-सुधार	12506	62.00	119.42	1.78	183.19
4	अन्य ग्रामीण विकास	12515	354.76	4487.80	136.94	4979.50
5	अन्य विशेष कार्यक्रम	12575				0.00
<b>III.</b>	<b>विशेष क्षेत्र कार्यक्रम</b>			<b>2385.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2385.39</b>
1	पहाड़ी क्षेत्र	12551				
2	पूर्वोत्तर क्षेत्र	12552				
3	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12575				
	(क) पिछले क्षेत्र					
	(ख) जनजातीय उप-योजना					
	(ग) सीमावर्ती क्षेत्र					
	(घ) अनुच्छेद 275(1) के अधीन निधियाँ					
	(ङ) अन्य					
<b>IV.</b>	<b>सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण</b>		<b>364.69</b>	<b>18597.49</b>	<b>62.30</b>	<b>19024.49</b>
1	बड़ी और मझोली सिंचाई	12701	63.81	15011.81	0.00	15075.62
2	लघु सिंचाई	12702	68.23	2458.83	26.47	2553.53
3	कमान क्षेत्र विकास	12705	140.36	579.44	0.20	720.00
4	बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	12711	92.29	547.41	35.63	675.33
<b>V.</b>	<b>ऊर्जा</b>		<b>43556.87</b>	<b>16440.61</b>	<b>731.99</b>	<b>60729.47</b>
1	विद्युत	12801	17280.19	16309.42	725.86	34315.47
2	पेट्रोलियम	12802	22999.23			22999.23
3	कोयला तथा लिग्नाइट	12803	2518.35			2518.35
4	ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	12810	759.10	131.19	6.13	896.43
5	ऊर्जा समन्वय और विकास	12820				0.00

वित्तीय संसाधन तथा सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र*	राज्य\$	सं. शा.क्षे.	जोड़
<b>VI.</b>	<b>उद्योग तथा खनिज</b>		<b>7833.33</b>	<b>2191.96</b>	<b>88.16</b>	<b>10113.45</b>
1	ग्राम और लघु उद्योग	12851	1288.98	1234.61	65.47	2589.06
2	लोहा और इस्पात उद्योग	12852	1158.12			1158.12
3	अलौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग	12853	378.50			378.50
4	सीमेंट तथा गैर-धात्विक खनिज उद्योग	12854	10.01			10.01
5	उर्वरक उद्योग	12855	429.63			429.63
6	पेट्रोरासायनिक उद्योग	12856	1619.15			1619.15
7	रासायनिक तथा फार्मसिटिकल उद्योग	12857	37.73			37.73
8	इंजीनियरी उद्योग	12858	256.73			256.73
9	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	12859	1320.17			1320.17
10	उपभोक्ता उद्योग	12860	474.68			474.68
11	परमाणु ऊर्जा उद्योग	12861	485.88			485.88
12	अन्य उद्योग	12875	222.82	892.51	22.25	1137.58
13	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	12885	150.93	64.84	0.44	216.21
<b>VII.</b>	<b>परिवहन</b>		<b>26332.29</b>	<b>11097.32</b>	<b>1342.22</b>	<b>38771.83</b>
1	रेलवे	13002	15274.14			15274.14
2	पत्तन तथा प्रकाशगृह	13051	465.84	55.82	24.88	546.54
3	नौवहन	13052	762.19			762.19
4	नागर विमानन	13053	1468.03	73.83	5.57	1547.43
5	सड़कें और पुल	13054	8253.30	9531.85	715.95	18501.11
6	सड़क परिवहन	13055		682.59	133.02	815.60
7	अन्तर्देशीय जल परिवहन	13056	83.53	29.44	1.53	114.50
8	अन्य परिवहन सेवाएं	13075	25.26	723.79	461.27	1210.32
<b>VIII.</b>	<b>संचार</b>		<b>9131.76</b>	<b>148.03</b>	<b>1.58</b>	<b>9281.36</b>
1	डाक सेवाएं	13201	180.45			180.45
2	दूरसंचार सेवाएं	13225	8856.00			8856.00
3	अन्य संचार सेवाएं	13275	95.31			95.31
<b>IX.</b>	<b>विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण</b>		<b>5293.74</b>	<b>221.07</b>	<b>6.26</b>	<b>5521.07</b>
1	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	13401	590.17			590.17
2	अंतरिक्ष अनुसंधान	13402	2200.00			2200.00
3	समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान	13403	200.00			200.00
4	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	1805.00	181.27	2.02	1988.29
5	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	13435	498.57	39.80	4.24	542.61
<b>X.</b>	<b>सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>		<b>2511.46</b>	<b>2685.88</b>	<b>47.99</b>	<b>5245.34</b>
1	सचिवालयीय आर्थिक सेवाएं	13451	221.73	898.42	4.34	1124.49
2	पर्यटन	13452	450.00	549.00	30.83	1029.83
3	विदेशी व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	13453	596.74			596.74
4	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13454	88.03	25.07	2.77	115.87
5	मौसम विज्ञान	13455	79.10			79.10

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र*	राज्य\$	सं. शा. क्षे.	जोड़
6	नागरिक आपूर्ति	13456	19.42	101.00	9.74	130.16
7	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थान	13465				0.00
8	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	13605	735.00			735.00
9	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	321.44	1112.40	0.31	1434.15
<b>XI.</b>	<b>सामाजिक सेवाएं</b>		<b>41985.63</b>	<b>34838.38</b>	<b>2910.09</b>	<b>79734.09</b>
1	सामान्य शिक्षा	22202	8873.72	8050.59	444.96	17369.27
2	तकनीकी शिक्षा	22203	595.67	501.13	62.15	1158.95
3	खेलकूद और युवा सेवाएं	22204	337.00	443.15	13.57	793.72
4	कला तथा संस्कृति	22205	299.73	201.35	20.03	521.11
5	चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	22210	2173.84	3430.81	577.95	6182.60
6	परिवार कल्याण	22211	4770.00			4770.00
7	जल आपूर्ति और सफाई	22215	3221.25	5743.55	793.00	9757.80
8	आवास	22216	8555.92	3707.93	100.38	12364.22
9	शहरी विकास	22217	2354.99	4152.69	651.24	7158.91
10	सूचना और प्रचार	22220	30.82	72.75	10.65	114.22
11	प्रसारण	22221	545.21			545.21
12	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	1250.13	4243.50	38.40	5532.03
13	श्रम और रोजगार	22230	157.33	428.40	16.43	602.16
14	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	22235	2414.43	1803.01	79.31	4296.75
15	पोषाहार	22236	2.50	1651.10	61.17	1714.77
16	प्राकृतिक आपदाएं	22245	5.76			5.76
17	अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	10.00	408.41	40.86	459.27
18	सचिवालयीय सामाजिक सेवाएं	22251	9.23			9.23
19	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	6378.10			6378.10
<b>XII.</b>	<b>सामान्य सेवाएं</b>		<b>420.87</b>	<b>2698.77</b>	<b>191.86</b>	<b>3311.50</b>
1	न्यायकरण	32014	102.50			102.50
2	मुद्रा, सिक्का ढलाई और टकसाल	32046				0.00
3	अन्य राजकोषीय सेवाएं	32047				0.00
4	सचिवालय सामान्य सेवाएं	32052	9.81			9.81
5	पुलिस	32055	242.81			242.81
6	जेलें	32056		45.97	21.40	67.37
7	आपूर्ति और निपटान	32057	1.26			1.26
8	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	32058		19.01	4.34	23.35
9	लोक निर्माण	32059	29.14	710.52	79.07	818.72
10	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	33.39	1923.27	87.05	2043.71
11	विविध सामान्य सेवाएं	32075	1.96			1.96
	<b>सकल</b>		<b>150818.15</b>	<b>107206.09</b>	<b>5640.93</b>	<b>263665.16</b>

\$ असम और कर्नाटक के लिए संशोधित आंकड़े लिए गए हैं।

\*केन्द्र के सभी विकास शीर्षों के लिए संशोधित अनुमान किए गए हैं क्योंकि वास्तविक व्यय उपलब्ध नहीं है।

okf'kbl ;kst uk 2005-06 ds fy, dñnj jkT;ka vksj I ðk jkT; {ks- ds fodkl 'kñ'kks }kjk ctV vuqeku

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र*	राज्य	सं. शा.क्षे.	जोड़
<b>I.</b>	<b>कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप</b>		<b>6425.50</b>	<b>7248.06</b>	<b>166.07</b>	<b>13839.63</b>
1	फसल कृषि	12401	3415.75	2186.54	22.17	5624.46
2	बागवानी			185.12	4.26	189.38
3	मृदा तथा जल संरक्षण	12402	8.00	926.36	6.18	940.54
4	पशुपालन	12403	350.11	531.29	27.93	909.33
5	डेरी विकास	12404	78.50	69.32	6.29	154.11
6	मत्स्यपालन	12405	217.56	226.55	28.73	472.84
7	वानिकी और वन्य जीवन	12406	480.50	1783.10	32.44	2296.04
8	बागान	12407	293.61	47.33	4.54	345.48
9	खाद्य, भण्डारण तथा गोदाम	12408	216.16	17.32	0.00	233.48
10	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	12415	1035.00	389.41	9.20	1433.61
11	कृषि वित्तीय संस्थान	12516	3.81	61.74	0.00	65.55
12	सहकारिता	12425	162.50	431.52	23.53	617.55
13	अन्य कृषि क्षेत्र कार्यक्रम	12435	164.00	392.46	0.80	557.26
<b>II.</b>	<b>ग्रामीण विकास</b>		<b>11494.50</b>	<b>12249.34</b>	<b>186.67</b>	<b>23930.51</b>
1	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	1992.24	2873.54	2.88	4868.66
2	ग्रामीण रोजगार	12505	9000.00	2578.28	0.00	11578.28
3	भू-सुधार	12506	126.00	193.02	2.56	321.58
4	अन्य ग्रामीण विकास	12515	376.26	6604.50	181.23	7161.99
5	अन्य विशेष कार्यक्रम	12575	0.00			0.00
<b>III.</b>	<b>विशेष क्षेत्र कार्यक्रम</b>			<b>4546.52</b>	<b>0.00</b>	<b>4546.52</b>
1	पहाड़ी क्षेत्र	12551		411.40	0.00	411.40
2	पूर्वोत्तर क्षेत्र	12552				
3	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12575		4135.12	0.00	4135.12
	(क) पिछड़े क्षेत्र					0.00
	(ख) जनजातीय उप-योजना			202.03		202.03
	(ग) सीमावर्ती क्षेत्र			323.19		323.19
	(घ) अन्य			3609.90		3609.90
<b>IV.</b>	<b>सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण</b>		<b>524.34</b>	<b>26356.97</b>	<b>75.80</b>	<b>26957.11</b>
1	बड़ी और मझोली सिंचाई	12701	82.83	18617.31	4.44	18704.58
2	लघु सिंचाई	12702	72.64	3058.01	27.95	3158.60
3	कमान क्षेत्र विकास	12705	200.00	1136.75	0.20	1336.95
4	बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	12711	168.87	3544.90	43.21	3756.98
<b>V.</b>	<b>ऊर्जा</b>		<b>58191.19</b>	<b>18548.30</b>	<b>616.62</b>	<b>77356.11</b>
1	विद्युत	12801	26495.42	18127.80	604.79	45228.01
2	पेट्रोलियम	12802	27269.69			27269.69
3	कोयला तथा लिग्नाइट	12803	3620.64			3620.64

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र*	राज्य	सं. शा. क्षे.	जोड़
4	ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	12810	805.44	420.50	11.83	1237.77
5	ऊर्जा समन्वय और विकास	12820	0.00			0.00
<b>VI.</b>	<b>उद्योग तथा खनिज</b>		<b>11998.15</b>	<b>3209.02</b>	<b>95.43</b>	<b>15302.59</b>
1	ग्राम और लघु उद्योग	12851	1515.10	1069.77	48.52	2633.39
2	लोहा और इस्पात उद्योग	12852	2492.52			2492.52
3	अलौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग	12853	668.64			668.64
4	सीमेंट तथा गैर-धात्विक खनिज उद्योग	12854	14			14.00
5	उर्वरक उद्योग	12855	1003.30			1003.30
6	पेट्रोरासायनिक उद्योग	12856	2386.71			2386.71
7	रासायनिक तथा फार्मसिटीकल उद्योग	12857	51.83			51.83
8	इंजीनियरी उद्योग	12858	759.13			759.13
9	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	12859	866.86			866.86
10	उपभोक्ता उद्योग	12860	891.17			891.17
11	परमाणु ऊर्जा उद्योग	12861	842.29			842.29
12	अन्य उद्योग	12875	411.22	1964.17	46.91	2422.30
13	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	12885	95.38	175.07		270.45
<b>VII.</b>	<b>परिवहन</b>		<b>42416.72</b>	<b>15808.35</b>	<b>1767.18</b>	<b>59992.25</b>
1	रेलवे	13002	14638.19			14638.19
2	पत्तन तथा प्रकाशगृह	13051	1024.95	74.85	40.46	1140.26
3	नौवहन	13052	1463.35	0.00	0.00	1463.35
4	नागर विमानन	13053	2372.24	127.35	7.15	2506.74
5	सड़कें और पुल	13054	22784.59	13560.24	726.96	37071.79
6	सड़क परिवहन	13055	0.00	814.30	844.42	1658.72
7	अन्तर्देशीय जल परिवहन	13056	96.00	26.20	0.00	122.20
8	अन्य परिवहन सेवाएं	13075	37.40	1205.41	148.19	1391.00
<b>VIII.</b>	<b>संचार</b>		<b>12139.78</b>	<b>84.52</b>	<b>1.80</b>	<b>12226.10</b>
1	डाक सेवाएं	13201	338.77			338.77
2	दूरसंचार सेवाएं	13225	11583.00			11583.00
3	अन्य संचार सेवाएं	13275	218.01	84.52	1.80	304.33
<b>IX.</b>	<b>विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण</b>		<b>7074.65</b>	<b>436.32</b>	<b>8.65</b>	<b>7519.62</b>
1	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	13401	872.74			872.74
2	अंतरिक्ष अनुसंधान	13402	2800.00			2800.00
3	समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान	13403	340.00			340.00
4	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	2431.00	347.82	2.53	2781.35
5	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	13435	630.91	88.50	6.12	725.53
<b>X.</b>	<b>सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>		<b>4539.18</b>	<b>5459.89</b>	<b>81.01</b>	<b>10080.08</b>
1	सचिवालयीय आर्थिक सेवाएं	13451	265.67	1821.30	4.78	2091.75
2	पर्यटन	13452	707.00	635.08	47.87	1389.95
3	विदेशी व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	13453	920.69			920.69

वित्तीय संसाधन तथा सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र*	राज्य	सं. शा.क्षे.	जोड़
4	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13454	113.43	161.08	4.45	278.96
5	मौसम विज्ञान	13455	90.00			90.00
6	नागरिक आपूर्ति	13456	130.60	89.40	12.71	232.71
7	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थान	13465	0.00			0.00
8	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	13605	765.00			765.00
9	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	1546.79	2753.03	11.20	4311.02
<b>XI.</b>	<b>सामाजिक सेवाएं</b>		<b>55881.61</b>	<b>46867.66</b>	<b>3620.62</b>	<b>106369.89</b>
1	सामान्य शिक्षा	22202	13195.81	9984.34	542.48	23722.63
2	तकनीकी शिक्षा	22203	733.39	1033.72	77.15	1844.26
3	खेलकूद और युवा सेवाएं	22204	398.55	604.10	20.24	1022.89
4	कला तथा संस्कृति	22205	492.01	235.11	23.72	750.84
5	चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	22210	2929.20	5441.14	739.40	9109.74
6	परिवार कल्याण	22211	5781.60			5781.60
7	जल आपूर्ति और सफाई	22215	4457.49	7018.16	871.50	12347.15
8	आवास	22216	9603.45	3485.16	115.13	13203.74
9	शहरी विकास	22217	2592.09	7165.58	905.62	10663.29
10	सूचना और प्रचार	22220	79.52	85.5	7.53	172.55
11	प्रसारण	22221	929.23			929.23
12	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	1490.03	6050.31	62.19	7602.53
13	श्रम और रोजगार	22230	208.53	659.11	20.96	888.60
14	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	22235	3806.84	2775.75	158.5	6741.09
15	पोषाहार	22236	5.07	1883.23	73.96	1962.26
16	प्राकृतिक आपदाएं	22245	7.00			7.00
17	अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	17.40	446.45	2.24	466.09
18	सचिवालयीय सामाजिक सेवाएं	22251	11.04			11.04
19	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	9143.36			9143.36
<b>XII.</b>	<b>सामान्य सेवाएं</b>		<b>567.87</b>	<b>2190.96</b>	<b>360.14</b>	<b>3118.97</b>
1	न्यायकरण	32014	198.00			198.00
2	मुद्रा, सिक्का ढलाई और टकसाल	32046	0.00			0.00
3	अन्य राजकोषीय सेवाएं	32047	0.00			0.00
4	सचिवालय सामान्य सेवाएं	32052	27.50			27.50
5	पुलिस	32055	263.00			263.00
6	जेलें	32056	0.00	81.85	43.54	125.39
7	आपूर्ति और निपटान	32057	1.30			1.30
8	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	32058	0.00	27.74	5.18	32.92
9	लोक निर्माण	32059	33.00	1060.72	120.94	1214.66
10	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	40.07	1020.65	190.48	1251.20
11	विविध सामान्य सेवाएं	32075	5.00			5.00
	<b>सकल जोड़</b>		<b>211253.49</b>	<b>143005.91</b>	<b>6979.99</b>	<b>361239.38</b>

संलग्नक 2.2.3

2005-06 ds fy, dñh jkT; ka vkg l gk jkT; {k= ds fodkl 'kr'kr }kj k l akk/kv vupku  
(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र*	राज्य\$	सं. शा.क्षे.	जोड़
<b>I.</b>	<b>कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप</b>		<b>5907.18</b>	<b>7267.33</b>	<b>265.27</b>	<b>13439.77</b>
1	फसल कृषि	12401	3169.89	2031.56	23.86	5225.31
2	बागवानी			191.88	3.70	195.58
3	मृदा तथा जल संरक्षण	12402	18.00	816.34	4.83	839.17
4	पशुपालन	12403	286.38	505.57	29.32	821.27
5	डेरी विकास	12404	80.28	65.48	9.29	155.05
6	मत्स्यपालन	12405	178.63	213.90	24.92	417.45
7	वानिकी और वन्य जीवन	12406	451.01	1955.58	129.53	2536.12
8	बागान	12407	246.51	44.49	4.91	295.91
9	खाद्य, भण्डारण तथा गोदाम	12408	203.32	30.01	0.00	233.33
10	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	12415	963.00	402.88	8.04	1373.92
11	कृषि वित्तीय संस्थान	12416	8.50	51.72	0.00	60.22
12	सहकारिता	12425	174.66	607.40	22.95	805.01
13	अन्य कृषि क्षेत्र कार्यक्रम	12435	127.00	350.52	3.93	481.44
<b>II.</b>	<b>ग्रामीण विकास</b>		<b>14240.60</b>	<b>12779.25</b>	<b>194.35</b>	<b>27214.19</b>
1	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	2038.34	2654.25	3.04	4695.63
2	ग्रामीण रोजगार	12505	11700.00	2812.77	0.00	14512.77
3	भू-सुधार	12506	126.00	195.79	2.47	324.26
4	अन्य ग्रामीण विकास	12515	376.26	7116.43	188.84	7681.53
5	अन्य विशेष कार्यक्रम	12575		0.00		0.00
<b>III.</b>	<b>विशेष क्षेत्र कार्यक्रम</b>			<b>4904.06</b>	<b>0.00</b>	<b>4904.06</b>
1	पहाड़ी क्षेत्र	12551				
2	पूर्वोत्तर क्षेत्र	12575				
	(क) सीमावर्ती क्षेत्र					
	(ख) अनुच्छेद 275(1) के अधीन निधियाँ					
	(ग) अन्य					
<b>IV.</b>	<b>सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण</b>		<b>418.36</b>	<b>24483.12</b>	<b>105.52</b>	<b>25007.00</b>
1	बड़ी और मझोली सिंचाई	12701	66.14	16311.94	4.44	16382.52
2	लघु सिंचाई	12702	62.51	3271.12	20.20	3353.83
3	कमान क्षेत्र विकास	12705	158.50	1144.45	0.20	1303.15
4	बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	12711	131.21	3755.61	80.68	3967.50
<b>V.</b>	<b>ऊर्जा</b>		<b>53720.13</b>	<b>17166.10</b>	<b>419.56</b>	<b>71305.78</b>
1	विद्युत	12801	22532.92	16998.11	407.93	39938.95
2	पेट्रोलियम	12802	27538.48			27538.48
3	कोयला तथा लिग्नाइट	12803	3109.20			3109.20
4	ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	12810	539.53	167.99	11.63	719.15
5	ऊर्जा समन्वय और विकास	12820	0.00			0.00

वित्तीय संसाधन तथा सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र*	राज्य\$	सं. शा.क्षे.	जोड़
<b>VI.</b>	<b>उद्योग तथा खनिज</b>		<b>10063.55</b>	<b>3355.57</b>	<b>93.16</b>	<b>13512.28</b>
1	ग्राम और लघु उद्योग	12851	1577.51	1578.87	55.53	3211.91
2	लोहा और इस्पात उद्योग	12852	1614.22			1614.22
3	अलौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग	12853	389.02			389.02
4	सीमेंट तथा गैर-धात्विक खनिज उद्योग	12854	14.00			14.00
5	उर्वरक उद्योग	12855	1078.04			1078.04
6	पेट्रोसायनिक उद्योग	12856	1874.60			1874.60
7	रासायनिक तथा फार्मेसिटिकल उद्योग	12857	26.45			26.45
8	इंजीनियरी उद्योग	12858	808.42			808.42
9	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योग	12859	822.86			822.86
10	उपभोक्ता उद्योग	12860	856.47			856.47
11	परमाणु ऊर्जा उद्योग	12861	640.51			640.51
12	अन्य उद्योग	12875	209.92	1604.48	37.63	1852.03
13	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	12885	151.53	172.22	0.00	323.75
<b>VII.</b>	<b>रेलवे</b>		<b>40412.03</b>	<b>16923.57</b>	<b>1578.95</b>	<b>58914.55</b>
1	परिवहन	13002	18265.40			18265.40
2	पत्तन तथा प्रकाशगृह	13051	776.36	87.30	40.46	904.12
3	नौवहन	13052	1194.75			1194.75
4	नागर विमानन	13053	2343.03	171.43	7.15	2521.61
5	सड़कें और पुल	13054	17590.84	14360.62	845.53	32796.99
6	सड़क परिवहन	13055	0.00	1201.62	112.32	1313.94
7	अन्तर्देशीय जल परिवहन	13056	61.25	68.84	0.00	130.09
8	अन्य परिवहन सेवाएं	13075	180.40	1033.76	573.49	1787.64
<b>VIII.</b>	<b>संचार</b>		<b>17525.11</b>	<b>242.60</b>	<b>4.84</b>	<b>17772.55</b>
1	डाक सेवाएं	13201	381.71			381.71
2	दूरसंचार सेवाएं	13225	16992.00			16992.00
3	अन्य संचार सेवाएं	13275	151.40			151.40
<b>IX.</b>	<b>विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण</b>		<b>6031.55</b>	<b>368.54</b>	<b>10.54</b>	<b>6410.63</b>
1	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	13401	834.79			834.79
2	अंतरिक्ष अनुसंधान	13402	2300.00			2300.00
3	समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान	13403	250.00			250.00
4	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	2107.77	324.23	4.49	2436.49
5	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	13435	538.99	44.30	6.05	589.34
<b>X.</b>	<b>सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>		<b>2813.97</b>	<b>4260.58</b>	<b>71.09</b>	<b>7145.63</b>
1	सचिवालयीय आर्थिक सेवाएं	13451	259.80	1294.69	4.77	1559.26
2	पर्यटन	13452	707.00	657.42	37.79	1402.21
3	विदेशी व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	13453	769.35			769.35
4	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13454	90.08	35.61	3.88	129.57
5	मौसम विज्ञान	13455	79.23			79.23

वित्तीय संसाधन तथा सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र*	राज्य\$	सं. शा.क्षे.\$	जोड़
6	नागरिक आपूर्ति	13456	100.49	165.78	21.64	287.91
7	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थान	13465	0.00			0.00
8	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	13605	719.00			719.00
9	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	89.02	2107.08	3.01	2199.11
<b>XI.</b>	<b>सामाजिक सेवाएं</b>		<b>53746.19</b>	<b>45989.47</b>	<b>3571.90</b>	<b>103307.56</b>
1	सामान्य शिक्षा	22202	13158.25	10174.48	503.98	23836.71
2	तकनीकी शिक्षा	22203	580.92	1094.99	73.78	1749.69
3	खेलकूद और युवा सेवाएं	22204	372.30	665.17	31.68	1069.15
4	कला तथा संस्कृति	22205	357.50	237.50	21.02	616.02
5	चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	22210	2548.23	5240.12	720.59	8508.95
6	परिवार कल्याण	22211	5400.00			5400.00
7	जल आपूर्ति और सफाई	22215	4389.99	7227.35	956.07	12573.41
8	आवास	22216	9290.31	3367.72	117.63	12775.66
9	शहरी विकास	22217	3041.22	5919.44	797.52	9758.17
10	सूचना और प्रचार	22220	61.17	84.07	10.00	155.24
11	प्रसारण	22221	337.23			337.23
12	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	1463.77	5834.53	62.86	7361.16
13	श्रम और रोजगार	22230	189.03	654.45	23.50	866.98
14	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	22235	3777.31	3000.05	105.93	6883.28
15	पोषाहार	22236	5.07	1962.83	68.49	2036.39
16	प्राकृतिक आपदाएं	22245	17.00			17.00
17	अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	13.00	526.78	78.85	618.62
18	सचिवालयीय सामाजिक सेवाएं	22251	9.75			9.75
19	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	8734.14			8734.14
<b>XII.</b>	<b>सामान्य सेवाएं</b>		<b>459.57</b>	<b>1856.08</b>	<b>379.82</b>	<b>2695.48</b>
1	न्यायकरण	32014	90.00			90.00
2	मुद्रा, सिक्का ढलाई और टकसाल	32046				0.00
3	अन्य राजकोषीय सेवाएं	32047	0.00			0.00
4	सचिवालय सामान्य सेवाएं	32052	17.63			17.63
5	पुलिस	32055	274.25			274.25
6	जेलें	32056	0.00	113.29	27.54	140.83
7	आपूर्ति और निपटान	32057	1.30			1.30
8	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	32058	0.00	30.35	5.41	35.76
9	लोक निर्माण	32059	33.00	962.03	90.83	1085.86
10	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	41.39	750.42	256.04	1047.86
11	विविध सामान्य सेवाएं	32075	2.00			2.00
	<b>सकल जोड़</b>		<b>205338.24</b>	<b>139596.25</b>	<b>6694.98</b>	<b>351629.47</b>

\$ बजट परिव्यय असम, गोवा, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव तथा लक्ष द्वीप से लिए गए हैं



क्र.सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020	2021
अ.	ब.	क.	ख.	ग.	घ.
VII.	निर्वाह				
	1. वेतन तथा पेंशन शुभ	5150.00	0.00	0.00	0.00
	2. अन्य वेतन शुभ	0.00	118.00	0.00	1452.00
	3. वेतन शुभ शुभ	20700.00	18037.00	20810.00	11187.00
	4. वेतन शुभ शुभ	0.00	723.00	500.00	0.00
	5. वेतन शुभ शुभ	70.00	0.00	377.00	0.00
6. वेतन शुभ शुभ	200.00	41.00	36.00	0.00	
<b>योग - (VII)</b>	<b>26020.00</b>	<b>18418.00</b>	<b>20816.00</b>	<b>12349.00</b>	
VIII.	अन्य	0.00	0.00	460.00	0.00
	<b>योग - (VIII)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>460.00</b>	<b>0.00</b>
IX.	विकास/संवर्धन				
	1. विकास/संवर्धन	71.00	0.00	100.00	1000.00
	2. विकास/संवर्धन	110.00	0.00	10.00	0.00
	<b>योग - (IX)</b>	<b>181.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.00</b>	<b>1000.00</b>
X.	विकास/संवर्धन				
	1. विकास/संवर्धन	10000.00	0.00	11000.00	0.00
	2. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	710.00
	3. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	100.00	200.00
	4. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>योग - (X)</b>	<b>10000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11100.00</b>	<b>710.00</b>
XI.	विकास/संवर्धन				
	1. विकास/संवर्धन	10000.00	10000.00	20000.00	40000.00
	2. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>योग - (XI)</b>	<b>10000.00</b>	<b>10000.00</b>	<b>20000.00</b>	<b>40000.00</b>
XII.	विकास/संवर्धन				
	1. विकास/संवर्धन	10000.00	10000.00	20000.00	40000.00
	2. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>योग - (XII)</b>	<b>10000.00</b>	<b>10000.00</b>	<b>20000.00</b>	<b>40000.00</b>
XIII.	विकास/संवर्धन				
	1. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. विकास/संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>योग - (XIII)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>कुल योग</b>	<b>138000.00</b>	<b>81700.00</b>	<b>000000.00</b>	<b>472000.00</b>	

\* राज्यों/सं.रा.क्षे. द्वारा संशोधन की मांग नहीं की गई, अनुमोदित परिव्यय की पुनरावृत्ति











क्र.सं.	विवरण की संक्षेपित्युक्ति	2021	2020	परिवर्तन	वर्धित
क्र.सं.		₹	₹	₹	₹
VII.	<b>सर्वप्रथम</b>				
	1. प्रशासनिक व्यय	1992.00	0.00	1992.00	0.00
	2. प्रशासनिक व्यय	0.00	1200.00	1200.00	0.00
	3. प्रशासनिक व्यय	2100.00	2070.00	30.00	2070.00
	4. प्रशासनिक व्यय	1000.00	0.00	1000.00	0.00
<b>योग - (VII)</b>		<b>5092.00</b>	<b>2070.00</b>	<b>3022.00</b>	<b>2070.00</b>
VIII.	अन्य	4192.00	199.00	3993.00	0.00
	<b>योग</b>	<b>9284.00</b>	<b>2269.00</b>	<b>7015.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>अनुमानित व्यय</b>	<b>4000.00</b>	<b>210.00</b>	<b>3790.00</b>	<b>0.00</b>
IX.	अनुमानित व्यय	0.00	1100.00	1100.00	0.00
	<b>योग</b>	<b>4000.00</b>	<b>1310.00</b>	<b>2690.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>अनुमानित व्यय</b>	<b>4000.00</b>	<b>1310.00</b>	<b>2690.00</b>	<b>0.00</b>
X.	<b>सर्वप्रथम</b>				
	1. प्रशासनिक व्यय	7000.00	0.00	7000.00	0.00
	2. प्रशासनिक व्यय	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
	3. प्रशासनिक व्यय	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
	4. प्रशासनिक व्यय	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
	5. प्रशासनिक व्यय	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
	6. प्रशासनिक व्यय	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
	7. प्रशासनिक व्यय	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
	8. प्रशासनिक व्यय	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
	9. प्रशासनिक व्यय	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
<b>योग - (X)</b>		<b>10000.00</b>	<b>6000.00</b>	<b>4000.00</b>	<b>6000.00</b>
XI.	<b>सर्वप्रथम</b>				
	1. प्रशासनिक व्यय	1000.00	1100.00	100.00	1000.00
	2. प्रशासनिक व्यय	1000.00	1100.00	100.00	1000.00
	3. प्रशासनिक व्यय	1000.00	1100.00	100.00	1000.00
	4. प्रशासनिक व्यय	1000.00	1100.00	100.00	1000.00
	5. प्रशासनिक व्यय	1000.00	1100.00	100.00	1000.00
	6. प्रशासनिक व्यय	1000.00	1100.00	100.00	1000.00
	7. प्रशासनिक व्यय	1000.00	1100.00	100.00	1000.00
	8. प्रशासनिक व्यय	1000.00	1100.00	100.00	1000.00
	9. प्रशासनिक व्यय	1000.00	1100.00	100.00	1000.00
	10. प्रशासनिक व्यय	1000.00	1100.00	100.00	1000.00
	11. प्रशासनिक व्यय	1000.00	1100.00	100.00	1000.00
	12. प्रशासनिक व्यय	1000.00	1100.00	100.00	1000.00
	13. प्रशासनिक व्यय	1000.00	1100.00	100.00	1000.00
	<b>योग - (XI)</b>		<b>15000.00</b>	<b>16500.00</b>	<b>1500.00</b>
XII.	<b>सर्वप्रथम</b>				
	1. प्रशासनिक व्यय	0.00	1000.00	1000.00	0.00
	2. प्रशासनिक व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. प्रशासनिक व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. प्रशासनिक व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>योग - (XII)</b>		<b>0.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>0.00</b>
XIII.	<b>सर्वप्रथम</b>				
	1. प्रशासनिक व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>योग - (XIII)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>योग - (VII + VIII + IX + X + XI + XII + XIII)</b>		<b>20000.00</b>	<b>10000.00</b>	<b>10000.00</b>	<b>10000.00</b>







क्र.सं.	विवरण अथवा अनुक्रम सं.सं.	रुपैया	रुपैया	रुपैया	रुपैया	
0		00	00	00	00	
VII.	सिद्धि					
	1. अन्तर्गत अनुक्रम सं.सं.	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. अनुक्रम सं.सं.	31146.00	31146.00	31146.00	31146.00	
	3. अनुक्रम सं.सं.	70.00	697.00	200.00	0.00	
	4. अनुक्रम सं.सं.	11.00	11.00	11.00	11.00	
	5. अनुक्रम सं.सं.	10000.00	8000.00	0.00	0.00	
	<b>कुल (VII)</b>	<b>71847.00</b>	<b>8704.00</b>	<b>-137.00</b>	<b>14848.00</b>	
VIII.	सिद्धि	0.00	4400.00	1272.00	0.00	
IX.	सिद्धि (सिद्धि) अनुक्रम सं.सं.					
	1. अनुक्रम सं.सं.	200.00	200.00	200.00	200.00	
	2. अनुक्रम सं.सं.	70.00	70.00	70.00	70.00	
<b>कुल (IX)</b>	<b>270.00</b>	<b>270.00</b>	<b>270.00</b>	<b>270.00</b>		
X.	अन्तर्गत अनुक्रम सं.सं.					
	1. अनुक्रम सं.सं.	20000.00	11000.00	2000.00	10000.00	
	2. अनुक्रम सं.सं.	11.00	2000.00	200.00	2000.00	
	3. अनुक्रम सं.सं.	100.00	70.00	100.00	70.00	
	4. अनुक्रम सं.सं.	21.00	200.00	200.00	200.00	
	5. अनुक्रम सं.सं.	100.00	0.00	0.00	0.00	
	6. अनुक्रम सं.सं.	10.00	21.00	21.00	21.00	
	7. अनुक्रम सं.सं.	10000.00	4000.00	0.00	0.00	
	<b>कुल (X)</b>	<b>22242.00</b>	<b>16291.00</b>	<b>500.00</b>	<b>12291.00</b>	
	XI.	अन्तर्गत अनुक्रम सं.सं.				
		1. अनुक्रम सं.सं.	10000.00	4000.00	1000.00	1000.00
		2. अनुक्रम सं.सं.	200.00	200.00	200.00	200.00
		3. अनुक्रम सं.सं.	700.00	1000.00	800.00	1000.00
		4. अनुक्रम सं.सं.	1000.00	200.00	1000.00	200.00
		<b>कुल (XI)</b>	<b>11900.00</b>	<b>6400.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>1200.00</b>
5. अनुक्रम सं.सं.		2000.00	1000.00	1000.00	1000.00	
6. अनुक्रम सं.सं.		1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	
7. अनुक्रम सं.सं.		400.00	1000.00	1000.00	1000.00	
8. अनुक्रम सं.सं.		400.00	0.00	0.00	0.00	
9. अनुक्रम सं.सं.		10000.00	2000.00	1000.00	2000.00	
10. अनुक्रम सं.सं.		500.00	70.00	500.00	500.00	
11. अनुक्रम सं.सं.		10000.00	10000.00	400.00	4000.00	
12. अनुक्रम सं.सं.		80.00	2000.00	100.00	2000.00	
13. अनुक्रम सं.सं.		1000.00	1000.00	700.00	1000.00	
<b>कुल (XII)</b>	<b>22242.00</b>	<b>25000.00</b>	<b>1200.00</b>	<b>2200.00</b>		
XIII.	अन्तर्गत अनुक्रम सं.सं.					
	1. अनुक्रम सं.सं.	100.00	100.00	0.00	0.00	
	2. अनुक्रम सं.सं.	200.00	0.00	100.00	0.00	
	3. अनुक्रम सं.सं.	2000.00	1000.00	1000.00	0.00	
	4. अनुक्रम सं.सं.	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5. अनुक्रम सं.सं.	200.00	100.00	100.00	0.00	
	<b>कुल (XIII)</b>	<b>2500.00</b>	<b>1200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>कुल (XIV)</b>	<b>22242.00</b>	<b>20000.00</b>	<b>2110.00</b>	<b>2110.00</b>		

वित्तीय संसाधन तथा सार्वजनिक क्षेत्रक परियचय

क्र.सं.	विवरण (In English/Hindi)	मिचय	संयुक्त मंडल	संयुक्त	संयुक्त
		₹	₹	₹	₹
I	कुल संयुक्त संचालन विभागसंचालन				
	1. संचालन खर्च	1044.93	15042.00	17288.04	36841.88
	2. संचालन	818.85	13327.00	15288.00	34922.00
	3. संचालन (अध्यायी 10 अंतर्गत)	41.00	15000.00	2017.00	7018.00
	4. संचालन	128.85	8127.00	707.00	702.00
	5. संचालन	0.00	700.00	708.81	0.00
	6. संचालन	37.00	220.00	107.00	300.00
	7. संचालन (अध्यायी 10 अंतर्गत)	1017.00	15000.00	1508.00	2018.00
	8. संचालन	148.08	0.00	0.00	0.00
	9. संचालन (अध्यायी 10 अंतर्गत)	130.75	0.00	0.00	0.00
	10. संचालन (अध्यायी 10 अंतर्गत)	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. संचालन (अध्यायी 10 अंतर्गत)	0.00	1800.00	0.00	1800.00
	12. संचालन (अध्यायी 10 अंतर्गत)	250.10	120.00	200.00	700.00
	13. संचालन (अध्यायी 10 अंतर्गत)	190.00	22044.00	0.00	0.00
	14. संचालन (अध्यायी 10 अंतर्गत)	0.00	0.00	413.71	0.00
<b>योग - I</b>	<b>1308.00</b>	<b>31373.00</b>	<b>31837.85</b>	<b>38184.88</b>	
II	संचालन विभाग				
	1. संचालन विभाग (अध्यायी 10 अंतर्गत)				
	(क) संचालन विभाग (अध्यायी 10 अंतर्गत)	0.00	4071.00	481.00	0.00
	(ख) संचालन विभाग (अध्यायी 10 अंतर्गत)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ग) संचालन विभाग (अध्यायी 10 अंतर्गत)	0.00	800.00	140.00	17.00
	(घ) संचालन विभाग (अध्यायी 10 अंतर्गत)	10.00	200.00	100.00	10.00
	(च) संचालन विभाग (अध्यायी 10 अंतर्गत)	700.00	1000.00	0.00	2000.00
	(ज) संचालन विभाग (अध्यायी 10 अंतर्गत)	0.00	1800.00	0.00	0.00
	(झ) संचालन विभाग (अध्यायी 10 अंतर्गत)	0.00	0.00	1000.00	1000.00
	(ञ) संचालन विभाग (अध्यायी 10 अंतर्गत)	1000.00	10000.00	2000.00	4000.00
	(ट) संचालन विभाग (अध्यायी 10 अंतर्गत)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ड) संचालन विभाग (अध्यायी 10 अंतर्गत)	700.00	0.00	0.00	400.00
	(ण) संचालन विभाग (अध्यायी 10 अंतर्गत)	1100.00	10000.00	1000.00	0.00
	(त) संचालन विभाग (अध्यायी 10 अंतर्गत)	700.00	10000.00	0.00	10000.00
	<b>योग - II</b>	<b>881.00</b>	<b>37781.00</b>	<b>3838.00</b>	<b>6803.00</b>
III	संचालन विभाग	6888.00	141000.00	900.00	20007.27
IV	संचालन विभाग				
	1. संचालन विभाग (अध्यायी 10 अंतर्गत)	0.00	10000.00	2000.00	10000.00
	2. संचालन विभाग (अध्यायी 10 अंतर्गत)	1000.00	10000.00	1000.00	1000.00
	3. संचालन विभाग (अध्यायी 10 अंतर्गत)	0.00	1000.00	100.00	70.00
	4. संचालन विभाग (अध्यायी 10 अंतर्गत)	1000.00	10000.00	1000.00	10000.00
<b>योग - IV</b>	<b>6888.00</b>	<b>17000.00</b>	<b>3000.00</b>	<b>20070.00</b>	
V	संचालन विभाग				
	1. संचालन विभाग (अध्यायी 10 अंतर्गत)	1000.00	10000.00	1000.00	10000.00
	2. संचालन विभाग (अध्यायी 10 अंतर्गत)	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
<b>योग - V</b>	<b>1200.00</b>	<b>20000.00</b>	<b>2000.00</b>	<b>17000.00</b>	
VI	संचालन विभाग				
	1. संचालन विभाग (अध्यायी 10 अंतर्गत)	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
	2. संचालन विभाग (अध्यायी 10 अंतर्गत)	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
<b>योग - VI</b>	<b>2000.00</b>	<b>2000.00</b>	<b>2000.00</b>	<b>2000.00</b>	

क्र.सं.	विवरण (के.प.सं./प्रा.सं.)	मि.रु.	प.रु.	रु.रु.	रु.रु.
क्र.		रु.	रु.	रु.	रु.
XXI.	परिवहन				
	1. वाहन चलाव प्रयोग शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. वाहन चलाव	0.00	2000.00	2201.00	2000.00
	3. वाहन चलाव शुल्क	100007.17	200000.00	180000.00	200000.00
	4. वाहन चलाव शुल्क	10.00	10000.00	0.00	10000.00
	5. वाहन चलाव शुल्क (अन्य)	0.00	0.00	0.00	0.00
मौजुदा (प्रा.सं.)	100017.17	200000.00	180000.00	200000.00	
XXII.	क्याच	110.00	0.00	0.00	0.00
XXIII.	12. वाहन चलाव शुल्क (अन्य)				
	1. वाहन चलाव शुल्क	0.00	1000.00	1000.00	1000.00
	2. वाहन चलाव शुल्क (अन्य)	100.00	100.00	100.00	100.00
मौजुदा (प्रा.सं.)	100.00	100.00	100.00	100.00	
XXIV.	परिवहन प्रयोग शुल्क				
	1. वाहन चलाव प्रयोग शुल्क	800.00	700.00	1000.00	800.00
	2. वाहन चलाव	200.00	2000.00	1000.00	2000.00
	3. वाहन चलाव शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. वाहन चलाव शुल्क (अन्य)	20.00	0.00	0.00	20.00
	5. वाहन चलाव शुल्क (अन्य)	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. वाहन चलाव शुल्क (अन्य)	100.00	100.00	0.00	100.00
	7. वाहन चलाव शुल्क (अन्य)	0.00	0.00	0.00	0.00
	मौजुदा (प्रा.सं.)	1000.00	2000.00	1000.00	2000.00
XXV.	वास्तविक प्रयोग शुल्क				
	1. वास्तविक प्रयोग शुल्क	2000.00	10000.00	2000.00	2000.00
	2. वास्तविक प्रयोग शुल्क	100.00	700.00	100.00	100.00
	3. वास्तविक प्रयोग शुल्क	100.00	700.00	100.00	100.00
	4. वास्तविक प्रयोग शुल्क	10.00	100.00	10.00	10.00
	5. वास्तविक प्रयोग शुल्क	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
	6. वास्तविक प्रयोग शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00
	7. वास्तविक प्रयोग शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00
	8. वास्तविक प्रयोग शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00
	9. वास्तविक प्रयोग शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00
	10. वास्तविक प्रयोग शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00
	11. वास्तविक प्रयोग शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00
	12. वास्तविक प्रयोग शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00
	13. वास्तविक प्रयोग शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00
	14. वास्तविक प्रयोग शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00
	15. वास्तविक प्रयोग शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00
	16. वास्तविक प्रयोग शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00
	17. वास्तविक प्रयोग शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00
	18. वास्तविक प्रयोग शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00
	19. वास्तविक प्रयोग शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00
	मौजुदा (प्रा.सं.)	2000.00	10000.00	2000.00	2000.00
XXVI.	वास्तविक प्रयोग शुल्क				
	1. वास्तविक प्रयोग शुल्क	100.00	0.00	0.00	100.00
	2. वास्तविक प्रयोग शुल्क	100.00	0.00	0.00	100.00
	3. वास्तविक प्रयोग शुल्क	100.00	0.00	0.00	100.00
	4. वास्तविक प्रयोग शुल्क	100.00	0.00	0.00	100.00
	मौजुदा (प्रा.सं.)	400.00	0.00	0.00	400.00
मौजुदा (प्रा.सं.)	2000.00	10000.00	2000.00	2000.00	
मौजुदा (प्रा.सं.)	2000.00	10000.00	2000.00	2000.00	









okf"kd ; ktuk 2006-07 ds fy, dshh; ea-ky; k@folkkxka ds ctV vupkuj  
vkrfjd vlg ctVrj l d k/ku

(करोड़ रुपये में)

क्र. ला	मंत्रालय/विभाग	सकल ctV l gk; rk	आंतरिक l d k/ku	बन्ध i =	ईसीबी / Li yk; j ØfMV	अन्य	कुल bchvkj	कुल vkbbl chvkj	कुल ifj0; ;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>कृषि मंत्रालय</b>	6927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6927.00
क	कृषि और सहकारिता विभाग	4800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4800.00
ख	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1350.00
ग	पुपालन और डेरी विभाग	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.00
II.	<b>कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय</b>	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.00
III.	<b>परमाणु ऊर्जा विभाग</b>	4124.12	303.15	1394.0	0.00	0.00	1394.00	1697.15	5821.27
IV.	<b>रसायन और उर्वरक मंत्रालय</b>	229.81	912.00	0.00	0.00	0.00	0	912	1141.81
क	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	131.00	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	25.78	156.78
ख	उर्वरक विभाग	98.81	886.22	0.00	0.00	0	0.00	886.22	985.03
V.	<b>नागर विमानन मंत्रालय</b>	130.00	2551.86	0.00	90.00	275.07	365.07	2916.93	3046.93
VI.	<b>कोयला और खान मंत्रालय</b>	168.71	3433.31	460.00	190.00	547.48	1197.48	4630.79	4799.50
VII.	<b>वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय</b>	1923.29	1.50	0.00	0.00	0.00	0	1.5	1924.79
क	वाणिज्य विभाग	1423.29	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1424.79
ख	औद्योगिक नीति व प्रोन्नयन विभाग	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
VIII.	<b>संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>	1727.61	15742.02	3655.00	0.00	71.95	3726.95	19468.97	21196.58
क	डाक विभाग	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.00
ख	दूरसंचार विभाग	218.61	15635.70	3655.00	0.00	0.00	3655.0	19290.70	19509.31
ग	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1090.00	106.32	0.00	0.00	71.95	71.95	178.27	1268.27
IX.	<b>उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय</b>	258.8	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	110.88	369.68
क	उपभोक्ता मामले विभाग	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00
ख	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	95.8	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	110.88	206.68
X.	<b>संस्कृति मंत्रालय</b>	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
XI.	<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय</b>	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
XII.	<b>पर्यावरण एवं वन मंत्रालय</b>	1338.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1338.93
XIII.	<b>विदेश मंत्रालय</b>	222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.30
XIV.	<b>वित्त मंत्रालय</b>	1251.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1251.49
क	आर्थिक कार्य विभाग	1250.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.86

क्र. la	मंत्रालय/विभाग	सकल ctV l gk; rk	आंतरिक la k/ku	बन्ध i =	ईसीबी/ Li yk; j ØMV	अन्य	कुल bchvkj	कुल vkbbz chvkj	कुल ifj0; ;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ख	व्यय विभाग	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
ग	राजस्व विभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घ	विनिवेश विभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XV.	<b>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय</b>	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.90
XVI.	<b>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय</b>	11688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11688.00
क	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	11305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11305.00
ख	आयुष विभाग	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00
XVII.	<b>भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय</b>	481.50	910.22	0.00	0.00	0.00	0.00	910.22	1391.72
क	भारी उद्योग विभाग	450.00	910.22	0.00	0.00	0	0	910.22	1360.22
ख	सार्वजनिक उद्यम विभाग	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
XVIII.	<b>गृह मंत्रालय</b>	365.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.85
XIX.	<b>मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>	25541.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25541.35
क	प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	17128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17128.00
ख	माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग	3617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3617.50
ग	महिला ओर बाल विकास विभाग	4795.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4795.85
XX.	<b>सूचना और प्रसारण मंत्रालय</b>	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00
XXI.	<b>श्रम और रोजगार मंत्रालय</b>	336.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.76
XXII.	<b>विधि और न्याय मंत्रालय</b>	203.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.95
XXIII.	<b>खान मंत्रालय</b>	250.00	632.94	0.00	0.00	0.75	0.75	633.69	883.69
XXIV.	<b>गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय</b>	600.00	46.46	0.00	106.00	217.56	323.56	370.02	970.02
XXV.	<b>महासागर विकास विभाग</b>	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00
XXVI.	<b>पंचायती राज मंत्रालय</b>	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
XXVII.	<b>कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय</b>	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.30
XXVIII.	<b>पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>	0.00	20164.19	0.00	2000.00	13839.14	15839.14	36003.33	36003.33
XXIX.	<b>योजना मंत्रालय</b>	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.76
XXX.	<b>ऊर्जा मंत्रालय</b>	5500.00	5423.9	9009.58	3587.24	4102.98	16699.8	22123.70	27623.70
XXXI.	<b>ग्रामीण विकास मंत्रालय</b>	31443.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31443.62
क	ग्रामीण विकास विभाग	24025.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24025.62
ख	भूमि संसाधन विभाग	1418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1418.00
ग	पेय जल आपूर्ति विभाग	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
XXXII.	<b>विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>	2863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2863.00
क	विभाग और प्रौद्योगिकी विभाग	1367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1367.00

वित्तीय संसाधन तथा सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

क्र. la	मंत्रालय/विभाग	सकल ctV l gk; rk	इन्टरनल l d k/ku	बन्ध i =	ईसीबी/ Li yk; j ØMV	अन्य	कुल bčvkj	कुल vkbbl chvkj	कुल ifj0; ;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ख	विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00
ग	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00
XXXIII.	पोतपरिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2355.66	1251.88	3500.00	1169.42	101.01	4770.43	6022.31	18377.97
क	पोत परिवहन विभाग	740.88	1251.88	0.00	1169.42	101.01	1270.43	2522.31	3263.19
ख	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	11614.78	0.00	3500.00	0.00	0.00	3500.00	3500.00	15114.78
XXXIV.	लघु उद्योग मंत्रालय	469.93	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	531.93
XXXV.	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय	1750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1750.00
XXXVI.	अंतरिक्ष विभाग	3220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3220.00
XXXVII.	सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.39
XXXVIII.	इस्पात मंत्रालय	45.00	3172.30	0.00	0.00	0.00	0	3172.30	3217.30
XXXIX.	वस्त्र मंत्रालय	1349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1349.50
XL.	पर्यटन मंत्रालय	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00
XLI.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	440.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.19
XLII.	शहरी विकास मंत्रालय	1753.00	551.4	0.00	0.00	448.00	448.00	999.4	2752.40
XLIII.	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय	421.67	318.76	2139.00	0.00	4300.00	6439.00	6757.76	7179.43
XLIV.	जनसंसाधन मंत्रालय	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
XLV.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
XLVI.	रेल मंत्रालय	6800.14	10669	5170.00	0.00	125.00	5295.00	15964	22764.14
	सकल जोड़	131284.53	66257.77	25327.58	7142.66	24028.94	56499.18	122756.95	254041.48

okf"kd ;kstuk 2006-07 ds fy, dñnj jkT; vkj l ak 'kkf r {ks-  
ds fodkl 'kr'kks }kjk ctV vuqku

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र*	राज्य	सं. शा.क्षे.	जोड़
<b>I.</b>	<b>कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप</b>		<b>7385.57</b>	<b>8586.01</b>	<b>191.20</b>	<b>16162.78</b>
1	फसल कृषि	12401	3968.80	2207.69	19.54	6196.02
2	बागवानी			331.43	3.75	335.18
3	मृदा तथा जल संरक्षण	12402	21.00	1045.78	4.86	1071.64
4	पशुपालन	12403	359.50	670.70	41.25	1071.44
5	डेरी विकास	12404	68.50	110.36	8.29	187.15
6	मत्स्यपालन	12405	283.80	335.77	40.36	659.93
7	वानिकी और वन्य जीवन	12406	562.69	2176.75	29.54	2768.98
8	बागान	12407	303.95	68.87	5.30	378.12
9	खाद्य, भण्डारण तथा गोदाम	12408	267.13	64.62	0.00	331.75
10	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	12415	1215.00	543.09	9.45	1767.54
11	कृषि वित्तीय संस्थान	12416	16.00	107.58	0.00	123.58
12	सहकारिता	12425	138.00	665.66	25.62	829.28
13	अन्य कृषि क्षेत्र कार्यक्रम	12435	181.20	257.71	3.25	442.16
<b>II.</b>	<b>ग्रामीण विकास</b>		<b>15643.95</b>	<b>14825.87</b>	<b>240.87</b>	<b>30710.69</b>
1	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	2230.50	2379.68	3.63	4613.81
2	ग्रामीण रोजगार	12505	12870.00	4520.80	0.00	17390.80
3	भू-सुधार	12506	135.00	250.18	2.00	387.18
4	अन्य ग्रामीण विकास	12515	408.45	7675.22	235.24	8318.91
5	अन्य विशेष कार्यक्रम	12575		0.00		0.00
<b>III.</b>	<b>विशेष क्षेत्र कार्यक्रम</b>		<b>0.00</b>	<b>5521.89</b>	<b>0.00</b>	<b>5521.89</b>
1	पहाड़ी क्षेत्र	12551				
2	पूर्वोत्तर क्षेत्र	12552				
3	Other Special Area Programmes	12575				
	(क) पिछड़े क्षेत्र					
	(ख) जनजातीय उप-योजना					
	(ग) सीमावर्ती क्षेत्र					
	(ड) अन्य					
<b>IV.</b>	<b>सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण</b>		<b>586.55</b>	<b>32489.55</b>	<b>113.25</b>	<b>33189.35</b>
1	बड़ी और मझोली सिंचाई	12701	111.52	25299.29	0.10	25410.91
2	लघु सिंचाई	12702	80.94	4036.34	29.34	4146.62
3	कमान क्षेत्र विकास	12705	199.10	1753.93	0.30	1953.33
4	बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	12711	194.99	1399.99	83.51	1678.49
<b>V.</b>	<b>ऊर्जा</b>		<b>69593.51</b>	<b>20502.56</b>	<b>402.79</b>	<b>90498.86</b>
1	विद्युत	12801	31370.32	20322.07	397.87	52090.26
2	पेट्रोलियम	12802	33063.04			33063.04
3	कोयला तथा लिग्नाइट	12803	4251.63			4251.63

वित्तीय संसाधन तथा सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र*	राज्य	सं. शा.क्षे.	जोड़
4	ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	12810	908.52	180.49	4.92	1093.93
5	ऊर्जा समन्वय और विकास	12820	0.00			
<b>VI.</b>	<b>उद्योग तथा खनिज</b>		<b>14533.34</b>	<b>3530.91</b>	<b>148.71</b>	<b>18212.96</b>
1	ग्राम और लघु उद्योग	12851	1709.43	1660.12	80.60	3450.15
2	लोहा और इस्पात उद्योग	12852	3245.02			3245.02
3	अलौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग	12853	867.25			867.25
4	सीमेंट तथा गैर-धात्विक खनिज उद्योग	12854	12.61			12.61
5	उर्वरक उद्योग	12855	975.03			975.03
6	पेट्रोसायनिक उद्योग	12856	2960.30			2960.30
7	रासायनिक तथा फार्मेसिटिकल उद्योग	12857	92.18			92.18
8	इंजीनियरी उद्योग	12858	1104.49			1104.49
9	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	12859	1004.61			1004.61
10	उपभोक्ता उद्योग	12860	1210.20			1210.20
11	परमाणु ऊर्जा उद्योग	12861	881.83			881.83
12	अन्य उद्योग	12875	388.78	1655.12	68.11	2112.02
13	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	12885	81.61	215.67	0.00	297.28
<b>VII.</b>	<b>परिवहन</b>		<b>48613.80</b>	<b>21403.43</b>	<b>2037.43</b>	<b>72054.66</b>
1	रेलवे	13002	22764.14			22764.14
2	पत्तन तथा प्रकाशगृह	13051	1063.91	130.44	87.26	1281.61
3	नौवहन	13052	1832.01			1832.01
4	नागर विमानन	13053	3032.11	264.29	14.08	3310.48
5	सड़कें और पुल	13054	19714.71	18546.34	987.59	39248.64
6	सड़क परिवहन	13055	0.00	1430.81	743.25	2174.06
7	अन्तर्देशीय जल परिवहन	13056	75.92	77.36	0.00	153.28
8	अन्य परिवहन सेवाएं	13075	131.00	954.18	205.25	1290.43
<b>VIII.</b>	<b>संचार</b>		<b>19883.75</b>	<b>464.13</b>	<b>17.83</b>	<b>20365.71</b>
1	डाक सेवाएं	13201	396.30			396.30
2	दूरसंचार सेवाएं	13225	19229.00			19229.00
3	Other Communication Services	13275	258.45			258.45
<b>IX.</b>	<b>विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण</b>		<b>8061.34</b>	<b>323.71</b>	<b>9.68</b>	<b>8394.73</b>
1	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	13401	1003.00			1003.00
2	अंतरिक्ष अनुसंधान	13402	3220.00			3220.00
3	समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान	13403	438.00			438.00
4	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	2758.00	208.77	2.95	2969.72
5	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	13435	642.34	114.94	6.73	764.01
<b>X.</b>	<b>सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>		<b>3171.74</b>	<b>6749.21</b>	<b>105.18</b>	<b>10026.13</b>
1	सचिवालयीय आर्थिक सेवाएं	13451	270.42	2841.10	4.58	3116.09
2	पर्यटन	13452	747.00	922.35	72.55	1741.90
3	विदेशी व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	13453	974.51			974.51
4	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13454	89.05	53.32	5.36	147.73

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र*	राज्य	सं. शा.क्षे.	जोड़
5	मौसम विज्ञान	13455	105.00			105.00
6	नागरिक आपूर्ति	13456	196.87	193.05	22.23	412.15
7	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थान	13465	0.00			0.00
8	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	566.59	2739.39	0.46	3306.44
9	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	13605	222.30			222.30
<b>XI.</b>	<b>सामाजिक सेवाएं</b>		<b>65937.68</b>	<b>61548.01</b>	<b>4502.82</b>	<b>131988.51</b>
1	सामान्य शिक्षा	22202	18001.59	11871.16	570.84	30443.60
2	तकनीकी शिक्षा	22203	838.38	1194.83	100.51	2133.72
3	खेलकूद और युवा सेवाएं	22204	555.71	772.49	28.07	1356.27
4	कला तथा संस्कृति	22205	420.14	467.68	24.69	912.51
5	चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	22210	3156.90	7533.88	869.11	11559.89
6	परिवार कल्याण	22211	7359.30			7359.30
7	जल आपूर्ति और सफाई	22215	5517.00	8099.68	987.45	14604.13
8	आवास	22216	9658.21	4673.56	524.57	14856.34
9	शहरी विकास	22217	2546.67	11393.32	1026.00	14965.99
10	सूचना और प्रचार	22220	92.15	107.83	6.12	206.10
11	प्रसारण	22221	343.92			343.92
12	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	1742.43	7143.17	62.83	8948.43
13	श्रम और रोजगार	22230	302.29	903.42	21.84	1227.55
14	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	22235	4634.89	3958.07	136.49	8729.45
15	पोषाहार	22236	5.07	2492.81	75.56	2573.44
16	प्राकृतिक आपदाएं	22245	33.53			33.53
17	अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	16.00	936.11	68.74	1020.85
18	सचिवालयीय सामाजिक सेवाएं	22251	11.86			11.86
19	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	10701.64			10701.64
<b>XII.</b>	<b>सामान्य सेवाएं</b>		<b>630.25</b>	<b>3016.74</b>	<b>512.20</b>	<b>4159.19</b>
1	न्यायकरण	32014	183.55			183.55
2	मुद्रा, सिक्का ढलाई और टकसाल	32046	0.00			0.00
3	अन्य राजकोषीय सेवाएं	32047	0.00			0.00
4	सचिवालय सामान्य सेवाएं	32052	33.50			33.50
5	पुलिस	32055	288.82			288.82
6	जेलें	32056	0.00	100.60	42.26	142.86
7	आपूर्ति और निपटान	32057	4.00			4.00
8	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	32058	0.00	91.31	3.93	95.24
9	लोक निर्माण	32059	52.50	1026.95	191.97	1271.42
10	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	63.88	1797.88	274.04	2135.80
11	विविध सामान्य सेवाएं	32075	4.00			4.00
	<b>सकल जोड़</b>		<b>254041.48</b>	<b>178962.01</b>	<b>8281.96</b>	<b>441285.45</b>

## अध्याय-3

### मानव और सामाजिक विकास

#### 3.1 प्रारंभिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा

3.1.1 प्रारंभिक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। शिक्षा के लिए दसवीं योजना आवंटन में 43825 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय (केन्द्रीय क्षेत्रक) के मुकाबले प्रारंभिक शिक्षा के लिए 30,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है (प्रौढ़ शिक्षा के लिए 1250 करोड़ रुपये सहित) वार्षिक योजना के अंतर्गत वर्ष-वार आवंटन/व्यय संलग्नक 3.1.1 में दर्शाया गया है।

3.1.2 वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान डीईईएल विभाग की प्रमुख स्कीमें और कार्यक्रम: हैं : सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा गारंटी स्कीम और वैकल्पिक शिक्षा के पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनएसपीई) (मध्याह्न भोजन स्कीम के रूप में सामान्यतः ज्ञात), अध्यापक, शिक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)।

3.1.3 सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का इस समय मुख्य साधन सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) नामक एक व्यापक कार्यक्रम है (दसवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ 2002 से चालू)। यह एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे स्थानीय निकायों को शामिल करके जिला स्तर विकेन्द्रीकृत प्रबंधन रूपरेखा के माध्यम से राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके तहत 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की परिकल्पना की गई है। एसएसए के अंतर्गत स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी कार्यकलाप सम्मिलित हैं, यथा भौतिक अवस्थापना की व्यवस्था करना, बच्चों के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, बालिकाओं के दाखिले को प्रोत्साहन, शिक्षक शिक्षा और उनका प्रशिक्षण आदि। कार्यक्रम के जरिए 10.42 लाख विद्यमान प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूलों और गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से 12

लाख बस्तियों में लगभग 20 करोड़ बच्चों की जरूरतें पूरा करने का प्रयास किया गया है।

#### सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए के उद्देश्य)

- सभी बच्चों को 2003 (2005 में संशोधित) तक स्कूल, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, “फिर स्कूल” कैम्प तक लाना।
- सभी बच्चे 2007 तक पाँच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें।
- सभी बच्चे 2010 तक आठ वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करें।
- जीवन के लिए शिक्षा पर बल के साथ संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा पर बल देना।
- प्राथमिक स्तर पर जेंडर और सामाजिक श्रेणी के अंतर को 2007 तक और बुनियादी शिक्षा स्तर पर 2010 तक पाटना।
- 2010 तक बच्चों को शत प्रतिशत रूप से शिक्षा में बनाए रखना।

#### 2005-06 की समीक्षा

3.1.4 वर्ष 2005-06, दसवीं पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष था। बेसिक शिक्षा के प्रति एनसीएमपी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक योजना 2004-05 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 6000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान आवंटन को बढ़ाकर संशोधन अनुमान स्तर पर 12531.76 करोड़ रुपये कर दिया गया। बुनियादी शिक्षा के वित्त पोषण के लिए वर्ष 2004 से आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर पर दो प्रतिशत का शिक्षा उप-कर लगाया गया है। वर्तमान वर्ष में एक प्रारंभिक शिक्षा कोष स्थापित किया जा रहा है, जो एसएसए और एमडीएम के वित्त पोषण के लिए एक अव्यपगत निधि है तथा शिक्षा

उप-कर से प्राप्तियां इस कोष में जमा की जाएंगी।

3.1.5 डीईईए एंड एल के लिए 12531.76 करोड़ रुपये के आबंटन में से 12241.76 करोड़ रुपये प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्रक के लिए तथा 290 करोड़ रुपये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए रखे गए हैं।

3.1.6 योजना के पहले चार वर्षों के दौरान एसएसए का संकेन्द्रित कार्यान्वयन बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना है। इन दो वर्षों के दौरान स्कूल से बाहर रहने वाले सभी बच्चों का प्रारंभिक स्कूलों में और ईजीएस/एआईई स्कीमों के अंतर्गत दाखिला सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। नियमित स्कूलों के विद्यमान ढांचे को सुधारने और साथ ही विभिन्न कारणों से स्कूल से बाहर के बच्चों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए वैकल्पिक नीतियों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता रहा।

#### (क) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)

3.1.7 एसएसए के अंतर्गत 2005-06 (31.3.2005 को) प्रगति का उल्लेख नीचे दिया गया है:-

- एसएसए के उपायों के फलस्वरूप, स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या 3.20 करोड़ से कम होकर, दसवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से मार्च, 2006 में 70.5 लाख रह गई।
- उचित छात्र-शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करने के लिए एसएसए के अंतर्गत 7.95 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई।
- 1.18 लाख बुनियादी स्कूल भवन बनाए जा चुके हैं तथा 40000 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 4.05 लाख अतिरिक्त कक्षाओं के कमरे बनाए जा चुके हैं तथा मार्च, 2006 तक 2.46 लाख का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- दिसम्बर, 2005 तक 23.47 लाख अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिलाया गया।
- 5.35 करोड़ विद्यार्थियों को मुफ्त पढ़ाई की पुस्तकें दी गईं।

- यह कार्यक्रम गोवा सहित पूरे देश में 2005-06 से चल रहा है।

3.1.8 एसएसए का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक शिक्षा गारंटी स्कीम और वैकल्पिक तथा नूतन शिक्षा (ईजीएस एंड एआईई) है जिसे प्रारंभिक शिक्षा की सुलभता के साथ स्कूल रहित बस्तियों और स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। स्कीम के अंतर्गत, रिहायशी शिविरों, संक्षिप्त पाठ्यक्रमों, ड्राप-इन-केन्द्रों, ग्रीष्म शिविरों, रिहायशी प्रशिक्षण आदि के माध्यम से स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए शिथिलनीय कार्यनीतियों की व्यवस्था है। 31 मार्च, 2006 तक इस घटक से 63 लाख बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने में मदद मिली। काफी संख्या में ईजीएस केन्द्रों को नियमित प्राथमिक स्कूलों में बदला जा चुका है।

3.1.9 16 राज्यों के 93 जिलों की पहचान कर ली गई है, ताकि अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। 2006-06 के दौरान अल्पसंख्यक सघन जिलों में 2643 प्राथमिक स्कूल, 1978 अपर प्राइमरी स्कूल, 29000 ईजीएस केंद्रों को मंजूरी दी जा चुकी है तथा एसएसए द्वारा अनुमोदित 7500 मान्यता प्राप्त मदरसों को स्कूली मरम्मत और अनुदान तथा टीएलएम अनुदान दिया गया है। मदरसों में सामान्य विषय शुरू करने के लिए वैकल्पिक और इन्नोवेटिव शिक्षा घटक के तहत लगभग गैर-मान्यता वाले 3500 मदरसों ने सहायता प्राप्त की। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम के तहत 270 आवासीय स्कूलों को लड़कियों के लिए अल्पसंख्यक बाहुल ब्लॉकों के रूप में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदन दिया गया।

3.1.10 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार के लिए जोर दिया गया। उपचारात्मक शिक्षण संबंधी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया। विभिन्न राज्यों में बच्चों के स्वतंत्र परीक्षण, स्कूल ग्रेडिंग प्रणाली आदि कार्यक्रम चल रहे हैं। कंप्यूटर से सीखने की प्रणाली चल रही है।

### (ख) प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम

3.1.11 प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसे आमतौर पर मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएम) कहा जाता है, सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों की पोषाहार स्थिति में सुधार करके प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 अगस्त, 1995 को शुरू की गई। कार्यक्रम का अक्टूबर, 2002 में ईजीएस व अन्य वैकल्पिक अध्ययन केन्द्रों में अध्ययन करने वाले बच्चों तक विस्तार किया गया। स्कीम को सितम्बर, 2004 से संशोधित किया गया है। संशोधित स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार राज्यों को पकाने की लागत वहन करने के लिए भी एक रुपये प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिन के हिसाब से सहायता प्रदान कर रही है। राज्य सरकार द्वारा “सूखा प्रभावित” घोषित क्षेत्रों में गर्मियों की छुट्टियों में पका हुआ मिड-डे-मील (दोपहर का भोजन) हेतु सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। 2005-06 में इस योजना के लिए 3345.26 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया। 22.50 लाख मि.टन चावल/गेहूं का आबंटन किया गया तथा जनवरी, 2006 तक 14.35 लाख मि.टन की लिफ्टिंग संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इस कार्यक्रम से समूचे देश में 12 करोड़ प्राथमिक स्कूली बच्चों को लाभ पहुंचाया गया।

### (ग) अध्यापक शिक्षा योजना

3.1.12 इसे 1987-88 में स्कूली अध्यापकों के प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण के लिए व्यावहारिक संस्थागत सुविधा के रूप में शुरू किया गया था, ताकि उनके ज्ञान को सतत और शिक्षण की दक्षता में सक्षम अद्यतन रखा जा सके। योजना को 2004 में संशोधित किया गया। जिले में शिक्षा प्रशिक्षण संबंधी मंजूरीकृत संस्थाओं में डाइट्स के प्रचालन पर जोर दिया गया। उन में अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए अध्यापक शिक्षा कॉलेज शुरू किए गए। 30 नवम्बर, 2005 तक कुल 556 डी.आई.आई.टी. (एस)/आर.पी. (ज) और 135 सी.टी.ई. (ज) आर.एस.ई. (ज) को मंजूरी प्रदान की गई।

### (घ) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम (केजीबीवी)

3.1.13 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम (केजीबीवी), लड़कियों के लिए, प्रमुख रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों (ईबीबी) में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए, जहां महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत के कम और साक्षरता में लिंग अंतर राष्ट्रीय औसत से अधिक था, प्रारंभिक स्तर पर 750 रिहायशी स्कूल स्थापित करने के उद्देश्य से, अगस्त, 2004 में शुरू की गई थी। अप्रैल, 2006 तक 663 स्कूल प्रचालन में थे, जिन में 37000 लड़कियों से भी ज्यादा लड़कियों ने नाम पंजीकृत थे। फरवरी, 2006 में 430 और स्कूलों को मंजूरी दी गई और 125.51 करोड़ की राशि जारी की गई। ये 430 स्कूल 2006-07 के दौरान प्रचालन में आ जाएंगे।

### प्रौढ़ शिक्षा

3.1.14 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य (एनएलएम), 15-35 आयु वर्ग में नवसाक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करके, 2007 तक 75% का संघारणीय थ्रेसहोल्ड स्तर प्राप्त करना है। इस आयु समूह के अलावा, 9-14 वर्ष के आयुवर्ग के उन बच्चों को भी इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा जिन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है।

### प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत संचयी प्रगति

- 2001 में 54.8 प्रतिशत की साक्षरता दर दर्ज की गई थी, जबकि 1991 में यह 52.21 प्रतिशत थी।
- पुरुष-स्त्री साक्षरता दर में अंतर 1991 में 24.84 प्रतिशत से घटकर 2001 में 21.60 प्रतिशत हो गया।
- साक्षरता पुरुष साक्षरता की बजाय अधिक तीव्र गति से बढ़ी।
- सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता दर अब 60 प्रतिशत से अधिक है (जनगणना 2001)।
- निरक्षरों की निरपेक्ष संख्या में महत्वपूर्ण कमी आई है, जो 1991 में 328.88 मिलियन से 2001 में 304 मिलियन हो गई।
- देश के कुल 600 जिलों में से 597 जिलों को प्रौढ़

शिक्षा के तहत कवर किया जा चुका है - 128 को कुल साक्षरता अभियान (टीएलसी), 164 को साक्षरता पश्चात् कार्यक्रमों और 305 को सतत् शिक्षा कार्यक्रमों के तहत व्याप्ति में लिया गया। अभी तक 120.35 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर बनाया जा चुका है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लाभार्थियों में 60% महिलाएं रही हैं, जिन में अनुसूचित जाति की 22% और 12% अनुसूचित जन जाति की थीं।

3.1.15 एमएचआरडी 47 जिलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां महिला साक्षरता 30% से कम रही है। ये जिले ज्यादातर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के हैं। विशिष्ट नव परिवर्तन योजनाएं इन जिलों में महिलाओं की साक्षरता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई हैं।

3.1.16 अप्रैल, 2005 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने 150 जिलों की पहचान की है, जहां देश की सबसे कम साक्षरता दर है, ताकि वहां साक्षरता संबंधी अभियान शुरू किया जा सके और अल्पसंख्यक समूहों की साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जा सके और क्षेत्र/समाज/समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल कार्यान्वयन संबंधी रणनीतियां तैयार कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य पिछड़े समूह की महिलाओं की साक्षरता पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा सके।

3.1.17 इस समय प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत चल रही अन्य प्रमुख स्कीमें हैं - जन शिक्षा संस्थान (जेएसएस) और सतत शिक्षा कार्यक्रम। जन शिक्षा संस्थान समाजार्थिक पिछड़े और शैक्षिक रूप से सुविधाविहीन समूहों के लिए, जिनमें नव/अर्ध साक्षर सम्मिलित हैं, अनेक व्यावसायिक कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। इस समय इन संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की संख्या 300 के लगभग है। प्रत्येक वर्ष लगभग दो लाख व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसमें 65% लाभार्थी महिलाएं होती हैं। सतत शिक्षा केन्द्र, क्षेत्र विशिष्ट ओर जरूरत आधारित दक्षताओं में नव-साक्षरों के लिए अध्ययन अवसर उपलब्ध कराते हैं। वे शिक्षार्थियों के लिए जीवन कोटि सुधार कार्यक्रम भी प्रदान करते हैं।

## वार्षिक योजना 2006-07

3.1.18 वर्तमान वर्ष के दौरान, योजना आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 17128 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है जो 12531.76 करोड़ रुपये के पिछले वर्ष के तदनुसूची आबंटन के मुकाबले 36.67 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। आगामी वर्ष में, दो प्रमुख कार्यक्रमों, यथा एसएसए और मध्याह्न भोजन, के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

(क) 5 लाख अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण और 1.5 लाख अतिरिक्त अध्यापक के विशिष्ट लक्ष्य से एसएसए को 11000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसके अलावा सीखने के स्तरों में भी गुणवत्ता और सुधार पर ध्यान केंद्रित (2006-07 में कम से कम 10%) ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्राथमिकता स्तर पर 5% बिन्दुओं तक डिपोजिट रेट्स में कमी की उम्मीद की जाती है। चुनिंदा जिलों में स्कूल के बाहर बच्चों और सामाजिक श्रेणियों के बच्चों में कमी की ओर भी ध्यान दिया जाएगा। शेष सभी बच्चे स्कूल नहीं जा सके, उन्हें 2006-07 में स्कूलों/ईजीएस/एआईई केंद्रों में पंजीकृत कराया जाएगा।

(ख) 2006-07 के दौरान 5348 करोड़ रुपये का आवंटन कर डीएमडी स्कीम को और संशोधित किया गया। संशोधित मानदंडों में 450 कैलोरीज तथा मिड-डे-मील में 10 ग्राम प्रोटीन कंटेन्ट निर्धारित किया गया। केंद्रीय सहायता के रूप में कूकिंग की लागत को प्रति स्कूल दिवस प्रति बच्चों की दर से रुपये 1.00 से बढ़ कर 1.50 रुपये संशोधित कर दिया गया तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र भी इस में रुपये 0.50 का योगदान देते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में प्रति बच्चा प्रति दिन की दर से रुपये 1.80 का प्रावधान तथा राज्य द्वारा रुपये 0.20 प्रति दिन प्रति बच्चे की दर से अंशदान का प्रावधान है। चरणबद्ध तरीके से रसोई-सह-स्टोर एवं किचन प्रणाली के निर्माण हेतु सहायता भी दी जाती है। 1

जनवरी, 2006 से वास्तविक फीडिंग को देखने के लिए मदर्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सहयोजित करने के लिए पहल की गई है। राज्यों को भी कहा गया है कि वे सभी बच्चों की माताओं को इस ओर आकर खाना बनाने और सर्व करने में सहायता करने को कहा गया है, ताकि गुणवत्ता और नियमितता सुनिश्चित की जा सके। पीईओ द्वारा इस योजना का मूल्यांकन किया जा रहा है। मीड-डे-मील योजना का कुशल प्रबंधन काफी हद तक समुदाय और स्टेक होल्डर्स की सक्रिय सहभागिता पर निर्भर करता है।

## 3.2 माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा

### माध्यमिक शिक्षा

3.2.1 माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा के बीच एक सेतु का काम करती है और 14-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार करती है। यह कक्षा IX-XII से संबंधित है।

### विद्यमान स्थिति

3.2.2 चुनिंदा अद्यतन शिक्षा संबंधी आंकड़े 2003-04 (30.9.2003) के अनुसार 14 से 18 वर्ष की आयु समूह के कुल 9 करोड़ की पात्र जनसंख्या में से मात्र 3.50 करोड़ बच्चों को माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में पंजीकृत कराया गया।

### दसवीं योजना के उद्देश्य

3.2.3 माध्यमिक शिक्षा के लिए दसवीं योजना के उद्देश्यों में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) और 1992 के कार्यक्रमों की कार्रवाई के मौजूदा मानदंडों और रणनीति के अनुसार मेल खाता है। दसवीं योजना में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जिन प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है वे हैं - सुलभता में सुधार करने पर अधिक बल; व्यावसायीकरण और रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों पर बल देकर पाठ्यचर्या का नवीकरण; मुक्त अध्ययन पद्धति का विस्तार विविधीकरण; शिक्षक प्रशिक्षण का पुनर्गठन और आईसीटी का और अधिक प्रयोग।

## 2005-06 की समीक्षा

3.2.4 वर्ष 2005-06, दसवीं पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष था। वार्षिक योजना 2005-06 के तहत केन्द्रीय क्षेत्रक में माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रक के लिए 875 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया, जिसे बाद में व्यय की गति को ध्यान में रखते हुए कम करके संशोधित अनुमान स्तर पर 759.40 करोड़ कर दिया गया।

3.2.5 माध्यमिक क्षेत्रक में, स्कूल शिक्षा के लिए पांच शीर्ष स्तरीय राष्ट्रीय संस्थान (केन्द्रीय क्षेत्रक और चार केन्द्र प्रायोजित स्कीमें हैं, जो दसवीं योजना अवधि के दौरान चल रही हैं।

3.2.6 शीर्ष संस्थान हैं - एनसीईआरटी, नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस), केन्द्रीय विद्यालय संगठन(केवीएस), राष्ट्रीय मुक्त स्कूल शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) और केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए)।

### केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें

3.2.7 समीक्षाधीन अवधि में केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा शुरू की गई गतिविधियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं -

- वर्तमान में 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 1.99 लाख विद्यार्थियों पंजीकरण सहित (30.9.2005 की स्थिति के अनुसार) 543 जेएनवी(ज) हैं जो मार्ग प्रशस्तकर्ता स्कूल हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उच्चतर आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हैं। ये स्कूल, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक पूर्णतः रिहायशी सह-शिक्षा संस्थान हैं जो सभी छात्रों को मुफ्त आवास, खाना, पाठ्यपुस्तकें और वर्दियां उपलब्ध कराते हैं।
- केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के स्थानान्तरित होने वाले बच्चों की शिक्षा संबंधी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।(31.12.2005) की स्थिति के अनुसार 933 केन्द्रीय विद्यालय हैं जिनमें 9.51 लाख विद्यार्थी पंजीकृत हैं। नियमित मॉनीटरिंग

और उपचारात्मक उपायों में इन स्कूलों ने अपनी शिक्षा के स्तर और निष्पादन के स्तरों में सदैव सुधार किया है। 2005 के दौरान दसवीं और बारहवीं का अखिल भारतीय सी.बी.एस.ई. का परिणाम क्रमशः 64.60% और 77.80% रहा है, जिसमें इन परीक्षाओं संबंधी केन्द्रीय विद्यालयों का परिणाम क्रमशः 85% और 92.47% रहा है।

3. **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)** पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और स्कूली शिक्षा के लिए शिक्षण-सह-पढ़ाई की सामग्री तैयार करने के लिए यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों को तकनीकी और शैक्षणिक सहायता प्रदान करती है। यह स्कूली शिक्षा के सभी पहलुओं पर कार्य करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नेशनल करिक्यूलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया। अब इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में तैयार कर लिया गया है।
4. **राष्ट्रीय मुक्त संस्थान (एनआईओएस)** एक स्वायत्त संगठन है, जो प्राथमिक से लेकर पूर्व डिग्री तक की सतत शिक्षा उन लोगों को प्रदान करता है, जो पूर्ण स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर खो बैठे हैं। इस समय (2005-06) इसमें लगभग 13 लाख छात्र नामांकित हैं, इसके 11 क्षेत्रीय केन्द्र और लगभग 2000 अध्ययन कार्यक्रम केन्द्र मुक्त शिक्षण और दूरवर्ती शिक्षण प्रदान करते हैं। भारत में अध्ययन केन्द्रों के अलावा, यूएई, कुवैत, नेपाल और कनाडा में भी एनआईओएस अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। एनआईओएस(ज) अपने शिक्षण संबंधी मिशन की प्राप्ति कि, जो अपनी शिक्षा को जारी रख नहीं पाए और स्कूली शिक्षा का पूरा करने संबंधी सुअवसर खो चुके हैं, वे अब उसे प्राप्त करने में लगे हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वरिष्ठ माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया है, जिसमें नए नेशनल करिक्यूलम फ्रेमवर्क-2005 को ध्यान में रखा गया है। चार नए विषयों का पाठ्यक्रम मुख्यतः पर्यावरण, विज्ञान, संस्कृति,

बिजनस कम्प्यूटिंग और वैब टेक्नोलॉजी तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर नैटवर्किंग का विकास किया गया है और इन विषयों में अध्ययन/सीखने संबंधी सामग्री तैयार की जा रही है।

5. **केन्द्रीय तिब्बतन स्कूल प्रशासन (सीटीएसए)** तिब्बतन रिफ्यूजीज बच्चों के लिए और मुख्यतः तिब्बतन सैटलमेंट क्षेत्रों में 79 स्कूल चलाता है। आरंभ में प्रशासन ने मुख्यतः तीन स्कूल शुरू किए थे जिनमें विद्यार्थियों की सामान्य संख्या थी। इनके कार्यकाल के 43 वर्षों में स्कूलों की संख्या 79 तक बढ़ गई है और विद्यार्थियों की संख्या लगभग 9500 है।

### संयुक्त मंगोलियन स्कूल परियोजना

3.2.8 भारत सरकार और मंगोलियन सरकार के बीच उलन्बेटर, मंगोलिया में एक स्कूल खोलने के लिए 2002 में शिक्षा के क्षेत्र में एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए। इस में भारत सरकार की वचनबद्धता अंग्रेजी, विज्ञान, गणित के 5 स्नातकोत्तर अध्यापक उपलब्ध कराने की है। वेतन, भत्ते, आवास तथा हवाई जहाज का व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

### केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा की 4 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें हैं।

#### (क) सुलभता एवं समानता

3.2.9 इस स्कीम का उद्देश्य है कि VI से XII कक्षा तक की छात्राओं के लिए आवासीय/छात्रावास की सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाया जाए। योजना के तहत प्रति आवासीय आवर्ती खर्च के रूप में रुपये 10,000/- और 3000/- रुपये गैर-आवर्ती व्यय के रूप में पात्र स्वयंसेवी संगठनों को दिए जाते हैं। एक छात्रावास में अधिकतम 150 अंतेवासियों को सहायता प्रदान की जाती है। उन संगठनों को प्राथमिकता दी जाती है, जो शैक्षिक रूप से पिछड़ी लड़कियों के छात्रावास चलाते हैं और विशेष रूप से जिन में अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति और शिक्षा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों की लड़किया हैं।

3.2.10 2005-06 के दौरान मानदंडों के अनुसार गैर-सरकारी 73 संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

### (ख) स्कूलों में गुणवत्ता सुधार,

3.2.11 नवम्बर, 2005 में सरकार ने स्कूलों में गुणवत्ता सुधार की सामाजिक स्कीम को अनुमोदन दिया, जिस में पांच नवीं प्लान स्कीमों को एकीकृत किया गया है यानि - स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई, स्कूल शिक्षा पर्यावरण का अभिमुखीकरण, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना, स्कूलों में योग की शुरुआत और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ऑलम्पियाड मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया गया है कि “स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा का सुधार” एक राज्य क्षेत्रक रूप में यह स्कीम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दे दी जाए। अन्य चार घटकों का कार्यान्वयन एनसीईआरटी द्वारा किया जाए, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है।

(ग) स्कूलों में आईसीटी का मतलब है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आदि के लिए कंप्यूटर साक्षरता का प्रशिक्षण देना। केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से इसके लिए अनुदान देगी। योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार 75% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसकी सीमा रुपये 5.00 लाख प्रति स्कूल होगी। शेष 25% राशि का अंशदान संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वहन किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल को 10 पीसी/प्रिंटर/सीपीयू, शिक्षा सॉफ्टवेयर, फर्नीचर, कंप्यूटर स्टेशनरी, अध्यापक प्रशिक्षण, इन्टरनेट सुविधाएं आदि रुपये 6.70 लाख की अनुमानित लागत पर उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना दिसम्बर, 2004 में प्रचालन में आई थी।

### (घ) असहाय बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (आईडीसी)

3.2.12 सामान्य स्कूल प्रणाली में उनके एकीकरण और उनके स्कूल में बने रहने में सहायता के लिए यह स्कीम

शुरू की गई है। इस स्कूल का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। आईडीसी स्कीम के तहत उन बच्चों की सामान्य स्कूलों में शिक्षा के लिए बच्चे छोटी से मध्यम स्तर की विकलांगता का सामना कर रहे हैं, उनमें विभिन्न घटकों के तहत 100% सहायता प्रदान की जा रही है। इन घटकों में शामिल हैं - शिक्षा-सहायता, सहायक उपस्कर, विशिष्ट अध्यापकों के लिए वेतन और विकलांगता वाले बच्चों के लिए अन्य सहायता। वर्तमान, इस योजना का संशोधन होना है। प्रस्तावित संशोधनों में मौजूदा भौतिक और वित्तीय मानदंडों तथा अध्यापन प्रणालियों को परिष्कृत करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। पणधारियों के साथ व्यापक परामर्श किया जा चुका है, ताकि प्रस्तावित संशोधित स्कीम के ब्योरे तैयार किए जा सकें।

### वार्षिक योजना 2006-07

3.2.13 वर्ष 2006-07 के दौरान माध्यमिक शिक्षा/क्षेत्रक के लिए रुपये 1067 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन किया गया, जो पिछले वर्ष 2005-06 के रुपये 759.40 करोड़ के संशोधित अनुमानों से 28.8% अधिक है।

## II व्यावसायिक शिक्षा

3.2.14 माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के अंतर्गत शैक्षिक अवसरों के विविधीकरण की व्यवस्था है, ताकि व्यक्तियों की रोजगार-उपयुक्तता में वृद्धि हो सके, दक्ष जनशक्ति की मांग और पूर्ति के बीच बेमेलपन कम हो सके तथा इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए विकल्प की व्यवस्था है।

3.2.15 +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र प्रायोजित स्कीम 1988 से कार्यान्वित की जा रही है। संशोधित स्कीम 1992-93 से चल रही है। स्कीम के अंतर्गत राज्यों को प्रशासनिक संरचना स्थापित करने, क्षेत्र-व्यावसायिक सर्वेक्षणों, पाठ्यचर्चा गाइड प्रशिक्षण मैनुअल, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने, अनुसंधान और विकास प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए तकनीकी सहायता प्रणाली

को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत अल्पवधि पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए कार्यान्वयन हेतु एनजीओ और स्वैच्छिक संगठनों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत लगभग 7600 स्कूलों में अभी तक 21,000 सैक्शन बनाए जा चुके हैं, जिनमें 10 लाख विद्यार्थियों के पंजीकरण की क्षमता है। इसके शुरुआत के बाद अभी तक स्कीम के तहत कुल 754 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय व्यावसायिक शिक्षा स्कीम को संशोधित करने का प्रस्ताव कर रहा है।

### 3.3 उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा

3.3.1 उच्च शिक्षा पद्धति का हाल ही के वर्षों में बड़ा विस्तार हुआ है। इस समय देश में 335 विश्वविद्यालय, 215 राज्य विश्वविद्यालय, राज्य केन्द्रीय विधान के माध्यम स्थापित पांच संस्थान और केन्द्रीय विधान के तहत स्थापित राष्ट्रीय महत्त्व के 13 संस्थान तथा लगभग 17525 कॉलेज हैं, जिनमें 1849 महिला कॉलेज हैं। शैक्षणिक वर्ष 2005-06 की शुरुआत में, विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षा की औपचारिक पद्धति में दाखिल छात्रों की कुल संख्या 104.81 लाख थी। (13.88 लाख विश्वविद्यालय के विभागों में तथा 90.93 लाख संबद्ध कालेजों में)। शैक्षणिक वर्ष 2005-06 के प्रारंभ में दाखिल महिला छात्रों की संख्या 42.34 लाख थी जो कुल दाखिले का 40.40% है।

### दसवीं योजना के उद्देश्य

3.3.2 18-23 वर्ष के आयु वर्ग में लोगों का दाखिला, जो दसवीं योजना के प्रारंभ में 6% करना था, 2007 के अंत तक बढ़ाकर 10% करना दसवीं योजना का एक प्रमुख लक्ष्य था। इसके साथ ही अन्य उद्देश्य थे - शिक्षा की कोटि में सुधार करना, स्तर-विशिष्ट कार्यनीतियां अपनाना; उच्च शिक्षा पद्धतियों का उदारीकरण; पाठ्यचर्या, व्यावसायीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नेटवर्किंग की प्रासंगिकता; औपचारिक, गैर-औपचारिक शिक्षा का अभिसरण; निजी भागीदारी में वृद्धि; ज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान और भारतीय शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण की चुनौतियों का सामना करना।

### 2005-06 की समीक्षा

3.3.3 वार्षिक योजना 2005-06 के अंतर्गत, विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा क्षेत्रक के लिए 875 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, जिसे 2005-06 के संशोधित अनुमान स्तर पर कम करके 788.80 करोड़ रुपये कर दिया गया।

3.3.4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का हिस्सा जो विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वयन, निर्धारण और मानकों के अनुरक्षण के लिए स्थापित एक सांविधिक निकाय है, 585.40 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का 80 प्रतिशत है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय व कुछ सम विश्वविद्यालयों, दोनों योजना व योजनेतर के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जबकि राज्य विश्वविद्यालय व उनके सम्बद्ध कालेजों को सहायता केवल योजना के तहत प्रदान की जाती है।

3.3.5 समीक्षा अधीन वर्ष के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय/यूजीसी द्वारा उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विस्तार के लिए विभिन्न कदम उठाए गए (क) दो विश्वविद्यालयों यानि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और मणिपुर विश्वविद्यालय बनाए गए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय तीन अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की परिकल्पना कर रहा है जो हैं - अरुणचल विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय और सिक्किम विश्वविद्यालय। (ख) बम्बई, कोकाता और मद्रास विश्वविद्यालय जिनहोंने 150 वर्ष पूरे कर लिए हैं - इन तीनों विश्वविद्यालयों को बुनियादी सुविधाओं के विकास और सुधार के लिए कार्रवाई की गई है। (ग) यूजीसी द्वारा अन्य तीन उत्कृष्ट क्षमता वाले विश्वविद्यालयों की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है। (घ) 32 सार्वजनिक तौर पर वित्त पोषित राज्य विश्वविद्यालय सहायता मुहैया कराने का प्रस्ताव रखा गया है, जिन्हें यूजीसी से कोई सहायता नहीं मिल रही है। यूजीसी के क्षेत्राधिकार वाले 5003 महाविद्यालयों को एकमुश्त सहायता देने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिनके पास सुविधाओं का अभाव है। यह सहायता प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कंप्यूटर केंद्रों और छात्रावास आदि के क्रमोन्नयन के लिए दी जाएगी।

3.3.6 औपचारिक विश्वविद्यालयों के अलावा यूजीसी के संरक्षण के तहत इंदिरा गांधी नेशनल मुक्त विश्वविद्यालय और इसकी दूरस्थ शिक्षा परिषद (डीईसी) मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के विकास को बढ़ावा दे रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान (31.12.2005 की स्थिति के अनुसार) 13 स्टेट मुक्त विश्वविद्यालय हैं, ईजीएनओयू 107 कार्यक्रम देती है, जिस में 12 पीएचडी कार्यक्रम भी शामिल हैं, 20 मास्टर डिग्री कार्यक्रम, 15 स्नातक डिग्री कार्यक्रम और 35 प्रमाण-पत्र और जागृति कार्यक्रम हैं। 2005-06 के दौरान कुल 4,60,807 विद्यार्थियों का पंजीकरण किया गया, आईजीएनओयू के विद्यार्थी सहायता प्रणाली नैटवर्क में 60 क्षेत्रीय केंद्र, 7 उप क्षेत्रीय केंद्र और 1298 अध्ययन केंद्र शामिल हैं।

3.3.7 विश्वविद्यालय क्षेत्रक के अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय विश्वविद्यालय प्रणाली के बाहर निम्नलिखित संस्थानों का वित्त पोषण भी करता है - आईसीएसएसआर, आईसीपीआर, आईसीएचआर, आईआईएसएस. एवं ग्रामीण संस्थाओं की विकास परिषद।

## वार्षिक योजना 2006-07

3.3.8 वर्ष 2006-07 के दौरान विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा क्षेत्रक के लिए 1403.5 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर किया गया, जो वर्ष 2005-06 के बजट अनुमानों के तहत अनुमोदित 875 करोड़ रुपये के मुकाबले 37% की वृद्धि की गई।

## II तकनीकी शिक्षा

3.3.9 तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत इंजीनियर, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, नगर आयोजन, फार्मसी, प्रयुक्त कलाएं और शिल्पकला आदि में पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। तकनीकी/प्रबंधन शिक्षा की व्यवस्था आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी, आईसी/एनआईटी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्रीय दलाई और गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रशिक्षण तथा औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, आदि के माध्यम से की जाती है।

3.3.10 वार्षिक योजना 2005-06 के लिए 806 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर कम करके 580.93 करोड़ रुपये कर दिया गया।

3.3.11 समीक्षा अधीन वर्ष के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता में सुधार हेतु अनेक नई पहलें शुरू की गईं। प्रो० सी.एन.राव की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी - पीएम) की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में सैद्धांतिक रूप से दो नए संस्थानों - पूणे और कोलकाता में स्थापित करने को अनुमोदन दिया गया। इन संस्थानों का उद्देश्य है कि उच्च मेधा का शिक्षण, बुनियादी विज्ञान में अनुसंधान तथा उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संकाय को आकर्षित करना।

3.3.12 7 प्रमुख संस्थानों को आईआईटी के स्तर पर क्रमोन्नत करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। यह प्रोफेसर एस.के. जोशी कमेटी पूर्व महानिदेशक (सीएसआईआर) की सिफारिश थी। इन में शामिल हैं - (1) प्रौद्योगिकी संस्थान(बीएचयू) (2) यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ओसमानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद (3) बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, हावड़ा (4) जादवपुर विश्वविद्यालय का इंजीनियरिंग विभाग (5) जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) (6) आंध्र यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, विशाखापट्टनम (7) कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलाजी। इन संस्थानों ने भविष्य की विकास योजना संबंधी विजन दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं। सितम्बर, 2005 में विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, जो संसाधनों के अंतर का पता लगा सके और इन संस्थानों को आईआईटी के स्तर पर क्रमोन्नत करने के लिए कार्य-योजना का सुझाव दे सकें।

3.3.13 विश्व बैंक से सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) के प्रथम चरण को द्वितीय चक्र में 13 राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है जो हैं - आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु,

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल। इस चक्र में 81 लीड एवं नैटवर्क संस्थाओं को चुना गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संस्थानों की मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाने में भारत सरकार के चल रहे प्रयासों को और अधिक समर्थन देते हुए उन्हें पूरा करने में मदद की जाए, जिसके तहत (18 केन्द्रीय वित्त पोषित एनआईटी(ज) भी शामिल हैं) 114 राज्य इंजीनियरिंग/नैटवर्क संस्थान, (जिनमें 20 पॉलीटेक्निक भी शामिल हैं) आदि कार्यक्रम के पहले चरण में भाग ले रहे हैं, जो 10वीं योजना अवधि के साथ-साथ चल रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत हर वर्ष स्नातक करने वाले 10000 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा और दक्षता और ट्रेनिंग दी जाएगी और इस से 1000 अध्यापकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण में संवर्धन होगा।

3.3.14 समीक्षा अधीन वर्ष के दौरान सामुदायिक पालीटेक्निक्स(जो मौजूदा पालीटेक्निक्स की विंगज के कार्य करती हैं) को सुदृढ़ बनाया गया। वर्तमान में 669 सामुदायिक पालीटेक्निक्स हैं जो ग्रामीण जनता को उचित प्रौद्योगिकी के अंतरण हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराते हैं।

### वार्षिक योजना 2005-06

3.3.15 वार्षिक योजना 2006-07 के लिए तकनीकी शिक्षा क्षेत्रक के लिए 930 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है।

## III भाषाएं

### 2005-06 की समीक्षा

3.3.16 वर्ष 2005-06 की वार्षिक योजना के लिए भाषा क्षेत्रक के तहत 125.04 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, जो संशोधित अनुमान में घटाकर 102.74 करोड़ कर दिया गया।

3.3.17 भारत के संविधान की आठवीं सूची में उल्लिखित भाषाओं और शास्त्रीय भाषाएं तथा अंग्रेजी भी शामिल हैं, के विकास और प्रसार के लिए उचित ध्यान दिया गया।

3.3.18 भाषा ब्यूरो प्रमुख रूप से हिंदी और संस्कृत प्रोतसाहन के लिए मुख्य रूप से संस्थागत स्कीमें कार्यान्वित करता है। ये संस्थान हैं - राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, केन्द्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, हिंदी निदेशालय आदि।

3.3.19 भाषा क्षेत्रक में तीन प्रमुख केन्द्र प्रायोजित स्कीमें हैं - (i) क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (ii) भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (iii) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से संस्कृत का विकास।

i. सघनता क्षेत्र और मदरसों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम की संशोधित स्कीम पिछले एक वर्ष से प्रचालन में है। मूल प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जहां स्कूल मैपिंग अभ्यास के दौरान इसकी आवश्यकता पड़ती है। 10वीं योजना में संशोधित स्कीम के तहत इसके दो घटक होंगे (क) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में आधारिक संरचना और सुविधा संबंधी सुधार (ख) मदरसों का आधुनिकीकरण - केन्द्रीय सरकार विज्ञान और गणित के अध्यापकों का वेतन देगी और विज्ञान और गणित के किट्स खरीदने हेतु अनुदान भी देगी।

ii. संस्कृत शिक्षा के विकास की संशोधित स्कीम 2003-04 में शुरू की गई, जिसके तहत संस्कृत पाठशालाओं के आधुनिकीकरण और हाई स्कूलों में संस्कृत शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने और साथ ही छात्रवृत्तियां प्रदान करने, संस्कृत विद्वानों का सम्मान करने, सेमिनार आयोजित करने आदि के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिए जाते हैं।

iii. भाषा अध्यापकों की नियुक्ति की स्कीम तीन स्कीमों का एक विलय है, जिसके अंतर्गत अहिन्दी भाषी राज्यों और अल्पसंख्यक संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में हिंदी, उर्दू और आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों का वेतन केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

1. गैर-हिंदी भाषा राज्यों में स्कूलों में हिंदी अध्यापकों को वेतन का भुगतान इस घटक में दिया जाता है। (वर्ष 2005-06 के दौरान 7 राज्यों के 2137 हिंदी अध्यापकों को वेतन का भुगतान इस घटक से किया गया)
2. इसी प्रकार राज्यों में उर्दू अध्यापकों के वेतन का भुगतान भी केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहचान के अनुसार इन 325 जिलों/ब्लॉकों में जहां पिछड़े/अल्पसंख्यकों की जनसंख्या काफी तादाद में है, वहां विशेष रूप से इस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा।
3. आधुनिक भारतीय भाषा घटक के तहत ही भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के किसी भी अध्यापक के लिए, वेतन प्रदान किया जाता है।

### वार्षिक योजना 2006-07

3.3.20 वर्ष 2006-07 के दौरान भाषा क्षेत्रक के लिए रुपये 165 करोड़ आबंटित किये गये हैं।

## IV पुस्तकों को बढ़ावा देना एवं कॉपी राइट 2005-06 की समीक्षा

3.2.21 वार्षिक योजना 2005-06 के दौरान इस क्षेत्रक के लिए 10.60 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी, जो 2005-06 के संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 14.03 करोड़ रुपये कर दी गई।

3.3.22 इस क्षेत्रक के अधीन मुख्य संस्थान हैं - नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) जो अच्छे साहित्य के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिए 1957 में स्थापित की गई थी, ताकि उसे आम जनता के बीच सामान्य दर पर उपलब्ध कराया जा सके। एनबीटी भारत के संविधान में सूचीबद्ध पुस्तकों को हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में पुस्तकों का

प्रकाशन करता रहा है। इन पुस्तकों में शामिल हैं - (क) भारत का शास्त्रीय साहित्य (ख) भारतीय लेखकों के असाधारण/उत्कृष्ट कार्यों को भारतीय भाषाओं में (ग) उत्कृष्ट पुस्तकों का विदेशी भाषाओं से हिंदी में अनुवाद (घ) पुस्तक प्रदर्शनियां और संगोष्ठियों का आयोजन(च) एनबीटी के क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता, मुंबई और बंगलौर में हैं, जो पुस्तकों के प्रोत्साहन संबंधित गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं।

3.3.23 अप्रैल-सितम्बर, 2005 के दौरान एनबीटी ने अंग्रेजी सहित विभिन्न भाषाओं के टाइटल्स में 891 पुस्तकें प्रकाशित कीं। विश्व का 17वां पुस्तक मेला जनवरी-फरवरी, 2006 में आयोजित किया गया। इसमें लगभग विदेशों अन्य अन्तर्राष्ट्रीय निकायों जैसे आईएलवो, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ आदि से 1300 सहभागी आए।

3.3.24 फ्रैंकफर्ट बुक फेयर 2006 में भारत को गैस्ट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है।

### वार्षिक योजना 2006-07

3.3.25 चालू वर्ष के दौरान पुस्तकों को बढ़ावा देने और कॉपी राइट के लिए क्षेत्रक के लिए रुपये 27 करोड़ आबंटित किए गए, जो 2005-06 के आबंटनों के मुकाबले 61 प्रतिशत अधिक है।

## V छात्रवृत्तियां

3.3.26 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना और छात्रवृत्ति की योजना को मिला एक नई योजना - “राष्ट्रीय विशेष योग्यता छात्रवृत्ति योजना” के रूप में 10वीं योजना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। इस राष्ट्रीय विशेष योग्यता छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य प्रतिभा सम्पन्न विद्यार्थियों के आधार पर उन्हें मैट्रिक के बाद के अध्ययन में मान्यता और वित्तीय सहायता देकर उन्हें शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर प्रोत्साहित करना है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में IX व X के लिए छात्रवृत्ति की दर पर 250 रुपये प्रति माह है, IX व X के लिए रुपये 300 प्रति माह, स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के

लिए यह छात्रवृत्ति प्रतिमाह 500 रुपये है। बीई/बीटैक/एमबीबीएस/एलएलबी और बीएड और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए यह रुपये 750 प्रति माह है। इस योजना का प्रचालन राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है। प्रति माह मासिक आय की सीमा रुपये 25,000 वार्षिक से बढ़ाकर रुपये 1,00,000 वार्षिक कर दी गई है।

3.3.27 वार्षिक योजना 2005-06 के दौरान इस योजना के लिए रुपये 11.00 करोड़ का अनुमोदन किया गया है, जो संशोधित अनुमानों के स्तर पर घटा कर 7.90 करोड़ रुपये कर दिया गया है। चालू वर्ष 2006-07 के लिए इस योजना हेतु रुपये 13.00 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन कर दिया गया है।

## VI प्लानिंग एवं प्रशासन

3.3.28 वर्ष 2006-07 के लिए इस क्षेत्रक के लिए 12.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है, जिसमें से रुपये 5.00 करोड़ राष्ट्रीय शिक्षा आयोगन एवं प्रशासन (नीपा) जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है के लिए निर्धारित है। यह शिक्षा के क्षेत्र में प्लानिंग हेतु अनुसंधान कराती है तथा राज्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। इस क्षेत्र में अन्य स्कीमें हैं - ओरोवाइल फाउंडेशन और यूनेस्को कार्यक्रम।

3.3.29 वार्षिक योजना 2005-06 और 2006-07 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दो विभागों के लिए निर्धारित आबंटन/व्यय परिशिष्ट 3.3.1 में दिया गया है।

संलग्नक 3.3.1

प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग का परिव्यय/व्यय केन्द्र

(करोड़ रुपये में)

क्र. स्कीम का नाम सं.	10वी योजना (2002-07) आबंटन	वार्षिक योजना (2004-05) व्यय	वार्षिक योजना (2005-06) अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना 2005-06 (सं.अ.)	वार्षिक योजना 2006-07 अनुमोदित परिव्यय
क प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग					
1 प्रारंभिक शिक्षा	28750.00	7710.18	12241.76	12241.76	16892.50
2 प्रौढ़ शिक्षा	1250.00	236.03	290.00	289.92	235.50
<b>जोड़: क</b>	<b>300000.00</b>	<b>7946.21</b>	<b>12531.76</b>	<b>12531.68</b>	<b>17128.00</b>
ख माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा					
1 माध्यमिक शिक्षा	4325.00	652.29	875.00	859.41	1067.00
2 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा	4176.50	810.65	875.00	873.27	1403.50
3 भाषा विकास		98.98	125.04	105.50	165.00
4 छात्रवृत्तियां	52.00	0.72	11.00	8.37	13.00
5 पुस्तक प्रोन्नयन	67.00	3.66	10.60	14.09	27.00
6 आयोजना और प्रशासन	70.50	4.99	9.36	5.69	12.00
7 तकनीकी शिक्षा	4700.00	615.79	806.00	643.37	930.00
<b>जोड़ (ख)</b>	<b>13825.00</b>	<b>2187.03</b>	<b>2712.00</b>	<b>15243.76</b>	<b>3617.50</b>
<b>जोड़ (क+ख)</b>	<b>43825.00</b>	<b>10133.24</b>	<b>15243.76</b>	<b>14791.17</b>	<b>20745.50</b>

### 3.4 युवा मामले एवं खेल

3.4.1 युवा देश का सशक्त एवं सक्रिय हिस्सा है। पूर्व हो या पश्चिम विकसित दुनिया में उच्च निर्भरता अनुपात के साथ युवाओं की संख्या तेजी से कम होती जा रही है, लेकिन भारत में 10-35 वर्ष आयु समूह के बीच 500 मिलियन से भी ज्यादा युवा हैं, जो पूरी तरह ऊर्जा से परिपूर्ण हैं, जो इसकी जनसंख्या का 50 प्रतिशत से भी अधिक है। अतः इन युवाओं की ऊर्जा के सही सदुपयोग के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। राष्ट्र निर्माण में समाजार्थिक विकास संबंधी गतिविधियों के लिए युवाओं की सक्रिय सहभागिता बहुत जरूरी है।

3.4.2 10वीं योजना में राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में युवाओं की सहभागिता पर काफी जोर दिया गया है। धर्म निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता, युवा सशक्तिकरण और जेंडर-न्याय के मूल्यों को मन में धारण कर, अन्तर-क्षेत्रीय अवधारणा, शिक्षा की ओर विशेष ध्यानाकर्षण, प्रशिक्षण और रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा और नेतृत्व के गुण पैदा कर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों एवं विधाओं में स्पर्धा करने लायक बन सकें। दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में सिफारिश की गई है कि आपदा की तैयारी विकास हेतु भारत सरकार और राज्य सरकार के संसाधनों के बीच समन्वय, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तरों पर खेलों को बढ़ावा देना नेहरू युवा केंद्रों की एक नियमित गतिविधियों में आती है। एनसीएमपी के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) को एक प्राथमिक क्षेत्र के रूप में लिया गया है, जिसमें शिक्षा संस्थानों के माध्यम से राष्ट्रीय और सामाजिक विकास में युवाओं की सहभागिता के माध्यम से युवाओं को सुअवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। एनसीएमपी में यह भी दोहराया गया है कि पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान भी किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थी मौजूदा स्कीमों में से किसी एक में और विशेष रूप से एनएसएस या नेशनल केडेट कार्पस (एनसीसी) में अवश्य भाग लेते हैं।

### वार्षिक योजना 2005-06 की समीक्षा और 2006-07 के लिए लक्ष्य

3.4.3 युवा मामले और खेल क्षेत्रक के लिए दसवीं योजना में 1825 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले योजना के पहले चार वर्षों के दौरान 1353.69 करोड़ रुपये (74.2 प्रतिशत) के खर्च का परिकलन किया गया है। 2005-06 के लिए 438.99 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया और 373.97 करोड़ रुपये का खर्च हुआ, जिसमें 1.03 करोड़ रुपये का व्यय सचिवालय सामाजिक सेवाओं के लिए सम्मिलित है, 85% सदुपयोग का संकेत करता है। युवा मामलों के लिए 132 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के मुकाबले 2005-06 में शारीरिक शिक्षा के लिए 305.95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और खर्च क्रमशः 119.89 करोड़ और 253.05 करोड़ रुपये हुआ। वर्ष 2006-07 के लिए युवा मामले और खेल के लिए रुपये 600 करोड़ रुपये जिसमें से युवा मामलों के लिए 161.10 करोड़ रुपये और खेल और शारीरिक शिक्षा हेतु 437.90 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है जिसमें से 2010 के दौरान होने वाले राष्ट्रकुल खेलों के लिए 150 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा 1.00 करोड़ रुपये सचिवालयी सामाजिक सेवाओं के तहत प्रशासनिक गतिविधियों के आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण के लिए रखे गए।

#### (क) युवा मामले

3.4.4 नेहरू युवा केंद्र संगठन पूरी दुनिया में निचले स्तर पर सबसे बड़ा और गैर-राजनीतिक संगठन है, जिसके तहत 2.30 मिलियन समुदाय आधारित युवा क्लब हैं और 8 मिलियन से ज्यादा स्वयंसेवी हैं, जो समूचे देश में 500 जिलों में फैले हुए हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन के नियमित कार्यक्रमों में शामिल हैं - जागृति निर्माण, दक्षता विकास, सामाजिक कार्य और मनोरंजन। नेहरू युवा केंद्रों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और गरीबी उनमूलन की विशिष्ट प्रायोजित परियोजनाओं में शामिल किया जाता है। 2005 के दौरान “राष्ट्रीय सद्भावना” नामक नई योजना शुरू की गई थी,

ताकि ग्रामीण युवा क्लबों को सुदृढ़ किया जा सके, उनमें नेतृत्व संबंधी गुण पैदा किए जा सकें और उनमें युवा और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तीव्र इच्छा पैदा की जा सके। 5911 नेहरू युवा केंद्र साथी बनाने संबंधी लक्ष्य को 2005-06 के दौरान प्राप्त किया जा चुका है और 2006-07 के लिए भी उतना लक्ष्य मजबूती के साथ रखा गया है।

3.4.5 राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जो सामाजिक सेवाओं के माध्यम से विद्यार्थी के व्यक्तित्व और चरित्र में विकास करने के प्राथमिक ध्यान की दृष्टि से 1969 में शुरू की गई थी। आरम्भ से ही इसने 30 मिलियन विद्यार्थियों को कवर किया था। वर्तमान, 198 विश्वविद्यालयों में 7500 कॉलेजों के 2.6 मिलियन विद्यार्थी, इसके तहत 6300 स्कूल कवर हैं, जो 41 वरिष्ठ माध्यमिक परिषद् बोर्डों और व्यावसायिक शिक्षा निदेशालय के तहत आते हैं। एनएसएस गतिविधियों के तहत - परिसरों का सुधार, पौधे लगाना, गोद लिए गांवों और स्लम्स में निर्माण कार्य, कल्याण संस्थाओं में कार्य करना, रक्तदान, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, परिवार कल्याण कार्य, एड्स जागृति अभियान, धारणीय विकास, जिसमें बंजर भूमि विकास पर जोर देना और जल शेड प्रबंधन आदि शामिल हैं। वर्षों से एनएसएस ने साक्षरता, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जिन में पर्यावरण और एड्स जागृति संबंधी कार्यक्रम भी शामिल हैं, कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2005-06 के दौरान सामुदायिक सेवाओं और साक्षरता बढ़ाने के लिए गांवों को गोद लेने के संबंध में गतिविधियां करने हेतु विद्यार्थियों को विशिष्ट शिविरों का आयोजन करने के लिए 10,500 प्रत्येक का लक्ष्य रखा गया था। इसके मुकाबे उपलब्धियां क्रमशः 17069 और 20126 की रहीं। विशिष्ट शिविरों के आयोजन और गांव गोद लेने के संबंध में वर्ष 2006-07 के दौरान प्रत्येक के लिए 11000 का लक्ष्य रखा गया है।

3.4.6 राष्ट्रीय स्वयंसेवी योजना (एनएसवीएस) का उद्देश्य विशिष्ट अवधि के दौरान राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में पड़े-लिखे युवाओं के भाग लेने के लिए उन्हें अवसर उपलब्ध

कराना है। युवा संबंधी गतिविधियां आयोजित करने के लिए इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और एनजीओ(ज) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण मिल सके और उनमें उद्यमवृत्ति की दक्षता का विकास हो। युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन और कला, दस्ताकारी, लोक नृत्य (चित्रकारी) और अन्य विभिन्न सामाजिक शिक्षा वाली गतिविधियों में युवाओं की भूमिका के लिए प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। 2005-06 के दौरान 5300 स्वयंसेवियों को सहायता करने के लक्ष्य को पूरी तरह हासिल किया गया और 2006-07 के लिए भी वही लक्ष्य रखा गया है।

3.4.7 किशोरों (आयु समूह 10-19 वर्ष) के विकास और सशक्तिकरण हेतु अक्टूबर, 2004 में एक नई योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य जनन स्वास्थ्य अधिकार, सैक्सुअलिटी और सैक्सुअल जिम्मेदारी, शादी की आयु, स्वास्थ्य देखरेख, हाइजीन, टीकाकरण, एचआईवी एड्स से बचाव, शिक्षा का महत्व और विशेषकर महिलाओं के लिए शिक्षा का महत्व, करियर संबंधी परामर्श, नशा और दारु के दोषों आदि के बारे में विशिष्ट जरूरतों का सामना करना था। नवम्बर, 2004 में यू.ए.एड्स और नेहरू युवा केंद्र संगठन के संयुक्त प्रयासों से संसदीय फॉर्म में राष्ट्रीय युवा संसद आयोजित की गई। फरवरी, 2005 में संसदीय युवा मंच का गठन किया गया, लोक सभा अध्यक्ष को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 2005-06 के दौरान किशोरों के विकास और सशक्तिकरण संबंधी 200 परामर्श और कैरियर दिशा-निर्देश केंद्र खोलने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

3.4.8 एड्स पर जीत के लिए युवाओं का एकीकरण (युवा) एचआईवी/एड्स के मामलों के बढ़ते रुख को ध्यान में रखते हुए 2006-07 के दौरान एड्स के नियंत्रण हेतु पंचवर्षीय कार्रवाई योजना “युवा” शुरू की गई। “युवा” का उद्देश्य है कि 2010 तक समूचे देश में किशोरों और युवाओं के बीच जरूरी सूचनाएं तथा एचआईवी, बचाव संबंधी सेवाएं/जानकारी/सुविधाएं अनुकूल, सुरक्षित और समर्थन/सहायता के वातावरण में पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। लक्ष्य इस

तरह तैयार किया गया है कि इसे युवा स्वयंसेवियों, युवा क्लबों, युवा एनजीओ(ज) युवा विकास केंद्रों, राष्ट्रीय स्तर से ग्रामीण स्तर तक भारत युवा संघ (आईवाईएन) नैटवर्क के एक छत्र के तहत सफलता हासिल की जाए। 2006-07 तक 50 प्रतिशत युवाओं को व्याप्ति में लेने का लक्ष्य रखा गया ताकि युवा नीति 2003 के अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। कार्रवाई की एक राष्ट्रीय योजना संदान पर है। इसे युवा नैटवर्क के युवा संगठनों जैसे एनवाईके(ज), एनएसएस, एनसीसी, एचएसजीएस आदि के माध्यम से शहरों और गांवों में कार्यान्वित किया जाएगा।

## ख खेल एवं शारीरिक शिक्षा

3.4.9 शारीरिक शिक्षा और खेल मानव संसाधन के जरूरी घटक होते हैं, जो अच्छे स्वास्थ्य, भाई-चारे और एक दोस्ती की भावना संबंधी स्पर्धा को बढ़ाने वाले हैं, इनके बदले, इसका युवाओं के व्यक्तित्व के समग्र विकास में और अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

3.4.10 कामनवैल्थ युवा खेल 2008 (सीवाईजी-2008) और कामनवैल्थ खेल-2010 (सीजी-2010) सीवाईजी-2008 पूणे में तथा कामनवैल्थ खेल-2010 दिल्ली में आयोजित करने संबंधी मेजबानी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। संस्थागत तंत्र, जिसमें जीओएम, शीर्षस्थ निकाय, आयोजन समिति और अन्य आयोजन समितियां भारत सरकार द्वारा समन्वयन, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग हेतु गठित की गई हैं। वर्ल्ड क्लास स्तर की बुनियादी सुविधाओं के सृजन और विकास, खेल गांव, जन सुविधाओं, पर्यटन, परिवहन और सुरक्षा संबंधी पहलुओं के लिए एक व्यापक एकीकृत दृष्टिकोण तैयार किया गया है। उपर्युक्त कार्यों को सफलता के साथ पूरा करने के लिए तथा भारत की मेडल टैली के लिए सशक्त भारतीय खिलाड़ी तैयार करने के लिए एक विशिष्ट कार्रवाई योजना विकसित की जा रही है। भारत सरकार तथा राष्ट्रकुल खेल संघ (सीजीएफ) के बीच आवश्यक समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और इन खेलों के आयोजन हेतु तैयारियां ठीक प्रकार से प्रगति पर हैं।

3.4.11 सीजी-2010 हेतु 2005-06 के बजट अनुमानों

45.50 करोड़ रुपये के मुकाबले व्यय 45.47 करोड़ रुपये हुआ। 2006-07 के लिए 150 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। खेलों के आयोजन के लिए की जाने वाली तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सीजी-2010 से संबंधित विभिन्न विभागों/संगठनों को आवश्यक निधि आबंटित की जा चुकी है, ताकि खेलों के आयोजन हेतु सुविधाएं (इंफ्रास्ट्रक्चर) उपलब्ध कराई जा सके। सीवाईजी खेल 2008 के लिए पूण में खेल बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए 110 करोड़ रुपये बतौर एसीए मंजूर किए जा चुके हैं।

3.4.12 भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) इस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी कि विभिन्न आयु समूह के प्रतिभा सम्पन्न बच्चों की सहायता की जाए, ताकि वे उन्हें जरूरी उपस्कर सुविधाएं, कोचिंग और अन्य सुविधाओं के माध्यम से उन्हें उत्कृष्टता तक पहुंचाया जा सके। यह दिल्ली में आयोजित 9वें एशियाई खेलों के आयोजन के लिए निर्मित/नवीकृत स्टेडियम के रखरखाव और सदुपयोग के लिए भी जिम्मेदार है। सीजी-2010 के संदर्भ में एसएआई के स्टेडियम की एक अग्रणी भूमिका रहेगी, क्योंकि इसके परिसर में कई विधाओं का आयोजन किया जाएगा। एसएआई को जरूरी निर्माण/नवीकरण के लिए जरूरी निधि उपलब्ध करा दी गई है।

3.4.13 खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने संबंधी स्कीम के तहत जिला स्तर पर 500 स्कूलों और राज्य स्तर पर 35 स्कूलों को खेलों को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों हेतु चुनने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2005-06 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 6500 तथा राज्य स्तर पर 28 छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। विधाओं की योजना के तहत 20 कोचिंग कैम्पों, 30 राष्ट्रीय टूर्नामेंटों, 80 अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनों के आयोजन का लक्ष्य रखा गया था। खेल बुनियादी सुविधाओं की सीएसएस 2005-06 के दौरान राज्य सरकार को अंतरित कर दी गई थी। फिर भी भारत सरकार ने 2005-06 और 2006-07 के दौरान प्रगति पर चल रही बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाओं की देनदारियों की वचनबद्धता को पूरी करने के लिए निधि उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई थी।

3.4.14 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए (सिक्किम सहित) 2005-06 के संशोधित अनुमानों में रुपये 39.40 करोड़ की एक मुश्त राशि का प्रावधान किया गया, जिसका पूरी तरह सदुपयोग किया गया। 2006-07 के बजटीय अनुमानों में 43.39 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

3.4.15 2005-06 के दौरान स्कीमवार वित्तीय निष्पादनों का ब्यौरा और 2006-07 के लिए उपलब्ध कराए परिव्यय परिशिष्ट 3.4 में दिया गया है।

खेल और युवा मामले मंत्रालय का वित्तीय नि-पादन

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम	10वीं योजना परिव्यय	वास्तविक व्यय			एपी 2005-06		एपी 2006-07 ब.अ.
			2002-03	2003-04	2004-05	ब.अ.	व्यय	
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ
<b>क</b>	<b>युवा मामले</b>							
1	नेहरू युवा केन्द्र संगठन	191.49	30.47	29.04	28.20	34.00	34.00	45.00
2	राष्ट्रीय सेवा योजना (सीएसएस)	172.00	22.81	19.42	29.74	26.10	27.46	31.50
3	राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहन	23.00	5.78	4.32	6.72	4.95	5.00	9.00
4	स्काउटिंग और गाइडिंग को प्रोत्साहन	5.25	1.01	0.93	1.00	1.35	1.40	1.22
5	राष्ट्रीय सेवा कर्मी योजना	34.00	5.24	4.40	2.88	5.40	5.50	9.00
6	राष्ट्रीय सद्भावना योजना	18.00	11.28	0.00	0.00	8.10	3.80	6.30
7	युवा कार्यकलाप और प्रशिक्षण के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता	17.60	2.49	2.00	4.87	6.75	3.65	5.40
8	प्रमोशन ऑफ एडवेन्चर	17.50	2.13	2.06	2.85	2.70	2.75	2.70
9	युवा कार्यकलाप और प्रशिक्षण के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता	35.00	6.05	6.36	8.97	9.00	4.75	6.30
10	युवा होस्टल	16.00	1.44	<b>0.19</b>	0.42	4.50	4.50	4.50
II	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	16.00	2.00	<b>1.67</b>	1.80	3.60	3.60	3.60
12	राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के प्रतिनिधि मंडल का आदान-प्रदान	6.80	0.11	0.27	0.21	0.68	2.45	0.68
13	किशोरियों के विकास तथा सशक्तीकरण के लिए वित्तीय सहायता	99.00	0.00	0.00	4.30	11.70	12.00	10.80
14	राष्ट्रीय और राज्य युवा केन्द्रों की स्थापना	26.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
15	एचआईवी/एडस से संबंधित नई योजना (वाईयूवीए के अधीन)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
16	पूर्वोत्तर राज्य तथा सिक्किम को मिलाकर	*	<b>7.89</b>	<b>6.98</b>	<b>14.89</b>	<b>10.26</b>	<b>8.94</b>	<b>12.60</b>
	<b>कुल: युवा मामले</b>	<b>677.64</b>	<b>98.70</b>	<b>77.64</b>	<b>106.85</b>	<b>129.10</b>	<b>119.81</b>	<b>157.60</b>
<b>ख</b>	<b>खेल एवं शारीरिक शिक्षा</b>							
17	संस्थान संबंधित स्कीम	<b>491.70</b>	<b>91.23</b>	<b>101.07</b>	<b>122.25</b>	<b>142.51</b>	<b>160.90</b>	<b>160.66</b>
	(i) भारतीय खेल प्राधिकरण	482.28	88.23	97.00	117.75	134.31	152.80	150.66
	(ii) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एनएनआईपीई)	8.49	3.00	4.07	4.50	<b>8.10</b>	<b>8.10</b>	10.00
	(iii) अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद् (एआईसीपीई)	0.93	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम	10वीं योजना परिव्यय	वास्तविक व्यय			एपी 2005-06		एपी 2006-07 ब.अ.
			2002-03	2003-04	2004-05	ब.अ.	व्यय	
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ
18	पुरस्कारों से संबंधित स्कीम	69.35	7.68	24.29	5.06	5.50	4.07	5.00
	(i) राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार	0.35	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06
	(ii) अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार	69.00	7.63	24.24	5.00	5.44	4.02	4.94
19	खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहनों की स्कीम	39.95	4.71	11.17	25.30	22.00	5.72	13.50
	(i) उत्कृष्ट खेल व्यक्तियों को पेंशन	0.50	0.20	6.90	उ.न.	6.50	उ.न.	उ.न.
	(ii) स्कूलों में खेल-कूद को प्रोत्साहन	11.65	0.45	1.03	उ.न.	4.62	उ.न.	उ.न.
	(iii) खेल छात्रवृत्ति योजना	13.82	3.44	3.97	उ.न.	7.99	उ.न.	उ.न.
	(iv) ग्रामीण खेल कार्यक्रम	9.32	0.62	0.00	उ.न.	3.39	उ.न.	उ.न.
	(v) राष्ट्रीय खेल विकास कोष	4.66	0.00	0.20	उ.न.	1.00	उ.न.	उ.न.
20	खेल प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण से संबंधित स्कीम	11.79	0.04	0.09	0.00	3.25	0.39	1.80
21	प्रतियोगिताओं से संबंधित योजना	110.41	37.68	28.97	47.10	46.00	40.00	40.60
	(i) राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता	108.55	37.68	28.97	47.10	45.00	40.00	40.60
	(ii) खेल और शारीरिक शिक्षा स्तंभों/विशेषज्ञों का आदान-प्रदान	0.93	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
	(iii) शारीरिक दृष्टि से विकलांगों के बीच खेलों को प्रोत्साहन	0.93	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
22	इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित स्कीम	312.61	18.98	30.57	32.31	0.00	8.92	30.15
	(i) ग्रामीण स्कूलों सहित खेल ढांचे के सृजन के लिए अनुदान	189.71	11.62	18.57	उ.न.	0.00	उ.न.	उ.न.
	(ii) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में खेलों के प्रोत्साहन के लिए अनुदान	74.67	6.15	10.00	उ.न.	0.00	उ.न.	उ.न.
	(iii) कृत्रिम खेल मैदान स्थापित करने के लिए अनुदान	48.23	121	2.00	उ.न.	0.00	उ.न.	उ.न.
23	अफ्रीकी एशियाई खेल	9.32	0.00	0.00	उ.न.	0.00	उ.न.	उ.न.
24	डोप परीक्षण और डब्ल्यूएडीए की स्कीम	6.99	1.50	4.15	5.13	10.20	0.00	5.00
25	राज्य खेल अकादमी	93.24	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	4.00
26	राष्ट्रमंडल खेल- 2010			0.00	0.00	45.50	33.05	150.00
	पूर्वोत्तर राज्य तथा सिक्किम	॥	15.24	22.23	22.43	32.14	॥	30.69
	जोड़ - खेल और शारीरिक शिक्षा	1145.36	177.06	224.10	259.58	308.85	253.05	441.40
ग	प्रशासन, कार्यालय का आधुनिकीकरण तथा कंप्यूटीकरण Comp. of Office	2.00	0.16	0.60	0.46	1.04	1.03	1.00
	<b>कुल जोड़(क+ख+ग)</b>	<b>1825.00</b>	<b>275.92</b>	<b>300.88</b>	<b>366.89</b>	<b>438.99</b>	<b>373.89</b>	<b>600.00</b>

\* पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में आंकड़े कुल जोड़ में शामिल हैं।

### 3.5 चिकित्सा शिक्षा सहित स्वास्थ्य

3.5.1 किसी भी राष्ट्र के लोगों के स्वास्थ्य का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्वास्थ्य का संवर्धन मौलिक मूल्यों में से एक है। इसे, समाज के अल्पसेवित और सुविधाविहीन लोगों पर विशेष बल देते हुए स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषाहार सेवाओं की सुलभता और उपयोग में सुधार करके प्राप्त किया जाना है। भारत में स्वास्थ्य पद्धति सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का एक मिश्रण है, जिसमें एनजीओ/सिविल सोसायटी एक छोटी सी किन्तु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

3.5.2 पिछले पांच दशकों के दौरान, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए संस्थानों की संख्या में अपार वृद्धि हुई है। प्रौद्योगिकीय सुधारों, संसाधनों के एक सुदृढ़ नेटवर्क, अनुसंधान कार्यक्रमों और वितरण प्रणालियों के फलस्वरूप स्वास्थ्य परिणामों में, जैसे कि शिशु मृत्यु दर(आईएफआर), मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) और जीवन अवधि में पर्याप्त सुधार हुआ है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के ग्यारह मानीटरिंग योग्य लक्ष्यों में से तीन के अंतर्गत स्वास्थ्य पर बल दिया गया है। देश की आबादी की वृद्धि दर के संबंध में भारत सही मार्ग पर है, कुष्ठ और पोलियो के मामले उन्मूलन के कगार पर है तथा स्वास्थ्य परिणामों में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

3.5.3 महत्वपूर्ण जनांकिकीय परिवर्तन और मरकविज्ञान बदलाव हुए हैं, किन्तु स्वास्थ्य प्रणाली अभी भी चौराहे पर है जबकि स्वास्थ्य सेवाओं की मांग और पूर्ति के बीच बड़ा अंतर है। स्वास्थ्य क्षेत्रक में प्राप्त बड़ी उपलब्धियों के बावजूद संचारी और गैर-संचारी बीमारियों जैसे क्षेत्र हैं, जहां बीमारियों का बोझ अभी भी काफी अधिक है। एचआईवी/एड्स प्रसार को रोकना और उसे उलटना एक बड़ी चुनौती है। क्षयरोग का प्रबंधन भली-भांति प्रगति कर रहा है, जबकि कैंसर और मलेरिया के लिए धनाभाव है, तथापि मलेरिया के प्रबंधन पर फिर से गौर किया जा रहा है। चिंता के अन्य क्षेत्र हैं - स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने, सुविधाओं और आधारभूत ढांचे की व्यवस्था करने की दृष्टि से राज्यों और क्षेत्रों के बीच बड़ी भिन्नताएं हैं। इसके अलावा, सरकार को गैर-सरकारी

संगठनों(एनजीओ) और निजी क्षेत्रक के बीच तालमेल कायम करना होगा, ताकि दोहरेपन से बचा जा सके और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की दृष्टि से वितरणात्मक साम्यता सुनिश्चित हो सके। स्वास्थ्य देख-रेख सेवाएं प्रदान करने में पेश आने वाली समस्याओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं -

- जनशक्ति और अवस्थापना, विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख स्तर पर, सतत रूप से अंतर।
- आधारभूत ढांचे का उप-इष्टतम कार्यकरण, असंतोषजनक रेफरल सेवाएं।
- ऐसे अस्पतालों की बड़ी संख्या जहां उपयुक्त जनशक्ति, नैदानिक और उपचारात्मक सेवाएं नहीं हैं तथा सरकारी, स्वैच्छिक और निजी क्षेत्रक में औषधियों का अभाव।
- निष्पादन में विशाल अंतर-राज्य/अंतर जिला अन्तर, उच्च रूग्णता और दूरवर्ती क्षेत्रों का अपर्याप्त भौतिक कवरेज।
- अनुस्थापन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की दक्षताओं के स्तरोन्नयन का अभाव।
- उप-इष्टतम अन्तर-क्षेत्रकीय समन्वय।
- संचारी और गैर-संचारी सेवाओं के संबंध में लोगों की बढ़ती जागरूकता और आकांक्षाएं।
- संसाधनों/वित्त पोषण का अभाव।

#### दसवीं योजना के उद्देश्य

3.5.4 दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में स्वास्थ्य देख-रेख के संबंध में जिम्मेदारियां और निधियां पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने, सार्वजनिक स्वास्थ्य देख-रेख पद्धतियों के पुनर्गठन और पुनर्संरचना, भारतीय औषध प्रणाली (आईएसएम) को मुख्य धारा के साथ जोड़ने और संचारी व गैर-संचारी बीमारियों के प्रबंधन के लिए उपायों को सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है। दसवीं योजना के मुख्य उद्देश्य हैं -

- सरकारी, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रकों में विद्यमान स्वास्थ्य देख-रेख पद्धति की कार्यकुशलता में सुधार करना तथा बीपीएल परिवारों पर बल देते हुए बुनियादी स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं तक पहुंच में सुधार।

- सभी स्तरों पर देख-रेख और सेवाओं की कोटि में सुधार।
- आईएसएम और एच चिकित्सकों को मुख्यधारा के साथ जोड़ना, ताकि वे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के कवरेज और उपयोग को सुधारने में सहायक हो सकें।
- औषधियों और निदान तंत्र की आपूर्ति का सुचारु संभार-तंत्र विकसित करना तथा औषधियों के तर्कसंगत उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- अनुसंधान कार्यक्रम और प्रभावी प्रदाय पद्धति के माध्यम से स्वास्थ्य परिणाम स्तर में वृद्धि करना।
- अनुसंधान कार्यक्रम और प्रभावी प्रदाय पद्धति के माध्यम से स्वास्थ्य परिणाम स्तर में वृद्धि करना।
- स्वास्थ्य देख-रेख वित्त पोषण की वैकल्पिक पद्धति खोजना।

### स्वास्थ्य देख-रेख अवस्थापना

3.5.5 सरकारी स्वास्थ्य प्रदाय अवस्थापना में सम्मिलित हैं - 1,46,026 स्वास्थ्य उप-केन्द्र (एससी), 23,236 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी), 3,346 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी)। ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सरकारी स्वास्थ्य जनशक्ति में सम्मिलित हैं - 28,930 नर्स मिडवाइवज, 1,33,194 ऑगजीलियरी नर्स मिडवाइवज (एएनएम), 61,907 पुरुष बहुप्रयोजन कार्यकर्ता, 17,708 फार्मसिस्ट तथा 58,752 अर्ध-चिकित्सा स्टाफ, जो गैर-तकनीकी स्टाफ के अलावा हैं।

3.5.6 देश में 242 मेडिकल कॉलेज, 205 दंत महाविद्यालय, 456 आईएमएस एंड एच कॉलेज तथा 979 सामान्य नर्सिंग मिड वाइफ प्रशिक्षण स्कूल चल रहे हैं।

### स्वास्थ्य क्षेत्रक संबंधित गतिविधियां वार्षिक योजना 2005-06

3.5.7 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वास्थ्य विभाग को रुपये 9253 करोड़ का परिव्यय उपलब्ध कराया गया था। फिर भी परिवार कल्याण विभाग द्वारा 999 करोड़ रुपये का अन्तरण कर, 10वीं योजना परिव्यय को बढ़ाकर 10252

करोड़ कर दिया गया। 2005-06 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्रक का परिव्यय अनुमोदित केंद्रीय क्षेत्रक परिव्यय रुपये 2908.00 करोड़ था, परन्तु 2239.52 करोड़ रुपये का ही सदुपयोग किया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना में केंद्रीय स्वास्थ्य क्षेत्रक के लिए स्कीमवार तथा वर्षवार परिव्यय एवं खर्च परिशिष्ट -3.7.1 में दर्शाया गया है।

### केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) का सुधार

3.5.8 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस), केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम है। प्राप्त अनेक रिपोर्टों में सीजीएचएस के निम्न संतुष्टि स्तरों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, विशेष रूप से असंतोषजनक, आपातिक सेवाओं, औषधियों की अनुपलब्धता और असुविधाजनक समय के संबंध में। अर्ध-शहरी/शहरी क्षेत्रों में रहने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारी शायद ही नेमी आधार पर नगर-आधारित मेडिकल्स सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में योजना आयोग ने सीजीएचएस को एक सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा स्कीम में पुनर्गठित, सुधार और पनुरूद्धार करने और साथ-साथ इसे आम जनता के लिए नैदानिक स्वास्थ्य देख-रेख के एक सार्वजनिक क्षेत्रक प्रदाता के रूप में बदलने की भी सिफारिश की थी। मध्यावधि मूल्यांकन में दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सचिवों की समिति के लिए नोट प्रस्तुत किया, जिसमें विविध विकल्प सुझाए गए थे, जिनसे सीजीएचएस के कामकाज में सुधार होगा। सचिवों का एक अंतर-मंत्रालयीय समूह गैर-सीजीएचएस क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य बीमा लागू करने की संभावना की जांच कर रहा है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने भी एक वैकल्पिक सुविधा के तौर पर वर्तमान सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य बीमा लागू करने के संबंध में एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया है।

3.5.9 इसी बीच, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर, पूर्व मंत्रिमंडल सचिव श्री पी.के. कौल की अध्यक्षता में, सीजीएचएस यूनिटों को और अधिक उपभोक्ता अनुकूल बनाने के लिए

सुझाव देने के वास्ते एक समिति गठित की गई है। अध्ययन करने और सीजीएचएस कार्यकरण को चुस्त बनाने, विशेष रूप से मानव पूंजी और तालिका प्रबंधन के क्षेत्रों में उपाय सुझाने के वास्ते मैसर्स ए.एफ.फर्गुसन को नियोजित किया गया है। सीजीएचएस की कार्य प्रणाली के बारे में ए.एफ.फर्गुसन एंड कंपनी द्वारा कराए गए अध्ययन, जिसका वित्त पोषण यूरोपियन कमीशन द्वारा किया गया था कि जांच मंत्रालय के स्तर पर आगे की जा रही है। (1) प्रापण (2) सेवाएं मुहैया कराना (3) गवर्नेंस और स्वायत्ता संबंधी अध्यायों के बारे में की गई सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए दो समितियां गठित की गई हैं। ए.एफ.फर्गुसन एंड कंपनी मुख्य सिफारिशों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से सहमत हो गई हैं।

3.5.10 सीजीएचएस औषधालय लक्ष्मीनगर के लाभार्थियों का ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया की प्रगति निम्न प्रकार है:-

- सीजीएचएस औषधालय नॉर्थ एवेन्यू के सभी प्रकार के प्रचालन कंप्यूटर पर शुरू हो गए हैं। साउथ एवेन्यू और संसदीय सौंध के औषधालयों को कंप्यूटरीकृत करने का मामला अंतिम चरण पर है।
- सीजीएचएस के इंडैक्स कार्ड्स का डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है, जो सीजीएचएस लाभार्थियों के सत्यापन/ऑथेंटिकेशन के लिए एचटीटीपी/सीजीएचएस /ईएनडब्ल्यू/वैलकम/जेएसपी पर देखा जा सकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के होम पेज के माध्यम से इस वैबसाइट पर हाइपर लिंक भी उपलब्ध है। <http://mohfw.nic.in/cghs.htm> 'Check CGHS beneficiary Data NEW!! पर देखने पर यह <http://cghs.nic.in/welcome.jsp> का संकेत देता है।

### संक्रामक बीमारियां

3.5.11 संचारी रोगों के नियंत्रण पर आजादी के बाद से ही प्राथमिकतापूर्ण ध्यान दिया गया है। घटती शहरी और

ग्रामीण स्वच्छता, अंसतोषजनक तरल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा अत्यधिक भीड़-भाड़ ने संचारी रोगों की विद्यमानता बढ़ाने में योगदान दिया है। एन्टी-बायोटिक अवरोध के उद्भव के कारण संक्रमणों का उपचार अधिक कठिन व खर्चीला हो गया है, इसलिए संक्रमण नियंत्रण उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से रोकथाम के लिए अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। यद्यपि स्वास्थ्य एक राज्य विषय है, तथापि केन्द्रीय सरकार ने रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराई हैं, जिसके अच्छे परिणाम निकले हैं। संचारी रोगों के संबंध में, विशेष रूप से कुष्ठ रोग और तपेदिक के संबंध में अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। वेक्टर बॉर्न बीमारियों के मामले में, कार्यक्रम के अंतर्गत ठोस उपाय किए जा रहे हैं तथा एड्स के अंतर्गत ढांचे को उन्नत बनाने और लक्षित उपायों को अपनाने की प्रमुख नीति अपनाई जा रही है। तथापि, संचारी रोगों के अंतर्गत वेक्टर बॉर्न बीमारी और एड्स महत्वपूर्ण चिंता के विषय बने हुए हैं।

### राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम

3.5.12 राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी), वेक्टर बॉर्न बीमारियों (वीबीडी), यथा मलेरिया, फिलारिआसिस, कालाअजार, डेंगू और जापानी एनसेफलाइटिस (जेई) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक छत्र कार्यक्रम है। ये बीमारियां एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है, जो सामाजिक विकास में बाधक हैं। वीबीडी के संबंध में उच्च जोखिम वाले क्षेत्र सामान्यतः ग्रामीण, जनजातीय क्षेत्र और शहरी मलिन बस्तियां हैं, जहां गरीब, सीमांत और कमजोर वर्गों के लोग रहते हैं। एक स्वस्थ राष्ट्र की दिशा में, निवारक, प्रोत्साहक तथा उपचारात्मक देखभाल सेवाओं के संबंध में 2002 में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) तैयार की गई थी। एनएचपी के अंतर्गत मलेरिया, डेंगू और जेई के कारण मौतों को 2010 तक 50 प्रतिशत तक कम करने और साथ ही सुचारु रूग्णता नियंत्रण, वर्ष 2010 तक कालाअजार का उन्मूलन और 2015 तक लिम्फेटिक फिलारिस का उन्मूलन करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। काला-अजर 2010 तक समाप्त करने, लिफैटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन 2015 तक कर दिया जाएगा।

रा-ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रयासों को और तेज करने, ताकि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की देखरेख की सुलभता में सुधार हो, निचले स्तर पर सशक्तिकरण एवं स्वामित्व, अंतर-क्षेत्रीय तालमेल की प्रक्रिया के माध्यम से जारी हैं। एनएचपी के लक्ष्यों की प्राप्ति से मिलेनियम विकास लक्ष्यों के ठहराव और परिवर्तन के घटनाक्रम में मलेरिया तथा अन्य को 2015 तक समाप्त किया जाएगा तथा साथ ही अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को भी समाप्त कर दिया जाएगा।

## मलेरिया

3.5.13 राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (एनएमसीपी) 1953 में शुरू किया गया था, ताकि मलेरिया पर नियंत्रण पाया जा सके और इसे राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम(एनएमईपी) में 1958 में समायोजित कर दिया गया। यद्यपि एनएमईपी के लाभ विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण धारणीय नहीं बन सके, परिणामस्वरूप 1976 में फिर से 6.5 मिलियन मलेरिया के मामले सामने आए। इससे संशोधित योजना के प्रचालनों को 1977 में शुरू किया गया। उसके बाद वार्षिक तौर पर मलेरिया के बहुत ही कम मामले सामने आए। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय एन्टी मलेरिया कार्यक्रम (एनएएमपी) का नाम वर्ष 1998 में दिया गया और उसके बाद 2003 से इसे बचाव के उपायों के परिणामस्वरूप और अन्य वैक्टर बोर्ड बीमारियों के नियंत्रण से एनएएमपी को नेशनल वैक्टर बोर्ड डीजिज कन्ट्रोल प्रोग्राम का नाम दिया गया। एन वी बी डी सी पी की छत्र के तहत 3 पक्षीय रणनीतियों को कार्यान्वित किया गया जो हैं - बीमारी प्रबंधन जिसमें बीमारी के आरंभिक मामले पकड़ना और तत्काल इलाज तथा रेफरल सेवाओं का सुदृढीकरण, एकीकृत वैक्टर प्रबंधन, जिसमें इंडोर रेजीड्यूल स्प्रे करना, कीटनाशक मच्छरदानियों का उपयोग करना और लारवीवोरसफिश तथा अन्य सहायक हस्तक्षेप जैसे मानव संसाधन विकास, व्यवहार परिवर्तनों का संचार, सार्वजनिक व निजी सहभागिता, मानीटरिंग एवं मूल्यांकन तथा प्रचालन संबंधित अनुसंधान शामिल हैं।

3.5.14 1996 में 3.04 मिलियन मलेरिया के मामले

सामने आए जिनमें से 1.18 मिलियन प्लाजमोडियम फैलसीपेरम के मामले थे, जो वर्ष 2005 में घटकर 1.82 और 0.81 हो गये। वर्ष 2006 में इसके 0.73 मिलियन मामले सामने आए। (अगस्त, 2006 तक) जिनमें से 0.33 प्लाजमोडियम फैलसीपेरम के कारण हुए। सूचित किए गए मृत्यु के मामलों में ज्यादा अंतर नहीं है। वार्षिक रूप से 1000 मृत्यु के मामले रिपोर्ट किए गए।

3.5.15 क्लोरोक्विन प्रति प्लाजमोडियम फैलसीपेरम का रेजिसटेंस एक चिंता का विषय है। आरटेथ्रुनेट कंबीनेशन थैरेपी की शुरूआत ऐसे क्षेत्रों में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के रूप में की गई है।

3.5.16 शहरी क्षेत्रों में मलेरिया का मुकाबला करने के लिए एक शहरी मलेरिया स्कीम (यूएमएस) 1971 में शुरू की गई थी। वर्तमान में यूएमएस 131 कस्बों/शहरों में कार्यान्वित की जा रही है।

3.5.17 एड्स का मुकाबला करने के लिए वैश्विक निधि की सहायता से जुलाई, 2005 में सघन मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (आईएमसीपी) परियोजना के लिए अनुदान संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 10 राज्यों में टीबी और मलेरिया (जीएफएपीएम) (सात पूर्वोत्तर राज्य और उड़ीसा, झारखड़ और पश्चिम बंगाल के उच्च जोखिम वाले राज्यों में) जहां ट्रीटमेंट की सुविधा बहुत कम है, ऐसे दूरदराज के क्षेत्रों में डायग्नोसिस की पहुंच को तेज किया गया, ताकि मलेरिया के संचरण और जोखिम को कीटनाशक, मच्छरदानियों और लारवीवोरसफिश के माध्यम से कम किया जा सके और मलेरिया नियंत्रण के बारे में समुदाय में जागृति लाई जा सके तथा एन जी ओ और निजी क्षेत्र की सहभागिता से सामुदायिक में विकास लाया जा सके।

## लिम्फेटिक फिलारियासिस

3.5.18 लिम्फेटिक फिलारियासिस के उन्मूलन संबंधी प्रयासों में विचार किया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 और 2020 तक वैश्विक थाईलेरिया उन्मूलन प्रयास के तहत भारत सरकार ने डेथीक्लारबामेजिन शिट्रेट (डीसी)

जो एक टेबलेट में होगी की सिफारिश 5 वर्ष या अधिक जिनमें 2 वर्ष से छोटे बच्चों को अलग रखा गया, 2 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं और अत्यधिक बीमार व्यक्तियों के लिए की गई है। 2004 में देश के 202 जिलों में, जिनकी कुल जनसंख्या लक्ष्य 407 मिलियन रखी गयी है जो गृह आधारित मृत्यु प्रबंधन के अतिरिक्त है, मरीजों के बीच तकलीफों को खत्म करने के लिए सी एच सी(ज) हाइड्रोसिल प्रचालनों का लक्ष्य रख कर शुरूआत की गयी थी। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 2004 के दौरान औसतन दर 72.64% रही है।

3.5.19 2005 में लगभग 350 मिलियन लोगों को 11 नवम्बर, 2005 को 12 और 13 नवम्बर, 2005 को दो दिन के लिए 243 जिलों में मोपअप करने का लक्ष्य एमडीए के लिए रखा गया था और इसकी औसतन दर का अनुमान 80% लगाया गया था। लिम्फोडेमा के मामलों के प्रबंधन हेतु सुविधाओं में वृद्धि की गई और उन्हें घर द्वार तक मुहैया कराया गया और हाइड्रोकोइलेक्टोमी को अस्पतालों/ सीएचसी (ज) सघनता लाई गई तथा मरीजों की तकलीफों को खत्म करने के लिए पहल की गई।

### काला-अजर

3.5.20 काला-अजर के मामले बिहार के 32 जिलों, झारखंड के 4 जिलों, उत्तर प्रदेश के 5 जिलों तथा पश्चिम बंगाल के 11 जिलों में (कुल 52 जिलों में) पाए गए थे। इसके अलावा ये अन्य कुछ क्षेत्रों में इसके कई मामले पाए गए हैं। स्थानिक प्रभाव क्षेत्रों में लगभग 130 मिलियन जनता काला-अजर की जोखिम पर है। 1992 में इस बीमारी के 77099 मामले सामने आए थे, जो 2005 में घटकर 31217 रह गए, 1992 में इसके कारण 1419 मृत्यु हुईं, जिनकी संख्या घटकर 2005 में 157 पर आ गई है। फिर भी हाल ही के कुछ वर्षों में (2003) इस रूख में फिर वृद्धि हो रही है। चालू वर्ष के दौरान (अगस्त, 2006 तक) 27174 मामले सामने आए हैं जिनके कारण 144 मृत्यु प्रकरण प्रभावित क्षेत्रों से रिपोर्ट किए गए हैं। उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और सक्रिय मामलों का पता लगाने के लिए काला-अजर पखवाड़े सघनता से आयोजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों को पकड़ने के लिए

इलाज अनुपालन शुरू हुए। तीव्र डायग्नोस्टिक परीक्षण आरके-39 और ओरल ड्रग माइलटेफोसिन की शुरूआत की गई।

### जापानी एनसीफालाइटिस

3.5.21 जापानी एनसीफालाइटिस (जेई) जो एक जॉनोटिक बीमारी है। यह मदरवैक्टर मास्किटो द्वारा मुख्य रूप से क्यूलैक्स ट्रीटाएनीअरहिमचस क्यूलैक्स विश्नोई एंड क्यूलैक्स सीडोविशिनोई ग्रुप से संक्रमित होती है। इस चक्र का संचरण प्रकृति द्वारा जेई वायरस जैसे सुअरों और जल पक्षियों के एकत्रित पशु दल बाड़े के माध्यम से होता है। इस संबंध में मनुष्य एक अंतिम मृत मेजबान (होस्ट) है यानि यह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को संक्रमित नहीं होता है। यह उन क्षेत्रों में ज्यादा फैल रहा है जहां पशुओं और पक्षियों के बीच में गहन इन्ट्रैक्शन(तालमेल) होता है। बड़े जलाशयों जैसे धान के खेत में जेई वेक्टर का प्रजनन होता रहता है। ज्यादातर जेई के मामले आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट किए गए हैं। लगभग 300 मिलियन जनता इसकी जोखिम पर है। 2006 के दौरान (अक्टूबर तक) इन राज्यों से 2352 मामले तथा 515 रिपोर्ट के प्रकरण सामने आए, जिसमें जेई से प्रभावित होने की पूरी संभावना थी।

3.5.22 जेई नियंत्रण के लिए रणनीति के मामलों में शामिल हैं - तत्काल डायग्नोस्टिक और केस प्रबंधन क्योंकि जेई के लिए कोई विशिष्ट एंटी वायरल ड्रग नहीं है, व्यक्तिगत संरक्षण पर जोर दिया जाए, सेप्रेगेशन/पिगस्टिकज का मॉस्किटो का प्रूफिंग, व्यवहार परिवर्तन की सूचना सामुदायिक सहभागिता के लिए की जाए तथा अंतरक्षेत्रीय कन्वर्जेंस की प्रक्रिया शुरू की जाए। प्रशिक्षण, प्रचालन अनुसंधान, मानीटरिंग और मूल्यांकन के माध्यम से क्षमता निर्माण किया जाए। 1-15 आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए जेई टीकाकरण की सिफारिश की गई है। वर्ष 2006 के दौरान सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के आंतरिक घटक के रूप में भारत सरकार ने जेई टीकाकरण कार्यक्रम की शुरूआत की है, जिसमें एटेन्यूवेटिड जेई वैक्सीन लाइव की एक सिंगल डोज (एसए-14-14-2) की शुरूआत चार राज्यों - उत्तर

प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के 1 से 15 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में की गई है।

### डेंगू/डेंगू हेमोरेजिक फीवर(डीएचएफ़ु)

3.5.23 डेंगू 18 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में एक महामारी का रूप ले चुका है। इससे 450 मिलियन लोग जोखिम पर हैं। 1996 में यह विपुल संख्या में फूट पड़ा और कुल 16517 मामले (आशंकित) सामने आए, जिनके कारण 545 मृत्यु हुईं। 2003 के दौरान फिर से इसके काफी मामले (12754 मामले और 215 मृत्यु) सामने आए और मृत्यु भी हुई जबकि 2005 के दौरान 11985 मामले और 157 मृत्यु प्रकरण रिपोर्ट किए गए, 2006 में (2 नवम्बर, 2006 तक) बीमारी के मामलों की संख्या 9161 और मृत्यु प्रकरण 152 सामने आए।

### चिकनगुनिया

3.5.24 चिकनगुनिया एक डिबीलिटेटिंग नॉन-फेटल वायरल बीमारी है, जो एडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलती है जो 30 वर्षों के बाद में फिर से उभर कर सामने आई है। ये चिकनगुनिया वायरस के कारण होती है। चिकनगुनिया के लक्षण हैं - अक्सर बुखार रहने लगता है, जो डेंगू के बुखार से अलग प्रतीत नहीं होता है। फिर भी ये डेंगू की तरह नहीं होता है। हेमोरेजिक मैनीफेस्टेशन बहुत रेयर होती हैं और चिकनगुनिया वायरस संक्रमण के दौरान इसके शॉक का पता नहीं चलता। वर्तमान में 31.10.2006 तक चिकनगुनिया के काफी आशंकित मामले सामने आए, जिनकी संख्या देश में कुल मिलाकर 1.37 मिलियन रही। 12 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से इसके 1689 पुख्ता मामले 2.11.2006 तक रिपोर्ट किए गए। प्रभावित राज्य जिन्होंने इसके मामलों की रिपोर्ट भेजकर पुष्टि की है वे हैं - आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, राजस्थान, गोवा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी।

### राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी)

3.5.25 भारत में टीबी (तपेदिक) एक बड़ी जन स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, अनुमानतः लगभग 40% लोग इस बीमारी

(टीबी बेसलिस) से प्रभावित हैं। पूरी दुनिया में टीबी से प्रभावित कुल लोगों का 1/5 हिस्सा भारत में है। हर वर्ष भारत में टीबी के 1.8 मिलियन नए मरीजों के प्रकरण सामने आते हैं, जिन में से 0.8 मिलियन मामले संक्रमित न्यू स्मियर पोजिटिव पलमनरी टीबी के होते हैं। हर वर्ष टीबी से लगभग 3,70,000 लोग मर जाते हैं और एक हजार प्रतिदिन मर जाते हैं।

3.5.26 संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक(टीबी) नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई थी, ताकि 70 प्रतिशत दर वाले नए स्पटम पोजीटिव मामलों का पता लगाया जा सके और ऐसे मामलों में 85% की दर पर इलाज का लक्ष्य पूरा हो सके और बिना रूके दवाइयों की आपूर्ति की जानी चाहिए। किमोथेपी के लघु कोर्स (डाट्स) के माध्यम से इलाज पर निगरानी रखी जाए, ताकि अनुपालन में सुधार हो। साथ ही सभी स्तरों पर इसका पद्धतिबद्ध मॉनीटरिंग, मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण भी जरूरी है। भारत कस आरएनटीसीपी कार्यक्रम दुनिया का सबसे अधिक विकासशील टीबी कार्यक्रम के रूप में पहचाना जाता है, मार्च, 2006 तक आरएनटीसीपी ने भौगोलिक दृष्टि से पूरे भारत को व्याप्ति में ले लिया है। वर्तमान 6 मिलियन से भी ज्यादा मरीजों को कार्यक्रम शुरू होने से अब तक इलाज की व्याप्ति में लिया गया है। इस कार्यक्रम में लगातार न्यू स्मियर पोजीटिव मामलों में 85 प्रतिशत से अधिक सफल इलाज संबंधी वैश्विक निष्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया है। वर्षों से कसों का पता लगाने के मामलों में सुधार हो रहा है एवं वर्ष 2005 में न्यू स्पटम कस डिटेक्शन की दर 66 प्रतिशत से अधिक रही है। 2006 की दूसरी तिमाही में आरएनटीसीपी ने निर्धारित 70 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकबले 71 प्रतिशत से भी अधिक न्यू पोजीटिव कस डिटेक्शन दर की उपलब्धता हासिल की है। कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग और वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जिला और राज्य स्तरों पर टीबी सोसाइटीज स्थापित की गई हैं। आरएनटीसीपी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय नियंत्रण समिति को सहयोग देता है तथा प्रशिक्षण वस्तुओं की प्राप्ति एवं सेवाओं, मॉनीटरिंग एवं

मूल्यांकन, आईईसी, अन्य क्षेत्रों के सहयोग एवं प्रशासनिक खर्च के लिए धन उपलब्ध कराता है।

3.5.27 प्राथमिक देखरेख स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तिमाही आधार पर कार्यक्रम में शामिल एनजीओ(ज) और निजी प्रैक्टिशनर्स के माध्यम से टीबी के लिए दवाइयों की आपूर्ति की जाती है। इलाज सेवाओं की जिला आब्जर्वेशन (डीओटी) की सेवाएं ग्राम स्तर तक उपलब्ध कराई जाती हैं। डीओटी प्रदान करने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख आधारिक संरचनाओं एवं सामुदायिक सेवाओं के माध्यम से डीओटी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। कारपोरेट स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य विभाग से बाहर अन्य सेवा उपलब्ध कराने वालों जैसे ईएसआई, रेलवे पोत परिवहन, माइन्स, पोर्ट्स आदि के अंतर क्षेत्रक सहयोग से पहलकारी गतिविधियों के माध्यम से इस में तेजी लाई जा रही है। कार्यक्रम की वेबसाइट पर एक वेब आधारित संसाधन केंद्र आईईसी सामग्री के लिए भी उपलब्ध कराया जाता है।

3.5.28 आरएनटीसीपी का कार्यान्वयन देश में किया जा रहा है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बजट से आबंटन होता है। विश्व बैंक से क्रेडिट तथा यूके, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग से सहायता भी प्राप्त होती है। एड्स, टीबी और मलेरिया के लिए वैश्विक निधि का प्रावधान है। उपर्युक्त के संबंध में अंतर-राष्ट्रीय विकास हेतु संयुक्त राज्य एजेंसी से भी सहायता प्राप्त होती है।

3.5.29 आरएनटीसीपी के चरण-II के लिए भी विश्व बैंक के साथ द्वितीय क्रेडिट का अनुमोदन 1 अक्टूबर, 2006 से 30 सितम्बर, 2011 तक के लिए हुआ है। इसके तहत अनेक पहलें जैसे - इन्टरमीडियट संदर्भ प्रयोगशालाओं की क्षमता राज्यों में बढ़ाई जाए, ताकि सप्टम स्मिथर माइक्रोस्कोपी सेवाओं की बाहरी गुणवत्ता का मूल्यांकन संबंधी कार्यान्वयन पूरे राष्ट्र में हो सके, कल्चर और ड्रग संवेदनशीलता का परीक्षण हो सके। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए डीओटी प्लस (एमडीआरटीबी) और पेडियाट्रिक मरीजवार बॉक्सीज शुरू की गई है, ताकि कार्यक्रम के तहत सहायता और गुणवत्ता में सुधार हो सके।

3.5.30 वैश्विक स्तर पर एचआईवी की महामारी टीबी की स्थिति को और भी खराब करती जा रही है एवं टीबी के मामले और अधिक बढ़ते जा रहे हैं तथा यह बीमारी और तीव्रता से फैलती जा रही है। एचआईवी से टीबी के व्यक्ति में अधिक संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। टीबी से रूग्णता भी बढ़ जाती है तथा एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों में नश्वरता (मृत्यु) बढ़ती है। एचआईवी, टीबी की बीमारी के संक्रमण हेतु सबसे बड़ा जोखिम का कारण है। 2001 से आईआईवी और टीबी के एक साथ संक्रमित होने के बढ़ते मामलों का सामना करने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना का कार्यान्वयन आरंभ में एचआईवी के अधिकांश मामले वाले राज्यों - महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर और नागालैंड में शुरू किया है। एचआईवी संक्रमित टीबी के मरीजों को स्वयंसेवी परामर्शी सेवाओं और टैस्टिंग केंद्र के बीच नाजुक कड़ियों के माध्यम से एड्स/एचआईवी कार्यक्रम और डेजिगनेटिड माइक्रोस्कोपिक केंद्रों की सेवाएं दी जाती हैं। आरएनटीसीपी(ज), संयुक्त आईईसी गतिविधियों और संक्रमण नियंत्रण उपायों से भी सहायता मिलती है। यह कार्य योजना एचआईवी - टीबी के सह-संक्रमण का सामना करने के लिए आठ और राज्यों में लागू की गई जो हैं - दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, केरल और उड़ीसा और उसके बाद इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा।

3.5.31 भारत में टीबी का नियंत्रण करने संबंधी अन्य चुनौती हैं - मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस(एमडीआर-टीबी) आज तक के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर दर्शाया गया है कि सापेक्षिक दृष्टि से एमडीआर-टीबी के मामले कम ही रहे हैं, जो नए मामलों में 3 प्रतिशत तथा पुराने मरीजों के पुनः इलाज के मामलों में 12 प्रतिशत तक देखे गए हैं। फिर भी सापेक्ष रूप से कम प्रतिशतता के मामले भी काफी संख्या में एमडीआर-टीबी के मामलों की पर्याप्त संख्या को प्रकट करते हैं, जो टीबी की महामारी के मामलों की बढ़ती हुई प्रचण्डता और गंभीरता की ओर संकेत करता है। एमडीआर-टीबी के इलाज संबंधी मामलों में दिशा-निर्देश तैयार किए जा चुके हैं, जिसके इलाज की शुरुआत पहले गुजरात और महाराष्ट्र से की जाएगी। आरएनटीसीपी के तहत विचार है

कि पहला एमडीआर-टीबी मरीज का पंजीकरण 2007 की तिमाही में किया जाएगा। एमडीआर-टीबी के मामलों का इलाज पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

### राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी)

3.5.32 भारत में कुष्ठ रोग लोगों के स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या बनी हुई है और दुनिया के कुल कुष्ठ रोगियों के 65 प्रतिशत मामले भारत में हैं। बीमारी के जन स्वास्थ्य की महता इस बात पर निर्भर करती है कि कोई बीमारी शारीरिक रूप से कितनी विकृति पैदा कर देती है और मानसिक तथा सामाजिक दृष्टि से कितना असहाय बना देती है। फिर भी जन-स्वास्थ्य कार्यक्रम यानि राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में इस बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए शुरू किया गया। फिर भी मल्टी-ड्रग-थैरेपी (एमडीटी) के शुरू होने के बाद भी और डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित समय अवधि में इसके इलाज हेतु इस का अभियान शुरू करने पर, बाद में इसे 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में बदल दिया गया, 1983 जब एमडीटी का उपयोग चरणबद्ध रूप में शुरू हुआ और अब देश के सभी जिले इसकी व्याप्ति में आ गए थे। अब कुष्ठरोग के लिए सभी प्राथमिक केंद्रों, सरकारी अस्पतालों और औषधालयों पर प्रत्येक कार्य दिवस पर निःशुल्क दवाइयां और इलाज उपलब्ध कराया जाता है और उनकी सुलभता में वृद्धि हुई है। कुष्ठरोग संबंधी इलाज और संबंधित सूचनाओं के प्रभावी अभिसारण से सामुदायिक स्तर पर और सामान्य जनो के बीच इस कलंक के उन्मूलन में सफलता प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में दिसम्बर, 2005 तक कुष्ठरोग के उन्मूलन का लक्ष्य रखा था। एक जन स्वास्थ्य संबंधी समस्या है (यानि पीआर<1 केस/10,000 लोग) राष्ट्रीय स्तर पर दिसम्बर, 2005 में प्राप्त कर लिया गया है।

3.5.33 विश्व बैंक की सहायता से चली राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन परियोजना सफलतापूर्वक दिसम्बर, 2004 में समाप्त हो गई, जिसका उद्देश्य कुष्ठरोग संबंधी सेवाओं को सामान्य स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के साथ एकीकृत करते हुए जिम्मेदारियों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य/जिला कुष्ठरोग समितियों के माध्यम से विकेंद्रित करना था। इस चरण के दौरान 1.1

मिलियन कुष्ठरोग के मामलों के लक्ष्य के मुकाबले 1.7 मिलियन कुष्ठरोगियों का धीरे-धीरे पता लगाया गया है। एमडीटी के माध्यम से 1.8 मिलियन का इलाज किया गया।

3.5.34 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार 26 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 10000 लोगों के बीच 1 केस से भी कम के (पीआर) की लक्ष्य दर से भी नीचे ला कर, कुष्ठरोग के उन्मूलन में सफल रहे हैं। पांच राज्य यानि बिहार, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड जिनमें 1 और 2 के बीच पीआर है, वे भी इसके उन्मूलन के करीब ही हैं। फिर भी, कुष्ठरोग का स्थानिक प्रभाव, छत्तीसगढ़, दिल्ली, दादर और नागर हवेली और चंडीगढ़ में जहां पीआर 2 और 3/10000 जन रहता है, में अधिक उच्च रहा है। उपर्युक्त 9 राज्य मिल कर 66 प्रतिशत कुष्ठरोगियों के मामलों से भारत आगे है।

3.5.35 उन्मूलन के बाद भी देश में राज्य, जिला एवं ब्लाक स्तर पर अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। मौजूदा एमडीटी सेवाओं के माध्यम से वर्ष 2006-07 के दौरान भी प्रयासों को जारी रखा जाएगा, ताकि शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों स्थानीय जिलों, स्थानीय ब्लाकों, स्थानीय शहरी बस्तियों, उच्च असहायता दर वाले जिलों और राज्यों जहां उच्च बाल अनुपात दर है, वहां कुष्ठरोग उन्मूलन का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। नए मामलों में अक्षम हुए पुराने रोगियों के पुनर्संरचनात्मक शल्य चिकित्सा के तहत, उन्हें गतिशील बनाने की कार्रवाई की जा रही है।

### राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

3.5.36 एचआईवी/एड्स एक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है, जिससे सामाजिक और आर्थिक पेचीदगियां जुड़ी हैं। 1986 से जब कि भारत में पहले एड्स के मामले का पता चला था, उसके बाद एड्स ने समूचे देश में समग्र रूप से बीमारियों और नश्वरता को प्रभावित किया है। एचआईवी का नया प्रकरण सामने आते ही खतरे की घंटी बजने लगती है, क्योंकि यह महामारी कम होती नजर नहीं आ रही है एवं यह लगातार नए क्षेत्रों

और नए जन समूहों में फैलती ही जा रही है। अंतिम 20 वर्षों के दौरान देखे गए रूख से पता चलता है कि इसका संक्रमण उच्च जोखिम समूहों से आम जनता, शहरों से गांवों, उच्च प्रचुरता वाले राज्यों से अन्य सभी राज्यों में फैलता जा रहा है। एकल से मल्टिपल माध्यमों से संक्रमित हो रहा है, महिलाओं में असुरक्षा बढ़ रही है तथा एचआईवी एड्स के रेजिस्ट्रेंट स्ट्रेन्स रिपोर्ट किए गए हैं। महामारी महिलाओं में काफी बढ़ती रही है, परन्तु अब कुल नए रिपोर्ट किए गए संक्रमणों में महिलाओं के संबंध में 39% मामले ही देखे गए हैं। इस बीमारी के सर्वाधिक शिकार 15-49 वर्ष (कम आयु) समूह के लोग हुए हैं, जो कुल प्राप्त मामलों का 88 प्रतिशत है, जिसका हमारे समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अनेक सैटलाइट महामारियां भी हैं, जो इंजैक्टिंग ड्रग यूज के कारण हैं, जो काफी हद तक इस महामारी की हैटरोजिनीटी और वोलटैलिटी में भूमिका अदा कर रही हैं। एचआईवी के मामले 1999 में 2.00 मिलियन थे, जो 2005 में बढ़कर 5.2 मिलियन हो गए और यह भी अनुमान है कि व्यस्क जनों में 0.9 प्रतिशत एचआईवी से संक्रमित हैं। 604 जिलों में से 124 जिलों 124869 एड्स के मामले रिपोर्ट किए गए हैं और 35 राज्यों में से जिन 6 राज्यों में यह अधिक प्रचुरता में है वे हैं - (आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड और तमिलनाडु) वैश्विक मानक के आधार पर हर आठ में से एक मामला भारतीय का है।

3.5.37 एचआईवी/एड्स की सामाजिक और आर्थिक लागत बहुत बड़ी है, जो न कि निजी तथा घरेलू दोनों स्तरों पर है, बल्कि समष्टिक और क्षेत्रीय स्तर पर भी है। एड्स के इलाज का परिवारों पर बड़ा भारी वित्तीय बोझ पड़ता है और एचआईवी और संबंधित मामलों पर उनके कुल वार्षिक खर्च का औसतन 10-30 प्रतिशत व्यय हो जाता है। जब किसी कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो आर्थिक और सामाजिक सहायता संरचना अलग से अभाव में आ जाती है। इस से निरक्षरता का कुचक्र जारी रहता है, जेंडर असंतुलन हो जाता है, कुपोषण, गरीबी, सामान्य रूप से कमजोर स्वास्थ्य संकेतक दिखाई देने लगते हैं और विशेष रूप से सैक्सुअल प्रजनन स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। कुल जनसंख्या के 1 प्रतिशत से कम विद्यमानता के मामले

में, अनुमान लगाया जाता है कि 2050 तक जीवन की उम्मीद 2-4 प्रतिशत तक कम हो जाएगी। इससे अंतिम कुछ वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां भी लड़खड़ा जाएंगी।

3.5.38 इस संबंध में पहले मामले का पता चलने के बाद ही राष्ट्रीय कार्रवाई में काफी तेजी आई है, 1992 में भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम विकसित किया गया, जो रक्त सुरक्षा, उच्च जोखिम वाले लोगों में बचाव, सामान्य लोगों में जागृति लाने तथा विश्व बैंक की सहायता से सर्वलैस पर ध्यान केंद्रित करने पर विशेष जोर दिया गया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (नाको) की स्थापना भी की गई। 1999 में कार्यक्रम के पूरा होने के बाद विश्व बैंक की सहायता से कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र के अनेक अंशदाताओं डीएफआईडी, यूएसएड, सीडा तथा वैश्विक निधि से तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता ली गई। उच्च जोखिम वाले समूहों, स्थानीय आईईसी, स्वैच्छिक परामर्श, परीक्षण केंद्र, रक्त सुरक्षा का सुदृढीकरण, देख-रेख, सहायता, संस्थागत सुदृढता आदि रणनीतियों का लक्ष्य करते हुए हस्तक्षेप किया गया। इसे मार्च, 2006 में पूरा कर दिया गया और यह उम्मीद की जाती है कि इस कार्यक्रम का तीसरा चरण 11वीं पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ पहली अप्रैल, 2007 से आरंभ हो जाएगा। एनएसीपी-3 के तहत ध्यान का केन्द्र परियोजना से कार्यक्रम मोड की ओर परिवर्तन लेगा, जिस में सहभागिता विकास को मुख्य धारा में लाते हुए और अधिक जोर दिया जाएगा, एचआईवी संक्रमण से बचाव पर प्राथमिकता, सावधनी, सहायता और इलाज से बचाव संबंधी एकीकरण, असुरक्षित पूर्वोत्तर राज्यों की ओर अधिक ध्यान, मौजूदा जिला स्तरीय और प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख स्तर की सेवाओं में सुधार एवं वृद्धि कार्यक्रम की संगठनात्मक पुनर्संरचना, राज्यों के सुदृढीकरण, जिला स्तरीय कार्यक्रम संरचना, रोबोट मॉनीटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली पर ध्यान दिया जाएगा।

3.5.39 इस महामारी की गंभीरता पर विचार करते हुए यह महत्वपूर्ण है कि महामारी की मौजूदा स्थिति के प्रति कार्रवाई अन्य विकासात्मक कार्रवाइयों के साथ एकीकृत

कर किया जाए। गरीबी, असाक्षरता और सशक्तिकरण आदि बड़ी ताकतें हैं, जो इस महामारी में उत्तेजना का कार्य कर रही हैं, जिसका सामना कई मंत्रालय कर रहे हैं। एचआईवी/एड्स के मुद्दों को मुख्यधारा के साथ विभिन्न मंत्रालयों और जन स्वास्थ्य की कार्यवाहियों में लाने की क्षमता सचमुच एक बहु क्षेत्रक विकास की कार्यवाहियों में इस महामारी का मुकाबला करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय एड्स परिषद्, जिस में अन्य 31 विभागों के मंत्री भी शामिल हैं, से उम्मीद की जाती है कि वे बहु क्षेत्रक कार्यसूची को और आगे ले जाएंगे। सिद्धांत: मुख्य गतिविधियां - शिक्षा, युवा मामले एवं खेल, रक्षा, इस्पात, महिला और बाल विकास, श्रम, शहरी विकास और रेलवे को उनके प्रगति पर चल रहे सामाजिक क्षेत्रक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रगति पर है।

3.5.40 एचआईवी की जोखिम पर रहने वालों का परीक्षण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिनका परीक्षण हो गया है, वे भी कुल लगाए गए अनुमान का एक भाग है। सभी राज्यों में एकीकृत परामर्शों और परीक्षण केंद्रों की संख्या भी तीव्रता से बढ़ा दी गई है और जो सभी राज्यों को मिलाकर 2815 हो गई हैं। बचाव प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए इलाज एक नाजुक अवसर प्रदान करता है, क्योंकि और अधिक लोगों के एचआईवी घनात्मक होने का पता चल जाता है, लेकिन स्पष्ट है कि इलाज तक उनकी पहुंच हो जाती है। एंटी रिट्रोवाइरल थैरेपी (एआरटी) एचआईवी घनात्मक रोगियों के लिए केंद्र का काम करती है, नाको स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है, जिसने अप्रैल, 2004 से एआरटी शुरू की है और व्याप्ति में सुधार करते हुए इसके तीव्र विस्तार के लिए पहले जारी हैं और गतिविधियां सम्पन्न की जा रही हैं। सितम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार एआरटी कार्यक्रम 96 चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से 39651 रोगियों तक पहुंच चुका है।

### असंक्रामक बीमारियां (एनसीडी(ज))

3.5.41 मृत्यु दर में कमी से, जीवन की आयु भी बढ़ी है और उसकी शैली में भी परिवर्तन आया है। एपीडिमियोलॉजिकल ट्रांजीशन के बीच जीवन शैली में संबंधित विकृतियां आई हैं और गैर-संक्रामक बीमारियां जैसे - कार्डियो वस्कुलर एलमेंट,

कैंसर, मोतियाबिंद से होने वाले अंधापन, मुधमेह आदि में वृद्धि हुई है। अतः यह जरूरी हो जाता है कि पूरे देश में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक देखभाल स्तरों पर एनसीडी के लिए बचाव, प्रोत्साहन, इलाज और पुनर्स्थापन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि बीमारियों एनसीडी से जुड़ी नश्वरता में कमी लाई जा सके। अंतिम दो दशक से कार्डियो वस्कुलर बीमारियों के कारण बीमारियों और नश्वरता, दीमागी डिस-आर्डर, कैंसर, सदमा आदि में वृद्धि हुई है। क्रामिक बीमारियों उच्च लागत और गैर-संक्रामक बीमारियों के प्रबंधन से जुड़ी हुई है, बचाव पर ध्यान देने की आवश्यकता है, साथ ही इन बीमारियों का शीघ्र पता लगा कर, उचित प्रबंधन किया जाए।

### अंधेपन के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनसीपीबी)

3.5.42 अंधेपन के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनसीपीबी) 1976 में शुरू किया गया था, ताकि 2020 तक अंधेपन के मामले 1.49 प्रतिशत से घटाकर 0.3 प्रतिशत तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। 1994-95 में विश्व बैंक की सहायता से मोतियाबिंद - अंधापन नियंत्रण परियोजना के शुरू होने पर, इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को नया रूप दिया गया। राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2001-02 के अनुसार अंधेपन के अनुमानित आंकड़े 1.1 प्रतिशत थे। दसवीं योजना की शेष अवधि यानि 2006-07 के लिए लक्ष्य रखा गया था कि अंधेपन के मामलों को कम करके 0.8 प्रतिशत तक लाया जाए। चूंकि मोतियाबिंद, अंधेपन का मुख्य कारण है, अतः मोतियाबिंद के ऑपरेशनों के उच्च प्राथमिकता दी जाती रही है, जिससे निष्पादन में निरंतर सुरक्षा बढ़ती रही। एनपीसीबी को मोतियाबिंद, काला मोतिया, पुतली के अंधापन और अन्य आंखों की समस्याओं जैसे मधुमेय के कारण रेटिनॉपैथी आदि के पुराने मामलों को निपटाने के लिए सक्रिय बनाया गया।

3.5.43 विश्व बैंक परियोजना के 11 मिलियन मोतियाबिंद ऑपरेशन करने के मुकाबले 15.3 मिलियन ऑपरेशन किये गये। 2005-06 के दौरान 49.05 लाख मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा की गई। वर्ष 2006-07 के लिए 45 लाख

मोतियाबिंद शल्य चिकित्साएं करने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में आईओएल मोतियाबिंद शल्य चिकित्साएं करके महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की गईं। 1997 में की गई 20 प्रतिशत आईओएल लगाने संबंधी शल्य चिकित्सा के मामले बढ़कर 2005-06 के दौरान 90 प्रतिशत हो गए। अब ये कार्यक्रम अंधेपन के अन्य प्रकार की समस्या की ओर आगे बढ़ रहा है, विशेष रूप से बच्चों के लिए, पुतलियां इकट्ठी करने के लिए, डायबेटिक रेटिनोथैरेपी और काला मोतिया आदि। पैड्रियाटिक आपथलमोलोजी यूनिट्स का विकास करते हुए बाल अंधता के बचाव और नियंत्रण के लिए उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। कम दृष्टि संबंधी क्लीनिक्स खोली जा रही हैं और स्कूल आई स्क्रीनिंग कार्यक्रम को मजबूत बनाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दृष्टि केन्द्र खोले जा रहे हैं और आंखों की देखरेख की जिम्मेदारी संबंधी सेवाएं स्वैच्छिक क्षेत्रक को सौंपी जा रही हैं।

3.5.44 दृष्टि का अधिकार नामक पहल विश्व स्तर पर शुरू की गई है, जिसके प्रति भारत भी वचनबद्ध है। यह पहल अक्टूबर, 2001 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अंधेपन से जुड़े अन्य मामलों को भी नियंत्रित करना है - जैसे रिफ्रेक्टिव एरर्स (भ्रातियां) काला मोतिया, बाल अंधता, पुतली की अंधता, डायबेटिक रेटिनोपैथी और इसे 11वीं योजना के तहत कार्रवाई योजना में भी शामिल किया गया है और अच्छे प्रबंधन और मानीटरिंग के लिए जिला एवं राज्य अंधता नियंत्रण समितियों का गठन किया गया है। सभी प्रकार की आंखों की बीमारियों के लिए विभिन्न सुविधाओं के तहत सामग्री सहायता भी प्रदान की जाती है। आईओएल लगाने के लिए तालुका स्तर पर भी इन सुविधाओं को बढ़ा दिया गया है। आई बैंकों के लिए एनजीओ(ज) को अनुदान दिया जाता है तथा मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के लिए आवर्ती और अनावर्ती घटक के रूप में सहायता की जाती है। पंचायतों को भी शामिल करना इस कार्यक्रम की एक मुख्य विशेषता है।

### राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

3.5.45 भारत में मृत्यु के दस कारणों में से एक अग्रणी

कारण है कैंसर। लगभग 2.25 मिलियन कैंसर के मामलों का अनुमान लगाया गया है और हर वर्ष इसमें 0.8 मिलियन नए मामले जुड़ जाते हैं और लगभग दो तिहाई मामलों का पता उस स्थिति में चलता है, जब कैंसर आगे के स्तर तक पहुंच जाता है तथा 0.30 से 0.35 मिलियन कैंसर के रोगी हर साल मर जाते हैं। अनुमानों से संकेत मिलता है कि 2026 तक भारत के सभी राज्यों में कैंसर का बोझ दुगना हो जाएगा। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य रहता है कि स्वास्थ्य शिक्षा, कैंसर का शीघ्र पता लगाने/कॉमन कैंसर का उपचार और माध्यमिक बचाव की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएं, कैंसर के इलाज संबंधी सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण किया जाए। मौजूदा संस्थानों में व्यापक सुविधाएं मुहैया कराते हुए उन्हें सुदृढ बनाया जाये, जिनमें कैंसर थैरेपी टर्मिनल स्टेज पर पैलिएटिव केयर शामिल है।

3.5.46 संशोधित कार्यक्रम के तहत कैंसर उपचार सुविधाओं को उपलब्ध कराने में भौगोलिक असंतुलन को ठीक करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नई आरसीसी (ज) भी रुपये 5.00 करोड़ की एक मुश्त सहायता के लिए पात्र हैं। कैंसर उपचार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मौजूदा आरसीसी(ज) रुपये 3 करोड़ के अनुदान के लिए पात्र हैं। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय/सरकारी अस्पतलों को आन्कोलॉजी विंग की स्थाना के लिए रुपये 3.00(तीन) करोड़ की एक मुश्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। निधियों को सीधे तौर पर संबंधित संस्थानों को राज्य सरकार की सिफारिश के बाद जारी किया जाएगा।

3.5.47 5 साल तक के लिए जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 90 लाख की सहायता के लिए पात्र हैं, ताकि वे आरसीसी (राज्य सरकार के स्थान पर) जैसी नोडल एजेंसियों को ग्रेडिड तरीके से वितरित किया जा सके। प्रथम वर्ष में 22 लाख, शेष चार वर्षों के दौरान 17-17 लाख डीसीसीपी दो या तीन क्लेस्टर वाले कंग्रुवेंट जिलों को व्याप्ति में लेगी। आईईसी गतिविधियों के लिए उन एनजीओ (ज) को प्रति शिविर रुपये 8000 का अनुदान देने के लिए पात्र समझा गया है, जिनका कैंसर के क्षेत्र में तीन वर्ष का क्षेत्रीय

अनुभव है, जिसका समन्वय नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा, जो आरसीसी या आन्कोलॉजी विंग हो सकते हैं।

3.5.48 भारत में 40-50 प्रतिशत से भी अधिक कैंसर मामले तम्बाकू के कारण होते हैं। सितम्बर, 2003 में डब्ल्यूएचओ के फ्रेम वर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (एफसीटीसी) के हस्ताक्षर करने में भारत पहला फॉर रनर था। फरवरी, 2004 में इसे रेटिफाई किया गया। एफसीटीसी के प्रावधानों को राष्ट्रीय कानून के रूप में शामिल कर लिया गया है जो दिसम्बर, 2004 से प्रभावी हैं।

3.5.49 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान सभी आरसीसी(ज) को 75.00 लाख रुपये की वार्षिक सहायता प्राप्त हुई। संशोधित कार्यक्रम के तहत वे दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रुपये 5 करोड़ के एक मुश्त अनुदान के लिए पात्र हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान 5 आरसीसी(ज)को मान्यता दी गई।

### नेशनल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

3.5.50 अनुमान लगाया गया है कि कुल जनसंख्या का 10-15 प्रतिशत लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान है और आधुनिक जीवन का तनाव इस मानसिक बीमारी के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार है। लगभग 10 मिलियन लोग गंभीरता से मानसिक डिसऑर्डर से गंभीरतापूर्वक प्रभावित हैं और 20-30 मिलियन लोगों को न्यूरोसिस या साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। 0.5 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक बच्चे मंदबुद्धि के हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि 30000 लोगों के पीछे एक साइकियाट्री का बिस्तर रखा गया है। साइकियाट्रिक बिस्तरों में 50 प्रतिशत ऐसे रोगियों को आबंटित हैं जिनका दीर्घकालिक इलाज चल रहा है।

3.5.51 नेशनल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) 1982 में इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था कि स्वास्थ्य देखरेख को सभी स्तरों पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किये जाए और इसके लिए शीघ्र मान्यता, पर्याप्त इलाज और रोगियों का पुनर्वास जरूरी है।

3.5.52 दसवीं योजना के दौरान संशोधित रणनीति के तहत नेशनल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 2003 में कार्यान्वित किया गया और इसके तहत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) पूरे देश के 94 जिलों में कार्यान्वयन के अधीन है और इसमें चरणबद्ध तरीके से और वृद्धि की जा रही है। डीएमएचपी के तहत नियुक्त चिकित्सीय/ अर्ध चिकित्सीय कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल स्तरों पर मानसिक स्वास्थ्य परिचर्चा सेवाओं में उत्तरोत्तर सुधारीकृत सहायता भी राज्यों को उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य द्वारा चलाए जा रहे मानसिक अस्पतालों के सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण के लिए निधि उपलब्ध कराई जा रही है, मेडिकल कॉलेजों/ सामान्य अस्पतालों की साइकियाट्रिक विंग्स को प्रोन्नत करने हेतु भी निधि उपलब्ध कराई जाती है। उचित आईईसी रणनीतियां/जागृति बढ़ाने संबंधी पहलें तथा मानसिक डिस-ऑर्डर से संबंधित कलंक को कम करने संबंधी गतिविधियों को लक्ष्य बनाया गया। कार्यक्रम के तहत मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान और प्रशिक्षण संबंधी सहायता भी दी जा रही है।

3.5.53 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए संशोधित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया, जिसका उद्देश्य है कि मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए प्राथमिक स्तर पर सामुदायिक देखरेख में और सार्वजनिक जागृति में सुधार लाया जा सके और सामुदायिक सहभागिता की सुलभता हो सके, मेडिकल कॉलेजों के साइकेट्रियाट्री विभागों को प्रोन्नत किया जा सके और प्राथमिक परिचर्या देने वाले मानसिक अस्पतालों में सुधार लाया जा सके। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विचार किया गया है कि एन.जी.ओ.(ज) की भूमिका को और अधिक व्यापक बनाया जाए और स्कूल मानसिक स्वास्थ्य घटक को भी कार्यक्रम में शामिल किया जाए।

### प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

3.5.54 तृतीयक सेवाएं देने वाले अस्पतालों/मेडिकल कॉलेज में पाए जाने वाले असंतुलन को कम करने के लिए विभिन्न राज्यों में विशिष्ट/सुपर विशेषज्ञता सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि विभिन्न राज्यों से लोगों की तकलीफों को

दूर किया जा सके, इस प्रयोजन के लिए प्रधान मंत्री स्वास्थ्य योजना (पीएमएसएसवाई) शुरू की गई है। इस योजना के तहत बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल जैसे पिछड़े 6 राज्यों में एम्स जैसे संस्थान खोले जाएंगे। इन अभाव वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखरेख की तृतीयक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और साथ ही में इन संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक रूप से अधिस्नातक पाठ्यक्रम के स्तर पर 100 छात्रों को तथा स्नातकोत्तर स्तर/पोस्ट डॉक्टरल पाठ्यक्रमों के लिए 39 स्पेशियल्टी/सुपर स्पेशियल्टी संकाय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात प्रत्येक राज्य में एक संस्थान तथा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में 2 संस्थानों को एक बार वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव भी है, ताकि ये राज्य इन संस्थानों में एम्स के स्तर की प्रोन्नत सुविधाएं उपलब्ध करा सकें।

### एकीकृत बीमारी निगरानी परियोजना

3.5.55 विश्व बैंक समर्थित एकीकृत बीमारी निगरानी परियोजना नवम्बर, 2004 में शुरू की गई थी। परियोजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण संचारी रोगों जैसे कि - टायफाइड, पोलियो, खसरा, मलेरिया, तपैदिक, एचआईवी/एड्स सहित, फैलने का शीघ्र पता लगाने के लिए क्षमताएं विकसित करना है। सामान्य गैर-संचारी रोगों के संबंध में जोखिम कारकों और सड़क यातायात दुर्घटनाओं की निगरानी को भी परियोजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। परियोजना के घटकों में लक्षित बीमारियों की पुष्टि के लिए प्रयोगशाला सेवाओं का सुदृढीकरण और डेटा पारेषण और विश्लेषण के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है, ताकि निकट भविष्य में फैलने वाली बीमारियों के संबंध में संकेत दिए जा सकें। बीमारी, निगरानी और बीमारी फैलने के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया में भी कार्मिकों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत एक क्रमिक ढंग से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर किया जाएगा।

3.5.56 परियोजना को राज्य और जिला निगरानी यूनिटों

के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है तथा चरण-I एवं चरण-II के अंतर्गत कवर किए गए 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान शेष 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर किया जाएगा तथा जिलों व पारिधीय प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाया जाएगा। जिला निगरानी दलों, मेडिकल अधिकारियों, प्रयोगशाला कार्मिकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का कार्य आयोजित किया जाएगा। चरण-I के लिए जिला निगरानी दलों का प्रशिक्षण कार्य पूरा हो गया है।

3.5.57 इन सभी साइट्स पर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स संस्थापित करते हुए सभी जिलों, राज्यों सरकारी मेडिकल कॉलेजों को सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। डेटा एंट्री, आंकड़ा विश्लेषण, चेतावनी संकेत देने, आरेख और भौगोलिक रिपोर्ट देने, जिनमें लक्षित बीमारियों का मानचित्रण भी शामिल है, आदि सुविधाओं के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। सेटलाइट कंयूनिकेशन का उपयोग करते हुए हाइब्रिड नेटवर्क ब्रॉडबैंड नेटवर्क भी देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए संस्थापित किए जा रहे हैं। इस नेटवर्क की संस्थापना से स्वास्थ्य सूचना सूपरहाइवे का सृजन हो सकेगा, जिससे दूरस्थ शिक्षण, टेली-कॉन्फरेंसिंग और डेटा-ट्रांसमिशन में सहायता मिलेगी।

### नई पहलें

#### बहरेपन से बचाव एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

3.5.58 भारत में लगभग 63 मिलियन लोग गंभीर रूप से बहरेपन से पीड़ित हैं (अनुमानित 6.3 प्रतिशत लोग) 2006 से 2008 तक 10 राज्यों के 25 जिलों और एक संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन के पहले चरण के तहत एक पायलट परियोजना संचालित की जा रही है। बाद में इसका आगे विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सुनने की त्रुटियों और बहरेपन से बचाव और नियंत्रण किया जाए ताकि कुल बीमारी बोझ को 25 प्रतिशत तक 11वीं योजना आवधि के अंत तक कम किया जा सके। इसकी विभिन्न गतिविधियों में शामिल हैं (1) बीमारी या दुर्घटना के कारण परिहार्य श्रवण नुकसान से बचाव (2) कान की समस्याओं का शीघ्र पता लगाना,

उसकी दवाई एवं इलाज की व्यवस्था (3) चिकित्सीय पुनर्स्थापन (4) मौजूदा अंतर संपर्क क्षेत्रों को सुदृढ़ करना (5) कान की देखभाल सेवाओं के लिए संस्थागत क्षमता का विकास जबकि राज्यों में पर्याप्त क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाता है, फिर भी प्राथमिकता उन राज्यों को दी जाएगी जहां से कमजोर जन स्वास्थ्य संकेतक प्राप्त हो रहे हैं। 11वीं योजना के दौरान कार्यक्रम जिलों के लिए सर्वोत्तम केन्द्रों के रूप में अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालयों का पता लगाया जाएगा।

### मधुमेय कार्डियोवेस्कूलर बीमारियों और स्ट्रोक के बचाव और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

3.5.59 कार्डियोवेस्कूलर बीमारियों (सीवीडी) और मधुमेह के आम जोखिम कारकों में शामिल हैं - अपूर्ण भोजन, शारीरिक शिथिलता, अधिक वजन एवं धूम्रपान करना। भारत में अगले 10 वर्षों के दौरान महिला और पुरुषों में अधिक वजन की समस्या लगातार बढ़ने की संभावना है। कम से कम 80 प्रतिशत अपरिपक्व हृदय की बीमारियां, स्ट्रोक और टाइप-2 मधुमेह और 40 प्रतिशत कैंसर के मामले हो रहे हैं जिन्हें पुष्ट भोजन, नियमित शारीरिक व्यायाम, तम्बाकू उत्पादन के सेवन से बच कर दूर भगाया जा सकता है। प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यक्रम में मधुमेह, सीवीडी और स्ट्रोक तथा सामान्य असंक्रामक बीमारियों के बचाव और नियंत्रण का लक्ष्य रखा

जाएगा, जिसे एककीकृत अवधारणा के माध्यम से चलाया जाएगा, ताकि समय से पूर्व बीमारी, मधुमेह, सीवीडी और स्ट्रोक के कारण नश्वरता से बचा जा सके। इससे स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता बढ़ेगी और एनसीडी(ज) का सामना किया जा सकेगा तथा देखभाल की गुणवत्ता में सुधार आएगा, मास मीडिया से स्वास्थ्य शिक्षा दी जाएगी तथा पंचायती राज संस्थाओं को एकीकृत करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों और नगरपालिकाओं तथा अन्य स्थानीय स्वशासन संस्थाओं तथा स्वास्थ्य क्षेत्रक की पहलों के माध्यम से प्रभावी हस्तक्षेप किया जाएगा। “न्यूनतम एथीकल एवं तकनीकी मानकों” के लिए दिशा-निर्देश सुनिश्चित करने के लिए निजी संस्थाओं के माध्यम से न्यूनतम मानकों के साथ देखरेख को एक परिषद द्वारा विकसित किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न स्वास्थ्य देखरेख सेवादाताओं द्वारा एक समन्वय और मत स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि सतत स्वास्थ्य संदेश दिए जा सकें। तम्बाकू नियंत्रण अभियान फ्रेमवर्क (एफसीटीसी) के विकास में भारत के अग्रणी भूमिका निभा रहा है तथा भारत इसे रेटिफाई करने के लिए पहले देशों की श्रेणी में अग्रणी रहा है। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि क्रान्तिक बीमारी के कारण भारत में होने वाली मृत्यु दर को आगामी दस साल के अंदर अतिरिक्त 2 प्रतिशत वार्षिक दर से कम किये जाने का अनुमान है जिससे देश के लिए 15 बिलियन डॉलर का आर्थिक लाभ हो सकेगा।

राज्य योजना परिव्यय और व्यय

(रुपये लाख में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दसवीं योजना		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	संशोधित अनुमान	परिव्यय
आन्ध्र प्रदेश	133024.00	22008.16	40995.00	35362.36	40995.44	31427.72	43269.24	34769.24	53574.24	1970.00		
अरुणाचल प्रदेश	23129.00	2181.01	2201.00	2099.23	2781.35	3185.00	1828.82	1417.00	21399.00			
असम	57069.00	8648.00	7682.00	7882.00	6529.00	6529.00	5687.00	5687.00	13700.00			
बिहार	107920.00	13703.00	10731.11	12343.11	14182.02	14389.78	12721.80	16318.30	33249.90			
छत्तीसगढ़	43418.00	6935.00	5550.00	8083.00	15076.00	12462.52	14287.44	12122.33	4495.00			
गोवा	13135.00	1895.00	1888.48	3175.00	2568.54	3149.21	4132.99	4132.99	45994.00			
गुजरात	116616.00	21387.00	15192.32	25221.00	21472.13	25294.00	43494.00	10200.00	11450.00			
हरियाणा	96062.00	6280.00	2233.22	7800.00	5757.51	7124.00	5843.76	10200.00	19948.92			
हिमाचल प्रदेश	78772.00	13414.00	12905.15	18066.07	18295.79	19734.27	18476.60	19050.81	21864.25			
जम्मू व कश्मीर	79666.00	13000.00	12861.04	14864.00	13752.90	17748.78	21061.70	21061.70	26800.00			
झारखंड	65000.00	11575.00	6498.00	9700.00	6339.98	13371.59	15000.00	15000.00	34098.61			
कर्नाटक	153052.00	19247.00	17715.31	13974.00	19189.66	15731.51	33239.29	28920.80	9650.00			
केरल	40840.00	7135.00	7916.65	5170.31	10130.00	6813.87	10035.00	11901.56	16961.91			
मध्य प्रदेश	71533.00	14016.00	14520.93	18105.00	15444.43	20298.09	17763.95	20587.00	88228.54			
महाराष्ट्र	110666.00	40740.00	21632.92	76435.00	33244.78	31192.05	77874.10	77874.10	2837.00			
मणिपुर	8173.00	1415.00	304.23	2280.00	940.96	789.52	499.00	564.76	4750.00			
मेघालय	18000.00	3020.00	3219.79	3550.00	3773.09	4071.31	4884.00	4884.00	4000.00			
मिजोरम	12370.00	2860.00	2725.99	2975.00	4185.67	2950.10	3480.00	3672.50	2363.00			
नागालैण्ड	7965.00	1548.00	1562.14	2383.00	2514.00	2114.87	2263.00	1963.00	4052.20			
उड़ीसा	52139.00	12777.00	7283.09	21694.00	9256.11	10281.41	14348.19	14448.19	5019.10			
पंजाब	53081.00	9298.00	6483.49	10450.00	5971.99	2133.32	2743.13	2743.13	20615.60			
राजस्थान	56892.00	12778.00	4034.19	8236.00	5434.80	9736.64	18605.59	18555.55	1690.00			
सिक्किम	8000.00	1600.00	1408.04	1606.00	1454.87	2200.56	1840.00	1990.00	46564.75			
तमिलनाडु	70000.00	10440.00	14285.27	16314.00	15963.39	17402.60	26874.17	26874.17	6459.60			
त्रिपुरा	25072.00	1480.00	1407.34	2013.00	2243.86	3040.42	2662.21	4460.01	188763.00			
उत्तर प्रदेश	240543.00	27826.00	25950.00	33927.00	19745.93	33009.00	85421.00	89057.00	18600.00			
उत्तरांचल	38767.00	4286.00	5768.50	7359.00	6302.53	8759.31	8790.92	7990.92	44289.68			
पश्चिम बंगाल	103618.00	27898.00	14137.89	21193.00	18590.41	15392.06	40207.80	27404.80	3657.00			
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	11400.00	2050.00	2119.64	2150.00	2312.26	2382.96	3321.00	3321.00	3587.00			
चण्डीगढ़	22426.00	3803.65	3944.93	3111.00	3546.75	3477.00	3392.00	3392.00	470.00			
दादर नगर हवेली	1225.00	238.00	269.57	266.00	301.67	403.20	400.00	400.00	414.00			
दमन व दीव	1750.00	194.15	217.68	228.00	282.85	301.03	350.00	350.00	69120.00			
दिल्ली	238150.00	38970.00	33043.43	42692.00	38942.11	53775.00	60600.00	58675.09	178.00			
लक्षद्वीप	901.30	275.20	232.33	227.00	264.90	166.73	242.00	242.00	9485.00			
पांडिचेरी	16360.00	3272.09	3000.21	3205.00	3259.04	4196.59	5635.00	5679.40				

स्कीम-वार दसवीं योजना परिव्यय और व्यय  
%ofGDP; (IS-d - स्वास्थ्य कार्यक्रम)

क्र. सं.	स्कीम/संस्थान का नाम	ओरिजनल परिव्यय	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-06		2006-07 परिव्यय
			परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	अंतिम व्यय	
<b>I.</b>	<b>केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम</b>										
	<b>संचारी रोगों का नियंत्रण</b>										
1.	राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम (मलेरिया, काला-अजार, जापानी एनसेफलाइटिस, फिलारिया और डेंगे)	1349.00	235.00	206.56	245.00	198.88	296.00	212.17	348.45	256.61	371.58
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम	236.00	75.00	74.96	74.00	50.11	55.00	42.26	41.75	23.09	42.25
3.	राष्ट्रीय तपैदिक नियंत्रण कार्यक्रम	662.00	115.00	96.75	115.00	117.83	140.00	133.63	186.00	187.88	202.17
4.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	1392.80	225.00	241.35	225.00	231.88	476.00	404.50	533.50	520.82	905.67
	<b>उप जोड़</b>	<b>3639.80</b>	<b>650.00</b>	<b>619.62</b>	<b>659.00</b>	<b>598.70</b>	<b>967.00</b>	<b>792.56</b>	<b>1109.70</b>	<b>988.40</b>	<b>1521.67</b>
	गैर संचारी बीमारियों का नियंत्रण										
5.	राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम	445.00	86.00	84.63	86.00	85.51	88.00	86.64	89.00	92.94	90.00
6.	राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, तम्बाकू मुक्त पहल सहित	266.00	61.00	48.34	55.00	25.19	60.00	62.85	70.00	63.03	87.00
7.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	139.00	30.00	0.09	30.00	4.92	33.00	19.39	40.00	46.17	50.00
8.	नशा मुक्ति कार्यक्रम, राज्यों को सहायता सहित	33.00	7.00	10.72	6.50	6.13	7.00	6.14			
9.	राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकृतियां नियंत्रण कार्यक्रम	35.00	7.00	8.73	7.00	10.53	8.00	4.13	12.00	8.44	15.00
	<b>उप जोड़</b>	<b>918.00</b>	<b>191.00</b>	<b>152.51</b>	<b>184.50</b>	<b>132.28</b>	<b>196.00</b>	<b>179.15</b>	<b>211.00</b>	<b>210.58</b>	<b>242.00</b>
	<b>अन्य कार्यक्रम</b>										
10.	क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता	110.00	20.00	21.68	20.00	17.56	20.00	24.19	35.00	35.87	45.00
11.	औषधि तथा पीएफए नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता	138.00	1.30	0.00	30.00	0.00	23.50	49.19	85.50	56.57	75.35
	(i) औषधि नियंत्रण										
	(ii) पीएफए नियंत्रण										
12.	अस्पताल अवशिष्ट प्रबंधन	10.00	0.00	0.00	5.00	4.52	5.00	6.30			
13.	सामुदायिक स्वास्थ्य हेतु युएनडीपी प्रायोगिक पहल		4.80	0.00	4.10	0.00					
14.	सीएसएस के अंतर्गत नई पहलें		26.00	0.00	0.00	0.00					35.00
	<b>उप जोड़</b>	<b>258.00</b>	<b>52.10</b>	<b>21.68</b>	<b>59.10</b>	<b>22.08</b>	<b>48.50</b>	<b>79.68</b>	<b>120.50</b>	<b>92.44</b>	<b>155.35</b>
	<b>जोड़-I</b>	<b>4815.80</b>	<b>893.10</b>	<b>793.81</b>	<b>902.60</b>	<b>753.06</b>	<b>1211.50</b>	<b>1051.39</b>	<b>1441.20</b>	<b>1291.42</b>	<b>1919.02</b>

स्कीम-वार दसवीं योजना परिव्यय और व्यय  
%ofGDP; (₹-d - स्वास्थ्य कार्यक्रम)

क्र. सं.	स्कीम/संस्थान का नाम	ओरिजनल परिव्यय	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-06		2006-07 परिव्यय
			परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	अनतिम व्यय	
	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें										
	संचारी रोगों का नियंत्रण										
15	एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम	260.00	10.00	0.00	0.00	50.00	25.01	88.00	39.26	102.00	
16	राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान	65.00	12.00	9.80	11.75	7.95	5.00	13.25	15.38	12.17	
	i. चालू कार्यक्रम (मिनोवोर्म और याबज उन्मूलन सहित)										
	ii. संस्थान का सुदृढीकरण										
17	राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बंगलौर	10.30	2.00	1.22	2.00	0.57	0.50	2.10	0.41	2.13	
18	बीसीजी टीका प्रयोगशाला, गुडन्डी, चेन्नई	19.50	5.00	1.70	5.00	1.90	3.00	3.00	2.99	1.27	
19	पास्ट्युर इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कूनूर	35.00	7.50	3.00	7.50	7.50	9.00	10.00	3.98	10.00	
20	लाला राम स्वरूप टीबी व संबंध बीमारी संस्थान, महरोली, दिल्ली	54.50	10.00	10.00	10.00	11.05	12.94	12.00	12.00	9.55	
21	केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, चेगलपट्टूर	5.50	1.00	0.73	1.00	0.76	1.00	2.00	1.31	2.00	
22	क्षेत्रीय प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत										
	(क) आरएलटीआरआई, अस्का (उड़ीसा)	2.00	0.40	0.14	0.40	0.17	0.50	0.50	0.02	0.55	
	(ख) आरएलटीआरआई, रायपुर (मध्य प्रदेश)	1.00	0.20	0.14	0.20	0.13	0.20	0.18	0.13	0.18	
	(ग) आरएलटीआरआई, गौरीपुर (पश्चिम बंगाल)	7.00	1.50	0.98	1.50	1.27	1.50	1.50	1.32	1.60	
	<b>उप जोड़</b>	<b>459.80</b>	<b>49.60</b>	<b>27.71</b>	<b>39.35</b>	<b>31.30</b>	<b>54.09</b>	<b>132.53</b>	<b>76.80</b>	<b>141.45</b>	
	<b>अस्पताल और औषधालय</b>										
23	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम	80.00	20.00	18.49	20.00	22.80	22.63	35.00	23.40	35.00	
24	केन्द्रीय मनोरोग संस्थान, रांची	50.00	8.00	6.23	8.00	4.33	2.83	18.50	7.69	18.70	
25	मानव आवरण तथा सम्बन्ध विज्ञान संस्थान, शाहदर, दिल्ली	7.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
26	अखिल भारत बोली तथा श्रवण संस्थान, मैसूर	30.00	7.00	7.00	7.00	7.63	7.00	8.00	6.58	8.00	
27	अखिल भारत बोली शारीरिक चिकित्सा तथा पुनर्वास संस्थान, मुम्बई	20.00	2.70	1.70	2.70	2.44	3.00	3.60	3.52	5.60	
28	सफदरजंग अस्पताल तथा कालेज, नई दिल्ली	230.00	65.00	33.51	65.00	38.79	45.50	89.09	79.61	78.00	
29	डॉ० आर०एम०एल० अस्पताल, नई दिल्ली	150.00	25.00	17.83	25.00	18.66	20.05	55.30	29.23	40.34	
	<b>उप जोड़</b>		<b>127.70</b>	<b>84.76</b>	<b>128.70</b>	<b>94.65</b>	<b>100.36</b>	<b>210.49</b>	<b>150.03</b>	<b>186.64</b>	

स्कीम-वार दसवीं योजना परियोजना और व्यय  
/dthni; {ks=d - स्वास्थ्य कार्यक्रम)

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/संस्थान का नाम	ओरिजनल परियोजना	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-06		2006-07 परियोजना
			परियोजना व्यय	व्यय	परियोजना व्यय	व्यय	परियोजना व्यय	व्यय	परियोजना व्यय	अंतिम व्यय	
	मेडिकल शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान										
	(क) मेडिकल शिक्षा										
30	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा संबद्ध विभाग, नई दिल्ली	675.00	105.00	125.81	105.00	170.00	82.00	201.26	163.36	205.86	
31	पी.जी.आई.एम.ई.आर., चंडीगढ़	200.00	25.00	40.00	25.00	28.00	28.00	35.00	40.00	40.00	
32	जे.आई.पी.एम.ई.आर., पाण्डिचेरी	150.00	15.00	11.85	15.00	20.00	17.46	62.00	33.36	70.00	
33	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती एस.के. अस्पताल, नई दिल्ली	200.00	10.00	9.30	10.00	20.00	14.81	27.00	16.49	28.00	
34	कलावती सरण बाल अस्पताल, नई दिल्ली	140.00	6.00	5.97	6.00	8.00	7.00	8.62	6.99	10.94	
35	इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान	380.00	60.00	47.10	65.00	70.00	70.00	126.51	30.00	126.27	
36	एन.आई.एम.एच.ए.एन.एस., बंगलौर	120.00	24.00	29.00	24.00	30.00	41.00	45.96	43.73	50.00	
37	करनूखा गांधी सोसायटी, वर्धा	50.00	10.00	10.00	10.00	10.65	11.55	13.00	13.00	13.80	
38	बी.पी. चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली	23.00	8.00	6.00	4.80	4.80	6.00	6.50	8.00	7.00	
39	नेशनल मेडिकल लायब्रेरी, नई दिल्ली	35.00	8.00	7.33	8.00	7.59	8.00	8.00	0.31	13.00	
40	राष्ट्रीय मेडिकल विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	2.50	0.50	0.34	0.50	0.28	0.23	0.59	0.35	0.65	
41	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	9.77	6.77	4.60	
42	मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	5.00	1.00	0.91	1.00	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	
43	मेडिकल अनुदान आयोग	5.00	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		1.00	
	(ख) प्रशिक्षण										
44	नर्सिंग सेवाओं का विकास	82.00	20.00	12.00	20.00	6.91	17.87	20.00	17.57		
45	नर्सिंग कालेज									20.00	
	(i) आर.ए.के. नर्सिंग कालेज, नई दिल्ली	11.00	3.00	0.80	0.85	0.37	1.00	0.85	0.50	0.76	
	(ii) लेडी शीडिंग हेल्थ स्कूल	2.00	0.30	0.16	0.30	0.19	0.30	0.60	0.26	0.43	
46	इंडियन नर्सिंग काउंसिल	2.10	0.40	0.40	0.40	0.20	0.40	1.00	0.50	1.00	
47	सीएचएस के एम.ओ.का प्रशिक्षण		0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00			
	(ग) अनुसंधान										
48	(क) भारतीय भेषज अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	870.00	110.00	116.00	110.00	110.00	174.00	202.00	255.00	217.00	
	उप जोड़	3520.60	411.40	423.18	407.05	391.93	596.40	770.66	637.19	811.31	
	अन्य कार्यक्रम										

स्कीम-वार दसवीं योजना परिव्यय और व्यय  
%ofGDP; (K=d - स्वास्थ्य कार्यक्रम)

क्र. सं.	स्कीम/संस्थान का नाम	ओरिजनल परिव्यय	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-06		2006-07 परिव्यय
			परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	अंतिम व्यय	
49	अखिल भारतय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान कलकत्ता (एआईआईएच एंड पीएच) तथा सरोलोजिस्ट और केमिकल एग्जीमीनर, कलकत्ता										
	i. एआईआईएच एंड पीएच, कलकत्ता	20.00	3.00	0.54	1.40	0.91	1.50	1.01	1.50	1.17	1.50
	ii. सरोलोजिस्ट एंड केमिकल एग्जीमीनर, कलकत्ता	2.50	0.50	0.19	0.05	0.04	0.30	0.10	0.30	0.15	0.30
50	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	50.00	5.00	3.38	5.00	5.00	6.00	5.05	6.76	3.98	8.12
51	राष्ट्रीय जीव विज्ञानीय संस्थान, नोएडा (उ.प्र.)	170.90	20.00	14.40	25.10	26.07	40.00	60.00	47.00	44.25	34.40
52	स्वास्थ्य शिक्षा	12.60	2.20	0.27	1.50	0.40	1.50	0.00	1.50	0.02	1.50
53	स्वास्थ्य आसूचना और स्वास्थ्य लेखे										
	i. आसूचना	3.80	0.90	0.35	0.90	0.45	0.70	0.50	0.80	0.54	1.14
	ii. लेखे	3.00	1.00		1.00		1.00	0.00	0.00		1.00
54	खाद्य अपमिश्रण निवारण	78.00	8.00	1.81	8.00	4.86	25.00	3.21	3.10	2.65	3.10
55	केन्द्रीय औषधि मानक और नियंत्रण संगठन	52.00	15.00	5.75	12.00	5.60	12.00	4.00	11.14	9.46	12.76
56	पत्तन स्वास्थ्य प्राधिकरण										
	i) जवाहरलाल नेहरू पत्तन, शेवा	1.50	0.40	0.24	0.35	0.16	0.40	0.24	0.42	0.32	0.46
	ii) आठ नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कार्य	7.50	1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
57	डीजीएचएस का सुदृढीकरण										
	I. मंत्रालय के अधीन विभागों का सुदृढीकरण	12.00	3.00	2.76	3.00	2.43	3.00	2.76	3.00	2.10	3.00
	II. डीजीएचएस का सुदृढीकरण	8.00	2.00	0.67	2.00	1.47	1.50	0.63	1.60	0.92	1.30
58	स्वास्थ्य क्षेत्रक आपदा तैयारी तथा प्रबंधन	30.00	6.00	0.00	6.00	0.00	10.00	0.25	15.00	14.00	10.00
59	आरएचटीसी, नजफगढ़		0.00	0.00	5.00	1.48	0.00	0.00	0.00		
60	केन्द्रीय सकीमों के तहत नई पहल	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65.00
61	प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना					6.00	60.00	6.16	250.00	2.52	75.00
62	भुज अस्पताल						3.00	3.00	10.00	2.00	10.00
63.	एनर्जी मेडिकल रिलीफ (एवियन फ्लू)										40.00
	उप जोड	456.80	68.20	30.36	72.30	54.87	166.90	86.91	353.12	84.08	269.58
	जोड-I	4437.20	656.90	566.01	647.40	572.75	996.50	720.97	1466.80	948.10	1408.98
	जोड (I+II)	9253.00	1550.00	1359.82	1550.00	1325.81	2208.00	1772.36	2908.00	2239.52	3328.00

### 3.6 आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) परिचय

3.6.1 आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग पहले भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी (आईएसएम एंड एच) के नाम से जाना जाता था, ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके सोचे थे। इसका मूल उद्देश्य भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी पद्धतियों को मुख्य धारा में लाते हुए तथा जनशक्ति सहित विस्तृत साधनों का उपयोग करते हुए जो इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं, के विकास तथा इष्टतम प्रयोग के लिए ध्यान केन्द्रित करना था, ताकि स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाओं की उचित रूप से पहुंच, स्वीकार्य, सामर्थ्य योग्य तथा गुणात्मक तरीके से इसका विस्तार किया जाये।

3.6.2 यह विभाग ऐसा प्रयास कर रहा है, जिससे आयुष चिकित्सकों को मुख्य धारा में लाया जाये, ताकि वे पूरी देखभाल की व्यवस्था (में साथ) चिकित्सा की आधुनिक पद्धति के साथ पूरक चिकित्सा प्रदान करें। पूरे विश्व में भी, स्वास्थ्य रक्षा की पूरक पद्धति में विशेषकर न फैलने वाली बीमारियां, स्वाभाविक जीवन शैली संबंधित पुरानी बीमारियां तथा ऐसी बीमारियां जिनके निवारण हेतु आधुनिक पद्धति में प्रभावी दवाइयां नहीं है, के लिए पुनः रूचि पैदा हो गयी है।

3.6.3 पूरे देश में सात लाख से अधिक पंजीकृत आयुष चिकित्सक हैं, जिनमें से अधिकतर निजी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। भारत में आयुष स्वास्थ्य रक्षा संस्थानों का एक बहुत बड़ा सरकारी नेटवर्क भी है, जिनमें 1355 अस्पताल हैं, उनमें 53296 बिस्तर सुविधा है तथा 22,000 औषधालय हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा प्रदान कर रही हैं। प्रत्येक वर्ष 25,000 से अधिक आयुष चिकित्सक 456 विद्यालयों से अर्हता प्राप्त करते हैं।

3.6.4 दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिबिम्बित मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति:

- उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य देख-रेख प्रदाय पद्धति में आयुष पद्धति को मुख्यधारा में लाना।

- शैक्षिक संस्थानों को अधिक सशक्त एवं शिक्षा को उन्नत तथा प्रमाणिक बनाना।
- आंतरिक खपत के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को निश्चित करना तथा निर्यात क्षमता का भी पता लगाना।
- आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणिकता।
- पद्धतियां (सिस्टम) की स्थापना के प्रभाव व मान्यता के संबंध में अनुसंधान और विकास प्रयासों को मजबूत करना।
- शोध संस्थानों के अस्तित्व को सशक्त करना और हर पद्धति के लिए कम से कम एक राष्ट्रीय संस्थान सुनिश्चित करना।
- पद्धति के बारे में जागरूकता और उपलब्ध जानकारी को बढ़ावा देना।

3.6.5 उपरोक्त रणनीति के अंतर्गत, विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

#### केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाएं

3.6.6 आयुष (पद्धति-तंत्र) के उचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि हर पद्धति के लिए एक अलग राष्ट्रीय संस्थान हो, परिणामस्वरूप, 1976 में जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना हुई, 1975 में, कलकत्ता में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी और 1984 में, पूना में “नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नैचरोपैथी की स्थापना हुई। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा की नई इमारत तैयार हो गयी है और इसका प्रयोग हो रहा है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा और शोध के लिए बेहतर सुविधायें तथा उन्नत तरीके उपलब्ध हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडीसिन, बंगलौर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, चेन्नई को भी प्रचालन में लाया गया।

#### अनुसंधान परिषद (अंतर एवं बाह्य म्यूरअल अनुसंधान)

3.6.7 विभाग के पास चार अनुसंधान/शोध परिषद हैं जिनके नाम हैं - (1) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान

परिषद (सीसीआरएएस), (2) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम), (3) केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) और (4) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच)। ये परिषद अपने पद्धतियों में आंतरिक प्रयास तथा प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों एवं दूसरे निजी, अर्द्ध-सरकारी एवं विश्वविद्यालयों के सहयोग से शोध तथा विकास में लगे हुए हैं। यह विभाग अतिरिक्त मूराल रिसर्च स्कीम भी लागू कर रहा है जिसके अंतर्गत विशिष्ट संस्थानों, विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों को शोध परियोजनायें दी गयी हैं, जिसमें नैदानिक जांच, विधिमान्यकरण और दवा की क्षमता के प्राथमिकता के क्षेत्रों में शोध परियोजनायें दी जाती हैं। इन सभी शोध परिषदों को दिल्ली स्थित एक परिसर में “सेन्ट्रल काउंसिल कम्बाइन्ड बिल्डिंग काम्प्लेक्स” के नाम से स्थापित किया गया है।

### पारम्परिक डिजिटल ज्ञान पुस्तकालय (टीकेडीएल)

3.6.8 डिजिटल नॉलेज लाइब्रेरी आयुर्वेद नुसखों एवं नुसखों के नियमों के लिए, जोकि सार्वजनिक क्षेत्र में है, पेटेन्ट रजिस्टर करने के लिए स्थापित की गई थी। इसी तरह के प्रयास यूनानी और सिद्धा पद्धतियों के लिए शुरू किए गए हैं। आयुर्वेद टीकेडीएल (ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी) का प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूरा कर दिया गया है तथा आयुर्वेद के 36000 नुसखों (विधियों) को लिया गया है जो 14 प्राचीन पुस्तकों में शामिल हैं, टीकेडीएल में रखी गयी हैं। टीकेडीएल का दूसरा चरण शुरू किया गया है।

### स्वर्ण त्रिभुज योजना

3.6.9 भारत अपने तुलनात्मक फायदे तथा संबंधित शक्तियों को अपनी जैव विविधाओं (बायो डाइवर्सिटी) को उचित प्रयोग में लाने के लिए विश्व स्तर पर दावा कर सकता है। इस दिशा में आयुष विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को शामिल करते हुए एक केन्द्रीय क्षेत्रक गोल्डन ट्रिंएंगल स्कीम परिपालन के अंतर्गत चल रही है। गोल्डन ट्रिंएंगल पार्टनरशिप (साझा) का उद्देश्य है कि आधुनिक औषधी, पारम्परिक औषधी तथा

विज्ञान को प्रायोगिक आधार पर आयुर्वेद एवं पारम्परिक औषधी के ज्ञान के विकास के लिए विशेष बजट प्रदान करके एक इन्टीग्रेटेड टेक्नोलॉजी मिशन बनाया जाए। इस गोल्डन ट्रिंएंगल स्कीम का काम है - आधुनिक वैज्ञानिक साधनों तथा नवीनतम तकनीकी विकास का प्रयोग करते हुए, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध तथा योग से संबंधित पारम्परिक ज्ञान को मान्यता प्रदान हो, क्योंकि भारत के पास विश्व की जीव-विविधता लगभग 8 प्रतिशत है तथा प्राकृतिक पौधों, खनिज इत्यादि का दवाइयों में प्रयोग किया जाता है, जिसकी विस्तृत जानकारी पुराने साहित्य में उपलब्ध है। पारम्परिक औषधी, उपलब्ध औषधियों को सिद्ध करने के अतिरिक्त नयी विधियों (सूत्रों) के विकास के लिए प्रयोग किया जा सकता है। गोल्डन ट्रिंएंगल स्कीम का उद्देश्य इस कार्य को प्राप्त करना है।

3.6.10 पांच परियोजनाओं पर कार्य आरंभ कर दिया गया है। धातु आधारित भस्म के विषैलेपन की सुरक्षा का अध्ययन भी शुरू कर दिया गया है ताकि चिकित्सा की आयुर्वेद-पद्धति में प्रयोग हो रही जड़ी बूटियों और खनिज विधियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, धातु पर आधारित भस्म के विषैलेपन से बचने के लिए भी अध्ययन शुरू कर दिया गया है। केन्द्रीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने यूनानी में कार्य, फेफड़े संबंधी अस्थमा पर दिल्ली की पटेल चेस्ट संस्थान की सहायता से रोगी परीक्षण, माइग्रेन तथा एल्जेमरस् की बीमारी पर नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग के सहयोग से सहयोगिक (संयुक्त) अध्ययन, भोपाल में स्थित गांधी मेडीकल कॉलेज में मधुमेय-शर्करा (Diabetes mellitus) एक्जिमा, सोराइसिस पर रोगी परीक्षण, (नैदानिक परीक्षण) हैदराबाद स्थित डेकन मेडीकल कॉलेज में वाइरल हेपेटाइटिस व ड्ओडलन अल्सर पर एवं सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के सहयोग से नौ दवाओं पर अध्ययन प्रक्रिया पूरी की गयी है।

### अस्पताल और औषधालय

3.6.11 इस विभाग ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) आयुर्वेदिक अस्पताल, लोदी रोड को अपने अधीन लिया तथा इसको उन्नत करने के लिए इसे 25

बिस्तर वाले अस्पताल से 50 बिस्तर वाला अस्पताल बनाने का कार्य कर रहा है। यह विभाग अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान भी स्थापित कर रहा है। आयुर्वेद और पञ्चकर्म की एक विशेष शाखा निम्हंस, बंगलौर में खोली गयी है। सीजीएचएस औषधालयों के विस्तार के लिए योजना बनाई गयी है एवं लागू की जा रही है। उत्तरांचल स्थित मोहन में इंडियन मेडीसिन फार्मास्यूटीकल कारपोरेशन लि० के नवीनीकरण का दूसरा चरण प्रगति पर है।

### राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी)

3.6.12 आयुष औषध उद्योग के उत्साहवर्धन के लिए राज्य को कच्चे उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभानी चाहिए। विश्व में परम्परागत पद्धतियां विशेषतः आयुर्वेद तथा योग में पुनः रूचि उभरने को ध्यान में रखते हुए उचित कच्चे पदार्थों का एवं अच्छी औषधियों के उत्पादन से अच्छा निर्यात लाभ अर्जित हो सकेगा। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, केन्द्र स्तर पर व राज्य स्तर पर नीति बनाये, समन्वय तथा संपर्क के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई गयी है। इस बोर्ड ने इसके प्रोन्नति से संबंधित खेती तथा संरक्षण परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अहम (बड़े) कदम उठाये हैं। इसने 32 प्रकार के औषधीय पौधों को प्राथमिकता के आधार पर चुना है। तकनीकी योग्यता वाले स्वयं सेवक संगठनों (गैर सरकारी संगठन) पौधों के स्टॉक की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए जानकारी बढ़ाने में लगे हुए थे तथा औषधीय पौधों की खेती के लिए कृषि तकनीकी को बढ़ावा देने में शामिल थे। वाणिज्यिक/व्यवसायिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1500 नई परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं। 95,000 एकड़ जमीन जो अब तक प्रयोग हो चुकी है, के अतिरिक्त 30,000 एकड़ जमीन पर औषधीय पौधों को उगाने का प्रस्ताव है। औषधीय पौधों के लिए कृषि तकनीक प्रकाशित कर दी गई है। औषधीय पौधों पर बाजार जानकारियों के अध्ययन आरंभ कर दिये गये हैं तथा अच्छी कृषि और खेती-बाड़ी पद्धति (पेशे) को अंतिम रूप दे दिया गया है।

### सूचना, शिक्षा एवं प्रसारण (आईसीसी)

3.6.13 आयुष विभाग, आयुष के अंतर्गत विभिन्न

चिकित्साओं की क्षमता, उनकी लागत, प्रभाविकता तथा सामान्य बीमारियों की रोकथाम में प्रयोग होने वाली जड़ी-बूटी निमित्त औषधियों की उपलब्धता को सामान्य लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सूचना, शिक्षा तथा प्रसारण की योजना लागू कर रहा है। यह योजना देश व विदेश में आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए, भारत व विदेश में संगोष्ठी व कार्यशालाओं में सहभागिता के लिए प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, ज्ञानवर्धक यात्रायें, दक्षता की उत्कृष्टता, मेलों में सहभागिता, बाजार आधारित अध्ययन, पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन आदि के लिए सहायता प्रदान करते हुए विभिन्न गतिविधियां शामिल करती है। इस योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को आम जनता में आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों के आयोजन के लिए, जिनमें संदेश को फैलाने के लिए विभिन्न दूरदर्शन चैनलों का प्रयोग भी शामिल है, के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

3.6.14 2001 में आयोजित किए गये आरोग्य स्वास्थ्य मेला की सफलता से प्रेरित होकर आयुष विभाग अपनी सूचना, शिक्षा तथा प्रसारण (आईसीसी) योजना के अंतर्गत पहल करते हुए स्वास्थ्य मेलों को क्षेत्रीय दावेदारों के और करीब ले जा रहा है। सितम्बर, 2005 में, दिल्ली के प्रगति मैदान में आरोग्य मेला आयोजित किया गया था, इसमें 134 संगठनों ने भाग लिया और 3 लाख से अधिक आगन्तुकों को आकर्षित किया। नवम्बर, 2005 में हैदराबाद में आरोग्य मेला आयोजित किया गया था, इसमें 70 संगठनों ने भाग लिया और लगभग 3 लाख आगन्तुक इसकी ओर आकर्षित हुए। यूनानी, होम्योपैथी, नैचरोपैथी और सिद्ध पद्धतियों के प्रचार के लिए एनएफडीसी द्वारा छोटी फिल्में बनाई गयीं और इस मेले में दिखाई गईं। आगन्तुकों के उत्साहवर्धक सहभागिता के लिए आरोग्य पर तमिल, तेलुगू और अंग्रेजी भाषा में दृश्य-स्थल (वीडियो-स्पॉट) भी उपलब्ध कराये गये।

3.6.15 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग ने जून, 2005 में कनेक्टीकट विश्वविद्यालय में अमरीकी चिकित्सा-विद्यार्थियों (मेडीकल स्टूडेंट्स) के लिए अल्प अवधि ज्ञान प्राप्ति पाठ्यक्रम आयोजित किया। आयुष

विभाग ने चीन से दो साल के लिए एशिया पेसीफिक ट्रेडिशनल मेडीसिन नेटवर्क (एपीटीएमएनईटी) की अध्यक्षता भी ली। इटली सरकार की सामाजिक मामलों की कमेटी का प्रतिनिधि मंडल भारत आया और आयुर्वेद की चिकित्सीय प्रबंध सीखने के लिए तथा भारत की परम्परागत चिकित्सीय पद्धति को सीखने के लिए आयुष विभाग से मिला। थाइलैंड का प्रतिनिधि मंडल भी आयुष विभाग से मिलने आया। भारत के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रथम “इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन काम्प्लीमेन्टरी एंड एलट्रनेटिव मेडीसिन” जो कि सिंगापुर में आयोजित किया गया था, तथा “वीमेन्स हैल्थ एंड एशियन ट्रेडिशनल मेडीसिन” (डब्ल्यूएचएटी) के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि क्वालालम्पुर में आयोजित किया गया, में भाग लिया।

### अन्य कार्यक्रम और योजनाएं

3.6.16 आयुष विभाग दूसरी अन्य कई प्रधान (केन्द्रीय) योजनाओं को लागू कर रहा है, जिनका उद्देश्य इन पद्धतियों को बढ़ावा देना है। उसके लिए सम्मेलनों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान करना, भारत और विदेशों में कार्यशालाएं, प्रशिक्षण, अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) एक्सपोजर यात्राएं, दक्षता उन्नयन, स्वास्थ्य मेलों में हिस्सेदारी, बाजार निरीक्षण संचालित करना, पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन, हस्तलेख, प्रकाशन और एक्यूजिशन आदि कार्य शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप - अमेरिका, इंग्लैंड, लेटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका, रूस, स्वीडन, हंगरी, मैक्सिको, तजाकिस्तान, दक्षिण-पूर्वी एशियन देशों आदि में आयुष पद्धति के प्रति रूचि एवं मांग बढ़ी है।

### केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं संस्थानों का विकास

3.6.17 देश में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी कॉलेज/शिक्षण संस्थाओं की संख्या 456 है। यह पाया गया है कि कई शिक्षण संस्थानों में निर्धारित मानकों का अनुसरण नहीं किया जाता। आधारित संरचना में इन अति आवश्यक कमियों को दूर करने के लिए विद्यालयों की सहायता के लिए, शिक्षण संस्थानों के विकास में सहायता के लिए यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत

सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों/संस्थानों को उन्नत बनाने के लिए, पुस्तकालय आदि के विकास के लिए सहायता दी जा रही है तथा उनकी मान्यता/पहचान के लिए उनको शक्तिशाली कर केन्द्रीय औषधी अनुसंधान परिषद (सीसीआईएम) और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच) द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारीक संरचना के मानकों को उपलब्ध करना। इस योजना के अंतर्गत, विभाग और विस्तृत सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में हर पद्धति के लिए एक आदर्श संस्थान स्थापित करने के लिए 3 करोड़ रुपये निवेश कर रहा है।

### अस्पताल एवं औषधालय

3.6.18 आयुष पद्धतियों का एकीकरण एवं अस्पताल की देखभाल सुविधाओं को उन्नत करना दसवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य क्षेत्र है। इस योजना का कुल उद्देश्य है कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी पद्धतियों की क्षमताओं का निर्माण करना और उनके लाभों को जनता के लिए विस्तृत रूप में उपलब्ध करना, जिससे लोगों के पास इलाज के लिए देशीय और परम्परागत दवाइयां उपलब्ध हों तथा उनके पास उनकी रूचि के अनुसार अधिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। इस योजना के अंतर्गत, विभाग आईएसएम पॉलीक्लीनिक, थैरेपी क्लीनिक, विशिष्ट क्लीनिक और आयुष शाखाओं की स्थापना के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। गरीब परिवारों के स्वास्थ्य संरक्षण के वायदे को पूरा करने के लिए, विभाग सहायता के लिए ग्रामीण औषधालयों को आयुष पद्धति के अंतर्गत सभी आवश्यक औषधियां प्रदान कर रहा है। औषधालयों में अभी तक इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की गयी है। आयुष विभाग ने प्रति औषधालय की सहायता राशि को 25 हजार रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष दुगुना कर दिया है।

### औषधी-गुणवत्ता नियंत्रण

3.6.19 इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसी केन्द्रीय सरकारी संस्थाएं जो शोध, दवा परीक्षण, भेषज्य के मानक बनाने में संलग्न हैं, के पास आधुनिक स्थिति की प्रयोगशालाएं तथा दूसरे आधारीक संरचना की सहायता मिलनी चाहिए।

गाजियाबाद स्थित चिकित्सा की भारतीय पद्धति का औषध ग्रन्थ (पीएलआईएम) तथा होम्योपैथिक औषध ग्रन्थ प्रयोगशाला दवा भारतीय पद्धति की औषधियां एवं होम्योपैथी परीक्षण की मुख्य प्रयोगशालाएं हैं। इन प्रयोगशालाओं का उन्नयन किया जा रहा है। हालांकि पर्याप्त भारतीय पद्धति की औषधियां एवं होम्योपैथी परीक्षण प्रयोगशालाओं के पर्याप्त संख्या के अभाव में, गुणवत्ता पर नियंत्रण को सुनिश्चित करना अभी भी मुख्य समस्या है क्योंकि राज्यों में आयुष औषधियों के परीक्षण तथा फार्मसीज के विकास के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, राज्य स्तर पर दवा-परीक्षण प्रयोगशालाएं या तो अपर्याप्त हैं या नहीं के बराबर हैं।

3.6.20 आयुष विभाग ने सही निर्माण की पद्धतियों (जीएमपी) के लिए अधिसूचित मानकों को अंतिम रूप दे दिया है। फार्माकोपोइया के मानकों तथा औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सशक्त बनाने के लिए प्राथमिकता दे दी गयी है। इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेशीय औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा फार्मसीज को सशक्तीकरण करना, आईएसएम एंड एच दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रवर्तन क्रियाविधि का सशक्तीकरण करना है। प्रदेश औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं और भारतीय पद्धति की औषधियां एवं होम्योपैथी दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं और प्रदेशी फार्मसीज को सशक्त बनाया गया है। आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी दवाओं की गुणवत्ता मानकों को विकसित करने के लिए विश्वविद्यालयों और सीएसआईआर प्रयोगशालाओं को सम्मिलित किया गया है।

### वार्षिक योजना 2005-06 की समीक्षा

3.6.21 आयुष विभाग का 2004-05 का योजनाबद्ध वित्तीय निष्पादन जिसमें वास्तविक व्यय के साथ, 2005-06 का स्वीकृत परिव्यय/व्यय(अस्थायी) तथा 2006-07 का बजट अनुमान संलग्नक 3.6.1 पर है। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं के अंतर्गत दसवीं योजना के अलग-अलग वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को दी गई राशि संलग्नक 3.6.2 पर है।

### जनजाति उपयोजना (टीएसपी) तथा अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) के लिए राशि का विभाजन

3.6.22 आयुष विभाग की अधिकांश योजनाएं इस प्रकार की हैं कि टीएसपी तथा एससीपी के अंतर्गत अलग-अलग राशि का बंटवारा संभव नहीं है। यद्यपि विभाग ने कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत राशि की मात्रा की आवश्यकता के लिए प्रयास किये हैं। इनका ब्यौरा संलग्नक 3.6.3 पर दिया गया है।

### 2005-06 की मुख्य उपलब्धियां

3.6.23 आयुष पद्धतियों के देश में विकास तथा लोकप्रिय बनाने के लिए विभाग की उपलब्धियां/पहल नीचे दी गयी हैं

- पारम्परिक ज्ञान डिजिटल पुस्तालय (टीकेडीएल) परियोजना के द्वितीय चरण को शुरू कर दिया गया था तथा 45 चुने गये उच्च श्रेणी के आयुर्वेद में से लगभग 65 हजार विधियों को डिजिटलाइजेशन के लिए लिया गया है, इनमें से यूनानी औषधियों पर टीकेडीएल परियोजना के अंतर्गत 23000 विधियों के लिखने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है, 77000 यूनानी विधियों के दस्तावेजों बनाने के लिए 14 यूनानी टिब्व पुस्तकें ढूंढी गयी हैं, टीकेडीएल (सिद्ध) के कार्य दल ने 10000 विधियों के डिजिटलाइजेशन के लिए सिद्ध के 14 पाठ ढूंढे हैं।
- पीएल आईएम तथा एचपीएल के लिए गाजियाबाद में नई इमारत परिसर बनायी गयी थी।
- राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान, बंगलौर का प्रथम चरण का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। अलग-अलग श्रेणी के रिक्त पद भरे गये थे, विद्यार्थियों का प्रथम समूह का शैक्षिक सत्र आरंभ हुआ तथा संस्थान के आधारिक संरचना की सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रयास किये गये थे।
- मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली में आधुनिक सुविधाओं सहित नया परिसर का निर्माण किया गया।
- सरिता विहार, नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद

संस्थान बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की गयी। इस संस्थान में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित 4.5 एकड़ जमीन पर 500 बिस्तर वाला अस्पताल बनेगा। यह संस्थान स्नातकोत्तर शिक्षा भी देगा तथा आयुर्वेद में अनुसंधान भी करेगा।

- एक व्यापक प्रदर्शनी, आरोग्य-2005 जिसे 23-27 सितम्बर, 2005 के दौरान दिल्ली में, हैदराबाद में 11-15 नवंबर, 2005 के दौरान आयुष पद्धति की सामर्थ्य की, आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजन किया गया।
- आयुष विभाग ने सीएसआईआर, आईसीएमआर के साथ आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध तथा योगा के पारम्परिक ज्ञान के विधिमान्यकरण के लिए एक गोल्डन ट्रिपल पार्टनरशिप (जीटीपी) शुरू किया।
- आयुष विभाग ने भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय फार्मसी परिषद 2005 का गठन किया जो संसद में पेश किया गया।
- मानक से नीचे चल रहे अवांछनीय कॉलेजों की वृद्धि रोकने के लिए तथा वर्तमान कॉलेजों में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी की शिक्षा मानकों के सुधार के लिए, सीसीआईएम द्वारा आईएमसीस (सुधार) एक्ट-2003 के सेक्सन-13-ए के अंतर्गत आवश्यक परिवर्तनों को अधिसूचित किया गया।
- भारतीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस), चेन्नई का माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 3 सितम्बर, 2005 को उद्घाटन किया गया तथा इस संस्थान में नर्सिंग, कम्पाउन्डर एवं फार्मसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया।
- राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में आयुर्वेद कम्पाउन्डर/नर्सिंग प्रशिक्षण में 3 साल का डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा आयुर्वेद (पञ्चकर्म) में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ कर दिया गया है।
- 86 जिला अस्पतालों में आयुष शाखाएं खोली गयीं तथा आयुष की 325 विशिष्ट क्लीनिकों को सहायता प्रदान की गई।
- 30 ओपीडी क्लीनिक्स/पॉली क्लीनिक्स स्थापित की गयी तथा ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में 7615 एएसयू एंड एच औषधालयों को आवश्यक दवाइयों की पूर्ति की गई।
- आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी तथा होम्योपैथी के एक सौ पैंतालीस (145) शैक्षिक संस्थाओं को उनके आधारिक संरचना के सुधार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गयी, जिनमें से सात (7) आयुष विद्यालयों को उनके अपने अलग-अलग पद्धतियों में आदर्श विद्यालयों के विकास के लिए सहायता प्रदान की गयी।
- विनिर्माण की इकाइयों के लिए उचित विनिर्माण पद्धति (जीएमपी) को अनिवार्य किया गया तथा राज्य सरकारों को निर्देश दिये गये कि ऐसी विनिर्माण इकाइयां जो उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं करेंगी उनका लाइसेंस रद्द किया जाये। इसी प्रकार पौधा-आधारित विधियों के लिए, कठोर धातुओं को अनुमेय सीमा के अंतर्गत आंकने के लिए 1.1.2006 से अनिवार्य कर दिया गया। मिश्रण की सूची का लेबल लगाने का प्रावधान अनिवार्य किया गया। आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की दवाइयों की अवधि/समाप्ति तिथि को सूचित करना भी अनिवार्य किया जा रहा है।
- इंडियन मेडीसिन फार्मासेटीकल कारपोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल), मोहन, उत्तरांचल ने रुपये 8.42 करोड़ की बिक्री करके कीर्तिमान स्थापित किया इस कंपनी ने लगातार दो वर्षों में बिक्री में 30 प्रतिशत से अधिक वार्षिक वृद्धि पंजीकृत की।
- औषधीय पौधों को बढ़ावा तथा वाणिज्य योजनाओं के लिए लगभग 1500 नई परियोजनाओं की शुरुआत की गई।
- औषधीय पौधों के लिए अच्छी कृषि और खेती की पद्धति को अंतिम रूप दिया गया।
- जम्मू, नागपुर तथा चिरूथूथी में आयुर्वेद की केन्द्रीय अनुसंधान संस्थानों पर निर्माण कार्य प्रगति पर रहा तथा श्रीनगर की यूनानी औषधि की क्षेत्रीय अनुसंधान इकाई का निर्माण का प्रथम चरण पूरा किया गया। सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथीज

इंस्टीट्यूट, नोएडा का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।

## नई पहल संस्थानों को राशि भुगतान

3.6.24 नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतराल तक संस्थानों के विकास की योजना एक केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम थी, जिसके द्वारा संस्थानों को सीधे राशि दी जाती थी, परन्तु दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में यह योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना द्वारा अभिहित कर दी गई। यद्यपि जब इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना को राज्यों से प्रचालित करते हुए, यह पाया गया कि विभिन्न गतिविधियों के अनुपालन के लिए रखी गई राशि लक्ष्य किए संस्थानों को ठीक समय पर नहीं पहुंच पा रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए, स्टेट हेल्थ सोसाइटीज (एससीओवीए) द्वारा वर्ष 2007-08 से राशि वितरण के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

## राष्ट्रीय साझा अल्प कार्यक्रम (एनसीएमपी) का अनुपालन

3.6.25 राष्ट्रीय साझा अल्प कार्यक्रम (एनसीएमपी) अगले पांच सालों में सरकारी खर्च को जीडीपी का कम से कम 2-3 प्रतिशत स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर जोर देता है। सबके लिए स्वास्थ्य का अन्ततः लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है यदि आयुष पद्धतियों के विशाल आधार संरचना को आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से सम्पूर्ण तरीके से जोड़ा जाये तथा मुख्यधारा में शामिल किया जाए। इस दृष्टि से, आयुष विभाग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई योजनाएं प्रस्तावित की हैं तथा चल रही योजनाओं में परिवर्तन किया है।

## राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन

3.6.26 राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन के अंतर्गत, चिकित्सा की आयुष पद्धति को मुख्यधारा में लाने पर विचार किया गया है। आयुष को सवास्थ्य देखभाल की आधारिक संरचना में एकीकरण करने का उद्देश्य यह है कि वर्तमान जन स्वास्थ्य देखभाल की प्रदान करने की व्यवस्था को

प्राकृतिक, सुरक्षित तथा रोगी कल्याणकारी उपचार जो समयानुसार परीक्षित है, प्राप्त करने योग्य है एवं खरीदने योग्य है, के प्रयोग करते हुए लागू करना है। आयुष सुविधाओं को पीएचसी/सीएचसी स्तर पर शामिल करने के लिए तथा राज्य आरोग्य मिशन, जिला आरोग्य मिशन, रोगी कल्याण समितियों में आयुष के प्रतिनिधित्व के लिए मार्गदर्शिका जारी की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन के अंतर्गत आशा को आयुष से संबंधित पद्धति का पर्याप्त प्रशिक्षण देने पर विचार किया गया है। यह भी प्रस्तावित है कि आयुष औषधालय/अस्पताल तथा ऐलोपैथिक पद्धति के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के बीच में पूरा प्रकार्यात्मक एकीकरण हो ताकि उपचार का सम्पूर्ण ढांचा ग्रामीण जनता के लिए सहनीय दाम पर उपलब्ध हो सके।

## केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का मूल्यांकन

3.6.27 आयुष विभाग की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के परिणामों/प्रभावों का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है, वे स्कीमों हैं -

i) संस्थानों का विकास ii) अस्पताल एवं औषधालय iii) ड्रग गुणवत्ता नियंत्रण वर्तमान में प्रगति पर है। मूल्यांकन निरीक्षणों, क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, संबंधित केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अधिकारियों, स्कीमों के लाभार्थियों व संबंधित पणधारियों के साथ की गई परिचर्चा पर आधारित हैं।

## मूल्यांकन अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य हैं:

- प्रत्येक स्कीम के लिए अलग से गुणवत्तापूर्ण एवं मात्रात्मक रूप में परिणाम हासिल करना। अध्ययन से स्कीम के कार्यान्वयन में यदि कोई बाधाएं हैं, तो उन्हें दूर करना है ताकि विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके, ताकि स्वास्थ्य सुलभता तंत्र की क्षमता और जवाबदेही में वृद्धि की जा सके।
- सरकार को यह निर्णय लेने में सहायता करना कि मौजूदा स्कीमों को जारी रखा जाए या उनके निर्धारित उद्देश्यों और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उन में सुधार किया जाए।

संलग्नक 3.6.1

स्कीमवार दसवीं योजना परिव्यय और व्यय

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	दसवीं योजना परिव्यय	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07
			परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें								
(क)	संस्थानों का विकास	12000.00	2195.00	2450.25	2620.00	2812.00	3756.00	1285.00	5001.00
(ख)	अस्पताल और औषधालय	5900.00	1281.00	1459.36	2002.00	3830.00	9000.00	5073.00	11002.00
(ग)	औषधि गुणवत्ता नियंत्रण	4540.00	678.00	935.90	703.00	1133.00	1000.00	50.00	1100.00
	<b>जोड़ (क)</b>	<b>22440.00</b>	<b>4154.00</b>	<b>4845.51</b>	<b>5325.00</b>	<b>7775.00</b>	<b>13756.00</b>	<b>6408.00</b>	<b>17103.00</b>
ख	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें								
(क)	आयुष विभाग को सुदृढ़ करना	2250.00	574.00	503.92	577.00	569.00	580.00	225.00	610.00
(ख)	शिक्षा संस्थान	11650.00	2430.00	2785.04	2963.00	2951.00	3400.00	954.00	3367.00
(ग)	सांविधिक संस्थान	265.00	32.00	10.89	33.00	22.00	125.00	6.00	70.00
(घ)	अनुसंधान परिषद (आन्तर और बाह्य म्यूअचल अनुसंधान	13600.00	2586.00	2829.45	3282.00	3845.00	5451.00	2577.20	6689.00
(ङ)	अस्पताल और औषधालय	2894.00	262.00	42.33	281.00	1395.00	3700.00	11.00	1650.00
(च)	औषधीय पौधे	9800.00	2000.00	1829.09	2305.00	2755.00	3000.00	2082.00	3800.00
(छ)	फार्माकोपिजल प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण	2650.00	736.00	25.27	922.00	78.00	897.00	23.00	545.00
(ज)	सूचना, शिक्षा और संचार	1900.00	425.00	38.57	326.00	392.00	400.00	16.00	420.00
(झ)	अन्य कार्यक्रम और स्कीमें	10046.00	1800.00	195.43	2085.00	94.00	3690.00	47.00	4045.00
	दसवीं योजना के दौरान नई पहलें	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	<b>जोड़ (ख)</b>	<b>55060.00</b>	<b>10846.00</b>	<b>8259.99</b>	<b>12775.00</b>	<b>12101.00</b>	<b>21244.00</b>	<b>5941.20</b>	<b>21197.00</b>
	<b>जोड़ सकल</b>	<b>77500.00</b>	<b>15000.00</b>	<b>13105.50</b>	<b>18100.00</b>	<b>19876.00</b>	<b>35000.00</b>	<b>12349.20</b>	<b>38300.00</b>

आयुष विभाग के संबंध में केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाएं (सीएसएस) के तहत राज्यवार जारी राशि

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थानों का विकास					औषधि काटि नियंत्रण					अस्पताल और औद्योगिक				
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	आन्ध्र प्रदेश	42.56	319.79	308.76	352.20	2.47	85.00	52.94	126.90	230.00	0.00	20.57	25.50	239.81	1310.50	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.40	100.00	0.00	0.00	6.05	99.05	40.00	50.25	36.00
3	असम	7.20	20.00	128.95	20.66	0.00	110.00	82.37	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	86.50	840.00	0.00
4	बिहार	0.00	3.73	15.00	620.00	0.00	0.00	0.00	15.70	0.00	5.57	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	55.83	107.59	16.34	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	5.57	16.50	349.14	1426.50	172.75	
6	गोवा	0.00	12.00	159.37	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	
7	गुजरात	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	हरियाणा	54.00	99.00	196.76	204.36	12.00	0.00	65.00	25.00	0.00	5.57	0.00	146.25	214.00	0.00	
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	2.94	0.00	17.80	212.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	20.57	47.50	111.75	123.75	
10	जम्मू व कश्मीर	13.59	210.29	58.76	33.40	4.00	106.02	0.00	56.25	0.00	29.82	50.00	202.00	276.25	0.00	
11	झारखंड	0.00	12.00	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	14.25	100.00	667.25	843.25	
12	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	258.06	0.00	5.57	0.00	0.00	42.50	
13	केरल	122.25	272.64	262.91	461.92	175.50	0.00	45.00	20.24	54.43	20.57	80.00	196.19	215.50	10.00	
14	मध्य प्रदेश	79.53	176.97	326.50	102.97	0.00	90.00	55.14	91.85	79.96	5.00	287.75	50.47	613.75	0.00	
15	महाराष्ट्र	35.42	261.00	176.59	402.38	162.87	0.00	0.00	45.90	0.00	5.57	124.50	292.68	403.87	489.89	
16	मणिपुर	163.60	208.73	107.45	214.16	15.86	0.00	9.77	0.00	0.00	5.57	19.52	17.89	216.75	67.00	
17	मेघालय	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	37.75	44.00	10.87	0.00	
18	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.62	0.00	0.00	5.30	166.60	0.00	106.90	0.00	
19	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00	2.50	350.00	0.00	0.00	
20	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	2.50	295.77	845.00	137.00	
21	पंजाब	22.93	444.43	110.00	112.00	0.00	0.00	0.00	96.34	5.00	5.57	15.00	123.00	162.50	22.00	
22	राजस्थान	0.00	22.00	24.00	14.00	0.00	0.00	5.25	24.61	100.00	20.57	18.75	18.75	605.50	864.75	
23	सिक्किम	5.37	35.97	164.80	9.42	18.66	90.00	5.03	75.00	335.43	20.57	10.00	387.57	1081.25	864.75	
24	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	
25	त्रिपुरा	0.00	15.00	365.00	138.43	0.00	45.00	20.00	55.00	150.00	4.02	218.50	210.51	1915.50	0.00	
26	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	206.78	0.00	0.00	0.00	14.69	147.50	0.00	14.69	
27	उत्तरांचल	36.04	31.86	108.04	392.02	134.94	20.00	0.00	15.75	0.00	5.57	0.00	179.25	333.75	523.00	
28	पश्चिम बंगाल	10.00	235.14	62.92	21.88	187.00	0.00	100.00	134.72	265.34	20.57	51.75	134.75	506.50	120.50	
29	अंडमान व निकोबार द्वीप	34.61	10.00	125.69	332.88	2.90	0.00	0.00	49.74	85.00	5.30	145.50	100.55	530.00	433.75	
30	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	दादर नगर हवेली	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>जोड़</b>	<b>637.10</b>	<b>2450.25</b>	<b>2823.97</b>	<b>3494.30</b>	<b>928.20</b>	<b>546.02</b>	<b>935.89</b>	<b>1133.00</b>	<b>1813.22</b>	<b>234.07</b>	<b>1459.36</b>	<b>3824.33</b>	<b>11914.64</b>	<b>5072.15</b>	

नोट:- 2006-07 के लिए आंकड़े 30 सितम्बर, 2006 तक हैं

संलग्नक 3.6.3

(रुपये लाख में)

ट्राइबल सब प्लान (टीएसपी) और विशेष कंपोनेन्ट प्लान (एससीपी) में आबंटन/व्यय विवरण

ट्राइबल सब प्लान (टीएसपी)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वास्तविक 2004-05		बीई 2005-06		आरई 2005-06		बीई 2006-07	
		कुल आबंटन	ऑफ व्हिच टीएसपी	कुल आबंटन	ऑफ व्हिच टीएसपी	कुल आबंटन	ऑफ व्हिच टीएसपी	कुल आबंटन	ऑफ व्हिच टीएसपी
1	एनएआई - जयपुर	397.00	3.00	500.00	40.00	445.00	3.00	500.00	40.00
2	सीसीआरएस - नई दिल्ली	840.00	67.20	1250.00	100.00	1250.00	100.00	1660.00	132.80
3	सीसीआरएच - नई दिल्ली	719.00	48.32	1100.00	48.00	900.00	51.00	1200.00	96.00
4	सीसीआरएएम - नई दिल्ली	1375.00	101.00	1150.00	92.00	1150.00	92.00	1600.00	128.00

विशेष कंपोनेन्ट प्लान (एससीपी)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वास्तविक 2004-05		बीई 2005-06		आरई 2005-06		बीई 2006-07	
		कुल आबंटन	ऑफ व्हिच टीएसपी	कुल आबंटन	ऑफ व्हिच टीएसपी	कुल आबंटन	ऑफ व्हिच टीएसपी	कुल आबंटन	ऑफ व्हिच टीएसपी
1	एनएआई - जयपुर	397.00	3.00	500.00	75.00	445.00	3.00	500.00	75.00
2	सीसीआरएस - नई दिल्ली	840.00	126.00	1250.00	187.50	1250.00	187.50	1660.00	249.00
3	सीसीआरएच - नई दिल्ली	719.00	90.60	1100.00	90.00	900.00	69.00	1200.00	180.00
4	सीसीआरएएम - नई दिल्ली	1375.00	142.50	1150.00	172.50	1150.00	172.50	1600.00	240.00

### 3.7 परिवार कल्याण

#### प्रस्तावना

3.7.1 भारत विश्व के भूतल क्षेत्र का लगभग 2.4% भूभाग है परन्तु यह विश्व की आबादी के 16.7 प्रतिशत अंश का पोषण और जीविका प्रदान करता है। आबादी के बढ़ने के साथ-साथ, देश के संसाधनों पर संख्या का दबाव पड़ना लाजमी है। पिछले 50 वर्षों में सन् 1951 से देश की आबादी 36.11 करोड़ से बढ़कर 2001 में 102.70 करोड़ हो गई है। जनसंख्या में वृद्धि की रफ्तार बढ़कर 1971-81 में उच्चतम स्तर तक पहुँच गई, जिसके बाद गिरावट का रुख शुरू हो गया है। यह गिरावट पिछले दशक के दौरान अधिक अभिव्यक्त हुई जब औसत वार्षिक घातांकी (exponential) वृद्धि दर 1981-91 के दौरान 2.14% से घटकर 1991-2001 में 1.93 प्रतिशत हो गई। जनसंख्या संबंधी प्रक्षेपन, जनन क्षमता और मृत्यु दरों की अवधारणाओं पर निर्भर करते हुए तैयार किए गए हैं। तथापि, ये प्रक्षेपण अनेक चरों (variable) से जिनमें वह जोश शामिल है, जिसके साथ बीच की अवधि में जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है, प्रभावित हो सकता है। यह बात सर्वमान्य है कि जनसंख्या का स्थिरीकरण निरंतर विकास को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य अपेक्षा है। भारत की यह खासियत रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम बहुत पहले 1952 में शुरू किया गया था।

3.7.2 प्रौद्योगिकी प्रोन्नतियों तथा उन्नत गुणवत्ता तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की व्याप्ति के परिणामतः क्रूड मृत्यु दर (सीडीआर) में त्वरित गिरावट आई है- सन् 1951 में यह प्रति 1000 पर 25.1 थी जो 2004 में घट कर 7.5 हो गई तथा क्रूड जन्म दर 1951 में 40.8 से घट कर 2004 में 24.1 हो गई। अन्य जनांकिकीय उपलब्धियां हैं

- सन 1951 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जात बालकों में से 146 की संख्या घट कर 2005 में 58 रह गई है।
- सन् 1951 में कुल जनन क्षमता दर (TFR) प्रति महिला 6.0 बच्चों से घट कर 2002 में 3.0 हो गई है।

- सन् 1998 में मातृ मृत्यु दर (MMR) में कमी आई है। प्रति 100,000 जीवित जात बालकों पर मातृ मृत्युदर सन् 1998 में 407 घट कर 2001-2003 में 301 रह गई है।

3.7.3 जनन क्षमता मृत्युदर तथा जनसंख्या संवृद्धि दर में घटौती ही प्रमुख लक्ष्य है जिसका दसवीं योजना में प्रस्ताव लिया गया है। मानिटर करने योग्य 11 लक्ष्यों में से तीन हैं :

- ❖ शिशु मृत्यु दर को घटा कर सन् 2007 तक प्रति 1000 जीवित जात बालकों में 45 तथा 2012 तक प्रति 1000 जीवित जात बालकों में 28 करना।
- ❖ मातृक मृत्यु अनुपात को घटाकर सन् 2007 तक प्रति 1000 जीवित जात बालकों में 2 तथा 2012 तक प्रति 1000 जीवित जात बालकों में 1 करना।
- ❖ 2001-2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय संवृद्धि दर में घटौती करके 16.2 प्रतिशत करना।

#### जनसंख्या स्थिरता

3.7.4 राष्ट्रीय परिवार कल्याण/पुनरूत्पादक तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो अब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अभिन्न संघटक है, शतप्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है और उसे राज्य सरकारों या उनके अभिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमों को इस उद्देश्य से कार्यान्वित किया जाता है कि वर्ष 2010 तक जनन क्षमता को प्रतिस्थापन स्तर तथा वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त की जा सके।

3.7.5 प्रमुख राज्यों में तमिलनाडु और केरल राज्यों ने जनन क्षमता का प्रतिस्थापन स्तर पहले ही प्राप्त कर लिया है। कुल जनन क्षमता दर के अनुमानों से संबंधित नवीनतम सूचना वर्ष 2002 के लिए उपलब्ध है। जनन क्षमता का प्रतिस्थापन स्तर अर्थात् 2.1 की कुल जनन क्षमता दर (TFR) को प्राप्त कर लेने का मोटे तौर पर अर्थ 21 से कम की जन्म दर प्राप्त करना है। वर्ष 2004 के लिए SRS अनुमानों के अनुसार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल राज्यों ने 21 से कम की जन्म दर

रिकार्ड की है। इस प्रकार, इन राज्यों ने जनन क्षमता का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त कर लिया है या प्राप्त करने की तैयारी में है। गुजरात तथा कर्नाटक राज्य भी बहुत पीछे नहीं है। उत्तरांचल और उड़ीसा को छोड़कर आठ अधिकृत कार्य समूह (EAG) राज्यों में जन्म दरें राष्ट्रीय औसत से महत्वपूर्ण रूप से ऊंची हैं। असम, गुजरात, मेघालय, हरियाणा तथा दादरा व नगरहवेली राज्यों में भी जन्म दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। प्रसंगत, इन राज्यों में शिशु मृत्युदरें भी अपेक्षाकृत ज्यादा हैं।

### शिशु मृत्यु दर

3.7.6 शिशु मृत्यु दर में गिरावट काफी प्रभावी रही है। यह 1950 के दशक में 146 प्रति 1000 जीवित जात शिशुओं से भी अधिक के स्तर से 2004 में घटकर 58 रह गई है। तथापि, प्रसव पश्चात मृत्यु दर नव प्रसव मृत्यु की अधिक तेजी से घटी है जिसका अर्थ यह निकलता है कि प्रसव पूर्व और प्रसूति संबंधी सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग सीमित है, भारत में विवाह कम आयु में हो रहे हैं जिससे शिशु और माता दोनों के लिए बच्चे में जन्म के समय जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। जन्म के समय कुशल प्रसव परिचर्या तक पहुँच में वृद्धि करने हेतु नये कार्यक्रमों के परिणामतः गिरावट की गति में तेजी आएगी।

### मातृक स्वास्थ्य

3.7.7 मात्र संख्या के आधार पर भारत में किशोरियों का महत्वपूर्ण समूह है। भारत में ऐसी महिलाओं की संख्या काफी है जो छोटी आयु में ही गर्भधारण और जनन की प्रक्रिया से गुजरती हैं, हांलाकि छोटी आयु में विवाह कानूनन वारित है। इसका अभिप्राय यह है कि यौन संबंधी गतिविधियां जल्दी शुरू हो जाती हैं, गर्भधारण करने और जनन प्रक्रिया से अनेक किशोरावस्था लड़कियों को प्रजनन पक्ष की क्षति, मातृक, गर्भधारण संबंधी जटिलताओं, नव प्रसव मृत्यु, गर्भपात से संबद्ध जटिलताएं तथा जन्म के समय कम वजन आदि के रूप में प्रसूति संबंध खतरे झेलने पड़ते हैं। RCH कार्यक्रम में, सूचना परामर्श तथा सेवाओं के लिए किशोरियों की अपूर्ण जरूरतों की तरफ ध्यान देने के लिए कार्रवाईयों की योजना बनाई जा रही है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000

में भी इस बात को मान्यता मिली है कि किशोरों और युवकों/युवतियों का समूह, जिनकी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, संबंधी जरूरतें होती हैं, की ओर कम ध्यान दिया जा रहा है। लड़कों तथा लड़कियों दोनों में स्कूल जाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने तथा शिक्षा में लैंगिक भेद-भाव को कम करने के प्रयासों के साथ-साथ राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में जोखिम पूर्ण यौन अनुक्रिया के परिणाम के बारे में युवा लोगों में अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से विवाह को विलंबित करने के उपायों के महत्व पर बल दिया गया है।

3.7.8 भारत में मातृक तथा बाल स्वास्थ्य (MCH) देख भाल सेवाएं सार्वजनिक निजी और स्वैच्छिक स्वास्थ्य परिचर्या परिदान प्रणाली के मिश्रित माध्यम से मुहैया की जाती हैं। पहली योजना अवधि से ही, हमारे योजनाकारों और कार्यान्वयन कर्त्ताओं ने लोगों को अभिगम्य, आर्थिक पहुँच के अंदर, जवाबदेह तथा पर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं मुहैया कराए जाने की आवश्यकता को समझा है। पिछले से दशकों के दौरान मातृक तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी प्रत्याप्त परिवर्तन हुए हैं। व्यापक प्रजननीय तथा बाल स्वास्थ्य (RCH) परिचर्या सेवाओं के अनिवार्य संघटकों में, जिनके राष्ट्र भर में सभी स्तरों पर कार्यान्वयन की सिफारिश की गई है, (i) अवांछित गर्भाधान का निरोध और प्रबंधन ; (ii) सुरक्षित मातृत्व का प्रोत्साहित करने संबंधी सेवाएं, (iii) शिशु जीविता को बढ़ावा देने संबंधी सेवाएं, और (iv) जननीय पथ संक्रामणों (RTIs) तथा यौन क्रियाओं द्वारा पारेषित संक्रामणों (RTIs) की रोकथाम और उपचार शामिल हैं।

3.7.9 इसके अतिरिक्त, RCH के अन्य प्रमुख संघटकों में निम्नलिखित शामिल हैं ; (i) गर्भ निरोधकों संबंधी सावधानी के बारे में अधिक जानकारी, (ii) संवेदनशील समूहों के लिए पोषक सेवाएं, (iii) किशोरों के लिए जननीय स्वास्थ्य सेवाएं, (iv) स्त्रीरोग संबंधी समस्याओं की रोकथाम और उपचार तथा (v) कैंसर विशेष रूप से युटर्स, सर्वाइकल और ब्रैस्ट केन्सर की जांच और उपचार। तथापि, RCH-I (1997-2005) को कार्यान्वित करते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण बाधाएं पेश आई हैं :

- केन्द्रीय रूप से संचालित लक्ष्य आधारित आयोजना से विकेन्द्रीकृत, समुदाय आधारित आयोजना की ओर अन्मुखता के लिए सशक्त विकेन्द्रीकृत आयोजन प्रक्रिया का समर्थन आवश्यक है।
- अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रमों को ढालने की राज्यों की अपर्याप्त क्षमता।
- USAID, यूनिसेफ, WHO, आदि जैसी दानकर्ता एजेंसियों सहित बहुसंख्य भागीदरों की श्रेणियां, जो एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की बजाय इकलौती परियोजना के लिए सहायता प्रदान करते हैं।
- बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए अपर्याप्त मानिटरिंग तथा गैर-प्रोत्साहन।

3.7.10 इन सभी संघटकों का आशा के विपरीत धीमी प्रगति पर अव्यवस्थित प्रभाव पड़ता है। प्रवर्तमान RCH-II से आशा की जाती है कि RCH-II (2005-10) के द्वितीय चरण का कार्यान्वयन करते समय इन मुद्दों की ओर ध्यान दिया जाएगा।

### राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

3.7.11 देश के समग्र स्वास्थ्य परिचर्या परिदान प्रणाली को निर्धनोन्मुखी अभिगम के साथ प्रोत्साहित करने तथा बढ़ाने हेतु एक मिशन मोड एप्रोच प्रदान करने की दृष्टि से, भारत सरकार ने अप्रैल, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) का श्रीगणेश किया। NRHM सात वर्षों के लिए विहित किया गया है जिसके अन्तर्गत 18 राज्यों/अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू व काश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश) की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि इन राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतक कमजोर हैं तथा/अथवा अवसंरचना भी मजबूत नहीं हैं। इस मिशन का लक्ष्य वर्धित सामुदायिक स्वामित्व कार्यक्रमों के जिला स्तर तक विकेंद्रीकरण, अन्तरक्षेत्रिक समामेलन तथा उन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या में खामियों को पाटना है। मिशन का लक्ष्य वित्तीयरूप से सहनीय, जवाबदेह तथा विश्वसनीय प्राथमिक

स्वास्थ्य परिचर्या तक सुदृढ़ पहुँच के माध्यम से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करना भी है।

3.7.12 NRHM के अन्तर्गत न्यूनीकृत IMR व MMR सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं जैसे महिला स्वास्थ्य शिशु स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता तथा हाइजीन, संरक्षण तथा पोषण के प्रति सार्वजनीन पहुँच, स्थानीय क्षेत्र विशेष के रोगों सहित संक्रामक तथा गैर-संक्रामक दोनों प्रकार के रोगों की ओर ध्यान देना, जनसंख्या स्थिरिकरण, लैंगिक तथा जनांकीय संतुलन, आयुष को मुख्य धारा में लाना तथा समान्वित और अन्तरक्षेत्रिक समामेलन अभिगम के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैलियों को बढ़ावा देना विहित है।

3.7.13 NRHM के अन्तर्गत एक्रीडिटिड सोशल हैल्थ एक्टीविस्ट्स (आशा) के नाम से समुदाय आधारित कार्यकर्ताओं के एक नये दल की परिकल्पना की गई है। 'आशा' जनसंख्या के संवदेनशील वर्गों विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों जिन्हें स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में कठिनाई पेश आती है उनकी स्वास्थ्य संबंधी मांगों के लिए प्रथम संपर्क बिन्दु होगा। उसके उत्तरदायित्वों में जागरूकता प्रदान करना, सुरक्षित प्रसव का महत्व, स्तन पान और पूरक आहार, रोधक्षमीकरण, गर्भनिरोध तथा सामान्य संक्रमणों की रोकथाम, छोटे बच्चे की देखभाल आदि शामिल है। वह समुदाय में संचालक के रूप में कार्य करेगी तथा तृणमूल स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के मूल्यांकन को सुकर बनाएगी। भारत सरकार का आशा को इस आशय से प्रशिक्षित किए जाने का प्रस्ताव है कि श्वासावरोध प्रबंधन तथा नव प्रसव रोगाणुत सहित गृह आधारित नव प्रसव परिचर्या मुहैया कराई जा सके।

3.7.14 संस्थागत प्रसवों में वृद्धि के लिए और निम्न आर्थिक स्तरीय समुदाय में मातृक मृत्यु दर और अस्वस्थतादर कम करने के लिए NRHM स्कीम के तहत अप्रैल 2005 से जनानी सुरक्षा योजना (JSY) के नाम से एक अन्य स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत विशेष दवा वितरण सहित गरीब गर्भवती महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है और यह ऐसे राज्यों के लिए है जहां संस्थागत

प्रसवों की संख्या कम है अर्थात् उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा और जम्मू व काश्मीर। इन राज्यों को न्यून निष्पादन राज्यों (LPS) के रूप में नामित किया गया तथा शेष राज्यों को उच्च निष्पादन राज्यों के रूप में। इस स्कीम में प्रसव के दौरान संस्थागत परिचर्या के साथ नकद सहायता का लाभ विहित है और उससे पहले पूर्व प्रसव परिचर्या तथा तात्कालिक प्रसव पश्चात परिचर्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत न्यून निष्पादन राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रही सभी महिलाएं आती हैं सभी गर्भवती महिलाएं जिनके प्रसव सब सैन्टर, PHC/CHC/FRU जिले और राज्य अस्पतालों या प्राधिकृत निजी संस्थाओं के जनरल वार्डों जैसे सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में होते हैं) तथा उच्च निष्पादन राज्यों में गरीबी की रेखा के नीचे रह रही 19 वर्षों तथा उससे ऊपर की आयु की दो जीवित जात बालकों तक गर्भवती महिलाएं आती हैं।

3.7.15 एक अन्य स्कीम नामतः वन्देमातरम स्कीम फेडरेशन आफ आब्स्ट्रैट्रिक्स तथा गायनेकोलोजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया और निजी क्लिनिकों के सहयोग के सार्वजनिक और निजी भागीदारी के अन्तर्गत चल रही है। इस स्कीम का उद्देश्य मातृक मृत्यु दर गर्भवती महिलाओं की अस्वस्थता दर को निजी सेक्टर में उपलब्ध विशेषज्ञों/प्रशिक्षित कार्यबल के संबंधी विशाल संसाधनों को शामिल तथा उनका उपयोग करते हुए कम करना है। इस स्कीम का आशय निःशुल्क पूर्व प्रसव और प्रसव पश्चात जांच की व्यवस्था करना पोषण के संबंध में परामर्श प्रदान करना, स्तन पान, दो बच्चों के जन्म के बीच अन्तर रखना आदि।

## वार्षिक योजना 2006-07

### केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें

#### दिशा निर्देश और प्रशासन

3.7.16 इस स्कीम के अन्तर्गत, जिला और राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों तथा POL प्रभार वाले वाहन हेतु आकस्मिक व्यय के प्रतिमान तीस से भी अधिक वर्षों के अन्तराल के बाद संशोधित किए गए हैं। मौजूदा स्टाफ की स्थिति की समीक्षा करने, जो पद असंगत हो गए हैं, उन्हें समाप्त करने और भारत सरकार से इस

प्रयोजनार्थ, उपलब्ध अनुदान के अन्दर अत्यधिक आवश्यक पदों का सृजन करने की सभी राज्यों को लचीलापन बरतने की अनुमति भी दी गई है। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए परिव्यय 249.45 करोड़ रुपये हैं।

### ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं (उप-केन्द्र)

3.7.17 उप केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली और समुदाय के बीच अत्यधिक इलाकाई तथा प्रथम सम्पर्क स्थल होता है। प्रत्येक उप केन्द्र में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/आग्जिलिएरी नर्स मिडवाइफ (ANM) तथा पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं। एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (LHV) तथा एक पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को छह उप केन्द्रों की निगरानी का कार्य सौंपा जाता है। उप केन्द्रों को, व्यवहारजन्य बदलाव लाने तथा मातृक व शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण पोषण, रोधक्षमीकरण, अतिसार नियंत्रण तथा संक्रमणीय रोगों की रोकथाम संबंधी कार्यक्रमों की बाबत सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से अन्तर्व्यक्तिक सम्प्रेषण से संबंधित कार्य सौंपे जाते हैं। उप केन्द्रों को पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की अनिवार्य स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक यौग बीमारियों के लिए बुनियादी दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए परिव्यय 1556.68 करोड़ रुपये हैं।

### शहरी परिवार कल्याण सेवाएं

3.7.18 शहरी क्षेत्रों में शहरी गन्दी बस्तियों पर बल देते हुए परिवार कल्याण और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक पहुँच मुहैया कराने के लिए तीन प्रकार के (टाइप-I, टाइप-II तथा टाइप-III) कुल 1083 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र और स्वीकृत कर्मचारियों और कवर की गई जनसंख्या पर निर्भर करते हुए चार प्रकार की 871 स्वास्थ्य चौकियां कार्य कर रही हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुमोदित प्रतिमानों के अनुसार मुख्यतः स्टाफ के वेतन संबंधी खर्च को पूरा करने के लिए अनुदान राशि दी जाती है। कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित प्रतिमानों के अनुसार किराया और आकस्मिक व्यय भी वहन किया जाता है। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए परिव्यय 125 करोड़ रुपये हैं।

## राज्य प्रशिक्षण संस्थाओं को अनुदान

3.7.19 ग्रामीण क्षेत्रों में मातृक व बाल स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवा में सहायक नर्स दाइयां/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः यह अनिवार्य है कि उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि ग्रामीण आबादी को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मुहैया कराई जा सकें। इस प्रयोजनार्थ, परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा 336 स.न. दाई बहुदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) स्थल जिनमें लगभग 13,000 की प्रवेश क्षमता है तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य सहायक (महिला) के लिए 42 प्रोमोशनल ट्रेनिंग स्कूल, जिनकी प्रवेश क्षमता 2600 है, स्थापित किए गए थे। ये प्रशिक्षण संस्थाएं देश में उप केन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्वास्थ्य चौकियों का संचालन करने के लिए अपेक्षित संख्या में स.न. दाइयां तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैयार करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए परिव्यय 91.15 करोड़ रुपये है।

## निरोध का निशुल्क वितरण

3.7.20 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कन्डोम (निरोध) मौखिक गर्भ निरोध गोलियां (माला- N), आपात गर्भ निरोधी गोलियां (E -पिल्स), इन्ट्रा युटेराइन डिवाइसिल (कापर-टी) और ट्यूबल रिंग्स जैसे पारम्परिक गर्भ निरोधक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयोगों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं जिन्हें देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHCs), उपकेन्द्रों (SCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) तथा अस्पतालों के माध्यम से वितरित किया जाना होता है। गर्भ निरोधकों की क्वालिटी और मानक सुनिश्चित करने की दृष्टि से गर्भ निरोधक राज्यों को सप्लाई किए जाने से पूर्व उनके प्रत्येक बैच की जांच की जाती है। इसके अलावा, राज्यों में तैनात क्षेत्रीय निदेशकों (स्वास्थ्य व परि. कल्याण) को जांच के दूसरे चरण हेतु क्षेत्र से गर्भ निरोधकों के यादृच्छिक सैम्पल उठाने का काम सौंपा गया है। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए परिव्यय 100 करोड़ रुपये है।

## बन्धीकरण (बिस्तर)

3.7.21 इस स्कीम के अन्तर्गत शत प्रतिशत प्रावधान महिलाओं के लिए हैं। यह स्कीम सन् 1964 में इस मुख्य उद्देश्य से शुरू की गई थी कि स्थानीय निकायों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित अस्पतालों में ट्यूबेक्टॉमी आप्रेशनों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जहां बिस्तर आदि की अनुपलब्धता के कारण ऐसा मामला भरती नहीं किया जा सकता हो। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए परिव्यय 2.02 करोड़ रुपये है।

## परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य बीमा योजना

3.7.22 परिवार नियोजन बीमा स्कीम 29.11.2005 से शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक/प्राधिकृत निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में बन्धीकरण आप्रेशन कराने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मृत्यु, बन्धीकरण की विफलता तथा चिकित्सीय जटिलताओं के प्रति बीमा कवर का प्रावधान है। बीमा स्कीम के अन्तर्गत मृत्यु के मामले में एक लाख रुपये, बन्धीकरण की विफलता के लिए 20,000 रुपये चिकित्सीय जटिलताओं के लिए (वास्तविक खर्च तक सीमित रखते हुए) 20000 रुपये के मुआवजे का प्रावधान है। इस स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय, राज्य, स्वायत्त सरकारों अन्य सार्वजनिक सेक्टरों के डाक्टर/स्वास्थ्य सुविधाएं तथा गैर सरकारी और निजी सैक्टरों के सभी प्राधिकृत डाक्टर/स्वास्थ्य सुविधाएं जो परिवार नियोजन सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं और ऐसे आप्रेशन कर रहे हैं, बन्धीकरण की विफलता आप्रेशन से होने वाली मृत्यु या चिकित्सीय जटिलता के कारण उद्भूत दावों के खिलाफ प्रति मामले में प्रति डाक्टर/स्वास्थ्य सुविधा की अधिकतम 2 लाख रुपये तक की क्षतिपूर्ति की पात्रता होगी। उक्त कवर में, कानूनी खर्च तथा जिस डाक्टर/स्वास्थ्य सुविधा के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया गया है, उसके प्रतिवाद की वास्तविक निश्चय मात्रा भी शामिल होगी, जिसे बीमा कम्पनी द्वारा सीमाओं के अन्दर वहन किया जाएगा। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए परिव्यय 10 करोड़ रुपये है।

## सामान व सामग्रियों की प्राप्ति

3.7.23 इस स्कीम के अन्तर्गत, कन्डोम, ओरल कन्ट्रासेप्टिव

पिल्स, IUDs, लैप्रोस्कोपिक व ट्यूबल रिंग्स आदि की आपूर्ति राज्य सरकारों से प्राप्त मांग के आधार पर की जाती है। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए परिव्यय 250 करोड़ रुपये है।

### नियमित प्रतिरक्षण

3.7.24 प्रतिरक्षण सुदृढीकरण कार्यक्रम (ISP) एक प्रवर्तमान कार्यक्रम है। प्रतिरक्षण सुदृढीकरण कार्यक्रम देश में तीन वर्ष के लिए प्रजननीय व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RCH) के अन्तर्गत शुरू किया गया। इससे पोलियो का शून्य आपात, नियमित प्रतिरक्षा कार्यक्रम की व्यापक पहुँच में वृद्धि तथा गुणवत्ता और प्रतिरक्षा कार्यक्रम के कार्यनीतिक नजरिए का विकास जैसे परिणाम प्राप्त करना परिकल्पित था। प्रतिरक्षण सुदृढीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रजननीय व बाल स्वास्थ्य-II का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे सारी गतिविधियाँ, जो IPS के अन्तर्गत कवर की गई थी जैसे समीक्षा बैठकें, मोबिलिटी सपोर्ट, MIS डेटा के लिए कम्प्यूटर सहायता कोल्ड चेन अनुरक्षण, कोल्ड चेन हैंडलर्स प्रशिक्षण आदि जो RCH-I में शामिल किए गए थे, इन्हें RCH-II के अन्तर्गत प्रतिरक्षण सुदृढीकरण कार्यक्रम में भी ले लिया गया है। सभी राज्यों को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्रतिरक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने हेतु विशिष्ट सामाजिक व भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी जरूरत के अनुसार अपने स्वयं के PIP तैयार करने के लिए कहा गया है। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए परिव्यय 345 करोड़ रुपये है।

### पल्सपोलियो प्रतिरक्षण

3.7.25 भारत में पोलियो के वैक्सीनेशन एक्सेडिड प्रोग्राम ऑन इम्युनाइजेशन (EPI) के तहत 1978 में शुरू किया गया था और 1984 तक ओरल पोलियो वैक्सिन (OPV) की तीन खुराकों के साथ सभी शिशुओं के कोई 40 प्रतिशत कवरेज की उपलब्धि रही। 1985 में यूनिवर्सल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम (यूआईपी) शुरू करके देश में 1989-90 तक सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से इसे कार्यान्वित किया गया था। 1986 के दौरान, यूनिवर्सल

इम्युनाइजेशन प्रोग्राम को टैक्नोलॉजी मिशन ऑन इम्युनाइजेशन के बैनर तले इसे टैक्नोलॉजी मिशन का स्टेटस प्रदान किया गया। इसके परिणामतः कवरेज में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि होकर 1990-91 में यह 95% से भी अधिक हो गई और तब से इसे 90% से अधिक के स्तर पर बनाए रखा गया है। सन् 1988 के वर्ल्ड हेल्थ असैम्बली रेजोलूशन के अनुसरण में यूनिवर्सल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम के माध्यम से नियमित ओरल पोलियो वैक्सिन देने के अलावा, 3 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को कवर करने के लिए 1995-96 में PPI प्रोग्राम शुरू किया गया था। पोलियो उन्मूलन की गति को तेज करने की दृष्टि से, लक्षित आयु समूह को बढ़ाकर 1996-97 से 5 वर्ष की आयु से नीचे के सभी बच्चे शामिल कर लिए गए। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए परिव्यय 1049 करोड़ रुपये है।

### IEC (सूचना, शिक्षा तथा सम्प्रेषण)

3.7.26 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत IEC कार्यनीति का उद्देश्य, ग्रामीण इलाकों में गरीबों, महिलाओं व बच्चों द्वारा गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता तथा उस तक पहुँच की बाबत जागरूकता सूचना के प्रसार को सुन्दर बनाना है। इस कार्यनीति का मूल उद्देश्य स्वस्थ रहने के प्रति रुझान को उस स्तर तक प्रोत्साहित करना है जो लोगों के रहन सहन के सन्दर्भ में व्यावहारिक हो और जिसमें बदलाव लाया जा सकता है। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए परिव्यय 130.10 करोड़ रुपये है।

### प्रशिक्षण

3.7.27 राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान ने, जिसे भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 1997 में प्रजननीय व बाल स्वास्थ्य (RCM) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय नोडीय एजेन्सी के रूप में नामित किया गया, देश के विभिन्न भागों में 18 सहयोगी प्रशिक्षण संस्थानों (CTIs) की सहायता से प्रजननीय व बाल स्वास्थ्य (RCM) प्रशिक्षण गतिविधियों का संयोजन और मानिट्रिंग करने के उत्तरदायित्व को निभाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान के प्रमुख कार्यकलाप है - (i) प्रशिक्षण सामग्री और मार्गदर्शी सिद्धान्तों का विकास, (ii) मास्टर

ट्रेनर्स का प्रशिक्षण और (iii) निधियों का वितरण तथा प्रशिक्षण गतिविधि की मॉनिटरिंग। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए परिव्यय 7.38 करोड़ रुपये है।

### क्षेत्र परियोजनाएं

3.7.28 परिवार कल्याण कार्यक्रम को पेश आ रही दिक्कतों जैसे कमजोर अवसंरचना, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की अपर्याप्त कुशलताएं और अपर्याप्त सेवाएं तथा उनकी निम्न गुणवत्ता को मुख्य रूप से दूर करने के लिए विश्व बैंक तथा अन्य अन्तरराष्ट्रीय दानकर्ता एजेंसियों की सहायता के माध्यम से चुनिंदा राज्यों तथा पिछड़े जिलों में सन 1973 से क्षेत्र परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन क्षेत्र परियोजनाओं ने वास्तविक सुविधाओं के विकास तथा लोगों को स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाएं बेहतर रूप से मुहैया कराने के कार्य में सुधार लाने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान किया है जिसके परिणामतः जन्म दर, मृत्युदर तथा शिशु मृत्युदर (IMR) में घटौती हुई है। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए परिव्यय 215.27 करोड़ रुपये है।

### राज्य PIPs के लिए लचीला पूल

3.7.29 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के अंतर्गत रिप्रोडक्टिव चाइल्ड तथा मैटरनल हेल्थ के संबंध में प्रजननीय बाल स्वास्थ्य-II (RCH-II) भारत सरकार का ध्वजपोत कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का पुनरानुकूलन करके इसे जानदार बनाया गया है जिससे संकेन्द्रण परिणामोन्मुखी और निर्धनोन्मुखी हो सके। एक महत्वपूर्ण बदलाव की परिकल्पना उस तरीके से की गई है। जिसमें RCH कार्यक्रम की अवधारणा बनाई गई है तथा इसे NRHM की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए इस प्रोग्राम के प्रथम चरण से मिली सीख के आधार पर कार्यान्वित किया गया है। राज्य PIPs के लिए लचीले पूल में दो संघटक नामतः RCH फ्लैक्सिबल पूल और मिशन फ्लैक्सिबल पूल शामिल है। वर्ष 2006-07 के दौरान 3648.90 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है।

### केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें

#### सामाजिक विपणन क्षेत्र परियोजनाएं

3.7.30 क्षेत्र विशिष्ट परियोजनाओं के साथ संघटित प्रयास किये जाने की दृष्टि से मध्य प्रदेश, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा उड़ीसा राज्यों में सामाजिक विपणन प्रयास शुरू किए गए हैं। शुरू में 1998-99 में परिवार कल्याण विभाग ने हिन्दुस्तान लेटेक्स लि. (HLL) के मेसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स फेमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट, तिरुवनन्तपुरम को मध्य प्रदेश में गर्भ निरोधकों के सामाजिक विपणन को सुदृढ़ करने के लिए एक परियोजना की स्वीकृति दी। इस परियोजना का वर्ष 2000 के शुरू में अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) मुम्बई द्वारा मूल्यांकन किया गया था। अध्ययन से यह पता चलता है कि हिन्दुस्तान लेटेक्स फेमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट (HLFPPT) द्वारा अपनाए गए मॉडल का ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रभाव पड़ा है और इसलिए इसे अन्य राज्यों के जनांकिकीय रूप से किन्हीं पिछड़े जिलों में दोहराया जाय। हरियाणा में सोसायटी फार वुमेन एण्ड चाइल्ड हैल्थ (SWACH) को सामाजिक विपणन के संबंध में स्वीकृति एक अन्य क्षेत्र परियोजना अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला तथा यमुनानगर जिलों में अप्रैल 2000 में शुरू की गई है।

3.7.31 इन क्षेत्र परियोजनाओं की सफलता से उत्साहित होकर जैसाकि किए गए प्रभाव मूल्यांकन से पता चला आन्ध्र प्रदेश में अक्टूबर 2000 में हिन्दुस्तान लेटेक्स फेमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट (HLFPPT) की एक तीसरी परियोजना स्वीकृत की गई। इसका वित्त-पोषण युरोपियन कमीशन द्वारा भारत सरकार के अन्तर्गत EC विकास सहायता अनुदान से किया जा रहा है। इसी प्रकार की परियोजनाएं 2001 से बिहार, झारखंड और उड़ीसा क चार-चार जिलों में शुरू की गई है और हिन्दुस्तान लेटेक्स फेमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट (HLFPPT) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में सामाजिक विपणन परियोजनाएं 1.4.2004 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।

3.7.32 मई 1997 से मेसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड (HLL) उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में स्टेट इन्वोवेशन इन फेमिली प्लानिंग सर्विसेज एजेंसी (SIFPSA) द्वारा प्रदान की गई ग्रामीण विपणन परियोजना (कन्डोम तथा ओरल पिल्स) को कार्यान्वित कर रहे हैं। परियोजना के कार्यान्वयन में अनेक NGOs तथा दूध सहकारी समितियों के साथ सम्पर्क विकसित किए गए हैं।

### गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन

3.7.33 उपभोक्ता द्वारा बरबादी और निम्नगुणवत्ता बोध से उत्पन्न अन्तर्निहित कमजोरी को देखते हुए राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम ने कन्डोम का सामाजिक विपणन कार्यक्रम 1968 में और ओरल पिल्स का 1987 में शुरू किया था। इस स्कीम के अन्तर्गत तीन विभिन्न किस्में, नामतः (1) नया ल्यूब्रीकेटिड निरोध (2) डिलक्स निरोध (3) सुपर डिलक्स निरोध स्वदेशी कन्डोम निर्माताओं से प्राप्त करके उन सामाजिक विपणन संगठन कंपनियों को सप्लाई की जाती है जिन्हें उनके अपने ब्रांड नामों के तहत ये कन्डोम बेचने की अनुमति दी गई है।

### परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनु. केन्द्र (FWT&RC), मुम्बई

3.7.34 परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र (FWT&RC) मुम्बई एक केन्द्रीय संस्थान है जो देश भर में स्वास्थ्य कार्मिकों के विभिन्न वर्षों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु जिम्मेदार है जिससे स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं बेहतर ढंग से मुहय्या कराई जा सकें।

### राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान (NIHFW), नई दिल्ली

3.7.35 यह संस्थान शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान मूल्यांकन, विशिष्ट सेवाएं, परामर्शी और सलाहकार सेवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है। संस्थान का प्रशिक्षण कार्यक्रम उन व्यक्तियों की कुशलता को उन्नत बनाने के वास्ते तैयार किया गया है जो केंद्र में तथा विभिन्न राज्यों में विभिन्न संस्थानों और संगठनों में मानव संसाधन

विकास के कार्य के लिए जिम्मेदार है।

### अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS), मुम्बई

3.7.36 संस्थान के उद्देश्य शिक्षण प्रशिक्षण अनुसंधान करना तथा जनसंख्या अध्ययनों के क्षेत्र में परामर्शी और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना है।

### ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़

3.7.37 यह संस्थान स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं, प्रशिक्षण, फील्ड अध्ययनों, अनुसंधान कार्य, स्वास्थ्य शिक्षा और समुदाय संघटक के माध्यम से देश में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना तथा उनमें सुधार लाना जारी रखे हुए है।

### जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र

3.7.38 देश भर में अठारह जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र जनसंख्या स्थिरीकरण, जनांकिकी तथा स्वास्थ्य संबंधी अन्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान करने में लगे हुए हैं।

### CDRI लखनऊ

3.7.39 इस संस्थान का उद्देश्य भारत में औषध अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ना तथा उसे सुदृढ़ बनाना है। इसकी गतिविधियों की सूची निम्नानुसार है : (1) नई औषधियों और निदान का विकास (2) रोग प्रक्रिया और जननीय शरीर क्रिया विज्ञान को समझने के लिए सेल्युलर तथा मॉलिकुलर अध्ययन (3) गर्भ निरोधी एजेंटों तथा उपकरणों का विकास (4) ड्रग्स, इन्टरमीडिएट्स तथा बायोलोजिकल्स के लिए टैक्नोलॉजी का विकास।

### ICMR

3.7.40 ICMR वर्तमान में निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान कर रहा है : - (1) जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक औषधि प्रणालियों तथा ISM&H में गर्भ निरोधी औषधियों तथा यंत्रों के लिए नवीनतर टैक्नोलॉजी का विकास (2) प्रचालनात्मक अनुसंधान द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए गर्भ निरोधकों में सुधार (3) परिवार कल्याण कार्यक्रमों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए

प्रचालनात्मक अनुसंधान तथा परिवार कल्याण सेवाओं को अधिकाधिक अपनाने के लिए सामुदायिक अनुसंधान, तथा (4) इन कार्यक्रमों में प्रयुक्त उत्पादों की संस्थागत तंत्र का सृजन और समर्थन।

### राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि/राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

3.7.41 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में सूचीबद्ध लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (NPP) के कार्यान्वयन हेतु उसकी समीक्षा मॉनिटरिंग तथा दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए मई 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का पुनर्गठन 2005 में किया गया है तथा इसे योजना आयोग से स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को अन्तरित कर दिया गया है।

### गैर सरकारी संगठन (सार्वजनिक-निजी सहभागिता- PPP)

3.7.42 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता के माध्यम से जनसमुदाय के बीच इस प्रोग्राम के स्वामित्व को और अधिक विकसित करने की अपेक्षा की गई है। इस सहभागिता से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में पहले से ही उल्लिखित गैर सरकारी संगठनों की अन्तर्ग्रस्तता की कार्यनीति सुदृढ़ होगी।

3.7.43 भारत सरकार परिवार कल्याण, जननीय तथा शिशु स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में स्वैच्छिक तथा अभिव्यक्ति विकल्प के प्रति वचनबद्ध है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार नियमित क्षेत्रक, स्वैच्छिक तथा गैर-स्वैच्छिक सेक्टर से यह आशा की जाती है कि वे सहभागिता में मिलकर काम करें। वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए IMA, फ़ैडरेशन आफ आब्स्ट्रेटीशियन एण्ड गायनीकौलोजिस्ट एसोसिएशन

तथा अन्य फ़ैडरेशन भी इस सहभागिता में शामिल है।

3.7.44 गैर सरकारी संगठन विशेष रूप से सरकार द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या परिदान के मामले में पूरक या मानार्थ भूमिका अदा कर सकते हैं और इस प्रकार ये जन-साधारण तक सार्थक रूप से पहुँचने में उन्हें सहायता प्रदान करेंगे। उन्हें कार्य पद्धतियों में लचीलेपन का समुदाय के साथ सामंजस्य स्थापित करने में तुलनात्मक लाभ है तथा प्रोग्राम कार्यान्वयन में cutting edge पर है। गैर-सरकारी संगठनों को स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम के साथ-साथ सेवा प्रदानगी को सुकर बनाने के कार्य में भी शामिल किया जाएगा।

3.7.45 परिवार कल्याण सेक्टर के अन्तर्गत केन्द्रीय सेक्टर की स्कीमों के लिए 196.05 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

### राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए वित्तीय आबंटन

सेक्टर का नाम	बजट अनुमान 2006-07 (करोड़ रुपयों में)
परिवार कल्याण	8177.00 *
स्वास्थ्य	823.00
आयुष	65.00
<b>जोड़</b>	<b>9065.00*</b>

\* इसमें 200 करोड़ रुपये की राशि शामिल है जो NACO के लिए कन्डोम हेतु आबंटित की गई है।)

परिवार कल्याण सेक्टर के लिए परिव्यय तथा व्यय का विवरण अनुबन्ध 3.7.1 में दिया गया है।

कल्याण विभाग

2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-2006 तथा 2006-07 के लिए स्कीमवार बजट अनुमान तथा व्यय का विवरण

(रुपयों करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07 कुल व्यय	2002-07 कुल व्यय (प्रत्याशित)				
		ब. अनु.	वास्तविक व्यय												
	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	4470.10	3623.37	4477.58	4205.85	3946.67	5330.96	4928.85	4514.23	5982.38	5312.01	28040.97	25176.23		
1	निर्देश व प्रशासन	200.00	188.40	220.20	215.93	214.40	226.80	222.43	218.39	280.21	234.67	1176.66	1099.26		
2	ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं (उप-केन्द्र)	1809.00	1848.84	1758.50	1620.49	1713.89	1792.71	1788.21	1792.47	1964.40	1279.85	8881.29	8140.75		
3	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	122.00	103.39	132.80	117.94	117.59	123.04	122.84	122.16	135.33	123.05	638.17	590.87		
4	राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को अनुदान	93.00	85.23	109.45	94.37	92.75	99.90	98.97	97.49	106.87	83.87	500.37	450.97		
5	निरोध का निःशुल्क वितरण	202.00	153.92	188.00	171.60	142.74	97.70	93.19	76.45	172.52	163.00	760.22	636.72		
6	बन्धीकरण (बिस्तर)	2.00	1.76	2.19	1.98	1.97	2.02	2.02	2.01	2.02	1.89	2.02	10.25	9.64	
7	परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य बीमा योजना	50.00		1.00			9.10	4.00		35.00	8.30	10.00	105.10	18.26	
8	सामान व सामग्रियों की प्राप्ति	206.00	121.96	245.10	114.85	109.10	190.20	110.59	104.08	250.00	0.00	250.00	1141.30	585.14	
9	नेमी प्रशिक्षण	264.00	115.11	250.50	201.75	127.70	259.00	167.50	149.23	507.00	164.94	977.15	345.00	1714.19	
10	पल्स पोलियो प्रशिक्षण	400.00	432.11	550.00	606.27	659.94	1011.70	905.10	924.83	877.00	822.08	1049.00	3887.70	3065.88	
11	आईसी (सूचना, शिक्षा तथा सम्मोचन)	87.70	84.07	106.38	112.28	103.41	116.59	166.08	139.39	129.10	127.69	89.00	130.10	569.87	545.97
12	प्रशिक्षण	53.00	6.58	20.50	20.25	19.61	32.00	18.07	13.84	30.93	30.93	29.73	143.81	77.14	
13	क्षेत्र परियोजनाएं	371.20	158.91	318.90	267.35	253.38	413.51	387.23	373.65	536.26	397.18	1855.14	1367.26		
14	राज्य की पीआईपी के लिए जननीय बाल स्वास्थ्य फलेक्सीबल पूल	610.20	323.09	574.06	660.79	390.19	956.69	842.62	500.24	955.74	2278.04	2011.76	3648.90	6874.18	
	केन्द्रीय सेक्टर स्कीमें	190.60	155.09	360.22	400.65	364.64	393.04	316.14	294.99	441.62	284.51	1581.53	1227.23		
1	सामाजिक विपणन एरिया परियोजनाएं	10.00		4.00	3.70		10.00			10.00		35.00	1.00		
2	निरोधों का सामाजिक विपणन	115.00	98.87	132.00	156.25	141.72	252.50	242.06	231.93	241.04	143.00	49.50	790.04	626.11	
3	परिवार कल्याण प्रशिक्षण व अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई	1.50	0.98	1.50	0.54	0.07	1.53	0.56	0.25	1.00	0.82	5.00	10.53	6.83	
4	एनआईएचएफडब्ल्यू, नई दिल्ली	3.15	2.60	4.15	4.15	4.00	4.75	4.62	3.58	7.35	6.00	5.06	25.45	21.29	
5	आईआईपीएस, मुम्बई	1.70	1.70	1.72	1.50	1.14	1.60	1.35	1.10	1.65	1.65	2.90	9.57	8.49	
6	ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़						7.13	3.67	1.56	3.98	0.25	1.31	12.42	2.87	
7	जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र	8.00	5.71	8.50	6.90	5.85	7.33	7.20	6.67	7.30	6.12	5.62	8.00	39.13	31.85
8	सीडीआरआई, लखनऊ	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.50	2.75	2.75	3.00	12.65	12.85	
9	आईसीएमआर व आईआरआर	20.00	20.00	30.00	27.00	27.00	30.00	30.00	30.00	30.00	34.00	40.00	150.00	151.00	
10	विशेषज्ञों की यात्रा/सम्मेलन/बैठक आदि (सेले)	4.50	3.42	4.00	44.27	42.22	4.00	4.00	0.54	3.50	3.50	1.00	17.00	47.72	
11	अन्तरराष्ट्रीय सहयोग	1.70	1.34	1.70	1.70	1.39	1.70	1.25	1.23	1.70	1.70	1.49	1.64	7.09	
12	जनसंख्या के संबंध में एनपीएसएफ/ राष्ट्रीय आयोग			100.00	100.00	100.00				10.00	3.78	2.80	6.00	116.00	108.80
13	गैर-सरकारी संगठन (सार्वजनिक-निजी भागीदारी-पीपीपी)	22.00	17.79	40.00	22.00	18.03	44.00			102.70	60.00	49.45	32.91	241.61	118.18
14	अन्य स्कीमें	0.75	0.38	30.35	30.34	20.92	26.20	19.13	15.63	18.65	20.94	8.48	37.74	113.69	83.15
	कुल योग	4930.00	3916.63	4930.00	4700.00	4409.27	5780.00	5300.00	4864.21	6424.00	6000.00	5528.47	7976.00	26694.58	

### 3.8 महिला एवं बाल विकास

3.8.1 महिलाओं की अधिकारिता तथा बच्चों का विकास देश के मानव संसाधन विकास के अनिवार्य पहलु हैं क्योंकि ये दोनों मिलकर देश की कुल आबादी का महत्वपूर्ण 82.3% हिस्सा है (2001 जनगणना)। महिलाएं 495.74 मिलियन अर्थात् भारत की जनसंख्या का 48.3% है जबकि बच्चे (0-14 वर्ष) लगभग 34% हैं। अतः, मानव संसाधन के इस बहुमूल्य वर्ग के सामाजिक-आर्थिक विकास का सीधा प्रभाव संपूर्ण देश को अपने विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने पर पड़ता है।

3.8.2 वार्षिक योजना 2006-07 चूंकि दसवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है, इसलिए “महिलाओं की अधिकारिता” से संबंधित दसवीं योजना के दृष्टिकोण को “सामाजिक परिवर्तन और विकास के एजेन्ट्स” के रूप में सैक्टर विशिष्ट सामाजिक अधिकारिता, आर्थिक अधिकारिता तथा लैंगिक न्याय की तिहरी कार्यनीति के माध्यम से आगे ले जायेगा। सामाजिक अधिकारिता में महिलाओं पर विशेष कर बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना तथा उन्हें स्वास्थ्य व पोषण सेवाएं प्रदान करना विहित है। आर्थिक अधिकारिता का उद्देश्य महिलाओं द्वारा रोजगार तथा आय सृजन सम्बन्धी गतिविधियां शुरू करने को सुकर बनाना है। लैंगिक न्याय द्वारा महिलाओं और कन्याओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को दूर करना है। इसी प्रकार बच्चों के लिए, दसवीं योजना में उनकी उत्तरजीविता, सुरक्षा तथा विकास की कार्यनीति सहित एक ‘अधिकार आधारित दृष्टिकोण’ अपनाया गया है।

3.8.3 सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों, दोनों के सह-समन्वित प्रयासों के माध्यम से इन वचनबद्धताओं को पूरा करने के अलावा, वार्षिक योजना 2006-07 भी राष्ट्रीय समान न्यूनतम कार्यक्रम (NCMP) में यथा परिकल्पित ‘महिलाओं की राजनैतिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा विधिक रूप से अधिकारिता’ पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगी। देश में महिलाओं की अधिकारिता तथा बच्चों के विकास के लिए नोडीय एजेंसी के रूप में महिला तथा बाल विकास मंत्रालय (M/o WCD) न केवल महिला तथा बाल विशिष्ट विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन को जारी रखेगा बल्कि महिलाओं

और बच्चों से सम्बन्धित अन्य विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय भी स्थापित करेगा जो अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं।

#### महिला तथा बाल विकास मंत्रालय की स्कीमें

3.8.4 वार्षिक योजना 2006-07 के लिए महिला तथा बाल विकास मंत्रालय को 23 स्कीमों के अन्तर्गत, जिनमें 15 केन्द्रीय क्षेत्रक एवं 8 केन्द्र प्रायोजित हैं। इनमें से 10 स्कीमों महिलाओं के लिए और 8 बच्चों के लिए तथा 5 ‘मिश्रित स्कीमों’ हैं, निधियों का प्रावधान किया गया है। इन स्कीमों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एकीकृत बाल विकास सेवाएं (ICDS) परियोजनाएं तथा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एकीकृत बाल विकास सेवाएं (ICDS) प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा स्वशक्ति जिनका कार्यान्वयन 2006-07 के दौरान आन्तरिक वित्तपोषण के माध्यम से किया जा रहा है, शामिल है। स्वशक्ति के लिए विश्व बैंक से 31.3.2006 के बाद सहायता बन्द हो गई थी। तत्कालीन विश्व बैंक परियोजनाओं की वचनबद्ध देनदारियों को, यदि कोई हो, पूरा करने के लिए विश्व बैंक परियोजनाओं के लिए 2006-07 के लिए 1.48 करोड़ रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार, स्वशक्ति की वचनबद्ध देनदारियों के लिए, जो पहले जून, 2005 तक विश्व बैंक तथा आईएफएडी से सहायता के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही थीं, 2006-07 के दौरान 3 करोड़ रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान कार्यान्वयनाधीन स्कीमों के विवरण अनुबन्ध 3.8.1 में देखे जा सकते हैं।

#### वर्ष 2004-05 तथा वार्षिक योजना 2005-06 के दौरान उपलब्धियाँ

3.8.5 महिला व बाल विकास मंत्रालय के लिए वर्ष 2004-05 के दौरान 2400 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले वार्षिक योजना 2005-06 के लिए 3875.29 करोड़ रुपये का परिव्यय था। वर्ष 2005-06 के दौरान अत्यधिक वृद्धि का कारण था केन्द्र सरकार का वर्ष 2005-06 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एकीकृत बाल विकास सेवाएं (ICDC) स्कीम के अन्तर्गत पूरक पोषण की लागत

तालिका 3.8.1

वार्षिक योजना 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान  
महिला व बाल विकास क्षेत्र के अन्तर्गत परिव्यय व खर्च

क्र. सं.	स्कीमें	दसवीं योजना परिव्यय	वार्षिक योजना 2002-03 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2003-04 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2004-05 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2005-06 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2006-07 ब. अनु.
1	2	3	4	5	6	7	8
	महिला व बाल विकास सेक्टर						
I	केन्द्रीय सेक्टर स्कीम	1148.11	<b>106.06</b>	104.83	111.27	146.62	215.20
ii	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	12521.89	1975.39	1946.30	2285.26	3223.39	4575.06
II	खाद्य व पोषण बोर्ड						
i	केन्द्रीय सेक्टर	10.00	1.55	0.86	1.85	5.17	5.59
ii	के0 प्रा0 स्कीम	100.00					
	कुल योग	13780.00	2083.00	2051.99	2398.38	3875.19	4795.85

का 50% अपने जिम्मे लेने का निर्णय तथा उसी के लिए 2005-06 के दौरान एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) के अन्तर्गत 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान नियत किया गया। वर्ष 2005-06 के दौरान सम्भावित व्यय उतना ही है जितना उक्त वर्ष के लिए परिव्यय का प्रावधान है। मंत्रालय को वार्षिक योजना 2006-07 के लिए 4795.85 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बढ़ा हुआ परिव्यय आबंटित किया गया है जिससे एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) के अन्तर्गत पूरक पोषण के केन्द्रीय हिस्से के लिए 1500 करोड़ रुपये का नियत प्रावधान शामिल है। स्कीम तथा वर्ष-वार परिव्यय व व्यय के विवरण और मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत तदनुसूची वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां क्रमशः अनुबन्ध-I तथा अनुबन्ध-II में दी गई हैं। उसका सारांश तथा वर्ष 2005-06 के लिए परिव्यय तालिका 3.8.1 में दिया गया है।

3.8.6 राज्य योजना सेक्टर में, यह क्रमिक प्रयास रहा है कि महिला और बाल सेक्टर को मुख्य धारा में लाया जाये क्योंकि इस सेक्टर के लिए परिव्यय 'सामाजिक सुरक्षा और कल्याण' सेक्टर के अन्तर्गत दर्शाया जा रहा है। तथापि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पैटर्न का अनुसरण करते हुए परिव्यय/खर्च का उल्लेख 'अन्य विशेषज्ञ समूह' से संबंधित

दस्तावेज के अध्याय के अनुबन्ध में दिए गए हैं, जिसमें महिला तथा बाल विकास सेक्टर के अन्तर्गत उपलब्धि भी शामिल है।

### वर्ष 2005-06 के दौरान प्रमुख स्कीमों के अन्तर्गत उपलब्धियां तथा वार्षिक योजना 2006-07 के लिए प्रस्ताव

#### सामाजिक अधिकारिता

3.8.7 शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम : जो व्यस्क कन्याएं/महिलाएं मुख्य धारा में शिक्षा प्रणाली का लाभ नहीं उठा सकीं या जिन्हें औपचारिक स्कूल बीच में ही छोड़ने पड़े उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 1985 में यह स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं/महिलाओं को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है जिसमें कुशलता विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त आदान शामिल किए जाएं ताकि वे रोजगार के लिए पात्र बन सकें। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में यह स्कीम अत्यन्त लोकप्रिय हुई मानी जाती है। वर्ष 2005-06 के दौरान, कुल 700 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जबकि लक्ष्य 600 पाठ्यक्रमों का था। वर्ष के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत परिव्यय तथा खर्च

6.00 करोड़ रुपये था। वर्ष 2006-07 के दौरान इस स्कीम के लिए 6.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है और 700 पाठ्यक्रम आयोजित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

**3.8.8 जागरूकता सृजन परियोजना :** इस स्कीम का उद्देश्य महिलाओं का दर्जा, अधिकार तथा समस्याओं से सम्बन्धित मुद्दों पर समुदाय में जागरूकता पैदा करना है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (CSWB) स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से ग्रामीण और निर्धन महिलाओं के लिए उसी उद्देश्य से सन 1986-87 से जागरूकता सृजन परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2005-06 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत परिव्यय तथा खर्च क्रमशः 5 करोड़ रुपये और 4.91 करोड़ रुपये था। वर्ष 2005-06 के दौरान 8-10 दिनों की कालावधि के 5000 जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने का लक्ष्य था जिसके मुकाबले वर्ष के दौरान 5076 कैम्प लगाए जा सके। 2006-07 के लिए इस स्कीम के वास्ते परिव्यय 5.50 करोड़ रुपये है और 5000 ऐसे कैम्प लगाए जाने का लक्ष्य है।

**3.8.9 अल्पावधिक वास गृह :** वर्ष 1969-70 में शुरू की गई इस स्कीम का कार्यान्वयन भी केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (CSWB) द्वारा किया जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को ऐसी महिलाओं और लड़कियों के लिए अल्पावधिक वास गृह बनाने के लिए धन दिया जाता है, जो वैवाहिक झगड़े, परिवार से अनबन, अपराध या किसी अन्य कारण से पीड़ित होकर बेघर हो गई हों। स्कीम में गृहवासियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ उपयुक्त आवास हेतु निधियों का प्रावधान है, इसके अलावा परामर्श, कानूनी सहायता, चिकित्सीय सुविधाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा गृहवासियों के पुनर्वास जैसी सेवाओं के लिए भी धन प्रदान किया जाता है। वर्ष 2005-06 के लिए स्कीम का परिव्यय 15.00 करोड़ रुपये और व्यय 15.10 करोड़ था। दसवीं योजना में लक्ष्य 560 गृह स्थापित करने का था जिसके मुकाबले मार्च 2006 तक 433 गृह स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान स्कीम के लिए 16.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान

किया गया है। वर्ष के दौरान 30 और गृह स्थापित किये जाने का लक्ष्य है।

**3.8.10 सूचना, मास मीडिया और प्रकाशन :** महिलाओं की अधिकारिता तथा बच्चों के विकास से सम्बन्धित मुद्दों के बारे में जागरूकता सृजन और मीडिया एडवोकेसी हेतु और महिलाओं के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाने, समाज में उनके संतुलित चित्रण के अलावा उनके हितों की सुरक्षा के लिए मौजूदा संवैधानिक और कानूनी उपबन्धों के साथ-साथ सरकार द्वारा किए जा रहे विशिष्ट प्रयासों तथा महिलाओं और बच्चों की स्कीमों की बाबत जानकारी देने में इस स्कीम का विशेष महत्व है। वर्ष 2005-06 के दौरान स्कीम का परिव्यय 12 करोड़ रुपये था जिसके मुकाबले खर्च 12.42 करोड़ रुपये हुआ। वर्ष 2006-07 के दौरान स्कीम के लिए 15 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान हाथ में ली जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों में बालिका शिशु से सम्बद्ध मुद्दों, बच्चों के पूर्ण विकास, महिलाओं की अधिकारिता, पोषण, महिलाओं के लिए समान दर्जा, बाल विवाह, दहेज, बालिकाओं का यौन शोषण, महिलाओं और बच्चों का दुर्व्यापार तथा शोषण आदि के खिलाफ जनमत तैयार करना शामिल है।

**3.8.11 कार्यशील महिलाओं के लिए होस्टल:** रोजगार बाजार में महिलाओं की अधिक गतिशीलता को बढ़ावा देने की दृष्टि से यह स्कीम केन्द्रीय सेक्टर स्कीम के रूप में सन 1972 से चल रही है। इस स्कीम का उद्देश्य उन कार्यशील महिलाओं को उपयुक्त, सुरक्षित तथा कम खर्चीला आवास उपलब्ध कराना है, जो अपने घरों से दूर अन्य स्थानों पर रह रही हैं। स्कीम के अन्तर्गत होस्टल भवन की लागत के 75 प्रतिशत तक तथा भूमि की लागत के 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु स्वैच्छिक संगठन, महिला विकास निगम, विश्वविद्यालय, स्वायत्त सरकारें तथा राज्य सरकारें पात्र हैं। दसवीं योजना के दौरान स्कीम के लिए परिव्यय 85.00 करोड़ रुपये था। परन्तु, मार्च, 2006 के अन्त तक केवल 20.21 करोड़ रुपये ही खर्च किए जा सके। लक्ष्य 125 नये होस्टल निर्मित किए जाने का था, जिसमें से मार्च 2006 के

अन्त तक केवल 47 ही निर्मित किए जा सके। निधियों के न्यून उपयोग का मुख्य कारण होस्टल निर्माण में लागत में हिस्सेदारी के प्रावधान के मद्देनजर स्वैच्छिक संगठन स्कीम के अन्तर्गत सहायता का लाभ नहीं उठा सके। इसलिए अब स्कीम में संशोधन के लिए विचार किया जा रहा है। संशोधित स्कीम के 11वीं योजना के दौरान प्रचालन में आ जाने की आशा है। स्कीम के लिए वार्षिक योजना 2006-07 में 5.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है और 10 होस्टल निर्मित किए जाने का लक्ष्य है।

## महिला अधिकारिता

### i) आर्थिक अधिकारिता

3.8.12 **स्वयंसिद्धा:** स्वयंसिद्धा एक एकीकृत केन्द्र प्रायोजित स्कीम है जो स्वालंबन समूहों (सेल्फ हैल्प ग्रुपों) के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक अधिकारिता हेतु 1995 से कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्तमान में 650 ब्लॉक आते हैं। मार्च 2006 के अन्त तक स्कीम के अन्तर्गत 65000 के लक्ष्य के मुकाबले कुल 67971 महिला स्वालंबन समूह बनाए गए थे जिनमें 989485 महिलाओं को लाभ हुआ। इसी अवधि के दौरान स्वालंबन समूहों के 6234 क्लस्टर तथा 387 परिसंघ भी बनाए गए। स्कीम के मूल्यांकन से संकेत मिलता है कि महिला लाभार्थियों को विशेष रूप से सामाजिक मुद्दों के संबंध में अपना जागरूकता स्तर बढ़ाने, समझौता वार्ता कौशल में वृद्धि, कानूनी अधिकारों के बारे में ज्ञान में वृद्धि, पारिवारिक निर्णय लेने में भागीदारी की वृद्धि, बैंक सम्बन्धी कार्यपद्धतियों का ज्ञान, साहूकारों से उधारी में कमी तथा क्षमता निर्माण आदि जैसे लाभ मिले हैं। स्कीम महिला अधिकारिता, सामूहिक अनुचिन्तन और संगठित कार्य हेतु एक मंच उपलब्ध कराए जाने में सक्षम रही है। वर्ष 2005-06 के दौरान स्कीम के लिए 20 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया था। इसके मुकाबले 20.78 करोड़ रुपये का वास्तविक खर्च हुआ। 2006-07 के लिए स्वयंसिद्धा हेतु 30.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है। इस परिव्यय का उपयोग स्वालंबन समूहों (SHGs) तथा उनके क्लस्टरों और परिसंघों को समेकित करने में किया जाएगा।

3.8.13 **स्वशक्ति :** ग्रामीण महिलाओं का विकास और अधिकारिता परियोजना अर्थात स्वशक्ति की वित्तीय सहायता विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) से प्रदान की गई थी और यह अक्टूबर, 1999 से कार्यान्वयन अधीन है। परियोजना जून, 2005 के बाद अपने चरम बिन्दु पर पहुँची। इसे 9 राज्यों नामतः हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के 57 जिलों के 335 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया। प्रोग्राम का कुल मिलाकर उद्देश्य महिलाओं के बीच स्वालंबन समूहों, व्यक्ति ऋण, और आय सृजक गतिविधियों को बढ़ावा देकर महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक विकास करना और अधिकारिता प्रदान करना था। परियोजना की उपलब्धियां महत्वपूर्ण रही हैं। परियोजना द्वारा 16000 के मूल लक्ष्य के मुकाबले 17647 स्वालम्बन समूह (SHGs) स्थापित किए गए जिनके अन्तर्गत कोई 244000 महिलाएं 1215 क्लस्टरों के तहत कवर की गईं। वर्ष 2005-06 स्कीम का अन्तिम वर्ष था और वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए स्कीम हेतु 5.00 करोड़ रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया था। वर्ष 2006-07 के दौरान भी इसके अन्तर्गत वचनबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए 2 करोड़ रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

3.8.14 **राष्ट्रीय महिला कोश (RMK):** सन 1993 में स्थापित राष्ट्रीय महिला कोश एक प्रधान व्यक्ति ऋण एजेंसी है जिसका संकेन्द्रण जीविका और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए ऋण की व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं और उनकी आर्थिक अधिकारिता पर है। राष्ट्रीय महिला कोश (RMK) 31 करोड़ रुपये की कार्पस निधि से शुरू हुआ परन्तु इस समय इसके पास लगभग 76 करोड़ रुपये का ऋण योग्य कार्पस मौजूद है। राष्ट्रीय महिला कोश अपनी सहायता गैर सरकारी संगठनों, महिला विकास निगम, सहकारी समितियों, स्वालंबन समूहों के माध्यम से पहुँचाता है। 11 सितम्बर, 2006 तक कुल स्वीकृत निधियां 193.24 करोड़ रुपये की हैं जिससे लगभग 5.51 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। महिला व बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक योजना में राष्ट्रीय महिला कोश (RMK) के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का आशय मूलतः इसके कार्पस में आवश्यकतानुसार

वृद्धि करना है। मंत्रालय को वर्ष 2005-06 के दौरान इसके लिए 0.01 करोड़ रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया था। परन्तु यह अनुमान लगाते हुए कि कोश के कार्पस के आकार में वृद्धि की आवश्यकता होगी, इसलिए वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय महिला कोश (RMK) स्कीम के अन्तर्गत 10 करोड़ रुपये के वर्धित परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

**3.8.15 प्रशिक्षण-एवं-रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (STEP):** स्टेप 1987 में शुरू की गई थी। यह स्कीम मूलतः महिलाओं के रोजगार, जिसमें विशेष रूप से पारम्परिक व्यवसायों में स्वतन्त्र रोजगार भी शामिल है, के अवसर बढ़ाने तथा उन्हें व्यापक बनाने की दृष्टि से उनके कौशल प्रशिक्षण के लिए है। यह स्कीम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। मार्च 2006 तक कुल 19200 महिलाएं इस स्कीम के अन्तर्गत लाभ पा चुकी थीं। वर्ष 2005-06 के लिए स्कीम के लिए परिव्यय 15.00 करोड़ रुपये था और वास्तविक खर्च 17.18 करोड़ रुपये। वर्ष 2006-07 के दौरान स्कीम के लिए 16.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

### लैंगिक न्याय

**3.8.16** वार्षिक योजना 2006-07 महिला संघटक योजना (WCP) तथा लैंगिक बजटिंग की प्रवर्तमान्य दो महत्वपूर्ण कार्यनीतियों के द्वारा लैंगिक न्याय के आगे ले जाएगी। मुख्य उद्देश्य सभी नीतियों और कार्यक्रमों में लिंग सापेक्ष में महत्व को मुख्य धारा में लाना और लिंग भेदभाव को समाप्त करके अन्तिम लक्ष्य तथा लैंगिक न्याय और महिला अधिकारिता के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। महिला संघटक योजना (WCP) में यह विहित किया गया है कि महिलाओं से सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत महिलाओं के लिए 30% से कम निधियां/लाभ नियत न किए जाएं। लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करने अथवा बजट में लिंग संवेदनशीलता को सम्मिलित करने के लिए लैंगिक बजटिंग को महत्वपूर्ण समझा जाता है। लैंगिक बजटिंग का मुख्य उद्देश्य, विभिन्न क्षेत्रक मंत्रालयों/विभागों के सभी

सहकारी कार्यक्रमों तथा नीतियों में लिंग सापेक्ष महत्त्वों की व्यवस्था द्वारा बजटीय वचनबद्धताओं में लैंगिक वचनबद्धताओं को कार्य रूप देना है। जेंडर बजट सैल लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों में कार्य करना शुरू कर दिया है। महिला विकास के सम्बन्ध में महिला व बाल विकास मंत्रालय चूँकि नोडीय मंत्रालय है अतः वह सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए और साथ ही राज्य सरकारों के लिए भी जेंडर बजटिंग पर ओरिएन्टेशन वर्कशाप्स आयोजित करता रहा है ताकि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की योजनाओं, बजटों तथा वार्षिक रिपोर्टों में लैंगिक सापेक्ष महत्व विधिवत परिलक्षित करना सुनिश्चित हो सके।

**3.8.17 राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW):** राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) जिसका गठन 1992 में किया गया था, एक कानूनी निकाय है जो महिलाओं के अधिकारों तथा हितों की सुरक्षा द्वारा लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने का कार्य करता रहा है। आयोग की मुख्य गतिविधियों में शामिल हैं : भारतीय संविधान में महिलाओं को उपलब्ध कराई गई सुरक्षाओं से संबंधित सभी मामलों की जाँच-पड़ताल, परीक्षा तथा समीक्षा ; महिला विशिष्ट तथा महिलाओं से सम्बन्धित विधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा तथा जहाँ कहीं आवश्यक हो उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देना, महिलाओं की शिकायतों पर निगरानी रखना तथा उनके निराकरण को सुकर बनाना आदि। इस प्रकार आयोग समाज में महिलाओं की हैसियत में सुधार लाने और उनकी समग्र अधिकारिता के लिए कार्य करने के राष्ट्रीय प्रयास में अग्रणी रहा है। वर्ष 2005-06 के दौरान आयोग के लिए चार करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी जिसमें से 3.20 करोड़ खर्च किए गए। कमीशन को 2006-07 में भी वही 4.00 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है।

**3.8.18 केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (CSWB):** अगस्त 1953 में गठित केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (CSWB) महिलाओं और बच्चों के विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिकतावाद को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता रहा है। वर्तमान में, बोर्ड एक प्रधान संगठन है जिसका देश भर में स्वैच्छिक एजेंसियों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। बोर्ड जिन महत्वपूर्ण स्कीमों का

प्रचालन करता रहा है, वे हैं- महिलाओं और लड़कियों के लिए अल्पावधिक वास गृह, व्यस्क महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम, जागरूकता सृजन परियोजनाएं, परिवार परामर्शी केन्द्र आदि।

**3.8.19 कठिन परिस्थितियों में महिलाएं (स्वाधार):** स्वाधार कठिन परिस्थितियों में रह रहीं दर किनार कर दी गई महिलाओं और लड़कियों के लिए, जिन्हें कोई सामाजिक और आर्थिक सहयोग नहीं है जैसे निःसहाय विधवाएं, जेल से छुटी और बिना पारिवारिक पोषणप्राप्त महिला कैदी, प्राकृतिक आपदाओं से जीवित बच गई महिलाएं, दुर्व्यापार की शिकार महिलाएं, आतंकवादियों की हिंसा की शिकार ऐसी महिलाएं जिन्हें कोई पारिवारिक समर्थन प्राप्त नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान तथा देखभाल जैसी सहायक सेवाएं प्रदान करने के लचीले तथा नवीन दृष्टिकोण से 2001-02 में शुरू की गई थी। कष्ट में रह रही ऐसी महिलाओं के लिए हैल्प लाइन की व्यवस्था करना भी इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य है। मार्च 2006 तक देशभर में विभिन्न राज्यों में कुल 129 स्वाधार शरण गृह तथा 124 हैल्प लाइनें कार्य कर रही थी। वर्ष 2005-06 के लिए स्वधार हेतु व्यवस्थित परिव्यय 6.00 करोड़ रुपये था और व्यय 7.37 करोड़ रुपये। वर्ष 2006-07 के लिए इस स्कीम हेतु 8.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

### बच्चों का विकास

**3.8.20 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (ICDS) स्कीम :** 1975 से कार्यान्वित की जा रही है। देश भर में छोटे बच्चों और माताओं के समग्र विकास के लिए एक प्रमुख स्कीम है। इस स्कीम को कार्यनीति छोटे बच्चों (0-6 वर्ष), विशेष रूप से बालिकाओं, संभावित तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के समग्र विकास को बुनियादी छह सेवाओं के पैकेज-एकल खिड़की परिदान, व्यवस्था के जरिए स्वास्थ्य जांच, रोधक्षमीकरण, रेफरल सेवाएं, पूरक पोषण, स्कूल पूर्व शिक्षा और स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी शिक्षण के माध्यम से बढ़ावा देना है।

3.8.21 प्रारम्भ में प्रयोग के तौर पर 33 ब्लाकों/ में शुरू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) का विगत वर्षों के दौरान विस्तार हुआ है और 31.3.2006 तक स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या 6118 हो गई जिनमें से 5659 परियोजनाएं 7.38 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से कार्यरत हैं, जिनके अन्तर्गत 562.18 लाख लाभार्थी (6 वर्ष के छोटे 467.18 लाख बच्चे और 95 लाख गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं) शामिल किये गए हैं। लाभ प्राप्त बच्चों में 244.92 लाख स्कूल पूर्व शिक्षा वाले लाभार्थियों के रूप में हैं।

3.8.22 एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) के लिए, वर्ष 2005-06 दो दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण था अर्थात् राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (NCMP) की वचनबद्धता और प्रत्येक बस्ती में आंगनवाड़ी गठन करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में 466 अतिरिक्त परियोजनाओं और लगभग 1.88 लाख अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) के विस्तार का पहला चरण और केन्द्र सरकार का यह प्रमुख निर्णय कि इस स्कीम के अन्तर्गत राज्यों के साथ पूरक पोषण की लागत का 50% हिस्सा बांटना। इसे देखते हुए, वर्ष 2005-06 के दौरान एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) के लिए 3685.30 करोड़ रुपये का आवंटन पर्याप्त वर्धित था जबकि इसकी तुलना में वार्षिक योजना 2004-05 के दौरान इस स्कीम के लिए 2167.44 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था (दोनों वर्षों में आबंटनों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त 922 एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) परियोजनाओं और UDISHA अर्थात् ICDS प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां शामिल हैं) वर्ष 2005-06 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत व्यय 3700.65 करोड़ रुपये है। सभी रिहायशी बस्तियों में आंगनवाड़ी केन्द्रों का गठन करने के लिए ICDS का और विस्तार अभी भी विचाराधीन है। इस बीच, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त ICDS के अन्तर्गत पहली परियोजनाओं और उदीशा को मार्च 2006 के बाद बन्द कर दिया गया है। इन परियोजनाओं और उदीशा का अब वित्त पोषण आन्तरिक संसाधनों से किया जाता है। इसे देखते हुए ICDS के लिए आवंटन

और बढ़ाकर वर्ष 2006-07 में 4543.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

3.8.23 एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) के संघटक के रूप में किशोरी शक्ति योजना (KSY) प्रति ब्लाक 1.10 लाख रुपये के वार्षिक प्रावधान से 2000 चुनिंदा ब्लाकों में सन 2000 से कार्यान्वयनाधीन है : इस स्कीम का विशेष मध्यक्षेप (interventis) 11-18 वर्ष के आयुसमूह की किशोरियां हैं जिनकी पोषण और स्वास्थ्य स्थिति, साक्षरता, गणना कुशलताओं, व्यावसायिक कुशलताओं आदि से संबंधित उनकी आवश्यकताओं की देखभाल करना है। इसके महत्त्व को समझते हुए किशोरी शक्ति योजना का 2005-06 से सार्वभौमिकरण करके इसे सभी एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) परियोजनाओं में कार्यान्वित किया जा रहा है।

3.8.24 ICDS प्रशिक्षण कार्यक्रम- UDISHA: एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) सहित किसी भी स्कीम में प्रशिक्षण एक महत्त्वपूर्ण तत्व है। एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) स्कीम की शुरुआत से ही, कार्यकर्ताओं अर्थात् आंगनवाड़ी कार्मिकों (AWWs), आंगनवाड़ी हैल्पर्स (AWHs) सुपरवाइजर्स सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों (CDPOs) के लिए प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यापक कार्यनीतियां तैयार की जा रही हैं। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित उदिशा ICDS कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम था। परन्तु, मार्च 2006 के बाद इस स्कीम हेतु विश्व बैंक से सहायता मिलनी बन्द हो गई है। तथापि, ICDS के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण की अनिवार्यता को देखते हुए, प्रशिक्षण कार्यक्रम घरेलू संसाधनों से वित्तपोषण के माध्यम से जारी रखा जा रहा है। तदनुसार, वर्ष 2006-07 के लिए उदिशा के लिए 87 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान 800 CDPOs, 17000 सुपरवाइजर्स तथा 2.3 लाख आंगनवाड़ी कार्मिकों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है।

3.8.25 वर्ष 2005-06 की तरह ही, वार्षिक योजना 2006-07 के दौरान भी ICDS के अन्तर्गत मॉनीटर की जानेवाली प्रमुख प्रत्याशित उपलब्धियां तथा परिणाम हैं- राज्य/संघ

राज्य क्षेत्रवार स्वीकृत तथा प्रचालनगत ICDS परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या, लाभार्थियों अर्थात् बच्चों (0-6 वर्ष), गर्भवती तथा स्तनपान करा रही माताओं की संख्या, जो आंगनवाड़ी केन्द्रों में जा रही हैं, स्कूल पूर्व शिक्षा पा रहे बच्चों की संख्या, ग्रेड III तथा ग्रेड IV के बच्चों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए बच्चों में अवपोषण का प्रावलय, स्तनपान कराने की प्रथा का प्रचलन अर्थात् प्रथम छह महीनों के लिए मात्र स्तनपायी बच्चों की संख्या (%) तथा IMR, MMR व CMR और आंगनवाड़ी कार्मिकों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों (CDPOs), सुपरवाइजर्स आदि की संख्या, जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया है।

3.8.26 कार्यरत माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी क्रेच स्कीम : कार्यरत और बीमार माताओं के बच्चों के लिए क्रेचों तथा डे-केयर केन्द्रों की पूर्व स्कीम तथा राष्ट्रीय क्रेच निधि (NCF) के विलय के बाद राजीव गांधी क्रेच स्कीम 2005-06 से शुरू की गई थी। कार्यरत और बीमार माताओं के बच्चों के लिए क्रेचिज़ और डे-केयर केन्द्रों की यह स्कीम सन 1975 से चल रही थी और इसका कार्यान्वयन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (CSWB) तथा दो अन्य राष्ट्रीय स्तर के स्वैच्छिक संगठनों अर्थात् भारतीय बाल कल्याण परिषद (ICCW) तथा भारतीय आदिमजाति सेवक संघ (BAJSS) द्वारा किया जा रहा था। स्कीम का उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और कमजोर वर्गों की माताओं को डे-केयर संबंधी सेवाओं की महत्त्वपूर्ण जरूरत पूरी करना था। बच्चों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं में पूरक पोषण, रोधक्षमीकरण, चिकित्सीय सुविधाएं और मनोरंजन शामिल हैं। प्रारंभ में, 1975-76 में 247 क्रेच इकाई से स्कीम का श्रीगणेश किया गया, जिसके अन्तर्गत 6175 बच्चे कवर किए गए, और अब यह स्कीम वर्ष 2004-05 तक लगभग 3.12 लाख बच्चों को लाभ पहुँचाते हुए 12,470 क्रेच इकाइयों का पोषण कर रही है। NCF के क्रेचिज़ व डे-केयर केन्द्रों की स्कीम के साथ विलय हेतु लिए गए निर्णय के अलावा वर्ष 2005-06 के दौरान इसके वित्तीय प्रतिमानों के सम्बन्ध में खासकर इन स्कीमों का नवीकरण किया गया। स्कीम के पर्याप्त विस्तार और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत माताओं के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने हेतु क्रेच

तालिका 3.8.2

दसवीं योजना व वार्षिक योजना 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान महिला व बाल विकास सेक्टर के लिए बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना (EAP) के अन्तर्गत परियोजनाओं और खर्च (करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	दसवीं योजना 2002-03		वार्षिक योजना		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		कुल परियोजना	वास्तविक ईएसी*	कुल परियोजना	ईएसी*	सं. अनु. कुल परियोजना	ईएसी*	सं. अनु. कुल परियोजना	ईएसी*	सं. अनु. कुल परियोजना	ईएसी*	सं. अनु. कुल परियोजना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम</b>													
i)	स्वाबलम्बन	150.00	25.00	24.50	5.00	19.35	0.00	25.00	0.00	15.00	-	2.00	-
ii)	सीआरईएमई*	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii)	सीआईडीए* सहायता प्रदत्त कार्यक्रम	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv)	अनुसंधान, प्रकाशन व मनीटिंग के लिए जीआईए	25.00	-	0.86	-	0.70	-	1.65	-	2.25	1.25	2.25	1.50
<b>II. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें</b>													
i)	वर्ल्ड बैंक सदस्यता प्रदत्त आईसीडीएस परियोजनाएं	1292.86	6969.65	378.75	265.14	411.22	287.85	270.00	198.00	330.00	231.00	1.48	-
ii)	ICDS प्रशिक्षण कार्यक्रम उदीशा	462.26	323.58	59.10	46.74	51.52	36.66	60.00	42.00	69.00	48.30	87.00	-
iii)	स्व-शक्ति	75.00	67.00	25.90	22.80	17.20	15.19	25.00	22.50	5.00	4.50	2.00	-
<b>योग</b>		<b>2005.14</b>	<b>1385.25</b>	<b>489.11</b>	<b>339.68</b>	<b>499.99</b>	<b>339.70</b>	<b>381.65</b>	<b>262.50</b>	<b>421.25</b>	<b>285.05</b>	<b>94.73</b>	<b>1.50</b>

\* ये स्कीमें दसवीं योजना के लिए प्रस्तावित थीं परन्तु शुरू नहीं की गईं। ईएसी- बाहरी सहायता संघटक, 2006-07 के दौरान नये अभिक्रम

स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया था। वर्ष 2005-06 के दौरान कुल 12600 क्रेच प्रचालनाधीन थे जिनसे 3.15 लाख बच्चे लाभान्वित हुए। वर्ष 2006-07 के दौरान लक्ष्य क्रेचों की संख्या बढ़ाकर 27187 करने का है जिनसे लगभग 6-8 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। तदनुसार, स्कीम के लिए परिव्यय बढ़ाकर वर्ष 2006-07 के दौरान 90 करोड़ कर दिया गया है जबकि वर्ष 2005-06 में 31.50 करोड़ का प्रावधान किया गया था।

**3.8.27 राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकार व बाल विकास संस्थान (NIPCCD):** राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकार व बाल विकास संस्थान (NIPCCD) / एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु शीर्ष निकाय है। यह संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों का आयोजन करता है, अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन करता है तथा सार्वजनिक सहकार व बाल विकास के क्षेत्र में प्रलेखन और सूचना सेवाएं मुहय्या करता है। यह बाल विकास संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों तथा स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने व उन्हें कार्यान्वित करने में सरकार तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को तकनीकी सलाह और परामर्श प्रदान करता है। संस्थान महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्रों में क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी निकायों के साथ सहयोग भी करता है। वार्षिक योजना 2005-06 में संस्थान के लिए 5.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 4.36 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। संस्थान ने वर्ष के दौरान 115 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जिसमें 1300 व्यक्तियों को कवर किया गया। वर्ष 2006-07 के दौरान संस्थान का परिव्यय 5.00 करोड़ रुपये ही रखा गया है तथा लक्ष्य 1500 व्यक्तियों को कवर करते हुए 60 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का रखा गया है।

**3.8.28 बालिका समृद्धि योजना (BSY):** बालिका समृद्धि योजना सन 1997 में इस उद्देश्य से शुरू की गई थी कि गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को, जब उनके यहां कोई कन्या पैदा होती है, वित्तीय सहायता/प्रसव पश्चात्

अनुदान देकर और उसके बाद जब बच्ची स्कूल जाती है तब वार्षिक छात्रवृत्तियां पाठ्यपुस्तकें-यूनिफार्म आदि प्रदान करके समाज में कन्या शिशु के प्रति मनोवृत्तिक परिवर्तन लाया जा सके। परन्तु, इस स्कीम को राज्यों को अन्तरित किया जा चुका है। अतः वर्ष 2006-07 के दौरान स्कीम के लिए 0.03 करोड़ रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

**3.8.29 खाद्य और पोषण बोर्ड (NNB) तथा पोषण शिक्षा :** खाद्य और पोषण बोर्ड लोगों की पोषणीय स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से भारतीय आहार सम्बन्धी पद्धति का विविधीकरण करने के लिए कार्य करता है। इसके कार्यों में शामिल हैं- पोषण शिक्षा तथा प्रशिक्षण गतिविधियाँ, जनसाधारण जागरूकता अभियान, शिशु और छोटे बच्चे के पोषण को उन्नत बनाना तथा राष्ट्रीय पोषण नीति के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्रवाई करना। इस स्कीम के लिए वर्ष 2005-06 में 5.59 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया था जिसमें से वर्ष के दौरान 5.17 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वर्ष 2006-07 के दौरान भी स्कीम के लिए उतना ही परिव्यय अर्थात् 5.59 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। NNB राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM) की स्कीम का भी कार्यान्वयन करता है जिससे मिशन के क्रियाकलापों का उसी नाम से संचालन किया जा सके जो 15 अगस्त, 2001 को अपने स्वतंत्रता दिवस सम्बोधन के दौरान प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसरण में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया है। मिशन का फोकस पोषण के क्षेत्र में कार्यक्रमों के पूर्ण एकीकृत तरीके से कार्यान्वयन में, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के बीच सहक्रिया को बढ़ावा देना तथा नये कार्यक्रमों के बारे में, जो आवश्यक हों, सुझाव देना है। इसके अलावा अवपोषण के मूक संकट की ओर ध्यान देने में राज्य की पूरी अन्तर्ग्रस्तता सुनिश्चित करना भी है। वर्ष 2006-07 के लिए मिशन के लिए 0.03 करोड़ रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

### बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

**3.8.30** सरकार द्वारा वित्तपोषण के अलावा, कतिपय महिला व बाल विकास परियोजनाओं की सहायतार्थ बाह्य अभिकरणों

से बाहरी सहायता भी प्राप्त होती है। दसवीं योजना में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं और इसकी वार्षिक योजना का सारांश तालिका 3.8.2 में दिया है।

### वर्ष 2006-07 के दौरान नये अभिक्रम (प्रयास)

3.8.31 'बलात्कार पीड़ितों को राहत तथा पुनर्वास स्कीम' बलात्कार पीड़ितों को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए तथा इसे कार्यान्वित करने के लिए एक स्कीम तैयार करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक आपराधिक क्षति प्रतिकर बोर्ड गठित किए जाने का प्रस्ताव है। इस स्कीम के अन्तर्गत आपराधिक क्षति प्रतिकर बोर्डों का गठन जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तरों पर किया जायेगा। जिला और राज्य स्तरों पर गठित बोर्डों पर स्कीम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व होगा और वे बलात्कार पीड़ितों के दावों पर विचार करके उन्हें वित्तीय राहत और पुनर्वास के सम्बन्ध में निर्णय देंगे। राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड, नीतियों और कार्यविधियां निर्धारित करके, समय-समय पर कार्यान्वयन की समीक्षा करके, राज्य सरकारों का उपयुक्त सलाहात्मक आदेश जारी करने के लिए मंत्रालय को परामर्श देकर स्कीम को शासित करेगा। इसके अलावा निधियों सम्बन्धी जरूरतों का अनुमान लगाकर राज्य बोर्डों को निधियों का प्रशासन और आबंटन करने, पीड़ितों को उपयुक्त चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक तथा कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी करने, पीड़ितों के पुनर्वास के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करके जारी करने, स्कीम के कार्यान्वयन को मॉनीटर तथा मूल्यांकन करने, याचिका आदि पर स्वतः जांच करने आदि का कार्य करेगा। वर्ष 2006-07 के लिए इस स्कीम हेतु एक करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

3.8.32 **राष्ट्रीय शिशु अधिकार संरक्षा आयोग:** शिशु अधिकार संरक्षा आयोग अधिनियम, 2005 सरकार द्वारा 20 जनवरी, 2006 को अधिसूचित किया गया था। अधिनियम में शिशु अधिकारों की सुरक्षा, संरक्षा तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर शिशु अधिकार संरक्षा आयोगों का गठन विहित किया गया है। राष्ट्रीय आयोग का गठन विचाराधीन है। वर्ष 2006-07 के दौरान

इस स्कीम के लिए 2.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

### अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) तथा जनजाति उपयोजना (TSP)

3.8.33 महिला तथा बाल विकास मंत्रालय की सभी स्कीमों में मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसी जनसंख्या के अत्यधिक असुविधाग्रस्त वर्गों की महिलाओं से सम्बन्धित हैं। इस प्रकार सभी स्कीमों में मूल सोच यह है कि सभी स्कीमों के लाभ अनुसूचित जातियों, अनु. जनजातियों और महिलाओं को लक्ष्य में रखते हुए सर्वथा गरीब परिवारों सहित जनसंख्या के असुविधाग्रस्त वर्गों को मिले। मंत्रालय की मुख्य स्कीम अर्थात् एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) जो मंत्रालय के बजट का लगभग दो तिहाई हिस्सा ले लेती है, असुविधाग्रस्त वर्ग अर्थात् अनु० जातियों व अनु० जनजातियों में अति संवेदनशील समूहों को महत्वपूर्ण सेवाओं की व्यवस्था परिकल्पित है। यह उल्लेखनीय है कि ICDS में जनजातीय क्षेत्रों में परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केन्द्रों (AWCs) की अवस्थिति के लिए विशेष ढील की व्यवस्था की गई है। कोई भी ICDS परियोजना की कालावधि सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास ब्लाक के साथ समाप्त होनी होती है जिसे 1 लाख की आबादी को लाभ पहुँचाना होता है। दूसरी ओर जनजातीय परियोजना से 35000 की आबादी को लाभ पहुँचाने की आशा की जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक AWC द्वारा ग्रामीण तथा शहरी परियोजना में 1000 की आबादी को लाभ प्रदान किया जाना होता है जबकि जनजातीय परियोजना में प्रत्येक केन्द्र को 700 की आबादी को अपनी सेवाएं प्रदान की जानी होती हैं। जनसंख्या के ये प्रतिमान संशोधनाधीन हैं। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, सामुदायिक/ग्रामीण विकास ब्लाक एक ग्रामीण/जनजातीय परियोजना की स्वीकृति के लिए इकाई होगी उसके अन्तर्गत जनसंख्या भले ही कितनी भी हो। इसी प्रकार प्रत्येक AWC के अन्तर्गत ग्रामीण/शहरी परियोजना में 500 से 1500 तक की जनसंख्या कवर होगी तथा प्रत्येक मिनी AWC के अन्तर्गत ग्रामीण परियोजना में 150 से 500 तक की जनसंख्या कवर होगी। परन्तु जनजातीय परियोजनाओं में प्रत्येक AWC

300-1500 तक की जनसंख्या के लिए प्रबन्ध व्यवस्था करेगी तथा प्रत्येक मिनी AWC 150 से 300 तक की जनसंख्या के लिए। वर्ष 2006-07 के दौरान देश में 5632 प्रचालनगत परियोजनाओं में से 763 परियोजनाएं (13.5%) जनजातीय क्षेत्रों में थी। एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) के अन्तर्गत कुल लाभार्थियों में से लगभग 26% अनुसूचित जाति और कोई 20% अनु० जनजाति वर्गों से हैं। कार्यरत माताओं के बच्चों की राजीव गांधी क्रेच स्कीम के अन्तर्गत 12600 क्रेच हैं जिनसे 2.94 लाख बच्चों को लाभ पहुँचा, इनमें से 45200 बच्चे अनुसूचित जातियों और 20585 बच्चे अनु० जनजातियों के हैं। कार्यरत महिलाओं के लिए होस्टलों की स्कीम के अन्तर्गत होस्टलों में 15% सीटें अनु० जाति की और 7.5% अनु० जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। मंत्रालय की 2006-07 की वार्षिक योजना यह सुनिश्चित करने कि विभिन्न स्कीमों के लाभ असुविधाग्रस्त अनु० जाति व अनु जनजाति जनसंख्या को पहुँचे, मंत्रालय अनुसूचित जाति सवप्लान (SCSP) तथा जनजाति सवप्लान (TSP) पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रखेगा।

### स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका

3.8.34 महिला व बाल विकास मंत्रालय की स्कीमों के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक संगठन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते रहे हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (CSWB) द्वारा प्रचालित अधिकांश स्कीमों का कार्यान्वयन स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जाता है। एक प्रमुख स्कीम जो पूरी तरह से स्वैच्छिक संगठनों को सौंपी गई है, वह कार्यरत माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी क्रेच स्कीम है। अन्य स्कीमों, जिनके कार्यान्वयन में स्वैच्छिक संगठन भी ग्रस्त हैं,

वे हैं- कार्यरत महिलाओं के लिए होस्टल, STEP, स्वाधार, स्वयंसिद्धा, एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) आदि। राष्ट्रीय महिला कोश मुख्य रूप के स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से ही महिलाओं के बीच व्यक्ति-ऋण को बढ़ावा देने की अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। विशेष रूप से महिलाओं और कन्या शिशुओं दोनों के पक्ष में लोगों की सोच में परिवर्तन लाने हेतु जागरूकता पैदा करने तथा लिंग सुग्राहिता के क्षेत्र में तथा महिलाओं और कन्याओं के विरुद्ध हिंसा/अत्याचार से लड़ने, महिलाओं को स्वालंबन समूहों में संगठित करने, स्वतंत्र रोजगार आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका अनिवार्य बन जाती है। अतः स्वैच्छिक संगठन वर्ष 2006-07 के दौरान महिलाओं की अधिकारिता तथा बच्चों के विकास के लिए उत्प्रेरक एजेंटों की भूमिका निभाते रहेंगे।

### मानिटरिंग तथा मूल्यांकन पद्धति

3.8.35 मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों की मानीटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत विद्यमान हैं, जिनमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी का पंजीकरण हो और उसकी सिफारिश राज्य सरकार की तरफ से आए। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की प्रभावक्षमता में और सुधार लाने की दृष्टि से राज्य अधिकारप्राप्त समितियों द्वारा परियोजना प्रस्तावों की सिफारिश की जानी अपेक्षित है तथा निधियों आदि के उपयोग के संबंध में विस्तृत फीडबैक दिया जाना अपेक्षित है। विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्रगति की भी मानीटरिंग और समीक्षा आवधिक रिपोर्टों, राज्य सरकारों के साथ समीक्षा बैठकों तथा सम्बन्धित एरिया अधिकारियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षणों के माध्यम से की जाती है।

महिला व बाल विकास मंत्रालय  
स्कीम-वार परिव्यय तथा खर्च

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	(2004-05) वास्तविक	वार्षिक योजना (2005-06)		(2006-07) परिव्यय
			परिव्यय	वास्तविक	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>केन्द्रीय स्कीमें</b>				
<b>क</b>	<b>बच्चों का कल्याण व विकास</b>				
1.	कार्यरत/बीमार माताओं के बच्चों के लिए क्रैच/डे-केयर सेन्टर	10.49	31.50	30.30	90.00
2.	सार्वजनिक सहयोग व बाल विकास का राष्ट्रीय संस्थान (एनआईपीसीसीडी)	2.13	5.00	4.36	5.00
3.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)	0.00	0.10	0.00	2.00
	<b>योग क</b>	<b>12.62</b>	<b>36.60</b>	<b>34.66</b>	<b>97.00</b>
<b>ख</b>	<b>महिला कल्याण व विकास</b>				
4.	कार्यरत महिलाओं के लिए होस्टल	4.82	6.50	2.25	5.00
5.	महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र (एनओआरएडी) (स्वालम्बन)	7.18	15.00	8.14	2.00
6.	प्राशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (एसटीईपी)	17.82	15.00	17.18	16.00
7.	राष्ट्रीय महिला आयोग	2.20	4.00	3.20	4.00
8.	राष्ट्रीय महिला ऋण निधि (आरएमके)	0.00	0.01	-	10.00
9.	कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए स्कीम (स्वाधार)	4.21	6.00	7.37	8.00
10.	दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं के बचाव	0.00	0.30	-	0.50
11.	बलात्कार की शिकार महिलाओं के लिए राहत और पुनर्वास की स्कीम (नई स्कीम)	-	-	-	1.00
12.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सहायता अनुदान	49.68	60.43	58.77	52.95
	i) सामान्य सहायता अनुदान	25.23	34.43	32.76	25.45
	ii) संक्षिप्त पाठ्यक्रम	5.81	6.00	6.00	6.00
	iii) जागरूकता परियोजनाएं	4.88	5.00	4.91	5.50
	iv) अल्पावधिक वास गृह	13.76	15.00	15.10	16.00
	<b>योग ख</b>	<b>85.91</b>	<b>107.24</b>	<b>96.91</b>	<b>99.45</b>

ग	सहायतानुदान व अन्य स्कीमें				
13.	अन्य सहायता अनुदान	1.27	3.25	2.33	2.75
	i) अनुसंधान व मानिट्रिंग	0.90	2.25	1.86	2.25
	ii) महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित नूतन कार्य	0.37	1.00	0.47	0.50
14.	सूचना तथा मास मीडिया	11.10	12.00	12.42	15.00
15.	सूचना टेक्नोलॉजी	0.37	0.25	0.30	1.00
	<b>योग ग</b>	<b>12.74</b>	<b>15.50</b>	<b>15.05</b>	<b>18.75</b>
घ	खाद्य व पोषण बोर्ड				
16.	राष्ट्रीय पोषण नीति व पोषण शिक्षा	1.85	5.59	5.17	5.59
	<b>योग घ</b>	<b>1.85</b>	<b>5.59</b>	<b>5.17</b>	<b>5.59</b>
	<b>योग I (क जोड़ ख जोड़ ग जोड़ घ)</b>	<b>113.12</b>	<b>164.93</b>	<b>151.79</b>	<b>220.79</b>
II.	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें				
क	बाल कल्याण तथा विकास				
17.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	1726.67	3510.30	3321.28	4454.52
18.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त आईसीडीएस परियाजनाएं	423.70	135.00	315.48	1.48
19.	आईसीडीएस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण (उदीसा)	68.90	40.00	63.89	87.00
20.	राष्ट्रीय पोषण मिशन	0.00	0.03	0.00	0.03
21.	बालिका समृद्धि योजना (राज्यों को अन्तरित की जानी है-एनडीसी के अनुमोदन की प्रतीक्षा है)	39.73	0.03	-	0.03
	<b>योग क</b>	<b>2259.00</b>	<b>3685.36</b>	<b>3700.65</b>	<b>4543.06</b>
ख	महिला कल्याण व विकास				
22.	एकीकृत महिला अधिकारिता कार्यक्रम (स्वयंसिद्धा)	10.24	20.00	20.78	30.00
23.	ग्रामीण महिला विकास तथा अधिकारिता परियोजना (स्वशक्ति)	16.02	5.00	1.96	2.00
	<b>योग ख</b>	<b>26.26</b>	<b>25.00</b>	<b>22.74</b>	<b>32.00</b>
	<b>योग II (क जोड़ ख)</b>	<b>2285.26</b>	<b>3710.36</b>	<b>3723.39</b>	<b>4575.06</b>
	<b>कुल योग (I + II)</b>	<b>2398.38</b>	<b>3875.29</b>	<b>3875.18</b>	<b>4795.85</b>

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
स्कीम-वार लक्ष्य तथा उपलब्धियां

क्र. सं.	स्कीम का नाम	इकाइयां	2004-05	वार्षिक योजना		2006-07
			उपलब्धिय	लक्ष्य	उपलब्धिय	
1	2 3	4	5	6	7	
<b>I.</b>	<b>केन्द्रीय स्कीमें</b>					
<b>क</b>	<b>बाल कल्याण व विकास</b>					
1.	कार्यरत/बीमार माताओं के बच्चों के लिए क्रेच/डे-केयर सेन्टर (संचयी आंकड़े)	क्रेचों की सं० लाभार्थी (लाख में)	12470 3.11	12470 4.36	12470 3.15	12470 6.8
2.	राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग व बाल विकास (एनआईपीसीसीडी)	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सं० प्रशिक्षुओं की संख्या	84 19	60 15	115 13	60 15
<b>ख</b>	<b>महिला कल्याण व विकास</b>					
3.	कार्यरत महिलाओं के लिए होस्टल	अतिरिक्त होस्टलों की सं०	3	10	10	10
4.	महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र (नोराड) (स्वाबलम्बन)	महिला लाभार्थी की संख्या (लाख में)	0.26	0.49	0.37	0.85
5.	प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (एसटीईपी)	महिला लाभार्थी की संख्या (लाख में)	0.16	0.40	0.35	0.35
6.	राष्ट्रीय महिला ऋण निधि (आरएमके) (आंकड़े संचयी हैं) (करोड़ रुपये में)	महिला लाभार्थी की सं०	40000	निश्चित नहीं	27305	निश्चित नहीं
7.	कठिन परिस्थितियों की शिकार महिलाओं के लिए स्कीम (स्वाधार)	महिला लाभार्थी की सं०	3663	5500	3125	5500
8.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सहायता अनुदान					
	1. सामान्य सहायता अनुदान					
	2. संक्षिप्त पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रमों की सं०	585	600	700	700
	3. जागरूकता परियोजनाएं	कैम्पों की संख्या	4861	5000	5076	5000
	4. अल्पावधिक वास गृह (एसएसएच)	नये एसएसएच की संख्या	342	32	81	30
<b>ग</b>	<b>सहायता अनुदान तथा अन्य स्कीमें</b>					
9.	अन्य सहायता अनुदान					
	1) अनुसंधान व मानीटरिंग	नये अध्ययनों की संख्या	11	37	9	37
	2) महिलाओं और बच्चों के संबंध में नूतन कार्य					
<b>II.</b>	<b>केन्द्र प्रायोजित स्कीमें</b>					
<b>क</b>	<b>बाल कल्याण व विकास</b>					
10.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) (आंकड़े संचयी हैं)	परियोजनाओं की संख्या स्वीकृत	5652	5652	5652	6113
		प्रचालनगत	5418	5652	5651	5635
11.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त आईसीडीएस परियोजनाएं	नये ब्लाकों की संख्या	—	—	—	—
12.	आईसीडीएस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	एडब्ल्यूडब्ल्यू की संख्या पर्यवेक्षकों की संख्या सीडीपीओ की संख्या	148 7600 1130	124 8750 420	124 2380 557	230 17000 800
13.	बालिका समृद्धि योजना (राज्यों को अन्तरित की जानी है- एनडीसी का अनुमोदन प्रतीक्षित)	लाभार्थियों की संख्या	842809	निश्चित नहीं		
<b>ख</b>	<b>महिला कल्याण व विकास</b>					
14.	एकीकृत महिला अधिकारिता कार्यक्रम ब्लाकों की संख्या (स्वयंसिद्धा) (संचयी आंकड़े)	650	650	650	650	
15.	ग्रामीण महिला विकास व अधिकारिता परियोजना (स्वशक्ति)	— 17647	— 17647	—	—	

अनुबंध - 3.8.3(i)

केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)  
स्कीम का नाम - एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)  
वर्ष जब से शुरू की गई- 1975-76

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2003-04 के दौरान जारी	वर्ष 2004-05 के दौरान जारी राशि	वर्ष 2005-06 के दौरान जारी राशि
1	2	3	4	5
	राज्य			
1	आन्ध्र प्रदेश	8364.10	7277.34	14750.69
2	अरुणाचल प्रदेश	1552.73	1697.61	1780.28
3	असम	4388.19	15799.37	22462.56
4	बिहार	1754.59	9408.47	5036.11
5	छत्तीसगढ़	3157.19	3275.49	4412.01
6	गोवा	418.72	286.33	373.53
7	गुजरात	9112.10	12405.58	9917.54
8	हरियाणा	4019.04	4674.34	5312.47
9	हिमाचल प्रदेश	1588.66	2617.26	3480.88
10	जम्मू और कश्मीर	2074.09	3457.78	4989.19
11	झारखंड	1881.25	3824.62	4288.33
12	कर्नाटक	10622.14	11023.50	14176.11
13	केरल	5527.08	5546.74	5725.65
14	मध्य प्रदेश	7457.79	6263.10	9498.48
15	महाराष्ट्र	13824.43	11930.96	16808.92
16	मणिपुर	1413.99	2054.55	1664.87
17	मेघालय	876.52	1450.81	2158.35
18	मिजोरम	832.80	781.68	1476.66
19	नागालैण्ड	1486.21	1358.50	2531.64
20	उड़ीसा	10387.11	9968.40	10600.69
21	पंजाब	4432.80	3904.27	5591.61
22	राजस्थान	8042.75	7849.67	7459.77
23	सिक्किम	173.69	332.88	354.75
24	तमिलनाडु	8453.73	12303.16	15212.94
25	त्रिपुरा	1797.81	1414.45	2779.91
26	उत्तर प्रदेश	14303.96	15100.87	31989.58
27	उत्तरांचल	1282.83	1723.77	2861.67
28	पश्चिम बंगाल	14820.34	12633.07	19391.00
	<b>योग (राज्य)</b>	<b>144046.64</b>	<b>170364.57</b>	<b>227086.19</b>
	<b>संघ राज्य क्षेत्र</b>			
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	189.70	185.39	212.82
2	चंडीगढ़	140.11	155.26	156.87
3	दादरा व नागर हवेली	48.50	48.27	70.10
4	दमन और दीव	41.41	38.98	47.74
5	दिल्ली	1159.21	1118.36	1290.03
6	लक्षद्वीप	38.58	25.15	42.67
7	पांडिचेरी	203.36	218.89	233.68
	<b>योग (संघ राज्य क्षेत्र)</b>	<b>1820.87</b>	<b>1790.30</b>	<b>2053.91</b>
	एलआईसी		500.00	800.00
	<b>कुल योग</b>	<b>145867.51</b>	<b>172654.87</b>	<b>229940.10</b>

स्रोत- राज्य योजना प्रभाग

\* अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया

केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)  
स्कीम का नाम - विश्व बैंक सहायता प्राप्त आईसीडीएस परियोजना  
वर्ष जब से शुरू की गई- 1991

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2003-04 के दौरान जारी	वर्ष 2004-05 के दौरान जारी राशि	वर्ष 2005-06 के दौरान जारी राशि
1	2	3	4	5
	<b>राज्य</b>			
1	आन्ध्र प्रदेश	1745.00	5490.00	6603.00
2	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3	असम	—	—	—
4	बिहार	3600.00	4103.00	4500.00
5	छत्तीसगढ़	3300.00	2846.00	2196.00
6	गोवा	—	—	—
7	गुजरात	600.00	—	100.00
8	हरियाणा	344.00	—	72.00
9	हिमाचल प्रदेश	—	—	190.00
10	जम्मू और कश्मीर	300.00	—	—
11	झारखंड	1200.00	3684.00	1200.00
12	कर्नाटक	500.00	—	143.00
13	केरल	4000.00	2448.00	1818.00
14	मध्य प्रदेश	7900.00	6836.00	6173.00
15	महाराष्ट्र	5200.00	2103.00	5209.00
16	मणिपुर	—	—	—
17	मेघालय	—	—	—
18	मिजोरम	—	—	—
19	नागालैण्ड	—	—	—
20	उड़ीसा	1000.00	1500.00	548.00
21	पंजाब	469.00	—	—
22	राजस्थान	3200.00	4013.00	965.00
23	सिक्किम	—	—	—
24	तमिलनाडु	2000.00	1568.00	—
25	त्रिपुरा	—	—	—
26	उत्तर प्रदेश	4500.00	7067.00	962.00
27	उत्तरांचल	500.00	600.00	388.00
28	पश्चिम बंगाल	737.00	—	392.00
	<b>योग (राज्य)</b>	<b>41095.00</b>	<b>42258.00</b>	<b>31459.00</b>
	<b>संघ राज्य क्षेत्र</b>			
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	—	15.00
2	चंडीगढ़	—	—	—
3	दादरा व नागर हवेली	—	—	—
4	दमन और दीव	—	—	—
5	दिल्ली	—	—	—
6	लक्षद्वीप	—	—	—
7	पांडिचेरी	—	17.00	—
	<b>योग (संघ राज्य क्षेत्र)</b>	<b>0.00</b>	<b>17.00</b>	<b>15.00</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>41095.00</b>	<b>42275.00</b>	<b>31474.00</b>

स्रोत- राज्य योजना प्रभाग  
अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया

अनुबंध - 3.8.3(iii)

केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)  
स्कीम का नाम - उदीशा आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम  
वर्ष जब से शुरू की गई- 1999

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2003-04 के दौरान जारी	वर्ष 2004-05 के दौरान जारी राशि	वर्ष 2005-06 के दौरान जारी राशि
1	2	3	4	5
	<b>राज्य</b>			
1	आन्ध्र प्रदेश	1026.78	504.02	724.83
2	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3	असम	101.26	200.00	474.00
4	बिहार	—	100.00	596.30
5	छत्तीसगढ़	124.00	290.72	100.00
6	गोवा	1.98	8.19	4.00
7	गुजरात	182.44	60.00	225.00
8	हरियाणा	83.84	107.93	125.00
9	हिमाचल प्रदेश	15.00	70.00	63.17
10	जम्मू और कश्मीर	41.79	—	310.00
11	झारखंड	—	211.04	—
12	कर्नाटक	219.73	230.00	340.00
13	केरल	58.42	408.42	150.00
14	मध्य प्रदेश	644.98	658.76	100.00
15	महाराष्ट्र	574.44	789.48	380.00
16	मणिपुर	39.56	11.10	15.00
17	मेघालय	5.00	17.00	30.60
18	मिजोरम	19.83	14.00	5.00
19	नागालैण्ड	23.07	25.00	—
20	उड़ीसा	136.70	214.53	250.00
21	पंजाब	41.41	52.00	30.00
22	राजस्थान	484.90	—	—
23	सिक्किम	0.00	—	4.00
24	तमिलनाडु	401.54	655.39	350.00
25	त्रिपुरा	25.01	37.87	40.00
26	उत्तर प्रदेश	291.27	1397.00	1000.00
27	उत्तरांचल	80.00	135.00	181.28
28	पश्चिम बंगाल	316.35	436.52	530.00
	<b>योग (राज्य)</b>	<b>4939.30</b>	<b>6633.97</b>	<b>6028.18</b>
	<b>संघ राज्य क्षेत्र</b>			
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	3.48	3.00	20.00
2	चंडीगढ़	1.60	—	1.96
3	दादरा व नागर हवेली	0.00	—	—
4	दमन और दीव	0.00	—	—
5	दिल्ली	13.21	20.00	59.20
6	लक्षद्वीप	1.06	—	—
7	पांडिचेरी	2.18	1.00	—
	<b>योग (संघ राज्य क्षेत्र)</b>	<b>21.53</b>	<b>24.00</b>	<b>81.16</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>4960.83</b>	<b>6657.97</b>	<b>6109.34</b>

स्रोत- राज्य योजना प्रभाग

\* अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया

केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)  
स्कीम का नाम - स्वयंसिद्धा  
वर्ष जब से शुरू की गई- 1995

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2003-04 के दौरान जारी	वर्ष 2004-05 के दौरान जारी राशि	वर्ष 2005-06 के दौरान जारी राशि
1	2	3	4	5
	<b>राज्य</b>			
1	आन्ध्र प्रदेश	—	143.57	110.00
2	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3	असम	—	—	100.00
4	बिहार	—	—	100.00
5	छत्तीसगढ़	39.00	25.00	60.00
6	गोवा	—	—	—
7	गुजरात	—	—	30.60
8	हरियाणा	69.00	33.60	69.62
9	हिमाचल प्रदेश	3.63	39.17	32.39
10	जम्मू और कश्मीर	—	28.00	70.98
11	झारखंड	51.01	—	25.00
12	कर्नाटक	99.06	25.22	110.00
13	केरल	33.89	20.00	132.43
14	मध्य प्रदेश	—	45.00	200.00
15	महाराष्ट्र	81.00	136.00	159.48
16	मणिपुर	12.39	19.31	—
17	मेघालय	6.00	5.00	29.00
18	मिजोरम	5.00	13.74	27.12
19	नागालैण्ड	11.41	23.92	46.71
20	उड़ीसा	50.00	92.14	113.45
21	पंजाब	—	—	25.00
22	राजस्थान	—	25.00	180.00
23	सिक्किम	8.00	17.00	25.75
24	तमिलनाडु	70.00	175.00	167.02
25	त्रिपुरा	9.00	6.50	10.94
26	उत्तर प्रदेश	122.44	—	—
27	उत्तरांचल	—	25.00	83.00
28	पश्चिम बंगाल	76.98	50.00	99.63
	<b>योग (राज्य)</b>	<b>747.81</b>	<b>948.17</b>	<b>2008.12</b>
	<b>संघ राज्य क्षेत्र</b>			
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—
2	चंडीगढ़	—	—	—
3	दादरा व नागर हवेली	—	—	—
4	दमन और दीव	—	—	—
5	दिल्ली	5.68	—	—
6	लक्षद्वीप	—	—	—
7	पांडिचेरी	—	—	13.40
	<b>योग (संघ राज्य क्षेत्र)</b>	<b>5.68</b>	<b>0.00</b>	<b>13.40</b>
	एनआईपीसीसीडी	2.50	44.42	11.60
	अन्य	4.31	—	11.75
	<b>कुल योग</b>	<b>760.30</b>	<b>992.59</b>	<b>2044.87</b>

स्रोत- राज्य योजना प्रभाग

\* अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया

अनुबंध - 3.8.3(v)

केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)  
स्कीम का नाम - स्वशक्ति  
वर्ष जब से शुरू की गई- 1998

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2003-04 के दौरान जारी	वर्ष 2004-05 के दौरान जारी राशि	वर्ष 2005-06 के दौरान जारी राशि
1	2	3	4	5
	<b>राज्य</b>			
1	आन्ध्र प्रदेश	—	—	—
2	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3	असम	—	—	—
4	बिहार	75.00	40.00	29.00
5	छत्तीसगढ़	50.00	100.00	—
6	गोवा	—	—	—
7	गुजरात	250.00	250.00	9.00
8	हरियाणा	20.00	110.00	—
9	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
10	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
11	झारखंड	75.00	125.00	—
12	कर्नाटक	500.00	200.00	—
13	केरल	—	—	—
14	मध्य प्रदेश	400.00	350.00	45.00
15	महाराष्ट्र	—	—	—
16	मणिपुर	—	—	—
17	मेघालय	—	—	—
18	मिजोरम	—	—	—
19	नागालैण्ड	—	—	—
20	उड़ीसा	—	—	—
21	पंजाब	—	—	—
22	राजस्थान	—	—	—
23	सिक्किम	—	—	—
24	तमिलनाडु	—	—	—
25	त्रिपुरा	—	—	—
26	उत्तर प्रदेश	50.00	300.00	—
27	उत्तरांचल	145.00	50.00	30.00
28	पश्चिम बंगाल	—	—	—
	<b>योग (राज्य)</b>	<b>1565.00</b>	<b>1525.00</b>	<b>113.00</b>
	<b>संघ राज्य क्षेत्र</b>			
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—
2	चंडीगढ़	—	—	—
3	दादरा व नागर हवेली	—	—	—
4	दमन और दीव	—	—	—
5	दिल्ली	—	—	—
6	लक्षद्वीप	—	—	—
7	पांडिचेरी	—	—	—
	<b>योग (संघ राज्य क्षेत्र)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	केन्द्रीय स्तर (राज्य नहीं)	154.50	77.00	83.15
	<b>कुल योग</b>	<b>1719.50</b>	<b>1602.00</b>	<b>196.15</b>

स्रोत- राज्य योजना प्रभाग

\* अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया

### 3.9 कला और संस्कृति

3.9.1 सभी प्रकार की कला तथा संस्कृति के परिरक्षण तथा उन्नयन के बारे में संस्कृति मंत्रालय को सौंपी गई गतिविधियों में तृणमूल स्तर पर संस्कृति जागरूकता पैदा करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृतिक आदान-प्रदानों को बढ़ावा देना शामिल है। विभिन्न प्रकार की समसामयिक सृजनात्मक धराओं को प्रोत्साहित करने के अलावा इसे ऐतिहासिक स्मारकों तथा अभिलेखों को परिरक्षित करने, पुरातत्वीय महत्व के स्थलों की खोज करने तथा खुदाई करने तथा राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों का अनुरक्षण और विस्तार करने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। इन गतिविधियों को अनेक सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और अन्य संस्थाओं जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, क्षेत्रीय सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, देशभर में फैले राष्ट्रीय संग्रहालय तथा राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय मार्टिन आर्ट गैलरी, भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेशनल अकादमी ऑफ लैटर्स फाइन आर्ट्स एण्ड ड्रामा, बुद्धिस्ट और तिब्बतन स्टडीज आदि के माध्यम से अंजाम दिया जाता है।

3.9.2 कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में योजनागत कार्यक्रमों का प्रचालन 16 स्कीमों के माध्यम से इसके प्रोत्साहन और प्रसार के लिए किया जाता है। इस क्षेत्रक के अन्तर्गत सभी प्रमुख गतिविधियों का आयोजन निम्नलिखित व्यापक शीर्षों के तहत किया जाता है- प्रोत्साहन और प्रसार, पुरातत्वविज्ञान, अभिलेखागार तथा अभिलेख, मानवशास्त्र, सार्वजनिक पुस्तकालय, संग्रहालय, प्रदर्शन कलाएं, बुद्धिस्ट और तिब्बतन अध्ययन संस्थाएं, IGNCA तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय गतिविधियां। संस्कृति मंत्रालय की सभी स्कीमों के लिए वार्षिक योजना 2006-07 के दौरान 470.00 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया गया है।

#### वार्षिक योजना 2005-06 की समीक्षा

3.9.3 संस्कृति मंत्रालय के लिए वर्ष 2005-06 हेतु वार्षिक योजना आबंटन 551.2 करोड़ रुपये है। परन्तु वर्ष के दौरान वास्तविक खर्च केवल 365.01 करोड़ रुपये है जो

आबंटन का 66% है। मंत्रालय को अपने नियंत्रणाधीन विभिन्न संस्थाओं की गतिविधियों और खर्च को उपयुक्त रूप से चरणबद्ध करने की सलाह दी गई है ताकि पहली दो तिमाहियों के दौरान उपयोग की धीमी गति के कारण बजटीय कटौती से बचा जा सके। केन्द्रीय सेक्टर स्कीमों के अन्तर्गत कोई विशिष्ट परिमाणात्मक लक्ष्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। विभिन्न कला तथा संस्कृति फार्मों, भंगुर और भुरभुरी पांडुलिपियों के परिरक्षण और संरक्षण के लिए अन्य चल रहे कार्यक्रमों के अलावा अभिलेखों के डिजिटाइजेशन तथा कम्प्यूटरीकरण पर जोर दिया गया है।

3.9.4 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पर खुदाई का कार्य किया- हरियाणा में भिराना (फतेहाबाद) और हांसी (हिसार), राजस्थान में बरोड़, गुजरात में ढोलावीरा (कच्छ), उत्तर प्रदेश में सनौली (बागपत), नार्थ गोवा में सेंट आगस्टीन कम्प्लेक्स, महाराष्ट्र में दौलताबाद किला (औरंगाबाद), तमिलनाडु में सालुवान्कुप्पम (कांचीपुरम)। हाल ही में फानगिरी में बुद्धिष्ठ स्थल पर प्राकृत और संस्कृत भाषाओं में मूल रूप से ब्राह्मी भाषा में लिखे गए तीसरी शताब्दी के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अन्तर्जलीय पुरातत्वविज्ञान विंग ने तमिलनाडु में ऑफशोर और ऑनशोर उत्खनन भी किए हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान 17 सर्किलों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के महत्त्वपूर्ण संरक्षण कार्य किए गए।

3.9.5 वर्ष 2005-06 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा तीन प्रकाशन निकाले गए हैं- इंडियन आर्कआलोजी-ए रिव्यू 1999-2000, (ii) मैमॉयर्स तथा (iii) इन्वेन्ट्री आफ मान्यूमैन्ट्स एण्ड साइट्स आफ नेशनल इम्पोर्टेन्स। ASI के अधीन 41 साइट म्यूजियम हैं। उपर्युक्त के अलावा, फतेहपुर सीकरी (आगरा-उत्तर प्रदेश), ढोलवीरा (कच्छ-गुजरात) तथा डीग पैलेस (भरतपुर- राजस्थान) में भी साइट म्यूजियम स्थापित किए जा रहे हैं। चन्देरी, खजुराहो तथा शिवपुरी संग्रहालयों में नये म्यूजियम भवन बन रहे हैं।

3.9.6 संग्रहालयों को निदेश दिया गया है कि वे

कलाकृतियों के डिजाटाइजेशन तथा डाक्यूमेंटेशन पर बल दें। राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा इजराइल दूतावास के सहयोग से 'इजराइल कल्चर मंथ' मनाने के अवसर पर "आर्केआलोजी फ्रौम दि एअर" शीर्षक से एक लम्बी फोटोग्राफिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। फ्रांस दूतावास के सहयोग से "दि ड्रीम ऑफ एन इन्हेबिटेन्ट आफ मुगल" शीर्षक से एक महीना चलने वाली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। TAPI क्लैक्शन सूरत के सहयोग से "मास्टर्स आफ दि क्लाथ इंडियन टैक्सटाइल्स ट्रेडिड टु डिस्टैंट शोर्स" शीर्षक से भी एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। महत्वपूर्ण बात यह रही कि राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा भी 8,81,832 पृष्ठों की 625 पांडुलिपियां डिजाटाइज करवाईं। जहां तक नेशनल गैलरी आफ माडर्न आर्ट का संबंध है नेशनल गैलरी आफ माडर्न आर्ट (NGMA) के संग्रह से 22 कलाकृतियां बहाल की गईं। विभिन्न आगत और निर्गत प्रदर्शनियों की 482 कलाकृतियों की सफाई और अनुकूलन का कार्य किया गया। वर्ष 2005 के दौरान नेशनल गैलरी आफ माडर्न आर्ट (NGMA) ने विभिन्न आर्ट विषयों पर सात प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नेशनल गैलरी आफ माडर्न आर्ट (NGMA) में प्रदर्शनियों के 2 कैटलौग तथा 9 पोस्टर प्रकाशित किए गए।

3.9.7 पुस्तकालय में रखी दुर्लभ पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों का परिष्करण तथा संरक्षण राष्ट्रीय पुस्तकालय की मुख्य गतिविधियों में से एक है। नेशनल लायब्रेरी, सेन्ट्रल सेक्रेटेरियट लायब्रेरी (CSL), स्टेट सेन्ट्रल लायब्रेरी, मुम्बई पुरानी पुस्तकों तथा पांडुलिपियों के डिजाटाइजेशन तथा पुस्तक सूचियों के रेट्रोक्वैरिबेशन के कार्य में लगे हुए हैं।

3.9.8 राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM) अपने 26 विज्ञान संग्रहालयों/केन्द्रों द्वारा कार्यान्वित गतिविधियों की व्यापक श्रृंखला और पारस्परिक क्रिया कार्यक्रमों के माध्यम से खासकर विद्यार्थियों और सामान्यतः जनसाधारण के मध्य विज्ञान और टेक्नालॉजी को लोकप्रिय बनाने में लगा है। इस अवधि के दौरान स्थापित नये केन्द्रों में इम्फाल में मणिपुर साइंस सेन्टर तथा देहरादून में DNGC गोल्डन जुबिली म्यूजियम शामिल हैं। इनके अलावा एक सेन्टर

पोर्टब्लेयर, अन्डामन निकोबार द्वीपसमूह में स्थापित किया गया है। ईटानगर और शिलांग में सब रिजनल साइंस सेन्टर पूरा होने के अन्तिम चरण में है। दि वर्ल्ड आफ एस्ट्रोनॉमिकल आब्जर्वेशन्स विषय पर एक विशेष चलती-फिरती प्रदर्शनी का VITM बंगलोर में उदघाटन किया गया था।

3.9.9 विश्व में भारत-विद्या (इंडोलॉजी) के अध्ययन के अग्रणी केन्द्रों में से एक 'एशियेटिक सोसाइटी' को "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" घोषित किया गया था। राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन ने सर्वेक्षण तथा सर्वेक्षण पश्चात की कार्रवाईयों द्वारा प्रलेखन और डेटा संग्रह हेतु अपनी पद्धतियां विकसित तथा समेकित की हैं। मिशन ने देश भर में 44 पाण्डुलिपि संसाधन केन्द्र और 33 पाण्डुलिपि परिष्करण केन्द्र गठित किए हैं। इसने 10 राज्यों (दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, केरल, तमिलनाडु और राजस्थान) में राष्ट्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से व्यापकता आधारित पाण्डुलिपियों से सम्बन्धित सूचना भी पूरी कल ली है।

3.9.10 भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के प्रकाशन हैं : (i) दि इंडियन आर्काइव्स खण्ड LI अंक 1-2 (जनवरी-दिसम्बर 2002) (ii) इंडियन डिस्टॉरिकल रिकार्ड्स कमीशन-सोर्सिज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, खण्ड I (iii) डिस्ट्रिक्टिव लिस्ट ऑफ पर्शियन कौरेसपोंडेंस खण्ड IV (1804) (iv) इन्डैक्स टु पेपर्स रेड ऐड इंडियन हिस्टॉरिकल रिकार्ड्स कमीशन सैशन्स खण्ड IV । जहां तक अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का संबंध है, 1.31 लाख से भी अधिक फाइलों के ऑनलाइन वेलिडेशन के अलावा 2.87 लाख से अधिक फाइलों की डेटा एण्ट्री कर ली गई है।

3.9.11 प्रोत्साहन और प्रसार स्कीमों के अन्तर्गत, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में गठित जोनल सांस्कृतिक केन्द्र (ZCC) ने लोक तथा पारम्परिक कलाकारों को समर्थन प्रदान करते हुए ग्रामीण व शहरी इलाकों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना जारी रखा। उदयपुर स्थित वैस्ट जोन सांस्कृतिक केन्द्र ने गोवा में मारडोल और मरगांव में तथा गुजरात में मोधेरा में नूपुर क्लासिकल डांस फैस्टीबल का आयोजन किया। कलकत्ता स्थित ईस्टजोन सांस्कृतिक

केन्द्र ने अन्य जोनल सांस्कृतिक केन्द्रों के साथ मिलकर पूरबाश्री आडिटोरियम में सात दिवसीय राष्ट्रीय फोक थियेटर फेस्टीवल- 'लोक अभिनय' आयोजित किया। सभी जोनल सांस्कृतिक केन्द्रों में विभिन्न कला रूपों के सम्बन्ध में अनुसंधानोन्मुखी प्रलेखन का कार्य इस उद्देश्य से हाथ में लिया जा रहा है कि लुप्त हो रही कलाओं को सुरक्षित रखा जा सके।

3.9.12 राष्ट्रीय संस्कृति निधि (NCF) के अन्तर्गत निजी गृहों के सहयोग से निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई थीं- शनिवारवाड़ा (पुणे), ज्ञान प्रवाह (वाराणसी), हुमायूं का मकबरा (दिल्ली), दुर्गापुर चिल्ड्रन्स सोसाइटी (प. बंगाल) इंडियन ऑयल फाउंडेशन तथा इंडियन आयल कार्पोरेशन के सहयोग से पांच राज्यों में पांच हेरीटेज स्थल, ताजग्रुप ऑफ होटल्स के सहयोग से ताजमहल (आगरा) तथा एपीजे

ग्रुप के सहयोग से जन्तर मन्तर (नई दिल्ली)।

3.9.13 केन्द्रीय बुद्धिस्ट स्टडीज संस्थान ने युवा लामाओं और अन्य इच्छुक विद्यार्थियों के बुद्धिस्ट स्टडीज के सभी क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करना जारी रखा। वे संस्थान जो बुद्धिस्ट तथा तिब्बतन स्टडीज के प्रोत्साहन में अपनी सफलता मानते हैं अपना पथप्रदर्शी कार्य जारी रखे हुए हैं।

### वार्षिक योजना 2006-07

3.9.14 चालू वर्ष के लिए 470 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान निर्धारित विशिष्ट गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गतिविधियां शामिल हैं। योजना अवधि के दौरान स्कीमवार व्यय तथा वर्ष 2006-07 के लिए आबंटन नीचे दिए गए हैं:

(Rs. in crore)

सेक्टर	दसवीं योजना (2002-07)	2002-03 वास्तविक	2003-04 वास्तविक	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 ब. अनु.
1	2	3	4	5	6	7
1. आधुनिकीकरण व कम्प्यूटरीकरण	4.39	0.77	0.73	0.15	0.32	1.00
2. प्रोत्साहन व प्रसार	362.43	53.00	74.98	81.57	125.11	98.51
3. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)	284.83	61.42	46.72	58.54	64.30	75.00
4. अभिलेखागार व अभिलेख	74.11	8.18	8.20	17.24	10.83	23.95
5. संग्राहलय	304.13	43.59	56.15	68.45	69.93	84.56
6. मानवविज्ञान व मानवजाति विज्ञान	40.02	6.04	5.94	8.06	10.62	9.40
7. सार्वजनिक पुस्तकालय	131.05	15.54	20.02	18.22	34.97	33.08
8. आईपीएनसीए	90.00	0.00	0.07	0.40	0.55	0.50
9. बुद्धिस्ट व तिब्बतन स्टडी संस्थान	45.70	8.83	6.49	8.68	10.38	12.00
10. अन्य व्यय (स्मारक)	49.35	8.50	8.61	10.15	12.66	37.00
11. 50वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ समारोह						
12. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गतिविधियां*	154.00	21.21	0.00			47.00
योग	<b>1,540.00</b>	227.07	227.89	271.46	339.67	422.00
पूँजी संघटक (भवन परियोजनाएं)	180.00	27.00	15.36	34.64	25.34	48.00
सकल योग	1,720.00	254.07	243.25	306.10	365.01	470.00

\* प्रत्येक स्कीम (संगठन के अन्तर्गत व्यय शामिल)

## अध्याय 4

### रोजगार, व्यावसायिक शिक्षा और कुशलता मिशन

#### रोजगार

4.1 रोजगार दसवीं पंचवर्षीय योजना में मॉनीटरन करने योग्य लक्ष्यों में से एक है। बेरोजगारी के आपात को कम करने के लिए सरकार रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के उपाय करती रही है। अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए दसवीं योजना में श्रम प्रधान सेक्टरों तथा सब-सेक्टरों का उनके विकास हेतु पता लगाया गया है : जैसे सामाजिक वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी तथा सम्बन्धित क्षेत्र और लघु तथा मझोले उद्योग, निर्माण, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेक्टर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य।

4.2 सरकार देश में अत्यधिक पिछड़े 200 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी (NREG) अधिनियम को कार्यान्वित करती रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार में कम-से-कम एक सामान्य शरीर वाले व्यक्ति को, जो शारीरिक अकुशल कार्य करने का इच्छुक हो, 100 दिवसों के रोजगार की गारन्टी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी (NREG) के सम्बन्ध में विवरण इस योजना दस्तावेज के ग्रामीण विकास अध्याय-7 में दिए गए हैं।

4.3 रोजगार तथा बेरोजगारी के अनुमान, रोजगार तथा बेरोजगारी संबंधी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों (NSS) के

पंचवर्षीय चक्र जुलाई 2004 से जून, 2005 तक किया गया 61वां चक्र है। 61वें चक्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। तालिका 4.1 में रोजगार तथा बेरोजगारी सम्बन्धी NSSO के पिछले तीन चक्रों से लिये गए श्रम बल, रोजगार तथा बेरोजगारी के अनुमान प्रस्तुत हैं।

4.4 तालिका 4.1 से देखा जा सकता है कि हाल ही के पिछले दिनों रोजगार के अवसरों में अपेक्षाकृत तेज दर से वृद्धि हुई है। वर्ष 1993-94 से 1999-2000 के दौरान रोजगार में वार्षिक वृद्धि 5.41 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था और 1999-2000 से 2004-05 के दौरान रोजगार में वार्षिक वृद्धि 10.69 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है।

4.5 तालिका 4.1 से यह भी स्पष्ट है कि बेरोजगारी की दर में 1999-2000 में 2.78% की वृद्धि होकर 2004-05 में यह 3.06% हुई है। बेरोजगारी में वृद्धि कार्यबल भागीदारी दरों (WFPRs) से श्रमबल भागीदारी दरों (LFPRs) में अधिक तेज गति से वृद्धि के कारण हैं। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या भी 1999-2000 में 10.49 मिलियन से बढ़कर 2004-05 में 13.26 मिलियन हुई है।

4.6 तालिका 4.1 रोजगार तथा बेरोजगारी की समग्र

#### तालिका 4.1

##### श्रम बल, रोजगार तथा बेरोजगारी के अनुमान

(सामान्य प्रिंसिपल स्टेटस आधार)

	इकाई	1993-94	1999-2000	2004-05
श्रम बल	मिलियन	343.41	377.36	433.56
रोजगार	मिलियन	334.40	366.87	420.30
बेरोजगारी दर	%	2.62	2.78	3.06
बेरोजगारों की संख्या	मिलियन	9.01	10.49	13.26

स्थिति को प्रदर्शित करती है जैसाकि NSSO की परिवार सर्वेक्षण अभिगम से देखने में आता है। 10 प्र0 सर्वेक्षणों (NSS) के अन्तर्गत नमूना परिवारों से सूचना एकत्र की गई है, इस प्रकार इसके अन्तर्गत रोजगार के संगठित तथा असंगठित दोनों सेक्टर कवर होते हैं। दूसरी ओर, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय रोजगार मार्केट सूचना प्रणाली के माध्यम से संस्थापनाओं से सूचना एकत्र करता है और रोजगार के केवल संगठित सेक्टर को ही कवर करता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय के EMI डेटा से यथा उपलब्ध तालिका 4.2 संगठित सेक्टर में रोजगार सम्बन्धी परिदृश्य को प्रदर्शित करती है।

4.7 तालिका 4.2 से स्पष्ट है कि संगठित सेक्टर में हाल ही के पिछले दिनों में रोजगार में गिरावट आई है। कुल रोजगार में संगठित सेक्टर में रोजगार का हिस्सा केवल मात्र 7-8 प्रतिशत है। इससे पता चलता है कि हाल ही के पिछले दिनों के दौरान अनौपचारिक सेक्टर में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

### व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

4.8 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों का समवर्ती विषय है। श्रम मंत्रालय के तहत रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय नीतियां तैयार करने, मानक निर्धारित करने, पाठ्यक्रम विकसित करने, ट्रेड परीक्षण व प्रमाणीकरण के लिए नोडीय विभाग है। राज्य स्तर पर, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा प्रशिक्षण संस्थानों के रोजमर्रा के प्रशासन के लिए भी राज्य सरकारें जिम्मेवार हैं। भारत सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर दो त्रिपक्षीय निकायों

नामत: राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) तथा केन्द्रीय एग्जिक्टिसशिप परिषद (CAC) द्वारा नीतियां तथा प्रशिक्षण मानक, ट्रेड परीक्षण व प्रमाणीकरण के प्रयोजनार्थ सलाह प्रदान की जाती है।

### शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (CTC)

4.9 इस स्कीम के अन्तर्गत, 14-40 वर्षों के आयु समूह में युवा वर्ग को विनिर्माण तथा सेवा दोनों सेक्टरों को कवर करते हुए 98 इन्जीनियरी तथा गैर-इन्जीनियरी ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की कालावधि 6 महीने से 3 वर्ष तक है तथा इनका उद्देश्य उद्योग के लिए अर्धकुशल कामगार तैयार करना है। यह प्रशिक्षण 5114 व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से दिया जाता है, जिन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs)/ औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (ITCs) के रूप में जाना जाता है तथा इनका गठन राज्य सरकार और निजी सेक्टर दोनों द्वारा किया जाता है (1896 सरकारी सेक्टर में तथा 3218 निजी सेक्टर में), जो देश भर में फैले हैं और इनकी कुल प्रशिक्षण क्षमता लगभग 7.42 लाख (4.00 लाख सरकारी सेक्टर में तथा 3.42 लाख निजी सेक्टर में ) है। दिसम्बर 2004 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीटिंग क्षमता सहित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/ औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (ITIs/ ITCs) की संख्या का विवरण पत्र अनुबन्ध 4.1 पर है।

4.10 शिल्पकार प्रशिक्षण पांच उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों (ATIs) तथा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (CTIs) के साथ सम्बद्ध, जिनकी सीटिंग क्षमता कोई 1200 प्रशिक्षु है, मॉडल

तालिका 4.2  
संगठित सेक्टर में रोजगार के अनुमान

(मार्च 31 को लाख व्यक्ति)

वर्ष	सार्वजनिक सेक्टर	निजी सेक्टर	योग
2001	191.38	86.52	277.89
2002	187.73	84.32	272.06
2003	185.80	84.21	270.00
2004	181.97	82.46	264.43

स्रोत : श्रम व रोजगार मंत्रालय, महानिदेशालय, (रोजगार व प्रशिक्षण)

प्रशिक्षण संस्थानों (MTIs) में भी प्रदान किया जाता है।

4.11 रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत चार मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हलद्वानी, जोधपुर, कालीकट और चौदवार में माड्यूलर पैटर्न पर शिल्पकार प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किए गए हैं, जिनकी वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता 417 प्रशिक्षुओं की है। इस पैटर्न के तहत, प्रशिक्षण प्रत्येक एक-एक वर्ष की कालावधि के दो भागों में दिया जाता है। प्रथम वर्ष में, अनेक कौशल क्षेत्रों में व्यापक आधार वाला मौलिक प्रशिक्षण जो ट्रेड समूह के लिए समान होता है, प्रदान किया जाता है। दूसरे वर्ष के प्रशिक्षण में, एक या अधिक नियोजनीय मॉड्यूलों का प्रशिक्षण शामिल है।

### केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें

#### पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम तथा जम्मू व कश्मीर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) की स्थापना और सुदृढीकरण

4.12 पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा जम्मू व कश्मीर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण सम्बन्धी केन्द्र प्रायोजित स्कीम मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढीकरण व आधुनिकीकरण करने, नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने तथा संकाय/प्रायोजित प्रत्याशियों के प्रशिक्षण के लिए तकनीकी सहायता मुहैया कराने के लिए कार्यान्वित की जा रही है।

4.13 इस स्कीम के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 22 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना और तथा 35 मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढीकरण/आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है। जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए, स्कीम के अन्तर्गत कवर किए गए संघटकों में शामिल हैं : (क) मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का दर्जा बढ़ाना/विविधीकरण करना, (ख) जम्मू में नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना, (ग) महिला पक्षों की स्थापना, (घ) तकनीकी सहायता और (ङ) राज्य निदेशालयों को सुदृढ बनाना। वर्ष 2006-07 के दौरान इस स्कीम के लिए बजट परिव्यय 35.00 करोड़ रुपये हैं

जिनमें से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नियत परिव्यय 20.00 करोड़ रुपये है।

#### औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में कोटिउन्नयन

4.14 बहुकुशल कार्यबल तैयार करने के लिए मौजूदा 100 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में कोटि उन्नयन करने के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है। स्कीम की मुख्य बातें हैं- पहले वर्ष में बहुकुशलता पाठ्यक्रमों की शुरुआत और उसके बाद दूसरे वर्ष उद्योग-वार क्लस्टर एप्रोच मल्टी एन्ट्री और मल्टी एग्जिट व्यवस्था अपनाते हुए उन्नत/विशिष्ट माड्यूलर पाठ्यक्रम शुरू करना। प्रशिक्षण के सभी पहलुओं में उद्योग की बृहतर और सक्रिय ग्रस्तता सुनिश्चित करने के लिए संस्थान प्रबन्ध समिति के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी गठित की जा रही है ताकि प्रशिक्षण का संचालन पूर्णतः मांग आधारित बनाया जा सके।

#### अनौपचारिक सैक्टर के लिए सक्षमता आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली

4.15 अनौपचारिक पद्धति अर्थात् पारिवारिक परम्परा अथवा बिना औपचारिक शिक्षा के कार्य करते हुए प्राप्त अनुभव के माध्यम से प्राप्त कुशलताओं की सक्षमता आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली विकसित करने के लिए और विशाल कार्यबल की नियोजनीयता में तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए योजना आयोग ने 2.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर केन्द्र प्रायोजित स्कीम - अनौपचारिक सैक्टर में कामगारों की कुशलताओं का परीक्षण तथा प्रमाणीकरण का अनुमोदन किया।

#### प्रशिक्षण के भावी रोजगार के साथ लिंकेज में सुधार लाना

4.16 प्रशिक्षित मानवशक्ति की रोजगार संभावनाओं में वृद्धि करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा स्थानीय नियोजक/उद्योगपति के नेतृत्व के अन्तर्गत गठित संस्थान प्रबन्धक समितियों में उद्योग-संस्थान परस्पर क्रिया शुरू की गई है। 28 राज्यों में कोई 480 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने आंशिक स्वायत्तता प्रदान करते हुए संस्थान प्रबन्ध समितियां

(IMCs) पहले ही गठित कर ली हैं, जिनके उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं।

### अप्रेंटिसशिप (शिक्षुता) प्रशिक्षण स्कीम (ATS)

4.17 इस स्कीम के अन्तर्गत, स्कूल छोड़ने वालों तथा ITI स्नातकों को 153 नामित ट्रेडों में उद्योग हेतु कुशलताप्राप्त कामगार तैयार करने के उद्देश्य से शिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत काम पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण की कालावधि ट्रेड पर निर्भर करते हुए 6 महीने से 4 वर्ष तक की हो सकती है।

4.18 केन्द्रीय और राज्य/निजी सेक्टर के अन्तर्गत संस्थापनाएं ट्रेड शिक्षुओं को 20854 संस्थापनों में विद्यमान कुल 1,64,653 सीटों पर नियोजित करती हैं। विभिन्न वर्गों का उपयोग अनु. जातियों के लिए 20241, अनु0 जनजातियों के लिए 8096, अल्पसंख्यकों के लिए 12632, शारीरिक रूप से अपंगों के लिए 788 तथा महिलाओं के लिए 5487 रहा। ट्रेड शिक्षुओं को प्रशिक्षण निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार दिया जाता है, जिसमें बुनियादी प्रशिक्षण, शॉप फ्लोर प्रशिक्षण तथा सम्बद्ध अनुदेश होते हैं। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, ट्रेड शिक्षुओं को छात्रवृत्ति मिलती है।

### क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर प्रशिक्षण स्कीम

4.19 इस स्कीम के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा शिक्षु प्रशिक्षण संस्थापनों के अनुदेशकों को प्रशिक्षण देने हेतु पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर प्रशिक्षण का उद्देश्य उद्योग के लिए अर्धकुशल/कुशल जनशक्ति प्रशिक्षित करने की दृष्टि से औद्योगिक कुशलताएं प्रदान करने की तकनीकों में अनुदेशकों को प्रशिक्षित करना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य सरकार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से तथा उद्योगों द्वारा शिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों से अनुदेशकों को 27 ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रचालनगत ट्रेडों में कुल सीटिंग क्षमता 1050 है।

### महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

4.20 कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया कराना है जिससे उनकी नियोजनीयता बढ़े और परिणामतः देश की अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी दर्ज हो। राज्य सेक्टर में, महिलाओं के लिए 224 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का नेटवर्क है। केन्द्रीय सेक्टर में संस्थागत नेटवर्क में 11 संस्थान शामिल हैं जो सर्वथा महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं उन कौशलों में प्रदान करते हैं जो उच्च वेतन रोजगार दिलाते हैं तथा जिनमें स्वतन्त्र रोजगार की संभावना होती है। नौएडा स्थित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (NVTI) तथा महिलाओं के लिए 8 रिजनल व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (RVTI) तीन कौशल स्तरों पर अर्थात् बुनियादी, उन्नत तथा उन्नतपश्चात पाठ्यक्रम चलाते हैं जिनकी कुल सीटिंग क्षमता 3332 है। NVTI तथा RVTI जून से सितम्बर की अवधि के दौरान महिलाओं के लिए उन्नत पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध कौशल क्षेत्र में अल्पकालिक/तदर्थ कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित करते हैं।

### उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

4.21 कार्यरत औद्योगिक कामगारों के अपने-अपने कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने हेतु उनकी कुशलता को उन्नत और अद्यतन बनाने की दृष्टि से रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत 6 उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों (ATIs) में तथा राज्य सेक्टर में 16 चुनिंदा ITIs में 1 से 6 हफ्तों की कालावधि के अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से चयनित कौशल क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ये संस्थान अग्रणी संस्थापनाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए कार्यक्रमों का भी संचालन करते हैं।

### पर्यवेक्षी प्रशिक्षण कार्यक्रम

4.22 बंगलौर और जमशेदपुर में फोरमैन प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना मौजूदा तथा भावी शॉप फ्लोर पर्यवेक्षकों को तकनीकी तथा प्रबन्धकीय कौशलों में दीर्घकालिक व अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। ये संस्थान अलग-अलग संस्थापनाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए कार्यक्रमों का भी संचालन करते हैं। इन संस्थानों की कुल सीटिंग

क्षमता लगभग 2500 है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में अब तक 36,490 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

### स्टाफ प्रशिक्षण व अनुसंधान

4.23 कोलकाता में केन्द्रीय स्टाफ प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, प्रशिक्षण निदेशालय तथा केन्द्र और राज्य सरकार के तथा औद्योगिक संस्थापनाओं आदि के प्रशिक्षण विभागों के संस्थानों के कनिष्ठ तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। संस्थान पाठ्यक्रम विकास तथा संशोधन के लिए भी जिम्मेदार है तथा यह अध्ययन और सर्वेक्षण कार्य भी करता है। NVTs के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में समस्या-उन्मुखी अनुसंधान भी करता है।

### इन्सट्रक्शनल (शैक्षिक) मीडिया विकास

4.24 चेन्नई स्थित सेन्ट्रल इन्सट्रक्शनल मीडिया

इंस्टीट्यूट ATS को कार्यान्वित कर रही औद्योगिक संस्थापनाओं तथा ITIs में प्रशिक्षकों के उपयोग के लिए शैक्षिक सामग्री विकसित करने के कार्य में लगा है। संस्थान द्वारा विकसित इन्सट्रक्शनल मीडिया पैकेजों (IMPs) में लिखित शैक्षिक सामग्री, प्रशिक्षक गाइडें तथा दृश्य एड्स (चार्ट/ट्रांसपेरेंसीज) सम्मिलित हैं। संस्थान चुनिंदा ट्रेडों में टैस्ट आइटम भी विकसित करता है तथा IMPs में प्रमुख अनुदेशकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित करता है।

### कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय परिव्यय

4.25 व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास से सम्बन्धित स्कीम के लिए वित्तीय परिव्यय “दि सोशल नैट” विषयक अध्याय के श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित खण्ड में दिए गए हैं।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दिसम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार सीटिंग क्षमता सहित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या का विवरण-पत्र

संख्या में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सरकारी औ.प्र.सं. की सं.	सीटिंग क्षमता (सरकार)	निजी औ.प्र. केन्द्रों की संख्या	सीटिंग क्षमता (निजी)	कुल औ.प्र.सं./ औ.प्र. केन्द्र (3+ 5)	कुल सीटिंग क्षमता (4+ 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>							
1	हरियाणा	80	13381	25	1428	105	14809
2	हिमाचल प्रदेश	55	5377	8	980	63	6357
3	जम्मू व कश्मीर	38	4332	0	0	38	4332
4	पंजाब	110	14319	69	4332	179	18651
5	राजस्थान	90	9168	33	3212	123	12380
6	उत्तर प्रदेश	184	38596	126	12964	310	51560
7	चंडीगढ़	2	1048	0	0	2	1048
8	दिल्ली	14	9216	48	2164	62	11480
9	उत्तरांचल	56	5928	16	1592	72	7520
	उप-योग	629	101465	325	26672	954	128137
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>							
1	आन्ध्र प्रदेश	92	24239	474	86946	566	111185
2	कर्नाटक	129	21148	596	37648	725	58796
3	केरल	82	15920	467	43785	549	59705
4	तमिलनाडु	67	23788	614	61519	681	85307
5	लक्षद्वीप	1	96	0	0	1	96
6	पांडिचेरी	7	1256	8	440	15	1696
	उप-योग	378	86447	2159	230338	2537	316785
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>							
1	अरुणाचल प्रदेश	2	368	0	0	2	368
2	असम	24	4536	3	84	27	4620
3	बिहार	29	10496	28	4344	57	14840
4	झारखंड	14	2564	22	3124	36	5688
5	मणिपुर	7	540	0	0	7	540
6	मेघालय	5	622	2	320	7	942
7	मिजोरम	1	294	0	0	1	294
8	नागालैण्ड	3	404	0	0	3	404
9	उड़ीसा	27	6784	149	15300	176	22084
10	सिक्किम	1	140	0	0	1	140
11	त्रिपुरा	4	416	0	0	4	416
12	पश्चिम बंगाल	49	11956	18	964	67	12920
13	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	220	0	0	1	220
	उप-योग	167	39340	222	24136	389	63476
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>							
1	गोवा	11	2652	4	420	15	3072
2	गुजरात	135	69796	120	16162	255	85958
3	मध्य प्रदेश	136	19538	33	2860	169	22398
4	छत्तीसगढ़	77	8536	56	5784	133	14320
5	महाराष्ट्र	347	66078	266	29522	613	95600
6	दादरा व नागर हवेली	1	228	0	0	1	228
7	दमन और दीव	2	388	0	0	2	388
	उप-योग	709	167216	479	54748	1188	221964
	<b>कुल योग</b>	<b>1883</b>	<b>394468</b>	<b>3185</b>	<b>335894</b>	<b>5068</b>	<b>730362</b>

## अध्याय-5

## सामाजिक सुरक्षा कड़ी

## 5.1 ग्रामीण भारत में गरीबी उपशमन- कार्यनीति और कार्यक्रम

5.1.1 यद्यपि देश में ग्रामीण गरीबी की दर, जो 1993-94 में 37.27% थी, कम होकर 1999-2000 में 27.09% हो गई तथापि ग्रामीण गरीबों की संख्या अभी भी बहुत अधिक है जो 1999-2000 में अनुमानतः 193.24 मिलियन थी। रोजगार सृजक क्षेत्रों पर बल देते हुए आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि की व्यवस्था पर बल के साथ-साथ, गरीबी को कम करने के लिए कार्यनीति का एक प्रमुख घटक है। इस कार्यनीति को गरीबों को गरीबी-रोधी कार्यक्रमों के माध्यम से सीधे ही लक्षित करने के तीसरे घटक के साथ मिला दिया गया है। ग्रामीण आवासन संबंधी स्कीमों के साथ-साथ स्वः तथा मजदूरी रोजगार कार्यक्रम गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का मुख्य आधार हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

5.1.2 दसवीं योजना में 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इसके अन्तर्गत मानव विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए कुछ विशिष्ट तथा मानीटरनयोग्य लक्ष्य भी विनिश्चित किए गए हैं। यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि दसवीं योजना के अन्त तक 5 प्रतिशतांक की और 2012 के अन्त तक गरीबी में 15 प्रतिशतांक बिन्दु तक कमी लाई जानी चाहिए। इसके अलावा, रोजगार सृजन और शिक्षा तथा स्वास्थ्य संकेतकों के संबंध में लक्ष्य निश्चित किए गए हैं। इस प्रयास में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की भूमिका महत्वपूर्ण है।

5.1.3 इस अध्याय में, देश में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे गरीबी-रोधी कार्यक्रमों की संक्षेप में समीक्षा की गई है। आयोजना और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की भूमिका पर भी चर्चा की गई है।

## स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

5.1.4 पूर्व एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) और इसके सम्बद्ध कार्यक्रमों की पुनर्संरचना करने के बाद स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) का उद्देश्य सहायित गरीब परिवारों (स्वरोजगारी) को सामाजिक रूप से जागृत करने की प्रक्रिया तथा उनके प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और बैंक ऋण व सरकारी सब्सिडी के मिश्रण के माध्यम से आय सृजक परिसम्पत्तियों के जरिए स्वयंसेवी समूहों (एसएचजी) में आयोजित करके गरीबी रेखा से ऊपर लाना है।

5.1.5 एसजीएसवाई कार्यक्रम की परिकल्पना, सामाजिक गतिशीलता और एसएचजी के निर्माण पर बल देते हुए गरीबों के लिए एक प्रक्रिया उन्मुख कार्यक्रम के रूप में की गई है। माना जाता है कि एसएचजी विभिन्न चरणों से गुजरते हैं और इसलिए कार्यक्रम में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक चरण के अन्त में ग्रेडिंग कार्य किया जाना चाहिए। परिकल्पना की गई है कि एसएचजी विकास के कार्य के लिए डीआरडीए, समूह विकास प्रक्रिया प्रारंभ करने और उसे बनाए रखने के लिए, एनजीओ, समुदाय आधारित संगठनों जैसे सुविधाकर्ताओं की सहायता प्राप्त कर सकते हैं और एसएचजी के निर्माण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए उपयुक्त संगठनों/सोसायटियों/व्यक्तियों को 10,000/- रुपये तक दिए जा सकते हैं। इसके अलावा, कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 25,000/- रुपये की एक चल निधि प्रदान की जाती है जिसमें से 10,000/- रुपये की राशि डीआरडीए द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाती है। एसएचजी द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक कार्यकलाप के लिए आय सृजक कार्यकलाप शुरू करने के लिए अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के बाद सब्सिडी और ऋण के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। परियोजना लागत के 30% की दर से अधिकतम 7,500 रुपये तक की सहायता दी जाती है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विकलांग व्यक्तियों के मामले में परियोजना लागत के 50% तक की सब्सिडी दी जाती है जिसकी अधिकतम राशि 10,000/- रुपये है। स्वरोजगारियों के समूह के लिए सब्सिडी की राशि स्कीम की लागत की 50% है जिसकी अधिकतम राशि 10,000/- रुपये प्रति व्यक्ति अथवा 1.25 लाख रुपये है जो भी कम हो। सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी के संबंध में कोई मौद्रिक सीमा नहीं है। सब्सिडी बैंक एन्डिड है।

5.1.6 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए, 50% महिलाओं के लिए 40% और विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% लाभ आरक्षित करके कमजोर वर्गों के लिए विशेष सुरक्षोपाय किए गए हैं। परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक ब्लॉक में गठित समूहों में से 50 प्रतिशत एकमात्र रूप से महिलाओं के लिए होने चाहिए।

5.1.7 क्योंकि स्कीम प्रकृति से प्रक्रिया- उन्मुख है इसलिए यह माना जाता है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्कीम के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर होंगे। इसलिए स्कीम के अन्तर्गत शिथिलता की व्यवस्था की गई है जिससे कि डीआरडीए, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, अवस्थापना जैसे भिन्न-भिन्न घटकों पर, स्थानीय आवश्यकताओं और समूह निर्माण के भिन्न-भिन्न चरणों के आधार पर आर्थिक कार्यकलापों हेतु चल निधियों और सब्सिडी का प्राथमिकताकरण कर सके। इसके अलावा, एसजीएसवाई के अन्तर्गत 1.5 प्रतिशत धन विशेष परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया जाता है। विशेष परियोजनाएं किसी भी क्षेत्रक के लिए खुली हैं जहां ग्रामीण क्षेत्रों में स्वः रोजगार क्षमता निर्माण क्षमता है।

5.1.8 वर्ष 2006-07 में स्कीम के लिए 1200 करोड़ रुपये के केन्द्रीय परिव्यय की व्यवस्था की गई है। प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत, वर्ष 2004-05 के लिए वास्तविक व्यय, 2005-06 के लिए बजट और संशोधित अनुमान और 2006-07 के लिए बजट अनुमान और साथ ही 2004-05 और 2005-06 के संबंध में भौतिक निष्पादन

संलग्नक 5.1.1 में देखा जा सकता है।

## सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजी आरवाई)

5.1.9 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) का प्राथमिक उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करना और उसके जरिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और पोषण स्तरों में सुधार करना है। गौण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन और अवस्थापना संबंधी विकास करना है। इस स्कीम की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 15.08.2001 को की गई थी तथा इसे सितम्बर 2001 में शुरू किया गया था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई), रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) की स्कीमों को 1.4.2002 से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मिला दिया गया है। एसजीआरवाई सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए खुली है जिन्हें मजदूरी रोजगार की जरूरत है और जो गाँव/बस्ती में और उसके आस-पास शारीरिक और अकुशल कार्य करने के इच्छुक हैं, कार्यक्रम प्रकृति से स्वःलक्ष्य वाला है। मजदूरी रोजगार प्रदान करते समय, गरीबों में निर्धनतम, अनसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों, खतरनाक व्यवसायों से हटाए गए बाल श्रमिकों के माता-पिता को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। 30 प्रतिशत रोजगार अवसर, कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कार्यक्रम को पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। पंचायत का प्रत्येक स्तर, कार्रवाई योजना तैयार करने और उसके निष्पादन के लिए एक स्वतंत्र इकाई है।

5.1.10 कार्यक्रम को इसके नकद घटक के संबंध में केन्द्र और राज्यों के बीच 75 : 25 के लागत भागीदारी अनुपात में कार्यान्वित किया जाता है। तथापि, कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न राज्यों को निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

5.1.11 कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी अंशतः खाद्यान्न के रूप में और अंशतः नकद रूप में अदा की जाती है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आजादी है कि वे मजदूरी के भाग के रूप में अदा की गई खाद्यान्न की लागत का हिसाब

समान दर पर कर सकते हैं जो या तो बीपीएल दर अथवा एपीएल दर अथवा दोनों दरों के बीच कुछ भी हो सकती है। कामगारों को शेष मजदूरी नकद अदा की जाती है जिससे कि वे अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से आश्वस्त हो सकें।

5.1.12 स्कीम के अन्तर्गत आयोजित किए जाने वाले कार्यों के संबंध में वार्षिक कार्रवाई योजनाएं प्रत्येक जिला परिषद/डीआरडीए, मध्यवर्ती स्तर और ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की जाती है। अपूर्ण कार्यों को पूरा करने पर प्राथमिकता दी जाती है तथा श्रम गहन कार्यों पर बल दिया जाता है। तथापि, किए जाने वाले कार्य की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि वह एक या दो वर्ष में पूरा हो जाए। अधिकतम 15% राशि, जिला परिषदों/ डीआरडीए/मध्यवर्ती पंचायतों/ ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यक्रम के तहत निर्मित परिसम्पत्तियों पर खर्च की जा सकती है।

5.1.13 इस स्कीम के लिए वर्ष 2006-07 में 3000 करोड़ रुपये के केन्द्रीय परिव्यय (खाद्यान्न घटक को छोड़कर) की व्यवस्था की गई है।

### राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और अन्नपूर्णा

5.1.14 वृद्धावस्था, प्रमुख रोजी-रोटी कमाने वाले की मृत्यु और मातृत्व के मामले में गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से 100% केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में एनएसएपी 15.8.1995 को शुरू किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 में निदेशात्मक सिद्धान्तों को पूरा करने की दिशा में यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह कल्याण के न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर सुनिश्चित करने के राज्य सरकारों के प्रयासों का पूरक है तथा केन्द्रीय सहायता इस लाभ के अतिरिक्त है जो राज्य सामाजिक संरक्षण स्कीमों पर पहले से ही प्रदान कर रहे हैं।

5.1.15 वर्ष 2001-02 से एनएसएपी का मातृत्व लाभ घटक परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दिया गया था ताकि पोषाहार

और राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के साथ बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया जा सके। एनएसएपी के शेष दो घटकों, अर्थात् राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के निराश्रितों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए) तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम (प्राकृतिक अथवा दुर्घटना कारणों से किसी रोजी-रोटी कमाने वाले की मृत्यु हो जाने की स्थिति में एकमुश्त राशि प्रदान करने के लिए) और साथ ही अन्नपूर्णा (एनओएपीएस के तहत कवर न हुए निराश्रितों वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए) को 2002-03 से राज्यों को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

5.1.16 परिकल्पना की गई है कि ये स्कीमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कीमों के चयन और कार्यान्वयन में अपेक्षित शिथिलता प्रदान करेंगी। इन स्कीमों के लिए जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) का उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, अपनी खुद की प्राथमिकताओं और जरूरतों के अनुसार एक अथवा दो अथवा सभी तीनों अथवा किसी अन्य प्रकार के मिश्रण के जरिए शुरू करके वृद्धावस्था पेंशन, परिवार लाभ अथवा निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करके कल्याण स्कीमों के लिए किया जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके अपने बजट के अन्तर्गत इन स्कीमों के लिए एक अनिवार्य न्यूनतम प्रावधान (एमएमपी) की व्यवस्था करनी है। इस एमएमपी का परिकलन वर्ष 2000-01 के दौरान इन स्कीमों के लिए राज्य के बजट प्रावधान अथवा वास्तविक व्यय, जो भी अधिक हो, के समकक्ष तथा संबंधित वर्ष के लिए एसीए आवंटन को जोड़कर किया जाएगा।

5.1.17 एनएसएपी तथा अन्नपूर्णा के लिए बजट अनुमान 2006-07 के तहत राज्यों के लिए 1430 करोड़ रुपये की एसीए की व्यवस्था की गई है।

### ग्रामीण आवासन-इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई)

5.1.18 आवासन को मानव उत्तरजीविता के लिए एक अत्यावश्यक घटक और इसलिए जरूरी समाजार्थिक विकास समझा गया है। ग्रामीण गरीबों की आवासन जरूरतों को

पूरा करने के प्रयासों के भाग के रूप में, भारत सरकार 1985 से इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) का कार्यान्वयन कर रही है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में “सामाजिक अवस्थापना के लिए विशेष कार्रवाई योजना” के अन्तर्गत आवासन को एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र विनिर्धारित किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आश्रयहीनता को दूर करना है। इसकी प्राप्ति हेतु ग्रामीण आवासन के लिए विशेष कार्रवाई योजना तैयार की गई थी।

5.1.19 आईएवाई का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों व ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे गैर-अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए निःशुल्क रिहायशी इकाई की व्यवस्था करना है। वर्ष 1995-96 से आईएवाई के लाभ युद्ध में मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं अथवा उनके सगे संबंधियों के लिए भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। पूर्व सैनिकों तथा अर्ध-सैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्यों को भी, आईएवाई की सामान्य पात्रता शर्तें पूरी करने पर, लाभ प्रदान कर दिए गए हैं। तीन प्रतिशत निधियां ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले विकलांग लोगों के लिए आरक्षित हैं। तथापि, गैर-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लाभ आईएवाई आवंटन के 40% से अधिक नहीं होंगे।

5.1.20 निर्माण सहायता की अधिकतम सीमा 1 अप्रैल, 2004 से संशोधित कर दी गई है और फिलहाल यह मैदानी क्षेत्रों के लिए 25,000 रुपये प्रति इकाई तथा पर्वतीय/ कठिन क्षेत्रों के लिए 27,500 रुपये है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अयोग्य कच्चे मकानों में सुधार करने की बहुत जरूरत है इसलिए 1 अप्रैल, 2004 से यह निर्धारित है कि कुल निधियों में से 20 प्रतिशत का उपयोग असेवायोग्य कच्चे मकानों को पक्के/अर्ध पक्के मकानों में बदलने तथा ऋण-सह-सब्सिडी स्कीम के अन्तर्गत ऋण के लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

5.2.21 वर्ष 2005-06 से आवंटन मापदंड में संशोधन कर दिया गया है तथा आवासन कमी को 75% भारांश

तथा राज्य स्तर आवंटन के लिए गरीबी अनुपात हेतु 25% कर दिया गया है। इसके आलावा, जिलों के बीच आवंटन में आवासन कमी को 75% भारांश तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति घटक के लिए 25% भारांश प्रदान किया गया है। इस मापदण्ड संशोधन का उद्देश्य आश्रयहीनता की गम्भीर समस्या को एक निश्चित समय सीमा के अन्दर दूर करना है।

5.1.22 ग्रामीण आवासन भारत निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसके अन्तर्गत देश भर में 2005-06 से शुरू करके अगले चार वर्षों के दौरान 60 लाख मकानों का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2006-07 के दौरान, इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) के अन्तर्गत 15.33 लाख मकानों के लक्ष्य के साथ ग्रामीण आवासन के लिए 2920.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

### राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीपी) एनआरईजीए की अधिसूचना

5.1.23 संसद के मानसून सत्र 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (एनआरईजीए) सर्वसम्मति से पारित किया गया था ताकि एक ग्रामीण परिवार के लिए एक वित्त वर्ष में रोजगार के 100 दिनों की गारंटी प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मागदर्शी कानून बन सके। अधिनियम को 7 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया।

### एनआरईजीए की शुरुआत

5.1.24 माननीय प्रधानमंत्री ने एनआरईजीए की औपचारिक शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आन्ध्र प्रदेश राज्य, जिला अनन्तपुर, ग्राम पंचायत बादला पल्ली से की गई थी। शुरुआत और कानूनी अधिसूचना के प्रभाव का अर्थ है कि अधिसूचित जिलों में ग्रामीण परिवारों को अपने आपको स्थानीय ग्राम पंचायत के पास अधिनियम के तहत रोजगार पाने के लिए इच्छुक व्यक्तियों के रूप में पंजीकृत कराने का अधिकार होगा। समुचित सत्यापन के बाद ग्राम पंचायत परिवार का पंजीकरण करेगी और पंजीकृत परिवार को एक

जॉब कार्ड जारी करेगी। जॉब कार्ड एक कानूनी दस्तावेज है जो व्यक्ति को अधिनियम के अन्तर्गत कार्य की मांग करने और काम की मांग करने पर 15 दिन के अन्दर काम पाने का हकदार बनाता है। पहले चरण में एनआरईजीए के कार्यान्वयन के लिए दो सौ जिलों का विनिर्धारण किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2006-07 के लिए केन्द्रीय सरकार बजट परिव्यय के रूप में 11,300 करोड़ रुपये विनिर्धारित किए हैं। यह मुख्य रूप से इस योजना के अन्तर्गत मजदूरी घटक के 100% और गैर-मजदूरी घटक के 75% को कवर करने के लिए होगा। गैर-मजदूरी घटक के शेष 25% को संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। यह एक खुली रोजगार गारंटी स्कीम है जिससे कि ये निधियां केवल सुझाव के रूप में हैं।

### स्कीम की महत्वपूर्ण विशेषताएं

5.1.25 स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों पर उनके प्राथमिकता के क्रम में, बल दिया जाएगा :

- (i) जल संरक्षण और जल दोहन;
- (ii) सूखे से बचाव (वनारोपण और वृक्षारोपण सहित);
- (iii) सिंचाई नहरें, लघु और छोटे सिंचाई कार्यों सहित;
- (iv) अनुसूचित जातियों और अनु. जनजातियों से संबंधित परिवारों की मिल्कियन वाली अथवा भू-सुधारों के लाभार्थियों की भूमि अथवा भारत सरकार की इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की भूमि के लिए सिंचाई सुविधा की व्यवस्था;
- (v) पारम्परिक जलस्थलों का पुनरूद्धार, तालाबों की गाद निकालने सहित;
- (vi) भूमि विकास;
- (vii) बाढ़ नियंत्रण तथा संरक्षण कार्य, जलाक्रान्त क्षेत्रों में नाली व्यवस्था सहित;
- (viii) बारहमासी सुलभता प्रदान करने के लिए ग्रामीण संयोजकता; और
- (ix) कोई अन्य कार्य, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित किया जाए।

5.1.26 टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन को सुदृढ़ करना स्कीम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस स्कीम के अन्तर्गत आरंभ किए जाने वाले कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में होने चाहिए। राज्य परिषद, विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में उनकी टिकाऊ परिसम्पत्तियां सृजित करने की योग्यता के आधार पर प्राथमिकता पूर्ण कार्यों की सूची तैयार कर सकती है। यह स्कीम उन समुचित व्यवस्थाओं के अध्यक्षीन है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा स्कीम के अन्तर्गत सृजित, सार्वजनिक सम्पत्तियों के समुचित अनुरक्षण हेतु जारी नियमों द्वारा निर्धारित किया जाए। किसी भी परिस्थिति में श्रमिकों को मजदूरी दर से कम की अदायगी नहीं की जाएगी। मजदूरी को कार्य की मात्रा के साथ सीधे ही जोड़े जाने पर मजदूरी की अदायगी राज्य सरकार द्वारा राज्य परिषद के परामर्श से प्रत्येक वर्ष कार्य की भिन्न-भिन्न किस्म के लिए निश्चित दर अनुसूची के अनुसार की जाएगी। अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की दर अनुसूची इस प्रकार निश्चित की जाएगी कि सात घंटे तक कार्य करने के लिए व्यक्ति को सामान्यतः मजदूरी दर के बराबर मजदूरी प्राप्त हो। परियोजना के सामग्री घटक की लागत, कुशल और अकुशल श्रमिकों की मजदूरी सहित, शुरू की गई स्कीम के अन्तर्गत कुल परियोजना लागत का 40 प्रतिशत से अधिक न हो। कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत, स्कीम के अन्तर्गत रोजगार का आवेदन करने वाले व्यक्ति को उसके तहत अनुमत्य किसी भी किस्म का कार्य करने के लिए निदेश दे सकती है। स्कीम के अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वित करने के लिए किसी ठेकेदार को नियुक्त करने की अनुमति नहीं है। जहाँ तक व्यवहार्य हो, योजना के अन्तर्गत वित्तपोषित कार्य को शारीरिक श्रम का उपयोग करके, मशीनें नहीं, निष्पादित किया जाएगा। प्रत्येक स्कीम के अन्तर्गत कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था सम्मिलित होगी। कार्यों की समुचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि कार्य की पूर्णता के लिए अदा की गई कुल मजदूरी किए गए कार्य की कोटि और मात्रा के अनुरूप है, क्योंकि नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम समन्वयकर्ता, कार्यक्रम अधिकारी और स्कीम को

कार्यान्वित करने वाली ग्राम पंचायत अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसकी एक प्रतिलिपि जनता को मांग किए जाने पर तथा स्कीम में यथाविनिर्दिष्ट फीस की अदायगी किए जाने पर, उपलब्ध कराई जाएगी। स्कीम से संबंधित सभी लेखे और रिकार्ड सार्वजनिक छानबीन के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे तथा उसकी प्रतिलिपि अथवा उससे संगत उद्धरण चाहने वाले व्यक्ति को, मांग किए जाने तथा स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट फीस अदा किए जाने के बाद, उपलब्ध कराई जा सकती है। ऐसी स्कीम अथवा स्कीम के अन्तर्गत परियोजना के मस्टर रोल की एक प्रतिलिपि, किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा स्कीम में यथा निर्दिष्ट फीस की अदायगी किए जाने पर निरीक्षण हेतु ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालयों को उपलब्ध कराई जाएगी।

### पंचायती राज

5.1.27 विकास कार्यक्रमों को योजना तैयार करने, उसके निष्पादन और मानीटरन में समुदाय की भागीदारी कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक अनिवार्यता है। सरकार ने उन क्षेत्रों में जहाँ दैनिक जीवन में बाधाएं हैं, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। विकास कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी की दिशा में पंचायती राज संस्थान एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में उभरे हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है तथा देश में अधिशासन में उनकी भूमिका का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। राज्य

सरकारों से उम्मीद की गई थी कि वे पंचायती राज पद्धति की प्रत्येक प्रणाली को सौंपे गए कार्यों के अनुरूप पर्याप्त कार्य, कार्यकर्ता और वित्तीय संसाधन विकसित करके पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाएंगी।

5.1.28 पीआरआई के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यूपीए सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना की। मंत्रालय ने केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को कार्यकलाप के अपने-अपने क्षेत्र में पंचायत का केन्द्रिकता को समझाने और अपने कार्यक्रमों में पीआरआई को शामिल करने के संबंध में संवेदी बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अनेक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए हैं जिनमें अनेक संकल्प पारित किए गए हैं, जिन्हें यदि कार्यान्वित किया गया तो वे पंचायतों को सशक्त बनाने में काफी मददगार होंगे। मंत्रालय ने, संवैधानिक अधिदेश के अनुरूप अनेक कदम उठाए हैं।

5.1.29 पंचायत राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित बड़ी स्कीम, पंचायत राज प्रणाली में कार्यरत पंचायती राज कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से संबंधित हैं। वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय 50.00 करोड़ रुपये था। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए परिव्यय की राशि 3825 करोड़ रुपये है। इसमें देश के सर्वाधिक पिछले 250 जिलों के लिए सृजित बीआरजीएफ निधि के लिए 3750 करोड़ रुपये भी सम्मिलित हैं। योजना परिव्यय का उपयोग, चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने, पूर्वोत्तम पंचायतों को पुरस्कृत करने, सूचना और संचार तथा मंत्रालय के प्रशासनिक खर्च को वहन करने के लिए किया जाएगा।

संलग्नक-5.1.1

प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्तीय तथा भौतिक निष्पादन

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वित्तीय (करोड़ रुपये)			भौतिक	
		2004-05 वास्तविक व्यय	2005-06 बजट अनुमान	2006-07 बजट अनुमान	2004-05 भौतिक उपलब्धि	2005-06 भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)	5100.00	6000.00	3000.00	82.97 (करोड़ मानव दिवस)	81.66 (करोड़ मानव दिवस)
2	काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी/ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीए)	2020.00	4000.00	11300.00	-	-
3	स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)	996.60	960.00	1200.00	11.13 (लाख स्वरोजगारी)	11.46 (लाख स्वरोजगारी)
4	ग्रामीण आवासन (इन्दिरा आवास योजना)	2500.00	2775.00	2920.00	15.16 (लाख रिहायशी इकाईयां)	15.52 (लाख रिहायशी इकाईयां)
5	डीआरडीए प्रशासन	231.81	220.00	220.00	-	-
6	राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान (एनआईआरडी) को अनुदान	9.00	10.00	12.00	-	-
7	प्रशिक्षण	23.40	24.00	30.00	-	-
8	सूचना, शिक्षा और संचार	20.00	15.00	18.00	-	-
9	“कपार्ट” के लिए सहायता	55.05	70.00	70.00	-	-
10	मानीटरन और मूल्यांकन	20.00	15.00	20.00	-	-
11	“पुरा”	10.00	10.00	10.00	-	-
<b>जोड़</b>		<b>10985.86</b>	<b>14099.00</b>	<b>18800.00</b>		-

स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय

## 5.2 खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

5.2.1 पोषाहार स्थिति को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से राष्ट्रीय विकास का एक संकेतक समझा जाता है। पोषाहार, विकास प्रक्रिया का एक इनपुट और आउटपुट दोनों है। सकल आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक सु-पोषित स्वस्थ कार्यबल एक पूर्वापेक्षा है और इसलिए खाद्य सुरक्षा, पोषाहार, स्वास्थ्य और स्वच्छता सभी विकास क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। अल्पपोषण और असंतोषजनक स्वास्थ्य आबादी के कुछ घटकों तक पहुँचने के लिए विकास प्रक्रिया की असफलता की अभिव्यक्ति है।

5.2.2 भारत, विश्व में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है जहाँ विश्व की 2.4% भूमि विश्व की कुल आबादी के 16.7 प्रतिशत का समर्थन और भरणपोषण करती है। पोषाहार परिदृश्य में, भारत में गंभीर कुपोषण में पर्याप्त कमी आई है तथा गंभीर पोषाहार कमियों के प्राच्य लक्षण लगभग समाप्त हो गए हैं। कुल मिलाकर प्रौढ़ों की पोषाहार स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। अकाल समाप्त हो गए हैं, स्कूल-पूर्व बच्चों के बीच गंभीर कुपोषण में पर्याप्त रूप से कमी आई है प्रौढ़ों की पोषाहार स्थिति में पर्याप्त रूप से सुधार हुआ है। किन्तु अभी भी कुपोषण के उच्च स्तर देश में रूग्णता और मृत्यु दरों को प्रभावित करते हैं।

5.2.3 अल्पपोषण के कारणों के अन्तर्गत व्यापक क्षेत्रक सम्मिलित हैं जो राजनीतिक, पर्यावरणीय, समाजार्थिक, स्वास्थ्य और अंतर- पारिवारिक कारकों के परिणाम हैं। इसलिए पोषाहार एक बहु-क्षेत्रकीय मुद्दा है जिसका समाधान विभिन्न विकास क्षेत्रों द्वारा किया जाना चाहिए। सभी के लिए इष्टतम पोषाहार सुनिश्चित करने का सार्वधिक कुशल और प्रभावी साधन पोषाहार आधारों को विकास प्रक्रिया में एकीकृत करना है।

5.2.4 चालू पोषाहार उपाय प्रायः उपभोक्ता- उन्मुख रहे हैं जिनसे कतिपय आबादी समूहों की समस्याओं का अस्थाई रूप से समाधान हो सकता है किन्तु इष्टतम पोषाहार, मानव संसाधन विकास, उत्पादकता और आर्थिक विकास

के दीर्घावधिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि कुपोषण के मूल कारणों का समाधान करके इन प्रयासों को पूरक बनाया जाए। पोषाहार स्थिति में संधारणीय सुधार प्राप्त करने के उद्देश्य से, पोषाहार जरूरतों को समग्र विकास नीति के संदर्भ में समझे जाने और उनका समाधान किए जाने की जरूरत है।

5.2.5 पोषाहार, वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के लिए उत्तरजीविता का एक मुद्दा है। भ्रूण अवस्था और शिशुवस्था कुपोषण के लोगों की संवृद्धि और विकास के लिए दीर्घावधिक परिणाम हैं। प्रारम्भिक वर्षों के दौरान अथवा महिलाओं के जीवन चक्र के हर चरण के दौरान कुपोषण के अल्पावधिक और दीर्घावधिक परिणाम हो सकते हैं जैसे कि कमजोर मस्तिष्क विकास, असंतोषजनक वृद्धि और मांसपेशी का समूहीकरण तथा ग्लूकोज़ लिपिडों प्रोटीनों, हार्मोन्स, रिसेप्टर/ जीन। घटिया चयापचयी कार्यक्रम तैयार करना। इन सभी परिणामों का नतीजा घटिया बोधात्मक और शैक्षिक निष्पादन, घटिया प्रतिरक्षण और कार्य क्षमता और खुराक सम्बद्ध चिरकालिक रोग होते हैं जैसे कि मधुमेह, रक्तचाप, तथा लोगों के लिए इष्टतम पोषाहार पर, संधारणीय विकास प्राप्त करने के वास्ते, बल देने की आवश्यकता है।

5.2.6 अल्पपोषण, प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण (पीईएम) और लघुपोषण कमियां, दोनों ही बच्चों के विकास के अनेक पहलुओं को सीधे ही प्रभावित करता है। विशेष रूप से यह उनके शारीरिक और बोधात्मक विकास को रोकता है और संक्रमण की सम्भावना को बढ़ाता है, जिससे कुपोषण की सम्भाव्यता में और वृद्धि होती है। बाल कुपोषण निम्न उत्पादकता के लिए जिम्मेदार है जिसके आय और आर्थिक विकास के लिए प्रतिकूल निहितार्थ हैं।

जो चुनौती अभी भी शेष रहती है, उसमें सम्मिलित हैं :

- उच्च कुपोषण स्तर, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में,
- लघु पोषक कुपोषण
- उभरती खुराक सम्बद्ध बीमारियां
- उच्च मृत्यु दरें-आईएमआर यू 5 एमआर और

एमएमआर

- स्वास्थ्य देखरेख, प्रतिरक्षण की अपर्याप्त सुलभता आदि।

5.2.7 अल्पपोषण 47% स्कूल-पूर्व बच्चों को प्रभावित करता है (एनएफएचएस-II, 1998-99)। भारत की स्थिति दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भी खराब है जिसमें भारत का नीचे से तीसरा स्थान है, जहाँ केवल नेपाल और बंगलादेश की स्थिति भारत की तुलना में खराब है। कम जन्म भार की विद्यमानता बनी हुई है जो विगत तीन दशकों से लगभग 30% है। प्रौढ़ों में चिरकालिक ऊर्जा न्यूनता महिलाओं के मामले में 39% और पुरुषों में 37% है (एनएनएमबी 2002)।

5.2.8 लोह न्यूनता रक्तालप्ता विद्यमानता उँची बनी हुई है विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूहों के बीच जैसे कि 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, किशोर लड़कियाँ, गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली माताएं। इन जन समूहों में लगभग 68-78 प्रतिशत रक्तालप्ता से पीड़ित हैं (एनएनएमबी 2003)। स्कूल-पूर्व बच्चों में **विटामिन ए की न्यूनता** बनी हुई है जहाँ स्तर (बिटोट स्थलों) के संबंध में स्तर डब्ल्यू एच ओ निर्धारित स्तर 0.5% से ऊँचे हैं। विटामिन ए कमी की स्थिर विद्यमानता (बिटोट स्थल), जो 1988-99 से 2003 अवधि के दौरान 0.7% से 1.1% थी, पर व्यापक रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। भारत में कोई भी राज्य **आयोडीन न्यूनता विकृतियों** से मुक्त नहीं है। 321 जिलों में से जिन 260 जिलों का सर्वेक्षण किया गया उनमें 10% से अधिक की विद्यमानता है, अर्थात् इन क्षेत्रों में आयोडीन न्यूनता स्थानिक है जबकि डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित स्तर 5% है।

5.2.9 शिशु मृत्यु दर अभी भी बहुत उँची है, अर्थात् 58 प्रति हजार जीवित जन्म (एसआरएस 2004)। 1990 से देखी गई आईएमआर स्थिरता को माता और बच्चे में कुपोषण को दूर करके हटाया जा सकता है। 5 वर्ष से कम मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर भी अस्वीकार्य रूप से उँची है।

5.2.10 पाँच वर्ष से कम आयु के लगभग 11 मिलियन बच्चे हर साल मर जाते हैं, उनमें से 98% विकासशील देशों

में। इनमें से लगभग 40% की मौत जन्म के बाद पहले 28 दिन के अन्दर नव प्रसव अवधि में होती है। इन मौतों में से 36% संक्रमणों के कारण होती हैं। कुपोषण का बाल मृत्यु दर के साथ निकट का संबंध है, एक कुपोषित बच्चे को एक सु-पोषित बच्चे की तुलना में मौत का कहीं अधिक खतरा होता है। इन मौतों में से आधे से अधिक को रोका जा सकता है यदि कर सकने योग्य हस्तक्षेपणीय उपायों और प्रथाओं का एक सैट बड़े पैमाने पर अपनाया जाए। इन अपेक्षाकृत सरल किन्तु अत्यंत प्रभावी हस्तक्षेपणीय उपायों और प्रथाओं में सम्मिलित हैं : समय पर और पर्याप्त शिशु पोषण प्रथाएं, पेचिश का उपचार, प्रतिरक्षण, नवजात बच्चे को गर्म रखना व अन्य।

## वार्षिक योजना 2005-06 की समीक्षा

5.2.11 **एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)** का उद्देश्य, जो देश में विश्व का सबसे बड़ा कल्याण कार्यक्रम है, सेवाओं का एक एकीकृत पैकेज उपलब्ध कराना है, जैसे कि पूरक पोषाहार प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य और पोषाहार शिक्षा, स्वास्थ्य चैक-अप और रेफरल्स व 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्कूल-पूर्व शिक्षा 3-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को और स्वास्थ्य तथा पोषाहार शिक्षा 15-45 वर्ष के आयु वर्ग में महिलाओं को प्रदान की जाती है। अभिप्रेरण तथा उत्तम बाल्यावस्था देखरेख प्रदान करने के लिए देखभालकर्ताओं के क्षमता निर्माण के जरिए तीन वर्ष से कम आयु के सर्वाधिक भेद्य बच्चों की जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

5.2.12 कार्यक्रम के अन्तर्गत, समुदाय-आधारित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों, आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से समर्थनकारी समुदाय प्रणालियों/महिला समूहों के माध्यम से स्वास्थ्य पद्धति और समुदाय में बुनियादी सेवाओं के अभिसरण के संबंध में एक एकीकृत दृष्टिकोण की व्यवस्था है। इसके अलावा आंगनबाड़ी एक मिलन स्थल है जहाँ महिला/माताओं के समूह अन्य अग्रणी कार्यकर्ताओं के साथ, जागरूकता प्रोत्साहित करने तथा बाल विकास और महिला सशक्तिकरण हेतु संयुक्त कार्रवाई हेतु इकट्ठे हो सकते हैं। 1975 में नाममात्र के 33 सूखा प्रधान ब्लाकों (परियोजनाओं) में शुरू

की गई आईसीडीएस स्कीम का विस्तार 5635 परियोजनाओं तक कर दिया गया है। इस समय लगभग 408 लाख बच्चे (0-6 वर्ष) और लगभग 91 लाख गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली माताएं, 7.44 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से आईसीडीएस की सेवाओं का उपयोग कर रही हैं।

5.2.13 एनएफएचएस-II, अन्तिम उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में विद्यमान पोषाहार स्थिति निम्न प्रकार है :

- 47% बच्चे अल्पभार वाले, 46% अवरूद्ध और 16% व्यर्थ पाए गए ;
- केवल 15.8 प्रतिशत शिशुओं में एक घन्टे के अन्दर स्तनपान की शुरुआत पाई गई, जो प्रथम 24 घन्टों के अन्दर 37.1% तक पहुँच जाती है ;
- 0-3 मास के केवल 55.2 प्रतिशत बच्चों और 4-6 मास के 27.3 प्रतिशत को मात्र रूप से स्तनपान कराया गया।
- केवल 33.5 प्रतिशत बच्चे (6-9 मास आयु के), जिन्हें स्तनपान कराया गया, ठोस अथवा गूदेदार खाना खाते थे ;
- 6-35 मास की आयु वाले 74.3% बच्चों में लोह न्यूनता रक्तालप्ता पाई गई।
- एक चौथाई से अधिक (28%) परिवार ऐसे नमक का प्रयोग करते हैं जो बिलकुल आयोडीनयुक्त नहीं होता और 22% ऐसे नमक का उपयोग करते हैं जो अपर्याप्त रूप से (15 पीपीएम से कम) आयोडीनयुक्त होता था।

5.2.14 आईसीडीएस, राज्यों के बीच कार्यक्रम के सुचारु कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से 100% वित्तीय सहायता के साथ पूरक पोषाहार को छोड़कर जिसकी व्यवस्था पात्र लाभार्थियों के लिए राज्य के अपने संसाधनों से किया जाना है, एक चालू केन्द्र प्रायोजित स्कीम है।

5.2.15 दसवीं योजना के दौरान, आबादी वित्त तथा पूरक पोषाहार की यूनिट लागत वहन करने के संबंध में आईसीडीएस के लिए मानदण्डों की पद्धति को जारी रखा गया। 2004 में गठित अन्तर-मंत्रालयीय कार्यबल की सिफारिशों के अनुसार ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में आईसीडीएस परियोजना की मंजूरी के लिए, उसमें गावों/आबादी की संख्या चाहे कुछ भी हो, यूनिट के रूप में एक राज्य में सीडीब्लाक के रूप में जनसंख्या मानदण्ड को संशोधित कर दिया गया। ग्रामीण परियोजनाओं के लिए 500-1500 आबादी के लिए एक आंगनवाड़ी केन्द्र और 150-300 के बीच आबादी के लिए एक लघु आंगनवाड़ी केन्द्र की सिफारिश की गई है। शहरी परियोजनाओं में 500-1500 आबादी के लिए एक आंगनवाड़ी केन्द्र की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2005-06 से वित्त पोषण मानदण्ड की पद्धति में भी विचलन आया है तथा तब से भारत सरकार ने राज्यों को उनके द्वारा वास्तविक खर्च में 50% की हिस्सेदारी अथवा लागत मानदण्ड का 50%, जो भी कम हो, सहायता करने का निर्णय लिया है। पूरक पोषाहार की व्यवस्था करना राज्यों की जिम्मेदारी है और इसलिए पूरक पोषाहार के रूप में प्रदान किए जाने वाले खाद्य की किस्म हर राज्य में भिन्न-भिन्न है। अक्टूबर 2004 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में और मुद्रास्फीति

बॉक्स संख्या 1

पुरानी दरें	संशोधित दरें
(i) बच्चे (6 मास से 72 मास) 95 पैसे प्रति बच्चा/प्रतिदिन	2.00 रुपये प्रति बच्चा/प्रति दिन
(ii) गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चे (6 मास-72 मास) 135 पैसे प्रति बच्चा/प्रतिदिन	2.70 रुपये प्रति बच्चा/प्रति दिन
(iii) गर्भवती महिलाएं और नर्सिंग माताएं/ किशोर लड़कियां (केएसवाई के अनुसार) 115 पैसे प्रति लाभार्थी प्रतिदिन	2.30 रुपये प्रति लाभार्थी प्रति बच्चा

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2005-06, महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

को ध्यान में रखते हुए लाभार्थियों के पोषाहार मानदण्डों को पूरा करने के लिए इकाई लागत को बदल दिया गया तथा उसे बाक्स सं० 1 में दर्शाया गया है।

5.2.16 उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और विकास में बच्चों का अधिकार तथा जिस परिवेश में वे रहते हैं, उनका विकास और संवृद्धि सुनिश्चित होती है, इसमें उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विगत कुछ वर्षों के दौरान हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक पद्धति में आईसीडीएस की स्कीम ने काफी अच्छा निष्पादन किया है। इसके अन्तर्गत सभी सांस्कृतिक पद्धतियों और विविधता का सम्मान करते हुए एक बाल केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ एक व्यापक हस्तक्षेपणीय कार्यक्रम की लोकप्रिय वृहद दूरदृष्टि तैयार करने का प्रयास किया गया है तथा इसने समाज में सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए परिवर्तन के एक साधन के रूप में कार्य किया है।

### आईसीडीएस के पोषाहार घटक का मूल्यांकन

5.2.17 राष्ट्रीय जन सहकारिता और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) ने सम्पूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन पद्धति का, प्रत्याशित लाभार्थियों पर इसके प्रभाव सहित, निम्नलिखित उद्देश्यों से एक व्यापक आकलन किया था :

- कवरेज, आउटरीच, समन्वय, अभिसरण और राज्यों तथा एनजीओ द्वारा लागू नवीनताओं की दृष्टि से आईसीडीएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की विद्यमान स्थिति का आकलन करना;
- ग्रामीण, शहरी और जनजातीय क्षेत्रों और एनजीओ संचालित परियोजनाओं में आईसीडीएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अन्तरों की तुलना करना;
- आईसीडीएस के कार्यान्वयन में कमियों और अन्तरों का पता लगाना;
- आईसीडीएस के बारे में समुदाय और स्थानीय निकायों के बोध तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उनके द्वारा प्रदत्त सहायता की सीमा का पता लगाना;
- अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ आईसीडीएस के अन्तर-संयोजनों और सेवाओं की कोटि सुधारने में उनकी भूमिका का पता लगाना; और

- बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों को प्रदत्त विभिन्न सेवाओं से सम्बद्ध चुनिन्दा परिणाम संकेतकों पर स्कीम के लाभों का पता लगाना।

### सेवाएं प्रदान करने का आकलन करना

#### पूरक पोषाहार (एसएन)

- आकलन संबंधी डाटा से पता चला कि 80 प्रतिशत परियोजनाओं में अंगनवाड़ियों में पोषाहार की व्यवस्था करने का स्रोत राज्य सरकार थी जिसने भारतीय खाद्य निगम से तथा उनके द्वारा बताए गए अन्य स्रोतों से खाद्य मदों की प्राप्ति की। पाया गया कि विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने 6 प्रतिशत अंगनवाड़ियों की सहायता की जबकि “केयर” ने चार प्रतिशत अंगनवाड़ियों को पोषाहार सुविधा प्रदान की। यह भी प्रवृत्ति देखी गई ग्राम पंचायतें/स्वयंसेवी समूह लाभार्थियों को पका हुआ खाना परोस रहे थे।
- 42 प्रतिशत अंगनवाड़ियों को कच्ची खाद्य मदें प्राप्त हुई थी जिन्हें अंगनवाड़ी केन्द्रों में पकाया/तैयार किया गया है बच्चों को परोसा गया। यह प्रथा अधिकांशतः जनजातीय परियोजनाओं में पाई गई (53.5%)। सभी प्रकार की परियोजनाओं में खाने के लिए तैयार खाना (आरटीई) परोसा जाता था, ऐसा अधिकतम शहरी परियोजनाओं की अंगनवाड़ियों में (45.8%) होता था, उसके बाद ग्रामीण (33.6%) और जनजातीय (23.5%) परियोजनाओं का स्थान था। कुछ अंगनवाड़ियाँ पका हुआ तथा आरटीई दोनों किस्म का खाना प्रदान कर रही थी। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में छः वर्ष से कम के सभी बच्चों को वजन के आधार पर गम्भीर रूप से/साधारण रूप से कुपोषित के रूप में विनिर्धारित किया गया, उन्हें संगठनों/व्यक्तियों द्वारा नरम (पीसा हुआ) अथवा डिब्बाबंद दूध में पकी उपचारात्मक खुराक प्रदान की जाती थी। यह, कार्यक्रम को प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए आधारभूत स्तर

पर आईसीडीएस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों का संकेत था।

### पूरक पोषाहार के वितरण में बाधा

- यह नोट करना सुखद था कि 46 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों को (ग्रामीण-47.6% , जनजातीय- 38.2% और शहरी 50.8%) पोषाहार सामग्री की आपूर्ति की दृष्टि से कोई बाधा नहीं पहुँची। तथापि, पर्याप्त संख्या में (52.9%) एडब्ल्यूसी ने बाधाओं की रिपोर्ट की। ऐसे मामलों में, जनजातीय एडब्ल्यूसी में अधिकतम (61.2%) बाधा पहुँची, उसके बाद ग्रामीण (52.0%) और शहरी (45.0%) एडब्ल्यूसी का स्थान था।

### पूरक पोषाहार के अन्तर्गत महिलाओं का कवरेज

- अधिकतम संख्या में गर्भवती महिलाएं (49.5%) विश्व बैंक सहायित आईसीडीएस परियोजनाओं द्वारा संचालित एडब्ल्यूसी परियोजनाओं में पंजीकृत थी, उसके बाद एनजीओ संचालित आईसीडीएस परियोजनाओं (48.6%) और नियमित आईसीडीएस परियोजनाओं (47.2%) में पंजीकृत थी। यह रूचिकर है कि गर्भवती महिलाओं का अधिकतम कवरेज नियमित आईसीडीएस परियोजनाओं के जनजातीय एडब्ल्यूसी में (61.8%) और एनजीओ संचालित आईसीडीएस परियोजनाओं में (58.3%) पाया गया।
- सर्वाधिक रूचिकर बात यह थी कि एनजीओ संचालित आईसीडीएस परियोजनाओं में सभी पंजीकृत नर्सिंग माताएं जनजातीय और शहरी क्षेत्रों में एडब्ल्यूसी से लाभ उठा रही थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिशतता 75.6 थी। कुल मिलाकर, 50 प्रतिशत से कुछ अधिक नर्सिंग माताएं (52.8%) पंजीकृत थी। इनमें से 89% को पूरक पोषाहार प्राप्त हुआ। पाया गया है कि 80 प्रतिशत से अधिक नर्सिंग माताएं पूरक पोषाहार के लिए अरुणाचल प्रदेश (82.9%), मिजोरम (80.3%), नागालैण्ड (81.8%)

और दादरा व नागर हवेली (85.5%) और लक्षद्वीप (87.7%) संघ राज्य क्षेत्रों में पंजीकृत थी। यह भी पाया गया कि इन राज्यों में काफी ऊँची प्रतिशतता में नर्सिंग माताओं को पोषाहार प्रदान किया गया।

### बच्चे (6 मास से 3 वर्ष)

- आंकड़ों से पता चला कि लड़कियों (55.2%) की तुलना में लड़कों का (59.1%) पंजीकरण अधिक था। यह लड़के-लड़कियों के प्रतिनिधित्व की सामान्य स्थिति को प्रदर्शित करता है। सभी श्रेणियों की आईसीडीएस परियोजनाओं में, पूरक पोषाहार का लाभ उठाने वाली लड़कियों की प्रतिशतता काफी अधिक थी कुल मिलाकर 82 प्रतिशत-ग्रामीण (81.0%) जनजातीय (84.0%) और शहरी (82.5%) जबकि लड़कियों की प्रतिशतता कुल मिलाकर 75 थी-ग्रामीण (72.6%) जनजातीय (81.1%) और शहरी (74.4%)। इन आंकड़ों के फलस्वरूप जो एक अन्य बात सामने उभर कर आई वह यह थी कि कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक बच्चों ने, लड़के और लड़कियों दोनों -पूरक पोषाहार का लाभ उठाया।

### बच्चे (3-6 वर्ष)

- इस तथ्य के बावजूद कि लड़कों (51.1%) की तुलना में अधिक संख्या में लड़कियाँ (57.8%) पंजीकृत थी, लाभ की प्रतिशतता (75.9%) लड़कों के मामले में अधिक थी, जबकि लड़कियों ने कम प्रतिशतता (74.6%) में लाभ उठाया। पूरक पोषाहार के लिए पंजीकृत अधिकांश बच्चे जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित थे (क्रमशः 62.8% और 67.5%)। तथापि, लड़कियों के संबंध में ऊँची प्रतिशतता देखी गई, जिन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में पूरक पोषाहार का लाभ उठाया (75.5%) लड़कों ने, ग्रामीण क्षेत्रों में (77.3%) और शहरी क्षेत्रों में (76.1%) की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में (71.9%) सबसे कम लाभ उठाया।

### पूरक पोषाहार की स्वीकार्यता

- दस आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से आठ (79.8%) ने बताया कि बच्चों और माताओं को खाना बिल्कुल स्वीकार्य था। उन्होंने पाया कि इसे भली-भाँति तैयार किया गया था, स्वादिष्ट था तथा उसे खाने में आनंद लिया। लगभग 7% ने पाया कि सेवित पोषाहार की केवल कुछ मर्दे स्वीकार्य थी। अधिकांश शिकायतें ग्रामीण परियोजनाओं में (13.5%) पाई गईं, उसके बाद शहरी (8.4%) और जनजातीय परियोजनाओं (7.1%) में पाई गईं। खाद्य की स्वीकार्यता जनजातीय परियोजनाओं में अधिकतम (84.7%) पाई गई, इसके बाद ग्रामीण (78.8%) परियोजनाओं और शहरी (76.7%) परियोजनाओं का स्थान था। 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एडब्ल्युडब्ल्यु ने बताया कि ठेकेदार द्वारा सफाई की गई और टीई खाद्य मर्दों में से कुछेक खाने के स्तर से कम थी। एडब्ल्युडब्ल्यु ने बताया कि निम्नालिखित राज्यों में 75 प्रतिशत से कम लाभार्थियों द्वारा खाद्य स्वीकार्य था - राजस्थान (67.9%), असम (66.7%), हरियाणा (55.0%), मेघालय (40.0%), उत्तरांचल (40.0%) तथा सबसे कम की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश (25.7%) से की गई।

### संवृद्धि मानीटरन

- पाया गया कि ए डब्ल्यु डब्ल्यु ने 63.5 प्रतिशत नवजात बच्चों का वजन किया तथा माताओं ने इस कार्य में सहयोग किया, नवजात बच्चों का वजन करने से जुड़े लांछन के बावजूद शहरी परियोजनाओं के एडब्ल्युडब्ल्यु (67.5%) ने नवजात का वजन किया। ग्रामीण एडब्ल्युडब्ल्यु (64.0%) भी नवजात का वजन करने में सफल रहे जबकि जनजातीय एडब्ल्युडब्ल्यु (59.4%) भी माताओं को भरोसा दिलाने में कामयाब रहे और नवजात का वजन कर सके। 82 प्रतिशत एडब्ल्युडब्ल्यु ने इन मार्गनिर्देशों का पालन किया तथा 3 वर्ष से कम के बच्चों का मास में एक बार वजन किया। तथापि, 3-5 वर्ष के आयु के वर्ग में बच्चों का वजन करना कुछ बेहतर

था क्योंकि अधिकांश एडब्ल्युडब्ल्यु (83.3%) ऐसा करने में समर्थ रहे। वजन करने और रिकार्ड करने का पूरा दायित्व एडब्ल्युडब्ल्यु (85.8%) ने उठाया। पर्यवेक्षकों ने, एडब्ल्युसी के अपने दौर के दौरान गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चों और नवजात के विकास के मानीटरन में सहयोग दिया।

### किशोर लड़कियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम

5.2.18 एनएफएचएस से उपलब्ध डाटा से पता चलता है कि किशोर लड़कियों और गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली माताओं दोनों ही के मामले में अल्प-पोषण एक आम बात थी। इस समस्या की मांग कम करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री ने 2001 में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषणा की कि किशोर लड़कियों और गर्भवती तथा दुग्धपान कराने वाली माताओं को, बीपीएल परिवारों की, सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक बड़े राज्य में दो-दो पिछड़े जिलों में और शेष रहते छोटे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिक आबादी वाले जिलों में (राजधानी जिले को छोड़कर) (कुल 51 जिले) प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। स्कीम के अंतर्गत परिकल्पना की गई है कि सभी किशोर लड़कियों (10-19 वर्ष) और गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली महिलाओं का वर्ष में चार बार-वजन किया जाएगा। 35 कि.ग्राम से कम वजन वाली गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को तीन मास के लिए 6 कि.ग्राम खाद्यान्न/मास दिया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्युडब्ल्यु) यह सुनिश्चित करने के लिए पोषाहार शिक्षा प्रदान करेंगे कि अल्पपोषित व्यक्तियों को परिवार डाली में से पर्याप्त खाद्य प्राप्त हो। कार्यक्रम को महिला और बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों को दो किस्तों में निधियां जारी की गई हैं।

5.2.19 वर्ष 2003-04 के दौरान योजना आयोग और महिला तथा बाल विकास विभाग के बीच बहुत लम्बे अर्से तक इस बाबत पत्र-व्यवहार हुआ कि कौन परियोजना को जारी रखने के संबंध में मंत्रिमंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव

प्रारंभ करेगा। कार्यक्रम को बहाल कर दिया गया है तथा इसे 2005-06 से महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों के अनुरोध पर, योजना आयोग ने भी 2003-04 में और साथ ही 2004-05 में भी जारी निधियों का पुनर्वैधीकरण कर दिया। इस समय, कार्यक्रम की समीक्षा की जा रही है।

### किशोर लड़कियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम (एनपीएजी) के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों से प्राप्त फीडबैक

#### आन्ध्र प्रदेश

5.2.20 राज्य ने सूचित किया कि क्षेत्र से प्राप्त फीडबैक के अनुसार, लाभार्थियों ने यह मत व्यक्त किया कि कार्यक्रम, कुपोषित किशोर लड़कियों, गर्भवती और नर्सिंग माताओं को पोषण प्रदान करने के अपने उद्देश्यों की पूर्तिकर रहा है। अनुभव किया गया कि यदि निधियां समय पर जारी कर दी जाए तो कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सकेगा।

#### बिहार और सिक्किम

5.2.21 राज्यों का मत है कि धन जल्द जारी करने और परियोजना का सभी जिलों में विस्तार करने का, किशोर लड़कियों, गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली माताओं के बीच अल्पपोषण की समस्या से निपटने में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

#### कर्नाटक

5.2.22 कर्नाटक राज्य द्वारा एनपीएजी के कार्यान्वयन के बारे में सुझाए गए कुछ सुझाव हैं : लाभार्थियों के चयन हेतु मार्गनिर्देशों में संशोधन किए जाने की जरूरत है ; चूंकि गर्भावस्था के कारण गर्भवती महिलाओं का सामान्यतः वजन बढ़ जाता है इसलिए विनिर्धारित लाभार्थियों का प्रसव होने तक वजन नहीं कराया जाना चाहिए, निधियों का अग्रिम रूप में जारी किया जाना तथा चावल का वितरण उचित दर दुकानों की बजाए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाए।

#### केरल

5.2.23 राज्य ने देर से निधियां जारी होने की वजह से एफसीआई से खाद्यान्न उठाने में कुछ प्रक्रियात्मक देरियों के बारे में बताया। राज्य ने निधियां अग्रिम रूप से जारी करने और स्कीम का अन्य जिलों में विस्तार करने का भी सुझाव दिया।

#### नागालैण्ड

5.2.24 प्रायोगिक परियोजना, जिसके अन्तर्गत अल्पपोषित गर्भवती, दुग्धपान कराने वाली माताओं और किशोर लड़कियों को खाद्यान्न प्रदान करने की व्यवस्था है, लाभार्थियों के लिए अत्यंत सफल और मददगार पाई गई क्योंकि पूरे जिले में पिछड़ी जनजातियां रहती हैं। इसके अलावा, विद्यमान लाभार्थियों के अतिरिक्त अनेक पात्र मामले हैं जिन्हें अभी इस परियोजना के अन्तर्गत शामिल किया जाना है।

#### तमिलनाडु

5.2.25 राज्य द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि किशोर लड़कियों, गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं की श्रेणी के बीच वजन में काफी वृद्धि हुई है। राज्य का यह भी मत है कि समय पर निधियों के जारी किए जाने और स्कीम का पूरे राज्य में विस्तार किए जाने से कुपोषण को रोकने में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

#### महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और झारखण्ड

5.2.26 ऐसा प्रतीत होता है कि मूल निधियन पद्धति में परिवर्तन होने तथा इन राज्यों में धन की तंगी होने के कारण, इन राज्यों में एनपीएजी को कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसके साथ ही, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पंजाब जैसे बड़े राज्यों से फीडबैक प्राप्त नहीं हुआ है।

5.2.27 स्कीम को 2007-08 में आगे जारी के संबंध में प्रस्ताव पर प्रायोगिक परियोजना के मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्ष प्राप्त होने तथा इसे जारी रखने अथवा विस्तार किए जाने के बारे में न्यायोचित ठहराए जाने के बाद ही, कार्यवाही की जाएगी।

## लघुपोषण न्यूनताएं

5.2.28 महत्त्वपूर्ण लघुपोषक न्यूनताएं जिनका हमारे देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है, निम्नलिखित हैं : लौह न्यूनता के कारण रक्ताल्पता, विटामिन “ए” न्यूनता तथा आयोडिन न्यूनता विकृतियाँ (आईडीडी)।

## रक्ताल्पता

5.2.29 भारत में निम्नलिखित के कारण रक्ताल्पता की विद्यमानता अधिक है :

- ❑ न्यून खुराक अन्तर्ग्रहण, असंतोषजनक लोह और फोलिक एसिड अन्तर्ग्रहण;
- ❑ फाइटेट फाइबर-समृद्ध भारतीय खुराक में लोह की घटिया जैव-उपलब्धता; और
- ❑ संक्रमण, जैसे कि मलेरिया और हुक कृमि व्याप्ति।


5.2.30 यह सभी लोग जानते हैं कि रक्ताल्पता सर्वाधिक सामान्य पोषाहार संकट है जो विकसित और विकासशील देशों को समान रूप से प्रभावित कर रहा है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित करता है चाहे उनका लिंग, जाति, नस्ल, मत, धर्म आदि कुछ भी हो। विकासशील देशों में भेद्य समूहों के बीच इसकी अधिक व्याप्ति है। भारत में यह छद्म आपात स्थिति, प्रजनन आयु वर्ग, बच्चों और निम्न समाजार्थिक वर्ग की आबादी के बीच अधिक व्याप्त है। लौह न्यूनता रक्ताल्पता से, सीखने और कार्य करने की क्षमता कम होती है, जिससे कम उत्पादकता होती है और मजदूरी की हानि होती है तथा आर्थिक और सामाजिक विकास सीमित होता है। गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता के कारण प्रतिकूल गर्भावस्था परिणाम होते हैं जैसे कि उच्च मातृ तथा नवजात मृत्यु दर, न्यून जन्म भार, प्रसूति जोखिम, अधिक रूग्णता, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में गंभीर बाधा।


5.2.31 गर्भवती महिलाओं और बच्चों के बीच रक्ताल्पता को रोकने के लिए राष्ट्रीय पोषाहार रक्ताल्पता प्रोफाइलेक्सिस कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत प्रथम विकासशील देश है। इन भेद्य समूहों में रक्ताल्पता की रोकथाम और प्रबंधन के लिए रक्ताल्पता के संबंध में जाँच और समुचित मात्रा में

लौह-फोलेट उपचार तथा उसे खिलाने की विधि को प्रसव पूर्व देखभाल और बाल रोग चिकित्सा के एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल किया गया है। इन सभी प्रयासों के बावजूद, रक्ताल्पता एक बड़ी समस्या बनी हुई है जो आबादी के सभी घटकों को प्रभावित कर रही है तथा रक्ताल्पता के प्रतिकूल परिणामों में कोई खास कमी नहीं आई है।

5.2.32 हाल ही में 2002-03 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में आयोजित जिला स्तर त्वरित परिवार सर्वेक्षण में देशभर में जिला स्तर समाजार्थिक, प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल और पोषाहार स्तर सूचना दी गई है। इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, 293 जिलों के संबंध में जानकारी पहले ही उपलब्ध है। इस सर्वेक्षण से विभिन्न भेद्य समूहों, अर्थात् बच्चों किशोर लड़कियों और गर्भवती महिलाओं के बीच देश में रक्ताल्पता विद्यमानता स्थिति का पता चलता है।

चित्र-1 में सर्वाधिक भेद्य समूहों, अर्थात् बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच विद्यमान चालू रक्ताल्पता स्थिति दर्शाई गई है। चित्र एक भयावह स्थिति प्रस्तुत करता है क्योंकि इन समूहों में से 90% रक्ताल्पता से प्रभावित हैं। गर्भवती महिलाओं के बीच साधारण और गम्भीर रक्ताल्पता की उँची विद्यमानता से पता चलता है कि गर्भवती सम्बद्ध जटिलताओं का उच्च जोखिम है, जैसे कि उच्च मातृत्व मृत्यु दर, न्यून जन्म भार, प्रसूति संबंधी जटिलताएं आदि जारी रहेंगी यदि तत्काल आवश्यक उपाय





नहीं किए गए। इससे इस बात को पुनः बल मिलता है कि रक्तालप्ता का पता लगाने और प्रबंधन तथा गर्भवती महिलाओं को लौह तथा फोलिक एसिड गोलियां प्रदान करने के विद्यमान उपायों में उपयुक्त रूप में संशोधन करने की जरूरत है।

5.2.33 आईडीडी के प्रभावी नियंत्रण के लिए नमक को आयोडीनयुक्त बनाने की तरह आईडीए के नियंत्रण के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यनीति के रूप में राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान सामान्य नमक को लौह के साथ प्रबलीकरण की पद्धति विकसित की है। आयोडीन और लौह के लघुपोषकों की न्यूनताओं को कम करने के लिए उन्हें मिलाकर दोहरे प्रबलीकृत नमक (डीएफएस) की अवधारणा का बिना किसी देरी के पता लगाया जाना चाहिए। दोहरे प्रबलीकृत नमक की सतत खपत और खुराक विविधीकरण के फलस्वरूप अगले दशक के दौरान आबादी की एचबी स्थिति में धीमा किन्तु सतत सुधार होगा।

### आयोडीन न्यूनता विकृतियां (आईडीडी)

5.2.34 आयोडीन न्यूनता विकृतियों को 1920 के दशक से ही भारत में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में माना गया है। अन्य लघु पोषक न्यूनताओं के विपरीत, आयोडीन न्यूनता, विकृतियां, पानी, मृदा और खाद्य सामग्री

में आयोडीन की कमी के कारण होती है तथा परिभाषित भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले सभी समाजार्थिक समूहों को प्रभावित करती है। प्रारंभ में, आयोडीन न्यूनता विकृतियां उप-हिमालयाई क्षेत्र की समस्या समझा जाता था। तथापि, बाद में किए गए सर्वेक्षणों से पता चला कि नदी घाटी और तटवर्ती क्षेत्रों में भी आयोडीन न्यूनता विकृतियां विद्यमान हैं। भारत में कोई भी राज्य आयोडीन न्यूनता विकृतियों से मुक्त नहीं है। अनुमान है कि 61 मिलियन लोग स्थानिक गलगण्ड से और लगभग 8.8 मिलियन लोगों में आयोडीन न्यूनता के कारण मानसिक/मोटर बाधा है। आयोडीन न्यूनता विकृतियों को रोकने के लिए आयोडीनयुक्त नमक एक सरल, कम खर्चीली विधि है।

5.2.35 केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने, 1992 तक देश में सम्पूर्ण खाने योग्य नमक को आयोडीन युक्त बनाने का नीतिगत निर्णय लिया। भारत में विगत कुछ वर्षों के दौरान आयोडीनयुक्त नमक के उत्पादन में धीरे-धीरे प्रगति हुई है। अक्टूबर, 2000 में सरकार ने मानव खपत के लिए गैर-आयोडीन युक्त नमक की बिक्री पर से रोक हटा ली। यद्यपि, केन्द्रीय रोक हटा दी गई किन्तु कुछ राज्यों ने पीएफए अधिनियम की धारा 7(IV) के अन्तर्गत रोक लगाना जारी रखा। 25.6.2005 को भारत सरकार ने मानव खपत के लिए गैर-आयोडीन

युक्त नमक की बिक्री पर रोक को पुनः लागू कर दिया। यह जरूरी है कि यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास किए जाएं कि केवल आयोडीन युक्त नमक ही मानव खपत के लिए उपलब्ध हो जिससे कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आईडीडी के उन्मूलन का लक्ष्य विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर प्राप्त हो जाए।

5.2.36 जिला स्तर परिवार सर्वेक्षण 2002-03 से आंकड़ों से पता चलता है कि परिवारों द्वारा खपत के लिए आयोडीनयुक्त नमक की सुलभता में कुछ कमी आई है (चित्र 2)। यह जरूरी है कि यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास किए जाएं कि केवल आयोडीनयुक्त नमक ही मानव खपत के लिए उपलब्ध हो ताकि बच्चे अपनी पूर्ण बौद्धिक क्षमता प्राप्त कर सकें और एक ज्ञान आधारित समाज में अपना सही स्थान प्राप्त कर सकें और एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आईडीडी के उन्मूलन का लक्ष्य विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर प्राप्त किया जा सके।

## विटामिन “ ए ” न्यूनता

5.2.37 सामान्य वृद्धि बनाए रखने, सेलुलर प्रसार और विभेदीकरण को विनियमित करने, विकास को नियंत्रित करने और दृश्यक व प्रजनन कार्यों को बनाए रखने के लिए विटामिन “ ए ” एक महत्वपूर्ण लघुपोषक है। भारत में निम्न आय वर्ग आबादी के बीच एक बड़ी न्यूनता विटामिन “ ए ” की न्यूनता की है। मानव इस लघुपोषक को अपने शरीर में स्वयं पैदा नहीं कर सकते। इसलिए इसकी व्यवस्था बाह्य रूप से की जानी है। भेद्य समूहों में, जैसे कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों में, बहु-पोषाहार समस्याएं साथ-साथ विद्यमान रहती हैं जिनमें ऊर्जा और विटामिन “ए” के अलावा लघुपोषकों का भी अपर्याप्त अन्तर्ग्रहण सम्मिलित है। इस तथ्य के बावजूद कि विटामिन “ए” की खुराक अन्तर्ग्रहण और व्यापक खुराक विटामिन “ए” कार्यक्रम के अन्तर्गत कवरेज में कोई सुधार नहीं हुआ है, देश में पांच वर्ष से कम के बच्चों में नैदानिक विटामिन “ए” न्यूनता में कमी आई है।

5.2.38 इस लघुपोषक की अधिक आवश्यकता के कारण स्कूल-पूर्व बच्चों और गर्भवती तथा दुग्धपान कराने वाली

महिलाओं में यह न्यूनता अधिक देखी गई है। गंभीर मामलों में इससे पूर्ण अन्धता भी हो सकती है। भारत में काफी पहले 1970 में पोषणात्मक अन्धता के निवर्ण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम इन न्यूनता से निपटने के लिए शुरू किया गया था। स्कूल-पूर्व बच्चे (1-6) और गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली माताएं इस कार्यक्रम के लाभार्थी थीं। इस स्कीम के अंतर्गत 1-3 वर्ष के सभी बच्चों को छःमास में एक बार मौखिक रूप से तेल में विटामिन “ए” की 200,000 आईयू दी गई थी। विटामिन “ए” न्यूनता, बिटोट स्थलों के 0.5% के डब्ल्यूएचओ निर्धारित स्तर से अधिक स्तरों वाले स्कूल-पूर्व बच्चों को प्रभावित कर रही है। विटामिन “ए” न्यूनता (बिटोट स्थल) की स्थिर विद्यमानता, जो 1988-90 से 2003 की अवधि के दौरान 0.7% से 1.1% के बीच थी, एक बड़ी चुनौती है।

5.2.39 लघु-पोषक न्यूनताओं से निपटने के लिए तीन उपाय हैं : - औषधीय पूरकता, खाद्य प्रबलीकरण और खुराक संबंधी विविधीकरण, लघु-पोषक गहन खाद्य के अधिक अन्तर्ग्रहण के साथ पहले दो उपायों से एक अथवा दो पोषकों की देखभाल की जा सकती है। खुराक संबंधी विविधीकरण सर्वाधिक उपयुक्त और संधारणीय विकल्प हैं, जिससे सभी लघुपोषकों और फाइटरसायनों का पर्याप्त अन्तर्ग्रहण सुनिश्चित होता है। परिवारों और समुदायों में, उपलब्धता, वहनीयता, सुलभता और जागरूकता लगातार खुराक संबंधी विविधीकरण के कुछेक प्रमुख निर्धारक हैं। लघु-पोषक-गहन खाद्यों के अधिक उत्पादन और उपयुक्त प्रसंस्करण के जरिए कम बरबादी के माध्यम से सामुदायिक प्रयास द्वारा खुराक संबंधी विविधीकरण संभव हो सकता है। इसे, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए आय सृजन से जोड़ा जा सकता है। बच्चों और महिलाओं में लघु-पोषक अन्तर्ग्रहण में सुधार हो सकता है यदि समुदाय, आईसीडीएस और माध्याह्न भोजन जैसे पूरक खाद्य कार्यक्रमों के लिए स्थानीय रूप से उत्पादित मिलेटों, फलों और सब्जियों का योगदान करें। पारम्परिक और गैर-पारम्परिक खाद्य मदों की लघु और फाइटो पोषक सामग्री के संबंध में उपलब्ध डाटा को अद्यतन बनाना तथा उसका विस्तार करना महत्वपूर्ण है जिससे कि लघु पोषक न्यूनताओं को दूर करने के लिए देश

के समृद्ध पादप संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके।

5.2.40 विद्यमान पोषण-सम्बद्ध उपायों में अनेक खामियां हैं, जिनमें से कुछेक निम्नांकित हैं :

- पोषाहार, मानीटरन, मानचित्रण और निगरानी की कोई राष्ट्रीय पद्धति नहीं है। एनएनएमबी और एनएफएचएस सर्वेक्षण से जिला स्तर पृथक्कृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
- अंतर-क्षेत्रकीय समन्वय पद्धति, जो पोषण प्रोन्नयन हेतु महत्वपूर्ण है, अपर्याप्त है।
- आईसीडीएस कवरेज व्यापक नहीं है। राज्य पूरक पोषाहार के लिए संसाधन आवंटित करने में समर्थ नहीं हैं।
- जनजातीय क्षेत्रों, खाद्य अभाव वाले जिलों, लगातार सूखा प्रधान ग्रामीण और जनजातीय बस्तियों की पोषाहार और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच अपर्याप्त है।
- पोषाहार शिक्षा और जागरूकता सृजन कमजोर है। खाद्य और पोषाहार बोर्ड की सीमित अवस्थापना द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों को छोड़कर यह अन्य पोषाहार और स्वास्थ्य उपायों के अंतर्गत आयोजित नहीं किया जा रहा है।
- विटामिन “ए” प्रोफाइलेक्सिस कार्यक्रम के साथ बच्चों का कवरेज न्यून है।
- स्कूल-पूर्व बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं के लिए लोह तथा फोलिक एसिड पूरकता अपर्याप्त है।
- पारिवारिक स्तर पर आयोडीनयुक्त नमक की उपलब्धता में अक्टूबर 2000 में गैर-आयोडीनयुक्त नमक की बिक्री पर रोक हटा लेने के बाद कमी आई है।
- लघु पोषक कुपोषण का व्यापक ढंग से समाधान नहीं किया जा रहा है।
- खाद्य प्रबलीकरण कार्यक्रम नगण्य है। पूरकता, खुराक संबंधी विविधीकरण और बागवानी संबंधी उपाय अपर्याप्त हैं।

- इष्टतम शिशु तथा युवा बाल खाद्य प्रथाओं (स्तनपान और पूरक खाद्य) को सक्रियतापूर्वक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

### कुपोषण के चालू अंतर-पीढ़ीय पारेषण को रोकने के लिए एक माडल कार्यनीति के रूप में जीवन चक्र दृष्टिकोण

5.2.41 अनुसंधान अध्ययनों से एकत्रित साक्ष्यों से पता चलता है कि कुपोषण के चालू अंतर-पीढ़ीय पारेषण को रोकने के लिए एक माडल कार्यनीति के रूप में जीवन चक्र दृष्टिकोण का अनुप्रयोग, किसी व्यक्ति: (माता, शिशु, बच्चों, किशोर, प्रौढ़ और वृद्ध, अंतर क्षेत्रकीय समन्वयन और गृह, समुदाय, एडब्ल्यूसी और एचएससी स्तरों पर) के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान उपयुक्त उपायों को सुदृढ़ करके प्राप्त किया जा सकता है।

5.2.42 2500 ग्राम से कम जन्मभार के साथ बच्चों में कमी लाने के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपायों की सिफारिश की गई है। इनमें शामिल है : प्रसव-पूर्व चैक-अप की व्यवस्था, सामुदायिक स्वयंसेवकों द्वारा परिवार स्तर पर पोषाहार और स्वास्थ्य परामर्श, आईएफए-पूरकता (प्रोफाइलेटिक तथा उपचारात्मक), टीटी प्रतिरक्षण, घटा हुआ शारीरिक कार्य और पर्याप्त आराम, लोह और विटामिन “ए” जैसी लघु पोषक न्यूनताओं से निपटने के लिए अनाज, दालों, सब्जियों, फलों, दूध आदि को मिलाकर संतुलित खाद्य की अंतर्ग्रहण आयोडीन न्यूनता विकृतियों को दूर करने के लिए आयोडीनयुक्त नमक का प्रयोग, रेफरल देखभाल और उच्च जोखिम वाली महिलाओं के लिए अनुवर्ती कार्यक्रम तथा आईसीडीएस और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा समय-समय पर घर का दौरा।

5.2.43 लघु और वृहद स्तर अल्पपोषण और 6 मास से कम के बच्चों में संक्रमण के बार-बार आक्रमण को कम करने के लिए उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित दृष्टिकोणों पर बल दिया जाना है : खीस खाद्य और शिशु अनुकूल पहलें, छः मास तक मात्र रूप से स्तनपान, घर पर नवजात देखरेख और स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं, सामुदायिक स्वयंसेवकों

के माध्यम से परिवार स्तर पर समय पर प्रतिरक्षण और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, उच्च जोखिम वाले मामलों के लिए रेफरल तथा अनुवर्ती कार्रवाई और आईसीडीएस व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से घरों का दौरा।

5.2.44 6 मास से 3 वर्ष के बच्चों के बीच वृद्धि विचलन तथा अल्पपोषण को कम करने के लिए, कार्यनीतियों के अंतर्गत 6 मास के बाद से ठोस खाद्य की शुरुआत, समुचित प्रतिरक्षण, सुधरे एआरआई (गंभीर श्वसन संक्रमण) नियंत्रण उपायों, पेचिश संबंधी बिमारियों के नियंत्रण उपायों, छः मास पूरे हो जाने के बाद पूरक खाद्य, सामुदायिक स्वयंसेवकों द्वारा परिवार स्तर पर स्वास्थ्य और पोषाहार परामर्श बीमारी के दौरान देखभाल और खाद्य, लघुपोषक पूरकता, समुचित रेफरल देखरेख और अनुवर्ती कार्रवाई तथा आईसीडीएस और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घरों का दौरा।

5.2.45 3-5 वर्ष के बच्चों के बीच अल्पपोषण और लघु पोषण न्यूनताओं को कम करने के लिए कार्यनीतियों में गृह खाद्य प्रथाएं सम्मिलित हैं जिनमें स्वच्छता प्रथाएं, बीमारी के दौरान देखरेख और खाद्य, पूरक खाद्य कार्यक्रम, लघुपोषक पूरकता, स्कूल-पूर्व शिक्षा और सामुदायिक स्वयंसेवकों द्वारा परिवार स्तर पर स्वास्थ्य और पोषाहार परामर्श शामिल है।

5.2.46 5-10 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच अल्पपोषण और लघुपोषक न्यूनताओं से निपटने के लिए सुझाए गए उपाय हैं : समुचित गृह खान-पान प्रथाएं, स्वच्छता प्रथाओं सहित, स्कूल स्वास्थ्य देख-रेख सेवाएं, सुरक्षित पेयजल और सफाई सुविधाएं, स्कूल स्वास्थ्य और पोषाहार शिक्षा, कृमि दूर करना, आई एफए-पूरकता तथा स्कूल में पोषक भोजन कार्यक्रम।

5.2.47 किशोरावस्था (11-19 वर्ष) वाले लड़के और लड़कियां, 10-20 वर्ष के लिए भी पोषाहार संबंधी संचालन समिति में सुधार करने के संबंध में प्राथमितापूर्ण ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ये समितियां सभी आयु समूहों की पोषाहार स्थिति को सुधारने के लिए पहलुओं और प्रमुख लघुपोषक न्यूनताओं की रोकथाम, पता लगाने और प्रबंधन

की जांच कर रही है। इसके साथ ही पोषाहार क्षेत्रक के संबंध में कार्य दल और संचालन समिति दोनों की ही रिपोर्टें ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सिफारिशों के साथ आने की उम्मीद है। 5-10 वर्षों के लिए वर्णित के अलावा, लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता पर बल देते हुए वैयक्तिक स्वच्छता और दक्षता विकास परामर्श/प्रशिक्षण योग्यताओं पर बल दिया जाएगा।

5.2.48 प्रजनन आयु-वर्ग (20-60 वर्ष) की पोषाहार समस्याओं का, स्वास्थ्य जीवन शैली और आन्तर-परिवार खान-पान प्रथाओं, खुराक, व्यायाम, स्वास्थ्य देख-रेख, पारिवारिक खाद्य सुरक्षा (सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आय सृजन कार्यक्रमों, जागरूकता और स्वास्थ्य देख-रेख और परिवार कल्याण सेवाओं की सुलभता और सुधरी सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वैयक्तिक स्तर पर स्वास्थ्य और पोषाहार शिक्षा) के माध्यम से समाधान किया जा सकता है।

5.2.49 सुधरी जीवन अवधि और स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं में प्रगति के कारण भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या अधिकाधिक होगी। इस आयु वर्ग के लिए पोषाहार न्यूनताओं को नियंत्रित करने के लिए, परिवार स्तर पर स्वस्थ खुराक संबंधी प्रथाएं, स्वास्थ्य देख-रेख की व्यवस्था और मनोवैज्ञानिक देख-रेख की व्यवस्था, जागरूकता पैदा करने जैसे उपायों और स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बद्ध मुद्दों के संबंध में परामर्श प्रदान करना आवश्यक है।

5.2.50 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण के संदर्भ में, योजना आयोग ने पोषाहार को स्वास्थ्य के साथ एकीकृत करने और एक वर्षीय योजना के संबंध में एक कार्य दल गठित किया है जो लघु पोषण न्यूनता विकृतियों को दूर करने के लिए कार्यनीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में आवश्यक इनपुट उपलब्ध कराएगा।

5.2.51 राज्य योजनाओं के अन्तर्गत आईसीडीएस के पोषाहार घटक के लिए परिव्यय और व्यय संलग्नक 5.2.1 में दर्शाए गए हैं।

वक्रांश, निदेशिकाएं, जिनमें वृद्धि, 2002-03; 2003-04; 2004-05; 2005-06 वक्रांश 2006-07 का विवरण नीचे दिया गया है।

जति; @I शक्ति; {के-क	निर्देशिकाएं; 2002&07	वृद्धि; 2002&03	वृद्धि; 2002&03	वृद्धि; 2003&04	वृद्धि; 2003&04	वृद्धि; 2004&05	वृद्धि; 2004&05	वृद्धि; 2005&06	वृद्धि; 2005&06	वृद्धि; 2006&07
आन्ध्र प्रदेश	52781.00	8552.00	8449.11	13960.10	13959.34	13960.10	13794.71	11118.90	11118.90	11118.90
अरुणाचल प्रदेश	4813.00	1146.00	1146.00	1146.00	1053.92	1146.00	1146.00			300.00
असम	17500.00	3747.00	4041.04	5278.00	4399.00	5007.00	5007.00			2500.00
बिहार	20267.00	3626.00	3670.88	4957.00	4171.64	5005.95	3570.00			41238.00
छत्तीसगढ़	22570.00	6898.00	3596.00	5133.00	5819.00	7086.00	7086.00	10000.00		10997.80
गोवा	450.00	90.00	88.75	420.00	111.75	450.00	138.73	315.00		295.00
गुजरात	28090.00	13416.00	4383.22	17416.00	4915.15	6216.00	6216.00	6716.00		6716.00
हरियाणा	6771.00	900.00	477.57	1200.00	787.32	1000.00	772.79	1426.00		1800.00
हिमाचल प्रदेश	8465.00	1050.00	1090.00	1100.00	1076.10	1272.00	1315.99	1050.00		1050.00
जम्मू और कश्मीर	7000.00	1000.00	603.36	1550.00	441.45	2000.00	2517.76	3800.00		3800.00
झारखंड	0.00			7483.00				3814.70		464.00
कर्नाटक	22606.00	3930.00	3913.16	5709.00	6689.20	5738.96	6875.46	5827.48		15609.64
केरल	3050.00	3010.00	3916.99	810.00	148.31	10.00	6.82	10.00		7.20
मध्य प्रदेश	32852.00	5973.00	8678.61	8343.00	8503.97	9123.38	8539.93	10003.00		15000.00
महाराष्ट्र	34707.00	4564.00	2583.50	5672.00	4000.00	3709.40	1713.91	8994.35		9647.80
मणिपुर	4488.00	770.00	164.56	930.00	240.26	930.00	906.45			820.00
मेघालय	3750.00	685.00	867.16	1232.00	1525.21	2200.00	2197.01	2608.00		3000.00
मिजोरम	2925.00	645.00	657.51	680.00	680.00	682.00	682.00	682.00		682.00
नागालैण्ड	3400.00	680.00	680.00	827.00	717.00	790.00	980.00	950.00		610.00
उड़ीसा	44361.00	8558.00	6978.57	7258.00	4562.57	4349.00	6013.75	9445.00		10488.00
पंजाब	5000.00	667.00	529.62	2869.00	59.85	2596.00	1773.14	5706.98		
राजस्थान	52836.00	10719.00	8835.08	9906.00	11932.25	12251.53	13146.11	18082.11		13715.01
सिक्किम	2900.00	570.00	598.33	635.00	614.38	680.00	625.65	700.00		450.00
तमिलनाडु	40000.00	15196.00	32452.12	54580.00	54687.12	59402.41	57684.57	61565.43		78055.48
त्रिपुरा	7456.00	1063.00	900.00	1566.00	1535.34	900.00	624.48	1340.00		1190.00
उत्तर प्रदेश	77947.00	8550.00	14477.00	10000.00	9855.82	9229.00	9419.03	9229.00		
उत्तरांचल	1391.00	779.00	1234.42	2722.00	3755.12	2062.00	4311.77	2150.21		3870.00
पश्चिम बंगाल	31429.00	5607.00	6773.77	5865.00	7309.95	9799.95	8044.57	12303.57		15853.00
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1360.00	248.00	245.00	250.00	340.00	300.00	320.25	340.00		380.00
चंडीगढ़	35.00	247.00	140.50	247.00	236.16	245.00	301.83	170.00		221.00
दादरा व नागर हवेली	330.00	56.00	55.75	103.00	103.79	103.00	66.72	103.00		113.00
दमन और दीव	450.00	144.65	127.30	85.00	107.86	114.00	116.70	143.00		150.00
दिल्ली	20230.00	3746.47	3097.60	4000.00	2732.08	4400.00	3461.30	4580.00		4672.00
लक्षद्वीप	74.56	55.30	38.00	96.00	45.08	70.00	47.01	70.00		30.00
पांडिचेरी	3575.00	1002.24	1014.14	1260.00	1746.48	1940.00	1803.65	1990.00		1990.00
Total (UTs)	26054.56	5499.66	4718.29	6041.00	5311.45	7172.00	6117.46	7396.00		7556.00

### 5.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)

5.3.1 मुक्त बाजार कीमतों को साधारण बनाने तथा आश्वस्त कीमतों पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरी है। पीडीएस, लगभग 4.89 लाख उचित कीमत दूकानों के एक बड़े वितरण नेटवर्क के माध्यम से संचालित होती है तथा यह प्रकृति से पूरककर्ता है। पीडीएस के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार, भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख वितरण केन्द्रों तक खाद्यान्नों की खरीद और परिवहन के लिए जिम्मेदार है जबकि राज्य सरकारें, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का विनिर्धारण करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित कीमत दूकानों के माध्यम से भेद्य वर्गों के लिए खाद्यान्न का वितरण करने के लिए जिम्मेदार हैं।

5.3.2 पिछले डेढ़ दशक के दौरान, अनेक कारणों की वजह से पीडीएस के संबंध में नीति में परिवर्तन करना आवश्यक समझा गया। पहला, खाद्यान्नों और अनाजों की कुल मिलाकर उपलब्धता में सुधार हुआ है। इससे, एफसीआई और पीडीएस के माध्यम से निजी बाजार बनाम अन्न की वितरण लागतों की सापेक्ष कार्यकुशलता के संबंध में विवाद है। तीसरे, अध्ययन से पता चला कि पीडीएस का रूझान कतिपय राज्य के पक्ष में या और शहरी क्षेत्रों के पक्ष में भी कुछ झुकाव था, यद्यपि यह यदि केवल परिवारों द्वारा खाद्यान्न खरीदने पर विचार करें तो यह अधिक स्पष्ट नहीं है। कुछेक ने यह निष्कर्ष निकाला कि पीडीएस न तो विशेष रूप से प्रभावी है और न ही निम्न आय/उच्च गरीबी क्षेत्रों में निर्धनतम समूहों के लिए सस्ते खाद्यान्न उपलब्ध कराने में कम खर्चीली है। चौथे, यह महसूस किया गया कि खाद्य सब्सिडी के कारण राजकोषीय भार को नियंत्रित किए जाने की जरूरत है जिसे खाद्य सब्सिडी को गरीब उपभोक्ताओं तक लक्षित करके किया जा सकता है। उनकी वजह से, गरीबों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) लागू करके और एपीएल के लिए पूर्ण आर्थिक लागत पर पीडीएस को जारी करके, जून 1997 में पीडीएस की पुनर्संरचना की गई। टीपीडीएस के अन्तर्गत जारी करने का पैमाना, बीपीएल परिवारों के लिए 10 कि. ग्राम प्रति परिवार प्रति मास के

साथ शुरू हुआ, जिसे धीरे-धीरे बढ़ाकर अप्रैल, 2002 से 35 कि. ग्राम प्रति परिवार प्रति मास कर दिया गया है।

5.3.3 टीपीडीएस के अन्तर्गत, बीपीएल परिवारों का विनिर्धारण राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अपनाए गए मापदण्ड के आधार पर किया जाना था। तथापि, लाभार्थियों की कुल संख्या, योजना आयोग के राज्य-वार निर्धनता अनुमानों (1993-94) तक सीमित की जानी थी। 6.52 करोड़ बीपीएल परिवारों की कुल सीमा के मुकाबले, (योजना आयोग के वर्ष 1993-94 के संबंध में निर्धनता अनुमानों और 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार महापंजीयक के जनसंख्या पूर्वानुमानों के अनुसार), 8 करोड़ से अधिक बीपीएल राशन कार्ड जारी किए गए हैं। इसी प्रकार देश में 18.03 करोड़ परिवारों की संख्या के मुकाबले (भारत के महापंजीयक के 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या पूर्वानुमानों के अनुसार), जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या लगभग 22.32 करोड़ है। इससे क्षेत्र स्तर पर समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

### टीपीडीएस के अन्तर्गत पेश आई समस्याएं

5.3.4 पीडीएस के कार्यान्वयन में पेश आई कुछेक समस्याएं निम्नलिखित हैं :

- (क) बोगस राशन कार्डों की वजह से खाद्यान्नों व अन्य वस्तुओं का विचलन।
- (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार के लिए निर्धारित जारी करने के पैमाने के मुकाबले उपभोक्ताओं को खाद्यान्न जारी करने का घटा हुआ पैमाना, जिसकी वजह से खाद्य और पोषाहार सुरक्षा दोनों में ही कमी आई।
- (ग) गरीबों तक प्रभावी ढंग से पहुँचने में पीडीएस की असमर्थता न केवल गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के गलत शामिल किए जाने के बहुत से मामले हैं बल्कि वास्तव में गरीबों को वंचित करने के भी मामले हैं, जो गाँवों की गरीबी सूची में सम्मिलित हैं।
- (घ) पीडीएस नियंत्रण आदेश 2001 के अन्तर्गत राशन कार्ड जारी करने के लिए पात्र परिवारों की सतत रूप

से समीक्षा करने और उन्हें अद्यतन बनाने तथा अपात्र यूनियनों/परिवारों का नाम हटाने की व्यवस्था की गई है। तथापि, देखा गया है कि बीपीएल परिवारों की समीक्षा नियमित रूप से नहीं की जा रही है।

- (ड) देखा गया है कि संसाधनों के अभाव में राज्य/उचित कीमत दूकानदार (एफपीएस) सामान्यतः देशी से खाद्यान्न का उठान करते हैं। उपभोक्ताओं को पिछले मास/पखवाड़े की बकाया सामग्री सामान्यतः नहीं दी जाती है जिससे विचलन की गुंजाइश रहती है और इस प्रकार स्कीम का प्रयोजन ही विफल हो जाता है।
- (च) एफपीएस सदा ही रोज नहीं खोली जाती है। बहुत से मामलों में लाभार्थियों को उचित कीमत दूकानों तक पहुंचने के लिए बड़ी दूर जाना होता है। पीडीएस के कार्यान्वयन में उच्चतम न्यायालय के आशय के परिणामस्वरूप न्यायालय के कमिश्नरों ने बताया है कि राशन दुकानों का खोला जाना अधिक नियमित और भरोसेमंद हो गया है।

(छ) लाभार्थियों को अधिकारों की जानकारी नहीं है क्योंकि नागरिक चार्टर क्षेत्रीय भाषाओं में शायद ही उपलब्ध होता है।

(ज) राज्य सरकारों द्वारा उचित और नियमित निरीक्षण का अभाव।

(झ) बिक्री, जारी करने की कीमतों, वस्तुओं की उपलब्धता से संबंधित जानकारी का उपभोक्ताओं के लिए अभाव और अपर्याप्त प्रचार।

### पीडीएस की पुनर्संरचना

5.3.5 बड़ी मात्रा में छीजन, कार्डों का दोहरापन, भ्रष्टाचार, परिवहन की ऊँची लागत और कमी, लाभार्थियों के बारे में उचित जानकारी की अनुपलब्धता आदि कुछेक गंभीर समस्याएं पीडीएस में विद्यमान हैं। पीडीएस की पुनर्संरचना किए जाने की जरूरत है और नूतन विचार लागू करने की संभावना, जैसे कि स्मार्ट कार्ड, खाद्य क्रेडिट/डेबिट कार्ड, खाद्य स्टाम्प और विकेन्द्रीयकृत खरीद लागू करने की संभावना का पता

### टीपीडीएस के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आवंटन और उठान (000 टन)

वर्ष	आवंटन			उठान			% उठान		
	बीपीएल	एपीएल	एवाई	बीपीएल	एपीएल	एवाई	बीपीएल	एपीएल	एवाई
<b>2002-03</b>									
चावल	12944	20793	2285	7383	1280	1900	57	6	83
गेहूँ	9827	26992	1842	6341	1798	1638	64	7	89
<b>2003-04</b>									
चावल	12657	19295	2505	9029	1074	2382	71	10	95
गेहूँ	9913	25163	2050	6774	2251	1783	68	9	87
<b>2004-05</b>									
चावल	11925	19271	3427	10028	3385	3207	84	18	93
गेहूँ	9347	25454	2633	7423	3344	2264	79	13	86
<b>2005-06</b>									
चावल	11899	23270	4989	9680	4799	4717	81	21	94
गेहूँ	7300	21447	3079	5962	3503	2726	82	16	88
<b>2006-07 (सितम्बर, 06 तक)</b>									
चावल	6175	12312	3054	4291	3209	2596	69	26	85
गेहूँ	2814	3988	1559	2366	1258	1432	84	31	92

लगाने की जरूरत है ताकि भूख को समाप्त किया जा सके और गरीबों को, जहाँ भी वे हों, किफायती ढंग से खाद्यान्न उपलब्ध कराए जा सकें।

### खाद्य की खरीद और वितरण

5.3.6 1.10.2006 की स्थिति के अनुसार सरकारी एजेन्सियों के पास उपलब्ध 123.81 लाख टन का खाद्यान्न स्टॉक उपलब्ध था, जिसमें से 59.69 लाख टन चावल तथा 64.12 लाख टन गेहूँ था। अप्रैल, 2006 से सितम्बर 2006 तक टीपीडीएस के अन्तर्गत चावल का संचयी आवंटन 215.41 लाख टन था जिसमें से 100.97 लाख टन का उठान किया गया जो 46.87% उठान बैठता है। बीपीएल उठान 69.49% था। एपीएल उठान 26.06% था तथा एएवाई के अन्तर्गत उठान 85.01% था। अप्रैल, 2006 से सितम्बर, 2006 तक टीपीडीएस के अन्तर्गत गेहूँ का संचयी आवंटन 83.61 लाख टन था जिसके मुकाबले उठान 50.57 लाख टन था जो 60.48% उठान बैठता है। बीपीएल उठान 84.06% था। एपीएल उठान, 31.56% था तथा एएवाई के अन्तर्गत उठान 91.86% था। टीपीडीएस उठान का ब्योरा विवरण में दिया गया है।

5.3.7 अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत 35 कि.ग्राम खाद्यान्न 2 रुपये प्रति कि.ग्राम गेहूँ और 3 रुपये प्रति कि.ग्राम चावल की अत्यंत सस्ती दर पर गरीब परिवार के गरीबतम को प्रदान किया जा रहा है। अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) का कवरेज 2.00 करोड़ बीपीएल परिवार से बढ़ाकर 2.50 करोड़ कर दिया गया है, विशेष रूप से जो भूख के कगार पर हैं। राज्य सरकारों को लाभार्थियों का पता लगाते समय निर्धनतम परिवारों और पिछड़े ब्लाकों और / अथवा उन ब्लाकों को प्राथमिकता प्रदान करने की सलाह दी गई है जहाँ पोषाहार न्यूनता बड़े पैमाने पर है।

### योजनागत स्कीमें

5.3.8 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का वार्षिक योजना परिव्यय 2006-07 में 206.68 करोड़ रुपये निश्चित किया गया था जिसके लिए सकल बजटीय सहायता की

राशि 95.80 करोड़ रुपये थी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत स्कीम-वार परिव्यय दर्शाने वाला एक विवरण संलग्नक 5.3.1 में दिया गया है। विभाग की स्कीमों का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

### गोदामों का निर्माण

5.3.9 स्कीम की संकल्पना, खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता का निर्माण और उसमें वृद्धि करने के लिए की गई थी। स्कीम का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है तथा इस समय निधियां भारतीय खाद्य निगम को इक्विटी के रूप में जारी की जा रही हैं। दसवीं पंच वर्षीय योजना में, 4.35 लाख मी.टन नई भण्डारण क्षमता रेलवे साइडिंग का निर्माण करने के लिए 126.66 करोड़ रुपये का संशोधित आवंटन किया गया है।

5.3.10 यह निश्चय किया जा चुका है कि चालू वर्ष 2005-06 से स्कीम के अंतर्गत निधियां केन्द्रीय भण्डारागृह निगम को पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को भी सिविकम और जम्मू और कश्मीर सरकार सहित, सहायता-अनुदान के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू और काश्मीर में एफसीआई की ओर से भण्डारण गोदामों के निर्माण के लिए दी जा सकती है।

5.3.11 वर्ष 2005-06 के दौरान 21.62 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। एफसीआई को 3.44 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र में गोदामों के निर्माण के लिए और 17.44 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र से इतर क्षेत्रों में गोदामों में निर्माण के लिए और 0.84 करोड़ रुपये की राशि मिजोरम सरकार को गोदामों के निर्माण के लिए जारी की गई।

5.3.12 वर्ष 2006-07 के दौरान योजना आयोग ने एफसीआई द्वारा भण्डारण गोदामों के निर्माण के लिए 12.75 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। भौतिक लक्ष्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, सिविकम सहित और जम्मू व कश्मीर राज्य में 20,840 मी. टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता के सृजन का है।

5.3.13 जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का संबंध है, 7.00 करोड़ के विरुद्ध, जो 2006-07 के 70 करोड़ रुपये के प्रस्तावित सं.अ. का 10% है, एफसीआई आदि द्वारा गोदामों के निर्माण के अंतर्गत संभावित व्यय, एफसीआई द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में गोदामों के निर्माण के लिए 4.5 करोड़ रुपये है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में गोदामों के निर्माण के लिए सीडब्ल्यूसी को सहायता अनुदान के रूप में, और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के लिए सहायता-अनुदान के रूप में 3.43 करोड़ रुपये और जम्मू व कश्मीर सरकार को गोदामों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान के रूप में 1.12 करोड़ रुपये होगा।

### खाद्यान्न प्रबंधन के लिए एकीकृत सूचना पद्धति (आईआईएसएफएम)

5.3.14 भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में खाद्यान्न प्रबंधन परियोजना के लिए एकीकृत सूचना पद्धति (आईआईएसएफएम) का मुख्य उद्देश्य इसे आनलाइन प्रबंधन सूचना पद्धति (एमआईएस) के रूप में शुरू करना है जिससे किसी निश्चित समय पर किसी भी डिपो में भण्डार की स्थिति का पता चला सकेगा। परियोजना को योजना आयोग द्वारा 97.66 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दसवीं योजना के दौरान एक योजनागत स्कीम के रूप में अनुमोदित किया गया था जिसे 2003-04 से 2005-06 तक के दौरान 3 चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा।

5.3.15 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के माध्यम से परियोजना का कार्यान्वयन वर्ष 2003-04 से प्रारंभ हुआ। वर्ष के दौरान एफसीआई को 15.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई तथा 2004-05 के दौरान 39.14 करोड़ रुपये की और 2005-06 के दौरान 15 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। अभी तक, एफसीआई मुख्यालय 5 क्षेत्रीय कार्यालयों, 23 इलाकाई कार्यालयों, 166 जिला कार्यालयों और 697 डिपों में हार्डवेयर और साफ्टवेयर की स्थापना की गई है। इसके अलावा, एफसीआई की निम्नलिखित किराए वाले 171 और स्थानों के संबंध में एनआईसीएसआई/एनआईसी से परफोर्मा बीजक तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

5.3.16 अब जिला स्टाक लेखांकन माड्यूल पूर्णतः काम कर रहा है और आईआईएसएफएम वेबसाइट (www.iisfm.nic.in) के माध्यम से अखिल भारतीय भण्डार स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जिला कार्यालयों द्वारा पाक्षिक आधार पर डाटा भरा जाता है। एफसीआई के सभी 166 जिला कार्यालयों ने नवम्बर 2006 की पहले पखवाड़े के संबंध में स्टाक डाटा की प्रविष्टि की है।

5.3.17 केन्द्रीय पूल स्टाक की सुलभता प्राप्त करने के लिए 9 प्रमुख प्राप्ति/वितरक/डीसीपी राज्यों का विनिर्धारण किया गया था। एनआईसीएसआई से कुल 1160 स्थानों पर हार्डवेयर/साफ्टवेयर की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है -उड़ीसा (103), तमिलनाडु (301), हरियाणा (174), छत्तीसगढ़ (96), मध्य प्रदेश (163), उत्तर प्रदेश (173) और आन्ध्र प्रदेश (150)।

### प्रशिक्षण, अनुसंधान और मानीटरन

5.3.18 स्कीम का उद्देश्य पीडीएस के कार्यकरण और कार्यान्वयन में लगे कर्मिकों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने व उन्हें उन्नत बनाना है। पाँच दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अधिकतम 20 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण हेतु 50,000 रुपये तक सहायता अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीम के अंतर्गत 1.15 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए 0.06 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सतर्कता समितियों और पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों को शामिल किया जाना है।

### अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) तथा वीवीओ एण्ड एफ की प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण

5.3.19 आर एण्ड डी स्कीम मुख्यतः वनस्पति तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने और उत्तम कोटि के उत्पादों का निर्माण करने के लिए है। प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण की स्कीम का उद्देश्य तेलों और वसाओं के परीक्षण के लिए आधुनिक उपस्कर का इस्तेमाल करके वनस्पति, वनस्पति

तेल और वसा निदेशालय (वीवीओ एण्ड एफ) की प्रयोगशाला को सज्जित करना है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में 1.25 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए 0.20 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है जिसका उपयोग 2 चालू आरएण्डडी परियोजनाओं को पूरा करने, आर एण्ड डी परियोजनाओं के कार्य और वीवीओ एण्ड एफ निदेशालय की प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा।

### राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर और तकनीकी अध्ययन तथा परामर्श

5.3.20 दसवीं पंच वर्षीय योजना के लिए, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर और तकनीकी अध्ययनों और परामर्श हेतु 8.95 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए, एनएसआई, कानपुर में प्रयोगशाला उपस्कर के आधुनिकीकरण और कार्यालय इमारत की मरम्मत तथा पुनरुद्धार और प्रतिस्थापना के लिए 1.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। तकनीकी अध्ययनों और परामर्श के लिए 0.75 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है जिसमें दो राज्यों, यथा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में भूख मानचित्रण के संबंध में अध्ययन हेतु 0.60 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

### पीडीएस में खाद्य क्रेडिट कार्डों को लागू करने के संबंध में प्रायोगिक परियोजना

5.3.21 यह स्कीम 13.20 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ दसवीं पंच वर्षीय योजना में लागू की गई थी। साफ्टवेयर विकास के संबंध में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एनआईसी नोडल एजेंसी है। वार्षिक योजना 2005-06 के लिए प्रायोगिक परियोजना पूरी करने के लिए 1.25 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है। मध्य प्रदेश में विदिशा, हिमाचल में कांगड़ा और केरल में एरनाकुलम जिलों को परियोजना को प्रायोगिक रूप में कार्यान्वित करने के लिए चुना गया था। योजना आयोग ने 17 नवम्बर 2005 को आयोजित अपनी बैठक में नोट किया कि स्कीम के संबंध में प्रायोगिक कार्य सफल नहीं रहा है। तदनुसार, यह निर्णय

किया गया कि स्कीम को, इसके वर्तमान स्वरूप में, जारी नहीं रहने दिया जाए। तदनुसार प्रायोगिक परियोजना को 2005-06 में बन्द कर दिया गया। योजना आयोग की सलाह पर वर्ष 2006-07 के लिए 5 करोड़ रुपये के सांकेतिक प्रावधान के साथ “पीडीएस कार्यक्रम का कम्प्यूटरीकरण” नामक एक नई स्कीम इस विभाग द्वारा शुरू की गई है। पीडीएस के कार्यक्रम के कम्प्यूटरीकरण से विद्यमान राशन कार्डों में सुधार होगा, अर्थात् प्रविष्टियां आदि करने की वर्तमान पद्धति के स्थान पर प्रविष्टियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाएगी। पद्धति के अंतर्गत परिवार के सभी सदस्यों का व्यक्तिगत विवरण सम्मिलित होगा जिसमें उनकी हकदारी शामिल है तथा तालुक से राज्य स्तर तक पीडीएस को सम्पूर्ण नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इस प्रकार की पद्धति कायम हो जाने पर आशा है कि खाद्यान्न के विचलन को चैक करने और जाली राशन कार्ड की समस्या को दूर करने के लिए खाद्य क्रेडिट कार्ड स्कीम का उद्देश्य पूरा हो जाएगा जिससे पीडीएस में मजबूती आएगी तथा सामग्री प्रदान करने में सुधार होगा विद्यमान राशन कार्डों के संबंध में यह एक नूतन सुधार होगा।

### ग्राम अनाज बैंक स्कीम

5.3.22 ग्राम अनाज बैंक स्कीम, जो अभी तक जनजातीय मामले मंत्रालय के अधीन थी, 2005-06 से खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है। स्कीम का उद्देश्य, लगातार खाद्य अभाव वाले क्षेत्रों में अनाज बैंक स्थापित करना तथा कमी वाली अवधि के दौरान, जब उनके पास राशन खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते, भुखमरी के विरुद्ध सुरक्षोपाय की व्यवस्था करना है। स्कीम का उद्देश्य, ऐसी आपदाओं के दौरान गाँव के अन्दर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर सूखे के कारण होने वाले उत्पादन और खाद्य अभावों को कम करना भी है। संशोधित स्कीम को सरकार द्वारा 15 फरवरी 2006 को अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2005-06 के दौरान, 0.36 करोड़ रुपये की लागत से 57 ग्राम अनाज बैंक और 19.40 करोड़ रुपये की लागत से अन्य क्षेत्रों में 3225 अनाज बैंक स्थापित करने के लिए राशि जारी की गई (19.76 करोड़ रुपये की कुल लागत से कुल 3282)।

5.3.23 वर्ष 2006-07 के दौरान, खाद्य अभाव वाले क्षेत्रों में 8591 ग्राम अनाज बैंक स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। 15.11.2006 तक, उ.प्र., असम, सिक्किम, हि.प्र., गुजरात, पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश में 5024 ग्राम बैंकों की स्थापना करने के लिए 31.05 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

### केन्द्रीय भाण्डारागृह निगम (आईईबीआर स्कीमें)

5.3.24 केन्द्रीय भाण्डारागृह निगम (सीडब्ल्यूसी) की स्कीमों का वित्त पोषण आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधनों (आईईबीआर) द्वारा किया जाता है। दसवीं पंच वर्षीय योजना के लिए 485.00 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इस अवधि के दौरान सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव देश में 15.00 लाख मी.टन भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का

है। 2005-06 के दौरान सीडब्ल्यूसी ने 67 करोड़ रुपये की राशि खर्च की और 2.76 लाख मी. टन की भण्डारण क्षमता का निर्माण किया जबकि लक्ष्य 2.57 लाख मी.टन था। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए 4.68 करोड़ रुपये की लागत से भूमि खरीदने के लिए स्कीम के वास्ते 109.63 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है तथा राजस्थान, दिल्ली, उ.प्र., आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, म.प्र., महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 5.90 लाख मी.टन की भण्डारण क्षमता के निर्माण के लिए 104.95 करोड़ रुपये की लागत से गोदामों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। सीडब्ल्यूसी ने, राज्य भाण्डारागृह निगमों (एसडब्ल्यूसी) को अपनी वित्तीय क्षमता में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों को 50% आनुपातिक योगदान का प्रस्ताव किया है। इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2006-07 के लिए 1.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

संलग्नक 5.3.1

योजना स्कीमें तथा परिव्यय -खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना 2004-05 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 2005-06 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 2006-07 (बजट अनुमान)
1	एफसीआई, राज्य सरकारों आदि द्वारा गोदामों का निर्माण	5.87	21.62	12.75
2	एफसीआई में खाद्यान्न प्रबंधन हेतु एकीकृत सूचना पद्धति	39.14	15.00	25.00
3	प्रशिक्षण अनुसंधान और मानीटरन	0.23	0.60	0.60
4	अनुसंधान तथा विकास और वीवीओ एण्ड एफ निदेशालय में प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण	0.27	0.35	0.20
5	राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर और तकनीकी अध्ययन और परामर्श	0.93	0.87	2.25
6	पीडीएफएस में खाद्य क्रेडिट कार्डों के कार्यान्वयन के संबंध में प्रायोगिक परियोजना	0.54	0	0
7	ग्राम अनाज बैंक	0	19.76	50.00
8	पीडीएस कार्यकरण का कम्प्यूटरीकरण	0	0	5.00
	<b>जोड़ (जीबीएस)</b>	<b>46.98</b>	<b>58.20</b>	<b>95.80</b>
	<b>आईईबीआर</b>			
1	सीडब्ल्यूसी द्वारा भाण्डारागृहों / गोदामों का निर्माण	56.14	67.00	109.63
2	राज्य भण्डारागृह निगमों को शेयर पूँजी के लिए अंशदान	0.31	0	1.25
3	रेलवे वेगनों की खरीद	0	0	0
	<b>जोड़ (आईईबीआर)</b>	<b>56.45</b>	<b>67.00</b>	<b>110.88</b>
	<b>कुल जोड़</b>	<b>103.43</b>	<b>125.20</b>	<b>206.68</b>

## 5.4 श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा

5.4.1 आयोजना प्रक्रिया, अनेक कार्यनीतियों के माध्यम से श्रम क्षेत्रक में आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की उपलब्धि में सहायता करती है। दक्षता विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से श्रम की आपूर्ति को मांग के अनुरूप रखा जाता है। कार्यस्थल पर सुरक्षा को प्रोत्साहित करने तथा व्यावसायिक संकटों को कम से कम करने के लिए कार्यस्थल पर उपयुक्त स्थितियां सुनिश्चित की जाती हैं। श्रम कानून, जिनके तहत मजदूरी की अदायगी नियमित होती है तथा कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था होती है, श्रम का समुचित प्रतिफल सुनिश्चित करते हैं।

### योजना परिव्यय और इसका उपयोग

5.4.2 श्रम मंत्रालय का दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) परिव्यय 1500 करोड़ रुपये (केन्द्रीय योजना) अनुमोदित किया गया है, जो 792.12 करोड़ रुपये के नौवीं योजना परिव्ययों से लगभग 90 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय 336.76 करोड़ रुपये विनिश्चित किया गया है। श्रम और श्रम कल्याण उप-शीर्षवार परिव्यय केन्द्रीय क्षेत्रक के संबंध में संलग्नक 5.4.1 में और वार्षिक योजनाओं के लिए राज्य क्षेत्रक के संबंध में संलग्नक 5.4.2 में दिए गए हैं।

### जेडबीबी कार्यवाही

5.4.3 योजना आयोग ने स्कीमों की छंटनी, विलयन पुनर्वर्गीकरण आदि का कार्य किया और जिनकी संख्या दसवीं योजना के प्रारंभ में 91 थी उन्हें विलयन इत्यादि द्वारा वार्षिक योजना 2006-07 से कम करके 56 कर दिया। तीन नई स्कीमों के शामिल हो जाने से श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत योजना स्कीमों की संख्या 59 है।

### आउटकम बजट

5.4.4 आउटकम बजट के अन्तर्गत मानीटरन हेतु निम्नलिखित प्रमुख स्कीमों का विनिर्धारण किया गया है :

- पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और जम्मू व कश्मीर में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना।
- 100 आईटीआई का उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में

उन्नयन।

- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना
- भारत-अमरीका बाल श्रम परियोजना

5.4.5 “पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और जम्मू व कश्मीर में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना” स्कीम के अन्तर्गत 2005-06 के दौरान संबंधित राज्य सरकारों से इमारतों का कब्जा लेने में देरी, उपस्कर की प्राप्ति और संकाय की नियुक्ति में देरी आदि की वजह से देरी हुई। मणिपुर राज्य में यद्यपि 4 नए आईटीआई और 4 स्तरोन्नत आईटीआई में निर्माण कार्य प्रगति पर था तथापि कतिपय अपरिहार्य कारणवश प्रगति बहुत धीमी थी। अन्य स्कीमों के संबंध में, प्रगति संतोषजनक थी। उपरोक्त स्कीमों के संबंध में ऐसी ही मानीटरन कार्यवाही 2006-07 के दौरान आयोजित की गई।

### अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए विशेष स्कीमों

5.4.6 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ प्रमुख स्कीमों निम्नलिखित हैं:

- अनु. जातियों और अनु. जनजातियों के लिए प्रशिक्षण-सह-मार्गदर्शन केन्द्र।
- विशेष प्रशिक्षण स्कीम।
- श्रम कल्याण निधियां/स्कीमों
- बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास
- सर्वेक्षण और अनुसंधान अध्ययन।

5.4.7 अनु. जातियों और अनु. जनजातियों के लाभार्थ श्रम मंत्रालय की कुछ योजना स्कीमों हैं। ये मिलकर क्रमशः अनु. जातियों और अनु. जनजातियों के लिए जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) और विशेष घटक योजना (एससीपी) बनती हैं। 2003-04 के दौरान इन स्कीमों के संबंध में, जहाँ ये अनुमत्य हैं, टीएसपी और एससीपी के लिए 4.86 करोड़ रुपये की राशि विनिश्चित की गई है।

5.4.8 श्रम और श्रम कल्याण क्षेत्रक के अतिरिक्त योजना स्कीमों के माध्यम से श्रमिकों के लाभार्थ अनेक श्रम प्रधान क्षेत्रक और समाज कल्याण क्षेत्रक स्कीमों हैं। उनके संबंध में यहाँ चर्चा नहीं की गई है क्योंकि वे योजना के संबंधित क्षेत्रकीय कार्यक्रमों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती हैं।

## बाल श्रम का उन्मूलन

5.4.9 अगस्त, 1987 में घोषित राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अन्तर्गत एक कार्रवाई योजना सम्मिलित है जिसका उद्देश्य जहाँ कहीं सम्भव हो बच्चों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों पर बल देते हुए एक कानूनी रूपरेखा स्थापित करना और मजदूरी/अर्ध-मजदूरी रोजगार में कार्यरत बाल श्रम के उच्च संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों में परियोजना-आधारित कार्रवाई-योजनाएं सम्मिलित हैं। बाल श्रम के उच्च संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों में, उनके विनिर्धारण, कार्य से हटाने और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं (एनसीएलपी) स्थापित की गई थी। पुनर्वास पैकेज के अन्तर्गत गैर-औपचारिक/औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषाहार, स्वास्थ्य देख-रेख, वृत्तिका आदि सम्मिलित है। एनसीएलपी स्कीम के अन्तर्गत बाल श्रम सम्बद्ध कानूनों का और कठोरतापूर्वक प्रवर्तन, बाल श्रम की बुराई के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना और बाल श्रमिकों के लिए कल्याण सुविधाओं का विस्तार भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम का, उन 150 जिलों के अलावा, जहाँ यह स्कीम 2005-06 के दौरान पहले से ही चल रही थी, 100 और जिलों को कवर करने के लिए विस्तार कर दिया गया है।

5.4.10 एनसीएलपी स्कीम 1988 में शुरू की गई थी। नौवीं योजना तक 13 राज्यों में लगभग 2.11 लाख बच्चों को कवर करते हुए, 100 परियोजनाएं मंजूर की गई थी। स्कीम के अन्तर्गत नौवीं योजना के दौरान 100 एनसीएलपी जिलों में 4002 स्कूल मंजूर किए गए हैं और उम्मीद है कि दसवीं योजना के दौरान इन स्कूलों की संख्या बढ़कर 10,000 हो जाएगी। अभी तक स्कीम के अन्तर्गत 400200 कार्यरत बच्चे स्कीम के अन्तर्गत कवर किए गए हैं। अभी तक लगभग 3.08 लाख बच्चों को औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया है जिससे एनसीएलपी स्कीम के अन्तर्गत देश में कुल 250 जिले कवर हो गए हैं। 2001 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर, दसवीं योजना के दौरान एनसीएलपी की स्थापना करने के लिए 100 और नए जिलों का विनिर्धारण किया गया है। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान आवंटन की राशि 107 करोड़ रुपये है।

5.4.11 बाल श्रम के संबंध में “इन्डस” परियोजना (भारत-अमरीका संयुक्त परियोजना), जिसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली की 10 10 क्षेत्र में 21 विनिर्दिष्ट जिलों में तात्कालिकता के मामले के तौर पर बाल श्रम के निकृष्ट स्वरूपों के निषेध और उन्मूलन हेतु संयुक्त राज्य श्रम विभाग और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (आईएलओ) के सहयोग से निष्पादित किया जाता है, के लिए 2006-07 के दौरान वार्षिक योजना आवंटन 25 करोड़ रुपये है। केन्द्रीय सरकार ने, अक्टूबर 2006 से होटलों, ढाबों, जलपान गृहों आदि में भी बाल श्रम पर रोक लगा दी है।

## औद्योगिक संबंध

5.4.12 श्रम और रोजगार मंत्रालय का केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र इस प्रमुख क्षेत्र में सामन्जसपूर्ण औद्योगिक संबंधों की दिशा में कार्य करता है जिसमें 45 लाख संस्थापनाएं सम्मिलित हैं। मुख्य श्रम आयुक्त को औद्योगिक संबंध बनाए रखने, श्रम कानून लागू करने और प्रमुख क्षेत्र में ट्रेड यूनियन सदस्यता के सत्यापन का कार्य सौंपा गया है।

5.4.13 वर्ष 2005-06 के दौरान सीआईआरएम, 380 आशंकित हड़तालों में से 376 को बचाने में सफल रहा, जो लगभग 99% की सफलता दर का परिचायक है। सीआईआरएम ने 9358 विवादों को हेण्डल किया, जिनमें से 3583 विवादों का निपटारा किया गया तथा 2743 मामलों में प्रयास असफल रहे। हड़तालों और तालाबंदी के कुल मामले, जो 2003 में 552 थे, 2004 में कम होकर 477 हो गए और इस प्रकार इनमें 2004 में 13.59% की कमी आई। तथापि, इन गड़बड़ियों के कारण प्रभावित श्रमिकों की संख्या 2003 में 1.82 मिलियन से बढ़कर 2004 में 2.07 मिलियन हो गई, जो 2004 में 13.74% वृद्धि दर्शाती है। जनवरी-सितम्बर 2005 अवधि के दौरान कुल 340 हड़तालें और तालाबंदियां हुईं, जिनसे 1.41 मिलियन श्रमिक प्रभावित हुए। गुम हुए मानवदिवस श्रमिकों पर औद्योगिक बेचैनी के प्रभाव का सीधा परिणाम है। समुच्चय स्तर पर हड़तालें और तालाबंदियों के कारण गुम हुए मानव दिवसों की संख्या 2003 के मुकाबले 2004 में 21.12% कम थी। 2005 (जनवरी-सितम्बर) के दौरान हड़तालें और तालाबंदियों के कारण गुम हुए मानव दिवसों की संख्या क्रमशः 2.83 मिलियन और 4.47 मिलियन थी।

5.4.14 श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 2006-07 के दौरान 6.95 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ पाँच योजना स्कीमें प्रशासित की जा रही हैं।

### कामगार शिक्षा

5.4.15 केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड (सीबीडब्ल्यूई) को, जो भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, कार्य बल को देश के समाजार्थिक विकास में उनकी प्रभावी भागीदारी के बारे में शिक्षित करने के प्रति जागरूकता का निर्माण करने और उसमें वृद्धि करने का काम सौंपा गया है। डाटा द्वारा, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और यूनिट स्तरों पर संगठित, असंगठित, ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों के कामगारों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। अप्रैल-सितम्बर 2005 के दौरान बोर्ड ने 3858 प्रशिक्षण कार्यक्रम (1,28,568 प्रतिभागी) और 237 जागरूकता ग्रामीण शिविर (9300 प्रतिभागी) आयोजित किए। इसी अवधि के दौरान बोर्ड ने, 4247 कामगारों के लिए 106 कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 47 यूनियनों/संस्थानों को 3,05,930/- रुपये का सहायता-अनुदान भी दिया। वर्ष 2006-07 के लिए 9.14 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

### श्रम सांख्यिकी

5.4.16 श्रम के विभिन्न पहलुओं, उनकी कामकाजी स्थितियों, मजदूरी और आय, औद्योगिक संबंध, श्रम कल्याण आदि सहित, सांख्यिकी के संग्रह, संकलन और प्रसार के लिए श्रम ब्यूरो प्रमुख एजेन्सी है। ब्यूरो के मुख्य कार्यकलापों में सम्मिलित हैं : कीमत सूचकों का संकलन, विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत फाइल की गई सांविधिक और स्वैच्छिक विवरणिकाओं के भाग के रूप में प्राप्त सूचना का संग्रह और संकलन, श्रम सम्बद्ध मामलों के विषय में सर्वेक्षण और अनुसंधान अध्ययन आयोजित करना। श्रम सांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं के संबंध में 20 विभिन्न प्रकाशन वर्ष 2005-06 के दौरान प्रकाशित किए गए जिनमें इण्डियन लेबर जरनल (मासिक) और उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण सम्मिलित है।

5.4.17 “श्रम और रोजगार सांख्यिकी पद्धति में सुधार” नामक एक नई स्कीम के लिए, आवश्यक वित्तीय अनुमोदनों के अध्यक्षीन दस करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। नई स्कीम और राष्ट्रीयकरण कार्यवाही के बाद सात योजना स्कीमें हैं जिनका कुल परिव्यय 16.87 करोड़ रुपये है।

### बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

5.4.18 भारत सरकार ने बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए मई 1978 से एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम प्रारंभ की। स्कीम के अन्तर्गत, मुक्त हुए प्रत्येक बंधुआ मजदूर के लिए 2000 रुपये की पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है जिसे केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 आधार पर वहन किया जाता है, सात पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसकी शुरुआत से 30.11.2005 तक, 2,86,549 बंधुआ श्रमिकों का विनिर्धारण किया गया है और उन्हें मुक्त कराया गया, जिनमें से 2,66,587 श्रमिकों का पुनर्वास किया गया। इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सहायता के रूप में 68.58 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2006-07 के दौरान इस स्कीम के लिए परिव्यय की राशि 2 करोड़ रुपये है।

### व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य

5.4.19 खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) तथा फैक्टरी सलाह, सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएस एलआई) को खानों, फैक्ट्रियों और बन्दरगाहों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। दो महानिदेशालयों के अन्तर्गत योजना स्कीमों के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान परिव्यय की राशि 21.32 करोड़ रुपये है। डीजीएफएसएलआई ने फैक्टरी अधिनियम, 1948 और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (आईएलओ) कन्वेंशनों और दस्तावेजों के प्रावधानों के संबंध में अपनी व्याख्या/ स्पष्टीकरण प्रदान किए। चार व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा, डीजीएफएसएलआई ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर अध्ययन और सर्वेक्षण भी आयोजित किए। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने, दुर्घटनाओं आदि की पद्धति पर विचार करने के बाद, बहुत से सुरक्षा उपाय किए हैं जिनमें नोटिस (290) आदेश

(195) परिपत्र (7) और निषेधात्मक आदेश जारी करना शामिल है, तथा अप्रैल-अक्टूबर 2005 के दौरान 7505 निरीक्षण भी आयोजित किए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद परामर्श सेवाएं सुरक्षा आडिट आयोजित करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने 34 प्रशिक्षण कार्यक्रम (1817 प्रतिभागी) भी आयोजित किए तथा 26 संगठनों को एनएससीआई सुरक्षा पुरस्कार भी प्रदान किए।

## सामाजिक सुरक्षा

5.4.20 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन संख्या 102 में नौ आकस्मिकताओं की सूची दी गई है जिनसे आय बन्द हो जाती है अथवा उनमें काफी कटौती आती है। जैसे कि: रूग्णता, मातृत्व, रोजगार चोट, बेरोजगारी, अपंगता, वृद्धावस्था, मृत्यु, दीघावधि तक मेडिकल देख-रेख और बच्चों वाले परिवार के लिए समर्थन की जरूरत।

5.4.21 सरकार को विशिष्ट श्रेणी के कार्यरत लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने के लिए स्कीमें प्रारंभ और कार्यान्वित की हैं। प्रमुख सामाजिक सुरक्षा तंत्र की निम्नलिखित के माध्यम से व्यवस्था की जाती है :

- कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923;
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961;
- उपदान अदायगी अधिनियम, 1972
- कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948; और
- कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और एम. पी. अधिनियम, 1952।

तथा प्रमुख सामाजिक सहायता निम्नलिखित के माध्यम से प्रदान की जाती है :

- खान श्रमिकों, बीड़ी मजदूरों, सिनेमा श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों की कल्याण निधियां ;
- असंगठित क्षेत्रक श्रमिकों के लिए राज्य सरकारों की कल्याण निधि ;
- सस्त्रिडाइज्ड जीवन और स्वास्थ्य कवर बीमा स्कीमें, जिन्हें क्रमशः भारतीय जीवन बीमा निगम लि0 (एल.आई.सी.) और सामान्य बीमा निगम (जीआईसी) द्वारा प्रशासित किया जाता है ;

- सामाजिक सहायता के अन्य स्वरूप, जैसे कि वृद्धावस्था लाभ, मातृत्व लाभ, उत्तरजीविता लाभ, रोजगार के लिए सहायता, प्रशिक्षण, शिक्षा आदि, विभिन्न अन्य मंत्रालयों द्वारा प्रशासित और वित्त पोषित किए जाते हैं।

## कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

5.4.22 इस समय, कर्मचारी भविष्य निधियां और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, संस्थापनाओं के 180 विनिर्दिष्ट उद्योगों/श्रेणियों पर लागू हैं। जैसा कि अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित और 20 अथवा अधिक व्यक्ति नियुक्त करने वाला कोई कार्यकलाप। 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार, छूट प्राप्त तथा अछूटप्राप्त क्षेत्रकों में ईपीएफ स्कीम के अन्तर्गत 411.10 लाख की सदस्यता के साथ अधिनियम के अन्तर्गत 4,08,831 संस्थापनाएं और फैंक्टरियां सम्मिलित थी। 1.6.2001 से किसी शामिल हुई संस्थापना में रोजगार पाने पर और 6500/- रुपये तक की मजदूरी प्राप्त करने पर सदस्य बनना आवश्यक होता है।

5.4.23 भविष्य निधि बकाया की राशि, 31.3.2005 को 2144.82 करोड़ रुपये थी। ईपीएफ संगठन, चूककर्ता नियोक्ताओं के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि की धारा 14 और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत अभियोजन प्रारंभ करता है और नियोक्ताओं के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के तहत मुकदमा चलाता है यदि वे कर्मचारी के अंशदान का हिस्सा काटते हैं किन्तु उसे निधि में जमा नहीं करते हैं। 2004-05 के दौरान 1901.03 करोड़ रुपये की बकाया रकम वसूल की गई।

## कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम

5.4.24 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, रूग्णता, मातृत्व और रोजगार चोट के मामले में स्वास्थ्य देखभाल और नकद लाभ अदायगियों की व्यवस्था है। यह अधिनियम, विद्युत का उपयोग करने वाली और 10 अथवा अधिक कर्मचारी नियुक्त करने वाली गैर-मौसमी फेक्टरियों

और गैर-विद्युत उपयोग करने वाली फैक्ट्रियों तथा कतिपय अन्य संस्थापनाओं पर लागू होता है जो 20 अथवा अधिक कर्मचारी नियुक्त करते हैं। यह अधिनियम क्षेत्र-वार, क्रमिक ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। ईएसआई स्कीम 25 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित 718 केन्द्रों में चल रही है। 31.3.2005 की स्थिति की अनुसार स्कीम के अन्तर्गत 84.98 लाख बीमित व्यक्ति और लगभग 329.73 लाख लाभार्थी स्कीम के अन्तर्गत शामिल हैं। वर्ष के अन्त तक कवर हुई फैक्ट्रियों और संस्थापनाओं की संख्या वर्ष के अन्त तक बढ़कर लगभग 2,80,871 हो गई।

5.4.25 ईएसआई स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) नामक एक सांविधिक निकाय द्वारा प्रशासित की जाती है जिसमें नियोक्ताओं, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों, मेडिकल व्यवसाय तथा संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य सम्मिलित हैं। दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ ईएसआई निगम के देशभर में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय कार्यालय हैं। निगम के 23 क्षेत्रीय कार्यालय, 17 उप-क्षेत्रीय कार्यालय और प्रभागीय कार्यालय, 628 शाखा कार्यालय, 258 निरीक्षण कार्यालय तथा 183 वेतन कार्यालय देशभर में फैले हैं जो स्कीम का प्रशासन करते हैं।

5.4.26 श्रम और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से केन्द्रीय सरकार इस समय बीड़ी श्रमिकों, लाइमस्टोन और डोरमाइट खान श्रमिकों माइका खान श्रमिकों और सिनेमा श्रमिकों के लिए पाँच कल्याण निधियां चला रही है। इन कल्याण निधियों का निर्माण विनिर्मित वस्तुएं बेचने वाले व्यक्तियों से उप-कर वसूलकर किया गया है। मत्स्य प्रसंस्करण श्रमिकों, नमक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसी ही कल्याण निधि पर विचार किया जा रहा है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने विभिन्न श्रेणियों के कार्यरत लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की व्यवस्था करने के लिए स्कीमें तैयार और कार्यान्वित की हैं।

5.2.27 असंगठित क्षेत्रक के लिए राष्ट्रीय उद्यम आयोग (एनसीईयूएस) ने मई 2006 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में राज्यों और केन्द्र में सामाजिक सुरक्षा स्थिति की एक व्यापक तस्वीर पेश की है। असंगठित क्षेत्रक श्रमिकों के लिए सामाजिक

सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए एनसीईयूएस का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

### श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण

5.4.28 वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) कार्रवाई-उन्मुख अनुसंधान आयोजित करता है तथा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में ट्रेड यूनियन आन्दोलन में आधार स्तरीय श्रमिकों के लिए और औद्योगिक संबंधों, कार्मिक प्रबंधन, श्रम कल्याण आदि के साथ डील करने वाले अधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। 2005-06 के दौरान कुल 29 अनुसंधान परियोजनाएं चल रही थी/पूरी हो गई। वीवीजीएनएलआई ने, अप्रैल-नवम्बर 2005 के दौरान 81 प्रशिक्षण कार्यक्रम भी (2203 प्रतिभागी) आयोजित किए। छः नियमित प्रकाशनों के अलावा, वीवीजीएनएलआई ने अपने अनुसंधान अध्ययन भी प्रकाशित किए। वर्ष 2006-07 के लिए परिव्यय की राशि 3.30 करोड़ रुपये है।

### अनुप्रयुक्त मानवशक्ति अनुसंधान संस्थान

5.4.29 अनुप्रयुक्त मानवशक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर) का मुख्य कार्य एक संस्थागत ढाँचा विकसित करना है जो व्यवस्थित जनशक्ति आयोजना प्रक्रिया को बनाए रखने और उसके संचालन में समर्थ हो। आईएएमआर गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के सम्बद्धन से मानव संसाधन योजना और विकास में एक नौ मास का डिप्लोमा पाठ्यक्रम और एक वर्षीय मास्टर्स डिग्री पाठ्यक्रम भी संचालित करता है। आईएएमआर को पचास-पचास लाख रुपये की लागत से दो नई परियोजनाएं सौंपी गई हैं, यथा “मानीटरन और मूल्यांकन में प्रशिक्षण के लिए क्षमताओं का सुदृढीकरण” और “विकास पहलों के रोजगार प्रभाव का मापन” ।

5.4.30 बदलते विश्व आर्थिक और जनशक्ति परिदृश्य को देखते हुए तथा सिफारिशें करने के वास्ते योजना आयोग ने आईएएमआर के कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति स्थापित की है।

संलग्नक 5.4.1

श्रम और रोजगार मंत्रालय के वार्षिक योजना आवंटन

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	प्रभाग/स्कीम	दसवीं योजना परिव्यय	वार्षिक योजना में वास्तविक खर्च				वार्षिक योजना 2005-06		वार्षिक योजना 2006-07
			2002-07	2002-03	2003-04	2004-05	ब.अ.	सं. अ.	ब. अ.
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
I	(क) रोजगार	3666.00	222.81	103.33	123.13	720.00	192.00	733.00	
I	(ख) प्रशिक्षण	36334.00	3115.54	3108.49	3017.14	6098.00	4993.00	11582.50	
II	औद्योगिक संबंध	3720.00	511.55	299.58	395.16	589.00	526.00	695.00	
III	कामगार शिक्षा (सीबीडब्ल्यूई)	3500.00	604.00	785.00	900.00	914.00	914.00	914.00	
IV	बाल श्रमिक	66750.00	6513.77	6733.61	9314.03	12835.00	11901.00	13205.00	
V	महिला श्रमिक	250.00	19.93	14.29	22.63	26.00	31.00	41.00	
VI	श्रम ब्यूरो	11200.00	591.72	565.06	539.46	577.00	623.00	1687.50	
VII	खान सुरक्षा (डीजीएमएस)	5500.00	181.77	169.26	289.56	455.00	240.00	940.00	
VIII	आद्योगिक सुरक्षा (डीजी एफएसएलआई)	5240.00	59.05	36.93	95.49	482.00	90.00	1092.00	
IX	श्रम अनुसंधान (एनएलआई)	1200.00	265.00	225.00	277.96	310.00	310.00	330.00	
X	सूचना प्रौद्योगिकी	800.00	116.80	79.89	82.75	100.00	50.00	230.00	
XI	कृषि श्रमिक सामाजिक	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
XII	श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के संबंध में नई पहल	5240.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
XIII	श्रम कल्याण और विकास के संबंध में जागरूकता सृजन	1000.00	0.00					सीबीडब्ल्यूई को हस्तान्तरित	
XIV	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	4400.00	344.81	269.91	99.95	117.00	110.00	200.00	
XV	एनजीओ/वीओ को सहायता-अनुदान	300.00	10.58	10.29	16.88	25.00	20.00	26.00	
XVI	मंत्रालय के कार्मिकों को प्रशिक्षण	200.00	0.00	0.00				एनएलआई को हस्तान्तरित	
XVII	सेक्शनो का आधुनिकीकरण	400.00	0.00	0.00					
	पूर्वोत्तर में खर्च (डीजीईएण्डटी से इतर)	0.00	80.52	0.00	0.00				
	बीडी श्रमिकों के लिए मकानों का निर्माण							500.00	
	असंगठित क्षेत्रक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा							500.00	
	पीपीपी के माध्यम से दक्षता विकास							1000.00	
	<b>कुल जोड़</b>	<b>150000.00</b>	<b>12637.85</b>	<b>12400.64</b>	<b>15174.14</b>	<b>23248.00</b>	<b>20000.00</b>	<b>33676.00</b>	

स्रोत- श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक योजना दस्तावेज

श्रम और रोजगार क्षेत्रक -राज्य वार परिव्यय और व्यय

(रुपये लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 2002-03	वार्षिक योजना 2003-04*	वार्षिक योजना 2004-05**	वार्षिक योजना 2005-06		वार्षिक योजना 2006-07 अनु. परिव्यय
	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं. अ.	ब. अ.
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	760.62	1587.59	1230.03	1741.91	1742.25	1741.91
अरुणाचल प्रदेश	114.70	128.42	128.67	392.35	308.00	150.00
असम	612.68	601.24	424.00#	344.00	344.00##	***
बिहार	3368.36	5864.45	8872.02	11026.10	11011.57	14074.40
छत्तीसगढ़	943.00	750.00	1258.03	2235.62	1971.78	2674.53
गोवा	421.52	505.98	497.68	700.00	700.00##	740.00
गुजरात	3923.75	3139.05	10423.00	11405.00	11405.00##	11405.00
हरियाणा	10.61	84.62	10.43	3280.00	3280.00	3280.00
हिमाचल प्रदेश	151.69	33.65	39.64	171.20	153.70	593.02
जम्मू और कश्मीर	1326.51	1426.67	2852.10	3035.62	3035.62	3592.32
झारखंड	80.00	1257.99	2472.17	1573.00	1573.00	7469.00
कर्नाटक	2973.35	2280.13	1962.98#	1401.30	100.79	1701.30
केरल	584.22	903.07	446.32	1136.00	961.00	1278.00
मध्य प्रदेश	800.57	1032.23	1337.53	1841.00	1796.24	2159.73
महाराष्ट्र	1625.85	1303.31	2107.33	13162.79	13162.79##	15504.11
मणिपुर	106.34	19.78	458.84	147.14	147.14	512.00
मेघालय	95.36	110.52	118.70	250.00	250.00	275.00
मिजोरम	76.55	79.96	93.13	120.00	130.80	150.00
नागालैण्ड	70.40	149.96	143.96	115.00	235.61	248.00
उड़ीसा	15.59	20.06	28.50	19.84	548.51	1112.67
पंजाब	1.48	4.40	0.00	84.70	84.70##	38.10
राजस्थान	93.46	117.95	277.88	292.23	2025.50	681.95
सिक्किम	30.80	43.93	42.61	60.00	69.50	69.50
तमिलनाडु	220.16	3334.57	6313.09	7109.18	7060.54	13188.26
त्रिपुरा	82.19	98.22	91.28	189.27	167.69	274.50
उत्तर प्रदेश	688.00	754.24	767.78	1669.00	770.00	5175.00
उत्तरांचल	540.84	707.55	422.44	1896.50	1896.50	0.00
पश्चिम बंगाल	108.08	77.24	20.11	512.54	512.54	964.51
कुल (राज्य)	<b>19826.68</b>	<b>26416.78</b>	<b>42840.25</b>	<b>65911.29</b>	<b>65444.77</b>	<b>89052.81</b>

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 2002-03	वार्षिक योजना 2003-04*	वार्षिक योजना 2004-05**	वार्षिक योजना 2005-06		वार्षिक योजना 2006-07 अनु. परिव्यय
	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं. अ.	ब. अ.
1	2	3	4	5	6	7
संघ राज्य क्षेत्र						
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	105.22	91.81	133.34	202.35	202.35##	230.00
चंडीगढ़	75.47	38.09	33.53	36.00	36.00##	72.00
दादरा व नागर हवेली	30.00	30.55	0.00	35.00	35.00##	0.00
दमन और दीव	34.38	31.19	33.30	65.00	65.00##	124.00
दिल्ली	557.09	646.47	995.75	1215.00	1469.48##	1165.00
लक्षद्वीप	16.57	1.04	3.89	3.00	3.00	3.00
पांडिचेरी	285.53	369.72	442.99	540.00	539.00	590.00
कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	<b>1104.26</b>	<b>1208.87</b>	<b>1642.80</b>	<b>2096.35</b>	<b>2349.83</b>	<b>2184.00</b>
अखिल भारत	<b>20930.94</b>	<b>27625.65</b>	<b>44483.05</b>	<b>68007.64</b>	<b>67794.60</b>	<b>91236.81</b>

स्रोत: आंकड़े राज्य योजना प्रभाग से प्राप्त

;@:- श्रम के लिए सामाजिक सुरक्षा हेतु 20265 रु0 का परिव्यय शामिल है।

\*:- 5 सितम्बर, 2006 को अद्यतन बनाया गया

\*\*:- 3 सितम्बर, 2006 को अद्यतन बनाया गया

# : राज्य सरकार द्वारा वास्तविक व्यय प्रस्तुत नहीं किया गया, संशोधित परिव्यय लिया गया

## : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संशोधन की मांग नहीं की गई, अनु. परिव्यय दोहराया गया

\*\*\* : क्षेत्रकवार विवरण को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया

## अध्याय-6

### विशेष समूह

#### 6.1 सामाजिक रूप से अल्पसुविधा-प्राप्त समूह

6.1.1 सामाजिक रूप से अल्पसुविधा प्राप्त समूह, अर्थात् अनुसूचित जातियों (एससी), अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का सशक्तीकरण अन्य प्राथमिकता वाला विषय है क्योंकि सरकार उनके स्तर को शेष समाज के स्तर के बराबर उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका देश की आबादी में काफी अधिक हिस्सा है- जनगणना 2001 के अनुसार अनु. जाति लोगों की संख्या 166 मिलियन है जो कुल का 16.2 प्रतिशत है तथा अल्पसंख्यकों की संख्या 138 मिलियन है जो कुल आबादी का 18.4 प्रतिशत है। विशिष्ट जनगणना आंकड़ों के अभाव में अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या, मन्डल आयोग द्वारा 1980 में यथा अनुमानित देश की कुल आबादी का 52 प्रतिशत है जो कुछ अधिक हो सकती है जिसका कारण कुछ अनु. जातियों और अल्पसंख्यकों के समुदायों की दोहरी गणना करना हो सकता है।

6.1.2 यद्यपि सर्वोपरि उद्देश्य इनके कल्याण और विकास से संबंधित कार्यक्रमों और कार्यकलापों को कवर करते हुए एक एकीकृत दृष्टिकोण के जरिए इन अल्प- सुविधा प्राप्त समूहों का समाजार्थिक विकास करना है, तथापि अलग-अलग अनु. जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों पर उनकी विशेष जरूरतों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उनका विशिष्ट स्थान बना रहेगा। इन अल्पसुविधाप्राप्त समूहों के सशक्तीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नई पहलों/उपायों के साथ-साथ चल रहे कार्यक्रमों के सुदृढीकरण और उनका विस्तार करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

#### वार्षिक योजना 2005-06 की समीक्षा (“बी” स्तर शीर्ष)

6.1.3 अनु. जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों

के सामाजिक रूप से अल्पसुविधा-प्राप्त समूहों के सशक्तीकरण की समुचित सामाजिक न्याय के साथ प्रक्रिया पर सरकार द्वारा प्राथमिकतापूर्ण ध्यान दिया जाना जारी है। सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण के नोडल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कल्याण और विकास कार्यक्रमों की प्रगति और उनके प्रभाव का आकलन करने के उद्देश्य से, किए गए व्यय निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले प्राप्त वास्तविक परिणाम की गति का जायजा लेने के लिए उनकी छमाही समीक्षा की गई थी। नोडल मंत्रालय द्वारा कुल 34 स्कीमें (25 केन्द्रीय क्षेत्रक और 9 केन्द्र प्रायोजित स्कीमें) कार्यान्वित की जा रही हैं। वार्षिक योजना 2005-06 में, केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों, दोनों को कार्यान्वित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए कुल 1,533.70 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया था। इसमें, आय सृजक और स्व: रोजगार स्कीम आयोजित करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनु. जाति परिवारों हेतु मात्र रूप से विनिश्चित के रूप में अनु. जाति उप-योजना (एससीएसपी) के लिए 407.36 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) भी शामिल है। 1533.70 करोड़ रुपये के इस कुल आवंटन में से 1039.49 करोड़ रुपये अनु. जातियों के लिए 76.61 करोड़ रुपये अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, 55 करोड़ रुपये अल्पसंख्यकों के लिए, 112 करोड़ रुपये सामाजिक रक्षा के लिए और 250.6 करोड़ रुपये अपंगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए विनिश्चित किए गए हैं। वार्षिक योजना 2005-06 परिव्यय के विरुद्ध, 1313.84 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है, जो पिछड़ा वर्ग क्षेत्रक में निधियों के 85 प्रतिशत उपयोग का द्योतक है। पिछड़ा वर्ग क्षेत्रक के लिए 1,171.10 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जो मंत्रालय के कुल परिव्यय का लगभग 76.34 प्रतिशत है। 2005-06 में वित्तीय उपलब्धि की एक विशेष बात यह है कि किया गया खर्च (1313.84 करोड़ रुपये) बजट अनुमान (1,171.10

करोड़ रुपये) से 12.19 प्रतिशत अधिक था।

6.1.4 वार्षिक योजना 2005-06 के दौरान पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय स्तर पर स्कीम-वार परिव्यय और व्यय संलग्नक 6.1.1 में दिया गया है तथा राज्य क्षेत्रक में उसका ब्योरा संलग्नक 6.1.2 में दर्शाया गया है। 2005-06 के दौरान पिछड़ा वर्ग क्षेत्रक में हुआ खर्च तथा परिव्यय नीचे तालिका 6.1.1 में दिया गया है :

6.1.5 दसवीं योजना का चौथा वर्ष होने के कारण 2005-06 में, सामाजिक सशक्तीकरण, आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक न्याय की त्रिआयामीय कार्यनीति के माध्यम से अनु. जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के सामाजिक रूप से अल्पसुविधा-प्राप्त समूहों को सशक्त बनाने का उद्देश्य जारी रहा। अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास पर विशेष और संकेन्द्रित ध्यान देने के उद्देश्य से 2006-07 में एकमात्र रूप से अल्पसंख्यक मामलों का एक मंत्रालय स्थापित किया गया है। किन्तु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनु. जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करना जारी रखे है।

## सामाजिक सशक्तीकरण (“बी” स्तर शीर्ष)

6.1.6 इस तथ्य को समझते हुए कि इन अल्प-सुविधाप्राप्त समूहों का सामाजिक सशक्तीकरण केवल विद्यमान असमानताओं, विषमताओं व अन्य विद्यमान समस्याओं को विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में समस्याओं को, बुनियादी न्यूनतम सेवाओं की सुलभता व अन्य संरक्षणात्मक और प्रोन्नयन उपायों की व्यवस्था करने के अलावा, दूर करके/उनमें कटौती करके, प्राप्त किया जा सकता है।

## शैक्षिक विकास (“बी” स्तर शीर्ष)

6.1.7 सामाजिक सशक्तीकरण के लिए शिक्षा, एक बुनियादी आवश्यकता और सर्वाधिक अनिवार्य साधन होने के नाते, अनु. जाति छात्रों को स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों की राष्ट्रव्यापी प्रमुख स्कीम को 2005-06 के दौरान उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। सभी पात्र अनु. जाति छात्रों को, देश में मान्य संस्थाओं में मैट्रिक से आगे अपना अध्ययन जारी रखने के लिए, व्यावसायिक और स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों सहित, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ (पीएमएस) प्रदान की जाती हैं। पीएमएस के अन्तर्गत अनु. जातियों के बीच

तालिका 6.1.1

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान पिछड़े वर्गों के कल्याण और विकास के लिए परिव्यय और व्यय

क्रम सं.	मद	वार्षिक योजना 2005-06		वार्षिक योजना 2006-07
		बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान
1.	अनुसूचित जातियों का कल्याण और विकास	1039.49	1179.79	1250.11
	(i) केन्द्रीय क्षेत्रक (सीएस)	83.13	83.06	190.63
	(ii) केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)	549.00	689.37	609.33
	(iii) एससीएसपी के लिए एससीए	407.36	407.36	450.15
2.	अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	76.61	79.06	117.00
	(i) केन्द्रीय क्षेत्रक (सीएस)	16.50	15.23	36.00
	(ii) (सीएसएस)	60.11	63.83	81.00
3.	अल्पसंख्यकों का कल्याण	55.00	54.99	120.89
	(i) केन्द्रीय क्षेत्रक (सीएस)	55.00	54.99	120.89
	(ii) (सीएसएस)	-	-	10.00
	जोड़ 1+ 2+ 3	1171.10	1313.84	1488.00

अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए कुछ अतिरिक्त लाभों की भी व्यवस्था है। स्कीम के अन्तर्गत, साधन परीक्षण के आधार पर सभी पात्र अनु. जाति छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करने, ट्यूशन और अनिवार्य फीस की अदायगी करने की उनकी प्रतिबद्ध देनदारी के अलावा, अनुसूचित भत्ते के साथ-साथ, 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2004-05 के दौरान 319.55 करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले, लगभग 22.66 लाख अनु. जाति छात्रों की सहायतार्थ 330.26 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई। इस स्कीम के लिए वर्ष 2005-06 के आवंटन की राशि 371.59 करोड़ रुपये थी जिससे वर्ष 2005-06 के दौरान लगभग 24.99 लाख छात्रों को लाभ होने की उम्मीद है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2005-06 में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों हेतु 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई जो बजट अनुमान के अलावा थी। वर्ष 2006-07 के लिए स्कीम हेतु आवंटन की राशि 450 करोड़ रुपये है। लगभग 25 लाख छात्रों को लाभ पहुँचाने की संभावना है।

6.1.8 मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां उन बच्चों के लिए हैं जिनके माता-पिता अस्वस्थ कार्यों में लगे हैं। स्कीम का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि अस्वच्छ व्यवसायों, जैसे कि हाथ से सफाई करने वाले, टेनरों, फ्लेयर स्वीपर, में लगे माता-पिता के बच्चे, जिनके सफाई करने के साथ पारम्परिक संबंध हैं, शैक्षिक विकास को प्रोत्साहित करके निकृष्ट कार्य के जंजाल से विमुक्त किया जा सके जिससे कि मैट्रिक-पूर्व शिक्षा प्राप्त करने के लिए गतिशीलता का बुनियादी आधार उपलब्ध होता है। स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता 50 : 50 आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत आधार पर प्रदान की जाती है। वर्ष 2005-06 के दौरान 6 लाख अनु0 जाति छात्रों के लाभार्थ 16 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। वर्ष 2006-07 के लिए भी 16 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

6.1.9 एक प्रभावी तर्कसंगत दृष्टिकोण के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के बीच शैक्षिक विकास पर ऐसा ही संकेन्द्रित ध्यान देने के उद्देश्य से अन्य पिछड़े

वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां और अल्पसंख्यकों के लिए योग्यता आधारित छात्रवृत्ति को दसवीं योजना के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यक छात्रों के लिए योग्यता-आधारित छात्रवृत्तियों की एक छत्र स्कीम में मिला दिया गया था। अन्य पिछड़े छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम के अन्तर्गत खर्च हुई राशि 26.20 करोड़ रुपये थी जिससे 1.58 लाख अन्य पिछड़े वर्ग छात्रों को लाभ पहुँचा।

6.1.10 अनु0 जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के बीच अर्धबीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की उँची दर और प्रतिधारण दरों में वृद्धि करने के लिए, मिडिल, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में उनके लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टल सुविधाओं के रूप में एक बड़ी सहायता सेवा प्रदान की जाती है। स्कीम के अन्तर्गत, राज्यों को आनुपातिक आधार (50 : 50) पर और संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत सीमा तक की केन्द्रीय सहायता छात्रावास इमारत के निर्माण के लिए प्रदान की जाती है। वर्ष 2005-06 के दौरान, 2954 अनु. जाति लड़के और लड़कियों के लिए तथा अन्य पिछड़े वर्गों के 5100 लड़के और लड़कियों के लिए 36 छात्रावासों के निर्माण के लिए 32.55 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी (47 करोड़ रुपये अनु. जाति लड़के और लड़कियों के छात्रावासों के लिए तथा 14.00 करोड़ रुपये अन्य पिछड़े वर्गों के लड़के और लड़कियों के छात्रावासों के लिए)।

6.1.11 प्रशिक्षण और सम्बद्ध स्कीम के अन्तर्गत, परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों और निजी संस्थानों/विश्वविद्यालयों के माध्यम से अनु0 जाति/अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों के उम्मीदवारों को निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे कि वे सिविल सेवाओं व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्यों के साथ प्रतियोगिता कर सकें। इस स्कीम के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थानों को 50 : 50 आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100 प्रतिशत आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। एनजीओ/

विश्वविद्यालयों के लिए सहायता का वित्त पोषण 90 : 10 आधार पर किया जाता है, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एनजीओ/विश्वविद्यालय 10 प्रतिशत खर्च वहन करता है। प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करने का अन्तिम उद्देश्य विभिन्न केन्द्रीय, राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों में अनु. जाति उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व में सुधार करना है। इसे और बढ़ावा देने के लिए स्कीम में संशोधन किया गया है ताकि प्रतियोगिता के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जा सकें तथा यह एक एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से अनु0 जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के बड़ी संख्या में लाभार्थियों तक पहुँच सके। वर्ष 2005-06 के लिए स्कीम के वास्ते अनुमोदित परिव्यय की राशि 8.00 करोड़ रुपये थी तथा स्कीमों के अन्तर्गत 1,867 छात्रों को लाभ पहुँचा। अनु0 जातियों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा की एक नई स्कीम 2006-07 में शामिल की गई है तथा इसके लिए 5.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उच्च श्रेणी शिक्षा स्कीम को पहले वर्ष में 1250 छात्रों को कवर करते हुए डिग्री/स्नातकोत्तर स्तर पर कार्यान्वित किया जाएगा। मंत्रालय ने प्रबंधन, इंजीनियरी, मेडिकल, विधि, आईटी व अन्य विशेषज्ञ धाराओं में लगभग 120 उच्च श्रेणी संस्थानों का विनिर्धारण कर लिया है।

6.1.12 शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 1989 में स्थापित मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान, स्कूलों, लड़कियों के लिए रिहायशी स्कूलों/कालेजों की स्थापना/विस्तार, प्रयोगशाला भवन के निर्माण, महिलाओं के लिए कम्प्यूटर/व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना आदि सहित विभिन्न शिक्षा कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित करता है। प्रतिष्ठान, अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों पर बल देते हुए विभिन्न शैक्षिक विकास कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए एनजीओ को सहायता-अनुदान भी प्रदान करता है। वर्ष 2005-06 के दौरान प्रतिष्ठान ने 3508 छात्राओं के लाभार्थ एनजीओ/स्थानीय निकायों को 3.51 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान मंजूर किया। 100 करोड़ रुपये की विद्यमान कोरपस निधि के अलावा इसमें और वृद्धि करके प्रतिष्ठान की कोरपस निधि को दुगुना कर दिया है।

## आर्थिक सशक्तीकरण (“बी” स्तर शीर्ष)

6.1.13 अनु. जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों के आर्थिक सशक्तीकरण को दसवीं योजना में समान रूप से प्राथमिकता प्रदान की गई है, विशेष रूप से रोजगार और आय सृजक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करके निर्धनता उपशमन पर बल देते हुए। इस संबंध में, सरकारी और गैर-सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से बहुत से रोजगार-सह-आय सृजक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिनका अन्तिम उद्देश्य इन अल्पसुविधा-प्राप्त समूहों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र तथा आत्म-निर्भर बनाना है। अनु. जातियों के बीच आर्थिक विकास प्रोत्साहित करने के लिए अनु0 जाति उप-आयोजना (एससीएसपी) के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी आबादी, सापेक्ष पिछड़ेपन, एससीपी कार्यनीतियों के कार्यान्वयन के निष्पादन आदि के आधार पर, विशेष केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। एससीपी के लिए एससीएस के तहत, परिवार-उन्मुख आय सृजक स्कीमों में समर्थनकारी अवस्थापना विकास के साथ क्रान्तिक कमियों और लुप्त इनपुटों को पूरा करने के लिए अतिरिक्तता के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जिससे कि उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि हो सके। 2005-06 के दौरान, 2.73 लाख अनु0 जाति लाभार्थियों के लाभ हेतु 491.22 करोड़ रुपये का और वर्ष के दौरान 4.5 लाख परिवारों के लाभ के लिए 2006-07 के लिए 440.12 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

6.1.14 इन सामाजिक रूप से अल्पसुविधा-प्राप्त समूहों के आर्थिक विकास के लिए, विशेष रूप से देश भर में फैली रोजगार और आय सृजक स्कीमों में समन्वयन और नेटवर्किंग के माध्यम से, राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर मात्र इसी प्रयोजनार्थ विशेष वित्तीय संस्थान कार्य किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं : (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम (एनएसएफडीसी); (ii) राज्य अनु. जाति विकास निगम (एससीडीसी); (iii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी); (iv) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी); और (v) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास

और वित्त निगम (एनएमडीएफसी)। वर्ष 2005-06 के दौरान, एनएसएफडीसी के लिए बजट राशि 16.6 करोड़ रुपये थी तथा एससीडीसी के लिए 32.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। स्टाफ ऋण प्रदान करने के अलावा निगम विख्यात प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को दक्षता तथा उद्यमशीलता प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। पिछले वर्षों के दौरान एनएसएफडीसी के निष्पादन में गति आई है। 2005-06 के दौरान, दिसम्बर, 2005 तक निगम ने, 37,259 लाभार्थियों को कवर करते हुए 80.16 करोड़ रुपये के ऋण का संवितरण किया, इस अवधि के दौरान संचयी ऋण वसूली 88.2 प्रतिशत थी। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए अनु0 जातियों को लाभ प्रदान करने के लक्ष्य के साथ एनएसएफडीसी के लिए 165.29 करोड़ रुपये की राशि विनिश्चित की गई है।

6.1.15 एससीडीसी, लक्षित अनु. जाति लाभार्थियों के लिए, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए मार्जिन राशि ऋण और सबिडी प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर गारंटियों और प्रवर्तकों के रूप में कार्य कर रहा है। एससीडीसी के शेयर पूँजी निवेश में केन्द्रीय सरकार 51 प्रतिशत, राज्य हिस्से के मुकाबले 49 प्रतिशत तक, भाग ले रही है। एससीडीसी, मुख्य रूप से कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों, लघु सिंचाई, व्यापार और सेवाओं, परिवहन व अन्य ऐसे स्व:रोजगार और आय सृजक कार्यकलापों में रोजगार उन्मुख कार्यकलापों के लिए समर्थन प्रदान करता है।

6.1.16 आधार स्तर पर रोजगार और आय सृजक स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से तथा लक्षित समूह, विशेष रूप से महिला लाभार्थियों के पक्ष में ऋण सुविधाओं के सुधार के लिए लघु ऋण स्कीमों में सहायता प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)ने, राज्य चेनेलाइजिंग एजेन्सियों (एससीए) और प्रत्यायित एनजीओ के माध्यम से, या तो सीधे ही अथवा एसएचजी के माध्यम से लघु वित्त पोषण की पद्धति अपनाई है। वर्ष 2005-06 के लिए एनबीसीएफडीसी के लिए, 37,578 लाभार्थियों हेतु 58.86 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

6.1.17 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम (एनएमडीएफसी)ने, स्व:रोजगार उद्यम स्थापित और प्रोत्साहित करने तथा उद्यमशीलता और तकनीकी दक्षताओं के उन्नयन हेतु अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों को रियायती वित्त सहायता प्रदान करना जारी रखा। निगम की प्राधिकृत शेयर पूँजी 650 करोड़ रुपये है जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 422.50 करोड़ रुपये (65 प्रतिशत), राज्य/संघ राज्य सरकार का 169.00 करोड़ रुपये (26 प्रतिशत) और समूहों/व्यक्तियों का 58.50 करोड़ रुपये (9 प्रतिशत) है। प्रदत्त शेयर पूँजी 419.85 करोड़ रुपये है जिसमें से भारत सरकार ने 344.57 करोड़ रुपये और राज्य /राज्य क्षेत्र की सरकार ने 75.28 करोड़ रुपये की अदायगी की है। जबकि समूहों/व्यक्तियों से कोई योगदान प्राप्त नहीं हुआ। वर्ष 2005-06 के लिए एनएमडीएफसी के लिए 165.29 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है जिसमें से दिसम्बर, 2005 तक 8221 लाभार्थियों को लाभ पहुँचाने के लिए 34.43 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई। इसके अलावा, 3529 लाभार्थियों के लिए लघु-वित्त स्कीम के अन्तर्गत 2.94 करोड़ रुपये की राशि सांवितरित की गई।

### सामाजिक न्याय (“बी” स्तर शीर्ष)

6.1.18 इन कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनु. जातियों के लिए, जो पारम्परिक रूप से विभिन्न प्रकार की समाजार्थिक विषमताओं/असमानताओं के शिकार रहे हैं, चल रहे प्रयासों को 2005-06 के दौरान, न केवल उनके साथ बरते गए सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए बल्कि उन्हें अन्व्यों द्वारा किए गए अपराधों और अत्याचारों से बचाने के लिए भी, विद्यमान विधानों के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन और सकारात्मक कार्रवाई करके भी, प्रयास जारी रहे।

6.1.19 नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनु. जाति तथा अनु. जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम 1989, सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रचलन और इन अल्पसुविधा प्राप्त लोगों के विरुद्ध शोषण और अत्याचार के बढ़ते मामलों को रोकने/सतत समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए दो महत्वपूर्ण कानूनी उपाय हैं। एससीएण्डएसटी (पीओए)

अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत स्थल पर ही शीघ्र विचारण और मामलों को तुरंत निपटाने के लिए विशेष न्यायालयों/चल न्यायालयों की स्थापना करने की व्यवस्था है। इन अधिनियमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कई केन्द्र प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है जिनके तहत प्रशासनिक, प्रवर्तन और न्यायिक तंत्र, प्रचार को सुदृढ़ करने के लिए तथा प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और उन्हें प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एससी एण्ड एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पाण्डिचेरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अभी तक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियाँ अत्याचार निवारण (अधिनियम) 1989 के अन्तर्गत मामलों का शीघ्र विचारण सुनिश्चित करने के लिए, आन्ध्र प्रदेश (12), बिहार (11), छत्तीसगढ़ (7), गुजरात (10), कर्नाटक (7), मध्य प्रदेश (29), राजस्थान (17), तमिलनाडु (4) और उत्तर प्रदेश (40) राज्यों में कुल 137 एकमात्र विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 2005-06 में 36.91 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था जिसमें से 35.47.90 करोड़ रुपये की राशि दिसम्बर, 2005 तक जारी की गई है।

### अनुसूचित जातियों (“बी” स्तर शीर्ष) के लिए एससीपी हेतु एससीएसपी और एससीए की विशेष कार्यनीतियाँ

6.1.20 यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनु. जातियों के हितों की अनदेखी न हो, विशेष तंत्र को, अर्थात् अनु. जनजातियों के लिए अनु. जाति उप योजना (एससीएसपी) और एससीएसपी के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए), जिन्हें संबंधित विकास क्षेत्रों से आबादी के अनुपात में मात्राकरण और विनिश्चयन को सुनिश्चित करने के लिए 1970 के दशक के दौरान शुरू किया गया था, उनके निर्माण और प्रभावी/सार्थक कार्यान्वयन दोनों ही दृष्टि से और मजबूत किया जाएगा। इस संबंध में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जो नोडल एजेंसी है, इन विशेष कार्यनीतियों के कार्यान्वयन पर निकट रूप से निगरानी

रखेगा। केन्द्र में एससीएसपी के लिए एससीएसपी और एससीए के कार्यान्वयन की समीक्षा, नोडल मंत्रालय के प्रयासों की पूरकता में इन तंत्रों की कारगरता का मूल्यांकन करने के लिए, केन्द्रीय स्थायी त्रिपक्षीय समिति और राष्ट्रीय अनु. जाति और अनु. जनजाति आयोग द्वारा की जाएगी।

### केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस) (“बी” स्तर शीर्ष)

6.1.21 आठ केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस) हैं जिन्हें अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से पोषित किया जाता है (सीएसएस के ब्योरो पर पूर्ववर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है)। सीएसएस के अन्तर्गत वित्त पोषण पद्धति निम्नप्रकार है : (i) अनु. जाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ तथा पुस्तक बैंक (100 प्रतिशत); (ii) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियाँ (100 प्रतिशत); (iii) अनु. जाति, अन्य पिछड़े वर्गों व कमजोर वर्गों के लिए छात्रावास (50 : 50 और 90 : 10 एनजीओ और विश्वविद्यालयों के लिए); (iv) अनु. जाति विकास निगम (एससीडीसी) (50 : 50), न्यून साक्षरता क्षेत्र से संबंधित लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम (100 प्रतिशत), दसवीं योजना में छटनी कर दी गई; (v) अनु. जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रशिक्षण तथा सम्बद्ध स्कीम (50 : 50 तथा विश्वविद्यालयों के लिए 90 : 10); (vi) अनु. जाति छात्रों की योग्यता का उन्नयन (100 प्रतिशत); (vii) पीसीआर अधिनियम, 1955 और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम 1989 का कार्यान्वयन (50 : 50); और (viii) अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए योग्यता आधारित छात्रवृत्तियाँ (50 : 50)।

### स्वैच्छिक संगठन (“बी” स्तर शीर्ष)

6.1.22 आधार स्तर पर सेवाएं प्रदान करने में स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, उन्हें न केवल इन अल्पसुविधाप्राप्त समूहों को विभिन्न कल्याण तथा विकास सेवाएं प्रदान करने के सरकारी प्रयासों को पूरक बनाने के लिए बल्कि अस्पृश्यता और सामाजिक तथा आर्थिक शोषण जैसी बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सरकार तथा लक्ष्य समूहों की भी सहायता करने के

लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस स्कीम के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा, सामान्य/ तकनीकी/ व्यावसायिक शिक्षा की, स्कूल-पूर्व शिक्षा सहित, सुविधाएं प्रदान करने जैसे कार्यकलापों, मेडिकल केन्द्रों, औषधालयों तथा आय सृजक कार्यकलापों, मेडिकल केन्द्रों, औषधालयों तथा आय सृजक कार्यकलापों, जैसे कि अनेक प्रकार के वाणिज्यिक व्यापार तकनीकी प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक, स्वैच्छिक संगठन को सहायता-अनुदान दिया जाता है। वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान (दिसम्बर, 2005 तक) देश भर में फैले 311 एनजीओ को 21.34 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान मंजूर किया गया है जिससे 36,459 लाभार्थी लाभान्वित हुए।

#### राज्य क्षेत्रक (“बी” स्तर शीर्ष)

6.1.23 राज्य क्षेत्रक को, जो कार्यक्रमों के वास्तविक

कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, न केवल विभिन्न कल्याण और विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए बल्कि एससीपी के लिए एससीएसपी और एससीए की विशेष कार्यनीतियों का इष्टतम और सार्थक पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए भी और सुदृढ़ किया जाएगा। इस संबंध में ऐसी स्कीमों/कार्यक्रमों के शीघ्र और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भी, जिनका प्राप्तियोग्य/मानीटरयोग्य लक्ष्यों पर प्रभाव पड़ता है- जैसाकि लाभप्रद उच्च कोटि रोजगार, शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, शिशु मृत्यु दर में कटौती, मातृ मृत्यु दर में कटौती, गरीबी में कटौती, वन और वृक्ष कवर में वृद्धि आदि से संबंधित विशेष रूप से एससी पर बल देते हुए, दसवीं योजना में निर्धारित किया गया है/प्रयास किए जाएंगे। वार्षिक योजना 2005-06 में, अनु. जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए, राज्य क्षेत्रक में 612.49 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
पिछड़ा वर्ग क्षेत्रक (अनु. जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक)  
स्कीम-वार वित्तीय परिव्यय और व्यय

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	वर्ष		
		2005-06		2006-07
		ब. अ.	वास्तविक व्यय	ब. अ.
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम (सी एस)</b>			
1	विशेष घटक योजना (एससीपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)	407.36	407.36	450.15
2	कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम	74.60	75.69	165.29
3	अनु. जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए एनजीओ को जीआईए	33.00	30.66	38.50
4	डा० बी. आर. अम्बेडकर प्रतिष्ठान	1.00	1.00	1.00
5	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के लिए सहायता अनुदान	30.00	29.90	100.00
6	कक्षा VI से XII में अध्ययन करने के लिए अनु. जातियों के लिए रिहायशी स्कूलों की स्थापना	5.00	0.00	0.01
	<b>नई स्कीम</b>			
7	अनु. जातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	16.03	16.03	35.13
8	हाथ से सफाई करने वालों के पुनर्वास के लिए स्व: रोजगार स्कीम	0.00	0.00	1.00
9	अनु. जातियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा	0.00	0.00	5.00
	<b>जोड़- I</b>	<b>566.99</b>	<b>560.64</b>	<b>796.08</b>
<b>II</b>	<b>केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)</b>			
10	अनु. जाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां तथा पुस्तक बैंक	379.59	548.02	450.00
<b>II</b>	<b>अस्वच्छ व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां</b>	<b>16.00</b>	<b>10.80</b>	<b>16.00</b>
12	अनु. जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और कमजोर वर्गों के लिए छात्रावास	61.00	70.17	83.00
13	अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी)	32.50	31.50	34.00
14	अनु. जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों व अन्य कमजोर वर्गों के लिए प्रशिक्षण “ ए” सम्बद्ध स्कीम	8.00	2.39	8.00
15	अनु. जाति छात्रों की योग्यता का उन्नयन	23.00	6.22	3.01
16	पीसीआर अधिनियम 1955 और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम 1989 का कार्यान्वयन	37.91	38.19	37.91
17	झाड़ूकशों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्कीम			
18	अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां- (i) अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व तथा मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्तियां (ii) अन्य पिछड़े वर्ग छात्रों के लिए योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां (iii) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां	46.11	45.91	60.00
	<b>जोड़-II</b>	<b>604.11</b>	<b>753.20</b>	<b>691.92</b>
	<b>कुल जोड़ I+II</b>	<b>1171.10</b>	<b>1313.84</b>	<b>1488.00</b>

योजना परिव्यय तथा व्यय-सामाजिक रूप से अल्पसुविधाप्राप्त समूह (अनु. जातियां, अन्य पिछड़े वर्ग, तथा अल्पसंख्यक)- (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	वाषिक योजना		
		2005-06		2006-07
		ब. अ.	सं. अ.	ब. अ.
1	2	3	4	5
	राज्य			
1	आन्ध्र प्रदेश	103095	88790	156153
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
3	असम	1676	1676	NA
4	बिहार	7079	5896	13361
5	छत्तीसगढ़	22208	21244	18899
6	गोवा	181	181	182
7	गुजरात	43130	43130	48705
8	हरियाणा	3000	3000	4000
9	हिमाचल प्रदेश	2200	2249	3614
10	जम्मू और कश्मीर	1117	1117	1147
11	झारखंड	22338	12376	14788
12	कर्नाटक	30421	32120	51794
13	केरल	16145	18371	18447
14	मध्य प्रदेश	23965	32681	26819
15	महाराष्ट्र	118572	118572	120090
16	मणिपुर	2323	2323	2197
17	मेघालय	11	11	12
18	मिजोरम	-	-	-
19	नागालैण्ड	-	-	-
20	उड़ीसा	15353	6829	12125
21	पंजाब	10716	10716	725
22	राजस्थान 7455.93	16060	16731	15844
23	सिक्किम	450	460	510
24	तमिलनाडु	30365	40312	NA
25	त्रिपुरा	3587	3677	3907
26	उत्तर प्रदेश	100050	89918	112780
27	उत्तरांचल	20120	20204	27630
28	पश्चिम बंगाल	10868	10868	11214
	योग् -राज्य	<b>605030</b>	<b>583452</b>	<b>664943</b>
	संघ राज्य क्षेत्र			
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	428.00	428.00	428.00
2	चंडीगढ़	86.00	86.00	NA
3	दादरा व नागर हवेली	-	-	-
4	दमन और दीव	31.00	3100.00	4100.00
5	दिल्ली	4057.00	3945.00	3744.00
6	लक्षद्वीप	-	-	-
7	पांडिचेरी	1617.00	1796.29	1947.00
	योग- संघ राज्य क्षेत्र	<b>6219.00</b>	<b>9355.29</b>	<b>10219.00</b>
	कुल योग	<b>611249</b>	<b>592807</b>	<b>675162</b>

स्रोत : राज्य योजना प्रभाग

## 6.2 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां (“ए” स्तर शीर्ष)

6.2.1 सरकार द्वारा कर्यान्वित किए जा रहे नियोजित विकास की पद्धति के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, विकास तथा सशक्तीकरण के लिए विशेष चिन्ता और प्रतिबद्धता सम्मिलित है, जो न केवल अभी भी समाजार्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित हैं बल्कि अपेक्षाकृत पृथक हैं। 2001 जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या 84.4 मिलियन है जो देश की कुल आबादी का 8.2 प्रतिशत है। ये 30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बटे हुए हैं। 75 आदिम जनजातियां हैं (पीटीजी) जिनकी आबादी 1991 की सांख्यिकी के अनुसार 1.32 मिलियन (1.95 प्रतिशत) है। यद्यपि अनु. जनजातियां सामान्य रूप से शेष समाज से काफी पिछड़ी हुई हैं, किन्तु पीटीजी की स्थिति शेष जनजातियों से भी बुरी है।

6.2.2 जनजातियों की स्थिति सुधारने में संकेन्द्रित ध्यान सुनिश्चित करने के लिए मात्र रूप से जनजातीय मामले मंत्रालय, जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) कार्यनीति के साथ-साथ विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी निष्पादन के लिए आयोजनाएं और नीतियां तैयार और उनका समन्वयन करता है। इस प्रयास में, राज्य सरकार, स्वायत्त निकायों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से, विशेष रूप से कमी वाले क्षेत्रों में, संकेन्द्रित विकास कार्यवाही करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान में, अनु. जनजातियों का कल्याण प्रोत्साहित करने और अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन का स्तर उँचा उठाने के लिए अनुच्छेद 275 (1) के तहत विशेष वित्तीय सहायता का प्रावधान है। राज्यों के लिए निधियन का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत, जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से है ताकि राज्यों को उनकी टीएसपी में क्रान्तिक कर्मियों को पूरा करने के लिए आय/रोजगार सृजन अवसरों, व्यावसायिक दक्षताओं के उन्नयन, उद्यमशीलता के लिए सहायता आदि की विभिन्न स्कीमों पर बल देते हुए, सहायता प्रदान की जा सके।

6.2.3 अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा और लघु वन

उत्पाद पर मिल्कियत आजीविका की दृष्टि से वन भूमि पर उनके साथ किए गए अन्याय को समाप्त करने के लिए संसद में 13 दिसम्बर, 2005 को अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) पेश किया गया है। दसवीं योजना प्रतिबद्धताओं के अनुसरण में, जनजातीय मामले मंत्रालय ने वन ग्रामों के विकास के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। 2005-06 के दौरान शुरू की गई पहलों में, अनु. जनजाति की मिल्कियत वाली भूमि के लिए लघु सिंचाई हेतु और अनु. जनजाति छात्रों को अध्येतावृत्तियां प्रदान करने और दिल्ली विश्वविद्यालय में अनु. जनजाति छात्राओं के लिए राजीव गांधी छात्रावास के निर्माण के लिए विनिश्चित निधियों का प्रावधान सम्मिलित है।

## वार्षिक योजना 2005-06 की समीक्षा (“बी” स्तर शीर्ष)

6.2.4 अनु. जनजातियों के सशक्तीकरण के लिए अपनाई गई त्रिआयामीय नीति निम्नलिखित के माध्यम से वार्षिक योजना 2004-05 में जारी रही : (i) सामाजिक सशक्तीकरण, विशेष रूप से शैक्षिक विकास के माध्यम से ; (ii) रोजगार और आय सृजक तथा निर्धनता उपशमन कार्यकलापों के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण; और (iii) विद्यमान कानून के प्रभावी कार्यान्वयन और अन्य संरक्षणात्मक उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के जरिए सामाजिक न्याय, जो जनजातियों के सशक्तीकरण के लिए मार्गदर्शक उद्देश्य और कार्यनीति है। वार्षिक योजना 2005-06 के दौरान, नोडल जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा जनजातियों के कल्याण और विकास तथा सशक्तीकरण हेतु कुल 13 स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनमें 10 केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम और 3 केन्द्र प्रायोजित स्कीम सम्मिलित हैं। केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए 2005-06 में 391.81 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के लिए 727.01 करोड़ रुपये की राशि और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निर्धारित करते हुए संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत सहायता अनुदान हेतु 380.00 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई थी। केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत हुए खर्च की राशि 323.08 करोड़ रुपये है जो निर्धारित परिव्यय

के 82.47 प्रतिशत उपयोग को प्रदर्शित करती है। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत टीएसपी और जीआईए के लिए एससीए हेतु सम्पूर्ण आवंटन 2005-06 में राज्यों को जारी कर दिया गया है।

6.2.5 2005-06 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए परिव्यय नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	मद	वार्षिक योजना	
		बजट अनुमान	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनु. जनजातियों का कल्याण और विकास	1498.82	1391.90
i)	केन्द्रीय क्षेत्रक	124.81	86.04
ii)	सीएसएस	267.00	237.04
iii)	टीएसपी के लिए एससीए	727.01	688.82
iv)	संविधान का अनुच्छेद 275 (1)	380.00	380.00

### सामाजिक सशक्तीकरण (“बी” स्तर शीर्ष)

6.2.6 महिला साक्षरता दर में सुधार पर विशेष बल देते हुए जनजातियों का सशक्तीकरण मुख्यतः शैक्षिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रोत्साहन के माध्यम से पूरा हो जाएगा। जनजातियों के बीच शैक्षिक विकास के लिए कार्यान्वित स्कीमें निम्नलिखित तीन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें हैं : (i) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां (पीएमएस), पुस्तक बैंक और अनु. जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन; (ii) अनु. जाति छात्रों (लड़के और लड़कियाँ) के लिए छात्रावास; (iii) टीएसपी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल; और (iv) निम्न साक्षरता पाकेटों में एक शैक्षिक परिसर की केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों (पीएमएस), पुस्तक बैंकों और अनु. जनजातियों के छात्रों की योग्यता के उन्नयन की स्कीम के अन्तर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी प्रतिबद्ध देनदारियों के अलावा 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2005-06 के दौरान कुल 240.50 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। 2005-06 के बजट अनुमान स्तर पर 240.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया

गया था और उसे वास्तविक स्तर पर कम करके 211.20 करोड़ रुपये कर दिया गया। अनुमान है कि 2005-06 के दौरान लगभग 8.75 लाख अनु. जनजाति छात्रों ने, जिनमें 2.95 लाख छात्राएं शामिल थी और मैट्रिकोत्तर अध्ययन कर रहे थे, 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएस का लाभ उठाया। योग्यता के उन्नयन कार्यक्रम के अन्तर्गत छः राज्यों, यथा केरल, राजस्थान, त्रिपुरा, सिक्किम, मध्य प्रदेश और गुजरात तक सहायता-अनुदान का विस्तार किया गया जिससे 20 अक्टूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार 658 छात्रों को लाभ पहुँचा। एक अग्रणी कार्यक्रम होने के नाते, पीएमएस, पुस्तक बैंकों और अनु. जनजाति छात्रों की योग्यता के उन्नयन की पुनर्संरचित स्कीम पर 2006-07 के दौरान अनु. छात्रों के बीच शैक्षिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त बल देते हुए जारी रखा जाएगा जिसके लिए 224.58 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

6.2.7 शैक्षिक विकास के लिए, एक ओर दाखिले और प्रतिधारण को प्रोत्साहित करते हुए और दूसरी ओर अधबीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की दर को कम करने के लिए, विशेष रूप से अनु. जनजाति की लड़कियों के बीच साक्षरता दर पर बल देते हुए, अनु. जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावासों की एक स्कीम 1989-90 में शुरू की गई थी। यद्यपि स्कीम को 2005-06 के शुरू में राज्यों को हस्तान्तरित करना तय हुआ था किन्तु बाद में इसके महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, इसे सीएसएस के रूप में जारी रखने का निर्णय लिया गया जिसके लिए 13 नए अनु. जनजाति लड़के और लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण के लिए तथा 149 छात्रावासों के लिए बकाया अनुदानों को कवर करने के लिए 15.65 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। पूर्वोत्तर राज्यों से अनु. जनजाति लड़कियों के बीच शिक्षा को सुकर बनाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में एकमात्र छात्रावास के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है और उसकी आधारशीला रख दी गई है।

6.2.8 टीएसपी क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की एक सीएसएस स्कीम है जिसे 21 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। आश्रम स्कूलों के कामकाज

की समीक्षा करने से पता चला है कि इन बहुत से रिहायशी स्कूलों में न केवल बुनियादी सुविधाओं का अभाव है बल्कि उनका अनुरक्षण भी असंतोषजनक है। दस आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए वर्ष 2005-06 के लिए आश्रम स्कूलों के वास्ते केन्द्रीय परिव्यय की राशि 6.00 करोड़ रुपये थी। जनजातियों के शैक्षिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, अनु. जनजाति लड़कियों, आदिम जनजातियों (पीटीजी) के बच्चों, प्रवासी और खानाबदोश अनु. जनजातियों पर बल देते हुए रिहायशी सुविधाओं का निर्माण किया जाता है। केन्द्र से राज्यों को 50 प्रतिशत का अनुपातिक हिस्सा प्रदान किया जाता है, तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सहायता मुख्यतः आश्रम स्कूल इमारतों, छात्रावासों और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए दी जाती है।

6.2.9 उपरोक्त के अलावा एक अन्य शैक्षिक कार्यक्रम, अर्थात् जनजातीय इलाकों में अनु. जनजाति लड़कियों के लिए औपचारिक और साथ ही व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान करने के लिए निम्न साक्षरता पाकेटों में शैक्षिक परिसरों की स्कीम 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम को, एनजीओ, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों, स्थानीय निकायों, सहकारी सोसायटियों आदि के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस समय स्कीम के अन्तर्गत 11 राज्यों में 136 जिले शामिल हैं। इसके लिए 2005-06 के लिए बजट में 6.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसके विपरीत बताया गया है कि मंत्रालय ने 20 फरवरी 2006 तक 3.78 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया था।

### आर्थिक सशक्तीकरण (“बी” स्तर शीर्ष)

6.2.10 अनुसूचित जनजातियों के सशक्तीकरण के लिए, आर्थिक विकास, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विकास अत्यावश्यक है। वार्षिक योजना 2005-06 के दौरान रोजगार और आय सृजक कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करके उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। अधिक उत्पादक ढंग से आय और रोजगार सृजन कार्यक्रमों

शुरू करने के लिए अनु. जनजातियों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण तथा दक्षता उन्नयन पर भी विशेष बल दिया गया। विद्यमान शीर्ष संगठन हैं : (i) राष्ट्रीय अनु. जनजाति वित्त तथा विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), (ii) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि0 (ट्राइफेड), और (iii) राज्य अनु. जनजाति विकास वित्त निगम (एसएसटीडीएफस), इन्हें बढ़े हुए परिव्यय के साथ मजबूत बनाया गया है। उम्मीद है कि ये निगम और सहकारिताएं लघु-स्तर एजेन्सियों के लिए ऋण तथा विपणन सुविधाओं के लिए “अग्र” तथा “पृष्ठ” दोनों प्रकार का संयोजन कायम करने के अलावा उत्प्रेरक एजेन्टों की भूमिका निभाएंगी।

6.2.11 राष्ट्रीय अनु. जाति और अनु. जनजाति वित्त और विकास निगम से अलग करके एनएसटीएफडीसी की स्थापना अप्रैल 2001 में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत एक गैर-लाभ अर्जक निकाय के रूप में, एक सरकारी कम्पनी के रूप में की गई थी। निगम की प्राधिकृत शेयर पूँजी 500 करोड़ रुपये है। सावधि ऋण, सीड ऋण, अन्तराल ऋण आदि, विनिर्धारित व्यापार/व्यवसाय/ पेशों व दक्षता उन्नयन जैसे अन्य आर्थिक कार्यक्रमों के लिए रियायती ब्याज दरों पर उदार ऋण के रूप में, विद्यमान राज्य अनु. जनजाति वित्त तथा विकास निगम को सहायता प्रदान करने के अलावा, अनु. जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए स्कीमों/परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु यह शीर्ष संस्थान है। वार्षिक योजना 2005-06 के दौरान, आय और रोजगार सृजक कार्यक्रमों आयोजित करने के लिए अनु. जनजाति लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के वास्ते, एनएसटीएफडीसी के लिए 30.00 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई थी।

6.2.12 भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लि0 (ट्राइफेड) की स्थापना 1987 में, अनु. जनजातियों को उनके गौण वन उत्पाद (एमएफपी) तथा अधिशेष कृषि उत्पाद (एसएपी) के लिए विपणन सहायता और लाभप्रद कीमतें प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से, और इस प्रकार बिचोलियों और साहूकारों द्वारा जनजातियों के शोषण को कम करने में मदद देने के लिए, की गई थी। वार्षिक

योजना 2005-06 में 10.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का आवंटन किया गया है। वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान, ट्राइफेड ने जनजातियों के आजीविका अवसरों में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप आयोजित किए :

- (i) आय सृजन
- (ii) दक्षता उन्नयन
- (iii) जंगली शहद, गम कार्य, सफेद मूसली और स्टेविआ की वैज्ञानिक खेती और संग्रहण और उगाने के लिए प्रशिक्षण।

6.2.13 अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरकता के रूप में केन्द्र, राज्य जनजातीय विकास, सहकारी निगम (एसटीडीसीसी) के लिए सहायता-अनुदान की स्कीम के तहत, एसटीडीसीसी द्वारा संभारतंत्र, वेयरहाउस सुविधाओं के साथ एमएफपी प्राप्त करने उपभोग ऋण प्रदान करके, मूल्य वर्धन व अन्य संयोजनों के प्रयास में, जनजातीय लाभार्थियों के आर्थिक विकास के अन्तिम उद्देश्य से, सहायता प्रदान करने के लिए निधियां उपलब्ध करा रहा है। वर्ष 2005-06 के दौरान, नौ राज्यों के एसटीडीसी के लिए 12.84 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी।

6.2.14 एनजीओ के लिए सहायता अनुदान की स्कीम जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के समाजार्थिक विकास के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय व अन्य सहायता प्रदान करके, कार्यान्वित की जा रही है। इन एनजीओ द्वारा कार्यक्रम के तहत बहुत सी कल्याण और विकास परियोजनाएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें रिहायशी स्कूल, छात्रावास व्यावसायिक प्रशिक्षण, मेडिकल चल औषधालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण यूनिट, आशुलिपि और टाइपिंग प्रशिक्षण, बालवाड़ी/शिशुगृह आदि शामिल हैं। स्कीम के अन्तर्गत प्रदान किया जाने वाला अनुदान सामान्यतः परियोजना की कुल अनुमोदित लागत के 90% तक सीमित होता है तथा शेष 10% स्वैच्छिक संगठनों द्वारा वहन किया जाता है। वार्षिक योजना 2005-06 में स्कीम के लिए 26.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। 2005-06 में स्कीम के अन्तर्गत 62 स्वैच्छिक एजेन्सियों

और एनजीओ को सहायता प्रदान की गई।

### सामाजिक न्याय (“बी” स्तर शीर्ष)

6.2.15 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 75 विनिर्धारित आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) हैं जिनकी आबादी 1991 में अनुमानतः 1.32 मिलियन थी। पीटीजी की अनिवार्यतः चार विशेषताएं हैं: अर्थात् (i) स्थिर और घटती आबादी; (ii) पिछड़ापन तथा पृथक्करण; (iii) कृषि पूर्व-स्तर-प्रौद्योगिकी; और (iv) साक्षरता का न्यून स्तर। क्योंकि पीटीजी अधिक अन्दरूनी इलाकों में रहते हैं, जो सामान्यतः दुर्गम हैं तथा निर्वहन के घटते स्रोतों के साथ, वे भूख/भुखमरी, कुपोषण और अस्वस्थता के जल्द शिकार होते हैं। उनमें से कुछेक तो लुप्त होने के कगार पर हैं। इसलिए, उनके संरक्षण, उत्तरजीविता और विकास के लिए आदिम जनजातीय स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। 25.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी तथा 16 राज्य सरकारों और 13 स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से उसका पूर्णतः उपयोग कर लिया गया था।

6.2.16 भारत के संविधान में की गई प्रतिबद्धता की पूर्ति और जनजातियों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (पीसीआर अधिनियम) और अनु0 जाति और अनु. जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम 1989 (पीओए अधिनियम) के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, केन्द्रीय हिस्सा उपलब्ध कराया जाता है। अनु. जातियों और अनु. जनजातियों को सामाजिक भेदभाव और अत्याचारों से बचाने के लिए ये दो महत्वपूर्ण कानूनी उपाय हैं।

6.2.17 केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 2006-07 में जनजातीय मामले मंत्रालय के लिए 440.19 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) के रूप में 820 करोड़ रुपये की राशि और संविधान के अनुच्छेद 215 (i) के अन्तर्गत सहायता अनुदान के रूप में 500 करोड़ रुपये

की भी व्यवस्था वार्षिक योजना 2006-07 के लिए की गई है। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए योजना परिव्यय का राज्य-वार विभाजन (केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित स्कीमें) संलग्न हैं, जिसका सारांश निम्न प्रकार है :

6.2.18 माननीय प्रधानमंत्री ने 27 जून, 2005 को आयोजित एनडीसी बैठक में इस बात पर बल दिया था कि “एससीएसपी और टीएसपी प्रावधानों को परस्पर रूप में बदला नहीं जा सकता” तथा वे व्यपगत नहीं हो सकते, जिसका स्पष्ट उद्देश्य 10 वर्ष की अवधि के अन्दर अनु. जातियों और अनु. जनजातियों की समाजार्थिक स्थिति में अन्तर को पाटना है। इसके अनुसरण में योजना आयोग द्वारा, राज्य/संघ राज्य स्तर पर एससीएसपी/टीएसपी के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित विद्यमान अनुदेशों को दोहराते हुए विस्तृत मार्गनिर्देश और अतिरिक्त मार्गनिर्देश भी जारी किए गए हैं जिनमें इस बात पर पुनः बल दिया गया है कि (i) राज्य के कुल योजनागत परिव्यय से एससीएसपी/टीएसपी के लिए निधियों का विनिश्चयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल आबादी के अनुपात में अनु. जातियों और अनु. जनजातियों की आबादी के अनुसार किया जाना चाहिए; (ii) एससीएसपी और टीएसपी की निधियों का विचलन नहीं किया जा सकता है और वे व्यपगत नहीं हो सकती; (iii) एससीएसपी और टीएसपी के तहत निधियों का विनिश्चयन न किए जाने पर योजना आयोग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के संबंध में अनुमोदन नहीं किया जा सकेगा।

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष का नाम	वार्षिक योजना
1.	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम (सीएस)	158.61
2.	केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)	281.58
3.	विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)	820.00
4.	भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत जीआईए	500.00
	जोड़	1760.19

6.2.19 योजना आयोग ने पहली बार डा0 चन्द्र पाल,

प्रधान सलाहकार, (एससीएसपी/टीएसपी, एमएलपी, एसजे, एलईएम, एसपीई) के प्रभार में “अनुसूचित जाति उप योजना और जनजातीय उपयोजना यूनिट” स्थापित किया है। यह यूनिट, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के संबंध में अन्तर मंत्रालयीय कार्यदल की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन और मानीटरन तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की एससीएसपी और टीएसपी का मानीटरन और समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया है।

6.2.20 एससीएसपी और टीएसपी के संबंध में वार्षिक योजना 2006-07 के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए योजना आयोग में डा0 चन्द्र पाल, प्रधान सलाहकार (एससीएसपी/टीएसपी, एमएलपी, एसपी-ई, एसजे और एलईएम) की अध्यक्षता में कार्य दल की बैठकें आयोजित की गईं। इस संबंध में, वार्षिक योजना 2006-07 को अनुमोदन प्रदान करने से पहले एससीएसपी और टीएसपी के संबंध में अनुपालन हेतु निम्नलिखित सिफारिशों की गईं:

1. राज्य सरकारें विस्तृत एससीएसपी और टीएसपी दस्तावेज प्रस्तुत करें जिनमें भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का स्कीम-वार ब्योरा दर्शाया जाए।
2. राज्य सरकारें राज्य में अनु. जाति और अनु. जनजातियों की आबादी के अनुपात में, वार्षिक योजना 2006-07 के लिए सहमत कुल परिव्यय में से राज्यों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को छोड़कर, योजना आयोग द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार एससीएसपी और टीएसपी के लिए निधियों का विनिर्धारण करें।
3. राज्य सरकारें एससीएसपी और टीएसपी के लिए, उन्हें अविचलनयोग्य बनाने के लिए, पृथक बजट शीर्षों का सृजन करें।
4. राज्य सरकारों ने एससीएसपी/ टीएसपी के अधीन स्कीम का योजना तैयार करने और मानीटरन के लिए, वित्तीय शक्तियों के साथ, प्रधान सचिव, एसजे और जनजाति कल्याण का नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया है।

5. राज्य सरकारों ने एससीएसपी/टीएसपी निधियों को अविचलन योग्य और अ-व्यपगत योग्य बना दिया है।

6.2.21 अधिकांश राज्यों ने अनुदेशों का अनुपालन किया है और योजना आयोग ने उन कुछेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक योजना 2006-07 परिव्ययों के संबंध में सशर्त अनुमोदन पत्र जारी किया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें उनके यहाँ अनुसूचित जाति/अनु. जनजातियों की आबादी के अनुपात में राज्य की कुल योजना निधियों में से एससीएसपी और टीएसपी आवंटन विनिश्चित करेंगी।

6.2.22 अधिकांश राज्य सरकारों ने, योजना आयोग के मार्गनिर्देशों का पालन करते हुए संशोधित एससीएसपी और टीएसपी प्रस्तुत कर दी है। योजना आयोग ने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनु. जाति और अनु. जनजाति आबादी की प्रतिशतता के अनुपात में एससीएसपी और टीएसपी के लिए निधियां विनिश्चित करने के लिए योजना आयोग के एससीएसपी और टीएसपी मार्गनिर्देशों का कठोरतः पालन करने के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखे हैं।

6.2.23 मंत्रिमंडल ने, दलितों के कल्याण और विकास से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन की कारगरता पर एक समेकित ढंग से निगरानी रखने के वास्ते रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में, दलित मामलों के संबंध में मंत्रियों की एक समिति गठित की है। समिति ने 21 जून, 2005 को आयोजित अपनी बैठक में छः उप-समूह गठित किए थे। “भूमि, साझे सम्पत्ति संसाधन और आवासन” विषय पर उप-समूह के अध्यक्ष श्री शरद पवार हैं। उप-समूह के सदस्यों में सम्मिलित हैं : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री और श्री प्रियरंजन दास मुंशी, जल संसाधन मंत्री तथा सचिव, ग्रामीण विकास इसके संयोजक हैं। योजना आयोग उप-समूह का सदस्य नहीं है, किन्तु “बजटीय पद्धति (एससीएसपी)” विषय पर उप-समूह-III के संयोजन का कार्य, सचिव- योजना आयोग को सौंपा गया है। उप-समूह-III के सदस्य हैं : श्री राम विलास पासवान, रसायन,

उर्वरक मंत्री और श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री और श्री मोन्टेक सिंह आहलुवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग इसके अध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी, रक्षा मंत्री हैं।

### उप-समूह-I भूमि साझे सम्पत्ति संसाधन और आवासन

6.2.24 श्री शरद पवार, कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की अध्यक्षता वाले इस उप-समूह-I के सदस्य हैं : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री और श्री प्रियरंजन दास मुंशी, जल संसाधन मंत्री।

6.2.25 सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इस उप समूह के संयोजक हैं।

उप-समूह-II : शिक्षा और दक्षता विकास (श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में)

उप-समूह-III : बजटीय पद्धति (एससीएसपी) (श्री प्रणव मुखर्जी, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में)

उप-समूह-IV: दलितों का सशक्तीकरण तथा आरक्षण (श्री शिवराज वी. पाटिल, गृह मंत्री की अध्यक्षता में)

उप-समूह-V: हाथ से सफाई करने वालों की मुक्ति और पुनर्वास (श्रीमती मीरा कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में)

उप-समूह-VI: दलितों का कल्याण और विकास (श्री राम विलास पासवान, रसायन और उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में)

### वार्षिक योजना 2006-07 के लिए अनुसूचित जातियों के लिए अनु. जाति उप-योजना और अनु. जनजातियों के लिए जनजातीय उप-योजना (“बी” स्तर शीर्ष)

6.2.26 माननीय प्रधानमंत्री ने 27 जून, 2005 को आयोजित एनडीसी बैठक में इस बात पर बल दिया था कि “एससीएसपी और टीएसपी प्रावधानों को परस्पर रूप में बदला नहीं जा सकता” तथा वे व्यपगत नहीं हो सकते, जिसका स्पष्ट

उद्देश्य 10 वर्ष की अवधि के अन्दर अनु. जातियों और अनु. जनजातियों की समाजार्थिक स्थिति में अन्तर को पाटना है। इसके अनुसरण में योजना आयोग द्वारा, राज्य/संघ राज्य स्तर पर एससीएसपी/टीएसपी के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित विद्यमान अनुदेशों को दोहराते हुए विस्तृत मार्गनिर्देश और अतिरिक्त मार्गनिर्देश भी जारी किए गए हैं जिनमें इस बात पर पुनः बल दिया गया है कि (i) राज्य के कुल योजनागत परिव्यय से एससीएसपी/टीएसपी के लिए निधियों का विनिश्चयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल आबादी के अनुपात में अनु. जातियों और अनु. जनजातियों की आबादी के अनुसार किया जाना चाहिए; (ii) एससीएसपी और टीएसपी की निधियों का विचलन नहीं किया जा सकता है और वे व्यपगत नहीं हो सकती; (iii) एससीएसपी और टीएसपी के तहत निधियों का विनिश्चयन न किए जाने पर योजना आयोग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के संबंध में अनुमोदन नहीं किया जा सकेगा।

6.2.27 योजना आयोग ने पहली बार डा0 चन्द्र पाल, प्रधान सलाहकार, (एससीएसपी/ टीएसपी, एमएलपी, एसजे, एलईएम, एसपीई) के प्रभार में “अनुसूचित जाति उप योजना और जनजातीय उपयोजना यूनिट” स्थापित किया है। यह यूनिट, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के संबंध में अन्तर मंत्रालयीय कार्यदल की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन और मानीटरन तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की एससीएसपी और टीएसपी का मानीटरन और समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया है।

6.2.28 एससीएसपी और टीएसपी के संबंध में वार्षिक योजना 2006-07 के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए योजना आयोग में डा0 चन्द्र पाल, प्रधान सलाहकार (एससीएसपी/टीएसपी, एमएलपी, एसपी-ई, एसजे और एलईएम) की अध्यक्षता में कार्य दल की बैठकें आयोजित की गईं। इस संबंध में, वार्षिक योजना 2006-07 को अनुमोदन प्रदान करने से पहले एससीएसपी और टीएसपी के संबंध में अनुपालन हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की गईं: (i) राज्य सरकारें विस्तृत एससीएसपी और टीएसपी

दस्तावेज प्रस्तुत करें जिनमें भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का स्कीम-वार ब्योरा दर्शाया जाए।

- (ii) राज्य सरकारें राज्य में अनु. जाति और अनु. जनजातियों की आबादी के अनुपात में, वार्षिक योजना 2006-07 के लिए सहमत कुल परिव्यय में से राज्यों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को छोड़कर, योजना आयोग द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार एससीएसपी और टीएसपी के लिए निधियों का विनिर्धारण करें।
- (iii) राज्य सरकारें एससीएसपी और टीएसपी के लिए, उन्हें अविचलनयोग्य बनाने के लिए, पृथक बजट शीर्षों का सृजन करें।
- (iv) राज्य सरकारों ने एससीएसपी/ टीएसपी के अधीन स्कीम का योजना तैयार करने और मानीटरन के लिए, वित्तीय शक्तियों के साथ, प्रधान सचिव, एसजे और जनजाति कल्याण का नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया है।
- (v) राज्य सरकारों ने एससीएसपी/टीएसपी निधियों को अविचलन योग्य और अ-व्यपगत योग्य बना दिया है।

6.2.29 अधिकांश राज्यों ने अनुदेशों का अनुपालन किया है और योजना आयोग ने उन कुछेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक योजना 2006-07 परिव्ययों के संबंध में सशर्त अनुमोदन पत्र जारी किया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें उनके यहाँ अनुसूचित जाति/अनु. जनजातियों की आबादी के अनुपात में राज्य की कुल योजना निधियों में से एससीएसपी और टीएसपी आवंटन विनिश्चित करेंगी।

6.2.30 अधिकांश राज्य सरकारों ने, योजना आयोग के मार्गनिर्देशों का पालन करते हुए संशोधित एससीएसपी और टीएसपी प्रस्तुत कर दी है। योजना आयोग ने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनु. जाति और अनु. जनजाति आबादी की प्रतिशतता के अनुपात में एससीएसपी और टीएसपी के लिए निधियां विनिश्चित करने के लिए योजना आयोग के एससीएसपी और टीएसपी मार्गनिर्देशों का कठोरतः पालन करने के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखें हैं।

6.2.31 मंत्रिमंडल ने, दलितों के कल्याण और विकास से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन की कारगरता पर एक समेकित ढंग से निगरानी रखने के वास्ते रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में, दलित मामलों के संबंध में मंत्रियों की एक समिति गठित की है। समिति ने 21 जून, 2005 को आयोजित अपनी बैठक में छः उप-समूह गठित किए थे। “भूमि, साझे सम्पत्ति संसाधन और आवासन” विषय पर उप-समूह के अध्यक्ष श्री शरद पवार हैं। उप-समूह के सदस्यों में सम्मिलित हैं : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, ग्रामीण विकास

मंत्री और श्री प्रियरंजन दास मुंशी, जल संसाधन मंत्री तथा सचिव, ग्रामीण विकास इसके संयोजक हैं। योजना आयोग उप-समूह का सदस्य नहीं है, किन्तु “बजटीय पद्धति (एससीएसपी)” विषय पर उप-समूह-III के संयोजन का काय, सचिव- योजना आयोग को सौंपा गया है। उप-समूह-III के सदस्य हैं : श्री राम विलास पासवान, रसायन, उर्वरक मंत्री और श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री और श्री मोन्टेक सिंह आहलुवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग इसके अध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी, रक्षा मंत्री हैं।

जनजातीय मामले मंत्रालय  
योजना परिव्यय और व्यय

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2004-05 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजनाएं		2006-07 बजट अनुमान
			2005-06 बजट अनुमान	2005-06 वास्तविक व्यय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1.</b>	<b>केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें (सीएस)</b>				
1	प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनु. जनजातियों के प्रशिक्षण के लिए एनजीओ को सहायता अनुदान	29.88	26.00	26.89	30.00
2	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	5.07	6.00	5.59	6.00
3	न्यून साक्षर पाकेटों में शैक्षिक परिसर	7.68	6.00	6.00	32.00
4	“ ट्राइफेड” में निवेश और कीमत समर्थन	6.00	10.00	4.00	10.00
5	एमईपी के लिए एसटीडीसी के वास्ते सहायता-अनुदान	8.00	12.00	12.84	18.00
6	आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास	21.16	25.00	22.77	32.00
7	राष्ट्रीय अनु. जनजाति वित्त तथा विकास निगत तथा राज्य अनु. जनजाति विकास तथा वित्त निगम के लिए केन्द्रीय सरकार सहायता	24.75	30.00	0.00	12.00
8	नई दिल्ली में आदिवासी भवन का निर्माण	0.00	0.01	0.00	0.01
9	कला और संस्कृति तथा पारम्परिक शिल्पों की सहायता, प्रोन्नयन, विस्तार तथा प्रसार के लिए वित्तीय सहायता	0.00	1.00	0.00	1.00
	<b>नई स्कीम</b>				
10	अनु.जनजाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां		8.80	7.95	17.60
	<b>जोड़ I</b>	<b>102.54</b>	<b>124.81</b>	<b>86.04</b>	<b>158.61</b>
<b>II.</b>	<b>केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)</b>				
11	अनु. जनजातियों के छात्रों के लिए पीएमएस, पुस्तक बैंक और योग्यता उन्नयन की स्कीम	101.77	240.50	211.15	224.58
12	अनु. जनजाति छात्रों के लिए छात्रावासों की स्कीम	13.00	14.00	15.65	32.00
13	टीएसपी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	5.50	6.00	6.00	16.00
14	अनुसंधान सूचना तथा जन शिक्षा, जनजातीय त्योहार व अन्य	3.09	5.75	3.49	7.00
	<b>सूचना प्रौद्योगिकी</b>	<b>0.06</b>	<b>0.75</b>	<b>0.75</b>	<b>2.00</b>
	<b>जोड़ II *</b>	<b>123.42</b>	<b>267.00</b>	<b>237.04</b>	<b>281.58</b>
<b>III.</b>	<b>विशेष केन्द्रीय सहायता</b>				
15	जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)	407.00	727.00	688.82	820.00
16	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार की सहायता	330.00	380.00	380.00	500.00
	<b>जोड़ III</b>	<b>827.00</b>	<b>1107.00</b>	<b>1068.82</b>	<b>1320.00</b>
	<b>कुल जोड़ I+II+III</b>	<b>1052.96</b>	<b>1498.81</b>	<b>1391.90</b>	<b>1760.19</b>

### 6.3 अन्य विशेष समूह

6.3.1 सामाजिक कल्याण क्षेत्रक के अंतर्गत जिन अन्य विशेष श्रेणी समूहों को सम्मिलित किया गया है, वे इस प्रकार हैं : विकलांग, सामाजिक रूप से भटके व अन्य असुविधाप्राप्त समूह। विकलांग में लोकोमोटर, दृश्यक, श्रवण, बोलने और मानसिक अयोग्यताओं द्वारा प्रभावित व्यक्ति सम्मिलित हैं। सामाजिक रूप से भटके लोगों में जो कानून के उल्लंघनकर्ता होते हैं उनमें मादक औषधियों के आदी, शराबखोर, किशोर अपराधी/आवारा, सेक्सवर्कर, भिखारी आदि सम्मिलित हैं। अन्य असुविधा प्राप्त श्रेणी में शामिल हैं : वृद्ध व्यक्ति, आवारा बच्चे, अनाथ व अन्य बच्चे जिन्हें विशेष देखभाल और संरक्षण की जरूरत है। सिवाय विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों के जिनकी आबादी की गिनती की गई थी, जनगणना 2001 में अन्य श्रेणियों के आकार और मात्रा के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जनगणना 2001 के अनुसार विकलांगों की संख्या अनुमानतः 21.90 मिलियन अथवा देश की कुल आबादी की लगभग 2.2 प्रतिशत थी तथा लगभग 75 प्रतिशत विकलांग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। तथापि, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जिसे जुलाई-दिसम्बर 2002 में आयोजित किया गया था। देश के विकलांगों की संख्या 1.85 करोड़ थी तथा वे कुल आबादी का 1.8 प्रतिशत हैं। यद्यपि एनएसएसओ सर्वेक्षण के अंतर्गत अक्षमता वाले व्यक्ति अधिनियम 1995 के अंतर्गत यथा परिभाषित अक्षमताओं के साठ क्षेत्रों को कवर किया गया था। तथापि जनगणना 2001 के अंतर्गत, अन्धता और न्यून दृष्टि वालों को एक श्रेणी के अंतर्गत तथा श्रवण और वकृत्व बाधा वालों को एक अन्य श्रेणी के अंतर्गत मिलाकर केवल पाँच समूहों को कवर किया गया था। आंकड़ों में अंतर का कारण दोनों सर्वेक्षणों में अपनाई गई परिभाषाओं में अन्तर का होना है। वृद्ध व्यक्तियों (60+) की संख्या 2001 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का 6.97 प्रतिशत है।

6.3.2 अन्य सामाजिक वर्गों का संरक्षण, देखभाल, कल्याण और विकास सरकार की प्रतिबद्धता है जिसके लिए विभिन्न कल्याण, पुनर्वास और विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दसवीं योजना के दौरान, “अपंगों को सशक्त बनाना”,

“सामाजिक भटकों को सुधारना”, और “अन्य असुविधाप्राप्तों की देखभाल” की त्रिआयामीय कार्यनीति, इन समूहों के लिए प्रगतिशील विधान अधिनियमित और नीतियों की सहायता और शक्ति के साथ, अपनाई गई थी। इनके अलावा, बहु-क्षेत्रकीय दृष्टिकोण अपनाकर सभी कल्याण-सम्बद्ध क्षेत्रों में विद्यमान सेवाओं का अभिसरण करके भी सरकार के प्रयास जारी हैं।

### वार्षिक योजना 2005-06 की समीक्षा

6.3.3 दसवीं योजना की कार्यनीतियों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक योजना 2005-06 की स्कीमों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया ताकि ये असुविधाप्राप्त समूह अपनी सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक कमियों पर काबू पा सकें, जिसके अंतर्गत अक्षमताओं का शीघ्र पता लगाना, उपचार और पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास आदि पर, विशेष रूप से न पहुँच वाले लोगों को खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, इन सेवाओं को उपलब्ध कराकर, बल दिया गया।

6.3.4 विकलांगों के कल्याण के लिए आठ केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें हैं। सामाजिक रक्षा क्षेत्रक में, पाँच केन्द्रीय क्षेत्रक तथा एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है। विकलांगों के लिए कार्यान्वयन हेतु प्रमुख स्कीमों में सम्मिलित हैं: राष्ट्रीय संस्थानों के वित्त पोषण की स्कीम, साधनों/उपकरणों की खरीद उन्हें फिट कराने के लिए विकलांग व्यक्तियों की सहायता की स्कीम (एआईडीपी), विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने की स्कीम, राष्ट्रीय विकलांग वित्त तथा विकास निगम (एनएचएफडीसी) और अक्षमता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम 1995 का कार्यान्वयन। अपंगता क्षेत्रक के लिए 362.60 करोड़ रुपये के परिव्यय में से, अपंगों के कल्याण के लिए 253.80 करोड़ रुपये, सामाजिक रक्षा व अन्य असुविधाप्राप्त समूहों के लिए 108.80 करोड़ रुपये विनिश्चित किए गए थे। वार्षिक योजना 2005-06 में समाज कल्याण क्षेत्रक के लिए 362.60 करोड़ रुपये के परिव्यय के विपरीत वास्तविक खर्च की राशि 281.69 करोड़ रुपये थी (78 प्रतिशत)। व्यय की धीमी प्रगति का मुख्य कारण “विकलांगता वाले व्यक्ति

अधिनियम 1995 का कार्यान्वयन” स्कीम है (व्यय का 52 प्रतिशत) वर्ष 2005-06 में एनएचएफडीसी ने 11.00 करोड़ रुपये के विपरीत 11.00 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है, कालेज की अभी शुरुआत नहीं हुई है तथा कार्यरत बच्चों के कल्याण की स्कीम के अंतर्गत “शून्य” राशि खर्च हुई जबकी आवंटन 7.00 करोड़ रुपये का था।

## विकलांगता वाले व्यक्तियों का कल्याण और विकास

6.3.5 विकलांगों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के वास्ते, केन्द्रीय सरकार ने एक व्यापक विधान अधिनियमित किया, यथा 1995 (पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995) जो 1996 में लागू हो गया जिसका उद्देश्य एक ऐसे समर्थनकारी परिवेश की मांग करने के साथ अपंग व्यक्तियों को सशक्त बनाना है, जिसमें वे अधिकारों का संरक्षण, विकास कार्यों में समान अवसर और पूर्ण भागीदारी प्राप्त कर सकें। अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण विकलांगों के पुनर्वास पर विशेष बल दिया गया है। तथापि, जहां तक अधिनियम को कारगर ढंग से लागू करने का संबंध है, कुछ राज्यों ने अनिवार्य राज्य समन्वय समितियां भी गठित नहीं की हैं। 2005-06 के दौरान “पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन” स्कीम के लिए हुए खर्च की राशि 14.22 करोड़ रुपये थी, जो असंतोषजनक निष्पादन को प्रदर्शित करता है।

6.3.6 विकलांगता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए और विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवा प्रदान करने के कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए विशाल जनशक्ति की उभरती जरूरत को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने छः राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की : (i) राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान, देहरादून; (ii) राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग संस्थान, कोलकाता; (iii) अलियावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान, मुम्बई; (iv) राष्ट्रीय मानसिक अवरूद्धता संस्थान, सिकन्दराबाद; (v) राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक; और (vi) राष्ट्रीय शारीरिक विकलांगता संस्थान, नई दिल्ली। इन संस्थानों के प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र हैं: मानव संसाधन विकास, पुनर्वास सेवाएं, अनुसंधान कार्यकलाप और आउटरीच तथा विस्तार सेवाएं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि

मूल्यांकन में सुझाया गया था कि इन राष्ट्रीय संस्थानों के कामकाज का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि इन्हें और अधिक प्रासांगिक, उपयोगी व कम खर्चीला बनाया जा सके। 2005-06 में 50.95 करोड़ रुपये की आबंटित राशि में से 42.82 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया जो स्कीम के अन्तर्गत खर्च का 84 प्रतिशत है।

6.3.7 भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) नई दिल्ली की स्थापना 1986 में जनशक्ति विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र में उत्तम सेवाएं सुनिश्चित करने, प्रशिक्षण व्यावसायिकों में एकसमान मानक लागू करने और उन्हें विकलांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में मान्यता प्रदान करने के लिए, की गई थी। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है, तथापि आरसीआई सभी व्यावसायिकों/कार्मिकों का पुनर्वास रजिस्टर भी रखती है और पुनर्वास तथा विशेषज्ञतापूर्ण शिक्षा में अनुसंधान की भी व्यवस्था करती है। मेरूदण्ड आघात वाले व्यक्तियों के लिए जबलपुर, मोहाली, कटक और बरेली में चार क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2004-05 में स्कीम के लिए खर्च की परिव्यय की राशि 3.00 करोड़ रुपये थी।

6.3.8 विकलांगताओं वालों व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई की प्रोत्साहन स्कीम चार ऐसी ही स्कीमों के विलयन का परिणाम है जिन्हें विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और विकास के लिए स्वैच्छिक प्रयासों के प्रोत्साहन के एकसमान उद्देश्य से नौवीं योजना में चलाया जा रहा था। इस स्कीम के अन्तर्गत, कानूनी सहायता और कानूनी परामर्श; खेलों, मनोरंजन, यात्राओं, रचनात्मक तथा निष्पादन कलाओं के लिए समर्थन सुविधाएं विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों में अनुसंधान के प्रोत्साहन, सुसज्जित संस्थान केन्द्रों की स्थापना आदि जैसे क्षेत्रों को कवर किया गया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे कुछ राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों की विद्यमानता बहुत कम है। दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में इन राज्यों में, विशेष रूप से ग्रामीण और न पहुँच वाले इलाकों में विश्वसनीय स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने की जरूरत पर बल दिया गया। स्कीम के लिए 90.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी जिसके मुकाबले खर्च हुई राशि वर्ष 2005-06 के दौरान

66.80 करोड़ (74 प्रतिशत) रुपये थी। इसी अवधि के दौरान 932 एनजीओ को सहायता-अनुदान दिया गया।

6.3.9 “साधनों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग कराने के लिए विकलांगों को सहायता” की स्कीम के अंतर्गत, जिसे सामान्यतः एडीआईपी के नाम से जाना जाता है, टिकारू वस्तुएं, मानक आधुनिकतम साधन और उपकरण गरीब विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाते हैं। इनके साथ ही स्वैच्छिक संगठनों, रेड क्रॉस सोसायटियों, एनआई और कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (अलिम्को) को, साधनों और उपकरणों की खरीद, विनिर्माण और वितरण के लिए सहायता-अनुदान दिया जाता है। 2005-06 के लिए 67.00 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के विरुद्ध खर्च हुई राशि 57.91 करोड़ रुपये थी (86.4%)। इसी अवधि के दौरान 312.257 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को साधन और उपकरणों की खरीद के लिए सहायता प्रदान की गई।

6.3.10 “अलिम्को” कानपुर की स्थापना, विकलांगों को कृत्रिम अंग और पुनर्वास साधनों के विकास, विनिर्माण और सप्लाई करने के लिए 1956 के कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत एक पंजीकृत लाभ न कमाने वाले निकाय के रूप में की गई थी। इसके उत्पादों के लिए प्रदत्त बड़ी मात्रा में सब्सिडी के बावजूद, “अलिम्को” पहले हानि उठा रहा था किन्तु हाल ही के वर्षों में निगम ने अपने कामकाज में पर्याप्त सुधार किया है और इस प्रकार यह अपने कारोबार में काफी वृद्धि प्राप्त करने तथा विगत तीन वर्षों के दौरान अपनी नकद हानियों को कम करने में सफल रहा है। इस स्कीम के लिए 2005-06 में कोई योजनागत परिव्यय विनिश्चित नहीं किया गया था।

6.3.11 राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम (एनएचएफडीसी) लाभार्थियों को स्वः रोजगार उद्यमों तथा उनके उद्यमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए तकनीकी तथा उद्यमशीलता दक्षताओं के उन्नयन से सहायता प्रदान करके विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करता है। निगम, आय सृजक कार्यक्रमों आयोजित करने के लिए, शहरी क्षेत्रों में एक लाख रुपये प्रति वर्ष से कम

और ग्रामीण क्षेत्रों में 80,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम आय वाले विकलांग व्यक्तियों को रियायती ऋण प्रदान करता है। अपनी लघु-वित्तपोषण स्कीम के अंतर्गत निगम ने अलग-अलग लाभार्थियों और साथ ही एसएचजी को भी सहायता प्रदान की है। एनएचएफडीसी, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत राज्य चेनेलिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से काम करता है तथा इस समय 46 एससीए कार्य कर रही हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान कुल 4792 लाभार्थियों की सहायता की गई।

6.3.12 पर्याप्त वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए दसवीं योजना में विकलांगों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न स्कीमों/ कार्यक्रमों के लिए निधियों के नियमित प्रवाह के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक बजट में “विकलांगों के लिए संघटक योजना” शुरू करने का समर्थन किया गया था। तथापि, “विकलांग के लिए संघटक योजना” शुरू करने के संबंध में प्रगति बहुत धीमी रही है और मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इसी प्रकार दो अन्य मुख्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, नामतः सरकारी/निजी क्षेत्रक में विकलांग-अनुकूल नीतियां तैयार और कार्यान्वित करना तथा वृद्धावस्था पेंशन की तरह वृद्धों और विकलांगों के लिए एक समाज सुरक्षा स्कीम तैयार करना, किन्तु 2005-06 के दौरान इन स्कीमों में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।

### सामाजिक भटके हुए लोगों का सुधार

6.3.13 किशोर कुसमंजन की बढ़ती समस्या से निपटने और इसे कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए एक सुनिर्धारित कल्याण-सह-पुनर्वास संबंधी सेवाओं के साथ और अधिक बाल अनुकूल बनाने के लिए किशोर न्याय अधिनियम 1986 को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 (जेजे अधिनियम 2000) द्वारा संशोधित किया गया। इस अधिनियम को, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, पूरे देश में लागू कर दिया गया है। अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा किशोर न्याय बोर्डों और प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समितियों का गठन किया जाना है। मंत्रालय ने, इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम भी अधिसूचित कर दिए थे तथा राज्यों को इन नियमों

को अपनाने अथवा अपने ही नियम तैयार करने की सलाह दी गई थी। यह मंत्रालय, “किशोर सामाजिक कुसमंजन” की स्कीम भी कार्यान्वित कर रहा है जिसे “किशोर न्याय हेतु एक एकीकृत कार्यक्रम” कहा जाता है तथा अवस्थापना में गुणात्मक सुधार लाने के लिए एक किशोर न्याय निधि की स्थापना की गई है। किन्तु, दुर्भाग्यवश, जेजे अधिनियम 2000 के अन्तर्गत अनिवार्य विशेषज्ञ संस्थानों को मुख्यतः उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए, अपर्याप्त व्यावसायिक स्टाफ के कारण समुचित रूप से अनुसंधान नहीं किया गया है। बहुत से राज्य अपनी ओर से 50% के आनुपातिक हिस्से का योगदान करने में असमर्थता के कारण केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत लाभ उठाने में समर्थ नहीं हुए हैं। अधिनियम को कार्यान्वित करने में भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण में भी संशोधन किए जाने की जरूरत है जिससे कि इस क्षेत्र में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार की विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सके। 2005-06 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 20.54 करोड़ रुपये की राशि (90.5 प्रतिशत) जारी की गई जबकि परिव्यय की राशि 22.69 करोड़ रुपये थी।

6.3.14 “मादक औषधि निषेध और निवारण” की शुरुआत 1985-86 में, एक केन्द्रीय योजना स्कीम के रूप में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई थी : समुदाय को मादक औषधि की खपत की बुराइयों तथा बुरे प्रभाव के बारे में शिक्षित करना तथा जागरूकता पैदा करना, प्रेरणादायक परामर्श प्रदान करना, मादक औषधि का सेवन करने वालों का उपचार और पुनर्वास तथा उनके सामाजिक पुनःएकीकरण के लिए कार्य करना तथा औषधि मांग में कटौती करने के लिए सामुदायिक भागीदारी और जन सहयोग को प्रोत्साहित करना। स्कीम, जरूरतमंद लोगों की, विशेष रूप से ग्रामीण

क्षेत्रों में लोगों की जरूरतें पूरी करने में समर्थ नहीं रही है। स्कीम के अन्तर्गत मंत्रालय, कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिए तथा देखभाल व संरक्षण चाहने वाले बच्चों के लिए भी गृहों की स्थापना और उनके अनुसंधान के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 50% सहायता प्रदान करता है। सहायता के लिए सम्मिलित मदों में, इमारतों के निर्माण के अलावा बच्चों की अनुसंधान लागत, इन गृहों में नियुक्त स्टाफ के वेतन, बिस्तर, फर्नीचर, उपस्कर, बर्तनों और आकस्मिकताओं के लिए सहायता शामिल है। वर्ष 2005-06 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 33.01 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान जारी किया गया तथा 244 एनजीओ को शराबखोरी और औषधि दुरुपयोग की रोकथाम सहित, सामाजिक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की गई।

### अन्य अल्पसुविधाप्राप्त लोगों की देखभाल

6.3.15 वृद्ध लोगों की सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाने के लिए, “वृद्धों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता” की स्कीम को 1998 में संशोधित किया गया ताकि इसे अत्यंत शिथिलनीय बनाया जा सके। “वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम” नामक नई संशोधित स्कीम के अन्तर्गत वृद्धों की विविध जरूरतों को पूरा करने का प्रस्ताव है जिनमें परिवार का पुनर्बलन और सुदृढ़ीकरण और वृद्धों से सम्बद्ध मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना शामिल है। वृद्धावस्था गृहों, दिवा देखभाल केन्द्रों, चल मेडिकेयर यूनिटों और देश के विभिन्न भागों में गैर-संस्थागत सेवा केन्द्र संचालित करने के लिए 289 एनजीओ को वर्ष 2005-06 के दौरान 13.81 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

स्कीम	2004-05		2005-06		2006-07	
	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय
सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण	359.45	262.83	362.60	281.69	363.00	-
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2934.25	1882.32	2934.05	3105.95*	4094.56	-
जोड़ 1+2	3293.70	2145.15	3296.65	3387.67	4457.56	-

\*सं.अ.

6.3.16 सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए जनवरी, 1999 में एक राष्ट्रीय नीति घोषित की थी जिसमें वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषाहार, आश्रय/आवासन, शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना, जीवन और सम्पत्ति के संरक्षण, वृद्ध व्यक्तियों के लिए समुचित रियायतों, बट्टों और छूटों की व्यवस्था, वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक कल्याण कोष और एक राष्ट्रीय परिषद स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। नीति को अब कार्यरूप देने की तत्काल जरूरत है ताकि साम्य कवरेज, उपलब्ध संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय निकायों, सरकारी तथा अर्धसरकारी तंत्र के माध्यम से कामकाज का कम खर्चीला और बेहतर अभिसरण सुनिश्चित हो सके।

6.3.17 “घुमन्तु बच्चों का एकीकरण कार्यक्रम” स्कीम का उद्देश्य निराश्रित बच्चों की रोकथाम की व्यवस्था करना तथा घुमन्तु बच्चों के लिए आश्रय, पोषाहार, स्वास्थ्य देख रेख, शिक्षा और मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करना और उन्हें दुरुपयोग व शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना है। कार्यनीति जागरूकता पैदा करने और दुरुपयोग से बच्चों का बचाव करने के लिए सरकार एनजीओ और समुदाय की क्षमता का निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है। स्कीम की शुरुआत से मंत्रालय द्वारा 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 290 संगठनों के माध्यम से सहायता प्रदान की गई। इस स्कीम के लिए 17.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसके मुकाबले खर्च हुई राशि 10.59 करोड़ रुपये थी। इस स्कीम के अन्तर्गत परियोजना की लागत के 90% तक की सहायता भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है तथा शेष संबंधित संगठन/संस्थान द्वारा वहन किया जाता है। मंत्रालय की नवीनतम सूचना के अनुसार 68 नगरों में चाइल्ड लाइन सर्विस कार्य कर रही है तथा कठिनाई ग्रस्त बच्चों के लिए 24 घण्टे निःशुल्क टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध हैं।

### वार्षिक योजना 2006-07

6.3.18 वार्षिक योजना 2006-07 में, (i) विकलांगों के सशक्तीकरण; (ii) सामाजिक भटके व्यक्तियों के सुधार; और (iii) सभी सम्बद्ध कल्याण और विकास क्षेत्रों में

विद्यमान सेवाओं के अभिसरण पर विशेष बल के साथ, दसवीं योजना में त्रि-आयामीय कार्यनीति अपनाई गई ताकि सभी लक्ष्य समूहों के संबंध में निवारण, उपचार, पुनर्वास, कल्याण और विकास के क्षेत्रों में अधिकतम लाभार्थी कवरेज प्राप्त किया जा सके। सामाजिक न्याय और अधिकारिता के नोडल मंत्रालय को, इन लक्ष्य समूहों तक सेवाओं और सुविधाओं की पहुँच में सहायता करने में अन्य सामान्य विकास क्षेत्रों द्वारा यथासंभव समर्थन प्रदान किया जाएगा।

### वित्तीय परिव्यय

6.3.19 वार्षिक योजना 2006-07 के लिए कुल परिव्यय की राशि 363.00 करोड़ रुपये है जिसमें 247.00 करोड़ रुपये विकलांगों के कल्याण के लिए तथा शेष 116.00 करोड़ रुपये सामाजिक रक्षा और अन्य अल्प- सुविधाप्राप्तों के लिए हैं। वार्षिक योजना 2004-05 और 2005-06 तथा 2006-07 में समाज कल्याण क्षेत्रक के लिए स्कीम-वार परिव्यय और व्यय की जानकारी संलग्नक 6.3.1 में दी गई है। निम्नलिखित तालिका में वार्षिक योजना 2005-06 से 2006-07 तक के संबंध में हुआ खर्च और अनुमोदित परिव्यय सारांश रूप में दर्शाया गया है :

### विकलांग व्यक्तियों का सशक्तीकरण

6.3.20 दसवीं योजना नीति और अधिकाधिक विकलांग व्यक्तियों को यथासंभव सक्रिय, आत्म निर्भर तथा उत्पादक योगदानकर्ता बनाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप, एक व्यापक विधान, यथा पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 का अधिनियम किया गया। दसवीं योजना में मंत्रालयों/विभागों के बजट में अपंगता उप-योजना की जोरदार सिफारिश की गई थी। अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण विकलांगों के पुनर्वास पर विशेष बल दिया गया।

6.3.21 जेडबीबी कार्यवाही के अनुरूप, स्कीमों के एक बंडल को “पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1955 का कार्यान्वयन” छत्र स्कीम के अन्तर्गत उपयुक्त रूप से मिला दिया गया। इनमें, पुनर्वास क्षेत्रीय केन्द्र और मिश्रित पुनर्वास केन्द्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन मोड आदि सम्मिलित हैं।

वार्षिक योजना 2006-07 में इस छत्र स्कीम के लिए 17.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। मंत्रालय ने आउटकम बजट में, जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी) स्थापित करने और चुनिन्दा राज्यों में (असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार और तमिलनाडु) दूरदर्शन के माध्यम से जागरूकता सृजन कार्यक्रम शुरू करने के लिए पीडब्ल्यूडी अधिनियम के लिए उद्देश्य/परिणाम का विनिर्धारण किया है। मंत्रालय द्वारा बताया गए मात्रात्मक लक्ष्य 25 डीडीआरसी की स्थापना करने और साप्ताहिक जागरूकता कार्यक्रमों के संबंध में हैं।

6.3.22 विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास और सेवा को सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की बड़ी संख्या में उभरती जरूरत को पूरा करने के लिए, विकलांगों के पुनर्वास के लिए कार्यरत व्यावसायिकों के प्रशिक्षण और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कार्यरत छः शीर्ष संस्थानों ने कार्य जारी रखा। इस प्रयोजनार्थ सात राष्ट्रीय संस्थानों को वार्षिक योजना 2006-07 में 49.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

6.3.23 भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (अलिम्को), कानपुर, उत्तर प्रदेश की स्थापना, कृत्रिम अंगों और सहायक साधनों के विनिर्माण के लिए 1976 में की गई थी ताकि विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित लागत पर साधनों की उपलब्धता, आपूर्ति और वितरण प्रोत्साहित हो सके। निगम और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान 49 करोड़ रुपये का कारोबार प्राप्त होने का लक्ष्य था। वर्ष 2006-07 के लिए साधनों और उपकरणों की खरीद और फिटमेट के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता (एडीआईपी) के लिए आवंटन की राशि 71.20 करोड़ रुपये है तथा कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (अलिम्को) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। मंत्रालय का लक्ष्य, इस स्कीम के अन्तर्गत 2,70,000 लाभार्थियों को कवर करने का है।

6.3.24 भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय पुनर्वास

परिषद अधिनियम 1992 के तहत की गई थी तथा यह विकलांगता के क्षेत्र में व्यावसायिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि विकलांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण और जनशक्ति आवश्यकताएं एक प्राथमिकतापूर्ण चिन्ता का विषय है इसलिए पुनर्वास व्यावसायिकों के लिए एकसमान मानकों के प्रवर्तन और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करके इन क्षेत्रों में सेवा की कोटि सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा विशेष उपाय किए जाएंगे। वर्ष 2006-07 के लिए 3 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

6.3.25 मंत्रालय, सरकारी संस्थानों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विकलांगता वाले व्यक्तियों को विभिन्न पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में सुविधाएं प्रदान करता है। छत्र स्कीम, अर्थात् “विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई प्रोत्साहित करने” के लिए इसके कामकाज का विस्तार करने और उनकी सेवाओं में नए नूतन घटक लागू करने के लिए, सहायता प्रदान की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ, इस स्कीम के लिए 90 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, उम्मीद है कि 500 से अधिक एनजीओ की इस प्रयोजनार्थ सहायता की जाएगी। मंत्रालय के स्रोतों के अनुसार, उम्मीद है कि 2,60,000 से अधिक लक्ष्य लाभार्थियों को कवर किया जाएगा।

### सामाजिक भटकों को सुधारना

6.3.26 कुल मिलाकर समाज में तीव्र संरचनात्मक परिवर्तनों को देखते हुए, सामाजिक वंचनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। सामाजिक भटकों की देखभाल और संरक्षण के लिए सेवाओं की व्यवस्था और रोकथाम के लिए, नई अवस्थापना के सृजन अथवा स्थापना और विद्यमान अवस्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करने का लक्ष्य है।

6.3.27 बच्चों पर एकीकृत तथा समन्वित ढंग से ध्यान देने के लिए बाल सम्बद्ध कार्यक्रम को महिला और बाल विकास मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दिया गया है। संस्थागत और गैर-संस्थागत सुविधाओं के नेटवर्क का उपयोग करके

एक बाल-अनुकूल सकारात्मक परिवेश में किशोरों के पुनर्वास के उद्देश्य से किशोर न्याय (बाल देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के कारगर कार्यान्वयन पर बल दिया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर उपाय किए जाएंगे कि अधिनियम के तहत स्थापित अनिवार्य संस्थानों में न्यूनतम मानक और जीवन की कोटि को बनाए रखा जाए। इन बच्चों की गैर-संस्थागत देखभाल प्रोत्साहित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका का भी उपयुक्त रूप से विस्तार किया जाएगा। “किशोर न्याय के कार्यक्रम” की स्कीम के कार्यान्वयन को और तेज किया जाएगा। वर्ष 2006-07 में किशोर सामाजिक कुसमंजन के निवारण और नियंत्रण की स्कीम के लिए 25.00 करोड़ रुपये का आवंटन निश्चित किया गया है।

6.3.28 तेजी से बदलती सामाजिक स्थिति, औषधि दुरुपयोग और शराबखोरी के विस्तार में, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में और उच्च जोखिम वाले समूहों, जैसे कि घूमन्तु बच्चे सेक्स वर्कर्स और ट्रक ड्राइवरों के बीच इसके प्रसार में बढ़ावा दे रही है एकीकृत और व्यापक समुदाय आधारित दृष्टिकोण के अन्तर्गत गहन जागरूकता सृजन और निवारक शिक्षा, परामर्श, उपचार, नशा-मुक्ति और व्यवसायियों का पुनर्वास सम्मिलित है। एनसी-डीएपी और क्षेत्रीय प्रशिक्षण

केन्द्रों के प्रयासों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण में तेजी लाई जाएगी। वार्षिक योजना 2006-07 में इस स्कीम के लिए 34.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है तथा 1,75,000 लाभार्थियों को कवर किया जाएगा।

### अन्य अल्पसुविधाप्राप्तों की देखभाल

6.3.29 स्वास्थ्य, आश्रय, कार्य थेरापी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, जीवन का संरक्षण आदि प्रदान करने के लिए वृद्ध व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत वृद्धावस्था गृहों, दिवा देखभाल केन्द्रों, चल, मेडिकेयर यूनिटों और मेडिकेयर केन्द्रों के चल रहे कार्यक्रमों का विस्तार करने पर विशेष बल दिया जाएगा, जिन्हें “वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रमों” की स्कीम के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। वृद्धों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में मदद देने के लिए “जिला आधारों” और “हेल्पलाइनों” का और विस्तार किया जाएगा। वृद्ध लाभार्थियों के लाभ हेतु स्कीम के विनिर्धारित लाभार्थियों की संख्या 61,000 है जो परिव्यय का परिणाम होगा। स्कीम के अन्तर्गत एनजीओ को वृद्धावस्था गृह स्थापित और उन्हें चलाने के लिए परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
(विकलांगों, सामाजिक भटके हुए व अन्यो का कल्याण)  
स्कीम-वार परिव्यय और व्यय

(रुपये करोड़ में)

क. सं.	स्कीम का नाम	2004-05 वास्तविक	2005-06		2006-07 परिव्यय
			परिव्यय	वास्तविक	
1	2	3	4	5	6
<b>i.</b>	<b>केन्द्रीय क्षेत्राक स्कीमें</b>				
<b>क</b>	<b>विकलांगों का कल्याण</b>				
1.	राष्ट्रीय संस्थानों के वित्त पोषण की स्कीम	31.28	50.95	42.82	49.00
2.	कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर	.	.	.	1.30
3.	साधनों/उपकरणों की खरीद/पिफटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की स्कीम	63.19	67.00	57.84	71.20
4.	अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम (दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम)	67.31	90.00	66.75	90.00
5.	भारतीय मेरूदण्ड आघात केन्द्र	2.62	3.50	2.99	3.50
6.	भारतीय पुनर्वास परिषद	2.01	3.00	2.85	3.00
7.	राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी)	1.00	11.00	11.00	11.00
8.	विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन	10.41	27.35	14.22	17.00
9.	अक्षमता वाले बच्चों को सहायता (एक यूएनडीपी वित्त पोषित स्कीम)	0.29	0.00	.	.
	<b>नई स्कीम</b>				
10.	जापान सरकार के साथ दृश्य, श्रवण और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति केन्द्र	.	1.00	0.00	1.00
	<b>जोड़ (क)</b>	<b>178.11</b>	<b>253.80</b>	<b>198.47</b>	<b>247.00</b>
<b>ख.</b>	<b>सामाजिक रक्षा व अन्य अल्पसुविध प्राप्त समूह</b>				
10.	सामाजिक रक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए शराबखोरी और औषधि दुरुपयोग की रोकथाम सहित, स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	29.50	33.01	26.66	34.00
11.	कठिन परिस्थितिग्रस्त बच्चों के कल्याण के लिए सहायता-अनुदान	14.01	17.70	12.83	16.00
12.	वृद्धों से सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	15.68	19.80	13.81	28.00
13.	अनुसंधान, सूचना व अन्य विविध कार्यों के लिए सहायता-अनुदान	4.28	8.60	8.26	10.00
14.	कार्यरत बच्चों और देखभाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के कल्याण के लिए स्कीम	0.00	7.00	1.12	3.00
	<b>जोड़ (ख)</b>	<b>63.47</b>	<b>86.11</b>	<b>62.68</b>	<b>91.00</b>
	<b>जोड़ (कख)</b>	<b>241.58</b>	<b>339.91</b>	<b>261.15</b>	<b>338.00</b>

क. सं.	स्कीम का नाम	2004-05 वास्तविक	2005-06		2006-07 परिव्यय
			परिव्यय	वास्तविक	
1	2	3	4	5	6
ii.	केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)				
क	विकलांगों का कल्याण				
	विकलांगों को रोजगार *	1.54	0.00	.	.
	जोड़ (क)	1.54	0.00	0.00	0.00
खा	सामाजिक रक्षा व अन्य अल्पसुविध प्राप्त समूह				
15.	किशोर सामाजिक कुसमंजन के निवारण और नियंत्रण	19.71	22.69	20.54	25.00
	जोड़ (ख)	19.71	22.69	20.54	25.00
	जोड़ ii (कख)	21.25	22.69	20.54	25.00
	जोड़ सामाजिक कल्याण बी (i+ii)	262.83	362.60	281.69	363.00

टिप्पणी: मंत्रालय के कुल परिव्यय का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर राज्यों के विनियमित किया गया है।

\* विकलांगों का रोजगार (सीएसएस) राज्य क्षेत्राक में हस्तान्तरित कर दिया गया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
योजना लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र. सं.	स्कीम का नाम	यूनिट	2004-05	2005-06		2006-07
			उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
i.	केन्द्रीय क्षेत्राक स्कीम (सीएस)					
क	विकलांगों का कल्याण					
1.	राष्ट्रीय संस्थानों के वित्त पोषण की स्कीम	<b>मात्रा बताना कठिन</b>				
2.	कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर	सहाय्यित यंत्रों / संघटकों की कुल संख्या				
3.	साधनों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की स्कीम	लाभार्थियों की संख्या	292,454		312,257	
4.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई	सहाय्यित एनजीओ की संख्या	932			
	प्रोत्साहित करने की स्कीम	लाभार्थियों की संख्या			188,009	
5.	भारतीय मेरूदण्ड आघात केन्द्र	निःशुल्क बिस्तरों की संख्या				
		विस्तरवासियों की संख्या	6,454			
6.	भारतीय पुनर्वास परिषद	अध्यापकों का प्रशिक्षण				
		पंजीकृत व्यावसायिकों की संख्या				
		कार्मिक पंजीकरण				
		पुनर्वास का संवेदीकरण				
	राष्ट्रीय मानसिक अवरोधता वाले व्यक्तियों के लिए	राहत संस्थान की स्थापना				
	राष्ट्रीय न्यास	देखभालकर्ताओं का प्रशिक्षण				
7.	राष्ट्रीय विकलांग वित्त तथा विकास निगम (एनएचएफडीसी)	लाभार्थियों की संख्या	6,454		4,792	
8.	विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम,	लाभार्थियों की संख्या				
.	विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय (केवल 2002-03 के लिए शेष रहता)	<b>मात्रा बताना कठिन</b>				
9.	विकलांग बच्चों के लिए सहायता	अध्यापकों की संख्या				
	(एक यूएनडीपी वित्तपोषित स्कीम)	अभिभावकों की संख्या				
		बच्चों की संख्या				
		ग्राम स्तर पुनर्वास कार्यकर्ताओं की संख्या				
10.	पुनर्वास विज्ञान कालेज	<b>मात्रा बताना कठिन</b>				

क्र. सं.	स्कीम का नाम	यूनिट	2004-05	2005-06		2006-07
			उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
क	<b>सामाजिक रक्षा व अन्य अल्पसुविधाप्राप्त समूह</b>					
11.	सामाजिक रक्षा सेवाएं, शराबखोरी और औषधि	लाभार्थियों की संख्या			44,591	
	दुरुपयोग सहित, प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक	स्वै. संगठनों को सहायता	340		244	
ख.	केन्द्रीय गोद लेना संसाधन एजेन्सी	<b>मात्रा बताना कठिन</b>				
12.	कठिनाईग्रस्त बच्चों के कल्याण के लिए सहायता अनुदान	लाभार्थियों की संख्या	56,595		43,038	
13.	वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए	लाभार्थियों की संख्या	55,550		49,425	
	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता					
14.	अनुसंधन सूचना व अन्य विविध के लिए सहायता अनुदान	अनुसंधन अध्ययनों की संख्या			13	
	सेमिनारों की संख्या					
15.	कार्यरत बच्चों तथा देखभाल व संरक्षण की	<b>मात्रा बताना कठिन</b>				
	जरूरत वाले बच्चों के कल्याण के लिए स्कीम					
ii.	<b>केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)</b>					
क	<b>विकलांगों का कल्याण</b>					
.	विकलांगों का रोजगार	<b>मात्रा बताना कठिन</b>				
	(एनडीसी के अनुमोदन की प्रतीक्षा में)					
ख	<b>सामाजिक न्याय व अन्य अल्पसुविधाप्राप्त समूह</b>					
16.	किशोर सामाजिक कुसमंजन के नियंत्रण और निवारण की स्कीम	लाभार्थियों की संख्या गृहों की संख्या	35,379 412		32,831	

केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)

स्कीम का नाम : किशोर सामाजिक कुसमंजन के नियंत्रण और निवारण की स्कीम

शुरू होने का वर्ष -1987

(रूपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2003-04 के दौरान जारी राशि	2004-05 के दौरान जारी राशि	2005-06 के दौरान जारी राशि
1	2	3	4	5
	<b>राज्य</b>			
1	आन्ध्र प्रदेश	-	407.93	133.72
2	अरुणाचल प्रदेश	.	.	.
3	असम	.	50.00	24.11
4	बिहार	43.30	.	103.27
5	छत्तीसगढ़	54.18	90.10	34.33
6	गोवा	5.88	4.95	5.36
7	गुजरात	65.91	70.00	133.98
8	हरियाणा	24.79	23.59	41.55
9	हिमाचल प्रदेश	.	.	.
10	जम्मू और कश्मीर	.	.	.
11	झारखंड	.	.	.
12	कर्नाटक	79.41	50.31	70.95
13	केरल	24.26	26.96	35.06
14	मध्य प्रदेश	106.86	124.89	90.91
15	महाराष्ट्र	742.75	752.28	682.24
16	मणिपुर	.	.	.
17	मेघालय	9.13	9.92	6.16
18	मिजोरम	32.37	15.78	10.51
19	नागालैण्ड	4.56	5.76	5.76
20	उड़ीसा	5.43	5.73	6.00
21	पंजाब	30.56	64.96	3.19
22	राजस्थान	16.18	11.95	47.02
23	सिक्किम	2.33	2.33	2.33
24	तमिलनाडु	106.85	138.18	199.85
25	त्रिपुरा	0.04	0.02	0.80
26	उत्तर प्रदेश	127.35	.	160.58
27	उत्तरांचल	.	.	.
28	पश्चिम बंगाल	80.84	50.82	166.39
29	अंड. व निको. द्वीपसमूह	.	.	.
30	चंडीगढ़	6.00	6.00	.
31	दादरा व नागर हवेली	.	.	.
32	दमन और दीव	.	.	.
33	दिल्ली	70.00	59.00	90.37
34	लक्षद्वीप	.	.	.
35	पांडिचेरी	.	.	.
	<b>जोड़</b>	<b>1638.98</b>	<b>1971.46</b>	<b>2054.44</b>

संलग्नक- 6.3.3(ii)

केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)  
स्कीम का नाम : विकलांगों को रोजगार

शुरुआत का वर्ष : 1980

(रूपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रा का नाम	2003-04 के दौरान जारी राशि	2004-05 के दौरान जारी राशि	2005-06 के दौरान जारी राशि
1	2	3	4	5
राज्य				
1	आन्ध्र प्रदेश	.	.	.
2	अरुणाचल प्रदेश	.	.	.
3	असम	.	.	.
4	बिहार	.	.	.
5	छत्तीसगढ़	.	.	.
6	गोवा	.	.	.
7	गुजरात	.	.	.
8	हरियाणा	.	3.82	.
9	हिमाचल प्रदेश	.	.	.
10	जम्मू और कश्मीर	.	.	.
11	झारखंड	.	.	.
12	कर्नाटक	.	.	.
13	केरल	.	.	.
14	मध्य प्रदेश	.	.	.
15	महाराष्ट्र	.	16.52	.
16	मणिपुर	.	.	.
17	मेघालय	.	.	.
18	मिजोरम	.	.	.
19	नागालैण्ड	.	.	.
20	उड़ीसा	.	.	.
21	पंजाब	.	32.85	.
22	राजस्थान	.	55.51	.
23	सिक्किम	.	.	.
24	तमिलनाडु	.	36.58	.
25	त्रिपुरा	.	.	.
26	उत्तर प्रदेश	19.84	1.46	.
27	उत्तरांचल	.	.	.
28	पश्चिम बंगाल	.	.	.
29	अंड. व निको. द्वीपसमूह	.	.	.
30	चंडीगढ़	.	5.00	.
31	दादरा व नागर हवेली	.	.	.
32	दमन और दीव	.	.	.
33	दिल्ली	5.00	4.00	.
34	लक्षद्वीप	.	.	.
35	पांडिचेरी	.	.	.
	<b>जोड़</b>	<b>24.84</b>	<b>155.74</b>	<b>0.00</b>

स्रोत: राज्य योजना प्रभाग

\* अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

योजना परिव्यय और व्यय- समाज कल्याण  
(महिला और बाल कल्याण और सामाजिक रक्षा)- राज्य/संघ राज्य क्षेत्रा

(रूपये करोड़ में)

क. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रा	वार्षिक योजना			
		2004-05 वास्तविक	2005-06		2006-07 परिव्यय
			परिव्यय	सं. अ.	
1	2	3	4	5	6
	<b>राज्य</b>				
1	आन्ध्र प्रदेश	81.64	89.42	89.47	164.95
2	अरुणाचल प्रदेश	1.65	9.32	7.27	7.45
3	असम	91.03	78.68	78.68	75.03
4	बिहार	3.10	157.44	1.32	13.37
5	छत्तीसगढ़	60.99	96.00	67.06	84.55
6	गोवा	49.41	70.48	70.48	76.22
7	गुजरात	77.82	108.06	108.06	141.45
8	हरियाणा	383.09	468.00	533.85	525.00
9	हिमाचल प्रदेश	38.88	64.85	65.07	71.75
10	जम्मू और कश्मीर	38.81	60.53	60.54	85.97
11	झारखंड	48.48	235.81	222.81	310.35
12	कर्नाटक	70.58	66.96	191.18	4.03
13	केरल	0.05	41.00	35.75	75.96
14	मध्य प्रदेश	16.20	21.69	4.62	23.52
15	महाराष्ट्र	0.00	121.98	121.98	160.99
16	मणिपुर	14.95	12.02	12.02	13.26
17	मेघालय	5.56	8.00	8.27	9.93
18	मिजोरम	3.80	3.56	4.56	6.30
19	नागालैण्ड	7.25	12.36	9.05	22.57
20	उड़ीसा	57.53	53.83	95.20	83.44
21	पंजाब	42.39	241.62	241.62	5.67
22	राजस्थान	64.63	18.34	24.02	33.20
23	सिक्किम	6.36	8.80	7.95	8.25
24	तमिलनाडु	284.27	302.28	498.68	975.65
25	त्रिपुरा	13.96	21.24	26.64	27.49
26	उत्तर प्रदेश	176.81	233.46	235.70	736.74
27	उत्तरांचल	26.86	22.54	30.72	43.82
28	पश्चिम बंगाल	136.91	147.48	147.48	171.16
	<b>जोड़ (राज्य)</b>	<b>1803.01</b>	<b>2775.75</b>	<b>3000.05</b>	<b>3958.07</b>
	<b>संघ राज्य क्षेत्रा</b>				
1	अंड. व निको. द्वीपसमूह	2.38	4.49	4.49	3.69
2	चंडीगढ़	2.11	4.00	4.00	4.10
3	दादरा व नागर हवेली	0.07	0.08	0.08	0.09
4	दमन और दीव	0.11	0.27	0.27	0.27
5	दिल्ली	59.36	105.27	75.07	101.21
6	लक्षद्वीप	0.25	0.91	0.91	0.20
7	पॉण्डिचेरी	15.03	43.48	21.11	26.93
	<b>जोड़ (संघ राज्य क्षेत्रा)</b>	<b>79.31</b>	<b>158.50</b>	<b>105.93</b>	<b>136.49</b>
	<b>कुल जोड़</b>	<b>1882.32</b>	<b>2934.25</b>	<b>3105.98</b>	<b>4094.56</b>

स्रोत: राज्य योजना प्रभाग

## अध्याय-7

### कृषि और ग्रामीण विकास

#### 7.1 कृषि

7.1.1 वर्ष 2004-05 में कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों ने, देश के 58.4 प्रतिशत कार्य बल (31.7 प्रतिशत खेतिहर और 26.7 प्रतिशत कृषि श्रमिक- 2001 जनगणना) को रोजगार प्रदान करते हुए 1999-2000 कीमतों की कारक लागत पर, कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 20.8% का योगदान किया। एनएसएसओ के 60वें चक्र (रिपोर्ट सं० 506) में पाया गया कि 39.3% ग्रामीण आबादी कृषि में स्व:रोजगार में तथा अन्य 23.7 प्रतिशत श्रमिक के रूप में कृषि में रोजगार में है। बड़ी संख्या में उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री का एक स्रोत होने के अलावा, कृषि क्षेत्रक का देश की कुल निर्यात आय में लगभग 12% का योगदान है।

7.1.2 पशुधन और मात्स्यिकी क्षेत्रक दोनों मिलकर कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों, दोनों के उत्पादन का मिलाकर मूल्य लगभग 30% है तथा ये कुल कामकाजी व्यक्तियों के लगभग 5.5% को पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक रोजगार प्रदान करते हैं। भारत, विश्व में दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है जिसका कुल उत्पादन 2005-06 में 91 मिलियन टन था। दुग्ध के उत्पादन का मूल्य धान अथवा गेहूं किसी एक के मूल्य से अधिक है फिर भी, 2003-04 के दौरान 231 ग्राम प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति की दुग्ध उपलब्धता, बहुत कम है। पिछले वर्षों के दौरान देश में कुक्कुट विकास ने बेहतर प्रगति दर्शाई है, जिसका प्रमुख कारण सरकार द्वारा चलाई गई अनुसंधान और विकास स्कीमों को एक संगठित निजी क्षेत्रक द्वारा प्रभावी प्रबंधन और विपणन के जरिए पूरक बनाया जाना है।

7.1.3 दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों के जीडीपी में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। दसवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में वास्तविक

निष्पादन इस लक्ष्य से नीचे रहा है। 1999-2000 कीमतों पर कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों के जीडीपी की विकास दर तालिका 7.1.1 में दर्शाई गई है।

तालिका- 7.1.1

कारक लागत पर कुल तथा कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रकों के जीडीपी में वृद्धि(प्रतिशतता)

	कुल जीडीपी	कृषि, वानिकी और मात्स्यिकी क्षेत्रक का जीडीपी
2002-03	3.8	-6.9
2003-04	8.5	10.0
2004-05	7.5	0.7
2005-06	8.4	3.9
मूल दसवीं योजना	7.1	1.9
औसत वृद्धि	7.9	4.0
* संशोधित दसवीं योजना	6.7	2.2

\* पूर्वानुमानों को दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान संशोधित कर दिया गया था।

7.1.4 दसवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान 1.9 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर, दसवीं योजना (2002-07) के लिए संशोधित 2.2% वृद्धि दर से कम है।

7.1.5 खाद्यान्न उत्पादन में उत्पादकता कमी के संकेत 1990 के दशक में ही दिखने लग गए थे। हाल ही में और साथ ही विगत तीन दशकों के दौरान वृद्धि का कारण प्रौद्योगिकीय इनपुट हैं। इसके बाद, प्रतीत होता है कि प्रौद्योगिकी का प्रभाव कम प्रभावी रहा है। उत्पादकता में कमी के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक नीचे दर्शाए गए हैं :

- अधिकांश कृषि की दृष्टि से उन्नत और तीव्रता वाले क्षेत्रों में कुल कारक उत्पादकता में हास;

- मृदा पोषण रिजर्व और उच्च फसल पद्धति गहनता वाले क्षेत्रों में, जैसे कि गंगा-पार, अपर गंगा और दक्षिणी पठार क्षेत्रों में आर्गनिक पदार्थ के अति दोहन के कारण मृदा निरसता;
- अनुचित जल प्रबंधन पद्धतियां, जैसे कि बाढ़ का पानी और जलमग्नता, विशेष रूप से कमान क्षेत्रों में जिसकी वजह से भूजल का अतिदोहन और बर्बादी हुई है और मृदा की सतह और उप-मृदा में लवण की मात्रा में वृद्धि हुई है जिससे वृद्धि और उत्पादकता प्रभावित हुई है;
- सामान्यतः उर्वरक पोषकों का प्रयोग और असंतुलन तथा उप-इष्टतम प्रयोग हुआ है। पी और के उर्वरकों के कम प्रयोग तथा नाइट्रोजनी उर्वरकों के अधिक प्रयोग के कारण एन.पी.के. के अनुपात में विसंगतियां आई हैं। लघु और गौण पोषकों का प्रयोग लगभग अविद्यमान है;
- देश में काफी बड़ा क्षेत्र मृदा लवणता/क्षारीयता और एल्युमिनियम की विषाक्तता के अन्तर्गत है। कई वर्षों तक एक ही फसल के बार-बार उगाने से प्राप्त होने वाली उत्पादकता कम है;
- देश में लगभग 60% क्षेत्र वर्षापोषित है, इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण फसल वृद्धि स्तर पर संरक्षणात्मक सिंचाई के अभाव में कृषि मात्र निर्वहन स्तर पर है;
- सिफारिश किए गए प्रमाणित/उत्तम बीज की अनुलब्धता के कारण खेतिहर विभिन्न क्षेत्रों में न्यून बीज प्रतिस्थापन दरें (एसआरएसआर) प्राप्त करते हैं, वर्षापोषित फसलों में उर्वरकों के अनुप्रयोग का घटिया स्तर होता है, अपर्याप्त पादप संरक्षण उपाय और महत्वपूर्ण इनपुटों की उपलब्धता और प्रयोग में अन्तर रहता है।
- अनेक वर्षों से एक जैसी जेनेटिक सामग्री की लगातार खेती से फसलों और उनकी प्रजातियों की जेनेटिक क्षमता कम हुई है जिसे बढ़ाए जाने की जरूरत है। तथापि, पैदावार बाधा को पार करने के लिए प्रौद्योगिकीय प्रगति उत्पादकता में तेजी लाने में एक बड़ी बाधा है;
- वैज्ञानिक जानकारी और क्षेत्र अनुभव के आधार पर पैकेजिंग और प्रथाओं की सुधरी जानकारी का प्रभावशाली प्रसार राज्यों में लगभग अविद्यमान है;
- फार्म स्तर पर अपर्याप्त अथवा अविद्यमान फसलोत्तर प्रबंधन अवस्थापना, कीमत प्रोत्साहनों का अभाव, बाजार विकृतियां बोझिल प्रक्रियाओं के कारण ऋण की कम सुलभता, तथा बहुत ऊँची ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण में अन्तर्निहित ऊँची लेन-देन लागत;
- घटता जोत आकार और छोटे तथा सीमान्त किसानों की बहुलता, जिसके फलस्वरूप उत्पादन की मात्रा कम होती है और बहुत कम विपणनयोग्य अधिशेष रहता है; और
- विपणन ढाँचे का अभाव, बाजारों और सूचना तक सीमित पहुँच, निम्न मूल्यवर्धन, कृषि में अपर्याप्त सरकारी और निजी निवेश, प्रौद्योगिकी अपनाने से भी उत्पादकता में कमी आ रही है।

### 2005-06 में निष्पादन

7.1.6 2005-06 के दौरान कुल मिलाकर निष्पादन, जैसा कि तालिका 1 में देखा जा सकता है, काफी अच्छा रहा है जिसमें 3.9% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि काफी हद तक 2005 के दौरान अनुकूल मौसम स्थितियों के द्वारा सुकर हुई है। 2005 में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से केवल 1% कम रहा जबकि पिछले वर्ष यह सामान्य से 13% कम था। इसका स्थानिक वितरण भी काफी समान था जबकि कुल 36 मौसम विज्ञानीय उप-प्रभागों में से 32 में अत्यधिक/सामान्य वर्षा हुई। वर्ष के दौरान उत्तर-पूर्व मानसून भी संतोषजनक था (सामान्य से 10% अधिक)।

7.1.7 कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा 15 जुलाई, 2006 को जारी चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन में 5% की वृद्धि होने की प्रत्याशा है, जो 2004-05 में 198.4 मिलियन टन से 2005-06 में 208.3 मिलियन टन हो गया। यह 2003-04 में दर्ज 213.19 मिलियन टन के उच्चतम स्तर से कम है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि में एक बड़ा योगदान अनाजों का था, विशेष रूप से रबी मौसम में धान का। दालों में उत्पादन में लगभग कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। गेहूँ उत्पादन में 2004-05 में 68.6 मिलियन टन से 2005-06 में 69.5 मिलियन टन की केवल मामूली वृद्धि होने की संभावना है। यह, 1999-2000 में प्राप्त 76.37

तालिका 7.1.2  
2000-01 से खाद्यान्नों का क्षेत्र, उत्पादन और पैदावार  
(क्षेत्र : मिलियन हेक्टे0, उत्पादन : मिलियन टन, पैदावार : कि. ग्रा./हेक्टेयर)

फसल		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	CGR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
चावल	क्षेत्र	44.71	44.90	41.48	42.59	41.91		-1.81
	उत्पादन	84.98	93.34	71.82	88.53	83.13	91.04	0.59
	पैदावार	1901	2079	1744	2077	2026		1.27
गेहूँ	क्षेत्र	25.73	26.34	25.2	26.59	26.38		0.60
	उत्पादन	69.68	72.77	65.76	72.15	68.64	69.48	-0.28
	पैदावार	2708	2762	2610	2713	2718		-0.11
मोटा अनाज	क्षेत्र	30.26	29.52	26.99	30.8	29.03		-0.40
	उत्पादन	31.08	33.37	26.07	37.6	33.46	34.67	2.67
	पैदावार	1027	1131	966	1238	1166		3.50
दालें	क्षेत्र	20.35	22.01	20.5	23.46	22.77		2.93
	उत्पादन	11.07	13.37	11.13	14.91	13.13	13.11	3.14
	पैदावार	544	607	543	637	595		2.30
जोड़	क्षेत्र	121.05	122.78	113.86	123.45	120.08		-0.11
खाद्यान्	उत्पादन	196.81	212.85	174.77	213.19	198.36	208.3	0.78
पैदावार		1626	1734	1535	1731	1703		0.91

सीजीआर- 2000-01 आधार वर्ष के साथ मिश्रित वृद्धि दर

मिलियन टन के उच्चतम गेहूँ उत्पादन स्तर से काफी कम है जिस वर्ष पैदावार भी 2778 कि. ग्रा./हेक्टेयर पर उच्चतम थी तथा गेहूँ के तहत क्षेत्र 27.49 मिलियन हेक्टेयर था, 1998-99 में दर्ज 27.52 मिलियन हेक्टेयर के बाद दूसरे स्थान पर घरेलू खाद्यान्न उत्पादन में निष्पादन एक चिन्ता का विषय है जिसने 2000-01 से 2005-06 के बीच 0.78 की मिश्रित वृद्धि दर दर्ज की है, जो जनसंख्या वृद्धि दर के आधे से भी कम है। 2000-01 से खाद्यान्न के तहत क्षेत्र, उत्पादन और पैदावार तालिका 7.1.2 में प्रस्तुत की गई है।

7.1.8 वाणिज्यिक फसलों के मामलों में, 2005-06 के दौरान तिलहनों के उत्पादन में 14% की पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई तथा 27.73 मिलियन टन का रिकार्ड उत्पादन स्तर दर्ज किया गया। कपास उत्पादन भी 19.57 मिलियन गाँठों

के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गया। गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में यद्यपि 2005-06 में 17% अधिक था, फिर 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 में लगातार प्राप्त लगभग 300 मिलियन टन के उत्पादन स्तर से कम था। 2000-01 से कुछ महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों का निष्पादन तालिका 7.1.3 में दर्शाया गया है।

7.1.9 जहाँ तक अगले वर्ष (2006-07) के निष्पादन का संबंध है, संचयी मौसमी वर्षा (1 जून से 6 सितम्बर, 2006) से 7 में अत्यधिक, 18 में सामान्य और 11 उप-प्रभागों में कम वर्षा का पता चलता है। वर्ष 2006 के लिए आईएमडी के दीर्घावधिक पूर्वानुमान के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून सत्र (जून-सितम्बर) में कुल मिलाकर देश में दीर्घावधि औसत के 92% होने की संभावना है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 13% कम वर्षा हुई तथा उत्तर-पूर्व

तालिका-7.1.3

2000-01 से कुछेक महत्त्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों का निष्पादन, क्षेत्र- मिलियन हेक्टेयर, उत्पादन- मिलियन टन, पैदावार- कि. ग्रा./हेक्टे., कपास उत्पादन- 170-170 कि. ग्राम की लाख गॉट, जूट और मेस्ता उत्पादन- 180-180 कि. ग्राम की लाख गॉट

फसल		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04*	2004-05	2005-06	CGR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नौ प्रमुख तिलहन	क्षेत्र	22.77	22.64	21.49	23.66	27.52		4.32
	उत्पादन	18.44	20.66	14.83	25.18	24.35	27.73	9.14
	पैदावार	810	913	691	1067	967		5.23
कपास	क्षेत्र	8.54	9.13	7.67	7.6	8.79		-1.25
	उत्पादन	9.52	9.99	8.62	13.72	16.42	19.57	17.21
	पैदावार	190	186	191	309	324		17.06
जूट और मेस्ता	क्षेत्र	1.02	1.04	1.04	1	0.91		-2.64
	उत्पादन	10.56	11.67	11.27	11.17	10.27	10.74	-0.88
	पैदावार	1867	2007	1960	2021	2107		2.52
गन्ना	क्षेत्र	4.32	4.41	4.52	3.94	3.66		-4.35
	उत्पादन	295.96	297.2	287.38	233.86	237.08	278.38	-3.34
	पैदावार	68577	67370	63576	58986	63806		-2.73

भारत कमी वाला क्षेत्र था जहाँ सामान्य वर्षा से 23% की कमी रही।

### परिव्यय और व्यय

7.1.10 वार्षिक योजना 2004-05 से कृषि मंत्रालय के परिव्यय में काफी वृद्धि हुई है। कृषि मंत्रालय के लिए वर्ष 2006-07 के लिए 6900 करोड़ रुपये का परिव्यय मंत्रालय के 2003-04 में व्यय (3068.67 करोड़ रुपये) के दुगुने से भी अधिक है। कृषि मंत्रालय के तीन विभागों, नामतः कृषि और सहकारिता (डीएसी), पशुपालन, डेयरी उद्योग और मात्स्यिकी विभाग (डीएएचडीएफ) तथा कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) के संबंध में दसवीं योजना अवधि के दौरान परिव्यय और व्यय की प्रगति तालिका 7.1.4 में दर्शाई गई है।

7.1.11 वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के संबंध में कृषि और सहकारिता विभाग के परिव्यय और व्यय का विवरण संलग्नक 7.1.1 में दिया गया है।

7.1.12 कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रक के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय 2002-03 में कुल योजना परिव्यय के 2.4% से बढ़ाकर 2006-07 में 2.90% कर दिया गया है। विवरण तालिका 7.1.5 में देखा जा सकता है।

7.1.13 केन्द्रीय सरकार ने, कृषि में विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और कृषि में वृद्धि दर में तेजी लाने के लिए कृषि अवसंस्थापना में और कृषि में संवृद्धि दर में तेजी लाने के लिए हाल ही में अनेक उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- आर्थिक कार्यो संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 19 मई, 2005 को राष्ट्रीय बागवानी मिशन का अनुमोदन कर दिया है और वह 2005-06 के दौरान पूर्णतः प्रचालनात्मक हो गया।
- सरकार ने एक केन्द्र प्रायेजित “ लघु सिंचाई” कार्यक्रम अनुमोदित किया है जिससे जल उपयोग कार्यकुशलता सुधारने में मदद मिलेगी।
- कृषि और सहकारिता विभाग ने, राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) गठित करने के लिए

तालिका 7.1.4  
कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी), पशुपालन, डेयरी उद्योग और मात्स्यिकी विभाग  
तथा कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग का परिव्यय और व्यय

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.		डीएसी	डीएचडीएफ	डीएआरई	जोड़
I	दसवीं योजना परिव्यय (2002-07)**	13200.00	2500.00	5368.00	21068.00
II	2002-03 (ब.अ.)#	2167.00	300.00	775.00	3242.00
III	2002-03 (व्यय)#	1655.94	230.26	650.75	2536.95
IV	2003-04 (ब.अ) #	2167.00	300.00	775.00	3242.00
V	2003-04 (व्यय)#	2050.34	269.35	748.98	3068.67
VI	2004-05 (ब.अ)#	2650.00	500.00	1000.00	4150.00
VII	2004-05 में अतिरिक्त जीबीएस	440.00	100.00	-	540.00
VIII	2004-05 (सं.अ.)#	2945.00	575.00	900.00	4420.00
IX	2004-05 (व्यय)#	2656.26	563.45	816.01	4035.72
X	2005-06 (ब.अ)#	4179.32	669.08	1150.00	5998.40
XI	2005-06 (सं.अ.)#	3890.00	599.00	1070.00	5559.00
XII	2006-07(ब.अ)#	4800.00	777.00	1350.00	6900.00

स्रोत :- \*\* दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07), योजना आयोग, भारत सरकार

# यूनियन एक्सपेन्डीचर बजट, खण्ड I, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, 2002-03 से 2006-07

तालिका-7.1.5  
कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए योजना परिव्यय  
(रुपये करोड़ में)

	कुल योजना परिव्यय	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप
10वीं योजना (2002-07) \$	893183.00	21068.00 (2.4%)
वा. यो. 2002-03 (सं.अ.)#	136866.59	3219.06 (2.4%)
वा. यो. 2003-04 (सं.अ.)#	141765.80	3670.81 (2.6%)
वा. यो. 2004-05 (सं.अ.)#	150818.15	4798.75 (3.2%)
वा. यो. 2005-06 (सं.अ.)#	205338.24	5907.18 (2.87%)
वा. यो. 2006-07 (ब.अ.)*	254041.48	7385.57 (2.90%)

स्रोत : दसवीं योजना दस्तावेज, खण्ड-I व्यय बजट 2006-07  
खण्ड - I

नवम्बर 2006 में आदेश जारी कर दिए।

- कृषि में एक राष्ट्रीय लिंग संसाधन केन्द्र (एनजीसीआरए) कृषि और सहकारिता विभाग में लिंग सम्बद्ध मुद्दों के अभिसरण और समन्वय के लिए एक केन्द्रबिन्दु के रूप में विस्तार निदेशालय में स्थापित किया गया है।
- जूट प्रौद्योगिकी मिशन को जून 2006 में अनुमोदित कर दिया गया।
- अन्तरिक्ष कृषि मौसमविज्ञानीय तथा भू-आधारित प्रेक्षणों का उपयोग करते हुए पूर्वानुमान कृषि परिणाम (एफएएस एएल) जिसकी परिकल्पना अन्तरिक्ष विभाग और कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी, अगस्त, 2006 में अनुमोदित कर दिया गया।
- एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम “ बाँस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन” अक्टूबर 2006 में अनुमोदित की गई।
- दीमापुर, नागालैण्ड में केन्द्रीय बागवानी संस्थान के लिए मार्च 2006 में आधारशीला रखी गई। संस्थान,

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बागवानी क्षेत्रक के विकास की जरूरतों को पूरा करेगा।

- सरकार ने देश के प्रत्येक ग्रामीण जिले (578) में एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। अभी तक 541 से अधिक के.वी.के. स्थापित किए गए हैं। 252 जिलों में स्वायत्त निकायों के रूप में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेन्सियां (एटीएमए) स्थापित करके प्रौद्योगिकी प्रसार प्रयासों को और सुदृढ़ किया जा रहा है।
- भारत निर्माण के अन्तर्गत, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार करने की विशाल क्षमता है, छः घटक सम्मिलित हैं : यथा सिंचाई, सड़कें, जलापूर्ति, आवासन, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरसंचार संयोजकता।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीपी) फरवरी, 2006 में शुरू किया गया। अधिसूचित जिलों में ग्रामीण परिवारों को ग्राम पंचायतों के पास राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के तहत रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्ति के रूप में अपना पंजीकरण कराने का अधिकार होगा। पहले चरण में एनआरईजीए अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु 200 जिलों का विनिर्धारण किया गया है। उम्मीद है कि कार्यक्रम से कृषि उत्पादन के संबंध में, विशेष रूप से खाद्यान्नों में, मांग बढ़ेगी।
- सहकारिताओं के संबंध में संविधान (106वाँ) संशोधन विधेयक 2006, 22 मई, 2006 को लोक सभा में पेश किया गया था। विधेयक को कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया है।
- बीज (सीड) विधेयक 2004, दिसम्बर 2004 मास में राज्य सभा में पेश किया गया था तथा उसे कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया है।
- सरकार ने चार राज्यों, नामतः आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में 31 चुनिन्दा जिलों में कठिनाइयस्त किसानों के लिए 16,978.69 रुपये की लागत से एक पुनर्वास पैकेज हाल ही में अनुमोदित किया है। पैकेज के अन्तर्गत, इन जिलों में प्रधानमंत्री राहत कोष से राहत, संस्थागत ऋण समर्थन को मजबूत करना, सिंचाई विकास, लघु-सिंचाई को प्रोत्साहन,

वाटरशेड विकास, विस्तार सेवाएं, बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि बागवानी, पशुधन और मात्स्यिकी विकास के माध्यम से आय संवर्धन शामिल है।

- मंत्रिमंडल अनुमोदन के अनुसरण में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीवी) की औपचारिक रूप से स्थापना, संकेन्द्रित ध्यान और व्यावसायिक प्रबंधन के लिए मात्स्यिकी और जलीय कृषि से संबंधित प्रमुख कार्यकलापों के आयोजन के लिए 9.9.2006 को हैदराबाद में की गई थी।

7.1.14 कृषि और सहकारिता विभाग के प्रमुख कार्यक्रमों/स्कीमों का एक संक्षिप्त ब्योरा नीचे दिया गया है :

### तिलहनों, दालों, पाम तेल और मक्का के संबंध में एकीकृत स्कीम (आईएसओपीओएम)

7.1.15 तिलहनों, दालों, पाम तेल और मक्का के संबंध में एकीकृत स्कीम (आईएसओपी ओएम) का मूल उद्देश्य, तिलहनों, दालों, मक्का और पामतेल की फसलों के विभिन्न इनपुट प्रोत्साहनों और प्रौद्योगिकीय सहायता के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाकर तथा इन क्षेत्रों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाकर इनका उत्पादन बढ़ाना है। निम्नलिखित स्कीमों को मिलाकर आईएसओपीओएम को 2004 से कार्यान्वित किया जा रहा है : (i) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओपीपी), (ii) राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम (एनपीडीपी), (iii) त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (एएमडीपी), और (iv) पाम तेल विकास कार्यक्रम (ओपीडीपी)। आईएसओपीओएम के लिए कुल परिव्यय की राशि 1019.26 करोड़ रुपये है जिसमें दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 835 करोड़ रुपये का केन्द्रीय हिस्सा शामिल है। वर्ष 2005-06 के दौरान आईएसओपीओएम के अन्तर्गत 240 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई जबकि बजट अनुमान 240 करोड़ रुपये का था जो पिछले खच न हुए शेष के उपयोग का द्योतक है। 2006-07 के लिए परिव्यय की राशि 270 करोड़ रुपये है।

7.1.16 तिलहनों और दाल फसलों के पैदावार स्तर काफी निम्न हैं, तिलहनों और दाल फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मुख्य बाधा में निम्नलिखित सम्मिलित हैं : उत्पादन

प्रौद्योगिकी में किसी विशेष प्रगति का अभाव, असिंचित और सूखा प्रधान क्षेत्रों में खेती, खरीफ में बाढ़ और सूखा तथा सूखा और रबी में पाला पड़ने जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं, अनेक कीटों और बीमारियों की संभाव्यता जिनसे उत्पादकता प्रभावित होती है।

## कपास के संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन

7.1.17 कपास में कम उत्पादकता और घटिया कोटि को देखते हुए, अनुसंधान, उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण, अवस्थापना को एकीकृत करते हुए, फरवरी 2000 में कपास के संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन, क्षिप्र विशिष्ट उत्पादन प्रौद्योगिकियां तथा उच्च पेदावार वाली अल्पावधि नसलें विकसित करने, कपास उत्पादकता बढ़ाने और क्षेत्र प्रदर्शनों आदि के माध्यम से प्रौद्योगिकी को हस्तान्तरित करने, विपणन अवस्थापना के विकास और कपास के फसलोत्तर प्रबंधन के उद्देश्य से 13 कपास पैदा करने वाले राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

7.1.18 कृषि और सहकारिता विभाग, विकास कार्यक्रमों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए, विस्तार प्रयासों सहित, लघुमिशन (एमएम II) कार्यान्वित कर रहा है जिसके लिए दसवीं योजना परिव्यय की राशि 355.17 करोड़ रुपये है, जिसमें 300 करोड़ रुपये, केन्द्रीय सरकार के हिस्से के रूप में और 55.17 करोड़ रुपये राज्यों के हिस्से के रूप में शामिल हैं। 2005-06 में एमएम II के अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से का खर्च 46.77 करोड़ रुपये था जबकि परिव्यय की राशि 50 करोड़ रुपये थी। 2006-07 के दौरान अनुमोदित परिव्यय की राशि 74 करोड़ रुपये है।

## कृषि इनपुट और सेवाएं

### बीज

7.1.19 कृषि उत्पादन और उत्पादकता में संधारणीय वृद्धि के लिए बीज एक बुनियादी इनपुट है। सरकारी और निजी क्षेत्रक में बीज अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के विकास और सुदृढीकरण, किसान द्वारा बचाए गए बीज की कोटि सुधारने,

प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बीज की अतिरिक्त उपलब्धता की व्यवस्था करने और पूर्वोत्तर राज्यों व अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के दूरवर्ती इलाकों में उत्तम कोटि के बीजों की उचित कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम, नामतः “बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवस्थापना सुविधाओं के विकास और सुदृढीकरण” को 159 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2005-06 के लिए बजट अनुमान 40.55 करोड़ रुपये है जिसमें से खर्च हुई राशि 60.31 करोड़ रुपये है। वर्ष 2006-07 के लिए बजट अनुमान 90 करोड़ रुपये है।

7.1.20 नई पौधा नसलों के अनुसंधान और विकास के लिए निवेश पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करके उसे प्रेरित करने के लिए, तथा देश में बीज उद्योग के विकास को सुकर बनाने के लिए पादप नस्ल और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी एण्ड एफआर) अधिनियम 2003 अधिनियमित किया गया है। अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नवम्बर, 2005 में पीपीवी और एफ आर प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य पादप प्रजननकर्ताओं और साथ ही किसानों के अधिकारों को भी संरक्षण प्रदान करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारों के व्यापार सम्बद्ध पहलुओं संबंधी करार पर अमल करने के लिए, जिसे भारत ने अनुसमर्थित कर दिया है, व्यवस्था करना है।

## एकीकृत पोषक प्रबंधन

7.1.21 सांविधिक और तकनीकी विधिक कार्य निष्पादित करने के लिए आयातित तथा देशज उर्वरकों का निरीक्षण और विश्लेषण सुकर बनाने के वास्ते और राज्य प्रवर्तन अधिकारियों और उर्वरक विश्लेषकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी, केन्द्रीय उर्वरक कोटि नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान तथा क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को सुदृढ करने की एक केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। केन्द्रीय संस्थान फरीदाबाद में स्थित है तथा क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं नवी मुम्बई, चेन्नई और कल्याणी (प. बंगाल) में स्थित हैं। यह संगठन उर्वरकों का निरीक्षण और कोटि नियंत्रण आयोजित करता है और राज्य सरकारों के विश्लेषकों और प्रवर्तन

अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। 2005-06 के दौरान व्यय 2.05 करोड़ रुपये हुआ और 2006-07 के लिए बजट अनुमान 3.40 करोड़ रुपये है।

7.1.22 आर्गनिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम, “राष्ट्रीय आर्गनिक खेती परियोजना”, “विकास तथा जैव-उर्वरकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय परियोजना” की पुनर्संरचना करके, 57.05 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय के साथ, अक्टूबर, 2004 में अनुमोदित की गई थी। स्कीम को, दसवीं योजना के दौरान उन क्षेत्रों में प्रायोगिक पैमाने पर कार्यान्वित किया जा रहा है जो कृषि-निर्यात क्षेत्रों और शहरी पृष्ठ प्रदेश (अर्ध-शहरी) क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं। स्कीम के मुख्य घटक हैं : आर्गनिक उत्पाद के प्रमाणीकरण की एक पद्धति कायम करना, सेवा प्रदाताओं के माध्यम से क्षमता निर्माण, फलों और सब्जी के अवशिष्ट, कम्पोस्ट, कृमिपालन के लिए हेचरियों की वाणिज्यिक उत्पादन इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता और आर्गनिक खेती का प्रोत्साहन और विस्तार। वर्ष 2005-06 के लिए 27.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जबकि खर्च हुई राशि 20.25 करोड़ रुपये थी। 2006-07 के लिए भी परिव्यय की राशि 27.00 करोड़ रुपये निश्चित की गई है।

### पादप संरक्षण और संघरोध

7.1.23 “भारत में पादप संघरोध सुविधाओं का सुदृढीकरण तथा आधुनिकीकरण” स्कीम, विभिन्न कार्यकलापों को सुकर बनाने के लिए, जिनमें फाइटो-स्वच्छता प्रमाणन, आयात परमिट तथा आयात/निर्यात के लिए पादपों और रोपण सामग्री का निरीक्षण सम्मिलित है, 96.01 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2004-05 के दौरान 492.19 मीट्रिक टन आयातित बीजों/प्रोपोगईओन्स और खपत के लिए 43.28 लाख मी. टन आयातित सामग्री की जाँच पड़ताल की गई। 2004-05 के दौरान 56.63 लाख मी. टन पादपों और पादप सामग्री का निर्यात निरीक्षण किया गया।

7.1.24 “भारत में कीट प्रबंधन का सुदृढीकरण और

आधुनिकीकरण” के संबंध में एक केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम, विद्यमान स्कीमों, अर्थात् नाशिकीट अधिनियम, एकीकृत कीट प्रबंधन के प्रोन्नयन, टिड्डी दल केन्द्रों और पादप संरक्षण में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण का अभिसरण करके 96.05 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय के साथ प्रारंभ की गई है। यह नाशिकीट अधिनियम, 1968 को कार्यान्वित करने के लिए एक अंशतः विनियामक और अंशतः प्रोत्साहक स्कीम है जिसके अन्तर्गत नाशिकीटों के पंजीकरण, नाशिकीटों के परीक्षण, संबंधित अधिकारियों के प्रशिक्षण, टिड्डी दल केन्द्रों के अनुसंधान, अनुसंधान और निगरानी, कृषक क्षेत्र स्कूलों (एफएफएस) के माध्यम से एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) प्रशिक्षण और जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं और नाशिकीट परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए राज्यों को निधियां भी जारी करने की परिकल्पना की गई है।

7.1.25 राष्ट्रीय स्तर पर नाशिकीट अवशिष्टों के मानीटरन की स्कीम, 24 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2005 के दौरान शुरू की गई है। स्कीम के अन्तर्गत, घरेलू खपत और निर्यात के लिए भी, विनिश्चित कृषि वस्तुओं में नाशिकीट अपशिष्टों को चैक करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रयोगशालाओं और विभागों द्वारा किए जा रहे नाशिकीट अवशिष्टों के संबंध में डाटा के संग्रहण, संकलन और एकत्रण की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के लिए 2005-06 के दौरान 5 करोड़ रुपये के परिव्यय और 2006-07 के लिए 10 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

### कृषि विस्तार

7.1.26 एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम, अर्थात् “विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों के लिए सहायता” 226.07 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय के साथ 2005 में प्रारंभ की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत, विस्तार सेवाओं के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेन्सी (एटीएमए) माडल के जैसी नई संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से विस्तार सुधार शुरू किए गए हैं, जिसका राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एनएटीपी) के अन्तर्गत सफलतापूर्वक प्रायोगिक परीक्षण किया गया। इसके अन्तर्गत एकसमान विभागों, बहु-एजेन्सी

विस्तार कार्यनीतियों, व्यापक आधारित विस्तार प्रदाय, लिंग चिन्ताओं को समाहित करते हुए विस्तार के प्रति समूह दृष्टिकोण के अभिसरण की परिकल्पना की गई है। स्कीम के अन्तर्गत, राज्य स्तर पर अन्तर विभागीय कार्यदल (आईडीडब्ल्यूजी) की स्थापना करने, भागीदारीपूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) दृष्टिकोण के साथ महत्वपूर्ण अनुसंधान और विस्तार योजना (एसआरईपी) तैयार करने, विनिर्धारित जरूरतों के आधार पर नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण की व्यवस्था है।

7.1.27 स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच वित्तपोषण पद्धति 90 : 10 अनुपात में है।

7.1.28 स्कीम के अन्तर्गत “कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेन्सी” (एटीएमए) की स्थापना करने के लिए 256 जिले विनिर्धारित किए गए हैं जिनके मुकाबले 31 अक्टूबर 2006 तक 238 जिले स्थापित किए गए हैं।

7.1.29 किसान आत्महत्याओं द्वारा अत्यंत गम्भीर रूप से प्रभावित सभी 31 जिलों को विस्तार सुधार स्कीम के अन्तर्गत कवर करने का निर्णय लिया गया है। संबंधित चार राज्यों को शेष रहते 16 जिलों में से प्रत्येक में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेन्सी (एटीएमए) गठित करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें मूल कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया था। महाराष्ट्र में ऐसे तीन, आन्ध्र प्रदेश में 8, कर्नाटक में 4 और केरल में एक जिला है। वर्ष 2005-06 के लिए 45.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसके विरुद्ध 44.8 करोड़ रुपये की निधियां जारी की गईं।

7.1.30 पात्र कृषि स्नातकों के लिए स्व:रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने तथा कृषि विस्तार को समर्थन प्रदान करने के लिए भी कृषि स्नातकों द्वारा कृषि-क्लिनिकों और कृषि-व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना की एक केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम 42.11 करोड़ रुपये के दसवीं योजना परिव्यय के साथ कार्यान्वित की जा रही है। बैंक ऋण के जरिए वित्त पोषित परियोजना की पूँजी लागत की ऋण-सम्बद्ध 25% की दर

से बैंक एन्डिड सब्सिडी और साथ ही बैंक ऋण के प्रथम दो वर्षों के लिए पूर्ण ब्याज सब्सिडी की भी हाल ही में व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं व अन्य अल्पसुविधाप्राप्त वर्गों तथा पूर्वोत्तर व पर्वतीय राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों के संबंध में सब्सिडी 33.33% है। वर्ष 2005-06 के लिए व्यवस्थित 9.75 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले खर्च हुई राशि 4.25 करोड़ रुपये थी।

7.1.31 मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के उद्देश्य से, साइबर किओस्क सहित, उत्पादन तथा इनपुट कीमतों के संबंध में नई कृषि प्रथाओं और सूचना की जानकारी का प्रसार करने के लिए, जन संचार माध्यमों के जरिए “कृषि विस्तार की एक केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम” 314.58 करोड़ रुपये के दसवीं योजना परिव्यय के साथ कार्यान्वित की जा रही है।

7.1.32 दूरदर्शन (राष्ट्रीय), 18 क्षेत्रीय केन्द्रों तथा दूरदर्शन के 180 नैरोकास्टिंग केन्द्रों और आकाशवाणी के 96 एफएम स्टेशनों से कृषि कार्यक्रम तैयार/प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों को नियमित मानीटरन के लिए स्कीम के संबंध में राज्य और जिला समिति गठित की गई है। दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों ही के श्रोतागण अनुसंधान यूनिटों के माध्यम से फीडबैक लगातार आधार पर प्राप्त हो रहे हैं।

7.1.33 कार्यक्रम समय तालिका को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा नैरोकास्टिंग केन्द्रों द्वारा विषयवस्तु तालिका सूची और मानीटरन पद्धति में एक मास पहले अपलोड किया जाता है। कृषि के संबंध में आधे घन्टे के कार्यक्रम को राष्ट्रीय दूरदर्शन चैनल प्रसारणों के अन्तर्गत, वर्ष 2005-06 के लिए 71.0 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। जिसके मुकाबले खर्च हुई राशि 104.70 करोड़ रुपये थी। 2006-07 के लिए बजट अनुमान 126 करोड़ रुपये है।

7.1.34 कृषि काल सेन्टर्स, “राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि और सहकारिता के साथ डील करने वाले विभागों में आईटी का सुदृढीकरण/सूचना विज्ञान का प्रोन्नयन” स्कीम का एक अभिन्न घटक है। इसे, दूरसंचार अवस्थापना का

इस्तेमाल करके कृषक समुदाय की मांग पर जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। केन्द्रों को निःशुल्क एक राष्ट्रव्यापी एकसमान नम्बर 1551 आवंटित किया गया है। विभाग, स्कीम के अन्तर्गत एक ज्ञान प्रबंधन पद्धति (केएमएस) का विकास करने के संबंध में कार्रवाई कर रहा है ताकि किसानों की पूछताछ की सही, सतत तथा तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके। स्कीम को 21 जनवरी, 2004 को प्रारंभ किया गया था। दसवीं योजना के लिए अनुमोदित कुल परिव्यय की राशि 20.52 करोड़ रुपये है। स्कीम की शुरुआत से 2.37 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है तथा 2005-06 के लिए बजट अनुमान 2.5 करोड़ रुपये है।

7.1.35 केन्द्रीय संस्थानों को विस्तार सहायता का कार्यान्वयन निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करने के वास्ते 80.74 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ किया जा रहा है : (i) शिक्षा, अनुसंधान परियाजनाओं, क्षमता निर्माण और परामर्श हेतु “मेनेज” ; (ii) निलोखेड़ी राजेन्द्रनगर, आनन्द और जोरहाट में चार विस्तार शिक्षा संस्थानों (ईईआई) में प्रशिक्षण कार्यक्रम ; (iii) माडल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए 52 अन्य संस्थानों के लिए सहायता ; (iv) कृषि में राष्ट्रीय लिंग संसाधन केन्द्र ; और (v) कृषि मेलों का आयोजन/उनमें भागीदारी। वर्ष 2005-06 के लिए बजट परिव्यय की राशि 20.41 करोड़ रुपये थी जिसके मुकाबले वास्तविक खर्च की राशि 12.09 करोड़ रुपये थी। 2006-07 में 13.65 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

### कृषि का मेक्रो प्रबंधन

7.1.36 केन्द्र प्रायोजित स्कीम “मेक्रो प्रबंधन”, 21 पूर्व केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को मिलाकर चल रही है। स्कीम के अंतर्गत राज्यों को अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यकलाप तैयार और संचालित करने की छूट दी गई है। स्कीम का उद्देश्य, राज्यों द्वारा स्वयं तैयार कार्य योजनाओं के माध्यम से कृषि का चहुँमुखी विकास करना है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किए जाने के बाद बागवानी से संबंधित दस स्कीमों “मेक्रो प्रबंधन” क्षेत्राधिकार से बाहर कर दी गई हैं। दसवीं योजना परिव्यय तथा वार्षिक योजना 2002-03,

2003-04, 2004-05 और 2005-06 के लिए “मेक्रो प्रबंधन” के लिए वास्तविक व्यय की राशि क्रमशः 4313 करोड़ रुपये, 595 करोड़ रुपये, 649 करोड़ रुपये, 1186 करोड़ रुपये और 841 करोड़ रुपये है। 2006-07 में ब.अ. 910 करोड़ रुपये है।

### कृषि ऋण

7.1.37 उचित दरों पर ऋण का अभाव देश के बहुत से भागों में सहकारी ऋण पद्धति के असफल होने का परिचायक है। ऋण प्रदान करने में संगठित क्रेडिट पद्धति की असफलता के कारण, अनौपचारिक स्रोतों पर सामान्यतः अत्यंत ऊँची ब्याज दरों पर अत्यधिक निर्भरता आई है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने “कृषक परिवारों की कृषक-ऋणग्रस्तता का स्थिति आकलन सर्वेक्षण” पर अपनी रिपोर्ट में 59वें चक्र में पाया कि ऋणग्रस्तता का भार आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक है (82%), उसके बाद तमिलनाडु (74.5%), पंजाब(65.4%), केरल (64.4%), कर्नाटक (61.1%), महाराष्ट्र (54.8%) और हरियाणा (53.1%) का स्थान है। सर्वेक्षण में पाया गया कि ऋणग्रस्तता 50% से अधिक कृषक परिवारों ने ऋण कार्य व्यवसाय में पूँजी अथवा चालू खर्च के प्रयोजनार्थ लिया था। ऐसे ऋण में शादी शामिल थी तथा बकाया रहते प्रत्येक 1000 रूपए में उनका योगदान 554 रूपये था उत्सवों का हिस्सा कृषक परिवारों के बकाया ऋणों के प्रत्येक 1000 रूपए में 111 रूपए था। सर्वेक्षण के दौरान उधारकर्ता किसानों के स्रोतों की भी जांच की गई तथा पाया गया कि ऋण का सर्वाधिक आमस्रोत “कृषि/व्यवसायिक के साहूकार थे”। अखिल भारत स्तर पर, औसतन 100 ऋणग्रस्त परिवारों में से 29 ने साहूकारों से ऋण लिया ; 56% उधारकर्ताओं ने बैंकों, सहकारी समितियों व अन्य सरकारी संस्थानों से ऋण लिया। बकाया रहती ऋण राशि की प्रतिशतता की दृष्टि से ऋण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत बैंक थे (36%), उसके बाद साहूकारों का स्थान (26%) था।

7.1.38 किसानों की ऋणग्रस्तता की समस्या को देखते हुए, सभी एजेंसियों द्वारा कठिनाईग्रस्त किसानों, बकाया के देनदार किसानों को एक- बारगी निपटारा (आटीएस) के

अंतर्गत 2005-06 के दौरान तथा नवम्बर 2005 तक, 2939 करोड़ रुपये ऋण राहत के रूप में प्रदान किए गए। विशेष ओटीएस स्कीम के अंतर्गत, 342 करोड़ रुपये के पुराने तथा निरन्तर ऋणों का निपटारा किया गया। वाणिज्यिक बैंकों ने 4074 किसानों को 14 करोड़ रुपये अग्रिमों के रूप में दिए ताकि वे साहूकारों के ऋणों को चुका सकें। सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में तदनुसूची राशि क्रमशः 1.30 करोड़ रुपये और 4.44 करोड़ रुपये थी।

7.1.39 कृषि के लिए संस्थागत (सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंक) ऋण में 2003-04 से काफी वृद्धि कर दी गई है जिसे निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है :

वर्ष	करोड़ रुपये
2002-03	70,810
2003-04	86,981
2004-05	1,25,309
2005-06	1,41,500 लक्ष्य
	1,17,899*

\* (दिसम्बर 2005 के अंत में उपलब्धि, 58.3 लाख किसानों को कवर करते हुए)

7.1.40 कृषि ऋण के प्रवाह में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) स्कीम के बढ़े हुए कवरेज से काफी सुविधा मिली। 2004-05 के दौरान, 96.81 लाख अतिरिक्त कार्ड जारी किए गए। 11.5 करोड़ किसानों में से, अभी तक (31 मार्च 2006 तक) 5.82 करोड़ किसानों को केसीसी प्रदान किए गए हैं। जारी किए गए कार्डों में सहकारी बैंकों का हिस्सा सर्वाधिक (58.6%) था, उसके बाद सरकारी क्षेत्रक बैंकों (32%) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (9.4%) का स्थान था।

7.1.41 सरकार कृषि विपणन में प्रतियोगिता और कार्यकुशलता लाने के लिए कृषि विपणन सुधारों पर बल देना जारी रखे हुए है। अनेक राज्यों ने, संविदा कृषि प्रोत्साहित

करने, विपणन अवस्थापना कायम करने और कृषि उत्पाद की सीधी बिक्री प्रोत्साहित करने के लिए विपणन सुधार लागू करने के वास्ते उपाय प्रारंभ किए हैं। कृषि और सहकारिता विभाग, “बैंक एन्डिड” पूँजी निवेश सब्सिडी की व्यवस्था करके कृषि विपणन अवस्थापना के विकास और सुदृढीकरण की एक केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

### स्वयंसेवी समूह (एसएचजी) - बैंक संयोजन कार्यक्रम

7.1.42 एसएचजी- बैंक संयोजन कार्यक्रम, देश में एक प्रमुख लघु वित्त कार्यक्रम के रूप में उभरा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यतः छोटे और सीमान्त किसान, कृषि और गैर-कृषि श्रमिक, शिल्पकार और दस्तकार आदि जैसे ग्रामीण गरीबों पर बल दिया जाता है जिनके पास औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के लिए कोई संधारणीय सुलभता नहीं है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 563 जिलों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया गया है, 560 बैंक, 48 वाणिज्यिक बैंकों सहित, 196 आरआरबी और 316 सहकारी बैंक तथा साथ ही 3024 एनजीओ भी अब इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। बैंकों से जुड़े एसएचजी की संचयी संख्या 31 मार्च 2005 को कुल 15,97,807 थी। इन एसएचजी के लिए बैंक ऋण का संचयी संवितरण इसी तारीख को 6866.59 करोड़ रुपये था। 2003-04 की तुलना में 2004-05 के दौरान निवल प्रगति क्रमशः 518713 और 2962.38 करोड़ रुपये थी।

7.1.43 ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि (आरआईडीएफ) का उपयोग, जो सरकारी तथा निजी क्षेत्रक बैंकों द्वारा प्राथमिकतापूर्ण/कृषि क्षेत्रक को 18 प्रतिशत से भी कम निवल बैंक ऋण बैठता है, एक चिन्ता का मामला है। आरआईडीएफ के अन्तर्गत मंजूर राशि (42948.51 करोड़ रुपये) के केवल 59 प्रतिशत का मार्च 2005 तक संवितरण (25384.02 करोड़ रुपये) किया गया है। इसके अलावा, मंजूरीयों में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों का हिस्सा केवल 43 प्रतिशत है। पात्र कार्यकलापों को उन कार्यकलापों तक सिमित करके, जो समग्र कारक उत्पादकता कृषि क्षेत्रक में ऋण खपत क्षमता बढ़ाने के लिए प्रत्यक्षतः योगदान करते

हैं, आरआईडीएफ को अधिक कृषि संकेन्द्रित बनाए जाने की जरूरत है।

### राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस)

7.1.44 एक व्यापक आधारित केन्द्रीय क्षेत्रक “राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम” (एनएआईएस) देश में 1999-2000 के रबी मौसम से प्रारंभ की गई थी। यह स्कीम “क्षेत्र दृष्टिकोण” के आधार पर चल रही है, अर्थात् व्यापक आपदाओं के लिए प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए परिभाषित क्षेत्र तथा स्थानीयकृत आपदाओं, जैसे कि आंधी-तूफान, भूस्खलन, चक्रवात और बाढ़ के लिए “अलग-अलग आधार” पर।

7.1.45 एनएआईएस के लिए दसवीं योजना परिव्यय की राशि 1500 करोड़ रुपये है। 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान वास्तविक व्यय की राशि क्रमशः 254.99 करोड़ रुपये, 637.93 करोड़ रुपये, 350.00 करोड़ रुपये और 749.55 करोड़ रुपये है। 2006-07 के लिए बजट अनुमान 550 करोड़ रुपये है। पिछले 12 फसल मौसमों (अर्थात् रबी 1999-2000 से खरीफ 2005 तक), 70696 करोड़ रुपये की राशि का बीमा करते हुए 12.20 करोड़ हेक्टेयर के क्षेत्र में 7.51 करोड़ किसानों को कवर किया गया है। लगभग 2.14 करोड़ किसानों को लाभान्वित करते हुए लगभग 2226 करोड़ रुपये की प्रिमियम आय के मुकाबले लगभग 7207 करोड़ रुपये की राशि के दावे देय बन गए हैं। 2005-06 में, 18,000 करोड़ रुपये की मूल्य के फसल बीमा की राशि से स्कीम के अन्तर्गत 1.26 करोड़ किसानों को कवर किया गया।

### सहकारिता

7.1.46 कृषि ऋण के संवितरण, किसानों को बाजार समर्थन प्रदान करने, कृषि इनपुटों का वितरण और सहकारिता शिक्षा/प्रशिक्षण प्रदान करने में सहकारिता क्षेत्रक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश में लगभग 23.62 करोड़ की सदस्यता तथा 34.01 करोड़ रुपये की कार्यशील पूँजी के साथ लगभग 5.45 लाख सहकारिताएं हैं।

7.1.47 कार्यदल ने 4 फरवरी, 2005 को प्रस्तुत अपनी

रिपोर्ट में ग्रामीण ऋण संस्थानों के पुनरुद्धार की लागत 14,839 करोड़ रुपये (4000 करोड़ रुपये की आकस्मिकता निधि सहित) अनुमानित की है, जिसे भारत सरकार, राज्य सरकारों और सहाकारी ऋण प्रणाली (सीसीएस) यूनिटों के बीच क्रमशः 66 : 22.9 : 11.1 के अनुपात में बाँटने का प्रस्ताव है। संचयी हानियों को समाप्त करने, राज्य सरकारों द्वारा दी गई किन्तु अप्रदत्त गारंटियों को शामिल करते हुए, पूँजी को एक विनिर्दिष्ट न्यूनतम स्तर तक बढ़ाने, सरकारी शेयर पूँजी और तकनीकी सहायता को कम करने के लिए सहायता उपलब्ध होगी। तथापि, वित्तीय पैकेज, राज्य सरकारों द्वारा कानूनी विनियामक सुधारों के अध्यक्षीन है जिनसे सहकारिताएं परस्पर बचत व ऋण के लिए प्रजातांत्रिक, स्वः शासी, आत्मनिर्भर बनने में समर्थ होंगी। ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों के पुनरुद्धार संबंधी कार्य दल की रिपोर्ट पर 9 सितम्बर 2005 को राज्य सरकारों के साथ माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अन्योन्यक्रिया सत्र में चर्चा की गई थी। रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण सहकारी ऋण के पुनरुद्धार के लिए 9 पैकेज तैयार किए हैं।

### कृषि विपणन

7.1.48 कृषि का उच्च मूल्य फसलों में विविधीकरण करने के लिए उनके उत्पाद की अन्तिम कीमत में किसानों का हिस्सा सुनिश्चित करते हुए और भारतीय कृषि को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के खुलने व व्यापार बाधाएं हटा लिए जाने से उत्पन्न अवसर का लाभ उठाने के लिए, प्रतिस्पर्धात्मक बनाना एक पूर्वापेक्षा है। राज्यों के कृषि उत्पाद विपणन अधिनियमों के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों में संशोधन करना और विपणन व अन्य फसलोंत्तर अवस्थापना का सृजन करना, देश में प्रतियोगी व सुचारु कृषि विपणन के विकास के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। किसानों और प्रसंस्करणकर्ताओं दोनों के लाभ के लिए संविदे का उचित रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सही किस्म की पद्धतियाँ आवश्यक हैं।

7.1.49 कृषि और सहकारिता विभाग ने कृषि उत्पाद विपणन के संबंध में माडल विधान तैयार किया है और उसपर विभिन्न मंचों पर राज्यों के साथ चर्चा की है। माडल

विधान के अन्तर्गत कृषि उत्पाद के सीधे विपणन, संविदा कृषि, निजी क्षेत्रक में कृषि बाजार स्थापित करने आदि की व्यवस्था है। अभी तक सात राज्यों, यथा मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, नागालेण्ड और आन्ध्र प्रदेश तथा राजस्थान ने कृषि उत्पाद विपणन अधिनियमों में संशोधन किया है तथा संविदा कृषि और सीधे विपणन व निजी क्षेत्रक में कृषि विपणन अवस्थापना स्थापित करने, नूतन विपणन पद्धति और प्रौद्योगिकियां अपनाने के संबंध में अध्यादेश जारी कर दिए हैं। कुछ अन्य राज्यों ने जिनमें महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सम्मिलित है, एपीएमसी अधिनियमों में आंशिक रूप से संशोधन किए हैं। कुछ अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं जहाँ कोई एपीएमसी अधिनियम नहीं है और इसलिए डीएससी के माडल विधान को अपनाने की जरूरत नहीं है। इनमें सम्मिलित हैं : केरल, मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप । कुछ अन्य राज्यों ने सुधार लागू करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई आरंभ की है। तथापि, कृषि विपणन सुधारों में तेजी लाए जाने की जरूरत है।

7.1.50 कृषि विपणन और अवस्थापना का विकास, श्रेणीकरण व मानकीकरण, विपणन अवस्थापना के विकास

और सुदृढीकरण के लिए एक ऋण सम्बद्ध बैंक एन्डिड सब्सिडी केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम है। स्कीम को, कृषि विपणन सुधार-सम्बद्ध कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वयन हेतु 190 करोड़ रुपये के दसवीं योजना परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। स्कीम के अन्तर्गत, कृषि वस्तुओं के विपणन, विद्यमान कृषि बाजारों के सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण, थोक बिक्री बाजारों और जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण हाटों के लिए सामान्य अथवा वस्तु विशिष्ट अवस्थापना स्थापित करने के लिए परियोजना की पूंजीगत लागत के 25 प्रतिशत की दर से ऋण सम्बद्ध बैंक एन्डिड सब्सिडी प्रदान की जाती है। स्कीम के अन्तर्गत सहायता राज्यों द्वारा कृषि उत्पाद विपणन अधिनियमों में संशोधनों के साथ जुड़ी है। वार्षिक योजना 2005-06 के लिए स्कीम के लिए 70 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसके मुकाबले खर्च हुई राशि 3.27 करोड़ रुपये है। वर्ष 2006-07 के लिए बजट अनुमान 67 करोड़ रुपये है।

### ग्रामीण गोदाम

7.1.51 फार्म/प्रसंस्करित फार्म उत्पाद भण्डारित करने और कटाई के तत्काल पश्चात मजबूरन बिक्री को रोकने के लिए किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों

#### तालिका 7.1.6

#### राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के संबंध में 2003-04 के बाद से भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां

स्कीम का नाम	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1. उत्पादन तथा फसलोत्तर प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास	116 इकाइयां	940 इकाइयां	685 इकाइयां	252 इकाइयां	1100 इकाइयां	4781	5020
2. बागवानी उत्पाद के लिए शीट शीट भण्डार /भण्डारणों के निर्माण/विस्तार/ आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी	140 इकाइयां (7.0 lakh MT)	353 इकाइयां (10.21 lakh MT)	105 इकाइयां (6.0 lakh MT)	88 इकाइयां (5.73 lakh MT)	108 इकाइयां	178	228
3. बागवानी के संबंध में प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण	225 घटनाएं	232 घटनाएं	300 घटनाएं	71 घटनाएं	NA	92	300

स्रोत: निष्पादन बजट, 2005-06 अर्ध वार्षिक निष्पादन समीक्षा दिनांक 17 नवम्बर, 2006 कृषि और सहकारिता विभाग

में सम्बद्ध सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता का निर्माण करना, देश में सुचारु विपणन पद्धति के अनिवार्य घटक हैं। ये उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण गोदामों के निर्माण/पुनरुद्धार/ उन्नयन हेतु पूँजी निवेश की एक केन्द्रीय क्षेत्रक ऋण सम्बद्ध बैंक एन्डिड सब्सिडी स्कीम दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जा रही है। किसानों, कृषि स्नातकों सहकारिताओं और राज्य केन्द्रीय भाण्डागार निगमों के मामले में निवेशक परियोजना की कुल लागत के 25 प्रतिशत का योगदान करते हैं तथा संस्थागत ऋण 50 प्रतिशत होता है। शेष 25 प्रतिशत भारत सरकार, बैंक एन्डिड सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है। अनु. जाति/ अनु. जनजाति/ एससीएसटी सहकारिताओं/पूर्वोत्तर राज्यों/पर्वतीय क्षेत्रों के मामले में सब्सिडी की राशि 33.33% है।

7.1.52 स्कीम को दसवीं योजना के लिए 295 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया था। नाबार्ड और एनसीडीसी ने, जो स्कीम के संबंध में दो कार्यान्वयन एजेन्सियां हैं, जुलाई, 2005 तक 144.39 लाख टन भण्डारण क्षमता का निर्माण करने के लिए भण्डारण परियोजनाएं मंजूर की हैं, इस प्रकार दसवीं योजना का 140 लाख टन का लक्ष्य पार हो गया है। वार्षिक योजना 2005-06 के लिए इस स्कीम के वास्ते 70 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2005-06 के संबंध में खर्च की राशि 86.6 करोड़ रुपये है। वर्ष 2006-07 के लिए बजट अनुमान 70 करोड़ रुपये हैं। निर्मित भण्डारण क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए, परक्राम्य वेयरहाउस रसीद प्रणाली लागू करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है।

### बागवानी

7.1.53 राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड और कृषि तथा सहकारिता विभाग (डीएसी) का बागवानी प्रभाग, बागवानी क्षेत्रक में प्रमुख विकास कार्यक्रमों के संबंध में कार्यान्वयन एजेन्सियां हैं।

### राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

7.1.54 राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), विभिन्न स्कीमों

के माध्यम से बागवानी क्षेत्रक में फसलोत्तर प्रबंधन से सम्बद्ध मुद्दों पर विचार करता है। ये हैं : उत्पादन तथा फसलोत्तर प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास, पूँजी निवेश सब्सिडी स्कीम, शीत भण्डारों का निर्माण, विस्तार तथा आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी विकास और बागवानी के प्रोन्नयन हेतु हस्तान्तरण। वर्ष 2005-06 के दौरान एनएचबी द्वारा किए गए खर्च की राशि 70 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2006-07 में स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

### नारियल विकास बोर्ड, नारियल के संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन सहित

7.1.55 नारियल उद्योग के एकीकृत विकास संबंधी स्कीम, नारियल के संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन सहित, का कार्यान्वयन कृषि मंत्रालय के अधीन नारियल विकास बोर्ड द्वारा 1982-83 से किया जा रहा है। बोर्ड, नारियल के उत्पादन, उत्पादकता और उत्पाद विविधीकरण और बाजार प्रोन्नयन पर बल देता है जिसके संबंध में देश में विभिन्न स्थानों के लिए उपयुक्त कार्यनीतियाँ तैयार की गई हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र हैं : उत्तम रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण, उत्पादन का प्रदर्शन और संरक्षण प्रौद्योगिकियाँ, उत्पाद विविधीकरण के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास, नारियल के स्वास्थ्य लाभों के संबंध में जागरूकता पैदा करना। बताया गया है कि वार्षिक योजना 2005-06 में स्कीम के लिए किए गए 70 करोड़ रुपये के प्रावधान का उपयोग कर लिया गया है। वार्षिक योजना 2006-07 का परिव्यय 100 करोड़ रुपये विनिश्चित किया गया है।

### सिक्किम सहित पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में बागवानी के एकीकृत विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमएनई)

7.1.56 यह केन्द्र प्रायोजित स्कीम 2001-02 में शुरू की गई थी तथा इसके अंतर्गत चार लघु-मिशन सम्मिलित हैं : यथा एमएम I (अनुसंधान), एमएम-II (उत्पादन और उत्पादकता), एमएम-III (फसलोत्तर प्रबंधन तथा विपणन) और एमएम-IV (प्रसंस्करण)। स्कीम के अन्तर्गत राज्यों

को केन्द्रीय सरकार से 100% सहायता प्रदान की जाती है। दसवीं योजना में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, सिक्किम सहित, स्कीम के लिए मूल अनुमोदित परिव्यय 585 करोड़ रुपये है, जिसे जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल तीन राज्यों को मिलाने के बाद, बढ़ाकर 845 करोड़ रुपये कर दिया गया। वर्ष 2005-06 के लिए परिव्यय 170 करोड़ रुपये था जबकि खर्च की राशि 187.40 करोड़ रुपये थी। 2006-07 के लिए 240.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आवंटन जारी राशि और खर्च का राज्य-वार ब्यौरा संलग्नक 7.1.3 में दिया गया है।

7.1.57 मिशन के कार्यान्वयन से पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न बागवानी फसलों के तहत 117872 हेक्ट. का अतिरिक्त क्षेत्र लाने में मदद मिली है। जो मिशन-पूर्व अवधि (2000-01) के दौरान क्षेत्र की तुलना में 34% वृद्धि तथा तीन हिमालयाई राज्यों में बागवानी फसलों को 25373 हेक्ट. का द्योतक है। पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्र में वृद्धि की प्रतिशतता सिक्किम में सर्वाधिक है (72%), उसके बाद मिजोरम (71%), मणिपुर (34%), नागालैण्ड (32%), अरुणाचल प्रदेश (30%), त्रिपुरा (16%), मेघालय (14%) और असम (2.60%) का स्थान है।

7.1.58 निर्मित अवस्थापना सुविधाओं से, जैसे कि नर्सरियां, टिशु, पैदावर यूनिट, सामुदायिक बाटर ट्यूबवैलों, ड्रिप सिंचाई, हरित गृह, माडल पुष्पकृषि केन्द्र, मशरूम यूनिट, वर्मी-कम्पोस्ट यूनिट आदि में क्षेत्र में बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता सुधारने में और उत्तम कोटि की रोपण सामग्री के उत्पादन और आपूर्ति में मदद मिली है।

### बॉस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास के संबंध में राष्ट्रीय मिशन

7.1.59 मिशन को वर्ष 2006-07 में निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों के साथ सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है : (i) ग्रामीण क्षेत्रक में निर्धनता उपशमन और रोजगार सृजन के लिए बॉस विकास का उपयोग ; (ii) आधुनिक प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता के अनुप्रयोग के जरिए बॉस आधारित उद्योगों का विविधीकरण, आधुनिकीकरण और विस्तार ;

और (iii) परिस्थितिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में बॉस का उपयोग। 2006-07 के लिए 80 करोड़ रुपये के आवंटन की व्यवस्था की गई है।

### राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएस)

7.1.60 राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत, रोजगार सृजन प्रोत्साहित करने तथा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए बागवानी की विशाल छिपी क्षमता का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है। मिशन का लक्ष्य बागवानी उत्पादन को 2010 तक 300 मिलियन टन तक दुगना करने और 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पौधों का पुनरूद्धार करने के अलावा 40 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को कवर करने का है। मिशन को अब प्रचालित कर दिया गया है तथा 2005-06 के लिए आवंटन की राशि 630 करोड़ रुपये थी। दस बागवानी सम्बद्ध स्कीमों के मिशन के साथ प्रस्तावित अभिसरण के बाद 2005-06 में एनएचएम के लिए परिव्यय की राशि 1000 करोड़ रुपये थी तथा 2006-07 के लिए भी मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मिशन की तिहरी प्रणाली है- राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर। मिशन के अन्तर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2005-06 के दौरान, संकुल दृष्टिकोण अपनाकर विनिर्धारित फसलों के अन्तर्गत 227 जिलों को कवर किया गया; 0.63 लाख हेक्टेयर जीर्ण बागानों का पुनरूद्धार करने के अलावा, 2.0 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र को बागवानी के अन्तर्गत लाया जाना है ताकि एनएचएम के निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सके। सभी राज्य बागवानी मिशनों से 2004-05 के संबंध में जिले-वार विस्तृत आधार रेखा डाटा तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

### लघु सिंचाई

7.1.61 इस तथ्य को देखते हुए कि देश के बड़े भागों में पानी एक बड़ी बाधा है, लघु सिंचाई के माध्यम से, यथा ड्रिप और स्पिंकलर पद्धतियाँ, जल प्रयोग की कार्यकुशलता में सुधार करने की जरूरत है। सरकार, “ लघु सिंचाई” नामक एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम शुरू कर रही है जिसके अन्तर्गत देश में प्रमुख रूप से शुष्क कृषि भूमि के

लगभग 6.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को दसवीं योजना में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के अन्तर्गत कवर करने का प्रस्ताव है। कार्यक्रम मंजूरी के अन्तिम चरण में है। स्कीम के लेए 2005-06 में 400 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

### राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण

7.1.62 वर्षापोषित क्षेत्रों की समस्या का समाधान करने और ऐसे क्षेत्रों के संधारणीय विकास हेतु भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश की शुष्क भूमि और वर्षापोषित कृषि के सुव्यवस्थित उन्नयन और प्रबंधन के लिए ज्ञान-आधारित इनपुट उपलब्ध कराने के वास्ते प्राधिकरण एक विशेषज्ञ निकाय होगा। प्राधिकरण, भूमिहीन और सीमान्त किसानों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करेगा जो वर्षापोषित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रहते हैं। विभिन्न मंत्रालयों की सभी स्कीमों के संबंध में एकसमान मार्ग निर्देश तैयार करने और कृषि व परती भूमि विकास कार्यक्रमों के अन्दर और उनके बीच अभिसरण करने का निर्णय लिया गया है।

### अखिल भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण

7.1.63 अखिल भारत मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार का एक अधीनस्थ कार्यालय है, जिसे 1958 में स्थापित किया गया था। संगठन का उद्देश्य, मृदा और भूमि विशेषताओं के संबंध में सुदृढ़ डाटा आधार उपलब्ध कराना है। वार्षिक योजना 2005-06 के लिए 8.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जबकी 2004-05 के दौरान खर्च हुई राशि 6.42 करोड़ रुपये थी। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए 11.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

### वाटरशेड विकास परिषद

7.1.64 वाटरशेड विकास परिषद एक चालू केन्द्रीय क्षेत्रक कार्यक्रम है। यह, वर्षापोषित कृषि प्रणाली प्रभाग की सभी स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए एक बहु-विषयक तकनीकी स्टाफ-उन्मुख केन्द्रीय यूनिट है। 2004-05 में

खर्च हुई राशि 0.73 करोड़ रुपये थी जबकि परिव्यय की राशि 2.00 करोड़ रुपये थी। नौवीं योजना के 119 वाटरशेडों के प्रभाव मूल्यांकन हेतु वर्ष 2005-06 के लिए 1.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए परिव्यय की राशि 1.35 करोड़ रुपये है।

### झूम खेती क्षेत्रों में वाटरशेड विकास परियोजना

7.1.65 झूम खेती क्षेत्रों में वाटरशेड विकास परियोजना एक राज्य योजना स्कीम है जिसके लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम का मुख्य उद्देश्य, वाटरशेड आधार पर मृदा और जल संरक्षण उपायों के माध्यम से झूम खेती के अन्तर्गत पहाड़ी ढलानों को संरक्षित करना है। वर्ष 2004-05 के दौरान 20 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले खर्च हुई राशि 19.35 करोड़ रुपये थी। 2005-06 के लिए 30 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए वार्षिक योजना 2006-07 के लिए 40 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

### क्षारीय मृदा का पुनरुद्धार (आरएएस)

7.1.66 स्कीम का उद्देश्य क्षारीयता प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार करना और भू-उत्पादकता में सुधार करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2004-05 तक लगभग 6.24 लाख हेक्टेयर भूमि का उपचार किया गया। 2005-06 के दौरान 43000 हेक्टेयर क्षारीय मृदा का पुनरुद्धार करने का लक्ष्य है जिसके मुकाबले उपलब्ध 28,000 हेक्टेयर थी। क्योंकि यह एक वृहद मेक्रोप्रबंधन स्कीम का एक भाग है, इसलिए स्कीम के लिए कोई अग्रिम वार्षिक आवंटन नहीं किया जाता है।

### नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रधान नदियों के पृष्ठग्रहण क्षेत्रों में अवनत भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण (आरवीपी और एफपीआर)

7.1.67 नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रधान नदियों (आरवीपी और एफपीआर) के पृष्ठग्रहण क्षेत्रों में अवनत भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण की

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तृतीय पाँच वर्षीय योजना में शुरू की गई थी। आरवीपी और एफपीआर की इस स्कीम को नवम्बर 2000 से मेक्रो प्रबंधन मोड़ के अन्तर्गत मिला दिया गया है। स्कीम के अन्तर्गत 2004-05 तक लगभग 58.91 लाख हेक्टेयर भूमि का उपचार किया गया तथा 2005-06 के लिए 2.20 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। 2005-06 के दौरान उपलब्धि 1.86 लाख हेक्टेयर थी।

### वर्षापोषित क्षेत्रों में राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए)

7.1.68 1990-91 में शुरू की गई एनडब्ल्यूडीपीआरए के अन्तर्गत मृदा और जल संरक्षण उपायों तथा राष्ट्रीय संसाधनों के संधारणीय उपयोग के जरिए वर्षापोषित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने पर बल दिया जाता है। इसके अन्तर्गत बेहतर आय सृजन हेतु सम्बद्ध

कार्यकलाप भी सम्मिलित हैं। एनडब्ल्यूडीपीआरए की स्कीम को 2000-01 से “कृषि के मेक्रो-प्रबंधन हेतु स्कीम” के अन्तर्गत मिला दिया गया है। 2004-05 तक लगभग 75.68 लाख हेक्टेयर भूमि का उपचार किया गया। वर्ष 2005-06 के लिए 6.5 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 6.02 लाख हेक्टेयर की उपलब्धि बताई गई।

### बागान फसलों

7.1.69 बागान फसलों के अंतर्गत सम्मिलित हैं: चाय, काफी, मसाले, रबड़ और काजू। दसवीं योजना के लिए बागान क्षेत्रक के वास्ते कुल 1212 करोड़ रुपये का परिव्यय निश्चित किया गया है। 2004-05 के लिए संशोधित अनुमान 312 करोड़ रुपये है जबकि परिव्यय की राशि 324.25 करोड़ रुपये है। वार्षिक योजना 2005-06 के लिए आवंटन 379.61 करोड़ रुपये है।

#### तालिका 7.1.7

#### दसवीं योजना के दौरान वस्तु बोर्डों का निष्पादन (रुपये करोड़ में)

(रुपये करोड़ में)

वस्तु बोर्ड	दसवीं योजना परिव्यय 2002-07	परिव्यय 2002-03	वास्तविक 3/03	परिव्यय 2003-04	वास्तविक 2003-04	परिव्यय 2004-05	सं.ऊ. 2004-05	ब.ऊ. 2005-06
1. चाय बोर्ड	350.00	63.00	56.32	65.00	41.69	93.25	93.25	75.00
2. चाय बागान निधि				60.00		60.00	53.00	120.00
3. रबड़ बोर्ड	415.00	80.00	71.28	83.54	80.83	90.00	90.00	96.60
4. काफी बोर्ड	300.00	50.00	48.00	52.00	26.00	55.00	50.00	58.00
5. मसाले बोर्ड	140.00	28.50	15.67	23.21	20.20	25.00	25.00	30.00

स्रोत : निष्पादन बजट 2005-06, वाणिज्यिक विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

कृषि और सहकारिता विभाग की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों और प्रमुख केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के संबंध में वार्षिक याजना 2004-05 के संबंध में व्यय, 2005-06 के लिए बजट अनुमान और अन्तिम व्यय और वार्षिक याजना 2006-07 के लिए बजट अनुमान का स्कीमवार ब्योरा (रुपये करोड़ में)

क्र. स्कीम/कार्यक्रम का नाम सं.	2004-05 व्यय	2005-06		2006-07 बजट अनुमान
		बजट अनुमान	व्यय (अन्तिम)	
<b>I. केन्द्र प्रायोजित स्कीम</b>				
1. कृषि मेक्रो प्रबंधन	1186.03	912.62	841.80	910.00
2. राष्ट्रीय बागवानी मिशन	0.00	630.00	630.00	1000.00
3. लघु सिंचाइ	0.00	400.00	280.46	520.00
4. तिलहनों, दालों, पामतेल और मक्का की एकीकृत स्कीम (आईएसओपीओएम)	246.48	240.00	273.30	270.00
5. शुष्क भूमि कृषि पद्धतियों की संधारणीयता बढ़ाना	0.00	200.00	0.00	200.00
6. पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और उत्तरांचल में बागवानी को एकीकृत विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन	176.72	170.00	187.39	205.40
7. बाँस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास के संबंध में राष्ट्रीय मिशन	0.00	100.00	0.00	80.00
8. कपास के संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन-एमएम II (टीएमसी)	44.95	50.00	46.77	74.00
9. राज्य विस्तार कार्यक्रमों के लिए सहायता	0.00	45.00	43.72	75.00
10. पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए खेत पर जल प्रबंधन	—	25.00	—	0.00
11. कृषि सांख्यिकी का सुधार	22.03	24.00	21.41	27.00
12. कृषि गणना	13.48	14.00	11.24	14.50
<b>II. केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम</b>				
13. राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस)	350.00	550.00	749.55	500.00
14. कृषि विस्तार के लिए जन संचार साधन	48.37	71.00	104.71	126.00
15. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	70.00	70.00	70.00	100.00
16. पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में बागवानी के विकास के लिए एकीकृत परियोजना	16.00	15.00	0.00	0.00
17. ग्रामीण गोदामों का निर्माण	100.02	70.00	89.96	70.00
18. कृषि विपणन अवस्थापना, श्रेणीकरण और मानकीकरण का विकास	25.00	70.00	3.27	67.00

क्र. स्कीम/कार्यक्रम का नाम सं.	2004-05 व्यय	2005-06		2006-07 बजट अनुमान
		बजट अनुमान	व्यय (अनन्तिम)	
19. एगमार्क श्रेणीकरण सुविधाओं का सुदृढीकरण और निर्यात कोटि नियंत्रण	0.39	2.00	0.6	1.15
20. राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के लिए सहायता अनुदान	3.49	3.50	3.50	3.50
21. विपणन अनुसंधान सर्वेक्षण और सूचना नेटवर्क	10.94	10.00	9.73	3.55
22. लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी)	0.00	10.00	10.00	38.00
23. अखिल भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण	6.42	8.00	7.32	8.00
24. सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण	42.87	70.00	66.35	65.00
25. राज्य भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्रों में निवेश	80.91	65.00	79.20	50.00
26. बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवस्थापना सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण	-	40.56	60.30	90.00
27. सहकारिताओं के विकास के लिए एनसीडीसी कार्यक्रमों के लिए सहायता	0.00	40.00	0.00	35.00
28. कृषि आर्थिक नीति और विकास के लिए इनपुटों के संबंध में अध्ययन	23.20	28.36	26.07	27.00
29. कृषि और सहकारिता विभाग में कृषि सूचना पद्धति का सुदृढीकरण/प्रोन्नयन	4.94	27.50	5.74	37.50
30. विकास तथा जैव-उर्वरक के उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय परियोजना	1.42	0.00	0.00	0.00
31. आर्गनिक खेती के संबंध में राष्ट्रीय परियोजना	4.00	27.00	20.25	27.00
32. केन्द्रीय संस्थानों/डीओई के लिए विस्तार सहायता	13.25	20.41	12.09	13.65
33. भारत में नारियल उद्योग का, नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन सहित, एकीकृत विकास	20.00	20.00	35.00	40.00
34. भारत में पादप संगरोध सुविधाओं का सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण	7.26	18.00	13.86	17.00
35. भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण	19.25	17.00	13.39	16.00
36. राष्ट्रीय स्तर पर नाशिकीट अवशिष्टों का मानीटरन	0.00	5.00	4.88	10.00
37. वृक्ष जनित तिलहनों का एकीकृत विकास	16.00	16.00	16.00	8.00
38. तिलहनों, दालों के लिए पीएचटी में आर एण्ड डी	12.31	0.00	0.00	0.00
39. प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि यंत्रिकरण का प्रोन्नयन और सुदृढीकरण	6.13	10.00	7.06	11.00

क्र. स्कीम/कार्यक्रम का नाम सं.	2004-05 व्यय	2005-06		2006-07 बजट अनुमान
		बजट अनुमान	व्यय (अनन्तिम)	
40. जूट प्रौद्योगिकी मिशन (एमएम- II)	0.00	0.00	0.00	1.00
41. नागालैण्ड में केन्द्रीय बागवानी संस्थान	0.00	0.00	0.00	5.60
43. कृषि क्लिनिक तथा कृषि व्यवसाय केन्द्र	8.69	9.75	4.25	11.00
44. फसल उगाने में पूर्वानुमान तथा दूरवर्ती संवेदनशीलता अनुप्रयोग	1.61	5.43	3.23	5.00
45. अन्तरिक्ष, कृषि मौसमविज्ञान तथा भू-आधारित प्रेक्षणों का इस्तेमाल करते हुए कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान	0.00	3.00	0.00	4.00
46. राज्य कृषि निगम/एनएससी के लिए ऋण	0.67	1.00	0.00	0.00
47. पीवीपी विधान का कार्यान्वयन	7.58	9.10	4.13	10.00
48. एसएफसीआई/एनएससी का पुनर्गठन	0.00	38.00	0.00	5.00
49. केन्द्रीय उर्वरक कोटि नियंत्रण का सुदृढीकरण	1.86	2.50	2.04	3.40
50. वाटरशेड विकास परिषद	0.73	1.25	0.95	1.35
51. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3.43	8.00	5.66	8.55
52. प्राकृतिक आपदा प्रबंधन	0.05	1.00	0.1	0.02
53. राष्ट्रीय किसान आयोग	1.12	1.25	1.66	0.65
54. भारतीय कृषि की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण	0.00	1.00	0.00	1.00
<b>III विदेशी सहायित परियोजनाएं</b>				
55. भारत सरकार यूएनडीपी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए मक्का आधारित फसल पद्धति के संबंध में यूएनडीपी उप-कार्यक्रम	0.79	1.00	0.00	0.00
56. राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एनएटीपी) के प्रौद्योगिकी प्रसारण में नूतनताएं (आईटीडी) घटक	14.40	1.00	1.36	0.00
57. यूएनडीपी वित्त पोषित खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम- प्रबंधन सहायता घटक	7.37	0.94	0.15	0.00
58. विश्व कार्रवाई योजना	0.09	0.15	0.10	0.00
<b>IV राज्य योजना स्कीम</b>				
59. राज्य योजना स्कीम- झूम खेती क्षेत्रों में वाटरशेड विकास परियोजनाएं (राज्य योजना स्कीम)	19.35	30.00	30.00	40.00
<b>कुल योजनागत परिव्यय</b>	<b>2676.77</b>	<b>4209.32</b>	<b>3828.69</b>	<b>4840.00</b>

## 7.2 पशुपालन और डेयरी उद्योग

### 7.2.1 पशुधन क्षेत्रक का महत्त्व

- कुल जीडीपी में पशुधन और मात्स्यिकी क्षेत्रक का योगदान 6.29 प्रतिशत है।
- 2003-04 के दौरान चालू कीमत पर पशु क्षेत्रक से उत्पादन का मूल्य 164,509 करोड़ रुपये है।
- माँस और उससे तैयार वस्तुओं का निर्यात 2004-05 में 1905 करोड़ रुपये से बढ़कर 2005-06 में 6355 करोड़ रुपये हो गया।
- समुद्रीय उत्पादों का 2004-05 में 6469 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ जो 2005-06 में घटकर 6355 करोड़ रुपये हो गया।
- ईंधन समकक्षता की दृष्टि से पशु शक्ति की कीमत 4 से 9 हजार करोड़ रुपये के बीच है (अनुमानित)।

7.2.2 भारत में पशुधन और कुक्कुट के विशाल संसाधन हैं, भारत का विश्व में पशु आबादी (198.88 मिलियन) और भैंस आबादी (89.91 मिलियन) की दृष्टि से पहला स्थान पहला है, बकरों के मामले में (122.72 मिलियन) दूसरा, भेड़ों के मामले में (57.49 मिलियन) तीसरा और कुक्कुट आबादी में (489.01 मिलियन) सातवाँ स्थान है।

7.2.3 वर्ष 2004-05 में पशुपालन, डेयरी उद्योग और मात्स्यिकी विभाग (डीएचडीएफ) ने महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की, जैसे कि पशु और भैंस प्रजनन कार्यक्रम की राष्ट्रीय परियोजना, कुक्कुट और छोटे पशु, पशुधन के सुधार, स्वास्थ्य, गहन डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय परियोजना, अन्तर्देशीय मात्स्यिकी और जलीय कृषि का विकास, और समुद्रीय मात्स्यिकी का विकास, अवस्थापना तथा फसलोत्तर कामकाज। इसके अलावा, विभाग ने केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें भी कार्यान्वित की। डीएचडीएण्डएफ के लिए सकल बजटीय सहायता 599 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) से बढ़ाकर 2005-06 में 777 करोड़ रुपये कर दी गई है। वार्षिक योजना 2004-05 (व्यय), 2005-06 (ब.अ.

और अनन्तिम व्यय) परिव्यय और व्यय का स्कीम-वार ब्योरा तथा 2006-07 (ब.अ.) संलग्नक 7.2.1 में दर्शाए गए हैं। प्रमुख स्कीमों का निष्पादन का ब्योरा नीचे दिया गया है :

### पशु और भैंस प्रजनन कार्यक्रम के संबंध में राष्ट्रीय परियोजना

7.2.4 पशु और भैंस प्रजनन कार्यक्रम (सीएसएस) परियोजना सम्बन्धी राष्ट्रीय परियोजना 2000-01 में शुरू की गई थी। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं : नसल सुधारने के लिए और महत्त्वपूर्ण देशज नसलों की प्रजनन पद्धतियों में उत्तम कोटि प्रजनन इनपुट की व्यवस्था करने के लिए किसानों के दरवाजे पर कृत्रिम गर्भाधान (एआई) की सेवा करना ताकि नसलों को संरक्षित रखा जा सके और उन्हें लुप्त होने से बचाया जा सके। परियोजना के अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण देशज नसलों के विकास और संरक्षण के लिए और कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से स्थानीय नसलों के उन्नयन हेतु राज्य कार्यान्वयन एजेन्सियों को 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। अभी तक 26 से अधिक राज्यों ने स्कीम में भाग लिया है और 2005-06 के दौरान 90.93 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक उपलब्धियों में 7221 चल एआई केन्द्रों की स्थापना, 13 सिस्टम स्टेशनों का सुदृढीकरण, प्रशिक्षित वीर्य बैंकों और 27 प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना शामिल है।

### पशुधन स्वास्थ्य

7.2.5 रुग्णता और मृत्युदर को कम करने के उद्देश्य से पालिक्लिनिकों/पशु चिकित्सा अस्पतालों/औषधालयों/प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, चल पशु चिकित्सा औषधालयों सहित, के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य देख-रेख की व्यवस्था करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। बीमारियों के तुरत और विश्वसीनय निदान के वास्ते राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, 26540 पालिक्लिनिकों/अस्पतालों/ औषधालयों और 25433 पशु चिकित्सा सहायता केन्द्रों का, लगभग 250 रोग निदान प्रयोगशालाओं के समर्थन से, एक नेटवर्क कार्य कर रहा है। इस स्कीम को पहले कार्यान्वित की जा रही स्कीमों को कुछ संशोधनों के

साथ मिलाकर नामतः पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी), रिन्डरपेस्ट उन्मूलन के संबंध में राष्ट्रीय परियोजना (एनपीआरई), व्यावसायिक कार्यकुशलता विकास (पीईडी) और पाद तथा मुख रोग नियंत्रण कार्यक्रम, (एफएमडी-सीपी) के नियंत्रण के लिए, राज्यों के लिए सहायता, कार्यान्वित किया जा रहा है।

7.2.6 “पाद और मुख रोग नियंत्रण कार्यक्रम” एफएसडी को नियंत्रित करने के लिए देश में 54 विनिर्दिष्ट जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। स्कीम के अन्तर्गत 100 प्रतिशत वित्त पोषण की व्यवस्था है जिसमें टीके की लागत और समर्थनकारी व्यय सम्मिलित है। राज्य सरकारें जनशक्ति, अवरस्थापना और सम्भारतंत्रीय सहायता प्रदान कर रहीं हैं। टीकाकरण के पाँच चक्रों के दौरान लगभग 1400 लाख का टीकाकरण किया जाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के अन्तर्गत क्रमशः लगभग 277 लाख, 280 लाख, 275 लाख और 274 लाख का टीकाकरण किया गया।

7.2.7 पशुप्लेग से अनन्तिम आजादी का प्रथम स्तर 1 मार्च 1998 से पूरे देश के संबंध में प्राप्त किया गया देश के लिए पशु प्लेग बीमारी का दूसरा चरण आफिस इन्टरनेशनल डेस एपी झूटाईज (ओआईई) द्वारा 27.5.2004 को अनुमोदित किया गया। अन्तिम उपाय के रूप में ओआईई को प्रस्तुत डोजियर को स्वीकार कर लिया गया है तथा देश को पशुप्लेग से आजादी का अन्तिम चरण प्राप्त करने के लिए पशु प्लेग संक्रमण से मुक्त घोषित कर दिया गया है।

### केन्द्रीय विकास संगठन

7.2.8 केन्द्रीय पशु विकास संगठन (सीएस) के अन्तर्गत 7 केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, एक केन्द्रीय प्रशीतित वीर्य उत्पादन तथा प्रशिक्षण संस्थान, हेसारघाटा, और चार केन्द्रीय झुण्ड पंजीकरण यूनिट सम्मिलित हैं, जिन्हें विभाग द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में, सांड बच्चों की जेनेटिकली उत्कृष्ट नसल, उत्तम कोटि को प्रशीतित वीर्य का उत्पादन करने और सांडों की आवश्यकता तथा देश के विभिन्न भागों में सांडों और प्रशीतित वीर्य खुराक की आवश्यकता को पूरा

करने के लिए, उत्तम कोटि के प्रशीतित वीर्य और पशुओं व भैसों के उत्कृष्ट जर्मप्लाज्म की स्थिति का विनिर्धारण करना सम्मिलित है। केन्द्रीय प्रशीतित वीर्य उत्पादन तथा प्रशिक्षण संस्थान, हेसारघाटा सरकार का एक प्रमुख संस्थान है और इसने कोटि प्रबंधन पद्धतियों में उत्कृष्टता के लिए मार्च 2006 में आईएसओ प्रमाणन प्राप्त कर लिया।

### कुक्कुट सुधार कार्यक्रम

7.2.9 राज्य कुक्कुट फार्म (सीएसएस) स्कीम के अन्तर्गत सहायता के तहत वर्ष 2005-06 के दौरान राज्यों को कुक्कुट बत्तख फार्मों के सुदृढीकरण के लिए, 23.18 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। प्रतिस्थापन प्रजनन स्टाक, खाद्य संघटकों की खरीद, परिवहन, औषधियों तथा टीकों आदि की खरीद के लिए एक चल निधि के वास्ते प्रस्ताव में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। स्कीम के अन्तर्गत, वर्ष के दौरान 60 फार्मों की सहायता की गई और 30 लाख सुधरे चूजों का उत्पादन किया गया तथा वितरित किए गए।

### छोटे पशुओं में सुधार

7.2.10 “आशंकित पशुधन नसल (सीएसएस) के संरक्षण” की स्कीम के अन्तर्गत 2005-06 के दौरान 4.07 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। इस स्कीम के अन्तर्गत, राज्यों/एसआईए/एनजीओ को 100 प्रतिशत सहायता-अनुदान प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य लुप्त छोटे पशुओं, अश्वों, सूकर और भारवाही पशुओं की लगभग लुप्त होने वाली और आशंकित नस्लों का, आधुनिक वैज्ञानिक संरक्षण साधनों के जरिए संरक्षण करना है। उन देशज पशुओं के लिए सहायता-अनुदान दिया जाता है जिनकी संख्या 10,000 से कम है। 15.00 करोड़ रुपये के दसवीं योजना परिव्यय के मुकाबले विभाग ने पशुओं की 27 नसलों के संरक्षण (7 अश्व/ट्टटू, 9 बकरी/भेड़, 6 सूकर, 3 याक, 1 मिथुन, 1 ऊँट) के लिए विभाग ने 2005-06 तक 12.8 करोड़ रुपये की राशि जारी की। वर्ष 2006-07 के लिए 5.00 करोड़ रुपये के बजट प्रावधानों में से 59.41 लाख रुपये, याक तथा दोहरे कूबर ऊँट के संरक्षण के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य को जारी किए गए।

### चारा विकास

7.2.11 केन्द्रीय चारा विकास संगठन (सीएस) के अन्तर्गत भूसा उत्पादन और प्रदर्शन के लिए सात क्षेत्रीय स्टेशन सम्मिलित हैं जो देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित हैं- केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हेसारघाटा, बंगलौर और केन्द्रीय चारा फसल संबंधी मिनिफिट परीक्षण कार्यक्रम। केन्द्रीय चारा विकास संगठन पर 5.83 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई।

### डेयरी विकास

7.2.12 डेयरी उद्योग, लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण गौण स्रोत बन गया है और इसने रोजगार तथा आय उपलब्ध कराने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है जो लगभग 231 ग्राम प्रति दिन हो गई है। एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम (सीएसएस) आठवीं योजना से चल रहा है जिसका उद्देश्य खरीद गैर-आपरेशन-फ्ल्ड, पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में दूध का प्रसंस्करण और विपणन की अवस्थापना का निर्माण करना है। विभाग ने, 30.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ दसवीं योजना के दौरान “उत्तम और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए अवस्थापना का सुदृढीकरण” नामक एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम प्रारंभ की है। अक्टूबर, 2003 में अनुमोदित स्कीम का मुख्य उद्देश्य देश में ग्राम स्तर पर उत्पादित दुग्ध की कोटि सुधारना है। स्कीम के अन्तर्गत, किसानों को उत्तम दूध प्रथाओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। स्कीम को, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को, विशेष रूप से संघटकों, अर्थात् किसान सदस्यों के प्रशिक्षण, डीटरजेन्ट्स, स्टेनलैस बर्तनों, विद्यमान प्रयोगशाला सुविधाओं का सुदृढीकरण आदि के लिए 100 प्रतिशत सहायता-अनुदान के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। बड़ी मात्रा में दूध को शीतल बनाने के रूप में ग्राम स्तर पर दुग्ध को ठण्डा करने की सुविधाएं स्थापित करने के लिए वित्त पोषण की पद्धति का अनुपात भारत सरकार और संबंधित डेयरी सहकारी सोसायटी/यूनियन के बीच 75 : 25 है। वर्ष 2005-06 में “ गहन डेयरी विकास परियोजना” और “ स्वच्छ जल उत्पादन” पर खर्च हुई राशि 70.31 करोड़ रुपये थी। “ सहकारिताओं को सहायता” एक अन्य डेयरी सम्बद्ध स्कीम है, जिसे विशेष

रूप से उन यूनियनों/संघों का पुनरुद्धार करने के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने अनेक कारणवश बड़ी मात्रा में नुकसान उठाया है। इस स्कीम के अन्तर्गत 2005-06 के दौरान खर्च की राशि 5.47 करोड़ रुपये थी। अभी तक, एनडीडीबी ने, स्कीम के अन्तर्गत पुनरुद्धार के लिए अस्थाई रूप से 43 यूनियनों विनिश्चित की हैं। प्रत्येक पुनरुद्धार योजना को उसके अनुमोदन की सात वर्ष की अवधि के अन्दर कार्यान्वित किया जाना है।

### डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूँजी निधियां

7.2.13 असंगठित क्षेत्रक में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ “ डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूँजी निधि” की एक नई स्कीम 14 दिसम्बर, 2004 से शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत दो संघटक “ डेयरी क्षेत्रक” और “कुक्कुट क्षेत्रक” सम्मिलित हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत, बैंक-योग्य परियोजनाओं के माध्यम से एक स्कीम-वार प्रस्ताव के तहत ग्रामीण लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, पर्याप्त मात्रा में कुक्कुट क्षेत्रक अभी असंगठित है और दूर-दूर क्षेत्रों में छोटे-छोटे फार्मों के रूप में फैला हुआ है जिसे उसकी पूर्ण क्षमता के अनुरूप दोहित करने के लिए संगठित प्रयासों की जरूरत है। सहायता की पद्धति के अन्तर्गत, 10 प्रतिशत उद्यमकर्ता का अंशदान, 50 प्रतिशत शून्य ब्याज पर चल निधि के रूप में ऋण और 50 प्रतिशत कृषि कार्यकलापों के लिए लागू ब्याज पर बैंक ऋण सम्मिलित है। भारत सरकार, लाभार्थी द्वारा नियमित/समय पर वापसी अदायगी के मामले में केवल 50 प्रतिशत तक कृषि कार्यकलापों के लिए लागू ब्याज घटक के लिए सब्सिडी देगी। नाबार्ड को, स्कीम के कार्यान्वयन के लिए चल निधि के रूप में रखे जाने के लिए 2005-06 के दौरान 15.80 करोड़ रुपये की निधियां जारी की गई हैं।

### पशुपालन सांख्यिकी

7.2.14 पशुधन उत्पादों का अनुमान प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आधार पर लगाया जाता है जिनका आयोजन केन्द्र प्रायोजित स्कीम “ प्रमुख पशुधन उत्पादों के अनुमानों के लिए एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण” के अन्तर्गत पूरे वर्ष के दौरान किया जाता

है तथा 2005-06 के दौरान 5.90 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 17वीं पशुधन गणना की गई और अन्तिम रिपोर्ट जनवरी, 2005 में जारी की गई। पहली बार 10 राज्यों और संघ राज्यों से 17वीं पशुधन गणना का नसल-वार डाटा पृथक रूप से एकत्र किया गया और रिपोर्ट जनवरी 2006 में जारी की गई। 2007 में की जाने वाली अगली गणना आयोजित करने के लिए योजना का कार्य शुरू हो गया है।

### पशुधन बीमा

7.2.15 किसानों और पशु पालकों को उनके पशुओं की किसी हानि से बचाने की पद्धति की व्यवस्था करने के लिए पशुधन बीमा की स्कीम तैयार की गई है। दसवीं योजना के शेष दो वर्षों, अर्थात् 2005-06 और 2006-07 के लिए 120 करोड़ रुपये की योजना स्कीम अनुमोदित की गई है। स्कीम को प्रायोगिक आधार पर 100 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 50% की सीमा तक प्रीमियम की सब्सिडी की परिकल्पना की गई है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सितम्बर, 2006 के अन्त तक राज्य कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा 55,805 पशुओं और भैंसों का बीमा किया गया।

पशुपालन, डेयरी उद्योग और मात्स्यिकी विभाग (डीएचडीएण्डएफ)- वर्ष 2004-05 के दौरान खर्च, 2005-06 के संबंध में बजट अनुमान और अनन्तिम व्यय और बजट अनुमान 2006-07

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2004-05 व्यय	2005-06		2006-07 बजट अनुमान
			ब.अ.	व्यय (अनन्तिम)	
I.	पशुपालन (सीएसएस)				
1.	पशु और भैंस प्रजनन कार्यक्रम के संबंध में राष्ट्रीय योजना	67.95	95.00	90.93	106.00
2.	कुक्कुट और छोटे पशुओं के सुधार के लिए राष्ट्रीय योजना	53.25	96.50	42.37	96.00
3.	पशुधन बीमा (नया)	—	50.00	24.21	51.00
4.	पशुधन स्वास्थ्य	114.94	99.95	113.95	106.00
	पशुपालन (सीएस)				
5.	केन्द्रीय पशु विकास संगठन	9.97	20.46	14.85	13.00
6.	केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म	1.10	1.76	1.83	2.00
7.	केन्द्रीय चारा विकास संगठन	9.95	—	5.83	4.00
8.	केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन	6.42	—	4.48	6.00
9.	पशु स्वास्थ्य निदेशालय	15.79	22.85	24.69	21.00
	डेयरी विकास (सीएसएस)				
10.	एकीकृत डेयरी विकास परियोजना तथा उत्तम और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए अवस्थापना	50.34	70.00	70.31	68.69
	डेयरी विकास (सीएस)				
11.	सहकारिताओं को सहायता	9.82	10.00	5.47	5.00
12.	दिल्ली दुग्ध स्कीम	3.50	—	—	1.00
13.	डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूँजी निधि (नई)	—	12.00	15.80	15.00
14.	अन्तर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलीय कृषि विकास	21.12	25.00	25.66	9.00
15.	समुद्रीय मात्स्यिकी का विकास	55.84	57.50	60.86	45.00
16.	मछेरों के लिए कल्याण कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण और विस्तार	25.54	26.50	35.14	22.00
17.	मात्स्यिकी संस्थानों को सहायता	43.02	55.26	32.82	45.00
18.	डाटाबेस और सूचना, नेटवर्किंग का सुदृढीकरण	4.99	5.10	4.75	5.00
19.	राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड	—	5.00	—	151.00
20.	सचिवालय और आर्थिक सेवाएं	3.07	4.81	3.59	6.00
	<b>जोड़</b>	<b>565.97</b>	<b>669.08</b>	<b>594.36</b>	<b>777.00</b>

### 7.3 मत्स्य-पालन एवं जल-कृषि

7.3.1 मत्स्य-पालन और जलकृषि क्षेत्र प्रोटीन युक्त खाद्यान्न के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है, जिसका विभिन्न क्रियाकलापों में लगभग 14 मिलियन लोगों के लिए रोजगार सृजन करने तथा नियति में प्रमुख योगदान है। इससे देश का सामाजिक-आर्थिक विकास हुआ है। इस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.07% और विश्व स्तर पर मत्स्य उत्पादन में 4.4% के साथ कृषि संबंधी सकल घरेलू उत्पाद में 4.7% का योगदान है। मत्स्य-पालन विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य मुख्यतः ताजे जल एवं तटीय जलकृषि, समुद्री तथा अन्तर्देशीय अभिग्रहण मत्स्यपालन, मछली पकड़ने की बेहतर अवसंरचना संबंधी सुविधाओं, मछली संग्रहण केन्द्रों, प्रसंस्करण एवं विपणन नेटवर्क तथा मत्स्य पाठयकों एवं मछुआरों से बढ़े हुए उत्पादन एवं उतपादकता के माध्यम से आशातीत अधिक विकास का प्राप्त करना है।

7.3.2 सितम्बर, 06 में हैदराबाद में मुख्यालय सहित राष्ट्रीय मत्स्य-पालन विकास बोर्ड (एनएफडीबी) की स्थापना, दसवीं योजना के दौरान मत्स्य-पालन क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वर्ष 2006-2012 के दौरान इसका कुल बजट 2100 करोड़ रूपए का है। एनएफडीबी की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई है:- (i) मत्स्य-पालन एवं कृषि से संबंधित प्रमुख क्रियाकलापों को महत्ता प्रदान करना, (ii) विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा की गई मत्स्य-पालन संबंधी क्रियाकलापों में समन्वय करना, (iii) उत्पादन, उतपादों के सुसंस्करण एवं विपणन में सुधार करना, (iv) देश में मत्स्य-पालन एवं जल कृषि के सतत विकास के लिए प्राकृतिक जणीय संसाधनों का सतत प्रबंधन एवं संरक्षण करना।

#### वार्षिक योजना 2005-06 की समीक्षा

7.3.3 वर्ष 2005-06 के दौरान मत्स्य-पालन क्षेत्र में केन्द्र/ केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 174.36 करोड़ रूपए की राशि आबंटित की गई थी। वर्ष 2005-06 के दौरान मत्स्य-पालन के अन्तर्गत केन्द्र और

केन्द्रीय प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर वास्तव में 167.65 करोड़ रूपए की राशि खर्च हुई।

7.3.4 वर्तमान मत्स्य उत्पादन 6.4 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें अन्तर्देशीय क्षेत्र का योगदान 55% है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रमुख योजनाओं के अन्तर्गत वास्तविक लक्ष्यों की उपलब्धि संतोषजनक थी, जिसमें 2005-06 के दौरान जलकृषि विकास की योजना के अन्तर्गत मत्स्य पालन के अधीन आने वाले क्षेत्रों में 67% की उपलब्धि रही। 2005-06 के दौरान राज-सहायता प्राप्त एच एस डी योजना आदि के अन्तर्गत लघु-यांत्रिक नौकाओं सहित पारंपरिक शिल्प के यंत्रीकरण के प्रमुख संघटकों के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में समुद्री मत्स्य-पालन, अवसंरचना एवं फसलोत्तर कार्यों के विकास की एक अन्य केन्द्रीय प्रयोजित योजना के अधीन वास्तविक लक्ष्यों की उपलब्धि भी 70% से 100% तक भिन्न-भिन्न रही। केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के लक्ष्यों की तुलना में इसकी उपलब्धियाँ भी उन लक्ष्यों से कहीं अधिक थीं जो कि मछुआरों के बीमा तथा मछुआरों के गृहों के निर्माण के संघटकों के तहत निर्धारित किए गए थे। मत्स्य-पालन संस्थानों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में इसकी उपलब्धियाँ संतोषजनक थीं और कुछ मामलों में तो निर्धारित लक्ष्यों से भी अधिक रहीं जैसे कि कतिपय मत्स्य-पालन सर्वेक्षण कार्यक्रमों, प्रशिक्षण/ संस्थागत प्रशिक्षण दिवसों आदि में। मत्स्य-पालन के लिए डेटाबेस के सुदृढीकरण तथा सूचना नेटवर्किंग की नई योजना के अन्तर्गत जल-राशियों का मानचित्रण, मछुआरों की जनगणना, उत्पादन सांख्यिकी आदि की क्रियाविधि का कार्य चल रहा है।

#### वर्ष 2006-07 के दौरान प्रस्तावित योजनाएं/ कार्यक्रम

7.3.5 वर्ष 2006-07 के दौरान समुद्री मत्स्य-पालन और अवसंरचना, ताजे जल तथा तटीय जलकृषि के विकास की सभी केन्द्रीय/ केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, मछुआरों के बीमा और मछुआरों के गृह निर्माण के जरिए मछुआरों के कल्याण की योजनाएं तथा मत्स्यपालन संस्थाओं के कार्यक्रमों को जारी रखने का प्रस्ताव है। मत्स्य-पालन संबंधी डाटाबेस और सूचना नेटवर्किंग के सुदृढीकरण की योजना जी आई

एस, 0.5 हेक्ट. तक उपयुक्त जल-राशि के मान चित्रण, मछुआरों की जनगणना आदि के साथ जारी रहेगी। मत्स्य-पालन संस्थानों द्वारा मत्स्य-पालन संसाधनों के समन्वेषी सर्वेक्षण के अनिवार्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, मछली पकड़ने के यांत्रिक जलपोतों पर तैनात कर्मियों का प्रशिक्षण, मछली पकड़ने के आश्रय-स्थलों का निवेश-पूर्व सर्वेक्षण वर्ष 2006-07 के दौरान भी जारी रहेगा।

7.3.6 जल-कृषि को एन सी में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के अधीन अतिरिक्त रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के संभावित क्षेत्र के रूप में उल्लिखित किया गया है। तदनुसार, जलकृषि के लम्बवत एवं क्षैतिज विस्तार के जरिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एन एफ डी बी के अन्तर्गत शुरू किए गए कार्यक्रमों से भी सामान्य रूप से मत्स्य-पालन क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर सृजित होने की आशा है।

7.3.7 मत्स्य-पालन के अधीन केन्द्रीय/ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 276.17 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है जिसमें वर्ष 2006-07 के दौरान नव गठित एन एफ डी बी के लिए 151 करोड़ रूपए का प्रावधान भी शामिल है। एन एफ डी बी के अन्तर्गत पहचाने गए प्रमुख क्षेत्र जलकृषि, अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास है जिसमें मत्स्य कृषकों और मछुआरों के लिए बढ़े हुए उत्पादन तथा उत्पादकता, आय एवं रोजगार सृजन हेतु धरेलू एवं निर्यात

विपणन, जलाशय मत्स्य-पालन, गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, समुद्री-मछली पालन आदि शामिल हैं।

7.3.8 मानीटरिंग तन्त्र (आउटकम बजट) अर्थात् परिणाम बजट तथा अन्य क्षेत्रों की तरह ही शुरू किए गए भावात्मक वस्तुओं के अनुवीक्षण का कार्य 2006-07 के दौरान भी मत्स्य-पालन क्षेत्र में जारी है। मत्स्य पालन क्षेत्र के अन्तर्गत पहचान की गई मुख्य भावात्मक वस्तुओं में शामिल थे : जल कृषि के अन्तर्गत लाया गया जल क्षेत्र; अन्तर्देशीय मत्स्य पालन तथा जल कृषि के विकास हेतु मत्स्य कृषकों का प्रशिक्षण, पारमार्किक शिल्प का यंत्रीकरण तथा समुद्री मत्स्य-पालन के अन्तर्गत अवसंरचना का समुन्नत निर्माण एवं विकास के माध्यमिक शिल्प की शुरूआत।

7.3.9 इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर अर्थ-वार्षिक प्रगति समीक्षा, राजकीय योजना कार्य दल की बैठकों आदि के माध्यम से नियमित तौर पर निगरानी की जा रही है, ताकि योजना के निष्पादन का मूल्यांकन हो सके और वास्तविक लक्ष्यों की समय पर उपलब्धि हो सके। केन्द्र/ केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति और निधियों के उपयोग में आने वाली अड़चनों एवं उसके व्यावहारिक समाधान पर इन बैठकों में चर्चा की जाती है, जिससे कि इनका सुचारु रूप से क्रियान्वयन हो सके।

## 7.4 बंजरभूमि और निम्न कोटि की भूमि का विकास

7.4.1 शुष्क भूमि क्षेत्रों में जलसंचार विकास ग्रामीण विकास का आधार है। बंजर-भूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि और जल संसाधनों के निजीकरण को रोकना तथा भूमि की उत्पादकता में सुधार करना है, ताकि लोगों की आय एवं आजीविका में वृद्धि हो। निम्नीकृत भूमि के आंकलन में पर्याप्त विभिन्नता होती है। जल संभर विकास, वर्षा पोषित कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंध संबंधी दसवीं योजना कार्याकारी दल की अवधारणा थी कि 1994 के कृषि मंत्रालय के आकलन के अनुसार 107 मिलियन हेक्टेयर जमीन निम्नीकृत है। अनुमान है कि दसवीं एवं बाद की योजनाओं के दौरान लगभग 89 मिलियन हेक्टेयर जमीन का सुधार करना होगा। दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लगभग 6 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत जमीन को सुधारने के लिए निधियां जारी की गई हैं।

7.4.2 सरकार निम्नीकृत और बंजरभूमि के विकास को उच्च प्राथमिकता देती है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा अपनाए गए न्यूनतम राष्ट्रीय सांझा कार्यक्रम से भी इस बात का पता चला है कि बड़े पैमाने पर जलसंभर एवं बंजर भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा तथा सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम की सभी मौजूदा योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और केवल एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। विभिन्न मंत्रालय निम्नीकृत भूमि के सुधार हेतु जलसंभर विकास कार्यक्रमों की देखरेख करते हैं। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों को सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी), रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डी डी पी) तथा एकीकृत बंजरभूमि विकास (आई डब्ल्यू डी पी) कार्यक्रम की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सी एस एस) के लिए सहायता उपलब्ध कराता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय निम्नीकृत वनों के कायाकल्प हेतु एक योजना चलाता है। कृषि मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों में परिवर्तित कृषि क्षेत्रों में वर्षा पोषित क्षेत्रों तथा बंजरभूमि विकास परियोजना के लिए राष्ट्रीय जलसंभर विकास परियोजना

को कार्यान्वित करता है। इन कार्यक्रमों का नीचे विश्लेषण किया गया है :

### सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी)

7.4.3 सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम देश के उन क्षेत्रों के समक्ष आने वाली विशेष समस्याओं के समाधान के लिए वर्ष 1973-74 में शुरू किया गया था, जो निरन्तर अत्यधिक सूखे की स्थितियों से प्रभावित रहे हैं। हनुमन्थाराव समिति (1994) की सिफारिशों के आधार पर यह कार्यक्रम वर्ष 1995 से जलसंभर आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। जलसंभर परियोजनाओं के नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण का दायित्व विशेष रूप से इस प्रयोजन हेतु गठित स्थानीय जल संगठनों का सौंपी जाता है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के प्रचालन की इकाई ब्लाक होता है। इस समय 16 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, दत्ततीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल तथा पश्चिम बंगाल में 182 जिलों के 972 ब्लाकों में यह कार्यक्रम चल रहा है।

7.4.4 1995-96 से 31.3.2006 तक सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अनतर्गत लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र वाली प्रत्येक कुल 24363 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से 5717 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अन्य परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 360.00 करोड़ रूपए का बजट इस आवंटन किया गया है तथा 3037 नयी परियोजनाएं स्वीकृत की जानी प्रस्तावित हैं, जिसमें 15.18 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र शामिल है। इसके अतिरिक्त चालू परियोजनाओं के लिए निधि की आवश्यकता भी पूरी होगी।

### रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डी डी पी)

7.4.5 रेगिस्तान विकास कार्यक्रम राजस्थान, गुजरात ओर हरियाणा के गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों तथा जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के ठण्डे रेगिस्तानी क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वर्ष 1977-78 में एक केन्द्रीय

प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। 1995-96 से इसका दायरा आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ जिलों तक बढ़ा दिया गया है। यह कार्यक्रम 1.4.95 से जलसंभर विकास के दिशा-निर्देशों के तहत जलसंभर दृष्टिकोण क्रियान्वित किया जा रहा है। इस समय सात राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक तथा राजस्थान में 40 जिलों के 235 ब्लाक इस कार्यक्रम के दायरे में आते हैं।

7.4.6 1995-96 से 31.3.2006 तक कुल 13476 परियोजनाएं (राजस्थान की विशेष परियोजनाओं सहित) मंजूर की गई हैं। इनमें से 2583 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अन्य परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2006-07 के लिए इस योजना के अन्तर्गत 270.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है और चालू परियोजनाओं की निधि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त 11.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की 2270 नई परियोजनाएं मंजूर की जानी प्रस्तावित हैं।

### एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)

7.4.7 यह कार्यक्रम 1989.90 से क्रियान्वित किया जा रहा है। अप्रैल, 1995 से यह योजना जलसंभर विकास के दिशानिर्देशों के अनुसार जलसंभर आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। सभी चरणों में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के अतिरिक्त इससे बंजरभूमि को बढ़ावा मिलने की आशा है, जिससे भूमि का सतत विकास एवं लोगों में समान भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

7.4.8 एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम का अधीन सामान्यतया उन्हीं क्षेत्रों में परियोजनाएं मंजूर की जाती हैं, जो कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं हैं। यह कार्यक्रम देश के 297 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। 1995-96 से 31.3.2006 तक 84.54 लाख हेक्टेयर वाली कुल 1382 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इनमें से 107 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अन्य परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। वर्ष 2006-07 का बजट 485.00

करोड़ रुपए है। चालू परियोजनाओं के लिए जरूरी निधियों से पूरा करने के अलावा लगभग 16.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम संबद्ध नई परियोजनाएं मंजूर की जानी प्रस्तावित हैं।

### हरियाली हेतु दिशानिर्देश

7.4.9 डीपीएपी, डीडीपी और आईडब्ल्यूडीपी के क्रियान्वयन हेतु सामान्य दिशानिर्देशों को 2003 में संशोधित किया गया और उन्हें "हरियाली दिशानिर्देश" कहा जाता है। हरियाली के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाएं जलसंभर विकास कार्यक्रमों के प्रमुख पणधारी हैं। इस पहल के अन्तर्गत जलसंभर विकास कार्यक्रमों अर्थात् डीपीएपी, डीडीपी तथा आईडब्ल्यूडीपी को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। 1.4.2003 से चालू क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अधीन नई परियोजनाएं हरियाली के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही हैं। इस तारीख से पहले मंजूर की गई परियोजनाएं 2001 के जलसंभर विकास दिशानिर्देशों के अनुसार क्रियान्वित की जाती रहेंगी।

7.4.10 हरियाली दिशानिर्देशों के संबंध में जलसंभर विकास के क्षेत्र में सक्रिय गैर सरकारी संगठनों में काफी बकाया रहा है। उन्होंने पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों में मौजूद गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को इसमें नजरान्दाज किए जाने पर जोरदार विरोध प्रकट किया, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने श्री एस पार्थसारथी के अधीन एक समिति गठित की है जो कि जलसंभर विकास कार्यक्रमों पर व्यापक निगरानी रखेगी तथा उन परिवर्तनों का मूल्यांकन करेगी जो कि विगत 10 वर्षों के अनुभव को देखते हुए उपेक्षित हों। यह समिति उन जलवायु एवं जैव संबंधी कारकों में होने वाले परिवर्तनों पर भी ध्यान देगी, जो जलसंभर विकास परियोजनाओं के प्रभावित कर सकती हैं।

### प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण (टीडीईटी)

7.4.11 बंजर भूमि विकास के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान यह योजना शुरू की गई थी। योजना के अन्तर्गत सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, पंचायतों आदि

के शामिल वाली बंजरभूमि पर परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए 100% केन्द्रीय अनुदान स्वीकार्य है। यदि इन परियोजनाओं में निजी कृषकों, निगमित निकायों की बंजरभूमि के विकास को शामिल किया जाता है, तो परियोजना की लागत में सरकार ओर लाभार्थियों के बीच भागीदारी 60 : के आधार पर होती है। 31.3.2005 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक सौ इकसठ परियोजनाएं (क्षेत्रफल 77316 हेक्टेयर, लागत 142.37 करोड़ रूपए) मंजूर की गई थी। 2006-07 के दौरान इस योजना के अधीन 20.00 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान है।

### बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

7.4.12 अन्तरराष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) से सहायता प्राप्त ग्रामीण आजीविका संबंधी परियोजनाएं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में क्रियान्वित की जा रही हैं। एपीआरएलपी का उद्देश्य आंध्र प्रदेश के सूखा प्रवण क्षेत्रों में निर्धनता दूर करने का एक प्रभावी एवं सतत् उपाय करना है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के पांच जिलों अर्थात् अनन्तपुर, कर्नूल, महबूबनगर, नालगोंडा तथा प्रकाशम में गरीबों के लिए जलसंभर आधारित सतत ग्रामीण रोजगार के उपायों को बड़े पैमाने पर लागू करना है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस परियोजना के अन्तर्गत 40.00 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान है।

7.4.13 पश्चिमी उड़ीसा के पिछड़े जिलों में जलसंभर क्षेत्रों के विकास हेतु पश्चिमी उड़ीसा ग्रामीण आजीविका परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी अभिकरणों तथा केबीके जिलों में अन्य पणधारियों द्वारा तथा उड़ीसा में अन्यत्र स्वीकृत सतत ग्रामीण आजीविका के लिए अधिक प्रभावी उपाय करना है। इस परियोजना का प्रयोजन विशेषकर निर्धनतम लोगों के लिए निरन्तर आजीविका के साधन उपलब्ध कराना है, जिसे 2010 तक धीरे-धीरे चार जिलों में बढ़ावा दिया जाना है। इस परियोजना में केवल भूमि सुधार पर ही नहीं बल्कि अन्य न्यायों पर भी ध्यान दिया जाएगा अर्थात् देश में सतत आधार

पर अत्यन्त पिछड़े जिलों में पद दलित लोगों के लिए सम्पूर्ण आजीविका सुनिश्चित करेगा। इस परियोजना में चार जिले अर्थात् बलांगीर (14 ब्लाक), नुआपाडा (5 ब्लाक), कालाहांडी (6 ब्लाक) और बरगढ़ (4 ब्लाक) शामिल हैं। उब्ल्यू ओ आर एल पी के तहत राज्य के चार जिलों के 29 ब्लाकों में से हरेक में लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र की 290 जलसंभर परियोजनाएं चार वर्षों की अवधि के दौरान शुरू की जानी हैं तथा एक ब्लाक में 10 जलसंभर परियोजनाएं क्रियान्वित की जानी हैं। 31 जुलाई, 2009 तक उब्ल्यू ओ आर एल पी को पूरा कर लिया जाएगा।

### राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण :

7.4.14 विभिन्न मंत्रालय जलसंभर परियोजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। दिशा निर्देश तथा लागत के मानदण्ड एक योजना से दूसरे योजना में भिन्न-भिन्न होते हैं। इससे जिला स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन अभिकरणों के लिए पर्याप्त कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। सरकार ने देश की शुष्क भूमि और वर्षा आधारित कृषि के व्यवस्थित उन्नयन तथा प्रबंधन के बारे में अधिक आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण (एन आर ए ए) गठित करने का निर्णय लिया है। यह प्राधिकरण जलसंभर विकास तथा भूमि उपयोग एवं उत्पादकता, के अन्य पहलुओं से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं को कारगर ढंग से लागू करेगा।

### भूमि सुधार

7.4.15 भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय दो केन्द्र प्रायोजित योजनाएं अर्थात् राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण और भूमि अभिलेखों को अद्यतन करना तथा भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण संचालित करता है। इन्हें एन सी एम पी के अन्तर्गत एक प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में उजागर किया गया है, जिसमें यह समाधान दिया गया है कि " राजस्व प्राधिकरणों को पूरी तरह से आधुनिक बनाया जाएगा और सुस्पष्ट हक साबित किया जाएगा।"

## राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण एवं भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाना (एस आर ए एण्ड यू एल आर)

7.4.16 भूमि से संबद्ध लगभग सभी प्रकार के महत्वपूर्ण भूमि अभिलेखों के अद्यतन बनाने के कार्य में राज्यों। संघ राज्य क्षेत्रों की मदद करने की दृष्टि से तथा राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सातवीं योजना (1987-88) के दौरान राजस्व प्रशासन के सुदृढीकरण तथा भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने के लिए (राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण एवं भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाना (एस आर ए एण्ड यू एल आर)केन्द्र प्रायोजित शुरु की गई थी।

7.4.17 वित्तीय वर्ष 2005-06 में इस योजना के अन्तर्गत 40.00 करोड़ रूपए का बजट आबंटन किया गया था, जिसके एवज में आधुनिक उपायों सहित सर्वेक्षण / पुनः सर्वेक्षण कार्य, अभिलेख कक्ष का निर्माण तथा प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि शुरु करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 39.99 लाख रूपए निर्मुक्त किए गए थे। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2006-07 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 50.00 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान है। जिसमें से 1.23 करोड़ रूपए(19.9.2006 तक) पहले ही एस आर ए व यू एल आर योजना के अनुमोदित कार्यों के लिए राज्यों को निर्मुक्त किए जा चुके हैं। इस योजना के शुरु से ही केन्द्र की भागीदारी के तौर पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 322.39 करोड़ रूपए (31.3.2006 तक) तक की वित्तीय सहायता मुहैया करायी गई है।

## भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सी एन आर)

7.4.18 भूमि प्रशासन के क्षेत्र में समय-समय पर देश में होने वाले प्रौद्योगिकी विकास के साथ-साथ भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण शुरु किया गया है। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

- भूमि संबंधी डेटा-बेस में होने वाले परिवर्तनों को अद्यतन बनाना तथा इनकी देखभाल को सुगम एवं सरल बनाना जैसे कि सिंचाई सुविधाओं के सृजन, प्राकृतिक आपदाओं भू-धृति के समेकन

के कारण होने वाले परिवर्तन अथवा स्वामित्व अन्तरण, विभाजन, भूमि अधिग्रहण, पट्टा इत्यादि जैसे विभिन्न परिवर्तनों के कारण होने वाले परिवर्तन।

- भू स्वामियों को अभिकरणों के अभिलेख की सामयिक एवं सही प्रतिलिपि जारी करने के लिए स्वामित्व ब्यौरे का कम्प्यूटरीकरण। जमीनी स्तरों पर प्रभावी भूमि, सुधार, राजस्व प्रशासन तथा विकास नियोजन में सहायता के लिए भूमि सूचना प्रणाली एवं डाटाबेस तैयार करना।
- आरेखीय एवं मूलपाठ दोनों सूचनाओं की दीर्घकालिक, तीव्र एवं कुशल पुनः प्राप्ति हेतु विश्वसनीय संरक्षण के लिए कम लागत पर आसानी से पुनः उत्पाद योग्य स्टोरेज मिडिया।

7.4.19 इस समय यह योजना देश के 582 जिलों में चल रही है तथा यह 327 तहसालों तालुकों और 1019 उप उण्डलों में चालू रही है।

7.4.20 वर्ष 2005-06 में इस योजना के अन्तर्गत 100.00 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान था, जिसमें से 99.74 करोड़ रूपए राज्यों को जारी किए जाए। योजना के प्रारम्भ(1988-89) से ही, भारत सरकार ने राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को 346.13 करोड़ रूपए जारी किए हैं (31.3.2005 तक)। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2006-07 के दौरान योजना के तहत बजट प्रावधान 100.00 करोड़ रूपए है।

7.4.21 डी ओ एल आर द्वारा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 के दौरान जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण अनुबंध 7.4.1 में दिया गया है।

## अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना (एस सी पी) और जनजातीय उप योजना (टी एस पी) :

7.4.22 जलसंभर विकास कार्यक्रम में एस सी पी या टी एस पी के लिए अलग से प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र विकास कार्यक्रम हैं। जलसंभर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की इकाई एक ब्लाक होता है। जलसंभर विकास क्रियाकलापों

के लिए लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र के जलसंभरों का चयन किया जाता है। कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में जलसंभर के चयन में ऐसे ग्रामों को प्राथमिकता दी गई है, जिनमें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की बहुलता है। इन दिशा-निर्देशों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की आजीविका संबंधी चिन्ताओं तथा जलसंभर विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली विभिन्न समितियों में उनके प्रतिनिधित्व पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

### परिणामों का अनुवीक्षण

7.4.23 सरकार ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किए गए निवेशों के परिणामों पर पर्याप्त ध्यान दिया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2005-06 में यह बताया था कि सरकार ऐसी विभिन्न योजनाओं के लिए परिणाम बजट लाएगी, जिन्हें तब कड़ी निगरानी में रखा जा सकता है। परिणाम बजट संसद में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। भू संसाधन विकास ने आई डब्ल्यू डी पी, डी पी ए पी तथा डी डी पी के लिए पर्याप्त मात्रा में दी जाने वाली सामग्री का उल्लेख किया है। इसी प्रकार भूमि अभिलेखों तथा विभाग की अन्य योजनाओं के कम्प्यूटरीकरण के बारे में भी विशिष्ट परिणामों का उल्लेख किया गया है। दी जाने वाली इन सामग्रियों का संबंध स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, सुधार किए जाने वाले क्षेत्रफल, बनाई गई एसएचजी की संख्या तथा जलसंभर परियोजना में निर्मित प्रयोक्त समूह की

संख्या से है। इस पर्याप्त सुपुर्दगियों से विभिन्न पणधारियों को परियोजनाओं/ योजनाओं में मदद मिलेगी।

### निष्कर्ष

7.4.24 बंजर भूमि वर्षा आधारित कृषि की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में जलसंभर विकास कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया गया है। भारत सरकार के विभिन्न विभाग विभिन्न मानदण्डों के साथ जलसंभर योजनाएं क्रियान्वित करते हैं। सभी जलसंभर कार्यक्रमों को एक ही छत के नीचे लाने की आवश्यकता महसूस की गई है, ताकि जलसंभर विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। सरकार ने देश की शुष्क भूमि तथा वर्षा आधारित कृषि के सुव्यवस्थित विकास एवं प्रबंधन के बारे में अधिक आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण (एन आर ए ए) गठित करने का निर्णय लिया है। यह प्राधिकरण विशुद्ध रूप से सलाहकारी एवं नीति निर्माण निकाय होगा तथा इसका संबंध क्रियान्वयन अथवा निधि वितरण से नहीं होगा। इसके अधिकार क्षेत्र में उपयुक्त कृषि एवं आजीविका प्रणाली से संबंधित उपायों सहित वर्षापोषित क्षेत्रों के सतत एवं सम्पूर्ण विकास के सभी पहलू आएंगे तथा यह जलसंभर विकास से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं तथा भूमि उपयोग तथा उत्पादकता के अन्य पहलुओं को भी प्रभावी तरीके से उपयोग में लाएगा। इससे जलसंभर विकास कार्यक्रमों का स्तर बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सकेगा।

संलग्नक 7.4.1

2005-06 के लिए कृषि उत्पादन की संरचना; क्षेत्रवार (रुपये करोड़ में)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/क्षेत्र	कुल	जल	सह	अन्य	घास	जल	सह	अन्य
1	आंध्र प्रदेश	40.47	53.82	27.61	60.00		5.06		186.96
2	बिहार	9.90	3.79				2.64		16.33
3	छत्तीसगढ़	20.26	16.75				4.60		41.61
4	गोवा	0.24						3.94	4.18
5	गुजरात	24.18	29.11	54.46					107.75
6	हरियाणा	5.94		17.56			8.44	0.61	32.55
7	हिमाचल प्रदेश	26.62	6.60	3.86			3.26		40.34
8	जम्मू एवं कश्मीर	11.20	2.60	12.95					26.75
9	झारखण्ड	3.03	15.56					2.50	21.09
10	कर्नाटक	24.95	27.36	19.56					71.87
11	केरल	7.78					3.06	1.84	12.68
12	मध्यप्रदेश	48.98	53.28				3.88	2.23	108.37
13	महाराष्ट्र	20.51	44.49				7.88	5.45	78.33
14	उड़ीसा	23.07	20.91		20.00		5.99		69.97
15	पंजाब	3.02							3.02
16	राजस्थान	24.01	17.12	131.98			13.32	6.00	192.43
17	तमिलनाडु	26.00	16.60				2.00	2.00	46.60
18	उत्तरप्रदेश	32.22	26.44				15.62	6.24	80.52
19	उत्तरांचल	16.88	14.67				6.53	1.70	39.78
20	पश्चिम बंगाल	4.64	3.88				8.70		17.22
	<b>कुल</b>								
21	अरुणाचल प्रदेश	10.61							10.61
22	आसाम	33.73					5.43		39.16
23	मणिपुर	5.53					0.88		6.41
24	मेघालय	8.04							8.04
25	मिजोरम	11.22					1.27	3.75	16.24
26	नागालैंड	38.86					0.20	2.74	41.80
27	सिक्किम	1.65					0.10		1.75
28	त्रिपुरा	3.08							3.08
29	अन्य		0.20	0.20		17.00	0.37	0.50	18.27
	<b>कुल</b>	<b>486.74</b>	<b>353.18</b>	<b>268.17</b>	<b>80.00</b>	<b>17.00</b>	<b>98.87</b>	<b>39.49</b>	<b>1343.45</b>

## 7.5 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

7.5.1 भारत कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय स्तर पर उच्च वैज्ञानिक संगठन का जनादेश कृषि, कृषि शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा प्रथम पंक्ति गतिविधि के रूप में नई तकनीकी को दर्शाना दे।

7.5.2 आई सी ए आर के अनुसंधान कार्य ये 47 केन्द्रीय संस्थान, 5 राष्ट्रीय ब्यूरो, 13 परियोजना महानिदेशालय, 32 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र तथा 91 अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजनाएं शामिल हैं। आई सी ए आर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देकर अनुसंधान, शिक्षा तथा 38 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में, 5 कृषि विश्वविद्यालय के दर्ज के समान विश्वविद्यालयों तथा 1 केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षा विस्तार के कार्य को बढ़ावा भी देती है।

### वार्षिक योजना 2005-06 की समीक्षा

7.5.3 विभिन्न विषय मामले प्रभाग के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान मुख्य अनुसंधान उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

7.5.4 राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने हमारी कृषि के चुनौतियों का सामना करने के लिए कई नई पहलें की हैं। राष्ट्रीय कृषि नवीकरण परियोजना जिसे विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया जा रहा है, में 1.150 करोड़ रुपये के निदेश की योजना है। इस परियोजना का उद्देश्य कृषकों की आय, रोजगार के अवसर तथा जीवन यापन की सुरक्षा को कृषक दलों की सहभागिता से बढ़ाना है। इस परियोजना के घटकों में, परिवर्तन हेतु आई सी ए आर की भूमिका को बढ़ाना, उत्पादन से लेकर उपभोग तक अनुसंधान धारणीय ग्रामीण जीवन यापन सुरक्षा प अनुसंधान तथा कृषि विज्ञान के क्षेत्रों में मूल-भूत तथा नीतिगत अनुसंधान को मजबूत करना शामिल है। इस परियोजना में ग्रामीण निर्धनों और महिला जैसे वंचित समूहों को कृषि प्रौद्योगिकी निर्माण और प्रसार के लाभग्रहियों के रूप में चुना गया है।

7.5.5 भारत और अमरीका ने कृषि शिक्षा, अनुसंधान सेवा और व्यावसायिक संयोजनों पर भारत-अमरीका ज्ञान पहल का मुख्य उद्देश्य कृषि, शिक्षा, अनुसंधान, सेवा और व्यावसायिक संयोजन के परस्पर प्रबलित प्राथमिकता के क्षेत्रों का पता लगाना और उन पर कार्य करना है। सहयोग के लिए पता लगाए गए अनेक प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित पर ध्यान केन्द्रित किया गया है (i) शिक्षा, अधिगम संसाधन, पाठ्यक्रम विकास और प्रशिक्षण, (ii) खाद्य प्रसंस्करण, उप-उत्पादों और जैव ईंधन का प्रयोग, (iii) जैव प्रौद्योगिकी और (iv) जल प्रबंधन। इस पहल के अंतर्गत मेधावी व्यक्ति - विशेष को बारलॉग फ़ैलोशिप और कॉस्टैरिंग फ़ैलोशिप प्रदान की जाती है जिसका उद्देश्य उनके कैरियर में प्रारंभ से ही योग्यता का पता लगाकर अनुसंधान पौद्योगिकी में उन्नत ज्ञान प्रदान करना है जिससे कि वे प्रयोगशाला और फ़ील्ड अनुसंधान कर सकें। फ़ैलोशिप के लिए चुने गए कुछ प्रमुख क्षेत्रों में पेडॉगॉगी, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा, जैव-ईंधन, जैनोमिक्स, लासेसिंग और आइ पी आर, निदान और वैसीन और जल प्रबंधन शामिल हैं।

7.5.6 आई सी ए आर ने जैनोमिक्स, जैनेपिरामिडिंग, मालीक्यूलर ब्रीडिंग, निदान, एकीकृत रोग प्रबंधन, सब्जी बीज उत्पादन जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में लगभग 35 सामारिक अनुसंधान नेटवर्क स्थापित किए हैं। इसके अलावा, क्षमता निर्माण और अनुसंधान में सहायता करने के लिए कृषि विज्ञान में मूलभूत और सामरिक अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय निधि भी शुरू की गई है। डा0 सी एन आर राव की अध्यक्षता में प्रमुख वैज्ञानिकों को सदस्य के रूप में लेकर सामारिक कृषि अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय निधि के संचालन के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। इसके लिए प्रतिस्पर्द्धात्मिक आधार पर अनुसंधान अनुदान दिए जाते हैं।

7.5.7 वैश्विक प्रतियोगिता हासिल करने के आशय से मानद विश्वविद्यालयों और कृषि विश्वविद्यालयों की क्षमताओं को और अधिक बढ़ाने के लिए आईसीएआर ने इन संस्थाओं में उत्कृष्टता के आला क्षेत्रों को बढ़ावा देने का कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत समयामयिक संगतता

के विषय पर सिद्ध क्षमताओं के क्षेत्र में अनुसंधान और विकासात्मक सहायता दी जाती है। उतकृष्टता के आला क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र हैं हाइटेक बागवानी (एमपीयूएटी, उदयपुर) मोलिकुलर डायग्नोस्टिक्स ऑफ एवियन डिजिजेज (टीएनवीएएसयू, चेन्नई) औषधि पौधे (जेएनकेवीवी, जबलपुर) संसाधन संरक्षण प्रोद्योगिकी (सीसीएस, एचएयू, हिसार), मृदा और जल प्रबंधन (पीएयू, लुधियाना), जेव ईंधन (टीएनएयू, कायम्बटूर), बफैलो जिनोमिक्स (एनडीआरआई, करनाल), मृदा में अरसेनिक प्रबंधन (बीसीकेवी, मोनपुर), अम्ल मृदा प्रबंधन (ओयूएटी, उड़ीसा), समकित पालन (जीवीपीयूएटी, पंतनगर), इमयूनोडायग्नोस्टिक्स (आईवीआरआई, इज्जतनगर), ट्रोपिकल होम गार्डन्स (कएयू, केरल) और एग्रो-बेस्ड न्यूट्रासिटिकल्स (एमएयू, परभानी) ।

7.5.8 जर्म-प्लाज्म जो कि फसलों की सुधार के लिए मूल और आवश्यक अंग है, देश के विभिन्न भागों से 85 अनुसंधानों के मध्यम से इस फसल की 584 किस्में और उनकी एम्बद्ध जंगली किस्में एकत्र की गयीं और 22,964 अनुवृद्धियाँ राष्ट्रीय जीन बैंक में शामिल की गयीं 1 12 फसलों की 785 से अधिक किस्मों के नमूने लिए गए ।

7.5.9 वर्ष के दौरान चावल की 11 किस्में, गेहूँ की 16 किस्में, जौ की 4 किस्में, मक्का की 11 किस्में, फिंगर मिल्लेट और फोक्सटेल मिल्लेट की एक किस्म और ग्रेन-अमरनाथ की एक किस्म और अकव्हिट की दो किस्में देश के विभिन्न भागों में जुताई के लिए जारी की गई हैं । चारे की फसलों में, ओट्स की 3 किस्में, कौड़पी की एक किस्म, अंजन घास की एक किस्म और बरसीम की एक किस्म जुताई के लिए जारी की गई।

7.5.10 तिलहनों में, सीसम की एक किस्म की वर्षा ऋतु में जुताई के लिए सिफरिश की गई है। मूँगफली की एनथर किस्म के लिए एक प्रोटोकॉल मानकीकृत किया गया है। जड़ रोपित करने और सूक्ष्मग्राफ्टिंग द्वारा पिजन-पी की पंजेशी को परिवर्तन को स्थपित किए जाने के अतिरिक्त संकर शुद्धता स्थपित करने के लिए अरंडी में पहली बार सिगनेचर मारकर्स की पहचान की गई।

7.5.11 दालों में, माथ्बीन, होर्सग्राम और काऊपी की एक-एक किस्म जारी की गई है और वाणिज्य जुताई के लिए अधिसूचित की गई है। वाणिज्यिक फसलों में जूट की दो किस्मों और मेस्ता और सनहेम्प की एक-एक किस्म जारी की गई है और जुताई के लिए अधिसूचित की गई। कपास की दो आरबोरेटम किस्में और इंद्रा-आरबोरिअम और अंद्रा-हिरस्टम कपास की एक-एक संकर किस्म वाणिज्यिक जुताई के लिए अधिसूचित की गई है।

7.5.12 केले की उत्तम किस्म जारी की गई है जो कपूरवाली किस्म से 40 प्रतिशत अधिक उत्पादन देती है। शुष्क क्षेत्र फल उत्पादन, पौष्टिक सुरक्षा बने, कृषि विविधता को बढ़ावा देने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अनुसंधान प्रयासों से बर्फ के प्रति सहनशीलता के साथ 8 फसलों के विकास और 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड पर आओनला के 30 दिन तक रखे जाने पर कुल फिलोल्स और फ्लोनोइड्स की नगण्य हानि में सफलता मिली है। आर्द्र क्षेत्रों में फलों और शुष्क फलों, एपल कल्टिवर्स, ओरिगोन स्पर, गोल्डन और प्राइमा ने मुक्तेश्वर, उत्तरांचल के वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छा उत्पादन दिया है। अखरोट लानड्रेस एलजी 5 में वाणिज्यिक रूप से दोहन होने की क्षमता है।

7.5.13 सब्जियों में, 26 किस्मों (टमाटर, भिण्डी और मटर की 5-5, काऊपी और मूली की 2-2 और बैंगन, मिर्च, फ्रेंच बीन, फूलगोभी, तरबूज, तोरी और खरबूजे की एक-एक) की जारी किए जाने के लिए पहचान की गई है। इसके अलावा, टमाटर की संकर किस्म आरका अनन्या, बैंगन की संकर किस्म आरका आरंद और मिर्च की दो संकर किस्में आरका मंगना और आरका स्वेता की जारी किए जाने के लिए पहचान की गई है। पलेरूट्स फ्लेबेलेट्स की उन्नत किस्म विकसित की गई है। अगेरिक्स बायोपोरस के सेल्फ जीवन में सुधार लाने के लिए लेटिनूला इंडोडेज और फ्लेमूलिना वेलुटिप्स की जुताई प्रौद्योगिकियों और संशोधित वातावरण पैकेजिंग तकनीकों को मानकीकृत किया गया है।

7.5.14 भूमि प्रयोग आयोजना के लिए 9 राज्यों के 12

जिलों का मृदा संसाधन सर्वे और मैपिंग करवाया गया और 15 वाटरसेड्स/ फार्मों का विस्तृत मृदा सर्वेक्षण उनके भू-प्रयोग योजना के लिए पूरा कर लिया गया है। पर्यावरण अनुकूल और धारणीय भू-प्रयोग मॉडलों की 15 वाटरसेड्स के लिए पहचान की गई और इसमें शुष्क अर्द्ध-शुष्क से उपाद्र क्षेत्र के 5,258 हेक्टेयर शामिल किए गए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश के नमक प्रभावित मृदा डेटा-बेस को आंकड़कृत किया गया है जिससे लवणता प्रबंधन में सहायता मिलेगी।

7.5.15 समेकित जल प्रबंधन में किए गए अनुसंधान से, नहर जल प्रबंधन के ओपटाल मॉडल के विकास करने, उर्वरक के साथ बूंद-बूंद सिंचाई के साथ केले की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार, किनू की गुणवत्ता और उत्पादन में सिंचाई से सुधार, साल के पत्ते की पलवार और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की तराई में आर्थिक रूप से व्यवहार्य और प्रतिभागी जल प्रबंधन का विकास हुआ।

7.5.16 खेतों में काम करने वाली लगभग 212.000 ग्रामीण महिलाओं और 64,394 ग्रामीण लड़कियों का फसल उठाने, बागवानी, गृह विज्ञान, पशुधन उत्पादन/ प्रबंधन आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, 27,076 खेतों में काम करने वाली 27,076 महिलाओं और ग्रामीण लड़कियों को प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। धान्य, दालों और काष्ठफलों पर आधारित दस पोषक नुस्खों का विकास किया गया और उनकी स्वीकार्यता के लिए मूल्यांकन किया गया। कृषि में विविधीकरण की प्रक्रिया में आवश्यक तेजी लाने के लिए शोलापुर में अनार पर एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई, ताकि विशेषकर वर्षा वाले क्षेत्रों में फार्म उत्पादन, आय और पोषण सुरक्षा बढ़ाई जा सके। इस केन्द्र ने काम करना शुरू कर दिया है। निर्माण कार्य शुरू हो गया है और अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती की जा रही है। बौद्धिक संपदा अधिकार, कृषि में लाभ बटने, कृषि अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्रों में हो रहे तीव्र विकास, और आई सी ए आर में व्यावसायीकरण से हो रहे लाभों को बटने के लिए परिषद ने

बौद्धिक संपदा प्रबंधन ओर आई सी ए आर व्यवस्था में प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण के लिए दिशा-निर्देशों के विकास हेतु एक समिति का गठन किया है।

7.5.17 540 केवीके को स्वीकृति दी जा चुकी है और शेष जिलों में दसवीं योजना की समाप्ति से पहले केवीके की स्थापना की जाएगी। 200 केवीके में ई-लैंकेज का प्रावधान किया गया है तथा 326 केवीके में मृदा एवं जल जांच सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है। ज्ञान अधिकारिता को सुविधाजनक बनाने हेतु कृषि विश्वविद्यालय विस्तार शिक्षा निदेशालयों के लिए कोष का प्रावधान किया गया है ताकि मानव संसाधन विकास किया जा सके। कृषि फिल्मों की सीडी 11 क्षेत्रीय भाषाओं में डब की गई है और तकनीकी समाचारों को स्थानीय भाषाओं में तैयार किया गया है। कृषि विश्वविद्यालयों में किसानों के लिए छात्रावास का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम समन्वयकों के लिए केवीके में ज्ञान प्रबंधन के आधार पर बहुत सी अतिसंवेदनशील कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं।

### वार्षिक योजना 2006-07

7.5.18 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डी ए आर ई) को समग्र बजट सहायता (जी बी एस) वर्ष 2006-07 के लिए 26.17 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2005-06 में 1350.00 करोड़ ₹ कर दी गई है। वर्ष 2006-07 के दौरान उपज विज्ञान के लिए 318 करोड़ ₹ का परिव्यय; बागवानी विज्ञान-70 करोड़ ₹, राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन-85 करोड़; कृषि इंजीनियरिंग -40 करोड़ ₹, पशु विज्ञान 85 करोड़ ₹, भात्सियिकी-30 करोड़ ₹, कृषि शिक्षा -212 करोड़ ₹, कृषि विस्तार-270 करोड़ ₹, सामरिक अनुसंधान-50 करोड़ ₹ और राष्ट्रीय कृषि नवीनता परियोजना के लिए 100 करोड़ ₹ का प्रावधान किया गया है। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के लिए वार्षिक योजना 2004-05 (व्यय) 2005-06 (बजट अनुमान और अनंतिम व्यय) और 2006-07 (बजट अनुमान) का स्कीमवार परिव्यय और व्यय का ब्यौरा संलग्नक 7.5.1 में दिया गया है।

अनुबंध 7.5.1

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग की वार्षिक योजना 2004-05 का व्यय 2005-06 का बजट अनुमान (ब.अ.) तथा अनंतिम व्यय तथा वार्षिक योजना 2006-07 का बजट अनुमान

(करोड़ रुपये में)

योजना का नाम	2004-05 व्यय	2005-06		2006-07 ब.अ.
		ब.अ.	व्यय (अनंतिम)	
1. फसल बीमा	151.43	190.00	240.24	318.00
2. बागवानी	66.84	80.00	69.87	70.00
3. प्राकृतिक संसाधन प्रबंध	81.77	90.00	89.95	85.00
4. कृषि अभियांत्रिकी	25.98	30.00	28.38	40.00
5. पशु विज्ञान	77.67	105.00	66.87	85.00
6. मत्स्य पालन	33.53	40.00	36.77	30.00
7. कृषि, अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी	4.01	4.50	4.50	4.00
8. कृषि विस्तार	165.11	245.00	242.62	270.00
9. कृषि शिक्षा	139.46	180.00	205.22	212.00
10. सीएयू + डीएआरई	24.84	70.50	55.48	55.50
11. आईसीएआर मुख्यालय	2.96	3.82	11.46	25.00
12. सामरिक अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय निधि	—	50.00	0.00	50.00
13. राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एनएटीपी)	83.68	60.00	19.00	0.00
14. राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना (एनएआईपी)	—	—	0.56	100.00
15. भारत फ्रांस समुद्र-आधारित प्रजनन	—	1.18	1.03	0.50
16. भारत अमरीकी ज्ञान पहल	—	—	—	5.00
जोड़	<b>858.98</b>	<b>1150.00</b>	<b>1071.95</b>	<b>1350.00</b>

## 7.6 खादी और ग्राम उद्योग

7.6.1 खादी और ग्राम उद्योग (केवीआई) क्षेत्र ग्राम/ग्रामीण उद्योगों और खादी का उत्पादन कार्य देखता है। के वी आई क्षेत्र के कार्यक्रमों से ग्रामीण आबादी के वंचित वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने में मदद मिलती है और इसमें कृषि उत्पादन और गैर-कृषि क्षेत्र के अंतर्गत संबद्ध कार्यकलापों पर बल देते हुए उत्पादनकारी रोजगार अवसरों को बढ़ावा दिया जाता है। ग्रामीण अकृषि क्षेत्र का आकार बढ़ता जा रहा है और ग्रामीण आय सृजन में इसके योगदान में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

7.6.2 दसवीं योजना अवधि के दौरान इसे दी गई उच्चतम प्राथमिक ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित करने और नए रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ हो रहे पलायन को कम करने के लिए खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (के वी आइ सी) की पहचान विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में एक ऐसे महत्वपूर्ण संगठन के रूप में की गई है, जो प्रति व्यक्ति कम निवेश पर दीर्घकालिक ग्रामीण गैर-कृषि वाले रोजगार के अवसर मुहैया करा सकता है। के वी आई सी मार्जिन मनी योजना (जिसे ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम भी कहा जाता है) चला रहा है और ग्राम उद्योग ईकाइयों में समुचित प्राद्योगिकी की शुरुआत, वीएसई उत्पादों के लिए उच्च और एक समान गुणवत्ता मानक लागू करने, ग्राम उद्योग ईकाइयों के सामूहिक विकास आदि के कार्य भी कर रहा है। के वी आइ सी खादी एवं ग्राम उद्योग के अंतर्गत वर्ष 2005-06 में 88.77 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित कर पाया है जबकि पिछले वर्ष यह स्तर 76.78 लाख था जो कि 7.8% की वृद्धि है। वर्ष 2006-07 के लिए नए रोजगार का लक्ष्य 88.70 लाख रखा गया है। के वी आर वी के उपलब्धि के अन्य क्षेत्रों में के वी आई संस्थाओं का वर्गीकरण, केन्द्रीय सलाईवर प्लांट्स में उत्पादन को अधिकतम बनाना, नए डिजाइनों की शुरुआत, विकेन्द्रीकरण की उच्च डिग्री, पश्च-भ्रम संयोजनों का पोषण, विपणन बढ़ाने के प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करना, प्रशिक्षण नेटवर्क का विस्तार, सामूहिक विकास योजनाओं की शुरुआत और ग्राम उद्योगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मानकों की शुरुआत शामिल है।

7.6.3 पिछले कुछ वर्षों के दौरान, खादी कपड़ा उत्पादन और रोजगार में कमी आई है, परन्तु वर्ष 2005-06 में कपड़ा उत्पादन में 465.26 करोड़ ₹ मूल्य की उपलब्धि देखी गई है जो कि सकारात्मक प्रवृत्ति है। के वी आई सी ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एन आई डी) और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई एफ टी) की सहायता से खादी कपड़े के नए डिजाइन और फैशन इनपुट्स की शुरुआत की है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में की गई घोषणा के अनुसार, सरकार ने दस सदस्यों वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर इसका पुनर्गठन किया है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, जो कि लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः 27 फरवरी, 2006 और 11 मार्च, 2006 को पारित किया गया है, को 2006 के अधिनियम सं० 10 के तौर पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, जिसे पुनर्गठन के लिए 14 अक्टूबर, 2004 को भंग कर दिया गया था, का 19 जुलाई, 2006 को पुनर्गठन किया गया है। के वी आई सी नियम, 2006 भी 17 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किए गए हैं। खादी एवं ग्राम उद्योग क्षेत्र में और अधिक रोजगार और उत्पादन के लिए कुछ नई योजनाएं भी शुरू की जा रही हैं।

7.6.4 के वी आई सी ब्याज सहायता पात्रता प्रमाणपत्र (आई एस ई सी) योजना का कार्यान्वयन कर रही है, जिसके अंतर्गत खादी की संस्थाओं को 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वास्तविक उधार दर और 4 प्रतिशत के मध्य का अंतर के वी आइ सी के माध्यम से सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2005-06 के दौरान बैंकों द्वारा 285.34 करोड़ ₹ के ऋण संवितरित किए गए हैं और 22.38 करोड़ ₹ ब्याज की सहायता उपलब्ध कराई गई। खादी ओर खादी उत्पाद बिक्री पर छूट उपलब्ध कराई जाती है, ताकि अन्य वस्त्र उत्पादों की तुलना में खादी के मूल्य को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत के वी आइ सी ने वर्ष 2004-05 और वर्ष 2005-06 के दौरान छूट के लिए क्रमशः 81.19 करोड़ ₹ और 84.68 करोड़ ₹ विमुक्त किए।

7.6.5 नवम्बर 2002 में आरंभ उत्पाद विकास, डिजाइन इन्टरवेंशन और पैकेजिंग (पी आर ओ डी आइ पी) योजना में खादी उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है और खाड़ी संस्थानों को नए उत्पादों का विविधीकरण करने के लिए समर्थ बनाया जाता है। वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान, पी आर ओ डी आइ पी के अंतर्गत 121 परियोजनाएं, 69 परियोजनाएं और 73 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एन आर एफ टी के साथ सहयोग से केवीआईसी ने "इस्तेमाल के लिए तैयार खादी" नाम की एक परियोजना शुरू की है। खादी कारीगरों को बीमा सुरक्षा देने के लिए, 15 अगस्त, 2003 से जनश्री बीमा योजना (जे वी वाई) शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत स्वाभाविक मृत्यु (20,000₹), दुर्घटना मृत्यु (50,000₹) और दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से स्थायी विकलांगता (25,000₹) की बीमा सुरक्षा दी जा रही है। जबकि के वी आइ सी प्रति कारीगर 25₹ की दर से बीमा सुरक्षा प्रदान कर रही है, वही खादी संस्थान 50₹ का योगदान करते हैं और कारीगर 25₹ का भुगतान करते हैं, जबकि 100₹ प्रति कारीगर की धनराशि का भुगतान दी गई बीमा सुरक्षा के लिए प्रीमियम का भुगतान सरकार से सोशल सिक्यूरिटी फंड में दिया जाता है। दसवीं योजना के अन्त तक, जे0वाय0वाय0 के अंतर्गत 3.00 लाख कारीगरों को बीमा सुरक्षा देने का लक्ष्य है। सितम्बर 2006 तक इस योजना के अंतर्गत 2.14 लाख खादी कारीगरों को पहले ही बीमा सुरक्षा दे दी गई है।

7.6.6 ग्राम उद्योगों के उत्पादों का प्रभावी रूप से विपणन करने के लिए, के वी आई सी ने अपने उत्पादों जैसे हाथ धोने के साबुन, शहद, अगरबत्ती और अचार के लिए सर्वोदय ब्रांड शुरू किया है। के वी आई सी ने खादी एवं ग्राम उद्योग उत्पादों के लिए नए निपणन संगठन की शुरुआत भी की है। आर्गनिक खाद्य उत्पादों के लिए "देसी आहर" नाम का नया ब्रांड शुरू किया गया है। हर्बल मुख्य तल मुसलिन खादी आदि जैसे अनेक नए उत्पादों को तैयार करने के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर के वी आई सी पश्चिमी देशों में के वी आई उत्पादों को बढ़ावा देने के

लिए डिस्सप्ले बिक्री काउंटर स्थापित कर रहा है। के वी आर सी ने ग्रामीण क्षेत्रों में खादी के कपड़ों के निर्माण और रोजगार सृजन में सुधार की गति को बढ़ाने के लिए अनेक नीति निर्णय लिए हैं ।

7.6.7 मार्जिन मनी योजना (एमएमएस) या केंद्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) के वी आई सी द्वारा 1995-96 में आरंभ किया गया था, ताकि नए ग्राम उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत, 10 लाख ₹ तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के मार्जिन मनी लाभ के रूप में 25 प्रतिशत तक की निधियां उपलब्ध कराई जाती है। 10 लाख ₹ से 25 लाख ₹ तक के बीच की परियोजनाओं के लिए, प्रत्येक मामले में 10 लाख ₹ से ऊपर की परियोजनाओं की लागत का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में दिया जाता है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की महिलाओं, भूतपूर्वक सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, अल्पसंख्यक समुदाय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभग्राहियों के लिए परियोजना लागत के 30 प्रतिशत तक की मार्जिन मनी दी जाती है।

7.6.8 आरईजीपी का कार्यान्वयन 27 राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य के.वी.आइ.बी. द्वारा किया जा रहा है। आर ई जी पी के बेहतर कार्यान्वयन के लिए, के0वी0आर0सी0 ने अनेक नई पहल की हैं जैसे (क) राज्य कार्यालयों और राज्य केवीआईवी के माध्यम से मार्जिन मनी के भुगतान द्वारा विकेन्द्रीकरण करना (ख) कॉयर आधारित ईकाइयों के वित्त-पोषण की अनुमति देना (ग) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में आटो रिक्शा और जम्मू एवं कश्मीर में हाउस वोट/ शिकारा टूरिस्ट बोट, (घ) 30 प्रतिशत लक्ष्य महिला उधियों के लिए निर्धारित करने (ङ) एस एच जी को सहायता लेने के लिए अनुमति देना (च) 47 स्थानों पर ग्रामीण उद्योग परामर्शी सेवा प्रकोष्ठों (आर आर एस सी) को खोलना (छ) इ डी पी के लिए 178 प्रशिक्षण केन्द्र और राज्य स्तर पर बैंकों की प्रमुख शाखाओं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बैंकों की 346 प्रमुख शाखाओं आदि में अग्रिम रूप में मार्जिन मनी देना,

आरईजीपी के प्रारंभ से ही, बैंकों द्वारा 2,42,081 परियोजनाओं का वित्त पोषण किया गया है और 34.98 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं (30.09.2006 तक)।

7.6.9 कॉयर, हथकरघा, बिजली का करघा, वस्त्र, रबड़, हस्तशिल्प, कुम्हारी जैसे पारम्परिक उद्योगों और अन्य छोटे उद्योगों के पुनःनिर्माण के लिए चमड़ा और कुम्हारी सहित खादी, कॉयर और ग्राम उद्योगों के पारम्परिक समूहों के एकीकृत विकास के लिए पारम्परिक उद्योगों के पुनर्निर्माण हेतु निधि योजना (एसएफयू आरटीआई) तैयार की गई है। अगले पांच वर्षों के दौरान 100 समूहों (25 खादी, 50 ग्राम उद्योग और 25 कॉयर) के विकास का प्रस्ताव है। इसकी योजना संचालन समिति (एस एस सी) ने पहले ही 104 समूहों (29 खादी, 50 ग्राम उद्योग और 25 जूट) को अनुमोदन दे दिया है।

7.6.10 आधारभूत स्तर पर योजना अयोग के सदस्यों के दौरों और विशेषज्ञों सक्रिय व्यक्तियों, एन.जी.ओ. आदि की शिकायतों के आधार पर यह देखा गया है कि खादी कातने वालों और ग्राम उद्योग इकाई कामगारों को अपने जीवन स्तर, उत्पादकता और मजदूरी कमाने की क्षमता में सुधार लाने के लिए संवर्धनात्मक उपायों/ योजनाओं की जरूरत होगी। खादी कारीगरों और ग्राम उद्योग कामगारों के लिए शुरू की गई बीमा सुरक्षा की योजनाओं का दायरा बढ़ाए जाने की जरूरत है।

### प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)

7.6.11 प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाय) 2 अक्टूबर 1993 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को संस्थापन वित्त-पोषण उपलब्ध कराना था, जिससे वे आर्थिक रूप से व्यवहार्य सभी कार्यकलापों के लिए स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर सकें और रोजगार के लिए अवसरों का सृजन हो सके। इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें अनेक संशोधन किए गए हैं। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों, महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष

से बढ़ाकर 45 वर्ष करना, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में कमी, वार्षिक पारिवारिक आय-सीमा में वृद्धि और उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए परियोजना आकार; विवाहित महिला आवेदकों के लिए आवासीय मानदंडों में छूट, उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए व्यक्ति-विशिष्ट लाभग्राही को सहवर्ती निःशुल्क ऋण, पूर्वोत्तर राज्यों आदि के लाभग्राहियों के लिए ऋण/ उधार घटक में वृद्धि।

17.6.12 इसकी शुरुआत से, 25.65 लाख स्वरोजगार उद्यम शुरू हो चुके हैं, जिनसे 38.47 लाख अनुमानित व्यक्तियों (अगस्त 2006 तक) को रोजगार मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक की मार्च 2006 तक की श्रेणीवार रिपोर्ट के आधार पर, 15.68 प्रतिशत लाभग्राही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, 20.39 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों और 12.11 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित थे। वर्ष 2006-07 के दौरान (अगस्त 2006 तक) 2.55 लाख के लक्ष्य की तुलना में, 41,936 लाभग्राहियों को ऋण स्वीकृत किए गए थे। वर्ष 2005-06 में 272.47 करोड़ ₹ का व्यय हुआ था और 2006-07 के लिए योजना परिव्यय 324.98 करोड़ ₹ है। इस योजना के अंतर्गत बकाया ऋणों की वसूली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। पी एम आर वाय को सम्पूरित करने के लिए सलाहकार (वी एस ई), योजना आयोग की अधक्षयता में एक समिति की स्थापना की गई थी। पी एम आर वाय को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा एक संवर्धनात्मक पैकेज को अनुमोदित किया गया है, जिसमें इस समिति द्वारा संस्तुत पात्रता और वित्तीय सहायता के उदारीकृत मानदण्डों को शामिल किया गया है। इस पैकेज का कार्यान्वयन 2007-08 से किया जाएगा, जिससे पी एम आर वाय और अधिक प्रभावी हो जाएगा।

### कॉयर (नारियल रेशा) उद्योग

7.6.13 भारत विश्व में कॉयर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जहां विश्व के कुल उत्पादन का 80 प्रतिशत हिस्से का उत्पादन होता है। कॉयर उद्योग में 6 लाख से अधिक कामगारों को रोजगार मिलता है, जिनमें से अधिकतर ग्रामीण

क्षेत्रों से होते हैं और समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के होते हैं। फाइबर निकालने और कॉयर कातने में लगे कॉयर कामगारों में लगभग 80 प्रतिशत महिलाएं हैं। कॉयर उद्योग जो नारियल के रेशे की भूसी का इस्तेमाल उप-उत्पाद के रूप में करता है, न केवल श्रम साध्य उद्योग है, बल्कि यह विशेषज्ञता से भी जुड़ा है। कॉयर की संवृद्धि और विकास निर्यात संवर्धित और घरेलू बाजार के विस्तार द्वारा किया जाता है, जिसके लिए विपणन लागत उपलब्ध कराए जाते हैं।

7.6.14 कॉयर बोर्ड, कॉयर क्षेत्र के लिए अनेक विकास संबंधी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सहायता, कॉयर उद्योग के पुरस्कार, महिला कॉयर योजना, राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करना, प्रतिरूप कॉयर ग्राम, कामगारों के लिए सामूहिक बीमा योजना, आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता, कड़ी मजदूरी में कमी और कॉयर के कामगारों के लिए अन्य कल्याणकारी उपाय शामिल हैं।

7.6.15 दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान कॉयर, कॉयर के रेशों के उत्पाद का निर्माण और निर्यात नीचे दर्शाया गया है और इन आंकड़ों से इनमें संवृद्धि की दर इंगित होती है :

मद (मीट्रिक टन में निर्माण)	2003-04	2004-05	2005-06
कॉयर के रेशे	364000	385000	410000
कॉयर के धागे	332500	245500	280000
कॉयर उत्पाद	77900	98000	98000
कॉयर की रस्सी	50000	50000	57000
गोलाकर जूट	29500	36000	38000
खड़ युक्त जूट	51000	60000	64000
कॉयर निर्यात			
मात्रा मीट्रिक टन में	102253	122927	130500(एटी)
मूल्य करोड़ ₹ में	407.50	473.40	508.45

7.6.16 कॉयर क्षेत्र में विकास के लिए जिन प्रमुख क्षेत्रों

की पहचान की गई है वे निम्नलिखित हैं (क) निर्माण अवसंरचना का समुचित प्रौद्योगिकी द्वारा आधुनिकीकरण, (ख) प्रचार और प्रसार द्वारा घरेलू बाजार का विस्तार, (ग) निर्यात के लिए नए कॉयर उत्पादों का बाजार संवर्धन, (घ) अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों का संवर्धन, प्रक्रिया सुधार, उत्पाद विकास और विविधीकरण, (ङ) जनशक्ति का प्रशिक्षण और दक्षता उन्नयन और (च) अनुसंधान एवं विकास परिणामों का उद्यम प्रदर्शन और निर्माण और प्रबंधन की नई तकनीकें। कॉयर बोर्ड के अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों से कॉयर उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। हरी भूसी वाले रेशे की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक वैकटीरियल फार्मूला तैयार किया गया है जिससे इसे ले जाना आसान होता है और परिवहन की लागतों में भी कमी आती है। कॉयर के मुदा के जल्द मिश्रण और कॉयर उद्योग के लिए विकसित प्राकृतिक डाई को पेटेंट कराने के लिए आवेदन दाखिल करा दिए गए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई के सहयोग से जूकॉयर बोर्ड द्वारा पैकेजिंग सामग्री के रूप में कॉयर कम्पोजिट बोर्ड तैयार किया गया है। एकल प्लाई कॉयर यार्न फाइबर को विभिन्न अन्य प्राकृतिक फाइबरस के साथ मिलाकर वेनेटियन ब्लांड्स, पर्दे और हस्तशिल्प मदों के अनेक नए उत्पाद तैयार किए गए हैं। सीसीआरआई द्वारा 5000 ₹ की लागत पर कॉयर की मेटिंग्स और ज्यो-टैक्सटाइल की बुनाई के लिए एक हल्की स्टील का करघा "अनुग्रह" तैयार किया गया है। एक स्वचालित कताई मशीन और स्लइवरिंग मशीन भी तैयार की गई है। एक प्लेटफार्म पर चढ़ी डिफाईबरिंग मशीन का विकास करने की मार्गदर्शी परियोजना का काम भी चल रहा है।

7.6.17 महिला कॉयर योजना में ग्रामीण महिला कामगारों का स्व-रोजगार अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। महिला कामगारों को प्रशिक्षण देने के पश्चात कॉयर के धागों की कताई के लिए मोटर लगी बेंत (आरएटीटीएस) वितरित की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम एक कारीगर प्रतिघर ही सहायता प्राप्त करने का हकदार है। महिला कारीगरों को मोटर लगी बेंत (आरएटीटीएस) पर कॉयर के धागे कातने के लिए दो माह तक प्रशिक्षित किया जाता है और प्रशिक्षित महिला कामगारों को अधिकतम 7,500 ₹

के अधीन 75 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है। मोटर लगी बेंट (आरएटीटीएस) के मूल्यों में लागत बढ़ने के कारण आर्थिक सहायता में वृद्धि के लिए महिला कॉयर योजना में संशोधन को अनुमोदन दे दिया गया है। इन कार्यकलापों का विस्तार उड़ीसा/ पूर्वोत्तर और नारियल उगाने वाले अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है।

7.6.18 सहकारिता कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में एक मात्र केन्द्रीय रूप से प्रयोजित योजना है। इस योजना के प्रति विभिन्न राज्य सरकारों के कम सकारात्मक रूख को देखते हुए, इस योजना को दसवीं योजना के अन्त तक समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। कॉयर उद्योग कामगार और कारीगरों, जिनके अधिकांश अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला और हाशिये पर पड़े समाज के वंचित वर्गों से संबंधित हैं, को कड़ी मजदूरी, कम उत्पादकता, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, शैक्षिक और प्रशिक्षण सुविधाएं, बीमा सुरक्षा आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसका पता योजना आयोग के सदस्यों के दौरे तथा विशेषज्ञों, कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठन आदि से प्राप्त शिकायतों से पता चला। इस बात की जरूरत है कि कॉयर कारीगरों/ कामगारों की जरूरतों ओर उनके

विशिष्ट क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए व्यापक नई योजनाएं तैयार की जाएं और समयबद्ध तरीके से लाभान्वित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को देखते हुए उसका क्रियान्वयन किया जाए। इन योजनाओं की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने से इनकी कार्यकुशलता में सुधार होगा और व्यय में भी कमी आएगी।

7.6.19 पूर्वोत्तर क्षेत्र में, कॉयर कार्यकलापों को व्यापक स्तर पर चलाए जाने की जरूरत है। जनवरी, 2006 तक, कुल 8054 बेंट (RATTS) वितरित किए गए थे जिसके लिए 3.03 करोड़ ₹0 उपलब्ध कराए गए हैं। हाल ही में, यूएनडीपी की सहायता से, कॉयर बोर्ड ने समूह विकास दृष्टिकोण अपनाया है। बड़ी मात्रा में कच्ची सामग्री की खरीद करने और कॉयर उत्पादों के विपणन के लिए छोटी कॉयर निर्माण ईकाइयों के संकाय बनाए गए हैं, एलेप्पी में 60 संकाय कार्य कर रहे हैं। कॉयर बोर्ड द्वारा 1998 से प्रारंभ कॉयर कामगारों के लिए बीमा योजना मौजूदा सहायता को दोगुना करके संशोधित की गई है। इसके अलावा, नारियल उत्पादन राज्यों में एसएफयूआरटीआई के अंतर्गत कॉयर के विकास के लिए अक्टूबर 2006 तक 25 समूहों को अनुमोदित किया गया है।

संलग्नक 7.6.1

वार्षिक योजना 2006-07 की वास्तविक कार्य-निष्पादन और उपलब्धियाँ - केवीआईसी और नारियल (कोयर) क्षेत्र

क्षेत्र/ उपक्षेत्र	यूनिट	ए०पी० 2004-05 वास्तविक	वार्षिक योजना 2005-06		वार्षिक योजना 2006-07
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
<b>उत्पादन</b>					
ए. एण्ड आर आई क्षेत्र					
खादी कपड़ा	करोड़ रूपए	461.54	471.00	465.26	485.18
ग्रामीण उद्योग	करोड़ रूपए	10458.89	12193.00	11,949.54	14,264.82
कॉयर रेशा	000टन	3,85,000	4,15,000	4,10,000	4,30,000
<b>निर्यात</b>					
ए. एण्ड आर आई क्षेत्र					
कॉयर उद्योग	करोड़ रूपए	473.40	500.00	508.45	560.00
<b>रोजगार</b>					
ए. एण्ड आर आई क्षेत्र					
खादी कपड़ा	लाख व्यक्ति	8.64	8.70	8.68	8.79
ग्रामीण उद्योग	लाख व्यक्ति	68.14	73.50	74.09	79.91
कॉयर उद्योग	लाख व्यक्ति	0.20	0.20	0.16	0.20

वार्षिक योजना 2006-07 के उप-क्षेत्र-वार परिव्यय/ व्यय - के 0वी0आई0सी0 और नारियल (कोयर) क्षेत्र

(रूपए करोड़ में)

क्रम.	उद्योग/उप क्षेत्र	2004-05	2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान/व्यय)			2006-07		
		वास्तिक	परिव्यय	बी.एस.	आईईबीआर	व्यय	बी.एस.	आईईबीआर	परिव्यय	बी.एस.	आईईबीआर
	कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय										
1	केवीआईसी	460.99	587.00	587.00	0.00	558.56	558.56	0.00	592.93	592.93	0.00
2	काँयर	16.80	23.00	23.00	0.00	35.43	35.43	0.00	23.00	23.00	0.00
	कृषि और ग्रामीण मं0 का कुल योग	477.79	610.00	610.00	0.00	593.99	593.99	0.00	615.93	615.93	0.00
	कृषि और ग्रामीण मं0 का कुल योग	<b>695.98</b>	<b>859.00</b>	<b>859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>868.03</b>	<b>868.03</b>	<b>0.00</b>	<b>967.00</b>	<b>967.00</b>	<b>0.00</b>

## 7.7 ग्रामीण पेय जल आपूर्ति तथा स्वच्छता

7.7.1 सभी ग्रामीण वासियों को पेय जल मुहैया करवाना दसवीं योजना की एक मॉनीटरेबल लक्ष्य है। ग्रामीण सफाई की बढ़ती अपरोक्ष रूप से आई एम आर तथा एम एम आर में कटौती जैसे अन्य लक्ष्यों से जुड़ी हुई है।

### वार्षिक योजना 2005-06 की समीक्षा

7.7.2 जल आपूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्र में 2005-06 की वार्षिक योजना में 12831.15 करोड़ रुपये का परिव्यय था (शहरी जल आपूर्ति तथा सेनिटेशन सहित)-7889.65 करोड़ रुपये राज्य तथा संघ प्रदेश योजना में तथा 4941.49 करोड़ रुपये केन्द्रीय योजना में। जल आपूर्ति तथा सेनिटेशन क्षेत्र में इस वर्ष के दौरान केन्द्रीय योजना के अंतर्गत संशोधित परिव्यय 4928.49 करोड़ रुपये था (अनुबंध 7.7.1 देखें)। राज्य तथा संघ शासित प्रदेश योजना का संशोधित अनुमान 8183.42 करोड़ रुपये था (अनुबंध 7.7.5 देखें)।

7.7.3 वर्ष 2005-06 हेतु ग्रामीण जल आपूर्ति तथा सेनिटेशन के लिए 4760 करोड़ रुपये का परिव्यय था। इस वर्ष के दौरान संशोधित परिव्यय तथा रिलीजिज क्रमानुसार 4798 करोड़ रुपये तथा 4758.56 करोड़ रुपये था। इसका ब्यौरा अनुबंध 7.7.1 तथा 7.7.3 पर दिया गया है।

7.7.4 राज्य सरकारों द्वारा राजीव गाँधी पेयजल मिशन को प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर 87841 गाँवों/बस्तियों को वर्ष 2005-06 के दौरान कुल 56270 गाँवों तथा हैबिटेशन के लक्ष्य की तुलना में सुरक्षित पेय जल मुहैया करवाया गया है। राज्य-वार लक्ष्यों तथा कवरेज को अनुबंध 7.7.6 पर दशाया गया है।

7.7.5 राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जल आपूर्ति, सिवेज ट्रीटमेंट तथा सेनिटेशन के विकास तथा प्रसार हेतु उच्चतम प्राथमिकता दिए जाने का मतादेश है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्गों हेतु पेय जल मुहैया करवाने तथा पेय जल के स्रोतों को बढ़ाने के मुद्दों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। शहरों में विशेष कर दक्षिणी राज्यों में पेयजल की

कमी को समाप्त करने के लिए, चेन्नई से शुरू करते हुए डिसेलिनेशन प्लांट लगाने की भी सिफारिश की गई थी।

### वार्षिक योजना 2006-07

#### ग्रामीण जल आपूर्ति

7.7.5 दसवीं योजना के उद्देश्यों के साथ चलने हेतु वर्ष 2006-07 के वार्षिक योजना में जल आपूर्ति तथा सेनिटेशन के अंतर्गत केन्द्रीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति तथा सेनिटेशन हेतु 6000 करोड़ रुपये सहित उच्च योजना गत परिव्यय रखा गया था। केन्द्रीय योजना के अंतर्गत अनुमोदित परिव्यय का योजना-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध 7.7.1 और 7.7.4 में दर्शाया गया है और राज्य/संघ शासित क्षेत्र योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध 7.7.5 में दर्शाया गया है।

7.7.6 वर्ष 2006-07 की वार्षिक योजना में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) के लिए 5200 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है। यह एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। और इसका वित्त पोषण स्वरूप केन्द्र तथा राज्य के बीच 50: 50 में है। वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2006-07 में एआरडब्ल्यू एस पी के लिए आबंटन 1140 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है जिससे की ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र की समस्याओं का निदान किया जा सके। स्वजल धारा जिसमें 20% निधियां ए आर डब्ल्यू एस पी के लिए निर्धारित की गई हैं, एक समुदाय आधारित क्षेत्र सुधार योजना है।

7.7.7 भारत के राष्ट्रपति ने 25 फरवरी, 2005 को संसद में दिए गए अपने भाषण में ग्रामीण भारत के पुनःनिर्माण के लिए एक प्रमुख योजना घोषित की है। जिसका नाम भारत निर्माण। वित्तमंत्री ने 28 फरवरी 2005 को दिए गए अपने बजट भाषण में ग्रामीण पेय जल आपूर्ति को भारत निर्माण के 6 घटकों में से एक घटक के रूप में चिन्हित किया है। भारत निर्माण (2005-06 से 2008-09) के अन्तर्गत 5,81,030 आवासों को कवर करने का प्रस्ताव है जिसमें से (i) व्यापक कार्रवाई योजना 99 के शामिल न किए गए

55067 आवास (ii) 216968 जल गुणवत्ता प्रभावित आवास होंगे जिसमें फ्लोराइड, आर्सेनिक और लवणता प्रभावित बस्तियों पर बल दिया जाएगा। (iii) 3,08,995 वापिस हैबिटेशन में चले गए। इसके अतिरिक्त 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान 2,30,968 ग्रामीण विद्यालयों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है। भारत निर्माण के अंतर्गत वास्तविक प्रगति के अनुबंध 7.7.6 पर दर्शाया गया है।

7.7.8 अधिकांश राज्यों में इस समय ग्रामीण जल आपूर्ति का प्रचालन तथा अनुक्षण संतोषजनक नहीं है, अतः यह एक चिंता का क्षेत्र है तथा समुदाय की भागीदारी के प्रति विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है, विशेषकर महिलाओं की। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि जैसे कई राज्यों ने ओ एण्ड एम का दायित्व पंचायती राज संस्थानों को स्थानांतरित कर दिया है, जो बेहतर कार्य कर रहा है। बकाया सभी राज्यों को ओ एण्ड एम को विकेन्द्रीकृत कर पीआरआई को सौंप देना चाहिए। ग्रामीण जल तथा सैनिटेशन समिति को ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के रूप में गठित किया जाना चाहिए तथा उसे जल आपूर्ति योजनाओं तथा संसाधनों की सरस्टेनबेलटी के लिए एक एक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। बारहवें वित्त अयोग ने पंचायती राज संस्थानों के लिए 2005-10 हेतु रु 20000 करोड़ रुपये के कुल अनुदान की सिफारिश की है। उसने यह भी सिफारिश की है कि पी आर आई आदि को जल आपूर्ति तथा सैनिटेशन से संबंधी और परिसंपत्तियां हासिल कर लेनी चाहिये। पुनः स्थापना हेतु अनुदान का तथा ओ एण्ड एम लागत का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि पी आर आई को उपभोक्ता प्रभार के रूप में 50% आवर्ती लागत की वसूली हो जाएगी। जल आपूर्ति तथा सैनिटेशन की ओ एण्ड एस लागत पर होने वाले व्यय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

### ग्रामीण साफ सफाई

7.7.9 कई राज्यों में ग्रामीण (स्वच्छता) सैनिटेशन कार्यक्रम अब सक्रिय हो रहा है तथा कुल सैनिटेशन अभियान के अंतर्गत अब 568 जिले आते हैं, यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है तथा इसका विभिन्न घटकों के वित्त पोषक तत्व

भिन्न-भिन्न है। मुख्य घटक अर्थात् व्यक्तिगत आवासों में सैनिटेशरी लैटरिन के वित्त पोषण की मात्रा केन्द्र, राज्य तथा लाभार्थी के बीच 60:20:20 की है। जिस प्रकार की सुविधा प्रदान की जानी है वह पूर्ण प्रतिभागिता तथा ग्रामीण पंचायत तथा लोगों, विशेषकर महिलाओं और गैर-सरकारी संगठनों की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। कम लागत वाली घर की लैटरिन के निर्माण संबंधी कार्यक्रम ड्राई लैटरिन को बेट लैटरिन में परिवर्तित करते हुए जारी रहेगा। पूर्ण वातावरण सैनिटेशन का सिद्धांत अपनाया जाना अपेक्षित है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए, "ग्रामीण सैनिटरी मार्ट" के माध्यम से जो सामाजिक उद्देश्यों वाला एक व्यासायिक उद्यम है, जिसमें काउंसिलिंग केन्द्रों के रूप में काम होने के साथ-साथ एक क्रय आउटलैट के रूप में भी कार्य किया जाता है, एक वैकल्पिक डिलिवरी प्रणाली सुनिश्चित की जाती है। केन्द्र द्वारा प्रयोजित ग्रामीण सैनिटेशन कार्यक्रम के लिए वार्षिक योजना में वर्ष 2005-06 के 700 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2006-07 में 800 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटेशन की स्थितियों में सुधार हेतु शामिल किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने "पूर्ण सैनिटेशन अभियान" के दिशा - निर्देशों में कुछ सुधार प्रस्तावित किए हैं जिनकी जांच की जा रही है।

7.7.10 हाल ही में, कृषि वित्त निगम लि0 द्वारा टी एस सी कार्यक्रम का मध्य अवधि मूल्यांकन किया गया है। इस अध्ययन की सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- (i) पीछे चल रहे जिलों में जिलों के प्रशासनिक तंत्र की पुनः संरचना करने के लिए एक विशेष दल तैनात किया जाना चाहिए ताकि उपयुक्त पुनः संरचना संबंधी गतिविधियां प्रारम्भ की जा सकें।
- (ii) राज्यों में कार्यान्वयन अभिकरणों के भीतर एक विशेष सैनिटेशन एकक जिसे योजना बनाने कार्यान्वयन करने तथा कार्यक्रम का सर्वेक्षण करने का मतादेश विशेष सामाजित गतिविधियों संचालित करने हेतु प्राप्त हो।
- (iii) कार्य विस्तार स्टाफ तथा प्रेरकों को ग्रामीण जानकारी होनी चाहिए ताकि वे ग्रामीणों का

उनके उपयोग के बारे में पूर्ण रूप से संतुष्ट करे सके। आई ई सी सामग्री में इस पहलू दर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि लोग उसे समझ सकें।

- (iv) वैयक्तिक के टॉयलैट्स सुपरस्ट्रक्चर की सुलभता प्रदान करने पर भी विचार किया जाए, तथा सुपरस्ट्रक्चर के निर्माण हेतु उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रावधान भी किया जाए।
- (v) अप्रत्यक्ष सामाजिक मान्यता को भी विकसित करने की आवश्यकता है और उन्हें सामुदायिक स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है।
- (vi) टी एस सी, एस एस ए तथा शिक्षा विभाग की अन्य निधियों सहित अन्य स्रोतों से उपलब्ध निधि का सामंजस्य किया जाए, ताकि सफाई संबंधी सुविधाएं स्थापित हो सकें।
- (vii) आंगन बड़ियों में टॉयलैट्स की व्यवस्था करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग के साथ मिल कर कार्रवाई की जानी चाहिए।
- (viii) सभी जिले जहाँ हार्डवेयर की उपलब्धता की समस्या है, वहाँ आर एस एम(ज) और पी सी(ज) स्थापित करने की आवश्यकता है।

### आडटकम बजट 2005-06 में निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले आडटकम मी समीक्षा।

#### एआरडब्ल्यूएसपी के अधीन

7.7.11 4060 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले वार्षिक योजना 2005-06 के लिए आडटकम लक्ष्य शेष 3522 एन सी अवस्थापनाओं, 8375 पी सी अवस्थापनाओं, 34373 पीछे रह गई अस्थापनाओं तथा 10,000 जल गुणवत्ता प्रभावित अवस्थापनाओं को पूरी करने का था। वर्ष के दौरान कार्यक्रमों के अधीन ₹ 4098.03 करोड़ रुपये की जारी

राशि की गई, जिसके तहत वस्तुतः 1314 एन सी अस्थापनाएं, 9383 पी सी अवस्थापनाएं, 70705 पीछे रही अवस्थापनाएं और 4439 गुणवत्ता प्रभावित अवस्थापनाएं कवर की गई। कमी का मुख्य कारण है कि शेष एन सी अवस्थापनाएं तथा प्रभावित अवस्थापनाएं दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में हैं और इसी लिए काफी अवस्थापनाओं में अन्य दूर-दराज के स्रोतों से जल पहुँचाया जाता है।

#### ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के अधीन (टी एस सी)

7.7.12 2005-06 के लिए परिव्यय रुपये 700 करोड़ था। मांग संचालित स्कीम के नाते कोई अग्रिम लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। फिर भी 2005-06 के दौरान 75 जिलों को कवर करने की योजना बनाई गयी थी और धीरे-धीरे इस कार्यक्रम के तहत 553 जिलों को कवरेज में लाना था। वर्ष के दौरान ₹ 660.53 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। इस कार्यक्रम के तहत वास्तविक रूप से कुल 568 जिले कवर किए गए।

#### आउटकम बजट 2006-07 में निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले आउटकम की समीक्षा

#### आरडब्ल्यूएसपी के अधीन

7.7.13 वार्षिक योजना 2006-07 के लिए ₹ 5200 करोड़ रुपये के मुकाबले आडटकम/ लक्ष्य शेष 1120 एन सी अवस्थापनाओं, 17000 पी सी अवस्थापनाओं, 40,000 पीछे रही अवस्थापनाओं तथा 15000 जल गुणवत्ता प्रभावित अवस्थापनाओं को कवर करने का रखा गया था।

#### ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के अधीन (टीएससी)

7.7.14 ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के अधीन: 2006-07 के लिए ₹ 800 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया था। मांग संचालित स्कीम के नाते अग्रिम लक्ष्य नहीं रखे गए थे, फिर भी देश के सभी ग्रामीण जिलों 559 पुराने तथा 15 नए में टी एस सी मंजूर करने का प्रस्ताव रखा गया।

Sl. No.	Description	2004-05 Expenditure (₹)	2005-2006		2006-2007 Expenditure (₹)
			Expenditure (₹)	Expenditure (₹)	
	<b>Total</b>				
1	Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission Programme with Centre Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme	293079	406000	409800	520000
2	Centre Sponsored Rural Water Supply	36766	70000	70000	80000
	<b>MI &amp; TCM 1/4 EVS/KJMH</b>	329845	476000	479800	600000
	<b>'KJH fodkl vjg xjhch mlleyu e=ky;</b>				
1	Jan Swasthya Janiniyari Prashikhan Karaykram	69	125	125	-
2	Hudko ko ikviti (DBWS Shyer)	165	0	0	-
3	Desha me kuchh chuninda AIEEF Ayer Phulid ksbho ke tosa upashisth prabandhak aur jal-nikashi sambandhi prayogik pariyojana	2202	5505	5505	3500
4	20,000 se kam abadi vale (1991 ki jnaganana ke anusar) chote ksbho ke lie kndr prayojit tvirat shari jal आपूर्ति*	8728	9524	4424	5000
5	Safai-karmiyon ki mukti ke lie kndr prayojit ekiyat kam lagat ki svchhata skim	2000	3000	3000	3000
6	Safai karmiyon ki mukti aur punवास हेतु राष्ट्रीय स्कीम \$	1356	0	0	-
	<b>MI &amp; TCM+ 1/4 EVS/ MH, M ih, 1/2</b>	14520	18154	13054	11500
	<b>; kx</b>	344365	494154	492854	611500

\* ए.यू.एस.पी. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अधीन उबरा है।

\$ एन.एस.एल.आर.एस. का नया नाम - सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार स्कीम एस.जे.ई. मंत्रालय के अधीन शुरू की गई।

1 अ/खुद&7-72

2004&05 ds nkjku dnh; ik; kftr Ldhe tkjh jkf'k

¼ lk; syk[k e%h

Ø- jkT; @l -jk- {ks- la	xkeh.k ty vki nrz ¼ vkjMCY; w l i h½							xkeh.k LoPNrk W/h, l l h½
	l keW; , vkjMCY; w , l i h	Loty/kjk			i zkkuea-h dh vkoa vk/k-	{ks-d l qkkj	tkM+	
		2002-03	2003-04	2004-05				
1 आंध्रप्रदेश	164.18	43.91	6.06	12.24	88.27	30.84	345.50	33.62
2 अनुणाचल प्रदेश	68.25	0.00	0.04	0.00	1.17	0.00	69.47	1.00
3 आसाम	95.66	4.80	0.38	1.33	41.85	0.00	144.01	2.55
4 बिहार	89.41	0.00	0.00	5.87	0.00	0.00	95.28	1.20
5 छत्तीसगढ़	22.70	1.11	0.13	2.47	0.00	0.00	26.41	11.00
6 गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
7 गुजरात	66.96	0.79	4.21	6.20	8.34	16.73	103.22	36.90
8 हरियाणा	27.07	0.11	0.12	1.85	0.23	0.00	29.38	8.11
9 हिमाचल प्रदेश	54.38	0.00	0.34	5.08	6.23	0.00	66.02	0.50
10 जम्मू और कश्मीर	128.34	0.00	0.75	11.70	3.28	3.81	147.88	10.45
11 झारखण्ड	27.53	0.00	0.18	0.00	3.96	0.00	31.66	19.47
12 कर्नाटक	126.77	0.52	4.19	11.16	20.82	20.11	183.57	4.62
13 केरल	44.01	0.07	0.98	3.67	4.06	9.28	62.06	8.06
14 मध्य प्रदेश	79.45	2.17	1.92	7.25	28.82	0.67	120.27	22.43
15 महाराष्ट्र	159.71	52.41	1.09	14.95	63.42	22.25	313.82	34.93
16 मणिपुर	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.03	0.00
17 मेघालय	26.14	0.00	0.00	1.40	2.53	0.00	30.07	0.00
18 मिजोरम	18.10	0.00	0.00	0.97	0.76	0.00	19.83	0.60
19 नागालैंड	17.02	0.00	0.07	2.17	1.23	0.00	20.48	0.63
20 उड़ीसा	69.34	4.16	0.57	6.49	24.30	0.00	104.87	45.82
21 पंजाब	28.15	0.00	0.12	2.63	3.90	0.00	34.80	7.00
22 राजस्थान	304.40	1.87	5.95	19.03	33.18	0.00	364.43	7.01
23 सिक्किम	7.31	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	8.32	0.74
24 तमिलनाडु	84.94	9.94	3.70	6.67	15.26	42.36	162.87	29.72
25 त्रिपुरा	15.75	0.00	0.34	1.24	6.39	0.00	23.71	3.69
26 उत्तर प्रदेश	134.55	2.66	0.77	12.16	14.67	2.86	167.67	34.75
27 उत्तरांचल	32.65	0.00	0.18	4.01	2.10	0.00	38.94	5.03
28 पश्चिम बंगाल	82.70	0.10	1.47	5.82	11.56	0.00	101.65	15.67
29 अंडमान और निकोबार द्वी.स.	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37	-
30 दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00
31 दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
32 दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
33 लक्ष्यद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
34 पांडीचेरी	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.47
35 चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
<b>tkM+</b>	<b>2017.87</b>	<b>124.60</b>	<b>33.55</b>	<b>146.34</b>	<b>387.83</b>	<b>148.92</b>	<b>2859.12</b>	<b>347.32</b>

2004-05 ds ntku dnh; ik; ktr Ldhe tkjh jk'k

1/2 k; syk[k e%h

Ø- jkT; @l -jk- {ks- l a	xkeh.k ty vki nrz ¼ vkjMCY; w l i h½							xkeh.k LoPNrk ¼h, l i h½
	l keW; , vkjMCY; w , l i h	Loty/kjk			i zkkuea=h dh vkoa vk/k-	{ks-d l qkkj	tkM+	
		2002-03	2003-04	2004-05				
<b>l keW; vfoHkkT; ena</b>								
1 मानीटरन और मूल्यांकन	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.09
2 एम एण्ड आई इकाई	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	-
3 व्यावसायिक सेवाएं	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	-
4 उपा-मिशन	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16	-
5 अनुसंधान	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	-
6 एचआरडी/प्रशिक्षण	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00
7 आईसी	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	15.00
8 एमआईएस	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39	0.25
9 अन्य	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.63	-
<b>dy ; ks</b>	<b>2089.54</b>	<b>124.60</b>	<b>33.55</b>	<b>146.34</b>	<b>387.83</b>	<b>148.92</b>	<b>2930.79</b>	<b>367.66</b>

Table 7-3

Table 7-3: State-wise distribution of total area under sugarcane, 2005-06

Table 7-3

क्र. सं.	राज्य	कुल क्षेत्रफल (हैक्टर)			कुल क्षेत्रफल (हैक्टर)
		कुल क्षेत्रफल (हैक्टर)	उत्पन्न क्षेत्रफल (हैक्टर)	उत्पन्न क्षेत्रफल (हैक्टर)	
1	आंध्रप्रदेश	250.80	38.32	289.12	43.00
2	अरुणाचल प्रदेश	106.75	0.00	106.75	3.82
3	आसाम	148.01	16.40	164.41	15.60
4	बिहार	153.02	20.09	173.11	57.96
5	छत्तिसगढ़	50.20	0.00	50.20	26.63
6	गोवा	1.82	0.00	1.82	1.89
7	गुजरात	127.69	20.81	148.50	0.00
8	हरियाणा	41.94	5.88	47.82	0.10
9	हिमाचल प्रदेश	118.95	19.96	138.91	6.41
10	जम्मू और कश्मीर	236.72	26.11	262.83	0.00
11	झारखण्ड	63.07	9.26	72.33	20.78
12	कर्नाटक	212.09	30.45	242.54	57.53
13	केरल	61.71	13.13	74.84	8.38
14	मध्य प्रदेश	150.40	27.18	177.58	20.25
15	महाराष्ट्र	332.36	68.28	400.64	14.95
16	मनीपुर	27.14	2.87	30.01	0.30
17	मेघालय	31.90	3.30	35.20	0.73
18	मिजोरम	25.99	2.36	28.35	2.09
19	नागालैंड	26.48	3.83	30.31	1.60
20	उड़ीसा	138.81	26.44	165.25	23.46
21	पंजाब	41.35	5.15	46.50	1.94
22	राजस्थान	491.55	55.85	547.40	42.42
23	सिक्किम	12.84	0.00	12.84	3.45
24	तमिलनाडु	120.54	22.69	143.23	77.87
25	त्रिपुरा	32.00	3.30	35.30	3.62
26	उत्तर प्रदेश	283.72	34.89	318.61	117.32
27	उत्तरांचल	65.59	10.42	76.01	0.98
28	पश्चिम बंगाल	150.78	23.46	174.24	46.40
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17.48	0.00	17.48	0.00
30	दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
31	दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
33	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
34	पॉन्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
35	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>कुल</b>	<b>3521.70</b>	<b>490.43</b>	<b>4012.13</b>	<b>599.47</b>

क्र. ला	jKT; l 2k @ jKT; {ks=	, vkjMYC; w l i h			xkeh.k LoPNrk ¼/h, l l h½
		l keW; vkjMYC; w	Loty/kjk	tkW+	
	<b>l keW; vfoHkKT; enna</b>				
1	मानीटरन और मूल्यांकन	0.30	0.00	0.30	9.96
2	एम एण्ड आई इकाई	2.11	0.00	2.11	
3	व्यावसायिक सेवाएं	0.24	0.00	0.24	
4	उपा-मिशन	2.76	0.00	2.76	
5	अनुसंधान	0.09	0.00	0.09	
6	एचआरडी/प्रशिक्षण	14.95	0.00	14.95	51.03
7	आइईसी	5.10	0.00	5.10	
8	एमआईएस	19.69	0.00	19.69	0.07
9	अन्य	50.71	0.00	40.66	0.00
	<b>dy ; ks</b>	<b>3617.65</b>	<b>490.43</b>	<b>4098.03</b>	<b>660.53</b>

1 अ/खुद&7-74

0% 2006&07 ds nkjku xkeh.k tyki firz ; kst uk ds fy, varfje vkca/ u

1/2 lk; syk[k e%h

Ø- I a	jKT; I %k @ jKT; {ks=	I kekl; vkjMYC; w	, vkjMYC; w I ih Loty/kjk	tkM+	xkeh.k LoPNrk 1/2h, I I h1/2
1	आंध्रप्रदेश	195.48	25.92	221.40	मांग संचालित योजना
2	अरुणाचल प्रदेश	98.43	5.39	103.82	
3	असम	166.01	9.06	175.07	
4	बिहार	165.57	21.95	187.52	
5	छत्तीसगढ़	58.38	7.74	66.12	
6	गोवा	2.26	0.30	2.56	
7	गुजरात	125.03	16.58	141.61	
8	हरियाणा	40.53	5.37	45.90	
9	हिमाचल प्रदेश	96.63	12.81	109.44	
10	जम्मू और काश्मीर	233.26	30.92	264.18	
11	झारखण्ड	64.74	8.58	73.32	
12	कर्नाटक	174.67	23.15	197.82	
13	केरल	62.16	8.24	70.40	
14	मध्य प्रदेश	167.59	22.21	189.80	
15	महाराष्ट्र	322.32	42.73	365.04	
16	मणिपुर	33.79	1.85	35.64	
17	मेघालय	38.93	2.11	41.04	
18	मिजोरम	27.91	1.51	29.43	
19	नागालैंड	28.65	1.57	30.22	
20	उड़ीसा	92.12	12.21	104.33	
21	पंजाब	36.54	4.85	41.39	
22	राजस्थान	264.25	35.03	299.28	
23	सिक्किम	11.75	0.65	12.40	
24	तामिलनाडु	120.57	15.98	136.54	
25	त्रिपुरा	34.52	1.87	36.39	
26	उत्तर प्रदेश	279.90	37.10	317.00	
27	उत्तरांचल	67.07	8.89	75.96	
28	पश्चिम बंगाल	140.92	18.68	159.60	
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.24	0.24	
30	दादर और नगर हवेली	0.00	0.16	0.16	
31	दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00	
32	दिल्ली	0.00	0.12	0.12	
33	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.00	0.00	
34	पॉडिचेरी	0.00	0.12	0.12	
35	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	
	<b>dy ; ks</b>	<b>3150.00</b>	<b>383.86</b>	<b>3533.86</b>	
	<b>I kekl; vfoHkT; epna</b>				
	अन्य सहायक गतिविधियों के लिए एचआरडी, आईईसी, एमआईएस, एआईयूनटिस, प्रोफ. सेवाएं अनुसंधान, सबमिशन मानीटरिंग एवं मूल्यांकन एवं अन्य	1666.14		1666.14	
	<b>dy ; ks</b>	<b>4816.14</b>	<b>383.86</b>	<b>5200.00</b>	<b>800.00</b>

Sl. No.	State	2004-2005 Value (Rs. crore)	2005-2006		2006-2007 Value (Rs. crore)
			Value (Rs. crore)	Value (Rs. crore)	
1	2	3	4	5	6
1	Andhra Pradesh	45370.48	44233.62	57033.62	56171.62
2	Arunachal Pradesh	2787	3742.82	2920	3280
3	Assam	8165.5	2805	2805	6376
4	Bihar	2873.89	9134.69	22746.57	25058
5	Chhattisgarh	13081.57	19004	16522.2	20855.19
6	Goa	8647.44	10031.77	10031.77	16650
7	Gujarat	67723.64	69924	69924	87368
8	Haryana	16914.55	28000	24500	33000
9	Himachal Pradesh	19149.74	18160.22	17695.31	21392.93
10	Jammu and Kashmir	17816.52	19213.63	19213.63	19837.59
11	Jharkhand	10170.98	14000	15694.15	20000
12	Karnataka	61329.55	61952.83	77914.09	54389.47
13	Kerala	11929.65	58216	58216	75809
14	Madhya Pradesh	12861.44	21492	32580.49	18894
15	Maharashtra	26346.76	42420.89	42420.89	62541.84
16	Manipur	6030.9	3600	3811.88	8525
17	Mizoram	3961.18	4300	4330	4200
18	Nagaland	3844.73	4082	4635	5750
19	Nagaland	1889	1836	1334	986
20	Odisha	7229.12	8278	10957.66	18078
21	Punjab	7289.13	14702.07	14702.07	19055.7
22	Rajasthan	35980.09	54455.87	42355.59	64767.3
23	Sikkim	3583.36	2339.5	2239.5	1989.5
24	Tamil Nadu	113083.56	97788.69	62577.07	57357.02
25	Tripura	5018.91	4236.13	3294.65	4364.65
26	Uttar Pradesh	39088.15	55737	77000	70001
27	Uttarakhand	13357.82	15090	13090	16670
28	West Bengal	8830.43	13039	12190	16600
29	Andaman and Nicobar Islands	1694.76	5586	5586	3973
30	Dadra and Nagar Haveli	311.58	374	374	406
31	Daman and Diu	254.93	350	350	370
32	Delhi	69560	73175	82375	83355
33	Lakshadweep	181.15	308	308	3040
34	Pondicherry	3995.51	5888	5144.56	6143
35	Chandigarh	3301.97	1469	1469	1458
	<b>Total</b>	<b>653654.99</b>	<b>788965.73</b>	<b>818341.7</b>	<b>908712.81</b>

\*प्रस्तावित परिव्यय

Table 7.7.6: Status of rural extension activities in India, 2005-2006 and 2006-2007

Sl. No.	State/UT	2005-2006 की व्याप्ति										2006-2007 की व्याप्ति														
		सीएपी 99 का बीना कवर हुआ पुर्नवास		योग		गुणवत्ता प्रभावित		पिछे रह गई अवस्थापनाएं		सीएपी 99 का बीना कवर हुआ पुर्नवास		योग		गुणवत्ता प्रभावित		पिछे रह गई अवस्थापनाएं										
		एनसी पीसी	योग	एनसी	पीसी	योग	एनसी	पीसी	योग	एनसी	पीसी	योग	एनसी	पीसी	योग	एनसी	पीसी	योग								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	आंध्रप्रदेश	0	0	0	1528	743	2271	703	2974	0	0	0	347	2423	2770	524	3294	0	0	0	457	3000	3457	500	3957	
2	अरुणाचल प्रदेश	158	239	397	0	0	0	0	397	72	80	152	0	0	0	0	152	26	214	240	0	0	0	88	328	
3	आसाम	140	1217	1357	0	0	0	514	1871	94	2334	2428	0	0	0	0	2428	103	2500	2603	0	0	0	375	2978	
4	बिहार	0	0	0	702	406	1108	515	1623	0	0	0	1217	405	1622	3	1625	0	0	0	2000	1000	3000	2116	5116	
5	छत्तिसगढ़	0	0	0	1792	1635	3427	573	4000	0	0	0	1893	1746	3639	1	3640	0	0	0	2400	2000	4400	400	4800	
6	गोवा	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	6	6	0	0	0	0	6	
7	गुजरात	0	36	36	44	603	647	376	1059	0	36	36	34	550	584	414	1034	0	0	0	79	1500	1579	750	2329	
8	हरियाणा	0	0	0	0	673	673	118	791	0	0	0	365	365	50	415	0	0	0	150	525	675	50	725		
9	हिमाचल प्रदेश	0	1336	1336	0	0	0	0	1336	0	1950	1950	0	0	0	0	1950	0	3000	3000	0	0	0	0	3000	
10	जम्मू और काश्मीर	158	216	374	0	0	0	105	479	54	341	395	22	46	68	0	463	198	800	998	0	0	0	10	1008	
11	झारखण्ड	0	0	0	751	2088	2839	49	2888	0	0	0	663	1388	2051	0	2051	0	0	0	3000	402	3402	400	3802	
12	कर्नाटक	0	3601	3601	48	321	369	820	4790	0	1383	1383	48	1502	1550	950	3883	0	2694	2694	0	0	0	0	2639	5333
13	केरल	0	650	650	0	0	0	181	831	0	1887	1887	0	0	0	26	1913	0	804	804	0	0	0	0	261	1065
14	मध्यप्रदेश	0	0	0	1349	1495	2844	508	3352	0	0	0	3168	6624	9792	132	9924	0	0	0	2600	3000	5600	1363	6963	
15	महाराष्ट्र	327	640	967	0	0	0	927	1894	20	440	460	0	0	0	127	587	137	6000	6137	600	686	1286	250	7673	
16	मनिपुर	0	0	0	100	3	103	30	133	0	0	0	39	41	80	0	80	0	0	0	100	3	103	20	123	
17	मेघालय	12	178	190	59	39	98	60	348	5	112	117	154	174	328	27	472	5	60	65	500	105	605	30	700	
18	मिजोरम	0	86	86	18	0	18	26	130	0	86	86	18	0	18	26	130	0	26	26	8	100	108	0	134	
19	नागालैंड	0	4	4	0	0	0	60	64	6	39	45	0	0	0	0	45	25	102	127	97	0	97	50	274	
20	उड़ीसा	0	0	0	1359	0	0	1359	817	2176	0	0	9763	1490	1253	256	11509	0	0	0	2500	0	0	200	882	
21	पंजाब	678	0	678	0	0	0	122	800	706	535	1241	90	325	415	45	1701	83	599	682	0	0	0	0	2000	
22	राजस्थान	2033	0	2033	4599	2263	6862	1057	9952	352	0	352	38	1592	1630	96	12078	527	0	527	326	1000	1326	1000	2853	
23	सिक्किम	0	71	71	0	0	0	0	71	0	74	74	0	46	46	0	120	0	0	0	66	72	138	26	164	
24	तमिलनाडु	0	0	0	791	6209	7000	500	7500	0	0	0	2021	5612	7633	705	8338	0	0	0	250	2472	2722	350	3072	
25	त्रिपुरा	0	0	0	279	106	385	40	425	0	0	0	204	204	0	0	204	0	0	0	50	150	200	246	446	
26	उत्तर प्रदेश	0	0	0	757	552	1309	900	2209	0	0	0	4416	9538	3954	412	14366	0	0	0	3102	3000	6102	922	7024	
27	उत्तरांचल	4	61	65	385	0	385	0	450	4	34	38	150	246	396	0	434	10	101	111	0	0	0	111		
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	1907	769	2676	993	3669	0	0	0	200	2100	2300	645	2945	0	0	0	100	2600	2700	1200	3900	
29	अंडमान और निको.	0	10	10	0	0	0	4	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	45	
30	दादर एवं नगर हवेली	12	6	18	0	0	0	0	18	1	0	1	0	0	0	0	1	6	10	16	0	0	0	0	16	
31	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	लक्षद्वीप	0	10	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	
34	पॉण्डिचेरी	0	13	13	0	0	0	2	15	0	51	51	0	7	7	0	58	0	36	36	0	0	0	0	64	
35	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total		3522	8375	11897	16468	17905	34373	10000	56270	1314	9383	10697	24281	46424	70705	4439	85841	1120	17000	18120	18385	21615	40000	15000	73120	

## अध्याय 8

### शहरी विकास

#### 8.1 शहरी विकास

##### शहरी स्थानीय निकायों की स्थिति

8.1.1 शहरी विकास के अन्तर्गत क्षेत्रकीय विषय-वस्तु में शहरों और कस्बों में जनांकिकी, भूमि विकास, बुनियादी भौतिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था, नागरिक सुविधाएं, परिवहन, आदि के बहुत से विषय शामिल हैं। चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने की परिकल्पना की गई है, ताकि वे विकास के कार्यों को हाथ में ले सकें और उन्हें संवैधानिक/वैधानिक उपबन्धों के जरिए कार्य करने की स्वायत्तता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है, ताकि वे पर्याप्त कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व जुटाने के लिए स्वयं सक्षम बन सकें। दसवीं योजना की अवधि में इस चुनौती का सामना किया जाना है कि निर्वाचित निकायों को कायिक रूप से विकास करने में सहायता दी जाए, जिससे कि वे शहरों में रहने वाले लोगों की विश्व स्तर के गुणवत्ता वाले जीवन की मांगों को पूरा कर सकें। सरकार के सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है, जिसमें जल आपूर्ति और सफाई भी शामिल है।

##### शहरी शासन

8.1.2 अच्छे शहरी शासन की बुनियादी आवश्यकता यह है कि वहां एक लोकतांत्रिक ढांचा हो। इसके लिए पर्याप्त नीतिगत और कानूनी ढांचा, विनियमनकारी और आयोजन प्राधिकरणों का अस्तित्व, मानव कौशल, एक सुदृढ़ राजस्व आधार, लेखापालन के आधुनिक मानदण्ड, लोगों के प्रति उत्तरदायिता, आदि का होना जरूरी है। शहरी बुनियादी ढांचे के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काफी अधिक कार्य पहले ही किया जा चुका है; बहुत से परा-राजकीय और शहरी विकास प्राधिकरण परियोजनाएं तैयार

करने और उन्हें कार्यान्वित करने में काफी अधिक निपुणता प्राप्त कर चुके हैं। यह स्वीकार किया जाता है कि शहर हर जगह पर देश की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी अधिक योगदान दे रहे हैं। यद्यपि वे शहरों में रहने वाले लोगों को उच्च स्तर की सुविधाएं प्रदान करते हैं, लेकिन ग्रामीण उत्पादन के लिए मांग पैदा करके और इसके अलावा निविष्टियों तक पहुंच के मार्गों की व्यवस्था करके ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं सुनिश्चित करने में भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कस्बे और शहर विपणन, स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा के क्षेत्रों की सेवाओं के नोडल केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं और व्यापक विश्व का झरोखा खोलने का काम भी करते हैं। पांच चुने हुए शहरों के लिए महानगर परियोजना, छोटे और मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास (आई.डी.एम.एस.टी.), आदि जैसे कार्यक्रमों को कुछ शहरी आवश्यकताओं को पूरा करने में कुछ मात्राओं में सफलता प्राप्त हुई है। परा-राजकीय और विकास प्राधिकरणों के गठन का उद्देश्य यह है कि वे उन कार्यों को हाथ में लेने की बजाय, जो वस्तुतः शहरी स्थानीय निकायों के हैं, निर्वाचित निकायों को समर्थन और सहायता देने की भूमिका निभाएं।

8.1.3 शहरी शासन को अधिक कुशलतापूर्ण और प्रभावकारी बनाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करते हुए नगरपालिकाओं में इलेक्ट्रॉनिक शासन (ई. गवर्नेंस) के बारे में एक मिशन मोड परियोजना तैयार की गई है। इस परियोजना को अभी सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि किसी लोकतांत्रिक देश में स्थानीय शासन नागरिकों और सरकार के बीच होने वाला सर्वप्रथम साक्षात्कार अथवा सम्पर्क होता है, इसलिए इस पहल से ऐसी बहुत-सी समस्याएं हल हो जाएंगी, जिनका सामना तेजी से होने वाले शहरीकरण

के कारण कस्बों और शहरों में रहने वाले लोगों को करना पड़ रहा है। इससे सेवा-सुपुर्दगी में सुधार करने, विकेन्द्रीकरण, बेहतर सूचना प्रबंधन और पारदर्शिता, शासन में लोगों के शामिल होने, स्थानीय शासन और उसके नागरिकों तथा गैर-सरकारी संगठनों, निवासी कल्याण संघों, आदि जैसे अन्य हितबद्ध समूहों के बीच बेहतर सम्बन्ध स्थापित करने में सहायता मिलेगी। इस परियोजना का समग्र उद्देश्य अच्छे शासन को समर्थन देने और उत्प्रेरित करने के लिए आंतरिक सरकारी कार्यों को बढ़ावा देना है। इस परियोजना को 2006-07 से 2010-11 तक की अवधि में एक लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी 423 शहरों/ कस्बों में कार्यान्वित करने की परिकल्पना है। 2006-07 की वार्षिक योजना में 50 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

8.1.4 किन्तु, शहरी विकास मंत्रालय को यह सलाह दी गई थी कि नगरपालिकाओं में ई-गवर्नेन्स को जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत एक अतिरिक्त स्वीकार्य संघटक के रूप में लिया जा सकता है। इससे ई-गवर्नेन्स और जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्य संघटकों के बीच, जिन्हें वह पूरा करना चाहता है, पूर्ण सहक्रिया सुनिश्चित हो जाएगी।

### बारहवें वित्त आयोग से अन्तरित शहरी वित्त के स्रोत

8.1.5 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए लेखापालन की उपार्जन-आधारित दोहरी प्रविष्टि प्रणाली लागू करके, इलेक्ट्रॉनिक शासन, सम्पत्ति कर सुधार, उपयुक्त प्रयोक्ता प्रभार, आदि लागू करके सुधार किए जा रहे हैं। शहरी स्थानीय निकायों की धनराशियों सम्बन्धी आवश्यकताओं और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के बीच के अन्तर को पाटने के लिए, बारहवें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए वर्ष 2005 से 2010 तक की अवधि के लिए सहायता अनुदानों के रूप में 5,000 करोड़ रुपए की सिफारिश की है, जिसमें से 2500 करोड़ रुपए शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध के लिए विशिष्ट रूप से अलग निर्धारित किए गए हैं। राज्यों के स्तर पर, शहरी स्थानीय निकायों की

वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए करों, शुल्कों, और फीसों आदि के जरिए राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की गई है।

### शहरी विकास के लिए सुधारों से जुड़ी नई कार्यनीति

8.1.6 चुने हुए 63 शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सुधारों से जुड़ी केन्द्रीय सहायता देने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) और मिशन के शहरों से भिन्न छोटे और मध्यम श्रेणी के कस्बों के लिए शहरी बुनियादी ढांचा विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) 3 दिसम्बर, 2005 को 50,000 करोड़ रुपए के केन्द्रीय वित्तपोषण के साथ 2005-06 से शुरू होने वाली सात वर्षों की अवधि के लिए शुरू की गई थी। राज्यों को परियोजना-लागत के विभिन्न अनुपातों में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। मिशन शहरी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का ध्यान रखेगा, जिनमें जल आपूर्ति, सफाई, मल-निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध, सड़कों का जाल, शहरी परिवहन और शहरों के अन्दरूनी इलाकों का पुनर्विकास शामिल है।

8.1.7 संशोधित कार्यनीति का मुख्य ज़ोर परिसम्पत्तियों के सृजन को परिसम्पत्तियों के साथ जोड़ने, सेवा-सुपुर्दगी में सुधार, शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय तन्दरुस्ती में सुधार पर है, जिसके परिणामस्वरूप शहरी बुनियादी ढांचे और शासन में समग्र रूप से सुधार आएगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों और परा-राजकीय अभिकरणों के लिए यह जरूरी होगा कि वे सुधारों के कार्यक्रम को कार्यान्वित करना स्वीकार करें। राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के दोनों स्तरों पर प्रस्तावित सुधार स्थूल रूप से इन दो श्रेणियों के अंतर्गत आएंगे-

- i) आदेशात्मक सुधार
- ii) वैकल्पिक सुधार

8.1.8 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन ने शहरी विकास मंत्रालय और आवास तथा शहरी गरीबी

उपशमन की कार्यान्वित की जा रही निम्नलिखित केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों को शामिल कर लिया है:

- i. महानगरों में बुनियादी ढांचा विकास
- ii. छोटे और मध्यम श्रेणी के कस्बों के एकीकृत विकास की स्कीम (आई.डी.एस.एम.टी.)
- iii. त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.)
- iv. वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना
- v. शहरी विकास प्रोत्साहन निधि (यू.आर.आई.एफ.) और राष्ट्रीय गन्दी बस्ती और विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) - अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीमें

### समुचित वित्त विकास निधि स्कीम (पी.एफ.डी.एफ.)

8.1.9 समुचित वित्त विकास निधि स्कीम को मंत्रिमंडल द्वारा सितम्बर, 2006 में अनुमोदित किया गया है। यह स्कीम शहरी स्थानीय निकायों को अधिक ऋण प्राप्त करने का सामर्थ्य प्रदान करेगी, ताकि वे राज्य स्तर के समुचित वित्त तंत्र के माध्यम से अपनी ऋण-पात्रता के आधार पर मार्केट से उधार ले सकें। समुचित वित्त विकास निधि स्कीम के स्थूल उद्देश्य ये हैं:

- क्षमता-निर्माण के उपयुक्त उपायों द्वारा और परियोजनाओं के वित्तीय ढांचे के निर्माण द्वारा बैंक-ग्राह्य शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के विकास को सुविधाजनक बनाना। पी.एफ.डी.एफ. के संदर्भ में बैंक-ग्राह्य परियोजनाओं की परिभाषा ऐसी परियोजनाओं के रूप में की गई है जिनकी संरचना ऋण-बढ़ोतरी के उपयुक्त उपायों द्वारा इस तरीके से की गई हो कि वे रेटिंग एजेंसियों और सम्भाव्य निवेशकों की तसल्ली के लिए बाजार-ऋणों को चुकाने की अपनी क्षमता प्रदर्शित कर सकें।
- निर्धारित शहरी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए एक या एक से अधिक निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों की ओर से समुचित (पूल्ड) वित्तपोषण बांडों के माध्यम से पूंजी बाजारों तक पहुंचने के लिए राज्य समुचित वित्त निकायों (स्टेट पूल्ड फाइनेंस एन्टिटीज़)

को ऋण बढ़ोतरी अनुदान प्रदान करके महत्त्वपूर्ण नगरपालिका अवसंरचना में निवेश के लिए शहरी स्थानीय निकायों को पूंजी और वित्तीय बाजार में पहुंचने में सहायता देना।

- ऋण बढ़ोतरी के उपयुक्त उपायों से और मौजूदा मंहगे ऋणों के ढांचों के पुनर्गठन द्वारा स्थानीय निकायों के लिए ऋणों की लागत को घटाना।
- नगरपालिका बांड मार्केट के विकास को सुविधाजनक बनाना।

8.1.10 सरकार के निर्णय की जानकारी देने वाला संकल्प 25-10-2006 को जारी किया गया है। सभी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे लाभ उठाने के लिए मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में स्कीम का प्रचालन करने के लिए तैयारी-कार्रवाई करें। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से भी यह अनुरोध किया गया है कि कर-मुक्त समुचित वित्त विकास बांड जारी करने के लिए मार्गनिर्देशों को अंतिम रूप देने के काम में तेज़ी लाई जाए और आय-कर अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएं, ताकि स्कीम को इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रचालित किया जा सके।

8.1.11 वर्ष 2005-06 के लिए, समुचित वित्त विकास स्कीम के लिए 25.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लेकिन, स्कीम प्रचालित न किए जा सकने के कारण कोई व्यय नहीं किया गया। वर्ष 2006-07 के लिए इस स्कीम के वास्ते 50.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस स्कीम को वर्ष 2006-07 के दौरान प्रचालित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

### राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली

8.1.12 राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली के दो प्रमुख उप-संघटक हैं, अर्थात् (क) शहरी स्थानिक (स्पेशियल) सूचना प्रणाली स्कीम (यू.एस.आई.एस.), अर्थात् नेमी कार्यों के लिए शहरी योजना-निर्माण की स्थानिक (नक्शे, प्रतिबिम्ब) डाटा/सूचना सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए

उपग्रह/ हवाई सर्वेक्षण के जरिए नक्शों का निर्माण, और (ख) सूचकांकों के विकास में सहायता देने के लिए कस्बा-स्तरीय शहरी डाटा-बेस विकसित करने के लिए राष्ट्रीय डाटा बैंक और निर्देशक (एन.यू.डी.बी. एण्ड आई.)।

8.1.13 इस स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में शहरी विकास मंत्रालय और भारतीय सर्वेक्षण संगठन (सर्वे ऑफ इंडिया) के बीच 31 मार्च, 2005 को एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस करार के अनुसार, 137 कस्बों/ शहरों/ शहर-समूहों के कुल कार्यों को इस करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 15 महीनों तक के अन्दर पूरा किया जाएगा।

### छोटे और मध्यम श्रेणी के कस्बों के एकीकृत विकास की स्कीम (आई.डी.एस.एम.टी.)

8.1.14 यह स्कीम उन कस्बों के बारे में है, जिनकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 5 लाख तक है। इस स्कीम के वास्ते 2005-06 की वार्षिक योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जिसमें से 112.46 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए थे। वार्षिक योजना, 2006-07 के लिए, केवल कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं को पूरा करने के वास्ते 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। चालू वित्तीय वर्ष, 2006-07 के पहले 6 महीनों के दौरान, 104 कस्बों को 37.90 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता रिलीज़ की गई है।

8.1.15 आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम को छोटे और मध्यम श्रेणी के कस्बों के लिए शहरी बुनियादी ढांचे के विकास की स्कीम (यू.आई.डी.एस.एम.टी.) में शामिल कर लिया गया है, जो 3 दिसम्बर, 2005 को शुरू की गई थी। 2005-06 से यू.आई.डी.एस.एम.टी. के अंतर्गत नई परियोजनाओं को हाथ में लिया जा रहा है।

### छोटे और मध्यम श्रेणी के कस्बों के शहरी बुनियादी ढांचे के विकास की स्कीम (यू.आई.डी.एस.एम.टी.)

8.1.16 छोटे और मध्यम श्रेणी के कस्बों के एकीकृत

विकास की स्कीम को, जिसे वर्ष 1979-80 में शुरू किया गया था, छोटे और मध्यम श्रेणी के कस्बों के शहरी बुनियादी ढांचे की स्कीम में शामिल कर लिया गया है। यू.आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत 2001 की जनगणना के अनुसार सभी छोटे कस्बों और शहरों में शुरू किया गया था, सिवाय उन कस्बों और शहरों के जो जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की 26 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था और 87.47 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता रिलीज़ की गई थी।

8.1.17 वर्ष 2006-07 में यू.आई.डी.एस.एम.टी. के अंतर्गत 900.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस परिव्यय की तुलना में, दिसम्बर, 2006 तक 135 कस्बों की 160 परियोजनाओं के लिए 333.86 करोड़ रुपए का केन्द्रीय हिस्सा रिलीज़ किया गया है। यह अपेक्षा की जाती है कि इस स्कीम के अंतर्गत नियत परिव्यय की कुल राशि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रिलीज़ कर दी जाएगी।

### महानगरों में शहरी ढांचे का विकास

8.1.18 यह स्कीम 1993-94 में शुरू की गई थी। इसके मुख्य उद्देश्य ये हैं:

- पूरे नगर भर में बुनियादी ढांचे का विकास
- लागत की वसूली के उपाय
- परिक्रामी निधि की स्थापना

8.1.19 महानगर स्कीम के लिए 2005-06 में 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। इसकी तुलना में, अन्य स्कीमों से 24.50 करोड़ रुपए का पुनर्विनियोग करने के बाद 174.50 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। वर्ष 2006-07 के दौरान, कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 119.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें 17.33 करोड़ रुपए 30.9.2005 तक रिलीज़ किए गए थे। 05.12.2006 तक 59.75 करोड़

रुपए की राशि रिलीज़ की जा चुकी थी। चालू वर्ष के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत केवल कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं को पूरा किए जाने के लिए धनराशि रिलीज़ की जाती है, क्योंकि इस स्कीम को जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन में शामिल कर लिया गया है।

8.1.20 शहरी आवश्यकताओं, सेवाओं, आदि की स्थिति के बारे में व्यापक आंकड़ों (डाटा) की उपलब्धता को शहरी नगर-आयोजन के एक बुनियादी साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। जी.एस.आई. प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सेवाओं, जिम्मेदारी के क्षेत्रों और समस्याओं के अभिज्ञात क्षेत्रों के खाकों वाले जो शहरी मानचित्र बनाए जा रहे हैं, उनके और कराधान के प्रयोजनों से सम्पत्तियों को सूचीबद्ध करने के लिए और शहरों के इर्द-गिर्द के क्षेत्रों में शहरी संवृद्धि की प्रवृत्तियों को मॉनीटर करने के लिए जमीनी स्तर के कार्य के लिए रेज़ोल्यूशन उपग्रह प्रतिबिम्बों के योजना-निर्माताओं और अन्य अभिकरणों के लिए उपयोगी सिद्ध होने की अपेक्षा की जाती है। राज्य सरकारों को शहरी परिवहन के क्षेत्र में सम्भव यातायात और परिवहन अध्ययन, गतिशीलता योजनाएं और एकीकृत भूमि उपयोग योजनाएं हाथ में लेने की सलाह दी गई है। वार्षिक योजना, 2004-05 और 2005-06 दोनों में शहरी और क्षेत्रीय योजना-निर्माण के लिए 1-1 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी। इनमें से प्रत्येक वर्ष के दौरान 0.96 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वार्षिक योजना, 2006-07 के लिए 25.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो शहरी क्षेत्रक में क्षमता-निर्माण के कार्यक्रमों के लिए भी है।

8.1.21 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भूमि-उपयोगों से सम्बन्धित सु-स्वीकृत मानदंडों पर आधारित क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करने और केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाओं, राज्यों की योजनाओं और बोर्ड के सीधे वित्तपोषण के जरिए इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण, भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास में समन्वय स्थापित करने के दोहरे उद्देश्यों से किया गया था।

8.1.22 अपनी स्थापना के समय से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने 8614.80 करोड़ रुपए की लागत वाली 215 बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है, जिसमें से 4490.70 करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में मंजूर की गई है। बोर्ड ने सितम्बर, 2006 तक ऋण की 2429.90 करोड़ रुपए की राशि रिलीज़ की है।

8.1.23 वर्ष 2004-05 में बजटीय सहायता के अंतर्गत 55 करोड़ रुपए नियत किए गए थे, जिसकी तुलना में 61.70 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। आन्तरिक और बजट-बाह्य संसाधन 222 करोड़ रुपए के थे। वार्षिक योजना, 2005-06 के लिए, जी.बी.एस. के अंतर्गत 70 करोड़ रुपए और आई.ई.बी.आर. के अन्तर्गत 192 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वार्षिक योजना, 2006-07 के लिए, जी.बी.एस. के अन्तर्गत 75 करोड़ रुपए और आई.ई.बी.आर. के अन्तर्गत 77 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

8.1.24 राज्यों को शहरी सुधारों से जुड़ी सहायता देने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने 2003-04 के दौरान शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि (यू.आर.आई.एफ.) की स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत उन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को, जो इस क्षेत्रक में शहरी जनसंख्या के आधार पर सुधार करने के इच्छुक हों, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में धनराशियां मुहैया की गई हैं। वर्ष 2003-04 में यू.आर.आई.एफ. के अन्तर्गत 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, और मंत्रालय द्वारा 238.35 करोड़ रुपए का व्यय होने की सूचना दी गई है। वर्ष 2004-05 के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यू.आर.आई.एफ. को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शामिल कर लिया गया है और इसलिए 2005-06 के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

8.1.25 शहरी विकास के लिए वार्षिक योजना, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के परिव्यय और व्यय का स्कीम-वार ब्योरा संलग्नक 8.1.1 में दिया गया है।

## शहरी विकास

8.1.26 आवास, जो निर्माण उद्योग का एक अभिन्न अंग है, एक बुनियादी आवश्यकता है और एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप है। विकास परिव्यय में निर्माण-क्रियाकलापों का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक है। आवास क्षेत्रक में किए गए निवेश के जी.डी.पी. और रोजगार पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा किए गए एक अध्ययन में, जो हुडको द्वारा आयोजित कराया गया था, यह पाया गया है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और अभिप्रेरित प्रभावों के रूप में, 14 प्रमुख क्षेत्रों में इस क्षेत्रक का स्थान तीसरा है। आवास और वास-स्थान नीति, 1998 में इस बात पर विशिष्ट रूप से बल दिया गया है कि सरकार को आवासन का कार्य स्वयं हाथ में लेने की बजाय, आवास के क्रियाकलाप की संवृद्धि के लिए एक सुविधाजनक वातावरण का सृजन करना चाहिए। ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में गृह-निर्माण अधिकांशतः गैर-सरकारी क्षेत्रक का क्रियाकलाप है। राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में सामाजिक आवासन में सरकार की भूमिका को और अधिक उजागर किया गया है और जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन में भी इसकी ओर काफी अधिक ध्यान दिया गया है।

8.1.27 'सुविधाप्रदाता' की अपनी भूमिका में अपनी पहलों और अपने हस्तक्षेपों से भूमि के स्वामित्व, अन्तरण और विकास से सम्बन्धित कानूनों; स्टाम्प शुल्क और पंजीयन; नगर आयोजन कानूनों; किराया नियंत्रण कानूनों; कर नीति, विशेष रूप से मकान ऋणों से सम्बन्धित नीति, सम्पत्ति/भूमि; क्षेत्र-निर्धारण (ज़ोनिंग) के विनियमों और उनके वास्तविक कार्यान्वयन, भूमि के उपयोग में परिवर्तन; इमारतों के निर्माण सम्बन्धी उप-नियमों; परा-राजकीय और विकास प्राधिकरणों के माध्यम से विकास के क्रियाकलापों; स्थलों और सेवाओं; गन्दी बस्तियों सम्बन्धी नीति; शहरी बुनियादी ढांचे की व्यवस्था; शहरी परिवहन नीति; आवास-विकास, आवास वित्त से सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं और मकानों के निर्माण की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

8.1.28 दसवीं योजना के आवास सम्बन्धी कार्य दल ने यह कहा है कि मकानों की लगभग 90 प्रतिशत कमी का सम्बन्ध कमजोर वर्गों से है। इस बात की जरूरत है कि भूमि के आबंटन, वित्तपोषण सहायता के विस्तार और समर्थन सेवाओं की व्यवस्था करने के एकीकृत कार्यक्रम के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए ऐसे मकानों की सप्लाई में वृद्धि की जाए, जिसकी लागत वे उठा सकते हों। शहरों के आश्रय-हीन लोगों और पटरियों पर रहने वाले लोगों की समस्या पर अधिक विचार किए जाने की आवश्यकता है। मकानों के निर्माण की गुणवत्ता और उसका आश्वासन, विशेष रूप से घोर विपत्ति-प्रवण क्षेत्रों में, एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर अविलम्ब रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता ने गुजरात और जम्मू तथा कश्मीर में भूकम्प आने के बाद जोर पकड़ लिया था। इस बात की भी आवश्यकता है कि मकानों के निर्माण के डिजाइन लिंग-संवेदनशील हों और वे शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

8.1.29 यह आशा की जाती है कि सरकार राजकोषीय रियायतें देगी, कानूनी और विनियामक सुधार करेगी और एक समर्थकारी वातावरण का निर्माण करेगी। मकानों की मौजूदा कमी की समस्या की ओर, जो गांवों से शहरों में हो रहे प्रव्रजन में हो रही वृद्धि और जनसंख्या विस्फोट से और अधिक भीषण हो गई है, कुछ हद तक राष्ट्रीय आवास और आवास-स्थल नीति, 1998 में ध्यान दिया गया है, जिसका निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता रहता है, ताकि इस मुद्दे को ध्यान के सही केन्द्र-बिन्दु पर लाया जाए। इस दस्तावेज़ में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों, वित्तीय संस्थाओं, अनुसन्धान, मानकीकरण और तकनीकी संस्थाओं की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं। सरकार ने 'सबके लिए आवास' को, कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं पर विशेष रूप से बल देते हुए, एक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र निर्धारित किया है।

8.1.30 बीस लाख मकानों का कार्यक्रम हर वर्ष 20 लाख अतिरिक्त यूनिटों के निर्माण के लिए 1998-99 में शुरू किया गया था और उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों

और निम्न आय वर्ग के लोगों और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर समूहों के लोगों की आवश्यकताओं पर जोर दिया गया था। 20 लाख अतिरिक्त मकानों में सात लाख मकान शहरी क्षेत्रों में बनाए जाने हैं और शेष 13 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्रों में। 1998-1999 से 2005-06 तक सत्तर लाख से अधिक रिहायशी एककों का वित्तपोषण हुडको, एच.एफ. संस्थाओं, बैंकों और सहकारी क्षेत्रक द्वारा किया गया है और 1,36,771 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

8.1.31 वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को आवास मुहैया करने के लिए दिसम्बर, 2001 में शुरू की गई थी। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत एक उप-मिशन 'शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.)' के अंतर्गत, जो 3.12.2005 को शुरू किया गया था और इसे 63 शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है, राज्यों/ शहरी स्थानी निकायों द्वारा मार्गनिर्देशों के अनुसार सुधार के एजेंडा के कार्यान्वयन के अध्यक्षीन गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों/ शहरी गरीबों/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/ निम्न आय वर्गों के लोगों को उठाई जा सकने वाली लागत पर मकान मुहैया किए जाने हैं। अन्य सभी शहरों/ कस्बों में, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना और राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम की मौजूदा स्कीमों को आपस में मिलाए जाने के बाद, एकीकृत आवास और गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

8.1.32 बहुत से कानूनों, जैसे भू-राजस्व अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम, शहरी भूमि (उच्चतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, नगर योजना अधिनियम और शहरी विकास अधिनियमों में शामिल प्रतिबन्धात्मक उपबन्धों के कारण आवास के प्रयोजनों के लिए भूमि की उपलब्धता में तंगी रही है। यह अपेक्षा की गई थी कि शहरी भूमि (उच्चतम सीमा और विनियमन) अधिनियम के निरसन से स्थिति में कुछ हद तक सुधार हो जाएगा और कुछ राज्यों द्वारा निरसन को अपनाया गया है। इसी प्रकार, किराया नियंत्रण

अधिनियम को संशोधित किए जाने से किराए के आवास को प्रोत्साहन मिलेगा। कुछ ऐसे आदेशात्मक सुधार भी हैं, जो राज्यों द्वारा राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत किए जाने हैं। स्टाम्प शुल्क में कमी किए जाने से सम्पत्तियों के पंजीयन को प्रोत्साहन मिलेगा और राजस्व में वृद्धि होगी। चूंकि 'भूमि और आवास' एक राज्य-विषय है, इसलिए राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों और नागरिक समूहों को समुचित रूप से शामिल करके ऐसी विशिष्ट कार्य-योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने में मुख्य भूमिका निभानी है, जो स्थानीय आवश्यकताओं और स्थितियों के अनुकूल हों।

8.1.33 आवास के क्षेत्रक में घर-परिवारों की बचतों को बढ़ाने के लिए और उन लोगों को आवास मुहैया करने के लिए, जो स्वयं अपने मकान नहीं ले सकते, किराए के आवासों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके लिए मौजूदा किराया नियंत्रण कानूनों में वैधानिक परिवर्तन करने की जरूरत है, जिसके सम्बन्ध में बहुत कम प्रगति हुई है। निकट अतीत में आवास-स्थल और मानव बस्तियों में बहुत से परिवर्तन हुए हैं और इसलिए राष्ट्रीय शहरी आवास और आवास-स्थल नीति की समीक्षा करने और उसे संशोधित करने पर विचार किया गया था।

8.1.34 प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी आवास और आवास-स्थल नीति-2006 से यह अपेक्षित है कि उससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लोगों की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उपयोगी बनाई गई भूमि, आवास की आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी। प्रारूप नीति की मूल बात है, आवास और बुनियादी ढांचे की समस्याओं से निपटने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी भागीदारी। सरकार राजकोषीय रियायतें देगी, कानूनी और विनियमनकारी सुधार करेगी और एक समर्थकारी वातावरण का निर्माण करेगी। दूसरे भागीदार के रूप में, गैर-सरकारी क्षेत्रक निर्माण के वास्तविक कार्य करने, निवेश करने और बुनियादी ढांचे की सेवाओं को संचालित करने के लिए आगे आएगा।

8.1.35 प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी आवास और आवास स्थल नीति के उद्देश्य ये हैं:

(i) आवास और सम्बन्धित बुनियादी ढांचे के विकास

- की गति को बढ़ाना।
- (ii) किराए और स्वामित्व, दोनों के आधार पर ऐसे मकानों का पर्याप्त स्टॉक बनाना, जिनकी लागत वहनीय हो।
- (iii) राज्य सरकारों/विकास प्राधिकरणों को अपनी बृहद् (मास्टर) योजनाओं और क्षेत्र-निर्धारण (ज़ोनिंग) योजनाओं को नियतकालिक रूप से अद्यतन बनाते रहने के लिए प्रोत्साहित करना, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ गरीबों/सेवा-प्रदाताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो।
- (iv) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लोगों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए और सहायक बुनियादी ढांचे के विकास और सभी श्रेणियों के लोगों के लिए बुनियादी सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उपयोगी बनाई गई भूमि और आवास की आपूर्ति को बढ़ाने के काम को सुविधाजनक बनाना।
- (v) कस्बों और शहरों के बुनियादी ढांचे को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए बुनियादी ढांचों के ग्रेड को ऊंचा उठाने को सुविधाजनक बनाना।
- (vi) यह सुनिश्चित करना कि सभी रिहायशी एककों को बुनियादी सफाई सुविधाएं और पेयजल आसानी से प्राप्त हो।
- (vii) नवीनतापूर्ण साधनों के इस्तेमाल द्वारा आवास और बुनियादी ढांचे की राजस्व सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधियों के अधिक प्रवाह को बढ़ावा देना।
- (viii) नागरिकों, विशेष रूप से कमजोर समूहों के लोगों और गरीबों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ते आवास और आश्रय के विकल्प मुहैया करना।
- (ix) कार्यकुशलता, उत्पादकता, ऊर्जा कुशलता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवास क्षेत्रक के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। गरीबों की आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं और 'ग्रीन' आवास और प्राकृतिक विपत्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी को विशेष रूप से काम में लाया जाएगा।
- (x) शहरी और ग्रामीण बस्तियों अथवा आबादियों को मार्गदर्शन प्रदान करना, ताकि नवीनतापूर्ण तरीकों की सहायता से सुनियोजित और संतुलित विकास प्राप्त किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप स्वस्थाने शहरीकरण हो।
- (xi) शहरों और कस्बों को इस तरीके से विकसित करना, जिससे एक स्वस्थ वातावरण की व्यवस्था हो, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग हो और ठोस अपशिष्ट निपटान, जल-निकास, आदि में दिलचस्पी ली जाए, जिससे प्रदूषण-रहित वातावरण का निर्माण हो।
- (xii) अधिक रोजगार उत्पन्न करने के लिए आवास क्षेत्रक का उपयोग करना और आवास और इमारत-निर्माण के क्रियाकलापों में कौशल का उन्नयन करना; इन क्रियाकलापों में अकुशल और कम मजदूरी वाले रोजगार का बहुत बड़ी हद तक सहारा लिया जाता है।
- (xiii) भूधृति भूमि, वित्त और प्रौद्योगिकी की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करना।
- (xiv) सक्रिय वित्तपोषण नीति के जरिए, जिसमें मेक्रो-वित्तपोषण, स्व-सहायता समूह कार्यक्रम शामिल हैं, सब्सिडी-आधारित आवास स्कीम के स्थान पर लागत वसूली-व-सब्सिडी स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए मांग-संचालित कार्य-प्रणाली अपनाना।
- (xv) भूमि जुटाने के लिए राज्य और स्थानीय शासन के स्तर की संस्थाओं का पुनर्गठन करने और उन्हें सशक्त बनाने में सहायता देना। आवासन और बुनियादी सुविधाओं के लिए योजना बनाना और वित्तपोषण करना।
- (xvi) निजी, सरकारी और सहकारी क्षेत्रों के बीच सुदृढ़, भागीदारी स्थापित करना, जिससे आवास और शहरी बुनियादी ढांचे के प्रत्येक क्षेत्र में निर्माण उद्योग की भाग लेने की क्षमता को बढ़ाया जा सके।
- (xvii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अशक्त लोगों/मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों/ गन्दी बस्तियों में रहने

वाले लोगों/ वयोवृद्ध व्यक्तियों, महिलाओं, गली-बाजारों के विक्रेताओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना।

- (xviii) आवास स्कीमों को तैयार करने, उनका डिजाइन बनाने और उनके कार्यान्वयन में अशक्त लोगों, समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं को शामिल करना।
- (xix) अपनी सांस्कृतिक विरासत, स्थापत्य कला और पारम्परिक कौशल की रक्षा और उनका संवर्धन।
- (xx) आवास क्षेत्रक में एक प्रबन्ध सूचना प्रणाली स्थापित करना।
- (xxi) पूरी तरह से एकीकृत आवास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए परिवहन के उपयुक्त संयोजनों की व्यवस्था करना, ताकि गरीबों को लाभ मिल सके और स्कीम को अधिक सक्षम बनाया जाए।

### आवास का संस्थात्मक वित्तपोषण

8.1.36 सरकार द्वारा सुविधा प्रदान करने वाले उपायों के जरिए, जिनमें प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रक को ऋण देने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के विनियम, राजकोषीय रियायतें और बजटीय प्रोत्साहन शामिल हैं, आवास पर जो काफी अधिक बल दिया गया है, उसके परिणाम सामने आने शुरू हो गए हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक के दायरे के अन्दर 28 आवास वित्त संस्थाओं के माध्यम से संस्थात्मक ऋणों का संवितरण किया जा रहा है।

### हुडको

8.1.37 भारत सरकार के साथ किए गए सहमति-ज्ञापन के अनुसार, हुडको को उसके द्वारा वर्ष 2006-07 में स्वीकृत किए गए कुल रिहायशी एककों में से 82 प्रतिशत रिहायशी एकक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए स्वीकृत किए जाने हैं। वर्ष 2005-06 में, हुडको ने कुल स्वीकृत किए गए रिहायशी एककों में से 82 प्रतिशत रिहायशी एकक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/ निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए स्वीकृत किए जाने के लक्ष्य की तुलना में उपर्युक्त वर्गों के लोगों के लिए 96 प्रतिशत एकक स्वीकृत किए। वर्ष 2006-07 के

दौरान कोई इक्विटी अभिदत्त नहीं की गई। लेकिन वर्ष 2007-08 के लिए हुडको का आई.ई.बी.आर. 6895.05 करोड़ रुपए है।

8.1.38 गरीब लोगों की मांग को पूरा करने के वास्ते आवास कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए, राज्यों को चाहिए कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ऋण-आधारित मकानों के निर्माण के अनुकूल वातावरण का निर्माण करें और ऋण देने और ऋणों की वसूली करने के कार्यों के लिए राज्य-स्तर के तंत्र को मजबूत बनाएं। इन वर्गों के लोगों को ऋण देने और उनसे ऋण की वसूली करने के कारण प्रबन्धों की अनुपस्थिति में, राज्यों के लिए इस कार्यक्रम को लम्बे समय तक बनाए रखना कठिन होगा। गरीबों के लिए आवासों की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए इस बात की जरूरत है कि गैर-सरकारी पहलों को बढ़ाया जाए और सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रक के बीच की भागीदारिता के दायरे का विस्तार किया जाए। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश/ गैर-सरकारी उद्यमशीलता के ज़रिए नई एकीकृत बस्तियों के विकास को प्रोत्साहित करते समय, ऐसे आवासों में से कुछ प्रतिशत आवास आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/ निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए निर्धारित करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

### वहनीय आवास के लिए कम लागत वाली निर्माण सामग्री प्रौद्योगिकी

8.1.39 आश्रय की समस्या को घटाने के लिए आवास के वास्ते उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। निर्माण की कुल लागत में निर्माण-सामग्री की लागत का हिस्सा 65 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक होता है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में आवास की बढ़ती हुई जरूरत के कारण निर्माण-सामग्री की मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही है। प्रौद्योगिकी विस्तार की अपर्याप्त सुविधाएं, सस्ती और पारिस्थितिकी-अनुकूल इमारती संघटकों के उत्पादन को समर्थन देने के लिए स्थानीय स्तरों पर समन्वय और संवर्धन कार्यक्रमों का अभाव उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के अति सीमित उपयोग के लिए जिम्मेदार है।

8.1.40 ग्रामीण क्षेत्रों में इमारती लकड़ी, बांस और छप्पर, आदि जैसी पारम्परिक सामग्री की घटती हुई उपलब्धता के कारण यह समस्या और भी अधिक गम्भीर है। इसलिए उपयुक्त निर्माण सामग्री से आश्रय-स्थलों का निर्माण करने और वहन की जा सकने वाली कीमतों पर वैकल्पिक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जैव-पुंज (बायोमास) के वाणिज्यिक उपयोग को न्यूनतम करने के लिए एक मजबूत नीतिगत सहायता की आवश्यकता है।

### निर्माण-सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बी.एम.टी.पी.सी.)

8.1.41 शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय के तत्वावधान में बी.एम.टी.पी.सी. की स्थापना एक पंजीयित समिति के रूप में प्रौद्योगिकी के संवर्धन, अन्तरण और आश्रय क्षेत्रक में प्रयोग के लिए और नवीनतापूर्ण निर्माण-सामग्री के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए एक उपयुक्त मंच मुहैया करने के लिए की गई है। यह परिषद एक अन्तर्मंत्रालयिक 'मंच' के रूप में विस्तार और सूचना-प्रसार के क्रियाकलापों में संलग्न है। परिषद ने फ्लाइ-ऐश और अन्य अपशिष्ट-आधारित उत्पादों के उपयोग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नई विशिष्टियों को लागू करने और उद्यमियों और वित्तीय संस्थाओं तथा अनुसन्धान अभिकरणों के साथ मिलाने के लिए बहुत सी पहलें की हैं। देश के विभिन्न भागों में 15 से अधिक फ्लाइ ऐश-आधारित यूनिट स्थापित किए गए हैं।

क) कुछ प्रौद्योगिकियों और नई सामग्रियों तथा संघटकों को, जिनका पहले से परीक्षण किया जा चुका है और जिनका प्रायोगिक रूप से विनिर्माण किया जा चुका है, बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए निर्धारित किया गया है।

ख) गैर-सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक संगठनों को सरकारी प्रयासों की अनुपूर्ति करने के लिए उत्तरोत्तर सहायता दी जा रही है।

8.1.41 बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा 2006-07 के दौरान हाथ में लिए जाने वाले क्रियाकलापों में कृषि-औद्योगिक अपशिष्टों पर आधारित प्रौद्योगिकियों की श्रृंखला का विकास करना शामिल है, जो पर्यावरण की सुरक्षा करने में और ऊर्जा तथा लागत की बचत करने में योगदान दे रही हैं। बी.एम.टी.पी.सी. ने भारत के भेद्यता (वल्लरेबिलिटी) एटलस का प्रथम डिजिटिकृत संस्करण निकाला है और जम्मू तथा कश्मीर में कुपवाड़ा अस्पताल, दिल्ली में दिल्ली नगर निगम के एक स्कूल को भौतिक रूप से रेट्रोफिट किया है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बांस की चटाइयों (बैम्बू मैट्स) के आठ उत्पादन केन्द्र स्थापित करने की योजना है, जिनमें से तीन को पहले से कार्यान्वित किया जा चुका है।

8.1.42 भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास फेडरेशन (एन.सी.एच.एफ.) भारतीय सहकारी आवास अभियान का शीर्ष संगठन है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा गठित "सहकारी आवास समितियों सम्बन्धी कार्य समूह" की सिफारिशों के आधार पर सितम्बर, 1969 में की गई थी। इसके गठन का मुख्य जोर इस बात पर था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संगठन होना चाहिए, जो देश में सहकारी आवास समितियों के क्रियाकलापों को बढ़ावा देने, उनका विकास करने और उनका समन्वय करने की जिम्मेदारी ले। अपने अस्तित्व की अवधि में, एन.सी.एच.एफ. ने देश में सहकारी आवास समितियों के गठन और विकास के लिए बहुत से उपाय किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, देश में 65 लाख से अधिक सदस्यों वाली लगभग 92,000 सहकारी आवास समितियां कार्य कर रही हैं।

### भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास फेडरेशन के उद्देश्य

➤ सहकारी आवास समितियों की तकनीकी, वित्तीय और अन्य समस्याओं से निपटने और उन्हें हल करने के उपाय और तरीके निकालने के एक सांझे मंच की व्यवस्था करना।

➤ सहकारिता के युक्तियुक्त सिद्धान्तों के आधार पर सहकारी आवास अभियान का प्रचार करना और उसे लोकप्रिय

बनाना और प्रकाशनों और पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से, जिनमें समाचार बुलेटिन और पत्रिकाएं भी शामिल हैं, ऐसे विचारों को बढ़ावा देना और सहकारी आवास से सम्बन्धित आंकड़ों और सूचना का आदान-प्रदान करना।

8.1.43 भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास फेडरेशन (एन.सी.एच.एफ.) ने शीर्ष सहकारी आवास फेडरेशनों को प्राप्त होने वाली धनराशियों की मात्रा को बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रयास किए हैं और सहकारी आवास समितियों को पर्याप्त मात्रा में और समय पर वित्तीय सहायता मिलने के बारे में भारत सरकार और निधिपोषण संस्थाओं के साथ कई मुद्दे उठाए हैं। उसे भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक, हुडको, सहकारी बैंकों, आदि जैसी अनेक निधिपोषण संस्थाओं से उत्साहजनक प्रत्युत्तर मिला है।

### शहरी गरीबी उपशमन

8.1.44 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 55वें चक्र (1999-2000) के अनुसार, जिसमें 30 दिन की स्मरण (रीकाल) अवधि का इस्तेमाल किया गया था, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या, जो निरन्तर बढ़ते-बढ़ते 1993-94 में 76.3 मिलियन तक पहुंच गई थी, घट कर 67.1 मिलियन हो गई है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की प्रतिशतता शहरी क्षेत्रों से काफी अधिक ऊंची है, केवल कुछ राज्यों, जैसे आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली और संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी का स्वरूप इसके अनुरूप है। उन स्थानों पर भी, जहां पोषाहार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आय के स्तर ऊंचे हो रहे हैं, आश्रय, नागरिक सुविधाओं, स्वास्थ्य उपचर्या, शैक्षिक और सामाजिक आवश्यकताओं, आदि जैसी उतनी ही महत्वपूर्ण जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार, शहरी गरीबी ग्रामीण गरीबी की अपेक्षा एक अधिक जटिल तथ्य के रूप में उभर कर सामने आ रही है।

8.1.45 शहरी गरीबों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन बड़ी समस्याओं से ग्रस्त है। अपर्याप्त निधिपोषण की समस्या केन्द्रीय धनराशियों का कम उपयोग किए जाने, विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए रिलीज़ की गई धनराशियों का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किए जाने और बेकार के खर्च किए जाने से और भी बढ़ गई है। गरीबी के सामाजिक-मनोवैज्ञानिक पहलुओं और अन्य गतिकियों को पर्याप्त रूप से समझे बिना इंजीनियरी अथवा 'निर्माण-कार्य (वर्क्स)' पहलुओं पर अतिशय जोर दिया जाता है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लाभभोगियों की भागीदारिता के आचार को अभी जोर पकड़ना है।

### गन्दी बस्तियां

8.1.46 2001 की जनगणना के अनुसार, 40.3 मिलियन लोग 607 कस्बों/ शहरों में गन्दी बस्तियों में रहते हैं। विश्वसनीय बुनियादी आंकड़ों और सेवाओं की स्थिति के बारे में सूचना के अभाव, बृहद् (मास्टर) योजनाओं के न होने और एन.एस.डी.पी. जैसी स्कीमों में उन्नयन के उद्देश्यों के अभाव, ऐसी एजेंसियों की बहुसंख्या, जो बिना तालमेल के काम करती हैं, शहरी गरीबों की आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए भूमि की अपर्याप्त उपलब्धता, गलियों में धूम-फिर कर बिक्री करने वाले और फेरी लगाने वाले लोगों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता, आदि बातें ऐसी हैं, जिनके कारण शहरी गरीबी के दुखद पहलू बरकरार बने हुए हैं।

8.1.47 केन्द्रीय सरकार की विभिन्न स्कीमों, जैसे राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, वैम्बे, रात्रिकालीन आश्रय-स्थल (बसेरे), दो मिलियन आवास स्कीम, शहरी गरीबों को, जिनमें गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं, व्यापक प्रकार की सेवाएं मुहैया करती हैं। इनमें शहरी गरीबों की पहचान करना, गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना, आजीविका के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना, आर्थिक क्रियाकलापों के लिए ऋण और सब्सिडी, आवास, सफाई और पर्यावरण के परिवेश में सुधार, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन,

मजदूरी वाले रोजगार का सृजन और सेवाओं का अभिसरण, आदि शामिल है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के कार्य को बेहतर रूप से आयोजित किया जाए और कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जाए और राज्यों तथा केन्द्र दोनों स्तरों पर उपयुक्त रूप से मॉनीटर किया जाए।

### वार्षिक योजना, 2005-06 की समीक्षा और वार्षिक योजना, 2006-07 के लिए व्यवस्था

8.1.48 शहरी गरीबों के रहने की स्थितियों में सुधार करने और शहरी गरीबी को कम करने के लिए एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम, अर्थात् **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना** 1997 में अखिल भारतीय आधार पर शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माइक्रो उद्यम स्थापित करके और उपयोगी लोक परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए शहरी गरीबों के श्रम का उपयोग करने के जरिए शहरी बेरोजगार लोगों और अल्प-रोजगार प्राप्त गरीबों को लाभकारी स्व-रोजगार मुहैया करना है। यह योजना स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने और शहरी बेरोजगारों को, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, मजदूरी वाला रोजगार मुहैया करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह स्थानीय विकास के लिए समर्थकारी और सुविधा-प्रदायक तंत्र की व्यवस्था करने के लिए पड़ोसियों के समूहों, पड़ोसियों की समितियों, सामुदायिक विकास समितियों जैसे उपयुक्त ढांचों की स्थापना पर भरोसा करती है। वर्ष 2005-06 के लिए स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत 160 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, जिसका पूरा उपयोग कर लिया गया था। वर्ष 2006-07 के दौरान, इस स्कीम के अन्तर्गत 250.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है और 31.10.2006 की स्थिति के अनुसार 86.25 करोड़ रुपए का उपयोग कर लिया गया है। मंत्रालय को पूरी राशि का इस्तेमाल हो जाने की आशा है।

8.1.49 वर्ष 1997 में इस स्कीम के शुरू होने के समय से लेकर और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31.10.2006 तक स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत 7,14,068 शहरी गरीब महिलाओं को

पृथक माइक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता दी गई है। 1,96,988 गरीब महिलाओं को महिला और बाल विकास के शहरी क्षेत्र संघटक (डी.डब्ल्यू.सी.यू.ए.) के अन्तर्गत समूह-उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता दी गई है और 9,47,819 शहरी गरीबों को विभिन्न व्यवसायों में कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के मजदूरी रोजगार संघटक के अन्तर्गत, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में 586.86 लाख कार्य-दिवसों का रोजगार पैदा किया गया है।

### उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/ स्कीमों के लिए एकमुश्त व्यवस्था

8.1.50 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी सकल बजटीय सहायता के 10 प्रतिशत भाग का उपयोग उत्तर-पूर्वी राज्यों, जिनमें सिक्किम भी शामिल है, के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए करने की आदेशात्मक आवश्यकता को पूरा करें।

8.1.51 आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय बजट में इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अलग निर्धारित 10 प्रतिशत एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2001-02 से उत्तर-पूर्वी राज्यों में, जिनमें सिक्किम भी शामिल है, आवास (शहरी गरीबों के लिए), गन्दी बस्ती विकास और रोजगार सृजन के क्षेत्रों में अलग परियोजनाओं की मंजूरी देता आ रहा है। वर्ष 2001-02 में इस कार्यक्रम के शुरू होने के समय से अब तक मंत्रालय ने कुल 460.24 करोड़ रुपए की लागत वाली 56 परियोजनाओं को मंजूरी दी है और इसमें से 288.98 करोड़ रुपए विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को रिलीज़ किए जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष, 2006-07 के दौरान, 50.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं और 31.10.2006 की स्थिति के अनुसार 33.75 करोड़ रुपयों का उपयोग किया जा चुका है।

8.1.52 वैम्बे, जो 2001-02 में शुरू की गई थी, गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के कार्यक्रमों में बहुत देर से चली आ रही कमी को दूर करती है, अर्थात् गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आश्रय-स्थलों की व्यवस्था

करना अथवा मौजूदा आश्रय-स्थलों का उन्नयन करना। यह कार्यक्रम स्व-स्थाने उन्नयन की अनुमति देता है और यह जरूरी है कि जिस भूमि पर गन्दी बस्तियां स्थित हों, उसका विनियमन उन्नयन के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाए। वैम्बे के अन्तर्गत किए गए कुल आबंटन की 20 प्रतिशत राशि सफाई के लिए और शहरी गरीबों तथा गन्दी बस्तियों के निवासियों के लिए बनाए जाने वाले सामुदायिक शौचालयों के लिए निर्धारित की जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सब्सिडी की ऊपरी सीमा दिल्ली और पांच महानगरों के लिए 30,000 रुपए प्रति यूनिट और दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले अन्य शहरों में 25,000 रुपए प्रति यूनिट, और अन्य सभी शहरों और कस्बों के लिए 20,000 रुपए प्रति यूनिट है। किसी मौजूदा एकक के उन्नयन के लिए ऊपरी सीमा किसी नए मकान के निर्माण के लिए विनिर्दिष्ट लागत की उच्चतम सीमा का 50 प्रतिशत है। वर्ष 2004-05 में वैम्बे के अन्तर्गत 269.41 करोड़ रुपए के अनन्तिम व्यय की सूचना दी गई है, जबकि इसकी तुलना में अनुमोदित आबंटन 280.58 करोड़ रुपए का है। वर्ष 2005-06 के लिए 249 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

8.1.53 राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम 1996-97 में गन्दी बस्तियों के निवासियों के रहने के पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। वार्षिक योजना, 2004-05 में राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गई थी। इस बीच 2005-06 से यह कार्यक्रम बन्द कर दिया गया है और इसे मिशन के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा, जिसमें चुने हुए शहरों के लिए शहरी गरीबों के वास्ते बुनियादी सेवाएं एक उप-मिशन है और गैर-मिशन क्षेत्रों के लिए एकीकृत विकास और गन्दी बस्ती विकास स्कीम नामक एक बहु-प्रयोजनी स्कीम है।

8.1.54 राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत उप-मिशन II 63 चुने हुए मिशन शहरों में एकीकृत परियोजनाओं के जरिए बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था करेगा। इस उप-मिशन के अन्तर्गत गन्दी बस्ती सुधार और पुनर्वास, स्थल

और सेवाएं, पर्यावरणिक सुधार, रात्रिकालीन आश्रय-स्थल, सामुदायिक शौचालय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए वहनीय कीमतों पर आवास जैसे कार्यक्रम हाथ में लिए जाएंगे। एकीकृत आवास और गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम गैर-मिशन शहरों को कवर करेगा।

8.1.55 'शहरी क्षेत्रों में पटरियों पर रहने वाले लोगों के लिए आश्रय और सफाई की सुविधाएं' को 'शहरी आश्रय-हीनों के लिए रात्रिकालीन आश्रय-स्थल' के रूप में बदल दिया गया है। यह संशोधित स्कीम अब केवल शहरी आश्रय-हीनों के लिए सामुदायिक शौचालयों और स्नानघरों वाले संयुक्त रात्रिकालीन आश्रय-स्थलों के निर्माण तक सीमित है। वार्षिक योजना, 2004-05 के लिए 4.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी, जिसे पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिए जाने की सूचना दी गई है। यह स्कीम राज्यों को अन्तरित कर दी गई है और इसलिए 2005-06 में इसके लिए किसी परिव्यय की व्यवस्था नहीं की गई थी। वार्षिक योजनाओं 2004-05 और (2005-06) के लिए शहरी गरीबी उपशमन के अन्तर्गत स्कीम-वार परिव्यय की जानकारी संलग्नक 8.1.2 में दी गई है। आवास और शहरी विकास के लिए 2004-05 और 2005-06 के राज्य-वार परिव्यय की जानकारी संलग्नक 8.1.3 में दी गई है।

8.1.56 जे.एन.एन.यू.आर.एम. के उप-मिशन बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी. में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की निम्नलिखित स्कीमों को शामिल कर लिया गया है:

- i) वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वैम्बे) - एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम।
- ii) राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) - एक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम।

### शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं के एकीकृत विकास की ओर केन्द्रित ध्यान

8.1.57 शहरी गरीबों को जनोपयोगी सेवाएं मुहैया करने के उद्देश्य से आश्रय, बुनियादी सेवाएं और अन्य सम्बन्धित

नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए परियोजनाओं के माध्यम से गन्दी बस्तियों के एकीकृत विकास के लिए शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं नाम का एक उप-मिशन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के भाग के रूप में 63 शहरों में शुरू किया गया है। अन्य शहरों में यह उद्देश्य एकीकृत आवास और गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के जरिए पूरा किया जाएगा।

8.1.58 शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं के उप-मिशन के लिए, जो जे.एन.एन.यू.आर.एम. के 63 शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है और एकीकृत आवास और गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम के लिए, जो जे.एन.एन.यू.आर.एम. के शहरों से भिन्न शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है, शासनिक सुधार बहुत महत्वपूर्ण हैं। सुधार, जैसे गरीबी उपशमन के लिए म्युनिसिपल बजटों का अलग से निर्धारण और गरीबों के लिए 7 बुनियादी सेवाओं, अर्थात् भू-धृति, वहनीय आश्रय, जल, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी. के कार्यान्वयन का अभिन्न अंग हैं।

### उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/ स्कीमों के लिए एकमुश्त व्यवस्था

8.1.59 केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी सकल बजटीय सहायता के 10 प्रतिशत भाग का उपयोग उत्तर-पूर्वी राज्यों, जिनमें सिक्किम भी शामिल

है, के लिए परियोजनाओं/ स्कीमों के कार्यान्वयन के वास्ते करने की आदेशात्मक आवश्यकता को पूरा करें।

8.1.60 वित्तीय वर्ष, 2005-06 के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों, जिनमें सिक्किम भी शामिल है, के लाभ के लिए परियोजनाओं/ स्कीमों के वास्ते 10 प्रतिशत एकमुश्त व्यवस्था के अंतर्गत सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 160.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे और यह पूरी राशि रिलीज़ कर दी गई है। 49 नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2006-07 के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत 132.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान, नई/ कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए नवम्बर, 2006 तक 56.77 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए हैं।

8.1.61 उत्तर-पूर्वी राज्यों की भावनाओं और (i) आवास परियोजनाओं (अधिकांशतः शहरी गरीबों के लिए), (ii) गरीबी उपशमन परियोजनाओं, जिनमें घूम फिर कर बिक्री करने वाले/ फेरी लगाने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए मार्केटों/ दूकानों के काम्प्लेक्सों का निर्माण शामिल है, और (iii) गन्दी बस्ती सुधार/ उन्नयन परियोजना के लिए व्यवस्था करने के लिए 10 प्रतिशत एकमुश्त राशि के द्वारा विकास की स्कीम के कार्यान्वयन के समय से लोगों में उत्पन्न हुए उत्साह को देखते हुए, उप-मिशन बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी. के अन्तर्गत अब ऐसी सुविधाओं को जारी रखने की योजना है।

**\*वार्षिक योजना (2006-07) के लिए परिव्यय का स्कीम-वार ब्योरा**  
शहरी विकास मंत्रालय

(रुपए करोड़ में)

क्रम स्कीम सं.	वार्षिक योजना (2004-05)	वार्षिक योजना(2005-06)		वार्षिक योजना (2006-07)	
	वास्तविक व्यय	परिव्यय	अनन्तिम व्यय	परिव्यय	
1	2	3	4	5	6
<b>क शहरी विकास</b>					
1 आई.डी.एस.एम.टी.	148.00	100.00	113.58	110.00	
2 महानगर	303.22	150.00	174.52	120.00	
3 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	61.70	70.00	70.00	75.00	
4 शहरी मानचित्रण	0.00	-	-	-	
5 शहरी और क्षेत्रीय योजना-निर्माण में अनुसन्धान	0.95	1.00	0.96	00.00	
6 शहरी क्षेत्रक में क्षमता निर्माण	-	-	-	25.00	
7 राष्ट्रमंडल खेल	-	-	-	0.01	
8 राष्ट्रीय शहरी बुनियादी ढांचा निधि	-	-	-	0.01	
9 सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी मिशन मोड	1.02	25.00	-	75.00	
10 वैश्विक पर्यावरणिक केन्द्र	0.00	0.50	0.07	1.00	
<b>11 शहरी परिवहन</b>					
डी.एम.आर.सी. (इक्विटी)	229.90	107.00	244.00	250.00	
भूमि अधिग्रहण	-	-	58.00	58.00	
अन्य एम.आर.टी.एस.	4.80	50.00	3.62	30.00	
जे.बी.आई.सी. से पास थ्रो सहायता	1050.10	400.00	1650.00	424.00	
बंगलौर मेट्रो रेल परिवहन	-	-	-	30.00	
12 हुडको को शहरी बुनियादी ढांचे के लिए इक्विटी	1.65	-	-	-	
13 कम्प्यूटरीकरण	-	1.00	0.46	0.50	
<b>ख. जल आपूर्ति और सफाई</b>					
14 ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. का छोटे शहरों तक विस्तार	150.00	95.24	44.24	50.00	
15 विमान क्षेत्रों वाले कस्बों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	40.00	55.00	58.97	35.00	
16 लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में प्रशिक्षण	1.13	1.25	0.97	-	
17 हुडको को जल आपूर्ति के लिए इक्विटी	1.65	-	-	-	
18 मुम्बई तूफान जल परियोजना	-	-	-	1.00	
19 अस्पताल जल प्रबन्धन*	-	1.00	-	1.00	
<b>ग. लोक निर्माण-कार्य</b>					
20 सामान्य पूल रिहायशी आवास	92.96	100.00	99.38	184.48	
21 सी.पी.डब्ल्यू.डी.प्रशिक्षण संस्थान	2.26	3.00	-	3.00	
22 सामान्य पूल कार्यालय स्थान	22.18	27.00	-	46.00	
23 कम्प्यूटरीकरण	2.81	3.00	-	3.00	
<b>घ. नई स्कीमें</b>					
24 राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली	-	25.00	16.24	24.00	
25 समुच्चित वित्त विकास निधि	-	25.00	-	50.00	
26 नगर चुनौती निधि	-	-	-	-	
27 शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना के एस.पी.वी. के लिए सक्षमता अन्तर निधि	-	600.00	-	25.00	
<b>ड. उत्तर-पूर्व एकमुश्त व्यवस्था</b>					
28 उत्तर-पूर्व में शहरी विकास स्कीम	114.50	160.00	160.00	132.00	
<b>जोड़ 2228.83</b>	<b>2000.00</b>	<b>2695.01</b>	<b>1753.00</b>		

\*स्वास्थ्य मंत्रालय से अन्तरित स्कीम

वार्षिक योजना (2006-07) के लिए परिव्यय का स्कीम-वार ब्योरा  
आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(रुपए करोड़ में)

क्रम स्कीम सं.	वार्षिक योजना (2004-05)	वार्षिक योजना(2005-06)		वार्षिक योजना (2006-07)	
	वास्तविक व्यय	परिव्यय	अनन्तिम व्यय	परिव्यय	
1 2	3	4	5	6	
<b>क. केन्द्र-प्रायोजित स्कीमें</b>					
1	स्वर्ण जयन्ती स्व-रोजगार स्कीम	122.10	159.99	159.89	250.00
2	शहरी क्षेत्रों में रोजगार कौशल का निर्माण	-	0.01	-	-
3	वैम्बे	269.41	249.00	167.16	75.01
4	कम लागत वाली सफाई	20.00	30.00	2.01	30.00
5	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम	13.57	-	-	-
6	रिहाइश और सर्वेक्षण एन.बी.ओ.	-	-	-	2.00
7	रैन बसेरा स्कीम	4.00	-	-	-
8	पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों की शहरी बस्तियां	-	-	-	-
<b>ख. केन्द्रीय स्कीमें</b>					
9	बी.एम.टी.पी.सी.	4.92	4.52	4.52	4.30
10	आवास के लिए हडको इक्विटी	100.00	-	-	-
11	एन.सी.एच.एफ. को अनुदान	0.40	0.38	0.38	0.36
12	शहरी संकेतक कार्यक्रम	-	-	-	-
13	उत्तर-पूर्व एकमुश्त व्यवस्था	82.00	50.00	45.06	50.00
<b>ग. नई स्कीमें</b>					
14	धारवी में और हवाई हड्डे की दक्षिण मुम्बई से जोड़ने वाली सड़क के किनारे गंदी बस्तियों की पुनःस्थापना	-	-	-	-
15	शहरी गरीबों सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यनीति के लिए यू.एन.डी.पी. सहायता	4.00	5.00	6.47	9.00
16	कम्प्यूटरीकरण	-	1.00	0.20	1.00
17	उत्तर-पूर्व में शहरी विकास परियोजनाएं	-	0.10	-	-
<b>जोड़</b>		<b>620.40</b>	<b>500.00</b>	<b>385.69</b>	<b>421.67</b>

## वार्षिक योजना - आवास और शहरी विकास - राज्य क्षेत्रक

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना (2005-06)				वार्षिक योजना(2006-07)	
		आवास		शहरी विकास		आवास	शहरी विकास
		परिव्यय	संशोधित परिव्यय	परिव्यय	संशोधित परिव्यय	परिव्यय	परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	432.90	543.84	714.66	429.98	1190.31	813.11
2	अरुणाचल प्रदेश	26.39	22.03	15.81	12.25	23.15	15.80
3	असम	64.25	64.25	62.49	62.49	76.88	65.76
4	बिहार	25.14	146.19	223.38	4.49	140.10	513.14
5	छत्तीसगढ़	35.09	53.09	79.44	91.63	40.81	235.96
6	गोवा	1.83	1.83	77.47	77.47	6.40	108.92
7	गुजरात	855.00	855.00	572.04	572.04	848.78	558.09
8	हरियाणा	45.00	45.00	97.64	49.33	48.00	97.64
9	हिमाचल प्रदेश	81.30	81.55	31.19	31.88	77.75	10.33
10	जम्मू और कश्मीर	3.00	3.00	74.49	74.49	3.00	74.86
11	झारखंड	59.67	59.67	101.50	122.50	26.55	255.00
12	कर्नाटक	619.56	579.87	648.54	425.28	677.38	1845.00
13	केरल	70.00	75.41	346.60	136.51	59.38	261.53
14	मध्य प्रदेश	141.90	9.01	75.52	209.54	33.18	598.48
15	महाराष्ट्र	168.06	168.06	1157.79	1157.79	329.37	1602.20
16	मणिपुर	13.71	13.71	174.93	174.93	19.40	135.71
17	मेघालय	13.55	12.05	30.95	17.25	11.34	40.45
18	मिजोरम	45.12	46.63	11.75	24.72	46.62	16.02
19	नागालैंड	39.34	39.99	19.90	44.15	49.49	50.25
20	उड़ीसा	72.47	67.62	41.55	37.89	64.01	87.73
21	पंजाब	8.42	8.42	100.90	100.90	7.77	76.28
22	राजस्थान	148.71	110.74	1015.34	870.46	153.57	1099.78
23	सिक्किम	10.90	11.77	11.10	16.50	11.27	25.40
24	तमिलनाडु	209.54	108.38	545.27	370.39	101.40	852.60
25	त्रिपुरा	49.72	30.99	25.73	30.51	37.00	30.71
26	उत्तर प्रदेश	185.64	162.65	234.89	67.65	465.71	687.54
27	उत्तरांचल	17.00	5.00	110.99	113.16	23.43	393.10
28	पश्चिम बंगाल	41.95	41.95	563.71	593.24	101.51	841.94
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	12.60	12.60	28.62	28.62	384.07	24.55
30	चंडीगढ़	7.15	7.15	53.01	53.01	7.40	71.66
31	दादरा और नगर हवेली	1.81	1.81	1.50	1.50	1.98	1.70
32	दमन और दीव	3.81	3.81	1.20	1.20	2.02	1.35
33	दिल्ली	22.12	20.35	784.61	667.50	37.60	744.20
34	लक्षद्वीप	4.16	4.16	0.11	0.11	2.09	2.06
35	पांडिचेरी	63.48	67.75	36.57	45.58	89.41	180.48
	<b>जोड़</b>	<b>3600.29</b>	<b>3485.33</b>	<b>8071.19</b>	<b>6716.94</b>	<b>5198.13</b>	<b>12419.33</b>
	<b>जोड़ का %</b>	<b>2.40</b>	<b>2.39</b>	<b>5.38</b>	<b>4.59</b>	<b>2.78</b>	<b>6.63</b>

## 8.2 शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं

### शहरी जल आपूर्ति और सफाई वार्षिक योजना 2006-2007 की समीक्षा

8.2.1 वार्षिक योजना 2005-2006 में शहरी जल आपूर्ति और सफाई क्षेत्रक के लिए केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 95.24 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) और 44.24 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। वर्ष के दौरान 194.50 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे। इसका ब्योरा संलग्न 9.2.1 में दिया गया है।

8.2.2 1993-94 में इस कार्यक्रम के शुरू होने से, मंत्रालय ने 1244 कस्बों के लिए 1822.37 करोड़ रुपए की लागत वाली जल आपूर्ति स्कीमों का अनुमोदन किया है। 901.88 करोड़ रुपए के वचनबद्ध केन्द्रीय हिस्से में से मार्च, 2006 तक विभिन्न राज्य सरकारों को 804.32 करोड़ रुपए रिलीज किए जा चुके थे। ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. को वर्ष 2005-06 से छोटे और मध्यम श्रेणी के कस्बों के लिए शहरी बुनियादी ढांचा विकास स्वर्गीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) में शामिल कर दिया गया है। लेकिन, अभी भी 97.56 करोड़ रुपए की वचनबद्ध देनदारी है, जिसे 2003-04 (15) और 2004-05 (170) के दौरान अनुमोदित 185 कस्बों के लिए पूरा किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए 50.00 करोड़ रुपए का बजटीय आबंटन किया गया है। 47.56 करोड़ रुपए के शेष आबंटन की आवश्यकता अगले वित्तीय वर्ष, अर्थात् 2007-08 में सभी शहरों सम्बन्धी वचनबद्ध देनदारी को पूरा करने के लिए होगी।

### हवाई मैदानों वाले कस्बों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और जल-निकास की केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीम

8.2.3 हमारे देश में पक्षियों से टकराने की घटनाएं विमान दुर्घटनाएं होने का एक प्रमुख कारण हैं, जिनसे उच्च लागत वाले रक्षा वायुयानों और वायुयान-चालकों के अमूल्य जीवन की हानि होती है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना के विमान-क्षेत्रों वाले 10 कस्बों में पक्षियों के संकट पर काबू पाने के लिए उपयुक्त सफाई सुविधाओं की व्यवस्था करने

की सिफारिश की थी, जिनमें ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और जल-निकास भी शामिल है। कवर किए गए शहर ये हैं: (i) अम्बाला (हरियाणा), (ii) ग्वालियर (मध्य प्रदेश), (iii) हिंडन (उत्तर प्रदेश), (iv) जोधपुर (राजस्थान), (v) तेजपुर (असम), (vi) डुंडीगुल (आन्ध्र प्रदेश), (vii) सिरसा (हरियाणा), (viii) आदमपुर (पंजाब), (ix) पुणे (महाराष्ट्र), और (x) बरेली (उत्तर प्रदेश)।

8.2.4 योजना आयोग द्वारा 99.34 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली स्कीम 8.10.2003 को अनुमोदित की गई थी। वार्षिक योजना 2005-06 में केन्द्रीय योजना में विमान-क्षेत्रों वाले शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और जल निकास की केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के अन्तर्गत 55.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया था। इसमें से 58.96 करोड़ रुपए दस शहरों को, एन.यू.आई.एस. की स्कीमों से 3.96 करोड़ रुपए के पुनर्विनियोग द्वारा, रिलीज किए गए हैं। अब तक कुल 98.96 करोड़ रुपया रिलीज किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्य वचनबद्ध देनदारी को पूरा करने के लिए वर्ष 2006-07 के लिए 35.00 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। सिरसा की परियोजना चालू कर दी गई है और जोधपुर की परियोजना को शीघ्र ही चालू करने का कार्यक्रम है।

### लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी (पी.एच.ई.) प्रशिक्षण

8.2.5 जल आपूर्ति और सफाई परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी के पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अति आवश्यक हैं, यदि कार्यक्रमों को कम लागत, कुशल प्रचालन, अनुरक्षण और मरम्मत की कसौटियों पर पूरा उतरना हो। विभिन्न लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभागों, जल आपूर्ति और सफाई बोर्डों, शहरी स्थानीय निकायों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, शहरी स्थानीय निकायों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; अन्य जल आपूर्ति और सफाई अभिकरणों, जैसे जल संस्थानों की, अपने कार्मिकों को, जो विभिन्न स्तरों पर लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी के क्षेत्र में कार्यरत हैं, प्रशिक्षण देने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और उनका संचालन अनुसंधान और शैक्षिक

संस्थानों और फील्ड विभागों द्वारा किया जा रहा है।

- i. मान्यताप्राप्त संस्थानों में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी/ पर्यावरणिक इंजीनियरी का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।
- ii. लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी/ पर्यावरणिक इंजीनियरी का अल्पकालिक पाठ्यक्रम
- iii. जल आपूर्ति और सफाई सुविधाओं के, जिनमें ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन भी शामिल हैं, डिजाइन, निर्माण, प्रचालन और अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

8.2.6 कुल 30,688 सेवारत कार्मिकों ने 31.3.2006 तक विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया और वर्ष 2005-06 के दौरान 96.65 लाख रुपए का उपयोग किया गया।

## शहरी परिवहन

8.2.7 वैयक्तिक मोटर वाहनों में तेजी से वृद्धि होने से भीड़-भाड़ बढ़ गई है, वायु-प्रदूषण में वृद्धि हुई है, दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत अधिक होने लगी है। शहरी क्षेत्रों में गतिशीलता को बढ़ाने और उसके जरिए आर्थिक संवृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन में काफी अधिक सुधार होना एक क्रान्तिक आवश्यकता है। इस प्रकार की सुधरी हुई गतिशीलता का शहरी गरीबों पर हितकारी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य उपचर्या तक उनकी पहुंच में सुधार होगा। शहरी योजना के लिए परिवहन के बारे में एक उपयुक्त नीति तैयार किए जाने की ओर तथा प्रत्येक शहरी समूह के लिए यातायात की योजना बनाने की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, एक एकीकृत योजना तैयार करने के वास्ते प्रत्येक शहर के लिए एन.यू.आर.एम. की आवश्यकता को शामिल करने तथा एक विशेषज्ञ निकाय की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

8.2.8 एक राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति तैयार कर ली गई है। इस नीति में भूमि के एकीकृत उपयोग और परिवहन

योजना, सार्वजनिक परिवहन में महत्वपूर्ण सुधारों, यात्रा के गैर-मोटरीकृत तरीकों को प्रोत्साहन, पर्याप्त पार्किंग स्थान की व्यवस्था और शहरी परिवहन की योजना में क्षमता-निर्माण के उपायों के व्यापक समूह की परिकल्पना की गई है।

8.2.9 इस समय कार्यान्वित की जा रही प्रमुख परियोजना दिल्ली मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम (सामूहिक त्वरित पारिषण प्रणाली) है, और इसका निधिपोषण भारत सरकार और जी.एन.सी.टी.डी. से प्राप्त इक्विटी और जे.बी.आई.सी.से प्राप्त नरम शर्तों वाली ऋण-सहायता से किया जा रहा है। धनराशियां 'पास थ्रो' सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो शहरी विकास मंत्रालय के बजटीय संसाधनों में शामिल हैं। परियोजना का चरण I पूरा कर लिया गया है और चरण II का काम चल रहा है, जिसमें ये संरेखण शामिल हैं;

- 1) विश्वविद्यालय - जहांगीरपुरी
- 2) केन्द्रीय सचिवालय, केन्द्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)
- 3) केन्द्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान - कुतब मीनार
- 4) शहादरा - दिलशाद गार्डन
- 5) इन्द्रप्रस्थ - नई दिल्ली
- 6) यमुनातट - आनन्द विहार आई.एस.बी.टी.
- 7) कीर्तिनगर - मुनीरका

8.2.10 परियोजना के पूरा होने की लागत का अनुमान 8118 करोड़ रुपए था। ग्रीन पार्क से अम्बेडकर कालोनी तक के संशोधित संरेखण पर 558 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आएगी। इस प्रकार, पूरा होने की संभावित लागत का अनुमान 8676 करोड़ रुपए का है।

8.2.11 दिल्ली मेट्रो चरण II परियोजना का विस्तार अम्बेडकर कालोनी से गुडगांव में सुशान्त लोक तक पूरा होने की अनुमानित लागत 1422 करोड़ रुपए है; न्यू अशोक नगर से नोएडा तक पूरा होने की अनुमानित लागत 840.56 करोड़ है, जिसमें कर शामिल हैं; केन्द्रीय सचिवालय से बदरपुर तक पूरा होने की अनुमानित लागत 3640 करोड़

रुपए है। इन सबको अनुमोदित कर दिया गया है और काम में प्रगति हो रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आई.जी.आई. हवाई अड्डे तक के उच्च गति वाले एक्सप्रेस संयोजन (हाई स्पीड एक्सप्रेस लिंक) को अनुमोदित कर दिया गया है, जिसके पूरा होने पर 3811 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।

### विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाएं

8.2.12 विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाओं का उद्देश्य स्थानीय/ राज्य सरकार की संस्थात्मक और वित्तपोषण क्षमताओं को मजबूत बनाना और इसके अलावा बहुत अधिक

गरीब लोगों के लिए सेवाओं में साम्या को बढ़ावा देना और शहरी पर्यावरण में सुधार करना है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्रक के लिए विदेशी निधिपोषण के सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग का पता लगाया जाए। कुछ विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाएं, जिनमें बुनियादी ढांचे का विकास, गरीबी उपशमन और आवास क्षेत्रक शामिल हैं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, आदि में कार्यान्वित की जा रही हैं। केन्द्रीय क्षेत्रक की प्रमुख विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजना दिल्ली सामूहिक त्वरित पारिषण प्रणाली (मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम) है, जिसे जे.बी.आई.सी. से नरम शर्तों वाली ऋण-सहायता प्राप्त है।

## अध्याय-9 उद्योग और सेवाएं

### 9.1 उद्योग

#### प्रस्तावना

9.1.1 दसवीं योजना में उद्योग की संवृद्धि का लक्ष्य 10 प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था, जो सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि के 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष के लक्ष्य के अनुरूप था। यह आशा की जाती थी कि तेजी से औद्योगिक संवृद्धि

होने से सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग के हिस्से में वृद्धि हो जाएगी, विनिर्मित वस्तुओं के विश्व निर्यात में भारत के हिस्से में बढ़ोतरी होगी, संतुलित औद्योगिक विकास होगा और श्रमिकों के लिए नौकरियों की वृद्धि होगी, जिनकी बहुत अधिक आवश्यकता है। इन उद्देश्यों को नीतियों, योजनाओं और परियोजनाओं के मिश्रण से प्राप्त किया जाना था।

तालिका-9.1.1

औद्योगिक उप-क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन की प्रवृत्तियां/वार्षिक संवृद्धि (प्रतिशत)

उद्योग संकेत सं.	उद्योग का नाम	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	2003-04	2004-05	2005-06
20-21	खाद्य पदार्थ	9.08	-0.47	-0.36	1.97
22	पेय और तम्बाकू	2.38	8.52	10.83	15.73
23	सूती कपड़ा	5.52	-3.14	7.58	8.47
24	ऊन, रेशम और मानव-निर्मित रेशों से बना कपड़ा	2.26	6.84	3.53	-0.04
25	पटसन कपड़ा	0.59	-4.17	3.68	0.47
26	कपड़ा उत्पाद	2.54	-3.15	19.15	16.35
27	लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	2.70	6.80	-8.45	-5.75
28	कागज और कागज उत्पाद	2.65	15.62	10.54	-0.91
29	चमड़ा और फर उत्पाद	1.14	-3.86	6.73	-4.84
30	रसायन और रासायनिक उत्पाद	14.00	8.65	14.49	8.34
31	रबड़, प्लास्टिक और पेट्रोलियम	5.73	4.45	2.40	4.32
32	अधात्विक खनिज उत्पाद	4.39	3.71	1.54	10.97
33	बुनियादी धातुएं और मिश्रधातु	7.45	9.15	5.43	15.76
34	धातु उत्पाद और उनके हिस्से	2.81	3.69	5.72	-1.14
35-36	मशीनें और उपकरण	9.57	15.84	19.76	11.95
37	परिवहन उपकरण	3.98	17.05	4.07	12.69
38	अन्य विनिर्माण उद्योग	2.56	7.67	18.54	25.18
	विनिर्माण	79.358	7.37	9.2	9.1
	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	100.00	7.02	8.4	8.1

स्रोत- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

### वर्ष 2005-06 के दौरान औद्योगिक क्षेत्रक के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

9.1.2 वर्ष 2005-06 के दौरान औद्योगिक क्षेत्रक की संवृद्धि दर, जैसीकि वह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा मापी गई है, 8.1 प्रतिशत थी (तालिका 9.1.1), जबकि इसकी तुलना में 2004-05 में यह दर 8.4 प्रतिशत थी। 2005-06 में विनिर्माण क्षेत्रक ने 9.1 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की। इस संवृद्धि में समाक्षारीय धातु और मिश्रधातु उद्योग, मशीनों और उपस्करों, रसायनों और रासायनिक उत्पादों, कपड़ा उत्पादों और सूती कपड़े का हिस्सा बहुत अधिक था। दो अंकों वाले वर्गीकरण के रूप में, 17 में से 13 उद्योग समूहों ने वर्ष के दौरान सकारात्मक संवृद्धि की। खाद्य उत्पादों, अधात्विक खनिज उत्पादों ने 2005-06 के दौरान मोड़ लिया। समाक्षारीय धातुओं और मिश्रधातु उद्योग ने तेजी से वृद्धि की। लेकिन, ऊन, रेशम और मानव-निर्मित रेशों से बने कपड़े, कागज और कागज उत्पादों, चमड़ा और फर उत्पादों और धातु-उत्पादों और उनके हिस्सों की संवृद्धि की दर में गिरावट आई। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के रूप में, उपभोक्ता वस्तुओं ने दो-अंकीय संवृद्धि दर्ज की (तालिका 9.1.2)। अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में गिरावट होने के कारण, वर्ष के दौरान मध्यवर्ती वस्तुओं ने कमी दर्ज की। पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्रक में तेजी से वृद्धि के मामले में मशीनें और परिवहन उपस्कर सबसे आगे रहे।

### औद्योगिक निवेश के इरादे

9.1.3 वर्ष 2005-06 में निवेश का वातावरण कुल मिलाकर बड़ा उत्साहपूर्ण था, जिसकी झलक औद्योगिक उद्यमियों के ज्ञापनों और आशय पत्रों में दर्ज निवेश के इरादों से मिलती है (तालिका 9.1.3)। औद्योगिक निवेश के इरादों की प्रवृत्ति से दसवीं योजना की शेष अवधि में संवृद्धि की अच्छी सम्भावना का संकेत मिलता है।

### प्रमुख नीतिगत पहलें

9.1.4 औद्योगिक नीति सुधार एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। हाल में की गई पहलों का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित गति और पुलक को बनाए रखना और विशेष रूप से, विनिर्माण क्षेत्रक में, जो समूची औद्योगिक संवृद्धि के मामले में सबसे आगे है, संवृद्धि को जोरदार बनाना है। वर्ष 2005-06 के दौरान शुरू की गई प्रमुख नीतिगत पहलों के उद्देश्यों में उत्पादकता में सतत संवृद्धि को बनाए रखना, लाभकारी रोजगार को बढ़ाना, मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता-क्षमता प्राप्त करना और विश्व के मैदान में भारत को एक प्रमुख भागीदार और खिलाड़ी के रूप में बदलना शामिल है। इनकी प्रमुख बातों की जानकारी नीचे के पैराओं में दी गई है:

- i) औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति को उदार बनाने के उद्देश्य से, उद्योग (विकास और विनियमन)

#### तालिका-9.1.2

उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार औद्योगिक उत्पादन की संवृद्धि दरें

(आधार: 1973-74 = 100) (प्रतिशत)

क्षेत्रक	(भारंश)	2003-04	2004-05	2005-06
बुनियादी वस्तुएं	35.5	5.4	5.5	6.6
पूंजीगत वस्तुएं	9.3	13.6	13.9	15.7
मध्यवर्ती वस्तुएं	26.5	6.4	6.1	2.4
उपभोक्ता वस्तुएं	28.7	7.1	11.7	12.0
जिनमें (टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं)	(5.4)	(11.6)	(14.3)	(12.9)
(गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं)	(23.3)	(5.8)	(10.8)	(11.0)
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	100.0	7.0	8.4	8.1

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

तालिका-9.1.3  
औद्योगिक निवेश प्रस्ताव

वर्ष	औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन		आशय पत्र/ प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस	
	प्रस्तावों की संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए)	प्रस्तावों की संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5
2002-03	3,178	80,824	60	332
2003-04	4,130	1,54,954	145	3,454
2004-05	5,548	2,89,782	101	4,309
2005-06	6,341	3,82,743	135	3,638

स्रोत: औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत शामिल मदों की सूची की समीक्षा निरन्तर आधार पर की जाती है। 23.9.2005 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, औषधों और भेषजों को उक्त सूची से बाहर निकाल दिया गया है और औद्योगिक लाइसेंसिंग के तहत अब केवल पांच उद्योग रह गए हैं।

- ii) लघु उद्योगों का क्षेत्रक औद्योगिक नीति में ध्यान देने का एक महत्वपूर्ण केन्द्र-बिन्दु है। लघु उद्योगों के लिए संयंत्र और मशीनों में 1 करोड़ रुपए की निवेश-सीमा सम्बन्धी मौजूदा मार्गनिर्देशों को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, 140 मदों के लिए, जिनमें औषधों और भेषजों की सभी मदें शामिल हैं, 5.00 करोड़ रुपए की विभेदी निवेश सीमा निर्धारित की गई है।
- iii) 'ट्रिप्स' करार के अन्तर्गत कानूनी दायित्व को पूरा करने के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 में तीसरा संशोधन किया गया है। बराबरी के खेल के मैदान की व्यवस्था करने के अलावा, संशोधित नियमों में आन्तरिक क्षमता को सुरक्षित रखने और उसके मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय हैं।

- iv) विनिर्माण उद्योगों को बल प्रदान करने और संवृद्धि को बरकरार रखने के लिए नीति सम्बन्धी संवाद करने के एक स्थाई मंच की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतियोगिता-क्षमता परिषद (एन.एम.सी.सी.) की स्थापना की गई है। यह देश के विनिर्माण क्षेत्रक को विश्व में प्रतियोगिता करने में समर्थ बनाने के लिए इस क्षेत्रक की संवृद्धि की क्षमता प्राप्त करने के लए कार्य-नीतियां तैयार करेगी। इस परिषद ने मार्च, 2006 में 'विनिर्माण के लिए राष्ट्रीय नीति' तैयार की है, जिसमें ऐसे चुने हुए क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जिनकी ओर विनिर्माण के उप-क्षेत्रकों में संवृद्धि की गति को तेज बनाने के लिए विशिष्ट रूप से ध्यान देने और पहल करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतियोगिता-क्षमता परिषद ने कपड़ा और वस्त्र, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर और इलेक्ट्रानिक्स, चमड़ा और जूते, कौशल-दक्षता विकास, विकास के लिए समूह (क्लस्टर)-उन्मुख कार्य-प्रणाली और लघु तथा मध्यम पैमाने के उद्यमों से सम्बन्धित समस्याओं को प्राथमिकता वाले क्षेत्र निर्धारित किया है।

- v) चमड़ा क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग ने दसवीं योजना में 400 करोड़ रुपए के नियतन के साथ भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 290 करोड़ रुपए के परिव्यय से चमड़ा क्षेत्रक के एकीकृत विकास की परियोजना शुरू की गई है। इस व्यापक परियोजना के अंतर्गत आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 20-30 प्रतिशत की दर से निवेश अनुदान दिया जाएगा।
- vi) उपभोक्ता सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है। उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने और उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के प्रवर्तन द्वारा शिकायतों को दूर करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए बहुत से कदम पहले से उठाए जा चुके हैं। उपभोक्ताओं की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रचार अभियान की एक विशिष्ट योजना कार्यान्वित की जा रही है और इसका अन्तरिम रूप से जो जायज़ा लिया गया है, उससे पता चलता है कि इसका सन्तोषजनक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, उपभोक्ता मंच के कम्प्यूटरीकरण नेटवर्किंग की स्कीम प्रारम्भ की गई है। समूचे देश भर में माप और तोल के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और सोने को परखने और उसकी हालमार्किंग की सुविधाएं स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुलझाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन शुरू की गई है, जो एक परिवर्तन लाने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है।
- vii) प्रसंस्करण का चरण विभिन्न कपड़ा उत्पादों की मूल्य-श्रृंखला में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रयोक्ता की अत्यावश्यक आवश्यकताओं में उसका बहुत योगदान होता है और इस चरण में सौन्दर्य और मूल्य वर्धन सबसे अधिक होता है। अप्रैल, 2005 में, इस बात पर विचार करते हुए कि प्रसंस्करण यूनिट पूंजी-प्रधान होते हैं और हानि-लाभ के बराबर होने की स्थिति में पहुंचने और वित्तीय रूप से सक्षम बनने के लिए उनकी परिपक्वता अवधि बड़ी लम्बी होती है, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम के अन्तर्गत सरकार ने ब्याज की 5 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के अलावा बैंचमार्क वाली प्रसंस्करण मशीनों के लिए 10 प्रतिशत की पूंजी सब्सिडी की मंजूरी दी।
- viii) रूई सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत सरकार ने 139 मार्केट यार्ड विकसित करने और 500 जिनिंग और प्रेसिंग कारखानों का आधुनिकीकरण करने के लिए भौतिक लक्ष्यो को बढ़ाने के बारे में कपड़ा मंत्रालय के प्रस्ताव को जून, 2005 में अनुमोदित किया। यह रूई के प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत अनुमोदित मार्केट यार्डों और प्रेसिंग कारखानों के नौवीं और दसवीं योजना के मूल लक्ष्यों के अतिरिक्त हैं। रूई के प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए लक्ष्यों को बढ़ाया गया है।
- ix) बुनियादी ढांचा विकास के लिए निर्यात के लिए परिधान (एपरल) पार्को (ए.पी.ई.) और कपड़ा केन्द्रों की स्कीमों को आपस में मिला कर उनका पुनर्गठन एक स्कीम के रूप में करने के जरिए इन स्कीमों को पुनर्संजित करने और सहक्रियाशील बनाने के लिए, सरकार ने 40 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात लक्ष्य 2010 तक प्राप्त करने के उद्देश्य वाले स्वपन को तेजी से साकार करने और अमल में लाने के लिए एकीकृत टेक्सटाइल पार्को की स्कीम को जून, 2005 में अनुमोदित किया। इन संशोधनों में उद्योग को शामिल करके उपयुक्त लक्ष्य निर्धारित करना, उत्साहपूर्ण विपणन, और कार्यान्वयन के ढांचे का निर्माण करना शामिल है। परियोजनाओं को सरकारी-गैर-सरकारी भागीदारी वाले मोड में चालू किया जाएगा, ताकि 2005 से कोटा-मुक्त विश्व व्यापार से लाभ उठाया जा सके।

x) पटसन के विश्वव्यापी और देश के अन्दर के पारिस्थितिकीय महत्त्व को देखते हुए, देश में पटसन क्षेत्रक के समूचे विकास के लिए 355.55 करोड़ रुपए की लागत वाला पटसन प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने को अनुमोदित किया गया था। जूट प्रौद्योगिकी मिशन के क्षेत्र में कृषि, प्रसंस्करण उद्योग और विपणन सम्बन्धी विविध उप-क्षेत्रक शामिल होंगे। कपड़ा मंत्रालय द्वारा जिन चार लघु मिशनों (एम.एम. I से एम.एम. IV) को स्थापित करने का विचार है, उनमें पहले दो लघु मिशन कृषि और सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से और लघु मिशन-III और IV कपड़ा मंत्रालय द्वारा समन्वित और कार्यान्वित किए जाएंगे। लघु मिशन-III कार्यकुशल मार्केट संयोजनों का विकास करने और उन्हें सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें किसानों को मुहैया की जाने वाली सुविधाओं और मार्केट के मौजूदा बुनियादी ढांचे के ग्रेड का उन्नयन करना शामिल है। लघु मिशन-IV उत्पादन की प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण की सुनिश्चित व्यवस्था करेगा, जिसमें कौशलों का प्रशिक्षण और उनके स्तर का उन्नयन, आय को बढ़ाना और कच्चे पटसन और विविधीकृत जूट उत्पादों की खपत को बढ़ाने के लिए नए क्षेत्रों की खोज करना और उनमें जोर देना शामिल है।

xi) राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 इस्पात की विविधीकृत मांग को पूरा करने वाले, विश्व स्तर के आधुनिक और कार्यकुशल इस्पात उद्योग का निर्माण करने के उद्देश्य से तैयार की गई थी। नीति में ध्यान का केन्द्र यह होगा कि कार्यकुशलता और उत्पादकता के वैश्विक बेंचमार्क को प्राप्त करके लागत, गुणवत्ता और उत्पाद-मिश्रण के मामले में विश्व में प्रातियोगिता करने की क्षमता प्राप्त की जाए।

xii) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के लघुरत्न उद्यमों के निदेशक बोर्डों को इस समय प्रत्यायोजित शक्तियों

की समीक्षा की है और पूंजीगत व्यय, संयुक्त उद्यमों/ समनुषंगी कम्पनियों में निवेश, विलय और अभिग्रहण, मानव संसाधन प्रबन्ध, आदि के बारे में उनकी प्रत्यायोजित शक्तियों को बढ़ाने का फैसला किया है।

## केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यम

### विकास और कार्य-निष्पादन

9.1.5 राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में सुझाव दिया गया है कि सरकारी क्षेत्रक मजबूत और कारगर होना चाहिए, जिसके सामाजिक उद्देश्य उसके वाणिज्यिक कार्यकरण से पूरे किए जाते हैं। प्रयास यह है कि सरकारी क्षेत्रक के पुनरुज्जीवित किए जा सकने वाले उद्यमों का आधुनिकीकरण और पुनर्गठन किया जाए। केवल चिरकालिक रूप से घाटा उठा रहे सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों को, उनके कर्मचारियों को उनकी समुचित देय राशियों का भुगतान किए जाने के बाद, बन्द किया जा सकता है अथवा बेचा जा सकता है।

9.1.6 भारी उद्योग और सरकारी उद्यम विभाग ने स्वायत्तता, संयुक्त उद्यम और समनुषंगी कम्पनियां स्थापित करने के लिए निवेश की उच्चतम सीमा को बढ़ाने और विलय और अभिग्रहण के लिए शक्तियों को प्रत्यायोजित करने, नवरत्न और लघुरत्न उद्यमों को पी.आई.बी./सी.सी.ई.ए. से स्वीकृति लेने से छूट, आदि जैसे मुद्दों पर विचार करने के लिए डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में विशेषज्ञों का एक तदर्थ दल गठित किया था। इसकी रिपोर्ट और उन मुद्दों के आधार पर, जिन पर सचिवों की समिति द्वारा विचार किया गया था, लोक उद्यम विभाग ने नवरत्न और लघुरत्न कम्पनियों के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए पूंजीगत व्यय और इक्विटी निवेश के बारे में संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए। अब, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लाभ उठाने वाले उपक्रमों (नवरत्न और लघुरत्न उपक्रमों से भिन्न) को पूंजीगत व्यय करने के लिए बढ़ाई गई प्रत्यायोजित शक्ति को संशोधित करके 150 करोड़ रुपए अथवा निवल मूल्य के 50 प्रतिशत में से जो भी कम हो, उस तक बढ़ा दिया गया है। शक्तियों के प्रत्यायोजन के अन्य मुद्दे भी सरकार के विचाराधीन हैं।

9.1.7 सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों के उत्पादन का हिस्सा, मार्केट कीमत पर, 2004-05 में 11.68 प्रतिशत और 2005-06 में 11.12 प्रतिशत था। सरकारी क्षेत्रक को कोयला (85.52 प्रतिशत), क्रूड तेल (85.87 प्रतिशत), और रिफाइनरी (74.51 प्रतिशत) जैसे उत्पादों में लगभग एकाधिकार प्राप्त है। तैयार इस्पात (26.89 प्रतिशत), नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक (26.05 प्रतिशत) और फॉस्फेटयुक्त उर्वरक (6.99 प्रतिशत) जैसे उत्पादों में मार्केट-हिस्से के मामले में, सरकारी क्षेत्रक की कम्पनियां गैर-सरकारी क्षेत्रक के साथ प्रतियोगिता करती हैं।

9.1.8 केन्द्रीय क्षेत्रक के सभी उद्यमों का संचित निवेश 3.3.2006 को कुल मिलाकर 3,93,057 करोड़ रुपए था। यह 31.3.2005 के कुल निवेश से 35,118 करोड़ रुपए अधिक था, जिससे 9.81 प्रतिशत की वृद्धि होने का पता चलता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश पंचवर्षीय योजनाओं में की गई योजना-व्यवस्था का परिणाम है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के विनिर्माण उद्यमों का कुल मिलाकर हिस्सा सबसे अधिक अर्थात् 51 प्रतिशत था, जिसके बाद सेवाओं का हिस्सा, जो 40 प्रतिशत है और खनन का हिस्सा है, जो 7 प्रतिशत है। शेष हिस्सा 'निर्माणाधीन कम्पनियों' का है।

9.1.9 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों का बिक्री का कारोबार 2005-06 के दौरान बड़ा जोरदार रहा है। विनिर्माण कम्पनियों ने 16.60 प्रतिशत की संवृद्धि के साथ सबसे बढ़िया कार्य-निष्पादन किया, जिसके बाद खनन कम्पनियों का स्थान रहा, जिनकी वृद्धि 6.89 प्रतिशत थी, लेकिन सेवा कम्पनियों की बिक्री में 2005-06 में (2004-05 से) 2.04 प्रतिशत की कमी आई। कुल मिलाकर, 2005-06 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के सभी उद्यमों के निवल मुनाफे का कुल जोड़ 70,288 करोड़ रुपए था, जो 2004-05 के मुनाफे से 8.02 प्रतिशत अधिक था।

### केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के रुग्ण उद्यमों का पुनरुज्जीवन

9.1.10 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों को सामान्य रूप से सुदृढ़ बनाने और उन्हें अधिक स्वायत्तता तथा

व्यावसायिक बनाने के उपायों और तरीकों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए, सरकार ने दिसम्बर, 2004 में सरकारी क्षेत्र उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन किया। बोर्ड केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों का वित्तीय, संगठनात्मक और व्यापारिक पुनर्निर्माण करने पर विचार करता है और ऐसी स्कीमों के निधिपोषण के उपायों और तरीकों का सुझाव देता है। यह बोर्ड चिरकालिक रूप से रुग्ण/घाटा उठा रही कम्पनियों के बारे में, जिन्हें पुनरुज्जीवित नहीं किया जा सकता, विनिवेश करने, बन्द करने अथवा बेचने के सम्बन्ध में भी सलाह देता है।

9.1.11 दसवीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन में पुनरुज्जीवन/पुनर्गठन के रूप के मुद्दे पर विचार किया गया था। मध्यावधिक मूल्यांकन ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के रुग्ण उद्यमों के पुनरुज्जीवन के बारे में बैंक-ग्राह्यता के लिटमस परीक्षण की सिफारिश की है, जो केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के रुग्ण उपक्रमों के पुनर्वास के प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की पूर्वावश्यकता है। वित्तीय पैकेज तैयार करने का मानदंड यह अवश्य होना चाहिए कि सरकार इक्विटी आधार को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी ले, जबकि वित्तीय संस्थाएं सरकारी गारंटी लिए बिना ऋण दें। गैर-सरकारी क्षेत्रक को पारदर्शी तरीकों से शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उन मामलों में, जहां यह महसूस किया जाए कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उपक्रम को गैर-सरकारी क्षेत्रक में उपलब्ध तकनीकी, प्रबन्धकीय और वाणिज्यिक विशेषज्ञता से लाभ प्राप्त होगा।

9.1.12 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के 74 रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों को 30.6.2006 तक बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीयित कराया गया था और उनमें से 4 के बारे में यह घोषित किया गया था कि वे अब रुग्ण नहीं हैं और उनमें से तीन के मामलों को छोड़ दिया गया था, क्योंकि उनका निवल मूल्य सकारात्मक हो गया था। प्रशासनिक मंत्रालयों ने 2004-05 के लेखा-परीक्षित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के 89 उपक्रमों को बी.आर.पी.एस.ई. के पास निदिष्ट करना निर्धारित किया था। बी.आर.पी.एस.ई. ने 31.10.2006 तक केन्द्रीय सरकारी

क्षेत्रक के 36 उद्यमों के बारे में पुनरुज्जीवन की सिफारिशों की हैं, और सरकार ने इनमें से 21 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। इसमें कुल 5609.40 करोड़ रुपए की लागत शामिल है, जिसमें 924.54 करोड़ रुपए की नकद सहायता और 4684.86 करोड़ रुपए की गैर-नकद सहायता शामिल है।

## प्रमुख स्कीमों की प्रगति

### संवृद्धि केन्द्र स्कीम

9.1.13 देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए, संवृद्धि केन्द्र स्कीम जून, 1988 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत 31.8.2004 तक 71 संवृद्धि केन्द्र अनुमोदित किए गए थे। इस स्कीम के शुरू होने के समय से लेकर 31.12.2005 तक कुल 528.35 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई है। इसके अलावा, राज्य सरकारों ने 902.11 करोड़ रुपए का योगदान दिया। 20 संवृद्धि केन्द्रों के मामले में, केन्द्रीय सहायता की कुल राशि रिलीज कर दी गई थी। जहां तक भौतिक प्रगति का सम्बन्ध है, स्कीम ने अब तक केवल नाममात्र की प्रगति की है। 65 संवृद्धि केन्द्रों के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है/शुरू हुआ है, जहां 48 संवृद्धि केन्द्रों के लिए प्लॉट/ शेड आबंटित किए गए थे। इस अवधि में पूंजी निवेश और रोजगार-सृजन में भी नाममात्र वृद्धि हुई है; निवेश 9885 करोड़ रुपए से बढ़कर 10681 करोड़ रुपए हो गया है और रोजगार-सृजन के आंकड़े क्रमशः 33059 व्यक्ति और 39312 व्यक्ति हैं।

9.1.14 योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा इस स्कीम के बारे में किए गए मूल्यांकन में कहा गया है कि यह स्कीम औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों की स्थापना के जरिए क्षेत्रीय असन्तुलन को घटाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफल रही है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को स्कीम की विस्तृत समीक्षा करने का काम सौंपा गया है, ताकि आगे किए जाने वाले कार्य के बारे में फैसला किया जा सके। अन्तिम मत निर्धारित होने तक, कोई नया संवृद्धि केन्द्र स्थापित न करने का फैसला किया गया है। लेकिन, मौजूदा संवृद्धि केन्द्रों को,

जिनके पूरा होने का काम काफी आगे बढ़ चुका है, अनुमोदित सहायता दी जाएगी।

### परिवहन सब्सिडी स्कीम

9.1.15 परिवहन सब्सिडी स्कीम जुलाई, 1971 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य पहाड़ी, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में उद्योगीकरण को बढ़ावा देना है। यह स्कीम उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों (सिक्किम सहित), हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग जिले, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों और उत्तरांचल के पहाड़ी जिलों में स्थित, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रक दोनों के सभी औद्योगिक एककों पर (बगानों, रिफाइनरियों और विद्युत-उत्पादन एककों को छोड़ कर) लागू होती, चाहे उनका आकार कुछ भी हो। इस स्कीम के अन्तर्गत वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच वर्षों तक की अवधि में नामोद्दिष्ट रेल-सिरों/पत्तनों से उन स्थानों तक, जहां पर औद्योगिक एकक स्थित है, और औद्योगिक एककों की अवस्थिति के स्थानों से नामोद्दिष्ट रेल सिरों/ पत्तनों तक कच्ची सामग्री और तैयार माल को ले जाने पर आने वाली परिवहन-लागत के 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा सकती है। इस स्कीम की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है और इस समय यह 31.3.2007 तक विधिमान्य है। इस स्कीम के शुरू होने के समय से नवम्बर, 2005 तक लाभभोगी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों/नोडल अभिकरणों को 9057.59 करोड़ रुपए की सब्सिडी रिलीज की जा चुकी है। इस स्कीम के प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन से मिश्रित स्थिति की झलक मिलती है और पता चलता है कि इसकी प्रभावकारिता उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्यों तक सीमित है। इस स्कीम का गहरा मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इसे शीघ्रताशीघ्र समाप्त/ संशोधित किया जाना चाहिए।

### उत्तर-पूर्वी औद्योगिक नीति पैकेज

9.1.16 सात उत्तर-पूर्वी राज्यों में उद्योगीकरण को बढ़ावा देने की नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत विभिन्न रियायतें और राजकोषीय प्रोत्साहन एक पैकेज के भाग के रूप में दिए जाते हैं। इसमें संवृद्धि केन्द्रों के लिए 15 करोड़ रुपए

का बढ़ा हुआ इक्विटी अंशदान, एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्रों (आई.आई.डी.सी.) में भारत सरकार का बढ़ा हुआ निधिपोषण, 10 वर्षों के लिए उत्पाद-शुल्क और आय-कर में 100 प्रतिशत छूट, 15 प्रतिशत की पूंजी निवेश सब्सिडी, 3 प्रतिशत की ब्याज-सब्सिडी शामिल है। इस पैकेज का प्रचालन अलग-अलग सब्सिडी स्कीमों के जरिए किया जाता है।

9.1.17 टाटा इकनामिक कन्सलटेंसी सर्विसेज द्वारा इस कार्यक्रम का जो प्रभाव-मूल्यांकन किया गया था, उससे पता चलता है कि यह पैकेज 681 औद्योगिक यूनिटों में 1067.28 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने में सफल हुआ है। तदनु रूप रोजगार-सृजन 20709 व्यक्तियों का हुआ है। इस अध्ययन ने यह भी दर्शाया है कि निवेश की स्थिति टेढ़ी-मेढ़ी बनी रही है और उसका अधिकतर भाग असम और मेघालय की ओर आकर्षित हुआ है। इसमें यह भी बताया गया है कि कोई बड़ा निवेश नहीं हुआ है और उपलब्ध रियायतों में उत्पाद-शुल्क की प्रधानता बनी रही है। मूल्यांकन-अध्ययन के आधार पर, एन.ई.आर.पी. को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए उपयुक्त संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।

### विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज

9.1.18 सरकार ने 2002-03 में जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में उद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहनों के दो पैकेजों की घोषणा की थी। इन पैकेजों का उद्देश्य यह है कि औद्योगिक विकास के लिए एक पर्यावरण-अनुकूल तरीके से स्थानीय रोजगार के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाए। इन पैकेजों में लाभभोगी राज्यों के लिए अनुमोदित संवृद्धि केन्द्रों के लिए उत्पाद-शुल्क और आय-कर में छूट और बढ़े हुए अंशदान जैसे राजकोषीय प्रोत्साहनों के अलावा पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी की व्यवस्था शामिल है। उत्तरांचल और हिमाचल के लिए जो पैकेज थे, वे आदेश की तारीख, अर्थात् 7.1.2003 से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए वैध थे। इस पैकेज के तहत मिलने वाले लाभों की उपलब्धता को बाद में उन औद्योगिक यूनिटों तक सीमित कर दिया

गया था, जो 31.3.2007 को मौजूद थे। लेकिन, इस बीच पैकेज की वैधता को 1.4.2007 से तीन वर्षों तक की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। दसवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान इस पैकेज के अन्तर्गत नोडल अभिकरण को जम्मू और कश्मीर के लिए 128.00 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए थे, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के बारे में तदनु रूप आंकड़े क्रमशः 23.50 करोड़ रुपए और 23.91 करोड़ रुपए थे। एक आन्तरिक मूल्यांकन से इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इन पैकेजों को इन राज्यों में उद्योगीकरण के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करने और निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने में सफलता मिली है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन में पहले से ही यह बात कही गई है कि उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के पैकेजों को इस तथ्य को ध्यान में रखने के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित नहीं किया गया था कि ये दोनों राज्य भौगोलिक रूप से उतने असुविधाग्रस्त नहीं हैं, जितने कि उत्तर-पूर्वी राज्य। इस दृष्टि से, पैकेज की व्यापक रूप से समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

### चमड़ा क्षेत्रक का एकीकृत विकास

9.1.19 निर्यात विकास, रोजगार सृजन और संवृद्धि के मामले में अपनी काफी अधिक क्षमता के कारण, चमड़ा उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान है। लघु, कुटीर और दस्तकार क्षेत्रक के अलावा, जिसका घरेलू चमड़ा उत्पादन में लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा है, यह क्षेत्रक एक रोजगार-प्रदाता के रूप में, विशेषतः समाज के सुविधाहीन वर्गों के लोगों को रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रक के रूप में काम करता है। यह देश के दस सर्वोच्च निर्यात-अर्जकों में से एक है, जिसमें लगभग 2.5 मिलियन लोग काम पर लगे हुए हैं।

9.1.20 कच्ची खालों और चमड़े की पर्याप्त सप्लाई और गुणवत्ता वाली जनशक्ति की उपलब्धता के कारण, भारत को चमड़ा क्षेत्रक में तुलनात्मक रूप से काफी सुविधा प्राप्त है। लेकिन, हाल के वर्षों में इस क्षेत्रक में निवेश का स्तर आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रहा। इसके बावजूद, चमड़े की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है; वर्ष 2004-05 में

2381 मिलियन अमरीकी डालरों के मूल्य का निर्यात हुआ, जबकि इसकी तुलना में 2001-02 में 1936 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का निर्यात हुआ था।

9.1.21 विश्व में चमड़ा निर्यात में अपने हिस्से को बढ़ाने के उद्देश्य से चमड़े के मूल्य-वर्धित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति के अनुरूप, चमड़ा उद्योग के विकास को एक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के रूप में अपना लिया गया है। कच्ची सामग्री का एक मजबूत और संधारणीय अथवा टिकाऊ आधार बनाने और चमड़ा क्षेत्रक के विकास के लिए एक व्यापक कार्य-नीति विकसित करने से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार करने के लिए, योजना आयोग के सदस्य (उद्योग) की अध्यक्षता में एक अन्तर्मंत्रालयिक समिति गठित की गई है।

9.1.22 चमड़ा क्षेत्रक के लिए निर्धारित 400 करोड़ रुपए के दसवीं योजना के परिव्यय के अन्तर्गत, चमड़ा क्षेत्रक के बुनियादी ढांचे के विकास की एक स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम का ध्यान मुख्य रूप से गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण की ओर केन्द्रित है, ताकि चमड़े की वस्तुओं की अनुप्रवाह विनिर्माण सुविधाओं के लिए समर्थकारी वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके। इस स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ, चमड़ा काम्पलेक्स, जूता काम्पलेक्स, फुटवीयर कम्पोनेंट (जूता संघटक) पार्क की स्थापना, जीन-निर्माण विकास के लिए व्यवस्था के अलावा, ग्रामीण दस्तकारों को सहायता देना, चमड़ा-भिन्न क्षेत्रक का विकास करना भी शामिल है। चमड़ा क्षेत्रक की एक अन्य स्कीम 'चमड़ा क्षेत्रक का एकीकृत विकास' वर्ष 2005-06 में अधिसूचित की गई है, जिसका उद्देश्य चर्म-शोधनशालाओं के सभी खण्डों में प्रौद्योगिकी का उन्नयन और आधुनिकीकरण करना है।

### औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आई.आई.यू.एस.)

9.1.23 औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्कीम 'औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आई.आई.यू.एस.)' है, जो चुने हुए कार्यात्मक क्लस्टरों/

अवस्थितियों में, जिनमें विश्व में प्रतियोगिता करने की क्षमता है, सरकारी और गैर-सरकारी भागीदारी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अथवा उच्च कोटि की अवसंरचना का निर्माण करने के लिए सहायता देती है। इस स्कीम से यह अपेक्षित है कि यह बढ़ी हुई उत्पादकता, उत्पादन की कम लागत, उत्पाद की बढ़ी हुई गुणवत्ता से देश के उद्योग की प्रतियोगिता-क्षमता को बढ़ाएगी, निर्यात के जरिए विश्व मार्केट में उद्योग के हिस्से को बढ़ाएगी और अतिरिक्त रोजगार का सृजन करेगी। औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम की शीर्ष समिति ने 26 क्लस्टर परियोजनाओं को अनुमोदित किया है, जो अलग-अलग क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर उद्योग संघों द्वारा निर्मित विशेष प्रयोजन वाहनों (एस.पी.वी.) द्वारा कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

9.1.24 इस स्कीम के लिए दसवीं योजना में 675 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। इसकी तुलना में 2003-04 और 2004-05 के दौरान रिलीज की गई केन्द्रीय अनुदान की राशि क्रमशः 37.50 करोड़ रुपए और 198.60 करोड़ रुपए थी। वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए की गई 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था की तुलना में, दिसम्बर, 2005 तक 88.12 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय हुआ।

### प्रौद्योगिक उन्नयन निधि स्कीम (टी.यू.एफ.एस.)

9.1.25 यह स्कीम कपड़ा और जूट उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी-लागत को कम करने के वास्ते ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में सहायता देकर इन उद्योगों को पर्याप्त बल प्रदान करने के उद्देश्य से 1.4.1999 को पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी की गई थी, जिसे अब 31.3.2007 तक बढ़ा दिया गया है।

9.1.26 यह स्कीम कपड़ा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन प्रचालित की जा रही है और इसके लिए दसवीं योजना में 1270 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। 31.3.2006 तक इसका अनुमानित व्यय कुल मिलाकर 1185.70 करोड़ रुपए होगा। इस स्कीम की शुरुआत के समय से लेकर कुल मिला कर यह प्रगति हुई है कि 42583 करोड़ रुपए की लागत वाली और 18808 करोड़

रुपए के ऋणों वाली परियोजनाओं के 5305 आवेदन मंजूर किए गए हैं। 4572 आवेदनों के सम्बन्ध में 30.6.2006 तक 11989 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके थे।

9.1.27 वर्ष 2005-06 के दौरान, 16194 करोड़ रुपए की परियोजना-लागत वाले 1086 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 15032 करोड़ रुपए की परियोजना-लागत वाले 1078 आवेदन मंजूर किए गए थे और 993 आवेदनों के सम्बन्ध में 3962 करोड़ रुपए संवितरित किए गए थे। औद्योगिक उन्नयन निधि स्कीम के सम्बन्ध में (अप्रैल, 1999 से जुलाई, 2006 तक) लगभग 44686 करोड़ रुपए का कुल निवेश हुआ है।

### कपास सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन

9.1.28 कपास की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और रूई मार्केट यार्डों के उन्नयन के जरिए कपास के संदूषण को घटाने और जिनिंग तथा प्रेसिंग कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए कपास सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। संदूषण का स्तर, जो 6 प्रतिशत था, घटा कर 2.5 प्रतिशत पर लाया गया है और सरकार का उद्देश्य उसे घटा कर 1.5 प्रतिशत के स्तर पर लाना है। मिशन की प्रमुख उपलब्धि यह है कि 250 यार्डों के लक्ष्य

की तुलना में 211 मार्केट यार्डों का विकास किया गया है और 1000 जिनिंग और प्रेसिंग कारखानों के लक्ष्य की तुलना में 725 जिनिंग और प्रेसिंग कारखानों का आधुनिकीकरण किया गया है। अब तक 1380 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। उत्पादकता 302 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर (2002-03) से बढ़कर 408 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर (2005-06) हो गई है।

### एकीकृत परिधान पार्क स्कीम (एस.आई.टी.पी.)

9.1.29 सरकारी-गैर-सरकारी भागीदारी के माडल पर विश्व-स्तर के बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने के लिए, यह स्कीम जुलाई, 2005 में 40 करोड़ रुपए प्रति पार्क की अधिकतम सहायता के साथ शुरू की गई थी। वर्ष 2007-08 तक 25 पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। ए.पी.ई. और टी.सी.आई.डी.एस. नाम की पहले की दो स्कीमों को एस.आई.टी.पी. नाम की एक ही स्कीम में शामिल कर लिया गया है। सुधारों में ये बातें शामिल हैं: उपयुक्त लक्ष्य निर्धारित करना, उत्साहपूर्ण विपणन और कार्यान्वयन का ऐसा ढांचा, जिसमें उद्योग शामिल हो। 2428.23 करोड़ रुपए की कुल परियोजना-लागत वाले, जिसमें 866 करोड़ रुपए का भारत सरकार का हिस्सा भी शामिल है, 26 पार्कों को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं

तालिका: 9.1.4  
पूँजीगत वस्तुओं का आयात

(आयात मिलियन अमरीकी डालरों में, संवृद्धि प्रतिशत में)

	आयात			संवृद्धि	
	2003-04	2004-05	2005-06 (P)	2004-05	2005-06
पूँजीगत वस्तुएं	18279	25135	31677	37.5	26.0
1 धातु विनिर्मित	690	919	1201	33.2	30.7
2 मशीनी औजार	460	620	1069	34.8	72.2
3 विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को छोड़कर मशीनें	4744	6818	9894	43.7	45.1
4 विद्युत मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को छोड़कर	872	1195	1462	37.0	22.3
5 इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	7506	9993	13192	33.1	32.0
6 कम्प्यूटर वस्तुएं	383	666	895	73.9	34.3
7 परिवहन उपस्कर	3228	4327	3149	34.1	-27.2
8 परियोजना वस्तुएं	396	596	816	50.6	36.9

के 2007-08 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

## राष्ट्रीय आटोमोटिव और अनुसंधान और विकास अवसंरचना परियोजना (एन.ए.टी.आर.आई.पी.)

9.1.30 यह स्कीम भारत सरकार द्वारा आदेशित मौजूदा और उभरते हुए मानदंडों के अनुसार वाहनों और उनके संघटकों का परीक्षण करने के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना की स्थापना करने के उद्देश्य से अनुमोदित की गई थी, ताकि वाहनों की सुरक्षा में और उनके कार्य-निष्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की जाए और लोक-स्वास्थ्य पर पड़ने वाले उनके प्रभाव में सुधार किया जाए। इससे भारत में आटोमोटिव विनिर्माण को और गहरा बनाने को बढ़ावा मिलेगा। यह आशा की जाती है कि राष्ट्रीय आटोमोटिव नीति के अनुसरण में इन क्रान्तिक सुविधाओं से भारत को मोटरकारों और उनके संघटकों के विनिर्माण के एक विश्व-केन्द्र के रूप में उभरने में बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना में आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे में और वाहन अनुसन्धान और विकास संस्थापना (वी.आर.डी.ई.) में मौजूदा सुविधा केन्द्रों के ग्रेड को ऊंचा उठाना; और देश के उत्तरी और दक्षिणी भागों में दो नए परीक्षण केन्द्रों की स्थापना करना और उनके मुख्य संघटकों के रूप में परीक्षण मार्ग (टैस्ट ट्रैक) स्थापित करना शामिल है। एन.ए.टी.आर.आई.पी. में 1718 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा और इसे दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। इस सात-वर्षीय परियोजना का पहला चरण, जिसमें 430 करोड़ रुपए का निधिपोषण होगा, चालू योजना की अवधि के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

## क्षेत्रकीय प्रगति

### पूंजीगत वस्तु उद्योग

9.1.31 पूंजीगत वस्तु उद्योग में वर्ष 2005-06 के दौरान 15.7 प्रतिशत की संवृद्धि हुई। पूंजीगत वस्तु उद्योग की संवृद्धि में सबसे पहला स्थान मशीनों और उपस्करों का था। घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार की मांग के कारण निवेश के क्रियाकलाप का विस्तार हुआ, और पूंजीगत व्यय में और पूंजीगत वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप

अनेक उद्योगों में क्षमता-सृजन में बढ़ोतरी हुई। बुनियादी ढांचे के क्षेत्रक में अधिक व्यय होने से भी घरेलू पूंजीगत वस्तु उत्पादन को बढ़ावा मिला। वर्ष 2005-06 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं (इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं सहित) के आयात में 26 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि मशीनी औजारों के आयात में 72.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

चूंकि भारी उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अधिकतर उद्यम पूंजीगत वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं, जिसने पिछले 2-3 वर्षों के दौरान दो अंकों वाली संवृद्धि की है, इसलिए उनका कार्य-निष्पादन भी अच्छा रहा।

## भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत स्कीमें

9.1.32 भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत स्कीमों का परिव्यय 2006-07 में 1360.22 करोड़ रुपए का है (बजटीय सहायता - 450 करोड़ रुपए)। भारी उद्योग विभाग की एक प्रमुख पहल राष्ट्रीय आटोमोटिव और अनुसन्धान तथा विकास अवसंरचना परियोजना (एन.ए.टी.आर.आई.पी.) नामक एक स्कीम है। इसका उद्देश्य मौजूदा और उभरते हुए मानकों के आधार पर वाहनों और उनके हिस्सों का परीक्षण करने के लिए विश्व स्तर की अवसंरचना की स्थापना करना है। एन.ए.टी.आर.आई.पी. के लिए वर्ष 2006-07 का योजना परिव्यय 200 करोड़ रुपए है। भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के 48 उद्यम हैं, जो विनिर्माण, सलाह और संविदा सम्बन्धी कार्य करते हैं; इनमें से 9 उपक्रमों को बन्द/विघटित कर दिया गया है और 3 उपक्रमों के प्रचालनों को निलम्बित कर दिया गया है। कार्यान्वित की जा रही स्कीमों, महत्त्वपूर्ण सन्तुलनकारी निवेश कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने और क्षमता के उपयोग को बढ़ाने और उत्पादन में व्यवधान से बचने के लिए वर्धन, अन्तरण और प्रतिस्थापन की स्कीमों के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उपक्रमों में निवेश के लिए परिव्यय को 2005-06 (संशोधित अनुमान) के 517.57 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2006-07 में 958.19 करोड़ रुपए कर दिया गया है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का, जो एक नवरत्न कम्पनी है, 2006-07 में 440 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। हिन्दुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड की

क्षमता विस्तार परियोजना के लिए 2006-07 में 218.17 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है।

### लोहा और इस्पात क्षेत्रक

9.1.33 वर्ष 2005-06 के दौरान तैयार इस्पात की प्रकट घरेलू खपत 38.1 मिलियन टन की थी, जबकि इसकी तुलना में इससे पिछले वर्ष यह 34.4 मिलियन टन थी। मांग में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि बुनियादी ढांचा क्षेत्रक की मांग के कारण और आटोमोटिव पूंजीगत वस्तु, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु क्षेत्रक, आदि की बढ़ी हुई मांग के कारण हुई। वर्ष 2005-06 के दौरान, तैयार कार्बन इस्पात का 42.64 मिलियन टन (पी) का उत्पादन हुआ था। इस उत्पादन में एकीकृत इस्पात संयंत्रों और द्वितीयक इस्पात संयंत्रों का सापेक्ष हिस्सा क्रमशः 38 प्रतिशत और 62 प्रतिशत था। वर्ष 2005-06 में कच्चे लोहे का उत्पादन 3.86 मिलियन टन (पी) था। तैयार इस्पात के उत्पादन में 2005-06 में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि इसकी तुलना में 2004-05 में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 2005-06 में स्पंज आयरन का 11.82 मिलियन टन उत्पादन हुआ।

9.1.34 कच्चे लोहे और तैयार कार्बन इस्पात के उत्पादन का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन)

श्रेणी	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (पी)
कच्चा लोहा	5.28	3.76	3.23	3.86
तैयार कार्बन इस्पात	33.67	36.96	40.06	42.64

(स्रोत- संयुक्त संयंत्र समिति)

9.1.35 नवम्बर, 2005 में, सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति की घोषणा की। इस नीति का ध्यान न केवल लागत, गुणवत्ता और उत्पाद-मिश्र के रूप में, बल्कि कार्यकुशलता और उत्पादकता के वैश्विक बेंचमार्कों के रूप में भी विश्व प्रतियोगिता-क्षमता प्राप्त करने की ओर केन्द्रित है। इस नीति का उद्देश्य 2019-20 तक इस्पात का 100 मिलियन टन (एम.टी.) प्रति वर्ष का उत्पादन करना है।

9.1.36 कच्चे माल की उपलब्धता और भारतीय इस्पात मार्केट की उभरती हुई संभावनाएं विश्व की इस्पात कम्पनियों की रुचि को भारत की ओर आकर्षित कर रही हैं। काफी अधिक मात्रा में निवेश करने के जो प्रस्ताव काफी आगे के चरण में हैं, वे पोस्को और टाटा स्टील के प्रस्ताव हैं। उड़ीसा सरकार ने 12 बिलियन अमरीकी डालर के अनुमानित निवेश से 12 मिलियन टन प्रति वर्ष के उत्पादन वाले इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए जून, 2005 में पोस्को (पी.ओ.एस.सी.ओ.) के साथ एक सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। पोस्को ने परियोजना-स्थल निर्धारित कर लिया है।

9.1.37 टाटा स्टील ने मई, 2005 में अपने जमशेदपुर के कारखाने में इस्पात का उत्पादन करने की अपनी क्षमता को 4 मिलियन से बढ़ाकर 5 मिलियन टन प्रतिशत वर्ष कर दिया। टाटा स्टील ने अपने जमशेदपुर कारखाने की क्षमता को 2007/2008 तक 6.8 मिलियन टन तक बढ़ाने का कार्य पहले से शुरू कर दिया है। टाटा स्टील ने झारखंड राज्य में 12 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्र दो दौरों में स्थापित करने के बारे में एक सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। टाटा स्टील ने 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष की उत्पादन-क्षमता वाला एक इस्पात काम्प्लेक्स दो दौरों में स्थापित करने के बारे में छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के साथ भी एक सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

9.1.38 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को लम्बे उत्पादों के लिए अपनी उत्पादन-क्षमता को 3.0 मिलियन टन से बढ़ा कर 6.3 मिलियन टन करने की अपनी योजना के लिए, जिस पर 8,259 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा, अनुमोदन प्राप्त हो गया है। 2005-06 के वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2005 तक, अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर, कम्पनी को 863 करोड़ रुपए का निवल लाभ (कर-पूर्व) हुआ था। अप्रैल से दिसम्बर, 2005 तक की अवधि में 5563 करोड़ रुपए की बिक्री हुई, अर्थात् पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2005-06 के 815 करोड़ रुपए के योजना-परिव्यय की तुलना में, वर्ष 2006-07 का परिव्यय अधिक अर्थात्

1452 करोड़ रुपए था।

9.1.39 इस्को (आई.आई.एस.सी.ओ.) के विलय से, सेल (भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड) के पास अब पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र हैं, जिनकी संयुक्त उत्पादन-क्षमता 10.6 मिलियन टन बिक्री-योग्य इस्पात की है। 2005-06 में बिक्रीयोग्य इस्पात का 12.1 मिलियन टन उत्पादन उससे पिछले वर्ष के उत्पादन से 6.6 प्रतिशत अधिक था। सेल ने 2005-06 के दौरान बिक्री का 32,280 करोड़ रुपए का कारोबार किया। वर्ष 2005-06 में सेल का कर-पूर्व मुनाफा 5706 करोड़ रुपए था, जबकि इससे पिछले राजकोषीय वर्ष में यह 9365 करोड़ रुपए का था। वर्ष 2005-06 में सेल का कर-पश्चात मुनाफा 4013 करोड़ रुपए था, जबकि इससे पिछले वर्ष 6817 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। 2005-06 के 815 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में 2006-07 में उससे अधिक अर्थात् 1275 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया।

### रसायन, कीटनाशी और सम्बद्ध उद्योग

9.1.40 रसायन उद्योग सबसे अधिक विविधीकृत औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है, जिसमें समाक्षारीय रसायनों और उसके उत्पादों, पेट्रो-रसायनों, उर्वरकों, रंगलेपों (पेंट्स), गैसों और औषध-भेषजों की श्रेणियों के 70,000 से अधिक उत्पाद शामिल हैं। सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्रक का योगदान लगभग 3 प्रतिशत, विनिर्माण क्षेत्रक के उत्पादन में

इसका हिस्सा लगभग 17.6 प्रतिशत, देश के कुल निर्यात में 13-14 प्रतिशत और आयात में 8-9 प्रतिशत है।

9.1.41 दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान आई.आई.पी. में समाक्षारीय रसायनों और उनके उत्पादों की वार्षिक चक्रवृद्धि संवृद्धि दर विनिर्माण क्षेत्र की 7.4 प्रतिशत की दर और सामान्य आई.आई.पी. की 6.9 प्रतिशत की दर की तुलना में ऊंची, अर्थात् 8.8 प्रतिशत थी। इस संवृद्धि दर ने वर्ष 2005-06 (9 महीने) की 9.7 प्रतिशत की स्वस्थ प्रवृत्ति का अनुसरण किया है। जहां तक विदेशी व्यापार का सम्बन्ध है, यह क्षेत्रक 2000-01 से 2600-7650 करोड़ रुपए की श्रृंखला में सकारात्मक व्यापार-शेष प्रदर्शित करता रहा है। सभी रसायनों के निर्यात में वार्षिक वृद्धि की दर 21.3 प्रतिशत रही है, जबकि इसकी तुलना में 1999-2005 की अवधि में देश के कुल निर्यात में वृद्धि की दर 17.8 प्रतिशत थी। दूसरी ओर, उपर्युक्त अवधि में सभी रसायनों के आयात में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसकी तुलना में देश के कुल आयात में 17.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

9.1.42 समाक्षारीय रसायनों और उत्पादों में आर्गेनिक और इन-आर्गेनिक रसायन, रंग पदार्थ और रंग-मध्यवर्ती, कीटनाशी और कृमिनाशी, आदि शामिल हैं। रसायन उद्योग देश का एक सबसे पुराना उद्योग है, जिसमें छोटे और बड़े दोनों पैमानों के यूनिट शामिल हैं। इस समय यह उद्योग पुनर्गठन और एकीकरण के एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा

तालिका 9.1.5

( '000 एम.टी.)

क्षेत्रक	उत्पादन				वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)	
	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2004-05/ 2001-02	2004-05/ 2003-04
अल्कली रसायन	4342	4792	5070	5272	6.68	3.98
इन-आर्गेनिक रसायन	374	404	441	508	10.75	15.19
आर्गेनिक रसायन	1140	1318	1445	1473	8.92	1.94
कीटनाशी (टेक्नि.)	82	72	84	94	4.66	11.90
रंग और रंग-पदार्थ	25	26	26	28	3.85	7.69
कुल रसायन	5963	6612	7066	7375	7.34	4.37

है, जिसमें धीरे-धीरे उत्पादों में नवीनता लाने, ब्रांडों का निर्माण करने और पर्यावरण-अनुकूलता लाने की ओर बढ़ा जा रहा है और इसके साथ-साथ ग्राहक-उन्मुख बनने की ओर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। बुनियादी कच्ची सामग्री से पर्याप्त रूप से सम्पन्न होने और निपुणताप्राप्त जनशक्ति की उपलब्धता के कारण, भारत को अपने प्रतियोगियों की अपेक्षा बेहतर स्थिति प्राप्त है। प्रमुख रसायनों, जिनमें कीटनाशी भी शामिल हैं, के उत्पादन की जानकारी नीचे की तालिका:9.1.5 में दी गई है:

### पेट्रो-रसायन

9.1.43 पेट्रो-रसायन उत्पाद, जिनमें संश्लिष्ट रेशे, पालीमर, इलेस्टोमर, संश्लिष्ट प्रक्षालक (डिटर्जेंट) और परफॉर्मिस प्लास्टिक्स शामिल हैं, दैनिक इस्तेमाल की मर्चों और अन्य औद्योगिक उत्पादों के समूचे क्षेत्र में छाए हुए हैं। देश में पांच नेफ्था-आधारित और तीन गैस-आधारित क्रैकर काम्प्लेक्स हैं, जिनकी कुल एथेलीन क्षमता 2.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। इसके अलावा, चार सुरभित (ऐरोमेटिक) काम्प्लेक्स भी हैं, जिनकी ज़ाइलीन क्षमता 2.1 मिलियन टन प्रति वर्ष है।

9.1.44 नौवीं योजना की वृद्धि-दर की तुलना में, दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख पेट्रो-रसायन के उत्पादन में वृद्धि की दर अपेक्षाकृत कम, अर्थात् 5.63 प्रतिशत रही है। उत्पादन में वृद्धि की दर के कम होने का कारण इस बात को ठहराया जा सकता है कि हाल के वर्षों

में क्षमता में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन, क्षमता-उपयोग में स्वस्थ प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, जो लगभग 95-100 प्रतिशत रही है। वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक के वर्षों के दौरान प्रमुख पेट्रो-रसायनों के उत्पादन की प्रवृत्ति नीचे की तालिका में दर्शाई गई है:

वर्ष 2004-05 में प्रमुख पेट्रो-रसायनों के कुल उत्पादन में पालीमरों के उत्पादन का हिस्सा 65 प्रतिशत था, जिसके बाद का स्थान संश्लिष्ट रेशों का है, जिनका हिस्सा 25.5 प्रतिशत था। ये दोनों खण्ड क्षमता-उपयोग के क्रमशः लगभग 104 प्रतिशत और 80 प्रतिशत के उच्च स्तर प्रदर्शित कर रहे हैं, हालांकि प्रति व्यक्ति खपत विश्व की औसत खपत से बहुत कम है, अर्थात् पालीमर के मामले में 24 किलोग्राम की तुलना में 4.2 किलोग्राम और संश्लिष्ट रेशों के मामले में 4 किलोग्राम की तुलना में 1.8 किलोग्राम है। जब खपत बढ़ेगी, तो इन खंडों में वृद्धि की बहुत अधिक संभावना है।

### औषध और भेषज

9.1.45 भारत के औषध-निर्माण उद्योग ने बुनियादी ढांचा विकास, प्रौद्योगिकी आधार और उत्पादों की व्यापक श्रृंखला के रूप में बहुत अधिक प्रगति की है। अब इसका मूल्य लगभग 12 बिलियन अमरीकी डालर है और इसका निर्यात 3.8 बिलियन से अधिक अमरीकी डालर मूल्य का है। इस उद्योग ने सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों की बल्क औषध-श्रृंखलाओं के उत्पादन की क्षमता प्राप्त कर ली है। अधिकतर

तालिका 9.1.6

( '000 एम.टी.)

क्षेत्रक	उत्पादन				वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)	
	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2004-05/ 2001-02	2004-05/ 2003-04
संश्लिष्ट रेशे	1667	1755	1868	1875	4.00	0.37
पालीमर	3974	4175	4499	4775	6.31	6.13
इलेस्टोमर	79	81	87	97	7.08	11.49
संश्लिष्ट प्रक्षालक मध्यवर्ती	425	447	453	488	4.32	7.73
परफॉर्मिस प्लास्टिक	90	95	99	113	7.88	14.14
<b>कुल पेट्रो-रसायन</b>	<b>6235</b>	<b>6553</b>	<b>7006</b>	<b>7348</b>	<b>5.63</b>	<b>4.88</b>

भारतीय कम्पनियां विशुद्धता, स्थायित्व और 'शी' (सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण) के अन्तर्राष्ट्रीय मानक कायम रखती हैं और उसने डोसेज़ (खूराक) के विभिन्न रूपों के उत्पादन की विनिर्माण प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं विकसित की हैं।

9.1.46 देश फार्मूलेशनों के सम्बन्ध में लगभग आत्म-निर्भर बन चुका है। अधिकतर औषधों और भेषजीय उत्पादों के मामले में औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। विनिर्माताओं को ऐसी किसी भी औषधि का उत्पादन करने की छूट है, जो औषधि नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित हो।

9.1.47 कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों और प्रोसेस इंजीनियरी के विकास की क्षमता से प्राप्त आर्गेनिक संश्लेषण की अन्तर्निहित शक्ति से, भारतीय औषध-निर्माण उद्योग न केवल नई पेटेंट व्यवस्था की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए, बल्कि वैश्वीकरण के जरिए नई मार्केटों तक पहुंच के बढ़ते हुए अवसरों से लाभ उठाने के लिए भी पर्याप्त रूप से तैयार है। भारत ने, जेनेटिक फार्मा के क्षेत्र का एक उच्च स्तर का खिलाड़ी होने के कारण, अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बना लिया है।

9.1.48 2001-02 से 2004-05 तक की अवधि में औषधों और भेषजों (जिनमें परिष्कृत (फाइन) रसायन भी शामिल हैं) के निर्यात में निरन्तर वृद्धि हुई है। औषधों और भेषज उत्पादों का आयात पिछले पांच वर्षों में 550-680 मिलियन अमरीकी डालरों के आस-पास मंडराता रहा है, जिससे इस क्षेत्रक में उल्लेखनीय व्यापार-अधिशेष बना है।

9.1.49 डब्ल्यू.टी.ओ. और ट्रिप्स (टी.आर.आई.पी.एस.) के उपबन्धों के अनुरूप उत्पाद-पेटेंट युग का सूत्रपात करने के लिए पेटेंट अधिनियम, 1970 को संशोधित किया गया है। इसने घरेलू अनुसन्धान और विकास की ओर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया है और सरकार औषध क्षेत्रक में अनुसन्धान और विकास के क्रियाकलापों को मजबूत बनाने के लिए बहुत-सी नीतिगत पहलें करती

रही है। भारतीय औषध कम्पनियां, इस क्षेत्र में बाद में प्रवेश करने वाली कम्पनियां होने के बावजूद, अनुसन्धान और विकास की अन्तर्राष्ट्रीय लागत से कम लागत पर औषधियां विकसित करने की स्थिति में हैं, क्योंकि यहां पर जनशक्ति की लागत कम है, जी.एल.पी. का अनुपालन करने वाला बुनियादी ढांचा उपलब्ध है और गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक उपलब्ध हैं। अनुसन्धान और विकास के प्रयत्नों को जोरदार बनाने के लिए प्रोत्साहन देने और उत्साहित करने की विभिन्न स्कीमों के अलावा, अनुसन्धान और विकास के लिए औद्योगिक एककों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 'औषध-निर्माण अनुसन्धान और विकास निधि (पी.आर.डी.एस.एफ.)' नामक एक अलग स्कीम बनाई गई है।

### उर्वरक क्षेत्रक

9.1.50 घरेलू उर्वरक उद्योग 3 प्रमुख पोषकों एन.पी.के. वाले नाइट्रोजन और फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन करता है। उर्वरक उद्योगों की स्थापित क्षमता नाइट्रोजन के रूप में 12.06 एम.एम.टी. और पी<sub>2</sub>ओ<sub>5</sub> के रूप में 5.66 एम.एम.टी. है। उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्रक के 5 उपक्रम और सहकारी क्षेत्रक का एक यूनिट एरिया के घरेलू उत्पादन में लगभग 45 प्रतिशत योगदान करते हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान उद्योग की क्षमता का उपयोग नाइट्रोजन के मामले में 97.2 प्रतिशत और फास्फेट के लिए 88.4 प्रतिशत होने की रिपोर्ट दी गई है, जबकि पिछले वर्ष 2004-05 में नाइट्रोजन के लिए 94.5 प्रतिशत और फास्फेट के लिए 73.1 प्रतिशत क्षमता-उपयोग हुआ था। वर्ष 2005-06 में यूरिया की खपत में, कुछ वर्षों तक गतिरुद्ध रहने के बाद, पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 एम.एम.टी. की वृद्धि हुई है। इसके कारण इतनी ही मात्रा का आयात किया गया, जिसमें से 65 प्रतिशत आयात इंडो-ओमन संयुक्त उद्यम कम्पनी, अर्थात् ओमिफको (ओ.एम.आई.एफ.सी.ओ.) से किया गया।

9.1.51 ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कारपोरेशन के नामरूप II यूनिट (नामरूप सुधार परियोजना) को 22.11.2005 को शुरू किया गया; इस परियोजना के पूरा होने में 4.5 वर्ष का

अधिक समय लगा और उसकी लागत 212.00 करोड़ रुपए अधिक हो गई। नामरूप I और III यूनिटों ने 25.3.2002 से फिर से काम करना शुरू कर दिया था। ओमिफको ने 16.5 एम.एम.टी. की उत्पादन क्षमता के साथ, 2005-06 में उत्पादन शुरू किया।

9.1.52 प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और उसकी कीमत वे मुख्य बाधाएं हैं, जो देश में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक उद्योग की संवृद्धि को सीमित करती हैं। एल.एन.जी. के आयात और आर-एल.एन.जी. के रूप में उसके उपयोग से एच.बी.जे. पाइपलाइन के साथ गैस की उपलब्धता की सम्भावना प्रतीत होने लगी। इसी प्रकार, देश में उर्वरक ग्रेड के एक फास्फेट की सीमित उपलब्धता के परिणामस्वरूप, फास्फोरिक एसिड, डी.ए.पी. और काम्प्लेक्सों के विभिन्न अन्य ग्रेडों के उत्पादन के लिए भारी मात्रा में आयात किया गया। इस स्थिति में, फीडस्टॉक/कच्ची सामग्री की बहुलता वाले देशों में उर्वरक यूनिटों की स्थापना करना अथवा संयुक्त उद्यम बनाना उर्वरक उद्योग के लिए सबसे अधिक तरजीही विकल्प होगा।

9.1.53 वर्ष 2005-06 के दौरान उर्वरक विभाग का योजना व्यय 1017 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में 1140 करोड़ रुपए होने की सम्भावना है। व्यय में अधिकतर वृद्धि नामरूप सुधार परियोजना में विलम्ब होने और कृभको श्याम उर्वरक लिमिटेड की इक्विटी में कृभको की भागीदारी के कारण हुई है। वर्ष 2006-07 की वार्षिक योजना के लिए, सरकारी क्षेत्रों के उद्यमों के लिए 985 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है, जिसमें से 12.95 करोड़ रुपए वर्षापोषित कृषि के लिए अनुदान देने के लिए हैं। 40.86 करोड़ रुपए की आवश्यकता चालू की गई नामरूप सुधार परियोजना के लिए और 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता कृभको विस्तार परियोजना के लिए होगी। मद्रास उर्वरक लिमिटेड और फर्टिलाइज़र्स ऐण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के लिए अपनी प्रचालन क्षमता में सुधार करने के लिए नवीकरण और प्रतिस्थापन और सुधार कार्य के लिए क्रमशः 9 करोड़ रुपए और 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

## उपभोक्ता कार्य

9.1.54 उपभोक्ता सुरक्षा और कल्याण को, जिसका जीवन की गुणवत्ता से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, अब किसी देश और उसके सभ्य समाज की प्रगति के सच्चे सूचक स्वीकार किया जाता है। वैश्वीकरण और उदारीकरण से उत्पादों और सेवाओं के क्षेत्रों में बहुत से नए खिलाड़ियों का प्रवेश हो गया है और उसने उपभोक्ता कल्याण के महत्त्व को और भी बढ़ा दिया है। परिणामतः, उपभोक्ता जागरूकता उत्पन्न करने, शिकायतों को दूर करने के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और प्रवर्तन तंत्र को जोरदार बनाने के लिए उपभोक्ता जागरूकता, शिकायत निवारण और प्रवर्तन के रास्ते एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है। इस कार्य योजना का प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, उपभोक्ता कार्य विभाग के वर्ष 2005-06 के परिव्यय को बढ़ा कर 107.94 करोड़ रुपए कर दिया गया था, जिसे 2006-07 में और बढ़ा कर 163 करोड़ रुपए का बना दिया गया है।

9.1.55 उपभोक्ता कार्य विभाग राष्ट्रीय कार्य योजना के भाग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक शासन, उपभोक्ता मंचों के कम्प्यूटरीकरण, उपभोक्ता जागरूकता के बढ़ाने, माप और तोल की अवसंरचना के सुदृढीकरण और सोने को परखने और स्वर्ण हालमार्किंग के क्षेत्रों में प्रमुख स्कीमों/ क्रियाकलापों को कार्यान्वित कर रहा है। एक व्यापक राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति तैयार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जो सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय कार्य-पद्धतियों से तुलनीय कार्यकुशल तंत्र की स्थापना सुनिश्चित करेगी।

9.1.56 इलेक्ट्रॉनिक शासन और कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्रों में दोहरा मार्ग अपनाया गया है, जिसमें विभाग के अन्दर क्रियाकलापों का आटोमेशन/ कम्प्यूटरीकरण और उपभोक्ता मंच के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग की स्कीम शामिल है, ताकि मामलों को तेजी से निपटाए जाने की व्यापक सुविधा उपलब्ध हो और पारदर्शी तरीके से समयबद्ध रूप से न्याय प्रदान किया जाए। उपभोक्ता जागरूकता उत्पन्न करने और उपभोक्ता आन्दोलन को सशक्त, उत्साहपूर्ण, स्वतःसक्रिय और संवेदनशील बनाने के लिए जोरदार प्रचार अभियान की एक स्कीम पहले से कार्यान्वित की जा रही है, जिसके लिए 140.50 करोड़ रुपए के परिव्यय का, जो केवल उपभोक्ता

सुरक्षा के लिए प्रस्तावित है, काफी बड़ा भाग रखा गया है। यह बताया जाता है कि 'जागो ग्राहक जागो' कार्यक्रम का, जो प्रचार अभियान स्कीम के अन्तर्गत शुरू किया गया था, अच्छा प्रभाव पड़ा है, जिसका पता इस बात से चलता है कि विभिन्न प्राधिकरणों के पास, जिनमें उपभोक्ता मंच भी शामिल हैं, आने वाले मामलों की संख्या बढ़ रही है। अन्य प्रमुख क्रियाकलापों में ये कार्य शामिल हैं: सन्दर्भ मानक प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण और भारतोलन पुलों के सही होने का मानीटरन करने के लिए राज्यों को मोबाइल किट मुहैया करना, स्वर्ण हालमार्किंग/परख केन्द्रों की स्थापना, आदि।

## कपड़ा

9.1.57 भारतीय कपड़ा उद्योग का आधार बहुत बड़ा और विविधतापूर्ण है और भारत के औद्योगिक उत्पादन में इसका हिस्सा लगभग 14 प्रतिशत, सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत और भारत की निर्यात-आय में लगभग 17 प्रतिशत है। कृषि के बाद, यह क्षेत्रक देश में रोजगार का मुख्य स्रोत है, जिसमें लगभग 35 मिलियन लोग प्रत्यक्ष रूप से काम में लगे हुए हैं (कुल 93 मिलियन लोग)। कपड़ा उद्योग का विनिर्माण में 7 प्रतिशत और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क संग्रह में 8 प्रतिशत हिस्सा है।

9.1.58 दसवीं योजना की अवधि (2002-07) कपड़ा क्षेत्रक के लिए बड़ी निर्णायक रही है, क्योंकि दो प्रमुख नीतिगत पहलें भी इसी अवधि में शुरू की गई हैं, अर्थात् (i) राष्ट्रीय कपड़ा नीति (एन.टी.पी.-2000) और (ii) 2004 के अन्त तक विश्व व्यापार में कोटा प्रणाली को समाप्त किया जाना और उद्योग को एम.एफ.ए. के बाद के अत्यन्त प्रतियोगी वातावरण का सामना करने के लिए तैयार करने की आवश्यकता।

9.1.59 औद्योगिक उत्पादन के अखिल भारतीय सूचकांक और वास्तविक उत्पादन के अनुमान, दोनों पर आधारित प्रवृत्तियों से धागे (यार्न) और कपड़ा दोनों के उत्पादन में सकारात्मक प्रवृत्ति का संकेत मिलता है। हालांकि वर्ष 2004-05 की तुलना में वर्ष 2005-06 में कपड़ा उत्पादन के सूचकांक में 8 प्रतिशत वृद्धि हुई, लेकिन कते हुए कुल धागे

का वास्तविक उत्पादन 5.1 प्रतिशत बढ़ा और कपड़े का वास्तविक उत्पादन 8.2 प्रतिशत बढ़ा।

9.1.60 अप्रैल-दिसम्बर 2005-06 की अवधि में कपड़ा क्षेत्रक के लिए 19226 करोड़ रुपए के निवेश के लिए कुल 645 औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन (आई.ई.एम.) दायर किए गए थे, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 5945 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 365 आई.ई.एम. दायर किए गए थे। दायर किए गए ऐसे कुल ज्ञापनों की तुलना में कपड़ा क्षेत्रक में दायर किए गए आई.ई.एम. 13.89 प्रतिशत थे और निवेश का आकार 6.8 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में यह हिस्सा क्रमशः 9.15 प्रतिशत और 2.72 प्रतिशत था।

9.1.61 अप्रैल-दिसम्बर, 2005 की अवधि में कपड़ा क्षेत्रक के लिए 813 करोड़ रुपए के मूल्य के 34 आशय-पत्र/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदन दायर किए गए थे, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 25 आवेदन (325 करोड़ रुपए के) दिए गए थे। अप्रैल-दिसम्बर 2005 के दौरान जारी किए गए कुल आशय-पत्रों/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों के अनुपात में कपड़ा क्षेत्रक के आशय-पत्र/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस 32.38 प्रतिशत और निवेश का आकार 43.08 प्रतिशत (मूल्य - 813 करोड़ रुपए) था, जबकि इसकी तुलना में 2004-05 की तदनु रूप अवधि में यह हिस्सा क्रमशः 35.21 प्रतिशत और 10.14 प्रतिशत (मूल्य - 325 करोड़ रुपए) था।

9.1.62 वर्ष 2005-06 के दौरान कपड़े और वस्त्रों का निर्यात 17 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का था, जबकि चीन का निर्यात 120 बिलियन अमरीकी डालरों का था। डी.जी.सी.आई. ऐण्ड एस. के आंकड़ों के अनुसार कपड़े के कुल निर्यात में सिले-सिलाए वस्त्रों और सूती कपड़े का हिस्सा 72 प्रतिशत (क्रमशः 45 प्रतिशत और 27 प्रतिशत) था। कपड़े के निर्यात में 2005-06 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई। अप्रैल-अगस्त, 2006 के दौरान कपड़े का निर्यात वर्ष 2005 की उसी अवधि की तुलना में 14.1 प्रतिशत अधिक था।

9.1.63 के.एस.ए. टेक्नोपाक द्वारा हाल में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत को, सितम्बर, 2005 में चीन पर कपड़े सम्बन्धी सुरक्षोपाय लागू किए जाने के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय यूनियन (ई.यू.) में अधिकतर उत्पाद-श्रेणियों में लाभ हुआ है। चीन पर सुरक्षोपाय लागू किए जाने के बाद बहुत सी श्रेणियों के मामले में भारत के निर्यात में 100 प्रतिशत वृद्धि हुई, जिससे संकेत मिलता है कि चीन के बाद भारत तरजीही गन्तव्य स्रोत है (विश्व व्यापार संगठन से चीन के प्रवेश प्रोटोकॉल के अनुसार, कपड़ा सम्बन्धी सुरक्षोपाय चीन पर वर्ष 2008 तक लागू किए जा सकते हैं)।

9.1.64 वर्ष 2005-06 में कपड़े का आयात बढ़कर 2.7 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का हो गया, जबकि इससे पिछले वर्ष 2.3 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का आयात हुआ था, जिससे 19.1 प्रतिशत की वृद्धि होने का पता चलता है। इस समय देश के कुल आयात में कपड़े के आयात का हिस्सा 1.90 प्रतिशत है। एक अन्य विशेषता यह है कि कच्चे माल/ अर्ध-तैयार वस्तुओं का आयात उल्लेखनीय है और तैयार उत्पादों के आयात का स्तर बहुत नीचा है।

9.1.65 कपड़ा क्षेत्रक की तीन प्रमुख स्कीमें ये हैं: प्रौद्योगिक उन्नयन निधि स्कीम (टी.यू.एफ.एस.), कपास सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.) और एकीकृत कपड़ा पार्क स्कीम (एस.आई.टी.पी.)। इसके अलावा, कपड़ा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन बुनियादी ढांचे से सम्बन्धित स्कीमें चल रही हैं:

### निर्यात के लिए परिधान पार्क (ए.पी.ई.)

9.1.66 संभाव्य संवृद्धि केन्द्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के परिधान विनिर्माण यूनिटों की स्थापना पर केन्द्रित बल देने के लिए बुनियादी ढांचे की सुविधाओं की स्थापना करने और इस क्षेत्रक में निर्यात को बढ़ावा देने के वास्ते परिधान पार्क स्कीम शुरू की गई थी। 433 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। वर्ष 2005-06 के 50 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 39.13 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे। पहले परिधान पार्क का उद्घाटन 9 जनवरी, 2005 को न्यू

तिरुपुर में किया गया था। परिधान पार्क अन्तर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए एक ठहराव वाली दूकान (वन स्टाप शाप) के रूप में काम करता है। अन्य पार्क कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

### कपड़ा केन्द्र अवसंरचना विकास स्कीम (टी.सी. आई.डी.एस.)

9.1.67 कपड़ा केन्द्र अवसंरचना विकास स्कीम सम्भाव्य कपड़ा संवृद्धि केन्द्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करने के अभियान का भाग है। इसका उद्देश्य निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, ताकि 2010 तक 50 अरब अमरीकी डालर के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, जैसीकि राष्ट्रीय कपड़ा नीति, 2000 में परिकल्पना की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत 500 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। वर्ष 2005-06 के 50 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 39.07 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

9.1.68 वर्ष 2005-06 के दौरान, बजट अनुमानों के 1150 करोड़ रुपए के आबंटन (आई ऐण्ड एम और वी.एस.ई. क्षेत्रकों के लिए) को संशोधित अनुमानों के स्तर पर बढ़ा कर 1185.21 करोड़ रुपए कर दिया गया। 2006-07 के लिए 1349.50 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय रखा गया है (450 करोड़ रुपए वी.एस.ई. क्षेत्रक के लिए और 899.50 करोड़ रुपए आई. ऐण्ड एम. क्षेत्रक के लिए)। प्रमुख परिव्ययों में टी.यू.एफ.एस. के लिए 550 करोड़ रुपए शामिल हैं। एस.आई.टी.पी. स्कीम के अन्तर्गत 25 एकीकृत कपड़ा पार्क स्थापित करने के लिए, जिन्हें 2007-08 तक विकसित किया जाना है, 209 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। 100 करोड़ रुपए कपास सम्बन्ध प्रौद्योगिकी मिशन के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसका लक्ष्य 2007-08 के अन्त तक 139 अतिरिक्त मार्केट यार्डों का विकास पूरा करना और 500 अतिरिक्त जिनिंग और प्रेसिंग कारखानों का आधुनिकीकरण करना है।

### वार्षिक योजना 2006-07 और प्रमुख स्कीमें

9.1.69 वर्ष 2006-07 में उद्योग क्षेत्रक की स्कीमों के लिए 7763.31 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की

गई है, जिसमें 2768.79 करोड़ रुपए का बजटीय सहायता संघटक भी शामिल है (संलग्नक-9.1 और 9.1.1-9.1.9)। प्रमुख स्कीमों और उनके परिव्यय की जानकारी नीचे दी गई है।

### एन.ए.टी.आर.आई.पी.

9.1.70 मोटरकारों (आटोमोबाइल) के लिए परीक्षण की सुविधाओं के लिए कार्यान्वित की जा रही स्कीम के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष के प्रमुख क्रियाकलापों में विस्तृत परियोजना कार्यान्वयन रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना, ए.आर.ए.आई. में अति-आधुनिक निस्सारण प्रयोगशाला, परियोजना-स्थलों का भू-तकनीकी सर्वेक्षण और विभिन्न स्थलों पर भूमि-अभिग्रहण शामिल है।

### केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों का पुनर्गठन

9.1.71 भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उपक्रमों के पुनरुज्जीवन/पुनर्गठन के प्रस्तावों के लिए 88 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

### औद्योगिक क्लस्टर स्कीम के ग्रेड का उन्नयन

9.1.72 दसवीं योजना के 675 करोड़ रुपए के परिव्यय से 2003-04 में शुरू की गई इस स्कीम का उद्देश्य पी.पी.पी. मोड के जरिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करके घरेलू औद्योगिक क्लस्टरों की निर्यात की प्रतियोगिता-क्षमता को बढ़ाना है। प्रत्येक परियोजना के लिए परियोजना-लागत के 75 प्रतिशत तक की केन्द्रीय सहायता, जिसकी उच्चतम सीमा 50 करोड़ रुपए की है, दी जाती है। कुल 1766.18 करोड़ रुपए की लागत वाले 26 क्लस्टरों को अनुमोदित किया गया है। भारत सरकार द्वारा 952.10 करोड़ रुपए की वचनबद्ध राशि में से 437.38 करोड़ रुपए रिलीज़ किए जा चुके हैं। अनुमोदित क्लस्टरों की कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए 2006-07 के लिए 260.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

### भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम

9.1.73 इस स्कीम के अन्तर्गत चर्मशोधनशालाओं के आधुनिकीकरण, चमड़ा कामप्लेक्सों के विकास, सुविधाकारी संघटक उद्योग, डिजाइन स्टुडियो की स्थापना, जातीय

(एथनिक) जूतों के लिए विपणन सहायता, इनटेक मार्ट, आदि के लिए धनराशियों की व्यवस्था की जाती है। इस स्कीम के दो संघटक हैं, अर्थात् चमड़ा क्षेत्रक का एकीकृत विकास और चमड़ा क्षेत्रक के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण। योजनाबद्ध क्रियाकलापों के लिए 2006-07 के लिए 75.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

### उपभोक्ता सुरक्षा उपाय

9.1.74 विभिन्न क्रियाकलापों में, उपभोक्ता जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जोरदार प्रचार अभियान को प्राथमिकता दी गई है और 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उपभोक्ता कार्य विभाग की जिन अन्य महत्वपूर्ण स्कीमों के लिए व्यवस्था की गई है, वे ये हैं: उपभोक्ता सुरक्षा सम्बन्धी एकीकृत परियोजना (46.00 करोड़ रुपए), उपभोक्ता मंचों का कम्प्यूटरीकरण और कम्प्यूटर नेटवर्किंग (20.00 करोड़ रुपए), माप-तोल का सुदृढीकरण (10.00 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय परीक्षण गृहों का सुदृढीकरण (6.5 करोड़ रुपए) और स्वर्ण हालमार्किंग (1.00 करोड़ रुपए), आदि।

### एकीकृत कपड़ा पार्क स्कीम

9.1.75 देश में 25 कपड़ा पार्क स्थापित करने के लिए रिलीज़ किए जाने वाले केन्द्रीय हिस्से के रूप में 209 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। यह स्कीम उद्योग को कपड़ा यूनिट स्थापित करने के लिए विश्व स्तर की अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया करेगी।

### कपास प्रौद्योगिकी मिशन

9.1.76 विपणन के बुनियादी ढांचे में सुधार करने और जिनिंग और प्रेसिंग कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

### प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम

9.1.77 कपड़ा और पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम के अन्तर्गत 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

नोडल के रूप में उद्योग

क्रम सं.	स्कीम/ परियोजना	वार्षिक योजना (2004-05) वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना (2005-06) आंतरिक				वार्षिक योजना (2006-07) आंतरिक		
			सकल बजटीय सहायता	और बजट बाह्य संसाधन	कुल परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	सकल बजटीय सहायता	और बजट बाह्य संसाधन	कुल परिव्यय
1	औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग	438.31	550.00	-	550.00	400.00	499.98	-	499.98
2	कपड़ा मंत्रालय	729.87	1150.00	-	1150.00	1185.21	1349.50	-	1349.50
3	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	36.74	83.00	23.10	106.10	58.10	131.00	25.78	156.78
4	उर्वरक विभाग	223.32	111.82	905.48	1017.30	1140.16	98.81	886.22	985.03
5	इस्पात मंत्रालय	718.61	15.00	2451.12	2466.12	1215.51	45.00	3172.30	3217.30
6	भारी उद्योग विभाग	384.68	406.00	398.87	804.87	898.87	450.00	910.22	1360.22
7	लोक उद्यम विभाग	26.50	30.00	-	30.00	30.00	31.50	-	31.50
8	उपभोक्ता कार्य विभाग	11.99	107.94	-	107.94	90.00	163.00	-	163.00
9	कम्पनी कार्य विभाग	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	जोड़	2570.02	2453.76	3778.57	6232.33	5017.85	2768.79	4994.52	7763.31

औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग

क्रम सं.	स्कीम/ परियोजना	वार्षिक योजना (2004-05) वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना (2005-06) ब.अ.				वार्षिक योजना (2006-07)		
			सकल बजटीय सहायता	आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन	कुल परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	सकल बजटीय सहायता	आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन	कुल परिव्यय
1	कम्प्यूटरीकरण (सचिवालय आर्थिक सेवा)	2.38	1.00		1.00	1.00	1.00		1.00
2	अन्तर्राष्ट्रीय विनिर्माण उन्नयन केन्द्र	3.90	2.00		2.00	0.00	0.50		0.50
3	केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान	3.00	5.15		5.15	5.15	5.50		5.50
4	केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान	3.00	4.40		4.40	2.50	3.00		3.00
5	भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम	8.08	75.00		75.00	37.50	75.00		75.00
6	निवेश प्रोन्नयन कार्य/ आई.सी. ऐण्ड जे.वी.	5.75	16.00		16.00	10.00	17.00		17.00
7	भारतीय गुणवत्ता परिषद	0.20	2.00		2.00	0.25	0.50		0.50
8	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान	9.00	13.00		13.00	13.00	11.00		11.00
9	अवसंरचना और टी.एम.आर. का सुदृढीकरण/ भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री	2.23	5.00		5.00	2.25	7.59		7.59
10	पेटेंट कार्यालय का आधुनिकीकरण	23.00	20.00		20.00	17.65	16.00		16.00
11	आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया	0.00			0.00				0.00
12	विस्फोटक विभाग, नागपुर का उन्नयन	2.04	1.50		1.50	1.89	2.33		2.33
13	अनुसन्धान अध्ययन (आर्थिक सलाहकार कार्यालय, टैरिफ कमीशन, बायलर का सर्वेक्षण)	0.98	2.70		2.70	2.39	1.93		1.93
14	पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम (पुरानी)	0.01			0.00	0.46	0.20		0.20
15	राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण-सामग्री परिषद	3.00	5.00		5.00	3.00	3.50		3.50
16	भारतीय रबड़ विनिर्माता एसोसिएशन	2.00	3.22		3.22	3.22	2.00		2.00
17	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	4.00	5.00		5.00	5.00	2.50		2.50
18	विशेष श्रेणी के राज्यों, जम्मू और कश्मीर के लिए पैकेज	53.00	25.00		25.00	25.00	10.93		10.93
19	औद्योगिक क्लस्टर स्कीम का उन्नयन	196.58	275.00		275.00	125.00	260.00		260.00
20	प्रौद्योगिकी उन्नयन/ आधुनिकीकरण स्कीम	0.00			0.00				0.00
21	परिवहन सब्सिडी स्कीम	59.21	5.00		5.00	58.73	40.00		40.00
22	संवृद्धि केन्द्र स्कीम	25.95	1.00		1.00	21.48	14.95		14.95
23	व्यापक बीमा स्कीम	0.01	0.01		0.01	0.01	2.51		2.51
24	केन्द्रीय पूंजी निवेश स्कीम	0.01	0.01		0.01	0.01	5.01		5.01
25	केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी स्कीम	0.01	0.01		0.01	0.01	5.01		5.01
26	नमक कामगारों की स्कीम (नई स्कीम 2003-04)	3.00	5.00		5.00	5.00	5.50		5.50
27	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त व्यवस्था	27.97	55.00		55.00	55.00	0.51		0.51
28	एन.एम.सी.सी. (2005-06) के लिए नई स्कीम		3.00		3.00	3.00	5.00		5.00
29	पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बुनियादी ढांचा		1.00		1.00	1.00	1.01		1.01
30	अन्य एन.सी.एम.पी. पहलें		19.00		19.00	0.50	0.00		0.00
	<b>जोड़</b>	<b>438.31</b>	<b>550.00</b>		<b>550.00</b>	<b>400.00</b>	<b>499.98</b>	<b>0.00</b>	<b>499.98</b>

कपड़ा मंत्रालय

क्रम सं.	स्कीम/ परियोजना	वार्षिक योजना (2004-05) वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना (2005-06) ब.अ.				वार्षिक योजना (2006-07)		
			सकल बजटीय सहायता	आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन	कुल परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	सकल बजटीय सहायता	आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन	कुल परिव्यय
क.	ग्राम और लघु उद्योग								
1	हथकरघा	152.40	156.00		156.00	205.64	185.00		185.00
2	विद्युत करघा	4.01	8.00		8.00	7.50	8.00		8.00
3	रेशम उत्पादन	102.66	110.00		110.00	136.42	142.00		142.00
4	हस्त-शिल्प	78.69	105.00		105.00	105.00	110.00		110.00
5	ऊन और ऊनी कपड़ा	0.00	5.00		5.00	5.00	5.00		5.00
	<b>उप-जोड़</b>		<b>384.00</b>		<b>384.00</b>	<b>459.56</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>
ख.	बड़े और मध्यम उद्योग								
6	एन.आई.एफ.टी.*	25.00	12.78		12.78	25.00	11.00		11.00
7	एन.टी.सी	0.00	0.01		0.01	0.01			0.00
8	बी.आई.सी.	0.00	0.01		0.01	0.01			0.00
9	एन.जे.एम.सी.	0.00	0.01		0.01	0.01			0.00
10	एन.सी.जे.डी.	7.48	7.00		7.00	7.40	9.00		9.00
11	जे.एम.डी.सी	0.70	0.74		0.74	1.35			0.00
12	टी.आर.ए. सहित अनुसंधान और विकास	0.92	1.05		1.05	1.05	1.00		1.00
13	निर्यात संवर्धन अध्ययन	0.17	0.50		0.50	1.00	1.00		1.00
14	कपास प्रौद्योगिकी मिशन	40.00	80.00		80.00	70.00	100.00		100.00
15	सचिवालय आर्थिक सेवा	0.32	1.05		1.05	0.90	1.00		1.00
16	परिधान पार्क	22.00	100.00		100.00	50.00			0.00
17	अवसंरचनात्मक विकास	10.00	100.00		100.00	50.00			0.00
18	एकीकृत कपड़ा पार्क स्कीम					60.00	209.00		209.00
19	वी.आर.एस.	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
20	निर्यात मार्केट सहायता	0.00	0.01		0.01	0.01			0.00
21	तकनीकी टेक्सटाइल	0.00	0.01		0.01	0.01			0.00
22	एस.जे.डी.एफ.	1.00	11.83		11.83	6.37	12.50		12.50
23	टी.यू.एफ.एस.	283.61	450.00		450.00	450.53	550.00		550.00
24	कपड़ा आयुक्त का कार्यालय	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00		5.00
25	कपड़ा प्रबन्धन संस्थान	0.91	1.00		1.00	2.00			0.00
	<b>उप-जोड़</b>	<b>392.11</b>	<b>766.00</b>		<b>766.00</b>	<b>725.65</b>	<b>899.50</b>	<b>0.00</b>	<b>899.50</b>
	<b>जोड़</b>	<b>729.87</b>	<b>1150.00</b>		<b>1150.00</b>	<b>1185.21</b>	<b>1349.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1349.50</b>

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग

क्रम सं.	स्कीम/ परियोजना	वार्षिक योजना (2004-05) वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना (2005-06) ब.अ.				वार्षिक योजना (2006-07)		
			सकल बजटीय सहायता	आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन	कुल परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	सकल बजटीय सहायता	आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन	कुल परिव्यय
1.	सरकारी क्षेत्रक के मौजूदा उपक्रमों को परियोजना आधार पर सहायता (उप-स्कीमें-सरकारी क्षेत्रक के उपक्रम)								
1.1	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	5.59	7.00		7.00	5.75	25.00	22.59	47.59
1.2	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड	5.57	6.00		6.00	6.00	7.15		7.15
1.3	इंडियन ड्रग्स ऐण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00		0.00		1.00		1.00
1.4	बंगाल केमिकल्स ऐण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	4.64	5.00	20.00	25.00	4.87	7.00		7.00
1.5	हिन्दुस्तान ऐंटीबायोटिक्स लिमिटेड	2.77	3.00		3.00	2.50	3.00		3.00
	<b>उप-जोड़</b>		<b>21.00</b>	<b>20.00</b>	<b>41.00</b>	<b>19.12</b>	<b>43.15</b>	<b>22.59</b>	<b>65.74</b>
2.	स्वायत्त निकायों को परियोजना आधार पर सहायता (उप-स्कीमें - स्वायत्त निकाय)								
2.1	केन्द्रीय प्लास्टिक्स इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान	6.48	45.92		45.92	23.00	50.00		50.00
2.2	इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलाजी	2.74	3.33		3.33	1.00	1.28		1.28
2.3	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन ऐण्ड रिसर्च	3.35	3.10	3.10	6.20	8.10	18.00	3.19	21.19
2.4	नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथारिटी						1.50		1.50
	<b>उप-जोड़</b>	<b>12.57</b>	<b>52.35</b>	<b>3.10</b>	<b>55.45</b>	<b>32.10</b>	<b>70.78</b>	<b>3.19</b>	<b>73.97</b>
	<b>अन्य</b>								
3	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	0.00	8.30		8.30	5.50	13.09		13.09
4	असम गैस	0.00	0.00		0.00	0.00	0.01		0.01
5	रसायन प्रोन्नयन और विकास स्कीम	0.56	1.00		1.00	0.96	2.00		2.00
6	रासायनिक शस्त्र अभिसमय	0.03	0.05		0.05	0.12	0.22		0.22
7	भेषजीय अनुसन्धान और विकास कार्यक्रम	5.00	0.25		0.25	0.25	0.25		0.25
8	सचिवालय	0.01	0.05		0.05	0.05	0.50		0.50
	<b>उप-जोड़</b>	<b>5.60</b>	<b>9.65</b>	<b>0.00</b>	<b>9.65</b>	<b>6.88</b>	<b>16.07</b>	<b>0.00</b>	<b>16.07</b>
9	नई स्कीमें						1.00		1.00
	<b>जोड़</b>	<b>36.74</b>	<b>83.00</b>	<b>23.10</b>	<b>106.10</b>	<b>58.10</b>	<b>131.00</b>	<b>25.78</b>	<b>156.78</b>

उर्वरक विभाग

क्रम सं.	स्कीम/ परियोजना	वार्षिक योजना (2004-05) वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना (2005-06) व.अ.				वार्षिक योजना (2006-07)		
			सकल बजटीय सहायता	आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन	कुल परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	सकल बजटीय सहायता	आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन	कुल परिव्यय
	सरकारी क्षेत्रक के मौजूदा उपक्रमों को परियोजना आधार पर सहायता (उप-स्कीमें - सरकारी क्षेत्रक के उपक्रम)								
1	एफ.सी.आई. अरावली जिप्सम ऐण्ड मिनरल्स इंडिया	0.04	0.00		0.00	1.56		1.50	1.50
2	फर्टिलाइजर्स ऐण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	10.14	40.00		40.00	40.00	30.00		30.00
3	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड	0.00	37.49		37.49	84.77	40.86		40.86
4	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	11.93	16.29		16.29	9.49	9.00		9.00
5	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	25.81		55.00	55.00	46.87		59.02	59.02
6	प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	1.37		3.26	3.26	1.50		2.00	2.00
7	पाइराइट्स, फास्फेट्स ऐण्ड केमिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00		0.00				0.00
8	राष्ट्रीय केमिकल्स ऐण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	143.89		305.22	305.22	344.88		237.70	237.70
	<b>उप-जोड़</b>		<b>93.78</b>	<b>363.48</b>	<b>457.26</b>	<b>529.07</b>	<b>79.86</b>	<b>300.22</b>	<b>380.08</b>
	मौजूदा सहकारी समितियों को परियोजना आधार पर सहायता (उप-स्कीमें - सहकारी समितियां)								
9	कृषक भारती कोआपरेटिव्स लिमिटेड (कृभको)	7.43		542.00	542.00	593.79		586.00	586.00
	<b>उप-जोड़</b>	<b>7.43</b>	<b>0.00</b>	<b>542.00</b>	<b>542.00</b>	<b>593.79</b>	<b>0.00</b>	<b>586.00</b>	<b>586.00</b>
	<b>अन्य</b>								
10	विविध	22.71	18.04		18.04	17.30	18.95		18.95
10.1	कृभको की वर्षापोषित खेती परियोजना	20.00	14.95	0.00	14.95	13.80	12.95	0.00	12.95
10.2	विभाग की विज्ञान और प्रौद्योगिकी	1.50	2.00	0.00	2.00	2.47	4.97	0.00	4.97
10.3	प्रबन्ध और सूचना प्रौद्योगिकी	1.21	1.09	0.00	1.09	1.03	1.04	0.00	1.04
	<b>जोड़</b>	<b>223.32</b>	<b>111.82</b>	<b>905.48</b>	<b>1017.30</b>	<b>1140.16</b>	<b>98.81</b>	<b>886.22</b>	<b>985.03</b>

इस्पात मंत्रालय

क्रम सं.	स्कीम/ परियोजना	वार्षिक योजना (2004-05) वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना (2005-06) व.अ.				वार्षिक योजना (2006-07)		
			सकल बजटीय सहायता	आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन	कुल परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	सकल बजटीय सहायता	आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन	कुल परिव्यय
1.	उद्योग क्षेत्रक के मौजूदा सरकारी क्षेत्रक के उपक्रमों को सहायता								
1.1	फेरो स्कैप निगम लिमिटेड	12.93		10.00	10.00	19.35		11.80	11.80
1.2	स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड	1.10		5.00	5.00	0.78		5.00	5.00
1.3	भारतीय इस्पात निगम लिमिटेड	531.63		1030.00	1030.00	819.00		1275.00	1275.00
1.4	भारत रिफ्रेक्टरीज़ लिमिटेड	10.00	7.00		7.00	7.00	7.00		7.00
1.5	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	70.90		896.00	896.00	160.94		1452.00	1452.00
1.6	मेटल स्कैप ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	0.00		5.00	5.00	4.30		5.00	5.00
1.7	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड	3.00	4.00		4.00	4.00	7.00		7.00
1.8	मेटलर्जिकल कन्सलटेंट्स लिमिटेड	1.00	4.00	8.28	12.28	11.49	30.00		30.00
1.9	अनुसन्धान और प्रौद्योगिकी मिशन	7.63			0.00	0.00			0.00
	<b>उप-जोड़</b>	<b>638.19</b>	<b>15.00</b>	<b>1954.28</b>	<b>1969.28</b>	<b>1026.86</b>	<b>44.00</b>	<b>2748.80</b>	<b>2792.80</b>
	<b>खनिज क्षेत्रक</b>								
1.10	कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी	11.05		225.00	225.00	31.28		200.00	200.00
1.11	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	46.76		220.25	220.25	121.28		150.00	150.00
1.12	मैंगनीज़ ओर (इंडिया) लिमिटेड	17.57		34.21	34.21	25.97		48.50	48.50
1.13	बर्ड कम्पनी समूह	5.04		17.38	17.38	10.12	1.00	25.00	26.00
	<b>उप-जोड़</b>	<b>80.42</b>	<b>0.00</b>	<b>496.84</b>	<b>496.84</b>	<b>188.65</b>	<b>1.00</b>	<b>423.50</b>	<b>424.50</b>
	<b>जोड़</b>	<b>718.61</b>	<b>15.00</b>	<b>2451.12</b>	<b>2466.12</b>	<b>1215.51</b>	<b>45.00</b>	<b>3172.30</b>	<b>3217.30</b>

भारी उद्योग विभाग

क्रम सं.	स्कीम/ परियोजना	वार्षिक योजना (2004-05) वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना (2005-06) ब.अ.				वार्षिक योजना (2006-07)		
			सकल बजटीय सहायता	आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन	कुल परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	सकल बजटीय सहायता	आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन	कुल परिव्यय
1	सरकारी क्षेत्रक के मौजूदा उपक्रमों को सहायता	310.31	94.80	398.87	493.67	493.67	37.58	812.82	850.40
2	ए.एम.आर. के लिए एकमुश्त व्यवस्था	5.00	7.00		7.00	7.00	10.00		10.00
3	उत्तर-पूर्व और सिक्किम	13.00	40.60		40.60	40.60	45.09		45.09
4	सचिवालय का आधुनिकीकरण	0.37	6.70		6.70	6.70	4.50		4.50
5	मोटरकारों के लिए परीक्षण सुविधाएं	47.00	181.00		181.00	181.00	200.00		200.00
6	कोयला गैसीकरण	9.00	2.00		2.00	2.00	0.01		0.01
7	सरकारी क्षेत्रक के उपक्रमों का आधुनिकीकरण		1.00		1.00	95.00	87.82		87.82
8	बी.ई.एम.एल. को आबंटन		72.90		72.90	72.90	65.00	97.40	162.40
	<b>जोड़</b>	<b>384.68</b>	<b>406.00</b>	<b>398.87</b>	<b>804.87</b>	<b>898.87</b>	<b>450.00</b>	<b>910.22</b>	<b>1360.22</b>

लोक उद्यम विभाग

क्रम सं.	स्कीम/ परियोजना	वार्षिक योजना (2004-05) वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना (2005-06) व.अ.				वार्षिक योजना (2006-07)		
			सकल बजटीय सहायता	आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन	कुल परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	सकल बजटीय सहायता	आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन	कुल परिव्यय
1	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उपक्रमों के युक्तिसंगत पुनर्गठन के बाद के अधिशेष कर्मचारियों को बनाए रखना/ उनका पुनर्नियोजन +सूचना प्रौद्योगिकी निधि	26.50	30.00	-	30.00	30.00	31.50		31.50
	<b>जोड़</b>	<b>26.50</b>	<b>30.00</b>	<b>-</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>31.50</b>	<b>0.00</b>	<b>31.50</b>

उपभोक्ता कार्य विभाग

क्रम सं.	स्कीम/ परियोजना	वार्षिक योजना (2004-05) वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना (2005-06) ब.अ.				वार्षिक योजना (2006-07)		
			सकल बजटीय सहायता	आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन	कुल परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	सकल बजटीय सहायता	आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन	कुल परिव्यय
1	उपभोक्ता सुरक्षा	3.77	96.00		96.00	79.09	140.50		140.50
2	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग+ विवाद समाधान अभिकरण	0.00			0.00				0.00
3	आन्तरिक व्यापार/ वायदा बाजार आयोग	0.21	2.50		2.50	1.25	3.00		3.00
4	तोल और माप	2.08	2.50		2.50	3.31	11.25		11.25
5	राष्ट्रीय परीक्षण गृह	5.58	1.00		1.00	5.35	6.50		6.50
6	भारतीय मानक कार्यालय	0.00			0.00				0.00
7	सूचना प्रौद्योगिकी	0.35	5.66		5.66	0.50	0.75		0.75
8	उत्तर-पूर्व के लिए एकमुश्त राशि				0.00				0.00
9	सोने की हालमार्किंग		0.28		0.28	0.50	1.00		1.00
	<b>जोड़</b>	<b>11.99</b>	<b>107.94</b>	<b>0.00</b>	<b>107.94</b>	<b>90.00</b>	<b>163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163.00</b>

संलग्नक 9.1.9

कम्पनी कार्य विभाग

क्रम सं.	स्कीम/ परियोजना	वार्षिक योजना (2004-05) वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना (2005-06) ब.अ.				वार्षिक योजना (2006-07)		
			सकल बजटीय सहायता	आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन	कुल परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	सकल बजटीय सहायता	आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन	कुल परिव्यय
1	आधुनिकीकरण, कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>जोड़</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 9.2 खनिज

### प्रस्तावना

9.2.1 खनिज उद्योगों की संवृद्धि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अत्यावश्यक निविष्टियां हैं। भारत लौह-अयस्क और बाक्साइट के निक्षेपों के मामले में आत्म-निर्भर है। लेकिन धातुएं, जैसे तांबा, निकल और सीसा-जस्ता पर्याप्त मात्रा में नहीं पाई जातीं। बहुमूल्य धातुएं, जैसे सोना, एंटीमनी और प्लेटिनम समूह की धातुएं अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध हैं। इसलिए, इन खनिजों की खनिज-सूची को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपना कर सुव्यवस्थित और व्यापक रूप से खनिजों का अन्वेषण करने की आवश्यकता है। मुख्य जोर इस बात पर है कि पर्यावरण का संरक्षण और उसकी सुरक्षा करते हुए संवृद्धि की गति को बढ़ाया जाए, जिसके लिए विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना जरूरी होगा।

### वार्षिक योजना 2005-06 की समीक्षा

9.2.2 फरवरी, 2006 में भारत सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की नीति की समीक्षा की। अब सभी गैर-ईंधन खनिजों और सभी गैर-परमाणु खनिजों के लिए, जिनमें हीरे और बहुमूल्य नग-रत्न भी शामिल हैं, स्वचालित मार्ग (आटोमेटिक रूट) से 100 प्रतिशत तक के विदेशी इक्विटी-धारण की अनुमति है।

9.2.3 एम.एम.डी.आर. अधिनियम की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 28.01.2005 की अधिसूचना जी.एस.आर.49(ई) द्वारा खनिज रियायत नियम, 1960 को संशोधित किया गया, जिसके द्वारा खनन पट्टे के नवीकरण के मामले में न्यूनतम क्षेत्र के प्रतिबन्ध को हटा दिया गया।

9.2.4 केन्द्रीय सरकार ने परमाणु खनिजों के बेहतर प्रबन्धन के लिए ऐसे खनिजों से सम्बन्धित विशेष उपबन्धों के बारे में दिनांक 5.5.2005 की अधिसूचना जी.एस.आर.280(ई) के जरिए खनिज रियायत नियमों के नियम 66क को संशोधित किया।

9.2.5 1993 में घोषित की गई राष्ट्रीय खनिज नीति का उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ गैर-सरकारी निवेश को, जिसमें घरेलू और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दोनों शामिल हैं, प्रोत्साहित करना है। उदारीकरण अब एक दशक पुराना हो चुका है। लेकिन अब तक उसके कोई उत्साहजनक परिणाम सामने नहीं आए हैं। इसका मुख्य कारण केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, दोनों के स्तर पर विभिन्न स्वीकृतियों, विशेष रूप से आदेशात्मक पर्यावरणिक स्वीकृति के मामलों में प्रक्रियात्मक विलम्ब होना और खनन क्षेत्रों में सड़कों, पत्तनों और विद्युत जैसे बुनियादी ढांचे का अपर्याप्त होना है। खनिज क्षेत्रक के विकास से सम्बन्धित सभी मुद्दों की जांच करने के लिए, योजना आयोग ने योजना आयोग के सदस्य (उद्योग) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति खनिज नीति की समीक्षा करने के लिए गठित की थी। समिति ने सभी पणधारियों के साथ व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया था और रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा था (रिपोर्ट जुलाई, 2006 में सरकार को प्रस्तुत की गई थी)।

9.2.6 वर्ष 2003-04 में जी.डी.पी. में खनन और खान-खुदाई का योगदान, 1999-2000 की कीमतों के अनुसार, 49,714 करोड़ रुपए का था, जो बढ़ कर 2004-05 में 52,594 करोड़ रुपए और 2005-06 (संशोधित अनुमान) में 53,090 करोड़ रुपए हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में इस क्षेत्रक का हिस्सा लगभग 2.20 प्रतिशत था, जो थोड़ा सा घटकर 2005-06 में 2.04 प्रतिशत हो गया था।

9.2.7 योजना आयोग द्वारा विभिन्न संगठनों और सरकारी क्षेत्रक के उपक्रमों के भौतिक और वित्तीय कार्य-निष्पादन का मानीटरन वार्षिक योजना, 2005-06 के दौरान शून्य-आधारित बजट-निर्माण पर आधारित अर्ध-वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षाओं के जरिए किया जाता रहा।

### उप-क्षेत्रीय रूपरेखा

9.2.8 वार्षिक योजना 2005-06 की अवधि में विभिन्न लौह और अलौह धातुओं के भौतिक कार्य-निष्पादन को

संलग्नक 9.2.1 में दर्शाया गया है। उप-क्षेत्रक-वार संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है:

### लौह अयस्क

9.2.9 यू.एन.एफ.सी. प्रणाली के अनुसार, 01-04-2000 की स्थिति के मुताबिक, भारत में हेमाटाइट के 11,421 मिलियन टन के संसाधन हैं, जिनमें 6,025 मिलियन टन निक्षेप हैं और 5,401 मिलियन टन शेष संसाधन हैं। मेगनेटाइट एक अन्य प्रधान लौह अयस्क है, जिनका अनुमान 10,682 मिलियन टन लगाया गया है, जिसमें 287 मिलियन टन के निक्षेप हैं, जो मुख्य रूप से कर्नाटक और गोवा में स्थित हैं। बाकी 10,396 मिलियन टन शेष सांघन हैं।

9.2.10 वार्षिक योजना 2005-06 के दौरान लोहे का 154.44 मिलियन टन का उत्पादन हुआ, जिसमें से लगभग 84.05 मिलियन टन लोहे का निर्यात किया गया।

### क्रोमाइट अयस्क

9.2.11 यू.एन.एफ.सी. प्रणाली के अनुसार, 1.4.2000 की स्थिति के मुताबिक देश में क्रोमाइट के कुल 179 मिलियन टन के संसाधन हैं, जिनमें 47 मिलियन टन के निक्षेप हैं और 132 मिलियन टन शेष संसाधन हैं। 97 प्रतिशत से अधिक निक्षेप/संसाधन उड़ीसा में स्थित हैं।

9.2.12 वर्ष 2005-06 के दौरान 3.42 मिलियन टन क्रोमाइट के उत्पादन का अनुमान लगाया गया, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2004-05 में 3.64 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। वर्ष 2005-06 के दौरान क्रोमाइट का अनुमानित प्रेषण 2.73 मिलियन टन था, जिसमें से 1.60 मिलियन टन क्रोमाइट आन्तरिक खपत के लिए और 1.131 मिलियन टन निर्यात के लिए होंगे।

### मंगनीज़ अयस्क

9.2.13 देश में मंगनीज अयस्कों के 295 मिलियन टन संसाधन होने का अनुमान लगाया गया है। इनमें से 104 मिलियन टन का वर्गीकरण निक्षेपों के रूप में किया गया है

और बाकी 191 मिलियन टन शेष संसाधनों की श्रेणी में हैं। 104 मिलियन टन के कुल निक्षेपों में लगभग 49 मिलियन टन निक्षेप परीक्षित किए हुए निक्षेप हैं और बाकी 55 मिलियन टन सम्भाव्य श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

9.2.14 वर्ष 2005-06 में 2.00 मिलियन टन मंगनीज़ अयस्कों का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2004-05 में 2.38 मिलियन टन (पी) का उत्पादन हुआ था। वर्ष 2005-06 में मंगनीज़ अयस्कों का अनुमानित प्रेषण 1.75 मिलियन टन का था, जिसमें से 1.60 मिलियन टन आन्तरिक खपत और 0.15 मिलियन टन निर्यात के लिए होंगे।

### एल्यूमिनियम

9.2.15 यू.एन.एफ.सी. प्रणाली के अनुसार, 1.4.2000 को भारत में बाक्साइट (एल्यूमिनियम अयस्क) के कुल 2,926 मिलियन टन के संसाधन होने का अनुमान लगाया गया था। इन संसाधनों में 524 मिलियन टन के निक्षेप और शेष 2,401 मिलियन टन के संसाधन हैं। निक्षेपों में 151 मिलियन टन के निक्षेप परीक्षित श्रेणी के हैं (आर्थिक रूप से सक्षम निक्षेप, जिनका विस्तारपूर्वक अन्वेषण किया गया हो), और शेष 373 मिलियन टन के सम्भाव्य संसाधन हैं। इससे विश्व में आस्ट्रेलिया, गायना, ब्राजील और जमाइका के बाद भारत का स्थान पांचवां बनता है, और 7.00 मिलियन टन प्रति वर्ष की खपत की दर से इन निक्षेपों के 350 वर्षों तक बने रहने की संभावना है।

9.2.16 देश में एल्यूमिना के उत्पादन की स्थापित क्षमता 30,00000 टन प्रति वर्ष की है और एल्यूमिनियम की उत्पादन क्षमता 1136000 टन प्रति वर्ष की है। एल्यूमिना और एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाली पांच कम्पनियां हैं, नामशः नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको) - जो एक सरकारी क्षेत्रक की कम्पनी है; भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बालको) - जो एक संयुक्त क्षेत्रक की कम्पनी है; हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड (हिंडालको); इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (इन्डाल); और मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (माल्को); ये

अन्तिम तीनों कम्पनियां गैर-सरकारी क्षेत्रक की हैं।

9.2.17 वर्ष 2005-06 में एल्यूमिनियम का 1003182 हजार टन उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें नाल्को का हिस्सा 35.78 प्रतिशत था।

9.2.18 नाल्को के एकीकृत एल्यूमिनियम काम्प्लेक्स के विस्तार के दूसरे चरण के प्रस्ताव को, जिसका परियोजना पूंजीगत परिव्यय 4091.51 करोड़ रुपए है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 2004 में अनुमोदित किया गया था। विस्तार के बाद, नाल्को एशिया में एल्यूमिना की सबसे बड़ी उत्पादक कम्पनी होगी, जिसके पास एक मिलियन टन प्रति वर्ष का निर्यात-योग्य अधिशेष होगा। चूंकि एल्यूमिनियम उद्योग एक ऊर्जा-प्रधान उद्योग है, इसलिए भारतीय कम्पनियों द्वारा देश से बाहर विदेशों में स्मेल्टर स्थापित करने की संभावनाओं की जांच की जा रही है।

### तांबा

9.2.19 देश में 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार, तांबा अयस्कों के कुल 1.34 बिलियन टन संसाधन होने का अनुमान लगाया गया था। इनमें से 289.58 मिलियन टन (21.60 प्रतिशत) संसाधन निक्षेप श्रेणी (परीक्षित+सम्भाव्य) के अन्तर्गत आते हैं, जबकि बाकी के 1.05 बिलियन टन (78.40 प्रतिशत) संसाधन शेष संसाधन (सक्षमता-पूर्व, मापित, निर्दर्शित और अनुमानित श्रेणियों के अन्तर्गत) हैं।

9.2.20 हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा केप्टिव खानों से खनन किए गए तांबा अयस्क निचले ग्रेड के हैं और अयस्कों की काया की जटिल ज्यामिति (कम चौड़ाई और अधिक सपाट झुकाव) के कारण खनन के भूमिगत तरीकों से बड़े पैमाने पर खनन में बाधा डालते हैं।

9.2.21 देश में तांबे के उत्पादन की स्थापित क्षमता 847500 टन प्रति वर्ष होने का अनुमान है, जिसमें हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की 47,500 टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता भी शामिल है। तांबे का घरेलू उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए तांबे का आयात

करने की अनुमति है। हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने 2005-06 के दौरान 40,000 टन के लक्ष्य की तुलना में 35593 टन केथोड का उत्पादन किया। प्राइवेट कम्पनियां, अर्थात् हिंडाल्को और एस.आई.एल. देश में इस्तेमाल किए जा सकने वाले तांबे के उत्पादन के पिघलाने और परिष्करण के अपने प्रचालनों के लिए तांबा सान्द्रण (कन्सेन्ट्रेट) का आयात करती हैं। गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा किए जाने वाले तांबे के उत्पादन में वृद्धि हो जाने के कारण, भारत तांबे के निवल आयातकर्ता की स्थिति से निकलकर एक निवल निर्यातकर्ता के रूप में उभर रहा है।

9.2.22 वर्ष 2005-06 में तांबे का 518900 टन का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि इसकी तुलना में 2004-05 के दौरान 408404 टन का उत्पादन हुआ था। एल.एम.ई. की कीमत में पिछले दो वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है। इससे हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को निचले ग्रेड के अयस्कों वाली खानों में काम करने की प्रेरणा मिलेगी। झारखंड की सुरदा तांबा खान को, जिसे निम्न एल.एम.ई. अवधि में इसके सक्षम न होने के कारण बन्द कर दिया गया था, अब फिर से खोलने की योजना है।

### सीसा और जस्ता

9.2.23 यू.एन.एफ.सी. प्रणाली के अनुसार, देश में 1.4.2000 को सीसा-जस्ता के 485.114 मिलियन टन के संसाधन हैं। इनमें से 100.83 मिलियन टन संसाधन निक्षेप की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं और बाकी 384.285 मिलियन टन को शेष संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन संसाधनों में कुल धातु अंश इस प्रकार है: 5.969 मिलियन टन सीसा और 18.783 मिलियन टन जस्ता। इसके अलावा, 34 हजार टन सीसा + जस्ता धातु संसाधन उपलब्ध हैं।

9.2.24 देश में प्राइमरी जस्ता और प्राइमरी सीसा धातु को पिघलाने की मौजूदा क्षमता क्रमशः 441000 टन और 109000 टन प्रति वर्ष है।

9.2.25 केवल हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही देश में जस्ते के उत्पादनकर्ता हैं। वर्ष

2005-06 के दौरान जस्ते का 294781 टन उत्पादन हुआ। सीसे का उत्पादन 23715 टन था।

### भारतीय खान ब्यूरो

9.2.26 भारतीय खान ब्यूरो देश में खनिजों के संवर्धन और संरक्षण, खानों के पर्यावरण की सुरक्षा और देश के खनिज संसाधनों (कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिजों और गौण खनिजों से भिन्न) के विकास के काम में लगा हुआ है।

9.2.27 वर्ष 2005-06 के दौरान कर्नाटक, और आन्ध्र प्रदेश के कुछ भाग के बहु-खनिज पट्टे-धारण के नक्शे, वन अधिचित्रों के साथ, तैयार करने का काम हाथ में लिया गया था और 100 बहु-खनिज नक्शे पूरा होने की विभिन्न अवस्थाओं में थे।

9.2.28 यू.एन.एफ.सी. के अनुसार निक्षेपों/ संसाधनों के खनिज-वार आंकड़ों (डाटा) को अद्यतन बनाया गया। फ्री होल्ड और सरकारी क्षेत्रक के निक्षेपों के 2400 डाटाशीटों और गैर-सरकारी पट्टा-धारण के 6186 डाटाशीटों को अद्यतन बनाया गया।

9.2.29 खनिज परिष्करण अध्ययनों में 71 अयस्क प्रतिसारण अन्वेषण, 51,146 रासायनिक विश्लेषण और 2455 खनिज वैज्ञानिक परीक्षण शामिल थे। इसके अलावा, संयंत्रों के भीतर भी 11 अध्ययन किए गए थे।

9.2.30 वर्ष 2005-06 के दौरान इंडियन ईयर बुक-2004, डाइजेस्ट ऑफ माइनर मिनरल लाज़ आफ इंडिया, बुलेटिन आन माइनिंग लीज़ ऐण्ड प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस 2003 अंक, और हाफ ईयरली बुलेटिन आन मिनरल इन्फारमेशन के दो अंक विमोचित किए गए थे। इंडियन मिनरलज़ ईयर बुक-2005 को तैयार करने का काम किया जा रहा था।

9.2.31 भारतीय खान ब्यूरो के क्षेत्रीय/ज़ोनल कार्यालयों और मुख्यालयों को बी.आर.जी.एम., फ्रांस की सहायता से स्थापित 'क्लाइन्ट सर्वर आर्किटेक्चर' पर आधारित अत्याधुनिक

प्रणाली द्वारा आपस में जोड़ा गया है। क्षेत्रीय, ज़ोनल और मुख्यालयों से सम्पर्क स्थापित करने और डाटा के आदान-प्रदान के लिए वैन (डब्ल्यू.ए.एन.) प्रणाली के अलावा, लैन (एल.ए.एन.) सुविधा का विकास भी किया गया है।

### भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन

9.2.32 दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रमुख रूप से जोर दिए जाने के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किए गए थे, वे ये हैं: विशिष्ट विषयों वाले अध्ययनों के जरिए राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक डाटा-आधार तैयार करना और उसे अद्यतन बनाना, भू-रासायनिक और भू-भौतिकीय मानचित्रण, कमी वाले और हाई-टैक खनिजों पर जोर देते हुए अज्ञात खनिज निक्षेपों के लिए अवधारणा-उन्मुख खोज, शहरी क्लस्टरों का भूकम्पी सूक्ष्म-क्षेत्र-निर्धारण, भू-संकट प्रबन्धन के लिए जोखिम की सम्भावना वाले क्षेत्रों के रेखा-चित्रण के लिए सक्रिय फाल्ट मानचित्रण और प्रेक्षणात्मक भूकम्प-विज्ञान, भू-स्खलन अध्ययन, आर्काइवल के लिए नक्शों का संकलन और डिजिटिकरण और सूचना-प्रसार और आधुनिकीकरण कार्यक्रम।

9.2.33 आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत, रासायनिक विश्लेषण और भू-सर्वेक्षण के कुछ क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को लागू किया गया है। एच.ए.एल., बंगलौर को ध्रुव हेलीकाप्टर की प्राप्ति के लिए आर्डर पहले से दे दिए गए हैं। भारतीय भू-सर्वेक्षण संगठन के लिए एक नीला जल अनुसंधान वेसल प्राप्त करने के लिए योजना आयोग का सिद्धान्त रूप से अनुमोदन हासिल कर लिया गया है।

9.2.34 भारत सरकार द्वारा हाल में अनुमोदित की गई नई राष्ट्रीय मानचित्र नीति के बाद 1:50,000 के मानचित्र उपलब्ध कराने के लिए, उस सम्बन्धित मंत्रालय के साथ मिलकर कार्रवाई की जाती रही है, जो भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन में भू-वैज्ञानिक मानचित्रों के प्रकाशन का नियंत्रण करता है।

9.2.35 सूचना के प्रसार के कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रचालन यूनिट में 'लैन (एल.ए.एन.)' के लिए स्थापत्य को अन्तिम

रूप देने का काम पूरा कर लिया गया है। जी.एस.आई. पोर्टल के विकास के लिए प्रणाली आवश्यकता (सिस्टम रीक्वायरमेंट) अध्ययन जारी रखा गया है और पूरा कर लिया गया है। मास्टर डाटा तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है।

9.2.36 देश के लगभग सभी राज्यों में जल संसाधन विकास, संचार नेटवर्क, परिवहन और बुनियादी ढांचे की अन्य सुविधाओं के सृजन के लिए सिविल इंजीनियरी परियोजनाओं के सम्बन्ध में 196 अन्वेषणों के माध्यम से भू-तकनीकी और इंजीनियरी सम्बन्धी भू-वैज्ञानिक अध्ययनों की सैंतीस मदों को हाथ में लिया गया था।

9.2.37 26 दिसम्बर, 2004 के अभूतपूर्व भूकम्प (एम डब्ल्यू 9.3) और सुनामी विपत्ति के बाद, जिसने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, और आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के राज्यों और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्रों के तटवर्ती इलाकों में तबाही मचा दी थी, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन ने इसका विश्लेषण विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से किया। भूकम्पीय क्षति प्रबलता निर्धारित करने, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में बहद् भूकम्पीय सर्वेक्षण (प्रबलता VII-VIII) करने के बाद, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन ने आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों के द्वीपसमूहों और मुख्य भूमि, दोनों के लिए सुनामी आप्लावन मानचित्र, अपेक्षित प्रवाह माप के साथ, तैयार किए।

9.2.38 हमताह हिमनदी, लाहुल और स्पिति जिला (हिमाचल प्रदेश) के विस्तृत हिमनदी-वैज्ञानिक अध्ययनों ने निरन्तर चौथे वर्ष में भी नकारात्मक पिंड शेष (नेगेटिव मास बैलेंस) दर्शाया है। हिमनदी के प्रोथ (स्नाउट) में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी।

9.2.39 XXIVवां भारतीय दक्षिण-ध्रुवीय अभियान 12 दिसम्बर, 2004 को केपटाउन से शुरू हुआ, जिसमें जी.एस.आई. के प्रतिनिधियों के रूप में चार सदस्य थे। इस अभियान ने 1:50,000 के पैमाने पर मुहलिंग, होफमन फजेल्ला श्रृंखला में 1000 वर्ग किलोमीटर का फासला तय

किया। अब तक दक्षिणी-ध्रुव में 19,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का मानचित्रण किया जा चुका है।

9.2.40 मानव संसाधन विकास के अन्तर्गत इकतीस प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए गए, जिनमें ये कार्यक्रम शामिल थे: भू-वैज्ञानिकों के लिए दिशा-निर्देश पाठ्यक्रम, बुनियादी पाठ्यक्रम, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, उन्नत पाठ्यक्रम, इंजीजीओ कार्यक्रम और इसरो (आई.एस.आर.ओ.) और डी.एस.टी. द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

### खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड)

9.2.41 खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड ने विभिन्न धात्विक और गैर-धात्विक खनिजों के, जिनमें कोयला, लिग्नाइट और कोयला तल मीथेन (सी.बी.एम.) भी शामिल हैं, का अन्वेषण और अन्वेषणात्मक खनन किया। वर्ष 2005-06 के लिए नियत 170000 मीटर ड्रिलिंग की तुलना में, कम्पनी ने कुल 178425 मीटर ड्रिलिंग की। अन्वेषणात्मक खनन 8281 मीटर का किया गया, जबकि लक्ष्य 6200 मीटर का था। कम्पनी ने सी.बी.एम. के लिए स्लिम होल ड्रिलिंग, कोयला सैम्पलिंग और विश्लेषण के क्षेत्रों में, कम्पनी ने एक निर्दिष्ट करने वाली एजेंसी के रूप में, विविधीकरण कार्यक्रम हाथ में लिए हैं।

### विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

9.2.42 भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन ने दसवीं योजना की अवधि में बी.आर.जी.एम. की वित्तीय सहायता से प्रयोगशालाओं की सुविधाओं का आधुनिकीकरण किए जाने और उनके भू-सर्वेक्षण, समुद्री और हवाई सर्वेक्षणों का पुनर्गठन किए जाने का प्रस्ताव किया था। इन धनराशियों के प्राप्त न होने के कारण, इस कार्यक्रम को हाथ में नहीं लिया जा सका।

### विभिन्न संगठनों/ सरकारी क्षेत्रक के उपक्रमों में कार्मिकों का नियोजन

9.2.43 विभिन्न श्रेणियों, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, आदि के रूप में, नियोजन का संगठन-वार ब्योरा संलग्नक 9.2.3 में दिया गया है।

### परिणाम बजट 2006-07

9.2.44 खान मंत्रालय वर्ष 2006-07 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रक की सात स्कीमों का प्रचालन करेगा। योजना परिव्यय (2006-07) का स्कीम-वार/ कार्यक्रम-वार ब्योरा, मात्राकरणयोग्य/ सुपुर्दगी किए जा सकने वाले/ भौतिक उत्पादन, प्रेक्षित परिणामों, प्रक्रियाओं/ टाइमलाइन, आदि की जानकारी संलग्नक-9.2.4 में दी गई है।

### वार्षिक योजना 2006-07

9.2.45 दसवीं योजना (2002-07) के उद्देश्यों के अनुरूप, वार्षिक योजना 2006-07 में खनिज क्षेत्र में जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों में ये शामिल हैं: सोने, हीरे और प्लेटिनम धातु समूह के अधिक मूल्य और आयतन मात्रा वाले खनिजों का जोरदार अन्वेषण, अप्रकट नए खनिज संसाधनों का पता लगाने और संघारणीय रूप से उनका विकास करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रबन्धकीय विशेषज्ञता सहित गैर-सरकारी क्षेत्रक की भागीदारी के माध्यम से तथा निवेश आकर्षित करने के वास्ते समर्थकारी वातावरण का निर्माण। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन के लिए अपने पुनर्गठन और आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों को तेजी से कार्यान्वित

करना जरूरी होगा, जिनमें स्थलीय और हवाई भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के लिए उपकरणों (इंस्ट्रुमेंट्स) की व्यवस्था, प्रयोगशालाओं के लिए अति उच्च परिशुद्धता वाले अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करना, आदि शामिल हैं। इसके अलावा, 'III - अनक्लोस (यू.एन.सी.एल.ओ.एस.)' के अन्तर्गत 350 समुद्री मील तक विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ ज़ोन पर अपना दावा करने के लिए अपतटीय क्षेत्रों में क्रोडमण्डलीय (बेथीमीट्रिक) और चुम्बकीय सर्वेक्षण करने के लिए नया अनुसन्धान पोत प्राप्त करना।

9.2.46 वार्षिक योजना 2006-07 के लिए 883.69 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, जिसका वित्तपोषण 633.69 करोड़ रुपए के आन्तरिक और बजट-बाह्य संसाधनों से और 250.00 करोड़ रुपए की जी.बी.एस. से किया जाना था (संलग्नक-II)। वार्षिक योजना 2005-06 के दौरान चालू कीमतों पर 685.14 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में 405.52 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जो अनुमोदित परिव्यय के 59.19 प्रतिशत के बराबर है। मुख्य कमी नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के सम्बन्ध में और उसके बाद भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन के बारे में हुई। खान मंत्रालय के अनुमोदित परिव्यय, वास्तविक और प्रत्याशित व्यय का स्कीम-वार ब्योरा संलग्नक 9.2.2 में दिया गया है।

वार्षिक योजना 2004-05 (वास्तविक), वार्षिक योजना 2005-06 (संशोधित), और वार्षिक योजना 2006-07 का भौतिक कार्य-निष्पादन (अनंतिम)

क्रम सं.	मद	यूनिट	2004-05 वास्तविक	2005-06 अनुमानित	2006-07 लक्ष्य
1.	लौह अयस्क	मिलियन टन	145.94	154.44	172.30 (पी)
2.	एल्युमिनियम**	हजार टन	883.472	1003.182	1069.116
3.	तांबा केथोड #	हजार टन	408.404	518.900	535.224
4.	जस्ता (प्राइमरी) @	हजार टन	238.793	294.781	406.524
5.	सीसा @ @	हजार टन	15.727	23.715	65.640

\*\* इसमें गैर-सरकारी क्षेत्रक की कम्पनियों, अर्थात बाल्को, हिंडाल्को, इन्डाल और माल्को का उत्पादन भी शामिल है।

# इसमें गैर-सरकारी क्षेत्रक की कम्पनियों, अर्थात स्टरलाइट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और हिंडाल्को का उत्पादन भी शामिल है।

@ एच.जेड.एल. और गैर-सरकारी क्षेत्रक के यूनिट, बिनानी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का प्राइमरी जस्ते का उत्पादन।

@ @ यह बताया गया है कि आई.एल.एल. के थाने और कोलकाता स्थित दोनों संयंत्र उत्पादन के लिए तैयार हो रहे हैं।

संलग्नक - 9.2.2

खान मंत्रालय का वास्तविक व्यय (2004-05), अनुमोदित परिव्यय और प्रत्याशित व्यय (2005-06) और बजट अनुमान 2006-07

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	सरकारी क्षेत्रक के उपक्रम/संगठन का नाम	2004-05 वास्तविक व्यय	2005-06		2006-07 बजट अनुमान
			अनुमोदित प्रत्याशित	परिव्यय व्यय	
1	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	152.26	450.71	220.09	622.14
2	हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड	40.00	40.00	-	30.00
3	मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	11.24	16.00	17.00	25.00
4	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन	115.87	146.50	135.50	165.50
5	भारतीय खान ब्यूरो	18.61	18.50	19.50	24.00
6	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	6.73	7.43	7.43	8.05
7	निर्माण (एस.एस.आई. और आई.बी.एम.)	3.10	6.00	6.00	9.00
	<b>जोड़</b>	<b>347.81</b>	<b>685.14</b>	<b>405.52</b>	<b>883.69</b>

विभिन्न श्रेणियों के रूप में नियोजन का संगठन-वार ब्योरा

क्रम सं.	संगठन/ सरकारी क्षेत्रक के उपक्रम	कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	महिलाएं	अल्प-संख्यक	भूत-पूर्व सैनिक	शा.वि.	एल.डी.पी.
1	जी.एस.आई.	11234	2125	917	525	955	*	*	*	*
2	आई.बी.एम.	1364	298	119	62	160	85	*	*	*
3	नालको	7402	1188	1324	*	*	281	47	63	1985
4	एच.सी.एल.	5589	894	677	674	307	336	100	56	413
5	एम.ई.सी.एल.	2229	321	159	112	52	175	*	*	*

\* बताया नहीं गया

- अ.जा. - अनुसूचित जाति  
 अ.ज.जा. - अनुसूचित जनजाति  
 अ.पि.व. - अन्य पिछड़ा वर्ग  
 शा.वि. - शारीरिक रूप से विकलांग  
 एल.डी.पी. - भूमिहीन व्यक्ति

स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय	परियोजित परिणाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1. भारतीय भू-वैज्ञानिक संगठन (i) सर्वेक्षण और मानचित्रण	स्थलीय, समुद्री और हवाई सर्वेक्षणों के जरिए राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक सूचना और ज्ञान आधार का निर्माण और उन्नयन	30.79	(i) विशिष्ट विषयगत मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर में) 8850 (ii) भू-रासायनिक मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर में) 19880 (iii) भू-भौतिकीय मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर में) 13360 (iv) बहु-संस्तर सर्वेक्षण (लाइन किलोमीटर में) 28000 (v) ई.ई.जेड के भीतर पैरामीट्रिक अध्ययन क. बेथीमीटरी (लाइन किलोमीटर) 8000 ख. चुम्बकीय (लाइन किलोमीटर) 8000 (vi) टी.डब्ल्यू. के भीतर सुव्यवस्थित कवरेज (वर्ग किलोमीटर) 3500 (vii) टी.डब्ल्यू. के भीतर पैरामीट्रिक अध्ययन क. बेथीमीटरी (लाइन किलोमीटर) और ख. चुम्बकीय लाइन किलोमीटर)	निम्न कारणों से कमी रह सकती है: क. नीला पानी अनुसंधान पोतों और भू-तकनीकी पोतों का पुराना हो जाना। ख. हवाई सर्वेक्षणों के लिए रक्षा मंत्रालय और डी.जी.सी.ए. की स्वीकृति
(ii) खनिज सर्वेक्षण	खनिज संसाधनों की पहचान और प्रारम्भिक रूप से आंका जाना	19.62	(i) बड़े पैमाने पर मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर) 800 (ii) विस्तृत मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर) 33 (iii) ड्रिलिंग (एम) - 78400	-
(iii) विशिष्ट जांच	जल संसाधन विकास के लिए भू-वैज्ञानिक निविष्टि, भू-पर्यावरणिक अध्ययन विपत्ति प्रबन्धन, भूकम्प और लैंड स्लाइड क्षेत्र-निर्धारण	4.00	संख्या - 78	
(iv) अनुसन्धान, विकास और विकास	दक्षिण ध्रुवीय महाद्वीप का अध्ययन	6.59	994 (वर्ग किलोमीटर में)	निर्धारित समय पर
अन्य अन्वेषण	विभिन्न कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की सहायता के लिए और अभिज्ञात समस्याओं को सुलझाने के लिए पेट्रोलोजी, पैलीआनटोलोजी, जियोक्रोनोलोजी, फोटोजियोलोजी और दूरस्थ संवेदन		70 (संख्या)	-

स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय	परियोजित परिणाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
(v) सूचना प्रसार	कम्प्यूटरीकृत आर्किवल विश्लेषण, भू-वैज्ञानिक डाटा की पुन-प्राप्ति और विषय-आधारित सम्बन्धात्मक डाटा-आधार का निर्माण, नक्शों, प्रकाशनों और कस्टममाइज़ेशन द्वारा डाटा का प्रसार	17.75	36 (संख्या)	निर्धारित समय पर
(vi) मानव संसाधन विकास	प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता के उन्नयन के लिए विशेषता वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण	3.00	3.5 (40) (किस्मों की संख्या/ पाठ्यक्रमों की संख्या)	निर्धारित समय पर
(vii) आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन	जी.एस.आई. की आंतरिक क्षमताओं का उन्नयन करने और उनमें सुधार करने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं और सर्वेक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार	67.20	(i) हेलीबार्न सर्वेक्षण प्रणाली और हेलीकाप्टर लागत की शेष अदायगी (ii) सलाह प्रभागों की आंशिक/ अन्तरिम अदायगी और अनुसन्धान पोत की अग्रिम अदायगी	निर्धारित समय पर
(viii) एन.ई.आर. के लिए व्यवस्था	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों का विकास	16.55	1. सर्वेक्षण मानचित्रण (i) भू-वैज्ञानिक मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर) 600 (ii) विशिष्ट विषयगत मानचित्रण (150 वर्ग किलोमीटर) (iii) भू-रासायनिक मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर) 3120 (iv) भू-भौतिकीय मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर में) 16402 (v) खनिज अन्वेषण: 1. बड़े पैमाने पर मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर) 200 2. विस्तृत मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर) 2 3. ड्रिलिंग (मीटर) 1600 3. विशिष्ट अन्वेषण - 17 मर्दें 4. अनुसन्धान और विकास 5. सूचना प्रसार - 4 मर्दें	-
	<b>कुल जी.एस.आई. (योजना) (योजना-भिन्न)</b>	<b>165.50 197.91</b>		
<b>2. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड</b>		17.00	(i) ड्रिलिंग 24365 मीटर (ii) विकास खनन 634 मीटर (iii) सम्बद्ध भू-वैज्ञानिक क्रियाकलाप	सामान्यतः खनिज लक्षण वन क्षेत्रों में होते हैं और अन्वेषण का कार्य

स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय	परियोजित परिणाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
(i) संवर्धनात्मक			(मानचित्रण, सर्वेक्षण, सैम्पलिंग विश्लेषण, भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट और अयस्क बाडी माडलिंग	आवश्यक वन स्वीकृति मिलने पर ही किया जाता है।
(ii) पूंजी		8.00	पुराने संयंत्रों और उपस्करों का प्रतिस्थापन	
	<b>जोड़ : खनिज अन्वेषण कारपोरेशन</b>	<b>25.00</b>		
<b>3. भारतीय खान ब्यूरो</b> (i) वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित खनन, खनिज संरक्षण और खानों के पर्यावरण के लिए खानों का निरीक्षण	एम.एम. (डी ऐण्ड आर.) अधिनियम, 1957, एम.सी.डी.आर., 1988 एम.सी.आर. 1960 के संगत भागों के सांविधिक प्रवर्तन के जरिए खनिज संसाधनों का सुव्यवस्थित और संधारणीय विकास सुनिश्चित करना, खनिजों के संरक्षण को बढ़ावा देना, खान पर्यावरण की सुरक्षा करना और खनन क्षेत्रों में सामुदायिक विकास	<b>4.94</b> योजनाओं	एम.सी.डी.आर. के प्रवर्तन और खनन स्कीमों के अनुमोदन के लिए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार 2500 खानों का निरीक्षण किया जाएगा और 12 खनन भू-वैज्ञानिक अव्ययन किए जाएंगे, जिनमें सामुदायिक विकास के पहलू को कवर किया जाएगा। इस स्कीम का परिणाम खनिज निक्षेपों का सुनियोजित और वैज्ञानिक विकास, खनिजों का संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा और खानों को सतत बन्द रखना है। इस प्रयोजन से पट्टाधारियों द्वारा तैयार की गई खनन योजनाओं, खानों को बन्द करने की स्कीमों को भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है और उनके कारगर कार्यान्वयन के लिए उनका मानीटरन किया जा रहा है।	लक्ष्य को निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के मौजूदा संख्या में उपलब्ध होने पर प्राप्त किया जा सकता है। वर्ष के दौरान आई.बी.एम. की विभिन्न स्कीमों/ कार्यक्रमों के तहत सभी क्रियाकलाप सरकार द्वारा 6 मार्च 2003 को घोषित कार्यों के चार्टर के अनुरूप हैं। इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रियाकलाप विनियमनकारी होते हैं और उनका मात्राकरण नहीं किया जा सकता।
(ii) खनिज परिष्करण अध्ययन, निचले ग्रेड और उप-ग्रेड के अयस्कों का उपयोग और पर्यावरणिक नमूनों का विश्लेषण	देश के खनिज संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए खनिज उद्योग को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देना। इसके अलावा खानों के निस्त्राव के प्राचलों के मानीटरन के लिए वायु, जल और ठोस अपशिष्टों, आदि का विश्लेषण भी किया जा रहा है।	<b>5.74</b>	अयस्क प्रतिस्तरण अन्वेषण-70 रासायनिक विश्लेषण-50,000 खनिज-वैज्ञानिक परीक्षण- 2300 प्रयोगशालाओं के लिए अपेक्षित उपस्कर प्राप्त करने के लिए इस वर्ष कार्रवाई की जाएगी।	अधिकारियों और स्टाफ के पूरी संख्या में वर्ष भर उपलब्ध होने पर ही लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत क्रियाकलाप संवर्धनात्मक, तकनीकी और सलाहकारी स्वरूप के हैं और अनुसन्धान-उन्मुख हैं।
(iii) प्रौद्योगिकीय उन्नयन और आधुनिकीकरण	राष्ट्रीय खनिज निक्षेपों का अनुमान लगाना एवं खनिज एवं वन मानचित्रों के ओवरले तैयार करना। मानव जनशक्ति का विकास करना।	6.51	33 खनिजों के बारे में एन.एम.आई. को अद्यतन बनाने का काम पूरा किया जाएगा। 50 खनिजों का संक्षिप्त (समरी) उत्पादन किया जाएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक के लिए (खनिज एवं वन मानचित्रों के ओवरले के साथ 100 बहु-खनिज नक्शे तैयार किए जाएंगे। 16 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए जाएंगे। हैक्सावेलंट क्रोमियम के तनूकरण के बारे में एस. ऐण्ड टी. परियोजना जारी रखी जाएगी।	-

स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय	परियोजित परिणाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
(iv) आंकड़ों का संग्रह, प्रोसेसिंग और प्रसार	डाटा को प्रोसेस, विश्लेषण करने और प्रकाशनों के जरिए उनका प्रसार करने के लिए खानों और खनिजों का डाटा एकत्र करना	4.31	मंथली स्टैटिस्टिक्स आफ मिनरल्स के 12 अंकों, बुलेटिन आन मिनरल इन्फारमेशन के 2 अंकों, इंडियन मिनरल ईयर बुक, 2005, डायरेक्टरी आफ मिनरल कन्ज्यूमर आफ इंडिया, आदि का प्रकाशन भारत और अन्य चुने हुए छः देशों के खनन कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन।	विभिन्न एजेंसियों से डाटा एकत्र करने में समय लग सकता है।
(v) एन.ई.आर. के लिए व्यवस्था	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में खनिज क्षेत्रक का विकास	2.40	(i) खानों का निरीक्षण (ii) निचले ग्रेड के अयस्कों के परिष्करण परीक्षण (iii) खनन कार्मिकों को प्रशिक्षण (iv) उपस्कर और उपकरण सप्लाई करना	-
(vi) पूंजीगत व्यय	-	0.10	लघु कार्य	-
<b>जोड़ भारतीय खान ब्यूरो (योजना) (योजना-भिन्न)</b>	बुनियादी प्रशासनिक व्यय	<b>24.00</b> <b>16.13</b>		
<b>4. भारत गोल्ड माइन्ज लिमिटेड</b>	आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के व्यय को पूरा करना (योजना-भिन्न)	3.41		
<b>5. हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड</b> प्रतिस्थापन और नवीकरण	प्रतिस्थापन और नवीकरण द्वारा मौजूदा संयंत्र और खान-मशीनों का अधिकतम उपयोग	30.00	प्रतिस्थापित किए जाने वाले प्रमुख उपस्कर ये हैं: बिना समग्र उत्पादन (1) हाइड्रालिक एक्सकेवेटर (2) टेरशियरी क्रशर (3) कायल कम्पेक्टर (4) ड्राइयर (5) बनवास शफ्ट सिंकिंग (6) डोजर (7) एल.एच.डी.। 6 सितम्बर तक टेंडरिंग 31 मार्च, 2007 तक आर्डर देना/ उपयोग	आर. ऐण्ड आर. के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते।
	<b>जोड़. (एच.सी.एल.) योजना</b>	30.00		
	जोड़ (एच.सी.एल.) योजना-भिन्न	25.00	मात्राकरण नहीं किया जा सकता।	यह सरकारी क्षेत्रक के उपक्रम को सरकार द्वारा दिया गया ऋण है। यह केवल एक सुविधाप्रदायक सहायता है। डिबेंचरों की अदायगी के लिए एच.सी.एल. को योजना-भिन्न ऋण दिया गया है।

स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय	परियोजित परिणाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
<b>6. अन्य कार्यक्रम: विज्ञान और प्रौद्योगिकी</b>	खनन और अलौह धातुओं के बारे में अनुसंधान और विकास कार्य	4.50	राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने और खनिजों और अलौह धातुओं की क्षमताओं और शक्ति के निर्माण के लिए अनुसन्धान और विकास परियोजना	निरन्तर चलने वाला अनुसन्धान
	जोड़ (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) योजना	4.50		
तीन स्वायत्त निकायों (जे.एन.ए.आर. डी.डी. सी., एन.आई.आर.एम., और एन.आई.एम.एच.) के वेतनों के खर्च को पूरा करने के लिए (2.30 करोड़ रुपए) अन्तर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान (0.28 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय खनिज अवार्डों के लिए (0.33 करोड़ रुपए)			-	-
	जोड़ (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) योजना-भिन्न			
	जोड़ (विज्ञान और प्रौद्योगिकी)	4.50		
<b>7. नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड</b>				
क. लाभों को अधिकम बनाने की स्कीमें	कम्पनी के विभिन्न हिस्सों में उत्पादन/ उत्पादकता बनाए रखना	95.00	बाक्साइट, एल्यूमिना, एल्यूमिनियम और विद्युत की निर्धारित क्षमता को बरकरार रखा जाएगा। (प्रत्येक निम्नलिखित प्रमुख संयंत्र यूनिट में निर्धारित क्षमता बरकरार रखी जाएगी: बाक्साइट: 4800000 एम.टी., एल्यूमिना: 1575000 एम.टी., एल्यूमिनियम: 345000 एम.टी., विद्युत: 6391 एम.डब्ल्यू.)	

स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय	परियोजित परिणाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
ख. नई स्कीमें: चरण II विस्तार: 1. एल्यूमिना - चौथा स्ट्रीम 2. एल्यूमिना - चौथी पाट लाइन 3. सी.पी.पी. के IX और X यूनिट	क्षमता में वृद्धि: बाक्साइट खाने: 4800000 से 6300000एम.टी., एल्यूमिना रिफाइनरी: 1575000 से 2100000 एम.टी., स्मेल्टर: 345000 से 460000 एम.टी., सी.पी.पी.: 960 एम.डब्ल्यू. (120 एम.डब्ल्यू x 8) से 1200 एम.डब्ल्यू (120 एम.डब्ल्यू. x 10)	520.97	निर्धारित क्षमता दिसम्बर, 2008 तक बढ़कर 21 लाख एम.टी. एल्यूमिना, 4,60000 एम.टी. धातु और 1200 एम.डब्ल्यू. विद्युत की हो जाएगी। यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और 2006-07 के बाद पूरा होने का कार्यक्रम है। वर्ष 2006-07 में परिणाम शून्य होगा। 4091 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय से परियोजना के पूरा होने के बाद वार्षिक उत्पादन में वृद्धि होगी, अर्थात् 2008-09 में बाक्साइट का 63 लाख टी.पी.वाई., एल्यूमिना का 21 लाख टी.पी.वाई., विद्युत का 240 एम.डब्ल्यू. और एल्यूमिनियम का 4.60 टी.पी.वाई. उत्पादन होगा।	शून्य तारीख (26.10.2004) से शुरू होने की तारीख: बाक्साइट खाने: 42 महीने, एल्यूमिना रिफाइनरी: 46 महीने, स्मेल्टर: 50 महीने, सी.पी.पी.: 47 महीने।
4. उत्कल ई-कोयला	सी.पी.पी. के 9वें, 10वें, 11वें और 12वें यूनिट की कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई केप्टिव कोयला खान का आबंटन	5.17	वर्ष 2009-10 में अतिरिक्त कोयले की आवश्यकता को पूरा करना। परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और उसका कार्यान्वयन 2006-07 के बाद जारी रहेगा	पूरा होने का कार्यक्रम क्षमता के अंतिम निर्धारण और निवेश के निर्णय पर निर्भर है।
5. कतार परियोजना	स्मेल्टर स्थापित करने के लिए अध्ययन	1.00	“ग्रीन फील्ड स्मेल्टर” के सम्भाव्यता अध्ययन के लिए स्कीम के नाम और विषय-वस्तु में परिवर्तन किया जा रहा है।	चूंकि कतार ने कोई खास रुचि नहीं ली, इसलिए परियोजना को बन्द किया जा रहा है।
	<b>जोड़ - नाल्को</b>	<b>622.14</b>		
<b>8. निर्माण</b>	भारतीय खान ब्यूरो और भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन में इमारत निर्माण	<b>9.00</b>	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन - शिलांग में सभा-भवन और अतिथि-गृह का निर्माण, उत्तरांचल में कार्यालय के लिए और रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण के लिए जमीन की खरीद, जयपुर में सभा-भवन और अतिथि-गृह का निर्माण, गुवाहाटी में कार्यालय की इमारत और रिहायशी क्वार्टरों के लिए जमीन की खरीद, लखनऊ में रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण, भारतीय खान ब्यूरो के लिए गुवाहाटी, भुवनेश्वर, देहरादून में कार्यालय के निर्माण के लिए जमीन की खरीद	जारी रहने वाली स्कीम
	<b>जोड़ - निर्माण</b>	<b>9.00</b>		
सचिवालय खास। यह व्यवस्था मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए है			मात्राकरण नहीं किया जा सकता। यह केन्द्र के नियंत्रणाधीन खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के लिए है।	
	<b>जोड़ (सचिवालय खास) योजना-भिन्न</b>	<b>8.86</b>		
	<b>जोड़ - योजना परिव्यय</b>	<b>883.69</b>		

### 9.3 ऊर्जा

9.3.1 जनसंख्या में वृद्धि होने और सकल घरेलू उत्पाद में अधिक बढ़ोतरी होने के कारण ऊर्जा की मांग भारत के लिए बढ़ रही है। लेकिन, सप्लाई की स्थिति तंग बनी हुई है और इस कारण ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा, ऊर्जा की कीमत और भारत और चीन जैसे देशों में वृद्धि की संधारणीयता सम्बन्धी चालू राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय वाद-विवाद का केन्द्रीय विषय बनी हुई है। “राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम” में निर्धारित एक उद्देश्य यह था कि “संधारणीय विकास के साथ जुड़ी एकीकृत ऊर्जा नीति निर्धारित की जाएगी”। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, सरकार ने एकीकृत ऊर्जा नीति तैयार करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (ऊर्जा), डॉ. किरित एस. पारिख की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की। इस बीच समिति ने अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है और ऐसी बहुत-सी नीतिगत पहलों का सुझाव दिया है, जो ऊर्जा क्षेत्रक के संधारणीय विकास के सम्बन्ध में की जानी जरूरी हैं।

9.3.2 ऊर्जा नीति की व्यापक कल्पना यह है कि सभी क्षेत्रकों की उर्जा सेवाओं की मांग को प्रतियोगी कीमतों पर विश्वसनीय रूप से पूरा किया जाए। इसके अलावा, सभी घरों की ऊर्जा की आवश्यकताओं को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए, चाहे उसके लिए कमजोर वर्गों के घर-परिवारों के लिए निदेशित सब्सिडी देनी पड़े। यह मांग न्यूनतम कीमत पर, तकनीकी रूप से संधारणीय तरीके से, सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक रूप वाली ऊर्जा से पूरी की जानी चाहिए। भारत को ऐसी प्रौद्योगिकियों का अनुसरण करना चाहिए, जिनसे ऊर्जा की कार्यकुशलता में अधिक से अधिक वृद्धि हो, मांग का प्रबन्ध हो और संरक्षण हो। जहां भी सम्भव हो, ऊर्जा मार्केटें प्रतियोगी होनी चाहिए। दोषपूर्ण प्रतियोगिता के मामले में, ऊर्जा क्षेत्रक का स्वतंत्र विनियमन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। ऊर्जा की समूची श्रृंखला में ऊर्जा-कार्यकुशलता में सुधार करना और मार्केट और उपभोक्ता व्यवहार का विनियमन करने के लिए प्रोत्साहन देना/ हतोत्साहित करना ऐसी बातें हैं, जिनकी ओर नीतिगत मामलों में तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

### कोयला क्षेत्रक

9.3.3 कोयला देश में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। देश के कोयला संसाधन 1.1.2006 को 253.30 बिलियन टन के हैं, जिनमें 95.86 बिलियन टन परीक्षित निक्षेप हैं। 1.1.2006 को देश में लिग्नाइट के 37 बिलियन टन के संसाधन होने का अनुमान लगाया गया था, जिनमें से परीक्षित निक्षेप 4.26 बिलियन टन के हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना में कोयले की प्रक्षेपित मांग को पूरा करने के लिए कोयला क्षेत्र का तेजी से विकास करने की परिकल्पना की गई थी। जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों में ये शामिल हैं: कोयला क्षेत्रक का पुनर्गठन, कोयला उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक खंड में न्यायोचित प्रतियोगिता और बराबरी के खेल का मैदान सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र विनियमनकारी प्राधिकरण की स्थापना, पूरी तरह से परिवर्तनीय जी.सी.वी. आधारित मूल्य-निर्धारण पद्धति को अपनाना, सम्भाव्य उद्यमियों को, प्रतियोगी बोलियां लगाए जाने के जरिए, कोयला ब्लाक प्रस्तुत करना, 20 प्रतिशत कोयला-उत्पादन को ई-नीलामी के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध करना, दीर्घकालिक सप्लाई संविदाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त तापीय कोयले के आयात को बढ़ावा देना, कोयले के स्व-स्थाने गैसीकरण को बढ़ावा देना और कोयला तल मीथेन जुटाना। कोयले की सुधरी हुई आवाजाही के लिए, रेल और पत्तनों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ाने पर भी बल दिया जाना जरूरी है।

### वार्षिक योजना 2005-06 की समीक्षा

9.3.4 कच्चे कोयले की 444.82 मिलियन टन की प्रक्षेपित मांग की तुलना में, वास्तविक उठान 436.14 मिलियन टन का था और कोयले का उत्पादन 410.85 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में 406.99 मिलियन टन हुआ। नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड ने लिग्नाइट उत्पादन के 20.40 मिलियन टन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और एन.एल.सी. से सकल विद्युत उत्पादन 16247 एम.यू. था, जो लक्ष्य से 3.45 प्रतिशत अधिक था। कोयला मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि वर्ष के दौरान 2645.32 करोड़ रुपए का व्यय हुआ, जो 4001.40 करोड़ रुपए की

व्यवस्था (बजट अनुमान) के लगभग 66 प्रतिशत के बराबर है। इसका ब्योरा, दसवीं योजना के दौरान इस क्षेत्रक के कार्य-निष्पादन के साथ, संलग्नक-9.3.1 में दिया गया है। केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीमों के कार्य-निष्पादन की जानकारी संलग्नक-9.3.5 में दी गई है। घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की आपात कोयला उत्पादन योजना तैयार की गई थी और सरकार द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति देने में होने वाले प्रक्रियात्मक विलम्ब को न्यूनतम करने के लिए कार्रवाई की गई। लगभग 5 प्रतिशत कोयला-उत्पादन की बिक्री खुली मार्केट में ई-नीलामी द्वारा की गई।

### राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम

9.3.5 राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में कोयला क्षेत्रक से संगत कोई मुद्दा नहीं है, सिवाय इस बात के कि खनिज रायल्टी की समीक्षा करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कोयले और लिग्नाइट पर रायल्टी की गणना करने के लिए एक फार्मूले की सिफारिश की है, जिसे कार्यान्वित करने के लिए उसकी जांच कोयला मंत्रालय के अन्तर्गत एक समिति द्वारा की जा रही है।

### वार्षिक योजना 2006-07

#### कोयले की मांग

9.3.6 वार्षिक योजना 2006-07 के लिए प्रक्षेपित कोयला मांग 474.18 मिलियन टन है, जो वर्ष 2005-06 में हुए अनन्तिम उठान से लगभग 9 प्रतिशत अधिक है। अनुमानित मांग की नौ प्रतिशत के बराबर मांग कोकिंग कोयले के लिए है, जो 31.83 मिलियन उष्ण धातु (हाट मेटल) की सहायता के लिए आवश्यक होता है। गैर-कोकिंग कोयले की कुल अनुमानित मांग का 75 प्रतिशत भाग विद्युत क्षेत्रक के 446 बी.यू. के ईंधन के लिए है। लगभग 5 प्रतिशत मांग 158.56 मिलियन टन के सीमेंट उत्पादन कार्यक्रम के लिए सीमेंट क्षेत्रक के लिए है; लगभग 6 प्रतिशत मांग केप्टिव विद्युत और शेष 11.79 प्रतिशत मांग अन्य क्षेत्रकों के लिए है। कोयले की अनुमानित मांग का ब्योरा संलग्नक-9.3.2 में दिया गया है।

### कोयला उत्पादन

9.3.7 वार्षिक योजना 2006-07 के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य 424.27 मिलियन टन रखा गया है, जो वर्ष 2005-06 के उत्पादन से लगभग 4.24 प्रतिशत अधिक है। इसमें सी.आई.एल. से 363.80 मिलियन टन, एस.सी.सी.एल. से 37.50 मिलियन टन, टिस्को/ इस्को/ डी.वी.सी. से 6.38 मिलियन टन, केप्टिव ब्लाकों से 9.27 मिलियन टन और अन्य स्रोतों से 7.32 मिलियन टन का उत्पादन शामिल है। कम्पनी-वार कोयला-उत्पादन की जानकारी संलग्नक-9.3.3 में दी गई है।

### धुले कोयले का उत्पादन

9.3.8 सी.आई.एल. स्रोतों से धुले हुए कोकिंग कोयले और धुले हुए तापीय कोयले का उत्पादन लक्ष्य से निरन्तर कम हो रहा है। बी.सी.सी.एल. क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर.एण्ड आर.) मुद्दों की ओर उपयुक्त रूप से ध्यान देकर कोकिंग कोयले के उत्पादन को बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसके अलावा, पर्यावरण मंत्रालय की पर्यावरणिक शर्तों को पूरा करने के लिए धुले हुए तापीय कोयले को बढ़ाने के लिए और अधिक वाशरियों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। विद्युत-उत्पादन के लिए धुले हुए तापीय कोयले की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, विद्युत उत्पादन में धुले हुए तापीय कोयले का उपयोग करने के अर्थशास्त्र और उससे होने वाले पर्यावरणिक लाभों की जांच करने के लिए एक कार्य-समूह गठित किया गया था। कार्य-समूह ने अपनी रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत कर दिया है।

### मांग आपूर्ति और कोयले की आवाजाही

9.3.9 प्रक्षेपित मांग को घरेलू उत्पादन और आयात के जरिए पूरा किए जाने की योजना बनाई गई है। इस वर्ष 46.62 मिलियन टन कोयले (24.19 मिलियन टन कोकिंग और 22.43 मिलियन टन गैर-कोकिंग कोयला) का आयात करने का प्रस्ताव है। 196.21 मिलियन टन घरेलू कोयले की दुलाई रेल द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए प्रति दिन चार पहियों वाले 24457 माल-डिब्बों की आवश्यकता होगी।

9.3.10 तालचर, कोरबा, उत्तरी कर्णपुरा और भूपलपल्ली जैसे सम्भाव्य कोयला क्षेत्रों में कतिपय महत्वपूर्ण रेल संयोजन स्थापित किए जाने हैं। एम.सी.एल. में तालचर और पारादीप रेल संयोजन को दोहरा बनाना और उसका विद्युतीकरण, दीपिका-पेण्डरा सड़क-रेल संयोजन का निर्माण और एस.ई.सी.एल. में राबर्टसन स्टेशन से मांड-रायगढ़ कोयला क्षेत्र के लिए रेल संयोजन का विकास, सी.सी.एल. के उत्तरी कर्णपुरा में टोरी-शिवपुरी रेल लाइन का निर्माण, आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रेल संयोजन हैं, जो दसवीं योजना में सम्भाव्य कोयला क्षेत्रों के विकास के लिए निर्धारित किए गए हैं। रेलवे ने इनमें से कुछ संयोजनों के कार्यान्वयन के काम को हाथ में लिया है।

### जनशक्ति और नियोजन की स्थिति

9.3.11 वर्ष 2005-06 के दौरान (31.3.2006 की स्थिति के अनुसार) सी.आई.एल. में कर्मचारियों की संख्या 453820 थी। इसे वर्ष 2006-07 में (31.3.2007 को) घटा कर 441019 तक लाने का प्रस्ताव है, जो वर्ष 2005 की तुलना में 2.86 प्रतिशत कम है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई.सी.एल.) के पुनरुज्जीवन की योजना को सरकार द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया है कि ई.सी.एल. कर्मचारियों की संख्या को 2005-06 की 101662 की प्रत्याशित संख्या से घटा कर 2009-10 में 88196 कर्मचारियों के स्तर तक लाने की स्कीम का पालन कड़ाई से करेगी, अर्थात् 3.48 प्रतिशत प्रति वर्ष की कमी।

9.3.12 एस.सी.सी.एल. में कर्मचारियों की संख्या को 85600 (31.3.2006 की स्थिति) से घटा कर 82800 (31.3.2007 की स्थिति) तक लाने का प्रस्ताव है, अर्थात् 3.27 प्रतिशत की कमी की जाएगी। लेकिन, एन.एल.सी. में जनशक्ति में थोड़ी सी वृद्धि की परिकल्पना की गई है।

### उत्पादकता

9.3.13 वर्ष 2005-06 में सी.आई.एल. के 3.30 टन (यू.जी.-0.73 टन, ओ.सी. - 7.95 टन) के समूचे प्रत्याशित ओ.एम.एस. की तुलना में, 2006-07 के लिए 3.56 टन (यू.जी. - 0.73 टन., ओ.सी.- 8.66 टन) के ओ.एम.एस.

का लक्ष्य रखा गया है। उत्पादकता में प्रस्तावित वृद्धि 2005-06 के प्रत्याशित ओ.एम.एस. से लगभग 8 प्रतिशत अधिक है।

9.3.14 एस.सी.सी.एल. के मामले में, 2.00 टन. (यू.जी.-0.86 टन, ओ.सी.-8.90 टन) के समूचे प्रत्याशित ओ.एम.एस. की तुलना में 2.38 टन. (यू.जी.-1.04 टन, ओ.सी.-8.17 टन) के ओ.एम.एस. का लक्ष्य रखा गया है। प्रस्तावित वृद्धि 2005-06 में प्रत्याशित ओ.एम.एस. से 19 प्रतिशत अधिक है।

### केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीमें

#### संवर्धनात्मक अन्वेषण

9.3.15 वर्ष 2005-06 में संवर्धनात्मक अन्वेषण के लिए 1,13,000 मीटर के ड्रिलिंग के लक्ष्य की तुलना में, सम्भाव्य उपलब्धि 1,58,250 मीटर की ड्रिलिंग की होगी। इसकी तुलना में, 2006-07 में ड्रिलिंग का लक्ष्य 1,54,325 मीटर रखा गया है।

#### गैर-सी.आई.एल. ब्लाकों में विस्तृत ड्रिलिंग

9.3.16 सम्भाव्य उद्यमियों को खनन ब्लाकों का आबंटन करने और उनके द्वारा कोयला खनन के कार्य शुरू करने के बीच समय के अन्तराल को कम करने के लिए गैर-सी.आई.एल. ब्लाकों में विस्तृत ड्रिलिंग करने की स्कीम हाथ में ली गई थी। 2005-06 में 38350 मीटर ड्रिलिंग के लक्ष्य की तुलना में, सम्भाव्य उपलब्धि 32000 मीटर है। वर्ष 2006-07 के लिए 30500 मीटर ड्रिलिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

### विज्ञान और प्रौद्योगिकी

9.3.17 कोयला विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए जोर देने वाले क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रमुख निर्धारित मुद्दे ये हैं: कोयला गैसीकरण, कोयला धुलाई, कम वाष्पशील (वोलेटाइल) कोकिंग कोयले का परिष्करण, कोयला द्रवीकरण, तरलीकृत तल दहन (फ्लुइडाइज्ड बेड कम्पशचन), ग्रीन हाउस गैसों के नियंत्रण के लिए कार्बनडाई ऑक्साइड का

पृथक्करण, और सी.बी.एम. का निष्कर्षण। वर्ष 2005-06 (संशोधित अनुमान) के 14.884 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में, 2006-07 में 21.09 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

### पर्यावरणिक उपाय और धंसाव नियंत्रण (ई.एम.एस.सी.)

9.3.18 इस समय, धंसाव नियंत्रण के अन्तर्गत 9 स्कीमें, पर्यावरणिक उपायों के अन्तर्गत 3 स्कीमें, पुनर्वास (सामाजिक न्यूनीकरण) के अन्तर्गत 2 स्कीमें और अग्निकांड नियंत्रण के अन्तर्गत 4 स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। लेकिन झरिया कोयला क्षेत्र में आग लगने और रानीगंज में धंसाव के मुद्दों की ओर ध्यान देने के लिए परियोजना मोड के जरिए एक व्यापक कार्यप्रणाली अपनाए जाने की जरूरत होगी, क्योंकि ये समस्याएं बहुत लम्बे समय से चली आ रही हैं और इन समस्याओं के सुलझाए जाने से कोकिंग कोयले के बहुमूल्य निक्षेपों का संरक्षण करने और इन कोयला क्षेत्रों में असुरक्षित स्थितियों से बचने में सहायता मिलेगी।

### सुरक्षा और कल्याण

9.3.19 वर्ष 2005 के दौरान सी.आई.एल. में मृत्युसंख्या दर 0.28 प्रति मिलियन टन कोयला उत्पादन सूचित की गई थी। इसी प्रकार, एस.सी.सी.एल. में मृत्युसंख्या दर 0.35 प्रति मिलियन टन कोयला उत्पादन थी।

9.3.20 2005-06 में समूचा आवास संतुष्टि सी.आई.एल. में 90 प्रतिशत और एस.सी.सी.एल. में 60 प्रतिशत होने की प्रत्याशा है। 2006-07 में इसे बढ़ाकर, सी.आई.एल. में 93 प्रतिशत और एस.सी.सी.एल. में 63 प्रतिशत तक लाने की योजना है। सी.आई.एल. द्वारा वर्ष 2005-06 में कुल 29.42 लाख की आबादी को जल आपूर्ति स्कीम के अन्तर्गत लाए जाने की सम्भावना है। इसकी तुलना में, 2006-07 में 29.41 लाख लोगों को इस स्कीम द्वारा कवर किए जाने की योजना है। एस.सी.सी.एल. में, 2005-06 और 2006-07 के दौरान 0.65 लाख लोगों को कवर किए जाने की

योजना है।

### योजना परिव्यय

9.3.21 कोयला मंत्रालय के लिए 2005-06 के बजट अनुमानों में 4001.40 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। कोयला मंत्रालय द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, बजट अनुमानों के लगभग 66 प्रतिशत के बराबर व्यय हुआ है। वर्ष 2005-06 के व्यय का ब्योरा संलग्नक-9.3.1 में दिया गया है।

9.3.22 वार्षिक योजना 2006-07 के लिए कोयला मंत्रालय के वास्ते 4799.50 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस परिव्यय का वित्तपोषण 4630.79 करोड़ रुपए के आन्तरिक और बजट-बाह्य संसाधनों (आई.ई.बी.आर.) से और 168.71 करोड़ रुपए की सकल बजट सहायता (जी.बी.एस.) द्वारा किया जाना है। ई.ए.पी. का कोई संघटक (बजट के माध्यम से दिया जाने वाला संघटक) नहीं है और समूची बजटीय सहायता कोयला मंत्रालय की सरकारी क्षेत्रक की स्कीमों के लिए है। कम्पनी-वार/स्कीम-वार ब्योरा संलग्नक-9.3.4 में दिया गया है।

### विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाएं

9.3.23 कोयला क्षेत्रक में कोई विदेशी सहायताप्राप्त परियोजना नहीं है।

### कार्य-निष्पादन समीक्षा और परिणाम बजट

9.3.24 उत्पादन, कुल खरीद और उपलब्धि, केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीमों की उपलब्धि, आदि के सम्बन्ध में कार्य-निष्पादन की समीक्षा संलग्नक-9.3.1 से 9.3.5 में दी गई है।

### पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रक

9.3.25 अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतें, तेल आयात बिल और तेल सुरक्षा चिन्ता के विषय बन गए हैं। इन चिन्ताओं को दूर करने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं। इनमें मौजूदा फील्डों से उत्पादन को

बढ़ाना, विदेशों में इक्विटी तेल और गैस अभिग्रहण करना, कोयला तेल मिथेन को जुटाना, पेट्रोल का एथनोल के साथ मिश्रण करना, और जैव-डीज़ल को बढ़ावा देना शामिल है। के.जी. बेसिन में हाल में हुई खोजों से देश के अन्दर गैस की आपूर्ति में काफी वृद्धि होने की सम्भावना है।

### राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम

9.3.26 “यह कार्यक्रम यह परिकल्पना करता है कि सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा को विशेष रूप से तेल के क्षेत्र में, बढ़ाने की नीतियां तत्काल लागू करेगी। हाइड्रोकार्बन उद्योग में समुद्रपारीय निवेशों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा।”

इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, कच्चे तेल का 5 मिलियन टन का कार्य-नीतिगत भंडार बनाने की एक परियोजना को हाथ में लिया गया है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) दोनों ने सुधरी तेल प्राप्ति/वर्धित तेल प्राप्ति तकनीकों के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा फील्डों के उत्पादन को बढ़ाने के उपाय किए हैं। इसके अलावा, सरकार ऐथनोल-मिश्रित पेट्रोल और जैव-डीज़ल को बढ़ावा दे रही है। भारत में, एक देश से दूसरे देश में जाने वाली (ट्रांसनेशनल) पाइपलाइन के जरिए, प्राकृतिक गैस का आयात करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड ने, जो तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन की समुद्रपारीय भुजा है, कुछ उत्पादक परिसम्पत्तियां प्राप्त की हैं, और वह विदेशों में कुछ अतिरिक्त अन्वेषणात्मक तेल और गैस परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करने/ परखने का काम कर रही है। ओ.आई.एल., आई.ओ.सी. और जी.ए.आई.एल.भी विदेशों में अन्वेषण और उत्पादन परिसम्पत्तियों को अभिग्रहण करने के प्रयत्न कर रहे हैं।

### वार्षिक योजना 2005-06 की समीक्षा

#### पेट्रोलियम उत्पादों की मांग/ खपत

9.3.27 पेट्रोलियम उत्पादों की खपत वर्ष 2005-06 के दौरान 111.92 मिलियन टन थी, जो वर्ष 2004-05 में हुई 111.59 मिलियन टन की खपत से 0.3 प्रतिशत अधिक है।

### अन्वेषण और उत्पादन

#### अन्वेषण और विकास के लिए ड्रिलिंग

9.3.28 दो राष्ट्रीय तेल कम्पनियों, तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) और संयुक्त उद्यम वाली गैर-सरकारी कम्पनियों अन्वेषण और उत्पादन के क्रियाकलाप कर रही हैं। अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग के मामले में ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. की उपलब्धि 419.94 हजार मीटर के लक्ष्य की तुलना में 403.33 हजार मीटर थी। अपतटीय क्षेत्रों में ओ.एन.जी.सी. की कम उपलब्धि का मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में रिगों का अभाव था। सरकारी क्षेत्रक के दो प्रति-प्रवाह (अपस्ट्रीम) उपक्रमों के लिए विकासात्मक ड्रिलिंग के 427.34 हजार मीटर के लक्ष्य की तुलना में, उपलब्धि 482.14 हजार मीटर की थी। अन्वेषणात्मक और विकासात्मक ड्रिलिंग का ब्योरा संलग्नक-9.3.6 में दिया गया था।

#### कच्चे (क्रूड) तेल का उत्पादन

9.3.29 वर्ष 2005 के दौरान कच्चे तेल का प्रत्याशित उत्पादन 34.42 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में 32.20 मिलियन टन था। उपलब्धि में कमी होने का मुख्य कारण यह था कि ओ.एन.जी.सी. के मुम्बई हाई फील्ड में एक उत्पादन प्लेटफार्म पर आग लग गई थी। कुल उत्पादन में गैर-सरकारी/ संयुक्त उद्यम वाली कम्पनियों का योगदान 4.55 मिलियन टन था, जो 4.51 मिलियन टन के लक्ष्य से थोड़ा सा अधिक है।

#### प्राकृतिक गैस उत्पादन

9.3.30 वर्ष 2005-06 में प्राकृतिक गैस के उत्पादन का लक्ष्य 30.87 बी.सी.एम. था, जिसकी तुलना में 32.20 बी.सी.एम. का उत्पादन हुआ। ओ.एन.जी.सी. के अपतटीय फील्डों और ओ.आई.एल. से अपेक्षाकृत अधिक योगदान मिलने से कुल उत्पादन में वृद्धि हुई। लेकिन गैर-सरकारी/ संयुक्त उद्यम वाली कम्पनियों का योगदान लक्ष्य से थोड़ा सा कम है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का ब्योरा संलग्नक-9.3.7 में दिया गया है।

## परिष्करण और विपणन

9.3.31 घरेलू परिष्करण क्षमता, 1.04.2005 की स्थिति के अनुसार, 127.37 मिलियन टन प्रतिवर्ष थी। घरेलू परिष्करणशालाओं से पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता समूचे आधार पर घरेलू मांग से अधिक थी। वर्ष 2005-06 के दौरान, पेट्रोलियम उत्पादों का निवल निर्यात 9.83 मिलियन टन था।

## इस क्षेत्रक की अन्य घटनाएं

9.3.32 इस क्षेत्रक की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में ये शामिल हैं:

- सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत बोली लगाने के 5 चक्रों में अन्वेषण के लिए अब तक 110 ब्लाक प्रदान किए हैं। इसके अलावा, एन.ई.एल.पी. के अन्तर्गत बोलियों के छठवें चक्र के तहत 55 ब्लाकों की पेशकश की गई है। नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत तेल और गैस की कुल 30 खोजें की गई हैं, जिनमें कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गैस की खोज सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जहां से 2008-09 तक लगभग 40 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन का उत्पादन प्रत्याशित है।
- कोयला तह मीथेन के लिए बोलियों के दो चक्रों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और कुल 16 ब्लाक प्रदान कर दिए गए हैं।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक अधिनियम, 2006 अधिसूचित कर दिया गया है।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अक्टूबर, 2005 में जैव-डीजल खरीद नीति घोषित की।
- 5 प्रतिशत तक एथनोल-मिश्रित पेट्रोल अधिसूचित क्षेत्रों में बी.आई.एस. मानकों के अनुसार बेचा जाना था। यह कार्यक्रम सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमतों पर एथनोल के उपलब्ध न होने के कारण आगे नहीं बढ़ सका।

- एक देश से दूसरे देश में जाने वाली पाइपलाइनों के जरिए ईरान, म्यांमार और तुर्कमेनिस्तान जैसे विभिन्न देशों से गैस आयात करने के लिए पहलें की गई हैं। लेकिन, इन पाइपलाइनों को अमल में लाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि कुछ द्विपक्षीय/ तृपक्षीय मुद्दों को सुलझा लिया जाए।

## परिव्यय एवं व्यय

9.3.33 वर्ष 2005-06 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रक के 27269.69 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में, संशोधित अनुमान 27538.48 करोड़ रुपए के हैं।

## वार्षिक योजना 2006-07

### पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

9.3.34 वर्ष 2005-06 में पेट्रोलियम उत्पादों की 111.92 मिलियन टन की वास्तविक खपत की तुलना में, वर्ष 2006-07 के लिए अनुमानित मांग 114.0 मिलियन टन की है, जो 1.85 प्रतिशत की संवृद्धि दर की सूचक है।

## अन्वेषण और उत्पादन

### अन्वेषणात्मक और विकासात्मक ड्रिलिंग

9.3.35 वर्ष 2006-07 के लिए ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. के वास्ते अन्वेषणात्मक और विकासात्मक ड्रिलिंग के लक्ष्य क्रमशः 481.01 हजार मीटर और 542.07 हजार मीटर हैं। ये लक्ष्य वर्ष 2005-06 की उपलब्धियों से क्रमशः 19.2 प्रतिशत और 12.4 प्रतिशत ऊंचे हैं। ड्रिलिंग के क्रियाकलापों का कम्पनी-वार ब्योरा संलग्नक-9.3.6 में दिया गया है।

### कच्चे तेल का उत्पादन

9.3.36 वर्ष 2006-07 के लिए कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य 35.87 मिलियन टन है, जो वर्ष 2005-06 की 32.20 मिलियन टन की उपलब्धि से 11.4 प्रतिशत ऊंचा है। उत्पादन में वृद्धि मुख्यतः वर्धित तेल प्राप्ति (ई.ओ.आर.)/

सुधरी तेल प्राप्ति (आई.ओ.आर.) परियोजनाओं के कारण हुई है। कच्चे तेल के उत्पादन का ब्योरा संलग्नक-9.3.7 में दिया गया है।

### प्राकृतिक गैस उत्पादन

9.3.37 वर्ष 2006-07 के लिए प्राकृतिक गैस उत्पादन का लक्ष्य, वर्ष 2005-06 के 32.20 बी.सी.एम. के वास्तविक उत्पादन की तुलना में, 31.63 बी.सी.एम. रखा गया है। लक्ष्य को पहले की अपेक्षा कम रखे जाने का कारण यह है कि उम्रदराज हो रहे फील्डों के प्राकृतिक ह्रास के कारण ओ.एन.जी.सी. से कम उत्पादन प्राप्त होने की सम्भावना है। सरकारी क्षेत्र के तेल-उत्पादक उपक्रमों के अन्तर्गत उत्पादन का क्षेत्र-वार ब्योरा संलग्नक-9.3.8 में दिया गया है।

### परिष्करण क्षमता

9.3.38 पहली अप्रैल, 2006 की स्थिति के अनुसार, परिष्करण-क्षमता 138.47 मिलियन टन प्रति वर्ष थी, जिसके 1 अप्रैल, 2007 तक बढ़ कर 141.70 मिलियन टन प्रति

i)	सर्वेक्षण - ओ.एन.जी.सी.	2036.40 करोड़ रुपए
ii)	अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग - ओ.एन.जी.सी.	2955.25 करोड़ रुपए
iii)	विकासात्मक ड्रिलिंग - ओ.एन.जी.सी.	2501.50 करोड़ रुपए
iv)	जे.वी.सी. भागीदारिता - ओ.एन.जी.सी.	1243.57 करोड़ रुपए
v)	साखालिन विकास परियोजना - ओ.वी.एल.	1923.00 करोड़ रुपए
vi)	सूडान अन्वेषण ब्लाक 5ए और 5बी - ओ.वी.एल.	430.87 करोड़ रुपए
vii)	जी.एन.ओ.पी. सूडान - ओ.वी.एल.	487.34 करोड़ रुपए
viii)	ड्रिलिंग तथा सर्वेक्षण (असम और अरुणाचल प्रदेश) - ओ.आई.एल.	918.90 करोड़ रुपए
ix)	दहेज उरन पाइपलाइन परियोजना - गेल	1318.00 करोड़ रुपए
x)	विजयपुर कोटा पाइपलाइन परियोजना - गेल	173.99 करोड़ रुपए
xi)	पानीपत रिफाइनरी का 6 एम.एम.टी.पी.ए. विस्तार - आई.ओ.सी.	653.00 करोड़ रुपए
xii)	मुम्बई रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना- ग्रीन ईंधन- एच.पी.सी.एल.	600.00 करोड़ रुपए
xiii)	विशाखापत्तनम रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना - स्वच्छ ईंधन- एच.पी.सी.एल	600.00 करोड़ रुपए
xiv)	मुंदरा-दिल्ली पाइपलाइन - एच.पी.सी.एल.	500.00 करोड़ रुपए
xv)	भारत ओमान रिफाइनरी में निवेश - बी.पी.सी.एल.	300.00 करोड़ रुपए
xvi)	मुम्बई-मंगलिया का पियाला तक विस्तार - बी.पी.सी.एल.	350.00 करोड़ रुपए
xvii)	क्रूड रिसीप्ट फेसिलिटी एस.बी.एम. - के.आर.एल.	300.00 करोड़ रुपए
नोट :	एमटी = मिलियन टन	
	एमटीपीए = मिलियन टन पर ऐनम	

वर्ष हो जाने की सम्भावना है। परिष्करण क्षमता का ब्योरा संलग्नक-9.3.9 में दिया गया है।

### योजना परिव्यय

9.3.39 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रक के सम्बन्ध में वार्षिक योजना 2006-07 के लिए 33063.04 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है (अन्वेषण और उत्पादन के लिए 25377.06 करोड़ रुपए और परिष्करण और विपणन क्षेत्रक के लिए 7685.98 करोड़ रुपए)। इस समूचे परिव्यय को आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधनों से पूरा किया जाना है। परिव्यय और व्यय का कम्पनी-वार ब्योरा संलग्नक-9.3.10 में दिया गया है।

### प्रमुख परियोजनाएं

9.3.40 वर्ष 2006-07 में कार्यान्वित की जा रही कुछ प्रमुख परियोजनाओं और उनके परिव्यय की जानकारी नीचे दी गई है:

2005-06 के दौरान भौतिक और वित्तीय निष्पादन का ब्योरा

(रूपये करोड़ में)

	2004-05 वास्तविक	2005-06		दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों में वार्षिक संवृद्धि	मध्यावधिक मूल्यांकन के अनुसार 10वीं योजना में परिकल्पित संवृद्धि
		लक्ष्य	वास्तविक (पी)		
कोयले की मांग/ खरीद (मि.ट.)	411.59	444.82	436.14	5.50	5.74
कोयला उत्पादन (मि.ट.)					
सीआईएल एवं	323.57	351.04	343.37	5.26	4.64
एससीसीएल	35.30	36.00	36.13	4.06	3.11
अन्य	23.73	23.81	27.49	12.20	3.81
जोड़	382.61	410.85	406.99	5.55	4.46
एनएलसी लिग्नाइट उत्पादन (मि.ट.)	21.56	20.40	20.43	2.70	4.20
एनएलसी सकल विद्युत उत्पादन (बीयू)	<b>16746</b>	<b>15705</b>	<b>16247</b>	<b>2.97</b>	<b>4.60</b>
<b>व्यय (करोड़ रूपए)</b>					
सी आई एल	1188.31	2814.35	1722.35		
एस सी सी एल	274.87	395.00	404.40		
एन एल सी खानें	133.56	274.44	109.24		
एन एल सी विद्युत	85.45	365.56	270.44		
केन्द्रीय स्कीमें	189.23	152.05	138.89*		
कुल योग	1871.42	4001.40	2645.32		

\* संशोधित अनुमान 2005-06.

संलग्नक-9.3.2

2006-07 के लिए कोयले की मांग का ब्यौरा

(मिलियन टन)

क्र. सं.	क्षेत्रक	दसवीं	
		2005-06 लक्ष्य	2006-07 मध्यावधि समीक्षा
	कोकिंग कोयला		
1	इस्पात	40.70	40.70
2	कोक भट्टियां	3.00	2.00
	<b>नॉन कोकिंग</b>	<b>43.70</b>	<b>42.70</b>
	<b>उप-जोड कोकिंग:</b>		
3	विद्युत उपयोबिनाए	322.00	317.00
	स्टॉक		5.00
4	सीमेंट	25.40	25.40
5	इस्पात (डीआर)	7.00	7.00
6	रेल	-	-
7	उर्वरक	3.52	3.52
8	एलटीसी/साफ्ट कोक*		0.20
9	कोकरीज/कोक भट्टी*एन एल डब्ल्यू		1.50
10	निर्यात	0.10	0.10
11	केप्टिव विद्युत	28.26	28.26
12	ईट और अन्य	41.70	40.00
13	कोयला खान खपत	2.50	2.50
	<b>उप-जोड गैर-कोकिंग:</b>	<b>430.48</b>	<b>430.48</b>
	<b>कुल योग (कोयला)</b>	<b>474.18</b>	<b>473.18</b>
	<b>एनएलसी</b>		
14	लिंगनाइट	20.40	21.50
15	सकल विद्युत उत्पाद	15705	16359

टिप्पणी : (i) \* ईट और अन्य में सम्मिलित

2006-07 के लिए कंपनी-वार कोयला उत्पादन

(मिलियन टन)

कंपनी	दसवीं योजना	
	2006-07 लक्ष्य	2006-07 लक्ष्य (मध्यावधि मूल्यांकन)
ई सी एल	33.00	34.50
बी सी सी एल	25.20	27.00
सी सी एल	42.00	44.00
एन सी एल	52.00	54.00
डब्ल्यू सी एल	42.00	44.00
एस ई सी एल	88.50	88.50
एम सी एल	80.00	80.00
एन ई सी	1.10	1.00
सी आई एल (कुल)	363.80	373.00
एस सी सी एल	37.50	37.50
टिस्को/ इस्को/ डी वी सी	6.38	
केप्टिव	9.27	21.00
अन्य	7.32	
कुल योग	<b>424.27</b>	<b>431.50</b>

संलग्नक-9.3.4

2006-07 के लिए कंपनी-वार / स्कीम वार परिव्यय और व्यय

(रुपए करोड़ में)

कंपनी/ स्कीम	2006-07 बजट अनुमान
कोल इंडिया लि०	3063.70
सिंगरेनी को कंपनी वि०	577.09
नेवेली लिग्नाइट निगम	459.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	21.09
कोयला नियंत्रक संगठन	0.22
क्षेत्रीय/ संवर्धनात्मक अन्वेषण	60.00
पर्यावरण उपाय और धसकन नियंत्रण	55.92
Detailed drilling in Non-CIL Blocks	11.61
सूचना प्रौद्योगिकी	3.00
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम*	-
<b>जोड़ - कोयला और लिग्नाइट</b>	<b>4251.63</b>
नेवेली लिग्नाइट निगम	531.00
(एन ई सी)	16.87
<b>कुल योग - (कोयला मंत्रालय)</b>	<b>4799.50</b>

2005-06 तथा 2006-07 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों का आउटकम बजट

Sl. No	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / आउटकम	परिव्यय 2005-06 (आर ई)	परिव्यय 2006-07	क्वांटिफियाबल डिलीवरेबल्स	प्रक्रिया समय-सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
1	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	कार्यालय में आई टी सुविधाएं उपलब्ध कराना	1.00	—	—	—	—
2	विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी (एस एण्ड टी)	आर एण्ड डी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन/ उत्पादकता सुरक्षा, कोल बैनिफिसियशन, कोयले का सदुपयोग, पर्यावरण और प्रकृति तन्त्र	14.84	21.09	2005.06 की वा. यो. की बकाया चल रही 52 स्कीमों सहित 2006-07 की वा.यो की 51 स्कीमें प्रगति पर है।	परियोजना की समय सीमा अलग-अलग होती है और आमतौर पर एक वर्ष से भी अधिक समय और लग जाता है। कार्यान्वयन की प्रगति का मानीटरण अर्धवार्षिक बैठकों में निष्पादन समीक्षा, वार्षिक योजना तैयार करते समय किया जाता है। सौ करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा एस ओ सी द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है।	परियोजनाओं का मूल्यांकन ज्यादातर शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थानों द्वारा स्वतंत्र रूप से या कोयला कम्पनियों से मिल कर किया जाता है। अनुसंधान परियोजनाओं की समीक्षा स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति के अध्यक्ष द्वारा भी की जाती है, जिसके अध्यक्ष कोयला मंत्रालय के सचिव होते हैं। एस एस आर सी के अन्य सदस्य अन्य कोयला कम्पनियों के सी ई ओ होते हैं। सी एस आई आर डी एस टी, योजना आयोग तथा शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होते हैं। कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए सी एम पी डी आई नोडल एजेंसी की भूमिका निभाती है।
3	कोयले व लिग्नाइट का क्षेत्रीय खनन	नेशनल इन्वेंटरी में कोयले और लिग्नाइट के अतिरिक्त संसाधन देखना कोयला/ लिग्नाइट	49.88	60.00	कुल 1.58 लाख मीटर ड्रिलिंग कोयला 0.89 लिग्नाइट 0.69 की संभावना 2005-06 के लिए रखी गई है। वा.यो. 2006-	i) ड्रिलिंग ii) एसोसिएटिड अध्ययन iii) स्रोत सूचना प्रणाली का विकास ड्रिलिंग के लक्ष्य वास्तव में वार्षिक आधार पर हैं। अर्धवार्षिक निष्पादन समीक्षा /बैठकों	

Sl. No	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / आउटकम	परिव्यय 2005-06 (आर ई)	परिव्यय 2006-07	क्वांटिफियाबल डिलीवरेबल्स	प्रक्रिया समय-सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
		संसाधन सूचना प्रणाली एवं सी बी एम अध्ययन			07 के लिए 1054 लाख मी. कोयले का लक्ष्य रखा गया 1.1.2005 को 147 बैट को मुकाबले 1.1.2006 में 253 बैट कोल स्रोतों का अनुमान लगाया गया। 1.1.06 को 37 बैट लिग्नाइट स्रोतों का अनुमान लगाया	में कार्यान्वयन की प्रगति का मॉनीटरिंग किया जाता है तथा वार्षिक योजना तैयार की जाती है।	
4	नॉन सी आई एल में विस्तृत खनन	क्षेत्रीय खनन के दौरान पता लगाए संसाधनों को सिद्ध करना। कोयला अध्ययन और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए भूगर्भीय रिपोर्ट के उपयोग हेतु आंकड़ें तैयार करना	18.81	11.61	वा. यो. 2005-06 के लिए प्रत्याशित 0.32 लाख मीटर ड्रिलिंग वार्षिक योजना 2006-07 के लिए निर्धारित 0.3 लाख मीटर ड्रिलिंग लक्ष्य रखा गया।	i) ड्रिलिंग ii) जी आर तैयार करना। वार्षिक योजना की एक्सरसाइज के दौरान कार्यान्वयन की प्रगति का मॉनीटरिंग किया जाता है।	कोयला मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि निजी उद्यमियों को कैप्टिव खनन के लिए कोल-ब्लॉक तब तक आवंटित नहीं किए जाएंगे, तब तक कि ब्लॉक का डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन पूरा नहीं होता। भविष्य में कोल ब्लॉक्स की निलामी की संभावना है, अतः अनेक नॉ सी आई एल ब्लॉक्स की ड्रिलिंग की आवश्यकता नहीं होगी। अतिरिक्त ड्रिलिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए इस कार्य के कुछ भाग बाहरी स्रोतों को देना होगा।
5	पर्यावरण संबंधी उपाय और सबसिडी नियंत्रण (ईएम एससी)	झारिया और रानीगंज के पुराने खनन क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा असुरक्षित क्षेत्र से जनसंख्या की	28.64	55.92	वा. यो. 2005-06 की तुलना में 19 परियोजनाओं के मुकाबले वा. यो. 2006-07 में 18 परियोजनाओं पर कार्यान्वयन हो रहा है, जिसमें	परियोजना अवधि अलग-अलग होती है और उसमें ही एक वर्ष और बढ़ जाता है इस प्रक्रिया में मिट्टी का ट्रांसपोटेशन स्टोविंग, ब्लैकेटिंग ऑफ फायर, घर खाली कराना, परिवारों को	अग्नि की समस्याओं से निबटने के लिए मास्टर प्लान झारिया और रानीगंज में सबसीडेंस और पुनर्वास 20 वर्षों से कोयला की खादनों में खनन के लिए चरणबद्ध तरीके से तैयार किया जा रहा है। स्कीम

Sl. No	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / आउटकम	परिव्यय 2005-06 (आर ई)	परिव्यय 2006-07	क्वांटिफियाबल डिलीवरेबल्स	प्रक्रिया समय-सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
		डिज़लिंग			निम्नालिखित गतिविधियां शामिल हैं (i) घर खाली करना (ii) खाली जगहों को भरना (स्ट्रोरिंग) तथा मिट्टी से फायर का ब्लैकेटिंग करना (iii) अत्याधिक खतरनाक क्षेत्रों से परिवारों को अन्यत्र बसाना (iv) स्टोर्विंग के लिए बोर होल्स की डिज़लिंग (v) मिट्टी का ट्रांसपोटेशन	अन्यत्र बसाना, वा.यो. की एकत्र राहत में कार्यान्वयन की प्रगति का मानीटरण किया जाता है।	के तहत दी जाने वाली प्राथमिकता वाली स्कीमों को शुरू किया जाता है, कोयला सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें राज्य सरकारों व कोल कम्पनियों के प्रतिनिधि भी होते हैं व संबंधित केंद्रीय मंत्रालय प्रगति का मानीटरण करते हैं। संबंधित राज्य सरकारों का सहयोग भी परियोजनाओं के पुनर्वास के कार्यान्वयन अन्यत्र स्थापन के लिए जरूरी होता है
6	कोयला नियंत्रक संगठन	विभिन्न विधान से लिए संवैधानिक कार्यों जैसे कोलियरी कंट्रोल आदेश 2000 आदि पूरे करना एवं कोयला संबंधी आंकड़े एकत्रित करना	0.22	0.22	प्रक्रिया चल रही है।	वार्षिक आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर कोयला की निर्देशिका तैयार करना उसे प्रकाशित कराना आंकड़े एकत्रित कर उनका विशलेषण करना।	
7	पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान		25.50	16.87	क्वांटिफाई नहीं किया गया	डिज़लिंग	पूर्वोत्तर राज्यों में कोयले का एक्सप्लोरेशन।

विद्युत वितरण खर्च  
दफ्तरीय दस्तावेज

(\*000 फीस; u Vu)

क्र.सं.	2004-05 अवधि	2005-06		2006-07 अवधि
		अवधि	अवधि	
	2	3	4	6.00
<b>1. विद्युत वितरण</b>				
<b>अवधि, u th l h</b>				
i) तटवर्तीय	178.98	211.00	226.53	258.07
ii) अपतटवर्तीय	112.62	142.34	120.62	129.54
<b>मि. त. +</b>	<b>291.60</b>	<b>353.34</b>	<b>347.15</b>	<b>387.61</b>
<b>अवधि, y</b>				
i) तटवर्तीय	37.89	66.60	56.18	93.40
ii) अपतटवर्तीय	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>मि. त. +</b>	<b>37.89</b>	<b>66.60</b>	<b>56.18</b>	<b>93.40</b>
<b>त. + ¼ DI ½</b>	<b>329.49</b>	<b>419.94</b>	<b>403.33</b>	<b>481.01</b>
<b>2. फोडकल वितरण</b>				
<b>अवधि, u th l h</b>				
i) तटवर्तीय	283.15	214.84	262.50	271.58
ii) अपतटवर्तीय	110.75	134.00	115.48	185.00
<b>मि. त. +</b>	<b>393.90</b>	<b>348.84</b>	<b>377.98</b>	<b>456.58</b>
<b>अवधि, y</b>				
i) तटवर्तीय	115.67	78.50	104.16	85.49
ii) अपतटवर्तीय	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>मि. त. +</b>	<b>115.67</b>	<b>78.50</b>	<b>104.16</b>	<b>85.49</b>
<b>त. + ¼ फोडकल ½</b>	<b>509.57</b>	<b>427.34</b>	<b>482.14</b>	<b>542.07</b>

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसकच्चे तेल का उत्पादन

(मिलियन)

क्षेत्र	2004-05 वास्तविक	2005-06		2006-07 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि #	
ए) ओ एन जी सी				
i) तटवर्ती	8.32	8.07	8.10	8.60
ii) अपतटवर्ती	18.17	18.54	16.31	18.75
उप-जोड़ (क)	26.49	26.61	24.41	27.75
ब) ओ ई एल				
i) तटवर्ती	3.19	3.30	3.24	3.55
ii) अपतटवर्ती	0.00	0.00	0.00	0.00
उप-जोड़ (ब)	<b>3.20</b>	<b>3.30</b>	<b>3.24</b>	<b>3.55</b>
कुल (ओएनजीसी + ओईएल)	<b>29.69</b>	<b>29.91</b>	<b>27.65</b>	<b>31.30</b>
जे वी सी / गैर -सरकारी	4.30	4.51	4.55	4.57
जोड़	<b>33.99</b>	<b>34.42</b>	<b>32.20</b>	<b>35.87</b>

# अस्थायी

संलग्नक-9.3.8

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस  
प्राकृतिक गैस उत्पादन (बीसीएम)

(बिलियन क्यूबिक मीटर)

क्षेत्र	2004-05 वास्तविक	2005-06		2006-07 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि #	
ए) ओ एन जी सी				
i) तटवर्ती	5.53	5.51	5.63	5.79
ii) अपतटवर्ती	17.44	15.89	16.94	16.18
उप-जोड़ (क)	<b>22.97</b>	<b>21.40</b>	<b>22.57</b>	<b>21.97</b>
ब) ओ ई एल				
i) तटवर्ती	2.01	2.07	2.27	2.36
ii) अपतटवर्ती	0.00	0.00	0.00	0.00
उप-जोड़ (ब)	<b>2.01</b>	<b>2.07</b>	<b>2.27</b>	<b>2.36</b>
कुल (ओएनजीसी + ओईएल)	<b>24.98</b>	<b>23.47</b>	<b>24.84</b>	<b>24.33</b>
जे वी सी / गैर -सरकारी	<b>6.78</b>	<b>7.40</b>	<b>7.36</b>	<b>7.30</b>
जोड़	<b>31.76</b>	<b>30.87</b>	<b>32.20</b>	<b>31.63</b>

# अस्थायी

परिष्करण क्षमता

(01 अप्रैल को मिलियन टन प्रतिवर्ष)

रिफाइनरी का नाम	2005	2006	2007
1. आई ओ सी, गुवाहाटी	1.00	1.00	1.00
2. आई ओ सी, बरौनी	6.00	6.00	6.00
3. आई ओ सी, गुजरात	13.70	13.70	13.70
4. आई ओ सी, हल्दिया	6.00	6.00	6.00
5. आई ओ सी, मथुरा	8.00	8.00	8.00
6. आई ओ सी, डिगबोई	0.65	0.65	0.65
7. आई ओ सी, पानीपत	6.00	12.00	12.00
8. आई ओ सी, मुम्बई	6.90	12.00	12.00
9. एच पी सी एल, मुम्बई	5.50	5.50	7.90
10. एच पी सी एल, विशाखापटनम	7.50	7.50	8.33
11. के आर एल, कोच्चि	7.50	7.50	7.50
12. सी पी सी एल, मनाली	9.50	9.50	9.50
13. सी पी सी एल, नारीमानस	1.00	1.00	1.00
14. बी आर पी एल, बोंगाईगांव	2.35	2.35	2.35
15. एन आर एल, नुमलीगढ़	3.00	3.00	3.00
16. एन आर एल, मंगलौर (जेवी)	9.69	9.69	9.69
17. ओ एन जी सी, ततीपका	0.08	0.08	0.08
18. आर पी एल, जामनगर	33.00	33.00	33.00
<b>जोड़</b>	<b>127.37</b>	<b>138.47</b>	<b>141.70</b>

संलग्नक-9.3.10

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस  
परिव्यय/ व्यय

(रूपए करोड़ में)

कंपनी का नाम	2004-05 वास्तविक	2005-06		2006-07 बजट अनुमान
		बजट अनुमान	वास्तविक	
<b>क. अन्वेषण और उत्पादन</b>				
1. ओ एन जी सी - ओ वी एल	4264.46	5500.00	6703.45	6654.25
2. ओ एन जी सी	10451.88	10487.01	12735.61	14354.28
3. ओ आई एल	796.78	1346.85	1205.70	1788.95
4. जी ए आई एल	438.96	3772.60	1378.87	2579.58
<b>उप-जोड़ (क)</b>	<b>15952.08</b>	<b>21106.46</b>	<b>22023.63</b>	<b>25377.06</b>
<b>ख. रिफाइनरी और विपणन</b>				
1. आई ओ सी	3324.00	2988.03	2896.24	3194.01
2. एच पी सी एल	365.62	1010.50	857.00	2365.00
3. बी पी सी एल	460.04	1038.70	807.60	927.70
4. सी पी सी एल	235.12	121.00	106.50	124.50
5. के आर एल	167.78	218.00	157.00	326.15
6. बी आर पी एल	18.03	20.00	28.11	110.04
7. आई बी पी	252.02	200.00	200.00	200.00
8. एन आर एल	106.18	142.00	123.40	147.00
9. ओ एन जी सी - एम आर पी एल	100.32	425.00	339.00	291.58
<b>उप-जोड़ (ख)</b>	<b>5029.11</b>	<b>6163.23</b>	<b>5514.85</b>	<b>7685.98</b>
<b>जोड़ पेट्रोलियम</b>	<b>20981.19</b>	<b>27269.69</b>	<b>27538.48</b>	<b>33063.04</b>

## 9.4 सूचना प्रौद्योगिकी

### दसवीं पंचवर्षीय योजना प्रमुख उद्देश्य

9.4.1 दसवीं पंचवर्षीय योजना में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के लिए प्रमुख उद्देश्य परिकल्पित किए गए हैं वे हैं साफ्टवेयर क्षेत्रक की धारणीय संवृद्धि सुनिश्चित करना और विश्व की सूचना प्रौद्योगिकी मार्केट में भारत के हिस्से को, जो इस समय 2 प्रतिशत है, बढ़ाकर 6 प्रतिशत करना; हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग के विकास के लिए बुनियादी नीतिगत ढांचा तैयार करना और उसे उचित स्थान देना; अधिक कार्यकुशल, पारदर्शी और अनुक्रियाशील शासन को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग के लिए उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप करना; साफ्टवेयर पर भारतीय भाषाओं का विकास और उपयोग को बढ़ावा देना; सूचना प्रौद्योगिकी के खर्च को सहनीय बनाने, उसका उपयोग आसान बनाने और उसे दिन-प्रति दिन के जीवन के लिए उपयोगी बनाने के जरिए, सूचना प्रौद्योगिकी को जन-साधारण के पास पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाना; और जनशक्ति की गुणवत्ता, कौशल और अनुसंधान तथा विकास में सुधार करने के लिए अपेक्षित नीतिगत ढांचे की स्थापना करना।

### प्रमुख पहलें और महत्व का क्षेत्र

9.4.2 दसवीं योजना की अवधि में की जाने वाली प्रमुख पहलों में ये शामिल हैं : एक राष्ट्रीय हार्डवेयर नीति तैयार करना; साफ्टवेयर विकास में गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाना; साफ्टवेयर के निर्यात के लिए जोरदार विपणन करना, जसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को प्राथमिकता देने के अलावा, यूरोप, यू.के., एशिया पेसिफिक, जापान में नई उभरती हुई मार्केटों की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करना;

साफ्टवेयर का भारतीय भाषाओं में विकास और संवर्धन, ताकि सूचना प्रौद्योगिकी को जन-साधारण तक ले जाया जा सके और घरेलू मार्केट का विस्तार किया जाए; जनशक्ति की गुणवत्ता में सुधार करने और देश में इलेक्ट्रॉनिक शासन को व्यापक रूप से मूर्त रूप देने के लिए इंजीनियरी कॉलेजों में सुविधाओं का उन्नयन करना ।

### वार्षिक योजना 2005-06 : कार्यनिष्पादन की समीक्षा

9.4.3 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और आई टी और आई टी वर्ष 2005-06 के दौरान भी अपनी सेवाओं से महत्वपूर्ण विकास की ओर आगे बढ़ाया है । भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आई टी उद्योग का उत्पाद वर्ष 2005-06 में अनुमानतः लगभग 185600 करोड़ रहा एवं 21.58% के विकास को रिकार्ड किया है यह पिछले वर्ष के मुकाबले 10% अधिक विकास है । इसमें टर्न ओवर में सी ए जी आर का 28% तथा निर्यात में 32 % उपलब्धि 5 वर्षों के दौरान हासिल की है ।

9.4.4 पिछले 5 वर्षों के दौरान आई टी उद्योग की उत्पादन संबंधी रूप-रेखा सारणी 9.4.1 में दर्शाई गई है । सॉफ्ट वेयर और सर्विस इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स ने एक्सपोर्टर्स में शानदार विकास किया जो कुल 80180 करोड़ रूपये तक पहुँच गया है और पिछले वर्ष के मुकाबले 37% की वृद्धि हुई है । आई.टी.ई.एस. - बी पी ओ क्षेत्र में 37% वृद्धि हुई है, जो यू एसएस 6.3 बिलियन तक पहुँच गया है। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र ने अनुमानतः 18500 करोड़ रूपये का उत्पादन स्तर हासिल कर लिया है जिस में 10% का विकास हुआ है। वर्ष 2005-06 के दौरान आई टीज, बी पी ओ ने लगभग यू एस \$ 6.3 बिलियन की निर्यात राजस्व कमाया और 48% का विकास किया है।

तालिका 9.4.1  
सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का उत्पादन

(करोड़ रुपये में)

मद	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
आईटी हार्डवेयर	30,700	32,750	37,050	43800	50,500	56,000
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	37,750	48,134	59,000	74490	101920	129660
जोड़	68,450	80,124	96,950	118290	152420	185660

9.4.5 कुल आई.टी /आई.टी.ई.स. के लगभग 70% लोग यूएसए भारत से लेता है, 23% यूरोप में चले जाते हैं तथा निर्यात बाजार में शेष 8% पूरे विश्व में जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में सकल घलेलू उत्पाद वर्ष 1997-98 के 1.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 4.8% हो गया। मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार भारत में सूचना प्रौद्योगिकी और आई टी ई (एस) क्षेत्रों से नियुक्त व्यावसायिकों (प्रोफेशनलों की संख्या 12,87,000) (बारह लाख सतासी हजार है)।

9.4.6 सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विविध कार्यक्रमों / योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हेतु वर्ष 2005-06 की वार्षिक योजना में 1087.50 करोड़ रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। इसमें 929.30 करोड़ रूपए की बजट सहायता और 158.26 करोड़ रूपए का आई ई बी आर शामिल था। संशोधित अनुमान के स्तर पर परिव्यय घट कर 1040.26 करोड़ रूपए हो गया; बजट सहायता घट कर 882.00 करोड़ रूपए हो गई। तथापि विभाग द्वारा स्रोत जुटाव के प्रयास उत्साहवर्धक रहे हैं। अनुमोदित परिव्यय और व्यय का योजनावार ब्यौरा अनुबंध 9.4.1 में देखा जा सकता है।

9.4.7 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में ई.शासन, टेलीमेडीसन, टेलीएजुकेशन, भाषा प्रौद्योगिकी विकास, बायो-इन्फोरमेटिक्स, नैनो-टेक्नोलॉजी, जम्मू तथा कश्मीर में सामुदायिक सूचना केन्द्रों की स्थापना, जनता के लिए कम लागत वाले आई सी टी टूल्स का प्रचार करना, सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा साइबर शिक्षा, वृहतस्तर के एकीकृत डिजाइन के क्षेत्र में उच्च कार्य निष्पादन वाले परिकलन और जनशक्ति का विकास करना क्षेत्रों में कतिपय केन्द्रित पहले की हैं। वर्ष के दौरान कार्यान्वित मुख्य पहलों/ कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

### ई-शासन

9.4.8 राष्ट्रीय ई-शासन योजना, को केन्द्रीय सरकार की श्रेणी के 09 घटकों; राज्य सरकार की श्रेणी के 10 मिशन मोड परियोजनाओं, एकीकृत सेवा श्रेणी के अंतर्गत 07 एम.एम.पी., और सपोर्ट घटकों, को नीतियों, कोर

इन्फ्रास्ट्रक्चर, आर एंड डी, एच आर डी और प्रशिक्षण आदि के लिए 08 परियोजनाओं को शामिल करते हुए तैयार किया गया है। एक शीर्ष समिति गठित की गई है जो कि राष्ट्रीय ई-शासन परियोजना और मिशन मोड परियोजनाओं की मानीटरिंग करती है - केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों से इनपुट लेकर एक मंत्रिमंडल-नोट तैयार किया गया है। इस नोट द्वारा ई-शासन योजना के दृष्टिकोण और मुख्य घटकों के लिए औपचारिक अनुमोदन मांगा गया है। राष्ट्रीय ई-शासन योजना के तीन महत्वपूर्ण घटक जो प्रभावी सेवा सुपुर्दगी के लिए मुख्य आधारभूत संरचना तैयार करते हैं ओर ये हैं (i) डेटा-केन्द्रों की स्थापना करना (ii) देश भर में 100,000 साधारण सेवा केन्द्र (कामन सर्विस सेन्टर) स्थापित करना। मंत्रिमंडल ने देश भर में 29 राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में कुल 3344.00 करोड़ रूपए के परिव्यय पर स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क कार्यान्वित करने का अनुमोदन कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने पहले ही विभिन्न राज्यों में वृहत स्तर पर ई-शासन पहलों के कार्यान्वयन से जुड़ी प्रबंधकीय और तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्यान्वयन और परियोजना दोनों स्तरों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम पहले शुरू कर दी हैं।

### उन्नत परिगणना के विकास हेतु केंद्र (सी-डैक)

9.4.9 वर्ष 2005-06 के दौरान उच्च निष्पादन परिगणना, मल्टी लिंग्वल कम्प्यूटिंग, स्पीच प्रोसेसिंग, पॉवर इलेक्ट्रानिक्स के अत्यंत बड़े स्तर के डिजाइन, साइबर सुरक्षा आदि के क्षेत्र में अनेक परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया गया। इनमें से बहुत सी परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। वर्ष के दौरान कार्यान्वित की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल था :

- 40 प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान में सहायता करने के लिए कुल चिह्नित कम्प्यूटिंग और डाटा संसाधनों में एक राष्ट्रीय पहल के रूप में देश भर में दक्षता विकसित करना और महत्वपूर्ण संगणना सुविधा की इस अवधारणा के प्रभाग का करना।
- भाषा संगणना में तमिल, हिन्दी, तेलुगु, पंजाबी और उर्दू जारी की गई हैं। हिन्दी और मराठी के

लिए ओ सी आर टूल्स, हिन्दी सी डी शुरू करके सार्वजनिक कर दी गई हैं।

- हैंड पोर्टेबल टेबल डिजीटल मोबाइल रेडियो, वॉयस डेटा और डायरेक्ट मोड समता के साथ विकसित किया गया है।
- ए एस आई सी कोर विकसित किया गया है और बी ए आर सी में विकसित कर दिया गया है।
- बायो-मेडीकल इनसट्रुमेंटेशन लागू करने के लिए एक दो प्रोसेसर वाला बोर्ड विकसित किया गया है।
- पी0पी0पी0 मोड के अंतर्गत विश्व स्तर पर प्रतियोगिता करने वाली ट्रिपल-पले ब्रॉड बैंड तकनीकी का विकास करने के लिए परियोजना।
- एफओएसएस आधारित टूल्स और उसके अनुप्रयोग विकसित किए गए हैं और ई-लर्निंग, ई-गवर्नेंस, एस.ओ. ए. रिमार्क, ओपन ऑफिस ब्राउन्सर और भारतीय भाषाओं के लिए मेल एजेन्ट हेतु आरंभिक प्रयोग में डाल दिया गया है।
- सी-डैक के टेलीमेडिसन उत्पादों को पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और केरल में पथ-प्रदर्शक के रूप में उपलब्ध कराया गया है।
- साइबर सुरक्षा में सी-डीएसी ने साइबर अदालतों एडाप्टिव इन्ट्रूशन, ईवेंट ट्रेकिंग, नेटवर्क सिस्टम सुरक्षा ओर वैब सर्विस, सुरक्षा के लिए समाधान और पद्धतियां तैयार, विकसित की है और उनका फैलाव किया है। इन क्षेत्रों से निरंतर अनुसंधान और विकास की प्रक्रिया जारी है।

## हार्डवेयर नीति

9.4.10 विभाग ने उद्योग एसोसिएशनों से परामर्श करके "इलैक्ट्रॉनिक/ सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर उत्पादक उद्योग की प्रगति को बढ़ाने के लिए अवधारणत्मक नीतिगत संरचना" नामक एक दस्तावेज तैयार किया है। इस दस्तावेज में टेरिफ नीति, ईएक्सआईएम नीति, हार्डवेयर मेन्यूफेक्चरिंग, कलस्टर पार्क, आर.एण्ड डी. को सहायता, "मेड इन इंडिया" उत्पादों की मार्केटिंग, बड़ी इलैक्ट्रॉनिक्स मेन्यूफेक्चरिंग सेवा कम्पनियों को भारतीय प्रचालन स्थापित करने के लिए

आमंत्रित करना, सेमी कंडक्टर उद्योग का विकास आदि मुद्दों पर लिखा गया है। इस दस्तावेज के बारे में नेशनल मेन्यूफेक्चरिंग कम्पीटीटिव काउंसिल (एनएमसीसी) सहित विभिन्न पणधारियों के साथ चर्चा की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इलैक्ट्रॉनिक्स/ सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर की प्रगति के लिए प्रोन्साहन पैकज का प्रस्ताव किया है। इस उभरते हुए क्षेत्र में विशेषतौर पर करों और संबंधित गैर टेरिफ बाधाओं के संबंध में नियमों और विनियमों की रूपरेखा तैयार किए जाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

## सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी)

9.4.11 इस कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण पहल जम्मू और कश्मीर राज्य में सामुदायिक सूचना केन्द्रों की स्थापना करना था। 60 सीआईसी स्थापित करने का प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। 60 सामुदायिक सूचना केन्द्रों के वेब पोर्टल विकसित कर लिए गए हैं। सीआईसी के संचालकों को जनता तक नागरिक केन्द्रित ई-शासन की सेवाओं की सुपुर्दगी करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। दूसरे चरण में राज्यों में शेष 75 सीआईसी स्थापित करने की आवश्यक कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। 75 सीआईसी में से 53 केन्द्रों में कार्य करना शुरू कर दिया है, शेष 22 सीआईसी केन्द्रों ने जुलाई 2006 में कार्य करना शुरू कर दिया है।

## राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन. आई. सी.)

वर्ष 2005-06 के दौरान लक्षित 31 महत्वपूर्ण परियोजनाओं/ गतिविधियों में कम्प्यूटर सहायता प्राप्त डिजीटल नक्शाचित्रण में तकनीकी कारणों से छह शहरों के डिजीटल नक्शा संकलन को छोड़कर वे सभी परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा वर्ष के दौरान शुरू की गई महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं : फायवॉल, एंटीवायरस आदि का कार्यान्वयन करके 22 राज्यों के नेटवर्क को पुनः बनाया गया है, सरकारी मंत्रालयों/ विभागों के लिए 300 नई वेब साइटों को पोषित करना, बी.ए.आर.सी. में सी.ए.डी. परियोजना पर इंडिया पोर्टल प्रोजेक्ट कार्यान्वयन के प्रथम रूपांतर का विकास, दिल्ली में साइबर सुरक्षा की आवश्यकता के अनुरूप

एन.आई.सी.की विभिन्न इकाइयों में एन.ए.एन. रिस्ट्रक्चरिंग; एन.आई.सी. को प्रमाणकर्ता प्राधिकरण बनाने हेतु ऑफसाइट डिजास्टर रिकवरी साइट स्थापित करना; नए सृजित जिलों में दो जिला केन्द्र स्थापित करना; ग्रामीण विकास कार्यक्रम मंत्रालय के साथ जिला स्तर के भूमि रिकार्ड डेटा केन्द्र के सृजन के लिए साफ्टवेयर का डिजायन तैयार करना और विकास करना, ग्रामीण विकास कार्यक्रम मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करके जिला स्तर के भूमि रिकार्ड डेटा केन्द्र का सृजन करने के लिए साफ्टवेयर का डिजायन तैयार करना और विकास करना; सिविल अदालतों के कम्प्यूटरीकरण हेतु उनका उन्नयन ।

### मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण

9.4.13 सुरक्षा उत्पाद परीक्षण हेतु सामान्य मानदण्ड कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। एस.टी.क्यू.सी. कम्पनी कार्य मंत्रालय की 21 परियोजनाओं का परीक्षण और लेखा परीक्षण किया है। लगभग 800 उपभोक्ताओं को आई.एस.ओ. 9000 और आई एस ओ 14000 के लिए अंतरराष्ट्रीय अधिकृत प्रमाणन सेवा और उत्पाद सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त एस.टी.क्यू.सी. ने उत्पाद सुरक्षा, निरीक्षण और प्रमाणन, गुणवत्ता प्रबंधन सेवाओं के संबंध में टेस्टिंग और कैलिब्रेशन प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सर्वेक्षक की सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। एस.टी.क्यू.सी. ने भारत में टेम्परेचर कैलिब्रेशन और इलेक्ट्रो-मेकेलिकल कैलिब्रेशन के लिए प्रथम एनएबीएल अधिकृत सुविधा स्थापित की है। इस कार्यालय ने दिसम्बर 2005 तक अपनी सवोओं से 26-63 करोड़ रूपए का राजस्व अर्जित किया है। अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि, कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉस सिस्टम (सी.ई.ओ.टी.-आई.एन) को स्थापित करना था। एस.टी.क्यू.सी. निदेशालय मानक और साफ्टवेयर आश्वासन के संबंध में भारत-अमेरिका साइबर सुरक्षा फोरम के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एवं टेक्नोलॉजी (एनआईएसटी) संयुक्त राज्य अमरीका के साथ घनिष्ठ संबंध जोड़ा है। पेनीट्रेशन, टेस्टिंग एंड और सुरक्षा मूल्यांकन के लिए सुविधा स्थापित की गई है और इसकी सेवाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। इसमें एथिकल हैकिंग पर एक प्रमाणित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल है :

### अन्य महत्वपूर्ण पहले:

9.4.14 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई अन्य महत्वपूर्ण पहलों में शामिल हैं :

- टेलीमेडिसिन संबंधी महत्वपूर्ण पहल के क्षेत्र में शामिल हैं -प्रौद्योगिकी स्थापित करना और तीन प्रमुख मेडीकल संस्थानों अर्थात् एसजीपीआईएम, लखनऊ, एआईआईएमएस, पीजीआईएमआर चंडीगढ़ को जोड़ने; तीन विशेषज्ञता अस्पतालों और केरल के दो दूरस्थ केन्द्रों में टेलीमेडिसिन की सुविधा मुहैया करवाना; प्रगत अस्पताल प्रबंधन पद्धति का अंतिम परीक्षण और इसका महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंस; सेवाग्राम के संबंध में कार्यान्वयन; पांच रेफरल अस्पतालों और पश्चिम बंगाल के 09 जिला अस्पतालों और त्रिपुरा आदि में दो रेफरल केन्द्रों में टेलीमेडीसन सुविधा मुहैया करवाना ।
- ई-कॉमर्स और सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में तीन नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें वस्तु उन्मुख साफ्टवेयर के सुरक्षा मूल्यांकन, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की नई श्रेणी की खोज करना और निजता उल्लंघन का पता लगाना जैसे मुद्दे शामिल हैं; क्रिप्टेनालसिज, स्टेगनोग्राफी, बायोमैट्रिक्स और साइबर अदालतों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर चलने वाली परियोजनाओं में प्रगति हुई है।
- मीडिया इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहलें थी - कैंसर उपचार हेतु 6 एम.बी. इंटीग्रेटेड मेडीकल लीनियर एकजीलेटर (एआईएमएसी)।
- एसटीपीआई कार्यक्रम के तहत, एसपीआई ने जम्मू जोधपुर और सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में अपने नए केन्द्र खोले हैं। इस प्रकार अब एसटीपीआई के देश भर में 47 केन्द्र हैं। एसटीपीआई ने एचएसडीसी नेटवर्क नामक साफ्टवेयर निर्यातकों को उपलब्ध है। एसटीपीआई फाइबर और सेटलाइट दोनों पर आधारित उच्च गति का डेटा लिंक प्रदान करता है और इसने अपने सभी जगह पर अंतर्राष्ट्रीय सेटलाइट गेटवे स्थापित किया है।

एसटीपीआई की कुल 6129 इकाइयां कार्य कर रही हैं और 4088 इकाइयां निर्यात कर रही हैं। एसटीपीआई के माध्यम से वर्ष 2005-06 के दौरान लगभग 95.00 करोड़ का साफ्टवेयर निर्यात किया गया है।

### वार्षिक योजना 2006-07

9.4.15 वर्ष 2006-07 की वार्षिक योजना हेतु 1090.00 करोड़ की सकल बजट सहायता सहित 1268.27 करोड़ रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया। वर्ष 2006-07 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 300.00 करोड़ रूपए का प्रावधान अलग से भी किया गया है, जो कि एनईजीपी के लिए राज्यों को एसीए के रूप में था। योजना-वार ब्योरा अनुबंध 9.4.1 में देखा जा सकता है। वर्ष 2006-07 की वार्षिक योजना में शुरू की जाने वाली प्रारूपित पहलें/ कार्यक्रमों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है:-

#### एस.ए.एम.ई.ई.आर

9.4.16 इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण दखल इसके चार केन्द्रों में कालप्रभावित और अप्रचलित इस्ट्रूमेंटेशन प्रयोगशालाओं को उन्नत और संवर्द्धन करने हेतु आधारभूत संरचना की आवश्यकता के संबंध में होगा। वायु रक्षा कार्यक्रम हेतु सक्रिय राडार सीकर्स की प्रोटोटाइप इकाइयों की आपूर्ति की जाएगी। वर्धा अस्पताल में एकीकृत एवआईएमएसी ऑनकोलोजी पद्धति लगाई जाएगी। एडीई, बंगलौर के लिए डॉपलर सोडार लगाए जाएंगे। वायुजनित केन्द्र हेतु प्यूडोलाइट पद्धति विकसित और बनाई जाएगी।

#### आई.आई.टी. मुंबई और आई.आई.एस.सी., बंगलौर में नानोइलेक्ट्रानिक्स केन्द्रों की स्थापना

9.4.17 यह परियोजना सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दी गई है। आईआईएससी बंगलौर में नानोइलेक्ट्रानिक्स केन्द्र एल.सी. रेसोनेटर, एकाउस्टिक सेंसर आदि के लिए चुंबकीय सामग्री के विकास में नेतृत्व करेगा। आईआईटी मुंबई केन्द्र उप 100 नानोमीटर कम्प्लीमेंटी मोफसेर प्रोसेसर, स्वास्थ्य की देखभाल और पर्यावरण की निगरानी हेतु नाओ

पद्धतियां, आर्गेनिक और बायो पालीनर उपकरण आदि विकसित करेगा। इसके अतिरिक्त इन केन्द्रों में अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण उपकरण भी किए जाएंगे।

### प्रौद्योगिकी विकास परिषद:

9.4.18 पुणे शहर के लिए सुगम यातायात नियंत्रण पद्धति परियोजना को पूरा करना और भावी उत्पादकों को प्रौद्योगिकी का अंतरण; ऑटोमोबाइल्स हेतु ब्लैक बॉक्स का सफल प्रदर्शन पूरा करना और तकनीकी का संभावित अंतरण। वायरलैस कम्यूनीकेशन, साफ्टवेयर डिफाइनड रेडियो, सक्सेज डिवाइसेज और अंतर्स्थापित साफ्टवेयर पर अनुप्रयोग, बायो-इन्फोरमेटिक्स में अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शुरू करना।

### उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए विकास केन्द्र (सी-डैक)

9.4.19 फ्रॉफ ऑफ कन्सेप्ट गरूड आइ-ग्रिड नेटवर्क को पूरा करना, आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में ग्रिड सक्षम अनुप्रयोगों को पूरा करना/ यह साइबर सुरक्षा के संबंध में 10 जीबीपी इंटरकनेक्ट एडवांस रिसर्च सहित 10 टरोफ्लाप पद्धति, पॉवर इलैक्ट्रानिक्स, ब्राड बैंड वासलैस इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जियोमेटिक्स, आरएफआईडी आदि प्रयोग करते हुए युविक्यूटियस कम्प्यूटिंग आदि का विकास करेगा। इसके अतिरिक्त यह केन्द्र, सभी भारतीय भाषाओं में भारतीय भाषा की सी.डी. जारी करने, हिंदी, मराठी, बंगला और मलयालम के लिए आई.सी.आर. के विकास, ए.एम.आर. आधारित ऊर्जा मीटर टाउनशिप, सौर ग्रिड से जुड़ यू.पी.एस. के लिए आई.के.वी.ए. लैब माडल का प्रदर्शन, अन्डर-वाटर रेन्ज के लिए सेन्सरज का प्रदर्शन; नेटवर्क फोरनसिक्स के लिए सुरक्षा टूल्स का विकास; क्रिप्ट विश्लेषण में प्रगामी अनुसंधान; अल्गोरिथमस और उच्च निष्पादन संगणना प्रौद्योगिकी; नेशनल ओपनसोर्स साफ्टवेयर रिसोर्स सेन्टर की स्थापना, भारतीय घरोहर के डिजिटल पुस्तकालय हेतु ऐसे टूल्स का कन्टेन्ट क्रिएशन, केरल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में टेलीमेडिसन पद्धति का प्रसार; जनता की सहायता के लिए आई.सी.टी. अनुप्रयोग हेतु टूल्स और उत्पाद के संबंध में सक्रिय रूप से कार्य करेगा।

### स्वास्थ्य के क्षेत्र में इलैक्ट्रानिक्स

9.4.20 6 मिलियन वाल्ट एल.आई.एन.ए.सी. पद्धति हेतु जैव विज्ञान परियोजना के चरण-॥ को शुरू किया जाना एक महत्वपूर्ण गतिविधि होगी।

### भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी विकास

9.4.21 मलयालम, गुरुमुखी और बंगला में 25 फोन्ट, कन्नड़; तेलगु और गुजराती में 15 फोन्ट; उड़िया, में 20 फोन्ट विकसित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद की सहायक पद्धति के लिए प्रोटोटाइप निरसित किए जाएंगे।

### ई.कामर्स और सूचना सुरक्षा

9.4.22 इसके अंतर्गत, बचे रहने योग्य वास्तुकला का विकास, क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्ट एनालिसिस, साइबर अदालत, बायोमेट्रिक्स आईडेंटिफिकेशन/ अथेंटिकेशन की जाएगी।

### जनता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी

9.4.23 कुशल अस्पताल पद्धति के लिए प्रगत अस्पताल प्रबंधन पद्धति स्थापित करना और सेवाग्राम (महाराष्ट्र) और इम्फाल (मणिपुर) तथा पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में अन्य केन्द्रों में रोगियों के स्वास्थ्य की देखभाल में सुधार लाना महत्वपूर्ण गतिविधि होगी।

### एशिया मीडिया लैब

9.4.24 एशिया मीडिया लैब की पुनसंरचना और स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, निशक्त व्यक्तियों की अधिकारिता और जीविका जैसे क्षेत्रों में कुछ 15 परियोजनाएं चलाना महत्वपूर्ण गतिविधि होगी।

### मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण

9.4.25 सुरक्षा उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणन की सुविधा स्थापित करना, गुणवत्ता प्रबंधन और परीक्षण अभियांत्रिकी में अंतरराष्ट्रीय अधिकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करना

और राजस्व आय के रूप में 40 करोड़ अर्जित करना महत्वपूर्ण गतिविधि होगी। इसके अतिरिक्त, इन्डो-जर्मन परियोजना के तहत नोएडा केन्द्र खोलना।

### ई-शासन

9.4.26 कॉमन कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर के शब्दों में (एसडब्ल्यूएएन + कॉमन सर्विस सेन्टर + राज्य डाटा केन्द्र + ईजी गेटवे) सफल ई-शासन परियोजनाओं को राज्यों में समस्तर स्थानांतरण, क्षमता निर्माण, जनशक्ति विकस, कार्यक्रम प्रबंधन और अनुसंधान तथा विकास में प्रत्याशित गतिविधियां होंगी।

### सामुदायिक सूचना केन्द्र (सी.आई.सी)

9.4.27 इस कार्यक्रम के अंतर्गत ध्यान केन्द्रित करने का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र उत्तर-पूर्वी राज्यों में पहले से कार्यरत सामुदायिक सूचना केन्द्रों को बनाए रखने के मुद्दे का समाधान करना होगा। वर्ष 2006-07 में जम्मू और कश्मीर में सभी 95 सीआईसी कार्य करना आरंभ कर देंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के सीआईसी को राज्यों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

### जनशक्ति विकास

9.4.28 सूचना सुरक्षा पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए बोर्ड ऑफ रिसोर्स सेन्टर की शासी परिषद् / प्रतिभागी संस्थानों से तथा पाठ्यक्रम मान्यता हेतु एआईसीटीई/ यूजी से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। सूचना सुरक्षा, में पाठ्यक्रम आयोजित करने पाठ्य सामग्री के विकास, जागरूकता अभियान, सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु प्रयोगशालाओं की और आधारभूत संरचना की स्थापना की जाएगी। केन्द्रित गतिविधियों में से एक गतिविधि होगी ऑनलाइन और ऑफ-लाइन शिक्षा हेतु विषय-वस्तु का विकास, डीओईएसीसी के माध्यम से जैव-सूचना विज्ञान शिक्षा का प्रसार, वीएलएसआई डिजाइन क्षेत्रों में उपयुक्त गतिविधियों के माध्यम से जनाशक्ति का विकास, सन्निहित प्रौद्योगिकी; अगली पीढ़ी की नेटवर्किंग, आईपीवी 6 में अंतरण और साइबर सुरक्षा आदि का विकास।

### राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी)

9.4.29 सरकारी विभागों /राज्य सरकारों /जिला प्रशासन और अन्य सरकारी निकायों का इंटरनेट और डेटासर्विसेज़ नेटवर्क मुहैया करवाने के लिए नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर का संचालन करना इसकी एक महत्वपूर्ण गतिविधि होगी। अन्य गतिविधि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर मुहैया करवाना और नेटवर्क, सर्वर और एन आई सी एन ई टी के लिए अनुप्रयोग के स्तरों पर साइबर सुरक्षा के लिए सुरक्षा लेखा परीक्षा (सीक्यूरिटी ऑडिट) की आउटसोर्सिंग करनी होगी। इसके अतिरिक्त डेटा केन्द्र इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास जिसमें भण्डारण किया जाना भी शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि होगी-ई-शासन का अनुप्रयोग विकास और कार्यान्वयन।

### महत्वपूर्ण नीतिगत पहलें/ मुद्दे

9.4.30 वर्ष 2006-07 की वार्षिक योजना में निपटाई जाने वाली प्रारूपित महत्वपूर्ण नीतिगत पहलें/ मुद्दों में शामिल हैं; राष्ट्रीय ई-शासन योजना के लिए कुल योजना तैयार करना और सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना; राष्ट्रीय हार्डवेयर विकास नीति तैयार करना और उसका अनुमोदन लेना; भारत में मेन्युफेक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए वैश्विक हार्डवेयर उपायों को प्रोत्साहित करने वाली नीति; अंतिम रूप से तैयार उत्पादों पर शून्य शुल्क प्रणाली से सामंजस्य रखने के लिए टैरिफ संरचना का व्यापक युक्तिकरण; साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानून लागू करने वाले अभिकरणों को प्रशिक्षण; साफ्टवेयर क्षेत्र की प्रगति को सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार करना और वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी बाजार में भारत की भागीदारी को 6 प्रतिशत तक बढ़ाना; प्रभावी इन्टरनेट ट्रेफिक रूटिंग प्राप्त करने के लिए भारत में सभी आईएसपी को राष्ट्रीय इंटरनेट सीमा तक जोड़ना; नए इंटरनेट प्रोटोकॉल आईवीपी 6 में अंतरण; वित्तीय क्षेत्र, न्यायपालिका और शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल हस्ताक्षर के प्रयोग को बढ़ावा देना।

### आउटकम (परिणामी) बजट

9.4.31 आउटकम बजट में सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए डिलीवरेबल्स

और टाइमलाइन्स, जहां जो व्यावहार्य है, निर्धारित की गई हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के तहत पहचाने गए मुख्य डिलीवरेबल्स में निम्नलिखित शामिल है :

(i) राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत स्टेट वाइड सरिया नेटवर्क कॉमन सर्विस सेन्टर स्थापित करना दो महत्वपूर्ण पहलें हैं - जिन्हें विभाग द्वारा कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

- सर्विस सेन्टर स्थापित करने की विधियां पूरी की जाएंगी ।
- राष्ट्रीय डेटा केन्द्र स्थापित करने की विधियां पूरी करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई शुरू करना।
- इंडिया पोर्टल स्थापित करना।
- ई-शासन गेटवे के लिए एनआईएसजी का कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में कार्य करेगा और उद्योग जगत के परामर्श से इस गेटवे मानकों का वैधीकरण करेगा।

### कामन सर्विस सेन्टर

9.4.32 भारत अभी भी प्रमुख रूप से ग्रामीण देश है, जिसकी लगभग दो-तिहाई जनता गांवों में रहती है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100,000 कॉमन सर्विस सेन्टर स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है जो कि न केवल अधिकांश सरकारी सेवाओं के लिए मुख्य प्रयोजन होगा बल्कि ग्रामीण भारत को विश्व व्यापक वैब के साथ जोड़ने का एक साधन होगा।

साधारण सूचना केन्द्र, सरकारी और निजी दोनों स्तर की इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं की ग्रामीण स्तर तक पहुँचाएगा। अनेक सरकारी विभागों से अपने मिशन मोड-प्रोजेक्ट डिजायन और तैयार करने के साथ उनके परस्पर संपर्कों के संदर्भ में सेवाओं और सेवाओं के स्तर पर पर्याप्त बल दिया जाएगा। आईसीटी प्रौद्योगिकी में यह प्रगति हमें; "सरकार आपके प्रदेश द्वार तक" के सपने को साकार करने में समर्थ बनाने के लिए एक ठोस होगी।

## 9.5 बायो-प्रौद्योगिकी (उद्योग भाग)

9.5.1 भारत में बायो-प्रौद्योगिकी उद्योग विकास की आरंभिक अवस्था में है। इसके महत्व तथा इस उद्योग की भावी प्रगति के सामर्थ्य को देखते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सहायता जुटाने और नई तकनीकी पहलों को प्रोत्साहित करने की आकस्मिक आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र में निवेश को आसान बनाने हेतु सक्षम स्थितियां जुटाई जा सकें। इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को सुगमता के लिए योजना कार्यान्वित की जा रही हैं अर्थात् बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबरेटर्स की स्थापना, पायलट स्तर पर सुविधा और बायोटेक पार्ट की स्थापना जिस पर दसवीं योजना में 54 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित किया गया था। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और केरल में जैसे राज्यों में 6 बायोटेक पार्क इस योजना द्वारा वित्त पोषित हो रहे हैं। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए क्रमशः 25 करोड़ और 15 करोड़ रूपए के परिव्यय का

प्रावधान किया गया है।

9.5.2 बायोटेक्नॉलोजी में कृषि, मानव एवं पशु स्वास्थ्य, निदान-विज्ञान और औद्योगिक उत्पादों जैसे क्षेत्रों में व्यावसायीकरण का व्यापक सामर्थ्य है। नई पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए डीबीटी स्माल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च इनीशिएटिव योजना शुरू की है जिसमें छोटे व्यापारिक संगठनों को अपनी आरएण्डडी क्षमताएं बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। यह योजना, पीपीपी मोड के माध्यम से कार्यान्वयन द्वारा निजी प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए एक माध्यम का कार्य करेगी। नवीकरण की प्रक्रिया में अवधारणा पूर्व और उत्तरोत्तर दोनों स्तरों पर सहायता दी जाएगी। एसआईबीआरआई की शीर्ष समिति के समक्ष 71 प्रस्ताव विचाराधीन हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान अनुमानित व्यय 16.54 करोड़ का होगा और वर्ष 2006-07 के लिए 30 करोड़ रूपए की धनराशि मुहैया करवाई गई है।

## 9.6 पर्यटन

### परिचय

9.6.1 वर्ष 2005 में भारत में 3.92 मिलियन अंतरराष्ट्रीय पर्यटक पहुंचे, यह वर्ष 2004 में पहुंचे पर्यटकों से 13.2 प्रतिशत अधिक था जो कि वर्ष 2004 में विश्व पर्यटक पहुंच के 0.45 प्रतिशत हिस्से की तुलना में 0.49 प्रतिशत हिस्सा था। पर्यटकों की पहुंच में वृद्धि वर्ष 2006 के दौरान भी जारी रही। विदेश मुद्रा विनिमय से होने वाली आय वर्ष 2004 में 4769 मिलियन अमेरिकी डालर थी जो 2005 में 5731 मिलियन अमेरिकी डालर हो गई। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने भारत को आने वाले दर्शक में विश्व के प्रमुख वृद्धि केन्द्रों में एक माना है। घरेलू पर्यटन भी वर्ष 2005 में 382.1 मिलियन से आगे तेजी से बढ़ रहा है।

9.6.2 दसवीं योजना का लक्ष्य निवेश को बढ़ाने और राज्य सरकारों को उनके राज्यों के उपयुक्त असाधारण पर्यटन उत्पादों को विकसित करने की ओर प्रेरित करने का था। इसका लक्ष्य पर्यटन क्षेत्र कं अंतर्गत ही रोजगार का सामर्थ्य बढ़ाने और अन्य क्षेत्रों के साथ सम्पर्क विकसित करके आर्थिक एकीकरण पोषित करना भी था। दसवीं योजना में पर्यटन हेतु केन्द्रीय योजना परिव्यय, नौवीं योजना में 595.00 करोड़ की तुलना में बढ़कर 2900.00 करोड़ रूपए कर दिया गया है। पर्यटन विभाग बजट के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों को जोड़ने वाले सड़कों, रेल और वायु परिवहन क्षेत्र में भी भारी निवेश किया जाएगा। योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यटन विभाग के लिए वार्षिक बजट योजना आबंटन बढ़ता जा रहा है। जो कि वर्ष 2002-03 में 250.00 करोड़ रूपए से बढ़ कर वर्ष 2003-04 में 350.00 करोड़ रूपए हो गया है। वर्ष 2004-05 के लिए 500.00 करोड़ रूपए तथा 2005-06 के लिए 786.00 करोड़ रूपए और वर्ष 2006-07 के लिए 830.00 करोड़ रूपए हो गया है। वर्ष 2003-06 के लिए परिव्यय और व्यय तथा वर्ष 2006-07 के लिए अनुमोदित बजट परिव्यय को योजनावार ब्यौरा अनुबंध 9.6.1 में दिया गया है।

वर्ष 2005-06 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन क्षेत्र हेतु अनुमोदित वार्षिक योजना खर्च 648.13 करोड़ रुपये

है। राज्यों/ संघ राज्यों में पर्यटन क्षेत्र के लिए वर्ष 2005-06 में अनुमोदित वार्षिक योजना में राज्य/संघ राज्यों के पर्यटन क्षेत्र के लिए अनुमोदित परिव्यय 991.17 करोड़ रूपए था। वर्ष 2005-06 और वर्ष 2006-07 का राज्य/संघ राज्य-वार परिव्यय अनुबंध 9.6.2 में दिया गया है।

### वार्षिक योजना 2005-06 की निष्पादन समीक्षा और परिणामी (आउटकम) बजट

9.6.3. पर्यटन विभाग के लिए वर्ष 2005-06 की वार्षिक योजना में परिव्यय 786.00 करोड़ रूपए था और व्यय 740.37 करोड़ रूपए हुआ अर्थात् परिव्यय का 94.91 प्रतिशत प्रयोग हुआ। "इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ डेस्टीनेशनस/ सर्किटस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजनाओं और संवर्द्धन और प्रचार को सबसे अधिक आबंटन प्राप्त हुआ। पर्यटन विभाग ने पर्यटन क्षेत्र में वांछनीय वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनागत योजनाओं के माध्यम से एक बहु-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया/ पर्यटन विकास के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण मुहैया करवाना, पर्यटन इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना, चुनिंदा गंतव्यों के एकीकृत विकास, पर्यटन, संस्कृति और स्वच्छ नागरिक जीवन के कारकों को एकीकृत करना, पर्यटन उत्पादों को ब्राण्ड प्रक्रिया सहित केन्द्रित ढंग से मार्केटिंग और भारत को उच्च स्तर का डेस्टीनेशन ठहराना तथा मानव संसाधन विकास गतिविधियों पर बल देना इस नणनीति की विशेषता रही हैं। पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2005-06 में राज्यों/ संघ राज्यों को केन्द्रीकृत प्रायोजित योजना के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता अनुबंध 9.6.3 में दी गई है।

### वार्षिक योजना 2006-07

9.6.4 वर्ष 2006-07 की वार्षिक योजना के पर्यटन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र परिव्यय 830.00 करोड़ रूपए है। उच्चतर आबंटन का लक्ष्य मुख्य पर्यटन केन्द्रों को विकसित करना है ताकि इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर लाया जा सके तथा पर्यटकों के लिए एक असाधारण अनुभव सृजित किया जा सके। पर्यटन उत्पादों की आकर्षक ब्राण्ड और संवर्द्धन प्रक्रिया का उद्देश्य नए बाजार को हासिल करना और मौजूदा बाजारों को मजबूत करना है। पर्यटन की

संतुष्टि को बनाए रखने और उसे विकसित करने के लिए मानव संसाधन विकास को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। दसवीं योजना में पर्यटन के लिए प्रारूपित सभी योजनाएं पांचवे वर्ष की योजना में भी जारी रखी जा रही हैं। जम्मू और कश्मीर में पर्यटन विकास के लिए 48.00 करोड़ रूपए की धनराशि का आबंटन निर्धारित किया गया है।

### डेस्टीनेशन और/ सर्किट्स के विकास के लिए उत्पादों/ आधारभूत सामग्री का विकास

9.6.5 निरंतर चलने वाली केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा के रूप में पर्यटन बाजारों की एकीकृत विकास योजना तथा प्रोडक्ट्स/ इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेस्टीनेशन डेवलपमेंट योजना दोनों को वर्ष 2005-06 से एक एकल योजना "प्रोडक्ट/ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर डेस्टीनेशन एंड सर्किट" में सम्मिलित कर दिया गया है। इस योजना में संसाधनों और विशेषज्ञता को अन्य विभागों, राज्यों और निजी क्षेत्रों के साथ समन्वयात्मक कार्रवाई करके परिवर्तन लाने का उल्लेख किया गया है। इस योजना के तहत बजट-आवास, पर्यटक परिसरों, रास्तों में सुलभ सुविधाओं, पर्यटक रिसेप्शन काउंटरों का निर्माण करने, स्मारकों को साफ-सुथरा रखने, विशेष पर्यटक परियोजनाओं, साहसिक खेल-कूद सुविधाओं, घन तथा रोशनी प्रदर्शन और रोशनी व्यवस्था के लिए सहायता दी जा रही है। इस योजना में मुख्य रूप से मौजूदा उत्पादों में सुधार लाने और विश्व श्रेणी मानकों के नए पर्यटन उत्पाद विकसित करने में ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। नए उभरते क्षेत्र जैसे ग्रामीण पर्यटन, हेरीटेज पर्यटन, ईको-पर्यटन, मेडीकल पर्यटन, वाईल्ड लाइफ पर्यटन को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जा रही है। ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा ग्रामीण जीवन, कला संस्कृति और ग्रामीण इलाकों में धरोहरों को प्रदर्शित करना जो कि क्राफ्ट / हैंडलूम / टेक्सटाइल्स आदि के रूप में महत्वपूर्ण रूप से प्रतियोगी स्वरूप के हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान 63 डेस्टीनेशन और 35 सर्किटों में विकास कार्य किया गया जिसमें 471.22 करोड़ रूपए व्यय हुआ। वर्ष 2006-07 के लिए योजना को 439.00 रूपए का आबंटन दिया गया है और एक एकीकृत क्षेत्र विकास अवधारणा का पालन करते हुए 15 चुनिंदा पर्यटक केन्द्रों और सर्किटों को विकसित करने का प्रस्ताव

है। हस्तशिल्प, हथकरघा और संस्कृति में महत्वपूर्ण प्रतियोगिता वाले 50 गाँवों, जो कि मौजूदा केन्द्रों और सर्किटों के निकट हैं, को पर्यटक अनुभवों में वृद्धि करने हेतु विकास के लिए चुने जाने का प्रस्ताव है।

### होटल प्रबंधन संस्थान को सहायता (मानव संसाधन विकास)

9.6.6 अतिश्येय क्षेत्र को बनाए रखने के लिए खान-पान प्रबंध तकनीकी और व्यावहारिक पोषण में प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता समझी गई है। देश के अतिश्येय उद्योग के आधुनिकीकरण और विस्तार के साथ होटल प्रबंधन और खान-पान प्रबंध शिक्षा कार्यक्रम प्रचलित हो गए हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के वृत्ति ब्यौरे में काफी बदलाव आया है। इस समय 24 होटल प्रबंधन संस्थान और 7 फूड क्राफ्ट संस्थान हैं जो राष्ट्रीय होटल प्रबंधन तथा खानपान प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। नए संस्थानों की स्थापना और मौजूदा संस्थानों के प्रसार के लिए राज्यों को सहायता दी गई और पर्यटन विभाग ने वर्ष 2005-06 में 29.45 करोड़ रूपए मंजूर किए हैं जो कि वर्ष 2004-05 में 25 करोड़ रूपए आबंटित किए गए थे। वर्ष 2006-07 में इस योजना के लिए 50.00 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान है, जिसमें छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखण्ड और उत्तरांचल में चार नए संस्थानों की स्थापना शामिल है।

### सेवा प्रदान करने वालों की क्षमता निर्माण

9.6.7 पर्यटकों से सीधे जुड़े व्यक्तियों, जैसे सड़क पर बने, खाने के रैस्तराँ, ढाबों, टिकिट और यात्रा अभिकरणों में कार्यरत व्यक्तियों और पुलिस कार्मिक, हवाई अड्डे के कर्मचारी जैसे कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता के मद्देनजर "सेवा प्रदान करने वाले की क्षमता निर्माण" शीर्षक से 1 से 5 दिन के लघु कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। वर्ष 2005-06 के लिए 15.00 करोड़ रूपये का परिव्यय उपलब्ध करवाया गया था। इस योजना के कार्य-क्षेत्र में विस्तार करने के लिए दिशा-निर्देश संशोधित किए गए हैं और वर्ष 2006-07 के बजट अनुमान में 10.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

### अधिक राजस्व कमाने वाली परियोजनाओं का सहायता देना

9.6.8 पर्यटक रेलगाड़ियां, समुद्री जहाज, समुद्री जहाज टर्मिनल, कन्वेन्शन केन्द्र, गोल्फकोर्स जैसी अधिक राजस्व कमाने वाली परियोजनाओं को इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2005-06 में 30.00 करोड़ का परिव्यय उपलब्ध करवाया गया था और राज्य-सरकारों और निजी क्षेत्र से अनुक्रिया के अभाव में यह उपयोग केवल 9.30 करोड़ रहा। इस योजना को अधिक आकर्षक बनाने के लिए; इस योजना के दिशा-निर्देश संशोधित किए गए हैं। वर्ष 2006-07 के संबंध में योजना के लिए 50.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

### प्रचार और विपणन (अन्तर राष्ट्रीय और घरेलू)

9.6.9 पर्यटन विभाग ने भारत के मुख्य आकर्षणों जैसे समृद्ध विरासत, इतिहास, वन, बागवानी और वन्य जीव, परम्परा, जनजातीय कला, औषधि की परम्परागत प्रणाली, धार्मिक विविधता इत्यादि पर्यटकों को अवगत करवाने के लिए कई उपाय किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अन्तरराष्ट्रीय प्रैस, अन्तरराष्ट्रीय टीवी और इन्टरनेट के माध्यम से "अतुल्य भारत" अभिमान अब भी जारी है। वर्ष 2005-06 में विदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रचार के लिए किए गए 140.00 करोड़ रुपये के आबंटन में से 132.28 करोड़ रुपये खर्च हुए। इस गति को बनाए रखने और "अतुल्य भारत" अभिमान को दुबारा लागू करने और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानों में केन्द्रीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान चलाने और पूर्व एशिया दक्षिण पूर्व एशिया, के उभरते पर्यटन स्थानों पर केन्द्रित करने के लिए वर्ष 2006-07 के संबंध में 165.00 करोड़ रुपये के आबंटन की बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में गन्तव्य स्थानों, सांस्कृतिक धरोहर वाले स्थानों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, मुख्य हिस्से में पोस्टर बनाए गए हैं। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ ताल मिलाते हुए, देश के पर्यटन स्थानों की सीडी (ओ) भी बनाई गई थी। पर्यटकों के साथ अच्छे संबंध बनाने की आवश्यकता, लोगों को शिक्षित करने के लिए (अतिथि देवो भव नामक एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 2005-06 के संबंध में पर्यटन को

घरेलू बढ़ावा देने और प्रचार करने के लिए किए गए 70.00 करोड़ रुपये के प्रावधान के स्थान पर 55.03 करोड़ रुपये व्यय हुए। वर्ष 2006-07 की योजना के लिए 70.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

### आवास आधारभूत संरचना के लिए प्रोत्साहन

9.6.10 इस योजना के अन्तर्गत, चार महानगरों को छोड़कर अन्य स्थानों में एक से तीन तारा श्रेणी के सांस्कृतिक धरोहर के होटल बनाने के लिए गए मुख्य ऋण के लिए टीएफसीआई, एएफसी, एसआईडीसी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एसआईडीबीआई, अनुसूची बैंकों और हुडको जैसे वित्तीय अभिकरणों के माध्यम से 10% की एक बारगी पूंजीगत आर्थिक सहायता के अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है। पूर्ववृत्ती योजना के अंतर्गत 1.4.2002 से पूर्व स्वीकृत होटल परियोजनाओं के लिए ब्याज आर्थिक सहायता हेतु निधियों का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2005-06 की योजना के लिए 10.00 करोड़ रुपये के आबंटन का पूर्ण उपयोग किया गया और वर्ष 2006-07 के लिए 15.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

### कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी

9.6.11 सूचना प्रौद्योगिकी का, देश और विदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के एक कारक के रूप में उतरोत्तर प्रयोग किया जा रहा है। यह योजना, वेबसाइट के रख रखाव और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायता के लिए राज्य-सरकारों द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समर्थन देती है। वर्ष 2005-06 के 20.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के स्थान पर 17.56 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। वर्ष 2006-07 के संबंध में 20.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है।

### बाजार अनुसंधान

9.6.12 पर्यटन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी का अभाव, राष्ट्रीय विकास योजनाओं में इस क्षेत्र का पर्याप्त महत्व न मिलने के कारणों में एक प्रमुख कारण है। पर्यटन विभाग का बाजार अनुसंधान प्रभाग आयोजना प्रक्रिया के

लिए आवश्यक आगत प्रदान करता है। बाजार अनुसंधान और आयोजना प्रक्रिया का समर्थन जिसमें आंकड़ों का संललन और अनुसंधान अध्ययन किए जाने शामिल है, के लिए वर्ष 2005-06 के संबंध में 3.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था और वर्ष 2006-07 के बजट अनुमान में इतनी ही राशी रखी गई है।

### विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

9.6.13 इस योजना के अन्तर्गत विदेशी सहायता से पर्यटन आधार भूत विकास परियोजनाएं हाथ में ली जाती हैं। जापान बैंक आफ इंटरनैशनल कॉपरेशन ने अजंता-एलौरा विकास परियोजना चरण-II और बौद्ध सर्किट के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 300.00 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। पर्यटन विभाग ऐसी परियोजनाओं के लिए परामर्शदायी घटक प्रदान करता है। वर्ष 2005-06 के 14 करोड़ रुपये के परिव्यय के स्थान पर वास्तविक खर्च 4.49 करोड़ रुपये हुआ। वर्ष 2006-07 के बजट अनुमान में इस योजना के लिए 4.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

### जम्मू और कश्मीर पैकेज

9.6.14 वर्ष 2004 में राज्य में पर्यटन विकास के लिए एक पैकेज की घोषणा की गई जिसमें 276.00 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र से और 240.00 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र से, चरणबद्ध तरीके से वित्त पोषित किए जाने थे। इस पैकेज की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप वार्षिक योजना 2005-06 के लिए 20.00 करोड़ रुपये का पैकेज चिन्हित किया गया। वर्ष 2006-07 के संबंध में इस पैकेज के कार्यान्वयन के लिए 48.00 करोड़ रुपये चिन्हित किए गए हैं। आईआईएसएम गुलमर्ग का निर्माण और जम्मू-कश्मीर में पर्यटन की बहाली, पर्यटन के विकास के लिए उच्च प्राथमिकता के तौर पर चुनी गई है। आईआईएसएम गुलमर्ग के निर्माण के लिए वर्ष 2005-06 में 6.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया जिसका पूरी तरह से प्रयोग कर लिया गया। इस भवन को पूरा करने के लिए वर्ष 2006-07 में चार करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन की बहाली के लिए विशेष पैकेज की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप

में पर्यटन विभाग ने 36.48 करोड़ की मंजूरी दी है और राज्य सरकार के लिए वर्ष 2005-06 के संबंध में 29.18 करोड़ रुपये दिए हैं जिसमें पांच ग्रामीण पर्यटन गाँवों का विकास 4 पर्यटन प्राधिकारियों को वित्तीय सहायता देना और लखनपूर-बसौली-बणि-बधेरवा-किश्तवार-सिन्धन-श्रीनगर और बधेखा-किश्तवार-सिन्धन-श्री नगर को शामिल करते हुए दो नये पर्यटन सर्किट स्थापित करना शामिल है।

### पूर्वोत्तर क्षेत्र

9.6.15 पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन आधारभूत संरचना के विकास को, क्षेत्र में अत्यधिक पर्यटन के आर्कषण को बढ़ाने के लिए वार्षिक योजना के कुल आबंटन के लिए 10 प्रतिशत को चिन्हित करने से काफी बढ़ावा मिला है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 के दौरान कुल 11 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है और कार्य प्रगति में है। ये इस प्रकार हैं। (i) दूबरी - गोगीगोपा- गुवाहाटी-असम-सिलचेर - क्रमगंज का सर्किट विकास (ii) मानस - काजीरंगा सैन्चुरी सर्किट, असम (iii) हॉट स्पिंग, जय (डिबरंग वैली) अरुणाचल प्रदेश का विकास (iv) गेग झील टारसों, अरुणाचल प्रदेश का विकास (v) डिब्रूगढ - पासीघाट डेओंग -ईरींग वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश (vi) लीकाबाली - बसर-अलोंग-बोलेंग - येगबुंग-पासीघाट अरुणाचल प्रदेश का सर्किट विकास (vii) रेड्क - बेरावतलांग, मिजोरम का गनतव्य विकास (viii) आइजल- लेगंपूरी - चंगसिल-थिंगंडावल - पोलासिब - बैरंग गेटे-चूचांग - बैराबी -ममित-लगेपूर्ई - आइजल मिजोरम का सर्किट विकास (ix) सतोई क्षेत्र नागालैण्ड (x) मोकोकचुंग - मोमलॉगलेगं नागालैण्ड का सर्किट विकास (xi) रंगपो - लैमाटॉस -रूमटैक सिक्किम का सर्किट विकास ।

### दसवीं योजन का मध्यावधि मूल्यांकन

9.6.16 दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन ने अधिक पर्यटनों के आगमन के अनुसार इस क्षेत्र में हुई प्रगति और पर्यटन विभाग और राज्य सरकारों द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने और इसका प्रचार करने की सराहना की । फिर भी देश में पर्यटन के एकीकृत विकास के लिए अधिक होटल बनाने, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डों का विकास, अधिक

अनतर्राष्ट्रीय उड़ानों, एटीएफ पर कर घटाने, पर्यटन सत्कार प्रशिक्षण का आधुनिकीकरण करने पर्यटन वाहनों का राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण करने और बौद्ध पर्यटन स्थानों पर अलग-अलग देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सड़क मार्ग में सुधार करने के उपायों का भी सुझाव दिया गया है। पर्यटन विभाग ने इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये हैं।

### परिणामी बजट 2006-07

9.6.17 पर्यटन मंत्रालय के वर्ष 2006-07 के परिणामी बजट में चल रही सभी योजनाओं के प्राप्त किए जा सकने वाले उद्देश्यों को दर्शाया गया है। मंत्रालय की योजनाओं के परिणाम/ उद्देश्यों का सारांश अनुबंध 9.6.4 पर दिया गया है।

संलग्नक -9.6.1

केन्द्र क्षेत्र और पर्यटन विभाग द्वारा केन्द्रीकृत रूप से नामांकित योजनाएं

(रुपये करोड़ में)

क्रम. योजना का नाम सं.	वार्षिक योजना (2005-06) बजट अनुमान	वार्षिक योजना (2005-06) संशोधित अनुमान	वास्तिक व्यय (2005-06)	अनुमोदित वार्षिक योजना 2006-07
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं</b>				
<b>1.1</b> क) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	10.75	10.75	3.21	2.50
ख) यू.एन.डी.पी. एन्डोजिनियस पर्यटन	3.25	3.25	1.28	1.50
<b>1.2</b> आईएचएमएस/एफसीआईसी/आईआईटीटीएम/ एन आईडब्ल्यूएस/ को सहायता	30.00	30.00	29.45	50.00
<b>1.3</b> सेवा प्रदान करने वालों की क्षमता निर्माण	15.00	15.00	2.04	10.00
<b>1.4</b> बाजार विकास सहायता सहित विदेश संवर्धन और प्रचार	140.00	140.00	132.28	165.00
<b>1.5</b> अतिथ्य सत्कार सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार	70.00	70.00	55.03	70.00
<b>1.6</b> आवास आधारभूत संरचना को प्रोत्साहन	10.00	10.00	10.00	15.00
<b>1.7</b> 20 वर्ष की भावी योजना सहित बाजार अनुसंधान	3.00	3.00	3.00	3.00
<b>1.8</b> गुलमर्ग कश्मीर आईआईएसएम भवन को निर्माण (जेएण्ड के पैकेज)	6.00	6.00	6.00	5.00
<b>1.9</b> अधिक राजस्व कमाने वाली परियोजनाओं की सहायता	30.00	30.00	9.30	50.00
<b>1.10</b> कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी	20.00	20.00	17.56	20.00
<b>1.11</b> कुल - सी. एस. योजनाएं (1.1 -10)	338.00	338.00	269.15	391.00
<b>II केन्द्र द्वारा वित्तपोषित योजनाएं</b>				
<b>2.1</b> गन्तव्य स्थान और सर्किटों के लिए उत्पाद/ आधारभूत संरचना का विकास	359.00	359.00	471.22	439.00*
<b>2.2</b> टीआईडीएफ	10.00	10.00	**	**
<b>2.3</b> कुल - सीएसएस योजनाएं	369.00	369.00		439.00
<b>2.4</b> कुल सीएस और सीएसएस	<b>707.00</b>	<b>707.00</b>	<b>740.37</b>	<b>830.00</b>
<b>III पूर्वोत्तर क्षेत्र के 10% एक मुश्त</b>				
<b>3.1</b> कुल - पूर्वोत्तर और सिक्किम	79.00	79.00	—	—
<b>3.2</b> कुल योग (2.4 + 3.1)	<b>786.00</b>	<b>786.00</b>	<b>740.37@</b>	<b>830.00@</b>

@ पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10% एक मुश्त सहित।

\* इसमें पुनर्संरचना पैकेज के अंतर्गत जम्मू और काश्मीर में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चिन्हित 48 करोड़ रुपये शामिल हैं। \*\* योजना समाप्त कर दी गई है।

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए संबंध में पर्यटन क्षेत्र के लिए अनुमोदित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का वार्षिक योजना  
(रुपये करोड़ में)

	2005-06 अनुमोदित परिव्यय	2006-07 अनुमोदित परिव्यय (बजट अनुमान)
आंध्रप्रदेश	6251.20	6251.20
अरुणाचल प्रदेश	450.00	920.00
असम	496.00	600.00
बिहार	743.00	1600.00
छत्तीसगढ़	1844.37	2715.00
गोवा	2900.00	3000.00
गुजरात	3948.00	10444.00
हरियाणा	700.00	800.00
हिमाचल प्रदेश	412.10	646.16
जम्मू और कश्मीर	6320.56	6025.00
झारखण्ड	2300.00	2500.00
कर्नाटक	1150.00	1650.00
केरल	7425.00	8157.00
मध्य प्रदेश	3422.00	2500.00
महाराष्ट्र	9778.60	16659.00
मणिपुर	230.00	120.00
मेघालय	236.00	260.00
मिजोरम	270.00	290.00
नागालैण्ड	250.00	880.00
उड़ीसा	776.60	1090.00
पंजाब	11.00	505.35
राजस्थान	24.50	3550.01
सिक्किम	800.00	1460.00
तमिलनाडु	2217.30	2210.19
त्रिपुरा	249.00	226.50
उत्तर प्रदेश	3035.00	8363.00
उत्तरांचल	4000.00	7660.00
पश्चिम बंगाल	691.00	780.00
<b>tkM+</b>	<b>60931.23</b>	<b>91862.41</b>
अंडमान और निकोबार	822.00	2880.00
चण्डीगढ़	186.00	60.00
दादर एवं नगर हवेली	250.00	238.00
दमन और द्वीव	125.00	152.00
दिल्ली	1200.00	1425.00
लक्षद्वीप	254.00	150.00
पोंडिचेरी	1950.00	2350.00
<b>dy ¼ ak jkT; {ks=½</b>	<b>4787.00</b>	<b>7255.00</b>
<b>l dy ; ks</b>	<b>65718.23</b>	<b>99117.41</b>

स्रोत: राज्य आयोजन प्रभाग, योजना आयोग

पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत राज्यवार पर्यटन परियोजनाएं और वर्ष 2005-06 में दी गई निधियां दर्शाने वाला विवरण

(रूपये लाख में)

(31.3.2006 के अनुसार)			
क्रम. राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सं.	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	दी गई राशि
1. आंध्रप्रदेश	7	2,615.82	1,700.00
2. असम	10	2,140.00	1,698.45
3. अरुणाचल प्रदेश	10	2,240.16	1,655.21
4. बिहार	3	1,212.23	722.49
5. छत्तीसगढ़	7	1,775.59	1,436.54
6. गोवा	1	10.00	8.00
7. गुजरात	5	2,011.58	1,169.04
8. हरियाणा	7	639.71	515.77
9. हिमाचल प्रदेश	6	1,645.00	921.00
10. जम्मू और कश्मीर	22	6,656.01	5,320.31
11. झारखण्ड	5	1,227.27	697.76
12. कर्नाटक	8	1,706.52	1,001.21
13. केरल	13	4,858.88	3,889.90
14. मध्यप्रदेश	12	3,047.39	2,419.54
15. महाराष्ट्र	9	2,075.04	1,662.99
16. मणिपुर	2	49.80	39.84
17. मेघालय	1	5.00	4.00
18. मिजोरम	10	2,273.41	1,687.29
19. नागालैंड	9	2,528.97	1,873.17
20. उड़ीसा	10	2,309.61	1,586.44
21. पंजाब	5	1,437.67	1,150.13
22. राजस्थान	7	2,591.87	2,086.40
23. सिक्किम	14	2,844.56	2,213.74
24. तमिलनाडु	19	4,264.62	3,007.68
25. त्रिपुरा	3	716.26	569.43
26. उत्तरांचल	13	2,738.00	2,193.18
27. उत्तर प्रदेश	18	3,905.23	3,126.03
28. पश्चिम बंगाल	5	989.35	792.48
29. अंदमान और निकोबार	1	6.25	5.00
30. चण्डीगढ़	1	13.70	13.70
31. दादर एवं नगर हवेली	2	29.79	25.92
32. दिल्ली	2	20.00	17.00
33. दमन और दीव	4	262.28	208.61
34. लक्षद्वीप	0	0	0
35. पोंडिचेरी	2	469.39	375.51
<b>dy ; kx</b>	<b>253</b>	<b>61,316.96</b>	<b>45,793.76</b>

टिप्पणी: इसमें सर्किट, गनतव्यस्थान, अधिक राजस्व कमाने वाली परियोजनाएं, ग्रामीण पर्यटन (साफ्टवेयर और हार्डवेयर) परियोजनाएं, आईटी, उत्सव और त्यौहार परियोजनाओं में संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

स्रोत: पर्यटन विभाग

पर्यटन मंत्रालय के वर्ष 2006-07 के परिणामी बजट का सारांश

क्र. सं	योजना का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय (बजट अनुमान) रुपये करोड़ में	आकलन योग्य, सेवाएं प्रदान करने योग्य
1	आईएचएमएस/ एफसीआईएस/ एनआईडब्लूएस/ एनआईएसएस/ एनसीएचएम और सीटी	प्रशिक्षित पर्यटन जनशक्ति संसाधनों के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना और अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना	50.00	(i) उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और हरियाणा राज्यों में होटल प्रबंधन के 4 नए संस्थानों की आधारभूत संरचना का गठन करना। प्रशिक्षण का आयोजन कर रहे 22 आईएचएम में मौजूदा आधारभूत संरचना में सुधार के लिए सहायता (ii) होटल प्रबंधन और केटरिंग प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय परिषद के भवन निर्माण के लिए सहायता और भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान के लिए अतिरिक्त आधारभूत संरचना तैयार करने के संबंध में सहायता (iii) 2 आईएचएमएस को उनके स्थापना खर्चों को पूरा करने के लिए राजस्व अनुदान देना।
2	सेवाएं प्रदान करने वालों का क्षमता निर्माण	यात्रा उद्योग में नए व्यक्तियों और मौजूदा सेवाएं प्रदान करने वालों का पर्यटन और आतिथ्य सत्कार से जुड़े क्षेत्रों में प्रशिक्षण/ शिक्षा प्रदान करना	10.00	देश में 17000 प्रतिभागियों के लिए 400 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3	बाजार विकास सहायता सहित विदेश में पर्यटन को बढ़ावा और प्रचार	विदेश में उद्यमी प्रचार के माध्यम से विदेशी यात्रा बाजार में भारत को सबसे अच्छे गन्तव्य स्थान के रूप में स्थापित करना।	165.00	" अतुल्य भारत " अभियान के एक हिस्से के रूप में एक समेकित वैश्विक अभियान और पाँच अन्य बाजार विशिष्ट अभियान चलाना दो सौ अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में हिस्सा लेना और विदेश में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानों पर 15-20 नुक्कड़ नाटक आयोजित। 4-5 विदेशी भाषाओं में पर्यटन प्रकाशन निकालना और टूर आपरेटर्स को ब्रोशर संबंधी सहायता देना। 350-400 मीडिया कर्मियों, ट्रेवल सेजेन्टों और टूर आपरेटर्स को भारत से अवगत कराने के टूर से अतिथ्य सत्कार के कार्यक्रमों को लागू करना। यात्रा मेलों, प्रचार सामग्री तैयार करने, सामग्री तैयार करने, बिक्री टूर इत्यादि सहित पर्यटन को बढ़ावा देने वाले क्रियाकलापों के लिए यात्रा, परिवहन और आतिथ्य सत्कार उद्योग में 45-50 लघु सेवा देने वालों को विपणन विकास सहायता देना।
4.	आतिथ्य सत्कार सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार	विभिन्न बढ़ावा देने वाले साधनों के माध्यम से पर्यटकों को सूचना देने को आसान बनाना।	70.00	विशिष्ट उद्देश्य बाजार को केन्द्र बनाकर घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 7-8 अभियान चलाना। कोलेट्रल सामग्री के उत्पादन को बढ़ावा देना। प्रचार और बढ़ावा देने के क्रियाकलापों के लिए पूर्वोत्तर के आठ राज्यों और जम्मू तथा कश्मीर को सहायता देना। राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन को बढ़ावा

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय (बजट अनुमान) रूपये करोड़ में	आकलन योग्य, सेवाएं प्रदान करने योग्य
				देने वाले चार कार्यक्रम आयोजित करना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अन्तरराष्ट्रीय और घरेलू यात्रा लेखकों, पत्रकारों, फोटोग्राफरों को आतिथ्य सत्कार प्रदान करना।
5.	बाजार अनुसंधान सर्वेक्षण और भावी योजना तैयार करना	पर्यटन आयोजना/ नीति निर्धारण के लिए पर्यटन एकत्रीकरण/ आकड़ों के संकलन के विभिन्न पहलुओं पर मास्टर प्लान तैयार करना, सर्वेक्षण और अध्ययन करवाना।	3.00	इस स्कीम के समर्थन से किए गए अध्ययन और रिपोर्टों से पर्यटन नीति निर्माताओं को अपनी प्राथमिकताओं के बारे में निर्णय लेने और देश में पर्यटन क्रियाकलाप को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। नीति निर्माताओं को आगज प्रदान करने के लिए 12 मास्टर प्लान/ डीपीआर, 10 सर्वेक्षण/ अध्ययन रिपोर्टें और दो पर्यटन आकड़े प्रकाशन
6.	(क) विदेशी सहायता पर्याप्त परियोजनाएं  (ख) यूएनडीपी विदेशी परियोजनाएं	जापान बैंक आफ इन्टर नेशनल कार्पोरेशन की सहायता से बौद्ध सर्किट में पर्यटन आधारभूत परियोजनाओं के विकास के कार्यान्वयन की इन स्थानों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से निगरानी करना। इसका मुख्य उद्देश्य है, स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण करना, सामुदायिक पर्यटन उद्यम के विशिष्ट मॉडलों की अवस्थिति शुरू करना;	2.50  1.50	महाराष्ट्र में अजन्ता एलोरा और उत्तर प्रदेश में सारनाथ कुशीनगर, कपिलवस्तु सरस्वती में आने वाले भारत और विदेशी पर्यटकों को इन स्थानों का अच्छा अनुभव देने के इन विश्वस्तर के स्थानों संबंधी पर्यटन का विकास करना। जेबीआईसी की सहायता से उत्तरप्रदेश में बौद्ध सर्किट परियोजना का विकास  छत्तीस पहचाने गए ग्रामीण पर्यटन स्थानों में क्षमता निर्माण का कार्य पूरा किया जाएगा और घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिए यात्रा और व्यापार के साथ इन स्थानों को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी। भारत में ग्रामीण पर्यटन नए ब्रान्ड का सर्जन जिससे आगन्तुकों को ग्रामीण समुदायों उनकी कला, संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर के साथ अन्तर्क्रिया का अनुभव होगा।
7.	उत्पाद/गंतव्य स्थानों और सर्किट की आधारभूत संरचना का विकास	पहचाने गए सर्किट गंतव्य स्थानों और ग्रामीण स्थलों पर विश्वस्तरीय पर्यटन आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य	439.00	देश के 15 मुख्य गन्तव्य स्थानों /सर्किटों में विश्व स्तरीय पर्यटन आधारभूत सुविधाएं विकसित करना। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में प्राथमिकता के तौर पर एक सर्किट और दो गन्तव्य स्थानों का कार्य हाथ में लेना संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के परामर्श से वर्ष के दौरान पहचाने गए 50 ग्रामीण पर्यटन स्थानों का कार्य हाथ में लेना । इस स्कीम के कार्यान्वयन से इन स्थानों पर आने वाले पर्यटकों को अच्छा अनुभव होगा।

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय (बजट अनुमान) रुपये करोड़ में	आकलन योग्य, सेवाएं प्रदान करने योग्य
8.	अधिक राजस्व कमाने वाली परियोजनाओं को सहायता	इसका उद्देश्य है कि सार्वजनिक निजी भागेदारी में और अन्य सरकारों/ अर्ध सरकारी अभिकरणों के साथ अधिक राजस्व कमाने वाली पर्यटन परियोजनाओं में हिस्सेदारी।	50.00	इस योजना के कार्यान्वयन से सार्वजनिक निजी भागेदारी बढ़ेगी और निजी निवेश के माध्यम से सार्वजनिक खर्च कम होगा। जिसके परिणामस्वरूप स्वावलम्बी वाणिज्यिक पर्यटन क्रिया कलापों का विकास होगा।
9.	आवास आधारभूत संरचना को प्रोत्साहन	बजट होटल आवास के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना। इस योजना में बजट श्रेणी के होटलों के निर्माण के लिए उद्यमियों द्वारा लिए गए ऋण पर 10 प्रतिशत आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है।	15.00	बजट श्रेणी के आवास को चाहने वाले पर्यटकों के लिए इन श्रेणी के अधिक होटल बनाने को सुकर बनाना जिससे अधिक पर्यटक आएंगे और रोजगार के अधिक अवसर होंगे।
10.	कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी	पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रचार करने और आकड़ों के संकलन और इनके अद्यतन को कारगर बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के कारगर प्रयोग के लिए विभागों और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सूचना प्रौद्योगिकी पहलों में कम्प्यूटरीकरण को बनाए रखना।	20.00	ई-शासन की और बढ़ना और इस प्रकार पर्यटन के प्रचार और इसको बढ़ावा देने में और अधिक पारदर्शिता लाना और विभाग द्वारा भारत की सांस्कृति विरासत पर 5-6 नई उद्देश्यपूर्ण सीडी/वीसीडी/डीवीडी तैयार करते हुए सरकारी वेबसाइट पर वेब के प्रयोग करने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए घरेलू और विदेशी बाजार में 2-3 अतुल्य भारत इन्टरनेट अभियान चलाएगा।
11.	इन्डियन इन्स्टीच्यूट ऑफ स्कींग एण्ड मोन्टेनेयरिंग गुलमर्ग के भवन का निर्माण	शरद ऋतु और रामांचकारी खेलों से संबंधित उन्नत प्रशिक्षण सुविधाएं देने के लिए आईआईएसएम गुलमर्ग में भवन का निर्माण	4.00	आईआईएसएम प्रशिक्षण सेवाएं देने वाले और स्कींग इत्यादि में हिस्सा लेने के लिए गुलमर्ग में आने वाले पर्यटकों की यात्रा को सुविधजनक बनाने के लिए शरदकालीन और कई रामांचकारी क्रीडा क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर को सामाजिक आर्थिक लाभ देने से इन क्षेत्र का घरेलू और अनंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होगी

टिप्पणी: 83.00 करोड़ रुपये के 10 प्रतिशत प्रावधान का आबंटन योजनावार, प्रस्तावों में शामिल कर लिया गया है।

स्रोत: पर्यटन विभाग

## अध्याय 10

## बुनियादी सुविधाएं

## 10.1 सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और कमान क्षेत्र विकास

## प्रस्तावना

10.1.1. दसवीं योजना कार्यनीति के अनुसार, योजना अवधि के दौरान 8% की समग्र वार्षिक औसत संवृद्धि दर प्राप्त करने के लिए कृषि की 4% की दर से संवृद्धि होना अपेक्षित है। सिंचाई के लिए दसवीं योजना कार्यनीति में त्वरित सिंचाईलाभ कार्यक्रम, जल उपयोग कार्य कुशलता को बढ़ावा देने, तंत्र (सिस्टम) पुनर्वास और किसानों की सहभागिता को आरंभ करने के लिए सीएडी कार्यक्रम की पुनः संरचना करने, सिंचाई संबंधी आंकड़ों का समाधान करने तथा उन्हें सुदृढ़ करने, जल-दरों को बढ़ाने और संगठन व पद्धति घटक, भूतल और भूमि जल प्रदूषण तथा बाढ़ प्रबंधन में प्रशासनिक लागतों के लिए समुचित मानक निर्धारित करने जैसी केन्द्र द्वारा सहायता-प्राप्त जारी परियोजनाओं को पूरा करने पर बल दिया गया है। योजना अवधि के दौरान, राज्यों ने 16.743 एम एचए हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई (बड़ी, मझौली तथा लघु) के सृजन के लिए 84734.64 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। प्रथम तीन वर्ष के दौरान इस क्षेत्र के कार्य निष्पादन पर विचार करते हुए दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन ने सिंचाई की क्षमता को 16.743 एम.एचए हेक्टेयर से कम करके 10.500 एम.एचए कर दिया है। वर्ष 2005-06 की सिंचाई क्षेत्र के कार्यनिपादन की समीक्षा और 2006-07 की रणनीति निम्नलिखित पैराग्राफ में व्यक्त की जाती है।

## 10.1.2 जल संसाधनों पर राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (सिंचाई)

10.1.2.1 राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में (एनसीएमपी) सिंचाई क्षेत्रक को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में वर्णित सिंचाई क्षेत्रक से संबंधित

मदों में अन्य मदों के साथ-साथ वर्तमान सिंचाई परियोजनाओं को तीन से चार वर्गों में पूरा करना, दलितों और आदिवासियों के लिए लघु सिंचाई स्कीम, और सिंचाई, नदियों के अंतरजुड़ाव की व्यवहार्यता, नदियों और जल की हिस्सेदारी से संबंधित अंतर-राज्यीय विवादों के मैत्रीपूर्ण समाधान, जल संचयन (हारवेस्टिंग), वर्तमान तालाबों को गादरहित बनाना (डि-सिल्टिंग), उत्तरी बिहार में बाढ़ नियंत्रण और जलनिकासी, पश्चिम बंगाल में पदमा, गंगा और भागीरथी में भूमि अपरदन को रोकने, बाढ़ संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को आरंभ करने और अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नदियों में बाढ़ नियंत्रण को समर्थन देने सहित ग्रामीण आधारिक संरचना प्रदान करना शामिल हैं।

10.1.2.2 राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के संचालन के लिए कार्यक्रमों का वर्णन अलग से पैरा 10.1.10 में किया गया है।

## 10.1.3 दसवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन

10.1.3.1 योजना आयोग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन 2004-05 के दौरान किया गया था। सिंचाई क्षेत्रक के निष्पादन की सम्पूर्ण समीक्षा की गई और योजना की मध्यावधि में किए जाने वाले सुधारात्मक उपाय सुझाए गए। दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में सिंचाई क्षेत्रक की विभिन्न समस्याओं को मुखर किया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बढ़ता हुआ जल संकट, अपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं, सृजित और प्रयुक्त क्षमता का अंतर, निम्न जल प्रशुल्क, कम होते हुए भूमि जल स्तर, सिंचाई में सार्वजनिक और निजी साझेदारी का न होना और केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर जल से निपटने के लिए अनेक मंत्रालयों/विभागों का होना शामिल है। सिंचाई क्षेत्रक में कार्रवाई करने के लिए मध्यावधि मूल्यांकन में

**बाक्स 10.1.1**

**मध्यावधि मूल्यांकन की सिफारिशें**

- जल की आपूर्ति और मांग के अंतर को पाटने के लिए जल प्रयोग कार्यकुशलता को सुधारना। जल संसाधन के कुशलपूर्वक उपयोग से संबंधित अंतर-मंत्रालय के कार्यकारी दल की सिफारिशों को लागू किया जाना जरूरी है।
- ए आई बी पी द्वारा केवल परियोजनाओं को पूरा करने पर ही ध्यान केन्द्रित नहीं करना चाहिए बल्कि एक दी गई लागत पर क्षमता का अधिकतम सृजन करने पर भी ध्यान देना जरूरी है। इस कार्यक्रम की समीक्षा की जा सकती है ताकि बिना राज्य के हिस्से के 100% व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जा सके और धनराशियों को राज्यों के माध्यम से दिए जाने के बजाय बैंकों के जरिए सीधे परियोजना प्राधिकरणों को सौंपा जा सके। मॉनिटरिंग के लिए उपग्रह बिंबावलियों जैसे आधुनिक उपकरणों को अपनाया जाना चाहिए।
- बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का वित्तपोषण राष्ट्रीय परियोजनाओं के तौर पर किया जाना चाहिए ताकि उन्हें त्वरित गति से पूरा किया जा सके।
- फसल काटने के वास्तविक प्रतिरूप, तलछट, नहर प्रणालियों की दशा, जल-विज्ञान (हाइड्रोलोजी) के मद्देनजर सभी बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं की चरम सिंचाई क्षमता की समीक्षा करना।
- महाराष्ट्र में स्थापित किए जा रहे जल-नियामकों की भांति राज्यों को जल-नियामक स्थापित करने चाहिए ताकि वे सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए जल प्रशुल्क संबंधी मशवरा दे सकें।
- सहभागी सिंचाई प्रबंधन की समीक्षा करना क्योंकि इसके अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है। पी आई एम ग्रुपों को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वे प्रशुल्क निर्धारित कर सकें और उसके कुछ हिस्से अपने पास रख सकें।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित अंतर-मंत्रालय कार्यकारी दल की सिंचाई से संबंधित सिफारिशों को लागू करना।
- भूमि जल के बारे में मालिकाना अधिकारों के मुद्दे की समीक्षा करना क्योंकि अति-संदोहन से संबंधित विधान इस पर नियंत्रण नहीं कर सका है। कृषि के लिए निःशुल्क बिजली देने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
- बाढ़ प्रबंधन और अपरदन नियंत्रण के लिए कार्यकारी दल की सिफारिशों को लागू करना।
- सिंचाई में सार्वजनिक और निजी साझेदारी के लिए दिशानिर्देश तैयार करना और प्रायोगिक परियोजनाएं लागू करना।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, यथा (i) सिंचाई/जल प्रबंधन में निवेशों को बढ़ाना ताकि सिंचाई प्रणालियों के पुनर्वास, परियोजना के हिस्से के रूप में सीएडी को शामिल करते हुए संभाव्य क्षेत्रों में भूमि जल विकास और भूमि जल का कृत्रिम रीचार्ज जैसी प्राथमिकता वाली स्कीमों को आरम्भ किया जा सके, (ii) जल की दरों

को तर्कसंगत बनाना ताकि प्रणाली की संगठन व पद्धति लागतों को वसूल किया जा सके, और (iii) सुधारों और पी आई एम से जुड़ी हुई कुछ वृहत् सिंचाई परियोजनाओं का वित्तपोषण करना। बाँक्स 10.1.1 में सिंचाई क्षेत्रक के लिए मध्यावधि मूल्यांकन में की गई सिफारिशों का सार दिया गया है।

### 10.1.4 बड़ी तथा मध्यम सिंचाई

10.1.4.1 बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की कुल क्षमता 58.46 मैट्रिक हैकटेयर है। नौवीं परियोजना के अंत तक प्राप्त की गई क्षमता 36.91 एमएचए है। राज्यों तथा सघं शासित प्रदेशों से प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर अनुबंध 10.1.1 दसवीं योजना की राज्य-वार लक्ष्यों की स्थिति तथा दसवीं परियोजना के चार वर्षों के दौरान (2002-03 से 2005-06 तक सृजित) तथा प्रयुक्त सिंचाई क्षमता तथा 2006-07 के लिए लक्ष्यों की स्थिति दर्शाता है। 9.93 मैट्रिक हैकटेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए 71,213.18 करोड़ रुपए का अनुमोदित परिव्यय दसवीं परियोजना में रखा गया है। तथापि, पिछले तीन वर्षों की कार्यनिष्पादन क्षमता के मद्देनजर दसवीं परियोजना में लक्ष्य को दसवीं पाँच वर्षीय परियोजना के मध्य अवधि मूल्यांकन के पास घटा कर 6.5 मैट्रिक हैकटेयर कर दिया गया है। राज्यवार वास्तविक व्यय 2004-05, अनुमोदित परिव्यय 2005-06, संशोधित अनुमोदित परिव्यय 2005-06 तथा अनुमोदित परिव्यय 2006-07 क्रमानुसार अनुबंध 10.1.1 से 10.1.4 पर दर्शाया गया है। पिछले चार वर्षों के दौरान राज्य द्वारा सूचित वास्तविक उपलब्धियां अनुबंध-1.7 पर है जो निवेश के परिणामों अर्थात क्षमता उपयोग को भी दर्शाती है।

निम्न तालिका दसवीं योजना में बड़े तथा मध्यम सिंचाई क्षेत्र

में होने वाले परिव्यय तथा व्यय और तीन वार्षिक परियोजनाओं 2002-03 से 2004-05 तक, संशोधित अनुमान/ 2005-06 हेतु परिव्यय तथा व र 2006-07 हेतु बजट अनुमान/ अनुमोदित परिव्यय को दर्शाता है।

### अधूरी सिंचाई परियोजनाएं

10.1.4.2 दसवीं योजना के आरम्भ में देश में 408 चल रही बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं थी। दसवीं पांच वार्षिक योजना का मध्य-कालिक मूल्यांकन दर्शाता है कि 1.4.04 तक देश में 388 बड़ी तथा मध्य परियोजनाएं चल रही थी जिनका बकाया व्यय (स्पिल ओवर लॉयबेलटी) 92000 करोड़ रुपए तथा लॉकड-अप क्षमता 12.5 मैट्रिक हैकटेयर थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों ने 214 नई बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के बारे में सूचित किया था जिनका 5 मैट्रिक हैकटेयर सिंचाई क्षमता का अनुमानित व्यय एक लाख करोड़ था। चल रही परियोजना को समाप्त किए बिना नई परियोजना के बाद शुरू करने के कारण संसाधनों के फौलाव में कमी तथा अनुवर्ती विलम्ब और लागत में बढ़ौतरी होती है। हालाँकि, सक्रिय सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि को 2004-05 में पूर्ण ऋण के स्थान पर अनुदान घटक के साथ पुनसंरचित किया गया है। इससे परियोजनाओं को पूरा करने में कोई सहायता नहीं मिली है।

तालिका 10.1.1  
बड़ी और मझोली सिंचाई

(करोड़ रुपए)

अवधि	केन्द्रीय क्षेत्रक		राज्य क्षेत्रक	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक प्रत्याशित व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक प्रत्याशित व्यय
दसवीं योजना	351.40	-	70861.78	-
2002-03	62.82	48.48	13646.07	9607.2
2003-04	76.08	61.68	13981.02	10984.72
2004-05	85.93	57.22	15517.71	16201.15
2005-06	86.33	67.38	20121.94	16312.02
2006-07	126.14		25368.30	

तालिका 10.1.2  
31.08.2006 की स्थिति तक बाह्य सहायता-प्राप्त चल रही परियोजनाएं

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	समझौते/पूरा करने की तारीख	मिलियन डालर मुद्रा में सहायता राशि	सहायता का स्वरूप	31 अगस्त 2006 तक संकलित संवितरण मिलियन यूएस डालर/एसडीआर (करोड़ रुपये)
1.	कर्नाटक	कर्नाटक कम्युनिटी बेस्ड टैंक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट - सीआर 3635-आईएन	06.06.2002 31.01.2009	एसडीआर 80 संशोधित एसडीआर 63.420	ऋण	एसडीआर 22.483 (147.422 करोड़ रुपये)
2.	मध्य प्रदेश	मध्यप्रदेश वाटर सैक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट एलएन 4750 - आईएन	30.11.2004 30.03.2011	394 अमरीकी डालर	ऋण	22.436 अमरीकी डालर (98.162 करोड़ रु.)
3.	राजस्थान	राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना सीआर-3603-आईएन	15.3.2002 31.03.2008	एसडीआर 100.02	ऋण	एसडीआर 44.149 (288.875 करोड़ रुपये)
4.	उत्तर प्रदेश	यूपी जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना सीआर.3602-आईएन	08.03.2002 31.10.2007	एसडीआर 90.471	ऋण	एसडीआर 21.277 (138.599 करोड़ रुपये)
5.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना एलएन 4796-आईएन	19.08.2005 30.12.2012	325 अमरीकी डालर	ऋण	अमरीकी डालर 31.816 (143.332 करोड़ रुपये)
6.	हाइड्रोलोजी परियोजना-II	बहु राज्यीय नहर	19.1.2006 31.1.2012	अमरीकी डालर 104.98	लोन	अमरीकी डालर 0.525 (2.343 करोड़ रुपये)
7.	आन्ध्र प्रदेश	कुमवोल कुदापा का आधुनिकीकरण एलएन 4796-आईएन	25.01.1996 26.02.2005	चरण -I 16049		15728.655 (670.679 करोड़ रुपये) 1843.363 (72.235 रुपये)
8.	उड़ीसा	रैलगनी सिंचाई परियोजना	12.12.1997 04.01.2005	चरण-I 6844.277 चरण-II 6342		6844.227 (265.94 करोड़ रुपये) 1286.934 (57.524 करोड़ रुपये)
9.	राजस्थान	राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना	31.3.2005 31.3.2013	11555	0.00	
10.	महाराष्ट्र	लघु सिंचाई परियोजना **	31.12.2006 30.12.2006	यूरो 23.008		यूरो 6.848 (35.88 करोड़ रुपये)
11.	हिमाचल प्रदेश	लघु, सिंचाई तथ ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना	31.10.2002 31.12.2005	यूरो 2.659		यूरो 0.00 (0.00 रुपये)

**प्राप्त जर्मन-ऋण**

\* प्रतिभागी राज्य : आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा पाण्डिचेरी, पंजाब

\*\* दिसम्बर, 2008 तक कृषि विस्तार प्रदान करने का प्रसताव विचाराधीन

\*\*\*आर्थिक कार्य विभाग का संस्तुत जून 2007 तक कार्य विस्तार प्रदान।

तालिका 10.1.3  
लघु सिंचाई

(करोड़ रुपए)

वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्रक		राज्य क्षेत्रक तथा संघ राज्य क्षेत्र	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/ प्रत्याशित व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/ प्रत्याशित व्यय
दसवीं योजना	533.80	-	13,872.86	-
2002-03	109.16	82.91	2049.92	1555.95
2003-04	95.22	74.27	2488.36	1882.51
2004-05	105.20	79.97	2939.46	2282.79
2005-06	72.64	62.51	3102.63	3295.67
2006-07	88.94		3951.63	

जल संसाधन मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि पूर्ववर्ती पाँचवी तथा पाँचवी योजना परियोजना को अधिमानता देते हुए दसवीं योजना क अंत तक 156 परियोजनाएं पूरी की जा सकती है। सही आँकड़े ग्यारहवीं पंच वार्षिक योजना के कार्यदल द्वारा इस क्षेत्र में चल रही सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन पूरा करने के बाद ही दिए जा सकते हैं।

### बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

10.1.4.3 विभिन्न राज्य में बाह्य सहायता प्राप्त 13 परियोजनाएं चल रही हैं। 31 अगस्त 2006 तक इन परियोजनाओं का नाम, सहायता राशि तथा संवितरण नीचे दर्शाया गया है। दो बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का प्रथम चरण 2004-05 के दौरान पूरा कर लिया गया था। वर्ष 2005-06 के दौरान दो परियोजनाओं अर्थात् आंध्रप्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना तथा उड़ीसा लघु सिंचाई परियोजना को पूरा किया गया ।

### 10.1.5 लघु सिंचाई

10.1.5.1 लघु सतही बहाव सिंचाई परियोजना में स्टोरेज टैंक होता है तथा सिंचाई की गई कृषि भूमि में सतही उठाव (सरफेस लिफ्ट) का महत्वपूर्ण स्थान होता है विशेषकर देश के प्रायद्वीपीय भाग और पहाड़ी क्षेत्रों में। तृतीय लघु सिंचाई जनगणना 2000-01 में देश में 5.56 लाख टैंकों तथा स्टोरेजों की गणना की गई थी जिनकी सिंचाई क्षमता 6.27

मैट्रीक हैक्टेयर था । टैंकों की संख्या सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है जिसके बाद महाराष्ट्र तथा आंध्रप्रदेश आते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ झारखण्ड में टैंको की पर्याप्त संख्या है। उपर्युक्त सात राज्यों में टैंको की कुल संख्या का 75 प्रतिशत है। लघु सिंचाई योजनाओं की सगर्भता अवधि छोटी होती है तथा ये श्रमिक आधारित होती है और गरीबी उन्मूलन का महत्वपूर्ण जरिया होती है।

10.1.5.2 लघु सिंचाई परियोजनाओं की अनुमानित कुल सिंचाई क्षमता का आकलन 81.43 मिलियन हैक्टेयर है जिसमें से 17.48 मिलियन हैक्टेयर सतही जल लघु सिंचाई से तथा 64.05 मिलियन हैक्टेयर भूमिगत जल से है। राज्य क्षेत्रों में दसवीं योजना का अनुमोदित परिव्यय 13872.86 करोड़ है जिससे 6.807 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जाने की मंशा है। नौवी योजना के अंत तक, 56.90 मिलियन हैक्टेयर क्षमता सृजित कर ली गई थी। दसवीं योजना के मध्य-कालिक मूल्यांकन के दौरान, योजना के प्रथम तीन वर्षों के वास्तविक कार्यनिपादन के मूल्यांकन के बाद सृजित क्षमता के लक्ष्य को घटा कर 4.0 मिलियन हैक्टेयर कर दिया गया है। राज्य-वार वास्तविक व्यय 2004-05, अनुमानित परिव्यय 2005-06 तथा अनुमोदित परिव्यय 2005-06 तथा अनुमोदित परिव्यय 2006-07 को क्रमानुसार अनुबंध 10.1.1 से 10.1.4 पर दर्शाया गया है। परिणाम अर्थात् क्षमता उपयोग सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक उपलब्धि को अनुबंध 10.1.8 पर दर्शाया

गया है।

10.1.5.3 लघु सिंचाई योजनाओं को योजनागत राशि, संस्थानगत वित्त तथा निजी कृषकों के निवेश से वित्त पोषित किया जाता है। इस आमतौर पर लोगों द्वारा चलाया गया कार्यक्रम माना जाता। नौवीं योजना के दौरान लघु सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत संस्थानगत वित्त के माध्यम से 2661.68 करोड़ रुपये का निवेश हुआ।

10.1.5.4 नीचे दी गई तालिका दसवीं योजना में लघु सिंचाई क्षेत्र में परिव्यय तथा व्यय और 2002-03 से 2004-05 तक तीन वार्षिक योजनाओं के लिए, 2005-06 के संशोधित अनुमान/ परिव्यय और वर्ष 2006-07 हेतु बजट अनुमान / अनुमोदित परिव्यय को दर्शाती है।

### 10.1.6 भूमिगत जल का उपयोग

10.1.6.1 हालांकि केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के अनुसार देश में भूमिगत जल विकास की क्षमता 59% है, कई स्थानों पर भूमिगत जल की स्थिति का परिदृश्य जल स्तर में आई कमी के कारण व्यथित कर देने वाला है। देश में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा किये गये 5723 ब्लॉकों के मूल्यांकन में 4078 ब्लाक सुरक्षित है, 839 ब्लाकों का क्षमता से अधिक प्रयोग किये जा रहा है तथा 550 ब्लाकों अर्ध-गम्भीरता की स्थिति में है तथा 226 ब्लाक गम्भीर स्थिति में है तथा 20 ब्लाक स्लाईन है। विभिन्न श्रेणियों हेतु सीजीडब्ल्यू के मानदण्ड इस प्रकार हैं।

यह समस्या निःशुल्क विद्युत सहायता, क्षमता से अधिक उपयोग के कारण भूमिगत जल का प्रदूषण, समुद्री पानी की घुसपैठ तथा नदियों के तल में से रेत निकालने से और अधिक गम्भीर हो जाती है। क्योंकि भूमिगत जल के उपयोग को नियमित करने के लिए किए गए विधायी प्रयास सफल नहीं हुए हैं अतः भूमिगत जल के मालिकाना अधिकारों से जुड़े हुए हैं, की समीक्षा के लिए दसवीं योजना की विशेषज्ञदल के द्वारा मध्य कालिक मूल्यांकन का सुझाव दिया गया है। मध्य कालिक मूल्यांकन के सुझाव के अनुपालनार्थ, योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल की

विकास का स्तर	कमी आने की स्थिति	श्रेणी बद्धता
<=70 %	कोई पूर्व तथा पश्चातवर्ती मानसून नदी दीर्घ आवधिक रूप से काफी कमी	सुरक्षित
<=70% <=90%	कोई पूर्व तथा पश्चातवर्ती मानसून नदी दीर्घ आवधिक रूप से काफी कमी	सुरक्षित
>=70% <=90%	कोई पूर्व तथा पश्चातवर्ती मानसून नदी दीर्घ आवधिक रूप से काफी कमी	अर्ध-गम्भीर
>=90% और <=100%	कोई पूर्व तथा पश्चातवर्ती मानसून नदी दीर्घ आवधिक रूप से काफी कमी	अर्ध-गम्भीर
>=90% और <=100%	कोई पूर्व तथा पश्चातवर्ती मानसून नदी दीर्घ आवधिक रूप से काफी कमी	गम्भीर
>=100 %	कोई पूर्व तथा पश्चातवर्ती मानसून नदी दीर्घ आवधिक रूप से काफी कमी	क्षमता से अधिक प्रयोग

रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा इस दल की रिपोर्ट ग्यारहवीं योजना के लिए एक महत्वपूर्ण इन-पुट का कार्य करेगी।

### 10.1.7 कमान क्षेत्र विकास

10.1.7.1 केन्द्र, द्वारा प्रायोजित कमांड एरिया कार्यक्रम 1974 में राष्ट्रीय सिंचाई आयोग (1972) तथा सिंचाई परियोजनाओं की कमांड के अंतर्गत सृजित सिंचाई क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए मंत्रियों की समिति (1973) की सिफारिशों पर तथा भविष्य आधार पर उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के माध्यम से सिंचाई योग्य भूमि द्वारा उत्पादक/ उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ष 1974 में शुरू किया गया था। इस योजना की दसवीं योजना इस योजना की दसवीं योजना में पुनसंरचना करके इसका नाम " कमांड एरिया डेवलपमेंट तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम" कर दिया गया। इस नई योजना में लाभार्थियों का अंशदान तथा प्रतिभागी सिंचाई प्रबंध रखा गया।

10.1.7.2 01.04.2006 की स्थिति अनुसार, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 28 राज्यों तथा 2 संघ शासित प्रदेशों में फैले 30 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में एक क्लचरेबल कमांड ऐरिया (सीसीए) में 295 परियोजनाएं शामिल हैं। सीसीए की 17.06 मिलियन हैक्टेयर सहित सीएडी तथा डब्ल्यूएम कार्यक्रम में 133 कैड परियोजनाओं को कन्द्र की सहायता मिलती है।

10.1.7.3 पुनर्संचित सीएडी डब्ल्यू एम कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण विशेषता लाभार्थी कृषकों द्वारा खेती की नालियों के निर्माण के लिए 10% अनिवार्य अंशदान जल भराव को हटाने का कार्य तथा सीएडी कमांड कं अंतर्गत लघु सिंचाई टैंकों के नवीकरण का कार्य है। इस प्रगति की गति धीमी है क्योंकि इन परिस्थितियों के कार्यान्वयन के कारण यह दसवीं परियोजना में परिवर्तनाधीन है। इसके अतिरिक्त कई राज्य सीएडी गतिविधियों हेतु अपने 50% अंशदान को पूरा नहीं कर पाते जिसके कारण उन्हें इस कार्यक्रम का पूरा लाभ नहीं मिल पाता ।

10.1.7.4 नीचे दी गई तालिका दसवीं योजना में सीएडी क्षेत्र पर हुए परिव्यय तथा व्यय तथा तीन वार्षिक कार्यक्रम 2002-03 से 2004-05, संशोधित अनुमान/ परिव्यय वर्ष 2005-06 तथा बजट अनुमान/ अनुमोदित परिव्यय 2006-07 को दर्शाती है। राज्य-वार वास्तविक व्यय 2004-05, अनुमोदित परिव्यय 2005-06, संशोधित अनुमोदित परिव्यय

2005-06 तथा अनुमोदित परिव्यय 2006-07 को क्रमानुसार अनुबंध 10.1.1 से 10.1.4 पर दर्शाया गया है। सूचित वास्तविक उपलब्धियां तालिका 10.1.5 पर है तथा यह परिणाम भी है।

10.1.7.5 आरम्भ होने से मार्च 2004 तक इस कार्यक्रम के विभिन्न मुख्य घटकों के अंतर्गत वास्तविक प्रगति को नीचे दर्शाया गया है।

### 10.1.8 बाढ़ नियंत्रण

10.18.1 राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1972) ने देश में बाढ़ ग्रसित होने वाले क्षेत्रों का अनुमान लगभग 40 मिलियन हैक्टेयर लगाया है जिसमें से 32 मैट्रिक हैक्टेयर का पर्याप्त संरक्षण किया जा सकता है। अब तक एम बैंक मेंट, ड्रेनेज नालियों, आऊन संरक्षण कार्यो तथा गाँवों को बाढ़ के स्तर से ऊपर उठाने के माध्यम से 19 मैट्रिक हैक्टेयर संरक्षित कर लिया गया है। 2.78 मिलियन हैक्टेयर संरक्षित करने के लिए दसवीं योजना में राज्य क्षेत्रों में अनुमोदित परिव्यय 4619.00 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय क्षेत्र में 1308.00 करोड़ रुपये था। बाढ़ क्षेत्र की चिन्ताओं को संबोधित करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बाढ़ प्रबंध तथा भूमि कटाव के नियंत्रण हेतु एक कार्यदल गठित किया गया था ताकि असम तथा अन्य उत्तर-पूर्वी

तालिका 10.1.4  
कैड (वित्तीय)

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्र		राज्य क्षेत्र	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/ पूर्वानुमानित व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/ पूर्वानुमानित व्यय
10वीं योजना	1406.80	-	2789.88	-
2002-03	202.00	152.16	272.39	290.45
2003-04	202.00	144.02	262.54	231.04
2004-05	180.00	142.78	658.95	264.45
2005-06	200.00	196.50	338.58	1143.79
2006-07	205.70		1349.18	

राज्यों, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी उ०प्र० में बार-बार आने वाली बाढ़ के कारणों की जांच की जा सके तथा बाढ़ नियंत्रण तथा भूमि हेतु अब तक उठाए गए कदमों की समीक्षा करके बाढ़ प्रबंधन हेतु लघु अवधि तथा दीर्घ अवधि उपायों के बारे में सुझाव दिया जा सके तथा उससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की जांच की जा सके। उपर्युक्त समिति ने दिसंबर 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। उपर्युक्त समिति की मुख्य सिफारिशें बाक्स 10.1.2 पर दी गई हैं।

10.1.8.2 ब्रह्मपुत्र बराक तथा गंगा में बाढ़ नियंत्रण योजना हेतु केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में राज्य क्षेत्र के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण के लिए 150.00 करोड़ की अनुमानित लागत से एक नई योजना अनुमोदित की गई है। 2006-07 में 114.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नई दसवीं योजना परियोजना में 20.64 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किनारों के कटाव के नियंत्रण हेतु तथा देश के नाजुक क्षेत्रों में 54.27 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ड्रेनज में सुधार के कार्य को 2003-04 से पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है।

10.1.8.3 नीचे दी गई तालिका दसवीं योजना में बाढ़ नियंत्रण तथा ड्रेनेज क्षेत्र में हुए परिव्यय तथा व्यय को और तीन वार्षिक योजना 2002-03 से 2004-05 तक, संशोधित अनुमान/ परिव्यय 2005-06, बजट अनुमान/ परिव्यय 2005-06, बजट अनुमान/ अनुमोदित परिव्यय 2006-07 को दर्शाती है। राज्य-वार वास्तविक परिव्यय 2004-05, अनुमोदित परिव्यय 2005-06, संशोधित अनुमोदित परिव्यय 2005-06 तथा अनुमोदित परिव्यय 2006-07 क्रमानुसार अनुबंध 10.1.1 से 10.1.4 पर दर्शाया गया है।

### 10.1.9 ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास राशि

10.1.9.1 भारतीय अनुसूचित व्यवसायिक बैंको को अपने औसत लोन का कम से कम 40% प्राथमिकता क्षेत्रों को ऋण के रूप देने के लिए कर्तव्यबद्ध है तथा प्राथमिकता क्षेत्र के 40% के कुल लक्ष्य का इन बैंको को 18 कृषि उप-क्षेत्र को देना होता है। ग्रामीण आधार-भूत ढांचा विकास राशि की शुरुआत 1995-96 के केन्द्रीय बजट की घोषणा से हुई।

10.1.9.2 इस राशि की स्थापना 1995 से नाबार्ड से हुई।

तालिका 10.1.5  
कैड वास्तविक प्रगति

(मिलियन हैक्टेयर)

कार्य की मद	7 वीं योजना तक संकलित उपलब्धि	र्वा 2002-05 (तीन वर्ष) के दौरान उपलब्धि	2005-06 के दौरान उपलब्धि**	2006-07 के लिए लक्ष्य***
खेती की नालियां	15.80	1.30	0.279	0.230
वाराबंदी	10.18	0.854	0.066	
खेती के ड्रेन	1.12	0.415	0.072	0.030
समतलता जमीन* की आकार प्रदान करना	2.18	0.049	-	-
प्रणाली की कमी दूर करना				0.33
लघु सिंचाई टैंकों का नवीकरण				0.06

\* (04.2004 से जमीन समतल का कार्य बन्द कर दिया है) \*\* दिसम्बर 2005 तक \*\*\* 10 वीं योजना अनुमान पर आधारित

**बाक्स 10.1.2**

**बाढ़ नियंत्रण पर कार्यदल की मुख्य सिफारिशें**

बाढ़ के प्रभावों को कम करने के लिए कार्य दल ने कई दीर्घावधि तथा लघु-अवधि उपायों की सिफारिश की है। ये महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- गंगा में बाढ़ नियंत्रण हेतु केन्द्र द्वारा प्रयोजित मौजूदा योजना हेतु केन्द्र तथा राज्य का अनुपात 75 : 25 से 90 : 10 करना
- उत्तरी बंगाल रिवर बोर्ड का गठन
- एमबैंकमेंट के अनुसूचना हेतु राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान
- बाढ़ संरक्षण योजना के वित्तपोषण हेतु जल संसाधन मंत्रालय को 50 करोड़ रुपये की वार्षिक राशि का प्रावधान
- स्टोरेज डैम में बाढ़ स्टोरेज घटकों हेतु पूर्ण केन्द्रीय सहायता
- अंतर-राज्यीय, अंतरा-राज्यीय तथा अंतर-राष्ट्रीय स्टोरेज परियोजनाएं जो बाढ़ नियंत्रण लाभ देती हैं उनके कार्यान्वयन हेतु भरसक प्रयास किया जाए
- बाढ़-प्लैन क्षेत्रों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को तैयार करना
- 2005 के मानसून से पहले बिहार, उ०प्र० पश्चिम बंगाल, असम तथा अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 316.14 करोड़ रुपये की लागत से तत्कालिक उपाय। वर्षा 2005-06 तथा 2006-07 के लिए 2030.15 करोड़ की लागत से कतिपय लघु अवधि उपायों की भी सिफारिश की गई। क्योंकि ये राज्यों के संसाधनों से बाहर हैं अतः इसके लिए केन्द्र से खुले रूप से सहायता अपेक्षित है।

इस राशि का प्रारम्भिक संग्रह 1995-96 हेतु 2000 करोड़ (आरआईडीएफ- I) को देना था जिसे उन अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों जो प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्य (40%) के अंतर्गत कृषि

उप-क्षेत्र को (18%) ऋण देने में कमी दर्शा रहे थे जो नेट बैंक ऋण के 1.5% सीमा के अधीन था। तभी से इस योजना को बढ़ी हुई प्रतिबद्धता के साथ आने वाले केन्द्र के

**तालिका 10.1.6**

**बाढ़ नियंत्रण तथा ड्रेनेज**

(करोड़ रुपये)

वर्ष	केन्द्र क्षेत्र		राज्य क्षेत्र	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/ अनुमोदित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/ अनुमानित परिव्यय
दसवीं योजना	1308.00	-	4619.00	-
2002-03	176.02	100.10	588.76	485.03
2003-04	180.70	120.23	576.35	438.98
2004-05	201.87	135.82	621.84	703.20
2005-06	262.03	211.61	806.52	
2006-07	279.22		1349.18	

सभी बजटों में जारी रखा गया जो निम्नानुसार है:-

वर्ष	(करोड़ रुपये में)	
1995-96	आरआईडीएफ I	2000
1996-97	आरआईडीएफ II	2500
1997-98	आरआईडीएफ III	2500
1998-99	आरआईडीएफ IV	3000
1999-2000	आरआईडीएफ V	3500
2000-01	आरआईडीएफ VI	4500
2001-02	आरआईडीएफ VII	5000
2002-03	आरआईडीएफ VIII	5500
2003-04	आरआईडीएफ IX	5500
2004-05	आरआईडीएफ X	8000
2005-06	आरआईडीएफ XI	8000
2006-07	आरआईडीएफ XII	10000

10.1.9.3 नाबार्ड की वर्ष 2006-07 की ग्रामीण आधार भूत ढांचा विकास राशि के लिए सिंचाई सहित ग्रामीण विकास के लिए 10000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आरआईडीएफ के अंतर्गत ऋण सहायता का प्रावधान सिंचाई संरक्षण परियोजनाओं सहित अधूरी तथा चल रही मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं वाटरशेड प्रबंध, भूमि संरक्षण, ग्रामीण सड़कों तथा पुल, ग्रामीण मार्केट, प्राथमिक विद्यालय भवनों, ग्रामीण पेय जल कार्य, इनज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, वन विकास आदि के लिए किया गया है। आईडीआईएफ के अंतर्गत ऋण परियोजना लागत अथवा बकाया लागत जो भी कम हो के 90% तक अनुमोदित किया जाता है।

### 10.1.10 जल क्षेत्र से संबंधित एनसीएमपी मदों का प्रचालन

10.1.10.1 योजना के पश्चात योजना से विलम्बित सिंचाई परियोजनाएं चिंता का कारण रही हैं। सिंचाई क्षेत्र में निवेश की कमी तथा परियोजनाओं की बहुतायत इसके कुछ कारण रहे हैं। एनसीएमपी ने उल्लेख किया है चल रही सभी सिंचाई परियोजनाएं तीन से चार वर्ष की अवधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी। राज्यों का चल रही परियोजनाएं पूरी करने के लिए सहायता देने की दृष्टि से मध्य कालिक

मूल्यांकन ने सक्रिय सिंचाई परियोजना प्रसुविधा कार्यक्रम में उन्हें शीघ्र पूरा करने में सुधार, परियोजना पूरा करने में तेजी लाना तथा क्षमता सृजन हेतु संशोधनों का सुझाव दिया है। एमटीए के सुझाव के अनुपालन में एआईबीपी के अंतर्गत हुए आबंटन को 2005-06 में 4800 करोड़ रुपये से 2006-07 में 7121 करोड़ रुपये कर दिया गया है जिसमें से अनुदान घटक 2350 करोड़ रुपये है। इस र्वा के अंत तक 17 परियोजनाएं पूरी हो जाने की आशा है।

#### 10.1.10.2 लघु सिंचाई क्षेत्र

लघु सिंचाई क्षेत्र से संबंधित एनसीएमपी मदों के प्रचालन हेतु वर्ष 2004-05 में दो नई योजनाएं आरम्भ की गई हैं। यह है (i) 49 करोड़ की अनुमानित लागत से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए वाटर हर्वेसटिंग सट्टेक्वर जिसमें 24500 वाटर हर्वेसटिंग सट्टेक्वर का प्रावधान है। सरकार नबारड़ के माध्यम से 50% पूंजीगत सहायता राशि मुहैया करवाएगी तथा बकाया 50% बैंकों से ऋण के रूप में होगा। इस योजना को नाबार्ड द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की याजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। दिसम्बर, 2005 तक 3366 वाटर हर्वेसटिंग सट्टेक्वरों का निर्माण कर लिया गया था। (ii) देश में कृषि से सीधे रूप से जुड़े जल संसाधनों की मरम्मत, पुनःस्थापना तथा नवीकरण " इसे मुख्य परियोजना के रूप में आरम्भ किया गया है। इस योजना को 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राज्य क्षेत्र के रूप में अनुमोदित किया गया है तथा इसे 14 राज्यों जिनमें 24 जिले शामिल है, ये कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक 1116 वाटर संसाधनों को 1.48 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की पुनः स्थापना हेतु शामिल किया गया है। 2004-05 से मार्च 2006 तक 100 करोड़ रुपये दिए गए तथा 2006-07 के बजट में 113 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।

#### 10.1.10.3 बाढ़ क्षेत्र

एनसीएमपी उत्तरी बिहार में बाढ़ नियंत्रण तथा ड्रेनेज, पश्चिम बंगाल में पद्मा, गंगा तथा भागीरथी में भूमि कटाव के रोकथाम व बाढ़ प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरूआत तथा अंतर-राज्यीय तथा अंतरराष्ट्रीय नदियों में बाढ़ नियंत्रण

सहायता जैसे मुद्दों का समाधान करता है। बाढ़ नियंत्रण कार्यदल की रिपोर्ट (बाक्स 10.1.2) में पहले ही एनसीएमपी की इस मद का समाधान किया है तथा यह जल संसाधन मंत्रालय के विचाराधीन है मध्य अवधि मूल्यांकन ने नए योजनाओं के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के विकास के समाधान करने की दृष्टि से उन्हें नए रूप में ढालने का सुझाव दिया है। एनआरईजीपी राशि के अंतर्गत भी बाढ़ संरक्षण उपायों को कार्यान्वित किया जा सकता है।

#### 10.1.10.4 नदियों को एक दूसरे से जोड़ना (आईएलआर)

नदियों को एक दूसरे से जोड़ने (आईएलआर) से संबंधित एनसीएमपी मदों को संबोधित करने की दृष्टि से जल संसाधन मंत्रालय में एक अलग एकक स्थापित किया है। अगस्त, 2005 के दौरान मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बीच केन बेतवा लिंक के लिए डीपीआर तैयार कराने हेतु हुआ समझौता ज्ञापन इस योजना के अनुपालन में जलसंभर विकास को इंगित करता है। डीपीआर तैयार करने का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ होगा। जल संसाधन मंत्रालय, अन्य चुने गए लिंको जिनके लिए संभावना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, विभिन्न राज्यों के बीच आम सहमति बनाने के अपने प्रयास जारी रखे हुए है।

#### 10.1.10.5 सीएसएस योजनाओं का राज्यों को स्थानांतरण

परिवार नियोजन आदि जैसे प्राथमिकता के क्षेत्रों को छोड़कर सभी सीएसएस को राज्यों को स्थानांतरित करने के एनसीएमपी के मतादेश के अनुसार जल संसाधन मंत्रालय ने अपने दो सीएसएस अर्थात (i) गंगा बेसिन राज्यों को छोड़कर कोस्टल का भूमि कटाव निरोधी कार्य तथा (ii) देश के गम्भीर क्षेत्रों के ड्रेनेज विकास का कार्य 2004-05 से राज्यों को सौंपना / इसके अतिरिक्त जल संसाधन मंत्रालय की (i) ब्रह्मपुत्र बराक घाटी में बाढ़ नियंत्रण (ii) कृषि से सीधे रूप से जुड़े जल निकायों की मरम्मत, पुनः स्थापना तथा नवीकरण का कार्य आदि जैसी नई महत्वपूर्ण योजनाओं को वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य क्षेत्र के योजना के रूप में अनुमोदित कर दिया गया।

#### 10.1.10.6 भारत निर्माण

वित्त मंत्री ने 2005-06 की बजट घोषणा में ग्रामीण आधार भूत ढांचे के विकास के लिए एक नया कार्यक्रम घोषित किया। एक व्यवसायिक योजना के रूप में चुने गए इस कार्यक्रम को वास्तविक लक्ष्यों की पहचान करते हुए चार वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है। सिंचाई में निश्चित सिंचाई के अंतर्गत अतिरिक्त एक करोड़ हैक्टेयर लाने की योजना है जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

ग्रामीण आधार-भूत ढांचे पर प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति इस कार्यक्रम की मॉनीटरिंग कर रही है। जल संसाधन मंत्रालय ने सिंचाई लक्ष्यों की पूर्ति हेतु 68,500 करोड़ रुपये की अपेक्षित धन राशि का आकलन किया है। चार वर्षों के लिए राशि के मौजूदा स्तर को शामिल करते हुए 15,900 करोड़ अपेक्षित अतिरिक्त धन राशि को अतिरिक्त बजटीय आबंटन, बाध्य सहायता तथा लाभार्थियों के अंशदान से पूरा किया जाएगा।

10.1.10.7 2005-06 के दौरान 1.90 मिलियन हैक्टेयर लक्ष्य की तुलना में राज्यों ने 0.83 मैट्रिक हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करन सूचित किया है।

#### 10.1.10 जल संसाधन मंत्रालय का योजनागत कार्य-निष्पादन

10.1.10.1 जल संसाधन मंत्रालय का दसवीं योजना आबंटन राशि 3600 करोड़ रुपये है। योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा उनकी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किया व्यय निम्नानुसार है:

करोड़ रूपये में

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक परिव्यय
2002-03	550.00	393.66
2003-04	554.00	410.00
2004-05	580.00	415.79
2005-06	621.00	500.00
2006-07	700.00	

घटक	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	कुल
<b>I बड़ी तथा मध्यम सिंचाई</b>					
➤ चल रही परियोजनाओं को पूरा करना	0.90	1.10	1.10	1.10	4.20
➤ विस्तार, पुन नवीनीकरण बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00
कुल बड़ी तथा मध्यम सिंचाई	1.15	1.35	1.35	1.35	5.20
<b>II लघु सिंचाई</b>					
➤ सतही जल	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00
➤ भूमिगत जल	0.45	0.75	0.80	0.80	2.80
➤ जल निकायों/एमआईकी इएमआर परियोजनाओं की मरम्मत पुन नवीनीकरण तथा पुनःस्थापना	0.05	0.05	0.45	0.45	1.00
कुल लघु सिंचाई	0.75	1.05	1.50	1.50	4.80
कुल योग	1.90	2.40	2.85	2.85	10.00

अलग-अलग योजना-वार व्यय अनुबंध 10.1.5 पर दर्शाया गया है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का कार्यनिपादन अनुबंध 10.1.6 पर है। मध्य अवधि मूल्यांकन ने टिप्पणी की है कि तीन वर्षों के बाद जल संसाधन मंत्रालय का कार्य-निपादन केवल 41% है। तथापि, बाढ़ क्षेत्र के प्रति एनसीएमपी की प्रतिबद्धता के कारण दसवीं योजना के लिए परिव्यय में कोई कटौती प्रस्तावित नहीं की गई है।

### 10.1.12 आउटकम बजट 2006-07

10.1.12.1 वित्त मंत्री ने अपने 2005-06 के बजट भाषण में विभिन्न योजनाओं के वित्तीय परिव्यय को वास्तविक परिणामों में परिवर्तित किए जाने पर बल दिया। इस दिशा में पहले कदम के रूप में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले वास्तविक लक्ष्यों की पहचान करते हुए अगस्त 2005-06 के दौरान संसद में आउट कम बजट प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2005-06 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण केन्द्र द्वारा प्रायोजित /केन्द्रीय क्षेत्र /राज्य क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले प्रस्तावित लक्ष्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

### 10.1.13 जल संसाधन मंत्रालय की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

#### 10.1.13.1 गंगा बेसिन राज्यों में महत्वपूर्ण भूमि कटाव कार्य

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना अर्थात् "गंगा बेसिन में महत्वपूर्ण भूमि कटाव निरोधी कार्य" जनवरी 2001 में अनुमोदित की गई थी जिसमें उत्तरांचल, बिहार, पश्चिम बंगाल सहित उत्तर प्रदेश राज्य को और फराक्का बैराज परियोजना प्राधिकरण (एफवीपीए) को महत्वपूर्ण प्रकृति का भूमि कटाव निरोधी कार्य करने हेतु IX की योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता संबंधित राज्यों को 75 : 25 के केन्द्र तथा राज्य के अनुपात में तथा एफबीपीए को 100% वित्त पोषण के रूप में दी गई थी। यह योजना 192 करोड़ रुपये की दसवीं योजना परिव्यय के साथ दसवीं योजना में चालू रखी जा रही है जिसे अब संशोधित करके 305.03 करोड़ हो गया है जिसमें 251.02 करोड़ रुपये केन्द्र के अंशदान के रूप में तथा 85.71 करोड़ रुपये में से 54.01 करोड़ रुपये वर्ष 2006-07 के लिए राज्यों को दे दिए गए हैं 108.18 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु संशोधित बजट

योजना का नाम	आशातीत परिणाम
1. कमांड एरिया विकास तथा जल प्रबंध कार्यक्रम	बीच की दूरी को निम्न कदम उठाते हुए कम करना 1) फील्ड चैनल-0.23 मिलियन हैक्टेयर का निर्माण 2) जल की सामान मात्रा छोड़े जाने की दृष्टि से प्रणाली की कमियों को 150 क्यूसिक तक ठीक करना 3) एमआई टैंकों का सिंचाई क्षमता पुनःस्थापित करने हेतु पुननवीनिकरणटिप्पणी : सीएडीडब्ल्यूएम के अंतर्गत 2 तथा 3 नई गतिविधियाँ हैं
2. गंगा बेसिन राज्यों में महत्वपूर्ण भूमि कटाव निरोधी कार्य	1) भूमि कटाव निरोधी कार्य के एमबैंकमेंट की लम्बाई 26.88 कि.मी. 3) एमबैंकमेंट को मजबूत करने तथा उसे ऊँचा उठाने का कार्य 133.58 कि.मी. यह कार्य चुने गए स्थानों पर भूमि कटाव नियंत्रण तथा बाढ़ संरक्षण के लिए किया जा रहा है।
3. केन्द्रीय योजनागत परियोजनाओं के अंतर्गत बाढ़ संबंधी गतिविधियाँ (योजनाओं की कुल संख्या 14)	क) टिस्टा तथा पंचश्वेर हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर परियोजना हेतु डीपीआर तैयार करना ख) जल संसाधन क्षमता का मूल्यांकन तथा नदियों में बाढ़ की चेतावनी के मुद्दे पर सहायता करना।
4. भूमिगत जल सर्वेक्षण, खोज तथा जाँच	1) भूमिगत जल सर्वेक्षण के माध्यम से पुनःमूल्यांकन 1.85 लाख वर्ग कि.मी. 2) एक्सप्लोरेशन कुओं की ड्रिलिंग-800 3) 15,700 के नेटवर्क के माध्यम से भूमिगत जल तालिका से भूमिगत जल तालिका की मानिट्रिंग 4) भूमिगत जल संसाधनों के लिए वैज्ञानिकी तथा सस्टेनेबल प्रबंध हेतु 40 जिलों की रिपोर्ट तैयार करना।
5. सक्रिय सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)	क) 17 परियोजनाओं का पूरा करना ख) एआईबीपी द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत 0.32 मैट्रिक हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करना
6. कृषि से जुड़े जल निकायों की मरम्त, पुनस्थापना तथा पुन नवीनिकरण	4 जिलों में पुनः नवीनिकरण का कार्य पूरा किया जा रहा है तथा 100 जल निकायों की कमांड के अंतर्गत सिंचाई को पुनःस्थापना
7. ब्रह्मपुत्र बैराक घाटी में बाढ़ नियंत्रण	45,600 मिलियन हैक्टेयर भूमि को संरक्षण प्रदान करना।

में किया गया है।

#### 10.1.13.2 कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंध कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का ब्यौरा पिछले पैराग्राफ 10.1.7 में रेखांकित किया गया है। 2006-07 के लिए राज्यों के सहातार्थ 204.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

#### 10.1.13.3 लघु सिंचाई सांख्यिकी योजना (आरएमआईएस) का युक्तिकरण

केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजनागत परियोजना "लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण" का केन्द्र से 100% अनुदान के रूप में कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस आरएमआईएस योजना के अंतर्गत राज्यों के अंशदान की योजना हेतु एक विश्वसनीय डाटा बैस सृजित करने के लिए लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रत्येक पांच वर्ष के बाद गणना आयोजित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 23 राज्यों/ 3 संघ

शासित प्रदेशों के नोडल विभागों में सांख्यिकी एकक सृजित किए गए हैं। इस एककों की जिम्मेदारी होती है कि संबंधित विभाग से लघु सिंचाई क्षमता के विकास के बारे में एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट एकत्रित की जाए तथा उसे केन्द्र के जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाए। इन सांख्यिकी एकको में तैनात अधिकारी कर्मचारी का कार्य गणना करने तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित नमूना सर्वेक्षण करने में मदद करना भी होता है। राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त हुए सांख्यिकी आकड़ों को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा समेकित किया जाता है। वर्ष 2000-01 के संदर्भ में सभी राज्यों तथा संघ प्रदेशों में आयोजित लघु सिंचाई परियोजना की तीसरी गणना पूरी कर ली गई है। इस गणना का परिणाम जल संसाधन मंत्रालय की वेबसाइट [www-wrmin-nic-in](http://www-wrmin-nic-in) पर उपलब्ध है चौथी एमआईएस गणना का कार्य आरम्भ किये जाने का काम चल रहा है। वर्ष 2006-07 के लिए बजट में 9.10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

2004-2005 का वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण + शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	आंध्र प्रदेश	3025.05	378.01	5.9	35.12	3444.08
2	अरुणाचल प्रदेश	0.40	21.15	2.00	3.75	27.30
3	असम	27.36	23.16	0.86	23.08	74.46
4	बिहार	249.55	232.28	14.00	96.39	592.22
5	छत्तीसगढ़	467.39	190.96	18.74	0.15	677.24
6	गोवा	29.92	21.15	2.49	4.63	58.19
7	गुजरात	2010.93	129.17	3.11	1.72	2144.93
8	हरियाणा	210.71	0.00	22.74	41.32	274.77
9	हिमाचल प्रदेश	17.42	45.05	1.86	14.27	78.60
10	जम्मू और कश्मीर	53.74	58.11	9.55	24.78	146.18
11	झारखण्ड	256.59	28.84	0.00	119.77	405.20
12	कर्नाटक	3079.58	185.35	12.03	5.50	3282.46
13	केरल	141.51	21.20	2.96	4.67	170.34
14	मध्य प्रदेश	1412.17	230.09	4.67	4.97	1651.90
15	महाराष्ट्र	2930.45	220.56	21.55	1.24	3173.80
16	मणिपुर	21.92	3.06	2.11	10.45	37.54
17	मेघालय	0.33	7.19	0.22	1.45	9.19
18	मिजोरम	0.01	14.20	0.15	0.00	14.36
19	नागालैंड	0.02	8.03	0.50	7.94	16.49
20	उड़ीसा	463.83	70.83	4.04	1.04	539.74
21	पंजाब	79.39	17.21	24.57	22.83	144.00
22	राजस्थान	694.13	66.67	42.62	9.89	813.31
23	सिक्किम	0.00	2.95	0.00	4.51	7.46
24	तमिलनाडु	234.64	79.50	18.39		332.53
25	त्रिपुरा	5.55	14.27	0.00	2.39	22.21
26	उत्तर प्रदेश	658.25	105.65	42.41	142.23	948.54
27	उत्तरांचल	66.74	47.53	1.33	7.65	123.25
28	पश्चिम बंगाल	63.57	33.51	5.45	69.34	171.87
	<b>द्वारा राज्य;</b>	<b>16201.15</b>	<b>2255.68</b>	<b>264.25</b>	<b>661.08</b>	<b>19382.16</b>
	<b>राज्य 'क' राज्य;</b>					
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	1.26	0.00	2.71	3.97
30	चंडीगढ़	0.00	1.54	0.00	0.00	1.54
31	दादर और द्वीव	0.00	0.67	0.20	0.00	0.87
32	दमन और द्वीव	0.00	0.17	0.00	0.29	0.46
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	16.44	16.44
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
35	पांडिचेरी	0.00	23.47	0.00	19.18	42.65
	<b>राज्य + राज्य</b>	<b>0.00</b>	<b>27.11</b>	<b>0.20</b>	<b>42.12</b>	<b>69.43</b>
	<b>राज्य + राज्य; राज्य राज्य; राज्य</b>	<b>16201.15</b>	<b>2282.79</b>	<b>264.45</b>	<b>703.20</b>	<b>19451.59</b>
	<b>राज्य; राज्य</b>	<b>57.22</b>	<b>79.97</b>	<b>142.78</b>	<b>135.82</b>	<b>415.79</b>
	<b>राज्य ; राज्य</b>	<b>16258.37</b>	<b>2362.76</b>	<b>407.23</b>	<b>839.02</b>	<b>19867.38</b>

2005-2006 dk vuqkfnr ifj0 ;

(करोड़ रुपये में)

Øe sno	jkt; @l qk jkt; {k-	cMh vlfj e>kyh	y?kq fl pkbZ	l h , Mh	ck<+ fu; a.k	dlq
1	आंध्र प्रदेश	6933.45	610.43	8.92	100	7652.80
2	अरुणाचल प्रदेश	0.52	49.04	2.58	7.42	59.56
3	असम	39.21	23.94	2.95	28.00	94.10
4	बिहार					893.18
5	छत्तीसगढ़	560.69	333.59	23.01	0.25	917.54
6	गोवा	59.12	44.99	4.20	11.96	120.27
7	गुजरात*	1601.05	208.72	3.19	1.10	1814.06
8	हरियाणा	290.00	0.00	55.00	48.00	393.00
9	हिमाचल प्रदेश	14.54	79.48	3.12	14.40	111.54
10	जम्मू और काश्मीर	77.19	67.54	10.73	32.65	188.11
11	झारखण्ड	374.75	70.00	2.50	2.75	450.00
12	कर्नाटक	3509.91	384.70	40.00	7.80	3942.41
13	केरल	95.21	11.10	7.05	5.74	119.10
14	मध्यप्रदेश	1378.31	255.31	6.51	1.45	1641.58
15	महाराष्ट्र	1985.75	249.45	6.87	1.29	2243.36
16	मणिपुर	116.78	16.55	5.07	8.50	146.90
17	मेघालय	1.42	9.00	0.26	3.42	14.10
18	मिजोरम	0.01	17.40	0.15	0.00	17.56
19	नागालैंड	0.05	12.35	1.00	0.05	13.45
20	उड़ीसा	280.45	46.29	4.00	1.01	331.75
21	पंजाब	112.32	62.45	14.00	33.00	221.77
22	राजस्थान	812.80	150.56	71.56	10.15	1045.07
23	सिक्किम	0.00	4.00	0.05	3.00	7.05
24	तमिलनाडु	278.91	130.14	15.95		425.00
25	त्रिपुरा	12.40	29.07	0.65	6.10	48.22
26	उत्तर प्रदेश	1453.23	127.13	40.00	331.00	1951.36
27	उत्तरांचल	26.65	29.02	1.77	20.14	77.58
28	पश्चिम बंगाल	107.13	48.08	7.51	84.13	246.85
	<b>dlq jkt;</b>	<b>20121.85</b>	<b>3070.33</b>	<b>338.60</b>	<b>763.31</b>	<b>25187.27</b>
	<b>l qk 'kkl hr jkt;</b>					
29	अंडमान एवं नि. द्वीपसमूह	0.00	3.63	0.00	6.25	9.88
30	चंडीगढ़	0.00	4.35	0.00	0.00	4.35
31	दादर और द्वीव	0.00	0.78	0.20	0.00	0.98
32	दमन और द्वीव	0.09	0.14	0.00	0.36	0.59
33	दिल्ली	0.00	0.04	0.00	17.12	17.16
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80
35	पांडिचेरी	0.00	23.36	0.00	15.68	39.04
	जोड़ - संघ	<b>0.09</b>	<b>32.30</b>	<b>0.20</b>	<b>43.21</b>	<b>75.80</b>
	जोड़ - राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	<b>20121.94</b>	<b>3102.63</b>	<b>338.80</b>	<b>806.52</b>	<b>25263.07</b>
	केन्द्रीय क्षेत्रक	<b>86.33</b>	<b>72.64</b>	<b>200.00</b>	<b>262.03</b>	<b>621.00</b>
	<b>dlq ; kx</b>	<b>20208.27</b>	<b>3175.27</b>	<b>538.80</b>	<b>1068.55</b>	<b>25884.07</b>

\*इसमें सुफलाम योजना के 1169.71 करोड़ शामिल नहीं हैं।

2005-2006 & 1 अर्क/र वृषक/र िज० ;

(करोड़ रुपये में)

Øe sıo	jkt; @l 2k jkt; {k-	cMh vlf e>kyh	y?kq fl pkbz	l h , Mh	ck<+ fu; a.k	dlg
1	आंध्र प्रदेश	5788.34	619.12	8.92	100	6516.38
2	अरुणाचल प्रदेश	0.40	38.00	2.00	5.75	46.15
3	असम	39.21	23.94	2.95	28.00	94.10
4	बिहार	461.01	257.38	28.50	146.76	893.65
5	छत्तीसगढ़	388.65	303.97	5.90	0.25	698.77
6	गोवा	59.12	44.99	4.20	11.96	120.27
7	गुजरात*	151.05	208.72	3.19	2620.81	2983.77
8	हरियाणा	331.00	0.00	55.00	68.00	454.00
9	हिमाचल प्रदेश	26.54	76.24	3.12	14.63	120.53
10	जम्मू और कश्मीर	77.19	67.54	10.73	32.65	188.11
11	झारखण्ड	334.75	70.00	2.50	2.75	410.00
12	कर्नाटक	3253.13	196.49	40.00	7.80	3497.42
13	केरल	137.43	22.81	7.05	6.47	173.76
14	मध्यप्रदेश	1229.08	297.46	6.73	1.75	1535.02
15	महाराष्ट्र	1025.75	249.45	805.00	163.17	2243.37
16	मणिपुर	116.78	16.55	5.07	10.62	149.02
17	मेघालय	0.50	7.75	0.26	3.42	11.93
18	मिजोरम	0.01	18.80	0.15	0.00	18.96
19	नागालैंड	0.05	14.35	0.15	0.05	14.60
20	उड़ीसा	351.16	65.00	6.50	2.50	425.16
21	पंजाब	112.32	62.45	14.00	33.00	221.77
22	राजस्थान	734.79	169.59	67.45	8.64	980.47
23	सिक्किम	0.00	4.20	0.05	3.00	7.25
24	तमिलनाडु	269.44	61.60	18.39		349.43
25	त्रिपुरा	26.42	26.39	0.00	2.65	55.46
26	उत्तर प्रदेश	1249.03	160.68	36.50	338.72	1784.93
27	उत्तरांचल	26.65	139.57	1.77	20.14	188.13
28	पश्चिम बंगाल	122.13	48.08	7.51	122.13	299.85
	<b>dy jkt;</b>	<b>16311.93</b>	<b>3271.12</b>	<b>1143.59</b>	<b>3755.62</b>	<b>24482.26</b>
	<b>l 2k 'kkl hr jkt;</b>					
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	3.63	0.00	6.25	9.88
30	चंडीगढ़	0.00	4.35	0.00	0.00	4.35
31	दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.78	0.20	0.00	0.98
32	दमन और द्वीव	0.09	0.14	0.00	0.36	0.59
33	दिल्ली	0.00	0.10	0.00	41.50	41.60
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80
35	पांडिचेरी	0.00	15.55	0.00	28.77	44.32
	जोड़ - संघ	<b>0.09</b>	<b>24.55</b>	<b>0.20</b>	<b>80.68</b>	<b>105.52</b>
	जोड़ - राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	<b>16312.02</b>	<b>3295.67</b>	<b>1143.79</b>	<b>3836.30</b>	<b>24587.78</b>
	केन्द्रीय क्षेत्रक	<b>67.38</b>	<b>62.51</b>	<b>158.50</b>	<b>211.61</b>	<b>500.00</b>
	कुल योग	<b>16379.40</b>	<b>3358.18</b>	<b>1302.29</b>	<b>4047.91</b>	<b>25087.78</b>

वृत्तवार्षिक 2006-2007

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	घरेलू	व्यवसायिक	सर्वेक्षण	अन्य	कुल
1	आंध्र प्रदेश	8907.31	741	16.25	335.44	10000.00
2	अरुणचल प्रदेश	0.48	44.20	2.40	4.50	51.58
3	असम	70.96	13.48	1.00	64.27	149.71
4	बिहार	604.29	355.46	39.05	213.51	1212.31
5	छत्तीसगढ़	425.96	383.55	3.23	3.85	816.59
6	गोवा	120.73	31.84	3.50	12.08	168.15
7	गुजरात*	3452.54	430.37	3.19	1.10	3887.20
8	हरियाणा	378.00	0.00	70.00	50.00	498.00
9	हिमाचल प्रदेश	29.54	119.20	3.12	18.31	170.17
10	जम्मू और काश्मीर	61.90	59.00	12.19	17.50	150.59
11	झारखण्ड	357.50	110.00	2.00	5.50	475.00
12	कर्नाटक	3758.29	389.21	40.00	10.50	4198.00
13	केरल	178.83	29.50	7.10	46.15	261.58
14	मध्यप्रदेश	1580.34	302.84	9.24	1.59	1894.01
15	महाराष्ट्र	1652.88	220.30	867.71	2.06	2742.95
16	मणिपुर	166.43	22.75	5.63	10.80	205.61
17	मेघालय	0.22	10.00	0.29	2.15	12.66
18	मिजोरम	0.01	31.53	0.15	0.00	31.69
19	नागालैंड	0.00	33.10	0.50	0.50	34.10
20	उड़ीसा	482.05	59.45	6.00	2.50	550.00
21	पंजाब	173.81	70.70	23.00	24.73	292.24
22	राजस्थान	871.49	121.30	62.89	10.07	1065.75
23	सिक्किम	0.00	9.20	0.05	3.00	12.25
24	तामिलनाडु	332.02	109.76	21.47	65.96	529.21
25	त्रिपुरा	23.11	31.72	0.30	3.37	58.50
26	उत्तर प्रदेश	1908.02	187.67	62.62	309.27	2467.58
27	उत्तरांचल	80.01	37.20	2.50	20.73	140.44
28	पश्चिम बंगाल	154.46	91.20	8.25	157.84	411.75
	कुल-राज्य	<b>25771.18</b>	<b>4045.53</b>	<b>1273.63</b>	<b>1397.28</b>	<b>32487.62</b>
	संघ शासित राज्य					
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसूह	0.00	2.22	0.00	1.60	3.82
30	चंडीगढ़	0.00	2.05	0.00	0.00	2.05
31	दादर और दीव	0.00	0.86	0.30	0.00	1.16
32	दमन और दीव	0.10	0.15	0.00	0.39	0.64
33	दिल्ली	0.00	3.05	0.00	25.31	28.36
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25
35	पांडिचेरी	0.00	21.01	0.00	53.58	74.59
	जोड़ - संघ	<b>0.10</b>	<b>29.34</b>	<b>0.30</b>	<b>82.13</b>	<b>111.87</b>
	जोड़- राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	<b>25771.28</b>	<b>4074.87</b>	<b>1273.93</b>	<b>1479.41</b>	<b>32599.49</b>
	केन्द्रीय क्षेत्रक	<b>126.14</b>	<b>88.94</b>	<b>205.70</b>	<b>279.22</b>	<b>700.00</b>
	कुल योग	<b>25897.42</b>	<b>4163.81</b>	<b>1479.63</b>	<b>1758.63</b>	<b>33299.49</b>

Water supply & sewerage

Sl. No.	Description	2004-05 Actual Expenditure	2005-06 Revised Estimate (A.R.)	2006-07 Approved Estimate (B.E.)	Remarks
1	Water supply project (EMO, SWS, SWS, EAW, SWS)	0.30	0.93	30.18	
2	Water supply ministry in SWS project development	0.51	0.75	1.12	
3	National Water Academy	1.18	2.68	1.77	
4	Water supply research	0.30	0.47	0.54	
5	India's rivers in water quality monitoring	1.00	1.00	1.40	
6	Water supply from mountain rivers in water supply projects	0.80	0.24	0.06	
7	Water supply project	3.26	3.88	4.09	
8	Water supply project in which the name of the project is changed to the basin in which the project is implemented	1.53	1.21	1.98	
9	Water supply project from the central data processing	8.75	9.87	10.70	
10	Water supply project, river water supply and other water supply projects	1.82	2.90	2.44	
11	Water supply project and development of water supply projects and water supply projects	2.06	7.85	13.06	
12	Water supply project and development of water supply projects/development of water supply projects	1.40	1.50	2.10	
13	Water supply project in water supply development for water supply projects	1.61	0.67	0.44	
14	Water supply project for water supply projects	3.17	2.87	5.00	
15	Water supply project in water supply development	0.95	1.00	1.21	
16	Water supply project and development of water supply projects	0.77	0.80	0.92	
17	Water supply project and development of water supply projects	1.15	1.09	1.21	
19	Water supply project, water supply project and water supply project	0.47	0.18	0.25	
20	Water supply project and development of water supply projects	2.65	2.86	2.58	

21	एनआईएच, बाढ़ प्रबंधन अध्ययनों व सूखा प्रूफिंग अध्ययनों सहित क्षेत्रीय केन्द्र केन्द्र को बनाए रखना और उन्हें सुदृढ़ करना	1.15	2.00	1.34	
22	जल के अंतर-बेसिन स्थानांतरण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन - एनडब्ल्यूडीए	21.30	17.00	41.00	
23	भूमिजल सर्वेक्षण, अन्वेषण व जांच-पड़ताल	61.62	47.49	66.49	
24	केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण	1.18	1.86	1.78	
25	सीजीडब्ल्यूबी के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए भूमि व भवन अधिग्रहण	1.53	5.00	7.00	
26	राजीव गांधी नेशनल ग्राउंड वाटर ट्रेनिंग व रिसर्च इंस्टीट्यूट	0.65	0.92	1.29	
27	भूतल और भूमिजल का संयोजक प्रयोग	0.31	0.00	0.00	1.4.05
28	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड की अनुसंधान व विकास स्कीमें	0.25	0.50	0.50	
29	सीएडी की अनुसंधान व विकास स्कीमें	1.27	1.00	1.40	
30	ब्रह्मपुत्र बोर्ड को सहायता अनुदान	16.32	21.00	28.12	
31	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	2.39	2.71	2.75	
32	पगालडिया बांध परियोजना	1.00	3.00	5.00	
33	बंगलादेश व पड़ोसी देशों की साझा नदियों का संयुक्त प्रेक्षण	0.39	0.64	1.75	
34	कोसी व गंटक के बाढ़ संरक्षण निर्माण कार्यों का अनुरक्षण	0.00	3.74	5.24	
35	कोसी उच्च बांध का सर्वेक्षण और जांच-पड़ताल	1.98	9.00	13.90	
36	पंचेश्वर बहु-उद्देश्यीय परियोजना	1.49	2.07	2.13	
37	लालबेक्या, कमला, बागमति और खांडो नदियों के तटबंधों का विस्तार	0.00	6.00	32.25	
38	ब्रह्मपुत्र और बरक बेसिन में बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने और हाइड्रोलोजिकल नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण	3.17	3.24	3.66	
39	भारत और नेपाल की साझा नदियों के बारे में बाढ़ अनुमान लगाना	0.05	0.17	0.12	
40	तीस्ता हाईडल परियोजना, रनगीत परियोजना I व IV मानस तीस्ता लिंक के लिए जांच-पड़ताल	2.36	2.83	3.47	
41	अन्दर प्रवाह पूर्वानुमान सहित बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क की स्थापना	5.16	11.89	16.65	
42	केन्द्रीय जल आयोग के लिए आवासीय तथा गैर-आवासीय/ कार्यालय भवन के निर्माण के लिए स्कीम	5.89	8.78	4.89	
43	बाढ़ संरक्षण व अपरदन-रोधक नदी प्रशिक्षण व विशेष मरम्मत निर्माण कार्यों सहित फरक्का बैरेज परियोजना	23.59	30.40	31.00	

44	जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण	0.33	0.38	0.56	
45	सीडब्ल्यूसी में बांध सुरक्षा और पुनर्वास संबंधी सुविधाओं का उन्नयन	0.43	0.50	2.26	
46	एचई अभिकल्पों, पंपीकृत भंडारण और उपकरण बांधन में विशेष इकाइयों की स्थापना	0.16	0.83	0.90	
47	सीडब्ल्यूपीआरएस में अनुसंधान सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन	3.06	4.02	4.10	
48	आधुनिक तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के ज़रिए नहर कौन्ट्रो का सुधार	0.09	0.28	0.60	
49	असम, दिबंग परियोजना आदि में मजूली टापू की नई स्कीमें	3.92	26.00	14.45	
	<b>dy dsh; {ks-kd Ldhe</b>	<b>194.72</b>	<b>256.00</b>	<b>375.65</b>	
<b>II</b>	<b>ty l l k/ku ea=ky; ,evkMY; wkj ds }kjk l gk; rk itlr LVV l DVj ¼ l , l ½ Ldhe</b>				
50	देश के क्रांतिक क्षेत्रों में जलनिकास में सुधार	9.50	13.25	22.11	
51	गंगा बेसिन राज्यों को छोड़कर तटवर्ती राज्यों में क्रांतिक अपरदन-रोधी निर्माण कार्य	3.40	3.62	2.01	
53	कृषि से सीधे जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनःउद्धार	12.00	87.00	113.00	
54	ब्रह्मपुत्र और बरक घाटी में बाढ़ नियंत्रण	0.00	49.16	114.50	
56	उत्तर बिहार में बाढ़-पूफिंग कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	छंटाई की गई! 2005-06
	<b>tkM+ ¼ l , l Ldhe½</b>	<b>24.90</b>	<b>153.03</b>	<b>251.62</b>	
	<b>dy tkM+ ¼ h, l tek , l , l ½</b>	<b>219.62</b>	<b>409.03</b>	<b>627.27</b>	

\* , l , l Ldheka ds fy, 2005&06 ds vkadM: okLrfod tkjh jkf'k gA

वार्षिक योजना 2005-06 - जल संसाधन मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें -  
2005-06 में राज्य-वार जारी निधियां तथा प्रस्तावित आबंटन

(लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य	1. योजना की लागत (ला. रुपए)		2. अनुमानित व्यय (ला. रुपए)		3. अनुमानित आय (ला. रुपए)	
		2005-06	2006-07	2005-06	2006-07*	2005-06	2006-07
1	आन्ध्र प्रदेश	33.95	60.67				
2	अरुणाचल प्रदेश	27.45	14.64	212			
3	असम	6.1	24.67				
4	बिहार	4.55	70.69	283.39		2234	2409
5	छत्तीसगढ़	6.6	15.92				
6	गोवा	0.24	5.29				
7	गुजरात	13.91	17.75	4110			
8	हरियाणा	10.12	15.61	3083.2			
9	हिमाचल प्रदेश	13.95	24.7			132	200
10	जम्मू तथा कश्मीर	22.9	14.85	495.48			
11	झारखण्ड	0	39.11			150	280
12	कर्नाटक	4.65	30.95	2769.67			
13	केरल	12.38	20.5				
14	मध्य प्रदेश	13.77	139.47				
15	महाराष्ट्र	46.77	46.01				
16	मणिपुर	0	6.67	121.43			
17	मेघालय	6.29	8.7				
18	मिजोरम	7.5	10.1	13.61			
19	नागालैंड	7.82	10.75	109.51			
20	उड़ीसा	13.38	38.07	208.96			
21	पंजाब	9.68	20.5	171.07			
22	राजस्थान	10.9	33.63	2000.64			
23	सिक्किम	5.63	8.33				
24	तमिलनाडु	22.14	47.68	1169.34			
25	त्रिपुरा	12.27	15				
26	उत्तर प्रदेश	20.46	5.7	3999.94		1094	904
27	उत्तरांचल	0	89.3	154.68		177	123
28	पश्चिम बंगाल	16.48	40.26	201		1484	2116
29	अंडमान तथा निकोबार	0	0.42				
30	चंडीगढ़	0	0.06				
31	दादर और नगर हवेली	4.22	4.41				
32	दिल्ली	2.29	3.14				
33	पांडिचेरी	0	0.45				
	अन्य	9.3	26			3300.00	4286
	जोड़	366.3	910	19650	20430	8571	10818

\* अग्रिम आबंटन नहीं किए गए हैं क्योंकि उसी अनुपात में अपना हिस्सा देने में राज्य कठिनाई महसूस करते हैं।  
राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही निर्माण किए जाते हैं।

\$ फरकका बांध पारियोजना प्राधिकरण के लिए संशोधित अनुमान आंकड़ा है। बजट अनुमान 11120.00 लाख रुपए था।

CMI# vlg e>lsyh fl pkbz oLlrfoD mi yf/k; ka (000 हेक्टेयर में)\*

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चरम सिंचाई क्षमता	दसवीं योजना के लिए लक्ष्य		उपलब्धि 2002-03		प्रत्याशित उपलब्धि 2003-04		प्रत्याशित उपलब्धि 2004.05		प्रत्याशित उपलब्धि 2005-06		लक्ष्य 2006-07	
			पी सी	पी यू	पी सी	पी यू	पी सी	पी यू	पी सी	पी यू	पी सी	पी यू	पी सी	पी यू
1	आंध्रप्रदेश	5000.00	739.88	480.92	94.24	61.26	112.98	73.44	78.03	50.72	11.74	7.63	142.45	92.59
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	4.00	2.60	0.80	0.52	0.3	0.20	0.10	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	970.00	116.10	75.47	5.50	3.58	0.62	0.40	47.65	30.97	2.50	1.63	12.71	8.26
4	बिहार	5223.50	948.42	400.00	27.00	17.55	45.00	29.25	45.00	29.25	37.00	24.05	125.00	81.25
5	छत्तीसगढ़	1146.93	305.00	198.25	58.00	37.70	47.00	78.62	59.50	38.68	50.00	32.50	35.00	22.75
6	गोवा	62.00	26.66	14.69	1.72	1.12	3.15	2.05	2.22	1.44	4.29	2.65	5.10	3.32
7	गुजरात	3000.00	1904.00	1237.60	144.00	93.60	137.13	89.13	168.00	109.20	324.00	210.60	15.00	9.75
8	हरियाणा	3000.00	119.00	77.35	16.30	10.60	13.57	8.82	16.43	10.68	20.28	13.18	25.29	16.44
9	हिमाचल प्रदेश	50.00	8.00	5.20	0.20	0.13	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	1.00	0.65
10	झारखण्ड	1276.50	315.00	204.75	3.56	2.31	4.82	3.13	0.00	0.00	15.23	9.90	NF	NF
11	जम्मू कश्मीर	250.00	25.00	16.25	1.40	1.20	2.6	1.69	NF	NF	2.63	2.20	NF	NF
12	कर्नाटक	2500.00	999.89	649.93	57.12	37.13	68.21	44.34	74.67	29.87	134.09	17.54	146.89	95.48
13	केरल	1000.00	90.00	58.50	10.00	6.50	15.00	9.75	15.00	9.75	10.00	6.50	15.00	9.75
14	मध्य प्रदेश	4853.07	265.30	127.20	101.75	66.14	125.32	81.46	147.76	39.50	170.17	110.61	343.18	223.07
15	महाराष्ट्र	4100.00	1276.43	829.68	24.00	15.60	115.00	74.75	115.00	74.75	1.15	0.75	NF	NF
16	मणिपुर	135.00	28.15	18.30	-	-	5.15	4.50	5.25	4.00	0.00	0.00	1.50	0.98
17	मेघालय	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	मिजोरम	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	नागालैंड	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	0.65
20	उड़ीसा	3600.00	465.07	302.30	29.92	19.45	67.40	43.81	27.75	18.04	5.00	3.25	33.34	21.67
21	पंजाब	3000.00	160.30	104.20	2.19	5.03	Nil	Nil	NF	NF	30.00	19.50	30.00	19.50
22	राजस्थान	2750.00	413.80	268.97	44.80	29.12	68.85	44.95	92.00	92.00	71.00	46.15	131.55	85.51
23	सिक्किम	20.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	1500.00	9.38	6.10	4.25	2.76	5.14	3.34	2.36	1.53	NF	NF	NF	NF
25	त्रिपुरा	100.00	10.50	6.83	-	-	Nil	-	4.50	2.93	4.65	3.02	4.65	3.02
26	उत्तर प्रदेश	12154.00	1000.76	650.49	145.34	94.47	74.72	38.63	145.20	130.00	162.00	105.30	344.00	223.60
27	उत्तरांचल	346.00	6.20	4.03	1.24	0.81	2.48	1.61	2.48	1.61	2.48	1.61	0.67	0.44
28	पश्चिम बंगाल	2300.00	700.00	455.00	39.00	25.35	7.52	4.89	15.00	9.75	10.00	6.50	15.00	9.75
29	केन्द्र शासित प्रदेश	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Nil	Nil
	जोड़	<b>58465.00</b>	<b>9936.84</b>	<b>6194.59</b>	<b>812.33</b>	<b>531.91</b>	<b>922.26</b>	<b>638.95</b>	<b>1064.20</b>	<b>684.93</b>	<b>1068.51</b>	<b>625.26</b>	<b>1428.33</b>	<b>928.41</b>

एनएफ आंकड़े नहीं दिए गए 'दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में दसवीं योजना के लक्ष्य को कम करके 6.5 तक कर दिया गया है जिसका अलग अलग ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है।  
\*राज्यों के साथ समाधान हेतु आंकड़े

यू?तq fl plkbz okLrfod C; ljs (000 gDvj)\*

Ø- la	jit; @ljk jit;	pje fl plkbz flerk	niloh ;ktuk ds fy, yf;		mi yf/k 2002-03		mi yf/k 2003-04		mi yf/k 2004.05		iz M'kr mi yf/k 2005-06		yf; 2006-07	
			PC	PU	PC	PU	PC	PU	PC	PU	PC	PU	PC	PU
1	आंध्रप्रदेश	6260.00	195.40	156.32	7.23	5.78	32.44	25.95	11.53	9.22	21.76	21.74	29.56	23.65
2	अरुणाचल प्रदेश	168.00	20.00	16.00	4.13	3.30	2.98	2.38	1.70	1.36	2.70	2.16	6.85	5.48
3	असम	1900.00	14.00	11.20	14.00	11.20	1.76	1.41	NF	NF	2.30	1.84	13.8	11.04
4	बिहार	5663.50	264.60	211.68	42.34	33.87	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF
5	छत्तीसगढ़	571.00	55.00	44.00	29.10	23.28	19.96	15.97	NF	NF	20.00	16.00	35	28.00
6	गोवा	54.00	4.54	1.86	0.33	0.26	0.38	0.30	0.50	0.40	0.50	0.40	0.6	0.48
7	गुजरात	3103.00	64.00	45.00	6.50	5.20	4.00	3.20	4.00	3.20	6.00	4.80	4	3.20
8	हरियाणा	1512.00	42.50	34.00	6.72	5.38	0.00	0.00	Nil	Nil	0.00	0.00	0	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	303.00	10.00	8.00	2.09	1.67	2.00	1.60	2.00	1.60	2.00	1.60	2	1.60
10	झारखण्ड	1183.50	56.93	45.54	1.74	1.39	6.15	4.92	7.85	6.28	21.44	17.15	34.26	27.41
11	जम्मू और कश्मीर	1108.00	23.50	18.80	1.40	0.90	2.70	2.16	NF	NF	2.20	1.80	NF	NF
12	कर्नाटक	3474.00	221.29	177.03	8.00	6.40	7.92	6.34	7.92	6.34	8.00	6.40	8	6.40
13	केरल	1679.00	50.00	40.00	7.00	5.60	10.00	8.00	10.00	8.00	5.00	4.00	10	8.00
14	मध्यप्रदेश	11361.00	125.00	100.00	35.00	28.00	13.01	10.41	16.74	13.39	20.00	16.00	28.17	22.54
15	महाराष्ट्र	4852.00	1158.00	926.40	27.00	21.60	39.00	31.20	47.00	37.60	NF	NF	250	200.00
16	मनिपुर	469.00	14.45	11.56	3.40	2.72	3.30	2.64	3.50	2.80	3.50	2.80	5	4.00
17	मेघालय	148.00	12.50	10.00	2.97	2.38	0.65	0.52	2.81	2.25	1.80	1.44	2.561	2.05
18	मिजोरम	70.00	1.66	1.33	0.23	0.22	0.23	0.18	0.23	0.18	0.35	0.28	0.35	0.28
19	नागालैंड	75.00	9.43	7.54	Nil	Nil	2.98	2.38	1.70	1.36	3.53	2.82	8.4	6.72
20	उड़ीसा	5203.00	132.37	105.90	30.37	24.30	20.56	16.45	51.02	40.82	28.58	22.86	32.05	25.64
21	पंजाब	2967.00	Not fixed	Not fixed	2.34	0.24	0.18	0.14	NF	NF	NF	NF	NF	NF
22	राजस्थान	2378.00	50.00	40.00	4.00	3.20	1.80	1.44	5.00	4.00	5.00	4.00	5	4.00
23	सिक्किम	50.00	5.00	4.00	0.40	0.32	NF	NF	0.46	0.37	1.65	1.32	1.25	1.00
24	तमिलनाडु	4032.00	9.02	7.22	0.68	0.54	5.21	4.17	5.21	4.17	NF	NF	NF	NF
25	त्रिपुरा	181.00	32.40	25.92	7.30	5.84	7.06	5.65	6.47	5.18	4.50	3.60	5	4.00
26	उत्तर प्रदेश	17481.00	3616.80	2893.44	373.92	299.14	369.79	295.83	484.20	387.36	352.28	281.82	396.84	317.47
27	उत्तरांचल	518.00	11.88	9.50	2.38	1.90	2.38	1.90	2.38	1.90	2.92	2.34	5.5	4.40
28	पश्चिम बंगाल	4618.00	500.00	400.00	65.00	52.00	70.00	56.00	67.00	53.60	28.16	22.53	30.97	24.78
	<b>कुल/Total</b>	<b>81382.00</b>	<b>6700.27</b>	<b>5352.24</b>	<b>685.57</b>	<b>546.64</b>	<b>626.44</b>	<b>501.15</b>	<b>739.22</b>	<b>591.38</b>	<b>544.17</b>	<b>439.71</b>	<b>915.16</b>	<b>732.13</b>
29	अं. तथा नि. दीपसमूह		0.81	0.65	0.16	0.13	NF	NF	0.46	0.37	0.04	0.03	0.06	0.05
30	चंडीगढ़		0.16	0.13	0.02	0.02	NF	NF	NF	NF	0.02	0.02	Nil	Nil
31	दादर और नगर हवेली		0.95	0.76	0.19	0.15	0.19	0.15	NF	NF	0.15	0.12	0.15	0.12
32	दमन और दीव		0.96	0.77	0.19	0.15	NF	NF	NF	NF	Nil	Nil	2.2	1.76
33	दिल्ली		Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
34	लक्षद्वीप		Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
35	पाण्डिचेरी		2.50	2.00	1.41	1.13	0.97	0.78	0.46	0.37	0.26	0.21	0.26	0.21
	<b>कुल/Total</b>	<b>46.00</b>	<b>5.38</b>	<b>4.30</b>	<b>1.97</b>	<b>1.58</b>	<b>1.16</b>	<b>0.93</b>	<b>0.92</b>	<b>0.74</b>	<b>0.47</b>	<b>0.38</b>	<b>2.67</b>	<b>2.14</b>
	<b>कुल/Total</b>	<b>81428.00</b>	<b>6705.65</b>	<b>5356.55</b>	<b>687.54</b>	<b>548.22</b>	<b>627.60</b>	<b>502.08</b>	<b>740.14</b>	<b>592.11</b>	<b>544.64</b>	<b>440.08</b>	<b>917.83</b>	<b>734.26</b>

नोट : एनएफ - दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में प्रस्तुत नहीं किया गया। वास्तविक उपलब्धि आंकड़े राज्यों के साथ निर्धारित किए जा रहे हैं। दसवीं योजना के लक्ष्य कम होकर 4.0 मिलियन हैक्टयर हो गए हैं।

## 10.2 विद्युत

### परिचय

10.2.1 विद्युत एक विशाल एवं नाजुक इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो जी डी पी के विकास के बारे में रखे गए लक्ष्यों के स्तर तक पहुँचने के लिए आवश्यक है। स्वाधीनता से ही उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती रही है। परिणाम स्वरूप यूटीलिटी आधारित संस्थपित जनरेशन क्षमता 1,27,000 मे. वा. तक पहुँच गई है, जो कि स्वाधीनता के समय मात्र 1300 मे.वा. थी। संस्थापित जनरेशन क्षमता विकास के साथ साथ संचरण और वितरण टी एण्ड डी क्षमता में फिनोमिनल वृद्धि हुई है। फिर भी इन उपलब्धियों के बावजूद भी विद्युत क्षेत्र ने इच्छित विकास के साथ-साथ कदम नहीं रखे हैं, परिणाम स्वरूप देश में विद्युत की लगातार कमी और अविश्वसनीयता बनी रहती है।

10.2.2 विद्युत एक्ट 2003 इस क्षेत्र में सुधार के लिए जरूरी फ्रेमवर्क प्रदान करता है। फिर भी इस में अपेक्षा की जाती है कि इस एक्ट के तहत पहले देखे गए कई जरूरी कदमों को उठाए तथा केंद्र द्वारा कार्यान्वयन संबंधी नियम एवं नीतियां तैयार की जाएं, एक्ट के तहत प्रावधानों को सुदृढ़ किया जाए, ताकि एक्ट के अनुसार इस क्षेत्र में स्पर्धा और निवेश में वृद्धि का लक्ष्य पूरा हो सके। इस संदर्भ में एक्ट में की गई संकल्पना के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत नीति, किराया नीति और ग्रामीण विद्युतीकरण नीति को अधिसूचित किया गया। नियामक फ्रेमवर्क स्थापित किया गया, जो 4-7 वर्षों से परिचालन में है। फिर भी, दोनों प्रतिस्पर्धा और मजबूत नियामक व्यवस्था जो इस स्पर्धा का समर्थन करती है उसे भी अमल में लाना है।

### 2005-06 और 2006-07 की समीक्षा

#### विद्युत जनरेशन और संयंत्र लोड फैक्टर (यूटीलिटी)

10.2.3 2005-06 के दौरान 621.50 बिलियन यूनिट्स के लक्ष्य के मुकाबले वास्तव में 617.38 बी यू ही पैदा की जा सकी, जिससे 0.66% का थोड़ा अंतर रह गया। हाइड्रो और न्यूक्लियर जनरेशन में लक्ष्य से क्रमशः 10.8% और 2.7% की अधिकता रही। थर्मल जनरेशन में कुल मिला

कर मांग को पूरा किया गया, जब कि लक्ष्य में 14.6 में यू. (2.8%) के अन्तर का अभाव रहा।

10.2.4 उपर्युक्त के अलावा भूटान के चूखा ओर कुरिचू हाइडल परियोजनाओं से भी 1.76 बी के डब्ल्यू एच विद्युत भी ली गई।

10.2.5 2006-07 के दौरान कुल 663.00 बी यू विद्युत जनरेशन की संकल्पना की गई है, जो पिछले वर्ष के लक्ष्य से 6.7% अधिक रही है। 2006-07 के लिए जनरेशन कार्यक्रम के तहत भूटान के चूखा, कुरिचू और ताला हाइडल परियोजनाओं से 4.05 बी यू लेना भी शामिल है।

10.2.6 पावर यूटिलिटीज के संबंध में 2005-06 के लिए स्रोतवार जनरेशन के लक्ष्य और उपलब्धियां तथा 2006-07 के लिए अनुमानों का सारांश, सारांश-1 में दर्शाया गया है। इनकी संख्या तालिका 10.2.1 में दी गयी है।

तालिका 10.2.1 स्रोत-वार विद्युत उत्पाद

(मिलियन यूनिट)

	2004-05 वास्तविक	2005-06		2006-07 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि	
जल	82875	91480	101325	101000
तापीय	488328	511620	497044	539544
नाभिक	17011	16800	17249	18406
भूटान से आयात	1735	1600	1764	4050
नवीकरणीय ऊर्जा	4507	-	-	-
<b>जोड़</b>	<b>594456</b>	<b>621500</b>	<b>617382</b>	<b>663000</b>

10.2.7 थर्मल स्टेशनों के लिए 2005-06 के दौरान अखिल भारतीय संयंत्र लोड फैक्टर (पीएलएफ) 74.7% रखा गया था। जिसकी तुलना में वास्तविक उपलब्धि 73.6% रही। 2005-06 के लिए 45 कोयला आधारित स्टेशनों ने राष्ट्रीय औसत पी एल एफ से ज्यादा। उच्चतर पीएलएफ रिपोर्ट कराया है। महाराष्ट्र राज्य में स्थिति धाहनु थर्मल पावर स्टेशन जो रिलायन्स एनर्जी का है, ने देश में सर्वाधिक पीएलएफ यानि 98.7% की उपलब्धि हासिल की

है। टेबल 10.2.2 में वर्ष 2004-05, 2005-06 में पी एल एफ का सैक्टरवार ब्रेक-अप तथा वर्ष 2006-07 के लिए लक्ष्यों का सारांश दिया गया है। सभी इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों, केंद्रीय विद्युत संगठनों तथा निजी क्षेत्रों के बारे में पी एल एफ संबंधी लक्ष्यों और उपलब्धियों को परिशिष्ट 10.2.2 में दिया गया है।

तालिका 10.2.2

क्षेत्रक-वार संयंत्र भार उपादान (%)

	2004-05	2005-2006		2006-07
	वास्तविक	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
केन्द्रीय क्षेत्रक	81.7	79.0	82.1	81.2
राज्य क्षेत्रक	69.6	71.3	67.0	71.3
निजी क्षेत्रक	85.2	82.3	85.4	83.5
सम्पूर्ण भारत	74.8	74.7	73.6	75.7

### क्षमता में वृद्धि

10.2.8 2005-06 के दौरान क्षमता बढ़ाने संबंधी लक्ष्य 6934.52 मे.वा. रखा गया। 2005-06 के दौरान वास्तविक उपलब्धि 3518.80 मे. वा. रही (50.74%) टेबल 10.2.3 में 2005-06 के लिए बढ़ाई गई क्षमता तथा वर्ष 2006-07 के लिए लक्ष्यों को दर्शाया गया है।

तालिका 10.2.3

क्षमता में परिवर्धन (मे. वा.)

	2004-05	2005-2006		2006-07
	वास्तविक	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
जल	1015.00	2886.00	1340.00	3884.00
तापीय	2033.92*	3458.52	1588.80	13122.72
नाभिक	50.00	590.00	590.00	760.00
कुल	3998.92	6934.52	3518.80	17766.72

\* रिहन्द यूनिट-3 में 500 मेगावाट शामिल है, जोकि लक्ष्य में सम्मिलित नहीं है।

10.2.9 परिशिष्ट 10.2.3 में जनरेटिंग क्षमता वृद्धि

कार्यक्रम के अनुसार बढ़ाई गई क्षमता का परियोजना विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है। लगभग 27 जनरेटिंग यूनिट्स हैं, जो लगभग 3415.72 मे. वा. के निर्धारित लक्ष्य को 2005-06 के दौरान हासिल नहीं कर सकीं। देरी हुई परियोजनाओं में 1546 मे.वा. हाइड्रो क्षमता (12 जनरेटिंग यूनिट्स) 1869.72 मे.वा. थर्मल क्षमता (15 जनरेटिंग यूनिट्स) शामिल हैं। परिशिष्ट 10.2.4 में विलम्बित हुई परियोजनाओं की पूर्ण सूची दी गई है।

10.2.10 2006-07 के लिए 17766.72 मे.वा.क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य सहित केंद्रीय क्षेत्र में 7370.00 मे.वा., राज्य क्षेत्र में 6876.92 मेगावाट और निजी क्षेत्र में 3519.80 मे.वा.विद्युत बढ़ाना शामिल है। 2006-07 के लक्ष्यों में सभी परियोजनाओं को जोड़ कर 3392.8 मे.वा. का लक्ष्य रखा है। जो 2005-06 से स्पिल ओवर है। 2006-07 के दौरान स्कीमवार प्रत्याशित संस्थापित क्षमता वृद्धि परिशिष्ट 10.2.5 में दर्शाई गई है।

### पारेषण एवं वितरण

10.2.11 765 के.वी./400 के.वी./220 के.वी. संचरण लाइनों के बारे में 2005-06 के दौरान निर्माण एवं ऊर्जा संवर्धन किए गए कार्यक्रम उपलब्धियां तथा 2006-07 के लिए निर्धारित लक्ष्य परिशिष्ट में सारांश रूप में दिए गए हैं। 2005-06 की वास्तविक उपलब्धि कि प्रत्येक ट्रांसमिशन लाइन के सिगमेंट में लक्ष्य अधिक ही रहे हैं।

तालिका 10.2.4

पारेषण लाइन परिवर्धन (सीकेटी. कि.मी.)

	2004-05	2005-2006		2006-07
	वास्तविक	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
765 के.वी.	45	105	287	660
400 के.वी.	5366	3850	6260	7948
220 के.वी.	2808	2738	2830	4268

### विद्युत क्षेत्र सुधार

10.2.12 पिछले दशक से विद्युत क्षेत्र में सुधारों का दौर

जारी है, देखे गए महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं:

- 13 राज्यों ने विद्युत क्षेत्र को पुनर्गठित/ निगमित किया है और ट्रान्मिशन और वितरण सृजन के लिए अपने बोर्ड को स्वतंत्र अस्तित्व इकाइयों में बदल दिया है। ये राज्य हैं उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, असम, त्रिपुरा और महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, बिहार, मेघालय ने दिसम्बर 2006 तक छूट ली है।
- 27 राज्यों ने एस ई आर सी संघटनों को कमीशनित या अधिसूचित किया है, और 19 एस ई आर सी(ज) ने टैरिफ आर्डर जारी कर दिए हैं। मणिपुर और मिजोरम राज्यों ने एक संयुक्त विद्युत नियामक कमीशन (जे ई आर सी) बनाया है। विद्युत एक्ट 2003 के लागू हो जाने पर ए ई आर सी (ज) का गठन नहीं हुआ है, उन्हें सलाह दे दी गई है। ये दो राज्य हैं नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश।
- उड़ीसा और दिल्ली में वितरण को निजी क्षेत्र को दे दिया गया है।

### राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं किराया नीति

10.2.13 केन्द्रीय विद्युत एक्ट 2003 के अनुच्छेद 3 के अनुपालन में केन्द्रीय सरकार ने 12.2.05 को राष्ट्रीय विद्युत नीति अधिसूचित कर दी थी इस नीति का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक विद्युत पहुँचाई जाए और लोगों में इसके प्रति विश्वसनीयता लाई जाए और हरेक गुणवत्ता पूर्ण आपूर्ति मुहैया कराई जाए। इसके अलावा, उपभोक्ताओं और स्टेक होल्डर्स के हितों का ध्यान रखा जाए। अन्तिम रूप से कहा जा सकता है कि नीति का लक्ष्य है कि वित्तीय टर्नएराउण्ड और इस क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यावहारिकता की ओर ही है। इसी प्रकार 6.1.2006 को राष्ट्रीय टैरिफ (किराया) नीति भी जारी की गई।

### ग्रामीण विद्युतीकरण नीति को अन्तिम रूप देना

10.2.14 विद्युत एक्ट 2003 के अनुच्छेद 4 व 5 के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने 28.8.2006 को ग्रामीण विद्युतीकरण नीति को अधिसूचित किया

### विद्युत के लिए एपैलाइट न्यायाधिकरण का प्रचालन शुरू।

10.2.15 केंद्र सरकार ने विद्युत के लिए एपैलेट न्यायाधिकरण का संगठन किया, जो 21.7.2005 को प्रचालन में आ गई। न्यायाधिकरण ने नियामक कमीशन एडज्यूकेटिंग अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों को सुनना शुरू कर दिया है।

### क्षेत्रीय विद्युत समिति स्थापित

10.2.16 विद्युत् एक्ट 2003 के अनुच्छेद-2(55) के तहत अलग से विद्युत समितिया 25 मई 2005 को 5 राज्यों के लिए स्थापित कर दी ताकि इन क्षेत्रों में विद्युत एकीकृत प्रचालन सुलभ हो सके।

### 2005-06 के दौरान बड़ी पहलें

#### राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर जी जी वी वाई)

10.2.17 राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना (आर जी जी वी वाई) अप्रैल 2005 में शुरू की गई, ताकि आगामी 5 वर्षों के भीतर हर घर में बिजली मुहैया कराई जा सके। आर जी जी वी वाई को 90% पूंजी छूट केंद्र सरकार प्रदान करती है।

#### अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं शुरू करना

10.2.18 इस तथ्य को मान्यता देते हुए कि सस्ती विद्युत देने की दृष्टि में सकेल अर्थशास्त्र बड़े आकार की विद्युत परियोजनाओं के विकास से ही संभव है। विलम्ब से ही, पर विद्युत मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के शासन अकलतारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा आईबी वैली नामक स्थानों पर अल्ट्रा मेगा के विकास की अवधारणा में शुरुआत की है।

इसके अतिरिक्त, 4 तटीय साइट्स आयातित कोयले पर आधारित गुजरात के मुद्रा में कर्नाटक में टाड़ी, महाराष्ट्र में गीर्ये, आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टणम में चिन्हित की गई है। इस परियोजनाओं का रियलाइजेशन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के आधार पर होगा। इस परियोजनाओं का आकार बड़ा होने के कारण ये अनेक राज्यों की विद्युत संबंधी मांग को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय आधार पर संचरण कर पूरा करेंगी। इन परियोजनाओं में विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं का विकास तथा पिटहेड सापट के मामले, में एसोसियटिड कोल माइनस का विकास करना तथा तटीय लाइन के मामले में आयातित कोयला सुलभ कराना है। इन परियोजनाओं को बिल्डर्स को "बिल्ड ऑन आपरेट (बी ओ ओ) आधार" पर दिया जाएगा। आशा की जाती है कि ये परियोजनाएं निःशर्त बिड्स की डिलीवरी देगी और वह स्तर एनटीपीसी

द्वारा मेगा पावर पालिसी के तहत दी ऑफर से अधिक स्पर्धात्मक होगा।

### त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (ए पी डी आर पी)

10.2.19 ए पी डी आर पी मार्च 2003 में प्रचालन में आई। इसके दो घटक हैं - निवेश और प्रोत्साहन निवेश घटक के तहत ₹ 19180 करोड़ की मंजूरी दे दी गई थी। फिर भी निम्न सारणी 10.2.5 में निवेश घटक में दिए गए सारांश से देखा जा सकता है कि ए पी डी आर पी के तहत किया गया निवेश ठीक प्रकार प्रगति नहीं कर रहा है।

10.2.20 ए पी डी आर पी स्कीमों के प्रोत्साहन घटक

#### तालिका 10.2.5

#### 30 जून 2006 की स्थिति के अनुसार, एपीडीआरपी निवेश घटक की स्थिति रिपोर्ट

(करोड़ रूपए)

	राज्यों की श्रेणी	परियोजना परिव्यय	एपीडीआरपी घटक	जारी राशि	निकाली गई प्रतिरूप राशि	कुल उपयोग
1	गैर-विशेष	15803.06	6100.95	4573.65	4560.12	8543.23
2	विशेष	3377.40	3163.70	1733.23	उ.न.	1402.81
	<b>कुल योग</b>	<b>19180.46</b>	<b>9264.65</b>	<b>6306.88</b>	<b>4560.12</b>	<b>9946.04</b>

#### तालिका 10.2.6

#### एपीडीआरपी के तहत प्रोत्साहन भुगतानों की स्थिति

(करोड़ रूपए)

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	कुल
आन्ध्र प्रदेश		265.11			265.11
गुजरात	236.38			148.08	384.46
हरियाणा	5.01	100.48			105.49
महाराष्ट्र	137.89				137.89
राजस्थान		137.71			137.71
पश्चिम बंगाल			73.00	302.76	375.76
केरल				64.94	64.94
पंजाब				65.28	65.28
<b>जोड़</b>	<b>379.28</b>	<b>503.30</b>	<b>73.00</b>	<b>581.06</b>	<b>1536.64</b>

के तहत 8 राज्यों - गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, पं० बंगाल, केरल और पंजाब ने कुल 1536.64 करोड़ रुपये इन राज्यों को जारी हुए हैं और 2001-02 हानि के स्तर को देखते हुए समग्र रूप से ₹ 3446.60 करोड़ रुपये का नुकसान / रिडक्शन हुआ है। उपर्युक्त के अलावा पंजाब राज्य भी वित्तीय प्रोत्साहन लेने के लिए पात्र हो गया, जिसे 186.66 करोड़ रुपये कैश हानि को नीचे लाया 2002-03 के स्तर से 503.88 करोड़ रुपये तक लाया जा सके। ये वित्त मंत्रालय की जांच अधीन हैं। फिर भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि रिपोर्ट किए गए सभी नुकसान संबंधी रिडक्शन स्थायी प्रकृति के हैं। वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 राज्यवार प्रोत्साहन के वितरण संबंधी ब्यौरे सारणी 10.2.6 में दिए गए हैं।

### नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एंड एम)

10.2.21 10वीं योजना 106 पुराने थर्मल पावर यूनिट्स जिनकी कुल क्षमता लगभग 10,413 मे.वा. है, का पता लगाया गया है जिनमें ₹ 9200 करोड़ की अनुमानित लागत पर लाइफ एक्सटेंशन दी जाएगी। एलई स्कीमों के कार्यान्वयन के बाद इन एककों की आर्थिक प्रचालन दशा इनके कार्य-निष्पादन में समग्र सुधार होगा। अतिरिक्त 57 थर्मल यूनिटों (14270 मे.वा.) में आर एम वर्क्स किए जाएंगे, जिनकी अनुमानित लागत ₹ 977 करोड़ होगी के कार्यों में सुधार हेतु उन्हें चिन्हित किया गया है। इन लक्ष्यों के मुकाबले 8 यूनिटों में एल ई वर्क्स 10वीं पंचवर्षिय

योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान पूरे कर दिए गए हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान एक और यूनिट का लाइफ एक्सटेंशन वर्क पूरा हो गया है और अन्य 2 थर्मल यूनिटों में कार्य पूरा होने ही वाला है। स्पष्टतः आर एण्ड एम की प्रगति कमजोर ही रही है।

10.2.22 10वीं प्लान की योजना अवधिआर एम और हाइड्रो पावर स्कीमों की अपरेटिंग में 47 स्कीम, जिनमें केंद्रीय क्षेत्र के तहत 5 स्कीमों में स्टेट क्षेत्र के तहत 42 स्कीम जिनकी कुल संस्थापित क्षमता 7449.20 मे.वा. विद्युत पैदा करने की उम्मीद की गई थी जिस पर ₹ 1613.48 करोड़ ₹ 30.12.2005 को 21 स्कीमों को पूरा किया गया, जिन में से 3 केंद्रीय क्षेत्र तथा 18 राज्य क्षेत्र की है। जिनसे 613.15 मे.वा. का लाभ लेने के लिए ₹ 821.72 करोड़ रुपये के खर्च पर 2457.75 मे.वा. की क्षमता संस्थापित की गई। एक बार फिर हाइड्रो साइड में भी आर एम प्रगति कमजोर रही है।

### योजना परिव्यय

10.2.23 2005-06 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में ₹ 20734.39 करोड़ का अनंतिम व्यय, 27419.42 करोड़ ₹ के अनुमोदित परिव्यय के मुकाबले किया गया। राज्य क्षेत्र के मामले में 2005-06 में राज्य क्षेत्र का वास्तविक व्यय उपलब्ध नहीं है। वार्षिक योजना 2005-06 के दौरान अनुमोदित कुल परिव्यय 18676.15 करोड़ रुपये के मुकाबले राज्य क्षेत्र के लिए संशोधित अनुमान 17406.04 करोड़

तालिका 10.2.7  
वार्षिक योजना परिव्यय

(करोड़ रूपए)

	2004-2005 ( वास्तविक)	2005-2006		2006-2007 अनुमोदित परिव्यय
		अनुमोदित परिव्यय	प्रत्याशि व्यय	
राज्य व संघ राज्य क्षेत्र	17,035.28	18,676.15	17,406.04 (RE)	19,267.95*
केंद्रीय क्षेत्र	17,039.96	27,419.42	20,734.39	32,051.80
<b>जोड़ - अखिल भारत</b>	<b>34,075.24</b>	<b>46,095.57</b>	<b>38,140.43</b>	<b>51,319.75</b>

\* असम, तमिलनाडु और स.शा.प्र. चण्डीगढ़ को छोड़ कर।

रूपये रखा गया। केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों के लिए 2004-05 के बाद के योजना परिव्यय सारणी 10.2.7 में दर्शाए गए हैं। प्रत्येक राज्य और सी पी एस यू (ज) के ब्योरे परिशिष्ट 10.2.6 में प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

10.2.24. विद्युत क्षेत्र में विकास के लिए उपलब्ध निधि जो विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर परिषद के पास है, उसका ब्योरा तालिका 10.2.8 में दिया गया है:

### बाहरी सहायता प्राप्त विद्युत - परियोजनाएं

10.2.25 2002-03 से 2005-06 तक बाहरी सहायता, जो विद्युत मंत्रालय द्वारा बाइलेटरल और मल्टीलेटरल व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त हुई थी, के वर्ष वार हुए आवंटन का सदुपयोग तालिका 10.2.9 में नीचे दिया गया है।

### ग्रामीण विद्युतीकरण (आर ई) कार्यक्रम

#### 2005-06 के लिए आर ई कार्यक्रम की समीक्षा

10.2.26 अप्रैल 2005 भारत सरकार ने राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर जी जी वी वाई) शुरू की, ताकि सभी गाँवों में हर घर में विद्युत पहुँचाई जा सके तथा सभी बी पी एल परिवारों लगभग 2.3 करोड़ को 2009 तक मुफ्त कनेक्शन दिए जा सकें। आर जी जी वी वाई 90% तक की लागत को सबसिडाइज करती है, यह अनुदान भारत सरकार से प्राप्त होता है। आर जी जी वी वाई की अनुमोदित अनुमानित पूँजी लागत 16000 करोड़ है, जिसमें 14750 करोड़ रुपये सबसिडी के लिए है। भौतिक लक्ष्यों के अनुसार 1,25000 बिना बिजली वाले गाँवों में विद्युतीकरण करना

शामिल है, जहां विद्युत वितरण बैक बोन सृजित करनी होगी तथा ग्रामीण विद्युत इन्फ्रासट्रक्चर कनेक्टीविटी ....के तहत मुहैया कराने होंगे अन्तिम मील गाँव में 10% ग्रामीण घरों में @ 6.50 लाख रुपए प्रति गाँव की दर पर बिजली पहुँचानी है। उपर्युक्त अनुमानों में 2.34 करोड़ बी पी एल हाउस होल्डस में विद्युत का मुफ्त कनेक्शन देना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, इन अनुमानों में सघनीकरण कार्य, पूर्व में विद्युतीकृत गाँवों में एक लाख प्रति गाँव की दर से 4.62 लाख गाँवों में, पूरा करना है।

10.2.27 दसवीं योजना अवधि के शेष दो वर्षों यानि 2005-06 और 2006-07 के लिए विद्युत मंत्रालय के प्लान बजट के तहत सबसिडी के रूप में ₹ 5000 करोड़ का प्रावधान रखा गया, जिसे आर जी जी वी वाई के फेज-1 में किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि राज्यों से पूर्व में सबसिडी देने से पहले ही वचनबद्धता ली जाएगी कि (i) स्कीम के तहत वित्त पोषित परियोजनाएं ग्रामीण वितरण हेतु प्रबंधन हेतु फ्रैंचाइज को उपयोग किया जाएगा (ii) इलैक्ट्रिसिटी (विद्युत) एक्ट 2003 के तहत जरूरी, राज्य सरकारों द्वारा स्टेट यूटिलिटीज को अपेक्षित राजस्व घट उपलब्ध कराएंगी, जो प्रावधानों के अनुरूप है। सी सी ई ए ने यह भी निर्णय लिया है कि स्कीम समवर्ती मूल्यांकन के प्रति उत्तरदायी होगी और जरूरी सुधार पर विचार हेतु 11 वीं योजना के कार्यान्वयन में किया जाए, और दसवीं योजना के अंत में व्यापक समीक्षा के बाद ही इसे कार्यरूप दिया जाए।

10.2.28 2005-06 के दौरान विद्युत मंत्रालय द्वारा

तालिका 10.2.8  
उत्तर-पूर्वी परिषद द्वारा उपयोग

(करोड़ रूपए)

	2004-2005 अन्तिम वास्तविक व्यय	2005-2006		2006-2007 अनुमोदित परिव्यय
		अनुमोदित परिव्यय	अन्तिम व्यय	
उत्तर-पूर्वी परिषद के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का विद्युत घटक	24.50	31.50	30 न0	181.50

तालिका 10.2.9

वर्ष 2002-03 से 2005-06 तक वर्ष-वार आवंटन व वास्तविक उपयोग

(करोड़ रूपए)

वर्ष	आवंटन	उपयोग	उपयोग(%)
<b>2002-03</b>			
केन्द्रीय क्षेत्रक	1450.05	1225.72	84.53
राज्य क्षेत्रक	2400.59	2059.23	85.78
<b>कुल</b>	<b>3850.64</b>	<b>3284.95</b>	<b>85.31</b>
<b>2003-04</b>			
केन्द्रीय क्षेत्रक	1007.72	1035.65	102.77
राज्य क्षेत्रक	2036.28	2519.39	123.72
<b>कुल</b>	<b>3044.00</b>	<b>3987.67</b>	<b>116.79</b>
<b>2004-05</b>			
केन्द्रीय क्षेत्रक	993.50	684.78	68.93
राज्य क्षेत्रक	1352.22	1728.63	127.84
<b>कुल</b>	<b>2345.72</b>	<b>2413.41</b>	<b>102.89</b>
<b>2005-06</b>			
केन्द्रीय क्षेत्रक	897.21	695.86	77.56
राज्य क्षेत्रक	1402.85	1475.85	105.20
<b>कुल</b>	<b>2300.06</b>	<b>2171.71</b>	<b>94.42</b>

निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार 10,000 गाँवों में बिजली पहुँचानी थी इसके मुकाबले सूचित किया गया है कि 9819 गाँवों को ही बिजली पहुँचाई जा सकती है। 2005-06 के दौरान कुल ₹ 1100 करोड़ ₹ के सब्सिडी प्रावधानों के मुकाबले राज्यों को ₹ 1031.67 करोड़ राशि ही जारी की गई। 2005-06 के दौरान आर जी जी वी वाई का कार्यान्वयन मुख्यतः बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और प० बंगाल में रहा। फिर भी विद्युतीकृत गाँवों की उपलब्धि, ग्रामीण विद्युतीकरण की संशोधित परिभाषा के अनुसार (उन्ही गाँवों का विद्युतीकृत माना जाएगा जिनके कम से कम 10% घरों में अनिवार्यतः बिजली पहुँचा दी जाती है) सत्यापित की जानी है और तत्संबंधी रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय द्वारा दी जानी है।

2006-07 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण (आर ई) कार्यक्रम

10.2.29 2006-07 के दौरान विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित 40,000 गाँवों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के मुकाबले 8360 गाँवों की विद्युतीकरण ही रिपोर्ट की गई है (सितंबर 2006 तक)। इसे भी गाँवों की विद्युतीकरण की नई परिभाषा के अनुसार सत्यापित किया जाना है कि क्या वे विद्युतीकृत गाँव की पात्रता को पूरा कर रहे हैं। विद्युत मंत्रालय ने आर जी जी वी वाई के तहत फ्रैंचाइज प्रणाली अवधारणा को विकसित किया है, ताकि ग्रामीण विद्युत सुविधा का अनुक्षण चलता रहे और उपभोक्ताओं को बिना रुके क्वालिटी विद्युत उपलब्ध कराई जा सके। एन जी ओ(ज) यूजर एसोसिएशन्स, सहकारिताएं या कोई निजी उद्यमी भी फ्रैंचाइज बन सकते हैं। फ्रैंचाइज अवधारणा के कार्यान्वयन में पी आर आई(ज) को सहयोजित किया

जाएगा। विद्युत मंत्रालय के अनुसार, 12 राज्यों में फ्रैंचाइज हैं, जो 36868 गाँवों को कवर कर रहे हैं। इन में से 8491 आर जी जी वी वाई गांव हैं, और शेष गाँव पूर्व कार्यक्रमों के तहत व्याप्ति में लिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व एकत्रीकरण में उनकी क्षमता, लगाए गए फ्रैंचाइजों का कार्यनिष्पादन रूरल नैटवर्क में उनकी मरम्मत। अनुरक्षण, उनके क्षेत्राधिकार और विषय क्षेत्र में आने वाले गाँवों में विद्युत की गुणवत्ता। विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में उनके द्वारा उठाए गए कदमों, विद्युत नैटवर्क बढ़ाने में फ्रैंचाइज की क्षमता और आर जी जी वी वाई के तहत स्टेक होल्डर सहभागिता में उनकी भूमिका का मूल्यांकन अभी किया जाना है। 2006-07 के लिए विद्युत मंत्रालय ₹ 3,000 करोड़ आवंटित किए गए, ताकि आर जी जी वी वाई के तहत सबसिडी घटक को पूरा किया जा सके। विद्युत मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि 6 अक्टूबर, 2006 तक आर जी जी वी वाई के तहत कुल 2243.37 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

### भारत निर्माण कार्यक्रम

10.2.30 भारत निर्माण के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक का विचार है कि सभी 125000 बिना बिजली वाले गाँवों में तथा 2.3 करोड़ घरों में विद्युतीकरण देश में कुल 7.8 करोड़ बिना बिजली वाले घरों में 2009 तक पहुँचा दी जाएगी। अतः भारत निर्माण के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक एक आर जी जी वी वाई का एक उप सैट ही है। इन दोनों कार्यक्रमों के लिए समय सीमा एक ही है।

### ऊर्जा के नए एवं नवीकरण स्रोत

10.2.31 अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एम एन ई एस) अक्षय ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है जिन में शामिल है (अ) सभी लघु हाइड्रो से ग्रिड सम्बद्ध एवं स्टैंड एलोन जनरेशन। पवन, सौर, बायो-मास और औद्योगिक/ शहरी वेस्ट से पावर (ब) ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम जैसे दूर दराज के गाँवों में विद्युतीकरण, कूकिंग के लिए बायोमास और परिष्कृत चुल्हे (स) सौर ऊर्जा उपयोग जैसे- लाइटिंग और पम्पिंग के लिए थर्मल वाटर हीटर, सोलर फोटोवोल्टाइक

उपयोग (द) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई आर ई सी) नई प्रौद्योगिकियों जैसे जियो थर्मल, हाइड्रोजन एनर्जी, फ्यूल सैल्स, स्थल परिवहन के वैकल्पिक तेल आदि के लिए अनुसंधान, विकास और प्रदर्शनियों का आयोजन आदि कार्य भी एमएनईएस द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (आई आर ई डी ए) एमएनईएस के प्रशासनिक नियंत्रक के तहत एक वित्तीय संस्था है जो रियायती निधि उपलब्ध करा कर अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के आयोजना में सहायता प्रदान करती है। 31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार अक्षय स्रोतों से 8197.95 मे.वा. विद्युत प्राप्त हुई, जो कुल संस्थापित क्षमता का लगभग 6.5% है। इसमें पवन ऊर्जा द्वारा 5340 मे.वस. (65%) लघु हाइड्रो द्वारा 1826.43 मे.वा. (22.28%) बायोमास (को-जनरेशन) 912.53 मे.वा. (11.13%) विद्युत प्राप्त की गई। उचित अक्षय ऊर्जा क्षमता और वास्तविक उपलब्धियां सारणी 10.2.7 में दर्शाई गई हैं।

### वार्षिक योजना 2005-06 की समीक्षा

10.2.32 एमएनईएस के लिए 2005-06 के दौरान वित्तीय परिव्यय तालिका 10.2.10 में दिया गया है। इस परिव्यय में एमएनईएस के अधीनस्थ संस्थाओं और आई आर ई डी ए के लिए प्रावधान किए गए हैं। बड़े कार्यक्रमों की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां क्रमशः 10.2.8 और (अ) और 10.2.8 (ब) में दी गई हैं।

### वार्षिक योजना 2006-07

10.2.33 2006-07 के लिए एम एन ई एस का कुल परिव्यय तालिका 10.2.11 में दिया गया है। ₹ 600 करोड़ के जी बी एस में लगभग 10% राशि एमएनईएस के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए रखी गई हैं। कार्यक्रमवार वेक-अप परिशिष्ट पर देखा जा सकता है। 2006-07 के लिए स्थापित भौतिक लक्ष्य 50,000 बायो गैस संयंत्र, 30,000 सौर लनटरेन्स, शहरी क्षेत्रों में एस पी वी विद्युतीकृत होर्डिंग्स, स्ट्रीट-रोशनी के लिए एस पी वी सेनसस, मात्र सामूदायिक उद्देश्य हेतु 300 एस पी वी पम्प। कुल 4,00,000 वर्ग-मीटर के कुल

तालिका 10.2.10  
2005-06 के लिए वित्तीय परिव्यय

परिव्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
घरेलू बजटीय समर्थन (डीबीएस)	574.00	324.99
योजना में विदेशी सहायता (ईएएस)	26.00	25.01
सकल बजटीय समर्थन (जीबीएस)	600.00	350.00
आईईबीआर	265.44	224.78
<b>कुल परिव्यय</b>	<b>865.44</b>	<b>574.78</b>

कलैक्टर क्षेत्र में सौर जल हीटिंग सिस्टम की स्थापना, विंड पावर के 1000 मे.वा. के 100 सौर कूकर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। बायोमास पावर के 215 मे.वा., 2.00 मे.वा. के समतुल्य बायोमास गैसीफायर सिस्टम 160 मे.वा. लघु हाइड्रो पावर और 30.00 मे.वा. समतुल्य विद्युत क्षमता शहरी और औद्योगिक उत्सर्जन से प्राप्त करने का लक्ष्य है। दुर्गम्य ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत 1000 दुर्गम्य ग्रामों में विद्युतीकरण मंजूरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम के तहत (वी ई एस पी) टैस्ट-परियोजनाएं भी शुरू की गईं। लघु पवन ऊर्जा एवं हाइब्रिड सिस्टम कार्यक्रम के तहत 100 विंड मिल और 150 कि.वा. समतुल्य हाइब्रिड सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया।

### केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)

10.2.34 एम एन ई एस की विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित

तालिका 10.2.11  
2006-07 के लिए वित्तीय परिव्यय

परिव्यय	बजट अनुमान
घरेलू बजटीय समर्थन (डीबीएस)	580.00
योजना में विदेशी सहायता (ईएपी)	20.00
सकल बजटीय समर्थन (जीबीएस)	600.00
आई ई बी आर	370.02
<b>कुल परिव्यय</b>	<b>970.02</b>

स्कीमें केंद्रीय क्षेत्र के व्यय के ब्यौरे परिशिष्ट 10.2.9 में दिए गए हैं। शून्य आधारित बजटिंग (जैड बी बी) की एक्सरसाइज 10 वीं योजना के आरम्भ में ही की गई। एम एन ई एस के तहत सी एस एस की योजना आयोग द्वारा की गई। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम (वी ई एस पी) जो गांव की कुल ऊर्जा को पूरा करने के लिए एकीकृत पहल के रूप में तैयार की गई है, में आमेलित करने की सिफारिश कर दी गई है। आईआरईपी के लिवरेजिंग हेतु यह एक कदम होगा ताकि निश्चित सेवा/सफलता की पूरी कहानी को महसूस किया जा सके ताकि देश के अन्य क्षेत्रों में भी इसका अनुकरण किया जा सके। 10वीं योजना के अंत तक आई आर ई पी को मौजूदा रूप से ही जारी रखा जाएगा, एम एन ई एस के अधीन तीन सीएसएस राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना, (एन पी बी डी), सोलर फोटोवोल्टाइक (एस पी वी), प्रदर्शन कार्यक्रम और लघु हाइड्रो कार्यक्रमों को 10वीं योजना के शेष वर्षों के लिए जारी रखा जा रहा है।

2004-05, 2005-06 o 2006-07 ¼ni ; kfxrk, ½ ea Åtk/ mRiknu

¼ e; ¼

o"kl	i xklj	{ks=					l eLr
		mÙkj h	i f' peh	nf{k.kh	i whz	i wkÙkj	
2004-2005	जलीय	36104.88	10521.48	25279.78	8269.89	4319.27	84495.30
	तापीय वास्तविक	125880.71	166451.41	112629.58	77550.36	3563.42	486075.48
	परमाणवीय	7337.97	5100.59	4406.73	0.00	0.00	16845.29
	<b>dlj</b>	<b>169323.56</b>	<b>5100.59</b>	<b>142316.09</b>	<b>85820.25</b>	<b>7882.69</b>	<b>587416.07</b>
		<b>169323.56</b>	<b>182073.48</b>	<b>25243.00</b>	<b>6843.00</b>	<b>4179.00</b>	<b>91480.00</b>
	जलीय	42956.00	12259.00	120579.00	89298.00	3301.00	511620.00
	तापीय लक्ष्य	130301.00	168141.00	4153.00	0.00	0.00	16800.00
	परमाणवीय						1600.00
	<b>dlj</b>	<b>5958.00</b>	<b>6689.00</b>	<b>149975.00</b>	<b>96141.00</b>	<b>7480.00</b>	<b>621500.00</b>
2005-2006	जलीय	41731.81	15828.82	33509.85	6190.38	4064.46	101325.32
	तापीय वास्तविक	131502.83	165020.09	108036.25	88769.61	3715.22	497044.00
	परमाणवीय	6438.30	6097.63	4712.79	0.00	0.00	17248.72
	भूटान						1764.12
	कुल	<b>179672.94</b>	<b>186946.54</b>	<b>146258.89</b>	<b>94959.99</b>	<b>7779.68</b>	<b>617382.16</b>
2006-2007	जलीय	46066.00	14528.00	29214.00	6748.00	4444.00	101000.00
	तापीय लक्ष्य	139695.00	178042.00	122364.00	95241.00	4202.00	539544.00
	परमाणवीय	4001.00	9317.00	5088.00	0.00	0.00	18406.00
	भूटान कैप्टिव-पीटीवी						4050.00
	<b>dlj</b>	<b>189762.00</b>	<b>201887.00</b>	<b>156666.00</b>	<b>101989.00</b>	<b>8646.00</b>	<b>663000.00</b>

o'k 2005&06 ds nkjku rkih; fonf r l a =ka dk l a a=&Hkkj mi knku 2005-2006

(%)

de l a	, l bch@ l xBu	yf;	mi yf?k
	राज्य क्षेत्रक		
1	आई पी जी पी सी एल (दिल्ली)	58.8	46.6
2	एच पी जी सी (हरियाणा)	72.3	66.3
3	आर आर वी यू एन एल (राजस्थान)	85.9	90.7
4	पी एस ई बी (पंजाब)	76.1	79.9
5	यू पी आर वी यू एन एल (उत्तर प्रदेश)	62.7	55.7
6	जी ई बी (गुजरात)	70.6	63.9
7	जी एस ई सी एल (गुजरात)	87.1	93.8
8	जी एम डी सी एल (गुजरात)	89.2	26.9
9	एम एस ई बी (महाराष्ट्र)	77.4	72.7
10	एम पी जी पी सी एल (मध्य प्रदेश)	71.6	67.8
11	सी एस ई बी (छत्तीसगढ़)	74.9	79.7
12	ए पी जी ई एन सी ओ (आंध्र प्रदेश)	87.3	79.5
13	टी एन ई बी (तमिलनाडु)	80.3	72.2
14	के पी सी एल (कर्नाटक)	80.2	71.3
15	बी एस ई बी (बिहार)	14.0	2.6
16	जे एस ई बी (झारखण्ड)	24.5	11.5
17	टी वी एन एल (झारखण्ड)	56.8	41.7
18	ओ पी जी सी (उड़ीसा)	81.5	84.1
19	डब्ल्यू बी पी डेवलपमेंट कारपोरेशन (पश्चिम)	60.0	59.2
20	डी पी एल (पश्चिम बंगाल)	54.0	62.7
21	ए एस ई बी (असम)	14.9	16.1
	औसत एसई बी की	<b>71.3</b>	<b>67.0</b>
	केन्द्रीय क्षेत्रक		
1	एन टी पी सी जोड़	83.0	87.4
2	बदरपुर	82.6	85.3
3	नेवेली	75.6	74.5
4	डी वी सी	52.7	50.8
	औसत - केन्द्रीय क्षेत्रक	<b>79.0</b>	<b>82.1</b>
	निजी क्षेत्रक	उपयोगिताएं	
1	ए ई कम्पनी/ साबरमती	85.0	93.2
2	बीएसईएस/ धनु	94.0	98.7
3	टाटा/ ट्राम्बे	80.5	78.0
4	सीईएससी/ टीटागढ़	77.6	84.2
	औसत - निजी उपयोगिताएं	<b>82.3</b>	<b>85.4</b>
	औसत - समस्त भारत	<b>74.7</b>	<b>73.6</b>

o"K 2005-2006 ea vkjEHk dh xbz@jky dh xbz mRi knu bdkb; ka

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	यूनिट	प्रकार	क्षेत्रक	राज्य	कार्यनवयन एजेंस	रोल की गई/चालू की गई इकाइयां	
							क्षमता (मे.वा.)	दिनांक
<b>mRrjh {ks-</b>								
1	रिहंद एसटीपीएस चरण-II	4	तापीय	केन्द्र	उ. प्रं.	एनटीपीसी	500	24.9.2005
2	घौलीगंगा	4	जलीय	केन्द्र	उत्तरांचल	एनएचपीसी	70	26.7.2005
3	घौलीगंगा	3	जलीय	केन्द्र	उत्तरांचल	एनएचपीसी	70	28.7.2005
4	घौलीगंगा	2	जलीय	केन्द्र	उत्तरांचल	एनएचपीसी	70	1.9.2005
5	घौलीगंगा	1	जलीय	केन्द्र	उत्तरांचल	एनएचपीसी	70	17.10.2005
6	परीछा टीपीएस एक्स0	3	तापीय	राज्य	उ. प्रं.	यूपीआरवीयूएनए	210	29.3.2006
		<b>dshz</b>			<b>jkt;</b>	<b>futh</b>	<b>tkM+</b>	
जलीय		280			0	0	280	
तापीय		500			210	0	710	
परमाणवीय		0			0	0	0	
<b>tkM+ %mRrjh {ks=½</b>		<b>780</b>			<b>210</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	
<b>if'peh {ks-</b>								
1	टीएपीपी	4	परमाणवीय	केन्द्र	महारा ढ	एनपीसीआईएल	540	4.6.2005
2	अकरिमोता टीपीपी	2	तापीय	राज्य	गुजरात	जीएमडीसीएल	125	19.12.2005
3	ध्रुवर्ण सीसीपीपी एक्स0	जीटी	तापीय	राज्य	गुजरात	जीएसईसीएल	72	17.3.2006
4	सरदार सरोवर आरबीपीएच	2	जलीय	राज्य	गुजरात	एसएसएनएनएल	200	30.4.2005
5	सरदार सरोवर आरबीपीएच	3	जलीय	राज्य	गुजरात	एसएसएनएनएल	200	30.8.2005
6	सरदार सरोवर आरबीपीएच	4	जलीय	राज्य	गुजरात	एसएसएनएनएल	200	13.10.2005
7	सरदार सरोवर आरबीपीएच	5	जलीय	राज्य	गुजरात	एसएसएनएनएल	200	7.3.2006
		<b>dshz</b>			<b>jkt;</b>	<b>futh</b>	<b>tkM+</b>	
जलीय		0			800	0	800	
तापीय		0			197	0	197	
परमाणवीय		540			0	0	540	
<b>tkM+ %if'pe {ks=½</b>		<b>540</b>			<b>997</b>	<b>0</b>	<b>1537</b>	
<b>nf{k, kh {ks-</b>								
1	एमएपीपीएस-1 अपरेटिंग	1	परमाणवीय	केन्द्र	टीएन	एनपीसीआईएल	50	
2	पिकारा अलटीमेट	1	जलीय	राज्य	टीएन	टीएनईबी	50	11.8.2005
3	पिकारा अलटीमेट	2	जलीय	राज्य	टीएन	टीएनईबी	50	11.8.2005
4	पिकारा अलटीमेट	3	जलीय	राज्य	टीएन	टीएनईबी	50	5.9.2005
5	अलमाटी बांध	5	जलीय	राज्य	कर्नाटक	केपीसीएल	55	6.7.2005
6	अलमाटी बांध	6	जलीय	राज्य	कर्नाटक	केपीसीएल	55	10.8.2005
7	वलंथर्वी	जीटी	तापीय	निजी	टीएन	आर के एनर्जी	38	29.10.2005
8	करुप्पुर सीसीपीपी	एसटी	तापीय	निजी	टीएन	अबन पावर कम्पनी ली.	49.8	15.7.2005
9	जगरुपादु सीसीपीपी एक्स0	जीटी	तापीय	निजी	एपी	जीवीके इंड	140	9.10.2005
10	जगरुपादु सीसीपीपी एक्स0	एसटी	तापीय	निजी	एपी	जीवीके इंड	80	11.11.2005
11	वेमागिरी सीसीपीपी	जीटी	तापीय	निजी	एपी	वेमागिरी पीजीएल	233	13.1.2006
		<b>dshz</b>			<b>jkt;</b>	<b>futh</b>	<b>tkM+</b>	
जलीय		0			260	0	260	
तापीय		0			0	540.8	540-8	
परमाणवीय		50			0	0	50	
<b>tkM+ %no {k0½</b>		<b>50</b>			<b>260</b>	<b>540-8</b>	<b>850-8</b>	

क्रम सं.	परियोजना का नाम	यूनिट	प्रकार	क्षेत्रक	राज्य	कार्यनवयन एजेंस	रोल की गई/चालू की गई इकाइयां	क्षमता (मे.वा.)	दिनांक
<b>i whZ {ks=</b>									
1	जोजोबेरा टीपीपी	4	तापीय	राज्य	झारखंड	टाटा पावर	120		23.9.2005
			<b>dln</b>		<b>jkt;</b>	<b>futh</b>			<b>tkM+</b>
	जलीय		0		0	0			0
	तापीय		0		120	0			120
	परमाणवीय		0		0	0			0
	<b>tkM+ ¼ whZ {ks=½</b>		<b>0</b>		<b>120</b>	<b>0</b>			<b>120</b>
<b>mRrj i whZ {ks=</b>									
	रोखीया जीटी एक्स	जीटी	तापीय	राज्य	त्रिपुरा	त्रिा0 सरकार	21		31.3.2006
			<b>dln</b>		<b>jkt;</b>	<b>futh</b>			<b>tkM+</b>
	जलीय		0		0	0			0
	तापीय		0		21	0			21
	परमाणवीय		0		0	0			0
	<b>tkM+ ¼ m0i 0½</b>		<b>0</b>		<b>21</b>	<b>0</b>			<b>21</b>
<b>vf[ky Hkkjr</b>									
			<b>dlnz</b>		<b>jkt;</b>	<b>futh</b>			<b>tkM+</b>
	जलीय		280.00		1060.00	0.00			1340.00
	तापीय		500.00		548.00	540.80			1588.80
	परमाणवीय		590.00		0.00	0.00			590.00
	<b>tkM+ ¼ OHkk0½</b>		<b>1370-00</b>		<b>1608-00</b>	<b>540-80</b>			<b>3518-80</b>

o"K 2005-2006 ds dk; Zæ I s pwl xbl mRi knu bdkb; ka

Ø- I a	ifj; kstuk dk uke	; fuV	i zkj	{ks-d	jkT;	dk; kWo; u , t d h	{kerk ½esok-½
1	विन्ध्याचल टीपीए-III	9	तापीय	केन्द्री	म0प्र0	एनटीपीसी	500
2	ऊंचाहार टीपीएस-II	5	तापीय	केन्द्री	उ0प्र0	एनटीपीसी	210
3	टिहरी चरण-I	4	जलीय	केन्द्री	उत्तरांचल	टीएचडीसी	250
4	टिहरी चरण-I	3	जलीय	केन्द्री	उत्तरांचल	टीएचडीसी	250
5	टिहरी चरण-I	2	जलीय	केन्द्री	उत्तरांचल	टीएचडीसी	250
6	टिहरी चरण-I	1	जलीय	केन्द्री	उत्तरांचल	टीएचडीसी	250
7	दुलहस्ती एच ई परि0	1	जलीय	केन्द्री	जम्मू एवं का.	एनएचपीसी	130
8	दुलहस्ती एच ई परि0	2	जलीय	केन्द्री	जम्मू एवं का.	एनएचपीसी	130
9	दुलहस्ती एच ई परि0	3	जलीय	केन्द्री	जम्मू एवं का.	एनएचपीसी	130
10	धुवर्ण सीसीपीपी एक्स0	एसटी	जलीय	राज्य	गुजरात	जीएसईसीएल	40
11	पार्ली टीपीसी विस्तार	1	तापीय	राज्य	महाराष्ट्र	एप्सईबी	250
12	धीमापुर डीजीपीपी	1	तापीय	राज्य	नागालैंड	नागालैंड सरकार	5.73
13	धीमापुर डीजीपीपी	2	तापीय	राज्य	नागालैंड	नागालैंड सरकार	5.73
14	धीमापुर डीजीपीपी	3	तापीय	राज्य	नागालैंड	नागालैंड सरकार	5.73
15	धीमापुर डीजीपीपी	4	तापीय	राज्य	नागालैंड	नागालैंड सरकार	5.73
16	गिरल टीपीपी	1	तापीय	राज्य	राजस्थान	आरआरवीयुएनएल	125
17	लार्जी	1	जलीय	राज्य	हि0प्र0	एचपीएसईबी	42
18	लार्जी	2	जलीय	राज्य	हि0प्र0	एचपीएसईबी	42
19	लार्जी	3	जलीय	राज्य	हि0प्र0	एचपीएसईबी	42
20	भवानी कतालार्ई ब-1	1	जलीय	राज्य	तमिलनाडु	टीएनईबी	15
21	भवानी कतालार्ई ब-1	2	जलीय	राज्य	तमिलनाडु	टीएनईबी	15
22	वेलंथार्वी	एसटी	तापीय	निजी	तमिलनाडु	आर के एनर्जी	14.80
23	गौतमी सीसीपीपी	जीटी- I	तापीय	निजी	आंध्र प्रदेश	गौतमी पावर लि.	145.00
24	गौतमी सीसीपीपी	जीटी- I	तापीय	निजी	आंध्र प्रदेश	गौतमी पावर लि.	145.00
25	कोनासीमा सीसीपीपी	जीटी- I	तापीय	निजी	आंध्र प्रदेश	कोनासीमा ईपीएस	140.00
26	कोनासीमा सीसीपीपी	जीटी- I	तापीय	निजी	आंध्र प्रदेश	कोनासीमा ईपीएस	140.00
27	वेमागरी	एसटी	तापीय	निजी	आंध्र प्रदेश	वेमागरी पीजीएल	137.00
	<b>t kM+</b>	<b>17 ; fuV</b>					<b>3415-72</b>

o"K 2006-07 ds mRiknu {kerk o?kU dk; bE

Øe l a	ifj; kstuk dk uke	; fuV	i dkj	{ks-d	jkT;	dk; kJo; u , t f l ; ka	; fuV {kerk ¼ e MCY; k	I Mkkfor I kekk; Ldhe
	mRrjh {ks-							
1	ऊंचाहर टीपीएस- II	5	तापीय	केन्द्रीय	उ0प्रे0	एनटीपीसी	210	जुलाई 2006
2	दुलहस्ती	1	जलीय	केन्द्रीय	ज0 एवं का0	एनएचपीसी	130	जुलाई 2006
3	दुलहस्ती	2	जलीय	केन्द्रीय	ज0 एवं का0	एनएचपीसी	130	अगस्त 2007
4	दुलहस्ती	3	जलीय	केन्द्रीय	ज0 एवं का0	एनएचपीसी	130	सितम्बर 2008
5	टिहरी एसटीजी- I	4	जलीय	केन्द्रीय	उत्तरांचल	टीएचडीसी	250	जून 2006
6	टिहरी एसटीजी- I	3	जलीय	केन्द्रीय	उत्तरांचल	टीएचडीसी	250	जुलाई 2006
7	टिहरी एसटीजी- I	2	जलीय	केन्द्रीय	उत्तरांचल	टीएचडीसी	250	अगस्त 2006
8	टिहरी एसटीजी- I	1	जलीय	केन्द्रीय	उत्तरांचल	टीएचडीसी	250	सितम्बर 2006
9	गुरु हरगोविंद टीपीए	1	तापीय	राज्य	पंजाब	पीएसईबी	250	अक्तुबर 2006
10	गुरु हरगोविंद टीपीए	2	तापीय	राज्य	पंजाब	पीएसईबी	250	जनवरी 2007
11	गिरल टीपीपी	1	तापीय	राज्य	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	125	सितम्बर 2006
12	धोलपुर सीसीपीपी(फेस-II)	जीटी-1	तापीय	राज्य	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	107 <sup>५5</sup>	अक्तुबर 2006
13	धोलपुर सीसीपीपी(फेस-II)	जीटी-1	तापीय	राज्य	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	107 <sup>५5</sup>	दिसंबर 2006
14	धोलपुर सीसीपीपी	एसटी	तापीय	राज्य	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	115	जून 2007
15	परिच्छा टीपीएस वित्तर	4	तापीय	राज्य	उ0 प्रे0	यूपीआरवीयूएनए	210	सितम्बर 2006
16	लारजी	3	जलीय	राज्य	हि0 प्रदेश	एचपीएसईबी	42	मई 2006
17	लारजी	2	जलीय	राज्य	हि0 प्रदेश	एचपीएसईबी	42	जून 2006
18	लारजी	1	जलीय	राज्य	हि0 प्रदेश	एचपीएसईबी	42	जुलाई 2006
19	मनेरी भाली- II	1	जलीय	राज्य	उत्तरांचल	यूजेवीएनएल	76	दिसंबर 2006
20	मनेरी भाली- II	2	जलीय	राज्य	उत्तरांचल	यूजेवीएनएल	76	जनवरी 2007
21	मनेरी भाली- II	3	जलीय	राज्य	उत्तरांचल	यूजेवीएनएल	76	फरवरी 2007
22	मनेरी भाली- II	4	जलीय	राज्य	उत्तरांचल	यूजेवीएनएल	76	मार्च 2007
23	विष्णु प्रयाग	1	जलीय	प्राइवेट	उत्तरांचल	जेपीपीवीएल	100	अप्रैल 2006
24	विष्णु प्रयाग	2	जलीय	प्राइवेट	उत्तरांचल	जेपीपीवीएल	100	जून 2006
25	विष्णु प्रयाग	3	जलीय	प्राइवेट	उत्तरांचल	जेपीपीवीएल	100	अगस्त 2006
26	विष्णु प्रयाग	4	जलीय	प्राइवेट	उत्तरांचल	जेपीपीवीएल	100	अक्तुबर 2006
			<b>dñh;</b>	<b>jkT;</b>	<b>i kboV</b>	<b>t kM+</b>		
	<b>t yh;</b>		1390	430	400	2220		
	<b>rki h;</b>		210	1165	0	1375		
	<b>i jek.koh;</b>		0	0	0	0		
	<b>t kM/M- {ks½</b>		<b>1600</b>	<b>1595</b>	<b>400</b>	<b>3595</b>		

	if'pe {ks-							
1	तारापुर एपीपी	3	परमाणवीय	केन्द्रीय	महाराष्ट्र	एनपीसीआईएल	540	जनवरी 2007
2	विन्ध्याचल टीपीएसस-III	9	तापीय	केन्द्रीय	म० प्र०	एनटीपीसी	500	जुलाई 2006
3	विन्ध्याचल टीपीएसस-III	10	तापीय	केन्द्रीय	म० प्र०	एनटीपीसी	500	मार्च 2007
4	सिपत एसटीपीएस-II	4	तापीय	केन्द्रीय	छत्तीसगढ़	एनटीपीसी	500	पफरवरी 2007
5	सिपत एसटीपीएस-II	5	तापीय	केन्द्रीय	छत्तीसगढ़	एनटीपीसी	500	मई 2007
6	कोरबा इस्ट टीपीपी एसटी-V	1	तापीय	राज्य	छत्तीसगढ़	सीएसईवी	250	सितंबर 2006
7	कोरबा इस्ट टीपीपी एसटी-V	2	तापीय	राज्य	छत्तीसगढ़	सीएसईवी	250	जनवरी 2007
8	धूवरन सीसीपीपी एक्स.	एसटी	तापीय	राज्य	गुजरात	जीएसईसीएल	40	जून 2006
9	कच्छ लिगनित एक्स.	4	तापीय	राज्य	गुजरात	जीएसईसीएल	75	पफरवरी 2007
10	निव पारली टीपीएस	1	तापीय	राज्य	महाराष्ट्र	एमपीपीजीसीएल	250	सितंबर 2006
11	पारस टीपीएस एक्स.	1	तापीय	राज्य	महाराष्ट्र	एमपीपीजीसीएल	250	अक्टुबर 2006
12	बीसिंगपुर टीपीएस एक्स.	5	तापीय	राज्य	म० प्र०	एमपीपीजीसीएल	500	सितंबर 2006
13	अमरकांतक टीपीएस	5	तापीय	राज्य	म० प्र०	एमपीपीजीसीएल	210	जून 2007
14	सरदार सरोवर आरबीपीएच	6	जलीय	राज्य	गुजरात	एसएसएनएनएल	200	मई 2006
15	मधीखेड़ा	1	जलीय	राज्य	म० प्र०	एमपीपीजीसीएल	20	जुलाई 2006
16	मधीखेड़ा	2	जलीय	राज्य	म० प्र०	एमपीपीजीसीएल	20	अगस्त 2006
17	घाटघर पीएसएस	2	जलीय	राज्य	महाराष्ट्र	जीओएमआईड	125	जनवरी 2006
18	बनसागर टंस पीएच IV	1	जलीय	राज्य	म० प्र०	एमपीपीजीसीएल	10	जुलाई 2006
19	बनसागर टंस पीएच IV	2	जलीय	राज्य	म० प्र०	एमपीपीजीसीएल	10	अगस्त 2006
20	घाटघर पीएसएस	1	जलीय	राज्य	महाराष्ट्र	जीओएमआईड	125	मार्च 2007
21	ओपी जिंदल टीपीपी I	1	तापीय	प्राइवेट	छत्तीसगढ़	जिंदलपावर	250	मार्च 2007
22	सुजन सीसीपीपी ब्लाक I	बी-1	तापीय	प्राइवेट	गुजरात	गुजरात	365	मार्च 2007
23	दामोल सीसीपीपी II जीटीएस+एसटीएस		तापीय	प्राइवेट	महाराष्ट्र	दामोल पावर	1444	जनवरी 2007
			<b>dthh;</b>	<b>jkT;</b>	<b>i kboV</b>	<b>t kM+</b>		
	<b>tyh;</b>	0	510	0	510			
	<b>rki h;</b>	2000	1825	2059	5884			
	<b>i jek.koh;</b>	540	0	0	540			
	<b>t kM+ ¼n-(ks½</b>	<b>2540</b>	<b>2335</b>	<b>2059</b>	<b>6934</b>			

संलग्नक - 10.2.5 यथार्थ --

Øe l a	ifj; kstuk dk uke	; fuV	ixkj	{ks-d	jkt;	dk; kjo; u , tñl ; ka	; fuV {kerk ¼ e MCY; ½	l kkkfor l keku; Ldhe
<b>nf{k.kh {ks-</b>								
1	कैगा एपीपी	3	परमाणवीय	केन्द्रीय	कर्नाटक	एनपीसीआईएल	220	मार्च 2007
2	रयालसीमा टीपीएस चरण	3	तापीय	राज्य	आंध्र प्रदेश	एपीजीईएनसीओ	210	जुलाई 2006
3	रयालसीमा टीपीएस चरण	4	तापीय	राज्य	आंध्र प्रदेश	एपीजीईएनसीओ	210	अक्टूबर 2006
4	बेल्लारी टीपीपी	1	तापीय	राज्य	कर्नाटक	केपीसीएल	500	दिसंबर 2006
5	भवानी कटालिया	1	जलीय	राज्य	तमिलनाडु	टीएनईबी	15	जून, 2006
6	भवानी कटालिया	2	जलीय	राज्य	तमिलनाडु	टीएनईबी	15	जुलाई 2006
7	प्रदर्शनी जुराला	1	जलीय	राज्य	आंध्र प्रदेश	एपीजीईएनसीओ	39	मार्च 2007
8	कुट्टयादी एडिशनल	1	जलीय	राज्य	केरल	केएसईबी	50	फरवरी 2007
9	कुट्टयादी एडिशनल	2	जलीय	राज्य	केरल	केएसईबी	50	मार्च 2007
10	गौतमी सीसीपीपी	जीटी-1	तापीय	प्राइवेट	आंध्र प्रदेश	गौतमी पावर	145	जुलाई 2006
11	गौतमी सीसीपीपी	जीटी-2	तापीय	प्राइवेट	आंध्र प्रदेश	गौतमी पावर	145	जुलाई 2006
12	गौतमी सीसीपीपी	एसटी-1	तापीय	प्राइवेट	आंध्र प्रदेश	गौतमी पावर	174	सितम्बर, 2006
13	कोनसीमा सीसीपीपी	जीटी-1	तापीय	प्राइवेट	आंध्र प्रदेश	कोनसीमा ईपी	140	अप्रैल, 2006
14	कोनसीमा सीसीपीपी	जीटी-2	तापीय	प्राइवेट	आंध्र प्रदेश	कोनसीमा ईपी	140	अप्रैल, 2006
15	कोनसीमा सीसीपीपी	एसटी	तापीय	प्राइवेट	आंध्र प्रदेश	कोनसीमा ईपी	165	अगस्त 2006
16	वेमागिरी सीसीपीपी	एसटी	तापीय	प्राइवेट	आंध्र प्रदेश	वेमागिरी पावर	137	अप्रैल, 2006
17	वलनथारवी जीटीपी	एसटी	तापीय	प्राइवेट	तमिलनाडु	आर के पावर	14.8	15.4.2006
			<b>dñh;</b>	<b>jkt;</b>	<b>ikboV</b>	<b>tKM+</b>		
			<b>tyh;</b>	0.0	169.0	0.0	169.0	
			<b>rki h;</b>	0.0	920.0	1060.8	1980.8	
			<b>ijek.ko</b>	220.0	0.0	0.0	220.0	
			<b>tKM+ ½nf{k.k {ks-½</b>	<b>220-0</b>	<b>1089-0</b>	<b>1060-8</b>	<b>2369-8</b>	
<b>i whz {ks-</b>								
1	कहलगांव एसटीपीएस-2	5	तापीय	केन्द्रीय	बिहार	एनटीपीसी	500	नवम्बर, 2006
2	कहलगांव एसटीपीएस-2	6	तापीय	केन्द्रीय	बिहार	एनटीपीसी	500	मार्च 2007
3	कहलगांव एसटीपीएस-2	7	तापीय	केन्द्रीय	बिहार	एनटीपीसी	500	मार्च 2007
4	मेजिया टीपीएस	5	तापीय	केन्द्रीय	पश्चिम बंगाल	एनटीपीसी	250	नवम्बर, 2006
5	मेजिया टीपीएस	6	तापीय	केन्द्रीय	पश्चिम बंगाल	एनटीपीसी	250	मार्च 2007
6	चन्द्रपुरा टीपीएस	7	तापीय	केन्द्रीय	झारखण्ड	डीवीसी	250	जून, 2007
7	चन्द्रपुरा टीपीएस	8	तापीय	केन्द्रीय	झारखण्ड	डीवीसी	250	अगस्त, 2007
8	संतालडीह टीपीएस	1	तापीय	राज्य	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडी	250	जनवरी, 2007
9	सागरडिगही टीपीपी	1	तापीय	राज्य	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडी	300	जनवरी, 2007
10	सागरडिगही टीपीपी	2	तापीय	राज्य	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडी	300	मार्च 2007
11	दुर्गापुर टीपीएस विस्त	7	तापीय	राज्य	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर परियोजना	300	जनवरी, 2007

बुनियादी सुविधाएं

12	बकरेश्वर टीपीएस-2	4	तापीय	राज्य	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडी	210	मार्च 2007
13	पुरलिया पीएसएस	1	जलीय	राज्य	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईबी	225	फरवरी, 2007
14	बलीमेला विस्तार	1	जलीय	राज्य	उड़ीसा	ओएचपीसी	75	फरवरी, 2007
15	बलीमेला विस्तार	2	जलीय	राज्य	उड़ीसा	ओएचपीसी	75	मार्च 2007
			<b>dlnh;</b>	<b>jkT;</b>	<b>ikboV</b>	<b>tkM+</b>		
			<b>tyh;</b>	0	375	0	375	
			<b>rki h;</b>	2500	1360	0	3860	
			<b>ijek.ko</b>	0	0	0	0	
			<b>tkM+ ¼ whz {ks=½</b>	<b>2500</b>	<b>1735</b>	<b>0</b>	<b>4235</b>	
<b>mRrj i whz {ks=</b>								
1	तीस्ता - 5	1	जलीय	केन्द्रीय	सिक्किम	एनएचपीसी	170	फरवरी 2007
2	तीस्ता - 5	2	जलीय	केन्द्रीय	सिक्किम	एनएचपीसी	170	मार्च 2007
3	तीस्ता - 5	3	जलीय	केन्द्रीय	सिक्किम	एनएचपीसी	170	मार्च 2007
4	दीमापुर डीजीपीपी	डीजी	तापीय	राज्य	नागालैण्ड	विद्युत विभाग	22.92	अनिश्चित
5	कर्बी लॉगपी	1	जलीय	राज्य	असम	एएसईबी	50	दिसम्बर, 2006
6	कर्बी लॉगपी	2	जलीय	राज्य	असम	एएसईबी	50	फरवरी 2007
			<b>dlnh;</b>	<b>jkT;</b>	<b>ikboV</b>	<b>tkM+</b>		
			<b>tyh;</b>	510	100	0	610	
			<b>rki h;</b>	0	22.92	0	22.92	
			<b>ijek.koh;</b>	0	0	0	0	
			<b>tkM+ ¼ whz {ks=½</b>	<b>510</b>	<b>122.92</b>	<b>0</b>	<b>632.92</b>	
			<b>vf[ky Hkkjr</b>	<b>dlnh;</b>	<b>jkT;</b>	<b>ikboV</b>	<b>tkM+</b>	
			<b>tyh;</b>	1900.00	1584.00	400.00	3884.00	
			<b>rki h;</b>	4710.00	5292.92	3119.80	13122.72	
			<b>ijek.koh;</b>	760.00	0.00	0.00	760.00	
			<b>tkM+ ¼ vf[ky Hkkjr {ks=½</b>	<b>7370.00</b>	<b>6876.92</b>	<b>3519.80</b>	<b>17766.72</b>	

ifj0; ;@ 0; ; &fo|r {k=d

(करोड़ रु0)

Ø- l a	jkt; @	2000-01 okLrfod	2001-02 okLrfod	2002-03 okLrfod	2003-04 vuelkfnr	2003-04 okLrfod	2004-05 vuelkfnr	2004-05 okLrfod	2005-06 vuelkfnr	2005-06 %k/ j b% vuelkfnr	2006-07 vuelkfnr
1	आंध्र प्रदेश	3034.79	2639.08	2167.96	2175.55	2966.34	2125.86	2094.92	515.51	120.76	224.69
2	अरुणाचल प्रदेश	80.69	73.99	72.77	114.52	84.81	155.30	119.65	80.73	118.39	97.52
3	असम	82.98	116.23	82.77	191.42	73.09	290.48	290.48	586.29	586.29	
4	बिहार	64.81	67.30	131.68	493.68	498.28	667.88	322.84	476.54	567.74	739.61
5	छत्तीसगढ़	3.23	8.52	13.75	30.81	43.81	157.17	104.65	100.00	277.18	112.90
6	गोवा	27.75	30.83	58.53	71.82	59.84	98.99	98.05	111.52	111.52	115.00
7	गुजरात	745.66	942.31	571.39	762.24	1108.18	635.45	635.45	830.49	830.49	1011.70
8	हरियाणा	356.46	35.85	202.97	280.00	221.61	470.00	264.42	445.00	345.00	445.00
9	हिमाचल प्रदेश	260.92	256.27	363.79	155.70	169.90	57.50	67.91	115.83	115.83	77.01
10	जम्मू और कश्मीर	320.81	326.31	437.75	611.29	546.16	719.89	695.85	1153.41	1153.41	971.78
11	झारखंड		138.80	142.32	204.50	43.10	380.63	304.34	401.37	399.46	1059.00
12	कर्नाटक	924.94	766.00	860.06	1094.94	1273.75	2711.89	1623.44	1849.73	1353.59	2433.04
13	केरल	624.28	459.97	728.92	619.00	328.90	693.00	453.01	750.00	635.62	900.39
14	मध्यप्रदेश	508.28	284.21	1481.80	814.75	1145.03	916.92	1095.04	1322.97	1258.24	1164.29
15	महाराष्ट्र	1170.06	460.47	2746.68	413.48	1334.94	382.43	759.81	711.63	711.63	1399.99
16	मनिपुर	33.70	0.00	10.43	71.00	9.62	61.20	26.07	57.90	78.67	73.89
17	मेघालय	46.51	82.62	55.81	118.08	78.51	157.11	94.39	213.00	150.84	227.00
18	मिजोरम	48.72	41.43	38.98	45.40	56.41	57.86	55.60	61.26	90.55	72.00
19	नागालैंड	10.85	41.98	24.31	46.60	41.59	65.48	31.49	63.45	72.02	67.31
20	उड़ीसा	360.69	347.34	322.16	671.21	429.26	502.25	269.26	795.71	342.09	501.79
21	पंजाब	711.72	507.61	532.78	576.00	528.76	783.92	843.33	955.75	955.75	919.26
22	राजस्थान	1016.57	1151.19	1220.07	1186.00	2102.88	1816.18	1982.75	1905.76	2219.18	1991.00
23	सिक्किम	30.75	33.89	37.49	39.50	39.57	90.75	89.13	36.40	24.04	32.04
24	तमिल नाडु	1221.92	1286.48	1197.78	1294.81	1002.61	1255.53	1261.27	1362.36	1304.64	
25	त्रिपुरा	18.32	20.97	29.63	53.87	31.65	43.69	21.32	52.34	42.26	90.00
26	उत्तर प्रदेश	848.13	862.67	925.81	965.83	1037.97	835.78	859.38	710.09	950.00	1608.06
27	उत्तरांचल	46.72	56.00	210.21	310.67	118.74	253.84	285.38	327.77	408.41	436.74
28	पं. बंगाल	1791.92	917.42	754.92	1222.74	652.02	1567.48	1560.20	2078.55	1774.51	2118.23
	उप-जोड़ (राज्य)	<b>14392.18</b>	<b>11955.74</b>	<b>15423.52</b>	<b>14635.41</b>	<b>16027.33</b>	<b>17954.46</b>	<b>16309.43</b>	<b>18071.36</b>	<b>16998.11</b>	<b>18889.24</b>
1	अं. एवं निकोबार द्वीप समूह	33.59	24.63	20.78	25.00	23.03	29.10	27.90	25.00	25.00	75.00
2	चण्डीगढ़	12.32	10.99	16.52	19.60	19.60	19.95	19.95	28.64	28.64	
3	दादर एवं नगर हवेली	12.91	14.85	18.85	12.81	12.79	9.36	9.36	9.42	9.42	10.42
4	दमन एवं द्विव	12.30	14.23	19.30	12.71	13.00	10.44	10.46	12.98	12.98	13.25
5	दिल्ली	847.83	1504.41	1575.86	1462.25	1705.99	932.50	624.76	486.54	290.04	216.04
6	लक्षद्वीप	2.27	2.73	2.78	2.00	8.50	2.09	2.55	8.21	8.21	28.00
7	पांडीचेरी	20.86	27.61	24.97	27.00	26.65	28.00	30.87	34.00	33.64	36.00
	उप-जोड़ (सं. राज्य क्षेत्र)	<b>942.08</b>	<b>1599.45</b>	<b>1679.06</b>	<b>1561.37</b>	<b>1809.56</b>	<b>1031.44</b>	<b>725.85</b>	<b>604.79</b>	<b>407.93</b>	<b>378.71</b>
	जोड़ (राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र)	<b>15334.26</b>	<b>13555.19</b>	<b>17102.58</b>	<b>16196.78</b>	<b>17836.89</b>	<b>18985.90</b>	<b>17035.28</b>	<b>18676.15</b>	<b>17406.04</b>	<b>19267.95</b>

Ø- l a	jkt; @	2000-01 okLrfod	2001-02 okLrfod	2002-03 okLrfod	2003-04 vupkfnr	2003-04 okLrfod	2004-05 vupkfnr	2004-05 okLrfod	2005-06 vupkfnr	2005-06 %kj b%	2006-07 vupkfnr
1	एनटीपीसी	1921.10	2903.94	2945.26	4501.00	4549.85	4755.00	5297.05	8550.00	7187.92	11325.00
2	एनएचपीसी	1176.86	1846.12	1830.74	3269.72	2087.11	2849.86	2424.34	3791.96	2040.54	3183.64
3	पावरग्रीड	1576.47	2451.00	2561.20	2670.00	2301.08	3738.00	3216.18	4787.63	4110.93	4849.00
4	डीवीसी	64.12	110.48	146.02	1450.00	316.51	999.70	626.46	2373.51	667.63	2302.69
5	टीएचडीसी	476.92	498.00	339.68	924.29	560.05	1248.76	436.22	656.29	823.18	788.17
6	एसजेवीएन (एनजेपीसी)	681.15	1100.13	10.06	758.05	504.00	592.00	84.65	407.70	45.72	290.51
7	एनईडपीसीओ	80.13	183.05	71.77	414.49	61.17	482.00	166.53	996.79	202.48	1181.13
8	पीएफसी	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	आरईसी	91.83	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	आरजीजीवीवाई									1100.00	3000.00
11	एमओपी (इत्यादी)	484.86	795.73	744.49	680.06	361.03	965.00	696.14	350.02	357.60	703.56
	उप-जोड़ (एमओपी)	<b>6553.91</b>	<b>9925.45</b>	<b>8649.22</b>	<b>14667.61</b>	<b>10740.80</b>	<b>15630.32</b>	<b>12947.57</b>	<b>21913.90</b>	<b>16536.00</b>	<b>27623.70</b>
	डीई (पावर)	1139.38	1406.50	2168.50	3170.00	3508.96	4168.62	4006.94	5139.96	3927.95	3897.10
	एनएलसी (पावर)	469.49	292.85	175.70	278.45	77.24	243.07	85.45	365.56	270.44	531.00
	जोड़ (केन्द्रीय क्षेत्रक)	<b>8162.78</b>	<b>11624.80</b>	<b>10993.42</b>	<b>18116.06</b>	<b>14327.00</b>	<b>20042.01</b>	<b>17039.96</b>	<b>27419.42</b>	<b>20734.39</b>	<b>32051.80</b>
	अखिल भारत	<b>23497.04</b>	<b>25179.99</b>	<b>28096.00</b>	<b>34312.84</b>	<b>32163.89</b>	<b>39027.91</b>	<b>34075.24</b>	<b>46095.57</b>	<b>38140.43</b>	<b>51319.75</b>

v{k; Åtkz {kerk ,oa mi yfC/k; ka  
fofHku dk; Dæ

1-3-2006 rd½

dZl a	l kr @ izkkyh	vupkfur {kerk	mi yfC/k; ka
d-	रिनूएबल्स से विद्युत		
1	सौर पफोटोवोल्टाइक पावर	—	2.74 मेगावाट
2	पवन उफर्जा	45,000 मेगावाट	5340.60 मेगावाट
3	लघु हाइड्रो पावर (25 मेगावाट)	15,000 मेगावाट	1826.43मेगावाट
4	बायोमास / क्षमता	19,500 मेगावाट	912.53 मेगावाट
5	बायोमास गैसीफायर	मास गैसीफायर सहित	69.87 मेगावाट
6	उत्सर्जन से उफर्जा प्राप्त करना	1,700 मेगावाट	45.78 मेगावाट
	रिनूएबल्स से विद्युत (कुल)	81,200 मेगावाट	8197.95 मेगावाट
[k-	दूरदराज के गांवों का विद्युतीकरण	—	/ 594 गांव / हेमलेट्स
x-	विकेन्द्रीत ऊर्जा प्रणालियां		
7	पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र	120 लाख	37.10 लाख
8	सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी संयंत्र	—	3950 संख्या
9	परिष्कृत चूल्हे	12 करोड़	3.52 करोड़
10	सौर पफोटोवाल्टाइक प्रणालियां	मेगावाट प्रति वर्ग कि.मी	
(i)	सौर स्ट्रीट रोशनी प्रणालियां	—	54795 संख्या
(ii)	गृह रोशनी प्रणालियां	—	342,607 संख्या
(iii)	सौर लालटेन	—	5,60,295 संख्या
(iv)	सौर पावर संयंत्र	—	930.70 कि.वा. पीक
11	सौर थर्मल कार्यक्रम (सौर थर्मल कार्यक्रम)	0 मिलियन स्केयर मी.	वेयर मी. समाहरण क्षेत्रा
(i)	सौर जल हीटिंग प्रणाली (समाहरण क्षेत्र)	—	5.75 लाख संख्या
(ii)	सौर कूकर	—	81 संख्या
(i)	आदित्य सौर दुकाने	—	वर्ग मीटर समाहरण क्षेत्रा
12	विंड पम्प	—	1015 संख्या
13	ऐरो जेनरेटर/हाई ब्रिड प्रणालियां	—	385.70 कि.वाट
14	सौर फोटोवोल्टाइक पम्प	—	6,818 संख्या
?k-	अन्य कार्यक्रम		
15	बैट्री प्रचालित वाहन	—	287 संख्या
16	ऊर्जा पार्क	—	357 संख्या
17	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	—	257 संख्या

स्रोत: एमएनईएस

Abbreviation	Full form
Sq.km	Square kilometer
Sq.m	Square meter
MW	Mega Watt
KW	Kilo Watt
KWp	Kilo Watt peak

2004-05, 2005-06 vs 2006-07 ea dk; Øeka dh foùkh; ixfr

Ø- I a	dk; Øe@Ldhe dk uke	ctV vuøku	2004-05 I d k/k/ vuøku	okLrfod 0; ;	ctV	2005-06 I d k/k/ vuøku	okLrfod 0; ;	2006-07 ctV
1	पवन विद्युत	12.35	8.00	7.69	5.00	2.00	1.68	4.00
2	लघु हाइड्रो पावन	36.00	33.00	36.11	30.00	21.00	21.00	38.00
3	बायोमास पावर/कोजनरेशन	14.54	12.54	6.22	16.00	5.50	5.50	43.00
4	बायोमास गैसीफिकेशन	12.00	6.00	4.71	10.00	4.75	4.61	8.00
5	सौर विद्युत	3.00	5.00	1.50	0.00	0.01	0.00	1.00
	सौर थर्मल पावर							
	सौर फोटोवोलटाइक							
6	युएंड आई वेस्ट से ऊर्जा	15.00	10.00	4.44	15.00	5.50	3.96	25.00
7	ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम	200.00	80.00	27.74	155.00	55.40	40.66	150.00
8	बायोगैस संयंत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ ऊर्जा सेवा पर राष्ट्र परियोजना	41.15	41.15	22.15	15.00	27.00	26.99	41.00
9	एसपीवी प्रदर्शन और उपयोगिता कार्यक्रम	23.00	46.00	12.12	25.00	20.00	23.55	34.00
	एसपीवी गृह विद्युतीकरण प्रणाली							
	एसपीवी लैंटरन							
	एसपीवी जेनरेटर							
	पावर प्लांटस							
10	एसपीवी जलपम्पस	12.50	12.00	7.53	5.00	7.00	6.87	5.00
11	उद्योग को एसपीवी सहायता ब्याज में छूट, विनिर्माण पर ब्याज रियायत							
12	एसपीवी अनुसंधान एवं विकास	2.00	1.00	0.31	5.00	0.50	0.26	0.50
13	लघु पवन ऊर्जा प्रणाली	2.00	2.00	1.79	2.00	2.00	2.90	3.00
	हाईबीड प्रणालियां							
14	सौर थर्मल कार्यक्रम	14.00	12.00	6.91	50.00	25.00	24.89	46.25
	सौर जल हिटींग्स प्रणाली							
	सौर वायु हिटींग प्रणाली							
	सौर कूकर्स प्रणालियां							
	स्टीम कुकींग प्रणालियां							
	आदित्य सौर दुकानें							
15	नई प्रौद्योगिकी	15.00	10.00	3.27	20.10	3.01	1.98	33.00
16	अनुसंधान एवं विकास				13.00	6.70	6.38	7.50
17	ग्रामीण ऊर्जा उद्यमशीलता/संस्थागत विकास	0.05	0.03	0.03	0.05	0.01	0.00	0.05
18	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	0.66	0.66	0.54	2.00	1.50	0.67	2.00

Ø- I a	dk; Øe@Ldhe dk uke	ctV vuęku	2004-05 I d kř/kr vuęku	okLrfod 0; ;	ctV	2005-06 I d kř/kr vuęku	okLrfod 0; ;	2006-07 ctV
	परियोजना तैयारी सहायता							
19	टाईफैक	1.00	1.00	0.46	1.00	0.85	0.66	1.00
20	मार्केट विकास और निर्यात बढ़ावा	0.05	0.02	0.01	0.05	0.01	0.01	0.05
21	एचआरडी एवं प्रशिक्षण	1.50	1.50	1.50	2.00	1.37	1.15	1.50
22	क्षेत्रीय कार्यालय	2.15	2.15	1.87	2.25	2.25	1.62	2.50
23	राज्य नोडल एजेंसी	1.00	1.00	0.86	0.25	0.30	0.12	1.50
24	वाणिज्य प्रौद्योगिकी	0.05	0.01	0.00	0.50	0.01	0.00	0.05
25	महिला एवं नवीकरण ऊर्जा	0.03	0.03	0.01	5.00	0.01	0.00	0.10
26	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	8.99	13.00	8.59	0.00	4.00	3.63	18.00
27	सूचना एवं प्रचार	5.00	6.00	2.78	35.00	20.00	18.89	20.00
28	विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम	5.00	4.15	1.08	25.00	4.50	4.50	12.00
29	सेमीनार सिम्पोजियम	0.30	0.50	0.35	0.80	0.60	0.16	0.85
30	सौर ऊर्जा केन्द्र	2.45	1.40	0.19	3.00	7.50	0.53	10.00
31	एनआईआरई	6.00	6.00	0.00	6.00	1.00	0.00	6.00
32	पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए केन्द्र	8.00	6.00	6.00	8.00	4.00	4.00	7.00
33	इरैडा इक्विटी	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	24.65	50.00
34	उन्नत चुल्हा	0.25	0.25	0.00	0.50	0.01	0.00	0.05
35	सीबीपी/आईबीपी	0.22	1.00	0.21	0.50	0.70	0.44	0.10
	पशु ऊर्जा कार्यक्रम							
36	पूर्वात्तर कार्यक्रम	60.00	35.00	35.00				
37	योजना सचिवालय	4.76	4.76	4.56	6.00	6.00	4.84	8.00
	कुल (डीबीएस)	500.00	378.15	221.53	574.00	324.99	272.10	580.00
38	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी)							
	आईडीए - II	46.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	15.00
	यूएनडीपी से संबंधित	2.00	2.00	0.66	5.00	5.00	5.00	4.00
	मथानिया परियोजना के लिए जीईएफ अनुदान	52.00	0.00	0.00	1.00	0.01	1.00	
	आईडीए - II							
	एसडीसी अनुदान							
	डच							
	कुल (डीबीएस)	600.00	400.15	232.19	600.00	350.00	297.10	600.00
	आईईबीआर	487.45	399.95	399.95	265.44	265.44	696.82	
39	कुल परिव्यय	1087.45	800.10	632.14	865.44	615.44	993.92	600.00

100ha ; kst;uk ds y{;] much ; kst;uk okj mi yf{k; ka ; k 2002-03 l s2006-07 (30.06.2006) ds njsjku dk; Dø

Ø. la	Ldhe@ifj; kst;uk@dk; Dø	bdlkz; ka	10th plan	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	30.06.2006 rd		dy l fpr
									100ha ; kst;uk dh mi yf{k; ka	forfjr	
	<b>fj; ucy l s fo   r</b>										
1	पवन विद्युत	मे.वा.	1500	241.30	615.25	1111.55	1716.20	140.30	3824.60	5521.2	30.06.006
2	लघु हाइड्रो (25 मे.वा. तक)	मे.वा.	600	80.68	84.04	102.31	120.80	10.75	398.58	1836.29	
3	बायोमास पावर/कोजेनरेशन	मे.वा.	700	102.63	129.50	136.10	163.00	93.00	624.23	1005.23	7.5
4	बायोमास गैसीफायर	मे.वा.	50	2.07	4.85	8.25	9.52	0.08	1.00	23.77	74.85
5	एसपीवी पावर	मे.वा.	145	0.50	0.05	0.18	0.000	0.00	0.73	2.74	
6	ऊर्जा कार्यक्रम के उत्सर्जन	मे.वा.	80	3.75	22.10	4.15	1.75	0.00	27.50	34.95	10.83
	<b>dy</b>	मे.वा.	<b>3075</b>	<b>430.93</b>	<b>855.79</b>	<b>1362.54</b>	<b>2011.27</b>	<b>244.13</b>		<b>8401.41</b>	<b>94.38</b>
7	ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम		5000	520	613	381	935	0.00	2449		2831
8	बायोगैस संयंत्र	लाख में	10	1.53	1.41	1.09	0.61	0.07	4.71		38.34
9	सौलार फोटोवोल्टाईक प्रोग्राम (एसपीवी)										
	एसपीवी होगा लाइट	स.	250000	28430	11870	34844	0.000	0.00	75144		280863
	एसपीवी लैनर्टन	स.	600000	13797	0	21577	15000	0.00	50374		463058
	एसपीवी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली	स.		1780	620	2693	0	0.00	5093		54659
	एसपीवी पावर संयंत्र	केडब्ल्यू पी	4000	154	0	79.7	0	0.00	234		1859.80 केडब्ल्यू पी
10	एसपीवी पम्पस	सं.	8000	1073	841	366	222	0.00	2502		7015
11	सौर थर्मल ऊर्जा कार्यक्रम								0		
	सौर जल हिटींग प्रणाली	कलेक्टर एरिया	505000	45000	0	150,000	0	0.00	195000		1.5 million
	सौर कूकर	सं.	205200	10000	5000	20,000	18721	0.00	53721		6.00 लाख
12	पवन पम्पस	सं.	800	95	80	47	96	26	344		1137
13	हाईब्रीड प्रणालियां	केडब्ल्यू पी	800	97.76	122.60	40	99	10	369.40		494.68 kW

2005-06 ds nkjku , u, ub, l ds rgr 2005&2006 ds ds fy, l h, l , l dks tkjh fuf/k dk dñh; 'ks j

de	jkT; @ l-l k-{k-	ck; kxJ	, l , pi h	, l i hoh	vkb/kj bñ h	; kx
1	आंध्र प्रदेश	4.321	3.51	0.413	0.341	8.585
2	अरुणाचल प्रदेश	0.327	3.60	0.16	0.127	4.214
3	असम	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000
4	बिहार	0.000	0.406	0.00	0.000	0.406
5	छत्तीसगढ़	1.245	0.600	0.00	0.000	1.845
6	गोवा	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000
7	गुजरात	1.983	0.000	0.00	0.000	1.983
8	हरियाणा	0.117	0.000	0.79	0.122	1.029
9	हिमाचल प्रदेश	0.059	0.889	0.00	0.000	0.948
10	जम्मू एवं काश्मीर	0.000	10.075	0.00	0.000	10.075
11	झारखण्ड	0.000	0.052	0.06	0.000	0.112
12	कर्नाटक	0.000	0.020	1.82	0.200	2.040
13	केरल	0.170	0.425	0.75	0.000	1.345
14	मध्य प्रदेश	3.663	0.337	0.00	0.000	4.000
15	महाराष्ट्र	2.640	1.048	0.21	0.000	3.898
16	मनिपुर	0.183	0.000	0.00	0.000	0.183
17	मेघालय	0.156	1.082	1.55	0.042	2.830
18	मिजोरम	0.063	12.541	1.07	0.163	13.837
19	नागालैंड	0.063	0.854	0.00	0.000	0.917
20	उड़ीसा	2.246	0.000	0.02	0.000	2.266
21	पंजाब	0.178	1.476	0.00	0.000	1.654
22	राजस्थान	0.000	0.000	2.46	0.000	2.460
23	सिक्किम	0.257	2.700	0.00	0.000	2.957
24	तमिलनाडु	0.363	0.000	0.00	0.725	1.088
25	त्रिपुरा	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000
26	उत्तर प्रदेश	0.400	0.000	1.67	1.913	3.983
27	उत्तरांचल	0.251	6.550	1.78	0.000	8.581
28	पं. बंगाल	3.193	0.918	2.70	0.000	6.811
29	अं. एवं निकोबार	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000
30	चण्डीगढ़	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000
31	दादर एवं नगर हवेली	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000
32	दमन और दीव	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000
33	दिल्ली	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000
34	लक्षद्वीप	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000
35	पांडीचेरी	0.000	0.000	0.05	0.000	0.050
36	अन्य	7.072	0.000	0.00	0.000	88.098
	<b>dy</b>	<b>28.9500</b>	<b>47.08</b>	<b>15.50</b>	<b>3.633</b>	<b>95.1630</b>

## 10.3 परिवहन

### 10.3.1 रेलवे

10.3.1.1 रेलवे, भारत में बड़ी मात्रा में माल और लम्बी दूरी के यात्रियों के यातायात के लिए परिवहन का एक मुख्य साधन है। विगत वर्षों में भारतीय रेल, क्षमता की कमी और प्रौद्योगिकीय अप्रचलन से ग्रस्त है जो रेल प्रणाली के विकास में एक गम्भीर बाध्यता है। दसवीं योजना में रेलवे प्रणाली के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन के जरिए क्षमता को बढ़ाने, सेवा गुणवत्ता में सुधार करने, कुल यातायात में रेल माल यातायात के हिस्से में सुधार करने हेतु प्रशुल्क के युक्तिकरण करने के जरिए क्षमता बढ़ाने और रेल सेवाओं की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुधारने पर बल दिया गया है।

10.3.1.2 हाल ही में रेलवे ने एक प्रभावशाली करवट ली है। पिछले वर्ष उन्होंने माल भाड़े में डबल डिजिट विकास दर्ज कराया है। यात्री भाड़े में भी पहले की अपेक्षा काफी (तीन गुना अधिक) विकास किया है। एकाएक प्रभावशाली प्रगति का कारण रहा कि वैगन टर्न राउंड समय में महत्वपूर्ण समय कटौती की गई और चुनिंदा रूट्स और वस्तुओं पर प्रति वैगन 4 से 8 टन अतिरिक्त लोड घटाया गया। परिणाम स्वरूप, प्रति कि.मी. परिवहन लागत की दर 58 पैसे से घट कर 52 पैसे हो गई।

10.3.1.3 इस विकास को जारी रखने के लिए सभी रेल परिवहन के वस्तु आधारों को विशाल बनाया जा रहा है, सेवा में सुधार लाया जा रहा है, परिवहन की आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रति कि.मी. यूनिट लागत को और कम किया जा रहा है तथा विवेकशील निवेश के द्वारा क्षमता बढ़ाई जा रही है, नॉन-कोर गतिविधियों की साइफनिंग बंद की जा रही है।

#### वार्षिक योजना 2005-06 की समीक्षा

10.3.1.4 वार्षिक योजना 2005-06 (बीई) रूपये 15349 करोड़ का कुल परिव्यय रखा गया, जिस में आन्तरिक स्रोत सृजन के लिए 4718 करोड़ रखे गए, मार्किट उधार के लिए 3400 करोड़ रूपये, तथा सामान्य एक्सचेंजर पूंजी

7231 करोड़ रखी गई। वार्षिक योजना 2005-06 के वास्तविक योजना व्यय अनुमान बढ़ाकर ₹ 18318 करोड़ कर दिए गए, जिस में आंतरिक स्रोत सृजन के लिए 7032 करोड़ रूपए, मार्किट उधार के लिए 3213 करोड़ रूपए तथा सकल बजटरी सहायता हेतु 8073 करोड़ रूपये रखे गए। जहाँ तक भौतिक आंकड़ों की बात है, 2005-06 के दौरान मूल किराए भाड़े के रूप में राजस्व कमाई के लिए 668 मिलियन टन का संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया गया, जब कि 2004-05 के दौरान मूल परिवहन भाड़े के लिए राजस्व कमाई के रूप में 602.1 मिलियन टन माल की ढलाई की गई। 2005-06 में 635 मिलियन टन (बजट अनु०) का लक्ष्य मूलतः निर्धारित किया गया था। यात्री परिवहन के मामले में 5815 मिलियन यात्रियों के परिवहन के 5818 मिलियन लक्ष्य 2005-06 में रखा गया, जबकि 2004-05 के दौरान 5476 (ब० अनु०) मिलियन यात्रियों ने यात्रा की थी। 2005-06 के दौरान मूल लक्ष्य 5707 मिलियन यात्रियों का रखा गया था। रेलवे द्वारा कुछ वर्षों से ले जाए गए भाड़े/ यात्रियों की प्रगति के ब्यौरे परिशिष्ट 10.3.1.2 तथा 10.3.1.3 पर दिए गए हैं।

10.3.1.5 2005-06 के बड़े कार्यक्रमों में शामिल थे - रौलिंग स्टॉक का अधिग्रहण, रेलवे लाइनों (ट्रैकों) का नवीनीकरण, लाइन(गेज) परिवर्तन, रेलवे विद्युतीकरण, और नई रेल लाइनों का निर्माण (संलग्नक 10.3.1.4) भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

	लक्ष्य	उपलब्धियां
नई लाइनों का निर्माण (रूट कि.मी.)	219	1180
गेज परिवर्तन (रूट किलोमीटर)	935	744
डबलिंग (रूट किलोमीटर)	381	282
विद्युतीकरण (रूट किलोमीटर)	350	170
लाइनों का (ट्रैक) नवीनीकरण	4000	4725
रौलिंग स्टॉक		
1. इंजन	271	260
डीजल	—	131
विद्युत	—	129
2. कोच	2420	2304
3. वैगन(4 वीलरज के संदर्भ में )	18000	18681

10.3.1.6 लाइन बिछाने, उनकी डबलिंग तथा गेज कनवर्जन में मुख्य रूप में अभाव देखा गया है। इन में कमी की वजह स्लीपर्स की आपूर्ति न होने के कारण रही है। चालू वर्ष में रेलवे इस कमी को भी पूरी करने के लिए प्रयास करेगा।

### वार्षिक योजना 2006-07

10.3.1.7 ₹ 23475 करोड़ का परिव्यय रखा गया, जिसमें 7511 की सकल बजटीय सहायता आन्तरिक स्रोत सृजन के लिए ₹ 10794 तथा बाजारी उधार हेतु ₹ 5170 करोड़ रेल बजट में रखे गए (परिशिष्ट 10.3.1.1) चालू वर्ष (2006-07) के दौरान परिवहन योजना की संकल्पना है। मूल भाड़ा परिवहन के रूप में राजस्व अर्जन हेतु 726 मिलियन टन परिवहन का लक्ष्य रखा गया, जबकि 2005-06 के दौरान राजस्व अर्जन हेतु मूल भाड़ा परिवहन वास्तव में 667.4 टन रहा। यात्री परिवहन के लिए 6400 मिलियन यात्रियों का उच्चतर लक्ष्य रखा गया, जब कि वर्ष 2005-06 (आर ई) के दौरान वास्तव में आंकड़े 5886.3 मिलियन यात्री तक पहुँच गए थे। भाड़े की प्रगति तथा रेलवे द्वारा ले जाए यात्रियों का ब्यौरा परिशिष्ट 10.3.1.2 तथा 10.3.1.3 पर देखा जा सकता है। 2006-07 के बड़े कार्यक्रमों में रोलिंग स्टॉक की प्राप्ति, ट्रैक नवीकरण, गेज कनवर्जन, रेलवे विद्युतीकरण और नई रेल लाइनें बिछाना शामिल हैं। परिशिष्ट (10.3.1.4) परिव्यय का सदुपयोग 360 कि.मी. रूट विद्युतीकरण करने, 4000 ट्रैक कि.मी. नवीकरण, 550 रूट कि.मी. नई लाइन, 1100 रूट कि.मी. गेज कनवर्जन, 435 रूट कि.मी. की डबलिंग, और 150 डीजल एवं 150 विद्युत लोकोज की प्राप्ति, 289 ई एम यू/ मैट्रो कोचीज, 2355 अन्य यात्री कोचीज और 23,500 वैगन प्राप्त करने में किया जाना है।

### रेलवे कार्यनिष्पादन में नया मोड़

10.3.1.8 उत्पादकता में सुधारों के कारण भौतिक और वित्तीय निष्पादन में वृद्धि प्रभावी मोड़ लेने के कारण ही हुआ, 2005-06 के दौरान प्रचालन अनुपात में 83.7% तक

सुधार हुआ है। इससे रेलवे 2005-06 के लिए कुल योजना जरूरत का 38% भाग आन्तरिक रूप से पूरा कर सकती है, जो वर्ष 2006-07 में 46% तक की जरूरत पूरी हो सकेगी। इस प्रकार भारतीय रेलवे 11वीं योजना के आरम्भ में एक सुदृढ़ वित्तीय स्थिति पर पहुँच गया है।

### मल्टीमॉडल उच्च एक्सल लोड कम्प्यूटर नियंत्रित डैडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

10.3.1.9 भारत सरकार ने फरवरी 2006 के दौरान पूर्वी और पश्चिमी कॉरीडार्स के लिए डैडीकेटेड फ्रेट कॉरीडार्स के निर्माण का अनुमोदन किया। परिणामस्वरूप एस पी वी के गठन का अनुमोदन दिया गया तथा प्रधान मंत्री ने दोनों कोरीडार्स के निर्माण का उद्घाटन किया। इन दोनों कॉरीडार्स में 2700 कि. मी. की रेल लाइन बिछाना, इन पर ₹ 22000 करोड़ की लागत आएगी जिससे रेलवे की क्षमता बढ़ेगी और आगामी 5 वर्षों के दौरान अनुमानित यातायात में वृद्धि को पूरा करेगी और इससे प्रति यूनिट परिवहन लागत में कमी आएगी, साथ ही में सेवा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

### सफाई में समग्र सुधार हेतु रेलों के लवेटरी सिस्टम में स्टे ऑफ आर्ट की व्यवस्था

10.3.1.10 रेलवे परिसरों में रेल डब्बों के टायलैट्स में सफाई का अभाव ही अस्वच्छता का मुख्य कारण है, जब रेल स्टेशन परिसर में हो, तो रेल टॉयलैट्स के डिस्चार्ज से बचाने के लिए पी. एल. सी आधारित स्पीड एक्व्युएटिड कंट्रोल्ड डिस्चार्ज टॉयलैट्स की व्यवस्था नए कोचिज में 1000 टायलैट्स प्रति वर्ष की दर में की जा रही है, जिन का विनिर्माण भी देश में ही हो रहा है। आई आई टी कानपुर से मिल कर पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल टॉयलैट्स जो देशीय प्रोद्योगिकी पर आधारित हों, को विकसित करने हेतु प्रयास पहले से ही जारी हैं जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप हों, ताकि वे रेलवे लाइन के साथ भी डब्बों के टॉयलैट्स से डिस्चार्जस्वास्थ्य प्रतिकूल स्थिति पैदा न होने दें।

### आधुनिक कोचिंग स्टॉक का उपयोग

10.3.1.11 भारतीय रेलवे अब तक भारत में निर्मित स्कीलरन डिजाइन के डब्ले ही उपयोग में लाए जा रहे हैं। अब भारतीय रेलवे ने मैसर्स आलस्टोम एल एच बी से प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण हेतु व्यवस्था की है ताकि ऐसे डब्ले बनाए जाएँ, जिन में शानदार राइडिंग, कम टैयर वेट, उच्च ब्रेक प्रणाली, उच्चतर स्पीड प्रौद्योगिकी हो। वर्ष 2006-07 के दौरान ऐसे 148 डब्लों के विनिर्माण की योजना बनाई गई है।

### मॉनीटरिंग तंत्र

10.3.1.12 योजना आयोग ने रेल मंत्रालय के नीति मुद्दों और योजना स्कीमों/परियोजनाओं की समीक्षा तिमाही निष्पादन समीक्षा, वार्षिक योजना 2004-05 बैठकों की प्रक्रिया के अंतर्गत की है। समीक्षा बैठक का उद्देश्य कमियों की पहचान करके उपचारात्मक उपाय करना है ताकि योजना के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। परिवहन के विभिन्न उप-क्षेत्रों में योजना स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सदस्य (परिवहन), योजना आयोग और सलाहकार (परिवहन) के स्तर पर बैठकें की गईं।

### इन्फ्रास्ट्रक्चर (आधारिक संरचना) समिति

10.3.1.13 रेलवे के विकास के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित आधारिक संरचना समिति ने अनेक निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों में शामिल हैं: दिल्ली, मुंबई और दिल्ली - हावड़ा मार्गों पर एकांतिक (डैडीकेटिड) माल कॉरिडोरों का निर्माण, अन्य उच्च सघनता वाले कॉरिडोरों का निर्माण, अन्य उच्च सघनता वाले कॉरिडोरों की क्षमता वर्धन के लिए एक योजना बनाना, कोनकोर के अलावा अन्य ऑपरेटों को मौका देने के लिए कंटेनर गमनागमन में प्रतिस्पर्धा लाना, दुलाई लागत को कवर (लाइन) करने हेतु किराए ढांचे को सूचकांकित करने के वास्ते एक कार्या विधि तैयार करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखांकन परिपाटियों के अनुरूप नई लेखांकन प्रणालियों को तैयार करना और उन्हें आरंभ करना। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि नई परियोजनाओं को मंजूरी देते समय रेलवे वित्तीय

व्यावहारिकता को पूरी तरह सावधानी पूर्वक देखेगा।

10.3.1.14 सी ओ आई द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसरण में सदस्य(परिवहन), योजना आयोग की अध्यक्षता में अन्तर - मंत्रालयी समूह डैडीकेटिड फ्रेट कॉरिडोरों के अवधारणा पत्र (कंसप्ट) पेपर तैयार करने के लिए गठित किया गया है। भारतीय रेलवे ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए डी बी) की सहायता से नए एकाउंटिंग सिस्टम के लिए कार्रवाई योजना को पहले से ही अन्तिम रूप दे दिया है। कंटेनर आवागमन में स्पर्धा की दृष्टि से रेल मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों / विभागों और अन्य स्टेक होल्डर्स से मिल कर एक एक नीति का फ्रेमवर्क विकसित कर रहा है। उच्च सघनता कारीडोरों की क्षमता को बढ़ाने के लिए योजना तैयार करने हेतु रेल मंत्रालय द्वारा आवश्यक कदमों की पहल शुरू कर दी है।

### राष्ट्रीय रेल विकास योजना (एन आर वी वाई)

10.3.1.15 राष्ट्रीय रेल विकास योजना (एन आर वी वाई) के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए कुल 70 परियोजनाओं की पहचान कर ली गई है, जिनमें से 37 परियोजनाएं गोल्डन क्वड्रिलेटरल की हैं, 29 बंदरगाह अभिगम्यता (पोर्ट कनेक्टिविटी) की और 4 परियोजनाएं बड़े पुलों की हैं। 70 परियोजनाओं में से 13 परियोजनाओं को अभी मंजूरी दी जानी शेष है।

10.3.1.16 अपहार्य(बैंकेबल) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2003 में रेल विकास निगम लिमिटेड (आर वी एन एल) के नाम से एक कंपनी का गठन किया गया है और एन आर वी वाई की 70 परियोजनाओं में से 53 इसमें हस्तांतरित की जा चुकी हैं। आर वी एन एल ने 26 परियोजनाएं प्रथम दृष्टि में अपहार्य हैं। कुल मिलाकर, 14 परियोजनाएं एशियन डेवलपमेंट बैंक को (ए डी बी) वित्तपोषण हेतु प्रस्तुत की गई है।

### 10.3.2 सड़के

10.3.2.1 विकासात्मक प्रक्रिया में सड़के मूलभूत निवेश होती हैं। दूरस्थ इलाकों को जोड़कर विशेषतः महत्त्वपूर्ण

क्षेत्रों तक अभिगम्यता प्रदान कर और घरेलू व विदेशी निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार कर, राष्ट्रीय एकता और देश के सामाजिक - आर्थिक विकास में सड़के महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अतिरिक्त, परिवहन के अंतर-मोडल विकास में सड़कों की एक अहम भूमिका है क्योंकि यह हवाई अड्डे, रेलवे टर्मिनलों और बंदरगाहों तक संयोजन प्रदान करती है।

10.3.2.2 वर्तमान सड़क नेटवर्क अपर्याप्त है और कई स्थानों पर अधिक यातायात सघनता से निपटने में असमर्थ है और इसकी आरोही (राइडिंग) गुणवत्ता खराब है। देश की विकास आयोजना में सड़क नेटवर्क में सुधार को उच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत में वर्तमान सड़क नीति में दो मूलभूत सिद्धान्त हैं - अभिगम्यता और गतिशीलता। अभिगम्यता के लक्ष्य को बेहतर ग्रामीण सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) को, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसमों में सड़क-संयोजना प्रदान करने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया है। पी एम जी एस वाई को पुनः चरणबद्ध करके 2009 तक 1000 अवासस्थानों (500 पहाड़ी अथवा जनजातीय क्षेत्रों) को जोड़ने के भारत निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। गतिशीलता को, क्षमता में सुधार करके और उच्च घनत्व वाले कॉरिडोरों को सुदृढ़ करके सुविधाजनक बनाया जाना है। इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एक मुख्य पहल है और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में एक मुख्य पहल है और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में एक चरणबद्ध तरीके से सुधार लाने के लिए आरम्भ किया गया है। इस संबंध में प्रथम पहल, स्वर्णिम चतुर्भुज की लेनिंग करना थी और तत्पश्चात् एन एस - ई डब्ल्यू कॉरिडोर थी। अनुसंधान और सड़कों की आरोही (राइडिंग) गुणवत्ता में सुधार करने पर भी बल दिया जाना है।

10.3.2.3 राष्ट्रव्यापी स्तर पर संयोजन (जुड़ाव) की आवश्यकता के मद्देनजर, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आधारीक संरचना समिति ने राजमार्ग विकास के लिए एक विस्तारित कार्यक्रम प्रस्तावित किया है।

- जी क्यू और एन एस ई डब्ल्यू कॉरिडोर

- एन एच डी पी फेज-III के अधीन 10,000 कि.मी. की चार लेनों का निर्माण (संशोधित 11,113 कि.मी.)।
- एन एच डी पी- IV के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के 20,000 कि.मी. की डबल लेन।
- पूर्वोत्तर मं राजमार्गों की वृद्धि करना।
- एनएचडीएच-V के तहत 6500 कि.मी. तक छः लेन बनाना तथा चुनिंदा राजमार्गों पर उच्च परिवहन स्ट्रैचीज का निर्माण।
- एन एच डी पी-VI के तहत 1000 कि.मी. एक्सप्रेसवे का विकास।
- एन एच डी पी-VII के तहत रिंग रोड, बाई पास, सर्विस रोड आदि तैयार करना।

10.3.2.4 राष्ट्रीय हाइवे विकास कार्यक्रम एन एच डी पी के तहत (फेज I-VIII) के विस्तार हेतु वित्तीय योजना तैयार की गई और इस अनुमानित निवेश के लिए समग्र कार्यक्रम हेतु, 2,20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

10.3.2.5 यह लक्ष्य, दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के परिणामस्वरूप निकले कार्य बिन्दुओं के जरिए प्राप्त किए जाने हैं। यह कार्यबिन्दु हैं - नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एन एच ए आई), जो विस्तारित कार्यक्रम के लिए मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है, की पुनः संरचना और सुदृढ़ीकरण के जरिए, बीओटी मार्गों के संचालन, अनुसंधान और टोलिंग के लिए मॉडल रियायत समझौतों का विकास करना।

10.3.2.6 उपर्युक्त के संदर्भ में अगले दो वर्षों के लिए राजमार्ग विकास के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम किया जा रहा है।

#### वार्षिक योजना 2005-06 की समीक्षा

10.3.2.7 ₹ 10539.00 करोड़ के परिव्यय के मुकाबले वर्ष 2005-06 के दौरान ₹ 9737.89 करोड़ के व्यय होने की संभावना है। 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग

विकास कार्यों की भौतिक प्रगति तथा 2006-07 के लिए लक्ष्य, जो आउटकम बजट के अनुरूप हैं, परिशिष्ट 10.3.2.1 पर देखे जा सकते हैं। दो लेन के रोड बनाने नेशनल हाईवेज के बाई पास बनाने, और पुलों के निर्माण पुनर्वास के मामलों में लक्ष्य हासिल करने में कमी रही है। 4 लेन में बदल कर सड़क चौड़ी करने, 2 लेनों में सुदृढीकरण करना तथा राइडिंग क्वालिटी में सुधार करने के मामलों में क्रमशः 119%, 115%, 105% प्रगति हुई है, अतः इनसे काफी सुधार हुआ है।

### वार्षिक योजना 2006-07

10.3.2.8 वार्षिक योजना 2006-07 में कमियों को दूर करने के लिए ध्यान दिया जाएगा। अतः गायब हुई सड़कों, पर अधिक ध्यान दिया जाएगा कम स्तर के सैक्शन में सुधार करने, कमजोर पुलों के पुनर्वास/ पुनः निर्माण, बाई पासिज के निर्माण, 4 लेन, 2 लेन तथा कमजोर 2 लेन के सुदृढीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों में जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर योजना में अधिक ध्यान दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में सड़कों के नेट-वर्क इस क्षेत्र के विकास हेतु एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा।

10.3.2.9 केंद्रीय क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिए ₹ 11564.78 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया। स्कीम वार ब्यौरा परिशिष्ट 10.3.2.2 में संलग्न है।

### बाहरी रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

10.3.2.10 रा0 रा0 मा0 विकास प्राधिकरण (एन एच ए आई) विदेशी सहायता में विश्व बैंक, ए डी बी, जापान बैंक ऑफ इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जे बी आई सी) से ऋण लेकर अनेक परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। बाहर से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, जिनका वित्तपोषण बहुराष्ट्रीय एजेसियों द्वारा किया जा रहा है का ब्यौरा परिशिष्ट 10.3.2.3 पर दिया गया है। एन एच डी पी फेज-I के तहत 19 परियोजनाएं, 3079.89 करोड़ रुपये की लागत पर 30.9.2006 को पूरा कर दिया गया है। वर्तमान 56 परियोजनाएं प्रगति पर चल रही हैं। उनमें से

एन एच डी पी फेज- I के तहत चल रही परियोजनाओं की लागत 6350.88 करोड़ रुपये है, जबकि एन एच डी पी फेज- II की 37 परियोजनाओं की लागत 10543.74 करोड़ रुपये है।

### राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएं (एन एच डी पी)

10.3.2.11 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, जिसमें गोल्डन क्वाड्रीलेटरल (जीक्यू) तथा उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम (एन एस ई डब्ल्यू) परियोजनाएं शामिल हैं, नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं और इसमें वर्तमान नेटवर्क की चार/छः लेनिंग परिकल्पित हैं। 5,846 किलोमीटर कुल लम्बाई की जी. क्यू. दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ेगी। जीक्यू को पूरा करने का परिशोधित लक्ष्य दिसम्बर 2006 है। एनएस, इडब्ल्यू कारिडोरों की लम्बाई 7,300 किलोमीटर होगी और यह कश्मीर को कन्याकुमारी से और सिलचर को पोखर से जोड़ेगी। एनएस, ईडब्ल्यू कारिडोर परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य दिसम्बर 2007 है।

10.3.2.12 जीक्यू के सभी निर्माण कार्य एजेसियों को सौंप दिए गए हैं, परन्तु जीक्यू के पूरा होने में कुछ चूक है। (30.9.2005) की स्थिति के अनुसार जीक्यू की 5846 किलोमीटर की कुल लम्बाई के मुकाबले, 5431 किलोमीटर (92 प्रतिशत) को 4-लेन बना दिया गया और शेष 415 किलोमीटर कार्यान्वयनाधीन थी।

10.3.2.13 एन एच डी पी के चरण-I और II की वास्तविक प्रगति (उत्तर - दक्षिण व पूर्व-पश्चिम कारिडोर) : 7300 किलोमीटर (7200 कि.मी. आज तक) की कुल लम्बाई के मुकाबले 840 किलोमीटर में 4-लेन बना दी गई है, अर्थात् 30.9.2006 के अंत तक 11.54%। 5054 किलोमीटर की कुल लम्बाई पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष 1306 किलोमीटर के लिए निर्माण कार्यों को चरणबद्ध तरीके से सौंपा जाना है।

10.3.2.14 एन एच डी पी चरण-III जिसमें वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों (एचएचडीपी के अलावा) के लगभग 1000

किलोमीटर में 4 - लेन बनाना परिकल्पित है, चरण I व चरण II बीओटी आधार पर आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इसे दो चरणों में कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित राष्ट्रीय राजमार्गों का 4000 किलोमीटर का प्रथम चरण दिसम्बर 2009 में पूरा कर लिया जाएगा। दूसरे चरण के रूप में शेष 6000 किलोमीटर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट करने के लिए भी अनुमोदन मिल गया है।

10.3.2.15 एन एच डी पी III ए के तहत एक परियोजना जिस में 30 कि.मी. लम्बी सड़क का निर्माण पूरा किया गया है। कुल 1090 कि.मी. के लिए या तो कार्य जारी है अथवा करार पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। 30.9.2006 की स्थिति के अनुसार 2880 कि.मी. लम्बी सड़क के लिए कार्य अभी सौंपा जाना शेष है।

10.3.2.16 एन एच डी पी फेज V तहत पूरी की जाने वाली कुल 6500 कि.मी. सड़क में से (1500 कि.मी. 2006-07 में पूरी की जानी है) दो परियोजनाएं जिनके तहत 148 कि.मी. लम्बी सड़क बनानी हैं, का कार्य सौंप दिया गया है, शेष 6332 कि.मी. सड़क हेतु कार्य सौंपा जाना शेष है।

10.3.2.17 एन एच डी पी के कार्य निष्पादन हेतु मोडैलिटीज के बारे में निर्णय लिया गया है कि एन एच डी पी फेज-III और आगे के लिए रोड सेवा संबंधी सभी ठेके बी ओ टी आधार पर दिए जाएंगे, जिस में बी ओ टी (टोल) को प्राथमिकता दी जाएगी और वैद्यता गैप फंडिंग में 40% तक की अधिकतम सीमा रखी जाएगी। टोल आधारित बोट में अपर्याप्त प्रतिक्रिया की स्थिति में एन्युटि आधारित बोट मॉडल सी सी ई ए के अनुमोदन से अपनाया जाएगा। फिर भी यदि पर्याप्त प्रतिक्रिया मंगवाने में यह अवधारणा सफल नहीं होती, तो ई पी सी अवधारणा को अपनाया जाएगा और निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

10.3.2.18 कुल 7616 कि. मी. लम्बी सड़क 3251 कि.मी. नेशनल हाईवे, 4365 कि.मी. स्टेट रोड के निर्माण का अनुमोदन पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एस ए आर डी पी -एन ई के

तहत विकास हेतु कर दिया गया है। इसे दो फेजों में पूरा करना है एस ए आर डी पी के फेज-ए के कार्यान्वयन के तहत कुल 1310 कि.मी. सड़क तथा डी पी आर की तैयारी हेतु पहल कार्रवाई भी करनी है, फेज-बी के तहत 6306 कि.मी. का अनुमोदन मिला है। वर्तमान में डी पी आर एन एच ए आई, बी आर ओ और स्टेट पी डब्ल्यू डी के अधीन तैयार किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के समन्वयन हेतु अन्तर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है, जो विभिन्न प्रस्तावों के ओवरलैपिंग से भी बचाएगी और सुनिश्चित करेगी कि एस ए आर डी पी - एन ई के तहत वैयक्तिक उप-परियोजनाएं मंजूर न की जाएं।

### केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें

#### प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई)

10.3.2.19 ग्रामीण संयोजन (कनेक्टिविटी) भारत में ग्रामीण विकास का मुख्य घटक है। ग्रामीण संयोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) नामक एक ग्रामीण सड़क कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। इस स्कीम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त मौसम सड़कों के जरिए 1000 और उससे अधिक जनसंख्या वाले आवास क्षेत्रों को 2003 तक और 500 और उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 2007 तक संयोजन (कनेक्टिविटी) प्रदान करना है। पहाड़ी/ रेतीले/ जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 250 और उससे अधिक जनसंख्या वाले आवास क्षेत्र को सड़कों से जोड़ने का उद्देश्य है। पीएमजीएसवाई कार्यक्रम को पुनः चरणबद्ध करके 100 अवास क्षेत्रों (500 पहाड़ी राज्यों, रेगिस्तान और जनजातीय क्षेत्रों) को 2009 तक जोड़ने का भारत निर्माण लक्ष्य प्राप्त किए जाने का उद्देश्य है।

10.3.2.20 2005-06 के दौरान 15492 कि.मी.की लम्बाई को कवर करने वाली 7034 आवास क्षेत्रों को जोड़ने की नई कनेक्टिविटी और 11394 कि.मी. के क्रमोननयन, आवास क्षेत्रों 18053.7 लम्बाई को कवर करते हुए 5552 आवास क्षेत्र और 3425.6 कि.मी. के क्रमोननयन की उपलब्धि प्राप्त कर ली गई है।

10.3.2.21 वर्ष 2006-07 का लक्ष्य 16130 आवास क्षेत्रों को संयोजन प्रदान करना और ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों की 35182 किलोमीटर लम्बाई कवर करना है तथा 54669 ग्रामीण सड़क कार्यों को कर्मोन्नत करना है।

10.3.2.22 2000-01 से 2006-07 (बीई) तक पी एम जी एस वाई के तहत राज्य-वार आबंटन/ व्यय दर्शाने वाला विवरण संलग्नक-10.3.2.4 पर है।

### (ii) आर्थिक एवं अन्तरराज्यीय महत्त्व की सड़कें

10.3.2.23 अन्तर-राज्यीय अथवा आर्थिक महत्त्व (ई एण्ड आई सड़कें) वाली सड़कों और पुलों का विकास करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। सेन्ट्रल रोड फंड अधिनियम, 2000 में यह प्रावधान है कि राज्य सड़कों के लिए सी आर एफ के उपचय का 10% ई एण्ड आई सड़कों के लिए रखा जाना चाहिए। इस स्कीम के तहत अन्तर-राज्यीय संयोजन परियोजनाओं के लिए 100% अनुदान दिया जाता है और आर्थिक महत्त्व की परियोजनाओं के लिए 50% अनुदान दिया जाता है।

10.3.2.24 इस स्कीम के लिए दसवीं योजना (2002-07) के लिए 500 करोड़ रूपए और वर्ष 2006-07 के लिए 170.61 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। 30.9.2006 तक इस स्कीम के तहत महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, सिक्किम और दादर नगर हवेली राज्यों में 27.71 करोड़ रूपए की लागत के 6 निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक (बीई) राज्य-वार निर्माचित निधियों का एक विवरण संलग्नक 10.3.2.5 पर दिया गया है।

### निजी क्षेत्रक सहभागिता

10.3.2.25 सड़क विकास में निजी सहभागिता को आकर्षित करने के लिए सरकार ने निजी क्षेत्र सहभागिता की अवधारणा को राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण, प्रचालन हेतु अनुमोदित कर दिया है। जिसमें एक्सप्रेसवे भी शामिल हैं। इसके बाद रोड विकास कार्यक्रम के तहत निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

10.3.2.26 पूर्वानुमान में सुधार और पीपीपी के लिए जोखिम का मुकाबला करने योग्य वातावरण बनाने के लिए तथा ट्रांजेक्शन लागत और समय की बचत को देखते हुए सरकार उपयुक्त संस्थान तंत्र का सृजन कर रही है। स्वच्छ और पारदर्शी आधार पर तथा नीति और नियामक फ्रेमवर्क को विनिर्दिष्ट करने हेतु तथा मॉडल कनसेशन एग्रीमेंट (एमसीए) पहले से ही स्थापित किया जा चुका है और रोल आउट परियोजनाओं में तेजी लाई जा रही है। इसके अलावा, एन्यूटी परियोजनाओं के लिए एम सी ए तथा आपरेशन अनुरक्षण और टोलिंग (ओएमटी) का मामलों में अन्तिम निर्णय होना है।

10.3.2.27 भा0 रा0 वि0 प्राधिकरण (एन एच ए आई) की नेशनल हाईवे कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

10.3.2.28 इसके अलावा शसक्त निवेशकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की गई दो बड़ी पहलें हैं - (i) **वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रावधान** (वी जी एफ) जो आमतौर पर पूंजी अनुदान के रूप में परियोजना के निर्माण के समय प्रदान की जाती है, जो परियोजना की लागत के अधिकतम 20% तक होती है। बी जी एफ की पात्रता के लिए परियोजना का कार्यान्वयन चुनी हुई एनटिटी द्वारा प्रतिस्पर्धामयी बिडिंग के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिसके पास निजी इक्विटी कम से कम 51% होनी चाहिए, (ii) - **इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी** का सृजन, जो वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक परियोजनाओं की स्थापना, विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में जिन में परिवहन भी शामिल है (रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट) हेतु परियोजना कम्पनियों को दीर्घ अवधि के लिए ऋण प्रदान कर सके।

10.3.2.29 30.9.2006 की स्थिति के अनुसार बीओटी टोल परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है:

10.3.2.30 निजी क्षेत्रक की सहभागिता में आने वाली प्रमुख समस्या यथा काफी अधिक मात्रा में अग्रिम पूंजी निवेश और राजस्व इकट्ठा करने के अधिक जोखिमों से निपटने के लिए 20 परियोजनाएं वार्षिक आधार पर दी गई

स्तर	कंट्रैक्ट (सं०)		लम्बाई कि.मी.		लागत (रु० करोड)	
	मोर्थ	नहाई	होर्थ	नहाई	मोर्थ	नहाई
पूर्ण	21	7	344.15	420.40	1190.79	2888.00
प्रगति पर	4	37	67.94	2085.14	215.52	12562.59
कुल	25	44	412.09	2505.54	1406.31	15450.59

हैं, जिनकी लागत 7694.62 करोड़ रुपये है। इनमें से आठ परियोजनाओं की कीमत 2353.70 करोड़ है, उन्हें एन एच डी पी फेज-I के तहत पूरा कर लिया गया है। शेष 12 परियोजनाएं जिनकी कीमत 5340.92 करोड़ है, उन्हें एन डी पी फेज-II में पूरा किया जाएगा।

10.3.2.31 इसके अतिरिक्त, एनएचएआई ने सड़क परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एस पी वी का गठन किया है। 2406.90 करोड़ रूपए की 13 परियोजनाओं की एस पी वी वित्तपोषण के तहत पहचान की गई। इनमें से 890.12 करोड़ रूपए की 05 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, 1516.76 करोड़ रूपए लागत की 8 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

### सड़क परिवहन

10.3.2.32 देश में यात्रियों और माल सेवाओं, दोनों के गमनागमन के लिए सड़क परिवहन एक प्रभावी परिवहन माध्यम है। अन्य भूतल परिवहन माध्यम की तुलना में सड़क परिवहन को प्रयोक्ताओं द्वारा अधिक तरजीह देने के अंतर्निहित लाभ हैं यथा आसान अभिगम्यता, वैयक्तिक जरूरतों के अनुसार व्यनुकूलनशीलता, द्वार-द्वार सेवा और विश्वसनीयता, यात्रियों को लाने ले जाने में सड़क परिवहन का हिस्सा 87% तथा माल ढोने में 61% रहा है, अतः यह जी डी पी का 4.5% का अन्शदान देता है। बढ़ते निवेश की मात्रा के साथ यह हिस्सा और बढ़ेगा जिससे मौजूदा सड़कों में और सुधार होगा तथा नई सड़कों का निर्माण होगा।

10.3.2.33 केन्द्र और राज्य दोनों के द्वारा ही परिवहन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में शामिल हैं - रोड, सुरक्षा, प्रदूषण की जांच और नियंत्रण, राष्ट्रीय डेटा बेस नेटवर्क और मॉडल ड्राइवर्स

ट्रेनिंग स्कूल (सी एस एस) स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट उपक्रमों और परिवहन सेवाओं के नियामन आदि महत्वपूर्ण स्कीमों हैं जो राज्य क्षेत्र से हैं।

10.3.2.34 भारत में यात्रियों और माल सेवाओं, दोनों के गमनागमन के लिए सड़क परिवहन एक प्रभावी परिवहन माध्यम है। अन्य भूतल परिवहन माध्यम की तुलना में सड़क परिवहन को प्रयोक्ताओं द्वारा अधिक तरजीह देने के अंतर्निहित लाभ हैं यथा आसान अभिगम्यता, वैयक्तिक जरूरतों के अनुसार व्यनुकूलनशीलता, द्वार-द्वार सेवा और विश्वसनीयता रेल, बंदरगाहों और हवाई यातायात के लिए यह फीडर सेवा का कार्य करती है। 1950 से सड़क परिवहन तीव्र गति से विकास कर रहा है। 1951 में 03 लाख वाहनों की तुलना में वाहनों की कुल संख्या बढ़कर 2004 में 727 लाख हो गई, अर्थात् 242 गुना। इसी अवधि में माल वाहन 82,000 से बढ़कर 37,48,546 (46 गुना) हो गए हैं, और यात्री बसें 34,000 से बढ़कर 7,67,593 (23 गुना) हो गई हैं। राजमार्गों में सुधार लाने के लिए किए जा रहे अधिक निवेशों तथा कुल माल में उच्च मूल्य पदार्थों की हिस्सेदारी में वृद्धि से सड़क परिवहन सेवाओं की मांग को और बढ़ावा मिलेगा।

### वार्षिक योजना 2005-06

10.3.2.35 वार्षिक योजना 2005-06 के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक के तहत सड़क परिवहन की चार स्कीमों, यथा (i) सड़क सुरक्षा (ii) प्रदूषण परीक्षण व नियंत्रण (iii) राष्ट्रीय डाटाबेस नेटवर्क और कम्प्यूटर सिस्टम तथा (iv) मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के लिए 46 करोड़ रूपए के परिव्यय का अनुमोदन 31.81 करोड़ रूपए की तुलना में किया गया है। इस प्रकार लगभग आवंटित बजट अनमान का 69% ही खर्च किया गया है। इसका कारण है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित योजना में निधि का पूरा सदुपयोग नहीं किया गया

है, जिसका प्राथमिक कारण है कि डी जी एस एण्ड डी ने एम्बुलेंसीज के लिए नये अनुबंध की दरों का नवीकरण नहीं किया था, जिन्हें उप-स्कीमों जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के तहत खरीदना जरूरी था।

10.3.2.36 राज्य क्षेत्र के तहत उपक्रमों के वास्तविक निष्पादित कार्य दर्शाते हैं कि ज्यादातर उपक्रम घाटे में जाने वाली हैं, जिसका कारण है - ओवर एज्ड फ्लीट, अनार्थिक मार्गों पर प्रचालन, रियायती यात्रा, सस्ते किराए, स्टाफ की अधिकता तथा राज्य सरकार से अपर्याप्त सहायता।

### वार्षिक योजना 2006-07

10.3.2.37 वार्षिक योजना 2006-07 के लिए केंद्रीय क्षेत्र में 4 स्कीमों हेतु ₹ 50.00 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित कर दिया गया है, वह हैं - रोड सुरक्षा, प्रदूषण जांच एवं नियंत्रण, राष्ट्रीय डेटा नेटवर्क एवं कम्प्यूटर सिस्टम, मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग इनस्टीच्यूट। असंगठित क्षेत्र में 41525 भारी वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा जागृति के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, 180 वीडियो स्पॉट्स, 250 रेडियो स्पॉट्स का प्रसारण टेलीकास्ट किया जाएगा, दुर्घटना के शिकार हुए लोगों की रक्षा के लिए राज्य सरकारों/ पुलिस विभाग को 55 क्रेन और 100 एम्बुलेंस दी जाएंगी। रोड सुरक्षा जागृति बढ़ाने में एन जी ओ(ज) का सहयोग लेने के लिए सड़क सुरक्षा पर, सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से सड़क पर चलने वालों हेतु 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। राष्ट्रीय डेटा बेस नेटवर्क के तहत स्तरीय अद्यतन सूचनाओं के लिए, आरटीयू/ एसटीए(ज) की नैट-विकिंग हेतु सभी राज्यों में पायलैट कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं।

10.3.2.38 सड़क परिवहन क्षेत्रक के तहत चार प्रमुख स्कीमों में से, मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किए जा सके। स्कीम की शर्तों के तहत - राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए निःशुल्क व किसी भार/ देयता (एनकम्ब्रेंस) रहित भूमि प्रदान करनी होगी। भवन व अन्य आधारिक संरचना के लिए पूंजीगत अनुदान के लिए केन्द्रीय सरकार सहायता देगी। यह राज्य सरकार/ राज्य सरकार द्वारा

संस्तुत एन जी ओ का दायित्व होगा कि इस संस्था को अपने संसाधनों से चलाएं और इसका रखरखाव करें। स्कीम-वार ब्यौरे संलग्नक 10.3.2.1 में दिए गए हैं।

### 10.3.3 बन्दरगाह

10.3.3.1 बन्दरगाह जल परिवहन और भूतल परिवहन में बन्दरगाह ट्रांसशिपमेंट बिन्दु का कार्य करती है और परिवहन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार चलता है।

10.3.3.2 भारतीय तट लाइन के साथ 12 बड़ी बन्दरगाहें, 259 बर्थ के साथ देश के बन्दरगाहों का 75% यातायात को संभालती हैं तथा 187 छोटी बन्दरगाहें 97 बर्थ के साथ शेष 25% यातायात को देखता है।

10.3.3.3 10वीं योजना में सामान्य और भारी सामान को संभालने संबंधी सुविधाओं के सृजन और कंटेनर यातायात पर ध्यान केंद्रित किया गया है। क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि और सुधार के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता के सहयोग से संगठनात्मक परिवर्तन तथा मैनिंग स्केल्स का रेशनलाइजेशन भी किया गया है।

### वित्तीय निष्पादन

10.3.3.4 2005-06 के दौरान 1163.75 करोड़ रुपये के परिव्यय (280.54 करोड़ बीएस 883.21 करोड़ रुपये आई ई बी आर) के मुकाबले अनुमानित व्यय 668.33 करोड़ रुपये रखा गया (परिशिष्ट 10.3.3.1)

10.3.3.5 व्यय में कमी रहने का मुख्य कारण लगभग सभी परियोजनाओं के धीमे कार्यान्वयन का होना है। बजटीय सहायता के सदुपयोग के कारण संतोषजनक नहीं रहा।

10.3.3.6 2005-06 में अनेक परियोजनाएं शुरू की गई थी। उनमें से कुछ परियोजनाएं तो पूरी हो गई हैं, जिन में शामिल हैं - विशाखापट्टणम पोर्ट पर तीन बर्थ का निर्माण न्यू मंगलौर पोर्ट पर तीन अतिरिक्त सामान्य कार्गो बर्थों का निर्माण। मुम्बई पोर्ट पर दो और विशाखापट्टणम पोर्ट पर

एक तथा जवाहर लाल नेहरू पोर्ट पर एक तीसरे कंटेनर का आंशिक प्रचालन किया गया ।

### उत्पादकता सुधार

10.3.3.7 पिछले कुछ वर्षों से बड़े बन्दरगाहों के प्रचालन में उत्पादन संबंधी काफी सुधार देखा गया है । वर्ष 2002-03 का औसतन समय सीमा 3.69 दिन से घट कर 2005-06 में 3.41 दिन तक आ गया है।

### वार्षिक योजना 2006-07

10.3.3.8 बन्दरगाह क्षेत्र हेतु 1364.25 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इस परिव्यय को निम्न ब्यौरे के अनुरूप अंतिम रूप दिया जाना है :

क्र.सं.	वित्त पोषण का वित्तीय स्रोत	रु० करोड़ में
1.	आईईबीआर	888.13
2	बजटीय सहायता	476.12
	कुल	1364.25

10.3.3.9 हाथ में ली गई बड़ी परियोजनाओं में शामिल हैं - सेतु समुद्रम शिप कनाल परियोजना, जवाहर लाल नेहरू और पारादीप पोर्ट को गहरा बनाना, वेलारपदम् पर बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान कराना, वेडीनाड (काण्डला पोर्ट) में ऑयल जैटी सुविधाएं उपलब्ध कराना, जो शीघ्र ही पूरी होने वाली हैं जवाहर लाल नेहरू पोर्ट पर तीसरे कंटेनर टर्मिनल के बारे में उम्मीद की जाती है कि यह 2006-07 में प्रचालन में आ जाएगा, 22 बर्थों, जिन में कुल 94.58 टन क्षमता होगी, के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है । इन आन्तरिक स्रोतों द्वारा वित्त पोषित होने वाली 7 बर्थ भी शामिल हैं ।

### भौतिक लक्ष्य

10.3.3.10 वर्ष 2005-06 के 423.42 टन की उपलब्धि के मुकाबले वर्ष 2006-07 के लिए (पोर्टवार) यातायात संबंधी लक्ष्य (परिशिष्ट 10.3.3.2) एवं परिशिष्ट 10.3.3.3)

2006-07 के अंत तक पोर्ट क्षमता 475.80 मिलियन टन हो जाएगी।

10.3.3.11 2006-07 के दौरान औसतन टर्न एराउंड समय कम करके 3.35 दिन तक नीचे लाने का प्रस्ताव है ।

### निजी क्षेत्र सहभागिता

10.3.3.12 2005-06 के दौरान निजी क्षेत्र का निवेश 640 करोड़ रुपये था । वर्ष 2005-06 के दौरान काण्डला पोर्ट पर बी ओ टी आधारित कंटेनर टर्मिनल के निर्माण संबंधी रियायती समझौते के निर्माण पर 271 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है ।

10.3.3.13 2006-07 के दौरान बर्थ के निर्माण के बारे में 15 परियोजनाओं को चिह्नित किया गया है, जिन्हें बी ओ टी आधार पर निजी क्षेत्र द्वारा पूरा किया जाएगा। वर्ष के दौरान रु० 830 करोड़ के निवेश का अनुमान लगाया गया है।

### शिपिंग

10.3.3.14 31 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार भारतीय शिपिंग टोनेज 8.29 मिलियन जीटी रही। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय शिपिंग कार्पोरेशन (एस सी आई) सब से बड़ी कैरियर है, जिसके पास 2.84 मिलियन जीटी सहित 84 वैसल्स हैं, जो राष्ट्रीय टोनेज का 34% है ।

### शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया

10.3.2.15 शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की वर्ष 2005-06 की वार्षिक योजना में 1293.15 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया । वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय 457.17 करोड़ रुपये रहा। इसका मुख्य कारण वैसल्स की कमी रहा । 28 वैसल्स के अधिग्रहण का लक्ष्य रखा गया था, जबकि शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया मात्र 2 वैसल्स ही ले सकी ।

10.3.3.16 वर्ष 2006-07 के दौरान वैसल्स लेने के लिए

शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया के लिए रू.1588.17 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया। वर्ष के दौरान 33 वैसल्स लेने का प्रस्ताव रखा गया है।

### लाइट हाउस और लाइट शिप्स विभाग

10.3.3.17 वर्ष 2005-06 के दौरान 30.50 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले मात्र 10.65 करोड़ रू ही व्यय किए गए। वार्षिक योजना के दौरान शुरू की गई बड़ी स्कीमों में शामिल हैं : वेसल्स ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (वीटीएमएस) कच्छ की खाड़ी पर पाक स्ट्रेट पर शोर आधारित लो पावर हाउस की स्थापना तथा पोर्ट ब्लेयर और मुम्बई क्षेत्रों में रिमोट कंट्रोल एण्ड ऑटोमेशन ऑफ लाइटहाउसीज। व्यय कम होने के पीछे मुख्य कारण वी टी एम एस स्कीम का धीमा कार्यान्वयन होना है।

10.3.3.18 वार्षिक योजना 2006-07 के लिए 32 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। 2006-07 के दौरान शुरू की जाने वाली बड़ी स्कीम है - वीटीएमएस

### महानिदेशक (शिपिंग) पोत - परिवहन

10.3.3.19 वर्ष 2005-06 के दौरान 8.20 करोड़ रू के परिव्यय के मुकाबले मात्र 6.73 करोड़ रुपये ही व्यय हुआ। 2006-07 में 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

### अन्तर्देशीय जल परिवहन

10.3.3.20 वर्ष 2005-06 के दौरान 150.0 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले आईडब्ल्यूए आई द्वारा रू 80.51 करोड़ ही व्यय किए गए। कम व्यय मात्र (53.71 प्रतिशत) व्यय के पीछे मुख्य कारण रहा कि वैसल्स का अधिग्रहण नहीं किया जा सका, जैटी और अर्मीनल्स के निर्माण में देरी हुई, एनडब्ल्यू-3 कैपिटल ड्रीजिंग का पूरा न होना तथा परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता के बारे में अंतिम निर्णय न लिया जाना, आदि रहे हैं।

10.3.3.21 आईडब्ल्यूटी के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये, आईडब्ल्यूएआई के लिए 133.0 करोड़ रुपए तथा

शेष 17 करोड़ रुपये सीएसएस क्षेत्र हेतु वर्ष 2006-07 की योजना में रखे गए हैं। शुरू किए जाने वाली बड़ी परियोजनाओं में शामिल हैं - नेवीगेशनल चैनल का विकास, नेवीगेशनल एड्स टर्मिनल और वैसल्स, एनडब्ल्यू-1 एवं एनडब्ल्यू -3 के लिए तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सीएसएस में एन डब्ल्यू-2 के लिए विशेष रूप से आई डब्ल्यू ए आई को अनुदान, आईडब्ल्यूटी और शिपिंग के बारे में परिव्यय और व्यय संबंधी ब्यौरे परिशिष्ट 10.3.3.4 में दिए गए हैं।

### 10.3.4 नागर विमानन

10.3.4.1 विश्व स्तरीय सुविधाओं, दूर-दराज और बिना पहुँच वाले क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने तथा व्यापक स्तर पर निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए नागर विमान क्षेत्र विकास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 2005-06 के दौरान अनेक पहलें शुरू की गईं। इंडियन एयर लाइन्स, एयर इंडिया द्वारा फ्लीटों का अधिग्रहण कर चार्टर्स शुरू किए गए। नागर विमानन क्षेत्र परिवहन में प्रथम रूप से इतनी भारी वृद्धि अनुभव कर रहा है। 2004-05 के दौरान एयर पोर्ट्स पर कुल यात्री यातायात 59.28 था जो 2005-06 के दौरान बढ़ कर 73.35 मिलियन हो गई एवं इस अवधि में 23.73% की वृद्धि हुई है। दिल्ली एवं मुम्बई के हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण एवं पुनर्संरचना हेतु पहले की गईं। निजी क्षेत्र की सहभागिता से 2 ग्रीन फील्ड एयर पोर्ट बंगलौर और हैदराबाद में शुरू किए गए। इन दोनों पर कार्य पहले से ही प्रगति से चल रहा है। दोनों परियोजनाओं को अप्रैल 2008 तक पूरा कर लिया जाएगा। 35 नॉन मैट्रो हवाई अड्डों की पहचान की गई है, जिन्हें आधुनिक रूप से विकसित किया जाएगा। एयर पोर्ट्स के आस-पास की जगह पर विकास संबंधी कार्य एएआई द्वारा किया जाएगा तथा शहर की तरफ का विकास कम्पनियों/ प्राइवेट कंसोर्टिया द्वारा संयुक्त उद्यम के रूप में सार्वजनिक - निजी सहभागिता से किया जाएगा। 19 हवाई अड्डों पर एयर पोर्ट साइड पर विकास संबंधी कार्य पहले से ही प्रगति पर चल रहा है। सिटी साइड और नॉन मैट्रो हवाई अड्डों के विकास हेतु एएआई ने निजी क्षेत्र की सहभागिता से पहल संबंधी गतिविधियां आरम्भ कर दी हैं।

### वार्षिक योजना 2005-06 की समीक्षा

10.3.4.2 वर्ष 2005-06 के लिए 2379.32 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया था। 2005-06 के दौरान 1558.92 करोड़ रुपये का व्यय हुआ, जो योजना परिव्यय का मात्र 65.5% था। 2005-06 के दौरान एयर इंडिया लि. का व्यय 443.33 करोड़ रुपये था, जबकि योजना परिव्यय ₹ 468.74 करोड़ था। एयर इंडिया ने समग्र लोड घटकों और लोड घटकों के होते हुए भी भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की। यद्यपि उपलब्ध टन कि.मी. क्षमता संबंधी लक्ष्यों में 97.1% की वृद्धि हुई है, लेकिन राजस्व टन कि.मी. के हिसाब से यह 79.4% अधिक रहा, इस प्रकार समग्र लोड घटक में थोड़ी गिरावट देखी गई है। उपलब्ध सीट्स कि.मी. के हिसाब से एक्सीडिंग लक्ष्य की उपलब्धि 98.5% दर्शाई है जब कि राजस्व यात्री कि.मी. के हिसाब से 84.6% की वृद्धि हुई है, वर्ष 2005-06 के दौरान एयर इंडिया ने 4 एयरक्राफ्ट के लक्ष्य के मुकाबले 7 एयरक्राफ्ट्स का अधिग्रहण किया।

10.3.4.3 2005-06 के दौरान इंडियन एयर लाइन्स लि. का 192.13 करोड़ रुपये का व्यय हुआ, जबकि योजना परिव्यय रूपे 911.73 करोड़ रूपे था जो योजना परिव्यय का मात्र 21% था। इसका मुख्य कारण 762.73 करोड़ रूपे का न्यू एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट परिव्यय का समाप्त न होना था जो नए जहाज लेने के लिए रखा गया था, जिसमें से मात्र 47.61 करोड़ रूपे मार्च 2006 तक अग्रिम रूप से दिया गया। इंडियन एयरलाइन्स ने समग्र लोड घटक और यात्री लोड घटक के सभी लक्ष्य प्राप्त किए, जब कि अन्य सभी भौतिक निष्पादन संकेतकों में उपलब्धि लक्ष्य से कम रही है। यद्यपि उपलब्धि टन कि.मी. क्षमता के हिसाब से 26.5% कम रही लेकिन राजस्व टन कि.मी. के हिसाब से यातायात 17.2% कम रहा, लेकिन समग्र लोड फैक्टर में सुधार हुआ है। उपलब्ध सीट्स कि.मी. क्षमता के हिसाब से भी उपलब्धि 16.3% कम रही, लेकिन राजस्व यात्री में कि.मी. के हिसाब से ट्रेफिक की 13.7% कमी रही। इस प्रकार यात्री लोड फैक्टर में सुधार हुआ है।

10.3.4.4 2005-06 के दौरान एयरपोर्ट अथॉर्टी ऑफ

इंडिया (ए ए आई) का परिव्यय 892.30 करोड़ रूपे रहा व कुल समग्र व्यय 876.08 करोड़ रूपे हुआ। परिव्यय का 98% व्यय ही किया गया, जो सराहनीय है। यात्री ट्रेफिक एवं फ्रेट ट्रेफिक संबंधी सभी लक्ष्य अधिक रहे।

10.3.4.5 अन्य प्लान स्कीमों के संबंध में पवन हंस हैलीकाप्टर लि. (पीएचएचएल) का और ब्यूरो ऑफ सिविल एवियेशन सिक्यूरिटी (बी सीएस) का कार्यनिष्पादन असंतोषजनक रहा। पीएचएचएल के लिए 41.52 करोड़ रूपे व्यय हुए, जो 2005-06 के लिए रखे गए परिव्यय रूपे 90.70% करोड़ का मात्र 46% है। पी एच एच एल को 3 हैलीकाप्टरों का अधिग्रहण करना था, इस हेतु 75 करोड़ रूपे आवंटित किए गए थे, फिर भी उनके लिए अग्रिम के रूप में मात्र 15.55 करोड़ रूपे का ही भुगतान किया गया। 2005-06 के लिए बीसीएस के लिए रखे गए 5.00 करोड़ के परिव्यय के मुकाबले 2005-06 में मात्र 20% व्यय ही किया गया। इसका कारण था कि उपस्करों की खरीद पर किए खर्च के अलावा अन्य कोई व्यय नहीं किया गया। होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को 1.00 करोड़ का परिव्यय आवंटित किया गया था, जिसका पूरा सदुपयोग किया गया।

10.3.4.6 संगठनवार किए गए व्यय परिव्यय संबंधी ब्यौरे परिशिष्ट 10.3.4.1 पर दिए गए हैं तथा एयर इंडिया, इंडियन एयर लाइन्स और एयरपोर्ट एथॉर्टी ऑफ इंडिया के भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां परिशिष्ट 10.3.4.2 तथा 10.3.4.3 में देखे जा सकते हैं।

### वार्षिक योजना 2006-07

10.3.4.7 2006-07 की वार्षिक योजना में 3046.93 करोड़ का परिव्यय रखा गया, जिसमें से 1506.44 करोड़ रूपे एयरपोर्ट सुविधाओं के लिए निर्धारित किया गया व 1192.70 करोड़ रूपे एयर परिवहन प्रचालनों के लिए रखा गया। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए परिव्यय का संगठनवार ब्यौरा परिशिष्ट 10.3.4.1 में दर्शाया गया है।

### एयर इंडिया और एयर लाइन्स

10.3.4.8 2006-07 के लिए एयर इंडिया का प्लान

परिव्यय 486.70 करोड़ ₹0 जिसमें से 113.14 करोड़ रुपए ऋण की वापसी के लिए था, एवं 250.00 करोड़ ₹0 नॉन-एयरक्राफ्ट परियोजनाओं के लिए था, 123.56 करोड़ ₹0 नई एयरक्राफ्ट की खरीद हेतु रखा गया। भौतिक कार्यनिष्पादन संकेतकों के अनुसार 2006-07 के लिए 111.66 की वृद्धि 2005-06 की तुलना में उपलब्ध टन कि.मी. क्षमता के हिसाब से 115.75 प्रतिशत ट्रैफिक वृद्धि हुई। इस प्रकार समग्र लोड फैक्टर में वृद्धि 1.2% बिन्दुओं से बढ़ कर 63.3% तक पहुँच गई। उपलब्ध सीट्स कि.मी. क्षमता के हिसाब वृद्धि 111.15% तक पहुँच गई तथा यात्री सीट्स कि. मी. के हिसाब से वृद्धि 115.80% तक पहुँच गई। इस प्रकार यात्री लोड फैक्टर 1.4 प्रतिशत बिन्दुओं से बढ़ कर 72.70% हो गया। एयर इंडिया के फ्लीट अधिग्रहण कार्यक्रम के रूप में 50 लॉगरेंज एयरक्राफ्ट्स के अधिग्रहण हेतु आदेश दे दिए गए हैं (8 बी 777-200 एलआर अल्ट्रा लॉग रेंज, 15 बी 777-333 ई आर मध्यम क्षमता लम्बी दूरी) मार्च 2007 तक एयर इंडिया फ्लीट में 2 एयर क्रफ्ट्स के शामिल होने की संभावना है।

10.3.4.9 इंडियन एयरलाइन्स जो (दिसम्बर 2005 से इंडियन के रूप रिब्रांड कर दी गई है और लोगो भी बदल दिया गया है के लिए 2006-07 में 706.90 करोड़ ₹0 का परिव्यय रखा गया, जिसमें से 23.48 करोड़ मौजूदा एयरबस-320 के दीर्घ कालीन ऋण को चुकाने के लिए ₹0 622.00 करोड़ रुपये, नई एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए अग्रिम देने हेतु ₹0 7.00 करोड़ नए एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए गए ऋण की वापसी हेतु 53.22 करोड़ अन्य अनय सहायक सुविधाओं के लिए रखे गए हैं। भौतिक कार्यनिष्पादन संकेतों के अनुसार 2006-07 के लिए इंडियन एयरलाइन्स हेतु 2005-06 के लक्ष्यों के मुकाबले क्षमता में 7.29% की वृद्धि लक्षित की गई है, जो उपलब्ध टन कि.मी. क्षमता के आधार पर है, राजस्व टन कि.मी. के आधार पर 10.28% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। परिणामस्वरूप समग्र लोड फैक्टर में 1.8% बिन्दुओं से वृद्धि से 65.0% तक पहुँच जाएगी। उपलब्ध सीट्स कि.मी. के आधार पर क्षमता 9.35% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है और यात्री सीट्स कि.मी. के आधार पर ट्रैफिक में 12.11% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया

है। परिणामस्वरूप यात्री लोड फैक्टर में 1.7 प्रतिशत बिन्दु बढ़कर वृद्धि 66.7% हो जाएगी। एयर लाइन्स के फ्लीट अधिग्रहण कार्यक्रम के तहत 43 एयर क्रफ्ट्स की खरीद हेतु आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं, (19 ए 319, 4 ए 320 और 4 ए 321) जिनमें सी एफ एम इंटरनेशनल इंजन लगे हैं। 2006-07 के दौरान इंडियन फ्लीट में एक एयरक्राफ्ट और शामिल कर लिया गया है और अगला एयर क्रफ्ट जून 2007 में आना है।

10.3.4.10 2005-06 के लिए एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के भौतिक लक्ष्य और उनलब्धियां तथा वार्षिक योजना 2006-07 के लिए लक्ष्य परिशिष्ट 10.3.4.2 और 10.3.4.3 में दशाए गए हैं।

### भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण

10.3.4.11 126 हवाई अड्डों के प्रबंधन और विकास के लिए ए ए आई जिम्मेदार है, जिसमें 11 अन्तरराष्ट्रीय, 89 घरेलू तथा 26 सिविल इन्क्लेव जो डिफेंस एयरफील्ड्स पर स्थित हैं, हवाई अड्डे भी शामिल हैं। एएआई समूचे देश से प्रचालित एयरक्राफ्ट्स को 2.8 मिलियन वर्ग नोटिकल मील का एयर स्पेश की हवाई विमानन सेवाएं उपलब्ध कराती है। 2006-07 के लिए एएआई का योजना-परिव्यय ₹0 1506.44 करोड़ रखा गया। जिस में 42.91 करोड़ ₹0 की सकल बजटीय सहायता भी शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में एवं स्कीमों के अंतर्गत जम्मू, श्रीनगर, लेह, लद्दाख, अमृतसर में एयरपोर्ट के विकास के लिए बजटीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। भौतिक निष्पादन के रूप में 2005-06 भौतिक लक्ष्यों की तुलना में यात्री क्षमता और ट्रैफिक में 5.37% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है जो 2006-07 में 573.42 लाख ₹0 हो गया है। कार्गो और ट्रैफिक में 7.14% की वृद्धि हुई है, यह वृद्धि 2005-06 की तुलना में है, जो 2006-07 में 743.62 हजार टन हो गया है।

10.3.4.12 हवाई अड्डे पर क्षमता और सुविधाओं में सुधार के लिए निजी क्षेत्र की सहायताओं में सुधार के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिताओं संबंधी पहल संबंधी कार्रवाई चल रही है। मुम्बई और दिल्ली का एयरपोर्ट संयुक्त कम्पनी में

क्रमशः मुम्बई इंटरनेशनल एयर पोर्ट लि0 (एमआईएएल) और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि0 (डीआईएएल) को सुपुर्द कर दिए गए हैं। नए टर्मिनल्स को विश्व श्रेणी का स्तर 2010 तक प्रदान कर दिया जाएगा। बंगलौर और हैदराबाद के पास दो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स भी सार्वजनिक निजी सहभागिता से "बिल्ड औन ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर" आधार पर विकसित किए जा रहे हैं।

10.3.4.13 2005-06 के लिए भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां एवं 2006-07 के लिए एआई के लक्ष्य परिशिष्ट 10.3.4.4 पर दर्शाए गए हैं।

### अन्य स्कीमें

10.3.4.14 पवन हंस हेलीकाप्टर्स लि. देश में हेलीकाप्टर सेवा के लिए एक अग्रणी कम्पनी है। 2006-07 के लिए पवन हंस लि0 कम्पनी क0 का परिव्यय 175.00 करोड़ ₹ रखा गया, जिस में से 156.50 करोड़ ₹ नई स्कीमों के लिए रखा गया, जो इस प्रकार हैं 2 मध्यम हेलीकाप्टर्स के लिए 57.50 करोड़ रुपये बकाया भुगतान, 72.00 करोड़ ₹ दो मध्यम हेलीकाप्टर्स के पूर्ण भुगतान हेतु तथा 27.00 करोड़ डॉफिन फ्लीट के नवीनीकरण हेतु निर्धारित किए गए।

10.3.4.15 नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी.सी.एस) भारत में नागरिक विमानन सुरक्षा नियामक प्राधिकरण है। वर्ष 2006-07 के लिए ₹ 5.00 करोड़ का परिव्यय रखा गया है, जिसमें मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 1.45 करोड़ रुपये नागर विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण एकादमी की स्थापना के लिए सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना और निर्माण के लिए ₹ 2.00 करोड़ का प्रावधान किया गया।

10.3.4.16 नागर विमानन महानिदेशालय, उत्तम हवाई स्तर, सुरक्षा प्रचालन भारत में नए प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार है। 2006-07 के लिए डी जी सी ए का परिव्यय 29.00 करोड़ रखा गया, जिसमें से 25.00 करोड़ ₹ गोंदिया में नई फ्लाईंग अकादमी स्थापित करने के लिए रखे गए हैं।

10.3.4.17 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय उड़ान एकादमी (आईजीआरयू) देश में एक अग्रणी उड़ान संस्था है, जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर की उड़ानों का प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार है, जो कॉमर्शियल पायलैट लाइसेंस देने के लिए जरूरी है। वार्षिक योजना 2006-07 के परिव्यय के लिए 40.30 करोड़ ₹ का प्रावधान मुख्यतः 10 एकल इंजन हेलीकाप्टर्स की खरीद 1 मल्टी इंजन एयरप्राफ्ट एण्ड स्पेयर, सिविल एण्ड इलैक्ट्रिकल वर्क्स, प्रशिक्षण सामग्री और उपस्कर, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए तथा कार्यालय उपकरणों और हॉस्टल मैस उपकरणों आदि के लिए किया गया।

10.3.4.18 होटल करपोरेशन ऑफ इंडिया, जो एयर इंडिया लि0 (एच सी आई) की सहायक कम्पनी है, यात्रियों को आतिथ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें हवाईजहाज में खान-पान व्यवस्था तथा होटल्स की श्रृंखला भी शामिल है। वर्ष 2006-07 के दौरान ₹ 15.00 करोड़ होटल के कमरों के उन्नयन और सामान्य विभागीय पूंजी खर्च के रूप में आवंटित किए गए।

10.3.4.19 भारतीय एरोक्लब, सभी फ्लाईंग क्लबों के ग्लाइडिंग क्लबों और एरो-स्पार्ट्स संगठनों का शीर्षस्थ निकाय है। 2006-07 की वार्षिक योजना में ₹ 12.79 करोड़ ₹ का परिव्यय एरो स्पोर्ट्स और एवियशनके प्रसार और विकास के लिए रखा गया।

10.3.4.20 एयर इंडिया चार्टर्ड लि0 (एआईसीएल) एयर इंडिया की सहायक कम्पनी है। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए ए आई सी एल के लिए ₹ 70.70 करोड़ का परिव्यय रखा गया, जिसमें से 50.00 करोड़ ₹ नॉन एयरक्राफ्ट परियोजनाओं, 20.70 करोड़ के एयरक्राफ्ट लेने के लिए रखे गए हैं। फ्लीट अधिग्रहण उद्देश्य हेतु 18 बी 737-800 एयरक्राफ्ट्स की खरीद हेतु आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। मार्च 2007 तक 6 नए एयर क्रफ्ट्स भी प्राप्त किए जाने हैं और प्राप्ति अनुसूची के अनुरूप उन्हें ए आई सी एल की फ्लीट में शामिल करना है।

(करोड़ रुपए)

; kst uk dk foRr i kSk. k						
	10वीं योजना	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 वास्तविक (अंतिम)	2006-07 (ब.अ.)
जीबीएस	27600	5778*	7081*	8669*	8073*	7511
बाजार से उधार	33000	3000	2837	3041	3213	5170
आंतरिक संसाधन		3541	3476	3712	7032	10794
<b>dy</b>	<b>60600</b>	<b>11408</b>	<b>13394</b>	<b>15422</b>	<b>18318</b>	<b>23475</b>

\* 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 के लिए राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए रु. 350 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, 1165 करोड़ शामिल हैं।

संलग्नक-10.3.1.2

मूल यातायात (मिलियन टन में)

(रुपए करोड़)

वर्ष	मूल यातायात (मिलियन टन में)			निवल टन किलोमीटर (बिलियन में)		
	राजस्व अर्जन	गैर-राजस्व अर्जन	कुल	राजस्व अर्जन	गैर-राजस्व अर्जन	जोड़
1991-92	338.0	22.0	360.0	250.2	6.7	257.0
1992-93	350.0	20.8	370.8	252.4	5.7	258.0
1993-94	358.7	18.8	377.5	252.4	4.7	257.0
1994-95	365.0	16.6	381.6	249.6	3.4	253.0
1995-96	390.6	14.3	405.0	271.1	2.6	274.0
1996-97	409.0	14.4	423.4	277.6	2.4	280.0
1997-98	429.4	16.1	445.5	284.3	2.5	287.0
1998-99	420.9	20.7	441.6	281.5	2.8	284.0
1999-2000	456.4	21.8	478.2	305.2	2.8	308.0
2000-2001	473.5	30.7	504.2	312.4	3.1	316.0
2001-02	492.5	29.7	522.2	333.2	3.2	336.0
दसवीं योजना लक्ष्य 624 मिलियन टन				3966 बिलियन टन किलोमीटर		
2002-03	518.7			353.2		
2003-04	557.4			381.2		
2004-05 (वास्तविक)	602.1			407.4		
2005-06 (बीई)	635.0	लागू नहीं	635.0	432.0	लागू नहीं	432.0
2005-06 (आईई)	668.0			440.9		
2005-06 (वा.अ.)	667.4	लागू नहीं	667.4	441.1	लागू नहीं	441.0
2006-07 (आरई)	726.0			479.5		

यात्रियों की संख्या (मिलियन में)

(रुपए करोड़)

वर्ष	यात्रियों की संख्या (मिलियन में)			यात्री किलोमीटर (बिलियन में)		
	उप-नगरीय	गैर-उप नगरीय	कुल	उप-नगरीय	गैर-उप नगरीय	कुल
1991-92	2411.0	1637.1	4048.1	63.4	251.2	314.6
1992-93	2282.0	1467.0	3749.0	60.5	239.7	300.2
1993-94	2302.0	1406.0	3708.0	63.1	233.2	296.3
1994-95	2430.0	1485.0	3915.0	68.0	251.0	319.0
1995-96	2481.0	1557.0	4038.0	72.6	261.4	334.0
1996-97	2578.0	1575.0	4153.0	76.5	280.5	357.0
1997-98	2657.0	1691.0	4348.0	78.8	301.1	379.9
1998-99	2724.8	1743.7	4468.5	83.5	321.1	404.6
1999-2000	2836.4	1814.3	4650.7	85.8	345.6	431.4
2000-2001	2867.9	1971.9	4839.8	89.5	368.2	457.7
2001-2002	3075.5	2093.8	5169.3	93.6	400.6	494.2
<b>100ha ; kstuk y{; 5885 fefy;u ; k=h] 625 fcfy;u ; k=h fdykeVj</b>						
2002-03	2934.0	2037.0	4971.0	90.0	425.0	515.0
2003-04	2986.0	2126.0	5112.0	96.0	445.0	541.0
2004-05 (वा.)	3184.0	2232.0	5416.0	102.0	468.0	570.0
2005-06 (बीई)	3355.1	2352.3	5707.4	105.3	491.2	596.4
2005-06 (आरई)	3449.9	2368.3	5818.2	110.7	503.8	614.5
2005-06 (वा.अ.)	3334.5	2551.7	5886.3	108.0	511.8	619.9
2006-07 (बीई)	3794.9	2605.1	6400.0	122.9	559.8	682.7

क्र.सं. योजना शीर्ष

(रुपए करोड़)

क्र.सं.	योजना शीर्ष	10वीं योजना लक्ष्य	2002-03 वा.	2003-04 वास्तविक अनुमान	2004-05 ब.	2004-05 वा.अ.	2005-06 ब.अ.	2005-06 वा.अ.	2006-07 ब.अ.
1	रोलिंग स्टॉक	16175.0	3772.0	3784.0	4571.0	4491.0	5159.0	5025.0	7100.1
2	कार्यशालाएं व शेड	1000.0	215.0	204.3	273.0	190.0	360.0	238.0	444.0
3	मशीनरी व संयंत्र	555.0	116.0	152.9	159.0	177.0	214.0	186.0	255.5
4	टैक नवीकरण पुल	7420.0	2703.0	2781.5	2570.0	3444.0	2623.0	3206.0	3721.0
5	पुल निर्माण कार्य	425.0	204.0	232.4	528.0	388.0	755.0	409.0	594.5
6	गेज परिवर्तन	2500.0	807.0	1164.2	780.0	1171.0	645.0	1242.0	1450.9
7	दोहरीकरण	4000.0	608.0	532.2	480.0	488.0	505.4	687.0	1056.8
8	अन्य यातायात सुविधाएं	1500.0	225.0	205.4	306.0	277.0	486.2		
9	सिगनलिंग व दूरसंचार	610.0	725.0	690.1	813.0	818.0	1185.0		1528.5
10	सड़क सुरक्षा आरओबी/आरयूबी लेवल क्रॉसिंग	2150.0	450.0	166.2	401.0	201.0	710.8	145.0 117.0	710.9
11	कम्प्यूटरीकरण	500.0	139.0	68.0	188.0	96.0	160.0	110.0	273.0
12	विद्युतीकरण	1500.0	238.0	148.4	125.0	115.0	102.0	73.0	227.5
13	अन्य विद्युतीकरण	1000.0	130.0	120.1	170.0	156.0	186.0	160.0	215.5
14	नई लाइनें	2500.0	911.0	1537.7	947.0	1712.0	657.8	1991.0	1510.2
15	स्टॉफ क्वार्टर्स	250.0	67.0	45.9	75.0	46.0	80.0	61.0	115.5
16	स्टाफ कल्याण	250.0	65.0	55.1	65.0	68.0	93.0		140.0
17	प्रयोक्ता सुविधाएं	650.0	200.0	181.2	215.0	223.0	222.0		
18	अन्य निर्दिष्ट कार्य	365.0	79.0	108.6	165.0	150.0	232.0	188.0	249.5
19	माल सूचियां (इनवेंटरीज)	3100.0	390.0	363.1	250.0	430.0	162.0	698.0	350.0
20	एमटीपी	2500.0	266.0	351.1	385.0	317.0	275.0	212.0	308.0
21	रेलवे अनुसंधान	100.0	20.0	3.7	15.0	14.0	43.0		-
22	सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों में निवेश	50.0		500.0	717.0	450.0	493.0	173.0	-
	कुल	<b>49100.0*</b>	<b>12330.0</b>	<b>13393.9**</b>	<b>14198.0</b>	<b>15422.0**</b>	<b>15349.0</b>	<b>18318.0**</b>	<b>23475.0</b>

\* दसवीं योजना में कुल अनुमोदित परिव्यय 60600 करोड़ रुपये है। 11500 करोड़ की राशि आबंटित नहीं की गई है।

\*\* राष्ट्रीय परियोजना का व्यय शामिल है।

हार्डवेयर & मशीनरी का वार्षिक व्यय का विवरण (करोड़ रुपये में)

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम	यूनिट	10वीं योजना लक्ष्य	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07
				लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	चार लेन में सड़क को चौड़ी बनाना	किमी.	800	47	26	49	36	48	37	27	32	37
2	दो लाइन में सड़क को चौड़ी बनाना	किमी.	4000	751	610	576	555	670	536	982	811	901
3	दो लाइन वाली कमजोर सड़कों को मजबूत बनाना	किमी.	2000	587	580	567	703	617	628	755	869	527
4	बाई पासिज	किमी.	25	9	6	7	5	4	1	4	1	4
5	पुलों का निर्माण पुर्नस्थापन	किमी.	300	174	134	109	125	184	81	136	90	120
6	राईडिंग की गुणवत्ता में सुधार	किमी.	10000	4125	4833	4129	3496	3035	2967	2299	2419	1821

संलग्नक-10.3.2.2

दस्तावेज: I MeI {k= ifj0; @0; ;

(करोड़ रुपए में)

कम. सं.	स्कीमें	वार्षिक योजना (2002-03)		वार्षिक योजना (2003-04)		वार्षिक योजना (2004-05)		वार्षिक योजना (2005-06) परिव्यय	वार्षिक योजना (2005-06) आई	वार्षिक योजना (2006-07) बीई	
		परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	13990.50	2158.00	1512.74	2390.90	1448.90	3323.70	1602.30	3200.30	2954.05	1978.00
	क) बाहरी सहायता प्राप्त (आरडब्ल्यू)	2560.00	123.80	4.88	39.30	0.00	80.00	2.65	160.00	4.00	-
	ख) काउंटर पार्ट हिन्दी (आर डब्ल्यू)	640.00	31.00	4.66	21.50	0.00	33.50	0.00	40.00	-	-
	ग) पीआईसी को सुदृढ बनाना	0.50	0.10	0.10	0.10	0.00	0.20	0.07	0.30	-	0.30
	<b>b , ih ea-ky;</b>	<b>3200.50</b>	<b>154.90</b>	<b>9.64</b>	<b>60.90</b>	<b>0.00</b>	<b>113.70</b>	<b>2.72</b>	<b>200.30</b>	<b>4.05</b>	<b>0.30</b>
	घ) बाहरी सहायता प्राप्त (एनएचआई)	8712.00	1602.00	1202.00	1863.52	1159.12	2568.00	1239.08	2400.00	2350.00	1582.20
	ड) काउंटर पार्ट निधी (एनएचआई)	49.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एनएचआई को ऋण	2028.00	401.00	301.00	466.38	289.78	642.00	360.50	600.00	600.00	395.50
	<b>b, ih ,u, p, vkbz</b>	<b>10789.50</b>	<b>2003.00</b>	<b>1503.00</b>	<b>2329.90</b>	<b>1448.90</b>	<b>3210.00</b>	<b>1599.58</b>	<b>3000.00</b>	<b>2950.00</b>	<b>1977.70</b>
2	अन्य स्कीमें (एनएच)	8664.00	1440.00	1425.17	1544.00	1474.57	1482.00	1503.88	1427.30	1577.00	1550.30
3	बीआरडीबी के तहत कार्य	950.00	145.00	210.04	210.00	256.00	210.00	210.00	415.00	415.00	584.00
4	एक्सप्रेस यात्रा (घरेलू)	20.00	1.00	0.40	1.02	0.33	0.50	0.37	1.00	0.92	1.75
5	अन्य प्रभार		1.00	0.03	0.50	0.0045	0.40	0.00	1.00	0.08	0.00
6	सूचना प्रौद्योगिकी का विकास	20.00	4.00	2.48	5.00	1.81	3.00	0.29	6.00	3.00	6.00
7	रणनीतिक सड़के	50.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	बीआरडीबी के तहत रणनीतिक सड़के		8.50	10.25	19.00	24.50	19.50	19.16	71.00	71.00	74.17
9	आरएण्डडी पिग स्टेडीज	20.00	3.00	1.75	3.00	0.19	7.90	0.61	4.85	4.85	6.00
10	प्रशिक्षण	10.50	1.50	0.43	12.00	10.61	1.00		1.50	1.50	1.50
11	मशीनरी और उपस्कर	15.00	2.00	1.50	7.00	6.29	3.00	3.00	15.72	15.72	10.00
12	चार्ज किया गया व्यय	50.00	5.00	5.00	5.00	3.71	5.00	0.03	5.00	5.00	5.00
13	एनएचआई (निवेश)	10500.00	2000.00	2000.00	1993.00	1993.00	1848.00	1848.00	3269.74	3269.74	6407.45
14	सीआरएफ से राज्यों हेतु ई एण्ड आई	500.00	95.00	25.00	95.00	64.52	92.00	16.88	162.05	162.05	266.58
15	सीआरएफ से यूटी के लिए ई एण्ड आई		5.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	8.54	8.54	14.03
16	एनएचडीपी III दो लाईन के एक्सप्रेस वे और 6 लाइनिंग										
17	विशिष्ट त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम-पूर्वोत्तर								1400.00	700.00	110.00
18	स्वामंत्रालय के तहत अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक सड़के								450.00	449.44	550.00
	<b>द्वय %ch, l ½</b>	<b>34790.00</b>	<b>5870.00</b>	<b>5194.79</b>	<b>6290.92</b>	<b>5284.44</b>	<b>7000.00</b>	<b>5204.52</b>	<b>10539.00</b>	<b>9737.89</b>	<b>11564.78</b>

ॐkjri; jkVh; jktekx i f/kdj.k  
cigjh l gk; rk iklr ifj; lstukvka dk c; lsk

(रुपए करोड़)

क्र. सं.	परियोजना का नाम एनएचडीपी फ़ेस-1	लम्बाई	एनएच नं.	श्रेणी	द्वारा वित्त पोषित	सौंपी परियोजना लागत	पूर्ण होने की संभावित	31.3.06 तक व्यय	बजट अनुमान 2006-07 के अनुसार			2006 में अप्रैल से सितंबर में किया गया वास्तविक व्यय		
									बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग	बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग
	<b>ijh gpl ifj ; lstuk</b>													
1	खागा कोखराज (टीएनएचपी/III-ए)	43	2	जीक्यू	डब्ल्यूबी	151.70	जून-2004	204.30	1.60	0.40	2.00	2.24	0.27	2.51
2	मोहनिया ससाराम (टीएनएचपी/IV-बी)	45	2	जीक्यू	डब्ल्यूबी	230.55	फरवरी-2004	265.88	4.08	1.02	5.10	6.45	0.72	7.17
3	सोनपर डेहरी ओरंगाबाद (टीएनएचपी/IV-डी)	40	2	जीक्यू	डब्ल्यूबी	242.61	फरवरी-2004	272.07	4.08	1.02	5.10	0.30	0.00	0.30
	<b>mi &amp; ; lsk</b>	<b>128</b>				<b>624.86</b>		<b>742.25</b>	<b>9.76</b>	<b>2.44</b>	<b>12.20</b>	<b>8.99</b>	<b>0.99</b>	<b>9.98</b>
4	गाजियाबाद - और हापुड बाईपास	33	24	अन्य	जेबीआईसी	84.00	अप्रैल-2002	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	यमुना नदि पार केबल स्टेड ब्रिज	6	27	अन्य	जेबीआईसी	219.78	फरवरी-2004	301.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	विजयवाड़ा चिल्कालुरिपोट पैकेज II	32	5	जीक्यू	जेबीआईसी	80.00	मार्च-2002	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	विजयवाड़ा चिल्कालुरिपोट पैकेज I	25	5	जीक्यू	जेबीआईसी	60.00	मार्च-2002	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	विजयवाड़ा चिल्कालुरिपोट पैकेज III	23.78	5	जीक्यू	जेबीआईसी	68.00	मार्च-2002	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	विजयवाड़ा चिल्कालुरिपोट पैकेज IV	2.88	5	जीक्यू	जेबीआईसी	58.00	मई-2002	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	चंडीखोल - जगतपुर	27.8	5	जीक्यू	जेबीआईसी	103.35	फरवरी-2003	141.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>mi &amp; ; lsk</b>	<b>150.46</b>				<b>673.13</b>		<b>863.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11	सूरत (चलठान) - अतुल	79.6	8	जीक्यू	एडीबी	504.60	अक्टूबर-2003	472.79	12.60	7.40	20.00	0.00	0.00	0.00
12	नंदीग्राम - विजयवाड़ा	48	9	अन्य	एडीबी	84.00	अप्रैल-2000	80.93	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
13	अलूरू - विजयवाड़ा पैकेज V	72	5	जीक्यू	एडीबी	134.00	जनवरी-2002	347.22	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
14	कजलीमनोर	57.4	8	जीक्यू	एडीबी	192.71	अक्टूबर-2003	337.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	अतुल कजली	38.6	8	जीक्यू	एडीबी	174.59	अप्रैल-2003	288.26	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	1.08
16	गुड़गांव - कोटपुतली	126	8	जीक्यू	एडीबी	251.00	मार्च-2001	370.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	सिरसा - टिमपुर	41.4	4	जीक्यू	एडीबी	184.00	अगस्त-2004	223.63	3.78	2.22	6.00	0.35	0.00	0.35
18	बरवाअड्डा बैराकर	43	2	जीक्यू	एडीबी	120.00	दिसम्बर-2001	199.26	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.89
19	रानीगंज - पानागढ़	42	2	जीक्यू	एडीबी	137.00	नवंबर-2001	231.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>mi ; lsk</b>	<b>548.00</b>				<b>1781.90</b>		<b>2551.49</b>	<b>16.38</b>	<b>9.62</b>	<b>26.00</b>	<b>2.35</b>	<b>0.00</b>	<b>2.35</b>
	<b>egk; lsk</b>					3079.89		4156.86	26.14	12.06	38.20	11.34	0.99	12.33



संलग्नक 10.3.2.3 tkjh

वक्रि; jkVh; jktekx ikf/kdj.k  
cigjh l gk; rk ikr ifj; kstukv dk C; l gk

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई	एनएच नं.	श्रेणी	द्वारा वित्त पोषित	सौपी परियोजना लागत	पूर्ण होने की संभावित	31.3.06 तक व्यय	बजट अनुमान 2006-07 के अनुसार			2006 में अप्रैल से सितंबर में किया गया वास्तविक व्यय				
									बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग	बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग		
	एनएचडीपी फेस-II															
	<b>py jgh ifj ; kstuk, a</b>															
1	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएच-2)	47.00	28.00	ईडब्ल्यू डब्ल्यूबी	डब्ल्यूबी	217	सित.-2008	23.32	58.56	14.64	73.20	3.15	0.56	3.70		
2	कोटवा - देवपुर (एलएमएनएचपी-10)	38.00	28.00	ईडब्ल्यू डब्ल्यूबी	डब्ल्यूबी	240	अक्तू.-2008	14.99	52.92	13.23	66.15	15.50	2.73	18.23		
3	मुजफ्फरपुर (एलएमएनएचपी-12)	40.00	28.00	ईडब्ल्यू डब्ल्यूबी	डब्ल्यूबी	275	अगस्त-2008	16.71	54.52	13.63	68.15	20.60	3.64	24.24		
4	युपी/बिहार बॉर्डर - कासिया (एलएमएनएचपी-8)	41.12	28.00	ईडब्ल्यू डब्ल्यूबी	डब्ल्यूबी	227		19.24	58.92	14.73	73.65	5.97	1.05	7.02		
5	कासिया - गोरखपुर (एलएमएनएचपी-7)	40.00	28.00	ईडब्ल्यू डब्ल्यूबी	डब्ल्यूबी	242		19.76	59.72	14.93	74.65	19.51	3.44	22.95		
6	अयोध्या - लखनऊ (एलएमएनएचपी-1)	36.00	28.00	ईडब्ल्यू डब्ल्यूबी	डब्ल्यूबी	193	सित.-2008	14.89	66.41	16.60	83.01	7.76	1.37	9.13		
7	अयोध्या - लखनऊ (एलएमएनएचपी-3)	41.93	28.00	ईडब्ल्यू डब्ल्यूबी	डब्ल्यूबी	212	अक्तू.-2008	29.01	63.56	15.89	79.45	0.00	0.00	0.00		
8	गोरखपुर - अयोध्या (एलएमएनएचपी-5)	44.00	28.00	ईडब्ल्यू डब्ल्यूबी	डब्ल्यूबी	227	अक्तू.-2008	17.59	63.58	15.90	79.48	3.48	0.61	4.09		
9	गोरखपुर - अयोध्या (एलएमएनएचपी-6)	43.70	28.00	ईडब्ल्यू डब्ल्यूबी	डब्ल्यूबी	239	अक्तू.-2008	17.82	62.78	15.70	78.48	11.98	2.11	14.09		
10	मेहसी - कोटवा (एलएमएनएचपी-11)	40.00	28.00	ईडब्ल्यू डब्ल्यूबी	डब्ल्यूबी	239	अगस्त-2008	18.73	53.72	13.43	67.15	3.71	0.65	4.36		
11	गोरखपुर - अयोध्या (एलएमएनएच-4)	29.00	28.00	ईडब्ल्यू डब्ल्यूबी	डब्ल्यूबी	205	अक्तू.-2008	14.74	63.58	15.90	79.48	5.92	1.04	6.96		
12	देवापुर-युपी/बिहार बॉर्डर (एलएमएनएचपी-9)	41.09	28.00	ईडब्ल्यू डब्ल्यूबी	डब्ल्यूबी	300	अक्तू.-2008	16.38	53.72	13.43	67.15	22.73	4.01	26.74		
	<b>dy tMh+</b>	<b>481.83</b>				<b>2816</b>		<b>223.18</b>	<b>712.00</b>	<b>178.00</b>	<b>890.00</b>	<b>120.28</b>	<b>21.23</b>	<b>141.51</b>		

(रुपए करोड़)



ikkuæh xle l Mæ ; ktuk ds rgr vlofVr@tkjh jkf'k

क्रम. No.	नाम	आवंटन										जारी राशि				
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05**	2005-06***	2006-07***	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	आंध्र प्रदेश	190.00	190.00	190.00	90.00	90.00	100.00	100.00	195.00	224.65	219.84	100.63	88.97	187.69		
2	अरुणाचल प्रदेश	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	52.00	52.00	40.95	45.18	41.51	0.00	0.00	53.81		
3	असम	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	176.00	176.00	75.00	80.00	75.39	171.09	164.52	156.82		
4	बिहार	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	332.00	332.00	149.90	1.01	0.00	151.51	29.58	234.29		
5	छत्तीसगढ़	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	235.00	235.00	92.41	99.06	159.60	110.66	218.68	307.57		
6	गोवा	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.04	0.11	0.00	0.00	0.00		
7	गुजरात	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	60.00	59.81	60.38	51.70	45.67	0.00	70.56		
8	हरियाणा	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	25.18	30.29	44.75	9.00	28.6	20.56		
9	हिमाचल प्रदेश	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	82.00	82.00	60.00	72.28	104.57	66.99	13.95	171.27		
10	जम्मू और कश्मीर	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	60.00	60.00	20.00	0.22	35.00	0.74	20.00	70.35		
11	झारखण्ड	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	170.00	170.00	110.05	120.00	0.00	125.37	0.00	152.70		
12	कर्नाटक	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	105.00	105.00	100.57	108.37	97.74	60.84	0.00	143.02		
13	केरल	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	19.71	27.87	11.43	11.12	10.39	42.41		
14	मध्य प्रदेश	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	435.00	435.00	217.64	249.22	450.39	292.73	260.96	376.29		
15	महाराष्ट्र	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	140.00	140.00	130.21	134.50	115.48	76.35	0.00	141.92		
16	मानिपुर	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	28.00	28.00	40.00	40.14	0.00	0.00	18.00	6.33		
17	मध्यालय	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	40.00	40.00	34.95	45.83	35.00	0.38	0.00	7.50		
18	मिजोरम	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	27.00	27.00	19.93	26.66	50.88	21.21	47.85	60.99		
19	नागालैंड	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	19.75	25.65	22.23	21.87	18.00	56.03		
20	उड़ीसा	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	268.00	268.00	179.70	175.00	170.43	175.85	178.75	305.29		
21	पंजाब	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	30.00	30.00	24.66	55.26	20.39	28.25	0.00	48.90		
22	राजस्थान	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	229.00	229.00	140.09	150.00	242.61	191.03	653.94	434.82		
23	सिक्किम	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	13.16	20.07	17.81	20.22	0.00	41.20		
24	तमिलनाडु	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	85.00	85.00	99.25	88.57	80.32	86.97	79.78	58.95		
25	त्रिपुरा	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	35.00	35.00	24.75	26.91	25.00	0.23	0.00	21.76		
26	उत्तर प्रदेश	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	370.00	370.00	321.11	350.01	240.54	338.11	328.76	644.69		
27	उत्तरांचल	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	95.00	95.00	60.63	70.20	0.00	71.10	0.00	14.29		
28	पश्चिम बंगाल	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	221.00	221.00	135.00	149.65	159.52	136.30	275.90	355.58		
29	अंडमान और निको. द्वीप समूह	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30	दादर एवं नगर हवेली	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
31	दमन और दीव	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	दिल्ली	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	लक्षद्वीप	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	पांडिचेरी	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल	2370.00	2375.00	2340.00	2220.00	2220.00	3480.00	3480.00	2435.00	2496.91	2472.13	2314.33	2436.6	4190.59		

\* व्यय का मानीटर चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

\*\* बाहरी सहायता प्राप्त घटक शामिल नहीं है।

दम्ह; ik; ktr Ldheka ds rgr tkjh jkf'k dk jkT; &okj vko&u  
varj jkT; h; ,oa vkfFkd egRo dh l Mda

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/के.शा. प्रदेश	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-06		2006-07
		आवंटन	जारी राशि	आवंटन						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आंध्रप्रदेश		0.00		0.00		0.00		14.91	
2	अरुणाचल प्रदेश		1.17		6.00		2.57		3.00	
3	असम		0.15		0.00		6.50		7.50	
4	बिहार		0.00		0.00		0.00			
5	चंडीगढ़		0.00		0.00		0.00		1.01	
6	छत्तीसगढ़		3.22		4.23		0.00			
7	दिल्ली		0.00		0.00		0.00			
8	गोवा		0.33		0.00		0.00			
9	गुजरात		0.00		7.82		0.00		8.67	
10	हरियाणा		0.00		0.00		0.00			
11	हिमाचल प्रदेश	रूपये	0.00	रूपये	0.00	रूपये	0.00	रूपये		रूपये
12	जम्मू और कश्मीर	95.00	0.14	95.00	0.00	92.00	0.00	162.00		156.00
13	झारखण्ड	करोड़	0.00	करोड़	0.00	करोड़	0.00	करोड़		करोड़
14	कर्नाटक	राज्यों	0.00	राज्यों	2.00	राज्यों	2.00	राज्यों	12.46	राज्यों
15	केरल	और	0.00	और	0.00	और	0.00	और		और
16	मध्यप्रदेश	रूपए	0.00	रूपए	0.00	रूपए	0.00	रूपए		रूपए
17	महाराष्ट्र	5.00	1.06	5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.01	14.03
18	मणिपुर	करोड़	0.00	करोड़	0.00	करोड़	0.00	करोड़		करोड़
19	मेघालय	के.शा.प्रे.	0.00	के.शा.प्रे.	0.00	के.शा.प्रे.	0.00	के.शा.प्रे.		के.शा.प्रे.
20	मिजोरम	के लिए	4.81	के लिए	2.66	के लिए	0.00	के लिए	5.14	के लिए
21	नागालैण्ड		8.45		4.00		0.00		3.75	
22	उड़ीसा		0.00		0.49		2.60		7.03	
23	पांडिचेरी		0.00		0.00		0.00			
24	पंजाब		0.00		0.00		0.00		1.73	
25	राजस्थान		1.90		0.00		0.00		7.28	
26	सिक्किम		1.79		1.15		0.50		4.92	
27	त्रिपुरा		0.00		0.00		1.63			
28	तमिलनाडु		0.00		1.15		1.07			
29	उत्तर प्रदेश		0.00		11.95		0.00			
30	उत्तरांचल		2.00		23.07		0.00		7.69	
31	पश्चिम बंगाल		0.00		0.00		0.00			
	जोड़	100.00	25.00	100	64.52	96.00	16.87	170.59	86.09	170.61

\* आवंटन राज्य/के.शा.प्रे. वार नहीं है।

\*\* राशि किए गए खर्च के आधार पर जारी की है।

1 Md ifjogu & ifj0; ; rFkk 0; ;

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम	10वीं योजना परिव्यय	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07
			परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय
1	सड़क सुरक्षा	153.00	22.00	22.76	29.00	28.24	33.20	27.86	35.55	22.77	37.20
2	प्रदूषण परीक्षण व नियंत्रण	10.00	1.25	2.10	2.30	0.25	2.00	0.10	1.00	0.86	0.50
3	नेशनल डाटाबैस नेटवर्क/ इंजीनियरी	13.00	2.76	1.94	2.60	2.24	2.30	1.74	1.95	1.25	3.00
4	मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल	24.00	3.99	2.95	6.10	4.75	6.50	6.50	7.50	6.93	9.80
5	प्रणाली के लिए मंजूी समर्थन	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>ttkM+</b>	<b>210.00</b>	<b>30.00</b>	<b>29.75</b>	<b>40.00</b>	<b>35.48</b>	<b>44.00</b>	<b>36.20</b>	<b>46.00</b>	<b>31.81</b>	<b>50.00</b>

निर्माण ; कस्तूरक एन सीएनके ; कस्तूरक ईएनके ; एनके ; कस्तूरक एनके ; कस्तूरक

(रूप में करोड़ में)

क्रम सं.	पत्तन/संगठन का नाम	10वीं योजना के परिव्यय	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07 (बीई)
			अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(ए)	प्रमुख पत्तन										
1(क)	कोलकाता	150.80	8.30	0.85	13.30	5.41	6.30	7.00	3.57	7.54	5.03
(ख)	हल्दिया डोक परिसर	288.62	16.62	5.25	47.00	3.98	30.40	30.42	44.47	44.47	45.00
(ग)	आर आर स्कीमें	350.00	175.00	0.75	150.00	1.09	9.52	10.13	6.00	4.53	0.01
	<b>dy dkydkrk</b>	<b>789.42</b>	<b>199.92</b>	<b>6.85</b>	<b>210.30</b>	<b>10.48</b>	<b>46.22</b>	<b>47.55</b>	<b>54.04</b>	<b>56.54</b>	<b>50.04</b>
2	मुम्बई	880.20	109.05	100.76	54.21	57.81	56.15	44.49	74.53	33.30	59.86
3	जवाहरलाल नेहरू	262.75	146.36	40.26	143.02	12.73	102.14	58.85	96.84	67.76	106.14
4	चेन्नई	326.70	95.99	85.50	36.69	29.21	16.75	22.68	46.71	13.00	35.00
5	कोचीन	366.51	-	10.02	18.88	10.86	85.41	9.52	53.12	21.78	73.84
6	विशाखापटनम	240.84	49.06	51.30	51.00	55.65	54.44	27.68	27.00	19.42	27.33
7	कांडला	416.71	94.78	55.89	66.71	41.50	92.28	52.89	93.30	98.00	94.66
8	मोरमुगांव	348.06	30.86	26.53	87.14	43.06	53.85	11.05	33.50	18.67	28.06
9	पारादीप	222.70	59.00	41.42	53.40	14.56	87.16	28.99	116.00	48.00	83.40
10	नया मंगलौर	147.40	37.00	24.41	25.00	5.14	20.00	29.60	26.00	17.52	18.00
11	तूतीकोरिन	230.00	76.10	36.02	17.54	21.84	25.81	5.48	43.67	31.28	52.31
12	एन्नोर पोर्ट लि.	300.00	1.00	0.00	150.00	0.99	95.00	2.32	76.00	15.00	70.00
13	सेथुसमुद्रम जहाज नहर परियोजना	-	-	-	1.00	0.00	10.00	-	107.00	150.00	304.00
	<b>tkm+ ¼ ½</b>	<b>4531.29</b>	<b>899.12</b>	<b>478.96</b>	<b>914.89</b>	<b>303.83</b>	<b>745.91</b>	<b>341.10</b>	<b>847.71</b>	<b>590.27</b>	<b>1002.64</b>
¼ k½	vu;										
1	डीसीआई	365.00	179.00	23.55	201.00	23.99	150.50	0.00	219.50	29.50	179.50
2	एसलएचडब्ल्यू	200.00	30.00	25.74	30.00	17.50	35.00	16.91	35.00	45.48	49.08
2क	सुनामी से पहले का कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.76
3	आर एण्ड डी	2.00	1.00	0.81	0.62	0.39	1.13	0.76	0.30	0.23	10.27
4	प्रशिक्षण	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
5	छोटी बंदरगाह	12.00	1.00	0.87	1.05	0.14	5.00	0.20	0.70	0.00	1.20
6	टीएएमपी	8.00	3.86	3.01	4.33	2.04	4.93	2.00	4.24	2.26	3.47
7	निजीकरण	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
8	सागर माला	-	-	-	-	-	24.48	-	-	-	-
8क	शिपिंग विभाग के लिए आईटी	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.25	0.50
9	वेब बेस्ट इलेक्ट्रानिक डाटा (ईडीआई)	-	-	-	-	-	-	-	6.00	0.34	7.83
	<b>; kx ¼ k½</b>	<b>587.00</b>	<b>214.88</b>	<b>53.98</b>	<b>237.00</b>	<b>44.06</b>	<b>206.04</b>	<b>19.87</b>	<b>266.04</b>	<b>77.06</b>	<b>341.61</b>
	<b>; kx ¼ d\$ k½</b>	<b>5118.29</b>	<b>1114.00</b>	<b>533.34</b>	<b>1151.89</b>	<b>347.89</b>	<b>966.95</b>	<b>360.97</b>	<b>1113.75</b>	<b>668.33</b>	<b>1333.25</b>
(ग)	सर्वेक्षण जहाज	300.00	45.00	8.95	50.00	-	100.00	0.00	50.00	0.00	20.00
	<b>dy ; kx ¼ d\$ k\$ x½</b>	<b>5418.29</b>	<b>1159.00</b>	<b>541.89</b>	<b>1201.89</b>	<b>347.89</b>	<b>1066.95</b>	<b>360.97</b>	<b>1163.75</b>	<b>668.33</b>	<b>1364.25</b>

; krk; kr dh okLrfod mlufR ¼ Üku okj½  
y{; @mi yfC/k; ka fefy; u Vu ea

Øe la	iRru dk uke	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07 y{;
		y{;	mi yfC/k							
1	कोलकाता	5.50	7.20	7.50	8.69	9.41	9.95	11.15	10.81	10.00
2	हल्दिया	26.25	28.6	31.40	32.36	33.95	36.21	39.83	42.22	41.80
3	पारादीप	22.20	23.90	26.30	25.31	27.49	30.10	33.47	33.11	40.80
4	विशाखापत्तनम	44.40	46.01	49.00	47.74	49.56	50.15	55.15	55.80	61.59
5	चेन्नई	32.50	33.69	36.60	36.71	39.17	43.81	49.00	47.25	52.20
6	तूतीकोरिन	13.65	13.29	13.65	13.68	14.20	15.81	17.40	17.14	18.20
7	कोचीन	12.79	13.00	13.50	13.57	14.07	14.09	15.50	13.94	15.69
8	नया मंगलौर	16.99	21.43	22.95	26.67	27.77	33.89	37.50	34.45	37.25
9	मोरमुगांव	22.93	23.65	24.35	27.88	28.78	30.65	34.00	31.69	35.30
10	जवाहरलाल नेहरू	25.80	26.84	29.70	31.18	32.20	32.81	36.20	37.75	43.22
11	मुम्बई	26.43	26.80	27.00	29.96	31.00	35.13	39.20	44.19	49.00
12	कानाडा	38.00	40.63	41.50	41.52	42.31	41.54	45.70	45.90	50.79
13	एन्नोर पोर्ट लिमि.	8.40	8.49	10.30	9.28	11.89	9.48	10.90	9.17	9.86
	<b>dy</b>	<b>295.84</b>	<b>313.53</b>	<b>333.75</b>	<b>344.55</b>	<b>361.80</b>	<b>383.62</b>	<b>425.00</b>	<b>423.42</b>	<b>465.70</b>

यु.एस.डी. में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान  
 (यु.एस.डी. में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान)

श्रेणी	विवरण	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07
		यु.एस.डी.	मिलियन/करोड़	यु.एस.डी.	मिलियन/करोड़	यु.एस.डी.	मिलियन/करोड़	यु.एस.डी.	मिलियन/करोड़	यु.एस.डी.
1	पी ओ एल	104.08	109.61	113.32	122.30	123.76	126.60	137.56	142.17	149.35
2	कच्चा लोहा	46.00	50.63	52.85	58.35	62.70	76.19	85.40	78.99	852.85
3	उर्वरक	3.58	2.88	4.33	2.86	2.97	3.82	6.66	6.64	7.46
4	एफ आर एम (डाई)	6.89	5.67	5.60	4.63	5.43	5.81	6.31	5.57	6.89
5	तापीय कोयला	31.10	32.88	36.72	32.89	35.61	33.34	34.36	37.49	40.56
6	पकाने का कोयला	15.10	15.23	17.50	16.05	17.55	19.48	23.35	21.76	25.80
7	कंटेनर का माल*	40.71 (3.14)	43.67 (3.37)	49.41 (3.84)	51.41 (3.90)	54.04 (4.17)	54.74 (4.23)	60.54 (4.74)	61.82 (4.610)	71.64 (5.38)
8	अन्य जहाज माल	48.38	52.96	54.02	55.51	59.74	63.64	70.82	68.99	78.71
	कुल	<b>295.84</b>	<b>313.53</b>	<b>333.75</b>	<b>344.55</b>	<b>361.80</b>	<b>383.62</b>	<b>425.00</b>	<b>423.43</b>	<b>465.70</b>

\*कोष्ठक में आंकड़े मिलियन टीईयूज दर्शाते हैं।

ifj0; ; vkj 0; ; & ikr ifjogu rFkk vkbZ MCY; Wh

(करोड़ रूपए)

Øe	{ks-d dk uke	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07
		vuekfnr ifj0; ;	okLrfod 0; ;	vuekfnr ifj0; ;	okLrfod 0; ;	vuekfnr ifj0; ;	okLrfod 0; ;	vuekfnr ifj0; ;
1	<b>ikr ifjogu</b>							
	एससीआई	1102.13	620.78	1063.25	261.28	1293.15	457.17	1588.17
	डीजी (शिपिंग)	15.00	10.93	12.82	7.31	8.20	6.73	12.00
	डीजी (एस-ई जीओवीएन)*	<b>3.00</b>	<b>1.72</b>	<b>5.00</b>	<b>2.38</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>	<b>5.50</b>
	आईएमयू*					<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
	डीजी (एलएल)	24.50	15.74	25.00	11.25	30.50	10.65	32.00
	उप-योग (1)	<b>1141.63</b>	<b>647.45</b>	<b>1101.07</b>	<b>279.84</b>	<b>1331.85</b>	<b>474.55</b>	<b>1626.67</b>
2	<b>vkbMCY; Wh</b>							
	आईडब्ल्यूआई	65.93	78.03	133.50	72.46	150.00	80.51	150.00
	सीआईडब्ल्यूटीसी	12.07	9.82	12.07	12.07	Nil	Nil	Nil
	<b>mi &amp; ; ks (2)</b>	<b>78.00</b>	<b>87.85</b>	<b>145.57</b>	<b>84.53</b>	<b>150.00</b>	<b>80.51</b>	<b>150.00</b>
	<b>l dy ; ks (1+2)</b>	<b>1219.63</b>	<b>735.30</b>	<b>1246.64</b>	<b>364.37</b>	<b>1481.85</b>	<b>555.06</b>	<b>1776.67</b>

\* स्कीम डीजी (पोत परिवहन) में समाहित है।

ukxfjd foekuu {k=d ds dk; Øe & foUkh; ixfr

(करोड़ रूपए)

Ø- la	I & Fkk	100ha ; kst uk	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07 ifj0; ;
			ifj0; ;	0; ;	ifj0; ;	0; ;	ifj0; ;	0; ;	ifj0; ;	0; ;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	एयर इंडिया लिमि.	2661.39	858.70	743.07	600.81	479.57	471.40	358.07	468.74	443.33	486.70
2	इंडियन एयरलाइन लि.	4240.50	510.00	418.93	280.00	248.78	226.00	221.70	911.73	192.13	706.00
3	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण										1506.44
	(I) एनएडी	3378.06	709.60	283.38	552.68	443.87	525.08	442.26	636.97	602.02	
	(ii) आईएडी	2026.15	286.45	162.28	247.32	122.35	270.00	164.23	255.33	274.06	
4	पवन हंस हेलिकॉप्टरेस लि.	458.90	133.80	53.01	81.45	19.60	109.50	60.92	90.70	41.52	175.00
5	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय अर्बन अकेडमी	10.00	2.09	0.98	3.50	0.50	3.00	3.00	3.85	2.30	40.30
6	महानिदेशक नागर विमानन	19.00	3.10	2.54	4.15	2.86	4.00	3.06	5.00	1.58	29.00
7	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	114.00	7.69	3.87	7.00	4.24	10.00	0.28	5.00	0.98	5.00
8	भारतीय होटल निगम लि.	15.00	8.76	8.76	1.00	0.51	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00
9	भारतीय एयरो क्लब	5.00	1.00	0.00	1.27	0.92	1.00	0.99	1.00	0.00	12.79
10	एयर इंडिया चार्टर्ड लि.										70.70
	<b>dy</b>	12928.00	2521.19	1676.82	1779.18	1323.20	1620.98	1255.51	2379.32	1558.9	3046.93

संलग्नक 10.3.4.2

राज्य परिवहन निगम

(करोड़ रुपए)

fooj.k	100ha ; kst uk y{;	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		y{;	mi yf{/k								
उपलब्ध टन मि.मी. (मिलियन)	13711.00	2393.90	2415.90	2759.80	2897.50	3317.30	3600.40	2126.10	4191.40	4500.00	4500.00
राजस्व टन कि.मी. (मिलियन)	9185.80	1481.20	1561.00	1712.40	1774.00	2025.90	2218.00	1320.80	2369.50	2850.00	2850.00
समग्र लोड फैक्टर (%)	67.00	61.90	64.60	62.00	61.20	61.10	61.60	62.10	56.50	63.30	63.30
उपलब्ध सीट कि.मी. (मिलियन)	102118.60	17714.60	18093.20	20256.30	21624.60	24435.20	27137.60	15602.40	30973.40	33000.00	33000.00
राजस्व यात्री कि.मी. (मिलियन)	76231.50	12145.20	12962.70	14278.90	15249.90	17351.00	18950.00	11121.30	20558.60	24000.00	24000.00
यात्री लोड फैक्टर (%)	74.60	68.60	71.60	70.50	70.50	71.00	69.80	71.30	66.40	72.70	72.70
एयरक्राफ्ट उपयोग प्रति वर्ष (घंटे/प्रति वर्ष)	3597	3230	3281	3470	3587	3858	3846	3895	4033	4026	4026

संलग्नक 10.3.4.3

बॉलिंग, वॉलबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल

(करोड़ रूपए)

fooj.k	100ha ; kt.uk y{;	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		y{;	mi yf{/k								
उपलब्ध टन मि.मी. (मिलियन)	8384.00	1303.44	1308.01	1340.33	1334.07	1439.84	1472.06	2168.02	1594.05	2326.00	
राजस्व टन कि.मी. (मिलियन)	5793.00	842.28	845.09	897.44	877.48	959.78	1017.28	1370.21	1134.56	1511.00	
समग्र लोड फैक्टर (%)	69.10	64.60	64.60	67.00	65.80	66.70	69.10	63.20	71.20	65.00	
उपलब्ध सीट कि.मी. (मिलियन)	80475.00	12913.43	13063.09	13478.11	13500.80	14645.58	14891.32	19413.86	16256.04	21229.00	
राजस्व यात्री कि.मी. (मिलियन)	54794.00	8132.45	7777.69	8484.80	8168.04	9036.06	9598.21	12622.97	10893.73	14151.00	
यात्री लोड फैक्टर (%)	68.10	63.00	59.50	63.00	60.50	61.70	64.50	65.00	67.00	66.70	
एयरक्राफ्ट उपयोग प्रति वर्ष (घंटे/प्रति वर्ष)		3053	3185	3283	3343	3414	3572	3569	3577	3528	

संलग्नक -10.3.4.4

HKjirh; ok; i ūku i k/kaj.k ¼ , vkb½ dk HKšrd fu"iknu

(करोड़ रूपए)

fooj.k	100ha ; kst uk		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
	यः	यः	यः	miyuk	यः	miyuk	यः	miyuk	यः	miyuk	यः	miyuk
; krk; kr I kkyus dh {kerk												
यात्री (लाखों में)	573.42	465.74	708.51	490.44	713.86	516.56	714.44	544.19	714.66	573.42		
माल ('000 टन में)	743.62	564.35	516.14	604.63	516.14	647.80	516.14	694.05	516.14	743.62		
; krk; kr I kkyuk												
यात्री (लाखों में)	573.42	465.74	437.23	490.44	487.80	516.56	592.84	544.19	733.40	573.42		
माल ('000 टन में)	743.62	564.35	555.36	604.63	584.00	647.80	688.16	694.05	762.40	743.62		

यात्री (यातायात और क्षमता) में सभी हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्री शामिल हैं।

माल (यातायात और क्षमता) में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता हवाई अड्डों पर जहां माल वेयरहाउस एएआई के स्वामित्व के हैं, अंतर्राष्ट्रीय मल शामिल है।

## 10.4 सूचना व प्रसारण

### सिंहावलोकन

सूचना और प्रसारण क्षेत्रक के अंतर्गत चार उप-क्षेत्रक आते हैं:

- पहला सूचना उप-क्षेत्रक है जिसमें इसके यूनिट्स अर्थात प्रैस, मुद्रण, गीत व नाटक (सौंग व ड्रामा), प्रचार-प्रसार और जनसंचार माध्यम हैं।
- दूसरा उप-क्षेत्रक फिल्म निर्माण और संबद्ध संस्थाओं जैसे फिल्म अभिलेखागार, शिशु फिल्म, सेंसर बोर्ड, फिल्म संस्थान आदि से संबंधित संस्थान है।
- तीसरा उप-क्षेत्रक प्रसार भारती है जो एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक है और इसके दो अंग हैं- दूरदर्शन और रेडियो प्रसारक अंग-आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो)।
- चौथा क्षेत्रक मानीटरिंग से संबंधित है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग सेंटर (जिसका पहले का नाम सेंट्रल मानीटरिंग सर्विसिज था) द्वारा की जाती है।

10.4.2 व्यापक कवरेज, कड़ी प्रतिस्पर्धा और त्वरित विकास के चलते इस क्षेत्रक को प्रौद्योगिकियों के नवाचारी अनुप्रयोगों के परिणामस्वरूप आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बहुल मात्रा में सेवाएं प्रदान करके यह क्षेत्रक, जनता को एक कॉमन साधन के जरिए उनको दी गई आवाज और बिंबों का प्रयोग करने के चयन का अधिकार देता है। चुनौती के रूप में जो चीज बनी रही, वह थी कि जहां जनसंख्या के अधिकांश भाग तक पहुंचने के मीडिया के पुराने साधनों में आमूल प्रौद्योगिकीय परिवर्तन हुए, सामाजिक अथवा आर्थिक विकास, न्यूनतम लागत पर स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने और क्षेत्रक के भीतर स्वस्थ संवृद्धि और प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने के उनके मूलभूत उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

### 2005-06 की वार्षिक योजना की समीक्षा

10.4.3 2005-06 की वार्षिक योजना में सूचना व

प्रसारण क्षेत्रक के लिए अनुमोदित परिव्यय 1120.00 करोड़ रुपए था जिसमें 528.00 करोड़ रुपए की बजट सहायता और 592.00 करोड़ रुपए का आईबीआर घटक शामिल था। उप-क्षेत्रकीय बजटीय समर्थन इस प्रकार है - सूचना के लिए 38.00 करोड़ रुपए, फिल्मों के लिए 35.00 करोड़ रुपए, ऑल इंडिया रेडियो के लिए 233.65 करोड़ रुपए, डीडी के लिए 803.35 करोड़ रुपए और ईएमसी के लिए 10.00 करोड़ रुपए।

### सूचना क्षेत्रक

10.4.4 सूचना व प्रसारण के सूचना क्षेत्रक में पत्र-सूचना कार्यालय (पीआईबी), प्रकाशन, विज्ञापन व दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी, भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी), फोटो प्रभाग, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी), गीत व नाटक प्रभाग, अनुसंधान, संदर्भ व प्रशिक्षण प्रभाग (आरआर एंड टीडी), भारतीय समाचार-पत्रों के पंजीयक का प्रभाग (आरएनआई) शामिल हैं।

### वह क्षेत्र जिन पर अधिक बल दिया जाना है

10.4.5 वर्ष 2005-06 में सूचना क्षेत्रक कार्यकलापों के अधिक बल दिए जाने वाले क्षेत्र ये थे: फिल्म शो, गीत और नाटक और विशेष कार्यक्रम। विशेष कार्यक्रम में ये थे: वक्तव्य, निबंध, क्विज प्रतियोगिता, ग्रामीण खेलकूद, पेंटिंग प्रतियोगिता और रैलियां। इसके अतिरिक्त, मौखिक संवाद, फोटो प्रदर्शनी, जनमत संग्रह करने आदि पर भी बल दिया गया।

### भौतिक निष्पादन

10.4.6 भौतिक निष्पादन के अर्थों में सूचना क्षेत्रक ने डीएवीपी, पीआईबी का डिजिटल भंडारण और उच्च गति के संचार, सूचना केन्द्रों के निर्माण; फोटो प्रभाग तथा आरएनआई मुख्यालय का आधुनिकीकरण, गीत और नाटक प्रभाग के आईसीटी आदि का प्रत्याशित निष्पादन पूरा कर लिया है। गीत और नाटक प्रभाग ने लक्ष्य से अधिक कार्यक्रम/नाटक आयोजित किए हैं।

### वित्तीय निष्पादन

10.4.7 वर्ष 2005-06 के दौरान सूचना क्षेत्रक का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार रहा है:

- 18.20 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित प्रेस सूचना ब्यूरो की एक बृहद स्कीम अर्थात प्रेस सूचना केन्द्र के निर्माण की प्रगति धीमी रही है और केवल 7.00 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
- विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने 3.09 करोड़ रुपए के आबंटन में से 2.93 करोड़ (95%) रुपए खर्च किए हैं।
- आईआईएमसी का निष्पादन इन अर्थों में घटिया रहा है कि 2.40 करोड़ रुपए के वार्षिक योजना आबंटन में से केवल 0.97 करोड़ रुपए खर्च किए जा सके हैं।
- सूचना क्षेत्रक का उच्च निष्पादन वाला क्षेत्र इस प्रकार रहा है: पीआईबी का डिजिटल भंडारण और उच्च गति संचार (95%), सूचना केन्द्रों की स्थापना (242%), आईआईएमसी का अनुसंधान और निर्माण (83.48%), फोटो प्रभाग का आधुनिकीकरण (92.72%), गीत और नाटक प्रभाग का आईसीटी (98%), आरएनआई मुख्यालय का आधुनिकीकरण (84%)।
- असंतोषपूर्ण निष्पादन क्षेत्र इस प्रकार हैं: क्षेत्रीय अधिगम केन्द्रों के साथ सहयोग (1.53%), आईआईएमसी की आवास परियोजनाओं का निर्माण (13%)।
- जिन 16 अनुमोदित स्कीमों में से सूचना केन्द्रों ने आबंटन से अधिक खपा लिया है, 6 स्कीमों पर 83% से 98% तक खर्च हुआ है, 3 स्कीमों ने 60% से 80 प्रतिशत तक 6 स्कीमों ने 2% से लेकर 40% तक खपा लिया है
- इस क्षेत्रक में वर्ष 2005-06 के लिए समग्र उपयोग 61.26% रहा है।

### फिल्म क्षेत्रक

10.4.8 फिल्म क्षेत्रक में प्रमुख स्कीम इनसे संबंधित होती हैं - फिल्म प्रभाग, भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई), फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ इंडिया (एफटीटीआई), सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई), फिल्म फेस्टिवल निदेशालय (डीएफएफ), चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी (सीएफएसआई) व सेंट्रल बोर्ड आफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी), मुख्य सचिवालय व एफएफएसआई और एनजीओ को सहायता अनुदान।

### वह क्षेत्र जिन पर बल दिया जाना है

10.4.9 इस उप-क्षेत्रक में फिल्म प्रभाग का आधुनिकीकरण, बच्चों की फिल्मों को बढ़ावा देना, एफटीटीआई, सीएफएसआई, फिल्म प्रभाग का कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण तथा एनएफएआई के लिए आधुनिक संरचना बनाना और फिल्म निर्यात को बढ़ावा देना प्रमुख बल देने वाले क्षेत्र रहे हैं।

### भौतिक निष्पादन

10.4.10 इस क्षेत्रक में वास्तविक निष्पादन निम्न प्रकार से था:

- फिल्म प्रभाग ने परिवार कल्याण पर 3 वृत्तचित्रों (डाक्यूमेंटरीज), लघु व एनीमेशन फिल्मों का निर्माण किया। 29 अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों और 27 राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया।
- फिल्म समारोह निदेशालय ने 12 फिल्म समारोहों का आयोजन किया, 37 विदेशी फिल्म समारोहों में भाग लिया, एक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन किया और भारतीय पैनोरमा फिल्मों के 47 प्रिंटों के लिए उप-शीर्ष तैयार किए।
- एनएफएआई 251 फिल्मों, 23 वीडियो कैसेट, 209 पुस्तकें, 2509 स्क्रिप्ट, 2226 स्टिल, 368 वाल पोस्टर, 92 दीर्घ पुस्तकें आदि प्राप्त की गईं। 6 भारतीय फिल्मों को अंग्रेजी के

उपशीर्ष दिए गए।

- चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी ने 24,37,594 बच्चों तक पहुंचने के लिए 5689 कार्यक्रम आयोजित किए; एनिमेशन और फिल्म लेखन के लिए 16 कार्यशालाएं आयोजित कीं, 6 फिल्मों का निर्माण किया।

## वित्तीय निष्पादन

10.4.11 2005-06 के दौरान फिल्म क्षेत्रक का वित्तीय निष्पादन नीचे प्रस्तुत है:

- क्षेत्रक के उच्च निष्पादन क्षेत्र इस प्रकार हैं: (i) अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, फिल्म प्रभाग का लघु तथा एनिमेशन फिल्म समारोह (103.38%); (ii) एनएफएआई द्वारा आर्काइव फिल्मों का अधिग्रहण (149.07%); (iii) डीएफएफ का फिल्म समारोह कांप्लेक्स (98%); (iv) सीएफएसआई का फिल्म निर्माण (82%), फिल्म समारोह (109%) तथा एनिमेशन और स्क्रिप्ट लेखन कार्यशालाएं (90%); (iv) पुणे एफटीआईआई, कैप्टिव टीवी चैनल (93%); सामुदायिक रेडियो केन्द्र (95.5%), छात्रवृत्ति स्कीमों सहित एचआरडी पक्ष (85%); (v) एसआरएफटीआई कोलकाता की छात्रवृत्ति स्कीमों सहित एचआरडी पक्ष (133%); (vi) फिल्म प्रभाग का डिजिटिकरण तथा वेबकास्टिंग (80%); (vii) भारत में और विदेशों में फिल्म विपणन में सहभागिता (100%)।
- उप-क्षेत्रकीय निष्पादन डाटा से ऐसा पता चलता है कि इन क्षेत्रों में निष्पादन मध्यम दर्जे का रहा है: म्यूनिसिपल स्कूलों में बाल फिल्म समारोहों का प्रदर्शन (71%); सीबीएफसी की कंप्यूटरीकृत प्रबंध प्रणाली, प्रशिक्षण और अध्ययन का आयोजन (44%); एनएफएआई के लिए चरण-II भवन का निर्माण (75%); भारत और विदेशों में फिल्म समारोह के माध्यम से निर्यात प्रोन्नति (74%)। जिन क्षेत्रों में निष्पादन घटिया रहा है वे इस प्रकार हैं: एसआरएफटीआई, कोलकाता की

सामुदायिक रेडियो और कैप्टिव टीवी स्कीमों, सीएएसएफआई का आधुनिकीकरण और संवर्द्धन, फिल्म प्रभाग की चल छवियों की स्थापना आदि।

- 14 अनुमोदित स्कीमों में से अधिकांश स्कीमों ने 2005-06 के लिए परिव्यय में से अधिकांश खपा लिया है, 4 स्कीमों ने घटिया निष्पादन का परिचय दिया है।
- वर्ष 2005-06 के लिए फिल्म क्षेत्रक ने कुल मिलाकर 62.37% परिव्यय खपा लिया है।

## प्रसारण क्षेत्रक

10.4.12 यह क्षेत्रक प्रसार भारती के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके दो स्कंध हैं - आल इंडिया रेडियो, अर्थात् आकाशवाणी और दूरदर्शन।

## आल इंडिया रेडियो (एआईआर)

10.4.13 एआईआर का उद्देश्य जनता को सूचना देना, उन्हें शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना है। यह एक विशाल रेडियो संगठन है जिसकी एक विशाल आधारिक संरचना है:

- 233 प्रसारण केन्द्र और 357 ट्रांसमीटर।
- यह 99.13% जनसंख्या को और 91.42% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है।
- 24 भाषाओं और 146 बोलियों में समाचार, संगीत, सामयिक विषयक कार्यक्रम प्रदान करता है।
- 138 एआईआर केन्द्रों पर एफएम प्रसारण और 21 एफएम निजी चैनल।

## अधिक बल दिए जाने वाले क्षेत्र

10.4.14 उच्च गुणवत्ता और त्रिविमध्वनि आवाज (स्टीरियोफोनिक साउंड) के कारण, वर्तमान में एफएम प्रसारण रेडियो प्रसारण का ज्यादा पसंदीदा माध्यम है। अतः, दसवीं योजना में, एफएम कवरेज को जनसंख्या के वर्तमान के 30% से बढ़ाकर 60% कर दिया जाएगा और साथ ही

साथ सामरिक सीमा क्षेत्रों और दुरुह पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एमडब्ल्यू प्रसारण को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाएंगे। बल दिए जाने वाले क्षेत्र और प्राथमिकताएं निम्न प्रकार से थीं:

- एफएम सेवाओं का 60% तक विस्तार।
- निर्माण सुविधाओं के 50% का डिजिटीकरण।
- एआईआर सेवाओं को इंटरनेट प्रसारण मोड पर लाना।
- डीटीएच माध्यम के जरिए कवरेज का विस्तार।

दूरस्थ और छितरी आबादी वाले क्षेत्रों में गुणवत्ता और कवरेज में सुधार लाने के लिए जम्मू व कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष अभियान।

### भौतिक निष्पादन

10.4.15 2005-06 के दौरान इस उप-क्षेत्रक का भौतिक निष्पादन निम्नानुसार रहा है:

- मांडला, राजगढ़, सराईपल्ली और मंजेरी में एफएम ट्रांसमीटरों सहित नए रेडियो स्टेशन खोले जा चुके हैं।
- हिम्मतनगर में एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर सहित एक नया केन्द्र खोला जा चुका है।
- शिलांग, इम्फाल, अगरतला और पोर्ट ब्लेयर में एफएम ट्रांसमीटर तथा शिमला, रोहतक, गोरखपुर, उदयपुर, गुलबर्गा, मदुरई और औरंगाबाद में अनंतिम एफएम ट्रांसमीटर चालू किए जा चुके हैं।
- कोलकाता में एक नया अपलिक केन्द्र स्थापित किया जा चुका है तथा बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम और भोपाल में मौजूद 5 अपलिकों को एनालाग प्रणाली से डिजिटल के रूप में स्तरोन्नत किया जा चुका है।
- शिलांग, शिमला और कुडप्पा में 100 केडब्ल्यू

के मौजूदा एमडब्ल्यू ट्रांसमीटरों की जगह नवीनतम प्रौद्योगिकी ट्रांसमीटर लगा दिए गए हैं।

- एआईआर की समाचार सेवाओं, विदेश सेवाओं और घरेलू सेवाओं के लिए पूर्णतः डिजिटल स्टूडियो तंत्र से युक्त न्यू ब्राडकास्टिंग हाउस, दिल्ली का माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा 23.8.2005 को उद्घाटन किया गया।

### वित्तीय निष्पादन

10.4.16 वर्ष 2005-06 के दौरान आल इंडिया रेडियो का आबंटन 233.65 करोड़ रुपए था जबकि वार्षिक योजना 2004-05 के दौरान 643.10 करोड़ रुपए था। आल इंडिया रेडियो का समग्र खर्च पिछले वर्ष के 46.83% के मुकाबले 61.54% रहा है। तत्संबंधी विवरण तालिका-10.4.1 में प्रस्तुत है।

### दूरदर्शन

10.4.17 यह विश्व के विशालतम स्थलीय नेटवर्कों में से एक के रूप में उभरा है। इसका संक्षिप्त विवरण (प्रोफाइल) निम्न प्रकार से है:

- 27 चैनल: 7 आल इंडिया चैनल, 01 अंतर्राष्ट्रीय चैनल, 11 क्षेत्रीय भाषा चैनल और 8 राज्य नेटवर्क चैनल।
- 63 कार्यक्रम निर्माण केन्द्र
- 1403 ट्रांसमीटर्स
- प्रति सप्ताह 1700 घंटे कार्यक्रम की आउटपुट।
- देश की 90.7% जनसंख्या और 78.2% भौगोलिक क्षेत्र (राष्ट्रीय चैनल) को कवर करता है और इसको घर में बैठकर देखने वाले दर्शक 436 मिलियन हैं।
- 45.9% जनसंख्या को कवर करते हुए 24 घंटे का समाचार चैनल है।
- 33 टीवी तथा 12 एआईआर निःशुल्क डीटीएच चैनल कार्य कर रहे हैं।

तालिका संख्या 10.4.1  
आल इंडिया रेडियो का वित्तीय निष्पादन

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

स्कीम का नाम	परिव्यय 2005-06	व्यय 2005-06	2005-06 के परिव्यय से % उपयोग
1. जारी स्कीम	15.90	15.02	94.46
2. उन्नयन/विस्तारण	66.34	15.24	22.97
3. आधुनिकीकरण	22.60	21.91	96.91
4. प्रतिस्थापन स्कीम	10.78	5.40	50.18
5. नई स्कीमें	85.38	36.95	43.28
6. राजस्व (विविध + साफ्टवेयर)	<b>61.65</b>	<b>54.14</b>	<b>87.81</b>
कुल (डीबीएस + आईईबीआर)	233.65	143.79	61.54
डीबीएस	101.65	—	—
आईईबीआर	132.00	—	—

**वह क्षेत्र जिन पर बल दिया जाना है और नीतिगत पहलें**

10.4.18 एक ऐसे परिदृश्य में जहां निजी प्रसारक मुख्यतः वाणिज्यिक हितों से प्रेरित होकर अधिक से अधिक श्रोतागणों को जुटाने के लिए प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, एक सार्वजनिक प्रसारक के रूप में दूरदर्शन की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इन परिस्थितियों में, दूरदर्शन को विषयवस्तु की उच्च गुणवत्ता और समस्त जनसंख्या को सीधे सैटेलाइट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर बल देना होगा।

**भौतिक उपलब्धियां**

10.4.19 2005-06 के दौरान मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार थीं:

- वारंगल, मदुरई और कोयंबटूर में 3 नए स्टूडियो केन्द्र खोले गए और इस प्रकार दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्रों की कुल संख्या 64 तक पहुंच गई। वर्ष के दौरान रांची में एक अतिरिक्त स्टूडियो केन्द्र भी पूरा कर लिया गया।
- गोरखपुर और देहरादून में स्थाई स्टूडियो केन्द्र का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- श्रीनगर और जयपुर में 2 डिजिटल अर्थ-केन्द्र खोले जा चुके हैं। अहमदाबाद, जयपुर, पटना

और गुवाहाटी में चार प्रमुख स्टूडियो केन्द्रों का डिजिटीकरण, और साथ ही बरेली, रांची, विजयवाड़ा, मुजफ्फपुर, पुणे और गुवाहाटी पीपीसी में स्थित 6 लघु स्टूडियो केन्द्रों का काम प्रगति पर है।

- “नई दिल्ली में दूरदर्शन भवन चरण-II” नामक स्टूडियो परिसर का माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एस. जयपाल रेड्डी द्वारा 23 अगस्त, 2005 को उद्घाटन किया गया।
- पुंगानूर और कोल्हापुर (एपी), फतेहाबाद और कैथल (हरियाणा), खाजूवाला (राजस्थान), सिंधानूर और मुधोल (कर्नाटक) में 7 लो-पावर ट्रांसमीटर तथा देवहोग (छत्तीसगढ़) में एक बीएलपीटी खोले गए।
- राजकोट और अंबाजोगई (महाराष्ट्र) में डीडी नए एचपीटी चालू किए गए।
- नागपुर, इंदौर और वाराणसी में 3 पुराने एचपीटी के स्थान पर नए ट्रांसमीटर लगाए गए। श्रीनगर, कुरसेओंग, कोचीन, भटिंडा, कोडईकनाल में पुराने एचपीटी को बदलने का काम प्रगति पर है। 27 पुराने एलपीटी के स्थान पर नए आटोमोड ट्रांसमीटर लगाए गए।

### वित्तीय निष्पादन

10.4.20 वर्ष 2005-06 के दौरान दूरदर्शन को 803.35 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया जबकि वार्षिक योजना 2004-05 में 643.10 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे (संलग्नक-I)। 2005-06 के दौरान समग्र परिव्यय में से नई स्कीमों, आधुनिकीकरण, प्रतिस्थापन, विस्तारण/स्तरोन्नयन, जारी स्कीमों के लिए समग्र व्यय के प्रतिशत के रूप में निधियों का प्रयोग क्रमशः 39.11%, 44.12%, 51.22%, 56.60%, 43.40% रहा है। वर्ष के दौरान समग्र उपयोग 82.17% रहा है। विवरण तालिका 10.4.2 में दिए गए हैं:

### इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानटरिंग केन्द्र

10.4.21 2005-06 के दौरान 10.00 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित इस क्षेत्रक में कोई भी विशेष प्रगति नहीं हुई क्योंकि केवल 2.40 करोड़ रुपए का व्यय किया जा सका।

### विशेष बल दिए जाने वाले क्षेत्र

10.4.22 जम्मू व कश्मीर तथा पूर्वोत्तर विशेष पैकेज तथा राष्ट्रीय प्रेस सेंटर विशेष बल दिए जाने वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में प्रगति निम्न प्रकार से है:

### जम्मू व कश्मीर विशेष पैकेज

10.4.24 जम्मू व कश्मीर में एआईआर और डीडी नेटवर्क सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से 430 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जम्मू व कश्मीर के लिए विशेष पैकेज का अनुमोदन जुलाई, 1999 में किया गया। इसमें 269 करोड़ रुपए का हार्डवेयर घटक और 161 करोड़ रुपए का साफ्टवेयर घटक था।

14.4.24 इस पैकेज के तहत एआईआर और डीडी ने विभिन्न ट्रांसमीटर परियोजनाएं आरंभ की हैं और राज्य भर में अपनी निर्माण आधारिक संरचना को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं - उन थोड़ी से स्कीमों को छोड़कर, जहां अंतरिम व्यवस्था प्रचालन में है।

10.4.25 विशेष पैकेज ने अपनी अंतर्वस्तु को अधिक मनोरंजनपूर्ण बनाने के लिए मुख्यतः साफ्टवेयर विकास संबंधी चरण-II स्कीमों में 300.00 करोड़ रुपए की लागत पर शुरु की हैं।

10.4.26 सामान्य डीडी समाचार और डीडी नेशनल के

तालिका संख्या 10.4.2  
दूरदर्शन का वित्तीय निष्पादन

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

स्कीम का नाम	परिव्यय 2005-06	व्यय 2005-06	2005-06 के परिव्यय से % उपयोग
1. जारी स्कीम	196.20	136.43	43.40,
2. विस्तारण/उन्नयन	42.75	24.09	56.60
3. आधुनिकीकरण	137.46	60.64	44.12
4. प्रतिस्थापन स्कीम	39.37	20.16	51.22
5. नई स्कीमों	387.57	151.60	39.11
6. राजस्व (विविध + साफ्टवेयर)	433.35	492.33	114
कुल (डीबीएस + आईबीआर)	803.35	660.12	82.17
डीबीएस	343.35	—	—
आईबीआर	460.00	—	—

अलावा यह कार्यक्रम कश्मीर चैनल के माध्यम से, केबल चैनल डीटीएच (केयू बैंड) से युक्त नेटवर्क और 28 टिरेस्टीरियल ट्रांसमीटरों पर भी उपलब्ध है।

### पूर्वोत्तर विशेष पैकेज

10.4.27 एआईआर और डीडी सेवाओं में सुधार लाने के लिए पूर्वोत्तर विशेष पैकेज नौवीं योजना के अंत में आरंभ किया गया है। चरण-I के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के कम आबादी वाले क्षेत्र में दूरदर्शन सिग्नलों के वितरण के लिए 8.15 करोड़ रुपए की लागत पर सी-बैंड पर एक 160-केबल हैंड एंड्स का मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया।

10.4.28 पूर्वोत्तर पैकेज का चरण-II दसवीं योजना स्कीम के रूप में अनुमोदित किया गया जिसकी परियोजना लागत 551.10 करोड़ रुपए थी, तथापि इसे अब 400.17 करोड़ रुपए के रूप में संशोधित कर दिया गया है जिसमें कुछेक टिरेस्टीरियल स्कीमों की बजाय डीटीएच स्कीमों के माध्यम से कवरेज शामिल है। एआरआई स्कीमों की संशोधित लागत 143.32 करोड़ रुपए और दूरदर्शन की स्कीमों की लागत 256.85 करोड़ रुपए आकलित की गई है। एनई पैकेज चरण-II 2005-06 से 2009-10 के बीच की 5 वर्षों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है और इसे मंत्रिमंडल ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। इसमें अन्य के साथ-साथ ये शामिल हैं: (i) एनई क्षेत्र के लिए 2 नए केयू बैंड, (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन बिताने वाले लोगों के बीच 25,000 टीवी सेटों और डीटीएच रिसीवर प्रणालियों का निःशुल्क वितरण। आगे यह भी निर्णय लिया गया कि अलग-अलग घरों में टीवी सेट और डीटीएच रिसीवर प्रणालियां उपलब्ध कराने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग और राज्य सरकारों को सहयोग देना होगा।

### नेशनल प्रेस सेंटर (एनपीसी) स्कीम

10.4.29 ईएफसी ने नेशनल प्रेस सेंटर के निर्माण के लिए 35.00 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया है। इस स्कीम के अभिकल्पन, आयोजना और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपी गई है। मंत्रालय ने एनबीसीसी के साथ एक सहमति ज्ञापन पर पहले ही

हस्ताक्षर कर लिए हैं। निर्माण कार्य इसलिए शुरू नहीं हो सका है क्योंकि डीडीए के संबद्ध प्राधिकारी से वास्तुकला नक्शे का अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

### वार्षिक योजना 2006-07 का पूर्वदर्शन

10.4.30 वार्षिक योजना 2006-07 के लिए परिव्यय 538.00 करोड़ रुपए के डीबीएस सहित मंजूर किया गया था जबकि आईईबीआर घटक शून्य रखा गया था। वित्त मंत्रालय की इस शर्त को ध्यान में रखते हुए कि योजनेतर खर्च को पहले आईईबीआर में से किया जाए और यदि कोई आईईबीआर अधिशेष बच जाए तो इसका प्रयोग योजनागत वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय योजना 2006-07 के लिए कोई आईईबीआर उपलब्ध नहीं करा सका।

10.4.31 सूचना क्षेत्रक को 27.48 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई जिसमें से एक बड़ा हिस्सा पीआईबी को, 11.51 करोड़ रुपए; गीत और नाटक प्रभाग को 8.50 करोड़ रुपए; डीएवीपी को 2.95 करोड़ रुपए और डीएफपी को 1.10 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

10.4.32 फिल्म क्षेत्रक को 40.95 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई जिसमें से एक बड़ा हिस्सा फिल्म प्रभाग को 10.10 करोड़ रुपए; डीएफएफ को 6.71 करोड़ रुपए; सीएफएसएल को 5.31 करोड़ रुपए; सीबीएफसी को 2.60 करोड़ रुपए; एनएफएआई को 4.73 करोड़ रुपए और एसआरएफटीआई कोलकाता को 7.94 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

10.4.33 प्रसारण क्षेत्रक को कुल मिलाकर 453.92 करोड़ रुपए डीबीएस का आबंटन किया गया जबकि आईईबीआर शून्य था। डीबीएस में एआईआर का घटक 71.60 करोड़ रुपए है जबकि दूरदर्शन का डीबीएस 382.32 करोड़ रुपए है।

10.4.34 केन्द्रीय मानीटरन केन्द्र को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केन्द्र का नाम दे दिया गया है और इसे 5.85

करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

10.4.35 एफएम रेडियो: संप्रति 12 शहरों में 21 निजी एफएम रेडियो केन्द्र काम कर रहे हैं। एफएम रेडियो चरण-II निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो सेवा का प्रसार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2005 में शुरू किया गया है। इस प्रयोजन के लिए 2006-07 के दौरान 10.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

10.4.36 भारतीय क्लासिक: प्रसार भारती को अपनी अंतर्वस्तु/साफ्टवेयर में सुधार लाने पर विशेष बल देना चाहिए। भारतीय क्लासिकों की अंतर्वस्तु को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है और 2006-07 के लिए 60.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

#### परिणामी बजट 2006-07

10.4.37 सूचना व प्रसारण मंत्रालय का 2006-07 का परिणामी बजट, सूचना व प्रसारण के सभी क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया था। यह स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया था कि प्रत्येक स्कीम के लिए आबंटित निधियों से संचालित वास्तविक कार्यकलापों का अपेक्षित परिणाम क्या होगा।

10.4.38 सूचना क्षेत्रक की नौ मीडिया इकाइयों, यथा- पीआईबी, प्रकाशन विभाग, डीएवीपी, आईआईएमसी, फोटो प्रभाग, डीएफपी, गीत व नाटक प्रभाग, आरआर एंड टीडी तथा आरएनआई के लिए 27.28 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस क्षेत्रक की स्कीमों का उद्देश्य एक आधुनिक प्रेस सेंटर का निर्माण, राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना, सूचना प्रसार, सरकारी नीति व स्कीमों का प्रचार, जनशक्ति का प्रशिक्षण और व्यवस्था का आधुनिकीकरण है।

10.4.39 फिल्म क्षेत्रक में आने वाली यूनिट्स, यथा फिल्म प्रभाग, नेशनल फिल्म आर्काइव, सेंट्रल बोर्ड आफ फिल्म सर्टीफिकेशन, एसआरएफटीआई, कोलकाता, एफटीटीआई, पुणे, फिल्म समारोह निदेशालय, चिल्ड्रन फिल्म

सोसाइटी के लिए 40.95 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें विभिन्न स्कीमों में हैं जिनका उद्देश्य फिल्मों की वेबकास्टिंग, आधुनिकीकरण, अधिग्रहण और प्रसारण, सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देना, फिल्म संस्कृति, बाल फिल्मों और फिल्म समारोहों में विदेशी सहभागिता है।

10.4.40 आल इंडिया रेडियो को 2006-07 के लिए 71.60 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। इसकी जारी स्कीमों, विस्तार स्कीमों जिनमें जे तथा के स्पेशल पैकेज शामिल है का उद्देश्य एमडब्ल्यू तथा एफएम रेडियो कवरेज में सुधार लाना, देश के भीतर रेडियो को लोकप्रिय बनाना है। उन्नयन और आधुनिकीकरण का उद्देश्य न केवल अधिक कवरेज, प्रसारण और विषय-वस्तु की गुणवत्ता है बल्कि बेहतर वितरण भी है। पूर्वोत्तर पैकेज की इसकी नई स्कीमों, नई प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और डिजिटल प्रसारण का उद्देश्य पूर्वोत्तर में रेडियो कवरेज को बढ़ाना, नई प्रौद्योगिकी को आरंभ करना, इंटरनेट को लोकप्रिय बनाना, डिजिटल प्रसारण और विषय-वस्तु में सुधार लाना है।

10.4.41 दूरदर्शन का परिव्यय 382.32 करोड़ रुपए था। स्थलीय ट्रांसमीटरों, निर्माण सुविधाओं, सैटेलाइट प्रसारण तथा जम्मू व कश्मीर जैसी अपनी जारी स्कीमों के जरिए, इसकी परिकल्पना थी कि डीडी-1 स्थलीय कवरेज का विस्तार किया जाए, कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं को बढ़ाया जाए, क्षेत्रीय सेवा कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए अति निम्न पॉवर ट्रांसमीटरों को बढ़ाया जाए और जम्मू व कश्मीर सहित देश में स्थलीय कवरेज का विस्तार किया जाए। इसकी आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन स्कीमों का उद्देश्य तकनीकी गुणवत्ता, सिग्नल गुणवत्ता को बढ़ाना, 8 केन्द्रों में आउटसाईड प्रसारण सुविधाओं को बढ़ाना, अपलिकिंग सुविधाएं प्रदान करना, डिजिटल रिसैप्शन, प्रसारण का स्वचलीकरण और अप्रचलित एलपीटीज का प्रतिस्थापन और कार्यक्रमों की गुणवत्ता तथा विषय-वस्तु में सुधार करना है। पूर्वोत्तर पैकेज सहित दूरदर्शन की नई स्कीमों का उद्देश्य 7 केन्द्रों पर स्थायी व अतिरिक्त स्टूडियो की स्थापना करना, अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण से सैटेलाइट चैनलों की अपलिकिंग, डीटीएच टीवी प्रसारण, पायलट हाई डैफिनीशन टीवी और विषय-वस्तु सृजन है।

क्षेत्रक सूचना और प्रसारण मंत्रालय  
वार्षिक योजना 2002-03 से 2006-07 के परिचय और व्यय

(रुपए करोड़ में)

क्रम	मीडिया यूनिट	दसवीं योजना परिचय	वार्षिक योजना 2002-03		वार्षिक योजना 2003-04		वार्षिक योजना 2004-05		वार्षिक योजना 2005-06		वार्षिक योजना 2006-07		2002-2007 संख्या	2005-06 योजना
			परिचय	व्यय	परिचय	व्यय	परिचय	व्यय	परिचय	व्यय	5 वर्षों का व्यय	दसवीं योजना के परिचय के रूप में उपयोग		
I	सूचना क्षेत्रक													
1.00	पीआईबी	47.50	11.50	5.11	1.50	6.50	1.08	19.33	8.56	11.50	5.72	17.31	36.43	44.28
2.00	प्रकाशन विभाग	3.00	0.60	0.93	0.41	0.66	0.31	0.46	0.28	0.00	0.00	1.21	40.17	60.87
3.00	डीएवीपी	15.00	3.00	2.86	3.70	13.15	1.06	3.09	2.94	2.59	0.01	10.34	68.95	95.15
4.00	आईआईएमसी	14.55	3.90	3.60	1.59	3.95	0.98	2.40	0.98	1.58	0.00	5.57	38.29	40.83
5.00	फोटो प्रभाग	2.50	0.50	1.15	0.49	0.70	0.16	1.10	1.02	1.25	0.01	2.09	83.62	92.73
6.00	डीएफपी	11.00	2.20	2.02	1.92	2.00	0.61	2.26	0.57	1.10	0.23	3.91	35.55	25.22
7.00	गीत व नाटक प्रभाग	13.20	2.00	2.80	2.08	2.44	1.56	8.50	8.33	8.50	0.05	13.40	101.54	98.00
8.00	आरआर एंड टीडी	0.50	0.10	0.10	0.97	0.10	0.08	0.15	0.11	0.25	0.00	1.16	231.80	73.33
9.00	आरएनआई	2.72	0.60	1.32	0.37	0.29	0.00	0.19	0.17	0.00	—	0.54	19.85	89.47
	पीसीआई	3.00	0.20	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	मुख्य सचिवालयी स्कीमें	6.71	4.40	1.11	1.03	2.20	—	—	—	—	—	—	—	—
10.00	सूचना भवन	4.71	4.00	0.71	0.97	1.70	1.70	—	—	—	—	—	—	—
11.00	मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण	2.00	0.40	0.40	0.06	0.50	0.12	0.50	0.33	0.50	0.01	0.52	25.85	66.00
	<b>कुल (I) डीबीएस</b>	<b>119.68</b>	<b>29.00</b>	<b>21.00</b>	<b>13.19</b>	<b>32.00</b>	<b>17.18</b>	<b>38.00</b>	<b>23.29</b>	<b>27.28</b>	<b>0.38</b>	<b>63.74</b>	<b>53.26</b>	<b>61.29</b>
II	फिल्म क्षेत्रक													
1.00	फिल्म प्रभाग	52.45	5.65	4.07	4.07	1.45	3.41	12.47	3.40	10.10	0.02	11.94	22.77	27.27
2.00	एनएफएआई	13.60	2.72	1.22	1.22	0.72	1.10	4.72	4.07	4.73	0.05	7.16	52.65	86.23
3.00	एफटीआई-पुणे	12.10	2.42	3.58	3.58	3.58	2.94	2.20	2.18	2.35	0.00	9.00	74.38	99.09
4.00	एसआरएफटीआई, कोलकाता	1.35	0.22	0.30	0.30	0.00	0.18	0.37	0.27	7.94	0.00	0.75	55.56	72.97
5.00	डीएफएफ	25.00	4.69	4.50	4.50	3.57	1.60	5.48	4.52	6.71	0.01	14.02	56.08	82.48

6.00	सीएफएसआई	28.92	6.00	2.72	6.21	6.21	4.04	2.04	5.19	4.49	5.31	0.00	15.46	53.44	86.51
7.00	सीबीएफसी	14.00	3.10	0.38	2.92	2.92	1.04	0.74	3.36	1.79	2.60	0.00	5.83	41.62	53.27
	मुख्य सचिवालय (फिल्म विंग) स्कीमें	6.00	1.20	0.64	1.20	0.87	1.20	—	—	—	—	—	1.51	25.17	—
8.00	सहायता-अनुदान	1.00	0.20	0.20	0.20	0.18	0.20	0.08	0.20	0.13	0.20	0.00	0.59	58.57	65.00
9.00	फिल्म बाजार को	5.00	1.00	0.45	1.00	0.70	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.15	63.00	100.00
	<b>कुल (II) डीबीएस</b>	<b>153.42</b>	<b>26.00</b>	<b>8.84</b>	<b>24.00</b>	<b>15.27</b>	<b>25.90</b>	<b>13.10</b>	<b>35.00</b>	<b>21.85</b>	<b>40.95</b>	<b>0.08</b>	<b>59.14</b>	<b>38.55</b>	<b>62.43</b>
III	प्रसारण क्षेत्रक (पीबी)														
1.00	आल इंडिया रेडियो	1463.55	197.00	172.85	201.00	120.27	252.00	117.78	233.65	143.79	71.60	0.00	554.69	37.90	61.54
	डीबीएस	663.55	85.00	78.50	76.00	-	127.00	.....	101.65	.....	.....	.....	78.50	11.83	.....
	आईबीआर	800.00	112.00	94.35	125.00	-	125.00	.....	132.00	.....	.....	.....	94.35	11.79	.....
2.00	दूरदर्शन	3390.75	626.00	501.79	640.00	374.52	643.10	270.19	803.35	660.12	382.32	44.12	1850.74	54.58	82.17
	डीबीएस	1440.75	275.00	222.00	290.00	.....	293.10	.....	343.35	.....	.....	.....	222.00	15.41	.....
	आईबीआर	1950.00	351.00	279.79	350.00	.....	350.00	.....	460.00	.....	.....	.....	279.79	14.35	.....
	<b>कुल प्रसार भारती (1+2)</b>	<b>4854.30</b>	<b>823.00</b>	<b>674.65</b>	<b>841.00</b>	<b>494.79</b>	<b>895.10</b>	<b>387.97</b>	<b>1037.00</b>	<b>803.90</b>	<b>453.92</b>	<b>.....</b>	<b>2361.31</b>	<b>48.64</b>	<b>77.52</b>
	डीबीएस	2104.30	360.00	300.50	366.00	.....	420.10	180.31	445.00	310.28	.....	.....	791.09	37.59	69.73
	आईबीआर	2750.00	463.00	374.15	475.00	.....	475.00	207.66	592.00	493.63	.....	.....	1075.44	39.11	83.38
3.00	केन्द्रीय मानीट्रिंग सेवा: (सीएमएस) डीबीएस	2.60	-----	-----	4.00	0.50	2.00	0.00	10.00	2.40	5.85	0.00	2.90	111.54	24.00
4.00	एफ.एम. रेडियो*								0.00	8.00	10.00	0.00	8.00	.....	.....
	<b>कुल प्रसारण</b>	<b>4856.90</b>	<b>626.00</b>	<b>501.79</b>	<b>845.00</b>	<b>495.30</b>	<b>897.10</b>	<b>397.97</b>	<b>1047.00</b>	<b>814.31</b>	<b>469.77</b>	<b>44.12</b>	<b>2253.49</b>	<b>46.40</b>	<b>77.78</b>
	डीबीएस	2106.90	360.00	300.50	370.00	.....	422.10	180.31	455.00	320.68	.....	.....	801.49	38.04	70.48
	<b>कुल आई एंड बी (I+II+III)</b>	<b>5130.00</b>	<b>878.00</b>	<b>693.19</b>	<b>890.00</b>	<b>523.75</b>	<b>955.00</b>	<b>418.24</b>	<b>1120.00</b>	<b>859.43</b>	<b>538.00</b>	<b>44.58</b>	<b>2539.19</b>	<b>49.50</b>	<b>76.73</b>
	डीबीएस	2380.00	415.00	319.05	415.00	.....	480.00	210.48	528.00	365.80	.....	.....	895.33	37.62	69.28
	आईबीआर	2750.00	463.00	374.15	475.00	.....	475.00	207.66	592.00	493.63	.....	.....	1075.44	39.11	83.38

\* आई स्तर पर पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध परिव्यय

## 10.5 संचार

### डाक

10.5.1 एक कार्यकुशल डाक व्यवस्था संवृद्धि व आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक संचार व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के एक अहम घटक के रूप में तेजी से उभर रहा है। भारतीय डाक व्यवस्था विश्व की प्राचीनतम और विशालतम डाक व्यवस्थाओं में से एक है। इसने अपनी सेवा के 151 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसका नेटवर्क 155516 डाक केन्द्रों का है। इनमें से लगभग 89% डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में बताए गए हैं। भारतीय डाक प्रणाली विभिन्न प्रकार की डाक सेवाएं उपलब्ध कराने के अलावा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन जुटाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

10.5.2 दसवीं योजना का उद्देश्य, डाक सेवाओं को दसवीं योजना के अंत तक स्व-वित्तपोषित बनाना है। इसे प्राप्त करने के लिए अपेक्षित नीतिगत उपाय आरंभ करने होंगे। प्रौद्योगिकी के उन्नयन और डाक प्रचालनों के आधुनिकीकरण को विशेष बल दिए जाने वाले क्षेत्र के रूप में जारी रखना परिकल्पित है। संयोज्यता, नेटवर्किंग और कम्प्यूटरीकरण इस योजना के वे महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना होगा। डाकघरों की पटल (काउंटर) सेवाओं में एक प्रमुख परिवर्तन भी परिकल्पित है जिसके तहत वर्तमान डाकघरों को बहु-उत्पाद और बहु-सेवा निर्गम-केन्द्रों में परिवर्तित किया जाना है। कार्यकुशलता व सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के द्वारा तथा सूचना-प्रौद्योगिकी आधारित समग्र उत्पादों और सेवाओं को आरंभ करके इस क्षेत्रक का आधुनिकीकरण करने में सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया जाना परिकल्पित है।

### 2005-06 की वार्षिक योजना की समीक्षा

10.5.3 2005-06 की वार्षिक योजना के लिए 354.00 करोड़ रुपए (बीई) के परिव्यय का अनुमोदन किया गया। परिव्यय को प.अ. की अवस्था में 404.00 करोड़ रुपए के स्तर पर रखा गया। वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय 301.11 करोड़ रुपए था। इसका ब्यौरा संलग्नक-10.5.1 में देखा

जा सकता है। दसवीं योजना के लिए लक्ष्यों, उद्देश्यों और नीति पहलों के अनुरूप, वार्षिक योजना 2005-06 में मुख्य लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्नक 10.5.2 में देखे जा सकते हैं।

10.5.4 वार्षिक योजना 2005-06 के दौरान विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही सबसे महत्वपूर्ण एकल स्कीम डाक घरों का कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग करने की थी। इस कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित विभिन्न कार्यकलाप थे - वर्तमान सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु मूलभूत आधुनिक संरचना का सृजन करना और नई मूल्य-वर्द्धित और वित्तीय सेवाएं आरंभ करने के लिए प्रौद्योगिकीय आधार प्रदान करना। 3812 डाकघरों और 100 प्रशासनिक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण पूरा कर लिया गया है। विभिन्न डाकघरों, रिकार्ड कार्यालयों, बैंक कार्यालयों, ग्राहक देखभाल केन्द्रों आदि का नेटवर्क निर्माण इस कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। विस्तारण कार्यक्रम के अधीन 20 डाकघर स्थान परिवर्तन करके खोले गए। भारतीय डाक ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पश्चिमी संघ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अंतरण लेनदेन में जनवरी, 2005 में आयोजित दक्षिण एशियाई एजेंट्स सम्मेलन में सर्वोच्च प्रगति का पुरस्कार प्राप्त किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अंतरण सेवा में भारतीय डाक का 30% बाजार हिस्सा है। स्पीड पोस्ट के मामले में 13 नए राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्र खोले गए और इस प्रकार ऐसे केन्द्रों की संख्या 150 से बढ़कर 163 हो गई। इसी प्रकार 8 डाकघरों, 5 प्रशासनिक कार्यालयों और 4 स्टाफ क्वार्टर परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। योजना के दौरान डाकघरों द्वारा जिस मिश्रित उत्पाद की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है आईटी आधारित सेवा उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रौद्योगिकीय बैंकअप के अभाव में प्रस्तावित नई सेवाएं शुरू करना व्यवहार्य नहीं हो सकेगा। वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए अधिकाधिक राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से वित्तीय मार्ट, ई-डाक, ई-बिल पोस्ट आदि जैसी नई सेवाएं शुरू की गई हैं।

10.5.5 इस क्षेत्रक में की जा रही समस्त आधुनिकीकरण प्रक्रिया में जनशक्ति विकास, संभवतः एक क्रांतिक निवेश

है। दसवीं योजना में मानव संसाधन विकास की कार्यनीति के दो महत्वपूर्ण अवयव थे - प्रौद्योगिकी को स्वीकारने और उसका प्रयोग करने के लिए मानसिकता में परिवर्तन लाना और सभी स्तरों पर समुचित कौशल प्रदान करना। बदली हुई जरूरतों के मद्देनजर सेवाकालीन प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का पुनिर्भिविन्यास करने की आवश्यकता है। 50694 डाकियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया गया जबकि 24842 कार्मिकों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा बदलती हुई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को पुनः दिशाअनुकूलित किए जाने की जरूरत है। कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण पर किए जा रहे निवेशों का अधिकतम प्रतिलाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कंप्यूटर से संबंधित एक विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया था और उसे कार्यान्वित किया जाना है। इच्छुक कर्मचारियों में कौशल उन्नयन का अधिकतम विस्तार सुनिश्चित करने हेतु, चालू वर्ष से दूरस्थ शिक्षण आरंभ किया गया था। इस प्रयोजन के लिए, उस अवधि में वर्ग 'क' के 522 अधिकारियों सहित 20690 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। परिकल्पित लक्ष्यों में कोई गिरावट नहीं आई है। कुछ लक्ष्यों के मामले में उपलब्धि लक्ष्यों से अधिक थी।

### वार्षिक योजना 2006-07

10.5.6 वार्षिक योजना 2006-07 के लिए कार्यक्रम और परियोजनाएं दसवीं योजना में रखांकित नीति और प्राथमिकताओं के अनुरूप होंगी। 2005-06 में आरंभ की गई स्कीमों/कार्यक्रमों को जारी रखा जाना है। 2006-07 की वार्षिक योजना के लिए 419.00 करोड़ रुपये (बीई) के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है जो पिछले वर्ष के परिव्यय से 18.36% अधिक है। दसवीं योजना में जिन स्कीमों पर अधिक ध्यान दिया जाना है, उसके अनुरूप कम्प्यूटरीकरण और संयोजन के लिए 270.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। यह राशि, वार्षिक योजना 2006-07 के लिए अनुमोदित कुल परिव्यय का लगभग 64% है।

10.5.7 दसवीं योजना के लिए निर्धारित मुख्य लक्ष्यों में से एक लक्ष्य कोलकाता और दिल्ली में एक-एक एएमपीसी

स्थापित करना है। यह स्कीम हाल ही में ईएफसी द्वारा अनुमोदित की गई है। अनुमोदन के अनुसार, दिल्ली में पत्र छांटने की एक मशीन (लेटर सॉर्टिंग मशीन - एलएसएम) और एक मिक्सड सार्टर लगाने की परिकल्पना है। आशा है यह स्कीम 2006-07 के दौरान पूरी कर ली जाएगी। 59.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। एक एलएसएम कोलकाता में स्थापित किया जाना है। दिल्ली में मिक्सड सार्टर के निष्पादन के मूल्यांकन पर विचार कर लेने के बाद कोलकाता में ऐसा मिक्सड सार्टर स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है। वार्षिक योजना 2006-07 में कोलकाता में एक एएमपीसी स्थापित किए जाने का विचार है। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए परिकल्पित लक्ष्यों और परिव्ययों का स्कीम-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्नक 10.5.1 और 10.5.2 में देखा जा सकता है।

### प्रमुख नीतिगत पहलें

10.5.8 विभाग को अपेक्षित कार्रवाई करनी है और इन मदों का कार्यान्वयन एक समयबद्ध ढंग से पूरा करना है। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए प्रमुख नीतिगत पहलें निम्नलिखित हैं:

- (i) विभाग के राजस्व घाटे को बढ़ाने के लिए विभाग की जमीन जायदाद का वाणिज्यिक संदोहन करने के लिए एक कार्यनीति तैयार करना।
- (ii) प्रतिस्पर्धा अभिसरण (कनरवर्जेस) और अन्य नए विकासात्मक पहलुओं की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, एक प्रगतिशील विधान द्वारा भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 के प्रतिस्थापन के लिए अपेक्षित कार्रवाई करना।
- (iii) बहु-उत्पाद, बहु-सेवा निर्गम केन्द्रों (आउटलेट्स) के रूप में फ्रेंचाईजी आधार पर डाक घर खोलने/चलाने की एक स्कीम तैयार करना।
- (iv) प्रचालनों में कार्यकुशलता प्राप्त करने और मूल्य-वर्द्धित सेवाओं को एक कारगर ढंग से आरंभ करने के उद्देश्य से डाक घर खोलने की नीति सहित डाक नेटवर्क की एक व्यापक समीक्षा।

- (v) अंतर्राष्ट्रीय संयोजनों और हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों तथा सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के मद्देनजर यूनिवर्सल पोस्टल सर्विस आब्लिगेशन (यूपीएसओ) की पहचान करना और उसे अपनाना। गैर-यूपीएसओ मदों का मूल्य निर्धारण वाणिज्यिक सिद्धांतों पर करना होगा।

## डाक विभाग का परिणामी बजट - वार्षिक योजना 2006-07

10.5.9 वित्त मंत्री द्वारा 2005-06 के अपने बजट अभिभाषण में की गई घोषणा के अनुसार विभिन्न योजना कार्यक्रमों और स्कीमों के संबंध में परिव्ययों और परिणामों के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करने के वास्ते आयोग में एक कार्रवाई की गई। 2006-07 के दौरान इस रूप में कार्यान्वित की जाने वाली कुछ प्रमुख स्कीमों के लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- (i) **कम्प्यूटरीकरण:** महत्वपूर्ण डाकघरों और प्रशासनिक कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्क निर्माण का कार्यक्रम संभवतः डाक विभाग द्वारा अभी तक हाथ में ली गई सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजनागत परियोजना में से एक है। ऐसा करने से समूचे देश के भीतर नाना प्रकार की मूल्य संवर्द्धित सेवाएं उपलब्ध कराने की क्षमता, दक्षता, उत्पादकता और ग्राहक देखभाल में सुधार लाने और नीतिगत पहलों के समर्थन के लिए एक बेहतर डाटा आधार की उपलब्धता सुलभ कराने के अर्थों में नेटवर्क के स्तरोन्नयन को सुकर बनाया जा सकेगा। 3000 बड़े डाकघरों और 105 प्रशासनिक कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण की योजना है।
- (ii) **स्वचालित डाक प्रोसेसिंग केन्द्र (एएमपीसी):** मुंबई और चेन्नई में स्वचालित डाक प्रोसेसिंग केन्द्रों के सफल संचालन के बाद बड़े पैमाने पर डाक प्रोसेस करने की दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से कोलकाता और दिल्ली में एएमपीसी स्थापित करने के प्रस्ताव हाथ में लिए गए हैं।

- (iii) **राष्ट्रीय डाटा केन्द्र:** डाक विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में अपने अनेक प्रचालनों को चरणबद्ध रूप में कम्प्यूटरीकृत किया है। अभी तक किए गए प्रयासों का समेकन करने और दक्षता, उत्पादकता आदि के अर्थों में कम्प्यूटरीकरण से प्राप्त होने वाले लाभों को इष्टतम बनाने के उद्देश्य से दिल्ली में एक राष्ट्रीय डाटा केन्द्र स्थापित किया जाना है। इस तरह का डाटा आधार नीति आयोजना के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन का काम करेगा।

- (iv) **डाकघरों का आधुनिकीकरण:** 300 डाकघरों का आधुनिकीकरण: आठवीं योजना के बाद से डाकघरों के आधुनिकीकरण का काम एक योजनागत क्रियाकलाप के रूप में लिया गया था जिससे की इन डाकघरों में कार्मिकों की दक्षता में और साथ ही सेवा के स्तर और जिस माहौल में यह सेवा लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है उसमें सुधार लाया जा सके।

- (v) **डाक वित्त मार्ट:** इसका उद्देश्य शहरी ग्राहकों को एक ही स्टाप डाक वित्त मार्ट के माध्यम से ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराना है जोकि इसी प्रकार के अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के संदर्भ में डाक ग्राहकों की अपेक्षाओं पर खरी उतरती हों और ऐसे उच्च ग्राहक वर्ग को वित्तीय सेवाओं की एक टोकरी तथा म्युचुअल फंड आदि का लाभ उपलब्ध करा सके जोकि बैंकों से अन्यथा अनेक कारणों से जिनमें बैंकों द्वारा खाते में न्यूनतम राशि रखने की अनिवार्यता जैसी शर्तें शामिल हैं निवेश सलाह नहीं मांगते हैं। 150 डाक वित्त मार्ट स्थापित किए जाने हैं।

- (vi) **एक्सप्रेस पार्सल डाक केन्द्र:** 39 एक्सप्रेस पार्सल डाक केन्द्रों की स्थापना। कार्पोरेट पार्सलों, लाजिस्टिक्स डाक सेवाओं, एक्सप्रेस पार्सल डाक आदि जैसे उत्पादों के लिए एकांतिक, समेकन केन्द्र खोलकर पार्सल खंड की ओर

अधिक ध्यान दिया जा सकेगा। साथ ही ये समर्पित केन्द्र ग्राहकों के लिए और अधिक तेज और बेहतर निवारण तंत्र उपलब्ध कराएंगे।

- (vii) **अंतर्राष्ट्रीय पार्सल डाक हब:** मुंबई, कोच्चि और दिल्ली में 3 अंतर्राष्ट्रीय पार्सल डाक हबों की स्थापना। इन अंतर्राष्ट्रीय हबों की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पार्सलों के लिए इन केन्द्रों को विशेषज्ञतापूर्ण हैंडलिंग और त्वरित सीमा शुल्क अनापत्ति प्रदान करके मूल्य संवर्द्धित, प्रभावी और सक्षम डाक सेवा प्रदान करना है।

### दूरसंचार

10.5.10 दूरसंचार आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख प्रेरकों में से एक है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की तीव्रतम संवृद्धि करने वाले क्षेत्रों में से एक है और भविष्य में इसकी संवृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। स्वतंत्रता के समय (मार्च 1948) इसकी लगभग एक लाख लाइनें थीं और अप्रैल 2006 के अंत तक यह बढ़कर 1461.97 लाख लाइनें हो गई हैं जिसमें सेल्यूलर कनेक्शन भी शामिल हैं।

10.5.11 सरकारी और निजी क्षेत्रों के संयुक्त प्रयासों के जरिए 10वीं योजना के दौरान इस क्षेत्रक के लिए विशिष्ट लक्ष्य तय किए गए थे। मोबाइल और बेतार सेवाओं के जरिए संयोजन प्रदान करने में निजी क्षेत्रक से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने की आशा थी। ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाष (विलेज पब्लिक टेलीफॉस - वीपीटीज) सहित ग्रामीण दूरभाष को छोड़कर अन्य सभी लक्ष्यों के मामले में इस समय तक की प्रगति संतोषजनक है। प्रमुख लक्ष्यों में निष्पादन आधारित लक्ष्यों के अनुरूप है। शहरी क्षेत्रों में मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया गया है। वर्तमान का दूरभाष घनत्व प्रति एक सौ जनसंख्या के लिए 13.56 है। वर्तमान प्रवृत्तियों और नेटवर्क विस्तार के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक द्वारा तैयार की गई योजनाओं के मद्देनजर 22 का दूरभाष-घनत्व 2007 तक प्राप्त कर लिए जाने की आशा है।

10.5.12 सरकार द्वारा 2004 में ब्राडबैंड नीति की घोषणा के बाद, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड ने 14 जनवरी, 2005 को ब्राडबैंड सेवाएं आरंभ की हैं जो वैयक्तिक अभिदाता को “आलवेज आन” 256 केबीपीएस न्यूनतम डाउनलोड गति प्रदान करेगी। परिमाण और प्रतियोगिता में वृद्धि के कारण इन सेवाओं की लागत घट गई है। बीएसएनएल और एमटीएनएल क्रमशः 250 रुपए और 199 रुपए के मासिक किराए पर बीबी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। यह सेवा मार्च, 2005 तक 200 शहरों में उपलब्ध करा देने की आशा थी। विभिन्न प्रौद्योगिकियों के प्रयोग द्वारा इसी प्रकार की पहल की आशा निजी टेलीकाम आपरेटरों से भी थी।

### 2005-06 की वार्षिक योजना की समीक्षा

10.5.13 दूरसंचार क्षेत्रक के लिए 168.61 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन सहित 11801.01 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया था। परिशोधित अनुमान के चरण पर इसे 110.00 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन सहित परिशोधित करके 17416.00 करोड़ रुपए कर दिया गया। योजनागत मदों के तहत विभाग का वास्तविक व्यय 82.61 करोड़ रुपए बैठता है जो 2005-06 में 75% का उपयोग दर्शाता है। निधियों के कम प्रयोग का मुख्य कारण डब्ल्यूपीसी का न्यून प्रयोग था। 31 जनवरी, 2006 को लगभग 130 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन थे जिनमें से लगभग 48 मिलियन फिक्स्ड लाइन उपभोक्ता और 82 मिलियन मोबाइल उपभोक्ता थे। निजी क्षेत्र का हिस्सा 54% था। इसी प्रकार दिसम्बर, 2005 में मोबाइल फोनों का हिस्सा 62% तक पहुंच चुका है। टेलीफोन घनत्व जोकि मार्च, 2005 में 8.95 था वह 2006 में बढ़कर 13.06 हो गया है। मोबाइल टेलीफोनों के प्रयोग में लगातार एक सकारात्मक बदलाव देखा गया है। मोबाइल फोनों का हिस्सा (सेलुलर और डब्ल्यूएलएल मोबाइल) जोकि 31 मार्च, 2005 को 52.40% था वह दिसम्बर, 2005 में बढ़कर 62% हो गया है।

10.5.14 भारत निर्माण: ग्रामीण संयोज्यता में सुधार लाना

डीओटी की एक उच्च प्राथमिकता रही है। बाकी बचे असंयोजित गांवों में टेलीफोन उपलब्ध कराना भारत निर्माण का एक घटक है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को यूनिवर्सल सर्विस आब्लीगेशन फंड (यूसओएफ) की सहायता से नवम्बर, 2007 तक बाकी बचे सभी 66822 गांवों में ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया है। 31 मार्च, 2006 को 24687 वीपीटी उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इसके अलावा विश्वसनीय संयोज्यता को बढ़ावा देने के लिए 150000 मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) वीपीटी के स्थान पर लैंडलाइन/एफडब्ल्यूटी वीओटी लगा दिए गए हैं।

### वार्षिक योजना 2006-07

10.5.15 दूरसंचार क्षेत्रक की योजना का निष्पादन मुख्यतः इसके पीएसयू द्वारा किया जाता है। दसवीं योजना के लिए निर्धारित उद्देश्य और नीतिगत संरचना वर्ष 2006-07 के मूलभूत कार्यकलापों को निर्देशित करते रहेंगे। 2005-06 में आरंभ किए गए कार्यक्रमों/स्कीमों को जारी रखने की परिकल्पना है। परिकल्पित प्रमुख लक्ष्यों में ये शामिल हैं: 100 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन (डीईएल) और 10 लाख आरडीईएल उपलब्ध कराना, यूसओ करार के अनुसार 20000 वीपीटी मुहैया कराना, 40000 एमएआरआर आधारित वीपीटी को डब्ल्यूएलएल/11 द्वारा प्रतिस्थापित करना, 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में दूसरा सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराना। इसके अलावा 8 लाख इंटरनेट कनेक्शन और 6 लाख ब्राड बैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने की भी बात सोची गई है। 6.84 लाख टैक्स लाइनें और 33000 मार्ग किलोमीटर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। इन्हें कार्यरूप देने के लिए 11801.01 करोड़ रुपए का परिवय मंजूर किया गया है जिसमें 168.61 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है जोकि विशेष रूप से विनियामक निकायों और अनुसंधान संगठनों के लिए आबंटित की गई है। वित्तीय परिव्यय और भौतिक लक्ष्यों का संगठन-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्नक-10.5.3 और संलग्नक-10.5.4 में दिया गया है।

### प्रमुख क्षेत्र जिन पर अधिक ध्यान दिया जाना है

#### (i) नेटवर्क का विस्तारण

10.5.16 सार्वजनिक क्षेत्रक इकाइयों, यथा बीएसएनएल और एमटीएलएन विस्तारण कार्यक्रम मोटे तौर पर मांग पर टेलीफोन देने के मूलभूत उद्देश्य से निर्देशित होगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 2006-07 में 83 लाख नए कनेक्शन देना परिकल्पित है। विगत कुछ वर्षों में देखी गई प्रभावशाली संवृद्धि को बरकरार रखने के लिए और एनटीपी, 1999 में परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यह जरूरी है कि अगले दशक के लिए दूरसंचार क्षेत्रक को एक आधारिक संरचना क्षेत्रक के रूप में माना जाए। इसमें यह भी परिकल्पना की गई है कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों, विशेषतः सूचना प्रौद्योगिकी और मनोरंजन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ब्राडबैंड की काफी अधिक संवृद्धि दर प्राप्त की जाए।

#### (ii) यूनिवर्सल सर्विस आब्लीगेशन

10.5.17 8.6 के राष्ट्रीय दूरभाष घनत्व और 24 के शहरी दूरभाष घनत्व के मुकाबले वर्तमान ग्रामीण दूरभाष घनत्व 1.66 है। बीएसएनएल द्वारा 29026 ग्रामीण दूरभाष केन्द्र और 1.20 करोड़ ग्रामीण दूरभाष कनेक्शन हैं। संप्रति ग्रामीण टेलीफोन प्रणाली अपने मौजूदा रूप में घाटे में चल रहे कारोबार के रूप में देखी जाती है और यही कारण है कि निजी क्षेत्र इसे अलाभकारी मानता है और इस कारण निजी प्रचालक ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी कर रहे हैं। तथापि उपलब्ध धनराशि अपर्याप्त रही है। ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में संयोजन को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख पहल, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (संशोधन), 2003 के जरिए यूसओ निधि स्थापित करना रही है। नियमों के अंतर्गत अनुमानित कुछ मूलभूत लक्ष्य और पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया पर आधारित उनके कार्यान्वयन की स्थिति निम्न प्रकार से है:

- 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में, ब्लाक

मुख्यालय में एक सार्वजनिक स्थल पर उच्च गति दूर सूचना केन्द्रों (एचपीटीआईसी) में उन्नयन, 2000 गांवों को कवर करने वाली एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की गई है जिसका 2005-06 में इस प्रकार के अन्य गांवों में विस्तार किया जाएगा।

- मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमआरआर) आधारित वीपीटी का जून, 2006 तक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से प्रतिस्थापन।
- प्रत्येक राजस्व गांव में एक वीपीटी का लक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात, ऐसे गांवों में जहां की जनसंख्या 2000 से अधिक है और कोई भी पीसीओ नहीं है, अतिरिक्त ग्रामीण दूरभाष (आरसीपी) प्रदान करना। इस कार्य को 2007 तक 46,253 ऐसे गांवों में पूरा करने के लिए दो प्रचालकों के साथ समझौतों को पहले से ही अंतिम रूप दिया जा चुका है।

### भारत निर्माण

10.5.18 भारत सरकार ने देश के भीतर विश्व स्तरीय आधारिक तंत्र का निर्माण करने के लिए 2004 में भारत निर्माण नामक एक परियोजना हाथ में ली। दूर संचार क्षेत्र में नवम्बर, 2007 तक कवर न किए जा सकें 66882 गांवों को संयोजित किया जाना था। युनिवर्सल सर्विस आब्लीगेशन फंड (यूएसओएफ) ने वीपीटी उपलब्ध कराके बाकी बचे 66822 गांवों को कवर करने के वास्ते खुले टेंडर के जरिए बोलियां आमंत्रित कीं। खुले टेंडर के आधार पर भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को नवम्बर, 2004 में (डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) पर कवर किए जाने वाले) 14183 दूरस्थ और दूरदराज के गांवों सहित 66822 गांवों में ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया। 10.11.2004 से तीन वर्षों की रोल-आउट योजना निर्धारित की गई है। कार्य योजना के अनुसार 13366 गांव नवम्बर, 2005 तक; 40094 गांव नवम्बर, 2006 तक और 66822 गांव नवम्बर, 2007 तक कवर किए जाने थे। सितम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार कवर न किए गए 31691 गांव ही कवर किए जा सके।

### (iii) स्पेक्ट्रम नीति

10.5.19 स्पेक्ट्रम आबंटन और लाइसेंसिंग को शासित करने वाली नीति को इस प्रकार से अभिकल्पित करना होगा कि इस दुर्लभ संसाधन का इष्टतम प्रयोग हो सके और यह संवृद्धि में बाधक न बने स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण का आधार एक गतिशील ढंग से सापेक्ष मांग और आपूर्ति पर होना जरूरी है और इसे स्पेक्ट्रम कार्यकुशल प्रौद्योगिकी को आरंभ करने को बढ़ावा देना चाहिए। उपलब्ध स्पेक्ट्रम का एक अहम हिस्सा रक्षा, पुलिस और पैरा-मिलिट्री बलों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में यह कहा गया है कि प्रौद्योगिकी उन्नयन और रक्षा पैरा-मिलिट्री और अन्य संगठनों के लिए समुचित स्पेक्ट्रम के आबंटन सहित स्पेक्ट्रम के इष्टतम उपयोग के लिए एक कार्ययोजना बनाने और उसे एक समयबद्ध ढंग से कार्यान्वित करने की जरूरत है ताकि गैर-सैनिक प्रयोग के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्रदान किया जा सके। योजना माध्यम से आवश्यक धनराशियां प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके मद्देनजर एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने और उसे शीघ्रताशीघ्र कार्यान्वित करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त इन बलों द्वारा प्रयोग किए जा रहे स्पेक्ट्रम के आधुनिकीकरण के लिए कार्यान्वयनाधीन कार्यक्रम की बारीकी से मानीटरिंग करने की आवश्यकता है ताकि यह शीघ्र पूरा हो सके और निजी क्षेत्रक के लिए अतिरिक्त क्षमता शीघ्र प्रदान की जा सके।

### विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम और अन्य संगठन

#### (i) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)

10.5.20 पहले के दूरसंचार विभाग का प्रचालनात्मक नेटवर्क पूर्ण स्वामित्व के सार्वजनिक क्षेत्रक प्रतिष्ठानों (पीएसयू) में परिवर्तित कर दिया गया है। यह कंपनी 1.10.2000 से प्रचालनात्मक हो गई है। 2002 तक “मांग पर टेलीफोन” प्रदान करने और उसे तत्पश्चात बनाए रखने के दसवीं योजना के उद्देश्य के अनुरूप निगम की योजना है कि

मूलभूत सुविधाओं के त्वरित विस्तार की मान्य नीति को जारी रखा जाए। 2006-07 के दौरान, कंपनी की 100 लाख नए कनेक्शन देने की परिकल्पना है। इन कनेक्शनों का अहम हिस्सा जीएसएम और डब्ल्यूएलएल आधारित कनेक्शन होंगे। बीएसएनएल के लिए 16931.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है।

10.5.21 बीएसएनएल के वार्षिक योजना लक्ष्य में तीन विशेष घटक भी शामिल हैं, यथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय योजना, जनजातीय क्षेत्र उप-योजना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना। 2006-07 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 3,10,000 सेल्यूलर मोबाइल कनेक्शन प्रदान करने की योजना है।

### (ii) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)

10.5.22 एमटीएनएल दिल्ली व मुंबई के दो मेट्रो को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। सेल्यूलर दूरभाष की तरफ झुकाव के कारण मांग में ठहराव के मद्देनजर और निजी मूलभूत सेवा प्रचालकों से प्रतिस्पर्धा के कारण भी, वर्ष 2006-07 में 20.00 लाख नए कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लम्बी दूरी की बढ़ी हुई पारिषण आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्ष 2006-07 में अतिरिक्त 64000 लाख टीएएक्स लाइनें जोड़ने की आशा है। उपकरणों का आधुनिकीकरण और नई व मूल्य-वर्द्धित सेवाएं प्रदान करने वाली स्कीमों का कार्यान्वयन कंपनी का वर्ष में नया अधिक ध्यान देने वाला क्षेत्र होगा। इस दिशा में लिए जाने वाले प्रमुख कदमों में ये शामिल होंगे: संपूर्ण नेटवर्क का डिजिटीकरण, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन), चैट सर्विस, इंटरनेट पर शॉपिंग मालज, डब्ल्यूएलएल उपकरण प्रदान करना आदि। निगम के विभिन्न कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने के लिए वर्ष 2006-07 की वार्षिक योजना के लिए 2298.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है।

### (iii) टेलीमैटिक्स के विकास के लिए केन्द्र (सी-डाट)

10.5.23 सी-डाट दूरसंचार क्षेत्रक में अनुसंधान और

विकास कार्यक्रमलाप में लगी मुख्य सार्वजनिक क्षेत्रक एजेंसी है। सी-डाट द्वारा विकसित दूरसंचार स्विचिंग प्रौद्योगिकी, भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में प्रचालित कुल लाइनों के 40% से अधिक है। फिक्सड प्रणालियों और मोबाइल उपभोक्ता एक्सेस प्रणाली सहित हाई बैंड को ब्राडबैंड करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों का विकास करना इस योजना की कार्यनीति का एक अहम हिस्सा होगी। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए इस संगठन के वास्ते 82.00 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन सहित 143.70 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है।

### परिणामी बजट वार्षिक योजना 2006-07

10.5.24 2006-07 के अपने बजट अभिभाषण में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अनुरूप विभिन्न योजना कार्यक्रमों और स्कीमों में स्पष्ट संयोजन स्थापित करते हुए, आयोग में एक प्रयोग किया गया। वर्ष 2006-07 में इसके अनुरूप कार्यान्वित की जाने वाली कुछ प्रमुख स्कीमों के लक्ष्य निम्न प्रकार से हैं:

- (i) बीएसएनएल द्वारा 90 लाख जीएसएम तथा 10 लाख फिक्सड डब्ल्यूएलएल कनेक्शनों सहित 100 लाख नए कनेक्शन प्रदान करना।
- (ii) एमटीएनएल द्वारा 20 लाख नए कनेक्शन दिए जाने हैं।
- (iii) एमएआरआर पर सभी वीपीटी का डब्ल्यूएलएल/एलएल द्वारा प्रतिस्थापन - वर्ष के दौरान 40000 का प्रतिस्थापन।
- (iv) 20000 वीपीटी प्रदान करना - पहली तिमाही में 2000, दूसरी तिमाही में 5000, तीसरी तिमाही में 5500, चौथी तिमाही में 7500।
- (v) एमटीएनएल द्वारा आइएलडी सेवाएं प्रदान करना।
- (vi) 2000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में द्वितीय (सेकंड) सार्वजनिक दूरभाष देना।
- (vii) विभिन्न वीओआईपी उप-प्रणालियों सहित, यथा आईपी/एमपीएलएस रूटर्ज, वीओआईपी गेटवेज,

सी-डॉट एकीकृत एनजीएन प्रायोगिक प्रणाली का क्षेत्र में प्रदर्शन करना। नेटवर्क विश्वसनीयता और इष्टतमीकरण के लिए एटीएम नेटवर्क इंटरफेस यूनिट (एनआईयू) को अनुकूलित करना।

(viii) ट्रेल इंटरसेप्शन और इंटेलिजेंट प्रणाली का विकास करना और मार्गदर्शन करना (सीआईआईएस)। एनएमएस और ओएसएस प्रणालियों का संवर्द्धन तथा जीएसएम तथा राष्ट्रीय टैक्स एनएमएस के लिए क्षेत्र में

एनएमएस की तैनाती के लिए समर्थन को बढ़ावा देना।

- (ix) जीएसएम व ब्राडबैंड सेवाओं के लिए ग्रामीण बेतार प्रणालियों का व्यवहारिकता परीक्षण।
- (x) सी-डॉट डीडब्ल्यूडीएम प्रौद्योगिकी, के.यू.-बैंड में ब्राडबैंड सैटेलाइट, सीडब्ल्यूडीएम विकास आदि के लिए प्रायोगिक/क्षेत्र प्रशिक्षण आरंभ करना।

वार्षिक योजना 2006-07 के लिए डाक विभाग के परिव्यय/व्यय

(रुपए करोड़ में)

क्रम संख्या	स्कीम	दसवीं योजना परिव्यय	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06	2005-06	2005-06	2005-06	2006-07
			बीई	वास्तविक	बीई	वास्तविक	बीई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक	बीई	
1	विस्तारण	37.27	3.41	1.02	2.10	2.19	2.75	2.91	5.00	4.75	1.63	5.00	
2	कम्प्यूटरीकरण	836.27	38.86	8.38	59.32	0.48	140.00	100.8	250.00	321.45	238.88	270.00	
3	नेटवर्किंग	25.37	13.32	0.82	0.82	0.58	5.00	0.14	2.00	3.87	1.31	6.00	
4	वी-सैट प्रणाली	3.00	0.75	2.32	2.00	0.39	0.50	0.1	0.01	0.06	0.00	0.45	
5	ग्राहक देखभाल केन्द्र में	11.57	11.57	0.08	11.57	9.45		0		0.00	0.00	0.00	
6	सुधार	48.50	5.54	1.35	5.07	4.21	6.86	5.24	10.00	16.01	13.33	14.70	
7	एमपीसीज	71.05	24.00	11.15	0.05	0.60	1.00	0.52	20.00	0.50	0.14	59.00	
8	डाक गमनागमन	21.00	0.30	0.00	15.31	12.58	0.47	0.04	1.00	1.86	1.03	0.97	
9	प्रीमियम उत्पाद	41.09	2.74	1.22	5.94	4.98	5.02	3.94	10.00	9.73	7.03	7.50	
10	डाक-टिकट संग्राहिकी	7.31	0.84	1.17	1.00	0.94	1.49	1.07	1.00	0.95	0.84	2.67	
11	प्रशिक्षण	61.30	6.65	2.37	11.28	7.33	9.85	5.15	10.53	9.00	8.97	8.00	
12	भवन	115.40	28.00	13.90	24.00	15.01	18.00	15.2	25.00	24.00	21.63	32.00	
13	सर्किल टिकट डिपो	2.52	0.26	0.60	0.01	0.47	0.66	0.35	0.50	0.54	0.37	0.24	
14	अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रक्रमण	3.33	1.26	0.81	2.06	1.64		0		0.61	0.48	0.00	
15	राष्ट्रीय डाटा केन्द्र	10.00	5.00	0.00	0.50		0.10	0	10.00	4.00	0.00	5.00	
16	अनुसंधान व विकास सर्वेक्षण	4.00	1.00	0.01	0.07	0.08	1.00	0	0.75	0.70	0.68	0.50	
17	एक्सप्रेस पार्सल	7.02	0.50	0.00			1.00	0	2.00	2.80	2.23	2.52	
18	ई-डाक	5.00	0.50	0.71	2.30	1.78	0.71	0.04	0.50	0.15	0.01	0.50	
19	ई-बिल डाक	5.00	0.50	0.00	3.00	0.05	0.25	0	0.10	0.52	0.46	0.50	
20	नए उत्पाद आदि	34.00	5.00	0.00	3.60	0.27	3.00	0.69	5.00	2.00	1.99	3.00	
	विविध#							0.37			0.120#		
21	सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार						2.34	0	0.61	0.50	0.00	0.40	
22	एनई के लिए वायुयान की खरीद										0.00	0.05	
	<b>कुल</b>	<b>1350.00</b>	<b>150.00</b>	<b>45.91</b>	<b>150.00</b>	<b>63.03</b>	<b>200.00</b>	<b>136.56</b>	<b>354.00</b>	<b>404.00</b>	<b>301.11</b>	<b>419.00</b>	

वार्षिक योजना 2006-07 के लिए डाक विभाग का वास्तविक निष्पादन

(करोड़ रुपए में)

स्कीम	दसवीं योजना लक्ष्य	2002-03 उपलब्धि	2003-04 उपलब्धि	2004-05 लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	2005-06 लक्ष्य	2005-06 उपलब्धि	2006-07 लक्ष्य
<b>विस्तारण</b>								
(i) पीएसएसके	5000	1500	900	900	0	0	0	*
(ii) ईडीबीसीओज	1000	250	200	200	0	0	0	
(iii) डीएसओज	100	25	20	20	0	0	0	
बदले जाने वाले पीएसएसके- फ्रेंचाइज प्रणाली								1445
<b>कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण</b>								
पीओएस	13361		200	339	339+1533	3500	3812	2900
प्रशासनिक कार्यालय					500			105
पीएओ	9		10	8	8	3	शून्य	
सर्किल कार्यालय	22		3	112	112	100	100	
क्षेत्रीय कार्यालय	37		37			शून्य	शून्य	
<b>एचआरओज की नेटवर्किंग</b>								
एचआरओज	47+22		10	20		20	18	8
टीएमओज	37+67					Nil	Nil	
सीआरसीज	186			60+50		40	34	60&50
<b>वी-सैट प्रणाली</b>								
<b>ग्राहक देखभाल केन्द्र</b>			883					
<b>श्रम दक्षता शक्ति में सुधार</b>						205	210	270 Pos
आधुनिकीकरण			150	150	150	205+150		
वित्तीय मार्ट								150
एसपीसीसी			12	188		150		88
डाक कार्यालय	400		22	30	0	5	4	5
आधारिक संरचना	49448		1822	2500	2638	2000	2089	3000
एएमपीसीज				2	2	1	शून्य	2 केन्द्र
<b>डाक गमनागमन</b>								
<b>मोटर वाहन</b>				12	12	30	Nil	29
यंत्रिकृत सुपुर्दगी				25+30	25+30	25 +3 *	18+32	25/30
प्रीमियम उत्पाद								
<b>स्पीड पोस्ट बुकिंग</b>				167c+334c	478	15+130+350		60

डाक टिकट संग्राहिकी								
प्रदर्शनी	25	50	45	55	55			
औजार व उपकरण	500	54	40	40	40			
वर्ग 'क'		252	275	275	275	275		450
सेवाकालीन		8229	4750	4750	5998	4750		5000
दूरस्थ शिक्षण		1235	22000					
कम्प्यूटर प्रशिक्षण		25780	33000	11000+ 2200033718	10952+			10000
कार्यस्थल अभिगम								40000
काम करते हुए सीखना (टीई)								20000
<b>भवन</b>								
कार्यालय भवन			32	25+34 नया	20+33 नया	16+17	18+13	34
प्रशासनिक भवन का निर्माण								9
स्टाफ क्वार्टर्स			70	10+129 नया	6+10 नया	13+17	4+4	3
सर्किल टिकट डिपो				6	6	5	5	1
अंतर्राष्ट्रीय डाक का प्रक्रमण		5	9					
राष्ट्रीय डाटा केन्द्र						1	शून्य	
अनुसंधान व विकास सर्वेक्षण						1	1	
एक्सप्रेस पार्सल केन्द्र			6			30+3	36+3	30
इंटरनेशनल पार्सल पोस्ट्स हब डेवलपमेंट								3
ई-पोस्ट			1					
ई-बिल स्ट								
नए उत्पाद आदि								
विक्रय टर्मिनल के प्वाइंट	1500			150		शून्य	शून्य	
स्मार्ट कार्ड	1250000					शून्य	शून्य	
सेवा की गुणवत्ता में सुधार								1 परियोजना

वार्षिक योजना 2006-07  
दूरसंचार विभाग  
परिव्यय/व्यय और वित्तपोषण प्रणाली

(रुपए करोड़ में)

स्कीम/संगठन	दसवीं योजना	2002-03	2003-04		2004-05		2005-06		2005-06	2006-07
		वास्तविक	बीई	वास्तविक	बीई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक	बीई
बीएसएनएल	66412.00	11819.00	12285.00	6532.55	8809.00	6636.00	9696.00	16087.00	6838.09	16931.00
आईआर	66407.00	11819.00	6515.00		7734.00	6381.00	8051.00	14312.00		<b>16931.00</b>
बांड्स			1341.00		1074.00	255.00	1645.00	1775.00		0.00
अन्य#			4428.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
लाइसेंस शुल्क व स्पेक्ट्रम प्रभार										
यूएसओ से निवल प्राप्ति										
जीबीएस	5.00		1.00		1.00	0.00	0.00	0.00		0.00
एमटीएनएल	11955.44	1053.91	2284.00	965.91	2557.00	2220.00	1887.00	1219.00	685.47	2298.00
आईआर	9180.44	1053.91	2284.00		2557.00	2220.00	1887.00	1219.00		2298.00
बांड्स	2775.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
आईटीआई	790.00	32.00	202.00	10.06	120.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आईआर	130.00	-328.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
बांड्स	660.00	200.00	195.00		120.00	538.00				
जीबीएस		160.00			0.00	200.00		0.00		0.09
डब्ल्यूएमओ		2.97	9.36	0.06	14.27	3.27	18.77	0.12	0.00	4.00
डब्ल्यूपीसी		15.80	131.17	9.40	73.75	20.00	62.71	27.24	3.67	15.61
ट्राई	1495**	<b>0.92</b>	<b>1.67</b>	<b>1.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>3.25</b>
टीडीसेट		0.48	0.87	0.63	0.60	0.70	1.00	0.70	0.70	0.75
टीईसी		1.28	2.27	2.46	4.00	2.98	1.13	0.12	0.11	1.00
सी-डाट		103.00	38.66	47.66	81.38	68.36	131.40	78.82	103.69	143.70
आईआर							49.40			61.70
जीबीएस		103.00	38.66	47.66	81.38	68.36	82.00	78.82		82.00
अन्य	<b>6331.56</b>									
ए तथा एन के लिए ओएफसी										1.00
रक्षा नेटवर्क										100.00
टीएटी										1.00
टीईटीसी										5.00
<b>कुल</b>	86984.00	13029.36	14955.00	7570.40	11660.00	9689.31	11801.01	17416.00	7634.73	19509.39
आईआर	79152.44	12544.91	8806.00		10291.00	8601.00	9938.00	15531.00		19259.70
बांड्स		360.00	1536.00		1194.00	793.00	1645.00	1775.00		
अन्य	6331.56	0.00	4428.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
बीएस	1500.00	124.45	185.00		175.00	295.31	168.61	110.00		213.61

वार्षिक योजना 2006-07  
दूरसंचार क्षेत्रक का वास्तविक निष्पादन

स्कीम	यूनिट	दसवीं योजना	2002-03 उपलब्धि	2003-04		2004-05 लक्ष्य	2004-05 प्रत्याशित उपलब्धि	2005-06 लक्ष्य	2005-06 वास्तविक	2006-07 लक्ष्य
				लक्ष्य	उपलब्धि					
नए कनेक्शन	लाख लाइनें	395.23	49.14	64.11	64.11	105.00	105.00	83.00	89.95	120.00
फिक्स्ड	लाख लाइनें	96.89	1.44							
डब्ल्यूएलएल	लाख लाइनें	62.93	0							
जीएसएम	लाख लाइनें	235.41	0							
बीएसएनएल	लाख लाइनें	367.67	47.70	60.61	60.61	100.00	100.00	75.00	82.24	100.00
फिक्स्ड	लाख लाइनें	80.90		14.00	14.00	4.50	4.50			
डब्ल्यूएलएल	लाख लाइनें	62.93		16.61	16.61	25.50	25.50			
जीएसएम	लाख लाइनें	223.84		30.00	30.00	70.00	70.00			
एमटीएनएल	लाख लाइनें	27.56	1.44	3.50	3.50	5.00	5.00	8.00	7.71	20.00
फिक्स्ड	लाख लाइनें	15.99	1.44							
डब्ल्यूएलएल	लाख लाइनें	0.00								
जीएसएम	लाख लाइनें	11.57								
टीएएक्स	लाख लाइनें		11.01	11.08	11.08	12.66	9.00	6.84	10.81	0.64
बीएसएनएल	लाख लाइनें		10.11	10.58	10.58	10.58	8.00	6.20	8.29	0.00
एमटीएनएल	लाख लाइनें		0.90	0.50	0.50	2.08	1.00	0.64	2.52	0.64
माइक्रोवेव	000 कि.मी.		8.08	2.00	2.00	2.00	2.00		1.02	
आप्टिकल फाइबर	000 कि.मी.		95.81	55.00	55.00	38.00	38.00	33.00	48.31	18.00
बीएसएनएल	000 कि.मी.		75.81	35.00	35.00	18.00	18.00	15.00	18.26	0.00
एमटीएनएल	000 कि.मी.		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	18.00	30.07	18.00
वीपीटी	000 अदद		36.93	29.60	29.60	5.98	4.00	11.90	17.39	20.00

## अध्याय-11

### वन और पर्यावरण

#### प्रस्तावना

11.1 शुद्ध वायु, शुद्ध जल, वनों और वन्य जीवन का संरक्षण और हरियाली मनुष्यों, पशुओं और पर्यावरण के कल्याण के लिए अनिवार्य है। हालांकि विकास की गति अपने आपमें संधारणीयता को प्रभावित करती है लेकिन फिर भी बाढ़ और सूखों, भूमि का अवक्रमण, मरुस्थलीकरण, जल और वायु प्रदूषण तथा जैव-विविधता सहित कुछ महत्वपूर्ण तत्व काफी प्रभाव डालते हैं। नकारात्मक प्रभावों के शमन के लिए मानीटरन और सामयिक कार्रवाई और विकासात्मक आयोजना में इन तत्वों पर विचार इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बन जाता है। विकास में इन तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त पर्यावरणात्मक विनियामक प्रणालियां महत्वपूर्ण साधन होती हैं।

11.2 वन केवल पारिस्थिकीय दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं होते बल्कि अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भांति एक बड़ी मात्रा में समुदायों की आजीविका में भी सहायक होते हैं। एक महत्वपूर्ण जीवन समर्थन प्रणाली के रूप में वन उत्पादकता को समुदायों के साथ समाविष्ट किए जाने की जरूरत है ताकि संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण दावा सुनिश्चित किया जा सके। लाभकारी रोजगार अवसर प्रदान करने के माध्यम से वन प्रबंध और आदिवासियों तथा वनवासियों के आर्थिक उन्नयन के लिए सहभागितापूर्ण प्रणालियों का सुदृढीकरण वन संरक्षण का एक अनिवार्य घटक माना गया है।

11.3 10वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन ने यह सुझाया कि फार्म/सामुदायिक भूमियों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए समर्थनकारी वातावरण तैयार करना वांछित हरियाली प्राप्त करने के लिए जरूरी है। हरियाली का विस्तार करने की दृष्टि से विस्तृत सामाजिक/कृषि-वानिकी कार्यक्रमों, बायोमास संसाधनों को आजीविका से

जोड़ना जरूरी होगा। बांस और जैव-ईंधनों को मिशन पद्धति से बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया है जिससे कि हरियाली के विस्तार के साथ-साथ ग्रामीण समुदायों को आजीविका के रूप में सहायता भी प्राप्त होगी।

#### वानिकी, वन्य जीवन और पशु कल्याण परिणामी बजट 2005-06 की निष्पादन समीक्षा

11.4 वन कवर और संयुक्त वानिकी प्रबंध (जेएफएम) के वैश्वीकरण का सुदृढीकरण करने के वास्ते राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (एनएपी) पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) की एक फ्लैगशिप्स स्कीम है। संयुक्त वन प्रबंध दृष्टिकोण अभी तक 28 राज्यों द्वारा अपनाया गया है। 2005 के अंत तक 20.11 मिलियन हैक्टेयर वन क्षेत्र 99708 जेएफएम समितियों के अधीन लाया जा चुका था जिसके तहत 61347 राजस्व गांवों में 13.74 मिलियन परिवार आते हैं। एनएपी के अधीन 2391 नई जेएफएम समितियों ने काम करना शुरू कर दिया है। एक सहभागितापूर्ण वन प्रबंध परिपाटी के रूप में जेएफएम का सभी सीमावर्ती 1.70 लाख गांवों में विस्तार किया जाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने में राज्यों के प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

11.5 राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम में वन प्रभाग स्तर पर वन विकास एजेंसियों (एफडीए) का गठन किए जाने की बात सोची गई है जोकि परियोजना आकलन एजेंसियों के रूप में काम करेंगी और वनरोपण परियोजनाओं के लिए निधियां पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इन एजेंसियों के माध्यम से जेएफएम समितियों को भेजी जाएंगी। 2005-06 के दौरान एनएपी के अधीन 55232 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 95 एफडीए परियोजनाएं चालू की गई हैं।

11.6 सरकारी वनों के प्रभावी प्रबंध के लिए एक एकीकृत वन संरक्षण स्कीम शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के अधीन

राज्यों को वन संरक्षण आधुनिक तंत्र, प्रबंध आयोजना के आधुनिक तकनीकों के लिए अधिग्रहण और क्षमता निर्माण तथा सहभागितापूर्ण अग्नि मानीटरन और संरक्षण प्रणालियों के वास्ते सहायता प्रदान की जा रही है।

11.7 बांस आधारित उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन तथा विपणन को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय बांस मिशन पर विचार किया जा रहा है। यह मिशन बांस के आधुनिक प्रयोगों में प्रौद्योगिकी के प्रयोग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रयासों को संपूरित करेगा और संगठित मूल्य संवर्द्धन तथा विपणन नेटवर्क द्वारा समुदायों को लाभकारी रोजगार अवसरों का संवर्द्धन करेगा।

11.8 वन्य जीवन अभ्यारण्यों के विकास के कार्यक्रम के अधीन राज्यों के 340 संरक्षित क्षेत्रों को सहायता प्रदान की गई है जबकि पूर्व में ऐसे क्षेत्रों की संख्या 308 थी। कुछेक बाघ रिजर्वों में बाघों की घटती हुई संख्या की जवाबी कार्रवाई के रूप में सीएसएस बाघ परियोजना विशेष रूप से एक बाघ कार्यबल की जांच के अधीन ला दी गई है। बाघ कार्यबल ने कतिपय उपायों की सिफारिश की है जिनमें समावेशी संरक्षण प्रणाली तैयार करना और जहां कहीं व्यवहार्य हो वहां वन्य जीवन के लिए अदूषित क्षेत्र उपलब्ध कराके स्थानांतरण पर बल शामिल हैं।

### 2006-07 के लिए कार्यक्रम और स्कीमें

11.9 पहले से चली आ रही प्रमुख स्कीमों के विवरण नीचे दिए गए हैं।

### राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों का विकास

11.10 देश के वन 1.56 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में फैले हुए 509 वन्य जीवन अभ्यारण्यों और 96 राष्ट्रीय पार्कों सहित संरक्षित क्षेत्रों (पीए) के नेटवर्क को सहयोग प्रदान करते हैं। विशिष्ट क्रियाकलापों के लिए इन क्षेत्रों के प्रबंध के वास्ते राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। संप्रति इस स्कीम के अधीन 340 पीए को सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता का विस्तार और अधिक संरक्षित क्षेत्रों में किए जाने का प्रस्ताव है।

### बाघ परियोजना

11.11 यह परियोजना भारत में बाघों की एक व्यवहार्य संख्या बनाए रखना सुनिश्चित करने और मौजूदा तथा भावी पीढ़ियों के लाभार्थ 17 राज्यों में 37760 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए 28 बाघ प्राकृतिक वासों का संरक्षण करने के लिए शुरू की गई थी।

11.12 परियोजना का मुख्य बल इन प्राकृतिक वासों में प्राकृतिक पारिस्थिकीय प्रणाली पर जीवीय/बढ़ रही मानवीय जनसंख्या के प्रभाव से बचाव और उसे कम करने पर रहा है। इस स्कीम के लिए वित्तपोषण की पद्धति कार्य की आवर्ती मदों के अधीन खर्च के लिए 50% केन्द्रीय सहायता के रूप में और कार्य की गैर-आवर्ती मदों के अधीन खर्च के लिए 100% केन्द्रीय सहायता के रूप में है। परिणामी बजट (2005-06) ने 2005-06 में 17 राज्यों में 28 बाघ प्रारक्षित आवासों को वित्तपोषी सहायता प्रदान किए जाने का उल्लेख किया है। बाघ कार्यबल की रिपोर्ट के आधार पर बाघ परियोजना को चुस्त बनाने के काम पर विचार किया जा रहा है। वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 में संशोधनों सहित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा बाघ और वन्य जीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

### हाथी परियोजना

11.13 परियोजना हाथी फरवरी, 1992 में उन राज्यों को सहायता देने के लिए शुरू की गई थी जहां अपने प्राकृतिक बास में जंगली हाथी काफी संख्या में रहते हैं ताकि उनका दीर्घ जीवन सुनिश्चित हो सके। परियोजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्यों को वित्तीय, तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता दी जाती है, यह 12 राज्यों के 61200 कि. मी. वन क्षेत्र में 26 हाथी आरक्षित क्षेत्रों में 100% केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। इसकी मुख्य गतिविधियों ने हाथियों के प्राकृतिक वासों तथा प्रवासी मार्गों में पारिस्थिकीय सुधार, महत्वपूर्ण वास स्थलों में मानव हाथी संघर्ष समाप्त करने, हाथी प्रबंधन से संबद्ध मामलों के बारे में अनुसंधान और पशु चिकित्सा शामिल है।

## राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (एनएपी)

11.14 इस स्कीम में संयुक्त वन प्रबंध समितियों (जेएफएमसी) तथा वन विकास एजेंसियों (एफडीए) जैसे सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से अवक्रमित वनों की बहाली के पुनरुद्धार की परिकल्पना की गई है। निधियां सूक्ष्म योजना/परियोजना आधार पर सीधे ही एफडीए को उपलब्ध कराई जाती हैं। क्रियाकलापों में समितियों द्वारा सूक्ष्म आयोजना और वनों के संधारणीय विकास के लिए उनका कार्यान्वयन शामिल है।

11.15 यह स्कीम 10वीं पंचवर्षीय योजना में यथापरिकल्पित जेएफएम के वैश्वीकरण के लिए प्रमुख आधार है। 10वीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन (एमटीए) में यह सुझाया गया है कि संरक्षण को लाभकारी रोजगार और आजीविका के साथ जोड़ा जाए जिससे की समुदायों के बीच जिम्मेदार स्वामित्व की भावना पैदा की जा सके। साथ ही राज्यों को अपने वनरोपण कार्यक्रमों में जेएफएम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए।

## पूर्वोत्तर क्षेत्र में मूली बांस के भावी पुष्प गुच्छों का प्रबंध

11.16 पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे आम बांस जिसे *मैलोकना बैसीफेरा* अथवा मूली बांस कहते हैं पर 2005-07 वर्षों के दौरान भारी मात्रा में पुष्प गुच्छ खिलेंगे। क्योंकि फूल आने के बाद बांस नष्ट हो जाता है इसके फलस्वरूप अवक्रमण, आग और स्वास्थ्य जोखिम और साथ ही विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों के लिए बांस का इस्तेमाल करने वाले समुदायों को आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। इसलिए फूल आने से पहले संभावित मात्रा में बांस की कटाई किए जाने, कुछ क्षेत्रों में बेहतर मूल्य संवर्द्धन की खातिर नई किस्में उगाने और चूहों की बढ़ रही संख्या से निपटने के लिए व्यवस्था करने, स्वास्थ्य जोखिम और आग के जोखिम की ओर ध्यान दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई सीएसएस शुरू की गई है जिससे कि वे कुछेक चुनिंदा क्रियाकलापों के लिए अपनी कार्ययोजनाएं कार्यान्वित कर सकें। 2005-06 के दौरान राज्यों को 18 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

## पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से वनरोपण

11.17 इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वनों से बाहर बहुत बड़ा क्षेत्र अभी भी अप्रयुक्त पड़ा है और वन उत्पाद की बहुत बड़ी मांग सामान्य संपत्ति संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाकर पूरी की जा सकती है, 10वीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन (एमटीए) में यह सुझाया गया कि इस तरह की सामुदायिक भूमियों, सार्वजनिक भूमियों और अन्य अल्प प्रयुक्त भूमियों पर वनरोपण किया जाना चाहिए जिससे कि समुदाय की जरूरतें पूरी की जा सकें और वनों पर दबाव कम किया जा सके। सरकार के एनसीएमपी ने परती भूमियों को हरा बनाने का सुझाव दिया है और इसलिए उपर्युक्त लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पीआरआई के माध्यम से सामाजिक वानिकी की बहाली का प्रस्ताव किया गया है। इस तरह की कार्यनीतियां लोगों के लिए बायोमास संसाधनों का सृजन करेंगी और वनों के प्रभावी प्रबंध के लिए मददगार होंगी और इस प्रकार अंततः हरियाली के नीतिगत लक्ष्यों की पूर्ति करेंगी।

## राष्ट्रीय बांस और बायोडीजल मिशन

11.18 उद्योग, ऊर्जा विकास और लाभकारी अवसरों के विकास को मुख्यधारा का रूप देने के साथ हरियाली क्षेत्रों को जोड़ने के वास्ते बांस और बायोडीजल संबंधी राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। जबकि राष्ट्रीय बांस मिशन पर कार्रवाई कृषि मंत्रालय में होती है, बायोडीजल मिशन का समन्वय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन कार्यक्रमों के अधीन मूल्य संवर्द्धन तथा समुदायों के आर्थिक लाभ के निमित्त वनों और साथ ही गैर-वन फार्मों और सामुदायिक क्षेत्रों में बांस और जटरोफा पौधों/प्रजातियां उगाई जाती हैं।

## पशु कल्याण

11.19 पर्यावरण और वन मंत्रालय के पशु कल्याण प्रभाग पर पशु निर्दयता निवारण अधिनियम (1960) के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है और वह पशु निर्दयता निवारण समितियों (एसपीसीए) के लिए सहायता प्रदान करता है। इस अधिनियम के अधीन दो सांविधिक संगठन अर्थात भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) और पशुओं पर प्रयोगों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए समिति (सीपीसीएसईए)

गठित किए गए हैं। इस कार्यक्रम के अधीन एक राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान स्थापित किया गया है। इस संस्थान ने एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (एडसिल) की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को पशु कल्याण के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए “पब्लिक सेक्टर टुडे” नामक राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा “राजीव गांधी राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार 2005” प्रदान किया गया है।

## पर्यावरण

### परिणामी बजट 2005-06 की निष्पादन समीक्षा

11.20 1974 में स्थापित किए गए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का उद्देश्य उसके राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानीटरन कार्यक्रम (एनएक्यूएमपी) और जल गुणवत्ता मानीटरन (डब्ल्यूक्यूएम) कार्यक्रमों के माध्यम से देश के भीतर वायु और जल गुणवत्ता का मानीटरन करना है जिसके वास्ते 2005-06 के लिए प्रदान किए गए मात्रात्मक प्रदाय इस प्रकार थे: 870 स्थानों पर डब्ल्यूक्यूएम केन्द्र, 313 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरन केन्द्र तथा 8 शहरों में स्वचालित एक्यूएम की स्थापना। परिवेशी एक्यूएम और डब्ल्यूक्यूएम के संबंध में 2005-06 के लिए लक्षित सभी प्रदाय पूरे कर लिए गए सूचित किए गए हैं। साथ ही दिल्ली, बंगलौर, पुणे, कानपुर, मुंबई और चेन्नई के लिए वायु प्रदूषण स्रोत विभाजन अध्ययन भी 2005-06 में शुरू किए गए हैं।

11.21 बोटैनिकल सर्वे आफ इंडिया ने आगे बताए गए प्रयोजनों के लिए 1990 के दशक के आरंभ में काम करना शुरू कर दिया था: दुर्बल पारिस्थितिकीय प्रणालियों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों का अन्वेषण, सामग्री सूचीकरण और प्रलेखन, फाइटोडाइवर्सिटी का मानीटरन, परंपरागत आर्थिक उपभोक्ताओं की प्रजातियों की पहचान और पौधों/प्रजातियों के एक राष्ट्रीय डाटा आधार का संकलन। मात्रात्मक प्रदाय इस प्रकार थे: 3000 नमूनों का संग्रह और पहचान, हरबेरिया में 300 प्रजातियों का प्रलेखन, 50000 हरबेरियम का डिजिटीकरण, 10 अनुसंधान लेखों और पुस्तकों का प्रकाशन तथा 40 दुर्लभ संकटापन्न और जोखिमग्रस्त (आरईटी) प्रजातियों का संरक्षण, इनसे संबंधित उपलब्धियां इस प्रकार हैं: 7500 नमूनों का डिजिटीकरण तथा 20 आरईटी प्रजातियों के डाटा आधार का विकास।

11.22 सूचना प्रौद्योगिकी नामक स्कीम 1998 में शुरू की गई थी। इसके उद्देश्यों में ये शामिल हैं: दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक व्यापक प्रबंध प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन, हार्डवेयर और कंप्यूटर पेरीफरल की अधिप्राप्ति के माध्यम से विनियामक कार्यों और अनुदानों की मंजूरी को सुचारू रूप देना, साफ्टवेयर आर्किटेक्चर, विभिन्न स्तरों पर कार्मिकों के प्रशिक्षण आदि के लिए उपयुक्त परामर्शदाताओं की नियुक्ति। प्रणाली अपेक्षा विशिष्टियों संबंधी अध्ययन को अंतिम रूप दिए जाने के प्रदायों के अधीन 2005-06 में ये कार्य किए जाने थे: पर्यावरण और वन मंत्रालय के 5 प्रभागों और 6 कार्यालयों में क्रियाविधि स्वचलीकरण और 300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण। इस संदर्भ में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि बीएसआई और जेडएसआई के 75 कार्मिकों को कंप्यूटरों के प्रचालन में प्रशिक्षित किया जा चुका है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के 5 प्रभागों में 650 डेस्क टॉप कंप्यूटर हार्डवेयर तथा अन्य पेरीफरल अग्रिम अवस्था में हैं और विभिन्न समिति कक्षों में प्लाज्मा स्क्रीन स्थापित किए जा चुके हैं।

11.23 नदियों और झीलों के जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से पर्यावरण और वन मंत्रालय की क्रमशः राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) के अधीन कार्यों की मंजूरी और मानीटरन पर निगाह रखने के उद्देश्य से मंत्रालय ने 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी) की स्थापना की थी। एनआरसीडी के परिचालन का उपयोग स्टाफ के वेतन और मजदूरी, प्रचार और प्रसार, आर तथा डी आदि के लिए किया जाता है। एनआरसीपी के अधिकार क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जैसे कि इंटरसेप्शन और डाइवर्सन (आई तथा डी), मलजल उपचार संयंत्र (एसटीपी), न्यून लागत की सफाई, श्मशान गृह, नदी मुख विकास। एनआरसीपी के लिए देश के भीतर 33 एसटीपी स्थापित करके 564.43 एमएलडी एसटीपी क्षमता का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था जोकि पूरा कर लिया गया बताया गया है। एनआरसीपी के कार्यों में 20 राज्यों में फैली 33 नदियों के प्रदूषित खंडों के साथ-साथ 159 कस्बों में चल रही परियोजनाएं शामिल हैं। अभी तक एनआरसीपी के अधीन लगभग 4375.42 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। एनआरसीपी

के अधीन मंजूर किए गए 5365 एमएलडी की एसटीपी क्षमता में से 3748 एमएलडी क्षमता मंजूर की गई जिसमें से 2004-05 के अंत तक लगभग 1421 एमएलडी क्षमता का सृजन कर लिया गया है। एनएलसीपी के अधीन घटक इस प्रकार हैं: आई तथा डी, एसटीपी, गाद हटाना, घास-फूस हटाना तथा बायोरेमीडिएशन और आवाह क्षेत्र उपचार। 2005-06 में जिन 8 झीलों (3 झीलें महाराष्ट्र में, 4 कर्नाटक में और 1 राजस्थान में) के संरक्षण की वास्तविक पूर्ति का लक्ष्य रखा गया था ऐसा बताया गया है कि ये सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इसके अलावा जम्मू तथा कश्मीर में डल झील संरक्षण और केरल में वेली अकुलम झील के लिए कुल मिलाकर 323.32 करोड़ रुपए की लागत की नई परियोजनाएं कार्यान्वयन के शुरुआती चरणों में हैं।

11.24 2005-06 के अन्य उपलब्धियों में ये शामिल हैं: चेन्नई में राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण का प्रचालन, 297 शुद्ध विकास तंत्र परियोजनाओं के लिए मेजबान देश अनुमोदन की मंजूरी आदि।

### 2006-07 के लिए कार्यक्रम और स्कीमें

11.25 पहले से चली आ रही प्रमुख स्कीमों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

#### केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)

11.26 सीपीसीबी की स्थापना विभिन्न विनियामक विधियों में यथापरिकल्पित विनियामक कार्य करने के लिए की गई हैं। साथ ही यह बोर्ड सर्वेक्षण और मानीटरन, प्रयोगशाला प्रबंध, प्रशिक्षण, सूचना (डाटा आधार) प्रबंध और सीमेंट, तापीय विद्युत, तेलशोधक कारखानों, लोहा और इस्पात आदि जैसे उद्योगों की लगभग 17 श्रेणियों के लिए उत्सर्जन मानक विकसित करने के जरिए प्रदूषण का मानीटरन भी करता है। ऐसा प्रस्ताव है कि 2006-07 तक 870 स्थानों पर जल गुणवत्ता मानीटरन सुविधा, 313 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरन, 8 शहरों में 24 स्वचालित वायु गुणवत्ता मानीटरन केन्द्र और 16 वास्तविक समय वायु गुणवत्ता मानीटरन प्रणालियां स्थापित की जाएंगी।

#### सामान्य बहिःस्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपीएस)

11.27 यह स्कीम वहनीय लागत पर तरल बहिःस्राव उत्सर्जन के लिए निर्धारित मानकों की पूर्ति करने के वास्ते सामान्य बहिःस्राव उपचार संयंत्र स्थापित करने के प्रयोजन से लघु उद्योगों के समूह को सहायता प्रदान करती है। रासायनिक बहिःस्रावों के उपचार के लिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन 10 सीईटीपी को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

#### गरानों प्रवाल भित्तियों तथा आर्द्र भूमि का संरक्षण

11.28 यह स्कीम रामसर स्थल आर्द्र भूमियों सहित विशिष्ट पारिस्थितिकीय प्रणालियों के लिए राज्यों के संरक्षण प्रयासों का संवर्द्धन करती है। गरानों तथा प्रवाल भित्तियों पर 1986 में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था और इस समिति की सिफारिश पर गहन संरक्षण और प्रबंध के वास्ते 30 गरान और 4 प्रवाल भित्ति क्षेत्र अभिज्ञात किए गए हैं। 2006-07 के दौरान 20 गरान/प्रवाल भित्तियों और 30 आर्द्र भूमियों के लिए प्रबंध कार्ययोजनाएं तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 2 गरान/प्रवाल भित्ति क्षेत्र नामित किए जाएंगे।

#### पर्यावरणात्मक सूचना प्रणाली (ईएनवीआईएस)

11.29 पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणात्मक पक्षों पर डाटाबेस और जानकारी उपलब्ध कराने के वास्ते दिलचस्पी रखने वाले प्रयोक्ताओं के लाभार्थ विकेन्द्रीकृत वेबसाइटों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। 2006-07 के दौरान 78 ईएनवीआईएस केन्द्रों को सहायता प्रदान की जाएगी और 3 नए केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

#### राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी)

11.30 इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के भीतर प्रमुख नदियों के जल की गुणवत्ता (स्नान करने के मानकों तक) में सुधार लाना है। अभी तक इस कार्यक्रम के अधीन कुल मिलाकर 34 नदियों के अभिज्ञात खंड कवर किए गए हैं। कार्यक्रम के मुख्य घटक इस प्रकार हैं: मलजल उपचार संयंत्र (एसटीपी), इंटरसेप्शन तथा डाइवर्सन (आई और

डी), न्यून लागत सफाई (एलसीएस), श्मशान गृह, नदी मुख विकास (आरएफडी), जनसहभागिता (पीपी) तथा वनरोपण। 2006-07 के दौरान 17 मलजल उपचार संयंत्र (एसटीपी) स्थापित करने के जरिए प्रतिदिन 252.77 मिलियन लीटर मलजल उपचार क्षमता का सृजन करने का विचार है।

### राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी)

11.31 यह कार्यक्रम देश के भीतर प्रदूषित और अवक्रमित शहरी झीलों के लिए इसी प्रकार के क्रियाकलापों से संबंधित है। अभी तक 2005-06 तक जम्मू तथा कश्मीर में डल झील सहित 37 झीलों में कार्य अभिज्ञात कर लिए गए हैं। आशा है कि 2006-07 के दौरान 6 झीलों (उत्तरांचल में 2, कर्नाटक में 2, राजस्थान में 1 और पश्चिम बंगाल में 1) संबंधी कार्य वस्तुतः पूरे कर लिए जाएंगे।

### राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली (एनएनआरएमएस)

11.32 यह कार्यक्रम प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय प्रबंध में प्रमुख मुद्दों की पहचान करने के प्रति लक्षित एक एकीकृत कार्यक्रम का एक अंग है जिसके अधीन पर्यावरण और वन मंत्रालय जैव-संसाधनों और पर्यावरण के लिए सुदूर संवेदी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाला प्रमुख बिंदु है। 2006-07 के दौरान 8 नई परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण, 30 निर्माणाधीन परियोजनाओं का वित्तपोषण करने का प्रस्ताव है।

### जलवायु बदलाव संबंधी अनुकूलन और क्षमता निर्माण परियोजना

11.33 इस परियोजना के तहत देश के भीतर जलवायु परिवर्तन क्षमता निर्माण क्रियाकलाप हाथ में लिए जाते हैं जिससे कि मुख्यधारा जलवायु परिवर्तन समस्याओं से जुड़े पणधारियों को जलवायु परिवर्तन विकासात्मक कार्यनीतियां तैयार करने, जलवायु परिवर्तन के परिणामों का जोखिम आकलन तथा प्रबंध, जलवायु परिवर्तन के संबंध में जनजागरूकता बढ़ाने और संधारणीय विकासात्मक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के योग्य बनाया जा सके। साथ ही इस स्कीम का लक्ष्य जलवायु बदलाव के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय

सहयोग बढ़ाना है। इस स्कीम के अधीन राष्ट्रीय स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) प्राधिकरण स्थापित किया गया है। अभी तक इस प्राधिकरण ने भारत से 297 सीडीएम परियोजनाओं के लिए मेजबान देशों का अनुमोदन प्रदान किया है जिसमें से 77 परियोजनाएं सीडीएम अधिशासी बोर्ड द्वारा पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं।

### केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)

11.34 पर्यावरण और वन मंत्रालय पर्यावरण तथा वानिकी क्षेत्र से संबंधित ऐसी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की आयोजना, प्रोन्नति, समन्वय और कार्यान्वयन पर निगाह रखने के लिए जिम्मेदार है जिनका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाना, बहु-पणधारी सहभागिता के माध्यम से इन संसाधनों की देखभाल के लिए टिकाऊ विधियों को प्रोत्साहित करना और इस प्रकार गरीबों के लिए आजीविका सहायता का संवर्द्धन करना है।

11.35 एनआरसीपी के अधीन परियोजनाएं 70:30 के अनुपात में वित्तपोषित की जाती हैं जिसमें नदी सफाई परियोजनाओं की खातिर 70% सहायता केन्द्र द्वारा प्रदान की जाती है और बाकी राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है। सीएसएस-जीवमंडल रिजर्व आवास प्रबंध और जनसहभागिता के माध्यम से जैव-विविधता के संरक्षण के लिए है। एनएपी अवक्रमित वनों के वनरोपण के लिए सामुदायिक संस्थानों को परियोजना-आधारित सहायता प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से अप्रयुक्त सामान्य संपदा संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाने के वास्ते सामाजिक वानिकी के पुनरुद्धार के लिए एक नई सीएसएस का प्रस्ताव किया गया है। कार्यक्रम की बारीकियां तैयार की जा रही हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र में 14 सीएसएस हैं।

11.36 स्कीम-वार योजना परिव्यय और व्यय, भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां, 2005-06 और 2006-07 के दौरान सीएसएस के अधीन केन्द्रीय हिस्से को राज्य-वार प्रदान किए जाने, राज्य-वार क्षेत्रकीय परिव्यय क्रमशः संलग्नक-11.1 से लेकर 11.4 तक दिए गए हैं। ऐसी ई तथा एफ स्कीमों की एक सूची जोकि विदेशी सहायता से कार्यान्वित की जा रही हैं नीचे प्रस्तुत हैं।

## विदेशी सहायित परियोजनाएं (ईएपी)

क्रम संख्या	स्कीम	सहायक एजेंसी	अवधि	लागत (करोड़ रुपए)	अभ्युक्तियां
1.	भारत-कनाडा पर्यावरण सुविधा	कनाडा	1992-2007	296.00	भारतीय संस्थानों की संधारणीय विकास कार्यक्रम प्रदान करने की क्षमता बढ़ाना। जारी है।
2.	भारत सरकार-यूएनडीपी-देश सहकारिता तंत्र (सीसीएफ)	यूएनडीपी	1997-2008	37.26(8.1 मिलियन अमरीकी डालर)	संधारणीय आजीविकाओं के माध्यम से निर्धनता शमन, मानव विकास। जारी है।
3.	यमुना कार्ययोजना-II	जेबीआईसी	2003-2008	624.00 (जिसमें से जेबीआईसी का उदार ऋण घटक 13.33 बिलियन येन (लगभग 530.94 करोड़ रुपए) है)	परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर ली गई है। टेंडर मंगाने की प्रक्रिया चल रही है। वास्तविक कार्य अभी शुरू होना बाकी है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  
स्कीम-वार योजना परिव्यय और व्यय

(रूपे करोड़ में)

क्रम सं.	स्कीम/परियोजना/कार्यक्रम का नाम	2004-05 वास्तविक व्यय	2005-06		2006-07 बीई
			स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	
1	2	3	4	5	6
	<b>पर्यावरण</b>				
1	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	19.54	39.00	39.00	42.90
2	निवारक नीतियों के जरिए औद्योगिक प्रदूषण में कमी	0.36	1.00	1.00	1.00
3	साझे निस्त्राव उपचार संयंत्र	4.01	4.40	4.26	4.40
4	प्राचीन तीर्थ स्थलों की यात्राओं और ताज संरक्षण समेत पर्यटन केन्द्रों का पर्यावरणीय प्रबंधन	0.00	0.01	0.01	0.01
5	पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणों और पर्यावरण आयोग तथा न्यायाधिकरण की स्थापना	2.91	4.00	3.88	3.30
6	प्रदूषण में कमी करने के लिए सहायता तथा पर्यावरण नीति एवं विधि	5.10	4.00	5.00	4.00
7	पर्यावरणीय स्वास्थ्य	0.00	0.00	0.00	0.00
8	साफ प्रौद्योगिकी	0.76	1.50	1.45	1.50
9	पर्यावरणीय प्रभाव अनुमान	2.70	2.50	2.70	2.50
10	औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना (ईएपी)	0.00	0.00	0.00	0.00
11	जोखिमपूर्ण पदार्थ प्रबंधन	5.05	6.00	5.81	6.00
12	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण	9.42	12.00	9.43	11.00
13	भारतीय प्राणी सर्वेक्षण	9.87	10.81	11.31	9.81
14	गोबिन्द बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास	8.06	7.50	9.40	7.50
15	जैव मंडल भंडार	6.67	8.00	7.97	8.20
16	गरान, प्रवाल भित्तियां और आर्द्र भूमि	12.21	12.00	11.65	12.00
17	ऐ-डेमिक, दुर्लभ और संकटापन्न पौधों के संरक्षण और प्रसार के लिए वनस्पति उद्यानों	1.45	2.00	2.14	2.00
18	जैव विविधता संरक्षण	2.38	3.00	3.80	3.00
19	टाक्सोनोमी क्षमता निर्माण परियोजना	1.87	2.00	1.74	2.00
20	जैव विविधता संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
21	अनुसंधान और विकास	3.44	4.00	4.45	4.20
22	पर्यावरण शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता	20.78	35.00	34.00	35.00
23	राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय	4.53	6.50	5.96	6.00
24	उत्कृष्टता केन्द्र	6.94	7.50	7.26	7.50
25	पर्यावरणात्मक सूचना प्रणाली (ईएनवीआईएस)	5.29	5.00	4.86	5.00

क्रम सं.	स्कीम/परियोजना/कार्यक्रम का नाम	2004-05 वास्तविक व्यय	2005-06		2006-07 बीई
			स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	
1	2	3	4	5	6
26	राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एनएनआरएमएस)	1.10	10.00	9.68	10.00
27	पर्यावरण प्रबंधन क्षमता निर्माण परियोजना (ईएमसीबी) ईएपी	6.99	0.00	0.00	0.00
28	भारत-कनाडा पर्यावरण सुविधा (आईसीईएफ) ईएपी	0.00	0.01	0.01	0.01
29	भारत सरकार-यूएनडीपी-सीसीएफ कार्यक्रम ईएपी	0.89	4.00	4.00	4.00
30	वैश्विक पर्यावरण सुविधा ईएपी	0.00	0.00	0.00	0.00
31	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग गतिविधियां	1.84	2.00	2.42	3.00
32	पर्यावरणीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नीति में उत्कृष्टता के लिए कनाडा सहायित केन्द्र ईएपी	0.00	0.00	0.00	0.00
33	भारत-जर्मन तकनीकी सहयोग परियोजना	0.00	0.00	0.00	0.00
34	पर्यावरण परियोजना की स्थिति	1.44	1.50	1.65	0.90
35	सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)	8.54	10.00	9.10	6.23
36	जलवायु परिवर्तन संबंधी अनुकूलता और क्षमता निर्माण (एसीपीसीसी)	1.56	2.16	2.06	5.67
37	योजना समन्वय का सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00
38	सिविल निर्माण एकक	1.74	2.02	1.92	2.02
	<b>नई स्कीमें</b>				
39	पर्यावरणात्मक आयोजना और समन्वय संगठन (ईपीसीओ) मध्य प्रदेश का संगठनात्मक सुदृढीकरण और पुनः स्थानन - तथा नागालैंड में प्राकृतिक संसाधन प्रबंध और कृषक आजीविका का सुदृढीकरण	3.51	1.59		
40	पर्यावरण सूचना केन्द्र का सुदृढीकरण			0.10	
41	राष्ट्रीय तटीय प्रबंध कार्यक्रम			0.10	
42	क्षमता निर्माण ईआईए तथा संशोधित पर्यावरणात्मक अनापत्ति प्रक्रिया	0.10			
	<b>कुल पर्यावरण</b>	<b>157.44</b>	<b>209.41</b>	<b>211.43</b>	<b>212.54</b>
43	राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	4.40	5.00	5.00	5.00
44	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	289.41	350.00	327.73	290.00
45	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना ईएपी	5.50	0.00	50.00	80.00
46	राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	23.55	70.00	56.57	60.00
	<b>कुल एनआरसीडी</b>	<b>322.86</b>	<b>425.00</b>	<b>439.30</b>	<b>435.00</b>
	<b>वानिकी</b>				
47	भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई)	37.25	56.00	60.84	56.00

क्रम सं.	स्कीम/परियोजना/कार्यक्रम का नाम	2004-05 वास्तविक व्यय	2005-06		2006-07 बीई
			स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	
1	2	3	4	5	6
48	भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं संस्थान (आईपीआईआरटीआई) को सहायता अनुदान	3.50	3.05	4.10	3.05
49	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम)	4.89	5.00	5.60	5.00
50	भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण	1.17	1.50	1.50	1.50
51	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए)	3.28	5.00	4.82	4.75
52	वानिकी शिक्षा निदेशालय (डीएफई)	3.02	3.50	4.46	3.65
53	पूर्वोत्तर में बांस के फूल समूह उगना	0.00	35.00	51.45	25.00
54	भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई)	3.88	5.50	5.84	5.00
55	समेकित वन संरक्षण स्कीम	53.93	0.00	55.93	71.65
56	वानिकी प्रभागों का सुदृढीकरण	7.82	6.00	6.79	5.50
57	पीआरआई के माध्यम से वृक्षारोपण (एनसीएमपी संबंधी स्कीम)		0.10		
58	वन्य जीवन प्रभाग का सुदृढीकरण	2.62	4.00	4.04	3.00
59	राष्ट्रीय पार्कों तथा अभ्यारण्य स्थलों का विकास	46.91	59.00	59.00	53.50
60	भारतीय वन्य जीवन संस्थान (डब्ल्यूआईआई)	6.60	10.00	11.00	10.00
61	बाघ परियोजना	28.69	32.00	36.28	32.00
62	जैविक विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम (ईएपी)	0.00	1.00	1.10	3.00
63	संरक्षित क्षेत्रों के आसपास लघु और पारिस्थितिकीय विकास	5.97	0.00	0.00	0.00
64	हाथी परियोजना	13.68	15.59	15.59	15.59
65	केन्द्रीय चिड़िया घर प्राधिकरण (सीजेडए)	19.50	18.50	22.25	17.00
66	केन्द्रीय चिड़िया घर पार्क	0.63		1.50	1.00
67	संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीवन सुरक्षा	0.00	0.01	0.01	0.10
	<b>कुल - वानिकी और वन्य जीवन</b>	<b>243.34</b>	<b>260.65</b>	<b>352.10</b>	<b>316.39</b>
68	<b>पशु कल्याण</b>	<b>11.94</b>	<b>19.00</b>	<b>18.89</b>	<b>19.00</b>
69	राष्ट्रीय वानिकी और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड (एनईबी)	17.33	28.00	29.21	23.00
70	राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम	237.91	284.85	333.35	325.00
71	मरुस्थल विस्तार रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00
72	हरा-भरा भारत	0.00	0.00	0.00	0.00
73	पारिस्थितिकीय विकास बल	8.33	8.00	9.00	8.00
	<b>कुल राष्ट्रीय वानिकी और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड</b>	<b>263.57</b>	<b>320.85</b>	<b>371.56</b>	<b>356.00</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>999.15</b>	<b>1234.91</b>	<b>1393.28</b>	<b>1338.93</b>

## वास्तविक लक्ष्य और प्राप्ति-पर्यावरण और वन क्षेत्र

क्रम सं.	प्राचल	10वीं योजना लक्ष्य	2006-07 (अनुमानित)
1.	देश में वन और वृक्ष क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र का 25%	2002* तक 23.68%
2.	संयुक्त वानिकी प्रबंधन (जेएफएम) के अधीन गांवों की संख्या	1.70 लाख	0.997 लाख समितियां

\* भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा छमाही आधार पर आकलन किया जाता है।

2005 से संबंधित आकलन रिपोर्ट अभी जारी की जानी है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय क्षेत्र की चालू स्कीमों के लिए राज्य-वार स्कीम-वार केन्द्रीय राशि जारी करना

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य का नाम	2005-06	2006-07 (संकेतात्मक)
1	2	3	4	5
	पहले से चली आ रही स्कीमें			
1	साझा निस्त्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी)	आंध्र प्रदेश	0	0
		गुजरात	0.23	0
		महाराष्ट्र	4.1	0
		पंजाब	0	0
		तमिलनाडु	0	0
		उत्तर प्रदेश	0	0
			<b>4.33</b>	<b>0</b>
2	ताज संरक्षण मिशन	उत्तर प्रदेश	0	0
3	जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र	असम	0.3984	0
		अरुणाचल प्रदेश	0.1609	0.3777
		कर्नाटक	0.713	0
		केरल	0.4308	0
		मध्य प्रदेश	0.758	0.6815
		मेघालय	0.3453	0.4
		उड़ीसा	0.3315	0.3785
		सिक्किम	0.0657	0
		तमिलनाडु	0.1325	0
		उत्तर प्रदेश	0	0
		उत्तरांचल	0.6588	0.4
		पश्चिम बंगाल	0.9909	0.37
		अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.4894	0
			<b>5.4752</b>	<b>2.6077</b>
4	गरानों, मूंगा प्रवाल भित्तियों और वेटलैंड्स का संरक्षण	असम	0	0.2719
		गोवा	0.0812	0.0366
		गुजरात	2.7737	2.1586
		हिमाचल प्रदेश	0	0.2018
		जम्मू और कश्मीर	0	0
		कर्नाटक	0.6448	1.0843
		केरल	0	0.7545
		मणिपुर	0	0
		उड़ीसा	1.1095	0.6845
		पंजाब	0	0.4879
		राजस्थान	0	0.6145
		उत्तरांचल	0.3225	0
		उत्तर प्रदेश	0.2367	0

संलग्नक-11.3 जारी...

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य का नाम	2005-06	2006-07 (संकेतात्मक)
1	2	3	4	5
		तमिलनाडु	0.9526	0.448
		पश्चिम बंगाल	2.6389	0.6865
		अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.253	0
		लक्षद्वीप	0.12	0
			<b>9.1329</b>	<b>7.4291</b>
5	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (ईएपी घटक शामिल है)	आंध्र प्रदेश	52	50
		बिहार	0.34	0.5
		गुजरात	0	1.48
		गोवा	1	1.31
		हरियाणा	4.24	14
		झारखंड	0	2.5
		कर्नाटक	5.8	8
		केरल	0	2.5
		मध्य प्रदेश	2	10
		महाराष्ट्र	10.69	12.4
		नागालैंड	0	0
		उड़ीसा	8.25	13.43
		पंजाब	12.74	13.43
		राजस्थान	0.18	0.15
		तमिलनाडु	103.07	105.22
		उत्तर प्रदेश	16.78	45
		उत्तरांचल	4.5	8.45
		पश्चिम बंगाल	48.48	18
		दिल्ली	1	41.3
		पूर्वोत्तर क्षेत्र	6.16	7
		एनआरसीडी (मुख्यालय)	1.63	5
			<b>278.86</b>	<b>359.67</b>
6	राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	आंध्र प्रदेश	0	1
		जम्मू और कश्मीर	40	50
		कर्नाटक	4.15	2.36
		केरल	4.3	1
		मध्य प्रदेश	0	1.6
		महाराष्ट्र	1	0.56
		उड़ीसा	0.21	1
		तमिलनाडु	0.02	0
		राजस्थान	3	2
		उत्तरांचल	3.5	5
		पश्चिम बंगाल	0	1
		त्रिपुरा	0	0.5
			<b>56.18</b>	<b>66.02</b>

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य का नाम	2005-06	2006-07 (संकेतात्मक)
1	2	3	4	5
7	बाघ परियोजना	आंध्र प्रदेश	0.6879	0.35
		अरुणाचल प्रदेश	1.7242	1.35
		असम	0.8649	0.35
		बिहार	0.0649	0.3715
		छत्तीसगढ़	0.2433	0
		झारखंड	1.6418	1
		कर्नाटक	4.2776	1.9417
		केरल	1.1617	0.4
		मध्य प्रदेश	7.7727	2.9726
		महाराष्ट्र	3.3419	1.3639
		मेघालय	0	0
		मिजोरम	0.6516	0.5
		उड़ीसा	1.07	0.6
		राजस्थान	2.8125	0.8
		तमिलनाडु	1.3695	0.6
		त्रिपुरा	0.005	0
		उत्तर प्रदेश	1.6288	0.75
		उत्तरांचल	1.5992	0.303
		पश्चिम बंगाल	2.2829	1.6
			<b>33.2004</b>	<b>15.2527</b>
8	भारत पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड	आंध्र प्रदेश		
		झारखंड		
		गुजरात		
		कर्नाटक		
		केरल		
		मध्य प्रदेश		
		राजस्थान		
		पश्चिम बंगाल		
9	हाथी परियोजना	आंध्र प्रदेश	0.6	0.665
		अरुणाचल प्रदेश	0.715	0.9832
		असम	0.4	1.7438
		झारखंड	0.75	1.49
		छत्तीसगढ़	0	0.64
		कर्नाटक	1.68	1.694
		केरल	1.7	1.694
		मणिपुर	0	0
		मेघालय	0.3	0.6155
		मिजोरम	0	0
		नागालैंड	0.48	0.5245

संलग्नक-11.3 जारी...

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य का नाम	2005-06	2006-07 (संकेतात्मक)
1	2	3	4	5
		उड़ीसा	1.14	1.163
		तमिलनाडु	1.12	1.5369
		त्रिपुरा	0	0
		उत्तर प्रदेश	0	0
		उत्तरांचल	0.82	1.2
		पश्चिम बंगाल	1.81	1.6032
		अन्य	9.62	11.6871
			<b>21.135</b>	<b>27.2402</b>
10	एकीकृत वन संरक्षण स्कीम	आंध्र प्रदेश	1.75	3.1812
		अरुणाचल प्रदेश	2.7466	3.8168
		असम	4	4.5026
		बिहार	1.2888	1.6811
		छत्तीसगढ़	1.0431	3
		गोवा	0	0.31
		गुजरात	1.92	3.5
		हरियाणा	0.75	1.4914
		हिमाचल प्रदेश	1.8019	1.5411
		जम्मू और कश्मीर	0	0.5
		झारखंड	0.75	2.1226
		कर्नाटक	1.1963	2.2288
		केरल	1.25	3.8215
		मध्य प्रदेश	1.25	3.5555
		महाराष्ट्र	0	1.5
		मणिपुर	1.288	2.9429
		मेघालय	0.8	1.2
		मिजोरम	3	2.7971
		नागालैंड	0.54	4.3772
		उड़ीसा	1.1	1.7638
		पंजाब	0	0.3
		राजस्थान	1	0.9
		सिक्किम	0	2.917
		तमिलनाडु	1.5	3.584
		त्रिपुरा	0.16	1.75
		उत्तर प्रदेश	0.4925	1.3504
		उत्तरांचल	1.5	0.4322
		पश्चिम बंगाल	1.4	1.5757
		दादर तथा नागर हवेली	0.0826	0.0672
		दमन तथा दीव	0	0.0815
			<b>32.6098</b>	<b>62.7916</b>

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य का नाम	2005-06	2006-07 (संकेतात्मक)
1	2	3	4	5
11	राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों का विकास	आंध्र प्रदेश	1.0425	2
		अरुणाचल प्रदेश	1.4485	0.6
		असम	1.9321	1
		बिहार	0	1
		छत्तीसगढ़	3.5982	2.5
		गोवा	0.144	0.55
		गुजरात	2.7593	2.95
		हरियाणा	0.242	0.8
		हिमाचल प्रदेश	2.8384	2.6
		जम्मू और कश्मीर	1.135	2
		झारखंड	1.249	1.8
		कर्नाटक	4.7499	4.6
		केरल	2.8454	3
		मध्य प्रदेश	6.1355	3.6
		महाराष्ट्र	2.4168	3.2
		मणिपुर	1.0103	0.6
		मेघालय	0.593	0.5
		मिजोरम	2.2128	0.6
		नागालैंड	0.015	0.4
		उड़ीसा	3.2565	3
		पंजाब	0	0.7
		राजस्थान	1.9262	2.8
		सिक्किम	1.1884	0.4
		तमिलनाडु	1.972	3.1
		त्रिपुरा	0	0.4
		उत्तर प्रदेश	3.4563	3.1
		उत्तरांचल	0.8565	1.1
		पश्चिम बंगाल	1.1394	3.3
		अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	0.6355	0.5
		चंडीगढ़	0	0
		दादरा तथा नागर हवेली	0.2	0.2
		दमन तथा दीव	0	0.05
		दिल्ली	0.195	0.3
		लक्षद्वीप	0	0.05
			<b>51.1935</b>	<b>53.3</b>
12	राष्ट्रीय वृक्षारोपण कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश	7.54	0
		अरुणाचल प्रदेश	2.89	0
		असम	5.5	0
		बिहार	3.42	0

संलग्नक-11.3 जारी...

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य का नाम	2005-06	2006-07 (संकेतात्मक)
1	2	3	4	5
		छत्तीसगढ़	17.63	0
		गोवा	0	0
		गुजरात	12.05	0
		हरियाणा	4.35	0
		हिमाचल प्रदेश	9.08	0
		जम्मू और कश्मीर	5.28	0
		झारखंड	7.85	0
		कर्नाटक	23.03	0
		केरल	4.99	0
		मध्य प्रदेश	12.61	0
		महाराष्ट्र	14.69	0
		मणिपुर	6.3	0
		मेघालय	5.18	0
		मिजोरम	10.06	0
		नागालैंड	5.37	0
		उड़ीसा	12.05	0
		पंजाब	3.97	0
		राजस्थान	7.26	0
		सिक्किम	6.23	0
		तमिलनाडु	20.92	0
		त्रिपुरा	4.27	0
		उत्तर प्रदेश	17.04	0
		उत्तरांचल	13.1	0
		पश्चिम बंगाल	5.92	0
			<b>248.58</b>	<b>0</b>
	नई स्कीमें			
13		**	<b>0</b>	<b>**</b>
14		**	<b>0</b>	<b>**</b>
	कुल एमओईएफ		<b>740.6968</b>	<b>594.3113</b>

\*\* प्रविधियां तैयार की जा रही हैं।

राज्य-वार क्षेत्रीय परिव्यय-पर्यावरण और वन क्षेत्र

(रुपये करोड़ में)

क्रम राज्य संख्या	2004-05 आरई*	2005-06 बीई	2005-06 आरई	2006-07 बीई
1 आंध्र प्रदेश	300.42	285.47	219.88	191.23
2 अरुणाचल प्रदेश	12.04	29.75	23.97	31.03
3 असम	25.90	27.20	27.20	-
4 बिहार	2.42	19.67	20.94	25.14
5 छत्तीसगढ़	71.24	81.00	141.26	130.80
6 दिल्ली	8.99	9.50	106.59	9.30
7 गोवा	11.61	9.25	9.25	8.81
8 गुजरात	158.44	161.53	161.53	110.77
9 हरियाणा	58.65	98.25	98.25	98.25
10 हिमाचल प्रदेश	52.47	71.15	78.51	122.17
11 जम्मू और कश्मीर	48.04	50.95	50.95	18.61
12 झारखंड	154.14	101.00	93.30	115.00
13 कर्नाटक	98.49	46.66	69.97	151.61
14 केरल	34.94	40.84	36.27	46.65
15 मध्य प्रदेश	133.93	149.99	216.91	178.39
16 महाराष्ट्र	4.63	17.84	17.84	44.74
17 मणिपुर	6.72	13.14	13.14	16.10
18 मेघालय	13.85	12.18	15.42	23.75
19 मिजोरम	7.77	9.34	11.83	13.39
20 नागालैंड	3.84	4.66	9.16	13.42
21 उड़ीसा	11.75	7.83	4.53	55.80
22 पंजाब	65.70	82.34	82.34	70.52
23 राजस्थान	74.73	119.28	105.68	123.12
24 सिक्किम	7.25	6.30	7.41	10.75
25 तमिलनाडु	95.08	13.45	146.10	-
26 त्रिपुरा	8.14	9.89	11.12	12.99
27 उत्तर प्रदेश	46.39	135.50	156.97	192.29
28 उत्तरांचल	54.18	144.84	144.84	264.43
29 पश्चिम बंगाल	14.52	22.33	25.33	30.58
30 अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	11.00	15.83	15.83	14.10
31 चंडीगढ़	5.36	4.70	4.70	-
32 दादरा तथा नागर हवेली	3.09	3.73	3.73	4.11
33 दमन तथा दीव	0.37	0.40	0.40	0.54
34 लक्षद्वीप	0.65	0.43	0.43	0.36
35 पांडिचेरी	1.70	3.97	3.90	1.97
<b>योग - सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र</b>	<b>1608.45</b>	<b>1810.17</b>	<b>2135.46</b>	<b>2130.71</b>

\* वास्तविक को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

## अध्याय-12

### विज्ञान और प्रौद्योगिकी

12.1 आर्थिक उन्नति और साथ ही लोगों का जीवन स्तर सुधारने के पीछे एक प्रेरक शक्ति के रूप में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का महत्व सुविदित है। एस तथा टी कार्यक्रम प्रौद्योगिकी उत्पादन के लिए प्रयोगोन्मुखी अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं; विशेष रूप से सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्रों को एक कैरियर के रूप में विज्ञान को अपनाने के लिए आकृष्ट करके मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देते हैं; पूर्वानुमान, निवारण और प्राकृतिक आपदाओं के शमन के लिए एस तथा टी के अनुसंधान और अनुप्रयोग को बढ़ावा देते हैं; राष्ट्रीय क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों सहित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास को एकीकृत करते हैं और मानव जाति की आजीविका में सुधार लाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। वार्षिक योजना 2005-06 के दौरान की गई उपलब्धियों और वार्षिक योजना 2006-07 के दौरान परिकल्पित कार्यक्रमों/क्रियाकलापों की मुख्य-मुख्य बातों पर नीचे प्रकाश डाला गया है।

#### परमाणु ऊर्जा विभाग (अनुसंधान और विकास क्षेत्रक) 2005-06 के दौरान उपलब्धियों की समीक्षा

12.2 नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम चरण-I के अधीन प्रमुख उपलब्धियां पी-4 प्रायोगिक सुविधा के उपकरण और प्रणालियों की स्थापना तथा तरल शक्ति प्रौद्योगिकी के विकास के लिए ट्राइबोलॉजिकल और कंडीशनल मानीटरिंग सुविधाओं की स्थापना से संबंधित थीं। विकरण आपातिक प्रतिक्रिया कार्यक्रम के एक अंग के रूप में नरोरा आपातिक आयोजना क्षेत्र (ईपीजेड) और दिल्ली शहर के विकरण मानचित्रण के लिए एक हवाई सर्वेक्षण किया गया। मुंबई स्थित केन्द्र के अलावा कलपक्कम, बंगलौर और कोलकाता में न्यूनतम अपेक्षित विकरण आपातिक प्रतिक्रिया क्षमता स्थापित की गई।

12.3 नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम चरण-II के अधीन 4 सोडियम पंप, 5,50,000 घंटों के संचयी बाधामुक्त प्रचालन समय से काम कर रहे हैं। एमके-1 ईंधन किसी भी क्लैड असफलता के बिना 1,54,500 एमडब्ल्यू डी/टी के बर्न-अप तक पहुंच गया है जबकि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) परीक्षण ईंधन 59,800 एमडब्ल्यूडी/टी के बर्न-अप तक पहुंच गया है। संयंत्र जीवन विस्तार सुविधाओं से इस बात की पुष्टि होती है कि यह रिएक्टर और अगले 20 वर्षों तक संचालित किया जा सकता है और अगली पीढ़ी के फास्ट रिएक्टर डिजाइन में नियोजित उन्नत ईंधनों के परीक्षण के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है। देश में पहली बार लगभग 700जी-संवर्द्धित बोरन का उत्पादन किया गया और ऐसा पाया गया कि उसे बोरन कार्बाइड में बदलने के लिए वह सभी तकनीकी विशिष्टियों की पूर्ति करता है। आईजीसीएआर में उन्नत अपशिष्ट तथा अन्य अपशिष्ट मैट्रीसिसो से रेडियोएक्टिव एक्टिनाइट तत्वों की प्राप्ति के लिए सुपर क्रिटिकल फ्लूड एक्स्ट्रेक्शन (एसएफई) के विकास के लिए पहली बार एक ग्लोबाक्स में सुविधा स्थापित की गई है तथा टिशू पेपर अपशिष्ट से प्लूटोनियम और अमेरीसियम के निष्कर्षण का प्रदर्शन किया जा चुका है।

12.4 नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम—चरण-III के अधीन बीएआरसी में एएचडब्ल्यूआर तथा 540 एमडब्ल्यूई पीएचडब्ल्यूआर के लिए क्रांतिक सुविधा का निर्माण पूरा होने को है और चालू किए जाने से पहले की जांच चल रही थी। आशा है कि यह रिएक्टर अक्टूबर, 2006 के अंत तक क्रांतिकता प्राप्त कर लेगा। चरण-III कार्यक्रम के लिए सामग्री के विकास के एक अंग के रूप में थोरियम धातु और मिश्र धातुओं के लिए वाष्प दाब मापन तथा चरण आरेख निर्धारण की सुविधाएं स्थापित की गईं। विकिरण प्रौद्योगिकी

और अनुप्रयोग कार्यक्रम के तहत दुर्लभ भूमि खनिज प्रासेसिंग के लिए उपयोगी प्लाज्मा रेडियो आवृत्ति रिएक्टर चालू किया गया और यह प्रणाली लगभग 18 केडब्ल्यू शक्ति पर काम कर रही थी तथा इसे 25 केडब्ल्यू शक्ति पर स्तरोन्नत करने के प्रयास किए गए। खड़गपुर में स्थित इलेक्ट्रान बीम सेंटर में 10 एमईवी आरएफ लिनाक निम्न शक्ति पर परिचालित किया गया। ऐसे स्वदेशी डिटेक्टरों को समाहित करते हुए जिनका प्रयोग अभिरक्षित निकास के आरपार विशेष नाभिकीय सामग्री के अनधिकृत प्रवेश के मानीटरन के लिए किया जा सकता है एक पेडेस्टीरियन पोर्टल मानीटर (गामा/न्यूट्रान) डिजाइन; विकसित और निर्मित किया गया। औद्योगिकी, चिकित्सीय तथा आर एवं डी अनुप्रयोगों के लिए 532 एनएम तरंगदैर्घ्य पर संचालित एक डायोड-पम्ड फ्रिक्वेंसी डबलड ग्रीन सालिड एस्टेट न्योडीमियम वाईट्रियम वनाडाटे (एनडी:वाईवीओ 4) विकसित किया गया। जलीय समाधानों के लिए बड़े आकार के आप्टिकल क्वालिटी नानलीनियर आप्टिकल पोटेशियम डाई-हाइड्रोजन फास्फेट (केडीपी), ड्यूटेरेटेड पोटेशियम डाई-हाइड्रोजन फास्फेट (डीकेडीपी) एकल क्रिस्टल निर्मित किए गए। बुनियादी अनुसंधान विकास के क्षेत्र में 512 नोड्स जियान आधारित अनुपम-अमीय सुपर कम्प्यूटर का परीक्षण, परिष्करण और प्रचालन पूरा कर लिया गया जिसने एचपीसी बेंचमार्क के लिए 1.7 टेराफ्लाप की गति प्रदान की और इस प्रणाली का प्रयोग घरेलू अनुप्रयोगों के वास्ते किया जा रहा है। हाइड्रोकार्बन तथा एल्कोक्साइड की विकृतियों से मुक्त ट्रिमिथाइल गैलीयम (एमसी<sub>3</sub> जीए) की तैयारी और शुद्धीकरण के लिए एक सुविधाजनक विधि तैयार की गई।

## 2006-07 के दौरान प्रमुख कार्यक्रम

12.5 प्रस्तावित प्रमुख कार्यक्रमों में ये शामिल हैं: अपशिष्ट टैंक फार्म तथा पावर रिएक्टर थोरियम री-प्रोसेसिंग फ़ैसिलिटी (पीआरटीआरएफ) के लिए स्टैक का निर्माण तथा संबद्ध उपकरणों की अधिप्राप्ति और इंस्ट्रुमेंटेशन; प्राकृतिक यूरेनियम सहित आईसोटोपिक क्लीन-अप सेपरेटर का प्रदर्शन, उन्नत रिएक्टर डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी विकास, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) ईंधन सामग्री विकास, बैक एंड ईंधन चक्र विकास तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

(बीएआरसी) में एक नई प्रेशर प्रयोगशाला की स्थापना। इसके अलावा बीएआरसी एएचडब्ल्यूआर के लिए क्रांतिक सुविधा की शुरुआत और पेंटियम जियान प्रोसेसरों का प्रयोग करते हुए टेराफ्लाप स्पीड 1024 नोड पैरलल सुपर कम्प्यूटर के विकास से संबंधित क्रियाकलाप भी हाथ में लेगा। उच्च निष्पादन रोटार तथा यूरेनियम संवर्द्धन के लिए आवश्यक आधारीक-तंत्र का विकास बीएआरसी द्वारा हाथ में लिया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है। आईजीसीएआर आगे बताए गए क्रियाकलापों में प्रवृत्त रहेगा: सोडियम अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न सेंसरों के विकास तथा परीक्षण, सामग्री विकास के लिए विभिन्न उपकरणों की स्थापना और चालू करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए परीक्षण, ईंधन हैंडलिंग मशीन परीक्षण सुविधा की स्थापना, पंप कैविटेशनों से संबंधित आर एवं डी प्रयोगों, ताप विनियामक इष्टतमीकरण के लिए प्रयोगों, बकलिंग और भूकंप संबंधी परीक्षणों, बेस आइसोलेशन अवधारणाओं के विकास तथा संरचनात्मक यांत्रिकी में कम्प्यूटर कोडों के वैधीकरण और उच्च तापमान डिजाइन परीक्षणों में आदि। “ईंधन विकास और निरीक्षण तकनीक” नामक परियोजना के एक अंग के रूप में फास्ट रिएक्टर ईंधनों की रिप्रोसेसिंग के लिए उन्नत रिप्रोसेसिंग तकनीकों और प्रोटोटाइप उपकरणों का विकास; रिएक्टर तथा रिप्रोसेसिंग संयंत्र उपकरण के लिए प्रोटोटाइप सुदूर निरीक्षण माड्यूलों का विकास, माइक्रोस्ट्रक्चर तथा डिफार्मेशन का विशिष्टीकरण; तथा बोरन के संवर्द्धन और संवर्द्धित बोरिक एसिड से एलिमेंटल बोरन के उत्पादन की दिशा में आर एवं डी क्रियाकलाप पूरे कर लिए जाएंगे। “इलेक्ट्रानिक्स तथा इंस्ट्रुमेंटेशन और सुरक्षा” नामक परियोजना के अधीन पीएफबीआर के लिए विभिन्न औद्योगिक ग्रेड सुरक्षाएं और सुरक्षा संबंधी इंस्ट्रुमेंटेशन किया जाएगा। वीईसीसी में प्रमुख कार्यक्रम इनसे संबंधित होंगे: साइक्लोट्रोन उत्पादित आइसोटोपो की जरूरतों तथा विकिरण क्षति अध्ययनों, मशीन के पुर्जों की टूट-फूट संबंधी अध्ययनों, पोसीट्रान एन्हीलेशन अध्ययनों, रेडियो रसायन अध्ययनों, जैव-भौतिकी प्रयोगों आदि में आर तथा डी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक 30 एमईवी चिकित्सीय साइक्लोट्रान की स्थापना। सीएटी इन क्रियाकलापों में प्रवृत्त रहेगा: 50 डब्ल्यू डायोड-पम्ड सालिड एस्टेट इंट्रकैविटी ग्रीन लेजर के विकास; स्पेलेशन न्यूट्रान स्रोत के

लिए उच्च धारा प्रोटोन लिनाक और सिन्कोट्रान; सामग्री प्रसंस्करण के लिए लेजरों के अनुप्रयोग तथा इंजीनियरी घटकों का लेजर रैपिड विनिर्माण तथा आप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी के लिए वास्तविक समय वीडियो रेट इमेजिंग तंत्र। टीआईएफआर के क्रियाकलाप इस प्रकार रहेंगे: हैदराबाद में बैलून सुविधा का प्रयोग करते हुए एस्ट्रोसैट मिशन के लिए प्रमुख हार्ड-एक्सरे पेलोड की टेस्ट फ्लाइट; भावी युक्तियों के लिए नैनोविज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला का विकास; निदानकर्ताओं के सहयोग से बोनमैरो और रक्त रुधिर में विकृतियों से संबंधित कैंसरों का अध्ययन करने के लिए कोशिका जीवविज्ञान का प्रयोग करते हुए विधियों की स्थापना।

## जैव प्रौद्योगिकी विभाग

### 2005-06 के दौरान उपलब्धियों की समीक्षा

12.6 आधारीक तंत्र के सुदृढीकरण उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना, क्षमता निर्माण और मिशन पद्धति कार्यक्रमों के विकास पर विशेष बल देते हुए राष्ट्रीय प्रासंगिकता वाले कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। 450 से अधिक आर तथा डी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई और लगभग 200 विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं को क्षमता निर्माण और आधारीक तंत्र के सुदृढीकरण—दोनों अर्थों में आवश्यक सहायता प्रदान की गई। नए टीके और डायग्नोस्टिक्स तैयार किए गए और वे प्रयोग की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। रोटावाइरल डायरिया से संबंधित टीके का चरण-I मानवीय परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है तथा भारत बायोटेक ने पूर्व-नैदानिक अध्ययनों के लिए पहला मार्गदर्शी लाट सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है। हैजा के लिए सी-कंबिनेंट मौखिक टीके का चरण-I तथा II नैदानिक प्रयोग पूरे कर लिए गए हैं। एचआईवी/एड्स के लिए रीकंबाइंड डीएनए/ एमवीए टीका जीएमपी उत्पादन तथा पूर्व-नैदानिक टाक्सिकोलाजी अध्ययन के लिए तैयार है। कंबीनेशन रैबीज टीका पशुओं पर आजमाया जा रहा है और मनुष्यों पर नैदानिक परीक्षण की योजना बनाई जा रही है। रीकंबिनेंट मलेरिया टीका का जीएमपी उत्पादन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। स्वदेशी रूप से तैयार किया गया रीकंबिनेंट एंथ्रेक्स टीका उद्योग को अंतरित कर

दिया गया। देश के भीतर स्टेम सेल शोध विकसित करने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई। डेनमार्क, नीदरलैंड्स, अमरीका, फिनलैंड, यूके आदि के साथ नए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित किए गए। इनमें से अनेक सहयोग क्षेत्रीय/स्थानीय जरूरतों के लिए अनुकूलित कृषि प्रौद्योगिकियों के प्रति समर्पित थे। डीबीटी सहाय्यित स्वायत्त संस्थानों ने अनुसंधान के अर्थों में महत्वपूर्ण प्रगति की जोकि विश्व स्तरीय संदर्भित पत्रिकाओं में छपे अनेक प्रकाशनों और फाइल किए गए पेटेंटों की संख्या से प्रकट होता है। 30 इम्पैक्ट फैक्टर के साथ लगभग 250 प्रकाशन निकाले गए जिसमें चार नेचर में है। मच्छर की आंत में से एक नवीन जीवाणु उप-प्रजाति अभिज्ञात किया गया। समुद्री सीपी में से उद्भूत एक फ्रैक्शन में सशक्त एचआईवी विरोधी क्रियाकलाप प्रदर्शित किया गया। ट्रांसजेनिक प्रोटीन समृद्ध आलू का क्षेत्रीय परीक्षण किया गया और अनिवार्य एमिनो अम्लों में इसी प्रकार की वृद्धि सहित 30-50% वृद्धि सूचित की गई। आक्सेलेट की न्यून मात्रा सहित ट्रांसजेनिक टमाटर तैयार किया गया और संप्रति उसका क्षेत्रीय परीक्षण किया जा रहा है।

### वार्षिक योजना 2006-07 के दौरान प्रमुख कार्यक्रम

12.7 इस बात को ध्यान में रखते हुए की जीवन विज्ञान और जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के संबंध में नए विचारों और अवधारणाओं के प्रवाह में जबरदस्त बदलावों तथा अनुसंधान के नए साधनों के विकास उनकी पहचान बन चुके हैं इसलिए पर्याप्त संख्या और स्तर के वैज्ञानिक और तकनीकी मानवीय संसाधनों की सुलभता सुकर बनाई जानी जरूरी है। विदेशी अध्येतावृत्तियों सहित, पी.एचडी., पोस्ट-डाक्टरल अध्येतावृत्तियों की संख्या बढ़ाने, स्नातक कार्यक्रमों के तहत एकीकृत जीवन विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी सहित उत्कृष्ट कालेजों को समर्थन देने, आईपीआर प्रौद्योगिकी अंतरण आदि के वास्ते तकनीकी व्यावसायिकों के प्रशिक्षण और अध्यापक प्रशिक्षण तथा तकनीशियन प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है। नई पहलों में ये भी शामिल हैं: एमबीबीएस-एमडी-पीएचडी कार्यक्रम तथा जैव-प्रौद्योगिकी उत्पादन मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक नैदानिक अनुसंधान में मास्टर स्तर का प्रशिक्षण। स्वास्थ्य देखभाल

और कृषि के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और उत्पाद विकास के लिए केन्द्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परामर्शदाताओं के रूप में औद्योगिक नेताओं के सहयोजन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा और बहु-पणधारी बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस कार्यक्रम के अधीन केवल उत्पाद संबंधी कार्यक्रमों को सहयोग प्रदान किया जाएगा। मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए अपेक्षित युक्तियों और सूत्रों के वास्ते एक नई पहल शुरू की गई है। कृषि जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन बातों पर ध्यान दिया जाएगा: पोषणिक संवर्द्धन, संवर्द्धित उत्पादकता, जीवीय तथा गैर-जीवीय स्ट्रेस प्रतिरोधी फसलों का विकास। मौजूदा कृषि विश्वविद्यालयों के सुदृढीकरण और पुनर्जीवन पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। सक्षम अग्रणिता हेतु, स्केल-अप वैधीकरण और वाणिज्यीकरण को सुविधापूर्ण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न सरकारी/निजी भागीदारी माडल तलाश किए जाएंगे। साथ ही यह भी प्रस्ताव है कि ऐसे स्वायत्त संस्थानों में जोकि संप्रति मूल विज्ञान पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं उनमें प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास संबंधी क्रियाकलापों को सुदृढ बनाया जाएगा और अनुप्रयोग के जगह आविष्कार पर बल दिया जाएगा। टीका अनुसंधान, निदानशास्त्र, स्टेमसेल जिनोमिक्स जैसे विशेषज्ञतापूर्ण क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

## अंतरिक्ष विभाग

### 2005-06 के दौरान उपलब्धियों की समीक्षा

12.8 कार्टोसैट-1 (आईआरएस-पी5) और हैमसैट उपग्रह सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा में हाल में स्थापित दूसरे लांच पैड से पीएसएलवी बोर्ड पर 5 मई, 2005 को प्रक्षेपित और संचालित किए गए। कार्टोसैट-1 अग्रिम मानचित्रण अनुप्रयोगों के लिए है और हैमसैट उपग्रह आधारित अपरिपक्व रेडियो सेवाओं के लिए एक अनुप्रयोग विशिष्ट सूक्ष्म उपग्रह है। कार्टोसैट-1 उपग्रह से प्राप्त प्रतिमावलियों की गुणवत्ता बहुत उत्तम स्तर की पाई गई और उनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कार्टोग्राफिक मानचित्र तैयार करने/अद्यतन बनाने,

इंजीनियरी तथा पर्यावरणात्मक अनुप्रयोगों के लिए डिजिटल एलिवेशन माडल तैयार करने, ग्रामीण और शहरी आधारिक तंत्र तथा उपयोगिता आयोजना, सूक्ष्म स्तरीय जल विभाजक आयोजना तथा डीएमएस अनुप्रयोगों के लिए किया गया। इन्सैट-4ए कोरु, फ्रेंच गुयना से एरिएन राकेट पर आनबोर्ड 22 दिसम्बर, 2005 को प्रक्षेपित किया गया। इस प्रक्षेपण के बाद कक्ष उन्नयन प्रचालनों, तैनाती प्रणालियों, उपग्रह के कक्षीय स्थानन तथा पेलोड परीक्षण पूरा कर लिया गया और अब यह उपग्रह प्रचालनात्मक प्रयोग के लिए तैयार है। इन्सैट-4ए में 24 उच्च शक्ति सी-बैंड और के-बैंड ट्रांसपोंडर्स मौजूद हैं और वे देश के भीतर डीटीएच सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। इस प्रक्षेपण के साथ इन्सैट प्रणाली में ट्रांसपोंडर्स की संख्या बढ़कर 175 हो गई है। दूसरे प्रक्षेपण पैड की क्रायो प्रोसेसिंग सुविधाएं चालू करने का काम पूरा कर लिया गया। ऐसा करने से अगले जीएसएलवी एफ-02 को जुलाई, 2006 में दूसरे प्रक्षेपण पैड से प्रक्षेपित किया जा सकेगा जिससे कि इन्सैट-4सी का प्रक्षेपण किया जा सके। स्वदेशी क्रायो अवस्था का प्रारम्भिक रूप प्राप्त कर लिया गया और स्टेज पर परीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 9 वीआरसी का दूसरा समूह स्थापित किया गया। 10 राज्यों में भूजल संभावना मानचित्र तैयार करने का काम जिसके अधीन राष्ट्रीय पेयजल मिशन के लिए लगभग 2400 मानचित्र तैयार किए जाने थे पूरा कर लिया गया है। आपदा प्रबंध प्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और डाटा (डिजिटल डाटाबेस और मानचित्र) की लगभग वास्तविक समय सुलभता के वास्ते गृह मंत्रालय को 20 जिला नोडों के साथ जोड़ने के निमित्त एक निजी नेटवर्क स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए गए। दूर-चिकित्सा नेटवर्क का विस्तार लगभग 160 अस्पतालों में किया गया। एड्यूसैट नेटवर्क का भी विस्तार किया गया। आपदा संभावित क्षेत्रों में तत्काल तैनाती के लिए आपातिक संचार टर्मिनल विकसित और स्थापित करने की दिशा में एकजुट प्रयास किए गए जिससे कि इन्सैट उपग्रहों के माध्यम से आपदा के दौरान डाटा और ध्वनि संचार सुविधापूर्ण बनाया जा सके।

### वर्ष 2006-07 के लिए प्रमुख कार्यक्रम

12.9 वर्ष 2006-07 के लिए प्रमुख कार्यक्रम लक्ष्यों में

ये शामिल हैं: पीएसएलवी बोर्ड पर कार्टोसैट-2, एसआरई-I का प्रक्षेपण और प्रचालन, इन्सैट-4बी और जीएसएटी-4 उपग्रहों का प्रक्षेपण। फ्लाइंट वर्शन स्वदेशी क्रायो अवस्था की पूर्ति की जाएगी और इसका उड़ान परीक्षण किया जाएगा। एक मीटर रिजोल्यूशन से बेहतर दृश्य विशिष्ट स्पॉट प्रतिमावलियों के लिए एक उन्नत उच्च रिजोल्यूशन कार्टोग्राफी उपग्रह कार्टोसैट-2 अद्यतन कुशल अंतरिक्ष प्लैटफॉर्म प्रौद्योगिकियां अपनाएगा। सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोगों के अलावा अंतरिक्ष कैप्सूल रिकवरी प्रयोग (एसआरई-1) विकसित किया जाएगा और भावी पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहनों के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इन्सैट-4बी जिसकी तैयारी चल रही है इन्सैट क्षमता में 24 ट्रांसपोडरों की वृद्धि कर देगा। प्रक्षेपण वाहन क्षेत्र में जीएसएलवी डी-3 उड़ान के लिए स्वदेशी क्रायो अवस्था प्रणाली फ्लाइंट वर्शन प्राप्त किया जाएगा। जीएसएलवी एमके-III परियोजना के लिए संरचना, उत्पादन और परीक्षण सुविधाएं चालू की जाएंगी। चंद्रायण-1 के लिए गहन अंतरिक्ष नेटवर्क चालू करने के साथ-साथ एस्ट्रोसैट मिशन के लिए सभी पेलोड इंस्ट्रूमेंटों के विकास और परीक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। भारतीय क्षेत्रीय नौसंचालन उपग्रह प्रणाली (आईआरएनएसएस) के साथ-साथ गगन नौसंचालन उपग्रहों की प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्रणाली शुरू की जाएगी। एड्यूसेट नेटवर्क, दूरसंचार चिकित्सा तथा ग्राम संसाधन केन्द्रों से संबंधित क्रियाकलापों का विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय पेयजल मिशन के लिए भूजल संभावित मानचित्रों को तैयार करने का तीसरा चरण ग्रामीण विकास मंत्रालय के समन्वय के साथ शुरू किया जाएगा। प्राकृतिक संसाधन गणना, बड़े पैमाने पर मानचित्रण, सूखा/बाढ़ मानीटरन, प्राकृतिक संसाधन डाटाबेस, जैव-विविधता लक्षण निर्धारण, फसल एकड़ क्षेत्र आकलन जैसे विभिन्न अनुप्रयोग मिशनों से जुड़े हुए क्रियाकलाप जारी रखे जाएंगे।

### वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग 2005-06 के दौरान उपलब्धियों की समीक्षा

12.10 वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) अपने के अधीन स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्रोन्नति, विकास, प्रयोग तथा अपने “प्रौद्योगिकी प्रोन्नति, विकास

तथा प्रयोग (टीपीडीयू) कार्यक्रम” द्वारा उसके अंतरण से संबंधित क्रियाकलापों में प्रवृत्त है। विभाग के पहले से चले आ रहे विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन इसने 90 नए इनहाउस आर तथा डी यूनिटों, 40 नए एसआईआरओ को मान्यता प्रदान की है तथा लगभग 310 कंपनियों को इनहाउस आर एंड डी यूनिटों की मान्यता के लिए नवीकरण प्रदान किया गया।

12.11 वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में अपने प्रयास जारी रखे हुए है और उसने 570 विदेशी पेटेंट तथा 407 भारतीय पेटेंट दायर किए हैं और विदेशों में 178 पेटेंट मंजूर किए गए हैं। विज्ञान का स्तरोन्नयन किया गया और सीएसआईआर ने समकक्ष-समीक्षित पत्रिकाओं (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों) में 3018 अनुसंधान लेख प्रकाशित किए। प्रत्येक लेख का औसत प्रभाव कारक अभी तक का सर्वाधिक अर्थात् 2.01 रहा है जोकि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के 2.2 के साथ तुलनीय है। सीएसआईआर ने औद्योगिक प्रतियोगिता के लिए प्रौद्योगिकी, कार्यनीतिक क्षेत्र के लिए एस तथा टी आधार तथा सामाजिक कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी और ज्ञान के संवर्द्धन के लिए विज्ञान उपलब्ध कराया। जीव विज्ञान और जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियों में ये शामिल हैं: कृत्रिम गर्भाधान द्वारा मृगशावक का जन्म; मांसपेशी स्टेम कोशिकाओं में निष्क्रियता नियंत्रण; बहुउपयोगिता चल आसवन यूनिट का विकास; बायोपेस्टीसाइड तथा जैव-उर्वरक के सूत्र, पूर्वोत्तर कोयला क्षेत्रों के कोयला खानों की परती भूमि का सुधार और प्रबंध। स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में कुछेक महत्वपूर्ण क्रियाकलापों द्वारा और आगे संवर्द्धन किया गया जैसेकि पान के पत्तों से ल्यूकेमिया विरोधी कंपाउंड; मलेरिया के लिए नया लीड मालीक्यूल, इन्सुलिन और हेपेटाइटिस बी टीके की मौखिक आपूर्ति; जैव सक्रिय एकीकृत कक्षीय इम्प्लान्ट; कोलेजन आधारित जैव सामग्री ताकि जले हुए घावों को बहुत कारगर ढंग से भरा जा सके। एस तथा टी हस्तक्षेपणीय उपायों के माध्यम से अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के वास्ते सीएसआईआर ने समाज को सीधे प्रभावित करने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकियां तैयार की हैं जैसेकि मायोइलेक्ट्रिक

आर्म; अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन आधारित जलशोधक; 10 एचपी स्माल ट्रैक्टर जिसका नाम कृषिशक्ति रखा गया है; सेतुओं और अन्य संरचनाओं का सफल स्वास्थ्य परीक्षण जिससे कि सैकड़ों वर्ष पुराने रेल सेतुओं के मामले में उपचारी उपाय किए जा सकते हैं; गतिशील कोहरा पूर्वानुमान प्रणाली। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप इनसे संबंधित थे: मैग्नीशियम आक्साइड की तैयारी के लिए एक बेहतर प्रक्रिया का निर्माण; स्वदेशी मालीक्यूलर बीम उपकरण; नगर ठोस अपशिष्ट के लिए एक उपयुक्त कंपोस्टिंग प्रक्रिया; 0.3 एमएलडी जलमल उपचार संयंत्र का डिजाइन और उसे चालू करना; पुनःचक्रण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट की छंटाई; सूक्ष्म नियंत्रक आधारित ओजोन मानीटर; मत्स्य प्रोफेसिंग अपशिष्टों का उपयोग, वैयक्तिक आर्मर अनुप्रयोगों के लिए कम वजन के कंपोजिट। नवीन सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से सीएसआईआर, एनएमआईटीएलआई स्कीम के अधीन सूरजमुखी में पालीअनसेचुरेटेड वसापूर्ण अम्लों, और नवजात विकास के लिए खमीर का उत्पादन करने; निर्धारित वायु गति के लिए वायु टर्बाइन डिजाइन करने की क्षमता के प्रति एक पुनःसंयोजित प्रयास कर सकी थी।

## वर्ष 2006-07 के लिए प्रमुख कार्यक्रम

12.12 डीएसआईआर प्रौद्योगिकी विकास और उपयोग प्रोन्नति कार्यक्रम के अधीन प्रमुख क्रियाकलाप जारी रखेगा जैसेकि औद्योगिक आर तथा डी प्रोन्नति कार्यक्रम; प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार कार्यक्रम; प्रौद्योगिकी प्रबंध कार्यक्रम; औद्योगिक प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यक्रम; परामर्श प्रोन्नति कार्यक्रम तथा औद्योगिक आर एवं डी और प्रौद्योगिकी सूचना सुविधाकरण कार्यक्रम।

12.13 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अपनी 38 प्रयोगशालाओं और 39 क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से समाजार्थिक स्कीमों के लिए एस तथा टी इन्पुट प्रदान करना जारी रखेगी। नेटवर्क पद्धति में कार्यक्रम हाथ में लेने, प्रयोगशालाओं की मौजूदा कोर क्षमताओं से क्षमताएं और संसाधन प्राप्त करने पर बल दिया जाएगा। तीन प्रकार के क्रियाकलापों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा जिनमें वैश्विक

स्तर पर क्षमता निर्माण और उसका सुदृढीकरण; सुपरिभाषित लक्ष्यों, प्रदाय समय-सीमा सहित इनहाउस परियोजनाएं हाथ में लेना; तथा उद्योग और अन्य प्रयोक्ताओं के लिए संविदागत आर तथा डी निष्पादित करना ताकि पिछले वर्षों के दौरान प्राप्त विशेषज्ञता के माध्यम से समस्याओं के साथ निपटा जा सके। सीएसआईआर के क्रियाकलापों में अपेक्षतया नए एस और टी क्षेत्रों में क्षमताओं की स्थापना; एस तथा टी के व्यापक स्पेक्ट्रम में प्रौद्योगिकीय ज्ञान तथा कार्यनीतिक विकल्पों का निर्माण शामिल रहेगा। सीएसआईआर बड़े पैमाने पर नेटवर्क निर्माण के माध्यम से उभरते हुए प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में अपनी क्षमताएं अभिज्ञात करेगी और उनका सुदृढीकरण करेगी। तीन नए क्रियाकलाप शुरू किए जाएंगे जिनका उद्देश्य चयनित विज्ञान अध्यापकों को प्रशिक्षण और अभिप्रेरण प्रदान करना, प्रयोगशाला द्वारा एक स्कूल तथा कालेज अपनाना, अनुसंधान छात्रों के बीच उद्यमशीलता की भावना पैदा करना और अंतःविषय क्षेत्रों में अध्येतावृत्तियां स्थापित करना। सीएसआईआर की बौद्धिक संपदा का मूल्य प्राप्त किया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा, संवर्द्धित किया जाएगा और वसूल किया जाएगा। नवीन सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल स्कीम के अधीन जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए एक वाहन के रूप में नवाचार केन्द्रित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्रियाकलाप प्रेरित करने की परिकल्पना की गई है “टीम इंडिया” पद्धति में चुनिंदा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक वैश्विक नेतृत्व स्थान अभिज्ञात, चयनित और उसे समर्थन देना जारी रखा जाएगा।

## पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

### 2005-06 के दौरान उपलब्धियों की समीक्षा

12.14 दक्षिण ध्रुव प्रदेश में पच्चीसवां भारतीय वैज्ञानिक अभियान शुरू किया गया और दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में एक तीसरे स्थायी भारतीय केन्द्र के लिए स्थान अभिज्ञात करने के वास्ते सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। ध्रुवीय विज्ञान स्कीम के अधीन दक्षिणी महासागर, महासागर विज्ञान और पैलिआंटोलोजी के क्षेत्र में प्रमुख क्षमता के विकास संबंधी क्रियाकलाप शुरू किए गए। पोलीमेटैलिक नोड्यूल कार्यक्रम के तहत सीआईओबी में अवधारित क्षेत्र में नोड्यूलों की उच्चतर प्रचुरता की प्रवृत्तियां अभिज्ञात करने और उनके

वैधीकरण के लिए चुनिंदा प्रोफाइलों के साथ बहु-आवृत्ति गवेषणा प्रणाली का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण किया गया और परीक्षण तथा संदर्भ क्षेत्रों में नमूनों के चयन द्वारा पर्यावरणात्मक प्राचलों के मानीटरन का काम पूरा कर लिया गया और एक डाटाबेस तैयार किया गया। एक वास्तविक समय महासागरीय डाटा तैयार किया गया और जलवायु पूर्वानुमान तथा चक्रवात चेतावनी, जलवायु अनुसंधान, उपग्रह डाटा वैधीकरण तथा मत्स्य क्षेत्रों और तटीय संरचनाओं के लिए विकास के वास्ते विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों जैसेकि आईएमडी, पत्तन, बंदरगाहों, मत्स्य क्षेत्रों आदि को उपलब्ध कराया गया। एग्रो फ्लोट्स तथा प्रवाही प्लवों से उत्पन्न डाटा से वेब पर सागर स्थिति पूर्वानुमान प्रसारित किए गए। आनलाइन तापमान और लवणता प्रोफाइल जानने के लिए भारतीय समुद्र में 40 एग्रो फ्लोट और 15 प्रवाही प्लव लगाए गए। ट्यूना प्रवासी प्रणालियों और समुद्र से औषधियों के वास्ते लक्षद्वीप वाटर्स का सर्वेक्षण किया गया। समुद्री जीव जन्तु से मधुमेह विरोधी लीड के फार्मोकोलाजी और टाक्सीकोलाजी का काम पूरा कर लिया गया। 25 प्राचलों के लिए 82 स्थानों पर समुद्री प्रदूषण के मानीटरन का कार्य जारी रखा गया और 12 प्रमुख स्थलों पर गहन मानीटरन किया गया। एनआईओटी समुद्र से ऊर्जा के प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित क्रियाकलापों में प्रवृत्त रहा। लक्षद्वीप में कावास्ती में 1 लाख लीटर क्षमता का न्यून तापमान तापीय अलवणीकरण संयंत्र मई, 2005 में निर्मित किया गया। 500 मीटर गहराई पर बैथिमेट्रिक सर्वेक्षण शुरू किया गया और स्वाथ बैथिमेट्रिक डाटा प्रोसेस किया गया। समुद्र सूचना सेवाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय केन्द्र (आईएनसीओआईएस) में एक अनंतिम सुनामी चेतावनी केन्द्र (आईटीडब्ल्यूसी) स्थापित किया गया और यह केन्द्र आईएमडी/डीएसटी, जापान मौसम वैज्ञानिक एजेंसी तथा प्रशांत सुनामी चेतावनी केन्द्र के सक्रिय सहयोग से चौबीसों घंटे काम कर रहा है।

### वर्ष 2006-07 के लिए प्रमुख कार्यक्रम

12.15 दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में 26वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान शुरू किया जाएगा। पैलियोक्लाइमेटोलाजी, ध्रुवीय सुदूर संवेदन, दक्षिणी समुद्र महासागर विज्ञान तथा दक्षिण ध्रुवीय लाइमोनोलाजी के क्षेत्रों में एनसीएओआर में आर

तथा डी क्रियाकलाप जारी रखे जाएंगे। समुद्र प्रेक्षण और सूचना कार्यक्रम के अधीन सूचना क्योस्क; समुद्री सूचना बैंक, समुद्री पोर्टल और वेब-आधारित सेवाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। 40 प्लवों का एक नेटवर्क लगाया जाएगा। 1 एमएलडी बार्ज ओरोपित अलवणीकरण संयंत्र के निष्पादन का मानीटरन किया जाएगा और एक 10 एमएलडी तैरता अलवणीकरण संयंत्र तैयार और विकसित किया जाएगा। एनआईओटी को समुद्र से ऊर्जा और शुद्ध जल के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकसित करने में प्रवृत्त किया जाएगा। एक नई औषधि के नैदानिक परीक्षण तथा 20 नए जीवों की जैव-वैज्ञानिक जांच शुरू की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पोषणों, जल में भारी धातुओं और कीटनाशी अवशिष्टों, पूर्वी और पश्चिमी तट क्षेत्र के साथ-साथ अवसादन और जैव-वैज्ञानिक मामलों से संबंधित डाटा के संग्रह से जुड़े क्रियाकलाप जारी रखे जाएंगे। तटीय भू-कटाव का अध्ययन करने और निवारक तथा उपचारी उपायों की सिफारिश करने, व्यवहार्यता अध्ययन करने और भू-कटाव पर काबू पाने के लिए प्रदर्शन; भूकंपीय मानीटरन, 3000 मीटर गहराई के लिए अंतर्जलीय प्रेक्षणशाला (बैथिक केन्द्र) के डिजाइन और विकास; द्वीप समुदायों के लिए कीचड़ के केकड़ों की समृद्धि और लार्वा पोषण के लिए प्रौद्योगिक का प्रदर्शन; 500 मीटर गहरे जल के बाद बैथिमेट्रिक सर्वेक्षण जारी रखना; गैस हाइड्रेट आदि के घटने के मानचित्रण विषयक डाटा की प्रोसेसिंग से जुड़े क्रियाकलाप जारी रखने के प्रयास किए जाएंगे। गहन समुद्र आकलन और रिपोर्ट करने की प्रणाली के स्वदेशी विकास द्वारा चेतावनी और झंझावात उत्पत्ति प्रणाली को और आगे सुदृढ़ बनाया जाएगा जिसमें इंजीनियरी मॉडल प्रयोगशाला परीक्षण, क्षेत्रीय परीक्षण और मूल्यांकन, तैनाती आदि; लहर गेज नेटवर्क का प्रचालन जिसमें 45 लहर गेजों की स्थापना शामिल है; चेतावनी प्रणाली का माडलन जिसमें मौजूदा माडलों के ट्रेल शामिल हैं; झंझावात उत्पत्ति पूर्वानुमान माडलों का वैधीकरण; उच्च रिजोल्यूशन गहनता मापी विज्ञान का उत्पादन तथा उच्च रिजोल्यूशन तटीय टोपोग्राफी और भूमि प्रयोग मानचित्र (8000 वर्ग किलोमीटर) तथा 8000 वर्ग किलोमीटर के साथ तटीय दुर्बलता माडलिंग; निर्णय समर्थन प्रणाली का विकास शामिल है।

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी

### 2005-06 के दौरान उपलब्धियों की समीक्षा

12.16 विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद (एसईआरसी) स्कीम के तहत 416 बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरी परियोजनाओं को सहयोग प्रदान किया गया। विभाग द्वारा स्थापित पेटेंट सुविधाकरण सेल के माध्यम से 20 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पेटेंट मंजूर/स्वीकृत किए गए। अंतर्राष्ट्रीय एस तथा टी सम्मेलनों में भाग लेने के लिए युवा वैज्ञानिकों सहित 850 से अधिक वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान की गई। अनेक अनुसंधान केन्द्र/सुविधाओं को सुविधा प्रदान की गई जैसेकि बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता में स्थित सेंटर फार एस्ट्रोपार्टिकल तथा स्पेस साइंसेस; आईआईटी कानपुर में सेंटर फार फुल कलर आर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड (ओएलईडी) प्रदर्शन; राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय गामा डिटेक्टर ऐरे सुविधा, टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर), मुंबई आदि। युवा वैज्ञानिकों को आकृष्ट करने के लिए युवा वैज्ञानिकों के वास्ते फास्ट ट्रैक स्कीम के तहत लगभग 320 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई और युवा वैज्ञानिक परियोजनाओं से 15 पेटेंट उद्भूत हुए। फिस्ट कार्यक्रम से अभी तक 858 से अधिक विभाग लाभान्वित हो चुके हैं। 70 से अधिक महिला वैज्ञानिकों को अध्येतावृत्तियां प्रदान की गईं ताकि वे सक्रिय अनुसंधान में पुनः प्रवेश कर सकें। समूचे विश्व से प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को आकृष्ट करने के लिए “रामानुजम अध्येतावृत्ति स्कीम” के रूप में एक नई पहल शुरू की गई ताकि वे 50000 रुपए प्रति माह की अत्यंत आकर्षक अध्येतावृत्ति सहित देश के भीतर वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े स्थान ग्रहण कर सकें। प्रस्तावित अन्य नई पहलें इस प्रकार हैं: नैनोविज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन (एनएसटीएम) की शुरुआत; औषधि अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय सुविधाओं के सृजन को सहायता; तथा एल्युमीनियम, अनुसंधान और स्कूल विज्ञान कार्यक्रम। नेशनल मिशन फार बांबू एप्लीकेशंस (एनएमबीए), भूकंप विज्ञान और प्रौद्योगिकी कल्पना 2020 जैसी परियोजनाएं मिशन पद्धति से कार्यान्वित की गईं। औषधि और फार्मस्यूटिकल अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय फार्मस्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान (एनआईपीईआर), मोहाली में एक जीएलपी प्रमाणित

टाक्सिकोलाजी केन्द्र स्थापित किया गया। स्टेम सेल और रीजनरेटिव चिकित्सा विकसित करने के लिए सीसीएमबी हैदराबाद में एक नैदानिक अनुसंधान सुविधा स्थापित की गई। चिकित्सीय और प्रोफिलेक्टिक हेपेटाइटिस बी टीकों के विकास संबंधी शुरुआत की गई। अनुसंधान लेखों का औसत प्रभाव कारक 2.3 था।

### 2006-07 के दौरान प्रस्तावित प्रमुख कार्यक्रम

12.17 कार्यक्रम सलाहकार समितियों (पीएसी) द्वारा अपनाई जा रही सक्रिय भूमिका के माध्यम से परियोजनाएं तैयार करने और उन्हें सहायता देने की दिशा में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम सहायता पर अधिक बल दिया जाएगा ताकि विशेषज्ञों/विशेषज्ञ समूहों को अनुसंधान के अभिज्ञात चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आने वाले वर्षों में बहुविषय क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। तथापि शैक्षणिक क्षेत्रक में विशेष रूप से विश्वविद्यालयों में अधिक बुनियादी अनुसंधान परियोजनाओं पर बल दिया जाएगा जिससे कि वहां उपलब्ध विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके। वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रम सलाहकार समितियों द्वारा प्रदत्त सिफारिशों के आधार पर लगभग 400 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। हाल में घोषित कार्यक्रमों के अधीन अनेक अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाएंगी: जैसेकि आयु संबंधी किसी भी प्रतिबंध के बिना उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिकों को सतत सहायता प्रदान करने के लिए रमन्ना अध्येतावृत्तियां; हमारे देश में वैज्ञानिक अनुसंधान करने के वास्ते प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को आकृष्ट करने के लिए रामानुजम अध्येतावृत्तियां तथा सक्रिय, निष्पादनशील भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को मान्यता प्रदान करने और सहायता देने के लिए जे.सी. बोस अध्येतावृत्तियां। साथ ही उभरती प्रौद्योगिकियों में संयुक्त उद्योग शैक्षणिक सहभागिता शुरू करने का विचार है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रिम क्षेत्रों में संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल (एनएसटीआई) के अधीन बहुपक्षीय क्रियाकलापों में तेजी लाई जाएगी। 2006-07 के लिए निर्धारित महत्वपूर्ण लक्ष्य इस प्रकार है: देश के भीतर उत्तम नैनो अनुसंधान और विकास के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में

नैनो प्रौद्योगिकी के लिए 6 केन्द्रों की स्थापना; मॉलीकूलर पदार्थ केन्द्र व संगणनात्मक गणित केन्द्र की स्थापना; उच्च स्तरीय उपकरणों और जनशक्ति के लिए परियोजना सहायता; नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में और अधिक पोस्ट-डाक्टरल अध्येतावृत्तियां शुरू करना तथा एनएसटी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। औषधि तथा फार्मास्यूटिकल अनुसंधान कार्यक्रम के अधीन सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाएं जिनके फलस्वरूप कुष्ठ रोग, मलेरिया, क्षय रोग, जापानी एनसीफैलिटिस, सिफलिस, लीसमैनियेसिस,

फिलारिएसिस, एचआईवी /एड्स, टिटेनस, खसरा आदि जैसे रोगों के विरुद्ध नई औषधियां तैयार करने के काम को सहायता प्रदान की जाएगी। नैदानिक परीक्षणों और राष्ट्रीय सुविधाओं विषयक परियोजनाओं जैसेकि भासमास के अध्ययन के लिए सुविधा; कांबीनेटोरियल रसायन सुविधा; बायोमार्करों के विकास के लिए उन्नत प्रोटियोमिक्स तथा प्रोटीन अनुसंधान; तथा फार्मेको-सतर्कता केन्द्र स्थापित किए जाने का विचार है। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एस्टोफिजिक्स में हेनले में एक विशाल बाइनोकुलर टेलीस्कोप स्थापित किया जाएगा।

केन्द्रीय वैज्ञानिक विभाग  
योजना व्यय की प्रगति

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग/एजेंसियां	वार्षिक योजना 2004-05		वार्षिक योजना 2005-06		वार्षिक योजना 2006-07 बीई
		बीई	वास्तविक	बीई	आरई	
1	2	3	4	5	6	7
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग (अनुसंधान और विकास क्षेत्र)	703.58	609.52	872.74	834.79	1003.00
2.	महासागर विकास विभाग/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	200.00	198.88	340.00	250.00	438.00
3.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	900.00	896.26	1250.00	1060.00	1367.00
4.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	310.00	319.27	445.00	389.00	521.00
5.	वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान	650.00	596.25	846.00	756.00	975.00
6.	अंतरिक्ष विभाग	2400.00	2194.70	2800.00	2300.00	3220.00
	<b>कुल योग</b>	<b>5163.58</b>	<b>4814.88</b>	<b>6553.74</b>	<b>5589.79</b>	<b>7524.00</b>

राज्य योजना के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना परिव्यय

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05 वास्तविक	2005-06 आरई	2006-07 बीई
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	71.64	71.64	71.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	24.64	942.20 \$	1010.00 \$
3.	असम	288.47	104.00	115.00 प्रस्तावित
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	108.23	311.00	641.00
6.	गोवा	53.84	134.00	172.80
7.	गुजरात	1343.82 आरई	2086.00 &	2086.00 &
8.	हरियाणा	141.59	410.00	300.00
9.	हिमाचल प्रदेश	28.45	24.00	34.00
10.	जम्मू और कश्मीर	40.33 *	566.21	97.00
11.	झारखंड	2422.00 +	3000.00+	150.00
12.	कर्नाटक	193.50	1290.50	3805.50
13.	केरल	3383.76 *	4395.00 *	5300.00 *
14.	मध्य प्रदेश	201.50	219.00	350.00
15.	महाराष्ट्र	138.39	500.00	12.00 #
16.	मणिपुर	304.04	581.00 \$	0.00
17.	मेघालय	86.11	100.00	110.00
18.	मिजोरम	104.50	133.10	140.00
19.	नागालैंड	90.78	75.00	77.00
20.	उड़ीसा	158.98	560.00 \$	503.00 \$
21.	पंजाब	0.00	587.00	378.20
22.	राजस्थान	185.99	254.00	240.00
23.	सिक्किम	67.34	75.00	75.00
24.	तमिलनाडु	195.52	224.91	229.35 प्रस्तावित
25.	त्रिपुरा	16.46	58.53	70.35
26.	उत्तर प्रदेश	350.00	550.00	900.00
27.	उत्तरांचल	100.00	100.00	1885.00
28.	पश्चिम बंगाल	680.93	1784.20 \$	885.00
	<b>कुल राज्य</b>	<b>10780.81</b>	<b>19145.29</b>	<b>19637.84</b>
	<b>संघ राज्य क्षेत्र</b>			
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	30.58	35.00	32.00 #
2.	चंडीगढ़	13.00	38.00	50.00
3.	दादर तथा नागर हवेली	6.00	10.00	12.00
4.	दिल्ली	5.00	199.00	20.00
5.	दमन तथा दीव	13.24	20.00	30.00
6.	लक्षद्वीप	99.22	95.00	106.00
7.	पांडिचेरी	34.98	52.00	45.00
	<b>कुल संघ राज्य क्षेत्र</b>	<b>202.02</b>	<b>449.00</b>	<b>295.00</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>10982.83</b>	<b>19594.29</b>	<b>19932.84</b>

\$ सूचना प्रौद्योगिकी सहित

\* इसमें पारिस्थितिकी विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान शामिल है।

+ तकनीकी शिक्षा और पारिस्थिकी विज्ञान और पर्यावरण सहित

# प्रदूषण नियंत्रण

तथा गृह विभाग सहित।

## अध्याय 13

### विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और पूर्वोत्तर क्षेत्र

#### 13.1 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

13.1 अपनी विशिष्ट भू-भौतिक संरचना और सहवर्ती समाजार्थिक विकास के कारण उत्पन्न कुछ क्षेत्रों को पेश आने वाली विशेष समस्याओं से निपटने के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

#### पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम

13.2 पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम चुने हुए पर्वतीय क्षेत्रों में पांचवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से चल रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनका पारिस्थितिकी रूप से संधारणीय समाजार्थिक विकास सुनिश्चित करना है। 90% अनुदान और 10% ऋण के अनुपात में विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है (वार्षिक योजना 2005-06 से वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार केवल एससीए का अनुदान अंश जारी किया जा रहा है तथा ऋण अंश राज्य सरकारों द्वारा मुक्त बाजार से जुटाया जाएगा)। उपलब्ध राशि एचएडीपी के अंतर्गत चुनिंदा पर्वतीय क्षेत्रों के बीच और पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के चुनिंदा ब्लॉकों/तालुकों के बीच 60:40 अनुपात में वितरित की जाती है।

13.3 2005-06 के दौरान हाथ में ली गई विकासात्मक स्कीमों के अलावा वरिष्ठ स्तर और मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए जोकि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ सीधे जुड़े हुए हैं एकीकृत जल विभाजक विकास संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

#### पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी)

13.4 एचएडीपी के अंतर्गत कवर हुए चुनिंदा पर्वतीय क्षेत्रों का विनिर्धारण राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति द्वारा 1965 में किया गया। इनमें उत्तर प्रदेश के आठ जिले सम्मिलित थे बाद में बारह में विभाजन हो गया तथापि, उत्तरांचल के एक पृथक राज्य के निर्माण के फलस्वरूप एचएडीपी पूर्व उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में अब लागू नहीं है। इस समय, एचएडीपी के अंतर्गत कवर हुए चुनिंदा पर्वतीय क्षेत्रों में सम्मिलित हैं:

- असम-उत्तरी कछाड़ और कर्बी अंगलॉग के दो पर्वतीय जिले,
- पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के बड़े भाग,
- तमिलनाडु का नीलगिरी जिला

13.5 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जैव-विविधता के संधारणीय उपयोग पर बल देते हुए पारि-परिरक्षण और पारि-बहाली है। कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय समुदायों की जरूरतों और आकांक्षाओं पर भी, विशेष रूप से जैव-विविधता और संधारणीय आजीविकाओं के संरक्षण के लिए कार्यनीति के डिजाइन और कार्यान्वयन में उनकी भागीदारी पर बल दिया जाता है।

13.6 एचडीपी के लिए प्रदत्त विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए), सामान्य राज्य योजना निधियों के अलावा है और यह पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को तेज करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की पूरक है। एचएडीपी के अंतर्गत स्कीमों उचित रूप से तैयार की जानी है और उन्हें राज्य

योजना स्कीमों के साथ एकीकृत किया जाना है।

13.7 राज्य सरकारों को, राज्य योजना परिव्यय और विशेष केन्द्र सहायता से निधियों के प्रवाह का उल्लेख करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक पृथक उप-योजना तैयार करनी होती है।

### वार्षिक योजनाओं की समीक्षा

13.8 एचएडीपी के अंतर्गत राज्यों में चुनिंदा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए दसवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के आबंटन और व्यय का विवरण नीचे तालिका 13.1 में दर्शाया गया है:

13.9 वर्ष 2002-03 के बाद से राज्य सरकारों को एचएडीपी के अंतर्गत उन्हें आबंटित विशेष केन्द्रीय सहायता का अधिक से अधिक 15% कार्यक्रम के तहत विगत में सृजित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के लिए उपयोग करने की छूट है।

### पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम

13.10 लगभग 1600 कि.मी. की लंबाई तक फैले पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के धुले जिले में ताप्ती नदी के मुख से शुरू होकर महाराष्ट्र के पश्चिम तट के तकरीबन समानांतर है और कन्याकुमारी तक है, जो तमिलनाडु में प्रायद्वीपीय

भारत के दक्षिण के अंतिम छोर पर कन्याकुमारी में समाप्त होते हैं।

13.11 पश्चिमी घाट क्षेत्र की मुख्य समस्याएं भूमि और वनस्पति पर बढ़ती जनसंख्या के दबाव का होना है। इन कारकों ने क्षेत्र में पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय समस्याओं में योग दिया है। पर्वतों की दुर्बल पारि-पद्धति पर निम्नलिखित की वजह से गंभीर प्रभाव पड़ा है : नदी घाटी परियोजनाओं के तहत बड़े क्षेत्रों का जलमग्न होना, खनन की वजह से क्षेत्र को क्षति, वाणिज्यिक बागान उगाने के लिए प्राकृतिक वन की प्रत्यक्ष रूप से कटाई, वनों की कटाई, मृदा कटाव, जिसकी वजह से जलाशयों में गाद भर जाता है और उनकी समयावधि में कमी आती है तथा बाढ़ और भू-स्खलनों के प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, वन भूमि का अतिक्रमण और वन्य प्राणियों का आखेट आदि।

13.12 पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया था। पश्चिमी घाट क्षेत्र के सीमांकन में, घाटों के साथ-साथ जिन जिलों का क्षेत्र एमएसएल से उन पर 600 मीटर या उससे अधिक के उठान पर था, उन सहवर्ती तालुकों/जिलों को डब्ल्यूजीडीपी में सम्मिलित किया गया था। इस समय यह कार्यक्रम पश्चिमी घाट के 171 तालुकों में कार्यान्वित किया जा रहा है, अर्थात् महाराष्ट्र (63 तालुक), कर्नाटक (40 तालुक), केरल (32) और गोवा (3 तालुक)।

तालिका 13 .1

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम : आबंटन/व्यय

(रुपए करोड़ में)

एचएडीपी के अंतर्गत चुनिंदा पर्वतीय क्षेत्र	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन
असम	51.11	50.66	51.11	49.93	51.11	51.11	51.11	48.95	82.67
तमिलनाडु	22.10	22.10	22.10	22.10	22.10	22.10	22.10	22.10	35.50
पश्चिम बंगाल	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33	22.32	22.33	20.66	31.83
जोड़	95.54	95.09	95.54	94.36	95.54	95.53	95.54	91.71	150.00

13.13 दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पारि-परिरक्षण और पारि-बहाली बना हुआ है। अभी तक डब्ल्यूजीडीपी के अंतर्गत निधियों का एक बड़ा भाग वाटरशेड आधार पर खर्च किया जाता है। तथापि, इन पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के दुर्बल बसाव के अनुरूप यहां के लोगों की विकास जरूरतों के तहत एक ऐसे दृष्टिकोण की जरूरत है जो मात्र वाटरशेड विकास से अधिक हो। इसलिए, यह अनुभव किया गया है कि ऐसे आर्थिक कार्यक्रमों पर, जो संधारणीय हों, ऐसी प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे आर्थिक और घरेलू दोनों स्थितियों में लोगों के भार को कम करने में मदद मिले तथा पारिस्थितिकी को बहुत थोड़े बिगाड़े बगैर वहां के निवासियों के लिए आजीविका के साधन सुनिश्चित हों। इस प्रकार, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दृष्टिकोण वाटरशेड जमा दृष्टिकोण, एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत आर्थिक विकास को संधारणीय विकास के मुकाबले पारिस्थितिकी पर अधिक बल दिया जाए। इसलिए राज्य सरकार ने आजीविका सृजन स्कीमें भी शुरू की हैं जो पर्यावरण के अनुरूप हैं।

13.14 राज्य सरकारों को उन्हें डब्ल्यूजीडीपी के अंतर्गत

आबंटित विशेष केन्द्रीय सहायता का अधिकतम 15% विगत में कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के लिए इस्तेमाल करने की छूट है।

13.15 गोआ और केरल के पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के दसवीं योजना अवधि के दौरान मूल्यांकन अध्ययन किए गए तथा इन अध्ययनों की रिपोर्टों से पता चलता है कि कार्यक्रम का प्रभाव उत्साहजनक है। कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन करने और साथ ही जहां जरूरी हो वहां सुधार करने के उद्देश्य से पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूजीडीपी) सहित पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) का मूल्यांकन अध्ययन योजना आयोग के आयोजना और मूल्यांकन संगठन के सुपुर्द कर दिया गया है। आशा है कि अध्ययन की रिपोर्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-11) के शुरू होने से पहले उपलब्ध हो सकेगी।

### वार्षिक योजनाओं की समीक्षा

13.16 डब्ल्यूजीडीपी के अंतर्गत राज्यों में चुनिंदा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए दसवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के आबंटन और व्यय का विवरण ऊपर तालिका 13.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 13.2

पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम : आबंटन/व्यय

(रुपए करोड़ में)

डब्ल्यूजीडीपी के अंतर्गत चुनिंदा पर्वतीय क्षेत्र	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन
महाराष्ट्र	21.06	20.91	21.06	20.82	21.06	21.06	21.06	21.03	32.71
कर्नाटक	15.57	15.53	15.57	15.35	15.57	13.84	15.57	14.14	24.18
केरल	13.13	13.12	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13	20.57
तमिलनाडु	10.99	10.99	10.99	10.99	10.99	10.99	10.99	10.75	17.04
गोवा	3.21	2.80	3.21	2.94	3.21	3.02	3.21	3.76	5.00
पश्चिमी घाट सचिवालय	0.50	0.22	0.50	0.15	0.50	0.22	0.50	0.23	0.50
जोड़	64.46	63.57	64.46	63.38	64.46	62.27	64.46	63.04	100.00

### सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)

13.17 यह कार्यक्रम, पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्यों, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए वर्ष 1986-87 में शुरू किया गया था। आठवीं योजना के दौरान, कार्यक्रम की पुनर्रचना की गई और इसके कवरेज का विस्तार करके इसे बांग्लादेश के साथ पूर्वी सीमा पर स्थित राज्यों तक कर दिया गया। नौवीं योजना अवधि में राज्य सरकारों और गृह मंत्रालय की मांग पर इसका विस्तार सभी भूसीमाओं तक कर दिया गया। इस प्रकार 1997-98 में बीएडीपी का विस्तार म्यांमार की सीमा से जुड़े राज्यों तक कर दिया गया। 1998-99 में चीन के सीमावर्ती राज्यों को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया और 1999-2000 से कार्यक्रम का और विस्तार किया गया ताकि नेपाल और भूटान के सीमावर्ती राज्यों को भी शामिल किया जा सके। बीएडीपी का मुख्य उद्देश्य सीमा के निकट स्थित दुर्गम और दूरवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की विशेष जरूरतें पूरा करना है।

13.18 बीएडीपी एक शत-प्रतिशत केन्द्रीय वित्तपोषित कार्यक्रम है और अनुमोदित स्कीमों के निष्पादन के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। कार्यक्रम के लिए ब्लाक एक बुनियादी इकाई है। कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जाने वाली स्कीमों में राज्य में संबंधित विभागों द्वारा तैयार की जाती हैं और उन्हें राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति द्वारा नोडल विभाग को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। केन्द्रीय स्तर पर एक अधिकारप्राप्त समिति, कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र, राज्यों में क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं के निर्धारण और राज्यों में निधियों को आबंटन से संबंधित नीतिगत मामलों पर विचार करती है।

13.19 कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा चुनी जा रही स्कीमों में सामान्य तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और पुल, जल आपूर्ति आदि जैसे क्षेत्रों से हैं। सामाजिक और भौतिक अवस्थापना सुधारने और उसे सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस प्रयोजनार्थ, लोगों की अनुभव की गई जरूरतें प्रमुख मापदंड हैं। अन्य स्कीमों के अलावा,

कुछेक राज्य सरकारें खेल मैदानों, समुदाय भवनों आदि के निर्माण का कार्य कर रही हैं जिससे कि लोग, विशेष रूप से बेरोजगार युवा अपना खाली समय रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यकलापों में लगा सकें।

13.20 संबंधित राज्य सरकारें वित्तीय और वास्तविक अर्थों में स्कीम-वार उपलब्धियां दर्शाते हुए तिमाही प्रगति रिपोर्टें योजना आयोग को भेजती हैं।

13.21 यह कार्यक्रम 1 अगस्त, 2004 से गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंध विभाग को अंतरित कर दिया गया है।

13.22 2004-05 से लाभग्राही राज्यों के लिए आबंटन/प्रदत्त राशियां तालिका 13.3 में दी गई हैं।

1. वर्ष 2004-05 के लिए वास्तविक आबंटन की राशि 325.00 करोड़ रुपए है।
2. एकबारगी 2.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है।
3. एकबारगी 2.87 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है।
4. एकबारगी 7.33 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है।
5. एकबारगी 1.39 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है।
6. एकबारगी 4.30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है।
7. एकबारगी 7.24 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है।
8. एकबारगी 6.63 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है।
9. एकबारगी 6.84 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है।
10. एकबारगी 8.14 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है।
11. एकबारगी 9.74 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम/आबंटन और प्रदत्त राशि

(करोड़ रुपए में)

राज्य का नाम	2004-05		2005-06		2006-07
	आबंटन	प्रदत्त	आबंटन	प्रदत्त	आबंटन
अरुणाचल प्रदेश	13.51	13.51	16.81	19.36 (14)	32.98
असम	7.48	9.98 (2)	10.81	10.81	13.52
बिहार	7.28	7.28	16.93	16.93	21.19
गुजरात	10.26	13.13 (3)	11.06	11.06	15.64
हिमाचल प्रदेश	4.16	11.49 (4)	5.53	6.42 (15)	7.43
जम्मू और कश्मीर	100.00	86.95	100.00	100.00	100.00
मणिपुर	4.16	5.55 (5)	5.27	5.92 (16)	7.50
मेघालय	4.70	9.00 (6)	4.94	4.94	7.30
मिजोरम	8.32	15.56 (7)	9.02	9.03 (17)	13.02
नागालैंड	4.16	4.16	4.16	4.56 (18)	4.78
पंजाब	10.08	9.92	10.08	13.08 (19)	10.79
राजस्थान	30.32	36.95 (8)	36.87	38.35 (20)	51.50
सिक्किम	5.72	12.56 (9)	5.72	6.22 (21)	6.58
त्रिपुरा	12.96	21.10 (10)	12.96	12.96	16.62
उत्तरांचल	4.16	13.90 (11)	9.55	9.77 (22)	13.71
उत्तर प्रदेश	8.32	16.55 (12)	12.84	13.99 (23)	17.31
पश्चिम बंगाल	39.56	37.40	45.50	41.60	57.26
कुल	275.15(1)	324.99	318.05 (13)	325.00	397.13 (24)

12. एकबारगी 8.23 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है।
13. वर्ष 2005-06 के लिए वास्तविक आबंटन की राशि 325.00 करोड़ रुपए है।
14. एकबारगी 2.55 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है।
15. एकबारगी 0.89 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है।
16. एकबारगी 0.65 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है।
17. एकबारगी 0.01 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है।
18. एकबारगी 0.40 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है।
19. एकबारगी 3.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है।
20. एकबारगी 1.48 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है।
21. एकबारगी 0.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है।
22. एकबारगी 0.22 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है।
23. एकबारगी 1.15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है।
24. वर्ष 2006-07 के लिए वास्तविक आबंटन की राशि 520.00 करोड़ रुपए है।

## पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

13.23 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) संबंधी स्कीम पिछड़ेपन के कारणों की तरफ मानक सरकारी कार्यक्रमों की तुलना में और अधिक समग्र रूप से ध्यान देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2006-07 में मंजूर की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य भारत निर्माण और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों जोकि एकांततः ग्रामीण आधारिक तंत्र संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं लेकिन जिन्हें महत्वपूर्ण अंतरालों की ओर ध्यान देने के लिए संपूरण की जरूरत है जोकि बीआरजीएफ से प्राप्त हो सकती है के साथ अभिसरण और मूल्य संवर्द्धन में सहायता करना है। बीआरजीएफ जनसहभागिता के माध्यम से चुने गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा अभिज्ञात पिछड़े जिलों की ओर केन्द्रित ध्यान देने का प्रयास करेगी। संविधान के अनुच्छेद 243जी के अर्थ और भावना को ध्यान में रखते हुए गांव से लेकर जिला स्तर तक पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) आयोजना और कार्यान्वयन के लिए प्राधिकारी होंगे। पंचायती राज प्रणाली का प्रत्येक स्तर - गांव, मध्यवर्ती और जिला अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के लिए पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनाएं तैयार करेगा। इसी तरह की प्रक्रिया नगरपालिकाओं द्वारा अपनाई जाएगी। जिला आयोजना समिति (डीपीसी) पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करेगी। विभिन्न स्तरों पर तैयार की गई योजनाओं को परिष्कृत करने और साथ ही डीपीसी में एक तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य अर्थों में योजनाओं के अभिसरण और समेकन करने के उद्देश्य से राज्य सरकारें संविधान के प्रावधान के अनुसार ऐसे संस्थानों, संगठनों और व्यक्तियों को नामोद्दिष्ट करेंगी जोकि तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य प्रकृति की योजनाएं तैयार करने में पंचायतों और डीपीसी की मदद कर सकें।

13.24 बीआरजी के दो घटक हैं अर्थात (i) जिला घटक और (ii) (क) बिहार तथा (ख) उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजनाएं।

## जिला घटक

13.25 बीआरजीएफ के जिला घटक में 250 जिले कवर किए गए हैं जिसमें सभी 200 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

कार्यक्रम (एनएआरईजीपी) जिले, (राष्ट्रीय समविकास योजना (आरएसवीवाई) के तहत कवर किए गए सभी 147 जिलों तथा काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) द्वारा कवर किए गए 150 जिलों सहित) तथा बढ़ते हुए क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने के उद्देश्य से योजना आयोग द्वारा अगस्त, 2004 में स्थापित अंतःमंत्रालयी कार्यबल (आईएमटीजी) द्वारा कतिपय समाजार्थिक परिवर्तियों के आधार पर पिछड़े के रूप में अभिज्ञात 170 जिले शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान जिन जिलों में आरएसवीवाई जारी है उन्हें आरएसवीवाई मानदंडों के अनुसार तब तक निधियां मिलती रहेंगी जब तक कि प्रत्येक जिले को 45 करोड़ रुपए की राशि (मौजूदा मानीटरन फीस सहित) प्रदान नहीं कर दी जाती जिसके बाद ये जिले वित्तपोषण की बीआरजीएफ की मानक पद्धति में अंतरित हो जाएंगे। बाकी बची राशि में से नए जिलों को वित्तपोषण की बीआरजीएफ की मानक पद्धति अर्थात प्रत्येक जिले के लिए प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपए की एक नियत राशि तथा क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर बाकी की राशि के आधार पर निधियां प्रदान की जाएगी।

13.26 2005-06 के दौरान आरएसवीवाई के पिछड़े जिले पहल घटक द्वारा कवर किए गए जिलों को आरएसवीवाई मानदंडों के अनुसार निधियां प्राप्त हुईं। आरएसवीवाई के अधीन प्रदान की गई निधियों की राज्य-वार स्थिति तालिका 13.4 में दी गई है।

## विशेष योजनाएं

### (i) बिहार के लिए विशेष योजना

13.27 विद्युत, सड़क संयोज्यता, सिंचाई, बागबानी, वानिकी और वाटरशेड विकास जैसे क्षेत्रकों में सुधार लाने के उद्देश्य से बिहार राज्य सरकार के साथ परामर्श करके विशेष परियोजना तैयार की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार की राज्य सरकार के साथ परामर्श से प्रारंभ में सात स्कीमों अनुमोदन/कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। इन स्कीमों के निष्पादन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों का विनिर्धारण कर लिया गया है। कुछ स्कीमों के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने का काम प्रगति पर है। विशेष योजना का वित्तपोषण समविकास योजना के

तालिका 13.4  
2005-06 के दौरान पिछड़ा जिला पहल  
के अंतर्गत जारी राशि

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	जारी निधियां
1.	आंध्र प्रदेश	37.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.50
3.	असम	7.50
4.	बिहार	135.00
5.	छत्तीसगढ़	90.00
6.	गुजरात	15.00
7.	हरियाणा	15.00
8.	हिमाचल प्रदेश	15.00
9.	जम्मू और कश्मीर	22.50
10.	झारखंड	142.50
11.	कर्नाटक	15.00
12.	केरल	15.00
13.	मध्य प्रदेश	150.00
14.	महाराष्ट्र	60.00
15.	मणिपुर	15.00
16.	मेघालय	0.00
17.	मिजोरम	7.50
18.	नागालैंड	7.50
19.	उड़ीसा	45.00
20.	पंजाब	7.50
21.	राजस्थान	37.50
22.	सिक्किम	7.50
23.	तमिलनाडु	75.00
24.	त्रिपुरा	7.50
25.	उत्तर प्रदेश	202.50
26.	उत्तरांचल	22.50
27.	पश्चिम बंगाल	45.00
28.	नाबार्ड	3.24
	<b>कुल</b>	<b>1210.74</b>

अधीन किया जा रहा था जिसे अब पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में मिला दिया गया है।

13.28 इन 9 स्कीमों और साथ ही 2005-06 में प्रदत्त निधियों और किए गए व्यय के ब्यौरे तालिका 13.5 में दिए गए हैं।

13.29 यह निर्णय लिया गया है कि बिहार के लिए विशेष योजना का वित्तपोषण 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के वार्षिक आबंटन से किया जाता रहेगा जैसाकि 10वीं योजना के दौरान किया गया था। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत बिहार के लिए विशेष योजना के अधीन स्कीमों के कार्यान्वयन के वास्ते 2006-07 के दौरान 1000 करोड़ रुपए का आबंटन कर दिया गया है।

#### उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजना

13.30 केबीके क्षेत्र के अंतर्गत मूल कालाहाण्डी, बोलनगीर और कोरापुट के जिले सम्मिलित हैं जो उड़ीसा के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में स्थित हैं। इन जिलों के लिए एक संशोधित दीर्घावधिक कार्रवाई योजना तैयार की गई तथा योजना आयोग 1998-99 से इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करता रहा है। आयोजना और कार्यान्वयन प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार, परियोजना आधारित दृष्टिकोण और एक नूतन प्रदाय व मानीटरन पद्धति का इस्तेमाल करते हुए वर्ष 2002-03 से इन जिलों के लिए एक विशेष योजना तैयार करती रही है। विशेष योजना प्राथमिकताओं के अनुसार सूखारोधन, आजीविका सहायता, संयोज्यता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की मुख्य समस्याओं के समाधान की ओर स्थानीय ध्यान केन्द्रित करेगी। विशेष योजना पिछले वर्ष 2005-06 तक 100% अनुदान आधार पर भूतपूर्व राष्ट्रीय समविकास योजना (आरएसवीवाई) के अधीन वित्तपोषित की जा रही थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि विशेष योजना का वित्तपोषण चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में से किया जाएगा। 2006-07 के लिए विशेष योजना के वास्ते 250 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। 11वीं योजना में केबीके जिलों के लिए समग्र आबंटन 250 करोड़

वर्ष 2005-06 के लिए राष्ट्रीय सम विकास योजना के बिहार घटक के लिए विशेष योजना के अंतर्गत स्कीम-वार आबंटन, जारी की गई राशियां और व्यय

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	स्कीम का नाम	परियोजना लागत	जारी राशि
1.	दस लाख सैलो ट्यूबवैल कार्यक्रम (सब्सिडी घटक)	633.78*	200.00
2.	उप-पारेषण पद्धति का सुदृढीकरण	552.40	227.00
3.	पूर्वी गंडक नहर का पुनरुद्धार	294.00	0.56
4.	बागबानी का विकास (सब्सिडी घटक)	35.53	0.00
5.	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम	60.00	0.00
6.	राज्य राजमार्गों का विकास	846.29**	33.46
7.	एकीकृत समुदाय आधारित वन प्रबंधन	51.04	0.00
8.	दक्षिण बिहार में उप-पारेषण पद्धति क सुदृढीकरण (द्वितीय चरण) : नई दिल्ली	629.22	0.00
9.	बरौनी और मुजफ्फरपुर थर्मल विद्युत स्टेशन का जीर्णोद्धार व आधुनिकीकरण : नई स्कीम	506.20	75.00
	<b>जोड़</b>	<b>3608.46</b>	<b>536.02</b>

\* आरएसवीवाई से पहले 2002-03 तक मिलियन शैलो ट्यूबवैल कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को एकबारगी एसीए के रूप में जारी 55.50 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

\*\* व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्ट पर आधारित।

रुपए प्रति वर्ष के स्तर पर संरक्षित किया जाएगा लेकिन उनका वित्तपोषण बीआरजीएफ जिला मानदंडों के अधीन किया जाएगा तथा बाकी की निधियां केबीके विशेष योजना के अधीन प्रदान की जाएंगी।

13.31 केबीके जिलों के लिए निधियां जारी करने से संबंधित प्रावधान और राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट किया गया व्यय तालिका 13.6 में दिया गया है।

केबीके जिलों के लिए जारी निधियां और राज्यों द्वारा सूचित व्यय

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	एसीए/जारी एसीए	रिपोर्ट किया गया व्यय
1998-99	46.00	10.51
1999-2000	57.60	55.91
2000-01	40.35	57.14
2001-02	100.00	61.37
2002-03	200.00	131.99
2003-04	250.00	318.54
2004-05	250.00	279.11
2005-06	250.00	240.60
कुल	<b>1193.95</b>	<b>1155.17</b>

## पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

13.32 राज्य के अन्दर किसी क्षेत्र की आयोजना और विकास का उत्तरदायित्व प्रमुख रूप से संबंधित राज्य सरकारों का है। तथापि, एक समग्र राज्योन्मुखी दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्यों के अन्दर और बाहर कुछ क्षेत्रों में ऐतिहासिक और विशेषकारणों से एक संकेन्द्रित क्षेत्र विकास पहल की आवश्यकता है। इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट योजना संबंधी कार्यनीतियां तैयार की जाती हैं। इस संबंध में योजना आयोग की कार्यनीति पूंजी निवेश हेतु निधियों सहित ऐसे लाभ-वंचित क्षेत्रों को लक्षित करते हुए राज्य सरकारों के प्रयासों में तेजी लाना है।

13.33 पूर्वोत्तर क्षेत्र में आठ राज्य हैं अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास विभिन्न कारकों के कारण प्रभावित हुआ है जैसे-भौगोलिक स्थिति, परिवहन अवरोध, प्राकृतिक आपदा आदि। योजनाओं में पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास पर तथा अवसंरचनात्मक अवरोधों को दूर करने, न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान करने तथा निजी निवेश हेतु एक समग्र महौल तैयार करने हेतु अपनाई जाने वाली कार्यनीतियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

## पूर्वोत्तर विकास हेतु विशेष पहलें

13.34 क्षेत्र की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग अपनी तरफ से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए उनकी पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं हेतु विशेष श्रेणी राज्यों के लिए लागू उदार शर्तों पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराते हुए उन्हें प्रोत्साहित करता रहा है इसके अतिरिक्त, क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने हेतु कई विशेष व्यवस्था और पहलें की गई हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के योजना बजट (बजटों) का १० प्रतिशत

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए निर्धारित करने की नीति एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित अनिवार्य 10 प्रतिशत बजटीय आवंटन की खर्च न की गई शेष राशि में से संसाधनों का गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल बनाना भारत सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण पहल है।

13.35 वर्ष 1972 में गठित पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) पूर्वोत्तर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए एक क्षेत्रीय योजना निकाय है जहां अंतर-राज्यीय परिवहन, संचार, विद्युत, स्वास्थ्य/पैरा मेडिकल संस्थानों आदि जैसे क्षेत्रीय प्राथमिकतावाली परियोजनाएं शुरू की गई हैं। सितम्बर, 2001 में स्थापित पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) की भूमिका सहक्रिया पैदा करने तथा केन्द्रीय एजेंसियों और राज्य सरकारों दोनों के प्रयासों का समन्वय करते हुए कार्यक्रमों का अभिसरण सुनिश्चित करना है। डोनर राज्यों को प्राथमिकता वाली परियोजनाएं शुरू करने हेतु एनएलसीपीआर से निधियां उपलब्ध कराता है। विकास प्रक्रिया में तेजी लाने तथा लाभप्रद रोजगार, सुदृढ अवसंरचना विशेषकर संबद्धता और संसार पर फोकस करने के साथ-साथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय एक अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। दसवीं योजना (2002-07) के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के व्यय का स्कीम-वार आवंटन नीचे दर्शाई गई है।

13.36 एनएलसीपीआर और एनईसी के अंतर्गत कार्यक्रमों की संस्वीकृति पूर्वोत्तर विकास क्षेत्र (डोनर) द्वारा की जाती है तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है तथा इन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों का वर्गीकरण राज्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में किया जाता है। डोनर की केन्द्रीय स्कीमों में चार स्कीमों अर्थात्-समर्थन, क्षमता निर्माण, एनईडीएफआई और सिक्किम माइनिंग कारपोरेशन शामिल है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) का दसवीं योजना में निष्पादन

योजना स्कीमें	दसवीं योजना परिव्यय	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07 बजट
		बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	
<b>क. राज्य योजना स्कीमें</b>										
एनएलसीपीआर	निश्चित नहीं	550.00	550.00	550.00	550.00	650.00	650.00	679.17	679.17	700.00
एनईसी	3500	450.00	441.45	500.00	499.86	500.00	497.73	461.50	460.02	600.00
उप-जोड़ (राज्य योजना)		1000.00	991.45	1050.00	1049.86	1150.00	1147.73	1140.67	1139.19	1300.00
<b>ख. केन्द्रीय योजना स्कीमें</b>										
एनईडीएफआई	निश्चित नहीं	15.40	15.40	15.40	15.40	24.50	24.50	22.33	22.33	31.48
समर्थन	निश्चित नहीं	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.03	5.00	4.71	6.00
क्षमता निर्माण	निश्चित नहीं	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.55	8.00	7.92	10.00
एसएमसी	निश्चित नहीं	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	2.51
शहरों/सड़कों का विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
एनईआरएएमएसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-जोड़ (केन्द्रीय स्कीम)		19.90	19.90	19.90	19.90	35.00	29.58	35.33	34.96	50
<b>योग</b>	-	<b>1019.90</b>	<b>1011.35</b>	<b>1069.90</b>	<b>1069.76</b>	<b>1185.00</b>	<b>1177.31</b>	<b>1176.00</b>	<b>1174.15</b>	<b>1350.00</b>

## अध्याय-14

### योजना स्कीमों /कार्यक्रमों का मूल्यांकन

#### प्रस्तावना

14.1 कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन) योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के कहने पर प्राथमिकतापूर्ण कार्यक्रमों/स्कीमों के मूल्यांकन का काम हाथ में लेता है। मूल्यांकन अध्ययन निष्पादन, कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं, आपूर्ति प्रणालियों की प्रभाविता और कार्यक्रमों/स्कीमों के प्रभावों का आकलन करने के लिए तैयार किए जाते हैं। ये अध्ययन प्रकृति से नैदानिक होते हैं और इनका उद्देश्य ऐसे तत्वों की पहचान करना है जोकि विभिन्न कार्यक्रमों की सफलताओं तथा/असफलताओं में योगदान देते हैं और इस प्रकार ये अध्ययन मध्यावधिक संशोधनों तथा भावी कार्यक्रमों के लिए बेहतर डिजाइनों के माध्यम से मौजूदा स्कीमों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए सीखें प्राप्त करने में मदद करते हैं।

#### मूल्यांकन पर महत्व/जोर

14.2 प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाने और आपूर्ति तंत्र की प्रभाविता और जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है और यह केवल प्रभावी मूल्यांकन के जरिए सुनिश्चित किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने भी कार्यक्रमों और स्कीमों के स्वतंत्र तथा गहन मूल्यांकन की जरूरत पर बल दिया है क्योंकि देश के लोग परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। सरकार का यह प्रयास है कि सभी प्रमुख कार्यक्रमों के विकासात्मक परिणामों को मापने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाए।

14.3 मंत्रिमंडल सचिव ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को संबोधित एक पत्र में कार्यान्वित की जा रही सभी स्कीमों/ कार्यक्रमों/ परियोजनाओं का जिनका अभी तक मूल्यांकन नहीं किया जा सका है मूल्यांकन करने का

निर्देश दिया है और इस बात पर बल दिया है कि यदि प्रभाव आकलन योजना आयोग अथवा सक्षम व्यावसायिक एजेंसियों द्वारा किया जाता है तो वह निश्चय ही अधिक उपयोगी होगा। मूल्यांकन क्षमता का सुदृढीकरण करने के लिए सरकार में नई योजनागत स्कीमों चालू वित्तीय वर्ष में शुरू की गई है।

#### मूल्यांकन के लिए योजनागत योजना पद्धति

14.4 “सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढीकरण” नामक एक नई योजनागत स्कीम 8.55 करोड़ रुपए के बजटीय आबंटन से वर्ष 2006-07 में शुरू की गई है। स्कीम का मुख्य उद्देश्य योजना निर्माताओं/नीति निर्माताओं के लिए त्वरित तथा उपयोगी मूल्यांकनपरक सूचना उपलब्ध कराना है। विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के उत्तम मूल्यांकन से केवल यही नहीं कि सरकारी क्षेत्र के निष्पादन में सुधार आएगा बल्कि सरकारी क्षेत्र के वित्तपोषण और विकासात्मक हस्तक्षेपणीय उपायों से जुड़े हुए बहुविध मुद्दों की ओर जैसेकि अर्थव्यवस्था, कुशलता, प्रभाविता, संघारणीयता और प्रासंगिकता की ओर भी ध्यान दिया जाएगा।

#### योजनागत स्कीम के उद्देश्य

- (i) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) में मौजूदा क्षमताओं को सुदृढ करने तथा सरकार के भीतर और आमतौर पर बाहर मूल्यांकन क्षमता का विकास।
- (ii) विकासात्मक मूल्यांकन के लिए एक ऐसा आंकड़ा आधार तैयार करना जो केवल यही नहीं कि विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययनों का मात्र भंडार होगा बल्कि उसमें मूल्यांकनों के परिणामों, सीखे गए पाठों तथा सर्वोत्तम परिपाटियों आदि की एक प्रयोक्ता अनुकूल प्रारूप में प्रस्तुति भी शामिल होगी।
- (iii) पीईओ, योजना आयोग में उपलब्ध संसाधन व्यक्तियों

और विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण द्वारा राज्य सरकारों को विशेषज्ञता उपलब्ध कराना।

- (iv) मूल्यांकन रिपोर्टों को सार्थक, सामयिक और सूचनाप्रद बनाना। अद्यतन सांख्यिकी साफ्टवेयर पैकेजों का इस्तेमाल तथा मौजूदा कम्प्यूटर हार्डवेयर का स्तरोन्नयन।

14.5 आशा है कि वर्ष 2006-07 में भारत सरकार के और साथ ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विकासात्मक मूल्यांकन अधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

### विकासात्मक मूल्यांकन सलाहकार समिति (डीईएसी)

14.6 भूतपूर्व मूल्यांकन सलाहकार समिति (ईएसी) जो कि देश के भीतर विकासात्मक मूल्यांकन की नीति और प्रविधि के संबंध में निर्णय लेने के लिए एक शीर्षस्थ निकाय थी उसे 29 नवम्बर, 2004 को चुस्त बनाया गया और योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में विकासात्मक मूल्यांकन सलाहकार समिति (डीईएसी) के रूप में पुनर्गठित किया गया। इस समिति के सदस्यों में योजना आयोग के सभी सदस्य तथा विख्यात अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों से 4 लब्धप्रतिष्ठित अनुसंधान व्यावसायिक शामिल होंगे जबकि सलाहकार (मूल्यांकन) इसके सदस्य सचिव होंगे। डीईएसी अन्य बातों के साथ-साथ अध्ययनों की प्राथमिकता निर्धारित करती है, मूल्यांकन स्तर का निरीक्षण (मानीटरन) करती है और तालमेल आदि के लिए तौर-तरीके सुझाती है।

### योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा हाल में किए गए मूल्यांकन अध्ययन

#### केरल में विकेन्द्रीकृत आयोजना अनुभव, जनवरी, 2006

14.7 केरल में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन और राज्य में 1994 में समर्थनकारी कानूनों के फलस्वरूप विकेन्द्रीकृत आयोजना जनता के योजना अभियान के रूप में शुरू हुई और विभिन्न स्तरों पर संस्थापन के साथ आगे बढ़ी। इन्हें ग्राम सभा, पड़ोसी समूहों/स्वयंसेवी समूहों, स्थायी

समितियों, विशेषज्ञ समितियों, कार्यबलों, जिला आयोजना समितियों और राज्य स्तरीय समन्वयकर्ता द्वारा प्रचालित किया जाता है। इसके मुख्य निष्कर्ष और सुझाव नीचे दिए गए हैं:

#### ● योजना निर्माण के संबंध में

ग्राम सभा ने आवश्यकता की अभिव्यक्ति, परियोजनाओं/स्कीमों के प्राथमिकता निर्धारण और दुर्बल वर्गों की आवश्यकता की ओर ध्यान देने में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की फिर भी उत्पादनकारी क्षेत्रक परियोजनाएं एक व्यापक योजना के रूप में विकसित नहीं हो पाई और कृषि परियोजना आयोजना केन्द्रीकृत तथा परिणामोन्मुखी नहीं हो पाई।

प्रभावी ऊर्ध्वाधर एकीकरण की कमी विकेन्द्रीकृत आयोजना में कमजोर कड़ी थी। आधारिक तंत्र और उत्पादनकारी क्षेत्रक परियोजनाओं ने परस्पर संबंधों को मान्यता नहीं दी।

#### ● योजना कार्यान्वयन के संबंध में

लगभग 29% चुनिंदा लाभग्राहियों को ग्राम सभा में कभी भी उपस्थित हुए बिना ग्राम पंचायत परियोजनाओं के वैयक्तिक लाभ मिल गये थे। गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) लाभग्राहियों (25.1%) की तुलना में गरीबी रेखा के ऊपर (एपीएल) लाभग्राहियों (34.7%) के बीच और अनुसूचित जाति के लाभग्राहियों (20%) की तुलना में सामान्य श्रेणी के लाभग्राहियों (35.2%) के बीच इसकी व्याप्ति अधिक रही।

योजना के अधीन निर्मित सामूहिक परिसंपत्तियों की योजना कार्यान्वयन के बाद प्रायः अनदेखी की गई। सामूहिक सिंचाई परियोजनाओं के 67.3% लाभग्राहियों ने ऐसा महसूस किया कि परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए कोई भी तंत्र स्थापित नहीं किया गया है।

#### ● सुझाव

उत्पादनशील क्षेत्रक आयोजना के प्रति विभक्त दृष्टिकोण को अब अनिवार्यतः ऐसी योजनाओं और परियोजनाओं को स्थान देना चाहिए जोकि एक सुपरिभाषित जल विभाजक

आधारित विकासात्मक कार्यनीति के साथ पूरी तरह एकीकृत हो।

प्रभावी उत्पादनकारी क्षेत्रक योजना को प्रचालित करने की एक प्रमुख शर्त यह है कि कल्याण स्कीमों के लिए तथा और उत्पादनकारी क्षेत्रक स्कीमों के लाभग्राहियों के चयन की क्रियाविधियों के बीच अंतर किया जाए।

### 14.8 विकास केन्द्र योजना पद्धति के मूल्यांकन अध्ययन संबंधी रिपोर्ट, अक्टूबर, 2005

- देश के पिछड़े क्षेत्रों, पर्वतीय/दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1991 में विकास केन्द्र योजना पद्धति की शुरुआत की थी। इसके प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:
- विकास केन्द्र योजना पद्धति को अनुपयुक्त डिजाइन, भूमि के अधिग्रहण/आबंटन में अत्यधिक देरी, आधारिक तंत्र के धीमे विकास आदि जैसी अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा था।
- यह स्कीम किसी समयबद्ध कार्यक्रम के अधीन आधारिक सुविधाएं विकसित करने में परियोजना अधिकारियों की असमर्थता के कारण उद्योग स्थापित करने के लिए न तो पर्याप्त संख्या में उद्यमकर्ताओं को आकर्षित करने में और न निधियों के विशाल निवेश का औचित्य सिद्ध करने के निमित्त पर्याप्त रोजगार सृजित कर सकी है।
- अधिकांश विकास केन्द्रों की असंतोषपूर्ण उन्नति यह दर्शाती है कि व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करते समय इन केन्द्रों की औद्योगिक क्षमता का यथार्थपूर्ण ढंग से आकलन नहीं किया गया था। तुलनात्मक अर्थों में औद्योगिक दृष्टि से अधिक उन्नत राज्यों के बीच इस स्कीम का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए था।

### प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के त्वरित अध्ययन पर रिपोर्ट, अगस्त 2005

14.9 यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में असंयोजित बस्तियों में सड़कों द्वारा संयोज्यता प्रदान करने के लिए 2000 में शुरू की गई थी। अध्ययन के निष्कर्ष यह बताते हैं कि पीएमजीएसवाई का भूतपूर्व असंयोजित ग्रामीण बस्तियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पीएमजीएसवाई द्वारा प्रदान की गई संयोज्यता के फलस्वरूप केवल यही नहीं कि अतिरिक्त रोजगार सुलभ हुआ बल्कि अन्य बातों के साथ-साथ विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और विपणन केन्द्रों के क्षेत्रों में ग्रामवासियों की पहुंच में सुधार हुआ है।

### जिला निर्धनता पहल परियोजना, मध्य प्रदेश की मूल्यांकन रिपोर्ट, सितम्बर, 2005

14.10 यह अध्ययन सुविधाविहीन समूहों विशेष रूप से महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने के जरिए ग्रामीण निर्धनता का शमन करने के लिए कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन करने के निमित्त 2001 में शुरू किया गया था। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- विकासात्मक क्रियाकलापों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक नवाचारी कार्यनीति के रूप में सामान्य रुचि समूह की स्थापना की अवधारणा असफल पाई गई।
- मार्च, 2004 तक विस्तार केवल 31% था और पहले तीन वर्षों में कुल परिव्यय का मात्र 17.41% अंश खर्च किया जा सका है।
- जिला परिषद जिला निर्धनता पहल उपसमिति और ग्राम विकास समिति का गठन नहीं किया गया।
- निरीक्षण कमजोर रहा और कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई।

**अन्य सरकारी संगठनों के हाल में किए गए मूल्यांकन अध्ययनों के ब्यौरे:**

**राजस्थान सरकार के विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों का प्रभाव और मूल्यांकन, फरवरी, 2006**

14.11 अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

- राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर गांवों के बीच आंतरिक सड़कों का अधिकांश हिस्सा कच्चा है, गांवों की आंतरिक सड़कों का एक और बहुत बड़ा हिस्सा बटिया, पत्थर, ईट सड़क द्वारा कवर किया गया है।
- राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर अधिकांश गांवों में एक या दो तालाब हैं।
- राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर अधिकांश गांवों और उनके संबंधित जिला मुख्यालय के बीच की दूरी 75 किलोमीटर के भीतर है।
- राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर जिला अस्पताल गांवों से सर्वाधिक दूर हैं और उप-केन्द्र सर्वाधिक निकट हैं।
- राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर अधिकांश गांवों के लिए पेयजल का निकटतम स्रोत 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर उपलब्ध है।
- राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर खेती का अधिकांश हिस्सा गेहूं, मकई, बाजरा तथा नकदी फसलों (मुख्यतः तिलहनों) की प्राथमिक फसलों ने घेर रखा है।
- राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर पैदा की गई अधिकांश फसलें मंडी में खरीदार को या स्थानीय खरीदार के माध्यम से (खरीदार किसानों से अनुरोध करते हैं) बेच दी जाती हैं।
- गांवों में सरकारी कार्यकरण का स्तर न तो बहुत अच्छा है न बुरा है, वह औसत स्तर का है। तथापि सरकारी कार्मिकों की सुलभता और सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के मुद्दे को खराब बताया गया है।
- प्रत्यक्ष/अनुभूत लाभों की पहुंच के प्रभाव में कोई बदलाव नहीं आया और वह पहले की भांति है।

**लोकसभा सदस्य स्थानीय विकास कार्यक्रम (एमपीएलएडी)- पंजाब राज्य का मूल्यांकन अध्ययन, 2001**

14.12 इस मूल्यांकन अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष और सुझाव निम्नानुसार हैं:

- योजना विभाग के आर्थिक और सांख्यिकी संगठन को किसी भी तरह के आर्थिक अधिकार और साथ ही भौतिक नियंत्रण प्रदान किए बिना नोडल एजेंसी की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इस प्रकार निधियां डीईएस/योजना विभाग, पंजाब के माध्यम से प्रदान की जाएंगी।
- अधूरी परिसंपत्तियों के सृजन से बचने के लिए कार्य मंजूर करने और निधियां प्रदान करने से पहले कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य का एक अनुमानित लागत तैयार किया जाना चाहिए।
- स्कीमों के निष्पादन की प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जहां तक संभव हो स्कीम के अधीन निर्माण कार्य निष्पादन के लिए ग्राम पंचायतों/स्थानीय निकायों को सुपुर्द किए जाने चाहिए।

**14.13 न्यून लागत के स्वच्छता कार्यक्रम, उधमपुर जिले की मूल्यांकन रिपोर्ट, 2005-06**

मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- कार्यक्रम के अधीन निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में की गई उन्नति तनिक भी संतोषजनक नहीं है।
- तीन क्रमिक वर्षों अर्थात् 2001-02 से लेकर 2003-04 के दौरान कार्यान्वयन विभाग ने प्रायः कोई भी काम नहीं किया है जबकि इन वर्षों के दौरान सभी वित्तीय निधियां प्रदान की गई थीं।
- सुपर स्ट्रक्चर, जल के उपलब्ध न होने और रिसाव/अवरोधन के कारण वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों में से 59% बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हैं।

- स्कूलों में इस कार्यक्रम का प्रभाव इन अर्थों में अच्छा रहा कि नमूने के 80% स्कूलों ने स्वच्छता के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति में सुधार की सूचना दी।

14.14 2005-06 में सामाजिक आर्थिक अनुसंधान प्रभाग के अधीन पूरे किए गए मूल्यांकन अध्ययनों की सूची संलग्नक 14.1 में दी गई है।

**2006-07 के दौरान कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में जारी मूल्यांकन अध्ययन:**

14.15 2006-07 के दौरान कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में जारी मूल्यांकन अध्ययनों की स्थिति संलग्नक 14.2 में दर्शाई गई है।

योजना आयोग की एसईआर स्कीम के अधीन वर्ष 2006-07 (\*) के दौरान पूरे किए गए अध्ययन

क्रम सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
1.	उड़ीसा में इंदिरा आवास योजना (आईडब्ल्यूवाई) का मूल्यांकन (2004)	आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
2.	सूक्ष्मवित्त तथा अनुसूचित जातियों की महिलाओं का सशक्तिकरण: यूपी तथा यूए में एसएचजी का प्रभाव अध्ययन (2002)	बीएल सेंटर फार डेवलपमेंट रिसर्च एंड एक्शन, 5/857, विकास नगर, लखनऊ-226022
3.	सामान्य उत्सर्जन उपचार संयंत्रों का इसकी पर्याप्तता और प्रभाविता तथा भारत में प्रबंध परिपाटियों का मूल्यांकन (2005)	राष्ट्रीय पर्यावरणात्मक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नेहरू मार्ग, नागपुर-440020
4.	सामाजिक आडिट ग्राम सभा तथा पंचायती राज	विजन फाउंडेशन फार डेवलपमेंट मैनेजमेंट, नई दिल्ली
5.	पंचायती राज संस्थानों द्वारा वित्तीय संसाधन जुटाना और प्रबंध	हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान निलोखेड़ी
6.	जनजातीय हस्तशिल्प—अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ राज्यों में जनजातीय समुदाय की आजीविका के लिए एक विकल्प	समाजार्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी (सीड्स), नई दिल्ली
7.	भारत का सामाजिक रेखांकन प्रतिमान : 2003-04 (जून, 2006)	इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन, गुडगांव
8.	ग्रामीण भारत में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा अधबीच छोड़ने वाले बच्चों की संख्या और कारण	भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे
9.	समूची आपूर्ति श्रृंखला के बीच भारतीय उद्योग के लिए एचआईवी/एड्स हस्तक्षेपणीय उपाय	दि एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी), नई दिल्ली
10.	बिहार में पीआरआई के माध्यम से निर्वाचित एससी सदस्यों का सशक्तिकरण	सुलभ विकासात्मक अध्ययन संस्थान, पटना (बिहार)

(\*) 31 अक्टूबर, 2006 तक

(क) विकासात्मक मूल्यांकन सलाहकार समिति (डीईएसी) की 17.05.2006 को आयोजित बैठक में जिन मूल्यांकन अध्ययनों को प्राथमिकता प्रदान की गई उनकी स्थिति

डीईएसी की 17 मई, 2006 को आयोजित बैठक में जिन मूल्यांकन अध्ययनों को प्राथमिकता प्रदान की गई उनकी स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	स्कीम का नाम	मूल्यांकन अध्ययन की स्थिति
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एनआरईजीएस)	आईएसआई द्वारा दो जिलों में अध्ययन किया जा रहा है। प्रारंभिक सूक्ष्म स्तरीय निष्कर्ष नवम्बर, 2006 में प्राप्त होने की आशा है। एक विस्तृत गहन अध्ययन आईएमआर को सौंपा गया है।
2.	राजीव गांधी पेयजल मिशन	इस काम को और आगे सौंपने की दिशा में शुरुआत की जा चुकी है।
3.	आईसीडीएस	एनआईपी सीसीडी द्वारा एक अध्ययन पहले ही किया जा चुका है। पीईओ भी बाहर की एजेंसियों के माध्यम से एक गहन अध्ययन शुरू करने जा रहा है।
4.	पकापकाया मध्याह्न भोजन (सीएमडीएम)	स्टडी डिजाइन मंजूर कर दिया गया है, सर्वेक्षण नवम्बर, 2006 में शुरू किया जाएगा।
5.	राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना	विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्मित एमआईएस पर मासिक आधार पर जानकारी प्राप्त हो रही है। यह अध्ययन बाहरी एजेंसियों के माध्यम से शुरू किया जा रहा है।
6.	माध्यमिक स्कूलों में गहन कम्प्यूटर प्रशिक्षण	स्कीम का कार्यान्वयन 2005-06 में शुरू किया गया। एचआरडी मंत्रालय ने यह अनुरोध किया है कि मूल्यांकन कम से कम दूसरा वर्ष पूरा होने के बाद अर्थात् 2006-07 के बाद किया जाना चाहिए।

(ख) कार्यान्वित किए जा रहे अन्य अध्ययनों की स्थिति

क्र.सं.	स्कीम का नाम	मूल्यांकन अध्ययन की स्थिति
1.	शारदा सहायक परियोजना	मूल्यांकन रिपोर्ट मंजूरी के लिए प्रस्तुत की जा चुकी है।
2.	पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	डिजाइन पीईओ द्वारा अपने कार्यालय में तैयार कर लिया गया। सर्वेक्षण का काम नवम्बर, 2006 में अन्य एजेंसियों को सौंपा जा रहा है।
3.	कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र	कार्यक्रम से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट मंत्रालय/संस्थानों को पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है ताकि वे तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा मूल्यांकन करने के लिए प्राथमिकता निर्धारित कर सकें, वित्तीय बोलियां प्राप्त कर ली गई हैं। अध्ययन शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।
4.	अनुसूचित जाति लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण	मूल्यांकन रिपोर्ट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
5.	उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए दीर्घकालीन कार्ययोजना	एक अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार किए गए डिजाइन की पीईओ में जांच की जा रही है।
6.	जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	आरईओ, चंडीगढ़ में डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
7.	जम्मू तथा कश्मीर के 4 युद्ध प्रभावित जिलों में केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का मूल्यांकन	तीन जिलों से संबंधित रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं।
8.	इंदिरा आवास योजना	त्वरित मूल्यांकन अध्ययन अन्य एजेंसियों को सौंपा जाएगा।
9.	त्वरित सिचाई लाभ कार्यक्रम	त्वरित मूल्यांकन अध्ययन अन्य एजेंसियों को सौंपा जाएगा।
10.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	मूल्यांकन रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया जा रहा है।
11.	हथकरघा बुनकरों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम	मूल्यांकन रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया जा रहा है।